

चरणानुयोग .[प्रथम खण्ड]

[जानाचार—दर्शनाचार एवं महाव्रत-समिति-गुप्त वर्णन]

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन :

प्रथम संस्करण :

वीर निर्वाण संवत् २५१५

विक्रमाब्द २०४६

ई० सन् १९८६

अक्षय तृतीया

प्रकाशक :

बलदेवभाई डोसाभाई पटेल

प्रमुख

आगम अनुयोग ट्रस्ट

१५, स्थानकवासी जैन सोसायटी

नारायणपुरा क्रॉसिंग के पास,

अहमदाबाद-३८० ०१३

मुद्रण : निर्देशन एवं व्यवस्था

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

२०८/२, एम० जी० रोड,

(अवागढ़ हाउस), आगरा-२८२ ००२

के लिए विकास प्रिंटर्स, आगरा

□ सेवा सहयोग मण्डल :

१-महासती श्री दर्शनप्रभा जी

२-महासती ,, चारुशीला जी

३-महासती ,, योगसाधना जी

४-महासती ,, उत्तमसाधना जी

५-महासती ,, अपूर्वसाधना जी

६-महासती ,, विरागसाधना जी

ट्रस्ट मण्डल :

१-श्री बलदेवभाई डोसाभाई पटेल

२-,, हिम्मतलाल शामलदास शाह

३-,, बलवन्तलाल शान्तीलाल शाह

४-,, नवनीतलाल चुन्नीलाल पटेल

५-,, रमणलाल माणिकलाल शाह

६-,, विजयराज वी० जैन

७-,, अजयराज के० मेहता

□ सम्पर्क सूत्र :

श्री वर्धमान महावीर केन्द्र

सब्जी मण्डी के सामने

आबू पवत-३०७ ५०१ (राजस्थान)

मूल्य : दो सौ रुपया मात्र

रु० २००) मात्र

Published in Memory of Rev. Gurudeva Fateh-Pratap
Agam Anuyoga Pub. No. 4

CARANĀNUYOGA

(FIRST VOLUME)

[An authentic compilation of Religious Rituals in Jain Agams,
Original texts with Hindi Translation]

Chief - Editor :

Agam Ratnakar, Anuyoga Pravartaka

Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'

Colligator :

Muni Shri Vinayakumarji 'Vagisha'

Editors :

Mahasati Sri Muktiprabhaji
M. A., Ph. D.

Mahasati Sri Divyaprabhaji
M. A., Ph. D.

Assistant Editors :

Mahasati Sri Anupamaji M. A.

Mahasati Sri Divyasadhaji

Mahasati Sri Viratisadhaji B. A.

Special Advisor :

Pandit Shri Dalsukhabhai Malvaniya

Publishers :

AGAM ANUYOGA TRUST
AHMEDABAD-380 013.

Agam Anuyoga Publication No. 4

CARANANUYOGA (First Volume)

[Jnanachara, Darshanachara, Mahavrata, Samiti, Gupti etc.]

[Cognitive Conduct, Intuitive Conduct, Complete Vows, Vigilance, Restraints etc.]

All rights reserved with the Publishers.

Working co-operators

1. Mahasati Shri Darshanprabhaji
2. Mahasati Charusheelaji
3. Mahasati Yogsadhnaji
4. Mahasati Uttamsadhnaji
5. Mahasati Shri Apurvasadhnaji
6. Mahasati Shri Viragasadhnaji

First Edition :

Vir Nirvana Samvat 2515

~~1989~~

April, 1989

Publishers :

Baldevbhai Dosabhai Patel

President

Agam Anuyoga Trust

15th. Sthanakvasi Jain Society

Near Narayanpura Crossing,

Ahmedabad-380 013

Trustees :

1. Sri Baldevbhai Dosabhai Patel
2. Sri Himmatlal Shamaldas Shah
3. Sri Balwantlal Shantilal Shah
4. Sri Navneetlal Chunnilal Patel
5. Sri Ramanlal Maneklal Shah
6. Sri Vijayraj B. Jain
7. Sri Ajayraj K. Mehta

Contact :

Shri Vardhman Mahavir Kendra

opp. Subzi Mandi,

Mount Abu-307 501

(Rajsthan-India)

Printing Guidance and Management :

Srichand Surana 'Saras'

A-7, Avagarh House,

208/2, M. G. Road,

AGRA-282 002

Price : Rs 200/- only.

(Rupee Two Hundred only)

आचार्य सम्राट श्री आनन्दभ्रषि जी महाराज

के कर - कमलों में



तेरा तुझको ही अर्पण है,
चरण-करण का यह चिन्तन
पंचाचार परिपूर्ण प्रभो ! तव
चरण कमल में सविनय वन्दन

श्रुत - सेवक

ओ प्र० मुनि 'कमल'

तथा

आयामुक्तिप्रभा, दिव्यप्रभा

भारतीय संस्कृति का सर्वमान्य सूत्र है—आचार : प्रथमो धर्म :—आचार प्रथम धर्म है । जैन परम्परा में “आचारो षष्ठमो अंगो”—आचार प्रथम अंग है—अंग का अर्थ धर्म-शास्त्र तो है ही, किन्तु व्यापक अर्थ में लेवें तो—जीवन का मुख्य अंग भी है । भारतीय आगमों में मानवता का जितना महत्व कहा है उससे भी कहीं अधिक महत्व साधक जीवन में आचार धर्म का कहा है ।

प्राचीन जैन परम्परा में “आचार” के लिए “चरण” शब्द का प्रयोग होता था । चरण याने चरित्र । मनुष्य के आचार धर्म की मर्यादा, संयम-साधना का व्यवस्थित मार्ग—चरण हैं ।

जैन श्रुत ज्ञान—शास्त्रों को चार अनुयोगों में विभक्त किया गया है—१. चरणानुयोग २. धर्म कथानुयोग ३. गणितानुयोग एवं ४. द्रव्यानुयोग । इनमें धर्म कथानुयोग तथा गणितानुयोग का प्रकाशन हम कर चुके हैं । चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विशाल ग्रन्थ हैं । चरणानुयोग ग्रन्थ बहुत बड़ा होगा इसलिये इसे पाठकों की सुविधा के लिये दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है ।

द्वितीय भाग भी पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है, और द्रव्यानुयोग का सम्पादन भी पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज “कमल” सम्पन्न करवा रहे हैं ।

चरणानुयोग ग्रन्थराज पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, साथ ही हम अपने लक्ष्य को अब बहुत शीघ्र सम्पन्न कर सकेंगे इसका विश्वास पाठकों को दिलाते हैं ।

अनुयोग सम्पादन—प्रकाशन कार्य हेतु गुरुदेव श्री कन्हैयालालजी म० “कमल” ने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है । ऐसे जीवन दानी श्रुत उपासक सन्त के प्रति आभार व्यक्त करना मात्र एक औपचारिकता होगी, याने वाली पीढ़ियाँ युग-युग तक उनका उपकार स्मरण कर श्रुत का बहुमान करेंगी यही उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता होगी । इसी के साथ गुरुदेव श्री के परम सेवाभावी कार्य दक्ष श्री विनय मुनि जी “वागीश” एवं

स्थानकवासी जैनसमाज की प्रख्यात विदुषी स्व० महासती उज्ज्वल कुमारी जी की सुशिष्या महासती श्री मुक्तिप्रभा जी, महासती श्री दिव्यप्रभा जी तथा उनकी श्रुताभ्यासी शिष्याओं की सेवायें इस कार्य में समर्पित हैं—यह हम सब का अहोभाग्य है ।

जैन दर्शन के विख्यात विद्वान श्री दलसुखभाई मालवणिया भारतीय प्राच्य विद्याओं के प्रतिनिधि विद्वान है, उनका आत्मीय सहयोग अनुयोग सम्पादन कार्य में प्रारम्भ से ही रहा है । उन्होंने अत्यधिक उदारता व निःस्वार्थ भावना से इस कार्य में मार्गदर्शन किया, सहयोग दिया, समय-समय पर अपना मूल्यवान परामर्श भी दिया—अतः उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है ।

दुरुह आगम कार्य को प्रेस की दृष्टि से व्यवस्थित कर सुन्दर शुद्ध मुद्रण के लिए जैन दर्शन के अनुभवी विद्वान श्रीचन्द जी सुराना के हम आभारी हैं जिन्होंने पूर्व दोनों अनुयोगों की भाँति इस ग्रन्थ के मुद्रण में भी पूर्ण सद्भावना के साथ सहयोग किया है ।


ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य मण्डल के भी हम आभारी हैं जिनके आर्थिक अनुदान से इतना विशाल व्यय साध्य कार्य हम सम्पन्न करने में समर्थ हुए हैं ।

हमारे ट्रस्ट के मन्त्री अनुभवी एवं सेवाभावी श्री हिम्मतभाई शामलदास शाह अब काफी वृद्ध हो गये हैं, फिर भी वे समय-समय पर अपने अनुभव आदि का लाभ दे रहे हैं । हमारे कार्यकुशल सहयोगी श्री जयन्ती भाई चन्दुलाल संघवी एवं अन्य सभी सहयोगी जनों का स्मरण कर हम शासनदेव से प्रार्थना करते हैं—यह श्रुत ज्ञान की अमर ज्योति सबके जीवन को प्रकाशमय करें ।

सम्पादित सामग्री की प्रेस कोपी करने का विशाल कार्य श्री राजेन्द्र मेहता शाहपुर वाले श्री राजेश भण्डारी जोधपुर वाले ने तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा भक्ति एवं विवेकपूर्वक किया है इसलिए ट्रस्ट की ओर से उनका हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं ।

विनीत—

वलदेव भाई डोसाभाई पटेल अध्यक्ष



—मुनिश्री कन्हैयालाल 'कमल'

“चरण” प्रवृत्ति एवं पुरुषार्थ का प्रतीक है। “चरण” में मर्यादा एवं सम्यक्विवेक का योग होने पर वह आचरण (आङ्—मर्यादायां) कहलाता है। आचरण अर्थात् आचार-धर्म।

चरणानुयोग का अर्थ होता है आचार धर्म सम्बन्धी नियमावली, मर्यादा आदि की व्याख्या एवं संग्रह।

प्रस्तुत चरणानुयोग ग्रन्थ अपनी इसी अभिधा में सार्थक है।

जैन साहित्य में “अनुयोग” के दो रूप मिलते हैं।

१. अनुयोग-व्याख्या

२. अनुयोग वर्गीकरण

किसी भी पद आदि की व्याख्या करने, उसका हार्द समझने/समझाने के लिये १. उपक्रम, २. निक्षेप, ३. अनुगम और ४. नय—इन चार शैलियों का आश्रय लिया जाता है। अनुयोजनमनुयोगः—(अणुजोअणमणुओगो) सूत्र का अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़कर उसकी उपयुक्त व्याख्या करना—इसका नाम है—अनुयोग व्याख्या (जम्बू० वृत्ति)

अनुयोग-वर्गीकरण का अर्थ है—अभिधेय (विषय) की दृष्टि से शास्त्रों का वर्गीकरण करना। जैसे अमुक-अमुक आगम, अमुक अध्ययन, अमुक गाथा—अमुक विषय की है। इस प्रकार विषय-वस्तु की दृष्टि से वर्गीकरण करके आगमों का गम्भीर अर्थ समझने की शैली—अनुयोग वर्गीकरण पद्धति है।

प्राचीन आचार्यों ने आगमों के गम्भीर अर्थ को सरलता पूर्वक समझाने के लिये आगमों का चार अनुयोगों में वर्गीकरण किया है।

१—चरणानुयोग—आचार सम्बन्धी आगम

२—धर्मकथानुयोग—उपदेशप्रद कथा एवं दृष्टान्त सम्बन्धी आगम

३—गणितानुयोग—चन्द्र-सूर्य-अन्तरिक्ष विज्ञान तथा भू ज्ञान के गणित विषयक आगम

४—द्रव्यानुयोग—जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों की व्याख्या करने वाले आगम।

अनुयोग वर्गीकरण के लाभ

यद्यपि अनुयोग वर्गीकरण पद्धति आगमों के उत्तर-कालीन चिन्तक आचार्यों की देन है, किन्तु यह आगम पाठी, श्रुताभ्यासी मुमुक्षु के लिए बहुत उपयोगी है। आज के युग में तो इस पद्धति की अत्यधिक उपयोगिता है।

विशाल आगम साहित्य का अध्ययन कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिये बहुत कठिन है। इसलिए जब जिस विषय का अनुसन्धान करना हो, तब तद्विषयक आगम पाठ का अनुशीलन करके जिज्ञासा का समाधान करना—यह तभी सम्भव है, जब अनुयोग पद्धति से सम्पादित आगमों का शुद्ध संस्करण उपलब्ध हो।

अनुयोग पद्धति से आगमों का स्वाध्याय करने पर अनेक जटिल विषय स्वयं समाहित हो जाते हैं, जैसे—

१. आगमों का किस प्रकार विस्तार हुआ है—यह स्पष्ट हो जाता है।

२. कौन-सा पाठ आगम संकलन काल के पश्चात् प्रविष्ट हुआ है ?

३. आगम पाठों में आगम लेखन से पूर्व तथा पश्चात् वाचना भेद के कारण तथा देश-काल के व्यवधान के कारण लिपिक काल में क्या अन्तर पड़ा है ?

४. कौन-सा आगम पाठ स्व-मत का है, कौन-सा परमत की मान्यता वाला है ? तथा भ्रान्तिवश परमत मान्यता वाला कौन-सा पाठ आगम में संकलित हो गया है ।

इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के समाधान इस शैली से प्राप्त हो जाते हैं जिनका आधुनिक शोध छात्रों/प्राच्य विद्या के अनुसन्धाता विद्वानों के लिये बहुत महत्व है ।

अनुयोग कार्य का प्रारम्भ :—

लगभग आज से ५० वर्ष पूर्व मेरे मन में अनुयोग-वर्गीकरण पद्धति से आगमों का संकलन करने की भावना जगी थी । श्री दलमुख भाई मालवणिया ने उस समय मुझे मार्ग दर्शन किया, प्रेरणा दी और निःस्वार्थ/निस्पृह भाव से आत्मिक सहयोग दिया । उनकी प्रेरणा व सहयोग का सम्बल पाकर मेरा संकल्प दृढ़ होता गया और मैं इस श्रुत-सेवा में जुट गया । आज के अनुयोग ग्रन्थ उसी वीज के मधुर फल हैं ।

सर्वप्रथम गणितानुयोग का कार्य स्वर्गीय गुरुदेव श्री फतेहचन्द्रजी म. सा. के सानिध्य में प्रारम्भ किया था । किन्तु उसका प्रकाशन उनके स्वर्गदास के बाद हुआ ।

कुछ समय बाद धर्मकथानुयोग का सम्पादन प्रारम्भ किया । वह दो भागों में परिपूर्ण हुआ । तब तक गणितानुयोग का पूर्व संस्करण समाप्त हो चुका था तथा अनेक स्थानों में मांग आती रहती थी । इस कारण धर्मकथानुयोग के बाद पुनः गणितानुयोग का संशोधन प्रारम्भ किया, संशोधन क्या, लगभग ५० प्रतिशत नया सम्पादन ही हो गया । उसका प्रकाशन पूर्ण होने के बाद चरणानुयोग का यह संकलन प्रस्तुत है ।

कहावत है “श्रेयांसि बहु विघ्नानि” शुभ व उत्तम कार्य में अनेक विघ्न आते हैं । विघ्न-वाधाएँ हमारी दृढ़ता व धार्मता, संकल्प शक्ति व कार्य के प्रति निष्ठा की परीक्षा हैं । मेरे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएँ अनेक बार हुई हैं । अनेक बार शरीर अस्वस्थ हुआ, कठिन वीमारियाँ आईं । सहयोगी भी कभी मिले, कभी नहीं, किन्तु मैं अपने कार्य में जुटा रहा ।

सम्पादन में सेवाभावी विनय मुनि “वागीश” भी मेरे साथ सहयोगी बने, वे आज भी शारीरिक सेवा के साथ-साथ मानसिक दृष्टि से भी मुझे परम साता पहुँचा रहे हैं और अनुयोग सम्पादन में भी सम्पूर्ण जागरूकता के साथ सहयोग कर रहे हैं ।

खम्भात सम्प्रदाय के आचार्य प्रवर श्री कान्ति ऋषि

जी म० ने मुझ पर अनुग्रह करके व्याकरणाचार्य श्रीमहेन्द्र ऋषि जी म० को श्रुत-सेवा में सहयोग करने के लिये भेजा था अतः मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ ।

सम्पादकीय-सहयोग :—

सौभाग्य से इस श्रमसाध्य महाकार्य में श्री तिलोक मुनिजी का अप्रत्याशित सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है ।

इनकी अनन्य श्रुत भक्ति और संयम साधना देखकर ऐसा कौन होगा जो प्रभावित न हो, श्रमण जीवन की वास्तविक श्रमनिष्ठा आपकी रग-रग में समाहित है । आपका चिन्तन और आपके सुझाव मौलिक होते हैं ।

गत सात वर्षों से विदुषी महासती डा० मुक्तिप्रभाजी, डा० दिव्यप्रभा जी एवं उनकी साक्षर शिष्या परिवार का ऐसा अनुपम सुयोग मिला की अनुयोग का कार्य आगे बढ़ता गया । मुझे अतीव प्रसन्नता है कि महासती मुक्तिप्रभाजी आदि विदुषी श्रमणियों ने इस कार्य में तन्मय होकर जो सहयोग किया है उसका उपकार आगम अभ्यासी जन युग-युग तक स्मरण करेंगे । इनकी रत्नत्रय साधना सर्वदा सफल हो, यही मेरा हार्दिक आशीर्वाद है ।

अनुयोग सम्पादन कार्य में प्रारम्भ में तो अनेक वाधाएँ आईं । जैसे आगम के शुद्ध संस्करण की प्रतियों का अभाव, प्राप्त पाठों में क्रम भंग और विशेषकर “जाव” शब्द का अनपेक्षित/अनावश्यक प्रयोग । फिर भी धीरे-धीरे जैसे आगम सम्पादन कार्य में प्रगति हुई वैसे-वैसे कठिनाईयाँ भी दूर हुईं । महावीर जैन विद्यालय बम्बई, जैन विश्व भारती लाडनू तथा आगम प्रकाशन सभिति व्यावर आदि आगम प्रकाशन संस्थाओं का यह उपकार ही मानना चाहिए कि आज आगमों के सुन्दर उपयोगी संस्करण उपलब्ध हैं, और अधिकांश पूर्वापेक्षा शुद्ध सुसम्पादित हैं । यद्यपि आज भी उक्त संस्थाओं के निदेशकों की आगम सम्पादन शैली पूर्ण वैज्ञानिक या जैसी चाहिए वैसी नहीं है । लिपि दोष, लेखक के मतिभ्रम व वाचना भेद आदि कारणों से आगमों के पाठों में अनेक स्थानों पर व्युत्क्रम दिखाई देते हैं । पाठ-भेद तो है ही, “जाव” शब्द कहीं अनावश्यक जोड़ दिया है जिससे अर्थ वैपरित्य भी हो जाता है, कहीं लगाया नहीं है और कहीं पूरा पाठ देकर भी “जाव” लगा दिया गया है । प्राचीन प्रतियों में इस प्रकार के लेखन-दोष रह गये हैं जिससे आगम का उपयुक्त अर्थ करने व प्राचीन पाठ परम्परा का बोध कराने में कठिनाई होती है । विद्वान् सम्पादकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए था । प्राचीन प्रतियों में

उपलब्ध पाठ ज्यों का त्यों रख देना—अडिग श्रुत श्रद्धा का रूप नहीं है, हमारी श्रुत-भक्ति श्रुत को व्यवस्थित एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने में है। कभी-कभी एक पाठ का मिलान करने व उपयुक्त-पाठ निर्धारण करने में कई दिन व कई सप्ताह भी लग जाते हैं किन्तु विद्वान अनुसंधाता उसको उपयुक्त रूप में ही प्रस्तुत करता है, आज इस प्रकार के आगम-सम्पादन की आवश्यकता है। अस्तु,

मैं अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, विद्वान सहयोगी की कमी के कारण, तथा परिपूर्ण साहित्य की अनुपलब्धि तथा समय के अभाव के कारण जैसा संशोधित शुद्ध पाठ देना चाहता था वह नहीं दे सका, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि पाठ शुद्ध रहे, लम्बे-लम्बे समास पद जिनका उच्चारण दुरूह होता है, तथा उच्चारण करते समय अनेक आगम पाठी भी उच्चारण-दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे दुरूह पाठों को सुगम रूप में प्रस्तुत कर छोटे-छोटे पद बनाकर दिया जाय व ठीक उनके सामने ही उनका अर्थ दिया जाय जिससे अर्थ बोध सुगम हो। यद्यपि जिस संस्करण का मूल पाठ लिया है हिन्दी अनुवाद भी प्रायः उन्हीं का लिया है फिर भी अपनी जागरूकता बरती है। वहीं-कहीं उचित संशोधन भी किया है। उपर्युक्त तीन संस्थाओं के अलावा आगमोदय समिति रतलाम तथा सुत्तागमे (पुष्कभिवखु जी) के पाठ भी उपयोगी हुए हैं। पूज्य अमोलक ऋषि जी म० एवं आचार्य श्री आत्माराम जी म० द्वारा सम्पादित अनुदित आगमों का भी यथावश्यक उपयोग किया है।

मैं उक्त आगमों के सम्पादक विद्वानों व श्रद्धेय मुनिवरो के प्रति आभारी हूँ। प्रकाशन संस्थाएँ भी उपकारक हैं। उनका सहयोग कृतज्ञ भाव से स्वीकारना हमारा कर्तव्य है।

अब प्रस्तुत ग्रन्थ चरणानुयोग के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूँ।

चरणानुयोग :—

आगमों का सार आचार है—अंगणं किं सार ? आचारो ! —आचारांग आगम तो अंगों का सारभूत आगम है ही, किन्तु आचार—अर्थात् “चारित्र” यह आगम का, श्रुत का सार है। ज्ञानस्य फलं विरतिः—” ज्ञान का फल विरति है। श्रुत का सार चारित्र है। अतः चारित्र सम्बन्धी विवरण आगमों में यत्र-तत्र बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यूँ भी कहा जा सकता है कि “चारित्र” का विषय सबसे विशाल तथा व्यापक है।

धर्मकथानुयोग के समान चरणानुयोग भी वर्णन की दृष्टि से विरतृत है। अतः इसकी सामग्री अनुमान से अधिक हो गई है। इसलिए इसे दो भागों में विभक्त किया गया है।

“आचार” के प्रमुख पाँच विभाग हैं—१. ज्ञानाचार, २. दर्शनाचार, ३. चारित्राचार, ४. तपाचार, ५. वीर्याचार। वर्णन की दृष्टि से चारित्राचार सबसे विशाल है। प्रस्तुत भाग में ज्ञानाचार एवं दर्शनाचार का वर्णन तो २०४ पृष्ठों में ही आ गया है। चारित्राचार का वर्णन ५४० पृष्ठ होने पर भी पूर्ण नहीं हुआ है। पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति (अष्ट प्रवचन माता) इनका वर्णन ही प्रथम भाग में पूर्ण हो सका है। संयम, समाचारी, संघ व्यवस्था, श्रावकाचार आदि अनेक महत्वपूर्ण विषय दूसरे भाग में प्रकाशित हो रहे हैं। साथ ही चरणानुयोग की तुलनात्मक विरतृत प्रस्तावना, शब्द सूची, सन्दर्भ स्थलों की निर्देशिका आदि द्वितीय भाग में दिये जा रहे हैं।

मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो विषय आगमों में अनेक स्थानों पर आया है, वहाँ एक आगम का पाठ मूल में देकर बाकी आगम पाठ तुलना के लिये टिप्पणियों में दिये जायें। जिससे तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ने वालों को उपयोगी हो। अनेक पाठों के अर्थ में भ्रान्ति होती है, वहाँ टीका, भाष्य आदि का सहारा लेकर पाठ का अर्थ भी स्पष्ट किया गया है, व्याख्या का अन्तर भी दर्शाया है। कुछ पाठों की पूर्ति के लिए वृत्ति, चूर्णि, भाष्य आदि का भी उपयोग किया है।

इस प्रकार पूरी सावधानी बरती है कि जो विषय जहाँ है, वह अपने आप में परिपूर्ण हो, इसलिए उसके समान, पूरक तथा भाव स्पष्ट करने वाले अन्य आगमों के पाठ भी अंकित किये हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगम ज्ञान के प्रति रुचि, श्रद्धा व भक्ति रखने वाले पाठकों को यह चरणानुयोग; उनकी जिज्ञासा को तृप्त करेगा, ज्ञान की वृद्धि करेगा तथा श्रुत भक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनायेगा।

सम्पादित-साहित्य का शुद्ध रूप में मुद्रण हो—यह भी परम आवश्यक है। अनुयोग ग्रन्थों के शुद्ध व सम्यक् रीति से मुद्रण कार्य में श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराना “सरस” का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।



अन्त में इस महान् कार्य में प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग देने वाले सभी सहयोगी जनों के प्रति हार्दिक भाव से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

प्रथम श्रेणी

श्री बलदेवभाई डोसाभाई पटेल, अहमदावाद

आप मूलतः साणंद (गुजरात) के निवासी हैं। बहुत वर्षों से अहमदावाद में ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। व्यापारी समाज में आपकी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है। आपके कॉटन का बहुत बड़ा व्यापार है, आप गुजरात व्यापारी महासंघ के प्रमुख भी रहे हुए हैं। आप अखिल भारतीय शास्त्रोद्धार समिति के प्रमुख हैं एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लोक-व्यापार के कार्यों में सदा तत्पर रहते हैं। अनेक वर्षों से आप ब्रह्मचर्य व्रत एवं रात्रि में चाँदनिहार आदि का पालन करते हैं। प्रतिदिन सामाजिक, प्रति-क्रमण तथा धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय ही आपकी दिनचर्या का प्रमुख अंग है। आप दृढ़ धर्मी, उदार हृदयी धावक हैं अतः स्थानीय समाज के अग्रणी माने जाते हैं। काळपुर बैंक के आप चेयरमैन हैं।

अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालालजी म० 'कमल' के सम्पर्क में आप सन् १९७६ में आये। उनके अनुयोग लेखन कार्य से प्रभावित होकर आपने आगम अनुयोग ट्रस्ट की स्थापना की, इस समय ट्रस्ट के प्रमुख भी आप ही हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती क्वनणी बहिन भी धार्मिक भावना वाली हैं, आपके सुपुत्र बच्चूभाई, बकुलभाई में धर्म के मुसंस्कार दृढ़ हैं।



श्री हिम्मतलाल शामलभाई शाह, अहमदावाद

आप बहुत ही उन्साही कार्यकर्ता हैं। शामलभाई अमरणी के आप सुपुत्र हैं। आपके घर पर एक विशाल पुस्तकालय है, उसमें अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का संग्रह है। शोध निबन्ध लेखकों के लिए यह संग्रह अत्यन्त उपादेय है। आप साधु-साध्वियों की ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं। प्रकाशनों की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान रहता है। वृद्धावस्था में भी आपका पुरुषार्थ, धर्म एवं स्वाध्याय की रुचि अनुकरणीय है।

अनुयोग प्रकाशन के प्रति आप विशेष प्रयत्नशील हैं।





श्री रमणलाल माणकलाल शाह, अहमदाबाद




आप नवरंगपुरा अहमदाबाद के निवासी है। आपके मातृश्रो लहरी बहन तथा धर्मपत्नी सुभद्रा बहन बहुत ही धार्मिक भावना वाली श्राविका है। आपने स्था० जैन उपाश्रयों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूज्य गुरुदेव के दीक्षा अर्द्ध शताब्दी के अवसर पर श्री वर्धमान महावीर बाल निकेतन के उद्घाटन पर भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप आगम अनुयोग ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अनेक बार व्यापार के कारण विदेश जाना होता है परन्तु वहाँ भी धर्म के प्रति वही दृढ़ श्रद्धा रहती है। मानव राहत कार्यों में अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग विशेष रूप से करते रहते हैं।



श्री बलवन्तलाल शान्तीलाल शाह, अहमदाबाद



आप अहमदाबाद में रुई (कॉटन) के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आपकी आत्माराम माणकलाल नाम की बहुत बड़ी फर्म है। बहुत ही धार्मिक, उदार, गुप्तदानी श्रावक हैं। दरियापुरी स्थानकवासी जैन संघ छीपापोल एवं अनेक संस्थाओं के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप ट्रस्टी है।





स्व. तेजराजजी धेवरचंदजी वव, डचलकरंजी

□

आप मूलनः भादवा मारवाड निवासी थे। आप आठ भाई थे; श्री मूलचन्द जी, श्री तेजराज जी, श्री मदनलाल जी, श्री माणकचन्द जी, श्री सोहनलाल जी, श्री मोतीलाल जी, श्री हिराचन्द जी एवं श्री श्रीचन्द जी।

श्री तेजराज जी सा० का तीन वर्ष पूर्व निधन हो गया। आप बहुत ही धर्मनिष्ठ उदार हृदयी श्रावक थे। आप पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म० के सुशिष्य अनुयोगप्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० "कमल" के अनन्य भक्त थे। आपके सुपुत्र रूपचन्द जी भी धार्मिक भावना वाले उदार हृदय युवक हैं।


आपका वर्तमान में व्यवसायिक क्षेत्र डचलकरंजी है। आप आगम अनुयोग ट्रस्ट के ट्रस्टी थे।



स्व० जगजीवनदास रतनसी वगड़िया
दामनगर



आप दामनगर के प्रतिष्ठित सुश्रावक थे। आगमों के बहुत बड़े अभ्यासी थे। अनेक शास्त्रों का प्रकाशन भी आपने करवाया था। बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। साधु-साध्वियों के प्रति आपको असीम श्रद्धा थी। वोटाद संप्रदाय के श्री अमीचन्द जी म० की प्रेरणा से आपके सुपुत्र भोगी भाई के चतुर्थ व्रत के प्रत्याख्यान के उपलक्ष्य में आगम अनुयोग ट्रस्ट को बहुत बड़ा योगदान दिया है।



स्व० श्री राजमल रिखबचंद मेहता

एवं

स्व० श्रीमती मणीबेन राजमल मेहता

पालनपुर

पूज्य मातुश्री तथा पिताश्री:


आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। क्योंकि संस्कार सिचन करने वाले एवं जीवन में धर्म रूप पाया डालने वाले माता-पिता ही होते हैं। हम आपके बहुत-२ ऋणी हैं।

विनीत—रमणिकलाल राजमल
सो० सुशीला बहन रमणिकलाल

(श्रीमती सुशीला बहन मेहता—पालनपुर स्थानक-वासी समाज की अग्रणी महिला हैं। वर्तमान में बाल-केश्वर संघ की प्रमुख हैं। बहुत ही उदार दानवीर महिला हैं। उपाध्य आदि के लिए आपका विशेष योगदान रहता है।)



श्री-नवनीत भाई चुन्नीलाल पटेल,
अहमदाबाद



आपने अनेक स्थानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तपस्वियों का सम्मान करने में आपको विशेष हंचि रही है। पार्श्वनाथ कार्पोरेशन के आप मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। वरवाला सम्प्रदाय के आचार्य श्री चम्पक मुनिजी म० के अनन्य भक्त हैं। हरसिद्ध कोपरेटिव बैंक के आप चेयरमेन हैं। अपनी जन्मभूमि सुणाव में होस्पिटल के लिए पांच लाख का महत्वपूर्ण दान दिया है। नवरंगपुरा, नारायणपुरा, नवा बाडज आदि अनेक संघों के एवं सस्थाओं के आप ट्रस्टी एवं प्रमुख हैं।

आपके पिता श्री चुन्नीलाल भाई, माता सूरजबेन भी बहुत ही धर्मपरायण हैं। साधु साव्वीजी की वैयावच्च हेतु अग्रणी रहते हैं।

आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं।




स्व. श्री हरिभाई जयचन्द दोशी
विश्व वात्सल्य ट्रस्ट बम्बई



आप वड़े ही मादगीप्रिय नन्दजानी धावक थे। धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। मादु-मादिक्यों के प्रति भक्ति एवं दान की भावना विशेष थी।

आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप भी प्रथम श्रेणी के सहयोगी रहे हैं।



॥॥

धर्मशीला उदयकंवर वाई
मोहनलाल जी वालीया

आप मकनचन्द जी वालीया के मृपुत्र श्री मोहनलाल जी की धर्मपत्नी हैं। बहुत ही उदार, धर्मशीला धाविका हैं। वालीया जी नाहब मूनतः पाली मारवाड़ के प्रतिष्ठित कुल के हैं। अनेक संस्थाओं के प्राण हैं। वर्धमान महावीर केन्द्र आबू पर्वत पर प्रथम बार आपने बड़े पैमाने पर आयविल धीनो का भव्य आयोजन करवाया। पाली में निर्मित आचार्य रघुनाथ स्मृति भवन का उद्घाटन आपके द्वारा हुआ। आगम अनुयोग ट्रस्ट के विशेष सहयोगी हैं। पूज्य प्रवर्तक स्व० मरुवरकेजरी जी महाराज एवं अनुयोग प्रवर्तक श्री कमल जी म० के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं।





प्रथम श्रेणी

स्व. श्री मेघराज जी बम्ब, हैदराबाद

आप मूलतः पीही (मारवाड़) निवासी हैं। हैदराबाद में रह कर आपने बहुत बड़ा व्यापार किया। अनेक सुकृत कार्यों में उदार मन से जीवन पर्यन्त सहयोग करते रहे। शमशेरगंज में धर्म आराधना हेतु एक भवन का निर्माण भी कराया।

आपका स्वास्थ्य कुछ वर्षों से अच्छा नहीं था, कुछ वर्ष पूर्व आपका रवर्गवास हो गया। आप पूज्य गुरुदेव श्री 'कमल' जी महाराज के अनन्य भक्त थे, आप अन्तिम समय तक गुरुदेव के चातुर्मास की प्रबल भावना करते रहे। वह भी सफल हुई और गुरुदेव का चातुर्मास वि० सं० २०२८ का हुआ। आपके भाई चांदमल जी भीमराज जी शिवराज जी भी बहुत ही धार्मिक उदार व गुरुभक्त हैं। आप आगम अनुयोग ट्रस्ट के प्रथम श्रेणी के सहयोगी बने।



श्री माणिकलाल एम० बगड़िया



आप मूलतः दामनगर (सौराष्ट्र) निवासी हैं। वहाँ का बगड़िया परिवार धर्म के प्रति उत्साहशील तथा ज्ञान के प्रति विशेष रुचि रखता है। आप बहुत ही उदारमना, सुश्रावक है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप प्रथम श्रेणी के सक्रिय सदस्य है।

वोटाद सम्प्रदाय के पूज्य श्री अमीचन्द जी म० के भक्त धर्म-अनुरागी श्रावक हैं।



उ०—भावप्पमाणे तिविहे पणत्ते, तं जहा—

१. गुणप्पमाणे, २. नयप्पमाणे, ३. संखप्पमाणे ।^१

—अणु० सु० ४२७

प०—से किं तं जीवगुणप्पमाणे ?

उ०—जीवगुणप्पमाणे तिविहे पणत्ते, तं जहा—

१. णाणगुणप्पमाणे, २. दंसणगुणप्पमाणे, ३. चरित्त-
गुणप्पमाणे य ।

—अणु० सु० ४३५

णाणगुणप्पमाणं—

२५. प०—से किं तं णाणगुणप्पमाणे ?

उ०—णाणगुणप्पमाणे चउत्विहे पणत्ते, तं जहा—

१. पच्चक्खे, २. अणुमाणे, ३. ओवम्मे, ४. आगमे ।

प०—से किं तं पच्चक्खे ?

उ०—पच्चक्खे द्विविहे पणत्ते, तं जहा—

१. इंदियपच्चक्खे य, २. नो इंदियपच्चक्खे य ।

प०—से किं तं इंदियपच्चक्खे ?

उ०—इंदियपच्चक्खे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

सोइंदियपच्चक्खे-जाव-फासिंदियपच्चक्खे,
से तं इंदियपच्चक्खे ।

२६. प०—से किं तं नो इंदियपच्चक्खे ?

उ०—नो इंदियपच्चक्खे तिविहे पणत्ते, तं जहा —

१. ओहिणाणपच्चक्खे, २. मणपज्जवणाणपच्चक्खे,
३. केवलणाणपच्चक्खे,
से तं नो इंदियपच्चक्खे, से तं पच्चक्खे ।

२७. प०—से किं तं अणुमाणे ?

उ०—अणुमाणे तिविहे पणत्ते, तं जहा—

१. पुव्ववं, २. सेसवं, ३. दिट्ठ साहम्मवं ।

उ०—भाव प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है । यथा—
(१) गुण प्रमाण, (२) नय प्रमाण, (३) संख्या प्रमाण ।

प्र०—जीव गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—जीव गुण प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है ।
यथा—(१) ज्ञान गुण प्रमाण, (२) दर्शन गुण प्रमाण, (३) चारित्र्य
गुण प्रमाण ।

ज्ञान गुण प्रमाण—

२५. प्र०—ज्ञान गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—ज्ञानगुण प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है । यथा—
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमा, (४) आगम ।

प्र०—प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) इन्द्रियप्रत्यक्ष, (२) नो इन्द्रियप्रत्यक्ष ।

प्र०—इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—इन्द्रियप्रत्यक्ष पाँच प्रकार का कहा गया है । यथा—
श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष—यावत्—स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष समाप्त

२६. प्र०—नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—नो इन्द्रियप्रत्यक्ष तीन प्रकार का कहा गया है ।
यथा—(१) अवधिज्ञानप्रत्यक्ष, (२) मनःपर्यवज्ञानप्रत्यक्ष, (३)
केवलज्ञानप्रत्यक्ष ।

नो इन्द्रियप्रत्यक्ष समाप्त । प्रत्यक्षसमाप्त ।

प्र०—अनुमान (प्रमाण) कितने प्रकार का है ?

उ०—अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है । यथा—
(१) पूर्ववत्, (२) शेषवत्, (३) दृष्टसाधर्म्यवत् ।

१. सम्म चरित्ते पढमे; १. दंसण, २. नाणे य, ३. दाण, ४. लाभे य ।

५. उवभोग, ६. भोग, ७. वीरिय, ८. सम्म, ९. चरित्ते तह वीए ॥—॥

(ङ) ४ चउनाण ३ उणाणतियं, ३ दंसणतिय ५ पंचदाणलद्धीओ ।

१ समत्तं, १ चारित्तं चं, १ संजमासंजमे तइए ॥—॥

४ चउगइ, ४ चउक्कसाया, ३ लिगत्तियं ६ लेसछक्क १ अन्नाणं ।

१ मिच्छत्त १ मसिद्धत्तं, १ असंजमे तह चउत्थे उ ॥—॥

पंचमगम्मि य भावे, १ जीव, २ अभव्वत्त, ३ भव्वत्ता चैव,

पंचण्हवि भावाणं, भेया एमेव तेवन्ना ॥—॥

—स्थानांग टीका से उद्धृत

१ (क) यहां गुणप्रमाण और नयप्रमाण लिए हैं—संख्याप्रमाण गणितानुयोग (काल प्रमाण पृ० ६९१ से काललोक में तथा क्षेत्रप्रमाण परिशिष्ट २ पृ० ७५४ पर) में दिया गया है ।

(ख) इससे आगे का एक सूत्र द्रव्यानुयोग में दिया है ।


द्वितीय श्रेणी

श्रीमती केलीबाई देवराज जी चौधरी

जैतारण (मारवाड़)



आप बहुत ही धार्मिक दानवीर महिला हैं। आपके सुपुत्र श्री शान्तिलाल जी एवं श्री धर्माचन्द्र जी चौधरी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपका व्यवसाय तिरुपतिबालाजी में है। आपने अनेक वार मुनि दर्शनार्थ बहुत लम्बे-लम्बे संघ निकाले हैं। स्थान-स्थान पर दान देकर सम्पत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। आपने आगम अनुयोग ट्रस्ट को भी सहयोग प्रदान किया है।




श्रीमती चन्द्रादेवी बंब, टोंक (राज०)

आपका जन्म आसोज वदी १२ सन् १९३३ दिल्ली में हुआ। सन् १९४५ में (राज०) के प्रतिष्ठित परिवार के श्री धन्नालालजी बंब के सुपुत्र श्री गंभीरमल जी के साथ पाणिग्रहण हुआ। आपके दो सुपुत्र श्री अजीतकुमार एवं श्री अशोक कुमार हैं।

आप अनुयोग प्रवर्तक पं० रत्न मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० 'कमल' एवं महासती श्री पानकंवर जी, तथा रत्नकंवर जी से विशेष प्रभावित हुई हैं।

श्री विनय मुनि जी 'वागीश' के जीवन-निर्माण में एवं धर्म की ओर अग्रसर करने में आप प्रमुख रही हैं। आप स्वयं के दीक्षा लेने के उद्योग थे परन्तु स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण न ले सके। आपका स्वभाव बहुत ही विनम्र है। आपने अनुयोग ट्रस्ट में विशेष योगदान दिया है।



प०—से किं तं आसएणं ?

उ०—आसएणं=अग्नि धूमेणं, सलिलं बलागाहिं, वुट्टं
अम्भविकारेणं, कुलपुत्तं सीलसमायारेणं ।

संग्रहणी गाहा—

इंगियागार णेयेहिं किरियाहिं भासिएण य ।
नेत्त-वक्कविकारेहिं गिज्झए अंतगं मणं ॥—॥
से तं आसएणं से तं सेसवं ।

प०—से किं तं दिट्ठसाहम्मवं ?

उ०—दिट्ठसाहम्मवं डुविहं पणत्तं, तं जहा—
१. सामण्णदिट्ठं य, २. विसेसदिट्ठं य ।

प०—से किं तं सामण्णदिट्ठे ?

उ०—सामण्णदिट्ठं—जहा—एगा पुरिसो तहा बहवे पुरिसा,

जहा बहवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो ।
जहा एगो करिसावणो, तहा बहवे करिसावणा,
जहा बहवे करिसावणा, तहा एगो करिसावणो ।
से तं सामण्णदिट्ठं ।

प०—से किं तं विसेसदिट्ठं ?

उ०—विसेसदिट्ठं—से जहाणामए केइपुरिसे कंचि पुरिसं
बहूणं पुरिसाणं मज्झे पुच्चदिट्ठं पच्चभिजाणेज्जा—
'अयं से पुरिसे' ।

बहूणं वा करिसावणाणं मज्झे पुच्चदिट्ठं करिसावणं
पच्चभिजाणेज्जा । 'अयं से करिसावणे' ।

तस्स समासओ तिविहं गहणं भवति, तं जहा—

१. तीतकालगहणं, २. पटुप्पन्नकालगहणं, ३. अणा-
गयकालगहणं ।

प०—से किं तं तीतकालगहणं ?

उ०—तीतकालगहणं=उत्तिष्णाणि वणाणि, निष्फणसस्सं
वा मेदिणि, पुष्णाणि य कुण्ड-सर णदि-दीहिया-सला-
गाइं पासित्ता, तेणं साहिज्जइ जहा सुवुट्ठी आसि ।
से तं तीतकालगहणं ।

प०—से किं तं पटुप्पन्नकालगहणं ?

उ०—पटुप्पन्नकालगहणं=साह गोयरगगयं विच्छडिडयपउ-
रमस-पाणं पासित्ता । तेणं साहिज्जइ जहा सुभिखे
बट्टइ । से तं पटुप्पन्नकालगहणं ।

प०—से किं तं अणागयकालगहणं ?

उ०—अणागयकालगहणं ।

प्र०—आश्रय का स्वरूप कैसा है ?

उ०—आश्रय=यथा—अग्नि धूम से, पानी वगुलों से, वर्षा
वादल से, कुलपुत्र सदाचार से ।

संग्रहणी गाथार्थ—

अन्तर्मन के भाव अंगचेष्टाओं से, क्रियाओं से, वाणी से,
आँख और मुख के विकारों से जाने जाते हैं ।

—आश्रय से समाप्त । शेषवत् समाप्त ।

प्र०—दृष्टसाधर्म्य (साम्य) कितने प्रकार का है ?

उ०—दृष्टसाधर्म्य दो प्रकार का कहा गया है । यथा—
(१) सामान्यदृष्ट, (२) विशेषदृष्ट ।

प्र०—सामान्यदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ०—सामान्यदृष्ट=यथा—जैसा एक पुरुष है वैसे अनेक
पुरुष हैं ।

जैसे अनेक पुरुष हैं वैसे एक पुरुष है ।

जैसा एक कृषक है वैसे अनेक कृषक हैं ।

जैसे अनेक कृषक हैं वैसे एक कृषक है ।

—सामान्यदृष्ट समाप्त ।

प्र०—विशेषदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ०—विशेषदृष्ट=यथा—जिस प्रकार कोई पुरुष किसी
पूर्व दृष्ट पुरुष को अनेक पुरुषों के बीच में देखकर यह जाने की
यह वह पुरुष है ।

पूर्व दृष्ट कृषक को अनेक कृषकों के मध्य में देखकर वह जाने
कि—'यह वह कृषक है ।'

उसका तीन प्रकार से ग्रहण होता है । यथा—

(१) अतीतकाल ग्रहण, (२) वर्तमानकाल ग्रहण,
(३) अनागतकाल ग्रहण ।

प्र०—अतीतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अतीत काल ग्रहण=यथा—घास वाले वन, पके हुए
धान्य वाले खेत, भरे हुए कुण्ड, सर—नदी, वावड़ी, तालाव
आदि देखकर यह निर्णय करे कि यहाँ अच्छी वर्षा हुई है ।

—अतीतकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०—वर्तमानकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—वर्तमानकाल ग्रहण=यथा—गोचरी गया हुआ साधु
प्रचुर भात—पानी देखकर यह जाने कि यहाँ सुभिक्ष है ।

—वर्तमानकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०—अनागतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अनागतकाल ग्रहण=यथा—

स्व० श्रीमती प्रभावती बेन चुन्नीलाल सेठ

बम्बई

आप प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं सुश्रावक श्री मनहरभाई चुन्नीलाल बेकरी वालों की मातु श्री है। मूलतः सौराष्ट्र के निवासी है। आपने अपने जीवन में अनेक धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं में विशेष योगदान दिया जिनमें जैन क्लीनिक देवलाली सैनेटोरियम मुख्य है। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा अनन्य थी। अपने पति को सदव सद्प्रेरणा देती रही जिससे अनेक संस्थायें पल्लवित हुयी।

जैन शासत चन्द्रिका स्व० वा. ब्र. उज्ज्वल कुमारी जी म. सा. के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा भक्ति थी। आपने अपने पुत्र श्री मनहरभाई के जीवन को सुसंस्कारित किया जिससे कि आज वे धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के प्रथम श्रेणी के सहयोगी है।

बम्बई में रूवी मिल्स आदि अनेक व्यवसाय हैं।



तृतीय श्रेणी




(१) श्री चम्पालाल जी हरखचन्द जी कोठारी-बम्बई

(१) आपके पूर्वज नागौर जिले में हरसौर के निवासी थे। कुछ कारण वश आपके पूर्वज हरसौर छोड़कर पीपाड सिटी में स्थायी हुए। आप उदार दानवीर श्रेष्ठी के नाम से प्रख्यात हैं। आपके अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठान अहमदाबाद, बम्बई, पूना आदि शहरों में फैले हुए हैं।

बालकेश्वर (बम्बई), जोधपुर, पीपाड आदि शहरों के स्थानकों में आपका विशेष योगदान रहा है। राजस्थानकेसरी उपाध्याय प्रवर श्री पुष्कर मुनिजी म.सा. एवं उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनिजी के प्रति आपकी हार्दिक श्रद्धा भक्ति है।

आगम अनुयोग ट्रस्ट को आपने विशेष सहयोग दिया है।



(२) स्व० सुभाषचन्द्र घीसालाल जी कोठारी-हैदराबाद

(२) आपके पूर्वज पीही (मारवाड़) निवासी थे। वर्तमान में आपके परिवार का हैदराबाद में फायनेन्स का व्यवसाय है। आपकी माताजी विदामवाई ने आपके पूरे परिवार में धार्मिक संस्कारों का सिंचन किया जिससे परिवार की धर्म में दृढ़ श्रद्धा है।

पूज्य श्री अनुयोग प्रदर्तक जी के प्रति आपके परिवार की विशेष श्रद्धा भक्ति है।



(३) श्रीमती शान्ताबेन कांतिलाल जी गाँधी-बम्बई

(३) आप धर्म में दृढ़ श्रद्धा वाली श्राविका है। आपके पतिदेव बहुत ही उदार हृदयी एवं सरल स्वभाव के सज्जन है। बम्बई में कपड़े का व्यवसाय है एवं बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। श्री वर्धमान महावीर केन्द्र आवू पर्वत के प्रमुख सहयोगी कार्यकर्ता है। पूज्य गुरुदेव श्री कमल मुनिजी के प्रति आप दोनों की अनन्य श्रद्धा भक्ति है।

तृतीय श्रेणी

श्रीमान प्रेमचन्दजी पोमाजी साकरिया (सांडेराव)



आप सांडेराव के प्रमुख श्रावक श्री पोमाजी दलीचन्दजी के
नुपुत्र थे। श्री पोमाजी तपस्वी, गुरुदेव श्री वस्तावरमल जी म० के
अनन्य भक्त थे। आपका भी जीवन बहुत धर्ममय सादगी पूर्ण था।
आप सरल हृदय के श्रद्धाशील श्रावक थे। आगम अनुयोग ट्रस्ट के
आप सक्रिय सहयोगी थे।



श्रीमान ताराचन्दजी भगवानजी (सांडेराव)



आप धार्मिक आराधना उपासना में विशेष प्रवृत्त भावना रखते
हैं। आपका व्यवसाय क्षेत्र दम्बई है। आप शरीर से अन्वेष्य होते
होगे भी सदा प्रमत्तचित्त रहते हैं। सद्गुणता, सज्जनता आपके
स्वभाव के महज गुण है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप सक्रिय
सहयोगी हैं।






धर्मशीला श्रीमती हंजाबाई
प्रेमचन्द जी साकरिया

आपका जीवन बहुत ही धर्ममय त्याग-मय है। आपके सुपुत्र श्री साकलचन्दजी डा० धीसुलाल जी आदि सभी परिवार की पूज्य गुरुदेव के प्रति गहरी श्रद्धा एवं भक्ति है। साकरिया ब्रादर्स नाम से बम्बई (सायन) में आपके परिवार का मेडिकल व्यवसाय है।


आगम अनुयोग ट्रस्ट को आपका सक्रिय सहयोग मिला है।



श्रीमती गैहरीलालजी कोठारी
(बम्बई)

श्रीमान गैहरीलाल जी कोठारी मेवाड़संघ शिरो-मणि प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म० के प्रति विशेष भक्ति-भाव रखने वाले धर्मप्रेमी उदार हृदय सज्जन है। आप समाज के सभी कार्यों में तन-मन-धन से आगे रहकर सेवा करते हैं। बड़े ही हँसमुख, सरल स्वभावी और दानी सज्जन है। आपकी धर्मपत्नी सुश्राविका भी आपकी भाँति दान-शील-तप आदि धर्मचरण में विशेष रुचि रखती है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के प्रकाशन कार्य में आपका सहयोग प्राप्त हुआ है। आप मूलतः सेमा (मेवाड़) निवासी हैं। वर्तमान में कोठारी ज्वेलर्स, नाम से सायन (बम्बई) में आपका व्यवसाय है।

□



श्रीमती पारसदेवी
मोहनलालजी पारख, हैदराबाद

श्रीमान मोहनलाल जी पारख मूलतः लाम्विया (मारवाड़) निवासी हैं। आप बहुत ही उदार हृदय के धर्मप्रेमी सज्जन हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सदा सहयोग प्रदान करते रहते हैं। हैदराबाद में आपका फाइनेन्स का व्यवसाय है। श्रीमती पारसदेवी पीही निवासी श्रीमान धीसुलाल जी कोठारी की बहन हैं। साधु सन्तों के प्रति विशेष भक्तिभाव है।

आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप सक्रिय सहयोगी हैं।



स्व० शा० कस्तूरचन्द्रजी प्रतापजी
साकरिया (सांडेराव)

आप बांकलीवास के प्रतापजी कपूरजी के सुपुत्र थे। स्व० तपस्वी स्वामी श्री वक्तावरमल जी म० के अनन्य भक्तों में से एक थे। आपके सुपुत्र शांति-लाल जी, कांतिलाल जी, मदनलाल जी, विमलचन्द्र जी, सुरेशकुमार जी, जगदीश जी भी दृढ़ श्रद्धाभाव रखते हैं। सन् २५ में गुरुदेव के चातुर्मसि में आपके घर में पाँच मास खमण हुए।




श्री वृद्धिचन्द्र जी मेघराज जी
(सांडेराव)

श्री स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सांडेराव एवं वर्धमान महावीर केन्द्र आरू पर्वत के आप प्रमुखा कार्यकर्ता हैं। श्री मूलचन्द्र जी, शेपमलजी, उभेदमलजी एवं आप चार भाइयों में सबसे बड़े हैं। पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं।



श्रीमान धनराजजी नाहटा, (केकड़ी)
(राज०)

आप श्री दीपचन्द्र जी नाहटा के सुपुत्र हैं। चित्रकला, कविता, नाटक रचना, व्यायाम आदि में आपकी विशेष रुचि है। साथ ही धार्मिक ज्ञान, तत्त्वचर्चा तथा वाद-विवाद में भी कुशल हैं। स्थानकवासी जैन संघ केकड़ी के मन्वी हैं। पूज्य स्वामीदास जी म० की परम्परा के प्रति अत्यन्त निष्ठा रखते हुए गुरुदेव मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० 'कमल' के अनन्य भक्त हैं। श्रमण संघ के प्रति आपकी गहरी निष्ठा है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के सहयोगी हैं।




श्रीमान धींगड़मल जी कानुगा

(गढ़ सिवाना) अहमदाबाद

आप दानवीर धर्मनिष्ठ सुश्रावक है। आपकी धर्मपत्नी पानीबाई भी धर्मशीला श्राविका है। धार्मिक कार्यों में लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते हैं।

✽




श्रीमान सज्जनराज जी कांकरिया

(पीपाड़ सिटी)

आप बहुत ही उत्साही युवक हैं। आपका अहमदाबाद में फाइनेंस का व्यवसाय है।

✽✽



स्व० श्रीमान अमरचन्द जी लुणावत


(हरमाड़ा) अजमेर (राज०)

आप पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी महाराज के अनन्य भक्त थे। श्री माणकचन्द जी, श्री धर्माचन्द जी, श्री प्रेमचन्द जी लुणावत आपके सुपुत्र हैं।

श्री रणजीतसिंह जी जैन




आप प्रसिद्ध धावक श्री लक्ष्मूराम जी जैन मन्डी कालावाली (जि. सिरगा-हरियाणा) के सुपुत्र हैं। स्वामी श्री छगनलाल जी महाराज के आप परम भक्त हैं। तपस्वी श्री रोजन मुनि जी म० के प्रति भी आपकी विशेष भक्ति है। सामाजिक, धार्मिक कार्यों में आप उदारतापूर्वक सहयोग देते हैं। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप सक्रिय सदस्य हैं।



श्रीमान ब्रह्मरमनजी नुम्वार्जी नाकरिया (नादिराव)

आपका परिवार पुराने ही धर्मनिष्ठ तथा उदार-
रत्न है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के धर्मप्रसारी श्री० पानीवाडे
भी बहुत ही धर्मनिष्ठ तथा परम भक्त हैं। आपके सुपुत्र श्री ब्रह्मरमन जी, कुटुम्ब जी, हस्ती-
मन जी, श्री नागरमन जी और रामेन्द्रजी भी
आपके धर्मप्रसारी व सुपुत्र श्री के परम भक्त हैं। आगम
अनुयोग ट्रस्ट ; श्री ब्रह्मरमन महाशय के आदि पर्यंत
आपके मंत्राश्रमों में आपका सक्रिय सहयोग मिलता
रहता है।



तृतीय श्रेणी



श्रीमान कँवरलालजी बेताला (गोहाटी)



आप मूलतः डेह (नागौर) निवासी हैं। आपके पिताश्री सेठ श्री पूनमचन्द जी एवं माता श्रीमती राजबाई बहुत ही धार्मिक विचारों के उदार हृदय थे। आप भी सन्तसेवा, समाज-सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, धर्मस्थान-निर्माण एवं साहित्य प्रकाशन आदि विभिन्न क्षेत्रों में उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान करते रहते हैं। स्व० युवा-चार्य श्री के आप अनन्य भक्त हैं। ज्ञानचन्द धर्मचन्द बेताला, के नाम से गोहाटी में आपका मोटर फाइनेन्स व्यवसाय है। आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप सक्रिय सहयोगी हैं।


श्री वर्धमान महावीर वाल निकेतन आबू पर्वत के ट्रस्टी हैं।



श्री हरीश सी. जैन (बम्बई)

आपका जन्म पंजाब में हुआ, तथा बम्बई आकर आपने विज्ञापन व्यवसाय प्रारम्भ किया। कठिन परिश्रम तथा गहरी सूझसूझ, मृदु व्यवहार के कारण आप प्रगति के शिखर पर चढ़ते गये। आज आपका संस्थान जैसन्स प्रमुख स्थान रखता है। आप सामाजिक सेवा कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। साधु सन्तों के प्रति आपकी गहरी श्रद्धा भावना है। पंजाब जैन भ्रातृ सभा खार के आप अध्यक्ष हैं। तथा अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध है।

आगम अनुयोग ट्रस्ट के आप सक्रिय सहयोगी हैं।



आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद

सदस्य सहयोगियों की नामावली

सेठ श्री चुन्नीलाल नरभेराम मेमोरियल ट्रस्ट, वम्बई
हस्ते श्री मनुभाई वेकरीवाला

गांधी परिवार, हैदराबाद

श्री वलदेवभाई डोसाभाई पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट,
अहमदाबाद । हस्ते वलदेवभाई डोसाभाई पटेल

श्री आत्माराम माणेकलाल पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट,
अहमदाबाद । हस्ते वलवन्तलाल शान्तिलाल

श्री पार्श्वनाथ चेरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद

हस्ते नवनीतभाई चुन्नीलाल पटेल

श्री रमणलाल माणेकलाल शाह, अहमदाबाद

हस्ते सुभद्रा वहिन

श्री हिम्मतलाल शामलभाई शाह, अहमदाबाद

श्री पंजाब जैन भ्रातृ समा; खार, वम्बई

श्री रतनकुमार जी जैन, वम्बई

“नित्यानन्द स्टील रोलर मिल”

श्री तेजराजजी रूपराजजी वम्ब; इचलकरंजी महाराष्ट्र

हस्ते माणकचन्द रूपचन्द वम्ब भादवावाले

श्रीमती सुगनीवाई मोतीलाल जी वम्ब, हैदराबाद

हस्ते श्री भीवराज वम्ब पीहवाला

श्री 'प्रेमग्रुप' अहमदाबाद "प्रेमराज गणपतराज 'वोहरा'

हस्ते पूरणचन्द जी वोहरा

श्री कालूपुर मरकेन्टाईल कोपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद

श्री मोहनलाल जी मुकनचन्द जी वालिया, अहमदाबाद

श्री माणेकलाल रतनशी वगड़िया, वम्बई

श्री राजमल रिखवचन्द मेहता चेरिटेबल ट्रस्ट, वम्बई

हस्ते, सुशीला वहिन रमणीकलाल मेहता, पालनपुर

श्री हरिलाल जेचन्द दोसी; विश्व वात्सल्य ट्रस्ट, वम्बई

श्री जगजीवनदास रतनशी वगड़िया; दामनगर, गुजरात

श्रीमती केलीवहिन चौधरी ट्रस्ट तिरुपति (तामिलनाडु

हस्ते, शान्तिलाल धर्मीचन्द चौधरी

श्रीमती प्रभाकुंवर वैन, चुन्नीलाल, वम्बई

श्री गुलावचन्द जी, मांगीलालजी सुराणा, सिकन्दराबाद

श्री विजयराज जी वालावक्षजी वोहरा सावरमती
अहमदाबाद

श्री अजयराज जी मेहता एलिसब्रिज, अहमदाबाद

श्री माणेकलाल सी. गांधी, अहमदाबाद

श्री जसवन्तलाल शान्तिलाल शाह, वम्बई

श्री स्वस्तिक कार्पोरेशन, अहमदाबाद

हस्ते, श्री हंसमुखलाल कस्तूरचन्द

श्री विजय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अहमदाबाद

हस्ते रजनीकान्त कस्तूरचन्द

श्री विजय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अहमदाबाद

हस्ते रजनीकान्त करतूरचन्द

श्री वाडीलाल छोटालाल डेलीवाला, वम्बई

हस्ते, चन्द्रकान्त वी० शाह

श्री करसनभाई लक्ष्मणभाई निसर; दादर, वम्बई

श्रीमती चन्द्रादेवी गम्भीरमल जी वम्ब टोंक, राजस्थान

श्रीमती लीलावती वैन जयन्तीलाल चेरिटेबल ट्रस्ट, वम्बई

श्री सेठ चेरिटी ट्रस्ट, वम्बई

श्री हरिण सी. जैन, वम्बई

श्री भंवरलालजी मोहनलालजी भण्डारी, अहमदाबाद

श्री नगीनभाई दोसी, अहमदाबाद

श्री कंवरलाल जी धर्मचन्द जी वेताला; गौहाटी, आसाम

श्री भंवरलालजी जुगराजजी फुलफगर, घोड़नदी, (महा.)

श्री दिनेश भाई चन्द्रकान्त वेंकर, सिकन्दराबाद

श्री प्रेमचन्द जी पोमा जी साकरिया सांडेराव

श्रीमती हंजावाई प्रेमचन्द जी साकरिया सांडेराव

श्रीमती पारसदेवी मोहनलाल जी पारख, हैदराबाद

श्री जादवजी लालजी वेलजी, वम्बई

श्री गणसी देवराज जालना (महा.)

श्री नवरत्नमल जी कोटेचा (वस्सी वाले) हैदराबाद

श्री वृद्धिचन्द जी मेघराज जी साकरिया सांडेराव

श्री जुहारमल जी लुम्बा जी साकरिया, सांडेराव

श्री ताराचन्द जी भगवान जी साकरिया सांडेराव

श्री कस्तूरचन्द जी प्रताप जी साकरिया, सांडेराव

श्री गेहरीलालजी कोठारी, कोठारी ज्वेलर्स, बम्बई
 श्री मूलचन्दजी जवाहरलालजी वरडिया; मणिनगर,
 अहमदाबाद
 श्री धीगड़मलजी मुलतानमलजी कानुंगा, अहमदाबाद
 श्री हिम्मतलाल निहालचन्द दोसी, बम्बई
 श्री आर० चौधरी, बम्बई
 श्री चम्पालालजी पारसमल जी चोरडिया, मदनगंज
 श्री जवरसिंह जी सुमेरसिंह जी वरडिया, रूपनगढ़
 श्री कांतिलालजी रतनचन्दजी वांठिया; पनवेल, महा-
 मै० कन्हैयालाल माणकचन्द एण्ड सन्स; वड़गाँव, पुना
 श्रीमती विदाम वहिन धीसालालजी कोठारी, हैदराबाद
 हस्ते मिलापचन्द धीसालाल
 श्री रणजीतसिंह ओमप्रकाश जैन, काना वाली मण्डी
 (हरियाणा)
 श्री माणकचन्द जी धर्मीचन्द जी प्रेमचन्द जी लुणावत
 हरमाड़ा (अजमेर)
 श्री कांतिलाल जीवणलाल, अहमदाबाद
 श्री शान्तिलाल टी० अजमेरा, अहमदाबाद
 श्री चन्दुलाल शिवलाल संघवी, अहमदाबाद
 हस्ते जयन्तीलाल संघवी
 श्रीमती पार्वती वहिन शिवलाल तलवमीभाई अजमेरा
 ट्रस्ट अहमदाबाद । हस्ते नवनीतमल मणीलाल
 अजमेरा
 श्री शान्तिलाल अमृतलाल वीरा, अहमदाबाद
 श्री कांतिलाल मनसुखलाल शाह पालिघाद वाला
 अहमदाबाद
 श्री वाडिलाल मोहनलाल शाह; सायन, बम्बई
 श्री गिरधरलाल पुरुषोत्तमदास ऐलिसब्रिज, अहमदाबाद
 श्री जयन्तीलाल भोगीलाल भावसार, सरमपुर
 अहमदाबाद
 श्री भोगीलाल एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद-२
 हस्ते दीनुभाई भोगीलाल भावसार
 श्री चिमनलाल डोसाभाई पटेल, अहमदाबाद
 श्री अहमदाबाद स्टील स्टोर, अहमदाबाद
 हस्ते जयन्तीलाल मनसुखलाल लोखण्ड वाला

श्री जादवजी मोहनलाल शाह, अहमदाबाद
 श्री धीरजलाल एच० गोसलिया; नवरंगपुरा, अहमदाबाद
 श्री सज्जनसिंहजी भंवरलालजी कांकरिया; पिपाड़सिटी
 (वर्तमान अहमदाबाद)
 श्री कांतिलाल प्रेमचन्द मुंगफली वाला, अहमदाबाद
 प्लाजा इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद
 हस्ते धनकुमार, भोगीलाल पारीख
 स्व० मणीलाल नेमचन्द अजमेरा तथा स्व० कस्तूरी
 वहिन मणीलाल की स्मृति में । हस्ते चम्पकभाई
 मणिलाल अजमेरा, बम्बई
 श्री नगोदास शिवलाल अहमदाबाद
 श्रीमती कांताबेन भंवरलाल जी के वर्षातिप के उपलक्ष में
 हस्ते सखीदास मसामुखभाई, अहमदाबाद
 श्रीमती समरतबेन चतुर्भुंज, बम्बई
 हस्ते कांतिभाई वैकरीवाला
 श्री छगनलाल शामजी भाई विराणी राजकोट, बम्बई
 श्री रसिकलाल हीरालाल झवेरी, बम्बई
 श्रीमती तरुलता बेन रमेशचन्द दपतरी; बालकेश्वर, बम्बई
 श्री ताराचन्द चतुरभाई वीरा; बालकेश्वर, बम्बई
 हस्ते नंदलाल वीरा
 श्री चंपकलाल एम० लाखाणी, बम्बई
 श्री हीरजी सोजपाल कच्छकपाया वाला, बम्बई
 श्री अमृतलाल सोभागचन्द की स्मृति में
 हस्ते, गुणवंतलाल राजेन्द्रकुमार, बम्बई
 श्री दलिचन्दभाई अमृतलाल देसाई, अहमदाबाद
 श्री एच० के० गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, घाटकोपर, बम्बई
 हस्ते, वजुभाई गांधी
 श्री भाईलाल जादव जी सेठ; कोल्हापुर, महाराष्ट्र
 श्री जुहारमल दीपचन्द नाहटा सराफ केकड़ी (राज.)
 हस्ते धनराज लालचंद नाहटा
 श्री नाहरमल जी वागरेचा रावडियाद
 हस्ते नौरतमल वागरेचा
 श्री पी० के० गांधी, बम्बई
 श्री सुखलाल जी कोठारी खार, बम्बई
 श्री नागरदास मोहनलाल खार, बम्बई

श्री आनन्दीलालजी कटारिया; वड़ाला, वम्बई
 श्री वसन्तलाल के० दोसी; विलेपारला, वम्बई
 दी प्रीसीसन टेक्सटाइल इन्जीनियरिंग एण्ड काम्पोन्नटस
 वम्बई
 श्री मेहता इन्द्रजी पुरुषोत्तमदास; दादर, वम्बई
 स्व० भाई अमृतलाल की स्मृति में
 श्री पारसमल जी कावडिया सादड़ी मारवाड़
 (आरकाट)
 श्री हिम्मतलाल जी प्रेमचन्द जी साकरिया सांडेराव
 श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्बई
 श्री जयसुखभाई रामजीभाई कांदावाडी, वम्बई
 श्री चिममलाल गिरधरलाल कांदावाडी, वम्बई
 श्री मेघजी भाई थोभण हस्ते मणीलाल वीरचन्द
 कांदावाडी, वम्बई
 श्री प्रितमलाल मोहनलाल दफतरी कांदावाडी, वम्बई
 मैमर्म सिलमोहन एण्ड कम्पनी, वम्बई
 (टाइपराइटर हेतु) हस्ते रमणीकलाल धानेरा
 श्री नरोत्तमदाम मोहनलाल, वम्बई
 श्री रतीलाल विठ्ठलदास गोसलिया माधवनगर (महा.)
 श्री वाडीलाल जेठालाल शाह वाल्केश्वर, वम्बई
 श्री जैन संस्कृति कला केन्द्र; मरीन लाइन, वम्बई
 आचार्य यशोदेव सुरीश्वरदेव महाराज की प्रेरणा से,
 श्री मेघजी खिमजी तथा श्रीमती लक्ष्मी बेन मेघ जी
 खिमजी वम्बई
 श्री हरखराजजी दीनतराजजी धारीवाल, हैदरावाद
 श्री नाटूसिंह जी गांग एडवोकेट शाहपुरा, (राजस्थान)
 श्री एस० एन० भीकमचन्द जी सुखाणी लालवाजार,
 सिकन्द्रावाद
 श्री ताराचन्द गुलावचन्द वम्बई

श्री गिरधरलाल मंछाचन्द अवेरी धानेरावाला, वम्बई
 श्री पुखराजजी कावडिया सादड़ी मारवाड़ (वम्बई)
 श्रीमती भूरीवाइ भंवरलाल जी कोठारी, सेमा (मेवाड़)
 हस्ते सागरमल मदनलाल रमेशचन्द्र, वम्बई
 श्री प्रेमराज जी चोरडिया मदनगंज, अजमेर
 श्री चुन्नीलाल जी वागरेचा, वालाघाट
 श्री रसिकलाल हीरानाल अवेरी, वम्बई
 श्री सूरजमल कनकमल, मदनगंज
 श्री मांगीलाल जी सोलंकी, सादड़ी वाले पूना
 श्री प्रवीणभाई के० मेहता, वम्बई
 श्री सज्जनराज जी कटारिया, सिकन्द्रावाद
 श्री वावलाल जी कांकरिया, हैदरावाद
 श्री भरतभाई जे० शाह, अहमदावाद
 श्री सोहनराज जी चौथमल जी संचेती (सोजत वाले)
 सुरगाणा
 श्री गुलशनराय जी जैन, दिल्ली
 श्री चम्पालाल जी हरखचन्द जी कोठारी, वम्बई
 श्री नगराजजी चन्दनमलजी मेहता; सादड़ी वाले, वम्बई
 श्री जयन्ती भाई के० पटेल साणंद वाले, अहमदावाद
 श्री छोटालाल धनजी भाई दोमडिया, वम्बई
 श्री शान्ताबेन कान्तीलाल जी गांधी, वम्बई
 श्री प्रभुदास रामजी भाई सेठ, वम्बई
 श्री लालभाई दलपतभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद
 श्री लालचन्द जी भंवरलाल जी संचेती
 श्रीमती लताबेन विमलचन्द जी कोठारी, वम्बई
 श्रीमती कमलाबेन मूलचन्द जी गुगले, अहमदनगर
 श्रीमती लीलाबेन, पोपटलाल वारा, इचलकरंजी
 श्री जे० डी० जैन, गाजियावाद



आगम ज्ञान प्रचार का महान् उपक्रम

- आगम अनुयोग ट्रस्ट, (पंजीकृत) अहमदावाद—जैन आगमों को अनुयोग शैली में वर्गीकृत करके शुद्ध मूल पाठ एवं अनुवाद के साथ प्रकाशित करने की योजना को मूर्त रूप दे रहा है।
- कम से कम 500/- रुपया देकर इच्छुक व्यक्ति अग्रिम ग्राहक सदस्य बन सकता है।
- मान्य सदस्यों को सभी आगम ग्रन्थ निःशुल्क दिये जाते हैं।
- योजनानुसार ये ग्रन्थ मूल पाठ के साथ-हिन्दी, गुजराती तथा अंग्रेजी—तीन भाषाओं में अलग-अलग अनुवाद के साथ प्रकाशित किये जायेंगे।
- अग्रिम सदस्य किसी भी एक भाषा का एक सेट अपनी रुचि के अनुसार सुरक्षित करवा सकते हैं। और जैसे-जैसे प्रकाशित होंगे, उन्हें प्राप्त होते रहेंगे।

सम्पर्क के लिये—

हिम्मतलाल एस. शाह

मन्त्री—आगम अनुयोग ट्रस्ट
अमर निवास, सोहरावजी कम्पाउण्ड,
वाडज, अहमदावाद-१३

आगम अनुयोग ट्रस्ट

१५, स्थानक वासी जैन सोसायटी
नारायणपुरा क्रासिंग के पास
अहमदावाद-३८००१३

अनुक्रमणिका

चरणानुयोग—भाग १

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
मंगल सूत्र	१-१८	१-१०	स्तव-स्तुति मंगल फल सूत्र	१८	१०
नमस्कार सूत्र	१	१	धर्म प्रज्ञापना	१९-६६	११-५०
नमस्कार मन्त्र का महत्व		१	भगवान महावीर वर्णन	१९	११-१५
पंचपद वन्दन सूत्र	२	१	धर्म स्वरूप की जिज्ञासा	२०	१५
मंगल सूत्र	३	१	भाव लोक के प्रकार	२१	१५
उत्तम सूत्र		१	भव की अपेक्षा से ज्ञानादि की प्ररूपणा	२२	१५
शरण सूत्र		१	छह प्रकार के भाव	२३	१६
चौबीस तीर्थंकरों के नाम	४	३	भाव प्रमाण प्ररूपण	२४	१७
चतुर्विंशति संस्तव सूत्र	५	३	ज्ञान गुण प्रमाण	२५-२६	१८-२३
महावीर वन्दन सूत्र	६	४	दर्शन गुण प्रमाण	३०	२३
श्री वीर-स्तुति	७	४	चारित्र्य गुण प्रमाण	३१	२३
वीर शासन स्तुति	८	७	नय प्रमाण	३२	२४
गणधर वन्दन सूत्र	९	७	प्रस्थक दृष्टान्त	—	२४
गणधर नाम	१०	७	वसति दृष्टान्त	—	२५
संघ स्तुति	११	७	प्रदेश दृष्टान्त	—	२६
संघ वन्दन सूत्र	१२	७	धर्म का स्वरूप	३३-६६	३०-५०
(१) संघ को नगर की उपमा		७	अविरोध धर्म	३४	३०
(२) संघ को चक्र की उपमा		७	आज्ञा धर्म	३५	३०
(३) संघ को रथ की उपमा		८	धर्म के परिणाम	३६	३०
(४) संघ को कमल की उपमा		८	धर्म के भेद-प्रभेद	३७-३९	३०-३३
(५) संघ को चन्द्र की उपमा		८	धर्म का माहात्म्य	४०-४१	३३-३४
(६) संघ को सूर्य की उपमा		८	धर्म के आराधक	४२	३४-३६
(७) संघ को समुद्र की उपमा		८	धर्म के अनधिकारी	४३	३६
(८) संघ को मेरु की उपमा		८	अनुत्तर धर्म की आराधना	४४	३६
श्रुत नमस्कार सूत्र		९	धर्म को द्वीप की उपमा	४५	३७
श्रुत देवता नमस्कार सूत्र	१३	९	केवलि प्रज्ञप्त धर्म की अप्राप्ति	४६	३७
गणपितक नमस्कार सूत्र	१४	९	केवलि प्रज्ञप्त धर्म की प्राप्ति	४७-४८	३७-३९
लिपि नमस्कार सूत्र	१५	९	छद्मस्य—यावत्—परमावधियों का क्रम		
वन्दन फल सूत्र	१६	१०	से सिद्ध होने न होने का प्ररूपण	४९	३८
चतुर्विंशतिस्तव फल सूत्र	१७	१०	केवली का मोक्ष और सम्पूर्ण ज्ञानित्व	५०	४०
			केवलि प्रज्ञप्त धर्म श्रवण के अनुकूल वय	५१	४०

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
पन्द्रह प्रकार के सुविनीत	११६	८२	गुरु और साधर्मिक शुश्रूषा का फल	१५५	१०३
शिष्य के करणीय कार्य	११७	८२	गुरुकुलवास का माहात्म्य	१५६	१०३
गुरु के समीप बैठने की विधि	११८	८३	प्रश्न करने की विधि	१५७	१०६
प्रश्न पूछने की विधि	११९	८३	उत्तर विधि	१५८	१०६
शिष्य के प्रश्न पर गुरु द्वारा उत्तर	१२०	८४	समाधि का विधान	१५९	१०८
गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य	१२१	८४	श्रुतधर के प्रकार	१६०	१०९
शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य	१२२	८४	बहुश्रुत का स्वरूप	१६१	१०९
अनुशासन पालन में शिष्य के कर्तव्य	१२३	८४	अबहुश्रुत का स्वरूप	१६२	११०
गुरु के अनुशासन का शिष्य पर प्रभाव	१२४	८५	चतुर्थ : उपधानाचार	१११—१११	
कुपित गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य	१२५	८५	शिक्षा के योग्य	१६३	१११
चार प्रकार की विनय-समाधि	१२६	८५	पंचम : अनिहवाचार	१११—१११	
विनय का सुपरिणाम	१२७	८६	असाधु का स्वरूप	१६४	१११
अविनीत के लक्षण	१२८	८६	छठा व्यंजन-ज्ञानाचार, सातवाँ अर्थ-ज्ञानाचार		
तीन प्रकार के अविनय	१२९	८७	आठवाँ तदुभय-ज्ञानाचार	११२—११२	
चौदह प्रकार के अविनीत	१३०	८७	सूत्रार्थ का न दिपाना	१६५	११२
अविनीत का स्वरूप	१३१	८७	ज्ञानाचार : परिशिष्ट	१६६—२०८	११३—१२३
गुरु आदि के प्रत्यनीक	१३२	८८	ज्ञान और आचार भेद से पुरुषों के प्रकार	१६६	११३
अविनीत की उपमाएँ	१३३	८९	ज्ञानी और अज्ञानी	१६७—१६८	११४
अविनीत और विनीत का स्वरूप	१३४	९१	ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति	१६९	११४
अविनीत-सुविनीत के लक्षण	१३५	९१	अतिशय युक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति नहीं होने के कारण	१७०	११४
अविनीत और सुविनीत के आचरण का प्रभाव	१३६	९२	अतिशय युक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति के कारण	१७१	११५
विनीत-अविनीत का स्वगत चिन्तन	१३७	९३	ज्ञान-दर्शनादि की वृद्धि करने वाले और हानि करने वाले	१७२	११५
शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण	१३८	९३	अवधिज्ञान के क्षोभक	१७३	११६
शिक्षा के अयोग्य	१३९	९३	केवलज्ञान-दर्शन के अक्षोभक	१७४	११६
तेतीस आशातनाएँ	१४०	९३	ज्ञानसम्पन्न और क्रियासम्पन्न	१७५	११६
तेतीस आशातना (दूसरा प्रकार)	१४१	९६	ज्ञान-युक्त और आचार-युक्त	१७६	११७
आशातना के फल का निरूपण	१४२	९८	ज्ञान-युक्त और ज्ञान-परिणत	१७७	११७
आशातना के प्रायश्चित्त	१४३—१४४	९९	ज्ञान युक्त और वेप युक्त	१७८	११८
अविनय करने का प्रायश्चित्त	१४५	९९	ज्ञान-युक्त और शोभा युक्त, अयुक्त	१७९	११८
तृतीय : बहुमान ज्ञानाचार	१४६—१५२	१००—११०	पाँच प्रकार की परिज्ञा	१८०	११८
आचार्यों की महिमा	१४६	१००	शरीर सम्पन्न और प्रज्ञा सम्पन्न	१८१	११८
आचार्य की सेवा का फल	१४७	१००	ऋजु-ऋजुप्रज्ञ और वक्र-वक्रप्रज्ञ	१८२	११८
वृक्ष के भेद से आचार्य के भेद	१४८	१००	दीन और अदीन, दीन प्रज्ञावान और अदीन प्रज्ञावान	१८३	११९
फल भेद से आचार्य के भेद	१४९	१०१	आर्य और अनार्य, आर्य प्रज्ञावान और अनार्य प्रज्ञावान	१८४	११९
करंडिया के समान आचार्य	१५०	१०१	सत्य वक्ता और असत्य वक्ता, सत्य प्रज्ञा और असत्य प्रज्ञा	१८५	११९
आचार्य उपाध्याय की सिद्धि	१५१	१०२			
आचार्य की उपासना	१५२	१०२			
गुरु-पूजा	१५३	१०२			
तथारूप श्रमणों माहणों की पर्युपासना का फल	१५४	१०२			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
शील सम्पन्न और दुःशील सम्पन्न, शील प्रज्ञावान और दुःशील प्रज्ञावान	१८६	११६	सम्यक्त्व के दस प्रकार (रुचि)	२१३	१२६
शुद्ध और शुद्ध प्रज्ञावान, अशुद्ध और अशुद्ध प्रज्ञावान	१८७	११६	तीन प्रकार के दर्शन	२१४	१२७
वचन दाता अदाता, ग्रहिता, अग्रहिता	१८८	१२०	दर्शन का फल	२१५	१२७
सूत्रार्थ ग्राहक अग्राहक	१८९	१२०	दर्शनावरणीय के क्षय से बोधिलाभ और क्षय न होने से अलाभ	२१६	१२७
प्रश्न कर्ता, अकर्ता	१९०	१२०	दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल काल	२१७	१२६
सूत्रार्थ व्याख्याता, अव्याख्याता	१९१	१२०	दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल वय	२१८	१२६
श्रुत और शरीर से पूर्ण अथवा अपूर्ण	१९२	१२१	दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल दिशाएँ	२१९	१२६
श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण सदृश या अपूर्ण सदृश	१९३	१२१	पाँच दुर्लभबोधि जीव	२२०	१२६
श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, श्रमण वेष से पूर्ण और अपूर्ण	१९४	१२१	पाँच सुलभबोधि जीव	२२१	१२६
श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, उपकारी और अपकारी	१९५	१२१	तीन दुर्वोध्य	२२२	१३०
श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, श्रुत के दाता और अदाता	१९६	१२१	तीन सुवोध्य	२२३	१३०
श्रुत से और शरीर से उन्नत और अवनत	१९७	१२१	सुलभबोधि और दुर्लभबोधि	२२४	१३०
जाति सम्पन्न, जातिहीन, श्रुत सम्पन्न, श्रुतहीन	१९८	१२२	बोधि लाभ में बाधक और साधक	२२५	१३१
कुल सम्पन्न और कुलहीन, श्रुत सम्पन्न और श्रुतहीन	१९९	१२२	श्रद्धालु-अश्रद्धालु	२२६	१३१
सुरूप और कुरूप, श्रुत सम्पन्न तथा श्रुतहीन	२००	१२२	सम्यग्दर्शी श्रमण का परीपह-जय	२२७	१३२
बल सम्पन्न और बल हीन, श्रुत सम्पन्न और श्रुतहीन	२०१	१२२	असम्यग्दर्शी श्रमण का परीपह पराजय	२२८	१३२
सूत्रधर, अत्यधर	२०२	१२२	सम्यक्त्व पराक्रम के प्रश्नोत्तर	२२९	१३२
छहों दिशाओं में ज्ञान वृद्धि	२०३	१२३	संवेग आदि का फल	२३०	१३४
ज्ञान वृद्धिकर दस नक्षत्र	२०४	१२३	निर्वेद का फल	२३१	१३५
तीन प्रकार के निर्णय	२०५	१२३	सम्यक्त्वी का विज्ञान	२३२	१३५
तीन प्रकार की निवृत्ति	२०६	१२३	सम्यक्त्वदर्शी मुनि	२३३	१३५
तीन प्रकार का विषयानुराग	२०७	१२३	सम्यक्त्वदर्शी पाप नहीं करता	२३४	१३५
तीन प्रकार का विषय सेवन	२०८	१२३	कूर्म दृष्टान्त	२३५	१३५
ज्ञानाचार तालिका	२०९	१२३	सम्यक्त्वी की चार प्रकार की श्रद्धा	२३६	१३६
दर्शनाचार : सूत्र २०६-३०२ पृ. १२५-२०४			सम्यक्त्व के पाँच अतिचार	२३७	१३७
सम्यक्दर्शन : स्वरूप एवं प्राप्ति के उपाय			प्रव्रज्या पूर्व साधक की निर्वेद दशा	२३८	१३८
दर्शन स्वरूप	२०६	१२५	एकत्व भावना से प्राप्त निर्वेद	२३९	१४०
सम्यक्त्व को द्वीप की उपमा	२१०	१२५	अनुत्तोत और प्रतित्तोत	२४०	१४२
दर्शन का लक्षण	२११	१२५	अस्थिरात्मा की विभिन्न उपमाएँ	२४१	१४२
सम्यक्त्व के आठ (प्रभावना) अंग	२१२	१२६	साधुता से पतित की दशा	२४२	१४२
			संयम में रत को सुख अरत को दुःख	२४३	१४५
			संयम में अस्थिर श्रमण की स्थिरता हेतु चिंतन	२४४	१४५
			मिथ्यादर्शन विजय का फल	२४५	१४७
			चार अन्यतीर्थियों की श्रद्धा का निरसन	२४६	१४८
			प्रथम तज्जीव तत्शरीरवादी की श्रद्धा का निरसन	२४७	१४६
			द्वितीय पंच महाभूतवादी की श्रद्धा का निरसन	२४८	१४३
			तृतीय ईश्वरकारणिकवादी की श्रद्धा का निरसन	२४९	१४५
			चौथा निर्यातवादी की श्रद्धा का निरसन	२५०	१४७

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
महाव्रत			प्राणातिपात से बाल जीवों का पुनः पुनः		
प्रथम महाव्रत : अहिंसा महाव्रत का स्वरूप			जन्म मरण	३४७	२४६
और साधना	३१८-४१९	२१४-२८८	अयतना का निषेध	३४८	२४७
सभी तीर्थंकरों ने सभी प्राण भूत जीव सत्वों			छः जीवनिकाय की हिंसा का परिणाम	३४९	२४८
की रक्षा करनी चाहिए ऐसी प्ररूपणा की है	३१८	२१५	षड् जीवनिकाय—हिंसाकरण—		
प्रथम महाव्रत आराधना प्रतिज्ञा	३१९	२१६	प्रायश्चित्त - ३	३५०-३५७	२४८-२५१
प्रथम महाव्रत और उसकी पाँच भावना	३२०	२१७	सचित्त वृक्ष के मूल में आलोकन आदि के		
अहिंसा के साठ नाम	३२१	२१९	प्रायश्चित्त सूत्र	३५०	२४८
भगवती अहिंसा की आठ उपमाएँ	३२२	२२१	सचित्त वृक्ष पर चढ़ने का प्रायश्चित्त सूत्र	३५१	२४९
अहिंसा स्वरूप के प्ररूपक और पाठक	३२३	२२२	व्रस प्राणियों को बाँधने और बन्धन मुक्त		
आत्म सम दृष्टि	३२४	२२४	करने के प्रायश्चित्त सूत्र	३५२	२४९
षड् जीवनिकाय का स्वरूप एवं हिंसा का			पृथ्वीकाय आदि के आरम्भ करने का		
निषेध	३२५-३४९	२२५-२४८	प्रायश्चित्त सूत्र	३५३	२५०
भगवान ने छह जीवनिकाय प्ररूपित किये हैं	३२५	२२५	सचित्त पृथ्वीकायिकादि पर कायोत्सर्ग करने		
छह जीवनिकायों का आरम्भ न करने की			के प्रायश्चित्त सूत्र	३५४	२५०
प्रतिज्ञा	३२६	२२५	अंडों वाले काष्ठ पर कायोत्सर्ग करने का		
छह जीवनिकायों की हिंसा नहीं करनी चाहिए	३२७	२२६	प्रायश्चित्त सूत्र	३५५	२५०
पृथ्वीकाय का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा	३२८	२२७	अस्थिर थूणी आदि पर कायोत्सर्ग आदि करने		
सचित्त पृथ्वी पर निषद्या (बैठने) का निषेध	३२९	२२८	का प्रायश्चित्त सूत्र	३५६	२५१
अचित्त पृथ्वी पर बैठने का विधान	३२९	२२८	वस्त्र से पृथ्वीकाय आदि निकालने का		
पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना जानकर उनके			प्रायश्चित्त सूत्र	३५७	२५१
आरम्भ का निषेध किया है	३३०	२२८	सदोष-चिकित्सा का निषेध—४	३५८-३६५	२५२-२५४
अपकायिक जीवों का आरम्भ न करने की			सदोष चिकित्सा निषेध	३५८	२५२
प्रतिज्ञा	३३१	२३१	गृहस्थ से व्रण परिकर्म नहीं कराना चाहिए	३५९	२५३
अपकायिक जीवों की हिंसा का निषेध	३३२	२३१	गृहस्थ से गण्डादि का परिकर्म नहीं कराना		
तेजस्कायिक जीवों का आरम्भ न करने की			चाहिए	३६०	२५३
प्रतिज्ञा	३३३	२३३	गृहस्थ से गत्य चिकित्सा नहीं कराना चाहिए	३६१	२५४
तेजस्कायिक एक अमोघ शस्त्र	३३४	२३४	गृहस्थ से वैयावृत्य नहीं कराना चाहिए	३६२	२५४
तेजस्कायिक जीवों की हिंसा का निषेध	३३५	२३४	गृहस्थकृत चिकित्सा की अनुमोदना का निषेध	३६३	२५४
वायुकायिक जीवों का आरम्भ न करने			गृहस्थ द्वारा ठूँठा आदि निकालने की		
की प्रतिज्ञा	३३६	२३६	अनुमोदना का निषेध	३६४	२५४
वायुकायिक जीवों की हिंसा का निषेध	३३७	२३७	गृहस्थ द्वारा लीव आदि निकालने की		
वनस्पतिकायिक जीवों का आरम्भ न करने			अनुमोदना का निषेध	३६५	२५४
की प्रतिज्ञा	३३८	२३८	चिकित्साकरण प्रायश्चित्त—५	३६६	२५५
वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा का निषेध	३३९	२३९	(१) परस्पर चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त		
वनस्पति शरीर और मनुष्य शरीर			व्रण परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	३६६	२५५
की समानता	३४०	२४०	परस्पर व्रण की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र	३६७	२५५
त्रसकाय का स्वरूप	३४१	२४१	गण्डादि परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	३६८	२५६
त्रसकाय के भेद-प्रभेद	३४२	२४२	एक दूसरे के गण्डादि की चिकित्सा करने के		
त्रसकाय के अनारम्भ की प्रतिज्ञा	३४३	२४२	प्रायश्चित्त सूत्र	३६९	२५८
त्रसकायिकों की हिंसा का निषेध	३४४-३४५	२४३	कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	३७०	२६०
आर्य-अनार्य वचनों का स्वरूप	३४६	२४५	एक दूसरे के कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	३७१	२६०

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
वमन आदि के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	३७२	२६०	अन्यतीर्थिकादि द्वारा सूई आदि के उत्तरकरण के प्रायश्चित्त सूत्र	३६५	२७६
गृहस्थ की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त सूत्र	३७३	२६०	विना प्रयोजन सूई आदि याचना का प्रायश्चित्त सूत्र	३६६	२७७
(२) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी परस्पर चिकित्सा के प्रायश्चित्त			अविधि से सूई आदि याचना के प्रायश्चित्त सूत्र	३६७	२७७
निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थ के पैरों आदि के परिकर्म कराने के प्रायश्चित्त सूत्र	३७४	२६१	सूई आदि के विपरीत प्रयोगों के प्रायश्चित्त सूत्र	३६८	२७७
निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरों आदि के परिकर्म कराने के प्रायश्चित्त सूत्र	३७५	२६१	सूई आदि के अन्योन्य प्रदान का प्रायश्चित्त सूत्र	३६९	२७८
निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के व्रणों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३७६-३७७	२६१	अन्यतीर्थिक और गृहस्थ से गृहधूम साफ करने का प्रायश्चित्त सूत्र	४००	२७८
निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के कृमि निकलवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३७८	२६४	प्रथम महाव्रत का परिशिष्ट—१		
निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के व्रणों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३७९	२६४	प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ	४०१	२७९
निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के गण्डादि की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३८०	२६५	प्रथम भावना		२७९
निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के कृमि निकलवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३८१	२६७	द्वितीय भावना		२८०
(३) अन्यतीर्थिक या गृहस्थ द्वारा चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त			तृतीय भावना		२८०
व्रण की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३८२	२६८	चतुर्थ भावना		२८०
गण्ड आदि की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	३८३	२६९	पंचम भावना		२८१
कृमि निकलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	३८४	२७०	उपसंहार	४०२	२८२
(४) अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त			आरम्भ-आरम्भ-समारम्भ के सात-सात प्रकार	४०३	२८२
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के व्रण की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र	३८५	२७१	अनारम्भ असारम्भ और असमारम्भ के सात-सात प्रकार	४०४	२८२
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की गण्डादि की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र	३८६	२७२	आठ सूक्ष्म जीवों की हिंसा का निषेध	४०५	२८३
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	३८७	२७४	आठ सूक्ष्म		२८३
आरम्भजन्य कार्य करने के प्रायश्चित्त—६			प्रथम प्राण सूक्ष्म	४०६	२८३
पानी बहने की नाली निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	३८८	२७४	द्वितीय पनक सूक्ष्म	४०७	२८४
छोका निर्माण करण प्रायश्चित्त सूत्र	३८९	२७४	तृतीय वीज सूक्ष्म	४०८	२८४
पदमार्गादि निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	३९०	२७४	चतुर्थ हरित सूक्ष्म	४०९	२८४
पदमार्गादि निर्माण सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र	३९१	२७४	पंचम पुष्प सूक्ष्म	४१०	२८४
दण्डादि परिस्कार सम्बन्धी प्रायश्चित्त	३९२	२७५	छठा अण्ड सूक्ष्म	४११	२८५
दाहदण्ड करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	३९३	२७५	सप्तम लयन सूक्ष्म	४१२	२८५
सूई आदि के परिष्कार के प्रायश्चित्त सूत्र	३९४	२७६	अष्टम स्नेह सूक्ष्म	४१३	२८५
			पंचेन्द्रिय के घातक दस प्रकार का असंयम करते हैं	४१४	२८६
			दस प्रकार के असंयम	४१५	२८६
			पंचेन्द्रिय जीवों के अघातक दस प्रकार का संयम करते हैं	४१६	२८६
			दस प्रकार के संयम	४१७	२८७
			पाप श्रमण का स्वरूप	४१८	२८७
			अन्यतीर्थिकों का स्यत्रियों के साथ पृथ्वी हिंसा विषयक विवाद	४१९	२८७

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
द्वितीय महाव्रत			अन्यतीर्थियों द्वारा अदत्तादान का आक्षेप		
(द्वितीय महाव्रत स्वरूप एवं आराधना) ४२०-४३५ २८६-२९६			स्थविरों द्वारा उसका परिहार	४४६	३१०
द्वितीय महाव्रत के आराधना की प्रतिज्ञा	४२०	२८६	चतुर्थ महाव्रत ४५०-६४५ ३१४		
मृषावाद विरमण महाव्रत की पाँच भावना	४२१	२८६	चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत के आराधना की प्रतिज्ञा	४५०	३१४-४२८
सत्य संवर के प्ररूपक और आराधक	४२२	२९१	मैथुन विरमण व्रत की पाँच भावनाएँ	४५१	३१५
सत्य वचन की महिमा	४२३	२९१	ब्रह्मचर्य महिमा	४५२	३१६
सत्य वचन की छः उपमाएँ	४२४	२९२	ब्रह्मचर्य की सैंतीस उपमाएँ	४५३	३१७
अवक्तव्य सत्य	४२५	२९३	ब्रह्मचर्य के खण्डित होने पर सभी महाव्रत		
वक्तव्य सत्य	४२६	२९३	खण्डित हो जाते हैं।	४५४	३१६
सत्य वचन का फल	४२७	२९३	ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर सभी महाव्रतों		
अल्प मृषावाद का प्रायश्चित्त सूत्र	४२८	२९४	की आराधना हो जाती है	४५५	३१६
वसुरात्मिक-अवसुरात्मिक कथन के			ब्रह्मचर्य के विघातक	४५६	३२०
प्रायश्चित्त सूत्र	४२९	२९४	ब्रह्मचर्य के सहायक	४५७	३२१
विपरीत कथन का प्रायश्चित्त सूत्र	४३०	२९४	ब्रह्मचर्य की आराधना का फल	४५८	३२१
विपरीत प्रायश्चित्त कहने के प्रायश्चित्त सूत्र	४३१	२९४	ब्रह्मचर्य के अनुकूल वय	४५९	३२२
द्वितीय महाव्रत का परिशिष्ट			ब्रह्मचर्य के अनुकूल प्रहर	४६०	३२२
मृषावाद-विरमण या सत्य महाव्रत की			ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति	४६१	३२२
पाँच भावना	४३२	२९६	ब्रह्मचर्य पालन के उपाय (२)		
उपसंहार	४३३	२९८	धर्मरथ सारथी धर्मरामविहारी ब्रह्मचारी	४६२	३२३
नहीं बोलने योग्य छः वचनों का निषेध	४३४	२९८	ब्रह्मचर्य समाधि-स्थान	४६३	३२३
भाषा से सम्बन्धित आठ स्थानों का निषेध	४३५	२९९	दस ब्रह्मचर्य समाधि-स्थानों के नाम	४६४	३२४
तृतीय महाव्रत : स्वरूप एवं आराधना ४३६-४४६ ३००-३१३			विविक्त शयनासन सेवन	४६५	३२४
तृतीय महाव्रत के आराधना की प्रतिज्ञा	४३६	३००	(१) विविक्त शयनासन सेवन का फल	४६६	३२५
तृतीय महाव्रत और उसकी पाँच भावना	४३७	३०१	(२) स्त्री कथा निषेध	४६७	३२६
दत्त अनुज्ञात संवर का स्वरूप	४३८	३०३	(३) स्त्री के आसन पर बैठने का निषेध	४६८	३२६
अदत्तादान विरमण महाव्रत आराधक के			(४) स्त्री की इन्द्रियों के अवलोकन का निषेध	४६९	३२७
अकरणीय कृत्य	४३९	३०३	(५) स्त्रियों के वासनाजन्य शब्द श्रवण का		
दत्त अनुज्ञात संवर के आराधक	४४०	३०४	निषेध	४७०	३२८
दत्त अनुज्ञात संवर का फल	४४१	३०५	(६) भुक्त भोगों के स्मरण का निषेध	४७१	३२८
अन्य साधु के उपकरण उपयोग हेतु अवग्रह			(७) विकार-वर्धक आहार करने का निषेध	४७२	३२९
ग्रहण विधान	४४२	३०६	(८) अधिक आहार का निषेध	४७३	३२९
राज्य परिवर्तन में अवग्रह अनुज्ञापन	४४३	३०६	(९) विभूषा करने का निषेध	४७४	३३०
अल्प अदत्तादान का प्रायश्चित्त सूत्र	४४४	३०६	(१०) शब्दादि विषयों में आसक्ति का निषेध	४७५	३३०
शिष्य के अपहरण का या उसके भाव			ब्रह्मचर्य रक्षण के उपाय	४७६	३३१
परिवर्तन का प्रायश्चित्त सूत्र	४४५	३०६	(११) वेश्याओं की गली में आवागमन निषेध	४७७	३३२
आचार्य के अपहरण या परिवर्तनकरण का			ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार	४७८	३३२
प्रायश्चित्त सूत्र	४४६	३०६	अब्रह्म निषेध के कारण--३		
तृतीय महाव्रत का परिशिष्ट			अधर्म का मूल है	४७९	३३३
तृतीय अदत्तादान महाव्रत की पाँच भावना	४४७	३०७	स्त्री राग निषेध	४८०	३३४
उपसंहार	४४८	३०९			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
परिकर्म निषेध—४			(२) परिकर्म करण-प्रायश्चित्त		
गृहस्यकृत काय क्रिया की अनुमोदना का निषेध	४८१	३३७	स्व-शरीर परिकर्म-प्रायश्चित्त—१		
गृहस्यकृत शरीर के परिकर्मों की अनुमोदना का निषेध	४८२	३३८	शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	४९९	३५१
गृहस्यकृत पादपरिकर्म की अनुमोदना का निषेध	४८३	३३८	मैल हूर करने के प्रायश्चित्त सूत्र	५००	३५२
उद्यानादि में गृहस्यकृत पैर आदि के परिकर्मों की अनुमोदना का निषेध	४८४	३३९	पाद परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५०१	३५२
गृहस्यकृत पादपरिकर्म का निषेध	४८५	३३९	नखाग्र भागों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	५०२	३५३
गृहस्य द्वारा मैल निकालने की अनुमोदना का निषेध	४८६	३४०	जंघादि रोम परिकर्मों का प्रायश्चित्त सूत्र	५०३	३५३
गृहस्यकृत रोम परिकर्मों की अनुमोदना का निषेध	४८७	३४०	ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५०४	३५४
मिद्धु-मिद्धुणी की अन्योन्य परिकर्म क्रिया की अनुमोदना का निषेध	४८८	३४०	उत्तरोष्ठादि रोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५०५	३५४
अन्योन्य पादादि परिकर्म क्रिया की अनुमोदना का निषेध	४८९	३४०	दन्त परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५०६	३५५
१—चिकित्साकरण प्रायश्चित्त (५)			चक्षु परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५०७	३५५
विभूषा के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा के प्रायश्चित्त—१			अक्षि पत्र परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	५०८	३५६
विभूषा के संकल्प से घ्राणों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९०	३४१	भौहादि रोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५०९	३५६
विभूषा के संकल्प से गण्डादि की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९१	३४२	केशों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	५१०	३५६
विभूषा के संकल्प से कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	४९२	३४३	मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र	५११	३५७
मैथुन के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा के प्रायश्चित्त—२			परस्पर शरीर परिकर्म प्रायश्चित्त—२		
मैथुन सेवन के संकल्प से घ्राण की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९३	३४४	एक दूसरे के शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५१२	३५७
मैथुन सेवन के संकल्प से गण्डादि चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९४	३४५	एक दूसरे के मैल निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र	५१३	३५८
मैथुन सेवन के संकल्प से कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	४९५	३४७	एक दूसरे के पाद परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५१४	३५८
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर चिकित्सा के प्रायश्चित्त—३			एक दूसरे के नखाग्र काटने का प्रायश्चित्त सूत्र	५१५	३५९
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर घ्राण की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९६	३४७	एक दूसरे के जंघादि के रोमों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५१६	३५९
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर गण्डादि की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९७	३४८	एक दूसरे के होठों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५१७	३६०
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	४९८	३५०	एक दूसरे के उत्तरोष्ठ रोमादि परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५१८	३६१
			एक दूसरे के दांतों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५१९	३६१
			एक दूसरे के आँखों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५२०	३६१
			एक दूसरे के अक्षिपत्र के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	५२१	३६२
			एक दूसरे के भौह आदि के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	५२२	३६२
			एक दूसरे के केशों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	५२३	३६
			एक दूसरे के मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र	५२४	३६३
			अन्यतीर्थिकादि द्वारा स्व शरीर का परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—३		
			शरीर का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र	५२५	३६३

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर नखाग्रों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	६०६	४०८	(४) मैथुनेच्छा से उपकरण धारणादि के प्रायश्चित्त		
मैथुन के संकल्प से परस्पर जंघादि परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र	६०७	४०८	मैथुन सेवन के संकल्प से वस्त्र धारण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	६२७	४१६
मैथुन सेवन के संकल्प से ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६०८	४०९	विभूषा हेतु उपकरण धारण प्रायश्चित्त सूत्र	६२८	४२०
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर उत्तरोष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६०९	४१०	विभूषा हेतु उपकरण प्रक्षालन प्रायश्चित्त सूत्र	६२९	४२०
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर दन्त परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६१०	४१०	मैथुन सेवन के संकल्प से आभूषण निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	६३०	४२०
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपत्र परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६११	४११	मैथुन सेवन के संकल्प से माला निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	६३१	४२१
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपत्र परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६१२	४१२	मैथुन सेवन के संकल्प से धातु निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	६३२	४२२
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर भौंह आदि रोमों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६१३	४१२	(५) मैथुनेच्छा सम्बन्धी प्रकीर्णक प्रायश्चित्त		
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर केश परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	६१४	४१३	मैथुन सेवन के लिए कलह करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६३३	४२२
मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र	६१५	४१३	मैथुन सेवन के संकल्प से पत्र लिखने का प्रायश्चित्त सूत्र	६३४	४२२
(३) मैथुन के संकल्प से निषिद्ध कृत्यों के प्रायश्चित्त—१०			मैथुन सेवन के संकल्प से प्रणीत आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६३५	४२३
मैथुन सेवन संकल्प के प्रायश्चित्त सूत्र	६१६	४१३	वशीकरण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६३६	४२३
विकृषित रूप से मैथुन संकल्प के प्रायश्चित्त सूत्र	६१७	४१४	अकृत्य सेवन के सम्बन्ध में हुए विवाद का निर्णय	६३७	४२३
मैथुन सेवन के संकल्प से चिकित्सा करने का सूत्र	६१८	४१४	५ परिशिष्ट		
मैथुन सेवन के लिए प्रार्थना करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६१९	४१६	चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ	६३८	४२४
मैथुन सेवन के लिए वस्त्र अपावृत्त करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६२०	४१६	प्रथम भावना : स्त्री युक्त स्थान का वर्जन	६३९	४२४
मैथुन सेवन के लिए अंगादान दर्शन का प्रायश्चित्त सूत्र	६२१	४१६	द्वितीय भावना : स्त्री कथा विवर्जन	६४०	४२५
अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६२२	४१६	तृतीय भावना : स्त्री रूप दर्शन निषेध	६४१	४२५
मैथुन सेवन के संकल्प से अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	६२३	४१७	चतुर्थ भावना : पूर्व भुक्त भोगों के स्मरण का निषेध	६४२	४२६
हस्त कर्म प्रायश्चित्त सूत्र	६२४	४१८	पाँचवी भावना : विकारवर्धक आहार निषेध	६४३	४२७
मैथुन सेवन के संकल्प से हस्तकर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६२५	४१९	उपसंहार	—	४२७
शुक्र के पुद्गल निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र	६२६	४१९	ब्रह्मचर्य की नौ अगुप्तियाँ	६४४	४२८
			ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियाँ	६४५	४२८
			पंचम अपरिग्रह महाव्रत		
			अपरिग्रह महाव्रत की आराधना—१		
			अपरिग्रह महाव्रत आराधना की प्रतिज्ञा	६४६	४२९
			अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ	६४७	४२९
			अपरिग्रह महाव्रत की पादप की उपमा	६४८	४३२
			अपरिग्रह महाव्रत आराधक के अकल्पनीय द्रव्य	६४९	४३२
			अपरिग्रह महाव्रत के आराधक—२		
			अपरिग्रही	६५०	४३४

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
अपरिग्रही श्रमण को पद्म की उपमा	६५१	४३४	आभ्यन्तर परिग्रह से विरत पण्डित	६८४	४४५
सभी एकान्त पण्डित सर्वत्र समभाव के साधक होते हैं	६५२	४३४	परिग्रह विरत पापकर्म विरत होता है	६८५	४४६
सभी बाल जीव आसक्त हैं, सभी पण्डित अनासक्त हैं	६५३	४३४	गोलों का रूपक	६८६	४४६
अनासक्त ही मरण से मुक्त होता है	६५४	४३५	भोगों से निवृत्त हो	६८७	४४६
अनासक्त ही हमेशा अहिंसक होता है	६५५	४३५	मनोज्ञ और अमनोज्ञ काम भोगों में राग-द्वेष का निग्रह करना चाहिए	६८८	४४६
कामभोगों में अनासक्त निर्ग्रन्थ	६५६	४३५	सभी कामभोग दुःखदायी हैं	६८९	४४७
त्यागी श्रमणों के लिए प्रमाद का निषेध	६५७	४३६	काम भोगाभिलाषी दुःखी होता है	६९०	४४७
शल्य को समाप्त करने वाला ही श्रमण होता है	६५८	४३६	काम-भोगों में आसक्ति का निषेध	६९१	४४८
त्यागियों की देव गति	६५९	४३६	काम गुणों में मूर्च्छा का निषेध	६९२	४४८
धीर पुरुष धर्म को जानते हैं	६६०	४३६	शब्द श्रवण की आसक्ति का निषेध	६९३	४४८
ध्रुवचारी कर्मरज को धुनते हैं	६६१	४३६	रूप दर्शन आसक्ति-निषेध	६९४	४५१
श्रामण्य रहित श्रमण	६६२	४३७	बाल जीवों के दुःखानुभव के हेतु	६९५	४५१
पांच आलव द्वार	६६३	४३७	सभी एकान्त बाल जीव ममत्व युक्त होते हैं	६९६	४५१
परिग्रह का स्वरूप—३			आतुर व्यक्तियों को परीपह असह्य होते हैं	६९७	४५२
परिग्रह का स्वरूप	६६४	४३८	कपाय क्लुपित भाव को बढ़ाते हैं	६९८	४५२
परिग्रह पाप का फल दुःख	६६५	४३८	स्वजन शरणदाता नहीं होते	६९९	४५३
परिग्रह महामय	६६६	४३९	कर्मवेदन-काल में कोई शरण नहीं होता	७००	४५५
परिग्रह-मुक्ति ही मुक्ति है	६६७	४३९	अपरिग्रह महाव्रत आराधना का फल—५		
परिग्रह से दुःख — अपरिग्रह से सुख	६६८	४३९	अपरिग्रह आराधन का फल	७०१	४५५
सुखी होने के उपाय का प्ररूपण	६६९	४४०	सुख-स्पृहा-निवारण का फल	७०२	४५५
तृष्णा को लता की उपमा	६७०	४४०	विनिवर्तना का फल	७०३	४५६
अर्थलोलुप हिंसा करते हैं	६७१	४४०	आसक्ति करने का प्रायश्चित्त—६		
लोभ-निषेध	६७२	४४१	शब्द श्रवण शक्ति के प्रायश्चित्त सूत्र	७०४	४५६
जीवन विनाशी रोग होने पर भी औषधादि के संग्रह का निषेध	६७३	४४१	वप्रादि (प्राकारादि) शब्द श्रवण के प्रायश्चित्त सूत्र	७०५	४५७
अशनादि के संग्रह का निषेध	६७४	४४१	इहलौकिकादि शब्दों में आसक्ति का प्रायश्चित्त सूत्र	७०६	४५८
बालजीव क्रूर कर्म करते हैं	६७५	४४२	गायन आदि करने का प्रायश्चित्त सूत्र	७०७	४५९
सूत्रं धर्म को नहीं जानते हैं	६७६	४४२	मुख आदि से वीणा जैसी आकृति करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७०८	४५९
आसक्ति-निषेध—४			मुख आदि से वीणा जैसी ध्वनि निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र	७०९	४६०
सर्वज्ञ ही सर्व आसक्तों को जानते हैं	६७७	४४३	विप्रादि अवलोकन के प्रायश्चित्त सूत्र	७१०	४६०
रति-निषेध	६७८	४४३	इहलौकिक आदि रूपों में आसक्ति रखने का प्रायश्चित्त सूत्र	७११	४६२
अरति-निषेध	६७९	४४३	पात्र आदि में अपना प्रतिविम्ब देखने के प्रायश्चित्त सूत्र	७१२	४६२
रति-अरति-निषेध	६८०	४४४	गन्ध सूंघने का प्रायश्चित्त सूत्र	७१३	४६३
भिक्षु को न रति करनी चाहिए और न अरति करनी चाहिए	६८१	४४४			
राग शमन के उपाय	६८२	४४५			
आभ्यन्तर परिग्रह के पाश से बद्ध प्राणी	६८३	४४५			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
अल्प अचित्त जल से हाथ धोने का प्रायश्चित्त सूत्र	७१४	४६३	दिन में या रात्रि में अशनादि ग्रहण करने के तथा खाने के प्रायश्चित्त सूत्र	७३५	४८०
कौतुहल के संकल्प से सभी कार्य करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७१५	४६३	रात्रि में अशनादि के संग्रह करने के तथा खाने के प्रायश्चित्त सूत्र	७३६	४८१
वशीकरण प्रायश्चित्त—७			दिवा-भोजन निन्दा और रात्रि-भोजन प्रणंसा के प्रायश्चित्त सूत्र	७३७	४८१
राजा को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७१६	४६५	दिन में या रात्रि में ग्रहण किये गये गोबर के लेप के प्रायश्चित्त सूत्र	७३८	४८१
अंगरक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७१७	४६५	दिन में या रात्रि में गृहीत लेप प्रयोग के प्रायश्चित्त सूत्र	७३९	४८२
नगर-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७१८	४६५	उद्गाल गिलने का प्रायश्चित्त सूत्र	७४०	४८३
निगम-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७१९	४६५	अष्ट प्रवचन माता का स्वरूप		
सीमा-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७२०	४६६	अष्ट प्रवचन माता	७४१	४८५
देश-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७२१	४६६	आठ समितियाँ	७४२	४८५
सर्व-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र	७२२	४६६	ईर्यासमिति		
पाँचवे महाव्रत का परिशिष्ट—८			विधि-कल्प—१		
पाँचवें अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ उपसंहार	७२३	४६७	ईर्यासमिति के भेद-प्रभेद	७४३	४८६
पाँचों महाव्रतों का परिशिष्ट—९			प्रासुक विहार स्वरूप प्ररूपण	७४४	४८७
पाँच महाव्रतों की आराधना का फल आरम्भ परिग्रह विरत कर्मों का अन्त करने वाला होता है	७२५	४७४	भावित आत्मा अणगार की क्रिया का प्ररूपण	७४५	४८७
रात्रिभोजन-निषेध—१			संवृत अणगार की क्रिया का प्ररूपण	७४६	४८८
षष्ठ व्रत आराधन प्रतिज्ञा	७२६	४७५	निषेध-कल्प—२		
रात्रि में अशनादि ग्रहण का निषेध	७२७	४७५	अस्थिर काष्ठादि के ऊपर होकर जाने का निषेध	७४७	४८९
रात्रि भोजन निषेध का कारण	७२८	४७६	भिक्षु कोयलादि का अतिक्रमण न करे	७४८	४८९
रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध	७२९	४७६	रात्रिगमन निषेध	७४९	४८९
रात्रि में आहारादि के उपयोग का निषेध	७३०	४७६	साँड आदि के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेध	७५०	४८९
रात्रि में लेप लगाने का निषेध	७३१	४७७	दस्यु प्रदेश के मार्ग से गमन का निषेध	७५१	४८९
रात्रि में तेल आदि के मालिश का निषेध	७३२	४७७	निषिद्ध क्षेत्रों में विहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७५२	४९०
रात्रि में कल्कादि के उवटन का निषेध	७३३	४७७	चोरों के भय से उन्मार्ग गमन का निषेध	७५३	४९०
रात्रि भोजन के प्रायश्चित्त—२			चोरों का उपसर्ग होने पर मौन रहे	७५४	४९०
सूर्योदयास्त के सम्बन्ध में शंका होने पर आहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७३४	४७७	चोरों द्वारा उपधि छीन लेने पर फरियाद न करे	७५५	४९१
			अन्य से उपधि वहन करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	७५६	४९१
			पथिकों के पूछने पर मौन रहना चाहिए	७५७	४९१
			मार्ग में गृहस्थों से वार्तालाप का निषेध	७५८	४९१
			मार्ग में वप्र आदि अवलोकन निषेध	७५९	४९२
			मार्ग में कच्छादि अवलोकन-निषेध	७६०	४९२
			अन्यतीर्थिक आदि के साथ निष्क्रमण व प्रवेश निषेध	७६१	४९३

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
अन्यतीर्थिकादि के साथ ग्रामानुग्राम गमन का निषेध	७६२	४६३	भाषा समिति		
अन्यतीर्थिकादि के साथ प्रवेश और निष्क्रमण के प्रायश्चित्त सूत्र	७६३	४६३	विधिकल्प—१		
अन्यतीर्थिक आदि के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	७६४	४६३	त्रैकालिक तीर्थकरों ने चार प्रकार की भाषा प्ररूपी है	७८७	५१०
निषिद्ध शय्याओं में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र	७६५	४६३	विवेक पूर्वक बोलने वाला आराधक, अविवेक से बोलने वाला विराधक	७८८	५१०
विधि-निषेध कल्प—३			भाषा के भेद-प्रभेद	७८९	५११
भिक्षु के चलने के विधि-निषेध	७६६	४६४	विधिकल्प—२		
वेपथु मार्ग में जाने के विधि-निषेध	७६७	४६४	एक वचन विवक्षा	७९०	५१२
भिक्षार्थ गमन मार्ग के विधि-निषेध	७६८	४६४	बहुवचन विवक्षा	७९१	५१३
ग्रामानुग्राम गमन के विधि-निषेध	७६९	४६५	स्त्रीलिंग शब्द	७९२	५१३
आचार्यादि के साथ गमन के विधि-निषेध	७७०	४६६	पुंल्लिंग शब्द	७९३	५१३
मार्ग में आचार्यादि का विनय	७७१	४६६	नपुंसकलिंग शब्द	७९४	५१३
मार्ग में रत्नाधिक के साथ गमन के विधि-निषेध	७७२	४६७	आराधनी भाषा	७९५	५१३
मार्ग में रत्नाधिक का विनय	७७३	४६७	अवधारिणी भाषा	७९६	५१४
स्यविरों की सेवा के लिए परिहार कल्पस्थित भिक्षु के गमन सम्बन्धी विधि-निषेध और प्रायश्चित्त	७७४	४६७	प्रजापती भाषा	७९७	५१५
अटवी में जाने के विधि-निषेध	७७५	४६९	मन्दकुमारादि की भाषा आदि का बोध	७९८	५१७
विग्रह राज्यादि में जाने के विधि-निषेध	७७६	४६९	मोलह प्रकार के वचनों का विवेक	७९९	५१८
धराज्य और विग्रह राज्य में गमनागमन का प्रायश्चित्त सूत्र	७७७	४६९	असावद्य असावद्यभाषा भाषा बोलना चाहिए	८००	५१८
अभिषेक राजधानियों में चार-चार जाने-आने के प्रायश्चित्त सूत्र	७७८	५००	कपाय का परित्याग कर बोलना चाहिए	८०१	५१९
सेना के पड़ाव वाले मार्ग से गमन के विधि निषेध	७७९	५००	आमन्त्रण के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८०२	५१९
सेना के समीपवर्ती क्षेत्र में रात रहने का प्रायश्चित्त सूत्र	७८०	५०१	अन्तरिक्ष के विषय में भाषा विधि	८०३	५१९
प्राणी आदि युक्त मार्ग से जाने के विधि-निषेध	७८१	५०१	रूपों को देखने पर असावद्य भाषा विधि	८०४	५१९
महानदी पार गमन विधि-निषेध के पाँच कारण	७८२	५०१	दर्शनीय प्राकार आदि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८०५	५२०
पाँच महानदी पार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	७८३	५०२	उपसृष्ट अणानादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८०६	५२०
नीका विहार के विधि-निषेध	७८४	५०२	पुष्ट शरीर वाले मनुष्यादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८०७	५२०
जंघा प्रमाण जल पारकरण विधि	७८५	५०५	विधि-निषेध कल्प—२		
नीका विहार के प्रायश्चित्त सूत्र	७८६	५०६	गो आदि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८०८	५२१
			उद्यानादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८०९	५२१
			वन फलों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८१०	५२१
			औषधियों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८११	५२१
			शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि	८१२	५२२
			एकान्त निश्चयात्मक भाषा का निषेध	८१३	५२२
			छः निषिद्ध वचन	८१४	५२४

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
आठ निषिद्ध स्थान	८१५	५२४	अगाढादि वचनों के प्रायश्चित्त सूत्र	८४१	५३२
चार प्रकार की सावद्य भाषाओं का निषेध	८१६	५२४	एषणा समिति—१		
मृषा आदि भाषाओं का निषेध	८१७	५२४	एषणा समिति	८४२	५३३
सत्यामृषा (मिश्र) भाषा आदि भाषाओं का निषेध	८१८	५२४	विडम्बणा स्वरूप एवं प्रकार—२		
अवर्णवाद आदि का निषेध	८१९	५२५	सर्व दोष मुक्त आहार का स्वरूप	८४३	५३३
सावद्य वचन का निषेध	८२०	५२५	आहार निष्पादन के कारण व उसे ग्रहण करने तथा खाने की विधि	८४४	५३४
गृहस्थ के सत्कारादि का निषेध	८२१	५२५	गन्ध में आसक्ति का निषेध	८४५	५३४
पथिकों के सावद्य प्रश्नों के उत्तर देने का निषेध	८२२	५२५	मधुकरी वृत्ति	८४६	५३४
आमन्त्रण में सावद्य भाषा का निषेध	८२३	५२६	मृगचर्या वृत्ति	८४७	५३५
रोग आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८२४	५२७	कापोत्ति वृत्ति	८४८	५३५
प्राकार आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८२५	५२८	अदीन वृत्ति	८४९	५३५
उपस्कृत अशनादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८२६	५२८	आहार निमित्त से भिक्षु को घृण की उपमा भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को मत्स्य की उपमा	८५०	५३५
पुष्ट शरीर वाले मनुष्य आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८२७	५२८	भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को पक्षी की उपमा	८५१	५३६
गाय आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८२८	५२९	चार प्रकार के आहार	८५२	५३६
उद्यान आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८२९	५२९	तीन प्रकार का आहार	८५३	५३७
वन-फलों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८३०	५२९	अवगृहीत आहार के प्रकार	८५४	५३७
औषधियों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८३१	५३०	विगय विकृति के नौ प्रकार	८५५	५३८
शब्दादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध	८३२	५३०	विगय के अन्य प्रकार	८५६	५३८
विधि-निषेध-कल्प—३			तीन प्रकार की एषणा	८५७	५३८
कहने योग्य और नहीं कहने योग्य भाषा	८३३	५३०	नौ प्रकार की शुद्ध भिक्षा	८५८	५३९
दान सम्बन्धी भाषा-विवेक	८३४	५३०	आहार-पाचन का निषेध	८५९	५३९
अहितकारी भाषा विवेक	८३५	५३१	छह प्रकार की गोचरी	८६०	५३९
साधु के जीवन में भाषा विवेक	८३६	५३१	गवेषणा—३		
संखडि आदि के सम्बन्ध में भाषा-विवेक	८३७	५३१	शुद्ध आहार की गवेषणा और उपभोग का उपदेश	८६१	५४०
नदियों के सम्बन्ध में भाषा विवेक	८३८	५३१	सामुदानिकी भिक्षा का विधान	८६२	५४१
ऋय-विक्रय के सम्बन्ध में भाषा विवेक	८३९	५३२	एषणा कुशल भिक्षु	८६३	५४१
भाषा समिति के प्रायश्चित्त—४			भिक्षु की गवेषणा विधि	८६४	५४१
अल्प कठोर वचन कहने का प्रायश्चित्त सूत्र	८४०	५३२	आहार-उद्गम-गवेषणा	८६५	५४२
			स्वजन-परिजन गृह में जाने के विधि-निषेध	८६६	५४२
			स्वजन के घर से आहार ग्रहण का विधि-निषेध	८६७	५४२
			स्वजन के घर पर अकाल में जाने का निषेध	८६८	५४३
			स्वजन परिजन के घर असमय में जाने का प्रायश्चित्त सूत्र	८६९	५४३
				८७०	५४

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
गवेपणाकाल में जाने की विधि	८७१	५४४	आधाकर्मों आहार करने से कर्मबन्ध का एकांत		
गवेपणाकाल में आचरणीय कृत्य	८७२	५४४	स्थान निषेध	८६८	५५५
भिक्षाकाल में ही जाने का विधान	८७३	५४४	कल्पस्थित अकल्पस्थित के निमित्त बने आहार		
गवेपणाकाल में खड़े रहने आदि की विधि	८७४	५४५	के ग्रहण का निर्णय	८६९	५५६
श्रमण आदि को देखकर खड़े रहने की और			आसक्तिपूर्वक आधाकर्म आहार करने का फल	९००	५५७
प्रवेण की विधि	८७५	५४५	आधाकर्म आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त		
गृहस्थ के घर में नहीं करने के कार्य	८७६	५४६	सूत्र	९०१	५५८
मंक्लेज स्थान निषेध	८७७	५४६	(२) औद्देशिक दोष—		
भिक्षार्थ जाने के समय पात्र प्रक्षिप्तन की			औद्देशिक आहार ग्रहण करने का निषेध	९०२	५५८
विधि	८७८	५४६	दानार्थ स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध	९०३	५५८
असमय में प्रवेण के विधि-निषेध	८७९	५४७	पुण्यार्थ स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध	९०४	५५८
एपणा क्षेत्र का प्रमाण	८८०	५४७	भिक्षारियों के लिए स्थापित आहार ग्रहण		
आहार करते हुए प्राणियों के मार्ग में आने-जाने			करने का निषेध	९०५	५५८
का निषेध	८८१	५४७	श्रमणार्थ स्थापित आहार-ग्रहण करने का निषेध	९०६	५५८
भिक्षा के समय उन्मत्त गांड़ आदि को देखकर			(३) पूतिकर्म दोष —		
गमन का विधि-विधान	८८२	५४८	पूतिकर्म दोषयुक्त आहार का निषेध	९०७	५५९
खट्टा आदि से युक्त मार्ग में जाने का निषेध	८८३	५४८	पूतिकर्म दोषयुक्त आहार-ग्रहण करने का		
अयुक्त कुलों में गोचरी का निषेध	८८४	५४८	परिणाम	९०८	५५९
घृणित कुलों में भिक्षा-गमन का प्रायश्चित्त सूत्र	८८५	५४९	पूतिकर्म दोषयुक्त आहार करने का प्रायश्चित्त		
अगवेपणीय कुल	८८६	५४९	ग्रहण	९०९	५५९
निषिद्ध कुलों में गवेपणा-निषेध	८८७	५४९	(४) स्थापना दोष—		
निषिद्ध कुलों में भिक्षा लेने जाने का प्रायश्चित्त			स्थापना दोष का प्रायश्चित्त सूत्र	९१०	५५९
सूत्र	८८८	५४९	(५) श्रौत दोष—		
भिक्षाचर्या में मल-मूत्रादि परठने की विधि	८८९	५४९	श्रौत आहार ग्रहण करने का निषेध	९११	५५९
बुके हुए द्वार को खोलने का विधि-निषेध	८९०	५५०	(६) अभिहृद दोष—		
भिक्षाचरी में माया करने का निषेध	८९१	५५०	अभिहृत आहार ग्रहण करने का निषेध	९१२	५६०
अभिनिचरिका में जाने के विधि-निषेध	८९२	५५०	अभिहृद दोष का प्रायश्चित्त सूत्र	९१३	५६०
चर्या प्रविष्ट भिक्षु के कर्तव्य	८९३	५५१	(७) उद्भिन्न दोष —		
चर्या निवृत्त भिक्षु के कर्तव्य	८९४	५५१	उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का निषेध	९१४	५६०
नवनिमित्त ग्रामादि में आहार ग्रहण करने का			उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	९१५	५६१
प्रायश्चित्त सूत्र	८९५	५५२	(८) मालोपहृत दोष—		
नई लोहे आदि की ग्वाणों में आहार ग्रहण			मालोपहृत आहार ग्रहण करने का निषेध	९१६	५६१
करने का प्रायश्चित्त सूत्र	८९६	५५२	मालोपहृत आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त		
उद्गम-दोष			सूत्र	९१७	५६२
प्राक्कथन		५५३	कोठे में रखे हुए आहार को लेने का निषेध	९१८	५६२
आहार दोष		५५३	कोठे में रखा हुआ आहार लेने का प्रायश्चित्त		
मौलह उद्गम दोष		५५४	सूत्र	९१९	५६२
उद्गम-दोष—४					
(१) आधाकर्मदोष—					
आधाकर्मों आहार ग्रहण का निषेध	८९७	५५४			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
अनिसृष्ट दोष—			पूर्वकर्मयुक्त (अचित्त) नमक के ग्रहण		
अनिसृष्ट आहार ग्रहण करने का विधि-निषेध	६२०	५६३	का निषेध	६३७	५७१
उत्पादन दोष—५			पूर्वकर्म युक्त (अचित्त) सिद्धे आदि के ग्रहण		
[प्राक्कथन]		५६३	का निषेध	६३८	५७२
सोलह उत्पादन दोष		५६३	पूर्वकर्म कृत हाथ आदि से आहार ग्रहण		
अन्तर्धान पिंड		५६४	का निषेध	६३९	५७२
(१) कोर्पापिंड दोष—			पूर्वकर्म कृत हाथ आदि से आहार लेने का		
अशनादि के न मिलने पर क्रोध करने का निषेध	६२१	५६४	प्रायश्चित्त सूत्र	६४०	५७३
(२) मानपिण्ड दोष	६२२	५६५	वायुकाय के विराघक से भिक्षा लेने का निषेध		
(३) लोभ-पिण्ड दोष	६२३	५६५	व प्रायश्चित्त	६४१	५७३
(४) पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष	६२४	५६५	वनस्पतिकाय के विराघक से आहार लेने		
पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष का प्रायश्चित्त सूत्र	६२५	५६५	का निषेध	६४२	५७४
उत्पादन दोषों का वर्जन और शुद्ध आहार			विविधकाय विराघक से भिक्षा लेने का निषेध	६४३	५७४
ग्रहण का उपदेश	६२६	५६६	(४) उन्मिषदोष—		
धातृपिंडादि दोषयुक्त आहार करने वाले के			प्राणी आदि से युक्त आहार ग्रहण का निषेध		
प्रायश्चित्त सूत्र	६२७	५६६	और गृहीत आहार के परठने की विधि	६४४	५७४
एषणा दोष—६			अनन्तकाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र	६४५	५७५
प्राक्कथन		५६७	प्रत्येककाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र	६४६	५७५
दस दोष ग्रहणेषणा के		५६७	(५) अपरिणत दोष—		
(१) शंकित दोष—			अशस्त्र परिणत कमलकन्द आदि के ग्रहण करने		
शंका के रहते हुए आहार ग्रहण करने			का निषेध	६४७	५७५
का निषेध	६२८	५६८	अशस्त्र परिणत पिपल्यादि के ग्रहण का निषेध	६४८	५७५
(२) निक्षिप्त दोष—			अशस्त्र परिणत प्रलंबों के ग्रहण का निषेध	६४९	५७६
पृथ्वीकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने			अशस्त्र परिणत प्रवालों के ग्रहण का निषेध	६५०	५७६
का निषेध	६२९	५६८	अशस्त्र परिणत कोमल फलों के ग्रहण		
अपकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने			का निषेध	६५१	५७६
का निषेध	६३०	५६८	अशस्त्र परिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध	६५२	५७६
अग्निकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने			अशस्त्र परिणत उत्पलादि के ग्रहण का निषेध	६५३	५७७
का निषेध	६३१	५६८	अशस्त्र परिणत अग्रबीजादि के ग्रहण का निषेध	६५४	५७७
वनस्पतिकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने			अशस्त्र परिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध	६५५	५७७
का निषेध	६३२	५७०	अशस्त्र परिणत लसुण आदि के ग्रहण		
त्रसकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने			का निषेध	६५६	५७७
का निषेध	६३३	५७१	अशस्त्र परिणत जीव युक्त पुराने आहार के		
निक्षिप्त दोषयुक्त आहार ग्रहण करने के			ग्रहण का निषेध	६५७	५७८
प्रायश्चित्त सूत्र	६३४	५७१	अपरिणत मिश्र वनस्पतियों के ग्रहण का निषेध	६५८	५७८
(३) दायग दोष—			अपरिणत-परिणत धान्यों के ग्रहण का		
गर्भवती के हाथ से आहार ग्रहण का निषेध	६३५	५७१	विधि-निषेध	६५९	५७९
स्तनपान कराती हुई स्त्री के हाथ से आहार			कृत्स्न धान्य भक्षण का प्रायश्चित्त सूत्र	६६०	५७९
ग्रहण का निषेध	६३६	५७१	भुने हुए सिद्धे आदि के ग्रहण का विधि-निषेध	६६१	५७९

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
अपरिणत-परिणत ताल प्रलम्ब के ग्रहण का विधि-निषेध	६६२	५८०	मूर्धाभिपिक्त राजा के निकाले हुए आहार लेने के प्रायश्चित्त सूत्र	६८८	५६२
अपरिणत-परिणत आम ग्रहण का विधि निषेध	६६३	५८०	विविध स्थानों में राजपिण्ड लेने के प्रायश्चित्त सूत्र	६८९	५६५
सचित्त अंब उपभोग के प्रायश्चित्त सूत्र	६६४	५८१	प्रकीर्णक दोष—८		
अपरिणत-परिणत इक्षु ग्रहण का विधि-निषेध	६६५	५८२	औद्वेषिकादि आहार ग्रहण करने के विधि ग्रहण	६९०	५६६
सचित्त इक्षु खाने के प्रायश्चित्त सूत्र	६६६	५८३	निमन्त्रण करने पर भी दोषयुक्त आहारादि लेने का निषेध	६९१	५६७
अपरिणत-परिणत लहसुन ग्रहण का विधि-निषेध	६६७	५८३	सावध संयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध	६९२	५६८
(६) लिप्त दोष—			आहार की आसक्ति करने का निषेध	६९३	५६८
संसृष्ट हाथ आदि से आहार ग्रहण के विधि-निषेध	६६८	५८५	संग्रह करने का निषेध	६९४	५६९
सचित्त द्रव्य से लिप्त हस्तादि से आहार ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र	६६९	५८६	संखडी निषेध और शुद्ध आहार का विधान	६९५	५६९
छदित दोष	६७०	५८७	दोषरहित आहार का ग्रहण और उसका परिणाम	६९६	५६९
एषणा विवेक—७			निर्दोष आहार गवेषक की और देने वाले की सुगति	६९७	६००
गर्भवती निमित्त निर्मित आहार का विधि-निषेध	६७१	५८७	परिभोग्यता—९		
अदृष्ट स्थान में जाने का निषेध	६७२	५८७	आहार करने का उद्देश्य	६९८	६००
रजयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध	६७३	५८७	आहार करने के स्थान का निर्देश	६९९	६००
पुष्प आदि बिखरे हुए स्थान में प्रवेश का निषेध	६७४	५८८	गोचरी में प्रविष्ट भिक्षु के आहार करने की विधि	१०००	६००
बच्चे आदि के उल्लंघन का निषेध	६७५	५८८	उपाश्रय में आकर आहार करने की विधि	१	६०१
अधिक त्याज्य भाग वाले आहार ग्रहण का निषेध	६७६	५८८	मुनि आहार की मात्रा का ज्ञाता हो	२	६०२
अग्रपिण्ड के ग्रहण का निषेध	६७७	५८८	लेप सहित पूर्ण आहार करने का निर्देश	३	६०२
नित्य दान में दिये जाने वाले घरों से आहार लेने का निषेध	६७८	५८९	रसगृद्धि का निषेध	४	६०२
नित्यदान पिंडादि खाने के प्रायश्चित्त सूत्र	६७९	५८९	आगतुक श्रमणों को निमन्त्रित करने की विधि	५	६०२
आरण्यकादिकों का आहारादि ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	६८०	५९०	विगयभोक्ता भिक्षु	६	६०३
नैवेद्यापिण्ड भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र	६८१	५९०	आचार्य के दिए विना विकृति भक्षण का प्रायश्चित्त सूत्र	७	६०३
अत्युष्ण आहार लेने का प्रायश्चित्त सूत्र	६८२	५९०	पुनः भिक्षार्थ जाने का विधान	८	६०३
राजपिण्ड ग्रहण करने और भोगने के प्रायश्चित्त सूत्र	६८३	५९०	पुलाकं भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी जाने का विधि-निषेध	९	६०३
अन्तःपुर में प्रवेश व भिक्षा ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र	६८४	५९०	स.धारण आहार को आज्ञा लेकर वांटने की विधि	१०	६०४
मूर्धाभिपिक्त राजा के अनेक प्रकार के आहार ग्रहण का प्रायश्चित्त सूत्र	६८५	५९१	श्रमण ब्राह्मण आदि के लिए गृहीत आहार के वांटने खाने की विधि	११	६०४
मूर्धाभिपिक्त राजा के छः दोषायतन जाने विना गोचरी जाने का प्रायश्चित्त सूत्र	६८६	५९१	स्थविरों के लिए संयुक्त गृहीत आहार के परिभोग और परठने की विधि	१२	६०५
यात्रागत राजा का आहार ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	६८७	५९२	बड़े हुए आहार सम्बन्धी विधि	१३	६०६
			साम्भोगिकों को निमन्त्रित किए विना परठने का प्रायश्चित्त सूत्र	१४	६०६

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
गृहीत आहार में माया करने का निषेध	१५	६०६	संखडी में जाने के लिए मायास्थान सेवन का निषेध	४१	६१८
आहार का उपभोग करने में माया करने का निषेध	१६	६०७	रात्रि में संखडी के लिए जाने का निषेध	४२	६१८
नीरस आहार परठने का प्रायश्चित्त सूत्र	१७	६०७	संखडी के लिए जाने के प्रायश्चित्त सूत्र	४३	६१८
गृहीत लवण के परिभोग और परिष्ठापन की विधि	१८	६०७	सागारिक—१२		
प्राणियों से युक्त आहार के परिभोग और परिष्ठापन की विधि	१९	६०८	सागारिक के अशनादि ग्रहण का निषेध	४४	६१९
उदकादि से युक्त आहार के परिभोग और परिष्ठापन की विधि	२०	६०८	परिहरणीय शय्यातर का निर्णय	४५	६१९
अचित्त अनेषणीय आहार के परठने की विधि	२१	६०८	संसृष्ट असंसृष्ट शय्यातर पिंड के ग्रहण का विधि-निषेध	४६	६२०
आचार्य के दिए बिना आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२२	६०९	शय्यातर के असंसृष्ट पिंड के संसृष्ट कराने का निषेध व प्रायश्चित्त	४७	६२०
पत्रों का आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२३	६०९	शय्यातर के घर आये आहार के ग्रहण का विधि-निषेध	४८	६२०
गृहस्थ के पात्र में आहार भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र	२४	६०९	शय्यातर के अन्यत्र भेजे गये आहार को ग्रहण करने का विधि-निषेध	४९	६२०
पृथ्वी आदि पर अशनादि रखने के प्रायश्चित्त सूत्र	२५	६०९	शय्यातर के अंशयुक्त आहार ग्रहण का विधि-निषेध	५०	६२०
परिभोगैषणा के दोष—१०			पूज्य पुरुषों के आहार के ग्रहण करने के विधि-निषेध	५१	६२१
पांच दोष परिभोगैषणा के		६०९			
इंगालादि दोष का स्वरूप	२६	६१०	शय्यातर के आगन्तुक निमित्तक आहार के ग्रहण का विधि-निषेध	५२	६२२
इंगालादि दोषरहित आहार का स्वरूप	२७	६१०			
क्षेत्रातिक्रान्त आदि दोष का स्वरूप	२८	६११	शय्यातर के दासादि निमित्तक आहार के ग्रहण का विधि-निषेध	५३	६२२
आहार लेने के कारण	२९	६१२			
आहार त्यागने के कारण	३०	६१२	शय्यातर के उपजीवी ज्ञातिमन निमित्तक आहार के ग्रहण का निषेध	५४	६२२
कालातिक्रान्त आहार रखने व खाने का निषेध व प्रायश्चित्त	३१	६१२	शय्यातर के सीरवाली के पदार्थों को ग्रहण करने का विधि-निषेध	५५	६२३
मार्गातिक्रान्त आहार रखने व खाने का निषेध व प्रायश्चित्त	३२	६१३	शय्यातर के सीरवाली भोजन सामग्री के ग्रहण का विधि-निषेध	५६	६२५
आहार की प्रशंसा और निन्दा का निषेध	३३	६१३			
संखडी-गमन—११			शय्यातर के सीरवाली के आम्र फल ग्रहण करने का विधि-निषेध	५७	६२५
आघा योजन उपरान्त संखडी में जाने का निषेध	३४	६१४	सागारिक का आहार भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र	५८	६२५
संखडी में जाने से होने वाले दोष	३५	६१४			
संखडी में भोजन करने से उत्पन्न दोष	३६	६१५	सागारिक का आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	५९	६२५
आकीर्ण संखडी में जाने का निषेध व उसके दोष	३७	६१५			
उत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि-निषेध	३८	६१६	शय्यातर का घर जाने बिना भिक्षागमन का प्रायश्चित्त सूत्र	६०	६२५
महामहोत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि-निषेध	३९	६१६			
आकीर्ण या अनाकीर्ण संखडी में जाने का विधि-निषेध	४०	६१७	सागारिक की निश्चा में अशनादि की याचना का प्रायश्चित्त सूत्र	६१	६२५

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
पाण्यपणा—२			उपस्थान क्रिया का स्वरूप	८६	६४४
प्राक्कथन		६२६	भिक्षु के एक क्षेत्र में पुनः आने की काल-मर्यादा	९०	६४४
घोवणपाणी सूचक आगम पाठ		६२६	अनभिक्रान्त क्रिया का स्वरूप	९१	६४४
११ प्रकार के ग्राह्य घोवन पानी		६२६	वर्ज्य क्रिया का स्वरूप	९२	६४५
१२ प्रकार के अग्राह्य घोवन पानी		६२७	महावर्ज्य क्रिया का स्वरूप	९३	६४५
अचित्त जल ग्रहण विधि	६२	६२७	सावद्य क्रिया का स्वरूप	९४	६४५
ग्लान निर्ग्रन्थ के लिए कल्पनीय विकट दत्तियाँ	६३	६२८	महासावद्य क्रिया का स्वरूप	९५	६४५
अप्रासुक पानी लेने का निषेध	६४	६२९	ग्राम आदि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने का निषेध	९६	६४६
असावधानी से दिये हुए सचित्त जल के परठने की विधि	६५	६२९	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए पानी के किनारे पर निषिद्ध कार्य	९७	६४६
सरस निरस पानी में समभाव का विधान	६६	६३०	निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में निर्ग्रन्थों के लिए निषिद्ध कार्य	९८	६४६
पानी ग्रहण करने के विधान और निषेध	६७	६३०	निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में निर्ग्रन्थियों के लिए निषिद्ध कार्य	९९	६४६
अमनोज्ञ जल परिष्ठापन का प्रायश्चित्त सूत्र	६८	६३२	निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में निर्ग्रन्थियों के लिए निषिद्ध कार्य	९९	६४७
तत्काल धोये पानी को ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	६९	६३२	स्वाध्याय भूमि में निषिद्ध कार्य	१००	६४७
शठ्यपणा-विधि—१			शठ्यपणा विधि-निषेध—३		
श्रमण के ठहरने योग्य स्थान	७०	६३२	अन्तरिक्ष उपाश्रय के विधि-निषेध	१०१	६४७
उपाश्रय की याचना	७१	६३२	एपणीय और अनेपणीय उपाश्रय	१०२	६४८
उपाश्रय में प्रवेश-निष्क्रमण की विधि	७२	६३३	तृण पराल निर्मित उपाश्रय का विधि-निषेध	१०३	६४९
हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में निर्ग्रन्थों की वसतिवास मर्यादा	७३	६३४	कपाटरहित द्वार वाले उपाश्रय का विधि-निषेध	१०४	६५०
निर्ग्रन्थों के कल्प्य उपाश्रय	७४	६३४	घान्ययुक्त उपाश्रय के विधि-निषेध	१०५	६५०
हेमन्त और ग्रीष्म में निर्ग्रन्थियों की वसतिवास मर्यादा	७५	६३४	आहारयुक्त उपाश्रय के विधि-निषेध	१०६	६५१
निर्ग्रन्थियों के कल्प्य उपाश्रय	७६	६३५	ग्रामादि में चातुर्मास करने का विधि-निषेध	१०७	६५१
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के कल्प्य उपाश्रय	७७	६३५	बहुश्रुत वसति निवास विधि-निषेध	१०८-१०९	६५२
ग्रामादि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने की विधि	७८	६३५	कायोत्सर्ग के लिए स्थान का विधि-निषेध	११०	६५२
अभिक्रान्त क्रिया कल्पनीय शय्या	७९	६३५	स्वाध्यायभूमि में जाने के विधि-निषेध	१११	६५२
अल्प सावद्य क्रिया कल्पनीय शय्या	८०	६३६	अन्तर गृहस्थानादि प्रकरण	११२	६५३
शठ्यपणा-निषेध—२			अवग्रह ग्रहण विधि—४		
गृह निर्माण शय्या	८१	६३६	पाँच प्रकार के अवग्रह	११३	६५३
निर्ग्रन्थों के अकल्प्य उपाश्रय	८२	६३७	आज्ञा ग्रहण करने की विधि	११४	६५३
निर्ग्रन्थियों के लिए अकल्प्य उपाश्रय	८३	६३७	पूर्वगृहीत अवग्रह के ग्रहण की विधि	११५	६५४
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए अकल्प्य उपाश्रय	८४	६३७	अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण	११६	६५४
गृहस्थ प्रतिबद्ध उपाश्रय के दोष	८५	६४३	अवग्रह के ग्रहण करने का और उसमें रहने का विवेक	११७	६५४
शुद्ध उपाश्रय की प्ररूपणा	८६	६४३	अवग्रह ग्रहण निषेध—५		
वारंवार साधर्मिक के आगमन की शय्या का निषेध	८७	६४४	सचित्त पृथ्वी आदि का अवग्रह निषेध	११८	६५५
कालातिक्रान्त क्रिया का स्वरूप	८८	६४४	अन्तरिक्ष जात अवग्रहों का निषेध	११९	६५५
			गृहस्थ संयुक्त उपाश्रय का अवग्रह निषेध	१२०	६५५

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
गृहस्थ के घर से संलग्न उपाश्रय का अवग्रह निषेध	१२१	६५६	जलयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त	१४५	६६३
अकल्पनीय उपाश्रयों का अवग्रह निषेध	१२२	६५६	ज्योतियुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त	१४६	६६३
सचित्र उपाश्रय का अवग्रह लेने का निषेध	१२३	६५६	दीपकयुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त	१४७	६६३
संस्तारक ग्रहण विधि—६			अल्पज्ञों के रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त	१४८	६६४
आगन्तुक श्रमणों के शय्या संस्तारक की विधि	१२४	६५६	नित्य निवास का प्रायश्चित्त सूत्र	१४९	६६४
शय्या संस्तारक के ग्रहण की विधि	१२५	६५६	औद्देशिकादि शय्याओं में प्रवेश के प्रायश्चित्त सूत्र	१५०	६६४
निर्ग्रन्थों के कल्प्य आसन	१२६	६५७	घृणित कुलों में रहने का प्रायश्चित्त सूत्र	१५१	६६५
शय्या संस्तारक के लाने की विधि	१२७	६५७	निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र	१५२	६६५
शय्या संस्तारक की पुनः आज्ञा लेने की विधि	१२८	६५७	निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ में उपकरण रखने का प्रायश्चित्त सूत्र	१५३	६६५
शय्या संस्तारक के विछाने की विधि	१२९	६५७	स्वधर्मी निर्ग्रन्थ को आवास न देने का प्रायश्चित्त सूत्र	१५४	६६५
शय्या संस्तारक पर बैठने व शयन की विधि	१३०	६५८	स्वधर्मी निर्ग्रन्थी को आवास न देने का प्रायश्चित्त सूत्र	१५५	६६५
अन्य सांभोगिक को पीढ आदि के निमन्त्रण विधि	१३१	६५८	स्वजन आदि को उपाश्रय में रखने का प्रायश्चित्त सूत्र	१५६	६६५
सागारिक के शय्या संस्तारक की प्रत्यर्पण विधि	१३२	६५८	राजा के समीप ठहरने आदि का प्रायश्चित्त सूत्र	१५७	६६६
खोए हुए शय्या संस्तारक के अन्वेपण की विधि	१३३	६५८	वस्त्रैषणा—		
प्रतिलेखन किये बिना शय्या पर शयन करने वाला पाप श्रमण होता है	१३४	६५९	वस्त्रैषणा का स्वरूप—१		
अनुकूल और प्रतिकूल शय्यायें	१३५	६५९	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों की वस्त्रैषणा का स्वरूप	१५८	६६६
संस्तारक ग्रहण विधि निषेध—७			वस्त्र का प्रतिलेखन करने के बाद वस्त्र ग्रहण का विधान	१५९	६६६
कल्पनीय अकल्पनीय शय्या संस्तारक	१३६	६५९	हमन्त और ग्रीष्म में वस्त्र ग्रहण करने का विधान	१६०	६६७
शय्या संस्तारक ग्रहण का विधि-निषेध	१३७	६६०	प्रव्रज्या पर्याय के क्रम से वस्त्र ग्रहण का विधान	१६१	६६७
संस्तारक प्रत्यर्पण विधि-निषेध	१३८	६६०	निर्ग्रन्थ की वस्त्रैषणा विधि - १ (२)		
संस्तारक ग्रहण निषेध—८			निर्ग्रन्थों की वस्त्रैषणा विधि	१६२	६६७
निर्ग्रन्थियों के अकल्पनीय आसन	१३९	६६१	निर्ग्रन्थिनी की वस्त्रैषणा विधि—१ (३)		
दूसरी बार आज्ञा लिए बिना शय्या संस्तारक ग्रहण का निषेध	१४०	६६१	निर्ग्रन्थी की वस्त्रैषणा विधि	१६३	६६८
शय्या संस्तारक लौटाए बिना विहार करने का निषेध	१४१	६६१	निर्ग्रन्थी की वस्त्रावग्रह विधि	१६४	६६८
संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त—९			निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी की वस्त्रैषणा का निषेध—१ (४)		
शय्या संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र	१४२	६६२	औद्देशिकादि वस्त्र के ग्रहण का निषेध	१६५	६६९
सागारिक का शय्या संस्तारक बिना आज्ञा लेने का प्रायश्चित्त सूत्र	१४३	६६२			
शय्यैषणा विधि-निषेध प्रायश्चित्त—१०					
सुरायुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध व प्रायश्चित्त	१४४	६६३			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
श्रमणादि की गणना करके बनाया गया वस्त्र लेने का निषेध	१६६	६६६	अवग्रहानन्तकादि के ग्रहण का विधि-निषेध	१६२	६७६
अर्घ्ययोजन से आगे वस्त्रपणा के लिए जाने का निषेध	१६७	६६६	कृत्स्नाकृत्स्न वस्त्रों का विधि-निषेध	१६३	६७६
बहुमूल्य वस्त्रों के ग्रहण का निषेध	१६८	६७०	कृत्स्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	१६४	६७६
मत्स्य चर्मादि से निर्मित वस्त्रों के ग्रहण का निषेध	१६९	६७०	भिन्न-भिन्न वस्त्रों का विधि-निषेध	१६५	६७६
संकेत वचन से वस्त्र ग्रहण का निषेध	१७०	६७१	अभिन्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	१६६	६७६
अप्रामुक वस्त्र ग्रहण करने का निषेध	१७१	६७१	वस्त्र प्रक्षालन का निषेध ३		
परिकर्मकृत वस्त्र ग्रहण का निषेध	१७२	६७१	वस्त्र सुगन्धित करने का और धोने का निषेध	१६७	६८०
श्रमण के निमित्त प्रक्षालित वस्त्र के ग्रहण का निषेध	१७३	६७२	वस्त्र को सुगन्धित करने और धोने के प्रायश्चित्त सूत्र	१६८	६८०
कन्दादि निकालकर दिये जाने वाले वस्त्र के ग्रहण का निषेध	१७४	६७२	वस्त्र आतापन—४		
वर्षावास में वस्त्र ग्रहण का निषेध	१७५	६७२	विहित स्थानों पर वस्त्र सुन्नाने का विधान	१६९	६८२
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी वस्त्रपणा के विधि-निषेध—१ (५)			निषिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुन्नाने का निषेध	२००	६८२
रात्रि में वस्त्रादि ग्रहण का विधि-निषेध	१७६	६७३	निषिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुन्नाने के प्रायश्चित्त सूत्र	२०१	६८२
श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र लेने के विधि-निषेध	१७७	६७३	वस्त्र प्रत्यर्पण का विधि-निषेध—५		
क्रीतादि दोषयुक्त वस्त्र ग्रहण का विधि-निषेध	१७८	६७३	प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण करने में माया करने का निषेध	२०२	६८४
क्रीतादि दोषयुक्त वस्त्र ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	१७९	६७३	अपहरण के भय से वस्त्र के विवर्ण करने का निषेध	२०३	६८४
अतिरिक्त वस्त्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र	१८०	६७४	चोरों के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेध	२०४	६८५
वस्त्र धारण—२ (१)			चोरों से अपहरित वस्त्र के यात्रना का विधि-निषेध	२०५	६८५
वस्त्र धारण के कारण	१८१	६७४	वस्त्र के विवर्ण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२०६	६८५
एषणीय वस्त्र	१८२	६७४	चर्म सम्बन्धी विधि निषेध—६		
एषणीय वस्त्र धारण का विधान	१८३	६७५	सलोम चर्म के विधि-निषेध	२०७	६८५
निर्ग्रन्थ के वस्त्र धारण की विधि—२ (२)			सरोम चर्म के उपयोग का प्रायश्चित्त सूत्र	२०८	६८६
एक वस्त्रधारी भिक्षु	१८४	६७६	कृत्स्नाकृत्स्न चर्म का विधि-निषेध	२०९	६८६
दो वस्त्रधारी भिक्षु	१८५	६७६	अद्भण्ड चर्म धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२१०	६८६
तीन वस्त्रधारी भिक्षु	१८६	६७६	चिलमिली की विधि—७		
निर्ग्रन्थी की वस्त्र धारण की विधि—२ (३)			चिलमिली रखने का तथा उपयोग करने का विधान	२११	६८६
निर्ग्रन्थियों के चादरों का प्रमाण	१८७	६७७	चिलमिलिका के स्वयं निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२१२	६८६
निर्ग्रन्थी की साड़ी सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	१८८	६७७	चिलमिलिका के निर्माण कराने का प्रायश्चित्त सूत्र	२१३	६८७
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी वस्त्र धारण के विधि-निषेध—२ (४)			वस्त्रपणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त—८		
वस्त्र ग्रहण के विधि-निषेध	१८९	६७८	अन्यतीर्थिकादि को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त सूत्र	२१४	६८७
धारणीय-अधारणीय वस्त्र के प्रायश्चित्त सूत्र	१९०	६७८			
ज्ञाकुंचनपट्टग के ग्रहण का विधि-निषेध	१९१	६७८			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
अज्ञात वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२१५	६८७	क्रीतादि दोषयुक्त पात्र ग्रहण का विधि-निषेध	२४१	६६७
घृणित कुल से वस्त्रादि ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२१६	६८७	क्रीतादि दोषयुक्त पात्र ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र	२४२	६६७
मार्गादि में वस्त्र की याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२१७	६८८	पात्र के ग्रहण का विधि-निषेध	२४३	६६८
वस्त्र के लिए रहने के प्रायश्चित्त सूत्र	२१८	६८८	धारण करने योग्य और न धारण करने योग्य पात्र के प्रायश्चित्त सूत्र	२४४	६६८
सचेल अचेल के साथ रहने के प्रायश्चित्त सूत्र	२१९	६८८	अतिरिक्त पात्र देने का विधि-निषेध	२४५	६६८
गृहस्थ के वस्त्र उपयोग करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२२०	६८८	पात्र धारण विधि निषेध—६		
दीर्घसूत्र बनाने के प्रायश्चित्त सूत्र	२२१	६८८	सर्वन्त पात्र धारण विधान	२४६	६६९
भिक्षु की चादर सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	२२२	६८९	सर्वन्त पात्र धारण निषेध	२४७	६६९
वस्त्र परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र	२२३	६८९	घटिमात्रक धारण का विधान	२४८	६६९
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी के पात्रैषणा की विधि—१			घटिमात्रक धारण का निषेध	२४९	६६९
एषणीय पात्र	२२४	६९०	कल्पनीय पात्रों की संख्या	२५०	६६९
पात्र प्रतिलेखन के बाद पात्र ग्रहण करने का विधान	२२५	६९०	पात्र-आतापन के विधि-निषेध—७		
स्थविर के निमित्त लाये गये पात्रादि की विधि	२२६	६९०	विहित स्थानों पर पात्र सुखाने का विधान	२५१	७००
अतिरिक्त पात्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र	२२७	६९१	निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुखाने का निषेध	२५२	७००
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी के पात्रैषणा का निषेध—२			निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुखाने के प्रायश्चित्त सूत्र	२५३	७००
औद्देशिकादि पात्र के ग्रहण का निषेध	२२८	६९१	पात्र-प्रत्यर्पण का विधि-निषेध—८		
श्रमणादि की गणना करके बनाया गया पात्र लेने का निषेध	२२९	६९२	प्रातिहारिक पात्र ग्रहण करने में माया करने का निषेध	२५४	७०१
आधे योजन की मर्यादा के आगे पात्र के लिए जाने का निषेध	२३०	६९२	पात्र के विवर्ण आदि करने का निषेध	२५५	७०२
पात्र हेतु आधे योजन की मर्यादा भंग करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२३१	६९२	पात्र का वर्ण परिवर्तन करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२५६	७०२
बहुमूल्य वाले पात्र ग्रहण करने का निषेध	२३२	६९२	चोरों के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेध	२५७	७०३
निषिद्ध पात्र के प्रायश्चित्त सूत्र	२३३	६९३	चोरों से आहारित पात्र के याचना का विधि-निषेध	२५८	७०३
संकेत वचन के पात्र ग्रहण का निषेध	२३४	६९४	पात्र परिकर्म का निषेध—९		
अप्रासुक पात्र-ग्रहण करने के निषेध	२३५	६९४	पात्र के परिकर्म का निषेध	२५९	७०३
पारिकर्मकृत पात्र-ग्रहण का निषेध	२३६	६९४	पात्र परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२६०	७०४
श्रमण के निमित्त प्रक्षालित पात्र के ग्रहण का निषेध	२३७	६९५	पात्र का स्वयं परिष्कार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२६१	७०५
कन्दादि निकालकर दिये जाने वाले पात्र के ग्रहण का निषेध	२३८	६९६	पात्र के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	२६२	७०५
औद्देशिक पान-भोजन सहित पात्र ग्रहण का निषेध	२३९	६९६	पात्र को कोरने का प्रायश्चित्त सूत्र	२६३	७०५
निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थिनी पात्रैषणा के विधि-निषेध—३			पात्र सन्धान-वन्धन के प्रायश्चित्त सूत्र	२६४	७०६
श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित पात्र लेने के विधि-निषेध	२४०	६९७	पात्रैषणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त—१०		
			पात्र से त्रस प्राणी आदि निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र	२६५	७०६
			पात्र के लिए निवास करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२६६	७०७
			मार्ग-मार्गकर याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२६७	७०७
			निजगादि गवेषित पात्र रखने के प्रायश्चित्त सूत्र	२६८	७०७

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
पायपुंछण एषणा—			स्यण्डिल की चौमंगी	२६४	७२०
काष्ठदण्ड वाले पादप्रौंछन का विधि-निषेध	२६६	७०८	दस लक्षण युक्त स्यण्डिल में परठने का विधान	२६५	७२०
काष्ठदण्ड वाले पादप्रौंछन के प्रायश्चित्त सूत्र	२७०	७०६	उच्चार-प्रस्रवण भूमि के प्रतिलेखन का विधान	२६६	७२१
पादप्रौंछन के न लौटाने का प्रायश्चित्त सूत्र	२७१	७०६	मल मूत्र की प्रस्रवण बाधा होने पर करने की विधि	२६७	७२१
रजोहरण एषणा—			मल-मूत्रादि को परठने की विधि	२६८	७२१
एषणीय रजोहरण	२७२	७१०	श्रमण के मृत शरीर को परठने की और उप-करणों को ग्रहण करने की विधि	२६९	७२१
रजोहरण मन्त्रन्धी प्रायश्चित्त सूत्र	२७३	७१०	परिष्ठापना का निषेध—२		
गोच्छकादि के वितरण का विवेक	२७४	७११	उद्देशिक आदि स्यण्डिल में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध	३००	७२२
(४) आदान-निक्षेप समिति का स्वरूप—१			परिकर्म किये हुए स्यण्डिल में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध	३०१	७२२
आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा ममिति का स्वरूप	२७५	७१२	विभिन्न स्थानों में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध	३०२	७२३
उपकरण धारण के कारण	२७६	७१२	परिष्ठापना के विधि निषेध—३		
सर्व भण्डोपकरण महित गमन विधि	२७७	७१२	प्राप्तुक-अप्राप्तुक स्यण्डिल में परठने का विधि-निषेध	३०३	७२५
उपकरण अवग्रह-ग्रहण विधान	२७८	७१३	श्रमण-ब्राह्मण के उद्देश्य से बनी स्यण्डिल में परठने का विधि-निषेध	३०४	७२५
एकाकी स्यविर के भण्डोपकरण और उनके आदान-निक्षेपण की विधि	२७९	७१४	निषिद्ध परिष्ठापना सम्बन्धी प्रायश्चित्त—४		
दण्डादि के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	२८०	७१४	निषिद्ध स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण परिष्ठापन के प्रायश्चित्त सूत्र	३०५	७२६
दण्डादि के परठने का प्रायश्चित्त सूत्र	२८१	७१४	अन्यतीयिकादि के साथ स्यण्डिल जाने का प्रायश्चित्त सूत्र	३०६	७२८
अतिरिक्त उपधि रखने का प्रायश्चित्त सूत्र	२८२	७१४	आवृत स्थान में मल-मूत्र परठने जाने का प्रायश्चित्त सूत्र	३०७	७२८
उपकरण का प्रतिलेखन—२			उच्चार-प्रस्रवण भूमि के प्रतिलेखन न करने के प्रायश्चित्त सूत्र	३०८	७२९
शय्या मंस्तारक आदि प्रतिलेखन विधान	२८३	७१५	अविधि से मल-मूत्रादि परठने का प्रायश्चित्त सूत्र	३०९	७२९
उपधि को उपयोग में लेने की विधि	२८४	७१५	स्यण्डिल समाचारी के पालन नहीं करने के प्रायश्चित्त सूत्र	३१०	७२९
अप्रमाद-प्रमाद प्रतिलेखन के प्रकार	२८५	७१५	गुप्ति—		
प्रतिलेखना में प्रमत्त पाप श्रमण	२८६	७१६	गुप्ति-अगुप्ति—१		
उपधि अप्रतिलेखन का प्रायश्चित्त सूत्र	२८७	७१६	गुप्ति का स्वरूप	३११	७३०
उपकरण का प्रत्यर्पण एवं प्रत्याख्यान—३			त्रिगुप्ति संयत	३१२	७३०
प्रातिहारिक सूई आदि के प्रत्यर्पण की विधि	२८८	७१७	गुप्ति तथा अगुप्ति के प्रकार	३१३	७३०
अविधि से सूई आदि के प्रत्यर्पण करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२८९	७१७			
निश्चित काल में दण्डादि के न लौटाने के प्रायश्चित्त सूत्र	२९०	७१७			
उपधि प्रत्याख्यान का फल	२९१	७१८			
पतित या विस्मृत उपकरण की एषणा	२९२	७१८			
(५) उच्चार-प्रस्रवण निक्षेप समिति—					
परिष्ठापना की विधि—१					
परिष्ठापना ममिति का स्वरूप	२९३	७२०			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	सूत्रांक	पृष्ठांक
मन गुप्ति—२			वचन गुप्त के कृत्य	३२६ ७३४
मन गुप्ति का स्वरूप	३१४	७३०	वचन गुप्ति का प्ररूपण	३२७ ७३४
चार प्रकार की मन-गुप्ति	३१५	७३१	वचन गुप्ति का फल	३२८ ७३४
मन को दुष्ट अश्व की उपमा	३१६	७३१	वचन-समाधारणा का फल	३२९ ७३५
दस चित्त समाधिस्थान	३१७	७३१	काय-गुप्ति—४	
व्याकुल चित्तवृत्ति वाले के दुष्कृत्य	३१८	७३२	कायगुप्ति का स्वरूप	३३० ७३५
दस प्रकार की समाधि	३१९	७३३	कायगुप्ति के अनेक प्रकार	३३१ ७३५
दस प्रकार की असमाधि	३२०	७३३	कायगुप्ति का महत्व	३३२ ७३५
मन को वश में करने का फल	३२१	७३३	कायगुप्ति का फल	३३३ ७३६
मन समाधारणा का फल	३२२	७३३	काय समाधारणा का फल	३३४ ७३६
मन की एकाग्रता का फल	३२३	७३४	इन्द्रियनिग्रह का फल	३३५ ७३६
वचन-गुप्ति—३			अप्रमत्त मुनि के अध्यवसाय	३३६ ७३७
वचन गुप्ति का स्वरूप	३२४	७३४	कायदण्ड का निषेध	३३७ ७३८
चार प्रकार की वचन गुप्ति	३२५	७३४	अस्थिरासन वाला पाप श्रमण है	३३८ ७३८

परिशिष्ट नं० १

अवशिष्ट पाठों का विषयानुक्रम से संकलन—	सूत्रांक	पृष्ठांक	पृष्ठांक
सूत्रांक पृष्ठांक			
२० (क) १५ भगवान की धर्म देशना	७३९	६२३ ४१८	आकार करने का प्रायश्चित्त सूत्र ७४५
७० (क) ५१ निर्ग्रन्थों का आचार धर्म	७३९	६२६ ४२०	अंग संचालन का प्रायश्चित्त सूत्र ७४५
८४ (ख) ५६ ज्ञान की उत्पत्ति अनुत्पत्ति के कारण	७४०		मैथुन के संकल्प से वस्त्र निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र ७४५
२६२ (ख) १६५ अन्यतीर्थिकों की दर्शन प्रज्ञापना	७४१	६३६ ४२३	अकेली स्त्री के साथ रहने के प्रायश्चित्त सूत्र ७४७
४५८ (ख) ३२२ ब्रह्मचर्य के अनुकूल ज्ञान	७४२		राजा और उनकी रानियों को देखने के प्रायश्चित्त सूत्र ७४८
६१७ (ख) ४१४ सचित्त पृथ्वी आदि पर निषेधा करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७४२	७१० (ख) ४६२	गाम रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र ७४९
अंक पत्यंक में निषेधादि करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७४३	७२२ (ख) ४६६	राज्य रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र ७४९
धर्मशाला आदि में निषेधादि करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७४३	७२२ (ग) ४६६	भिक्षु के पाँच महाव्रतों का पालन ७४९
पुद्गल प्रक्षेपणादि के प्रायश्चित्त सूत्र	७४४	७२५ (घ) ४७४	बाहर गये हुए राजा के आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र ७४९
पशु पक्षियों के अंग संचालनादि के प्रायश्चित्त सूत्र	७४४	६४२ (ख) ५६२	औषध सम्बन्धी क्रीतादि दोषों के प्रायश्चित्त सूत्र ७५०
भक्त पान आदि के आदान-प्रदान करने के प्रायश्चित्त सूत्र	७४४	६११ (ख) ५६०	
वाचना देने लेने के प्रायश्चित्त सूत्र	७४५		

॥ पाणायारो ॥

काले विषये बहुमणे,
उत्तमानी तह्य अपिण्हवणी ।
वज्रण - अत्थ - बहुभाए,
अदूरविधी पाणमायारो ॥

—निगीयमाय, भाग १, गा. ५—

च र णा नु यो ग

[ज्ञा ना ना र]

१२३४५६७८९१०१११२

अर्हम्

नमोऽर्ह्युणं समणस्स भगवओ वड्ढमाणस्स

मंगल सुत्ताणि

मंगल सूत्र

णमोक्कार सुत्तं—

१. नमो अरिहंताणं^१
नमो सिद्धाणं,
नमो आयरियाणं,
नमो उवज्जायाणं,
नमो लोए सव्वसाहूणं,^२

—वि. स. १, उ. १, सु. १

णमोक्कारमंत महत्तं—

- एसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वोसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

—आव. अ. १ सु. १

पंचपदवंदण सुत्तं—

२. नमिअण असुर-सुर-गरुल-भुयंग-परिवदिए ।
गयकिलेसे अरिहे सिद्धायरिए उवज्जाए सव्वसाहूणं ॥

—चंद. गा. २

मंगल सुत्तं—

३. चत्तारि मंगलं,
अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं,
साहू मंगलं, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो मंगलं ।

उत्तम सुत्तं—

- चत्तारि लोगुत्तमा,
अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

शरण सुत्तं—

- चत्तारि शरणं पवज्जामि,
अरिहंते शरणं पवज्जामि,

नमस्कार सूत्र—

१. अरिहन्तो को नमस्कार हो,
सिद्धों को नमस्कार हो,
आचार्यों को नमस्कार हो,
उपाध्यायों को नमस्कार हो,
लोक में समस्त साधुओं को नमस्कार हो ।

नमस्कार मन्त्रं महत्त्वं—

ये पाँच नमस्कार, सब पापों का नाश करने वाले हैं, और
सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है ।

पंचपदवन्दन सूत्र—

२. असुर-सुर गरुड़ और नागकुमारों से वन्दित, क्लेश
रहित अरिहन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय और सर्व साधुओं का
नमस्कार कर के (चरणानुयोग) आरम्भ किया जा रहा है ।

मंगल सूत्र—

३. चार मंगल हैं,
अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं,
साधु मंगल हैं, केवली का कहा हुआ धर्म मंगल है ।

उत्तम सूत्र—

चार लोक में उत्तम हैं,
अरिहंत लोक में उत्तम हैं, सिद्ध लोक में उत्तम हैं,
साधु लोक में उत्तम हैं, केवली का कहा हुआ धर्म लोक में
उत्तम है ।

शरण सूत्र—

चार की शरण ग्रहण करता हूँ,
अरिहंतों की शरण ग्रहण करता हूँ,

१ (क) जंबु. व. १, सु. १

(ख) सू. पा. १, सु. १

(ग) चन्द. पा. १, सु. १

२ आव. अ. १ सु. १

कुंथुं अरं च मल्लिं, वंदे मुणिसुव्वयं नमिजिणं च ।
वंदामि रिट्ठनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥

एवं मए अभियुआ, विहय-रयमला, पहीण-जर-मरणा ।
चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा से पसीयंतु ॥

कित्थिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।
आरुगवोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दित्तुं ॥

चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।
सागर-वर-गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥

—आव. अ. २, सु. ३-६

महावीरवन्दनं सुत्ताणि—

६. जयइ जग-जीव-जोणी, वियाणओ जगगुरु जगणंदो ।
जगनाहो जगवंधू, जयइ जगप्पियामहो भयवं ॥
जयइ सुआणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ ।
जयइ गुरु लोगणं, जयइ महप्पा महावीरो ॥
भद्वं सव्व जगुज्जोयगस्स, भद्वं जिणस्स वीरस्स ।
भद्वं सुरासुरनमसियस्स, भद्वं धुयकम्म-रयस्स ॥

—न. थ. गा. १-३

चवगय जर-मरण-भए, सिद्धे अभिवंदिऊण तिविहेणं ।
वंदामि जिणवरिंदं, तेलोक्क-गुरुं महावीरं ॥

—पण्ण. पद. १, गा. १

वीरवरस्स भगवओ जर-मरण-किल्लेसदोसरहियस्स ।
वंदामि विणयपणओ सोक्खुप्पाए सया पाए ॥१॥

—सूर. पा. २०, सु. १०७, गा. ६

जयइ णवणलिणकुवलथवियसियसयवत्तपत्तलदलच्छो ।
वीरो गयंदमयगलसललियगयविककमो भयवं ॥

—चव. गा. १

सिरि वीरत्थुई—

७. पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य, अगारिणो या पर-तित्थिया य ।
से केइ णंगंतहियं धम्ममाहु, अणेलिसं साहु-समिक्खयाए ॥

श्री कुन्थुनाथ, अरनाथ, भगवती मल्ली, मुनिसुव्वत एवं राग द्वेष के विजेता नमिनाथ जी को वन्दन करता हूँ। इसी प्रकार अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, अन्तिम तीर्थकर वद्धमाण (महावीर) स्वामी को नमस्कार करता हूँ।

जिनकी मैंने इस प्रकार स्तुति की है, जो कर्मरूप धूल तथा मल से रहित हैं, जो जरा-मरण दोषों से सर्वथा मुक्त हैं, वे अन्तःशत्रुओं पर विजय पाने वाले धर्म प्रवर्तक चौबीस तीर्थकर मुझ पर प्रसन्न हों।

जिनकी (इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यों ने) कीर्ति की है, वन्दना की है, भाव से पूजा की है, और जो अखिल संसार में सबसे उत्तम हैं, वे सिद्ध-तीर्थकर भगवान मुझे आरोग्य अर्थात् आत्मशान्ति, बोधि—सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय का पूर्ण लाभ तथा उत्तम समाधि प्रदान करें।

जो अनेक कोटा-कोटि चन्द्रमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो महासमुद्र से भी अधिक गंभीर हैं, वे (तीर्थकर) सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, अर्थात् उनके आलम्बन से मुझे सिद्धि—मोक्ष प्राप्त हो।

महावीर वन्दन सूत्र—

६. जगत् की जीव योनियों के ज्ञाता जगद्गुरु जगदानन्द जगद्वन्धु जगन्नाथ जगत् पितामह भगवान जयवन्त हैं।

श्रुत के उत्पत्ति स्थान, लोक के गुरु, अन्तिम तीर्थकर महात्मा महावीर जयवन्त हैं।

कर्मरज रहित, सुरासुर अभिवन्दित, सर्वजगद्योतक वीर जिन कल्याणकारी हों।

जन्म, जरा, मरण के भय से रहित सिद्धों को वन्दना करके त्रैलोक्य गुरु जिनेन्द्र भगवान महावीर की वन्दना करता हूँ।

जरा, मरण, क्लेश, द्वेष रहित वीरवर भगवान महावीर के सदा सुखदायी पैरों में विनयपूर्वक नमस्कार उन्हें वन्दना करता हूँ।

नवीन विकसे हुए नलिन, नीलोत्पल, सौ पांखडी वाले, कमल समान दीर्घ मनोहर नेत्रों वाले और अपनी लीला सहित जाता हुआ गजेन्द्र समान गति वाले श्रमण भगवान महावीर रागादि शत्रुओं को निविघ्न जीतते हैं।

श्री वीर-स्तुति—

७. श्रमण-माहण, गृहस्थ और अन्य संघानुयायियों ने पूछा कि जिसने साधु समीक्षापूर्वक अन्य धर्मों से भिन्न हितकारी धर्म कहा है, वह कौन है ?

कहं च नाणं कहं दंसण से, सीलं कहं नाय-सुयस्स आसी ? ।
जाणासि णं भिक्खु ! जहातहेणं, अहासुयं बूहि जहा णिसंतं ॥

खेयन्नए से कुसले महेसी, अणंतनाणी य अणंतदंसी ।
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं च धिइं च पेहि ॥

उड्ढं अहे यं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
से णिच्च-णिच्चोहं समिक्खपन्ने, दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥

से सव्वदंसी अभिभूयनाणी, निरामगंधे धिइमं ठियप्पा ।
अणुत्तरे सव्व-जगंसि विज्जं, गंथा अतीते अमए अणाळ ॥

से भूइपण्णे अणिएअचारी, ओहंतरे धीरे अणंत-चक्खू ।
अणुत्तरे तप्पड सूरिए वा, वइरोयणिदे व तमं पगासे ॥

अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, नेया म्हुणी कासव आसुपन्ने ।
इंदे व देवाण महाणुभावे, सहस्सनेता दिवि णं विसिट्ठे ॥

से पन्नया अक्खय-सायरे वा, महोदही वा वि अणंतपारे ।
अणाडले वा अकसाइ मुक्के, सक्के व देवाहिवई जुइमं ॥

मे वीरिएणं पडिपुण्णवीरिए, सुदंसणे वा नग-सव्व-सेट्ठे ।
सुरालए वासि-मुदागरे से, विरायए णेग-गुणोववेए ॥

सयं सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडग-वेजयंते ।
से जोयणे णवणवए सहस्से, उड्ढस्सितो हेट्ठ सहस्समेगं ॥

पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि-वट्ठिए, जं सूरिया अणुपरिवट्ठयंति ।
से हेमवन्ने यहुनंदणे य, जंसी रति वेदयंती महिदा ।

से पव्वए सद्ध-महप्पगासे, विरायती कंचण-मट्ठ-वण्णे ।
अणुत्तरे गिरिसु य पव्व-दुग्गे, गिरीवरे से जलिए व भोमे ॥

महोइ मज्झंमि ठिए णंगिदे, पन्नायते सूरिया-मुट्ठ-लेसे ।
एवं सिरिए उ स भूरि-वन्ने, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ॥

हे भिक्षु ! उस जातपुत्र का ज्ञान-दर्शन और शील-आचार क्या हैं ? यह आप जानते हैं इसलिए यथाश्रुत, यथा अवधारित जो हो वह यथातथ्य कहें ।

वे महर्षि खेदज प्राणियों के खेद—दुःख के जाता, कुशल—कर्म रूप कुश के लुनने-छेदने में निपुण, आणुप्रज, अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शी (अतीत में) चक्षुष्य में स्थित थे, हे जिजासु ! उनके धर्म को जानो और उनके धर्म को देखो ।

ऊर्ध्वं अधो और तिर्यक् दिशाओं में स्थित जो प्राणी हैं उन्हें नित्यानित्य द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय से सम्यक् प्रकार देखकर उस प्राज ने समभाव से द्वीप समान आधारभूत धर्म कहा है ।

वे सर्वदर्शी महावीर अभिभूतज्ञानी—अन्य जानियों से अधिक ज्ञानी, निरामगन्ध—निर्दोष चारित्र वाले, धर्मवान्, स्थितात्मा, इस जगत् में अनुत्तर प्रधान विद्वान् निर्ग्रन्थ अनायु—आयुर्कर्म के बन्ध से रहित थे ।

वे महावीर भूतिप्रज-सर्वज, अनियतचारी-स्वेच्छाविहारी, ओषंतर-संसार समुद्र से उत्तीर्ण, सर्वदर्शी, सूर्यसम सर्वाधिक तेजस्वी, वेरोचनेन्द्र-अग्निसम अन्धकार का नाश करने वाले थे ।

जिस प्रकार स्वर्ग में महानुभाव इन्द्र सहस्र देव समूह का विशिष्ट नेता है, उसी प्रकार आणुप्रज काश्यप गोत्री भगवान् महावीर ऋषभादि प्रजप्त इस अनुत्तर धर्म के नेता थे ।

वे महावीर सागर सम अक्षय, महोदधि सम अपार प्रजा वाले थे । वे अकुटिल, अकपाय, मुक्त और देवाधिपति सम द्युतिमान थे ।

वे महावीर वीर्य-शक्ति से प्रतिपूर्ण वीर्य, सर्वपर्वत श्रेष्ठ मेरु सम सुदर्शन सुरालयवासियों के मोदवर्धक और अनेक गुण-युक्त विराजमान थे ।

वह मेरु तीन काण्ड एवं पाण्डुक वनरूप वंजयन्ती-युत सी हजार (एक लाख) योजन का है । निन्यानवे हजार योजन भूमि से ऊँचा है और एक हजार योजन भूमि में नीचे है ।

वह नन्दन वन युत हेमवर्ण मेरु भू-पर स्थित होते हुए भी नभ का स्पर्श करता है । सूर्य उसकी परिक्रमा करते हैं और महेन्द्र उस पर बैठकर आनन्द का अनुभव करते हैं ।

वह मेरु पर्वतों में श्रेष्ठ, प्रधान दुर्गम पर्वत है तथा वह पृथ्वी पर दैदीप्यमान मणि एवं स्वर्णसम द्युतिमान शुद्ध वर्ण-वाला अनेक नामों से प्रसिद्ध है ।

वह नगेन्द्र विविध वर्णों से सुशोभित सूर्य सम शुद्ध मनोहर कान्तियुक्त सर्व दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है ।

सुदस्सणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चइ महतो पव्वयस्स ।
एतोवमे समणे नाय-पुत्ते, जाई-जसो-दंसण-नाण-सीले ॥

गिरीवरे वा निसहाययाणं, ह्यए व सेट्ठे वलयायताणं ।
तओवमे से जग-भूइ-पन्ने, मुणीण मज्जे तमुदाहु पन्ने ॥

अणुत्तरं धम्ममुईरइत्ता, अणुत्तरं ज्ञाणवरं झियाई ।
सुसुक्कसुक्कं, अपगंड-सुक्कं, संखेंदु-एगंतवदात-सुक्कं ॥

अणुत्तरगं परमं महेसी, असेस-कम्मं स विसोहइत्ता ।
सिद्धिगते साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण ॥

रूक्खेसु णाए जह सामली वा, जंसी रतिं वेदयंति सुवन्ना ।
वणेसु वा नंदणमाहु सेट्ठं, नाणेण सीलेण य भूइपन्ने ॥

थणियं य सद्दाण अणुत्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभावे ।
गंधेसु वा चंदणमाहु सेट्ठं, एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु ॥

जहा सयंभू उदहीणसेट्ठे, नागेसु वा धरणिंदमाहु सेट्ठे ।
खोओदए वा रस-वेजयंते, तवोवहाणे मुणि वेजयंते ॥

हत्थीसु एरावणमाहु णाए, सीहो मियाणं सलिलाण गंगा ।
पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवे, निव्वाणवादीणिह नायपुत्ते ॥

जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरविंदमाहु ।
खत्तीण सेट्ठे जह दंत-वक्के, इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे ॥

दाणाण सेट्ठं अभय-प्पयाणं, सच्चेसु वा अणवज्जं वयंति ।
तवेसु वा उत्तम-बंधेचरं, लोगुत्तमे समणे णायपुत्ते ॥

ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेट्ठा ।
निव्वाण-सेट्ठा जह सव्व-धम्मा, न णायपुत्ता परमत्थि णाणी ॥

पुढोवमे धुणई विगयगेही, न सण्णिहं कुव्वई आसुपन्ने ।
तरिउं समुद्धं व महाभवोद्धं, अभयंकरे वीर अणंतचक्खू ॥

यह महापर्वत सुदर्शन गिरि का यश कहा है । ज्ञातपुत्र भगवान महावीर श्रमण के ज्ञान, दर्शन, शील, जाति और यश को इस (मेरु) की उपमा दी जाती है ।

आयत्त गिरिवरों में जैसे निपद्यगिरि और वतुल पर्वतों में जैसे रुक्क पर्वत श्रेष्ठ हैं वैसे ही श्रेष्ठ प्रज्ञ भ० महावीर मुनियों के मध्य में श्रेष्ठ हैं ।

भ० महावीर सर्वोत्तम धर्म कहकर शंख, इन्दु और निर्दोष शुक्ल वस्तु के समान सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान करते थे ।

महर्षि महावीर ज्ञान दर्शन और शील से अज्ञेय कर्मों का शोधन करके सर्वोत्तम सादि अनन्त सिद्धि गति को प्राप्त हुए हैं ।

जिस प्रकार वृक्षों में सुपर्ण देवों का क्रीड़ा स्थल शाल्मली वृक्ष और वनों में नन्दन वन श्रेष्ठ हैं । उसी प्रकार ज्ञान और शील में श्रेष्ठ प्रज्ञ भ० महावीर श्रेष्ठ हैं ।

शब्दों में मेघगर्जन, ताराओं में महानुभाव चन्द्र और गन्ध पदार्थों में चन्दन के समान अप्रतिज्ञ-कामना रहित भ० महावीर श्रेष्ठ माने गये हैं ।

समुद्रों में स्वयंभूरमण, नागकुमारों में धरणेन्द्र और रसों में इक्षुरस के समान तपस्वियों में उपधान तपःप्रधान भ० महावीर हैं ।

हाथियों में एरावण, मृगों में सिंह, नदियों में गंगा और पक्षियों में वेणुदेव गरुड़ के समान निर्वाणवादियों में ज्ञातपुत्र भगवान महावीर हैं ।

योद्धाओं में विश्वसेन, पुष्पों में अरविन्द और क्षत्रियों में दन्तवक्र के समान ऋषियों में वर्धमान श्रेष्ठ हैं ।

दानों में अभयदान, सत्त्यों में अनवद्य सत्य, तपों में उत्तम ब्रह्मचर्य के समान, लोकोत्तम ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर श्रेष्ठ हैं ।

स्थितियों में लवसत्तमा स्थिति, सभाओं में सुधर्मा सभा, और धर्मों में निर्वाण धर्म से अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है । उसी प्रकार ज्ञातपुत्र भगवान महावीर से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है ।

साधकों के लिए भगवान महावीर पृथ्वी के समान आधारभूत हैं, गृद्धि रहित वे भगवान महावीर संचय नहीं करते हैं, आशुप्रज्ञ भगवान महावीर समुद्र के समान संसार समुद्र को तिर चुके हैं और अभयंकर भगवान महावीर अनन्त ज्ञानी हैं ।

कोहं च मार्गं च तहेव मायं, लोभ चञ्जत्यं अज्जत्य-दोसा ।
एमाणि वंता अरहा महेसी, न कुव्वई पावं न कारवेइ ॥

किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं ।
से सच्च-वायं इइ वेयइत्ता, उवट्ठिए संजम दीह-रायं ॥

से चारिया इत्थि सराइभत्तं, उवहाणवं दुक्ख खयट्ठयाए ।
लोगं विदित्ता आरं परं च, सच्चं पभू चारिय सच्च वारं ॥

सोच्चा य धम्मं अरिहंतभासियं, समाहियं अट्ठपओवसुद्धं ।
तं सच्चहाणा य जणा अणाऊ, इंदा व देवाहिवइ आगमिस्संति ॥

—नूय. सु. १, अ. ६ गा. १-२६

वीर-सासन थुई—

८. निच्चुइ-पह-सासनयं जयइ, सया सच्चभावदेसनयं ।
कुसमय-भय-नासनयं, जिणिंद वर-वीर-सासनयं ॥

—नं. थ. गा. २

गणहर वंदण सुत्तं—

६. णमो गोयमाईणं गणहराणं

—वि. अंतिमसुत्तं

गणहरणामाणि—

१०. पटमित्त्य इंदभूई, वीए पुण होई अग्गिभूइ त्ति ।
तइए य वाउभूई, तओ वियत्ते सुहम्मे य ॥
मंठिय-मोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयत्तभाया य ।
मेयज्जे य पहासे, गणहरा हुंति वीरस्स ॥

—नं. थ. गा. २०-२१

संघस्स थुई—

११. तच्च नियम विणयवेलो जयइ सया नाणविमलविउलजलो ।
हेउसयविउलवेगो संघस्समुद्धो गुणविसालो ॥

—वि. स. ४१, उ. १६६, गा. २

संघ वंदण सुत्तं—

१२. (१) संघस्स णगरोवमा—

गुण-भवण-गहण ! सुय-रयण-भरिय ! वंसण-विसुद्ध रत्थागा ! ।
संघ-नगर ! भद्धं ते अखण्टचरित्तपागारा ! ॥

(२) संघस्स चक्रोवमा—

संनय-तव-तुंवारयस्स नभो सम्मत्तपारियल्लस्स ।
अप्यटिचक्कस्स जओ होउ सया संघचक्रस्स ॥

क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार अध्यात्म दोषों का वमन—त्याग कर अर्हत् महिपि महावीर न स्वयं पाप करते हैं और न पाप करवाते हैं ।

भगवान महावीर, अक्रिया, विनय और अज्ञानवादियों के पक्ष एवं वादों को जानकर दीर्घरात्र-यावज्जीवन-संयम-साधना के लिए उपस्थित हुए हैं ।

इहलोक और परलोक को जानकर दुःख क्षय के लिए उपधानवान् प्रभु ने रात्रिभोजन, स्त्री और सर्व वार-पापों का परित्याग कर दिया है ।

श्री अरिहन्तदेव द्वारा भाषित, सम्यक् रूप से उक्त युक्तियों और हेतुओं से अथवा अर्थों और पदों से शुद्ध (निर्दोष) धर्म को सुनकर उस पर श्रद्धा (श्रद्धापूर्वक सम्यक् आचरण) करने वाले व्यक्ति आयुष्य (कर्म) से रहित—मुक्त हो जायेंगे, अथवा इन्द्रों की तरह देवों का आधिपत्य प्राप्त करेंगे ।

वीर शासन स्तुति—

निवृत्ति मार्ग का शासक, सर्व भाव-पदार्थों का उपदेशक, कुसमय सिद्धान्त मद का नाशक जिनेन्द्रवर भगवान महावीर का शासन सदा जयवन्त हो ।

गणधर वन्दन सूत्र :

गणधर गीतमादि को नमस्कार हो ।

गणधर नाम :

प्रथम इन्द्रभूति, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थ व्यक्त, पंचम मुधर्मा, षष्ठ मंडितपुत्र, सप्तम मौर्यपुत्र, अष्टम अकंपित, नवम अचलभ्राता, दशम मैतार्य, एकादशम प्रभास, ये भगवान महावीर के गणधर हैं ।

संघ स्तुति :

तप, नियम और विनयरूप वेला भरतीवाले, निर्मल ज्ञानरूप पानी वाले सैकड़ों हेतु रूप त्रिपुल वेग वाले और गुण से विशाल ऐसे संघसमुद्र की जय हो ।

संघ वन्दन सूत्र :

(१) संघ को नगर की उपमा—

गुणरूप भवनों के गहन ! श्रुतरूप रत्नों से भरे हुए ! विणुद्ध दर्शन—श्रद्धारूप ! रथ्या-गलियों वाले और अखण्ड चारित्ररूप प्राकार वाले हे संघ नगर ! “तू कल्याणकारी है ।”

(२) संघ को चक्र की उपमा—

संयम रूप तंब-नाभि, तप रूप अर, सम्यक्त्वरूप परिकर और प्रतिचक्र-विरोधपक्ष-रहित “संघ-चक्र” की सदा जय हो ।

(३) संघस्स रहोवमा—

भद्दं सील-पडागूसियस्स तव-नियमं-तुरयं-जुल्लस्स ।
संघरहस्स भगवओ सज्जायं-मुनिदिघोसस्स ।

(४) संघस्स पउमोवमा—

कम्म-रय-जलोह-विणिग्गयस्स सुयं-रयणं-दीहं-नालस्स ।
पंच-महव्वय-थिर-कण्णियस्स गुण-केसरालस्स ॥
सावग-जण-महुअर-परिवुडस्स जिण-सूर-तेयं-बुद्धस्स ।
संघ-पउमस्स भद्दं समण-गणं-सहस्सं-पत्तस्स ।

(५) संघस्स चंदोवमा—

तव-संजम-मय-लंछण ! अकिरिय-राहु-मुह-दुद्धरिस्स ! गिच्चं ।
जय संघचंद ! निम्मल सम्मत्तविंसुद्धजोण्हांगा ! ॥

(६) संघस्स सूरौवमा—

पर-तित्थिय-गह पह-नासगस्स तव-तेय-दित्त-लेसस्स ।
नाणुज्जोयस्स जए भद्दं दम-संघ-सुरस्स ॥

(७) संघस्स समुद्धोवमा—

भद्दं ! धिइवेलापारिगयस्स सज्जायं-जोग-मगरस्स ।
अक्खोहस्स भगवओ संघसमुद्धस्स रुद्धस्स ॥

(८) संघस्स मेरुवमा—

सम्मददंसण - वर - वइरदढ - रूढ - गाढावगाढ - पेढस्स ।
धम्म - वर - रयण - मंडियचामीयर - मेहलांगस्स ॥
नियमूसिय - कणय - सिलायलुज्जल - जलंत - चित्तकूडस्स ।
नंदण - वण - मणहर सुरभि - सील - गंधुद्धुभायस्स ॥

जीव - दया - सुन्दर - कंदरुद्धरिय - मुणिवर-भइद-इन्नस्स ।
हेउ - सय - धाउ - पगलंत - रयण - दित्तोसहिगुहस्स ॥

संवर-वर - जल - पगलिय - उज्झर - पविरायमाण - हारस्स ।
सावग - जण - पउर - - रवंत - मोर - नच्चंत - कुहरस्स ॥

विणय - नयप्पवरं-मुणिवर - फुरंत - विज्जुज्जलंत - सिहरस्स ।
विविह-गुण-कप्प-खखग - फल - भर - कुसुमाउल - वणस्स ॥

नाण-वर-रयण - दिप्पंत - कंत - वेरुलिय - विमल - चूलस्स ।
वंदाभि विणय - पणओ संघ - सहामन्दर - गिरिस्स ॥

(३) संघ की रथ की उपमा—

तप-नियमरूप तरंगों से युक्त, शीलरूप पताका से उन्नत और स्वाध्याय रूप नदि-मंगलघोष वाला भगवान "संघ-रथ" कल्याणप्रद है ।

(४) संघ को कमल की उपमा—

श्रुत-रत्नरूप दीर्घ नाल वाले, कर्म-रज रूप जल से बाहर निकले हुए पंचमंहाव्रत रूप स्थिर कणिका वाले, गुण रूप केसर वाले, श्रावक जनरूप मधुकरों से घिरे हुए जिनरूप सूर्य के तेज से बुद्ध-विकसित, श्रमण-गण रूप सहस्र पत्र वाले "संघ-पद्म" कल्याणप्रद हो ।

(५) संघ को चन्द्र की उपमा—

अक्रियावाद रूप राहु के मुख से अग्राह्य, विशुद्ध सम्यक्त्व रूप ज्योत्स्ना-चन्द्रिका वाले "हे संघ-चन्द्र !" तेरी जय हो ।

(६) संघ को सूर्य की उपमा—

तपस्तेज रूप प्रदीप्त लेश्य-कान्ति वाले, ज्ञान रूप उद्योत वाले, पर-तीर्थिकरूप ग्रहों की प्रभा को नाश करने वाले, दम-प्रधान "संघ-सूर्य" इस जगत में कल्याणकारी हो ।

(७) संघ को समुद्र की उपमा—

धृतिरूप वेला से घिरे हुए, स्वाध्याय तथा शुभयोगरूप मगरों से युक्त परीषह और उपसर्गों में अक्षुब्ध, सर्व ऐश्वर्य युक्त भगवान "संघ-समुद्र" कल्याणकारी हो ।

(८) संघ को मेरु की उपमा—

सम्यक्त्वरूप श्रेष्ठ वज्रमय दृढ़ गहरी रोपी हुई पीठिका वाले, धर्म रूप श्रेष्ठ रत्नों से मंडित-जड़ी हुई मेखला वाले ।
नियम रूपी ऊँची-ऊँची शिलाओं से उज्ज्वल एवं ज्वलंत चित्तरूप कूट शिखर वाले, शीलरूप सुगन्धित धूम से व्याप्त नन्दन वन वाले ।

जीवदयारूप सुन्दर कन्दराओं में उद्विप्त-स्वाभिमानी नाना मुनिवररूप मृगेन्द्रों वाले, सैकड़ों हेतु रूप धातुओं से झरती हुई दिव्य भावरूप ओषधिरत्नवाली गुफावाले ।

संवररूप बहती हुई श्रेष्ठ जलधारा से सुशोभित झरणों वाले, प्रचुर श्रावकरूप बोलते व नाचते हुए मयूरों वाली कन्दरा वाले ।

विनयावनंत प्रवरं मुनिवररूप चमकती हुई विजली से आलोकित शिखरवाले, विविध गुण रूप पुष्पफलयुक्त कल्पवृक्ष वाले ।

ज्ञानरूप श्रेष्ठ रत्नों से दैदीप्यमान कांत वैदूर्यमय विमल चूला—शिखर वाले, संघरूप-महामंदर गिरि को वन्दना करती हैं ।

गुण - रयणुज्जल - कडयं सील - सुगंधि - तव -मंडिउद्देसं ॥

सुय - वारसंग - सिहरं संघमहामंदरं वंदे ॥

नगर - रह - चक्र - पद्मे चंदे सूरै समुद्दमेरुम्भि ।

जो उवमिज्जइ सययं तं संघ गुणायरं वंदे^१ ॥

—नं. थ. गा. ४—१६

सुधस्स णमोक्कार सुत्तं—

णमो सुधस्स ।

—वि. स. १, उ. १, सु. ३

सुयदेवया णमोक्कार सुत्ताइं—

१३ नमो सुयदेवयाए भगवतीए^२ ।—वि. स. १७, उ. १, सु. १

कुमुय मुसंठियच्चलणा अमलियकोरंटवेटसंकासा ।

सुयदेवया भगवई मम मतिमिरं पणासेउ ॥

—वि. अंतिमसुत्तं

वियसियअरविदकरा नामियमिरा सुयाहिया देवी ।

मज्जं पि देउ मेहं वुह विवुहणमंसिया णिच्चं ॥

सुयदेवयाए पणमिमो जोए पक्षाएण सिविखयं नारं ।

अण्णं पवयणदेवी संतिकरी तं नमंसामि ॥

सुयदेवया य जक्खो कुंभघरो वंसंति वेरोट्टा ।

विज्जाय अंतहुंटी देउ अविग्घं लिहंतस्स ॥

—वि. अंतिमसुत्तं

गणिपिटग णमोक्कार सुत्तं—

१४. णमो दुवालसंगस्स गणिपिटगस्स । —वि. अंतिमसुत्तं

लिवि णमोक्कार सुत्तं—

१५. णमो वंभीए लिवीए^३ । —वि. स. १, उ. १, सु. १

गुण रूप रत्नों से उज्ज्वल कटक—मध्य भाग वाले, शीलरूप सुगन्धित एवं तप से मण्डित उद्देश—पार्वभूमि वाले, द्वादशांग श्रुतरूप शिखर वाले उस संघ-महामन्दर को वन्दन करता हूँ ।

नगर, रथ, चक्र, पद्म, चन्द्र, सूर्य, समुद्र, और मेरु की जिसे उपमा की जाती है उस संघ—गुणाकर को वन्दना करता हूँ ।

श्रुत नमस्कार सूत्र—

श्रुत को नमस्कार हो ।

श्रुतदेवता नमस्कार सूत्र—

भगवती श्रुतदेवता को नमस्कार हो ।

कछुआ की तरह सुन्दर चरण कमल वाली, निर्मल कोरंट वृक्ष की कली के समान पूज्य श्रुतदेवी मेरे मति अज्ञान का नाश करो ।

जिसके हाथ में विकसित कमल हैं और बुध—पंडित, विबुध—देवों ने जिन्हें हमेशा नमस्कार किये हैं ऐसी श्रुता-धिष्ठित देवी मुझे बुद्धि अर्पित करो ।

श्रुतदेवता को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ज्ञान सीखा है और इसके अतिरिक्त गान्ति करने वाली प्रवचन-देवी को भी मेरा नमस्कार हो ।

श्रुतदेवता, कुम्भघर यक्ष, ब्रह्मशान्ति वेरोट्ट्या, विद्या और अंतहुण्डी—लेखन करने वाले को निविघ्न करो ।

गणिपिटक नमस्कार सूत्र—

द्वादशांग गणिपिटक को नमस्कार हो ।

लिपि नमस्कार सूत्र—

ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो ।

१ १. नगर, २. रथ, ३. चक्र, ४. पद्म, ५. चन्द्र, ६. सूर्य, ७. समुद्र, ८. मेरु—यह उपमा अष्टक मानव में महामानव की प्रतिष्ठा का द्योतक है । यहाँ अध्यात्म साधकों का संघ उपमेय है । श्रेष्ठतम उपमानों द्वारा संघ में उन सब अनिवार्य गुणों की प्रतिष्ठा होना आवश्यक बताया गया है जिनसे साधक साधना में सहज सिद्धि को प्राप्त हो सकता है ।

२ भग. स. २६, उं. १, सु. १ ।

३ ब्राह्मी लिपि को नमस्कार—क्यों और कैसे ?

अक्षर विन्यासरूप अर्थान्—लिपिबद्ध श्रुत द्रव्यश्रुत है, लिखे जाने वाले अक्षरसमूह का नाम लिपि है । भगवान् ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से लिखने के रूप में जो लिपि सिखाई, वह ब्राह्मी लिपि कहलाती है । ब्राह्मीलिपि को नमस्कार करने के सम्बन्ध में तीन प्रश्न उठते हैं—

(१) लिपि अक्षरस्थापनरूप होने से उसे नमस्कार करना द्रव्यमंगल है, जो कि एकाग्र मंगलरूप न होने से यहाँ कैसे उपादेय हो सकता है ?

(२) गणधरों ने सूत्र को लिपिबद्ध नहीं किया, ऐसी स्थिति में उन्होंने लिपि को नमस्कार क्यों किया ?

वन्दना फल सूत्र—

१६. प० वन्दनएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० वन्दनएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चागोयं निवन्धइ । सोहगं च णं अप्पडिहयं भाणाफलं निव्वत्तेइ दाहिण-भावं च णं जणयइ ।
—उत्त. अ. २६, सु. १२

चउव्वीसत्थवफल सूत्र—

१७. प० चउव्वीसत्थएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० चउव्वीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ ।
—उत्त. अ. २६, सु. ११

थव-थुई मंगल फल सूत्र—

१८. प० थवयुइमंगलेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० थवयुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्तबोहिलाभं जणयइ । नाणदंसणचरित्त-बोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अन्तकिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहेइ ।
—उत्त. अ. २६, सु. १६

वन्दना फल सूत्र—

६. प्र०—भन्ते ! वन्दना से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—वन्दना से वह नीच-कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों को क्षीण करता है । ऊँचे-कुल में उत्पन्न करने वाले कर्म का अर्जन करता है । जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करें वैसे अवाधित सौभाग्य को प्राप्त होता है तथा दाक्षिण्यभाव को प्राप्त होता है ।

चतुर्विंशतिस्तव फल सूत्र—

११. प्र०—भन्ते ! चतुर्विंशतिस्तव (चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—चतुर्विंशतिस्तव से सम्यक्त्व की विशुद्धि को प्राप्त करता है ।

स्तवस्तुतिमंगल फल सूत्र—

११. प्र०—भन्ते ! स्तव और स्तुति रूप मंगल से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की बोधि का लाभ करता है । ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के बोधि-लाभ से सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है ।

—: ० :—

(क्रमशः पृष्ठ ६ का शेष)

३. प्रस्तुत शास्त्र स्वयं मंगलरूप है, फिर शास्त्र के लिए यह मंगल क्यों किया गया ?

इनका त्रमशः समाधान यों है—प्राचीनकाल में शास्त्र को कण्ठस्थ करने की परम्परा थी, लिपिवद्ध करने की नहीं। ऐसी स्थिति में लिपि को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिपि को नमस्कार किया गया है, उसका आशय वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं कि यह नमस्कार प्राचीनकालीन लोगों के लिए नहीं, आधुनिक लोगों के लिए है। इससे यह भी सिद्ध है कि गणधरों ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है, यह नमस्कार शास्त्र को लिपिवद्ध करने वाले किसी परम्परानुगामी द्वारा किया गया है। अक्षरस्थापनारूप लिपि अपने आप में स्वतः नमस्करणीय नहीं होती, ऐसा होता तो लाटी, यवनी, तुर्की, राक्षसी आदि प्रत्येक लिपि नमन योग्य होती; परन्तु यहाँ ब्राह्मी लिपि को नमन योग्य बताया है, उसका कारण यह है कि शास्त्र ब्राह्मी लिपि में लिपिवद्ध हो जाने के कारण वह लिपि आधुनिकजनों के लिए श्रुतज्ञान रूप भावमंगल को प्राप्त करने में अत्यन्त उपकारी है। द्रव्यश्रुत भावश्रुत का कारण होने से संज्ञाक्षर रूप (ब्राह्मीलिपिरूप) द्रव्यश्रुत को भी मंगलरूप माना है। वस्तुतः यहाँ नमन योग्य भावश्रुत ही है, वही पूज्य है। अथवा शब्दनय की दृष्टि से शब्द और उसका कर्ता एक हो जाता है। इस अभेद विवक्षा से ब्राह्मीलिपि को नमस्कार भगवान् ऋषभदेव (ब्राह्मीलिपि के आविष्कर्ता) को नमस्कार करना है। अतः मात्र लिपि को नमस्कार करने का अर्थ अक्षरविन्यास को नमस्कार करना लिया जायेगा तो अतिव्याप्ति दोष होगा।

धम्मपणवणा

धर्मप्रज्ञापना

१६. ते णं काले णं
 ते णं समए णं
 समणे भगवं महावीरे ।
 आइगरे
 तित्थयरे
 सयं संबुद्धे ।
 पुरिसुत्तमे
 पुरिससीहे
 पुरिसवरपुंडरीए
 पुरिसवरगंधहत्थी ।
 लोगुत्तमे
 लोगनाहे
 लोगहिए
 लोगपईचे
 लोगपज्जोयगरे ।
 अन्नयदए
 चक्खुदए
 भग्गदए
 सरणदए
 जीवदए
 बोहिदए ।
 धम्मदए
 धम्मदेसए
 धम्मनायगे
 धम्मसारही
 धम्मवर चाउरंत चक्कचट्टी ।
 दीवो
 ताणं
 सरणगई पइद्धे
 अप्पटिहयवरणाणदंसणधरे ।
 वियट्ट छउमे ।
 जिणे
 जाणए
 तिण्णे
 तारए
 मुत्ते
 मोयए

१२. उस काल में
 उस समय में
 श्रमण भगवन् महावीर ।
 श्रुत-चारित्र धर्म के प्रवर्तक
 चतुर्विध तीर्थ के संस्थापक
 स्वयंबुद्ध ।
 पुरुषों में उत्तम
 पुरुषों में सिद्ध समान
 पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल समान
 पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ति समान ।
 लोक में उत्तम
 लोक के नाथ
 लोक के हितकर
 लोक में दीपक समान
 लोक में उद्योतकर्ता ।
 अभयदानदाता
 ज्ञानचक्षुदाता
 (मोक्ष) मार्गदर्शक
 शरणदाता
 जीवदयाकर्ता
 बोधिदाता
 धर्मदाता
 धर्मोपदेयक
 धर्मनायक
 धर्म शारथी
 धर्म के श्रेष्ठ चतुर्दिक चक्रवर्ती ।
 द्वीप समान
 रक्षक
 शरणागत के आधार
 आवरण रहित अनुत्तर ज्ञान दर्शन के धारक ।
 छद्म-छल से सर्वथा निवृत्त ।
 राग-द्वेष के विजेता
 राग-द्वेष जीतने का पथ बताने वाले
 संसार सागर से उत्तीर्ण
 भवसागर से तारक
 बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त
 परिग्रह से मोचक

बुद्धे
बोहए ।
सव्वण्णू
सव्वदरिसी
सिव-मयल-मरुअ-मणंत-मक्खय-मव्वावाह-मपुणरावत्तगं

सिद्धिगइ नामधेयं ठाणं संपाविउकामे

अरहा जिणे केवली
सत्तहत्थुस्सेहे
समचउरंससंठाणसंठिए
वज्जरिसहनारायसंधयणे
अणुलोम वाउवेगे
कंकरगहणी
कवोयपरिणामे
सउणिपोस-पिट्ठन्तरोरूपरिणए

पउमुप्पलगंध सरिस णिस्सास सुरभिवयणे
निरायंक-उत्तम-पसत्थ-अइसेयणिस्वमपले

जल्ल-मल-कलंक-सेय-रयदोसवज्जियसरीरे णिस्वलेवे

छाया उज्जोइयंगमगे
घण-णिच्चिय-सुवद्ध-लवखणुन्नयकूड/गारणिभ-पिडिय-
रगसिरए

सामलिबोड-घण-णिच्चियफोडियमिउ-विसय-पसत्थ-सुहुम-
लवखणसुगंध-सुन्दर-भुजमोचक-भिगणील-कज्जल-पहट्ठ-भ्रमरगण
णिद्ध-णिकुरंवे-णिच्चय-कुच्चियपयहिणावत्तमुद्धसिरए

दाडिम-पुप्फ-पकास-तवणिज्जसरिसणिम्मल-सुणिद्ध केसंत
केसभूमि

छत्तागारुत्तमांगदेसे
णिव्वण-सम-लट्ठ-भट्ठ चंदद्धसमणिडाले

उडुवइ-पडिपुण्ण-सोमवयणे
अल्लीण-पमाणजुत्तसवणे
पीण-मंसल-कवोलदेसभाए

जीवाजीव द्रव्यों के ज्ञाता
जीवाजीव द्रव्यों के बोधक ।
सर्वज्ञ
सर्वदर्शी
उपद्रवरहित, स्थिर, रोगरहित, अनन्त, अक्षय, वाधा-
रहित, अपुनरावर्तक

सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त करने की कामना
वाले थे

वे अर्हन्त जिन केवली थे
वे सात हाथ ऊँचे थे
वे समचोरस संस्थान से स्थित थे
वे वज्रऋषभनाराच संहनन वाले थे
उनके शरीर में सभी वायु अनुकूल वेगवाले थे
कंक पक्षी के समान उनकी ग्रहणी थी
कपोत के समान उनकी पाचन शक्ति थी
उनके पृष्ठभाग के अन्त में अपान और उरु पक्षी के
समान सुगठित थे

उनका निःश्वास और वदन पद्मकमल जैसा सुगन्धित था
उनके शरीर में मांस रोगरहित, उत्तम, प्रशस्त अतिश्वेत
एवं अनुपम था

उनका शरीर गाड़मल-मृदुमल-दाग-स्वेद-रजदोष रहित
एवं अलिप्त था

उनकी छाया और प्रत्येक अंग उद्योतित थे
उनका मस्तक सघन-सुवद्ध-स्नायु युत उत्तम लक्षण संपन्न
पर्वत के उन्नत शिखर पिण्ड जैसा था

उनके मस्तक पर केश सेमल फल के फटने से निकले
हुए सघन रेशे जैसे मृदु-विशद-प्रशस्त-सूक्ष्म-लक्षण-सम्पन्न-सुग-
न्धित सुन्दर थे, भुजमोचक-नीलभृंग और कज्जल जैसे तथा
भ्रमरगण जैसे काले चमकीले पुष्ट सघन एवं दक्षिणावर्त थे

उनके सिर पर केश उत्पन्न होने वाली त्वचा अनार के
पुष्प जैसी तथा तपाये हुए स्वर्ण जैसी निर्मल एवं चिकनी थी

उनके मस्तक का मध्यभाग छत्राकार था
उनका ललाट व्रण रहित समपुष्ट - शुद्ध - अर्द्धचन्द्राकार
जैसा था

उनका मुख प्रतिपूर्ण शशिसम सौम्य था
उनके श्रवण संगत एवं प्रमाणोपेत थे
उनके कपोल पुष्ट एवं मांसल थे

आणामिय चाप-रुहल किण्हडभराइतणु-कसिणणिद्ध भमुहे

अवदालिय-पुंडरीय-णयणे
कोआसिय-धवल-पत्तलच्छे
गरुलाययउज्जु-तुंग-णासे

उवचिय-सिल्लप्पवाल-विक्कफलसण्णिभाहरोट्ठे
पंडुर-ससिसयल-विमल-णिम्मलसंख-गोखीरफेणे - कुंद-दग -
रयमुणालिया-धवल दंतसेढी

मखंड दंते
उप्फुडिय दंते
अविरल दंते
सुणिद्ध दंते
सुजाय दंते
दुयवह-णिदंत-धोय-तत्त-तवणिज्जरत्ततल-तालु-जोहे

अवट्टिय-सुविभत्तचित्त-मंसू
मंसल-संठिय-पसत्थ-सदुल विउल हणुए

चउरंगुल-सुप्पमाण-कंबुधरसरिसगीवे

वर महिस-वराह-सीहसदुलउसम-णागवर-पडिपुण
खंधे

जुग-सण्णिम-पीण-रइअ-पीवर पउट्टसंठिए-सुसिलिद्ध-विसि-
लिद्ध-धणयिर-नुवट्टसंधि-पुरवरफलहवट्टिय भुए

चंद-सूर-संख-चक्क-दिसासोत्तिय-विमत्त-सुविरइय
पाणिनेहे

रत्तल्लोवइय-मउय-मंसल-सुजाय-लक्खण-पसत्थअछिद्ध
जालपाणी

पीवर कोमल वरंगुली

आयंवं-तंव-त्तलिन सुई-रुइलणिद्ध णसे

कणगसितात्तनुज्जल-पसत्थ-समतलउवचिय-वित्तियण्ण -
पिहल-सिरिवच्छंक्रिय वच्छे

सण्णय-संगय-सुंदर-सुजाय-नियमाइय-पीणरइय पासे

अस-विहग-सुजायपीण कुच्छी

सुइ करणे

उनकी भोंहे नमे हुए धनुष के समान टेढ़ी, काले बादल के
समान पूर्ण पतली एवं चिकनी थी

उनके नयन विकसित पुण्डरीक कमल जैसे थे
आँख के अन्दर के श्वेत-श्याम भाग बहुत तेज थे
उनकी नासिका गरुड़ की चोंच के समान लम्बी सीधी
और ऊँची थी

उनके ओष्ठ प्रवाल शिला अथवा विम्बफल सदृश थे
उनकी दन्तश्रेणी चन्द्रखण्ड, विमल निर्मल शंख, गोदुग्ध के
झाग, कुन्द पुष्प, और कमलतन्तु जैसी श्वेत थी

उनके दांत अखण्ड थे
उनके दांत फटे हुए नहीं थे
उनके दांत एक दूसरे के साथ थे
उनके दांत चिकने थे
उनके दांत सुन्दर थे

उनका तालु और जिह्वा अग्नि से तपाये हुए एवं जल से
धोये हुए स्वर्ण सदृश रक्ततल वाले थे

उनके दाढ़ी-मूँछ सदा समान एवं सुलझे हुए रहते थे
उनकी ठुड्डी शार्दूल सिंह की ठुड्डी के समान मांसल-
सुस्थित-प्रशस्त एवं पुष्ट थी

उनकी गरदन चार अंगुल (चौड़ी) प्रमाणवाली श्रेष्ठ शंख
सदृश थी

उनके स्कन्ध श्रेष्ठ महिष, शूकर, शार्दूल सिंह, वृषभ और
श्रेष्ठ हस्ति के स्कन्ध जैसे थे

उनकी भुजायें गाड़ी के जुए जैसी पुष्ट एवं सुन्दर विशिष्ट
स्नायुओं से सुवृद्ध सुदृढ़ सन्धियों से संगत एवं स्थिर कलाइयों
से युक्त नगर (द्वार के कपाट) की अर्गला जैसी गोल थीं

उनके हाथों में चन्द्र, सूर्य, शंख, चक्र, दक्षिणावर्त
स्वस्तिक आदि की सुन्दर एवं स्पष्ट रेखायें थीं

उनके हस्ततल मृदु-मांसल तथा प्रशस्त लक्षण युक्त थे
और अंगुलियाँ मिलाने पर उनमें छिद्र नहीं दिखाई देते थे
उनकी श्रेष्ठ अंगुलियाँ पुष्ट एवं कोमल थीं

उनके हाथ की अंगुलियों के नख अल्प रक्तवर्ण के स्वच्छ
स्निग्ध पतले तथा चमक वाले थे

उनका वक्षस्थल स्वर्णगिना सदृश उज्ज्वल विशाल-
समतल-पुष्ट-चौड़ा तथा श्रीवत्स नामक स्वस्तिक से अंकित था

उनके पाश्र्वभाग क्रमशः संकुचित, शरीरानुसार संगत-
सुन्दर-पुष्ट-प्रमाणोपेत मुनिष्पन्न थे

उनका उदर मत्स्य तथा पक्षी जैसा सुन्दर था

उनके उदर की आँतें स्वस्थ थीं

गंगावतक - पयाहिणावत्त - तरंगभंगुर- रविकिरण-तरुण-
बोहिय अकोसायंत-पउमगंभीर वियड-णाभे

साहयसोणंद-मुसल-वप्पणणि करियवरकणगच्छर
सरिसवर वइर-वलिमज्जे

पमुइय-वरतुरग-सीहवर-वद्विय कडी

वरतुरगसुजाय-गुज्झदेसे
आइण-हउव्व-णिरुवलेवे

गयससण-सुजाय-सन्निभोरु
समग्ग-णिमग्ग-गूढ जाणु
एणी कुरुविदावत्त वट्टाणुपुव्व जंघे

संठिय सुसिलिद्व गूढ गुप्फे
सुपइद्विय-कुम्म-चार चलणे

रत्तुप्पलपत्त-मउय-सुकुमाल-कोमल तले

नग-नगर-मगर-सागर-चक्ककवरंग-मंगलंकिय चरणे

अणुपुव्व-सुसहयंगुलीए

उण्णय-तणु-तंब-णिद्व णक्खे

वरवारणतुल्ल-विक्कम विलसिय गई

कणगसिलाय-सुजाय-णिरुवहय-देहधारी

उज्जुय-सम-सहिय-जच्चतणुकसिण-णिद्व-आइज्जलउह-
रमणिज्जरोमराई

हुयवह-णिद्वूम-जलिय तडितडिएतरुण-रविकिरण सरिस
तेए

अणासवे अममे अकिंचणे छिन्नसोए णिरुवलेवे

ववगय-पेम-राग-दोस मोहे

णिरगंथस्स पवयणस्स देसए

सत्थगाइणायणे, पइट्टावए, समणगपई समणगविंद
परियट्टिए

उनकी नाभि गंगानदी के दक्षिणावर्त तरंगों से बने हुए
भंवर जैसी गूढ़ ध्रुमाववाली तरुण सूर्य की किरणों से पूर्ण
विकसित कमल जैसी गहन गम्भीर थी

उनके शरीर का मध्यभाग तिपाई, मुसल, दर्पणदण्ड,
शोधित-श्रेष्ठ स्वर्ण से निर्मित तलवार की मूठ तथा श्रेष्ठ वज्र
के मध्यभाग जैसा था

उनकी कटि—कमर प्रमुदित-उत्तम अश्व तथा श्रेष्ठ सिंह
की कमर जैसी थी

उनका गुप्तांग श्रेष्ठ अश्व जैसा सुनिष्पन्न था
उनका मल-मूत्र-विसर्जन का स्थान उत्तम अश्व के
समान लेप रहित था

उनके उरु हाथी की सूंड के समान सुगठित थे
उनके घुटने डिव्वे के ढक्कन के समान सुस्थित थे
उनकी पिण्डलियाँ हिरण की पिण्डलियों के समान तथा

कुरुविन्द घास के समान क्रमशः वृत्ताकार थीं

उनके टखने सुगठित, सुस्थित एवं गूढ़ थे
उनके चरण कछुए के समान ऊपर से उन्नत एवं सुप्रति-
ष्ठित थे

उनके पैरों के तलवे रक्त उत्पल जैसे मृदु सुकुमार
कोमल थे

उनके चरणतल में पर्वत, नगर, मकर, सागर, चक्रांक,
स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह अंकित थे

उनके पैरों की अंगुलियाँ क्रमशः छोटी-बड़ी एक दूसरे से
सटी हुई थीं

उनके पैरों की अंगुलियों के नख ताम्रवर्ण, उन्नत, स्निग्ध
तथा पतले थे

उनकी गति पट्टहस्ति की गति के समान पराक्रम
पूर्ण थी

वे स्वर्णशिला सदृश सुन्दर-रोगरहित देहधारी थे

उनके शरीर पर रोमराजि सीधी, समान, एक दूसरे से
मिली हुई, श्रेष्ठ, सूक्ष्म, काली, त्रिकनी, उत्तम लावण्य-सम्पन्न
एवं रमणीय थी

उनका तेज निर्धूम प्रज्वलित अग्नि, विद्युत्, तरुण सूर्य
की किरणों जैसा था

वे आस्रवरहित थे, भ्रमत्व रहित थे, अपरिग्रही थे, शोक
रहित थे, अलिप्त थे

वे प्रेम, राग, द्वेष रूप मोह से रहित थे

वे निर्ग्रन्थ प्रवचन के उपदेष्टा थे

वे शास्त्रकारों के नायक थे, प्रतिष्ठापक थे, श्रमण स्वामी
थे, श्रमण वृन्द से परिवृत थे

चउतीसबुद्धवचनातिसेस पत्ते

पणतीससच्चवयणातिसेस पत्ते^१

—उव. सु १६

तए णं समणे भगवं महावीरे तीसे य महइमहालियाए परिसाए, मुणि परिसाए, जट्ट परिसाए, देव परिसाए, अणेगसयाए, अणेगसयवंदयाए, अणेगसयवंदपरिवाराए, सारयणवत्थणिय-महूर-गम्भीरकोंचणिग्घोस-दुंदुमिस्सरे

उरे वित्थयाए, कंठे वट्ठियाए

सिरे समाइण्णाए

अगरलाए

अमम्मणाए

मुवत्तखरसण्णिवाइयाए पुण्णरत्ताए सच्चमासाणुगामिणीए सरस्सईए

जोयण णिहारिणासरेणं

अट्टमागहाए भासाए धम्मं परिकहेइ

सा वि य णं अट्टमागहा भासा तेसि सच्चसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए परिणमेणं परिणमइ^२ — उव. सु. ५६ धम्मसत्त्वं जिण्णासा

२०. प०—कतरे धम्मे अवल्लोते माहणेण मतीमता ?

उ०—अंजु धम्मं अहातच्चं जिण्णाणं तं सुणेह मे ।

—सूय.सु. १, अ. ६. गा. १

भावलोक्षपयारा

२१. तिविहे लोगे पण्णत्ते, तं जहा—

१. णाणलोगे,
२. वंसणलोगे,
३. चरित्तलोगे ।

—ठाणं अ. ३, उ. २, सु. १६१

अवावेकव्या णाणाइणं परुवणा—

२२. प०—इहभविए भंते ! नाणे ? परभविए नाणे ? तदुभयभविए नाणे ?

उ०—गोयसा ! इहभविए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुभयभविए वि नाणे ।

दंसणं पि एचयेव

१ उवा. सु. ६

२ भगवान् महावीर के शरीर का यह वर्णक पाठ औपपातिक सूत्र के सूत्रों से लिया है किन्तु उपलब्ध प्रतियों में विभिन्न वाचना भेद के पाठ हैं अतः प्रस्तुत वर्णक पाठ के संकलन में सभी प्रतियों का उपयोग किया गया है ।

इस वर्णक में सूत्रों के जितने अंश अपेक्षित थे उतने ही लिए हैं और सूत्रांक आगम प्रकाशन समिति व्यावर के दिए हैं ।

वे चौतीस बुद्धवचनातिशयों से सम्पन्न थे

वे पैंतीस सत्यवचनातिशयों से सम्पन्न थे

उस समय श्रमण भगवान् महावीर ने अनेक सौ, अनेक सौवृन्द, अनेक सौवृन्दों के परिवार वाली उस महान् परिपदा में, मुनि परिपदा में, यति परिपदा में, देव परिपदा में, शरद ऋतु के नवीन मेष के गर्जन जैसे, कोंच पक्षी तथा दुन्दुभी के घोप जैसे स्वर से,

हृदय में विस्तृत, कण्ठ में स्थित,

मस्तिष्क में व्याप्त,

अस्पष्ट उच्चारण रहित

हकलाहट रहित,

व्यक्त अक्षरों के पूर्ण संयोजन सहित सर्वभाषानुगामिनी वाणी को

योजन पर्यन्त सुनाई दे ऐसे स्वर से

अर्धमागधी भाषा में धर्म कहा—

वह अर्धमागधी भाषा उन सब आर्य-अनार्य श्रोताओं की अपनी-अपनी भाषा में परिणत हुई ।

धर्म-स्वरूप की जिज्ञासा—

१३. प्र० केवलज्ञानसम्पन्न, महामाहन (अहिंसा के उपदेष्टा) भगवान् महावीर स्वामी ने कौन-सा धर्म बताया है ?

उ० जिनवरों के (द्वारा उपदिष्ट) उस सरल धर्म को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो ।

भावलोक के प्रकार—

१४. लोक तीन प्रकार के कहे गये हैं—

१. ज्ञानलोक,
२. दर्शनलोक,
३. चारित्र्यलोक ।

भव की अपेक्षा से ज्ञानादि की प्ररूपणा—

१५. प्र० हे भगवन् ! क्या ज्ञान इहभविक है ? परभविक है ? या तदुभयभविक है ?

उ० गीतम ! ज्ञान इहभविक भी है, परभविक भी है, और तदुभयभविक भी है ।

इसी प्रकार दर्शन भी जान लेना चाहिए ।

प०—इहभविए भंते ! चरित्ते ? परभविए चरित्ते ?
तदुभयभविए चरित्ते ?

उ०—गोयमा ! इहभविए चरित्ते, नो परभविए
चरित्ते, नो तदुभयभविए चरित्ते ।
एवं तवे संजमे

—वि. स. १, उ. १, सु. १०

छव्विहा भावा—

२३. छव्विहे भावे पण्णत्ते, तं जहा—

१. ओदइए,

२. उवसमिए,

३. खइए,

४. खओवसमिए,

५. पारिणामिए,

६. सन्निवाइए ।^१

—ठाणं. अ. ६; सु. ५३७

प्र० हे भगवन् ! क्या चारित्र इहभविक है ? परभविक
है ? या तदुभयभविक है ?

उ० गौतम ! चारित्र इहभविक है, वह परभविक नहीं
है और न तदुभयभविक है ।
इसी प्रकार तप और संयम के विषय में भी जान लेना
चाहिए ।

छह प्रकार के भाव—

भाव छह प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१. औदयिक भाव—कर्म के उदय से होने वाले क्रोध,
मानादि इक्कीस भाव ।

२. औपशमिक भाव—मोह कर्म के उपशम से होने
वाले सम्यक्त्वादि दो भाव हैं ।

३. क्षायिक भाव—घाति कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने
वाले अनन्त ज्ञान-दर्शनादि नौ भाव ।

४. क्षायोपशमिक भाव—घातिकर्मों के क्षयोपशम से
होने वाले मति-श्रुतज्ञानादि अठारह भाव ।

५. पारिणामिक भाव—किसी कर्म के उदयादि के विना
अनादि से चले आ रहे जीवत्व आदि तीन भाव ।

६. सान्निपातिक भाव—उपयुक्त भावों के संयोग से
होने वाले भाव ।

१ (क) अणु. उवक्कम. सु. २०७.

(ख) “छव्विहे भावे” इत्यादि, भवन्तं भावः पर्याय इत्यर्थः

गाहा—ओदइय उवसमिए य, खइए य तथा खओवसमेए य ।

परिणाम सन्निवाए य, छव्विहो भावलोगो उ ॥—॥

(१) तत्रौदयिको द्विविधः—१. उदय—२. उदयनिष्पन्नश्च.

तत्रोदयोऽण्डानां कर्मप्रकृतिनामुदयः—शान्तावस्थापरित्यागेनोदीरणावलिकामतिक्रम्योदयावलिकायात्मीयात्मीयरूपेण विपाक
इत्यर्थः

अत्र चैवं व्युत्पत्तिः—उदय एवौदयिकः

उदयनिष्पन्नस्तु कर्मोदयजनितो जीवस्य मानुषत्वादिः पर्यायः तत्र च उदयेन निर्वृत्तस्तत्र वा भव इत्यौदयिक इत्येवं
व्युत्पत्तिरिति.

(२) तथा औपशमिकोऽपि द्विविधः—१. उपशम, २. उपशमनिष्पन्नश्च.

तत्रोपशमो दर्शनकर्मणोऽनन्तानुबन्ध्यादि भिन्नस्योपशमश्रेणिप्रतिपन्नस्य वा मोहनीयभेदान् अनन्तानुबन्ध्यादीनुपशमयतः,

उदयाभाव इत्यर्थः उपशम एवौपशमिकः

उपशमनिष्पन्नस्तु उपशान्त क्रोध इत्यादि उदयाभावफलस्वरूप आत्मपरिणाम इति भावना.

तत्र च व्युत्पत्तिः—उपशमेन निर्वृत्त औपशमिक इति.

(३) तथा क्षायिको द्विविधः—१. क्षय, २. क्षयनिष्पन्नश्च.

तत्र क्षयोऽण्डानां कर्मप्रकृतीनां ज्ञानावरणादि भेदानां, क्षय कर्माभाव एवेत्यर्थः :

क्षयनिष्पन्नस्तु तत्फलरूपो विचित्र आत्मपरिणामः केवलज्ञानः दर्शनचारित्रादि. तत्र क्षयेण निर्वृत्तः “क्षायिक” इति व्युत्पत्तिः ।

भावप्रमाणपरूवणं—

भाव प्रमाण प्ररूपणं—

२४. प०—से किं तं भावप्रमाणे ?

२४. प्र०—भाव प्रमाण कितने प्रकार का है ?

(शेष टिप्पण पृष्ठ १६ का)

(४) तथा क्षायोपशमिको द्विविधः, १. क्षयोपशम, २. क्षयोपशमनिष्पन्नश्च ।

तत्र क्षयोपशमश्चतुर्णां घातिकर्मणां केवलज्ञानप्रतिबन्धकानां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायाणां क्षयोपशम इह उदीर्णस्य क्षयोऽनुदीर्णस्य च विपाकमधिकृत्योपशम इति गृह्यते ।

आह—औपशमिकोऽप्येवंभूत एव, नेत्रं ।

तत्रोपशान्तस्य प्रदेशानुभवतोऽप्यवेदनात् अस्मिन्नेव वेदनादिति अयं च क्षयोपशमक्रियारूप एवेति क्षयोपशम एवं क्षायोपशमिकः ।

क्षयोपशमनिष्पन्नस्त्राभिनिवोधिक ज्ञानादिलिङ्गपरिणाम आत्मन, एवं क्षयोपशमेन निर्वृत्तः क्षायोपशमिक इति च व्युत्पत्तिरिति ।

(५) तथा परिणमनं परिणामः—अपरित्यक्तपूर्वावस्थस्यैव तद्भावगमनमित्यर्थः ।

उक्तं च—

परिणामोह्यर्थान्तरगमनं, न च सर्वथा व्यवस्थानम् ।

न च सर्वथा विनाशः, परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥

स एव पारिणामिक इत्युच्यते ।

स च साधनादिभेदेन द्विविधः १. तत्र सादिः जीर्णवृत्तादीनां, तद्द्रावस्य सादित्वादिति ।

२. अनादिपारिणामिकस्तु धर्मास्तिकायादीनां तद्भावस्य तेषामनादित्वादिति ।

(६) तथा सन्निपातो—मेलकस्तेन निर्वृत्तः सान्निपातिकः अयं चैषां पञ्चानामौदयिकादिभावानां द्र्यादि संयोगतः सम्भवान्-सम्भवानपेक्षया पट्टविणतिभंगरूपः ।

तत्र द्विकसंयोगे दश त्रिक संयोगेऽपि दशैव चतुष्कसंयोगे पञ्च, पञ्चकसंयोगेत्वेक एवेति । सर्वेऽपि पट्टविणतिरिति ।

इह चाविरुद्धाः पञ्चदश सान्निपातिकभेदा इष्यन्ते, ते चैवं भवन्ति ।

गाहाशो—उदङ्ग खओवसमिए, परिणामिकेकक गइचउक्के वि ।

खयजोगेण वि चउरो, तयभावे उवसमेणं पि ॥—॥

उवसमसेही एकको, केवलिनो वि य तहेव सिद्धस्स ।

अविरुद्धसन्निवाइय, भेया एमेव पनरस ॥—॥

औदयिक—क्षायोपशमिक-पारिणामिकनिष्पन्नः सान्निपातिक एकैको गतिचतुष्केऽपि ।

तद्यथा—औदयिको नारकत्वं, क्षायोपशमिक इन्द्रियाणि, पारिणामिको जीवत्वमिति ।

इत्थं तिर्यग्नरामरेष्वपि योजनीयमिति चत्वारो भेदाः

तथा क्षययोगेनापि चत्वार एव तास्वेव गतिपु ।

अभिलापस्तु—औदयिको नारकत्वं, क्षायोपशमिक इन्द्रियाणि, क्षायिकः सम्यक्त्वं, पारिणामिको जीवत्वमिति, एवं तिर्यगादिष्वपि-

वाच्यं सन्ति चैतेष्वपि क्षायिक सम्यग्दृष्टयोऽधिकृतभंगान्यथानुपपत्तेरिति भावनीयमिति ।

-“तय भावे” त्ति, क्षायिकाभावे च शब्दाच्छेषत्रय भावे औपशमिकेनापि चत्वार एव उपशममात्रस्य गतिचतुष्टयेऽपि भावादिति ।

अभिलापस्तथैव, नवरं—सम्यक्त्वस्थाने उपशान्तकपायत्वमिति वक्तव्यमेते चाष्टौ भंगाः, प्राक्तनाश्चत्वार इति द्वादश, उपशमश्रेण्या-मेको भंगः तस्या मनुष्येष्वेव भावात् ।

अभिलापः पूर्ववत् नवरं—मनुष्य विषय एवं,

केवलिनश्चैक एव, औदयिको मानुपत्वं क्षायिकः सम्यक्त्वं पारिणामिको जीवत्वं ।

तथैव सिद्धस्यैक एव क्षायिक सम्यक्त्वं पारिणामिको जीवत्वमिति ।

एवमेतेस्त्रिभिर्भंगैः सहिताः प्रागुक्ताः द्वादश अविरुद्ध सान्निपातिका भेदाः पञ्चदशभवन्तीति ।

अपि च—

गाहाशो—उवसमिए२ खविएऽविय६ खयउवसम१८ उदय२१ पारिणामे ३य ।

दो,

नव, अट्ठररसंगं, इगंविसा तिन्नि भेएणं ॥

(पृष्ठ १८ पर शेष टिप्पण)

उ०—भावप्यमाणे त्रिविधे पणत्ते, तं जहा—

१. गुणप्यमाणे, २. नयप्यमाणे, ३. संख्याप्यमाणे ।

—अणु० सु० ४२७

प०—से किं तं जीवगुणप्यमाणे ?

उ०—जीवगुणप्यमाणे त्रिविधे पणत्ते, तं जहा—

१. नाणगुणप्यमाणे, २. दंसणगुणप्यमाणे, ३. चरित्त-
गुणप्यमाणे य ।

—अणु० सु० ४३५

णाणगुणप्यमाणं—

२५. प०—से किं तं णाणगुणप्यमाणे ?

उ०—णाणगुणप्यमाणे चउत्तविधे पणत्ते, तं जहा—

१. पच्चक्खे, २. अणुमाणे, ३. ओवम्मो, ४. आगमे ।

प०—से किं तं पच्चक्खे ?

उ०—पच्चक्खे द्विविधे पणत्ते, तं जहा—

१. इंदियपच्चक्खे य, २. नो इंदियपच्चक्खे य ।

प०—से किं तं इंदियपच्चक्खे ?

उ०—इंदियपच्चक्खे पंचविधे पणत्ते, तं जहा—

सोइंदियपच्चक्खे-जाव-फासिंदियपच्चक्खे,
से तं इंदियपच्चक्खे ।

२६. प०—से किं तं नो इंदियपच्चक्खे ?

उ०—नो इंदियपच्चक्खे त्रिविधे पणत्ते, तं जहा—

१. ओहिणाणपच्चक्खे, २. मणपज्जवणाणपच्चक्खे,
३. केवलणाणपच्चक्खे,
से तं नो इंदियपच्चक्खे, से तं पच्चक्खे ।

२७. प०—से किं तं अणुमाणे ?

उ०—अणुमाणे त्रिविधे पणत्ते, तं जहा—

१. पुव्ववं, २. सेसवं, ३. दिट्ठ साहम्मवं ।

उ०—भाव प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) गुण प्रमाण, (२) नय प्रमाण, (३) संख्या प्रमाण ।

प०—जीव गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—जीव गुण प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है ।

यथा—(१) ज्ञान गुण प्रमाण, (२) दर्शन गुण प्रमाण, (३) चारित्र-
गुण प्रमाण ।

ज्ञान गुण प्रमाण—

२५. प्र०—ज्ञान गुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—ज्ञानगुण प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है । यथा

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमा, (४) आगम ।

प्र०—प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) इन्द्रियप्रत्यक्ष, (२) नो इन्द्रियप्रत्यक्ष ।

प्र०—इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—इन्द्रियप्रत्यक्ष पाँच प्रकार का कहा गया है । यथा—

श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष—यावत्—स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष समाप्त

२६. प्र०—नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है ?

उ०—नो इन्द्रियप्रत्यक्ष तीन प्रकार का कहा गया है ।

यथा—(१) अवधिज्ञानप्रत्यक्ष, (२) मनःपर्यवज्ञानप्रत्यक्ष, (३)
केवलज्ञानप्रत्यक्ष ।

नो इन्द्रियप्रत्यक्ष समाप्त । प्रत्यक्षसमाप्त ।

प्र०—अनुमान (प्रमाण) कितने प्रकार का है ?

उ०—अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) पूर्ववत्, (२) शेषवत्, (३) दृष्टसाधर्म्यवत् ।

१. सम्म चरित्ते पढमे; १. दंसण, २. नाणे य, ३. दाण, ४. लाभे य ।

५. उवभोग, ६. भोग, ७. वीरिय, ८. सम्म, ९. चरित्ते तह वीए ॥—॥

(ङ) ४ चउनाण ३ ज्ञाणत्तियं, ३ दंसणत्तियं ५ पंचदाणलद्धीओ ।

१ समत्तं, १ चारित्तं चं, १ संजमासंजमे तइए ॥—॥

४ चउगइ, ४ चउक्कसाया, ३ लिगत्तियं ६ लेसछक्क १ अन्नाणं ।

१ मिच्छत्त १ मसिद्धत्तं, १ असंजमे तह चउत्थे उ ॥—॥

पंचमगम्मि य भावे, १ जीव, २ अभवत्त, ३ भवत्ता चेव,

पंचण्हवि भावाणं, भेया एमेव तेवन्ना ॥—॥

—स्थानांग टीका से उद्धृत

१ (क) यहां गुणप्रमाण और नयप्रमाण लिए हैं—संख्याप्रमाण गणितानुयोग (काल प्रमाण पृ० ६९१ से काललोक में तथा क्षेत्रप्रमाण परिशिष्ट २ पृ० ७५४ पर) में दिया गया है ।

(ख) इससे आगे का एक सूत्र द्रव्यानुयोग में दिया है ।

प०—से कि तं पुव्वं ?

उ०—पुव्वं पंचविहं पणत्ते, तं जहा—

१. खतेण वा, २. वणेण वा, ३. मसेण वा, ४. लंछणेण वा, ५. तिलएण वा ।

संगहणी गाहा—

माता पुत्तं जहा णट्ठं, जुवाणं पुणरागयं ।
काई पच्चमिजाणेज्जा, पुव्वलिगेण केणइ ॥—॥

से तं पुव्वं ।

प०—से कि तं सेसवं ?

उ०—सेसवं पंचविहं पणत्तं, तं जहा—

१. कज्जेणं, २. कारणेणं, ३. गुणेणं, ४. अवयवेणं, ५. आसएणं ।

प०—से कि तं कज्जेणं ?

उ०—कज्जेणं=संखं सहेणं, भेरिं तालिएणं, वसमं ढंकिएणं, मोरं केकाइएणं, हयं हिसिएणं, गयं गुलगुलाइएणं, रहं घणघणाइएणं, से तं कज्जेणं ।

प०—से कि तं कारणेणं ?

उ०—कारणेणं=तंतवो पडस्स कारणं, न पडो तंतुकारणं,

वीरणा कडस्स कारणं, न कटो वीरणकारणं,

मिप्पिडो घटस्स कारणं, न घटो मिप्पिडकारणं ।
से तं कारणेणं ।

प०—से कि तं गुणेणं ?

उ०—गुणेणं—सुवणं निकसेणं, पुप्फं गंधेणं, लवणं रसेणं, मदिरं आसायिएणं, वत्थ फासेणं, से तं गुणेणं ।

प०—से कि तं अवयवेणं ?

उ०—अवयवेणं=महिसं सिणेणं, कुक्कुडं सीहाए, हत्थिय विसाणेणं^१ वराहं दाढाए, मोरं पिच्छेणं, आसं खुरेणं, वरघं नहेणं, चमरं वालगंधेणं, दुपयं मणुसमाइ, चउपयं गवमाइ, बहुपयं गोमहियाइ, सीहं केसरेणं, वसहं ककुहेणं, महिलं वलदवाहाए ।

संगहणी गाहा—

परियर बंधेण भडं, जाणिज्ज महिलियं णिवसेणेणं ।
सित्थेण दोणपागं, कविं च एक्काए गाहाए ॥—॥
से तं अवयवेणं ।

प्र०—पूर्ववत् कितने प्रकार का है ?

उ०—पूर्ववत् पांच प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) क्षत से, (२) वर्ण से, (३) मसे से, (४) लांछन से, (५) तिल से ।

संग्रहणी गाथा—

किसी माता का पुत्र वाल्यकाल में भाग गया, जवान होने पर घर आया तो माता ने किसी पूर्व चिन्ह से उसे पहचाना ।

—पूर्ववत् (प्रमाण) समाप्त ।

प्र०—शेषवत् कितने प्रकार का है ?

उ०—शेषवत् पांच प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) कार्य से, (२) कारण से, (३) गुण से, (४) अवयव से, (५) आश्रय से ।

प्र०—कार्य का स्वरूप कैसा है ?

उ०—कार्य=यथा—शंख शब्द से, भेरी बजाने से, वृषभ घडुकने से, मयूर केकारव से, अश्व हिनहिनाट से, गज गुलगुलाट से ।

—कार्य से समाप्त ।

प्र०—कारण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—कारण=यथा—तन्तु पट के कारण हैं, पट तन्तुओं का कारण नहीं है ।

शालाकार्ये चटाई के कारण हैं, चटाई शालाकार्यों का कारण नहीं है ।

मृत्पिण्ड घट का कारण है, घट मृत् पिण्ड का कारण नहीं है ।

—कारण से समाप्त

प्र०—गुण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—गुण=यथा—सुवर्ण कसीटी से, पुष्प गन्ध से, लवणी रस से, मदिरा आस्वाद से, वस्त्र स्पर्श से । —गुण से समाप्त

प्र०—अवयव का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अवयव=यथा—भैंसा सींग से, मुर्गा शिखा से, हाथ दान्त से, वराह दाढा से, मोर पिच्छ से, अश्व खुर से, व्याघ्र नखों से, चामर गाय केशों के गुच्छ से, द्विपद-मनुष्यादि, चतुष्पद गाय आदि, बहुपद गोह आदि, सिंह केस जटा से, वृषभ ककुध से, महिला चूड़ा से ।

संग्रहणी गाथार्थ—

योधा कमर बन्ध से, महिला वेपभूपा से,
द्रोणपांक कण से, कवि एक गाथा से ।

—अवयव से समाप्त

प०—से किं तं आसएणं ?

उ०—आसएणं=अग्नि धूमणं, सलिलं बलागाहिं, वुट्टं
अभविकारेणं, कुलपुत्तं सीलसमायारेणं ।

संग्रहणी गाहा—

इगियागार णेयेहिं किरियाहिं भासिएण य ।
नेत्त-वक्कविकारेहिं गिज्जाए अंतगं मणं ॥—॥
से तं आसएणं से तं सेसवं ।

प०—से किं तं विट्टसाहम्मवं ?

उ०—विट्टसाहम्मवं वुविहं पणत्तं, तं जहा—
१. सामणविट्टं य, २. विसेसविट्टं य ।

प०—से किं तं सामणविट्टे ?

उ०—सामणविट्टे—जहा—एगा पुरिसो तथा बहवे पुरिसा,

जहा बहवे पुरिसा तथा एगो पुरिसो ।
जहा एगो करिसावणो, तथा बहवे करिसावणा,
जहा बहवे करिसावणा, तथा एगो करिसावणो ।
से तं सामणविट्टे ।

प०—से किं तं विसेसविट्टे ?

उ०—विसेसविट्टे—से जहाणामए केइपुरिसे कंचि पुरिसं
बहूणं पुरिसाणं मज्जे पुव्वविट्टं पच्चमिजाणेज्जा—
'अयं से पुरिसे' ।

बहूणं वा करिसावणाणं मज्जे पुव्वविट्टं करिसावणं
पच्चमिजाणेज्जा । 'अयं से करिसावणे' ।

तस्स समासओ तिविहं गहणं भवति, तं जहा—
१. तीतकालगहणं, २. पडुप्पन्नकालगहणं, ३. अणा-
गयकालगहणं ।

प०—से किं तं तीतकालगहणं ?

उ०—तीतकालगहणं=उत्तिण्णाणि वणाणि, निष्कण्णसस्सं
वा भेदिणं, पुण्णाणि य कुण्ड-सर णदि-दीहिया-सला-
गाइं पासित्ता, तेणं साहिज्जइ जहा सुवुट्टी आसि ।
से तं तीतकालगहणं ।

प०—से किं तं पडुप्पणकालगहणं ?

उ०—पडुप्पणकालगहणं=साहु गोयरगगयं विच्छडिडयपड-
रभत्त-पाणं पासित्ता । तेणं साहिज्जइ जहा सुभिक्षे
वट्टइ । से तं पडुप्पणकालगहणं ।

प०—से किं तं अणागयकालगहणं ?

उ०—अणागयकालगहणं ।

प्र०—आश्रय का स्वरूप कैसा है ?

उ०—आश्रय=यथा—अग्नि धूम से, पानी वगुलों से, वर्षा
वादल से, कुलपुत्र सदाचार से ।

संग्रहणी गाथार्थ—

अन्तर्मन के भाव अंगचेष्टाओं से, क्रियाओं से, वाणी से,
आँख और मुख के विकारों से जाने जाते हैं ।

—आश्रय से समाप्त । शेषवत् समाप्त ।

प्र०—दृष्टसाधर्म्यं (साम्य) कितने प्रकार का है ?

उ०—दृष्टसाधर्म्यं दो प्रकार का कहा गया है । यथा—
(१) सामान्यदृष्ट, (२) विशेषदृष्ट ।

प्र०—सामान्यदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ०—सामान्यदृष्ट=यथा—जैसा एक पुरुष है वैसे अनेक
पुरुष हैं ।

जैसे अनेक पुरुष हैं वैसे एक पुरुष है ।

जैसा एक कृपक है वैसे अनेक कृपक हैं ।

जैसे अनेक कृपक हैं वैसे एक कृपक है ।

—सामान्यदृष्ट समाप्त ।

प्र०—विशेषदृष्ट का स्वरूप कैसा है ?

उ०—विशेषदृष्ट=यथा—जिस प्रकार कोई पुरुष किसी
पूर्व दृष्ट पुरुष को अनेक पुरुषों के बीच में देखकर यह जाने की
यह वह पुरुष है ।

पूर्व दृष्ट कृपक को अनेक कृपकों के मध्य में देखकर वह जाने
कि—'यह वह कृपक है ।'

उसका तीन प्रकार से ग्रहण होता है । यथा—

(१) अतीतकाल ग्रहण, (२) वर्तमानकाल ग्रहण,
(३) अनागतकाल ग्रहण ।

प्र०—अतीतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अतीत काल ग्रहण=यथा—घास वाले वन, पके हुए
धान्य वाले खेत, भरे हुए कुण्ड, सर—नदी, बावड़ी, तालाव
आदि देखकर यह निर्णय करे कि यहाँ अच्छी वर्षा हुई है ।

—अतीतकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०—वर्तमानकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—वर्तमानकाल ग्रहण=यथा—गोचरी गया हुआ साधु
प्रचुर भात—पानी देखकर यह जाने कि यहाँ सुभिक्ष है ।

—वर्तमानकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०—अनागतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अनागतकाल ग्रहण=यथा—

संग्रहणी गाहा—

अव्मस्स निम्मलत्तं, कसिणा य गिरीसविज्जुयामहे ।
यणियं वाउव्मामा, संज्ञा रत्ता य णिद्धा य ॥—॥
वारुणं वा, माहिदं वा, अण्णयरं वा पसत्थं उप्पायं
पासित्ता 'ते णं साहिज्जइ—जहा सुवुट्ठी भविस्सइ ।
से तं अणागयकालग्रहणं ।
एएसि चेव विवच्चासे तिविहं गहणं भवइ, तं जहा—
१. तीतकालग्रहणं, २. पडुप्पणकालग्रहणं, ३. अणागय-
कालग्रहणं ।

प०—से किं तं तीतकालग्रहणं ?

उ०—तीतकालग्रहणं=नित्तणाइं वणाइं, अण्णिफणसस्सं च
मेइणं सुवकाणि य कुण्ड-सर-णदि-दह-तलागाइं
पासित्ता तेणं साहिज्जति—जहा कुवुट्ठी आसी ।
से तं तीतकालग्रहणं ।

प०—से किं तं पडुप्पणकालग्रहणं ?

उ०—पडुप्पणकालग्रहणं=साहु गोयरगगयं अलभमाणं
पासित्ता, तेणं साहिज्जइ, जहा दुम्मिक्खे वट्टइ ।
से तं पडुप्पणकालग्रहणं ।

प०—से किं तं अणागयकालग्रहणं ?

उ०—अणागयकालग्रहणं=अण्णेरं वा, वायव्वं वा अण्णयरं
वा अप्पसत्थं उप्पायं पासित्ता तेणं साहिज्जइ जहा
कुवुट्ठी भविस्सइ ।
से तं अणागयकालग्रहणं । से तं विसेसदिट्ठं । से तं
दिट्ठसाहम्मवं । से तं अणुमाणे ।

२८. प०—से किं तं ओवस्से ?

उ०—ओवस्से दुविहे पणत्ते, तं जहा—
१. साहम्मोवणीए य, २. वेहम्मोवणीए य ।

प०—से किं तं साहम्मोवणीए ?

उ०—साहम्मोवणीए तिविहे पणत्ते, तं जहा—
१. किंचिसाहम्मे, २. पायसाहम्मे, ३. सब्ब
साहम्मे य ।

प०—से किं तं किंचिसाहम्मे ?

उ०—किंचि साहम्मे=जहा मंदरो तथा सरिसवो, जहा
सरिसवो तथा मंदरो । जहा समुदो तथा गोप्पयं, जहा
गोप्पयं तथा समुदो । जहा चंदो तथा कुन्दो, जहा
कुन्दो तथा चंदो । से तं किंचिसाहम्मे ।

प०—से किं तं पायसाहम्मे ?

उ०—पायसाहम्मे=जहा गो तथा गवयो, जहा गवयो तथा
गो । से तं पायसाहम्मे ।

संग्रहणी गायार्थ—

स्वच्छ आकाश, कृष्ण वर्ण के बादलों में विजली की चमक,
और गर्जना, मण्डलवात, रक्तवर्णा संध्या, आर्द्रा, मूलादि नक्षत्रों
का योग, अन्य प्रशस्त उत्पात इनको देखकर “सुवृष्टि होगी”
ऐसा अनुमान करना ।

—अनागत काल ग्रहण समाप्त ।

इनसे विपरीत तीन प्रकार का ग्रहण होता है । यथा—
(१) अतीतकाल ग्रहण, (२) वर्तमानकाल ग्रहण, (३) अनागतकाल
ग्रहण ।

प्र०—अतीतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अतीतकाल ग्रहण=यथा—तृणरहित वन, धान्य
रहित खेत, कुण्ड, सर, नदी, द्रह, तालाव आदि सूखे देखकर—
“यहां वर्षा नहीं हुई है” ऐसा अनुमान करे ।

—अतीतकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०—वर्तमानकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—गोचरी गया हुआ साधु भात आदि का अलाभ देख-
कर—“यहाँ दुर्भिक्ष है” ऐसा जाने ।

—वर्तमानकाल ग्रहण समाप्त ।

प्र०—अनागतकाल ग्रहण का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अनागतकाल ग्रहण=यथा—अग्नि कोण या वायव्य
कोण का वायु अन्य अप्रशस्त उत्पात देखकर “भविष्य में वर्षा
नहीं होगी” ऐसा सोचना ।

—अनागतकाल ग्रहण समाप्त । विशेषदृष्ट समाप्त । दृष्ट
साधर्म्य समाप्त । अनुमान समाप्त ।

२८. प्र०—उपमा कितने प्रकार की है ?

उ०—उपमा दो प्रकार की कही गई है । यथा—
(१) साधर्म्योपमा, (२) वैधर्म्योपमा ।

प्र०—साधर्म्योपमा कितने प्रकार की है ?

उ०—साधर्म्योपमा तीन प्रकार की कही गई है । यथा—
(१) अल्प साधर्म्य, (२) अर्ध साधर्म्य, (३) सर्वसाधर्म्य ।

प्र०—अल्प साधर्म्य का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अल्प साधर्म्य—जैसा मन्दर पर्वत वैसा सरसों है,
जैसा सरसों है, वैसा मन्दर पर्वत है । जैसा समुद्र है वैसा गोपद
है, जैसा गोपद है वैसा समुद्र है । जैसा चन्द्र है वैसा कुन्द है,
जैसा कुन्द है वैसा चन्द्र है । —अल्प साधर्म्य समाप्त ।

प्र०—अर्ध साधर्म्य का स्वरूप कैसा है ?

उ०—अर्ध साधर्म्य=यथा—जैसी गाय है वैसा गवय है,
जैसा गवय है, वैसी गाय है । —अर्ध साधर्म्य समाप्त ।

- प०—से कि तं सत्त्वसाहम्मे ?
 उ०—सत्त्वसाहम्मे ओवम्मं णत्थि ।
 तथा वि तत्स ओवम्मं कीरइ ।
 जहा अरिहंतेहि अरिहंतसरिसं कयं ।
 एवं—
 चक्रवट्टिणा चक्रवट्टिसरिसं कयं ।
 बलदेवेण बलदेवसरिसं कयं ।
 वासुदेवेण वासुदेवसरिसं कयं ।
 साहृणा साहृसरिसं कयं ।
 से तं सत्त्वसाहम्मे । से तं साहम्मोवणीए ।
- प०—से कि तं वेहम्मोवणीए ?
 उ०—वेहम्मोवणीए तिबिहे पणत्ते, तं जहा—
 १. किंचिवेहम्मे, २. पायवेहम्मे, ३. सत्त्ववेहम्मे ।
- प०—से कि तं किंचिवेहम्मे ?
 उ०—किंचिवेहम्मे—जहा सामलेरो न तथा बाहूलेरो, जहा
 बाहूलेरो न तथा सामलेरो ।
 से तं किंचिवेहम्मे ।
- प०—से कि तं पायवेहम्मे ?
 उ०—पायवेहम्मे—जहा वायसो न तथा पायसो । जहा
 पायसो न तथा वायसो ।
 से तं पायवेहम्मे ।
- प०—से कि तं सत्त्ववेहम्मे ?
 उ०—सत्त्ववेहम्मे—नत्थि ओवम्मं । तथावि तेणेव तत्स
 ओवम्मं कीरइ ।
 जहा—नीएण नीयसरिसं कयं ।
 दासेण दाससरिसं कयं ।
 काकेण काकसरिसं कयं ।
 साणेण साणसरिसं कयं ।
 पाणेण पाणसरिसं कयं ।
 से तं सत्त्ववेहम्मे । से तं वेहम्मोवणीयं । से तं
 ओवम्मं ।
२६. प०—से कि तं आगमे ?
 उ०—आगमे दुविहे पणत्ते । तं जहा—
 १. लोइए य, २. लोगुत्तरिए य ।
- प०—से कि तं लोइए ?
 उ०—लोइए जणं इमं अण्णाणिएहि, मिच्छादिट्ठिएहि संच्छंद-
 बुद्धि मइ विगप्पियं । तं जहा—
 भारहं रामायणं-जाव-चत्तारि य वेधा संगोवंगा ।
 से तं लोइए आगमे ।

- प०—सर्वं साधर्म्यं का स्वरूप कैसा है ?
 उ०—सर्वं साधर्म्योपमा होती ही नहीं है,
 फिर भी उपमा की जा रही है—
 अरिहन्तां से अरिहन्तां का साधर्म्य,
 इसी प्रकार—
 चक्रवर्ती से चक्रवर्ती का साधर्म्य,
 बलदेव से बलदेव का साधर्म्य,
 वासुदेव से वासुदेव का साधर्म्य,
 साधु से साधु का साधर्म्य ।
 —सर्वं साधर्म्यं समाप्त । साधर्म्योपनीत समाप्त ।
- प०—वैधर्म्योपमा कितने प्रकार की है ?
 उ०—वैधर्म्योपमा तीन प्रकार की कही गई है । यथा—
 (१) अल्प वैधर्म्यं, (२) अर्धं वैधर्म्यं, (३) सर्वं वैधर्म्यं ।
- प०—अल्प वैधर्म्यं का स्वरूप कैसा है ?
 उ०—अल्प वैधर्म्यं—यथा—जैसी श्याम गाय है वैसी श्वेत
 गाय नहीं है, जैसी श्वेत गाय है वैसी श्याम गाय नहीं है ।
 —अल्प वैधर्म्यं समाप्त ।
- प०—अर्धं वैधर्म्यं का स्वरूप कैसा है ?
 उ०—अर्धं वैधर्म्यं—यथा—जैसा काक (कौजा) है वैसा
 पायस (कीर) नहीं है, जैसा पायस है वैसा वायस (काक)
 नहीं है ।
 —अर्धं वैधर्म्यं समाप्त ।
- प०—सर्वं वैधर्म्योपमा का स्वरूप कैसा है ?
 उ०—सर्वं वैधर्म्योपमा—होता ही नहीं है, फिर भी उसकी
 उपमा की जा रही है ।
 यथा—नीच ने नीच जैसा किया,
 दास ने दास जैसा किया,
 काक ने काक जैसा किया,
 श्वान ने श्वान जैसा किया,
 प्राणी ने प्राणी जैसा किया है ।
 —सर्वं वैधर्म्यं समाप्त । वैधर्म्योपनीत समाप्त । उपमा
 समाप्त ।
२६. प०—आगम कितने प्रकार के हैं ?
 उ०—आगम दो प्रकार के कहे गये हैं । यथा—
 (१) लौकिक आगम, (२) लोकोत्तर आगम ।
- प०—लौकिक कितने प्रकार के हैं ?
 उ०—लौकिक आगम यथा—अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों की
 स्वच्छन्द बुद्धि से विरचित ।
 भारत, रामायण—यावत्—सांगोपांग चारों वेद ।
 —लौकिक आगम समाप्त ।

५०—से कि तं लोगुत्तरिए ?

उ०—लोगुत्तरिए जं इमं अरहंतेहि भगवंतेहि उप्पण-णाण-
दंसणधरेहि तीय-पच्चुप्पण-मणागय जाणएहि
तेलोक्क चहिय-महिय-पुइएहि सव्वणूहि सव्वदरिसोहि
पणीयं डुवालसंगं गणिपिट्ठं । तं जहा—आधारो
-जाव-दिट्ठिवाओ । से तं लोगुत्तरिए आगमे ।

अहवा—आगमे तिविहे पणत्ते । तं जहा—

१. सुत्तागमे य, २. अत्यागमे य, ३. तदुभयागमे य ।

अहवा—आगमे तिविहे पणत्ते, तं जहा—

१. अत्तागमे, २. अणंतरागमे, ३. परंपरागमे ।

तित्यगराणं अत्यस्स अत्तागमे ।

गणहराणं सुत्तस्स अत्तागमे, अत्यस्स अणंतरागमे,

गणहरसीसाणं सुत्तस्स अणंतरागमे अत्यस्स परंपरा-
गमे ।

तेणं परं सुत्तस्स वि अत्यस्स वि नो अत्तागमे
नो अणंतरागमे परंपरागमे ।

से तं लोगुत्तरिए । से तं आगमे । से तं णाणगुणप्पमाणे ।

—अणु० सु० ४३६-४७०

दंसणगुणप्पमाणं—

३०. ५०—ते कि तं दंसणगुणप्पमाणे ?

उ०—दंसणगुणप्पमाणे चउद्विहे पणत्ते । तं जहा—

१. चक्खुदंसणगुणप्पमाणे, २. अचक्खुदंसणगुण-
प्पमाणे, ३. ओहिदंसणगुणप्पमाणे, ४. केवलदंसण-
गुणप्पमाणे य ।

चक्खुदंसणं—चक्खुदंसणिस्स घट-पट-कट-रहादिएसु
दव्वेसु ।

अचक्खुदंसणं—अचक्खुदंसणिस्स आयभावे ।

ओहिदंसणं—ओहिदंसणिस्स सव्वद्वेहि न पुण
सव्वपज्जवेहि ।

केवलदंसणं—केवलदंसणिस्स सव्वद्वेहि सव्वपज्ज-
वेहि य । से तं दंसणगुणप्पमाणे ।

—अणु० सु० ४७१

चरित्तगुणप्पमाणं—

३१. ५०—से कि तं चरित्तगुणप्पमाणे ?

उ०—चरित्तगुणप्पमाणे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

प्र०—लोकोत्तर आगम का स्वरूप कैसा है ?

उ०—लोकोत्तर आगम, यथा—केवलज्ञान, केवलदर्शन से
अतीत-वर्तमान और भविष्य जानने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरहन्त
भगवन्तों द्वारा प्ररूपित द्वादशांग गणिपिटक । यथा—आचारांग—
यावत्—दृष्टिवाद ।

—लोकोत्तर आगम समाप्त

अथवा—आगम तीन प्रकार के कहे गये हैं । यथा—

(१) सूत्रागम, (२) अर्थागम, (३) तदुभयागम ।

अथवा—आगम तीन प्रकार के कहे गये हैं । यथा—

(१) आत्मागम, (२) अनन्तरागम, (३) परम्परागम ।

तीर्थंकरों का अर्थागम उनका आत्मागम है ।

गणधरों का सूत्रागम उनका आत्मागम और अर्थागम अनन्त-
रागम है ।

गणधर शिष्यों के लिए सूत्रागम अनन्तरागम है और अर्थागम
परम्परागम है ।

इसके बाद सूत्रागम भी और अर्थागम भी न आत्मागम है,
न अनन्तरागम है, अपितु परम्परागम है ।

—लोकोत्तर समाप्त । आगम समाप्त । ज्ञानगुण प्रमाण
समाप्त ।

दर्शनगुण प्रमाण—

३०. प्र०—दर्शनगुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—दर्शनगुण प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है ।
यथा—

(१) चक्षुदर्शनगुण प्रमाण, (२) अचक्षुदर्शनगुण प्रमाण,
(३) अवधिदर्शनगुण प्रमाण, (४) केवलदर्शनगुण प्रमाण ।

(१) चक्षुदर्शन—चक्षुदर्शनी के घट, पट, कट, रथ आदि द्रव्यों
के देखने में है ।

(२) अचक्षुदर्शन—अचक्षुदर्शनी के अपने आपको देखने में है ।

(३) अवधिदर्शन—अवधिदर्शनी के सर्व रूपी द्रव्यों के देखने
में है, सर्व पर्यवों के देखने में नहीं ।

(४) केवलदर्शन—केवल दर्शनी के सर्वद्रव्य और सर्वपर्यायों
के देखने में है ।

—दर्शन गुण प्रमाण समाप्त ।

चारित्रगुण प्रमाण—

३१. प्र०—चारित्रगुण प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—चारित्रगुण प्रमाण पाँच प्रकार का कहा गया है ।
यथा—

१. सामाह्य चरित्तगुण्यमाणे ।

२. छेदोवद्वावणिय चरित्तगुण्यमाणे,

३. परिहारविसुद्धिय चरित्तगुण्यमाणे,

४. सुहृमसंपराय चरित्तगुण्यमाणे,

५. अहक्खाय चरित्तगुण्यमाणे ।

सामाह्य चरित्तगुण्यमाणे दुविहे पणत्ते ।

तं जहा—

१. इत्तरिए य, १. आवकहिए य ।

छेदोवद्वावणिय चरित्तगुण्यमाणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. सातियारे य, २. निरतियारे य ।

परिहारविसुद्धिय चरित्तगुण्यमाणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. णिव्विसमाणए य, २. णिव्विट्ठकायिए य ।

सुहृमसंपराय चरित्तगुण्यमाणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. संकिलिस्समाणयं य, २. विसुज्झमाणयं य ।

अहक्खाय चरित्तगुण्यमाणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. पडिचाई य, २. अपडिचाई य ।

१. छउमत्थे य, २. केवलिए य ।

से तं चरित्तगुण्यमाणे, से तं जीवगुण्यमाणे, से तं गुण्यमाणे ।

—अणु० सु० ४७२

णय्यमाणं—

३२ प०—से किं तं नय्यमाणे ?

उ०—नय्यमाणे तिविहे पणत्ते, तं जहा—

१. पत्थगदिट्ठन्तेणं, २. वसहिदिट्ठन्तेणं,

३. पएसदिट्ठन्तेणं ।

—अणु० सु० ४७३

पत्थगदिट्ठन्तं—

प०—से किं तं पत्थगदिट्ठन्तेणं ?

उ०—पत्थगदिट्ठन्तेणं—से जहा नामए केइपुरिसे परसुं गहाय अडविहत्ते गच्छेज्जा ।

तं च केइ पासित्ता वदेज्जा—कथं भवं गच्छसि ?

(१) अविमुद्धो नेगमो भणइ—पत्थगस्स गच्छामि ।

तं च केइ छिदमाणं पासित्ता वदेज्जा—किं भवं छिदसि ?

(१) सामायिक चारित्रगुण प्रमाण,

(२) छेदोपस्थापनीय चारित्रगुण प्रमाण,

(३) परिहारविशुद्धिक चारित्रगुण प्रमाण,

(४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्रगुण प्रमाण,

(५) यथाख्यात चारित्रगुण प्रमाण ।

(१) सामायिक चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) इत्वरिक=अल्पकालीन, (२) यावत्कथिक=यावज्जीवन ।

(२) छेदोपस्थापनीय चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) सातिचार; (२) निरतिचार ।

(३) परिहारविशुद्धिक चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) निर्विपमानक, (२) निर्विष्टकायिक ।

(४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) संक्लिश्यमानक, (२) विशुद्धयमानक ।

(५) यथाख्यात चारित्रगुण प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) प्रतिपातिक, (२) अप्रतिपातिक ।

(१) छाद्मस्थिक, (२) कैवलिक ।

—चारित्रगुण प्रमाण समाप्त । जीवगुण प्रमाण समाप्त । गुण प्रमाण समाप्त ।

नय प्रमाण—

३२. प्र०—नय प्रमाण कितने प्रकार का है ?

उ०—नय प्रमाण तीन प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) प्रस्थक दृष्टान्त से, (२) वसति दृष्टान्त से,

(३) प्रदेश दृष्टान्त से ।

प्रस्थक दृष्टान्त—

प्र०—प्रस्थक (धान्य मापने का एक पात्र) दृष्टान्त क्या है ?

उ०—प्रस्थक दृष्टान्त—जिस प्रकार कोई पुरुष कुल्हाड़ी लेकर अटवी में जाए; उसे देखकर कोई कहे—

तुम कहाँ जा रहे हो ?

उस समय अविशुद्ध नैगम नयवाला कहता है । प्रस्थक के लिए जा रहा हूँ ।

उस पुरुष को काष्ठ काटते हुए देखकर कोई कहे—तुम क्या काट रहे हो ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ—पत्ययं छिदामि ।

उस समय विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—प्रस्थक काट रहा हूँ ।

तं च केइ तच्छेमाणं पासित्ता वदेज्जा—किं भवं तच्छेसि ?

उस पुरुष को काष्ठ छीलते हुए देखकर कोई कहे—तुम क्या छील रहे हो ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ—पत्ययं तच्छेमि ।

उस समय विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—प्रस्थक छील रहा हूँ ।

तं च केइ उक्किरमाणं पासित्ता वदेज्जा—किं भवं उक्किरसि ?

उस पुरुष को काष्ठ कोरते हुए देखकर कोई कहे—तुम क्या कोर रहे हो ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ—पत्ययं उक्किरामि ।

उस समय विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—प्रस्थक कोर रहा हूँ ।

तं च केइ विलिहमाणं पासित्ता वदेज्जा—किं भवं विलिहसि ?

उस पुरुष को काष्ठ की खुदाई करते हुए देखकर कोई कहे—तुम यह खुदाई किसकी कर रहे हो ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ—पत्ययं विलिहामि ।

उस समय विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—प्रस्थक की खुदाई कर रहा हूँ ।

एवं विशुद्धतरागस्स नेगमस्स नामाउडित्तओ पत्यओ ।

इस प्रकार विशुद्धतर नैगमनयवाला प्रस्थक के सम्बन्ध में कहता है ।

(२) एवमेव व्यवहारस्स वि ।

इसी प्रकार व्यवहारनय वाला भी कहता है ।

(३) संगहस्स चित्तो मिओ मिज्जसमारुढो पत्यओ ।

संग्रहनय वाला धान्य का संग्रह करके प्रस्थक द्वारा मापना प्रारम्भ करते हुए को प्रस्थक कहता है ।

(४) उज्जुसुयस्स पत्यओ वि पत्यओ मिज्जं पि से पत्यओ ।

ऋजुसूत्रनय वाला प्रस्थक से धान्य मापते हुए को प्रस्थक कहता है ।

तिण्हं सट्ठनपाणं पत्यगाहिगारजाणओ पत्यगो । जस्स वा वसेणं पत्यगो निष्फज्जइ । से तं पत्यगदिट्ठंतेणं ।

तीनों णवद नय प्रस्थक के कार्य को जानकर प्रस्थक कहते हैं ।

—अणु. सु. ४७४

—प्रस्थक दृष्टान्त समाप्त ।

वसहिदिट्ठन्तं—

प०—से किं तं वसहिदिट्ठन्तेणं ?

उ०—वसहिदिट्ठन्तेणं—से जहानामए केइ पुरिसे कंचि पुरिसं वएज्जा—किं भवं वससि ?

तत्य अविमुद्धो नेगमो भणइ—‘लोगे वसामि ।’

लोगे तिविहे पणत्ते, तं जहा—१. उद्धलोए, २. अहोलोए, ३. तिरियलोए । तेसु सव्वेसु भवं वससि ? विशुद्धतराओ नेगमो भणइ—‘तिरियलोए वसामि ।’

तिरियलोए जंबुद्वीवादीया सयंभुरमणपज्जवसाणा असंखेज्जा दीव समुहा पणत्ता । तेसु सव्वेसु भवं वससि ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ—जंबुद्वीवे वसामि ।

वसतिदृष्टान्त—

प्र०—वसति दृष्टान्त कैसा है ?

उ०—वसति दृष्टान्त—जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पुरुष को कहे—आप कहाँ रहते हैं ?

उस समय अविशुद्ध नैगमनय वाला कहता है—‘मैं लोक में रहता हूँ ।’

लोक तीन प्रकार का है—(१) ऊर्ध्वलोक, (२) अधोलोक, (३) तिर्यक्लोक, क्या उन सब में आप रहते हैं ?

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—‘मैं तिर्यक्लोक में रहता हूँ ।’

तिर्यक्लोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्येय द्वीप-समुद्र कहे गये हैं । क्या उन सब में आप रहते हैं ?

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—‘मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ ।’

जंबुद्वीपे दस खेता पणत्ता, तं जहा—

१. भरहे, २. एरवए, ३. हेमवए, ४. एरणवए,
५. हरिवस्ते, ६. रम्मगवस्ते, ७. देवकुरा, ८. उत्तर-
कुरा, ९. पुव्वविदेहे, १०. अवरविदेहे ।

तेसु सव्वेसु भवं वससि ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ— भरहे वसामि ।

भरहेवासे डुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. दाहिणड्ढभरहे य, २. उत्तरड्ढभरहे य,
तेसु सव्वेसु भवं वससि ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ— दाहिणड्ढभरहे वसामि ।

दाहिणड्ढभरहे अणेगाइं गाम-नगर-खेड-कव्वड-मडं-
दोणमुह-पट्टणाऽऽसंवाह-संनिवेसाइं तेसु सव्वेसु भवं
वससि ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ— पाडलिपुत्ते वसामि ।

पाडलिपुत्ते अणेगाइं गिहाइं, तेसु सव्वेसु भवं वससि ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ— देवदत्तस्स घरे वसामि ।

देवदत्तस्स घरे अणेगा कोट्टुगा ।

तेसु सव्वेसु भवं वससि ?

विशुद्धतराओ नेगमो भणइ— गम्भघरे वसामि ।

एवं विशुद्धस्स नेगमस्स वसमाणो वसइ ।

एवमेव व्यवहारस्स वि ।

संगहस्स संथारसमारूढो वसइ ।

उज्जुसुयस्स जेसु आगासपएसेसु ओगाढो तेसु वसइ ।

तिण्हं सद्दय्याणं आयभावे वसइ ।

से तं वसहिद्विद्वन्तेणं ।

—अगु० सु० ४७५

पएसद्विद्वन्तं—

प०—से कि तं पएसद्विद्वन्तेणं ?

उ०—पएसद्विद्वन्तेणं—नेगमो भणइ—छण्हं पएसो,
तं जहा—

जम्बूद्वीप में दस क्षेत्र कहे गये हैं । यथा—

(१) भरत, (२) ऐरवत, (३) हैमवत, (४) हेरप्यवत
(५) हरिवर्ष, (६) रम्यकवर्ष, (७) देवकुरु, (८) उत्तरकुरु,
(९) पूर्वविदेह, (१०) अपर (पश्चिम) विदेह ।

क्या आप उन सब में रहते हैं ?

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—“मैं भरत क्षेत्र में
रहता हूँ ।”

भरतक्षेत्र दो प्रकार के कहे गये हैं । यथा—

(१) दक्षिणार्ध भरत, (२) उत्तरार्ध भरत ।

“क्या आप उन सब में रहते हैं ?”

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—“मैं दक्षिणार्ध भरत
में रहता हूँ ।”

दक्षिणार्ध भरत में अनेक ग्राम, नगर, खेट, कर्वट, मडं,
द्रोणमुख, पट्टण, आसंवाह, संनिवेस आदि हैं—“क्या आप उन
सब में रहते हैं ?”

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—“मैं पाटलीपुत्र में
रहता हूँ ।”

पाटलीपुत्र में अनेक घर हैं—“क्या आप उन सब में
रहते हैं ?”

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—“मैं देवदत्त के घर में
रहता हूँ ।”

देवदत्त के घर में अनेक कोटडियाँ हैं—

“क्या आप उन सब में रहते हैं ?”

विशुद्धतर नैगमनय वाला कहता है—“मैं गर्भ (मध्य) गृह
में रहता हूँ ।”

इस प्रकार विशुद्धतर नैगमनय वाला वसता है ।

इसी प्रकार व्यवहारनय वाला भी है ।

संग्रहनय वाला—अपने विस्तर पर रहता है ।

ऋजुसूत्रनय वाला—जिन आकाश प्रदेशों में स्थित हैं उतने
में रहता है । अर्थात् वर्तमान में वह जितनी जगह में है उतनी में
रहता है ।

तीनों शब्द नय वालों का कथन है—‘आत्मभाव में रहता है ।’

—वसति दृष्टान्त समाप्त ।

प्रदेश दृष्टान्त—

प्र०—प्रदेश दृष्टान्त कैसा है ?

उ०—प्रदेश दृष्टान्त—नैगमनय वाला कहता है—छहों के
प्रदेश हैं । यथा—

१. धम्मपएसो, २. अधम्मपएसो,
३. आगासपएसो ४. जीवपएसो,
५. खंधपएसो, ६. देसपएसो ।
एवं वयंतं नेगमं संगहो भणइ, जं भणसि छण्हं पएसो,
तण्ण भवइ ।

प०—कम्हा ?

उ०—जम्हा जो सो देस पएसो सो तस्सेव दव्वस्स ।

प०—जहा को दिट्ठन्तो ?

उ०—दासेण मे खरो कीओ, दासो वि मे खरो वि मे, तं
मा भणाहि—छण्हं पएसो ।

भणाहि—पंचण्हं पएसो, तं जहा—

१. धम्मपएसो, २. अधम्मपएसो,
३. आगासपएसो, ४. जीवपएसो,
५. खंधपएसो ।

एवं वयंतं संगहं व्यवहारो भणइ—जं भणसि पंचण्हं
पएसो तं न भवइ ।

प०—कम्हा ?

उ०—जइ जहा पंचण्हं गोट्टियाणं केइ दव्व जाए सामण्णे ।
तं जहा—हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, धणे वा, धण्णे वा,
तो जुत्तं वत्तुंजहा पंचण्हं पएसो ?

तं मा भणाहि—पंचण्हं पएसो ।

भणाहि—पंचविहो पएसो, तं जहा—

१. धम्मपएसो, २. अधम्मपएसो,
३. आगासपएसो, ४. जीवपएसो,
५. खंधपएसो ।

एवं वयंतं व्यवहारं उज्जुसुओ भणइ—जं भणसि
पंचविहो पएसो, तं न भवइ ।

प०—कम्हा ?

उ०—जइ ते पंचविहो पएसो एवं ते एकैकको पएसो पंच-
विहो । एवं तं पणवीसविहो पएसो भवइ ।

तं मा भणाहि—पंचविहो पएसो—

भणाहि—नइयव्यो पएसो—

(१) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (२) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश,
(३) आकाशास्तिकाय के प्रदेश, (४) जीवास्तिकाय के प्रदेश,
(५) स्कन्ध के प्रदेश, (६) देश के प्रदेश ।

इस प्रकार कहते हुए नैगमनय वाले को संग्रहनय वाला
कहता है—“जो तुम छहों के प्रदेश कहते हो—वह यथार्थ
नहीं है ।”

प्र०—कैसे ?

उ०—जिस द्रव्य के देश के जो प्रदेश हैं वे प्रदेश उसी द्रव्य
के हैं ।

प्र०—दृष्टान्त क्या है ?

उ०—मेरे दास ने गधा खरीदा है तो दास भी मेरा है और
गधा भी मेरा है । इसलिए छहों के प्रदेश न कहो ।

पाँच के प्रदेश कहो । यथा—

(१) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (२) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश,
(३) आकाशास्तिकाय के प्रदेश, (४) जीवास्तिकाय के प्रदेश,
(५) स्कन्ध के प्रदेश ।

इस प्रकार कहते हुए संग्रहनय वाले को व्यवहारनय वाला
कहता है—जो तुम पाँचों के प्रदेश कहते हो—वह यथार्थ नहीं है ।

प्र०—कैसे ?

उ०—जिस प्रकार पाँच मित्रों के कुछ द्रव्य (पदार्थ) साझे
के हैं । यथा—हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य । तो क्या पाँचों के
प्रदेश के समान ये पाँचों के द्रव्य हैं—इस प्रकार कहना युक्ति-
संगत है ?

इसलिए पाँचों के प्रदेश न कहो ।

पाँच प्रकार के प्रदेश हैं—ऐसा कहो—यथा—

(१) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, (२) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश,
(३) आकाशास्तिकाय के प्रदेश, (४) जीवास्तिकाय के प्रदेश,
(५) स्कन्ध के प्रदेश ।

इस प्रकार कहते हुए व्यवहारनय वाले को ऋजुसूत्रनय
वाला कहता है—जो तुम पाँच प्रकार के प्रदेश कहते हो, वह
यथार्थ नहीं है ।

प्र०—कैसे ?

उ०—यदि तुम पाँच प्रकार के प्रदेश कहते हो तो एक-एक
के पाँच प्रकार के प्रदेश होंगे—इस प्रकार पच्चीस प्रकार के
प्रदेश होते हैं ।

इसलिए पाँच प्रकार के प्रदेश न कहो ।

प्रदेश = विभाज्य है—ऐसा कहो—

१. सिया धम्मपएसो,
२. सिया अधम्मपएसो,
३. सिया आगासपएसो,
४. सिया जीवपएसो,
५. सिया खंधपएसो ।

एवं वयंतं उज्जुसुयं संपइ सद्दणयो भणइ ।

जं भणसि भइयव्वो पएसो तं न भवइ ।

प०—कम्हा ?

उ०—१, जइ ते भइयव्वो पएसो एवं ते धम्मपएसो वि सिया अधम्मपएसो, सिया आगासपएसो, सिया जीवपएसो, सिया खंधपएसो ।

२. अधम्मपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया आगासपएसो, सिया जीवपएसो, सिया खंधपएसो ।

३. आगासपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया अधम्मपएसो, सिया जीवपएसो, सिया खंधपएसो ।

४. जीवपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया अधम्मपएसो, सिया आगासपएसो, सिया खंधपएसो ।

५. खंधपएसो वि सिया धम्मपएसो, सिया अधम्मपएसो, सिया आगासपएसो, सिया जीवपएसो ।

तं मा भणाहि भइयव्वो पएसो । भणाहि—

धम्मे पएसे से पएसे धम्मे ।

अधम्मे पएसे से पएसे अधम्मे ।

आगासे पएसे से पएसे आगासे ।

जीवे पएसे से पएसे णो जीवे ।

खंधे पएसे से पएसे णो खंधे ।

एवं वयंतं सद्दणयं समभिरूढो णणति—

जं भणसि—धम्मे पदेसे, से पदेसे धम्मे-जाव-खंधे पदेसे, से पदेसे णो खंधे,

तं न भवइ ।

- (१) कभी धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं,
- (२) कभी अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं,
- (३) कभी आकाशास्तिकाय के प्रदेश हैं,
- (४) कभी जीवास्तिकाय के प्रदेश हैं,
- (५) कभी स्कन्ध के प्रदेश हैं ।

इस प्रकार कहते हुए ऋजुसुयनय वाले को शब्द नय वाला कहता है—

जो तुम “प्रदेश विभाज्य है” ऐसा कहते हो वह यथार्थ नहीं है ।

प्र०—कैसे ?

उ०—(१) यदि वे प्रदेश विभाज्य हैं तो जो धर्मास्तिकाय का प्रदेश है वह कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी आकाशास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश भी होगा और कभी स्कन्ध का प्रदेश भी होगा ।

(२) जो अधर्मास्तिकाय का प्रदेश है वह कभी धर्मास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी आकाशास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, और कभी स्कन्ध का भी प्रदेश होगा ।

(३) जो आकाशास्तिकाय का प्रदेश है वह कभी धर्मास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश भी होगा, कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश भी होगा और कभी स्कन्ध का भी प्रदेश होगा ।

(४) जीवास्तिकाय का प्रदेश कभी धर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी आकाशास्तिकाय का प्रदेश होगा और कभी स्कन्ध का प्रदेश भी होगा ।

(५) स्कन्ध का प्रदेश कभी धर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी अधर्मास्तिकाय का प्रदेश होगा, कभी आकाशास्तिकाय का प्रदेश होगा और कभी जीवास्तिकाय का प्रदेश होगा ।

अतः प्रदेश विभाज्य है—ऐसा मत कहो—किन्तु ऐसा कहो—

धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह धर्मास्तिकाय है ।

अधर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह अधर्मास्तिकाय है ।

आकाशास्तिकाय का जो प्रदेश है वह आकाशास्तिकाय है ।

जीवास्तिकाय का जो प्रदेश है वह जीवास्तिकाय नहीं है ।

स्कन्ध का जो प्रदेश है वह स्कन्ध नहीं है ।

इस प्रकार कहते हुए शब्दनय वाले को सशभिरूढनय वाला कहता है—

जो तुम कहते हो—धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है, वह धर्मास्तिकाय है,—यावत्—स्कन्ध का जो प्रदेश है वह स्कन्ध नहीं है ।

ऐसा न कहों ।

प०—कम्हा ?

उ०—एत्य दो समासा भवन्ति, तं जहा—

१. तत्पुरिसे य, २. कम्मधारए य ।

प०—तं न नज्जइ कयरेणं समासेणं भणसि ?

किं तत्पुरिसेणं किं कम्मधारएणं ?

जइ तत्पुरिसेणं भणसि तो मा एवं भणाहि—

अहं कम्मधारएणं भणसि तो विसेसओ भणाहि

धम्मे य से पएसे से पएसे धम्मे ।

अधम्मे य से पएसे से पएसे अधम्मे ।

आगासे य से पएसे से पएसे आगासे ।

जीवे य से पएसे से पएसे नो जीवे -

खंघे य से पएसे से पएसे नो खंघे ।

एवं चर्यतं संपयं समभिरुद्धं एवंभूओ भणइ—

जं जं भणसि तं तं सच्चं कसिणं पडिपुणं निरवसेसं
एगगहणगहियं देसे वि मे अवत्थू, पएसे वि मे
अवत्थू ।

मे तं पएसदिट्ठनेणं । से तं नयप्पमाणे ।

—अणु० सु० ४७६

प्र०—क्यों ?

उ०—यहाँ दो समास होते हैं, यथा—

(१) तत्पुरिसे, (२) कर्मधारय ।

प्र०—तुम किस समास से कहते हो—यह जाना नहीं जाता
है—तत्पुरिसे समास कहते हो या कर्मधारय समास कहते हो ?

यदि तत्पुरिसे समास कहते हो तो इस प्रकार न कहो ।

कर्मधारय समास कहते हो तो विशेष रूप से कहो, अर्थात्
स्पष्ट कहो ।

धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह धर्मास्तिकाय ही है, अर्थात्
धर्मास्तिकाय में अभिन्न है ।

अधर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वह अधर्मास्तिकाय ही है
अर्थात् अधर्मास्तिकाय में अभिन्न है ।

आकाशास्तिकाय का जो प्रदेश है वह आकाशास्तिकाय ही
है अर्थात् आकाशास्तिकाय में अभिन्न है ।

(धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों
एक-एक द्रव्यात्मक हैं, अतः इस प्रकार कहना ही उचित है)

जीवास्तिकाय का जो प्रदेश है अर्थात् एक जीव जीवास्तिकाय
नहीं है ।

(जीवास्तिकाय अनन्त जीवात्मक है अतः एक जीव जीवा-
स्तिकाय नहीं हो सकता)

स्कन्ध का जो (एक) प्रदेश है वह स्कन्ध नहीं है ।

(स्कन्ध जघन्य दो प्रदेशात्मक—यावत्—अनन्त प्रदेशात्मक
होते हैं, अतः एक प्रदेश स्कन्ध नहीं है ।)

इस प्रकार कहते हुए ममभिरुद्धनय वाले को एवंभूतनय
वान्ना कहता है—

तुम जिन-जिन द्रव्यों के सम्बन्ध में कहते हो उन सबको पूर्ण,
अव्यण्ड, निरवशेष एक के ग्रहण से ग्रहण किये जाने वालों को
द्रव्य मानता हूँ । 'मैं देण को भी अवस्तु मानता हूँ और प्रदेश को
भी अवस्तु मानता हूँ ।'

प्रदेश दृष्टान्त समाप्त ।



धम्मसरूव—

धर्म का स्वरूप—

३३. समयए धम्मे आरिएहि पवेइए ।

—आ० सु० १, अ० ५, उ० ३, सु० १५७

अविरोहो धम्मो—

३४. भूएहि न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे वुसीमओ ।
वुसिमं जगं परिस्साय, अस्स जीवित्त-भावणा ॥

भावणा-जोग-सुद्धप्पा, जले नावा व आहिया ।
नावा व तीर-संपन्ना. सत्त्वदुक्खा तिउट्टइ ॥

—सू० सु० १, अ० १५, गा० ४-५

आणा धम्मो—

३५. “आणाए मामगं धम्मं” एस उत्तरवादे इह माणवाणं विया-
हिए । —आ० सु० १, अ० ६, उ० २, सु० १८५

धम्मपरिणामाई—

३६. प०—धम्मसद्धाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—धम्मसद्धाएणं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ ।
आगारधम्मं च णं चयइ । अणगारिएणं जीवे सारीर-
माणसाणं दुक्खाणं छेयण-भेयण-संजोगाइणं-वोच्छेयं
करेइ, अब्वावाहं च सुहं निव्वत्तेइ ।

—उत्त० अ० २६, सु० ५

धम्मस्स भेयप्पभेया—

३७. दुविहे धम्मं पणत्ते, तं जहा—सुयधम्मं चेव, चरित्तधम्मं
चेव ।

सुयधम्मं दुविहे पणत्ते, तं जहा—सुत्तसुयधम्मं चेव, अत्य-
सुयधम्मं चेव ।

चरित्तधम्मं दुविहे पणत्ते, तं जहा—आगारचरित्तधम्मं चेव,
अणगारचरित्तधम्मं चेव ।

—ठाण० अ० २, उ० १, सु० ६१

३३. आयों ने समता में धर्म कहा है ।

अविरोध धर्म—

३४. प्राणियों के साथ वैर-विरोध न करे, यही तीर्थंकर का या
सुसंयमी का धर्म है । सुसंयमी साधु (त्रस-स्थावर रूप) जगत् का
स्वरूप सम्यक् रूप से जानकर इस वीतराग प्रतिपादित धर्म में
जीवित्त भावना (जीव-समाधान-कारिणी पच्चीस या बारह प्रकार
की भावना) करे ।

भावनाओं के योग (सम्यक् प्रणिधान रूप योग) से जिसका
अन्तरात्मा शुद्ध हो गया है, उसकी स्थिति जल में नौका के समान
(संसार समुद्र को पार करने में समर्थ) कही गई है । किनारे पर
पहुँची हुई नौका विश्राम करती है, वैसे ही भावनायोगसाधक भी
संसार समुद्र के तट पर पहुँचकर समस्त दुःखों से मुक्त हो
जाता है ।

आज्ञा धर्म—

३५. भगवान महावीर ने कहा—“मेरा अभिमत धर्म मेरी आज्ञा
पालने में है, मानवों के लिए यह मेरा सर्वोपरि कथन है ।”

धर्म के परिणाम—

३६. प्र०—हे भगवन् ! धर्म-श्रद्धा से जीव को किस फल की
प्राप्ति होती है ?

उ०—हे गौतम ! सातावेदनीय कर्मजन्य सुख में अनुराग
रखता हुआ यह जीव वैराग्य प्राप्त करता है, फिर गृहस्थधर्म
को छोड़कर अनगार-धर्म को ग्रहण करता हुआ शारीरिक और
मानसिक दुःखों का छेदन, भेदन तथा अनिष्ट संयोगजन्य मानसिक
दुःख का व्यवच्छेद कर देता है । तदनन्तर सर्व बाधा रहित सुख
का संपादन करता है ।

धर्म के भेद-प्रभेद—

३७. धर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) श्रुतधर्म (द्वादशांग-
श्रुत का अभ्यास करना), चारित्र धर्म (सम्यक्त्व, व्रत, समिति
आदि का आचरण) ।

श्रुतधर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) सूत्र-श्रुतधर्म
(मूल सूत्रों का अध्ययन करना), (२) अर्थ-श्रुतधर्म (सूत्रों के
अर्थ का अध्ययन करना) ।

चारित्रधर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) अगारचारित्र
धर्म (श्रावकों का अणुव्रत आदि रूप धर्म), (२) अनगारचारित्र
धर्म (साधुओं का महाव्रत आदि रूप धर्म) ।

तिविहे धम्मे पणत्ते, तं जहा—

१. सुयधम्मे,

२. चरित्तधम्मे,

३. अस्तिकायधम्मे ।

—ठाणं० अ० ३, उ० ३, सु० १६४

तिविहे भगवया धम्मे पणत्ते, तं जहा—

सुअहिज्झिए,

सुझाइए,

सुतवस्सिए ।

जया सुअहिज्झियं भवइ, तथा सुझाइयं भवइ ।

जया सुझाइयं भवइ, तथा सुतवस्सियं भवइ ।

से सुअहिज्झिए, सुझाइए, सुतवस्सिए, सुयक्खाएणं, भगवया धम्मे पणत्ते । —ठाणं० अ० ३, उ० ४, सु० २१७

३८. दसविहे धम्मे पणत्ते, तं जहा—

गामधम्मे, नयरधम्मे, रट्टुधम्मे, पासंडधम्मे, कुलधम्मे, गण-
धम्मे, संघधम्मे, सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अस्तिकायधम्मे ।^१

—ठाणं० अ० १०, सु० ७६०

३९. दसविहे समणधम्मे पणत्ते, तं जहां—

खंति, मुत्ति, अज्जवे, मद्दवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे,
चियाए, वंभचेरवासे ।^२

—ठाणं० अ० १०, सु० ७१२

धर्म तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) श्रुतधर्म—वीतराग-भावना के साथ शास्त्रों का
स्वाध्याय रखना ।

(२) चारित्र-धर्म—मुनि और श्रावक के धर्म का परिपालन
करना ।

(३) अस्तिकाय-धर्म—प्रदेश वाले द्रव्यों को अस्तिकाय कहते
हैं और उनके स्वभाव को अस्तिकाय-धर्म कहा जाता है ।

भगवान ने तीन प्रकार का धर्म कहा है, यथा—

(१) सु-अधीत (समीचीन रूप से अध्ययन किया गया),

(२) सु-ध्यात (समीचीन रूप से चिन्तन किया गया),

(३) सु-तपस्थित (सु-आचरित) ।

जब धर्म सु-अधीत होता है, तब वह सु-ध्यात होता है ।

जब वह सु-ध्यात होता है, तब वह सु-तपस्थित होता है ।

सु-अधीत, सु-ध्यात और सु-तपस्थित धर्म को भगवान ने
सु-आख्यात (स्वाध्यात) धर्म कहा है ।

३८. धर्म दस प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) ग्रामधर्म, (२) नगरधर्म, (३) राष्ट्रधर्म, (४) पाखण्ड-
धर्म, (५) कुलधर्म, (६) गणधर्म, (७) संघधर्म, (८) श्रुतधर्म,
(९) चारित्रधर्म, (१०) अस्तिकायधर्म ।

३९. श्रमणधर्म दस प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) क्षमा, (२) अलोभ, (३) सरलता, (४) मृदुता,
(५) लघुता, (६) सत्य, (७) संयम, (८) तप, (९) न्याग,
(१०) ब्रह्मचर्यवास ।

१ इन दस धर्मों में पहले चार धर्म लौकिक धर्म हैं । पाँचवाँ, छठा और सातवाँ लौकिक एवं लोकोत्तर दोनों धर्म हैं । आठवाँ और
तीसवाँ लोकोत्तर धर्म हैं । दसवाँ द्रव्य धर्म है ।

२ (क) चत्तारि धम्मदारा पणत्ता, तं जहा—खंति, मुत्ति, अज्जवे, मद्दवे ।

—ठाणं ४, उ० ४, सु० ३७२

(ख) पंच अज्जवठाणा पणत्ता, तं जहा—साहु अज्जवं, साहु मुद्दवं, साहु लाघवं, साहु खंति, साहु मुत्ति ।

—ठाणं अ० ५, उ० १, सु० ४००

(ग) सम० १०, सु० १

(घ) चाई, लज्जू, धन्ने, तवस्सी, खंतिधम्मे, जिनिदिए, सोहिए, अणियाणे, अबहिल्लेसे, अममे, अकिचणे, छिन्नगंथे, निरुवलेवे ।

—प० संवरद्वार, ५, सु० ६

(च) भिक्खुधम्ममि दसविहे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं से न अच्छइ मंडले ।

—उत्त० अ० ३१, गा० १०

(छ) पंच ठाणाइं समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं गिगंथाणं निच्चं, वण्णिताइं निच्चं कित्तिताइं निच्चं बुइयाइं निच्चं
पसत्थाइं निच्चमभुणुणाताइं भवन्ति तं जहा—खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दवे, लाघवे ।

पंच ठाणाइं समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं गिगंथाणं निच्चं वण्णिताइं जाव निच्चंमभुणुणायाइं तं जहा—१. सच्चे

२. संजमे, ३. तवे, ४. चियाए, ५. वंभचेरवासे ।

—ठाणं० अ० ५, उ० १, सु० ३६६

प०—१. खन्तीए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—खन्तीए णं परीसहे जणइ ।

प०—(२) मुत्तीए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—मुत्तीए णं अकिंचणं जणयइ । अकिंचणे य जीवे अत्य-
लोलाणं पुरिसाणं अपत्यणिज्जो भवइ ।

प०—३. अज्जवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—अज्जवयाए णं काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं
अविसंवायणं जणयइ । अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे
धम्मस्स आराहए भवइ ।

प०—४. महवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—महवयाए णं अणुस्सियत्तं जणयइ । अणुस्सियत्ते णं
जीवे मिउमहवसंपन्ने अट्ट मयट्ठाणाइं निट्ठवेइ ॥

—उत्त० अ० २९, सु० ४८-५१

प०—५. पडिक्खयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—पडिक्खयाए णं लाघवियं जणयइ । लहुभूए णं जीवे
अप्पमत्ते पागडालिगे पसत्थालिगे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमि-
इसमत्ते सब्बपाणभूयजीवसत्तेसु चीससणिज्जरूवे अप्प-
डिलेहे जिइन्दिए विउलतवसमिइसमन्नागए वावि
भवइ ।

—उत्त० अ० २९, सु० ४४

प०—६. (क) भावसच्चे णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—भावसच्चे णं भावविसोहिं जणयइ । भावविसोहिंए
वट्टमाणे जीवे अरहन्तपन्नत्तस धम्मस्स आराहणयाए
अब्भुट्ठेइ । अरहन्तपन्नत्तस धम्मस्स आराहणयाए
अब्भुट्ठिता “परलोकधम्मस्स आराहए” हवइ ।

(ख) करणसच्चे णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

करणसच्चे णं करणसंत्तिं जणयइ । करणसच्चे वट्टमाणो
जीवे जहावाइं तहाकारी यावि भवइ ।

(ग) जोगसच्चे णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

जोगसच्चे णं जोगं विसोहेइं ।

—उत्त० अ० २९, सु० ५०-५२

प्र०—(१) भंते ! क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—क्षमा से वह परीषहों पर विजय प्राप्त कर लेता है ।

प्र०—(२) भंते ! मुक्ति (निर्लोभता) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—मुक्ति से जीव अकिंचनता को प्राप्त होता है । अकिंचन जीव अर्थ-लोलुप पुरुषों के द्वारा अप्रार्थनीय होता है—उसके पास कोई याचना नहीं करता ।

प्र०—(३) भंते ! ऋजुता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—ऋजुता से वह काया की सरलता, मन की सरलता, भाषा की सरलता और अवंचक वृत्ति को प्राप्त होता है । अवंचक वृत्ति से सम्पन्न जीव धर्म का आराधक होता है ।

प्र०—(४) मृदुता से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—मृदुता से वह अनुद्धत मनोभाव को प्राप्त करता है । अनुद्धत मनोभाव वाला जीव मृदु-मार्दव से सम्पन्न होकर मद के आठ स्थानों का विनाश कर देता है ।

प्र०—(५) भंते ! प्रतिरूपता (जिनकल्पिक जैसे आचार का पालन करने से) जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रतिरूपता से वह हल्केपन को प्राप्त होता है । उप-करणों के अल्पीकरण से हल्का बना हुआ जीव अप्रमत्त, प्रकर्मलिग-वाला, प्रशस्त लिग वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, पराक्रम और समिति से परिपूर्ण, सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के लिए विश्वसनीय रूप वाला, अल्प-प्रतिलेखन वाला, जितेन्द्रिय तथा विपुल तप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है ।

प्र०—(६) (क) भंते ! भाव-सत्य (अन्तर-आत्मा की सचाई) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—भाव-सत्य से वह भाव की विशुद्धि को प्राप्त होता है । भाव विशुद्धि में वर्तमान जीव अर्हत्-प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए तैयार होता है । अर्हत्-प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में तत्पर होकर वह ‘परलोक-धर्म का आराधक’ होता है ।

(ख) भंते ! करण-सत्य (कार्य की सचाई) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—करण सत्य से वह करण-शक्ति (अपूर्व कार्य करने की सामर्थ्य) को प्राप्त होता है । करण-सत्य में वर्तमान जीव जैसा कहता है वैसा करता है ।

(ग) भंते ! योग-सत्य (मन, वाणी और काया की सचाई) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—योग-सत्य से वह मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति को विशुद्ध करता है ।

प०—७. संजमेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—संजमेणं अण्हयत्तं जणयइ ।

प०—८. तवेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—तवेणं बोदाणं जणयइ ।^१

—उत्त० अ० २६, सु० २८-२९

धम्ममाहप्पं —

४०. एस धम्मे सुद्धे णित्थिइए सासए समेच्च लोयं खेत्तणोहि पवे-
चित्ते । तं जहा—

उट्ठिएसु वा, अणुट्ठिएसु वा, उवट्ठिएसु वा, अणुवट्ठिएसु वा,
उवरतदंडेसु वा, अणुवरतदंडेसु वा, सोवधिएसु वा अणुवधिएसु
वा, संजोगरएसु वा, असंजोगरएसु वा ।

तच्चं चेतं तथा चेतं अस्सि चेतं पवुच्चति ।

तं आइत्तु ण णिहे, ण णिविखवे, जाणित्तु धम्मं जहा-तहा ।

दिट्ठेहि णिव्वेयं गच्छेज्जा ।

णो लोगस्सेसणं चरे ।

जस्स णत्थि इमा णातो, अण्णा तस्स कओ सिया ?

दिट्ठं सुयं मया विण्णायं, जमेयं परिकहिज्जति ।

समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जातिं पकप्पेति ।

अहो य रातो य जतमाणो धीरे सया आगतपण्णाणे, पमत्ते
बहिया पास, अप्पमत्ते सया परक्कमेज्जासि ।

—आ० सु० १, अ० ४, उ० १, सु० १३२-१३३

४१. सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।

निव्वारणं परमं जाई, धय-सित्तं व्व पावए ॥

प्र०—(७) भंते ! संयम से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—संयम से जीव आश्रव का निरोध करता है ।

प्र०—(८) भंते ! तप से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—तप से वह व्यवदान—पूर्व-संचित कर्मों को क्षीण कर
विशुद्धि को प्राप्त होता है ।

धर्म का माहात्म्य—

४०. यह धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है । खेदज्ञ अहंताओं ने
(जीव) लोक को सम्यक् प्रकार से जानकर इसका प्रतिपादन
किया है ।

जो धर्माचरण के लिए उठे हैं अथवा अभी नहीं उठे हैं । जो
धर्मश्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं, या नहीं हुए हैं, जो (जीवों को
मानसिक, वाचिक और कायिक) दण्ड देने से उपरत हैं, अथवा
अनुपरत हैं, जो उपाधि से युक्त हैं अथवा उपाधि से रहित हैं, जो
संयोगों में रत हैं, अथवा संयोगों में रत नहीं हैं ।

वह (अरिहन्त-प्ररूपित धर्म) तत्त्व-सत्य है, तथ्य है, (तथारूप
ही है) यह इसमें सम्यक् रूप से प्रतिपादित है ।

साधक उस (धर्म) को ग्रहण करके (उसके आचरण हेतु
आनी शक्तियों को) छिपाए नहीं और न ही उसे (आवेश में
आकर) फँके या छोड़े । धर्म का जैसा स्वरूप है, वैसा जानकर
(आजीवन उसका आचरण करे) ।

(इष्ट-अनिष्ट) रूपों (इन्द्रिय-विषयों) से विरक्ति प्राप्त करे ।

वह लोकपणा में न भटके ।

जिस मुमुक्षु में यह (लोकपणा) बुद्धि नहीं है, उससे अन्य
प्रवृत्ति कैसे होगी ? अथवा जिसमें सम्यक्त्व ज्ञाति नहीं है या
अहिंसा बुद्धि नहीं है उसमें विवेक बुद्धि कैसे होगी ?

यह जो धर्म कहा जा रहा है वह दृष्ट; श्रुत (सुना हुआ) मत
(माना हुआ) और विशेष रूप से ज्ञात (अनुभूत) है ।

हिंसा में रचे रहने वाले और उसी में लीन रहने वाले मनुष्य
वार-वार जन्म लेते रहते हैं ।

(सम्यग्दर्शन में) अहंनिश यत्न करने वाले, सतत प्रज्ञावान्,
धीर साधक उन्हें देख; जो प्रमत्त है, (धर्म से) बाहर हैं । इसलिए
तू अग्रमत्त होकर (सम्यक्त्व में पराक्रम कर) ऐसा मैं कहता हूँ ।

४१. जो ऋजुमूत (सरल) होता है, उसे शुद्धि प्राप्त होती है और
जो शुद्ध होता है उसमें ब्रम ठहरता है (जिसमें धर्म स्थिर है, वह)
घृत से सिक्त (सींची हुई) अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध
आत्मदीप्ति) को प्राप्त होता है ।

१ (क) चेद्दए—त्याग के लिए देविए ज्ञानाचार ।

(ख) वंभचेरवासे के लिए देविए ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

विगिंच कम्पुणो हेउ, जसं संचिणु खन्तिए ।
पाढवं सरीरं हिच्चा, उड्डं पक्कमई दिसं ॥

विसालितोहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तर - उत्तरा ।
महासुक्का व दिप्पन्ता, मन्नन्ता अपुणच्चवं ॥

अप्पिया देवकामाणं, कामरूव - विउच्चिणो ।
उड्डं कप्पेसु चिट्ठन्ति, पुन्वा वाससया बहू ॥

तत्थ ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए चुया ।
उवेन्ति माणुसं जोणिं, से दंसगे भिजायइ ॥

खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च, पसवो दास - पोहंसं ।
चत्तारि काम-खन्धाणि, तत्थ से उववज्जई ॥

मित्तवं नायवं होइ, उच्चागोए य वण्णवं ।
अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसोवले ॥

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाउयं ।
पुव्वं विसुद्ध - सद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्झिया ॥

चउरंगं दुल्लहं मत्ता, संजमं पडिबज्झिया ।
तवसा धुय कम्मसे, सिद्धे हवइ सासए ॥

—उत्त. अ. ३, गा. १२-२०

धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्म - वारही ।
धम्मारामे रए दंते, बंभचेर समाहिए ॥

—उत्त. अ. १६, गा. १७

एस धम्मे धुवे णिच्चे, सासए जिणदेसिए ।
सिद्धा सिज्जन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति तहावरे ॥

—उत्त. अ. १६, गा. १६

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

—दस. अ. १, गा. १

धम्मस्स आराहया—

४२. तं आइत्तु न निहे, न निखिखे—
जाणित्तु धम्मं जहा तथा.....

—आ. सु. १, अ. ४, उ. १, सु. १३३

कर्म के हेतु को दूर कर क्षमा से यश (संयम) का संचय कर।
ऐसा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग
या मोक्ष) को प्राप्त होता है।

विविध प्रकार के शीलों की आराधना करके जो देव कल्पों
व उसके ऊपर के देवलोकों की आयु का भोग करते हैं, वे उत्तरो-
त्तर महाशुक्ल (चन्द्र-सूर्य) की तरह दीप्तिमान् होते हैं। “स्वर्ग से
पुनः च्यवन नहीं होता” ऐसा मानते हैं।

वे देवों भोगों के लिए अपने आप अर्पित किए हुए रहते हैं।
इच्छानुसार रूप करने में समर्थ होते हैं तथा सैकड़ों पूर्व-जपों तक
असंख्य काल तक वहाँ रहते हैं।

वे देव उन कल्पों में अपनी शील की आराधना के अनुरूप
स्थानों में रहते हुए आयु-क्षय होने पर वहाँ से च्युत होते हैं, फिर
मनुष्य-योनि को प्राप्त होते हैं। वे वहाँ दस अंगों वाली भोग
सामग्री से युक्त होते हैं।

क्षेत्र, वास्तु, स्वर्ण पशु और दास पौरुषेय—जहाँ ये चार
काम-स्कन्ध होते हैं उन कुलों में वे उत्पन्न होते हैं।

वे मित्रवान्, ज्ञातिमान्, उच्च गोत्र वाले, वर्णवान्, निरोग,
महाप्रज्ञ, अभिजात, यशस्वी और बलवान् होते हैं।

जीवन भर अनुपम मानवीय भोगों को भोगकर, पूर्व-जन्म में
विशुद्ध-सद्धर्मी (निदान रहित तप करने वाले) होने के कारण वे
विशुद्ध बोधि का अनुभव करते हैं।

वे उक्त चार अंगों को दुर्लभ मानकर संयम को स्वीकार
करते हैं। फिर तपस्या से कर्म के सब अंशों को धुनकर शाश्वत
सिद्ध हो जाते हैं।

हे ब्रह्मचर्यनिष्ठ ! दान्त धैर्यवान् धर्मरूप आराम में रत
भिक्षु ! तू धर्मरूप रथ का सारथी बनकर धर्मरूप आराम में
विचरण कर।

यह निर्ग्रन्थकथित धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। इससे
अनेक आत्माएँ अतीत में सिद्ध हुई हैं, वर्तमान में सिद्ध हो रही हैं
और भविष्य में सिद्ध होंगी।

अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म उत्कृष्ट मंगल हैं। ऐसे धर्म
में जिसका मन रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

धर्म के आराधक—

४२. साधक धर्म का यथार्थ स्वरूप जानकर और स्वीकार कर न
माया करे और न धर्म को छोड़े।

अहेगे धम्ममादाय आदाणप्पमितिसुपणिहिए चरे अपलीयमाणे
दढे सव्वंगेहि परिणाय ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. १८४

तं मेहावी जाणेज्जा धम्मं ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. ४, सु. १९१

बुद्धा धम्मस्स पारगा ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ८, सु. २३०

जे एय चरंति आहियं, नातेणं महता महेसिणा ।

ते उट्ठिय ते समुट्ठिया, अन्नोज्जं सारेति धम्मओ ॥

—सू. सु. १, अ. २, उ. २, गा. २६

णो काहिए होज्ज संजए, पासणिए ण य संपसारए ।

णच्चा धम्मं अणुत्तरं, कयकिरिए ण यावि मामए ॥

—सू. सु. १, अ. २, उ. २, गा. २८

छन्नं च पसंसं णो करे, न य उक्कोस-पगास-माहणे ।

तेसि सुविवेगमाहिते, पणया जेहि सुज्झोसिसं धुयं ॥

अणिहे सहिए सुसंबुडे, धम्मट्ठी उवहाणवीरिए ।

विहरेज्ज समाहिंतिदिए, आयहियं खु दुहेण लब्भइ ॥

—सू. सु. १, अ. २, उ. २, गा. २९-३०

जेहि काले परवकंत्तं, न पच्छा परितप्पइ ।

ते धीरा वंधणुम्मुक्का, नावकंखंति जीवियं ॥

—सू. सु. १, अ. ३, उ. ४, गा. १५

एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिपुद्धरे ।

आरियं उवसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवियं ॥

सह संमइए णच्चा, धम्मसारं सुणेत्तु वा ।

समुवट्ठिए अणगारे, पक्कवखाए य पावए ॥

—सू. सु. १, अ. ८, गा. १३-१४

प०—जे इमे भंते ! उग्गा, भोगा, राइन्ना, ईक्खागा, नाया,

कोरव्वा एएणं अस्सि धम्मो ओगाहंति ?

अस्सि धम्मो ओगाहंति अस्सि अट्ठविहं कम्मरयमलं
पवाहंति ?

अट्ठविहं कम्मरयमलं पवाहित्ता तओ पच्छा सिज्झंति,
बुज्झंति; मुच्चंति, परिणिच्चार्यंति, सव्वदुक्खाणमंतं
करंति ?

कुछ साधक-धर्म स्वीकार करके प्रारम्भ से ही मायाजाल में
नहीं फँसते हुए दृढ़तापूर्वक सर्व प्रतिज्ञा का पालन करते हैं ।

मेघावी पुरुष सर्वज्ञप्रज्ञप्त धर्म को जाने ।

बुद्ध पुरुष धर्म के पारंगत होते हैं ।

महान् महर्षि ज्ञातपुत्र के द्वारा कहे हुए इस धर्म का जो
आचरण करते हैं वे ही उत्थित हैं, वे ही समुत्थित हैं और वे ही
एक दूसरे को धर्म में प्रवृत्त करते हैं ।

संयत साधक विकथा न करे, प्रश्न-फल न कहे और ममत्व
न करे किन्तु लोकोत्तर धर्म का अनुष्ठान करे ।

माहन (अहिंसाधर्मी साधु) छन्न (माया) और पसंस (लोभ)
न करे, और न ही उक्कोस (मान) और पगास (क्रोध) करे ।
जिन्होंने धृत (कर्मों के नाशक संयम) का अच्छी तरह सेवन
(अभ्यास) किया है, उन्हीं का सुविवेक (उत्कृष्ट विवेक) प्रसिद्ध
है, वे ही अनुत्तर धर्म के प्रति प्रणत (समर्पित) हैं ।

वह अनुत्तर-धर्म-साधक किसी भी वस्तु की स्पृहा या आसक्ति
न करे, ज्ञान दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि करने वाले हितावह कार्य
करे, इन्द्रिय और मन को गुप्त सुरक्षित रखे, धर्मार्थी तपस्या में
पराक्रमी बने, इन्द्रियों को समहितवशवर्ती रखे इस प्रकार संयम
में विचरण करे, क्योंकि आत्महित स्व-कल्याण दुःख से प्राप्त
होता है ।

धर्मोपार्जन काल में जिन पुरुषों ने धर्मोपार्जन किया है वे
पश्चात्ताप नहीं करते हैं । वंधन से छूटे हुए वे धीर पुरुष असंयमी
जीवन की इच्छा नहीं करते हैं ।

मेघावी साधक अपनी आसक्ति को छोड़े और सर्व धर्मों से
अद्वेषित आर्य धर्म को स्वीकार करे ।

स्व सम्मति से धर्म के स्वरूप को और धर्म के सार को सुन-
कर जो अनगार साधक आत्म-उत्थान के लिए तैयार होता है वह
पापो का प्रत्याख्यान कर देता है ।

प्र०—हे भगवन् ! जो उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल,
इक्ष्वाकुकुल, ज्ञातकुल और कौरव्यकुल के क्षत्रिय हैं, क्या वे सब
इस धर्म में प्रवेश करते हैं ?

प्रवेश करके आठ प्रकार के कर्मरूप रजमल को धोते हैं ?

आठ प्रकार के कर्मरज मल को धोकर पश्चात् वे सिद्ध, बुद्ध,
मुक्त एवं परिनिवृत्त होकर सब दुःखों का अन्त करते हैं ?

उ०—हंता गोवमा ! जे इमे उग्गा, भोगा, तं चेव—अंतं करंति । अत्थेगइया अन्नजरेमु देवलोएसु देवत्ताए उव-यत्तारो भवंति । —वि. न. २०, उ. ८, सु. १६

धम्माणहिगारिणो—

४३. "न इत्थं तयो वा दमो णियमो वा दिस्सति" संपुणं वाले जोधित्थामे सालप्पमाणे मूढे विप्परियासमुवेति ।

—आ. नु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७७

जरा—मच्चुवसोवणीते नरे सततं मूढे धम्मं नाभिजाणति ।

—आ. नु. १, अ. ३, उ. १, सु. १०८

अणुत्तरधम्मस्स आराहणा—

४४. उत्तरमणुयाण आहिया, गामधम्मा इति मे अणुस्सुतं । जंसी विरता समुट्ठिता, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥

जे एय चरंति आहियं, नातेणं महता महेत्तिणा । ते उट्ठित ते समुट्ठिता, अन्नोन्नं सारंति धम्मओ ॥

मा पेह पुरा पणामए, अभिकंखे उवाहं घुणित्तए । जे इवणतेहि णो णया, ते जाणंति समाहिमाहियं ॥

णो चाहिए होज्ज संजए, पासणिए णं य संपसारए । णत्था धम्मं अणुत्तरं, कयकिरिए य णा यावि मामए ॥

ण हि पूण पुरा अणुस्सुतं, अदुया तं तह णो समुट्ठियं । पुणित्ता सामाहियाहितं, णाएणं जगत्तव्वदंतिणा ॥

उ०—हे गीतम ! जो उग्रकुल आदि के क्षत्रिय हैं, वे—यावत्—सब दुःखों का अन्त करते हैं और कुछ एक क्षत्रिय देवलोकों में देवरूप में उत्पन्न होते हैं ।

धर्म के अनधिकारी—

४३. भोगमय जीवन का इच्छुक सर्वथा बाल एवं मूढ़ मानव इस प्रकार प्रलाप करता है कि—“इस जगत में तप, इन्द्रिय दमन तथा नियम किसी काम के नहीं हैं ।”

जरा और मृत्यु के आक्रमण से त्रस्त एवं मोह से मूढ़ बना हुआ मानव कदापि धर्मज्ञ नहीं हो सकता है ।

अनुत्तर धर्म की आराधना—

४४. मैंने (सुधर्मा स्वामी ने) परम्परा से यह सुना है कि ग्राम-धर्म (पांचों इन्द्रियों के शब्दादि विषय अथवा मथुन सेवन) इस लोक में मनुष्यों के लिए उत्तर (दुर्जेय) कहे गये हैं । जिनसे विरत (निवृत्त) तथा संयम (संयमानुष्ठान) में उत्थित (उद्यत) पुरुष ही काश्यपगोत्रीय भगवान ऋषभदेव अथवा भगवान महावीर स्वामी के धर्मानुयायी साधक हैं ।

जो पुरुष महान् महर्षि ज्ञातपुत्र के द्वारा इस धर्म का आचरण करते हैं, वे ही मोक्षमार्ग में उत्थित (उद्यत) हैं, और वे सम्यक् प्रकार से समुत्थित (समुद्यित) हैं तथा वे ही धर्म से (विचलित या भ्रष्ट होते हुए) एक-दूसरे को संभालते हैं, पुनः धर्म में स्थिर या प्रवृत्त करते हैं ।

पहले भोगे हुए शब्दादि विषयों (प्रणामकों) का अन्तर्निरीक्षण या स्मरण मत करो । उपधि, माया या अष्टविध कर्म-परिग्रह को धुनने-दूर करने की अभिकांक्षा (इच्छा) करो । जो दुर्मनस्कों (मन को दूषित करने वाले शब्दादि विषयों) में नत (समर्पित या आसक्त नहीं है, वे (साधक) अपनी आत्मा में निहित समाधि (राग-द्वेष से निवृत्ति या धर्मध्यानस्थ चित्तवृत्ति) को जानते हैं ।

संयमी पुरुष विरुद्ध काथिक (कथाकार) न बने, न प्राश्निक (प्रश्नफलवक्ता) बने, और न ही सम्प्रसारक (वर्षा, वित्तोपाजन आदि के उपाय निर्देशक) बने, न ही किसी वस्तु पर ममत्ववान् हो; किन्तु अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) धर्म को जानकर संयमरूप धर्म-क्रिया का अनुष्ठान करे ।

जगत् के समस्त भावदर्शी ज्ञातपुत्र मुनि पुंगव भगवान महावीर ने जो सामायिक आदि का प्रतिपादन किया है, निश्चय ही जीवों ने उसे सुना ही नहीं है, (यदि सुना भी है तो) जैसा उन्होंने कहा, वैसा (यथार्थ रूप से) उसका आचरण (अनुष्ठान) नहीं किया है ।

एवं मत्ता महंतरं, धम्ममिणं सहिता बहू जणा ।
गुरुणो छंदाणुवत्तगा, विरता तिल्ल महोधमाहितं ॥^१

—सूय. सु. १, अ. २, उ. २, गा. २५-३२

धम्मस्स दीवोवमा—

४५. जहा से दीवे असंदीणे एवं से धम्मे आरिपपदेसिए । ते
अणवकंल्लमाणा अणतिवातेमाणा दइता मेघाविणो पंडिता ।^२

—आ. सु. १, अ. ६, उ. ३, सु. १८६

केवलपणत्तस्स धम्मस्स अपत्ति—

४६. दो ठाणाइं अपरियाणेतता भाया णो केवलपणत्तं धम्मं
लभेज्ज सवणयाए, तं जहा—आरम्भे च्चव, परिग्गहे च्चव ।

—ठाणं अ. ८, उ. १, सु. ५४

केवलपणत्तस्स धम्मस्स पत्ति—

४७. दो ठाणाइं परियाणेतता आया केवलपणत्तं धम्मं लभेज्ज
सवणयाए, तं जहा—आरम्भे च्चव, परिग्गहे च्चव ।

दोहिं ठाणेहिं आया केवलपणत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए,
तं जहा - सोच्चच्चेव, अस्समेच्च च्चेव ।

—ठा. अ. २, उ. १, सु. ५५

४८. प०—असोच्चा णं भंते ! केवलस्स वा, केवलिसावगस्स वा,
केवलिसावियाए वा, केवलिसावसगस्स वा, केवलिसाव-
सियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा,
तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्खियउवासगस्स वा, तप्प-
क्खियउवासियाए वा, केवलपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
सवणयाए ?

उ०—गोयमा ! असोच्चा णं केवलस्स वा—जाय—तप्प-
क्खियउवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलपन्नत्तं धम्मं
लभेज्जा सवणयाए. अत्येगत्तिए, केवलपन्नत्तं धम्मं नो
लभेज्जा सवणयाए ।

इस प्रकार जानकर सबसे महान् (अनुत्तर) आर्हद्धर्म को
मान (स्वीकार) करके ज्ञानादि-रत्नत्रय-सम्पन्न गुरु से छन्दानुवर्ती
(आज्ञाधीन या अनुज्ञानुसार चलने वाले) एवं पाप से विरत अनेक
मानवों (साधकों) ने इस विशाल प्रवाहमय संसार सागर को पार
किया है, यह भगवान महावीर ने कहा है ।

धर्म को द्वीप की उपमा—

४५. जैसे असंदीन (जल में नहीं डूबा हुआ) द्वीप (जलपोतयात्रियों
के लिए) आशवासन-स्थान होता है, वैसे ही आर्य (तीर्थंकर) द्वारा
उपदिष्ट धर्म (संसार समुद्र पार करने वालों के लिए आशवासन-
स्थान) होता है ।

केवलप्रज्ञप्त धर्म की अप्राप्ति—

४६. आरम्भ और परिग्रह—इन दो स्थानों को ज्ञपरिज्ञा से जाने
और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़े बिना आत्मा केवलप्रज्ञप्त धर्म
को नहीं सुन पाता ।

केवलप्रज्ञप्त धर्म की प्राप्ति—

४७. आरम्भ और परिग्रह—इन दोनों स्थानों को ज्ञपरिज्ञा से
जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर आत्मा केवल-
प्रज्ञप्त धर्म को सुन पाता है ।

धर्म की उपादेयता सुनने और उसे जानने, इन दो स्थानों
(कारणों) से आत्मा केवल प्रज्ञप्त-धर्म को सुन पाता है ।

४८. प्र०—हे भदन्त ! केवली से, केवली के श्रावक से, केवली
की श्राविका से, केवली के उपासक से, केवली की उपासिका से,
केवली के पाक्षिक से, केवली पाक्षिक श्रावक से, केवली-पाक्षिक
श्राविका से, केवली पाक्षिक उपासक से, केवली पाक्षिक उपासिका
से बिना सुने ही कोई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म के श्रवण का लाभ
प्राप्त कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवलीपाक्षिक उपा-
सिका से बिना सुने कई जीव केवलीप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त
कर सकते हैं । कई जीव केवलीप्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं
कर सकते हैं ।

१ संज्ञाय पेसलं धम्मं दिट्ठमं परिनिव्वुडे ।

—सूय० सु० २, अ० ३, उ० ३, सु० २३२

२ प०—महाउदग-वेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं । सरणं गई पइट्ठा य दीवं के मन्नसी मुणी ?

उ०—अत्थि एणो महादीवो, वारिमज्जे महालओ । महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विज्जई ॥

प०—दीवे य इइ के वुत्ते ? केसी गोयममव्ववी । केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥

उ०—जरा—मरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं । धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥

—उत्त०, अ० २३, गा० ६५-६८

प०—से केणट्टेणं भंते एवं वुच्चइ—

असोच्चा णं केवलस्स वा—जाव—तप्पक्खिय उवा-
सियाए वा अत्थेगतिए केवलपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
सवणयाए अत्थेगतिए केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा
सवणयाए ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-
वसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलस्स वा—जाव—
तप्पक्खियउवासियाए वा केवल-पन्नत्तं धम्मं
लभेज्जा सवणयाए ।

जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे
भवइ, से णं असोच्चा केवलस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवल पन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा
सवणयाए ।

से तेणट्टेणं गोयमा एवं वुच्चइ—

जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे
भवइ, से णं असोच्चा केवलस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवल पन्नत्तं धम्मं लभेज्जा ।

जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे
भवइ, से णं असोच्चा केवलस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवल पन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. १३

प०—सोच्चा णं भंते ! केवलस्स वा, केवलिसावगस्स वा,
केवलिसावियाए वा, केवलउवासगस्स वा, केवलउवा-
सियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा,
तप्पक्खियसावियाए वा, तपक्खियउवासगस्स वा, तप्प-
क्खियउवासियाए वा, केवलपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
सवणयाए ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा णं केवलस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए केवलपन्नत्तं धम्मं
लभेज्जा सवणयाए, अत्थेगतिए केवलपन्नत्तं धम्मं नो
लभेज्जा सवणयाए।

प०—से केणट्टेणं भंते एवं वुच्चइ—

सोच्चा णं केवलस्स वा—जाव—तप्पक्खियउवा-
सियाए वा अत्थेगतिए केवलपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा
सवणयाए अत्थेगतिए केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा
सवणयाए ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-
वसमे नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलस्स वा
—जाव—तप्पक्खियउवासियाए वा केवल पन्नत्तं
धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए ।

प०—हे भदन्त ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

केवली से—यावत्—केवली-पाक्षिक उपासिका से विना सुने
कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण करते हैं, कई जीव केवली
प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण नहीं करते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम
हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से
विना सुने केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है ।

जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह
केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से विना सुने
केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं करता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली
से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से विना सुने केवली
प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है ।

जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह
केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से विना सुने
केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं कर सकता है ।

प०—भन्ते ! केवली से, केवली के श्रावक से, केवली की
श्राविका से, केवली के उपासक से, केवली की उपासिका से,
केवली में पाक्षिक से, केवली पाक्षिक श्रावक से, केवली पाक्षिक
उपासिका से सुनकर कोई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म के श्रवण का
लाभ प्राप्त कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवल पाक्षिक उपा-
सिका से सुनकर कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त
कर सकते हैं कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं
कर सकते हैं ।

प०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

केवल से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर
कई जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण करते हैं, और कई जीव
केवली प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण नहीं करते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं
हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से
सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण नहीं करता है ।

जस्त णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से ण सोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्पविखय-उवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ।

से तेणट्ठेणं गोयमा एवं वुच्चइ—

जस्त णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्पविखय-उवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए ।

जस्त णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्पविखय-उवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए । —वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

छद्मस्थ जाव परमाहोहिणं कमसो असिज्झणाइ-सिज्झणाइ परवणं—

४६. प०—छद्मस्थे णं भंते ! मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं, केवलेणं संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, केवलेणं वंसनेर-वासेणं, केवलाहिं पवयणमाताहिं सिज्झंसु—जाव—सव्वदुक्खाणमंतं करिंसु ?

उ०—गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—“मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं—जाव—अंतं करिंसु ?”

उ०—गोयमा ! जे केइ अंतकरा वा, अंतिमसरीरिया वा सव्वदुक्खामंतं करिंसु वा, करेति वा, करिस्संति वा, सव्वे ते उप्पन्नानाण-वंसणधरा अरहा जिणे केवली भवित्ता ततो पच्छा सिज्झंति—जाव—सव्वदुक्खाण-मंतं करिंसु वा, करेति वा, करिस्संति वा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—“मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं—जाव—सव्वदुक्खाणमंतं करिंसु ।”

पटुप्पन्ने वि एवं चैव, नवरं “सिज्झंति” भाणियव्वं ।

अणागते वि एवं चैव, नवरं “सिज्झस्संति” भाणियव्वं ।

जहा छद्मस्थो तथा आहोहिओ वि, तथा परमाहोहिओ वि । तिण्णि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा ।

—वि. स. १, उ. ४, सु. १२-१५

जिसके जानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है ।

गीतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

जिसके जानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है ।

जिसके जानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं करता है ।

छद्मस्थ— यावत्—परमावधियों का क्रम से सिद्ध होने न होने का प्ररूपण—

४६. प्र०—भगवन् ! क्या वीते हुए अनन्त शाश्वत काल में छद्मस्थ मनुष्य केवल संयम से, केवल संवर से, केवल ब्रह्मचर्य-वास से और केवल (अष्ट) प्रवचनमाता (के पालन) से सिद्ध हुआ है, बुद्ध हुआ है,—यावत्—समस्त दुःखों का अन्त करने वाला हुआ है ?

उ०—हे गीतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि पूर्वोक्त छद्मस्थ मनुष्य—यावत्—समस्त दुःखों का अन्तकर नहीं हुआ ?

उ०—गीतम ! जो भी कोई मनुष्य, कर्मों का अन्त करने वाले, चरम शरीरी हुए हैं, अथवा समस्त दुःखों का जिन्होंने अन्त किया है, जो अन्त करते हैं या करेंगे, वे सब उत्पन्न ज्ञानदर्शनधारी अर्हन्त, जिन और केवली होकर तत्पश्चात् सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने समस्त दुःखों का अन्त किया है, वे ही करते हैं और करेंगे, इसी कारण हे गीतम ! ऐसा कहा है कि—यावत्—समस्त दुःखों का अन्त किया ।

वर्तमान काल में भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि ‘सिद्ध होते हैं’, ऐसा कहना चाहिए ।

तथा भविष्यकाल में भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि ‘सिद्ध होंगे’, ऐसा कहना चाहिए ।

जैसा छद्मस्थ के विषय में कहा है, वैसा ही आधोवधिक और परमाधोवधिक के विषय में जानना चाहिए और उसके तीन-तीन आलापक कहने चाहिए ।

केवलिस्स मोक्खो संयुण्णणाणित्तं च—

५०. प०—केवली णं भंते ! मणूसे तीतमणंतं सासयं समयं—जाव—
सव्वदुक्खाणं अंतं करेसु ?

उ०—हंता, सिज्झिसु-जाव-सव्वदुक्खाणं अंतं करेसु । एते
तिणिण आलावगा भाणियव्वा छउमत्यस्स जघा, नवरं
सिज्झिसु, सिज्झंति, सिज्झिस्संति ।

प०—से नूणं भंते ! तीतमणंतं सासयं समयं, पडुप्पन्नं वा
सासयं समयं, अणागतमणंतं वा सासयं समयं जे केइ
अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वा सव्वदुक्खाणमंतं
करेसु वा करेति वा करिस्संति वा सव्वे ते उप्पन्नानाण-
दंसणधरा अरहा जिणे केवली भवित्ता तओ पच्छा
सिज्झंति-जाव-सव्वदुक्खाणं अंतं करेस्संति वा ?

उ०—हंता, गोयमा ! तीतमणंतं सासयं समयं-जाव-सव्व-
दुक्खाण अंतं करेस्संति वा ।

प०—से नूण भंते ! उप्पन्नानाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली
“अलमत्थु” ति वत्तव्वं सिया ?

उ०—हंता, गोयमा ! उप्पन्नानाण-दंसणधरे अरहा जिणे
केवली “अलमत्थु” ति वत्तव्वं सिया ।

—वि. श. १, उ. ४, सु. १६-१८

वलिपणत्तस्स धम्मस्स सवणाणुकूलो वयो—

५१. तओ वया पणत्ता, तं जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

तिहिं वएहिं आया केवलिपणत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए,
तं जहा—

पढमे वमे, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६१

केवलिपणत्तस्स धम्मस्स सवणाणुकूलो कालो—

५२. १. तओ जामा पणत्ता, तं जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

२. तिहिं जामेहिं आया केवलिपणत्तं धम्मं लभेज्ज
सवणयाए, तं जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६२

धम्माराहणाणुकूलखित्तं—

५३. (क) गामे अडुवा रण्णे,

(ख) णेव गामे, णेव रण्णे धम्ममायाणह ।

पवेइयं माहणेण मइमया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०२

केवली का मोक्ष और सम्पूर्ण ज्ञानित्व—

५०. प्र०—भगवन् ! वीते हुए अनन्त शाश्वत काल में केवली
मनुष्य ने—यावत्—सर्व दुःखों का अन्त किया है ?

उ०—हाँ गौतम ! वह सिद्ध हुआ,—यावत्—उसने समस्त
दुःखों का अन्त किया । यहाँ भी छद्मस्थ के समान ये तीन
आलापक कहने चाहिए । विशेष यह है कि सिद्ध हुआ, सिद्ध होता
है और सिद्ध होगा, इस प्रकार तीन आलापक कहने चाहिए ।

प्र०—भगवन् ! वीते हुए अनन्त शाश्वत काल में, वर्तमान
शाश्वत काल में और अनन्त शाश्वत भविष्य काल में जिन अन्त-
करों ने अथवा चरमशरीरी पुरुषों ने समस्त दुःखों का अन्त
किया है, करते हैं या करेंगे; क्या वे सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी,
अर्हन्त, जिन और केवली होकर तत्पश्चात् सिद्ध-बुद्ध आदि होते
हैं,—यावत्—सब दुःखों का अन्त करेंगे ?

उ०—हाँ, गौतम ! वीते हुए अनन्त शाश्वतकाल में—यावत्—
सब दुःखों का अन्त करेंगे ।

प्र०—भगवन् ! वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी अर्हन्त, जिन
और केवली “अलमस्तु” अर्थात् पूर्ण है, ऐसा कहा जा सकता है ?

उ०—हाँ, गौतम ! वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, अर्हन्त, जिन
और केवली पूर्ण (अलमस्तु) है, ऐसा कहा जा सकता है ।

केवलिप्रज्ञप्त धर्म श्रवण के अनुकूल वय—

५१. वय (काल-कृत अवस्था—भेद) तीन कहे गये हैं—

प्रथम वय, मध्यम वय, और पश्चिम वय ।

तीनों ही वयों में आत्मा केवलि-प्रज्ञप्त धर्म-श्रवण का लाभ
पाता है—यथा—

प्रथम वय में, मध्यम वय में और पश्चिम वय में ।

केवलिप्रज्ञप्त धर्म श्रवण के अनुकूल काल—

५२. १. तीन याम (प्रहर) कहे गये हैं—

प्रथम याम, मध्यम याम और पश्चिम याम ।

२. तीनों ही यामों में आत्मा केवलि-प्रज्ञप्त धर्म-श्रवण का
लाभ पाता है—

प्रथम याम में, मध्यम याम में और पश्चिम याम में ।

धर्म आराधना के अनुकूल क्षेत्र—

५३. महामाहण मतिमान भगवान महावीर ने कहा—हे साधक !
तू ये जान ले कि—यदि विवेक है तो गाँव में या अरण्य में
दोनों जगह धर्म आराधना हो सकती है । यदि विवेक नहीं है तो
न गाँव में और न अरण्य में आराधना हो सकती है ।

धर्मं जहमाणस्स अधम्मं पडिवज्जमाणस्स सागडिण्ण-
तुलणा—

५४. जहा सागरिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।
विसमं मग्गमोइण्णो, अब्बे भग्गम्मि सोयइ ॥

एवं धम्मं विउकम्म, अधम्मं पडिवज्जिया ।
बाले मच्चुमुहं पत्ते, अब्बे भग्गे व सोयइ ॥

—उत्त. अ. ५, गा. १४-१५

अम्माराहगस्स जूअकारेण तुलणा—

५५. कुजए अपराजिए जहा, अब्बेहि कुसलेहि दीवयं ।
कडमेव गहाय णो कलिं, नो तीयं नो चेव दावरं ॥

एवं लोगंमि ताइणा, बुइएण्यं जे धम्मे अणुत्तरे ।
तं गिण्हहियं ति उत्तमं, कटमिव सेसज्वहाय पडिए ॥

—सूय. सू. १, अ. २, उ. २, गा. २३-२४

अधम्मं कुणमाणस्स अफला राइओ—

५६. जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।
अधम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥

—उत्त. अ. १४, गा. २४

धम्मं कुणमाणस्स सफला राइओ—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।
धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ॥

—उत्त. अ. १४, गा. २५

धम्म पाहेयेण सुही, अपाहेयेण दुही—

५७. अट्ठाणं जो महन्तं तु, अपाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो से दुही होई, छुहा-त्तण्हाए पीडिओ ॥

एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहीरोगोहं पीडिओ ॥

अट्ठाणं जो महन्तं तु, सपाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो सो सुही होइ छुहा-त्तण्हाविवज्जिओ ॥

एवं धम्मं पि काऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवैयणे ॥

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू ।
सारसण्णाणि नीणेइ, असारं अवज्जइ ॥

धर्म का परित्याग करने वाले की और अधर्म को स्वीकार
करने वाले की गाड़ीवान से तुलना—

५४. जिस प्रकार गाड़ीवान प्रशस्त मार्ग को छोड़कर अप्रशस्त
मार्ग में गाड़ी चलाता है तो वह गाड़ी की धुरी टूटने पर चिन्तित
होता है ।

उसी प्रकार धर्म को छोड़कर अधर्माचरण करने वाला
मनुष्य मृत्यु आने पर अक्ष-भग्न गाड़ीवान के समान चिन्तित
होता है ।

धर्म-आराधक की द्यूतकार से तुलना—

५५. जिस प्रकार अपराजित चतुर जुआरी जुआ खेलते समय कृत
नामक स्थान को ही ग्रहण करता है किन्तु कलि, त्रेता एवं द्वापर
स्थानों को ग्रहण नहीं करता है ।

इसी प्रकार पंडित (शेष स्थानों को छोड़कर कृत स्थान को
ग्रहण करने वाले द्यूतकार के समान) शेष धर्मों को छोड़कर इस
लोक में जगन्नाता के कहे हुए अनुत्तर धर्म को ग्रहण करे ।

अधर्म करने वाले की निष्फल रात्रियाँ—

५६. जो ये दिन रात व्यतीत होते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती
है, अधर्म करने वाले के ये दिन-रात निष्फल व्यतीत होते हैं ।

धर्म करने वाले की सफल रात्रियाँ—

जो ये दिन-रात व्यतीत होते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती
है, धर्म करने वाले के ये दिन-रात सफल व्यतीत होते हैं ।

धर्म पायेय से सुखी, अपायेय से दुखी—

५७. जो व्यक्ति पायेय (पथ का संवल) लिए विना लम्बे मार्ग
पर चल देता है, वह चलते हुए भूख और प्यास से पीड़ित
होता है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म किए विना परभव में जाता है,
वह जाते ही व्याधि और रोगों से पीड़ित होता है और दुःखी
होता है ।

जो व्यक्ति पायेय साथ में लेकर लम्बे मार्ग पर चलता है,
वह चलते हुए भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी होता है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म करके परभव में जाता है, वह
अल्पकर्मा जाते हुए वेदना से रहित सुखी होता है ।

जिस प्रकार घर को आग लगने पर गृहस्वामी मूल्यवान
सार वस्तुओं को निकालता है और मूल्यहीन असार वस्तुओं को
छोड़ देता है ।

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।
अप्पाणं तारइस्सामि..... ॥

—उत्त. अ. १९, गा. १९-२४

दुल्लहो धम्मो—

५८. " इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउ नरा ।

निट्ठित्ठु व देवा वा उत्तरीए इमं सुतं ।
सुतं च भेतभेगेसि, अमणुस्सेसु णो तथा ॥

अंतं करेति दुक्खाणं, इहभेगेसि आहिते ।
आघायं पुण एगेसि, दुल्लभेज्यं समुस्सए ॥

—सूय. सु. १, अ. १५, गा. १५-१७

जे धम्मं सुद्धमखंति, पडिपुणमणेलिसं ।
अणेलिसस्स जं ठाणं, तस्स धम्मकहा कुतो ?

कुतो कयाइ मेधावी, उप्पज्जंति तद्गता ।
तहागता य अपडिण्णा चक्खु लोगस्सणुत्तरा ॥

छट्टाणाइं सव्वजीवाणं णो सुलभाइं भवंति, तं जहा —

१. माणुस्सए भवे, २. आरिए खेत्ते जम्मं, ३. सुकुले पच्चा-
याती, ४. केवलपण्णत्तस्स धम्मस्स सवणता, ५. सुतस्स वा
सद्दहणता^१ ६. सद्दहितस्स वा पत्तित्तस्स वा रोइतस्स वा सम्मं
काएणं फासणता ।

—ठाणं अ. ६, सु. ४८५

५९. समाबन्नाण संसारे, नाणा-गोत्तासु जाइसु ।
कम्मा नाणाविहा कट्ठु, पुढो विस्संभिया पया ॥

उसी प्रकार आपकी अनुमति पाकर जरा और मरण से
जलते हुए इस लोक में से सारभूत अपनी आत्मा को बाहर
निकालूंगा ।

दुर्लभ-धर्म—

५८. इस मनुष्य लोक में या यहाँ मनुष्य भव में दूसरे मनुष्य भी
धर्म की आराधना करके संसार का अन्त करते हैं ।

मैंने (सुधर्मास्वामी ने) लोकोत्तर प्रवचन (तीर्थंकर भगवान
की धर्मदेशना) में यह (आगे कही जाने वाली) बात सुनी है कि
मनुष्य ही सम्यग्दर्शनादि की आराधना से कर्मक्षय करके निष्ठी-
तार्थ कृतकृत्य होते हैं, (मोक्ष प्राप्त करते हैं) अथवा (कर्म शेष
रहने पर) सौधर्म आदि देव बनते हैं । यह (मोक्ष-प्राप्ति—कृत-
कृत्यता) भी किन्हीं विरले मनुष्यों को ही होती है, मनुष्य योनि
या गति से भिन्न योनि या गति वाले जीवों को मनुष्यों की तरह
कृतकृत्यता या सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ऐसा मैंने तीर्थंकर भगवान
से साक्षात् सुना है ।

कई अन्यतीर्थिकों का कथन है कि देव ही समस्त दुःखों का
अन्त करते हैं, मनुष्य नहीं; (परन्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि)
इस आर्हत्-प्रवचन में तीर्थंकर, गणधर आदि का कथन है कि यह
समुन्नत मानव-शरीर या मानव-जन्म (समुच्छ्रय) मिलना अथवा
मनुष्य के बिना यह समुच्छ्रय-धर्मश्रवणादि रूप अभ्युदय दुर्लभ हैं,
फिर मोक्ष पाना तो दूर की बात है ।

जो महापुरुष प्रतिपूर्ण, अनुपम, शुद्ध धर्म की व्याख्या करते
हैं, वे सर्वोत्तम (अनुपम) पुरुष के (समस्त द्वन्द्वों से उपरमरूप)
स्थान को प्राप्त करते हैं, फिर उनके लिए जन्म लेने की बात ही
कहाँ ?

इस जगत् में फिर नहीं आने के लिये मोक्ष में गये हुए (तथा-
गत) मेधावी (ज्ञानी) पुरुष क्या कभी फिर उत्पन्न हो सकते हैं ?
(कदापि नहीं ।) अप्रतिज्ञ (निदान-रहित) तथागत—तीर्थंकर,
गणधर, आदि लोक (प्राणिजगत) के अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) नेत्र
(पथप्रदर्शक) हैं ।

छह स्थान सर्व जीवों के लिए सुलभ नहीं हैं, जैसे—

(१) मनुष्य भव, (२) आर्य-क्षेत्र में जन्म, (३) सुकुल में
आगमन, (४) केवलप्रजप्त धर्म का श्रवण, (५) सुने हुए धर्म का
श्रद्धान, (६) श्रद्धान किये, प्रतीति किये और रुचि किये गये धर्म
का कार्य से सम्यक् स्पर्शन (आचरण) ।

५९. संसारी जीव विविध प्रकार के कर्मों का अर्जन कर विविध
नाम वाली जातियों में उत्पन्न हो, पृथक्-पृथक् रूप से समूचे विश्व
का स्पर्श कर लेते हैं—सब जगह उत्पन्न हो जाते हैं ।

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।
 एगया आसुरं कायं, आहाकर्मैर्हि गच्छई ॥
 एगया खत्तिओ होई, तओ चण्डाल-वोक्कसो ।
 तओ कीड-पर्यंगो य, तओ कुन्धु-पिवीलिया ॥
 एवमावट्ट-जोणीसु, पाणिणो कम्म-कित्थिसा ।
 न निच्चिज्जन्ति संसारे, "सच्चट्टेसु व" खत्तिया ॥

कम्म-संगेहि सम्मूढा, दुक्खिया बहु-वेयणा ।
 अमाणुत्तासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुच्चो कयाइ उ ।
 जीवा सोहिमणुप्पत्ता, "आययन्ति मणुस्सयं" ॥

—उत्त. अ. ३, गा. २-७

माणुस्सं विग्गहं लद्धं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
 जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तवं खन्तिमहिस्सयं ॥^१

—उत्त. अ. ३, गा. ८

जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी असुरों के निकाय में उत्पन्न होता है ।

वही जीव कभी क्षत्रिय होता है, कभी चाण्डाल, कभी वोक्कस (वर्णसंकर), कभी कीट, कभी पतंगा, कभी कुंथु और कभी चींटी ।

जिस प्रकार क्षत्रिय लोग समस्त अर्थों (काम-भोगों) को भोगते हुए भी निर्वेद को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार कर्म-कित्थिप (कर्म से अधम बने हुए) जीव योनि-चक्र में भ्रमण करते हुए भी संसार से निर्वेद नहीं हो पाते—उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं करते ।

जो जीव कर्मों के संग से सम्मूढ़, दुःखित और अत्यन्त वेदना वाले हैं, वे अपने कृत कर्मों के द्वारा मनुष्येतर (नरक-तिर्यच) योनियों में ढकेले जाते हैं ।

काल-क्रम के अनुसार कदाचित् मनुष्य-गति को रोकने वाले कर्मों का नाश हो जाता है । उससे शुद्धि प्राप्त होती है । उससे जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं ।

मनुष्य-शरीर प्राप्त होने पर भी उस धर्म की श्रुति दुर्लभ है जिसे सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं ।

१ (क) धर्म श्रवण दुर्लभता—

तए णं केसी कुमारस्समणे चित्तं सारहि एवं वयासी—एवं खलु चउहि ठाणेहि चित्ता ! जीवा केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाए । तं जहा—

१. आरामगयं वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं वा णो अभिगच्छइ, णो वंदइ, णो णमंसइ, णो सक्कारेइ, णो सम्माणेइ, णो कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासिइ, नो अट्ठाइं हेऊइं पमिणाइं कारणाइं वागरणाइं पुच्छइ, एएणं ठाणेणं चित्ता ! जीवा केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभंति सवणयाए ।

२. उवस्सयगयं समणं वा तं चेव जाव एतेण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवा केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभंति सवणयाए ।

३. गोयरगगयं समणं वा माहणं वा जाव नो पज्जुवामइ, णो विउलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभइ, णो अट्ठाइं जाव पुच्छइ, एएणं ठाणेणं चित्ता ! केवलपन्नत्तं धम्मं नो लभइ सवणयाए ।

४. जत्थ वि य णं समणेण वा माहणेण वा सद्धिं अभिसमागच्छइ, तत्थ वि णं हत्थेण वा वत्थेण वा छत्तेण वा अप्पाणं आवरित्ता चिट्ठइ, नो अट्ठाइं जाव पुच्छइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलपन्नत्तं धम्मं णो लभइ सवणयाए । एएहिं च णं चित्ता ! चउहिं ठाणेहिं जीवे णो लभइ केवलपन्नत्तं धम्मं सवणयाए ।

(ख) धर्म श्रवण सुलभता—

चउहिं ठाणेहिं चित्ता ! जीवे केवलपन्नत्तं धम्मं लभइ सवणयाए, तं जहा—

१. आरामगयं वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं वा वंदइ नमंसइ जाव (सक्कारेइ, सम्माणेइ, कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं) पज्जुवासइ अट्ठाइं जाव (हेऊइं पमिणाइं कारणाइं वागरणाइं) पुच्छइ, एएणं वि जाव लभइ सवणयाए एवं—

२. उवस्सयगयं

३. गोयरगगयं समणं वा जाव (असण-पाण-खाइम-साइमेणं) पडिलाभेइ, अट्ठाइं जाव पुच्छइ एएण वि ।

४. जत्थ वि य णं समणेण वा माहणेण वा अभिसमागच्छइ तत्थ वि य णं णो हत्थेण वा जाव (वत्थेण वा, छत्तेण वा अप्पाणं) आवरेत्ताणं चिट्ठइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलपन्नत्तं धम्मं लभइ सवणयाए ।

तुज्जं च णं चित्ता ! पएसो राया आरामगयं वा तं चेव सब्वं भाणियव्वं आइल्लाएणं गमएणं जाव अप्पाणं आवरेत्ता चिट्ठइ, तं कहुं णं चित्ता ! पएसिस्स रत्तो धम्ममाइक्खिस्सामो ?

—राय० सू० २३४

आहृच्च संवर्णं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा ।
सोच्चा नेआउयं मग्गं, बहवे परिभस्सई ॥

सुइं च लद्धुं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं ।
बहवे रोयमाणा वि, "नो एणं" पडिवज्जए ॥

—उत्त. अ. ३, गा. ६-१०

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सत्त्वपाणिणं ।
गाढा य विवाग कम्मणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

पुढविककायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

आउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तेउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

वाउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालमणन्तदुरन्तं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

वेइन्द्रियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तेइन्द्रियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

चउरिन्द्रियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

पंचिन्द्रियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
सत्तण्डुभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

देवे नेरइए य अइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
इक्किक्कभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

कदाचित् धर्म सुन लेने पर भी उसमें श्रद्धा होना दुर्लभ है ।
बहुत लोग मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी
उससे भ्रष्ट हो जाते हैं ।

श्रुति और श्रद्धा प्राप्त होने पर भी संयम में वीर्य (पुरुषार्थ)
होना अत्यन्त दुर्लभ है । बहुत लोग संयम में रुचि रखते हुए भी
उसे स्वीकार नहीं करते ।

सब प्राणियों को चिरकाल तक भी मनुष्य-जन्म मिलना
दुर्लभ है । कर्म के विपाक तीव्र होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू
क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

पृथ्वीकाय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य-
काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी
प्रमाद मत कर ।

अपकाय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य-
काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी
प्रमाद मत कर ।

तेजस्-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य
काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी
प्रमाद मत कर ।

वायु-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य
काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी
प्रमाद मत कर ।

वनस्पति-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक दुरन्त
अनन्त-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण
भर भी प्रमाद मत कर ।

द्वीन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक संख्येय-
काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भी
प्रमाद मत कर ।

त्रीन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक संख्येय-
काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर
भी प्रमाद मत कर ।

चतुरिन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक
संख्येय-काल तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण
भर भी प्रमाद मत कर ।

पंचेन्द्रिय-काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक सात-
आठ जन्म ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू
क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

देव और नरक-योनि में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक
एक-एक जन्म-ग्रहण तक वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम !
तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहि कम्मोहि ।
जीवो पमायवहुंलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

लद्धूण वि माणुसत्तणं. आरिअत्तं पुणरावि दुल्लहं ।
बह्वे दसुया मिलेवखुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

लद्धूण वि आयरियत्तणं, अहीणपंचिन्द्रियया हू दुल्लहा ।
विगलिन्द्रियया हू दीसई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अहीणपंचिन्द्रियत्तं पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हू दुल्लहा ।
कुतित्तिनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

लद्धूण वि उत्तमं सुइ, सद्दहणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

धम्मं पि हू सद्दहन्तया, दुल्लहया काएण फासया ।
इह कामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्त. अ. १०, गा. ४-२०

धम्मसाहणाए सहाया—

६०. धम्मं चरमाणस्स पंच निस्साठाणा पणत्ता, तं जहा—

छक्काए,	गणो,
राया,	गिहवई,
सरीरं ।	—ठाणं. अ. ५, उ. ३, सु. ४०७

सद्धासरुव-परुवणं—

६१. नत्थि धम्मे अधम्मे वा, नेव सन्नं निवेसए ।
अत्थि धम्मे अधम्मे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥

—सुय. सु. २, अ. ५, गा. १४

करणप्पयारा—

६२. तिविहे करणे पणत्ते, तं जहा—

धम्मिए करणे,	अधम्मिए करणे
धम्मियाधम्मिये करणे ।	—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. २१६

उवक्कमभेया—

६३. तिविधे उवक्कमे पणत्ते, तं जहा—

इस प्रकार प्रमाद-बहुल जीव शुभ-अशुभ कर्मों द्वारा जन्म-मृत्युमय संसार में परिभ्रमण करता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

मनुष्य-जन्म दुर्लभ है, उसके मिलने पर भी आर्य देश में जन्म पाना और भी दुर्लभ है । बहुत सारे लोग मनुष्य होकर भी दुस्यु और म्लेच्छ होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

आर्यदेश में जन्म मिलने पर भी पाँचों इन्द्रियों से पूर्ण स्वस्थ होना दुर्लभ है । बहुत सारे लोग इन्द्रियहीन दीख रहे हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

पाँचों इन्द्रियाँ पूर्ण स्वस्थ होने पर भी उत्तम धर्म की श्रुति दुर्लभ है । बहुत सारे लोग कुतीर्थिकों की सेवा करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है । बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ हैं । इस लोक में बहुत सारे लोग काम-गुणों में मूर्च्छित होते हैं, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

धर्म साधना में सहायक—

६० धर्म का आचरण करने वाले साधु के लिए पांच निश्चा (आलम्बन) कहे गये हैं । जैसे—

१. पट्काय,	२. गण (श्रमणसंघ),
३. राजा,	४. गृहपति,
५. शरीर ।	

श्रद्धा के स्वरूप का प्ररूपण—

६१ धर्म अथवा अधर्म नहीं हैं, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए । धर्म अथवा अधर्म हैं, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

करण के प्रकार—

६२ करण तीन प्रकार का कहा है, यथा—

१. धार्मिक करण,	२. अधार्मिक करण,
३. धार्मिकाधार्मिक करण ।	

उपक्रम के भेद—

६३. उपक्रम (उपायपूर्वक कार्य का आरम्भ) तीन प्रकार का कहा गया है—जैसे—

धम्मिए उवक्कमे,

अधम्मिए उवक्कमे,
धम्मियाधम्मिए उवक्कमे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १६४

ववसायप्पगारा—

६४. तिविहे ववसाए पणत्ते, तं जहा—

धम्मिए ववसाए, अधम्मिए ववसाए, धम्मियाधम्मिए
ववसाए ।

अहवा—तिविहे ववसाए पणत्ते तं जहा—
पच्चक्खे, पच्चइए, अणुगामिए ।

अहवा—तिविधे ववसाए पणत्ते तं जहा—
इहलोइए, परलोइए- इहलोइय-परलोइए ।

इहलोइए ववसाए तिविहे पणत्ते, तं जहा—
लोइए, वेइए, सामइए ।

लोइए ववसाए तिविधे पणत्ते, तं जहा—
अत्थे, धम्मे, कामे ।

वेइए ववसाए तिविधे पणत्ते, तं जहा—
रिउव्वेदे, जउव्वेदे, सामवेदे ।

सामइए ववसाए तिविधे पणत्ते, तं जहा—
णाणे, दसंणे, चरित्ते । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १६१

संजयाइणं धम्माइसु ठिई—

६५. प०—१. से णं भंते ! संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपाव-
कम्मे धम्मे ठिए ?

२. असंजय-अविरय-अपडिहय - अपच्चक्खायपावकम्मे
अधम्मे ठिए ?

३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ?

उ०—१. हंता गोयमा ! संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-
पावकम्मे धम्मे ठिए ।

(१) धार्मिक-उपक्रम—श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म की प्राप्ति
के लिए प्रयास करना ।

(२) अधार्मिक-उपक्रम—असंयमवर्धक आरम्भ कार्य करना ।

(३) धार्मिकाधार्मिक-उपक्रम—संयम और असंयम रूप कार्यों
का करना ।

व्यवसाय (अनुष्ठान) के प्रकार—

६४. व्यवसाय (वस्तुरूप का निर्णय अथवा पुरुषार्थ की सिद्धि के
लिए किया जाने वाला अनुष्ठान) तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) धार्मिक व्यवसाय, (२) अधार्मिक व्यवसाय, (३)
धार्मिकाधार्मिक व्यवसाय ।

अथवा व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) प्रत्यक्ष व्यवसाय, (२) प्रात्ययिक (व्यवहार-प्रत्यक्ष)
व्यवसाय और (३) अनुगामिक (अनुमानिक व्यवसाय)

अथवा व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) ऐहलौकिक, (२) पारलौकिक, (३) ऐहलौकिक-पार-
लौकिक ।

ऐहलौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) लौकिक, (२) वैदिक, (३) सामयिक (श्रमणों का
व्यवसाय) ।

लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) अर्थव्यवसाय, (२) धर्मव्यवसाय, (३) काम-व्यवसाय ।

वैदिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद व्यवसाय (अर्थात्
इन वेदों के अनुसार किया जाने वाला निर्णय या अनुष्ठान)

सामयिक व्यवसाय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र्य व्यवसाय ।

संयतादि की धर्मादि में स्थिति—

६५. प्र०—(१) हे भदन्त ! संयत, प्राणतिपातादि से विरत,
जिसने प्राणतिपातादि से पाप कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान
किये हैं—ऐसा जीव धर्म में स्थित है ?

(२) असंयत, प्राणतिपातादि से अविरत, जिसने प्राणति-
पातादि पांच कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं—
ऐसा जीव अधर्म में स्थित है ?

(३) संयत-असंयत (अंशतः असंयत, अंशतः संयत) जीव
धर्माधर्म में स्थित है ?

उ०—(१) हाँ गौतम ! संयत, प्राणतिपातादि से विरत,
जिसने प्राणतिपातादि पाप कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान
किये हैं—ऐसा जीव धर्म में स्थित है ।

२. असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय-पावकम्मे
अधम्मे ठिए ।

३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ॥१॥

प०—एएँसि णं भंते ! धम्मंसि वा, अहम्मंसि वा, धम्मा-
धम्मंसि वा, चक्किया केइ आसइत्तए या, सइत्तए वा,
चिट्ठित्तए वा, निसीदित्तए वा, तुयट्ठित्तए वा ?

उ०—गोयमा ! णो तिणट्ठे समट्ठे ॥२॥

प०—से केणं खाइं अट्ठे णं भंते ! एवं वुच्चइ—

१. संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय - पावकम्मे धम्मे
ठिए ?

२. असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय - पावकम्मे
अधम्मे ठिए ?

३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ?

उ०—१. गोयमा ! संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय - पाव-
कम्मे धम्मे ठिए, धम्मं चैव उवसंपज्जित्ताणं
विहरइ,

२. असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय-पावकम्मे
अधम्मे ठिए, अधम्मं चैव उवसंपज्जित्ताणं विहरइ,

३. संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए, धम्माधम्मं उव-
संपज्जित्ताणं विहरइ,
से तेणट्ठे णं गोयमा !
संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय - पावकम्मे धम्मे
ठिए ।

असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय - पावकम्मे
अधम्मे ठिए ।

संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए ॥३॥

प०—जीवा णं भंते ! किं धम्मे ठिया ? अधम्मे ठिया ?
धम्माधम्मे ठिया ?

उ०—गोयमा ! जीवा धम्मे वि ठिया, अधम्मे वि ठिया,
धम्माधम्मे वि ठिया ॥४॥

(२) असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत, जिसने प्राणाति-
पातादि पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं
ऐसा जीव अधर्म में स्थित है ।

(३) संयत-असंयत जीव धर्माधर्म में स्थित है ।

प्र०—हे भदन्त ! धर्म में, अधर्म में, धर्माधर्म में कोई भी
जीव बैठना, सोना, खड़ा रहना, नीचे बैठना—करवट बदलना
आदि क्रिया कर सकता है ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ तर्कसंगत नहीं है ।

प्र०—(१) हे भदन्त ! किस प्रसिद्ध प्रयोजन से ऐसा कहा
जाता है ?

(१) संयत, प्राणातिपातादि से विरत, जिसने प्राणातिपातादि
पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किये हैं—ऐसा जीव
अधर्म में स्थित है ?

(२) असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत—जिसने प्राणा-
तिपातादि पाप कर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किये
हैं—ऐसा जीव अधर्म में स्थित है ?

(३) संयतासंयत धर्माधर्म में स्थित है ?

उ०—(१) गौतम ! संयत—प्राणातिपातादि से विरत—
जिसने प्राणातिपातादि पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान
किये हैं—ऐसा जीव धर्म में स्थित है—क्योंकि धर्म को ग्रहण
कर विहरता है (व्यवहार) करता है ।

(२) असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत—जिसने प्राणाति-
पातादि पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किये हैं—
ऐसा जीव अधर्म में स्थित है, क्योंकि अधर्म को ग्रहण कर
विहरता है (व्यवहार करता है) ।

(३) संयतासंयत जीव धर्म-अधर्म में स्थित है, क्योंकि धर्म-
अधर्म ग्रहण कर व्यवहार करता है,

इस प्रयोजन से गौतम !

संयत—प्राणातिपातादि से विरत—जिसने प्राणातिपातादि
पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किये हैं—ऐसा जीव धर्म
में स्थित है ।

असंयत—प्राणातिपातादि से अविरत—जिसने प्राणातिपातादि
पापकर्मों का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किया है—ऐसा
जीव अधर्म में स्थित है ।

संयतासंयत धर्माधर्म में स्थित है ।

प्र०—हे भदन्त ! जीव धर्मस्थित हैं ? अधर्मस्थित हैं ?
धर्माधर्मस्थित हैं ?

उ०—गौतम ! जीव धर्मस्थित भी हैं, अधर्मस्थित भी हैं,
धर्माधर्मस्थित भी हैं ।

प०—नेरइया णं भंते ! किं धम्मं ठिया ? अधम्मं ठिया ?
धम्माधम्मं ठिया ?

उ०—गोयमा ! नेरइया नो धम्मं ठिया, अधम्मं ठिया, नो
धम्माधम्मं ठिया ॥१॥

प०—अनुरकुमारा-जाव-यणियकुमारा णं भंते ! किं धम्मं
ठिया ? किं अधम्मं ठिया ? किं धम्माधम्मं ठिया ?

उ०—गोयमा ! अनुरकुमारा-जाव-यणियकुमारा नो धम्मं
ठिया, अधम्मं ठिया, नो धम्माधम्मं ठिया ।

प०—पुढवीकाइया-जाव-चउरिदिया णं भंते ! किं धम्मं
ठिया ? अधम्मं ठिया ? धम्माधम्मं ठिया ?

उ०—गोयमा ! पुढवीकाइया-जाव-चउरिदिया नो धम्मं ठिया,
अधम्मं ठिया, नो धम्माधम्मं ठिया ॥१६॥

प०—पंचिदियतिरिक्ख जोणिया णं भंते ! किं धम्मं ठिया ?
अधम्मं ठिया ? धम्माधम्मं ठिया ?

उ०—गोयमा ! पंचिदियतिरिक्ख जोणिया नो धम्मं ठिया,
अधम्मं ठिया, धम्माधम्मं वि ठिया ॥१८॥

प०—मणुस्ता णं भंते ! किं धम्मं ठिया ? अधम्मं ठिया ?
धम्माधम्मं ठिया ?

उ०—गोयमा ! मणुस्ता धम्मं वि ठिया, अधम्मं वि ठिया,
धम्माधम्मं वि ठिया ॥१९॥

प०—वाणमंतर-जोइसिया-वेणाणिया णं भंते ! किं धम्मं
ठिया ? अधम्मं ठिया ? धम्माधम्मं ठिया ?

उ०—गोयमा ! वाणमंतर-जोइसिया-वेणाणिया नो
धम्मं ठिया, अधम्मं ठिया, नो धम्माधम्मं ठिया ॥२०॥

—वि. सं. १७, उ. २, सु. १-६

दुप्पडियारा सुप्पडियारा—

६६. तिप्हं दुप्पडियारं समणाउत्तो ! तं जहा—

अम्मापिउणो, भट्टिस्त, धम्मायरियस्त ।

१. संपातो वि य णं केइ पुरिसे, अम्मापियारं सयपाग-सहस्स-
पारोहि तिल्लेहि अब्भगेत्ता, सुरभिणा गंधदुएणं उवट्टिता,
तिहि उदगेहि मज्जावित्ता, सत्वालंकार-विभूतियं करेत्ता,
मणुन्नं थालीपागमुद्धं अट्टारस-वंजणाउलं भोयणं भोया-
वेत्ता जावज्जीवं पिट्टिवडैसियाए परिवहेज्जा, तेणावि
तस्स अम्मापिउत्त दुप्पडियारं भवइ ।

अहे णं से तं अम्मापियारं केवलियण्णत्ते धम्मं आघवइत्ता
पणवइत्ता पणवइत्ता ठावइत्ता भवइ, तेणामेव तस्स
अम्मापिउत्त सुप्पडियारं भवइ समणाउत्तो !

प्र०—हे भदन्त ! नैरयिक धर्मस्थित है ? अधर्मस्थित है ?
धर्माधर्म स्थित है ?

उ०—गौतम ! नैरयिक धर्मस्थित नहीं है, अधर्मस्थित है,
धर्माधर्म स्थित नहीं है ।

प्र०—हे भदन्त ! अनुरकुमार—यावत्—स्तनितकुमार
धर्मस्थित हैं ? अधर्मस्थित हैं ? धर्माधर्म स्थित है ?

उ०—गौतम ! अनुरकुमार—यावत्—स्तनितकुमार धर्म-
स्थित नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित नहीं है ।

प्र०—हे भदन्त ! पृथ्वीकायिक—यावत्—चतुरिन्द्रिय जीव
धर्मस्थित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?

उ०—गौतम ! पृथ्वीकायिक—यावत्—चतुरिन्द्रिय जीव
धर्मस्थित नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित नहीं है ।

प्र०—हे भदन्त ! पंचेन्द्रिय तिर्यग् योनिक जीव धर्मस्थित
है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?

उ०—गौतम ! पंचेन्द्रिय तिर्यग् योनिक जीव धर्मस्थित नहीं
है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित है ।

प्र०—हे भदन्त ! मनुष्य धर्मस्थित है ? अधर्मस्थित है ?
धर्माधर्मस्थित है ?

उ०—गौतम ! मनुष्य धर्मस्थित है, अधर्म स्थित भी है,
धर्माधर्म स्थित भी है ।

प्र०—हे भदन्त ! वाणव्यंतर-ज्योतिषिक, वैमानिक धर्म-
स्थित है ? अधर्मस्थित है ? धर्माधर्मस्थित है ?

उ०—गौतम ! वाणव्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक धर्मस्थित
नहीं है, अधर्मस्थित है, धर्माधर्मस्थित नहीं है ।

प्रत्युपकार दुष्कर, प्रत्युपकार सुकर—

६६. हे आयुष्मन् श्रमण ! इन तीनों का प्रत्युपकार दुष्कर है—

(१) माता-पिता का, (२) भर्ता-स्वामी का, (३) धर्माचार्य
का ।

(१) कोई पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल में माता-पिता के शरीर
पर शत सहस्र-पाक तेल मलकर सुगन्धित जल से स्नान कराता
है, सर्वालंकार से विभूषित कर अट्टारह प्रकार का सरस भोजन
कराता है और उन्हें जीवन पर्यन्त अपने कन्धे पर उठाये फिरता
है—इतना करने पर भी वह अपने माता-पिता का प्रत्युपकार
नहीं कर पाता है ।

—यदि उन्हें केवलीप्रज्ञप्त धर्म प्रज्ञापित करता है, प्ररूपित
करता है या उन्हें धर्म में स्थिर करता है, तो उनका प्रत्युपकार
करने में समर्थ होता है ।

२. केइ महच्चे दरिदं समुक्कसेज्जा, तए णं से दरिदं समु-
विकट्टे समाणे पच्छा पुरं च णं विउलभोगसमितिसमन्ना-
गते यावि विहरेज्जा, तए णं से महच्चे अन्नया कयाइ
दरिद्वीहए समाणे तस्स दरिदस अंतिए हव्वमागच्छेज्जा,
तए णं से दरिदं तस्स भट्टिस्स सव्वस्समवि दलयमाणे
तेणावि तस्स दुप्पडियारं भवइ ।

अहे णं से तं भट्टिं केवलपन्नत्ते धम्मे आघवइत्ता—जाव—
ठावइत्ता भवति, तेणामेव तस्स भट्टिस्स सुप्पडियारं भवइ ।

३. केइ तहारुवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि
आयरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म कालमासे कालं
किच्चा अन्नगरेसु देवलोएसु देवत्ताए उधवन्ने, तएणं से
देवे तं धम्मायरियं दुट्ठिमक्खातो वा देसातो सुभिवधं देसं
साहरेज्जा, कंताराओ वा णिवकंतारं करेज्जा, दीहकालि-
एणं वा रोगातंकेण अभिभूतं समाणं विमोएज्जा, तेणावि
तस्स धम्मायरियस्स दुप्पडियारं भवइ ।

अहे णं से तं धम्मायरियं केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भट्टं
समाणं भुज्जो वि केवलपन्नत्ते धम्मे आघवइत्ता—जाव—
ठावइत्ता भवति, तेणामेव तस्स धम्मायरियस्स सुप्पडियारं
भवइ । —ठाणं. अ. ३, उ. १, मु. १४३

धम्मज्जिओ व्यवहारो—

६७. धम्मज्जियं च व्यवहारं, वुट्ठेहायरियं सया ।
तमायरन्तो व्यवहारं, गरहं नाभिगच्छई ॥

—उत्त. अ. १, गा. ४२

चउ-चउच्चिहा धम्मिया अधम्मिया पुरिसा—

६८. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. रुवं नाममेगे जहइ, नो धम्मं
२. धम्मं नाममेगे जहइ, नो रुवं,
३. एगे रुवं वि जहइ, धम्मं वि जहइ,
४. एगे नो रुवं जहइ, नो धम्मं जहइ ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. धम्मं नाममेगे जहइ, नो गणसंठिइं,
२. गणसंठिइं नागमेगे जहइ, नो धम्मं,
३. एगे गणसंठिइं वि जहइ, धम्मं वि जहइ,
४. एगे नो गणसंठिइं जहइ, नो धम्मं जहइ ।

(२) कोई धनी पुरुष किसी दीन को व्यापार के हेतु आर्थिक सहयोग दे एवं कुछ समय पश्चात् वह दीन व्यक्ति धनी और अर्थ सहयोगी धनी पुरुष दीन हो जाता है—उस समय धनी बने हुए उस व्यक्ति से यदि वह आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करे और उसे (जो अब दीन हो गया है) सर्वस्व भी अर्पण कर दे, तब भी वह उसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता है ।

—यदि वह उसे केवलीप्रजप्त धर्म कहे—यावत्—उसे धर्म में स्थिर करे तो वह उसका प्रत्युपकार करने में समर्थ होता है ।

(३) कोई पुरुष धर्माचार्य से एक वचन सुनकर बोधि लाभ करता है और यथासमय देह त्यागकर वह देवलोक में उत्पन्न होता है, यदि वह दिव्य शक्ति से अपने उस धर्माचार्य को दुर्भिक्षग्रस्त प्रदेश से सुभिक्ष प्रदेश में, पथ विस्मृत होने पर गहन विपिन से वसति में ले जाकर रख दे, अथवा रोग-ग्रस्त को रोग-मुक्त करे तथापि वह धर्माचार्य का प्रत्युपकार नहीं कर सकता है ।

—यदि वह कदाचित्त धर्म विमुख होते हुए अपने धर्माचार्य को धर्म कहे—यावत्—धर्म में स्थिर कर दे तो उनका प्रत्युपकार करने में समर्थ होता है ।

धर्माजित व्यवहार—

६७. जो व्यवहार धर्म से अजित हुआ है, जिसका तत्वज्ञ आचार्यों ने सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करता हुआ मुनि कहीं भी नहीं को प्राप्त नहीं होता ।

चार-चार प्रकार के धार्मिक और अधार्मिक पुरुष—

६८. चार जाति के पुरुष कहे गये हैं । जैसे —

- (१) कोई रूप (साधुवेष) को छोड़ देता है, पर धर्म नहीं छोड़ता है,
- (२) कोई धर्म को छोड़ देता है, पर रूप को नहीं छोड़ता है,
- (३) कोई रूप भी छोड़ देता है और धर्म को भी छोड़ देता है,
- (४) कोई न रूप को ही छोड़ता है और न धर्म को ही छोड़ता है ।

(पुनः) चार जाति के पुरुष कहे गये हैं । जैसे —

- (१) कोई धर्म को छोड़ देता है, पर गण की संस्थिति (मर्यादा) नहीं छोड़ता ।
- (२) कोई गण की मर्यादा को छोड़ देता है, पर धर्म को नहीं छोड़ता है ।
- (३) कोई गण की मर्यादा भी छोड़ देता है, और धर्म भी छोड़ देता है ।
- (४) कोई न गण की मर्यादा ही छोड़ता है और न धर्म ही छोड़ता है ।

चत्वारि पुरित्तजाया पणत्ता, तं जहा—

१. पियधम्मे नाममेगे, नो दढधम्मे,
२. दढधम्मे नाममेगे, नो पियधम्मे,
३. एगे पियधम्मे वि, दढधम्मे वि,
४. एगे नो पियधम्मे, नो दढधम्मे ।^१

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१९

धम्मनिन्दा पायच्छित्तं—

६९. जे भिखू धम्मस्स अवणं वयइ वयंतं वा साइज्जइ । तं सेव-
माणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ९

अधम्मपसंसा पायच्छित्तं—

जे भिखू अधम्मस्स वणं वयइ वयंतं वा साइज्जइ । तं सेव-
माणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. १०

(पुनः) चारं जाति के पुरुष कहे गये हैं, जैसे—

- (१) कोई प्रियधर्मा है, पर दृढधर्मा नहीं है ।
- (२) कोई दृढधर्मा है, पर प्रियधर्मा नहीं है ।
- (३) कोई प्रियधर्मा भी है और दृढधर्मा भी है ।
- (४) कोई न प्रियधर्मा ही है और न दृढधर्मा ही है ।

धर्मनिन्दाकरण प्रायश्चित्त—

६९. जो भिक्षु धर्म की निन्दा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है ।

अधर्मप्रशंसाकरण प्रायश्चित्त—

जो भिक्षु अधर्म की प्रशंसा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है ।



आयार-पणत्ति

आचार-प्रज्ञप्ति

आयारधम्मपणिही—

७०. आयारपणिहि लद्धं, जहा कायव्व भिक्खुणा ।
तं भे उदाहरिस्सामि, आणुपुत्वि सुणेह मे' ॥

—दस. अ. ८, गा. १

आयारपयारा—

७१. पंचविहे आयारे पणत्ते, तं जहा —
(१) णाणायारे, (२) दंसणायारे, (३) चरित्तायारे, (४)
तवायारे, (५) वीरियायारे ।

—ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४३३

पंचमणुत्तरा—

७२. केवलित्स्स णं पंच अणुत्तरा पणत्ता, तं जहा—

(१) अणुत्तरे णाणे, (२) अणुत्तरे दंसणे. (३) अणुत्तरे
चरित्ते, (४) अणुत्तरे तवे, (५) अणुत्तरे वीरिए ।

—ठाणं ५, उ. १, सु. ४१०

चडविहंमोक्खमग्गं—

७३. मोक्खमग्गग्गइं तच्चं, सुणेह जिणभासियं ।
चडकारणसंजुत्तं, नाणदसंणलव्खणं ॥

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तथा ।
एस मग्गो त्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदंसिहि ॥
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तथा ।
एयं मग्गमणुत्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइं ॥

—उत्त. अ. २८, गा. १-३

नाणेण जाणईं भावे, दंसणेण य सद्दहे ।
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिमुज्जईं ॥

—उत्त. अ. २८, गा. ३५

आराहणापयारा—

७४. तिविहा आराहणा पन्नत्ता तं जहा—
णाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा ।
णाणाराहणा तिविहा पन्नत्ता, तं जहा —

१ दुविहे आयारे पन्नत्ते, तं जहा—णाणायारे, चेव नोनाणायारे चेव ।
णोनाणायारे दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—दंसणायारे चेव नोदंसणायारे चेव ।
नोदंसणायारे दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—चरित्तायारे चेव नोचरित्तायारे चेव ।
णो चरित्तायारे दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—तवायारे चेव वीरियायारे चेव ।

—ठाणं. अ. २, उ. ३, सु. ७६

आचार धर्म प्रणिधी—

७०. आचार-प्रणिधी को पाकर भिक्षु को जिस प्रकार (जो) करना चाहिए वह मैं तुम्हें कहूँगा । अनुक्रमपूर्वक मुझसे सुनो ।

आचार के प्रकार—

७१. आचार पांच प्रकार का कहा गया है । जैसे—
(१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार, (३) चारित्राचार, (४)
तपाचार, (५) वीर्याचार ।

पांच उत्कृष्ट—

७२. केवली के पांच स्थान अनुत्तर (सर्वोत्तम-अनुपम) कहे गये हैं, जैसे—

(१) अनुत्तर ज्ञान, (२) अनुत्तर दर्शन, (३) अनुत्तर चारित्र, (४)
(५) अनुत्तर तप, (५) अनुत्तर वीर्य ।

चार प्रकार का मोक्ष मार्ग—

७३. चार कारणों से संयुक्त, ज्ञान-दर्शन, लक्षण वाली जिन-भाषित मोक्ष-मार्ग की गति को सुनो ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—यह मोक्ष-मार्ग है, ऐसा वरदर्शी (श्रेष्ठ द्रष्टा) अर्हंतों ने प्ररूपित किया ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुगति में जाते हैं ।

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है ।

आराधना के प्रकार—

७४. आराधना तीन प्रकार की कही गई है, यथा—
ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र आराधना ।
ज्ञान आराधना तीन प्रकार की कही गई है—

उक्कस्ता, मज्झिमा, जहन्ना ।
एवं दंसणाराहणा वि,

चरित्ताराहणा वि ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. १६८

आराहणाफलपरूवणा—

७५. ५०—उक्कोसियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं
भवग्गहणेहिं सिज्जति—जाव—अंतं करेति ?

उ०—गोयमा ! अत्येगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्जति
—जाव—अंतं करेति । अत्येगतिए दोच्चेणं भवग्गह-
णेणं सिज्जति—जाव—अंतं करेति ।

अत्येगतिए कप्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जति ।

५०—उक्कोसियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं
भवग्गहणेहिं सिज्जति—जाव—अंतं करेति ?

उ०—एवं चेव ।

५०—उक्कोसियं णं भंते ! चरित्ताराहणं आराहेत्ता कतिहिं
भवग्गहणेहिं सिज्जति—जाव—अंतं करेति ?

उ०—एवं चेव ।

नवरं अत्येगतिए कप्पातीएसु उववज्जति ।

५०—मज्झिमियं णं भंते ! णाणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं
भवग्गहणेहिं सिज्जति—जाव—अंतं करेति ?

उ०—गोयमा ! अत्येगतिए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्जति
—जाव—अंतं करेति, तच्चं पुण भवग्गहणं नाइक्क-
मइ ।

५०—मज्झिमियं णं भंते ! दंसणाराहणं आराहेत्ता कतिहिं
भवग्गहणेहिं सिज्जति—जाव—अंतं करेति ?

उ०—एवं चेव ।

उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ।

दर्शन आराधना तीन प्रकार की कही गई है—

उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ।

चारित्र आराधना तीन प्रकार की कही गई है—

उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ।

आराधना के फल की प्ररूपणा—

७५. प्र०—भगवन् ! ज्ञान की उत्कृष्ट आराधना करके जीव
कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत्—सभी दुःखों का
अन्त करता है ?

उ०—गौतम ! कितने ही जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते
हैं,—यावत्—सभी दुःखों का अन्त कर देते हैं; कितने ही जीव
दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं—यावत्—सभी दुःखों का अन्त
करते हैं,

कितने ही जीव कल्पोपपन्न देवलोकों में अथवा कल्पातीत
देवलोकों में उत्पन्न होते हैं ।

प्र०—भगवन् ! दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करके जीव
कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत्—सभी दुःखों का
अन्त करता है ?

उ०—गौतम ! जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञान आराधना के फल के
विषय में कहा है, उसी प्रकार उत्कृष्ट दर्शन आराधना के (फल के)
विषय में समझना चाहिए ।

प्र०—भगवन् ! चारित्र की उत्कृष्ट आराधना करके जीव
कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत्—सभी दुःखों का
अन्त करता है ?

उ०—गौतम ! उत्कृष्ट ज्ञान आराधना के (फल के) विषय में
जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उत्कृष्ट चारित्र आराधना के (फल
के) विषय में कहना चाहिए । विशेष यह है कि कितने ही जीव
(इसके फलस्वरूप) कल्पातीत देवलोकों में उत्पन्न होते हैं ।

प्र०—भगवन् ! ज्ञान की मध्यम आराधना करके जीव कितने
भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत्—सब दुःखों का अन्त
करता है ?

उ०—गौतम ! कितने ही जीव दो भव ग्रहण करके सिद्ध
होते हैं; यावत् सभी दुःखों का अन्त करते हैं, वे तीसरे भव का
अतिक्रमण नहीं करते ।

प्र०—भगवन् ! दर्शन की मध्यम आराधना करके जीव
कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, यावत् सब दुःखों का
अन्त करता है ?

उ०—गौतम ! जिस प्रकार ज्ञान की मध्यम आराधना के
(फल के) विषय में कहा, उसी प्रकार दर्शन की मध्यम आराधना
के (फल के) विषय में कहना चाहिए ।

एवं मज्झिमियं चरित्ताराहणं पि ।

प०—जहन्नियं णं भन्ते ! नाणाराहणं आराहेत्ता कतिहि
भवग्गहणेहि सिज्जति—जाव—अंतं करेति ?

उ०—गोयमा ! अत्येगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्जइ
—जाव—अंतं करेइ, सत्त—ऽट्ठभवग्गहणाइं पुण
नाइक्कमइ ।

एवं दंसणाराहणं पि ।

एवं चरित्ताराहणं पि ।

—वि. श. ८, उ. १०, सु. १०-१८

तिविहा बोधी—

७६. तिविहा बोधी पणत्ता, तं जहा—
णाणबोधी, दंसणबोधी, चरित्तबोधी^१ ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६४

तिविहा बुद्धा—

तिविहा बुद्धा पणत्ता, तं जहा—
णाणबुद्धा, दंसणबुद्धा, चरित्तबुद्धा^२ ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. १६४

तिविहे मोहे—

७७. तिविहे मोहे पणत्ते, तं जहा—
णाणमोहे दंसणमोहे^३, चरित्तमोहे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६४

तिविहा मूढा—

७८. तिविहा मूढा पणत्ता, तं जहा—
णाणमूढा, दंसणमूढा, चरित्तमूढा^४ ।

—ठा. अ. ३, उ. २, सु. १६४

आयारसमाही—

७९. चउच्चिहा खलु आयारसमाही भवइ तं जहा—

१. नो इहलोगट्टयाए आयारमहिट्ठेज्जा,
२. नो परलोगट्टयाए आयारमहिट्ठेज्जा,
३. नो कित्तवण्णसद्दसिलोगट्टयाए आयारमहिट्ठेज्जा,

इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से चारित्र्य की मध्यम आराधना के
(फल के) विषय में कहना चाहिए ।

प्र०—भगवन् ! ज्ञान की जघन्य आराधना करके जीव
कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होता है,—यावत्—सब दुःखों का
अन्त करना है ?

उ०—गीतम ! कितने ही जीव तीसरा भव ग्रहण करके सिद्ध
होते हैं,—यावत्—सर्व दुःखों का अन्त करते हैं; परन्तु सात-आठ
भव का अतिक्रमण नहीं करते ।

इसी प्रकार जघन्य दर्शनाराधना के (फल के) विषय में
समझना चाहिए ।

इसी प्रकार जघन्य चारित्र्याराधना के (फल के) विषय में भी
कहना चाहिए ।

तीन प्रकार की बोधि—

७६. बोधि तीन प्रकार की कही गई है—

(१) ज्ञानबोधि, (२) दर्शनबोधि, (३) चारित्र्यबोधि ।

तीन प्रकार के बुद्ध—

७६. बुद्ध तीन प्रकार के कहे गये हैं—

(१) ज्ञानबुद्ध, (२) दर्शनबुद्ध, (३) चारित्र्यबुद्ध ।

तीन प्रकार के मोह—

७७. मोह तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) ज्ञानमोह, (२) दर्शनमोह, (३) चारित्र्यमोह ।

तीन प्रकार के मूर्ख—

७८. मूर्ख तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) ज्ञानमूर्ख, (२) दर्शनमूर्ख, (३) चारित्र्यमूर्ख ।

आचार समाधि—

७९. आचार-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

- (१) इहलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना ।
- (२) परलोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना ।
- (३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना ।

१. ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. ११५

२. ठा. अ. २, उ. ४, सु. ११५

३. ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. ११५

४. ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. ११५ ।

४. नक्षत्र्य आरहंतेहि हेअहिं आयारमहिहुज्जा,
चउत्थं पर्यं भवइ ।

भवइ य इत्य सिलोगो—

जिणवयणरए अतितिणे पडियुण्णाययमाययद्विए ।
आयारसमाहिसंवुडे भवइ य दंते भावसंधए ॥

—दस. अ. ६, उ. ४, सु. ४, गा. ५

कप्पट्टिई—

८०. छव्विहा कप्पट्टिई पणत्ता, तं जहा—

१. सामाइय-संजय-कप्पट्टिई,

२. छेओवट्टावणिय-संजय कप्पट्टिई,

३. निव्विसमाण कप्पट्टिई,

४. निव्विट्टकाइय कप्पट्टिई,

५. जिणकप्पट्टिई,

६. थेरकप्पट्टिई ।

—कप्प. उ. ६, सु. २० मर्यादा ।

(४) आहंत-हेतु के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं करना—यह चतुर्थ पद है ।

यहाँ (आचार-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

जो जिनवचन में रत होता है, जो प्रलाप नहीं करता, जो सूत्रार्थ से प्रतिपूर्ण होता है, जो अत्यन्त मोक्षार्थी होता है, वह आचार-समाधि के द्वारा संवृत होकर इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला तथा मोक्ष को निकट करने वाला होता है ।

कल्पस्थिति (आचार-मर्यादा)—

८०. कल्पस्थिति (निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों की आचार मर्यादा) छह प्रकार की होती है । यथा—

(१) सामायिकसंयतकल्पस्थिति—सामायिक चारित्र सम्बन्धी मर्यादा ।

(२) छेदोपस्थापनीय संयतकल्पस्थिति—यावज्जीवन की सामायिक स्वीकार कराते समय अथवा व्रत भंग होने पर पुनः पाँच महाव्रतों के आरोपण रूप चारित्र की मर्यादा ।

(३) निर्विश्रयमान कल्पस्थिति—परिहारविशुद्धि तप स्वीकार करने वाले की आचार मर्यादा ।

(४) निव्विट्टकायिक कल्पस्थिति—पारिहारिक तप पूरा करने वाले की आचार मर्यादा ।

(५) जिणकल्पस्थिति—गच्छ से बाहर होकर तपस्यापूर्वक जीवन बिताने वाली आचार मर्यादा ।

(६) स्थविरकल्पस्थिति—गच्छ के आचार्य की आचार



णाणायारो

चउच्चिहा सुयसमाही—

८१. चउच्चिहा खलु सुयसमाही भवइ तं जहा—

१. सुयं मे भविस्सइ त्ति अज्झाइयव्वं भवइ

२. एगगच्चित्तो भविस्सामि त्ति अज्झाइयव्वं भवइ

३. अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्झाइयव्वं भवइ

४. ठिओ परं ठावइस्सामि अज्झाइयव्वं भवइ ।

चउत्तयं परं भवइ ।

भवइ य इत्थं सिलो गो—

नाणमेगगच्चित्तो य, ठिओ ठावइ परं ।

सुयाणि य अहिज्जित्ता, रओ सुयसमाहि ॥

—दस. अ. ६, उ. ४, सु. ७, ८

अट्टविहो णाणायारो—

८२. काले विणए बहुमाणे, उवहाणे तहा अनिन्हवणे ।

वंजण-अत्थ-तदुमए, अट्टविहो णाणमायारो ॥

—आचारंग टीका अ. १, उ. १, गा. ७,

णाणुप्पणाणुकूलो वयो—

८३. तओ वया पणत्ता, तं जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

तिहि वएहि आया केवलमाभिणिवोहियणाणं उप्पाटेज्जा,

—जाव—तिहि वएहि आया केवलनाणं उप्पाटेज्जा,
तं जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

णाणुप्पणाणु कूलो कालो—

८४. तओ जामा पणत्ता, तं जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

ज्ञानाचार

चार प्रकार की श्रुत समाधि—

८१. श्रुत-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

(१) “भुझे श्रुत प्राप्त होगा”, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

(२) “मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा”, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

(३) “मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूँगा ।”, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

(४) “मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूँगा”, इसलिए अध्ययन करना चाहिए । यह चतुर्थ पद है और यहाँ (श्रुत-समाधि के प्रकरण में) एक श्लोक है—

अध्ययन के द्वारा ज्ञान होता है चित्त की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है और दूसरों को स्थिर करता है तथा अनेक प्रकार के श्रुत का अध्ययन कर श्रुत-समाधि में रत हो जाता है ।

आठ प्रकार के ज्ञानाचार—

८२. ज्ञानाचार आठ प्रकार का है—

यथा—(१) कालाचार, (२) विनयाचार, (३) बहुमाना-
चार, (४) उपधानाचार, (५) अनिन्हवाचार, (६) व्यंजनाचार,
(७) अर्याचार, (८) तदुभयाचार ।

ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल वय—

८३. वय (काल-कृत अवस्था-भेद) तीन कहे गये हैं—

यथा—प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय ।

तीनों ही वयों में आत्मा विणुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त करता है—

—यावत्—तीनों ही वयों में आत्मा विणुद्ध केवलज्ञान को प्राप्त करता है—

यथा—प्रथम वय में, मध्यम वय में और अन्तिम वय में ।

ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल काल—

८४. तीन (याम) प्रहर कहे गये हैं—

यथा—प्रथम याम, मध्यम याम, अन्तिम याम ।

१. आगमों में ज्ञानाचार विषयक यत्र तत्र जितने सूत्र हैं उनका वर्गीकरण करने के लिए ज्ञानाचार के इन आठ भेदों का कथन यहाँ निर्देश किया है । आगे क्रमशः ज्ञानाचार के आठ भेदों का वर्णन है ।

तिर्हिं जामेर्हिं आया केवलमाभिनिबोहिययाणं उप्पाडेज्जा,

—जाव—तिर्हिं जामेर्हिं आया केवलणाणं उप्पाडेज्जा,
तं जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

जिणपवयणं सोच्चा आभिनिबोहियणाणस्स जाव केवल-
णाणस्स उत्पत्ति-अणुत्पत्ति—

८५. प०—सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा—जाव—तप्पक्खिय-
उवासियाए वा केवलं आभिनिबोहियनाणं—जाव—
केवलनाणं उप्पाडेज्जा ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा—जाव—तप्पक्खिय-
उवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलं आभिनिबोहिय-
नाणं—जाव—केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगत्तिए
केवलं आभिनिबोहियनाणं—जाव—केवलनाणं नो
उप्पाडेज्जा ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

सोच्चा णं केवलिस्स वा—जाव—तप्पक्खियउवासि-
याए वा अत्थेगत्तिए केवलं आभिनिबोहियनाणं
—जाव—केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्थेगत्तिए केवलं
आभिनिबोहियनाणं—जाव—केवलनाणं नो उप्पा-
डेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं आभिनिबोहियणाणावरणिज्जाणं
कम्माणं—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
खओवसमे कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा
—जाव—तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं आभिनि-
बोहियनाणं—जाव—केवलनाणं उप्पाडेज्जा ।

जस्स णं आभिनिबोहियणाणावरणिज्जाणं कम्माणं
—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा—जाव—
तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं आभिनिबोहियनाणं
—जाव—केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—

जस्स णं आभिनिबोहियणाणावरणिज्जाणं कम्माणं
—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलं आभिनिबोहियनाणं
—जाव—केवलनाणं उप्पाडेज्जा ।

तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध अभिनिबोधिक ज्ञान को
प्राप्त करता है—

—यावत्—तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध केवलज्ञान को
प्राप्त करता है—

यथा—प्रथम याम में, मध्यम याम में और अन्तिम याम में ।

जिनप्रवचन सुनकर आभिनिबोधिक ज्ञान—यावत्—
केवलज्ञान की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—

८५. प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपा-
सिका से सुनकर कोई जीव आभिनिबोधिकज्ञान—यावत्—
केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपा-
सिका से सुनकर कई जीव आभिनिबोधिकज्ञान—यावत्—केवल-
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव आभिनिबोधिकज्ञान
—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर
कई जीव आभिनिबोधिक ज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर
सकते हैं और कई जीव आभिनिबोधिक ज्ञान—यावत्—केवल-
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों
का—यावत्—केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है
वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर
कई जीव आभिनिबोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर
सकते हैं ।

जिसके आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्—
केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली
से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव
आभिनिबोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर
सकते हैं ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

जिसके आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्—
केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से
—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव
आभिनिबोधिक—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

जस्स णं आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
—जाव—केवल-नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कढे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा—जाव—
तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं आभिनिवोहियनाणं
—जाव—केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. १३

जिणपवयणं असोच्चा आभिनिवोहियणाणस्स जाव
केवलनाणस्स उप्पत्ति-अणुप्पत्ति—

८६. ५०—असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा—जाव—तप्पक्खिय-
उवासियाए वा केवलं आभिनिवोहियनाणं—जाव—
केवलनाणं उप्पाडेज्जा ?

उ०—गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं आभिनिवोहि-
यनाणं—जाव—केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगत्तिए केवलं
आभिनिवोहियनाणं—जाव—केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।

५०—से केणट्टे णं भंते ! एवं वुच्चइ—

असोच्चा णं केवलिस्स वा—जाव—तप्पक्खियउवासियाए
वा अत्येगत्तिए केवलं आभिनिवोहियनाणं—जाव—केवल-
नाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगत्तिए केवलं आभिनिवोहिय-
नाणं—जाव—केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं आभिनिवोहिय नाणावरणिज्जाणं
कम्माणं—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ-
वसमे कढे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा—जाव—
तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं आभिनिवोहियनाणं
—जाव—केवलनाणं उप्पाडेज्जा ।

जस्स णं आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो
कढे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलं आभिनिवोहियनाणं—जाव—
केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।

से तेणट्टे णं गोयमा ! एवं वुच्चइ—

जस्स णं आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कढे
भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा—जाव—तप्पक्खिय-
उवासियाए वा केवलं आभिनिवोहियनाणं—जाव—
केवलनाणं उप्पाडेज्जा ।

जस्स णं आभिनिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं
—जाव—केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्—
केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली
से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव
आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर
सकता हैं ।

जिनप्रवचन सुने विना आभिनिवोधिक ज्ञान यावत्
केवलज्ञान की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—

८६. प्र८—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपा-
सिका से सुने विना कोई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—
केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपा-
सिका से सुने विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—
केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान
—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

केवली के—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने
विना कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त
कर सकते हैं और कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—
केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों
का—यावत्—केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है
वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना
कई जीव आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर
सकते हैं ।

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्—
केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली
से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव
आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर
सकते हैं ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है ।

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्—
केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से
—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव
आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

जिसके आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मों का—यावत्—
केवलज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली

कडे भवइ से णं असोच्चा केवलस्स वा-जाव-सप्पक्खि-
यउवासियाए वा केवलं आभिनिवोहियनाणं-जाव-
केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

विभंगणाणोप्पत्ति—

८७. तस्स णं छट्ठं छट्ठेणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्डं वाहाओ
पगिज्झिय पगिज्झिय सूराम्भिसुहस्स आयावणभूमोए आयावे-
माणस्स पगतिमहयाए पगइउवसंतयाए पगतिपयणुकोह-
माण-माया-लोभयाए मिउमह्वसंपन्नयाए अल्लोणताए भट्टताए
विणीतताए अण्णया कयाइ सुभेणं अज्जवसाणेणं, सुभेणं
परिणाभेणं, लेस्साहिं विमुज्जमाणिहिं तथावरणिज्जाणं
कम्मणं खओवसमेणं ईहापोहमग्गण-गवेसणं करेमाणस्स
विभंगे नामं अन्नाणे समुप्पज्जइ,

से णं तेणं विभंगनाणेणं समुप्पन्नेणं जहन्नेणं अंगुलस्स
असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं असंखेज्जाइं जोयणसहस्साइं जाणइ
पासइ,

से णं तेणं विभंगनाणेणं समुप्पन्नेणं जीवे वि जाणइ,
अजीवे वि जाणइ,

पासंडत्थे सारंभे सपरिग्गहे संकिलिस्समाणे वि जाणइ,
विमुज्जमाणे वि जाणइ,

से णं पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ, सम्मत्तं पडिवज्जिता
समणधम्मं रोएत्ति, समणधम्मं रोएत्ता चरित्तं पडिवज्जइ,
चरित्तं परिवज्जिता लिगं पडिवज्जइ,

तस्स णं तेहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं,
सम्महंसणपज्जवेहिं परिवड्डमाणेहिं परिवड्डमाणेहिं से
विभंगे अन्नाणे सम्मत्तपरिग्गहिंए खिप्पामेव ओही परावत्तइ ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. १४

णाणस्स पहाणत्तं—

८८. नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा ।—उत्त.अ. २८, गा. ३०

पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठए सव्वसंजए ।

अन्नाणी किं काही, किं वा नाहिइ सेय-पावणं ॥^१

से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कई जीव
आभिनिवोधिकज्ञान—यावत्—केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर
सकते हैं ।

विभंगज्ञान की उत्पत्ति—

८७. निरन्तर छठ-छठ (बेले-बेले) का तपःकर्म करते हुए सूर्य के
सम्मुख वाहें ऊँची करके आतापनाभूमि में आतापना लेते हुए
उस (विना धर्म श्रवण किये केवलज्ञान तक प्राप्त करने वाले)
जीव की प्रकृति भद्रता से, प्रकृति की उपशान्तता से स्वाभाविक
रूप से ही क्रोध, मान, माया और लोभ की अत्यन्त मन्दता होने
से अत्यन्त मृदुत्वसम्पन्नता से, कामभोगों में अनासक्ति से, भद्रता
और विनीतता से तथा किसी समय शुभ अध्यवसाय, शुभ परि-
णाम, विशुद्ध लेश्या एवं तदावरणीय (विभंगज्ञानावरणीय) कर्मों
के क्षयोपशम से ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करते हुए
(विभंग) नामक अज्ञान उत्पन्न होता है ।

फिर वह उस उत्पन्न हुए विभंगज्ञान द्वारा जघन्य अंगुल के
असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन तक
जानता और देखता है ।

उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान से वह जीवों को भी जानता है
और अजीवों को भी जानता है ।

वह पापण्डस्य, सारम्भी (आरम्भयुक्त), सपरिग्रह (परिग्रही)
और संक्लेश पाते हुए जीवों को भी जानता है और विशुद्ध होते
हुए जीवों को भी जानता है ।

(तत्पश्चात्) वह (विभंगज्ञानी) सर्वप्रथम मन्यक्त्व प्राप्त
करता है, सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रमणधर्म पर रुचि करता है,
श्रमणधर्म पर रुचि करके चारित्र्य अंगीकार करता है । चारित्र्य
अंगीकार करके लिग (साधु वेश) स्वीकार करता है ।

तब उस (भूतपूर्व विभंगज्ञानी) के मिथ्यात्व के पर्याय क्रमशः
क्षीण होते-होते और सम्यग्-दर्शन के पर्याय क्रमशः बढ़ते-बढ़ते
वह "विभंग" नामक अज्ञान, सम्यक्त्व-युक्त होता है और शीघ्र
ही अवधि (ज्ञान) के रूप में परिवर्तित हो जाता है ।

ज्ञान की प्रधानता—

८८. ज्ञान के विना चारित्र्य गुण की प्राप्ति नहीं होती है ।

पहले ज्ञान फिर दया—इस प्रकार सब मुनि स्थित होते
हैं । अज्ञानी क्या करेगा ? वह क्या जानेगा—क्या श्रेय है और
क्या पाप ?

१ अज्ञानी को हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक नहीं होता है, यह विवेक ज्ञान से ही सम्भव है अतः ज्ञानाचार को सर्वप्रथम स्थान
देना संगत है ।

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं ।
उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे ॥

—दस. अ. ४, गा. ३३-३४

नाणेण संजम परिण्णा—

८६. जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणई ।
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं तो नाहिइ संजमं ॥

जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणई ।
जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहिइ संजमं ॥

—दस. अ. ४, गा. १२-१३

नाणेण न संसार भमणं—

६०. प०—नाणसंपन्नाए णं भते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—नाणसंपन्नाए णं जीवे सव्वमावाग्गिमं जणयइ ।
नाणसंपन्ने णं जीवे चाउरग्गे संसारकन्तारे न
विणस्सइ ।

जहा सुई समुत्ता, पटिया वि न विणस्सइ ।
तहा जीवे समुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥

नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ ससमय-परसमय
संघायणिज्जे भवइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ६१

सुय-आराहणा फलं—

६१. प०—सुयस्स आराहणयाए णं भते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सुयस्स आराहणयाए अत्राणं धवेइ न य संकिलिस्सइ ॥

—उत्त. अ. २६, सु. २६

णाणेण णिव्वाणपत्ति—

६२. जया जीवे अजीवे य, दो वि एए वियाणई ।
तया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणई ॥

जया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणई ।
तया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणई ॥

जया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणई ।
तया निट्ठिइए भोए, जे दिट्ठे जे य माणुसे ॥

जीव सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है । कल्याण और पाप सुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो श्रेय है उसी का आवरण करे ।

ज्ञान से संयम का परिज्ञान—

८६. जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता वह जीव और अजीव को न जानने वाला संयम को कैसे जानेगा ?

जो जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है वही, जीव और अजीव दोनों को जानने वाला ही, संयम को जान सकेगा ।

ज्ञान से संसार भ्रमण नहीं—

६०. प्र०—भन्ते ! ज्ञानसम्पन्नता (श्रुतज्ञानसम्पन्नता) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—ज्ञान-सम्पन्नता से वह सब पदार्थों को जान लेता है । ज्ञान-सम्पन्न जीव चार गतिरूप चार अन्तों वाली संसार-अटवी में विनष्ट नहीं होता ।

जिस प्रकार ससूत्र (धागे में पिरोई हुई) सुई गिरने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत सहित) जीव संसार में रहने पर भी विनष्ट नहीं होता ।

(ज्ञान-सम्पन्न) अवधि आदि विशिष्ट ज्ञान, विनय, तप और चारित्र्य के योगों को प्राप्त करता है तथा स्वसमय और परसमय की व्याख्या या बुझना के लिए प्रामाणिक पुरुष माना जाता है ।

श्रुत-आराधना का फल—

६१. प्र०—भन्ते ! श्रुत की आराधना से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—श्रुत की आराधना से अज्ञान का क्षय करता है और राग-द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक संक्लेशों से बच जाता है ।

ज्ञान से निर्वाण प्राप्ति—

६२. जब मनुष्य जीव और अजीव इन दोनों को जान लेता है तब वह सब जीवों की बहुविध गतियों को भी जान लेता है ।

जब मनुष्य सब जीवों को बहुविध गतियों को जान लेता है तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ।

जब मनुष्य पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब जो भी देवों और मनुष्यों के भोग हैं उनसे विरक्त हो जाता है ।

जया निन्द्विदए भोए, जे दिव्वे जे य भाणुसे ।
 तथा चयइ संजोगं, सन्निमतरवाहिरं^१ ॥
 जया चयइ संजोगं, सन्निमतरवाहिरं ।
 तथा मुण्डे^२ भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं ॥
 जया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं ।
 तथा संवरमुक्किह्वं^३, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥
 जया संवरमुक्किह्वं, धम्मं फासे अणुत्तरं ।
 तथा धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं^४ ॥

जया धुणइ कम्मरयं^५, अबोहिकलुसं कडं ।
 तथा सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छई^६ ॥

जया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छई ।
 तथा जोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली^७ ॥

जब मनुष्य दैविक और मानुषिक भोगों से विरक्त हो जाता है तब वह आभ्यन्तर और बाह्य संयोगों को त्याग देता है ।

जब मनुष्य आभ्यन्तर और बाह्य संयोगों को त्याग देता है तब वह मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है ।

जब मनुष्य मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है तब वह उत्कृष्ट संवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है ।^१

जब मनुष्य उत्कृष्ट संवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है तब वह अवोधि-रूप पाप द्वारा संचित कर्म-रज को प्रकम्पित कर देता है ।

जब मनुष्य अवोधि-रूप पाप द्वारा संचित कर्म-रज को प्रकम्पित कर देता है तब वह सर्वत्र-गामी ज्ञान और दर्शन—केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

जब मनुष्य सर्वत्र-गामी ज्ञान और दर्शन—केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है ।

- १ आभ्यन्तर संयोग—क्रोध, मान, माया, लोभ आदि । बाह्य संयोग—क्षेत्र, वास्तु, हिरण्यक, सुवर्ण, स्वजन, परिजन आदि ।
- २ (क) मुण्ड दो प्रकार के होते हैं—द्रव्यमुण्ड और भावमुण्ड, केश लुन्वन करना द्रव्यमुण्ड होना है । इन्द्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करना भावमुण्ड होना है । द्रव्यमुण्ड को कायिकमुण्ड और भावमुण्ड को मानसिक मुण्ड कहते हैं ।
- (ख) स्या. अ. १०, सु. ७४६ में दस प्रकार के मुण्ड कहे हैं । यथा—
 दस मुण्डा पणत्ता, तं जहा—सोत्तिदियमुण्डे (चक्खिदियमुण्डे, घाण्णिदियमुण्डे, जिब्बिदियमुण्डे, फासिदियमुण्डे, कोहमुण्डे, माणमुण्डे-मायामुण्डे, लोभमुण्डे, सिरमुण्डे ।)
 मुंड दस प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—
 १. श्रोत्रेन्द्रियमुण्ड—श्रोत्रेन्द्रिय के विषय का मुण्डन (त्याग) करने वाला ।
 २. चक्षुरिन्द्रियमुण्ड—चक्षुरिन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला ।
 ३. घ्राणेन्द्रियमुण्ड—घ्राणेन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला ।
 ४. रसनेन्द्रियमुण्ड—रसनेन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला ।
 ५. स्पर्शनेन्द्रियमुण्ड—स्पर्शनेन्द्रिय के विषय का मुण्डन करने वाला ।
 ६. क्रोधमुण्ड—क्रोध कषाय का मुण्डन करने वाला ।
 ७. मानमुण्ड—मान कषाय का मुण्डन करने वाला ।
 ८. मायामुण्ड—माया कषाय का मुण्डन करने वाला ।
 ९. लोभमुण्ड—लोभ कषाय का मुण्डन करने वाला ।
 १०. शिरोमुण्ड—शिर के केशों का मुण्डन करने वाला ।
- ३ देशविरत का संवर देशसंवर है अतः जघन्य संवर है । सर्वविरति का संवर सर्वसंवर है इसलिए उत्कृष्ट संवर है ।
- ४ बोध रहित दशा अर्थात् अज्ञान दशा या मिथ्यात्वदशा को अवोधि कहते हैं । जब तक व्यक्ति बोधरहित रहता है तब तक ही पापकर्म करता है ।
- ५ आत्मा का आवरण कर्मरज है, उसके धुन देने से केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप आत्मस्वरूप प्रकट हो जाता है ।
- ६ केवलज्ञान से लोकव्यापी समस्त पदार्थों को तथा अलोक को केवलज्ञानी जान लेता है ।
- ७ स्थानांग सूत्र, स्या. ३, उ. ४, सूत्र २२० में तीन प्रकार के जिन और तीन प्रकार के केवली कहे हैं, किन्तु यहाँ केवलज्ञानी केवली और केवलज्ञानी जिन कहे गये हैं ।

जया लोमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुम्मिता^१, सेलेसि पडिवज्जई ॥

जया जोगे निरुम्मिता, सेलेसि पडिवज्जई^२ ।
तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥

जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तया लोमत्थयत्थो^३, सिद्धो हवइ सासओ ॥

—दस. अ. ४, गा. ३७-४४

दोहो ठाणोहो संवण्णे अणगारे अणादीयं अणवदगं बोहमदं
चाउरंतं संसारकंतरं बोतिवएज्जा,

तं जहा—विज्जाए चैव चरणेण चैव ।

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५३

जब मनुष्य जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब वह योगों का निरोध कर शैलेणी अवस्था को प्राप्त होता है ।

जब मनुष्य योग का निरोध कर शैलेणी अवस्था को प्राप्त होता है तब वह कर्मों का क्षय कर रज-मुक्त बन सिद्धि को प्राप्त करता है ।

जब मनुष्य कर्मों का क्षय कर रजमुक्त बन सिद्धि को प्राप्त होता है तब वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत सिद्ध होता है ।

इन दो स्थानों से सम्पन्न अनगार (साधु) अनादि अनन्त दीर्घ मार्ग वाले एवं चतुर्गति रूप विभाग वाले संसार रूपी गहन वन को पार करता है, अर्थात् मुक्त होता है ।

यथा—१. विद्या से (ज्ञान), और चरण (चारित्र) से ।



१ मूक्षमक्रिया अप्रतिपाति शुक्लध्यान में योगों का निरोध होता है । योग निरोध का क्रम इस प्रकार है—

सर्वप्रथम मनोयोग का निरोध होता है, पश्चात् वचनयोग का निरोध होता है, तत्पश्चात् काययोग का निरोध होता है। इसके लिए देखिए उत्तराध्ययन अ. २६, सू. ७२

२ शैल + ईण = शैलेण, मेरु का नाम है, मेरु के समान अडोल, अकम्प, अवस्था शैलेणी अवस्था है । कम्पन योग-निमित्तक होता है, योगरहित आत्मा में कम्पन नहीं होता है, अतः योगों का निरोध करके शैलेणी अवस्था को प्राप्त होता है । जहाँ तक कम्पन है वहाँ तक आत्मा मुक्त नहीं होता—इसके लिए देखें भगवती. शत. १७, उद्दे. ३

३ कर्मों का क्षय करके रजमुक्त आत्मा लोक के मस्तक पर किस प्रकार स्थित होता है ? यह रूपक है—

जहा मिउलेवालित्तं, गरुयं तुम्भं अहो वयइ एवं । आसवकयतुम्भगुरु, जीवा वच्चंति अहरगइं ॥

तं चैव तच्चिमुक्कं, जणोवरिं ठाइ जायलहुभावं । जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपइट्टिया होति ॥

—ज्ञाताधर्म कथा—श्रुत. १, अ. ६ तुम्भे का रूपक

पढमो काल-णाणायारो

प्रथम काल-ज्ञानाचार

कालपडिलेहणा फलं—

६३. प०—कालपडिलेहणयाए^१ णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—कालपडिलेहणयाए नाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ ॥

—उत्त. अ. २६ सु. १७

सज्झायकालस्स पडिलेहणं—

६४. दिवसस्स चउरो भागे, कुज्जा भिक्खू वियवखणे ।
तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु चउसु वि ॥११॥
जं नेइ जया रत्तिं, नक्खत्तं तंमि तह चउब्भागे ।
संपत्ते विरमेज्जा, सज्झाय पओसकालम्मि ॥१६॥

तम्मेव थ नक्खत्ते, गयण चउब्भागसावसेसंमि ।

वेरत्तियं पि कालं, पडिलेहिणा मुणी कुज्जा ॥२०॥

—उत्त. अ. २६

सज्झाय-ज्ञाणाइ काल विवेगो—

६५. पढमं पोरिसि सज्झायं, बीयं ज्ञाणं क्षियायई ।
तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीए सज्झायं ॥

—उत्त. अ. २६, गा. १२

पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिथा ।

सज्झायं तु तओ कुज्जा, अबोहेन्तो असंजए ॥

—उत्त. अ. २६, गा. ४४

गिगंथाणं विइगिट्ठकाले सज्झायकाल निसेहो—

६६. नो कप्पइ निगंथाणं विइगिट्ठे काले^२ सज्झायं उट्ठिसित्तए
वा करेत्तए वा ।

—वव. उ. ७, सु. १४

काल प्रतिलेखना का फल—

६३. प्र०—भन्ते ! काल-प्रतिलेखना (स्वाध्याय आदि के उपयुक्त समय का ज्ञान करने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—काल-प्रतिलेखना से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है ।

स्वाध्याय काल-प्रतिलेखना—

६४. विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग करे । उन चारों भागों में उत्तर-गुणों (स्वाध्याय आदि) की आराधना करे ।

जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता हो, वह (नक्षत्र) जब आकाश के चतुर्थ भाग में आए (प्रथम प्रहर समाप्त हो) तब प्रदोष-काल (रात्रि के प्रारम्भ) में प्रारब्ध स्वाध्याय से विरत हो जाए ।

वही नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थ भाग में शेष रहे तब वैरात्रिक काल (रात का चतुर्थ प्रहर) आया हुआ जानकर फिर स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाय ।

स्वाध्याय ध्यानादि का काल विवेक—

६५. प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे । तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे ।

चौथे प्रहर में काल की प्रतिलेखना कर असंयत व्यक्तियों को न जगाता हुआ स्वाध्याय करे ।

व्यतिकृष्ट काल में निर्ग्रन्थों के लिए स्वाध्याय निषेध—

६६. निर्ग्रन्थों का व्यतिकृष्टकाल (विपरीत काल-कालिक आगम के स्वाध्याय काल में उत्कालिक आगम का स्वाध्याय करना तथा उत्कालिक आगम के स्वाध्यायकाल में कालिक आगम का स्वाध्याय करना) में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है ।

१ (क) कालप्रतिलेखना—यह काल किस क्रिया के करने का है ? यह निरीक्षण करना काल-प्रतिलेखना है ।

(ख) प्रमाद रहित साधक काल-प्रतिलेखना से स्वाध्याय का काल जानकर स्वाध्याय करें तो उसे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है ।

(ग) आवश्यक अ. ४ में काल-प्रतिलेखना सूत्र में काल के अतिक्रम आदि दोषों की शुद्धि का पाठ है ।

२ व्यतिकृष्ट काल दो प्रकार का है—१. कालिक व्यतिकृष्ट, २. उत्कालिक व्यतिकृष्टः ।

कालिक व्यतिकृष्ट—दिवस और रात्रि के प्रथम तथा चतुर्थ प्रहर को छोड़कर द्वितीय और तृतीय प्रहर में कालिक आगमों का अध्ययन कराना एवं स्वाध्याय करना ।

उत्कालिक व्यतिकृष्ट—चार सन्ध्याओं में उत्कालिक आगमों का अध्ययन कराना तथा स्वाध्याय करना ।

कालिक और उत्कालिक आगमों की संख्या श्रुत ज्ञान के विभाग में देखें ।

निर्ग्रन्थिणीं विद्भिर्गृहकाले सज्ज्ञायविहाणं—

६७. कल्पइ निर्ग्रन्थिणीं विद्भिर्गृहकाले सज्ज्ञायं करेत्तए निर्ग्रन्थं
निस्साए ।^१ —वव. उ. ७, सु. १५

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिणी सज्ज्ञायविहाणं—

६८. कल्पइ निर्ग्रन्थाणं वा निर्ग्रन्थिणीं वा सज्ज्ञाइए सज्ज्ञायं
करेत्तए । —वव. उ. ७, सु. १७

कल्पइ निर्ग्रन्थाणं वा निर्ग्रन्थिणीं वा चाउक्ककालं सज्ज्ञायं
करेत्तए, तं जहा—

पुव्वण्हे,
अवरण्हे,
पयोसे,
पच्चूसे ।

—ठाणं ८, उ. २, सु. २८५

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिणीं असज्ज्ञायकाल विहाणं—

६९. नो कल्पइ निर्ग्रन्थाण वा निर्ग्रन्थिणी वा असज्ज्ञाइए सज्ज्ञायं
करेत्तए । —वव. उ. ७, सु. १६

चउद्विहो असज्ज्ञायकालो—

१००. णो कल्पइ निर्ग्रन्थाण वा निर्ग्रन्थिणी वा चउद्विहो सज्ज्ञायं
करेत्तए, तं जहा—

१. पटमाए,
२. पच्छिमाए,
३. मज्झण्हे,
४. अट्ठरत्ते ।^२

—ठाणं. ४, उ. २, सु. २८५

चउसु महापाडिवएसु सज्ज्ञायणिसेहो—

१०१. णो कल्पइ निर्ग्रन्थाण वा निर्ग्रन्थिणी वा चउद्विहो महापाडिवएहि
सज्ज्ञायं करेत्तए, तं जहा—

१. आसाट्ठपाडिवए,
२. इंदमहपाडिवए,
३. कत्तियपाडिवए,

निर्ग्रन्थिनी के लिए स्वाध्याय विधान—

६७. निर्ग्रन्थ की निश्चा में निर्ग्रन्थियों को व्यतिकृष्टकाल में (भी)
स्वाध्याय करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थिनी हेतु स्वाध्याय काल विधान—

६८. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को स्वाध्यायकाल में (ही)
स्वाध्याय करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चार कालों में स्वाध्याय करना
कल्पता है, जैसे—

१. पूर्वाह्न में—दिन के प्रथम प्रहर में ।
२. अपराह्न में—दिन के अन्तिम प्रहर में ।
३. प्रदोष में—रात के प्रथम प्रहर में ।
४. प्रत्युष में—रात के अन्तिम प्रहर में ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी हेतु अस्वाध्याय काल विधान—

६९. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अस्वाध्याय काल में
स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है ।

चार प्रकार का अस्वाध्याय-काल—

१००. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को चार सन्ध्याओं में स्वाध्याय
करना नहीं कल्पता है, जैसे—

१. प्रथम सन्ध्या—सूर्योदय का पूर्वकाल ।
२. पश्चिम सन्ध्या—सूर्यास्त के पीछे का काल ।
३. मध्याह्न सन्ध्या—दिन के मध्य समय का काल ।
४. अर्धरात्र-सन्ध्या—आधी रात का समय ।

चार महाप्रतिपदाओं में स्वाध्याय निषेध—

१०१. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को चार महाप्रतिपदाओं में
स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है, जैसे—

१. आपाट्ट प्रतिपदा—आषाढी पूर्णिमा के पश्चात् आने
वाली सावन की प्रतिपदा ।
२. इन्द्रमह-प्रतिपदा—आसौज मास की पूर्णिमा के पश्चात्
आने वाली कार्तिक की प्रतिपदा ।
३. कार्तिक-प्रतिपदा—कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात् आने
वाली मगसिर की प्रतिपदा ।

१ क्षेत्र व्यतिकृष्ट और भाव व्यतिकृष्ट ये दो प्रकार के शिष्य होते हैं, इन्हें आगमों का अध्ययन करना निषिद्ध है ।

२ इन चार सन्ध्याकालों में एक-एक मुहूर्त अस्वाध्याय काल रहता है, सन्ध्याकाल से पूर्व एक घड़ी और पश्चात् एक घड़ी इस प्रकार एक मुहूर्त होता है ।

४. सुगिम्हायाडिवए ।^१

४. सुग्रीष्म-प्रतिपदा—चैत्री पूर्णिमा के पश्चात् आने वाली

—ठाणं. ४, उ. २, सु. २८५ वैशाखी प्रतिपदा ।

१ इन चार पूर्णिमाओं में और चार प्रतिपदाओं में स्वाध्याय न करने के दो कारण हैं—

१. स्वाध्याय करने वाले के साथ मिथ्यादृष्टि देव छलना न करें ।

२. इन दिनों विकृतिवाला आहार अधिक मिलता है, इसलिए स्वाध्याय में मन नहीं लगता है ।

निशीथ उद्दे. १९, सूत्र १२ में चार महाप्रतिपदाओं का कथन इस प्रकार है—चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, आपाढ कृष्णा प्रतिपदा, भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा और कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ।

स्थानांग में कथित चार महाप्रतिपदाओं में—आश्विन कृष्णा प्रतिपदा के स्थान में यहाँ भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा का कथन है । यह अन्तर या तो वाचना भेद के कारण है, या स्थानांग संकलनकर्ता के देश में इन्द्र महोत्सव आश्विन महा-प्रतिपदा का होता होगा और निशीथ संकलनकर्ता के देश में इन्द्र महोत्सव भाद्रपद महाप्रतिपदा को समापन्न होता होगा, अतः इन दो भिन्न प्रतिपदाओं का कथन इन दो आगमों में हुआ है ।

निशीथ उद्दे. १९, सूत्र ११ में चार महा मह अर्थात् चार महामहोत्सव का कथन है । इन चार महोत्सव में स्वाध्याय करने का प्रायश्चित्त का विधान है । ये चार महा महोत्सव क्रमशः इन पूर्णिमाओं में होते हैं—

इन्द्र महोत्सव—आश्विन पूर्णिमा तथा आश्विन कृष्णा प्रतिपदा ।

राजस्थान में—कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ।

स्कन्द महोत्सव—कार्तिक पूर्णिमा तथा कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा ।

राजस्थान में—मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा ।

नाग महोत्सव—आषाढ पूर्णिमा तथा आपाढ कृष्णा प्रतिपदा :

राजस्थान में—श्रावण कृष्णा प्रतिपदा ।

भूत महोत्सव—चैत्र पूर्णिमा तथा चैत्र कृष्णा प्रतिपदा ।

राजस्थान में वैशाख कृष्णा प्रतिपदा ।

आश्विन पूर्णिमा के पश्चात् आश्विन कृष्णा प्रतिपदा गुजरात में प्रचलित पंचांग के अनुसार कही गई है ।

राजस्थान में प्रचलित पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के पश्चात् कृष्णा प्रतिपदा भिन्न मास की आती है । इसलिए ऊपर दोनों प्रतिपदाएँ लिखी हैं ।

इस सम्बन्ध में स्थानांग टीकाकार का लिखना इस प्रकार है—

आषाढस्य पौर्णमास्या अनन्तरा प्रतिपदाषाढप्रतिपदमेवमन्यत्रापि । नवरमिन्द्रमहः—अश्वयुक् पौर्णमासी, सुग्रीष्मः—चैत्रपौर्णमासीति । इह च यत्र विषये यतो दिवसान्महामहाः प्रवर्तन्ते यत्र तद्विषयात् स्वाध्यायो न विधीयते महसमाप्तिदिनं यावत् तच्च पौर्णमास्येव, प्रतिपदस्तुक्षणानुवृत्ति-सम्भवेन वर्ज्यन्त इति । उक्तं च आपाढी इंदमहो, कस्तिर्यं सुगिम्हाए य वोद्वो । एए महामहा खलु, सर्व्वेभि जाव पाडिवया ।

—आचारांग श्रुत. २, अ. १, उद्दे. २, सु. १२ में तथा भगवती शत. ९, उद्दे. ३३ में इन्द्रमह आदि उन्नीस महोत्सवों के नाम हैं, साथ ही अन्य महोत्सवों के होने का भी निर्देश है । अन्य महोत्सवों को छोड़कर केवल चार महोत्सवों में ही स्वाध्याय न करने का विधान क्यों है—यह शोध का विषय है । इन्द्र महोत्सव आदि उत्सव भिन्न-भिन्न तिथियों में भी मनाये जाते हैं, जैसे यक्ष महोत्सव आषाढ पूर्णिमा को मनाया जाता है, किन्तु लाट देश में श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो क्या लाट देश में अस्वाध्याय श्रावण पूर्णिमा के दिन रहेगा ?

वर्तमान में इन निर्दिष्ट पूर्णिमाओं में ये उत्सव नहीं मनाए जाते हैं, इसलिए इन दिनों में अस्वाध्याय रखने का क्या हेतु है ? यह सब विचारणीय विषय है ।

दसविधे ओरालिए असज्जाए—

१०२. दसविधे ओरालिए असज्जाए पण्णत्ते^१, तं जहा—१. अट्ठि, २. मंसि, ३. सोणिते^२, ४. असुइसामंते^३, ५. सुसाण-
सामंते^४, ६. चंदोवराए, ७. सूरुवराए^५,

दस प्रकार के औदारिक-सम्बन्धी-अस्वाध्याय—

१०२. औदारिक शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय दस प्रकार का कहा
गया है। जैसे—१. अस्थि, २. मांस, ३. रक्त, ४. अशुचि, ५. श्मशान के
समीप होने पर, ६. चन्द्र-ग्रहण, ७. सूर्य-ग्रहण,१ मनुष्य और तिर्यञ्च के औदारिक शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय है। यहाँ केवल पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च के औदारिक शरीर सम्बन्धी
अस्वाध्यायों का उल्लेख है। —टीकाकार

२ (क) आगमोत्तरकालीन ग्रन्थों में—शोणित, मांस, चर्म और अस्थि ये चार अस्वाध्याय कहे हैं।

अस्वाध्याय के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव :—

द्रव्य—अस्थि, मांस, शोणित और चर्म ये चार अस्वाध्याय के द्रव्य हैं।

क्षेत्र—अस्वाध्याय का क्षेत्र—साठ हाथ की सीमा में रहे हुए अस्थि आदि चार पदार्थ हैं।

काल—अस्थि आदि जिस समय दिखाई दें, उस समय से तीन प्रहर का अस्वाध्याय काल है।

भाव—कालिक, उत्कालिक आगमों का स्वाध्याय न करना।

यह कथन पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च की अस्थि आदि के सम्बन्ध में है। मनुष्य की अस्थि आदि के सम्बन्ध में द्रव्य और भाव का
कथन तिर्यञ्च के समान है। क्षेत्र और काल के सम्बन्ध में कुछ विशेषताएँ हैं, वे इस प्रकार हैं :—

क्षेत्र—अस्थि आदि द्रव्य से सौ हाथ की सीमा पर्यन्त का क्षेत्र अस्वाध्याय क्षेत्र है।

काल—मनुष्य की अस्थि दिखाई दे उस समय से अहोरात्रि पर्यन्त का काल अस्वाध्याय काल है।

(ख) स्त्री—रज का अस्वाध्याय काल—तीन दिन। यदि तीन दिन पश्चात् भी रजोदर्शन होता रहे तो अस्वाध्याय नहीं है।

उपाश्रय या स्वाध्याय भूमि से दोनों पार्श्व भाग में या पृष्ठ भाग में सात गृह पर्यन्त बालक-बालिका के जन्म का अस्वाध्याय
क्रमणः सात आठ दिन का अस्वाध्याय काल माना गया है। उपाश्रय के जिस ओर राजमार्ग हो उस ओर अस्वाध्याय नहीं
माना जाता।

मनुष्य की अस्थि सौ हाथ तक हो तो उसका अस्वाध्याय बारह वर्ष तक रहता है चाहे वह पृथ्वी में ही क्यों न गड़ी हो।

चित्ता में जली हुई एवं जल प्रवाह में वही हुई हड्डी स्वाध्याय में बाधक नहीं है।

३ स्वाध्याय स्थल के समीप जत्र तक मल-मूत्र की दुर्गन्ध आती हो या मल-मूत्र दृष्टिगोचर होते हों तब तक अस्वाध्याय नहीं है।

४ श्मशान में चारों ओर सौ-सौ हाथ तक अस्वाध्याय क्षेत्र है।

५ (क) चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण को औदारिक अस्वाध्याय में इसलिए गिना है कि उनके विमान पृथ्वीकाय के वने हुए हैं।

(ख) चन्द्रग्रहण का अस्वाध्याय दो प्रकार का है—जघन्य—आठ प्रहर, उत्कृष्ट—बारह प्रहर।

१. यदि उदयकाल में चन्द्र ग्रसित हो गया हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर आगामी दिवस के ये आठ प्रहर
अस्वाध्याय के हैं।२. यदि चन्द्रमा प्रभात के समय ग्रहण ग्रसित अस्त हो तो चार प्रहर दिन के चार प्रहर रात के एवं चार प्रहर द्वितीय दिवस
के। इस प्रकार बारह प्रहर अस्वाध्याय के हैं।

(ग) सूर्यग्रहण का अस्वाध्याय दो प्रकार का है—१. जघन्य—बारह प्रहर, उत्कृष्ट—सोलह प्रहर।

१. सूर्य अस्त होते समय ग्रसित हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी अहोरात्रि के—इस प्रकार बारह प्रहर
अस्वाध्याय के हैं।२. यदि उगता हुआ सूर्य ग्रसित हो तो उस दिन-रात के आठ और आगामी दिन-रात के आठ—इस प्रकार सोलह प्रहर
अस्वाध्याय के हैं।मेघाच्छन्न आकाश के कारण यदि ग्रहण दिखाई न दे और सायंकाल में सूर्य ग्रसित हो, अस्त हो तो उस दिन-रात और
आगामी दिन-रात के सोलह प्रहर अस्वाध्याय के हैं।(घ) अन्य अन्तरिक्ष अस्वाध्याय आकस्मिक हैं किन्तु चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहण आकस्मिक नहीं हैं इसलिए अन्तरिक्ष अस्वाध्याय
से भिन्न माना है।

८. पङ्कणे^१, ९. रायवुगहे^२ १०. उवस्सयस्स अंतो भोरा-
लिए सरीरगे^३ ।

—ठाणं. अ. १०, सु. ७१४

अप्पणो असज्जाए सज्जाय-निसेहो—^४

१०३. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा
अप्पणो असज्जाइए सज्जायं करेत्तए ।^५
कप्पइ णं अन्नमन्नस्स वायणं दलइत्तए ।^५

—वव. उ. ७, सु. १८

८. पतन—मरण प्रमुख व्यक्ति के मरने पर, ९. राजविप्लव होने पर १०. उपाश्रय के भीतर सौ हाथ औदारिक कलेवर के होने पर स्वाध्याय करने का निषेध किया गया है ।

शारीरिक कारण होने पर स्वाध्याय का निषेध—

१०३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को स्वशरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय होने पर स्वाध्याय करना नहीं कल्पता है, किन्तु (व्रणादि को विधिवत् आच्छादित कर) वाचना देना कल्पता है ।

- १ (क) गाँव के मुखिया बड़े परिवार वाले और शय्यातर (जिसकी आज्ञा से मकान में ठहरे हो) की तथा उपाश्रय से सात घरों के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो एक अहोरात्रि का अस्वाध्याय काल है ।
- (ख) राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा राज्य सिंहासन पर न बैठे तब तक स्वाध्याय करना निषिद्ध है । इसी प्रकार प्रमुख राज्याधिकारी (अमात्य, सेनाधिपति आदि) की मृत्यु होने पर जब तक नया राज्याधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय तब तक स्वाध्याय करना निषिद्ध है ।
- (ग) जब तक अराजकता, अव्यवस्था एवं अशान्ति बनी रहे तब तक स्वाध्याय करने का निषेध है ।
- २ (क) राजा या सेनापतियों के संग्राम, प्रसिद्ध स्त्री-पुरुषों की लड़ाई, मल्लयुद्ध या दो गाँव के जन समूह का पारस्परिक युद्ध बकलह हो तो युद्ध समाप्त के पश्चात् एक अहोरात्रि पर्यन्त अस्वाध्याय काल है ।
- (ख) युद्ध में यदि अत्यधिक मनुष्य आदि मारे गये हों तो उस स्थान में बारह वर्ष तक स्वाध्याय करना निषेध है ।
- ३ (क) उपाश्रय में पंचेन्द्रिय तिर्यच या मनुष्य का शरीर पड़ा हो तो सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय क्षेत्र है ।
- (ख) उपाश्रय के सामने से मृत शरीर ले जा रहे हों तो जब तक सौ हाथ से आगे न निकल जाय तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (ग) छोटे गाँव में मृत देह को जब तक गाँव से बाहर न ले जावें तब तक स्वाध्याय निषेध है ।
- (घ) बड़े शहर में मोहल्ले से बाहर जब तक मृत शरीर को न ले जावे तब तक स्वाध्याय करने का निषेध है ।
- (ङ) मृत शरीर दो प्रकार का है—१. दृष्ट—जो मृत शरीर दृष्टिगोचर हो वह, २. श्रुत—अमुक स्थान में मृत शरीर पड़ा है—ऐसा किसी से सुना हो ।

दृष्ट और श्रुत मृत शरीर के सम्बन्ध में चार विकल्प

१. मृत शरीर दिखाई नहीं देता है किन्तु दुर्गन्ध आती है ।
२. मृत शरीर दिखाई देता है किन्तु दुर्गन्ध नहीं आती है ।
३. मृत शरीर दिखाई भी देता है और उसकी दुर्गन्ध भी आती है ।
४. मृत शरीर दिखाई भी नहीं देता है और दुर्गन्ध भी नहीं आती है ।

इनमें अन्तिम चतुर्थ भंग का अस्वाध्याय नहीं है, शेष तीनों भंगों का अस्वाध्याय है ।

प्रथम भंग में मृत शरीर की जहाँ तक दुर्गन्ध आती है वहाँ तक स्वाध्याय करने का निषेध है ।

द्वितीय भंग में साठ हाथ या सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय क्षेत्र है । पारदर्शक आवरणों से आवृत कलेवर अथवा विविध प्रकार के लेप से दुर्गन्ध रहित बनाया हुआ कलेवर द्वितीय भंग का विषय है ।

तृतीय भंग में जहाँ तक मृत शरीर दिखाई दे और जहाँ तक मृत शरीर की दुर्गन्ध आवे वहाँ तक अस्वाध्याय क्षेत्र है ।

चतुर्थ भंग स्वाध्याय का क्षेत्र है ।

- ४ निर्ग्रन्थ के आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय एक प्रकार का है—यथा—व्रण, अर्श, भगन्दर आदि से ब्रह्मने वाला रक्त, पूय आदि ।
- निर्ग्रन्थी के आत्म-समुत्थ अस्वाध्याय दो प्रकार का है—यथा—प्रयम—व्रण, अर्श, भगन्दर आदि, द्वितीय—आर्तव, रजःस्राव ।
- ५ (क) निर्ग्रन्थ को स्वाध्याय स्थल से सौ हाथ दूर जाकर व्रण आदि का प्रक्षालन कर उस पर राख के तीन आवरण बाँधने के पश्चात् वाचना देना कल्पता है ।

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

दसविधे अन्तलिखल असज्जाए—

१०४. दसविधे अन्तलिखलाए असज्जाए पणत्ते, तं जहा—

१. उक्कावाते^१ ।२. विसिदाघे^२ ।३. गज्जिते^३ ।४. विज्जुते^४ ।

दस प्रकार के अन्तरिक्ष अस्वाध्याय—

१०४. अन्तरिक्ष आकाश सम्बन्धी अस्वाध्यायकाल दश प्रकार का कहा गया है। जैसे—

१. उल्कापात-अस्वाध्याय—विजली गिरने या तारा टूटने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

२. दिग्दाह—दिशाओं को जलती हुई देखकर स्वाध्याय नहीं करना ।

३. गर्जन—आकाश में मेघों की घोर गर्जना के समय स्वाध्याय नहीं करना ।

४. विद्युत्—तड़ितड़ाती हुई विजली के चमकने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

इसी प्रकार निर्ग्रन्थी को भी साँ हाथ दूर जाकर व्रण का विधिवत् प्रक्षालन करने और राख के तीन आवरण आर्तव पर बाँधने के पश्चात् वाचना देना या लेना कल्पता है ।

(ख) व्यवहारभाष्य में तथा हरिभद्रीय आवश्यक में अस्वाध्यायों का भिन्न प्रकार से वर्णन है, यथा —

असज्जाइयं च दुविहं, आयममुत्थं परममुत्थं च । जं तत्थ परसमुत्थं, तं पंचविहं तु नायव्वं ॥ व्यवहारभाष्य उद्दे. ७
अस्वाध्याय दो प्रकार के हैं—१. आत्मममुत्थ और २. परसमुत्थ । आत्मममुत्थ के भेद ऊपर कहे अनुसार हैं ।

परसमुत्थ के पाँच भेद हैं—१. संयमघाती, २. औत्पातिक, ३. देवता प्रयुक्त, ४. व्युद्ग्रहजनित, ५. शारीरिक ।

अस्वाध्याय के इन पाँच भेदों के प्रभेदों में सभी अस्वाध्यायों का समावेश हो जाता है । यथा—

१. संयमघाती—घूमिका, महिका, रजोघात ।

२. औत्पातिक—पांशु वृष्टि, मांस वृष्टि, रुधिर वृष्टि, केज वृष्टि, जिला वृष्टि आदि ।

३. देवता प्रयुक्त—गंधर्व नगर, दिग्दाह, विद्युत्, उल्कापात, यूपक, यक्षादीप्त, चन्द्र-ग्रहण, सूर्य-ग्रहण, निर्घात, गर्जन, अनध्र, वज्रपात, चार नन्ध्या, चार महोन्मव, चार प्रतिपदा आदि ।

४. व्युद्ग्रहजनित—संग्राम, महामंग्राम, द्वन्द्वयुद्ध, मल्लयुद्ध आदि ।

५. शारीरिक—अण्डज, जरायुज और पोतज का प्रभव, अथवा इनका मरण, इनके उद्भिन्न या अनुद्भिन्न कलेवर । आशिव महामारि आदि । व्रण, अर्श, भगन्दर, ऋतुधर्म, गलित कुष्ठ आदि ।

(ग) अस्वाध्याय सम्बन्धी त्रिणेष जानकारी के लिए प्रवचनशारोद्धार द्वार २६८ गाथा—४६४—४८५, व्यवहार उद्दे. ७ का भाष्य, हरिभद्रीय आवश्यक प्रतिव्रमण अध्ययन, अस्वाध्याय नियुक्ति अभिधान राजेन्द्र कोप, भाग १, पृ. ८३२ आदि देखें । तैत्तिरीय अज्ञातनाओं में 'कालस्स आसायणाए' यह एक अज्ञातना है—स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करना और अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना यह काल की अज्ञातना है ।

कुमुदिनी और सूर्यमुखी वनस्पति पर तथा चक्रवाक और उलूक पक्षी पर चन्द्र-सूर्य का साक्षात् प्रभाव दिखाई देता है इसी प्रकार चन्द्र-सूर्य ग्रहण का भी अनिष्ट प्रभाव प्रत्येक पदार्थ पर अवश्यम्भावी है इसलिए ग्रहण काल में तथा निर्धारित उत्तरकाल में स्वाध्याय का निषेध है ।

१ तारा टूटना या आकाश से तेजपुंज का गिरना—उल्कापात है । इसका अस्वाध्यायकाल एक प्रहर का है ।

२ दिग्दाह का अस्वाध्याय काल एक प्रहर का है ।

३-४ गर्जित की दो प्रहर की और विद्युत् की एक प्रहर की अस्वाध्याय है । आर्द्रा नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र तक अर्थात् वर्षाकाल में गर्जित और विद्युत् की अस्वाध्याय नहीं है ।

५. निघाते^१ ।

६. जुवए^२ ।

७. जवखालित्ते^३ ।

८. धूमिया^४ ।

९. महिया^५ ।

१०. रगुघाते^६ ।

—ठाणं. अ. १०, सु. ७१४

अकाले सज्जायकरणस्स काले सज्जायअकरणस्स
पायच्छित्तं—

१०५. जे भिक्खू चउर्ह संझाहि सज्जायं करेइ करंतं वा साइज्जइ^१
तं जहा—१. पुब्बाए संझाए, २. पच्छिमाए संझाए, ३. अव-
रणहे, ४. अड्ढरत्ते ।

जे भिक्खू कालियसुयस्स परं तिण्हं पुच्छाणं पुच्छइ पुच्छंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू दिट्ठिवायस्स परं सत्तण्हं पुच्छाणं पुच्छइ पुच्छंतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चउसु महामहेसु सज्जायं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।
तं जहा—१. इंदमहे, २. खंदमहे, ३. जवखमहे, ४. भूतमहे ।

५. निघाति—मेघों के होने या न होने पर आकाश में
व्यन्तरादि कृत घोर गर्जन या वज्रपात के होने पर स्वाध्याय
नहीं करना ।

६. यूपक—सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रमा की प्रभा एक
साथ मिलने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

७. यक्षादीप्त—यक्षादि के द्वारा किसी एक दिशा में विजली
जैसा प्रकाश दिखने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

८. धूमिका—कोहरा होने पर स्वाध्याय नहीं करना ।

९. महिका—तुपार या बर्फ गिरने पर स्वाध्याय नहीं
करना ।

१०. रज-उद्घात—तेज आंधी से धूल उड़ने पर स्वाध्याय
नहीं करना ।

अकाल स्वाध्याय करने और काल में स्वाध्याय नहीं
करने का प्रायश्चित्त—

जो भिक्षु प्रातःकाल में, सांयकाल में, मध्याह्न में और
अर्धरात्रि में इन चार सन्ध्याओं में स्वाध्याय करता है, करने के
लिए कहता है, व करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कालिक श्रुत की तीन पृच्छाओं से अधिक पृच्छाएँ
आचार्य से अकाल में पूछता है, पूछने के लिए कहता है, व पूछने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दृष्टिवाद की सात पृच्छाओं से अधिक पृच्छाएँ
अकाल में आचार्य से पूछता है, पूछने के लिए कहता है, व पूछने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु इन्द्रमहोत्सव, स्कन्दमहोत्सव, यक्षमहोत्सव,
भूतमहोत्सव, इन चार महोत्सवों में स्वाध्याय करता है,
स्वाध्याय करने को कहता, व स्वाध्याय करने वालों का अनुमोदन
करता है ।

१ अनभ्र वज्रपात तथा गर्जने की प्रचण्ड ध्वनि को निघाति कहते हैं । इसका अस्वाध्याय काल एक प्रहर का है ।

२ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा मिल जाती है । उस समय सन्ध्या का
बीतना मालूम नहीं होता, इसलिए इन तीन दिनों में एक प्रहर का अस्वाध्याय काल है ।

३ किसी एक दिशा में ठहर-ठहर कर विजली जैसा प्रकाश दिखाई देता है, उसे यक्षादीप्त कहते हैं । इसका अस्वाध्याय काल
एक प्रहर का है ।

४ कार्तिक मांस से माघ मास पर्यन्त मेघ का गर्भकाल कहलाता है । इस काल में धूम्र वर्ण का कुहरा पड़ता है । जब तक कुहरा
रहे तब तक अस्वाध्याय काल है ।

५ उक्त गर्भकाल में श्वेतवर्ण का कुहरा पड़ता है, उसे मिहिका कहते हैं । जब तक श्वेतवर्ण का कुहरा रहे तब तक अस्वाध्याय
काल है ।

६ रजोघात—आकाश में रज छाई रहे तब तक अस्वाध्याय काल है ।

७ अकाले कजो सज्जायो—आच. अ. ४, सु. २६

जे भिक्षू चउसु महापाडिवएसु सज्जायं करेइ करंतं वा साइज्जइ । तं जहा—१. सुगिम्ह-पाडिवए, २. आसाढी-पाडिवए, ३. आसोय-पाडिवए, ४. कत्तिय-पाडिवए ।

जे भिक्षू चाउकाल-पोरिसि सज्जायं न करेइ न करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चाउकाल-पोरिसि सज्जायं उवाइणावेइ उवाइणावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चाउकालं सज्जायं न करेइ न करंतं वा साइज्जइ ।^१

जे भिक्षू चाउकालं सज्जायं उवाइणावेइ उवाइणावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू असज्जाइए सज्जायं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अप्पणो असज्जाइए सज्जायं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. ८—१८ (४८)

जो भिक्षु वैशाखी प्रतिपदा, आपादी प्रतिपदा, आश्विन प्रतिपदा और कार्तिक प्रतिपदा इन चार महा प्रतिपदाओं में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने के लिए कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु चतुष्काल पौरुपी में स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करने को कहता है, व स्वाध्याय नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु चतुष्काल पौरुपी का स्वाध्यायकाल वीतने पर स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने के लिए कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु चार काल में स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करने के लिए कहता है, व स्वाध्याय नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु चार काल स्वाध्याय का अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण करने के लिए कहता है, व अतिक्रमण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अस्वाध्यायकाल में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने को कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अपने अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने को कहता है, व स्वाध्याय करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उक्त आसेवना करने वाला भिक्षु उद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।



१ (क) पडिक्कमामि चाउकालं सज्जायस्स अकरणयाए—आव. अ. ४, सु. १६

(ख) काले न कयो सज्जाओ—आव. अ. ४, सु. २६

विइओ विणय णाणायारो

द्वितीय विनय ज्ञानाचार

विणयाचार पाउअरण-पइण्णा—

१०६. संजोगा^१ विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिव्खुणो^२ ।
विणय^३ पाउकरिस्सामि, अणाणुपूर्विं सुणेह मे ॥

—उत्त. अ. १. गा. १

विणय पओगो—

१०७. रायणिएसु^४ विणयं पउंजे,
धुवशीलयं^५ सययं न हावएज्जा ।

विनयाचार कहने की प्रतिज्ञा—

१०६. संयोग से विप्रमुक्त—रहित अणगार भिक्षु के विनयको में प्रगट करूँगा, हे शिष्य ! तू मुझसे अनुक्रम से सुन ।

विनय प्रयोग—

१०७. रात्निकों के प्रति विनय का प्रयोग करे,
ध्रुवशीलता की कभी हानि न करे,

१ संजोग दो प्रकार के हैं—१. बाह्य संयोग, २. आभ्यंतर संयोग ।

(क) माता-पिता आदि स्वजनों का तथा पदार्थों का संयोग बाह्य संयोग है ।

(ख) क्रोध आदि कषायों का संयोग आभ्यंतर संयोग है ।

२ अनगार और भिक्षु का प्रयोग विशेष अर्थ का द्योतक है । अन्य दर्शनानुयायी कुछ साधक अनगार होते हैं किन्तु भिक्षु नहीं होते हैं और कुछ भिक्षु होते हैं किन्तु अनगार नहीं होते हैं, अतः जो अनगार हो और भिक्षु हो उसका विनय यहाँ कहा जाएगा । यहाँ विनय शब्द साधुजन-सेवित आचार अर्थात् अनुशासन, नम्रता और आचार के अर्थ में प्रयुक्त है ।

३ लोकोपचार विनय, अर्थनिमित्त विनय, कामहेतु विनय, भय विनय, मोक्ष विनय इन पाँच प्रकार के विनय में से यहाँ मोक्ष विनय का अधिकार है ।

४ (क) पूर्व दीक्षित, आचार्य, उपाध्याय, सद्भाव के उपदेशक अथवा ज्ञानादि भाव रत्नों से अधिक समृद्ध हों, वे रात्निक कहलाते हैं ।

(ख) स्थानांग अ. ४, उद्दे. ३, सूत्र ३२० में चतुर्विध संघ के लिए “राइणिए” का प्रयोग हुआ है ।

(ग) मूलाचार अधि. ५, गाथा १८७ में केवल साधुओं के लिए “रदिणिए और ऊणरादिणिए” का प्रयोग हुआ है ।

(घ) सूत्रकृतांग श्रुत. १, अ. १४, गा. ७ में पर्याय ज्येष्ठ के लिए “रातिणिय” और सह दीक्षित के लिए “समन्नत” शब्द मिलता है । इस प्रकार दीक्षापर्याय की अपेक्षा से तीन प्रकार के श्रमण होते हैं—१. रात्निक—पूर्व दीक्षित २. समन्नत-सहदीक्षित, ३. ऊनरात्निक-पश्चात् दीक्षित ।

(ङ) मूलाचार में “रादिणिय” का संस्कृत रूप “रात्निक” और “ऊणरादिणिय” का संस्कृत रूप “ऊनरात्निक” किया है ।

५ टीकाकार ने ध्रुवशीलता का अर्थ अष्टादश सहस्र-शीलांग किया है—

जे णो करंति मणसा, णिज्जिय आहार-सन्ना सोइंदिय । पुढवीकायारंभे, खंतिजुत्ते ते मुणी वंदे ॥

यह एक गाथा है, इसी एक गाथा से १८००० गाथाएँ बनती हैं । गाथाओं का रचनाक्रम इस प्रकार है—

प्रथम दस गाथाओं में दस धर्मों के नाम क्रमशः आयेंगे । पुनः “पुढवी” के साथ दस धर्मों की दस गाथाएँ होंगी इसी प्रकार “आउ, तेउ, वाउ, वणस्सइ, वेइंदिय, तेइंदिय, चउरिंदिय, पंचिंदिय और अजीव” इन सबके साथ दस धर्मों का कथन करने पर $१० \times १० = १००$ गाथाएँ बनेंगी, इन १०० गाथाओं में “सोइंदिय” का प्रयोग हुआ, इसी प्रकार “चक्खिंदिय, घाणिंदिय, रसिंदिय और फासिंदिय” के संयोग से $१०० \times ५ = ५००$ गाथाएँ हो गईं । इन ५०० गाथाओं में “आहारसन्ना” का प्रयोग हुआ । इसी प्रकार “भयसन्ना, मेहुणसन्ना और परिग्गहसन्ना” के प्रयोग से $५०० \times ४ = २०००$ गाथाएँ हुईं । इन गाथाओं में “मणसा” का प्रयोग हुआ, इसी प्रकार “वयसा और कायसा” का प्रयोग करने पर $२००० \times ३ = ६०००$ गाथाएँ हुईं । इन ६००० गाथाओं में “करंति” का प्रयोग करें, इसी प्रकार “कारयंति और समणुजाणंति” के प्रयोग से $६००० \times ३ = १८०००$ गाथाएँ बनती हैं ।

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

विणयस्स मूलोवमा—

१०६. मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स,
 खंधाओ पच्छा समुवेत्ति साहा ।
 साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता,
 तओ से पुप्फं च फलं रसो य ॥
 एवं धम्मस्स विणओ मूलं,
 परमो से मोक्खो ।
 जेण किंत्ति सुयं सिग्घं,
 निस्सेसं चाभिगच्छई ॥

—दस. अ. ६, उ. २, गा. १-२

आयरियस्स विणय-पडिवत्ती—

११०. आयरिओ अंतेवासी इमाए चउव्विहाए विणय-पडिवत्तीए
 विणइत्ता भवइ निरणित्तं गच्छइ, तं जहा—

१. आयार-विणएणं, २. सुयं-विणएणं,
 ३. विक्खेवणा-विणएणं, ४. दोस-निग्घायणा-विणएणं ।

प०—से किं तं आयार-विणए ?

उ०—आयार-विणए चउव्विहे पणत्ते । तं जहा—

१. संयम-सामायारी यावि भवइ,
 २. तव-सामायारी यावि भवइ,
 ३. गण-सामायारी यावि भवइ,
 ४. एकल्ल-विहार-सामायारी भावि भवइ ।

से तं आयार-विणए ।

प०—से किं तं सुय-विणए ?

उ०—सुय-विणए चउव्विहे पणत्ते । तं जहा—

१. सुत्तं वाएइ,
 २. अत्थं वाएइ,
 ३. हियं वाएइ,
 ४. निस्सेसं वाएइ,

से तं सुय-विणए ।

विनय को मूल की उपमा—

१०६. वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न होता है, स्कन्ध के पश्चात् शाखाएँ आती हैं, और शाखाओं में से प्रशाखाएँ निकलती हैं। उसके पश्चात् पत्र, पुष्प, फल और रस होता है ।

इसी प्रकार धर्म का मूल है 'विनय' (आचार) और उसका परम (अन्तिम) फल है मोक्ष। विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघनीय श्रुत और समस्त इष्ट तत्त्वों को प्राप्त होता है ।

आचार्य की विनय-प्रतिपत्ति—

११०. आचार्य अपने शिष्यों को यह चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति सिखाकर अपने ऋण से उच्छ्रुण हो जाता है। जैसे—

आचारविनय, श्रुतविनय,
 विक्षेपणाविनय और दोष-निर्घातनाविनय ।

प्र०—भगवन् ! वह आचारविनय क्या है ?

उ०—आचारविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे—

१. संयमसमाचारी—संयम के भेद-प्रभेदों का ज्ञान कराके आचरण कराना ।

२. तपःसमाचारी—तप के भेद-प्रभेदों का ज्ञान कराके आचरण कराना ।

३. गणसमाचारी—साधु-संघ की सारण-वारणादि से रक्षा करना, रोगी दुर्बल साधुओं की यथोचित व्यवस्था करना, अन्य गण के साथ यथायोग्य व्यवहार करना और कराना ।

४. एकाकी विहार समाचारी—किस समय किस अवस्था में अकेले विहार करना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराना ।

यह आचारविनय है ।

प्र०—भगवन् ! श्रुतविनय क्या है ?

उ०—श्रुतविनय चार प्रकार का कहा गया है। जैसे—

१. सूत्रवाचना—मूल सूत्रों का पढ़ाना ।

२. अर्थवाचना—सूत्रों के अर्थ का पढ़ाना ।

३. हितवाचना—शिष्य के हित का उपदेश देना ।

४. निःशेषवाचना—प्रमाण नय, निक्षेप, संहिता, पदच्छेद, पदार्थ, पद-विग्रह, चालना (शंका) प्रसिद्धि (समाधान) आदि के द्वारा सूत्रार्थ का यथाविधि समग्र अध्यापन करना-कराना ।

यह श्रुतविनय है ।

५०—से किं तं विष्लेषणा-विणए ?

उ०—विष्लेषणा-विणए चउच्चिहे पणत्ते । तं जहा—

१. अदिट्ठ-धम्मं दिट्ठ-पुव्वगत्ताए विणयइत्ता भवइ,

२. दिट्ठपुव्वगं साहम्मियत्ताए विणयइत्ता भवइ,

३. चुय-धम्माओ धम्मे ठावइत्ता भवइ,

४. तस्सेव धम्मस्स हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेसाए, अणु-
गामियत्ताए अचुट्ठेता भवइ ।

से तं विष्लेषणा-विणए ।

५०—से किं तं दोस-निग्घायणा-विणए ?

उ०—दोस-निग्घायणा-विणए चउच्चिहे पणत्ते । तं जहा—

१. कुद्धस्स कोहं विणएत्ता भवइ,

२. दुट्ठस्स दोसं णिगिण्हत्ता भवइ,

३. कंखियस्स कंखं छिदित्ता भवइ,

४. आय-सुपणिहिए यावि भवइ,

से तं दोसं-निग्घायणा-विणए । —दसा. द. ४, मु. १५-१६

अन्तेवासिस्स विणय पडिवत्ती—

१११. तस्स णं एवं गुणजाइयस्स अन्तेवासिस्स इमा चउच्चिहा विणय-
पडिवत्ती भवइ । तं जहा—

१. उवगरण-उप्पायणया,

२. साहिल्लया,

३. वण्ण-संजलणया,

४. भार-पच्चोरहणया ।

५०—से किं तं उवगरण-उप्पायणया ?

उ०—उवगरण-उप्पायणया चउच्चिहा पणत्ता, तं जहा—

१. अणुप्यण्णानं उवगरणानं उप्पाइत्ता भवइ,

२. पोरणानं उवगरणानं सारक्खित्ता संगोवित्ता भवइ,

प्र०—भगवन् ! विक्षेपणाविनय क्या है ?

उ०—विक्षेपणाविनय चार प्रकार का कहा गया है । जैसे—

१. अदृष्टधर्मा को अर्थात् जिस शिष्य ने सम्यक्त्वरूपधर्म को नहीं जाना है, उसे उससे अवगत कराके सम्यक्त्वी बनाना ।

२. दृष्टधर्मा शिष्य को साधर्मिकता-विनीत (विनयसंयुक्त) करना ।

३. धर्म से च्युत होने वाले शिष्य को धर्म में स्थापित करना ।

४. उसी शिष्य के धर्म के हित के लिए, सुख के लिए, सामर्थ्य के लिए, मोक्ष के लिए और अनुगामिकता अर्थात् भवान्तर में भी धर्मादि की प्राप्ति के लिए अभ्युद्यत रहना ।

यह विक्षेपणाविनय है ।

प्र०—भगवन् ! दोषनिर्घातविनय क्या है ?

उ०—दोषनिर्घातविनय चार प्रकार का कहा गया है । जैसे—

१. क्रुद्ध व्यक्ति के क्रोध को दूर करना ।

२. दुष्ट व्यक्ति के दोष को दूर करना ।

३. आकांक्षा वाले व्यक्ति की आकांक्षा का निवारण करना ।

४. आत्मा को सुप्रणिहित रखना अर्थात् शिष्यों को सुमार्ग पर लगाये रखना ।

यह दोषनिर्घातविनय है ।

शिष्य की विनय-प्रतिपत्ति—

१११. इस प्रकार के गुणवान् अन्तेवासी शिष्य की यह चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति होती है । जैसे—

१. उपकरणोत्पादनता—संयम के साधक वस्त्र-पात्रादि का प्राप्त करना ।

२. सहायता—अशक्त साधुओं की सहायता करना ।

३. वर्णसंज्वलनता—गण और गणी के गुण प्रकट करना ।

४. भारप्रत्यवरोहणता—गण के भार का निर्वाह करना ।

प्र०—भगवन् ! उपकरणोत्पादनता क्या है ?

उ०—उपकरणोत्पादनता चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

१. अनुत्पन्न उपकरण उत्पादनता—नवीन उपकरणों को प्राप्त करना ।

२. पुरातन उपकरणों का संरक्षण और संगोपन करना ।

३. परित्तं जाणित्ता पच्चुद्धरित्ता भवइ,

४. अहाविहि संविभइत्ता भवइ ।

से तं उवगरण-उप्पायणया ?

प०—से किं तं साहिल्लया ?

उ०—साहिल्लया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—

१. अणुलोम-वइ-सहिते यावि भवइ,

२. अणुलोम-काय-किरियत्ता यावि भवइ,

३. पडिह्व-काय-संफासणया यावि भवइ,

४. सव्वत्थेसु अपडिलोमया यावि भवइ ।

से तं साहिल्लया ।

प०—से किं तं वण्ण-संजलणया ?

उ०—वण्ण-संजलणया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—

१. अहातच्चार्णं वण्ण-वाई भवइ,

२. अवण्णवाइं पडिह्वित्ता भवइ,

३. वण्णवाइं अणुवूहित्ता भवइ,

४. आय वुद्धसेवी यावि भवइ ।

से तं वण्ण-संजलणया ।

प०—से किं तं भार पच्चोह्वणया ?

उ०—भार-पच्चोह्वणया चउव्विहा पणत्ता । तं जहा—

१. असंगहिय-परिजन-संगहित्ता भवइ,

२. सेहं आयार-गोयर-संगहित्ता भवइ,

३. साहम्मियस्स गित्तायमाणस्स अहायामं वैयावच्चे
अब्भुद्धित्ता भवइ,

४. साहम्मियाणं अहिगरणंस्स उप्पणंस्सि तत्थ अणित्तिस्तो-
वत्तिण्णं अपक्खगहिय-मज्जात्थ-भावभूणं सम्मं ववहरमाणं

३. जो उपकरण परीत (अल्प) हों उनका प्रत्युद्धार करना
अर्थात् अपने गण के या अन्य गण से आये हुए साधु के पास यदि
अल्प उपकरण हों, या न हों तो उसकी पूर्ति करना ।

४. शिष्यों के लिए यथायोग्य विभाग करके देना ।

यह उपकरणोत्पादनता है ।

प्र०—भगवन् ! सहायताविनय क्या है ?

उ०—सहायताविनय चार प्रकार का कहा गया है । जैसे—

१. अनुलोम (अनुकूल) वचन-सहित होना । अर्थात् जो गुरु
कहें उसे विनयपूर्वक स्वीकार करना ।

२. अनुलोम काय की क्रिया वाला होना । अर्थात्—जैसा
गुरु कहें वैसी काय की क्रिया करना ।

३. प्रतिरूप कायसंस्पर्शनता—गुरु की यथोचित सेवा-
सुश्रूपा करना ।

४. सर्वार्थ-अप्रतिलोमता—सर्वकार्यों में कुटिलता-रहित
व्यवहार करना ।

यह सहायताविनय है ।

प्र०—भगवन् ! वर्णसंज्वलनताविनय क्या है ?

उ०—वर्णसंज्वलनताविनय चार प्रकार का कहा गया है ।
जैसे—

१. यथातथ्य गुणों का वर्णवादी (प्रशंसा करने वाला) होना ।

२. अवर्णवादी (अयथार्थ दोषों के कहने वाले) को निरुत्तर
करने वाला होना ।

३. वर्णवादी के गुणों का अनुवृंहण (संवर्धन) करना ।

४. स्वयं वृद्धों की सेवा करना ।

यह वर्णसंज्वलनताविनय है ।

प्र०—भगवन् ! भारप्रत्यारोहणताविनय क्या है ?

उ०—भारप्रत्यारोहणताविनय चार प्रकार का कहा गया
है । जैसे—

१. असंगृहित-परिजन-संग्रहीता होना (निराश्रित शिष्यों का
संग्रह करना) ।

२. नवीन दीक्षित शिष्यों को आचार और गोचरी की विधि
सिखाना ।

३. साधर्मिक रोगी साधुओं की यथाशक्ति वैयावृत्त के लिए
अभ्युद्यत रहना ।

४. साधर्मिकों में परस्पर अधिकरण (कलह-क्लेश) उत्पन्न
हो जाने पर रागद्वेष का परित्याग करते हुए, किसी पक्ष-विशेष

तस्स अधिगरणस्स खमावणाए विउसमणत्ताए सया समियं
अब्भुट्ठिता भवइ,

५०—कहं णु भंते ! साहम्मिया ?

उ०—अप्पसद्दा, अप्पझंझा, अप्पकलहा, अप्पकसाया, अप्प-
तुमंतुमा, संजमवहुला, संवरवहुला, समाहिवहुला,
अप्पमत्ता, संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा—एवं
च णं विहरेज्जा ।

से तं भार-पच्चोहणया ।

एसा खलु थेरेहि भगवतेहि अट्ठविहा गणि-संपया पणत्ता ।

—दसा. द. ४, सु. २०-२५

विणयस्स भेयप्पमेया—

११२. ५०—से किं तं विणए ?

उ०—अब्भुट्ठाणं अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं ।
गुरुभक्तिभावसुस्सूसा, विणओ एस वियाहिओ ॥

—उत्त. अ. ३०, गा. ३२

विणए सत्तविहे पणत्ते । तं जहा —

१. णाणविणए, २. दंसणविणए, ३. चरित्तविणए,
४. मणविणए, ५. वइविणए, ६. कायविणए
७. लोकोवयारविणए ।

५०—से किं तं णाणविणए ?

उ०—णाणविणए पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. आग्निविबोहियणाणविणए, २. सुयणाणविणए,
३. ओहिणाणविणए, ४. मणपज्जवणाणविणए
५. केवल्लणाणविणए ।

५०—से किं तं दंसणविणए ?

उ०—दंसणविणए दुविहे पणत्ते । तं जहा—

१. सुस्सूसाणाविणए, २. अणच्चासायणाविणए ।

५०—से किं तं सुस्सूसाणाविणए ?

उ०—सुस्सूसाणाविणए अणेगविहे पणत्ते । तं जहा—

१. अट्ठमुट्ठाणे इ वा ।

को ग्रहण न करके मध्यस्थ भाव रखे और सम्यक् व्यवहार का
पालन करते हुए उस कलह के क्षमापन और उपशमन के लिए
सदा ही अभ्युद्यत रहे ।

प्र०—भगवन् ! ऐसा क्यों करें ?

उ०—क्योंकि ऐसा करने से साधर्मिक अनर्गल प्रलाप नहीं
करेंगे, झंझा (झंझट) नहीं होगी, कलह, कपाय और तू-तू-में-में
नहीं होगी तथा साधर्मिक जन संयम-बहुल, संवर-बहुल, समाधि-
बहुल और अप्रमत्त होकर संयम से और तप से अपने आत्मा की
भावना करते हुए विचरण करेंगे ।

यह भारप्रत्यक्षरोहणताविनय है ।

यह निश्चय से स्थविर भगवन्तों ने आठ प्रकार की गणि-
सम्पदा कही है ।

विनय के भेद-प्रभेद—

११२. प्र०—विनय क्या है ?

उ०—अभ्युत्थान (खड़े होना), हाथ जोड़ना, आसन देना,
गुरुजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक श्रुथुपा करना विनय
कहलाता है ।

विनय सात प्रकार का बतलाया गया है—

१. ज्ञान-विनय, २. दर्शन-विनय, ३. चारित्र-विनय,
४. मनोविनय, ५. वचन-विनय, ६. काय-विनय, ७. लोकोपचार-
विनय ।

प्र०—ज्ञान-विनय क्या है ?

उ०—ज्ञान-विनय के पांच भेद बतलाये गये हैं—

१. आग्निबोधिक ज्ञान—मत्तिज्ञान-विनय, २. श्रुतज्ञान-
विनय, ३. अवधिज्ञान-विनय, ४. मनःपर्यवज्ञान विनय, ५. केवल-
ज्ञान-विनय ।

—इन ज्ञानों की यथार्थता स्वीकार करते हुए इनके लिए
विनीतभाव से यथाशक्ति पुरुषार्थ या प्रयत्न करना ।

प्र०—दर्शन-विनय क्या है ?

उ०—दर्शन-विनय दो प्रकार का बतलाया गया है—

१. श्रुथुपा-विनय, २. अनन्यायातना-विनय ।

प्र०—श्रुथुपा-विनय क्या है ?

उ०—श्रुथुपा-विनय अनेक प्रकार का बतलाया गया है, जो
इस प्रकार है—

१. अभ्युत्थान—गुरुजनों या गुणी जनों के आने पर उन्हें
आदर देने हेतु खड़े होना ।

२. आसनाभिगृहे इ वा,

३. आसणप्पदाणे इ वा,

४. सक्कारे इ वा,

५. सम्माणे इ वा,

६. किङ्कम्मे इ वा,

७. अंजलिप्पगहे इ वा,

८. एतस्स अणुगच्छणया,

९. ठियस्स पज्जुवासणया,

१०. गच्छंतस्स पडिसंसाहणया ।

से तं सुत्सूणाविणए ।

प०—से किं तं अणच्चासायणाविणए ?

उ०—अणच्चासायणाविणए पणयालीसविहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. अरहंताणं अणच्चासायणया,

२. अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अणच्चासायणया,

३. आयरियाणं अणच्चासायणया एवं,

४. उवक्खायाणं,

५. थेराणं,

६. कुलस्स,

७. गणस्स,

८. संघस्स,

९. किरियाणं,

१०. संभोगस्स,

११. आभिणिबोहियणाणस्स,

१२. सुयणाणस्स,

१३. ओहियाणस्स,

१४. मणपज्जवणाणस्स,

१५. केवलणाणस्स,

१६-३०. एएसिं भत्तिबहुमाणे,

३१-४५. एएसिं चैव वण्णसंजलणया,

से तं अणच्चासायणाविणए ।

२. आसनाभिग्रह—गुरुजन जहाँ बैठना चाहें वहाँ आसन रखना ।

३. आसन-प्रदान—गुरुजनों को आसन देना ।

४. गुरुजनों का सत्कार करना,

५. सम्मान करना,

६. यथाविधि वंदन-प्रणाम करना,

७. कोई बात स्वीकार या अस्वीकार करते समय हाथ जोड़ना,

८. आते हुए गुरुजनों के सामने जाना,

९. बैठे हुए गुरुजनों के समीप बैठना,

१०. उनकी सेवा करना, जाते हुए गुरुजनों को पहुँचाने जाना ।

यह शुश्रूषा-विनय है ।

प्र०—अनत्याशातनाविनय क्या है ?

उ०—अनत्याशातना-विनय के पैंतालीस भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—

१. अर्हत्तो की आशातना नहीं करना—आत्मगुणों का आशातन—नाश करने वाले अवहेलनापूर्ण कार्य नहीं करना ।

२. अर्हत्-प्रज्ञप्त—अर्हत्तो द्वारा बतलाये गये धर्म की आशातना नहीं करना ।

३. आचार्यों की आशातना नहीं करना ।

४. उपाध्यायों की आशातना नहीं करना ।

५. स्थविरों—ज्ञानवृद्ध, चारित्रवृद्ध, वयोवृद्ध श्रमणों की आशातना नहीं करना ।

६. कुल की आशातना नहीं करना ।

७. गण की आशातना नहीं करना ।

८. संघ की आशातना नहीं करना ।

९. क्रियावान् की आशातना नहीं करना ।

१०. सांभोगिक—जिसके साथ वन्दन, नमन, भोजन आदि पारस्परिक व्यवहार हो, उस गच्छ के श्रमण या समान आचार वाले श्रमण की आशातना नहीं करना ।

११. मति-ज्ञान की आशातना नहीं करना ।

१२. श्रुत-ज्ञान की आशातना नहीं करना ।

१३. अवधि-ज्ञान की आशातना नहीं करना ।

१४. मनःपर्यव-ज्ञान की आशातना नहीं करना ।

१५. केवल-ज्ञान की आशातना नहीं करना ।

इन पन्द्रह की भक्ति, उपासना, बहुमान के प्रति तीव्र भावा-नुरागरूप पन्द्रह भेद तथा इन (पन्द्रह) की यशस्विता, प्रशस्ति एवं गुणकीर्तन रूप और पन्द्रह भेद—यों अनत्याशातना-विनय के कुल पैंतालीस भेद होते हैं ।

प०—से किं तं चरित्तविणए ?

उ०—चरित्तविणए पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. सामाज्यचरित्तविणए,
 २. छेदोवट्ठावणियचरित्तविणए,
 ३. परिहारविमुद्धचरित्तविणए,
 ४. सुद्धमसंपरायचरित्तविणए,
 ५. अहवखायचरित्तविणए,
- से तं चरित्तविणए ।

प०—से किं तं मणविणए ?

उ०—मणविणए दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. पसत्थमणविणए, २. अपसत्थमणविणए ।

प०—से किं तं अपसत्थमणविणए ?

उ०—अपसत्थमणविणए जे य मणे—

१. सावज्जे,
२. अकरिए,
३. अकवकसे,
४. कट्टए,
५. अणिट्टुरे,
६. अफरसे,
७. अण्हयकरे,
८. अयेकरे,

९. भेयकरे,

१०. अरित्तावणकरे,

११. उद्धवणकरे,

१२. अओवघाट्टए, तहप्पगारं मणो णो पहारेज्जा,
से तं अपसत्थमणविणए ।

प०—से किं तं पसत्थमणविणए ?

उ०—पसत्थमणविणए जे य मणे—

१. असावज्जे, २. अकरिए, ३. अकवकसे, ४. अकट्टए,
५. अणिट्टुरे, ६. अफरसे, ७. अण्हयकरे,
८. अयेकरे, ९. अभेयकरे, १०. अरित्तावणकरे,
११. अण्हवणकरे, १२. अओवघाट्टए,,
तहप्पगारं मणं धारेज्जा सेत्तं पसत्थमणोविणएवणिए ।

प्र०—चारित्र-विनय क्या है ?

उ०—चारित्र-विनय पांच प्रकार का है—

१. सामायिकचारित्र-विनय,
२. छेदोपस्थापनीयचारित्र-विनय,
३. परिहारविशुद्धचारित्र-विनय,
४. सूक्ष्मसंपरायचारित्र-विनय,
५. यथाख्यातचारित्र-विनय ।

यह चारित्र-विनय है ।

प्र०—मनोविनय क्या है ?

उ०—मनोविनय दो प्रकार का कहा गया है—

१. प्रशस्त मनोविनय, २. अप्रशस्त मनोविनय ।

प्र०—अप्रशस्त मनोविनय क्या है ?

उ०—जो मन

१. सावद्य—पाप या गर्हित कर्म युक्त,
२. सक्रिय—प्राणातिपात आदि आरम्भ क्रिया सहित,
३. कर्कश,
४. कटुक—अपने लिए तथा औरों के लिए अनिष्ट,
५. निष्ठुर—कठोर—मृदुतारहित,
६. परुष—स्नेहरहित—सूखा,
७. आसन्नकारी—अशुभ कर्मग्राही,
८. छेदकर—किसी के हाथ, पैर आदि अंग तोड़ डालने का दुर्भाव रखने वाला,

९. भेदकर—नासिका आदि अंग काट डालने का बुरा भाव रखने वाला,

१०. अरित्तापनकर—प्राणियों को सन्तप्त, परितप्त करने के भाव रखने वाला,

११. उद्धवणकर—मारणान्तिक कष्ट देने अथवा धन-सम्पत्ति हर लेने का बुरा विचार रखने वाला,

१२. भूतोपघातिक—जीवों को घात करने का दुर्भाव रखने वाला होता है, वह अप्रशस्त मन है ।

प्र०—प्रशस्त मन किसे कहते हैं ?

उ०—प्रशस्त मन विनय अर्थात्

१. असावद्य, २. निष्क्रिय, ३. अकर्कश, ४. अकटुक—इष्ट-मधुर, ५. अनिष्ठुर—मधुर-कोमल, ६. अपरुष—स्निग्ध-स्नेह-मय, ७. अनासन्नकारी, ८. अछेदकर, ९. अभेदकर, १०. अपरित्तापनकर, ११. अनुद्धवणकर—दयार्द्र, १२. अभूतोपघातिक—जीवों के प्रति करुणाशील-सुखकर होता है ।

प०—से कि तं वइ विणए ?

उ०—वइ विणए दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. पसत्थवइविणए, २. अपसत्थवइविणए ।

प०—से कि तं अपसत्थ वइ विणए ?

उ०—अपसत्थ वइ विणए जे य मणे ।

१. सावज्जे,

२. सकिरिए,

३. कक्कसे,

४. कट्टए,

५. णिट्ठरे,

६. फरुसे,

७. अण्हयकरे,

८. छेयकरे,

९. भेयकरे,

१०. परितावणकरे,

११. उट्टवणकरे,

१२. भूओवघाइए, तहप्पगारं वइं णो पहारेज्जा ।

से तं अपसत्थ वइ विणए ।

प०—से कि तं पसत्थ वइ विणए ?

उ०—पसत्थ वइ विणए जे ये मणे ।

१. असावज्जे, २. अकिरिए, ३. अकक्कसे, ४. अकट्टए,

५. अणिट्ठरे, ६. अफरुसे, ७. अण्हयकरे,

८. अछेयकरे, ९. अभेयकरे, १०. अपरितावणकरे,

११. अणुट्टवणकरे, १२. अभूओवघाइए, तहप्पगारं वइं धारेज्जा ।

से तं पसत्थ वइ विणए ।

से तं वइ विणए ।

प०—से कि तं कायविणए ?

उ०—कायविणए दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. पसत्थकायविणए, २. अपसत्थकायविणए ।

प०—से कि तं अपसत्थकायविणए ?

उ०—अपसत्थकायविणए सत्तविहे पणत्ते, तं जहा—

प्र०—वचन विनय क्या है ?

उ०—वचन विनय दो प्रकार का कहा गया है—

१. प्रशस्त वचन विनय, २. अप्रशस्त वचन विनय,

प्र०—अप्रशस्त वचन विनय क्या है ?

उ०—जो वचन

१. सावद्य—पाप या गहित कर्मयुक्त,

२. सक्रिय—प्राणातिपातं आदि आरम्भ क्रिया सहित,

३. कर्कश,

४. कटुक—अपने लिए तथा औरों के लिए अनिष्ट,

५. निष्ठुर—कठोर-मृदुता रहित,

६. परुष—स्नेहरहित-शुष्क,

७. आस्रवकारी—अशुभ कर्मग्राही,

८. छेदकर—किसी के हाथ, पैर आदि अंग काट डालने का दुर्वचन बोलने वाला,

९. भेदकर—नासिका आदि अंग काट डालने का बुरा वचन बोलने वाला,

१०. परितापनकर—प्राणियों को सन्ताप परिताप करने के वचन बोलने वाला,

११. उपद्रवणकर—मारणान्तिक कष्ट देने अथवा धन-सम्पत्ति हर लेने का बुरा वचन बोलने वाला,

१२. भूतोपघातिक—जीवों का घात करने का दुर्वचन बोलने वाला होता है ।

यह अप्रशस्त वचनविनय है ।

प्र०—प्रशस्त वचन विनय किसे कहते हैं ?

उ०—प्रशस्त वचन याने,

१. असावद्य, २. निष्क्रिय, ३. अकर्कश, ४. अकटुक—इष्ट-मधुर, ५. अनिष्ठुर—मधुर-कोमल, ६. अपरुष—स्निग्ध-स्नेहमय, ७. अनास्रवकारी, ८. अछेदकर, ९. अभेदकर, १०. अपरितापनकर, ११. अनुपद्रवणकर-दयाद्रं, १२. अभूतोपघातिक—जीवों के प्रति करुणाशील—सुखकर होता है ।

यह प्रशस्त वचन विनय है ।

यह वचन विनय है ।

प्र०—काय-विनय क्या है ?

उ०—काय-विनय दो प्रकार का बतलाया गया है—

१. प्रशस्त काय-विनय, २. अप्रशस्त काय-विनय ।

प्र०—अप्रशस्त काय-विनय क्या है ?

उ०—अप्रशस्त काय-विनय के सात भेद हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. अणाउत्तं गमणे,
२. अणाउत्तं ठाणे,
३. अणाउत्तं निसीदणे,
४. अणाउत्तं तुपट्टणे,
५. अणाउत्तं उल्लंघणे,
६. अणाउत्तं पलंघणे,
७. अणाउत्तं सच्चिन्द्रियकायजोगजुंजणया,

से तं अपसत्यकायविणए ।

प०—से किं तं पसत्यकायविणए ?

उ०—पसत्यकायविणए सत्तविहे पणत्ते । तं जहा—

१. आउत्तं गमणे,
२. आउत्तं ठाणे,
३. आउत्तं निसीदणे,
४. आउत्तं तुपट्टणे,
५. आउत्तं उल्लंघणे,
६. आउत्तं पलंघणे,
७. आउत्तं सच्चिन्द्रियकायजोगजुंजणया,

से तं पसत्यकायविणए, से तं काय विणए ।

प०—से किं तं लोकोपचारविणए ?

उ०—लोकोपचारविणए सत्तविहे पणत्ते, तं जहा—

१. अन्मासवत्तिं,
२. परच्छन्दानुवत्तिं,

१. अनायुक्त गमन—उपयोग—जागरूकता या सावधानी विना चलना ।

२. अनायुक्त स्थान—विना उपयोग स्थित होना-ठहरना, खड़ा होना ।

३. अनायुक्त निपीदन—विना उपयोग बैठना ।

४. अनायुक्त त्वग्वर्तन—विना उपयोग विछौने पर करवट बदलना, सोना ।

५. अनायुक्त उल्लंघन—विना उपयोग कर्दम आदि का अतिक्रमण करना—कीचड़ आदि लांघना ।

६. अनायुक्त प्रलंघन—विना उपयोग बार-बार लांघना ।

७. अनायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोग-योजनता—विना उपयोग सभी इन्द्रियों तथा शरीर को योगयुक्त करना—विविध प्रवृत्तियों में लगाना ।

यह अप्रशस्त काय विनय है ।

प्र०—प्रशस्त काय-विनय क्या है ?

उ०—प्रशस्त काय-विनय के सात भेद हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. उपयुक्त गमन—उपयोग जागरूकता या सावधानी से चलना ।

२. उपयुक्त स्थान—उपयोग से स्थित होना-ठहरना, खड़ा होना ।

३. उपयुक्त निपीदन—उपयोग से बैठना ।

४. उपयुक्त त्वग्वर्तन—उपयोग से विछौने पर करवट बदलना, सोना ।

५. उपयुक्त उल्लंघन—उपयोग से कर्दम आदि का अतिक्रमण करना, कीचड़ आदि लांघना ।

६. उपयुक्त प्रलंघन—उपयोग से बार-बार लांघना ।

७. उपयुक्त सर्वेन्द्रियकाययोग-योजनता—उपयोग से सभी इन्द्रियों तथा शरीर को योगयुक्त करना—विविध प्रवृत्तियों में लगाना ।

यह प्रशस्त कायविनय है । यह कायविनय है ।

प्र०—लोकोपचार-विनय क्या है ?

उ०—लोकोपचार-विनय के सात भेद बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. अभ्यासवर्तिता—गुरुजनों, बड़ों, सत्पुरुषों के समीप बैठना ।

२. परच्छन्दानुवर्तिता—गुरुजनों, पूज्य जनों की इच्छानुरूप प्रवृत्ति करना ।

३. कज्जहेउं,

४. कयपडिकिरिया,

५. अत्तगवेसणया,

६. देसकालण्णया,

७. सव्वट्ठेसु अप्पडिलोमया ।

से तं लो गोवयारविणए,

से तं विणए ।^१

विणयपडिवण्णा पुरिसा—

११३. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा,

१. अब्भुट्ठेति णाममेगे णो अब्भुट्ठावेति,

२. अब्भुट्ठावेति णाममेगे णो अब्भुट्ठेति,

३. एगे अब्भुट्ठेति वि अब्भुट्ठावेति वि,

४. एगे णो अब्भुट्ठेति णो अब्भुट्ठावेति ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. वाएइ णाममेगे णो वायावेइ,

२. वायावेइ णाममेगे णो वाएइ,

३. एगे वाएइ वि वायावेइ वि,

४. एगे णो वाएइ णो वायावेइ ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. पडिच्छति णाममेगे णो पडिच्छावेति,

३. कार्य हेतु—विद्या आदि प्राप्त करने हेतु, अथवा जिनसे विद्या प्राप्त की, उनकी सेवा-परिचर्या करना ।

४. कृत-प्रतिक्रिया—अपने प्रति किये गये उपकारों के लिए कृतज्ञता अनुभव करते हुए सेवा-परिचर्या करना ।

५. आर्त-गवेपणता—रुग्णता, वृद्धावस्था से पीड़ित संयत जनों, गुरुजनों, की सार-सम्हाल तथा औषधि, पथ्य आदि द्वारा सेवा-परिचर्या करना ।

६. देशकालज्ञता—देश तथा समय को ध्यान में रखते हुए ऐसा आचरण करना, जिससे अपना मूल लक्ष्य व्याहृत न हो ।

७. सर्वार्थप्रतिलोमता—सभी अनुष्ठेय विषयों, कार्यों में विपरीत आचरण न करना, अनुकूल आवरण करना ।

यह लोकोपचार-विनय है ।

इस प्रकार यह विनय का विवेचन है ।

—ओव. सु. ३०

विनय प्रतिपन्न पुरुष—

११३. पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१. कोई पुरुष (गुरुजनादि को देखकर) अभ्युत्थान करता है, किन्तु (दूसरों से) अभ्युत्थान करवाता नहीं ।

२. कोई पुरुष (दूसरों से) अभ्युत्थान करवाता है, किन्तु (स्वयं) अभ्युत्थान नहीं करता ।

३. कोई पुरुष स्वयं भी अभ्युत्थान करता है और दूसरों से भी अभ्युत्थान करवाता है ।

४. कोई पुरुष न स्वयं अभ्युत्थान करता है और न दूसरों से भी अभ्युत्थान करवाता है ।

पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१. कोई पुरुष (गुरुजनादि की) वन्दना करता है, किन्तु (दूसरों से) वन्दना करवाता नहीं ।

२. कोई पुरुष (दूसरों से) वन्दना करवाता है, किन्तु स्वयं वन्दना नहीं करता ।

३. कोई पुरुष स्वयं भी वन्दना करता है और दूसरों से भी वन्दना करवाता है ।

४. कोई पुरुष न स्वयं वन्दना करता है और न दूसरों से वन्दना करवाता है ।

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१. कोई पुरुष (गुरुजनादि का) सत्कार करता है, किन्तु (दूसरों से) सत्कार करवाता नहीं ।

२. पडिच्छावेति णाममेगे णो पडिच्छति,

३. एगे पडिच्छति वि पडिच्छावेति वि,

४. एगे णो पडिच्छति णो पडिच्छावेति ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. पुच्छइ णाममेगे णो पुच्छावेइ,

२. पुच्छावेइ णाममेगे णो पुच्छइ,

३. एगे पुच्छइ वि पुच्छावेइ वि,

४. एगे णो पुच्छइ णो पुच्छावेइ ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. पूएइ णाममेगे णो पूयावेति,

२. पूयावेति णाममेगे णो पूएइ,

३. एगे पूएइ वि पूयावेति वि,

४. एगे णो पूएइ णो पूयावेति ।

—ठाणं अ. ४, उ. १, सु. २५६

विणीयस्स लखणाइं—

११४. आणानिद्धेसकरे , गुरुणमुववायकारए ।

इंगियागार-सम्पन्ने, से विणीए ति वुच्चइ ॥

—उत्त. अ. १, गा. २

मणोगयं वक्कगयं, जाणित्तायरियस्स उ ।

तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए ॥

—उत्त. अ. १, गा. ४३

काल छंदोदयारं च, पडिलेहत्ताण हेउहि ।

तेण तेण उवाएण, तं तं संपडिवायए ॥

—दस. अ. ६, उ. २, गा. २०

अमोहं वयणं कुज्जा, आयरियस्स महप्पणो ।

तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए ॥

—दस. अ. ८, गा. ३३

२. कोई पुरुष दूसरों से सत्कार करवाता है, किन्तु स्वयं सत्कार नहीं करता ।

३. कोई पुरुष स्वयं भी सत्कार करता है और दूसरों से भी सत्कार करवाता है ।

४. कोई पुरुष न स्वयं सत्कार करता है और न दूसरों से सत्कार करवाता है ।

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१. कोई पुरुष (गुरुजनादि का) सम्मान करता है, किन्तु (दूसरों से) सम्मान नहीं करवाता ।

२. कोई पुरुष दूसरों से सम्मान करवाता है, किन्तु स्वयं सम्मान नहीं करता ।

३. कोई पुरुष स्वयं भी सम्मान करता है और दूसरों से भी सम्मान करवाता है ।

४. कोई पुरुष न स्वयं सम्मान करता है और न दूसरों से सम्मान करवाता है ।

पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१. कोई पुरुष (गुरुजनादि की) पूजा करता है, किन्तु (दूसरों से) पूजा नहीं करवाता ।

२. कोई पुरुष दूसरों से पूजा करवाता है, किन्तु स्वयं पूजा नहीं करता ।

३. कोई पुरुष स्वयं भी पूजा करता है और दूसरों से भी पूजा करवाता है ।

४. कोई पुरुष न स्वयं पूजा करता है और न दूसरों से पूजा करवाता है ।

विनीत के लक्षण—

११४. आज्ञा निर्देश के अनुसार कार्य करने वाला, गुरुजनों के समीप बैठने वाला, और उनके इंगित तथा आकार के ज्ञान से जो सम्पन्न है वह विनीत कहा जाता है ।

आचार्य के मनोगत और वाक्यगत भावों को जानकर, उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्यरूप में परिणत करे ।

काल, अभिप्राय और आराधना विधि को हेतुओं से जानकर, उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उस-उस प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे—पूरा करे ।

मुनि महान् आत्मा आचार्य के वचन को सफल करे । (आचार्य जो कहे) उसे वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण करे ।

आयरियं अग्निमिवाहियगी, सुस्सुसमाणो पडिजागरेज्जा ।
आलोइयं इंगियमेव नच्चा, जो छन्दमाराहयइ स पुज्जो ॥

आयारमहा विणयं पउंजे, सुस्सुसमाणो परिगिज्ज वक्कं ।
जहोवइहं अभिकंखमाणो, गुरुं तु नासाययई स पुज्जो ॥
—दस. अ. ६, उ. ३, गा. १-२

अट्टविहा सिक्खासीला—

११५. अह अट्टहि ठाणेहि, सिक्खासीले त्ति वुच्चई ।
अहस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥

नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।
अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ॥

—उत्त. अ. ११, गा. ४-५

पण्णरसविहा सुविणीया—

११६. अह पण्णरसहि ठाणेहि, सुविणीए त्ति वुच्चइ ।
नीयावत्ती अचवत्ते, अमाई अकुइहले ॥

अपपं चाऽहिबिखवई, पवण्णं च न कुच्चई ।
भेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लद्धं न मज्जई ॥

न य पावपरिवेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥

कलहडमरवज्जए, बुद्धे अभिजाइए ।
हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. ११, गा. १०-१३

सेहस्स करणीय कज्जाणि—

११७. आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएज्ज कयाइ वि ।
चइऊणभासणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे ॥

—उत्त. अ. १, गा. २१

निसन्ते सियाऽमुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया ।
अट्टजुत्ताणि सिक्खेज्जा, निरट्टाणी उ वज्जए ॥

अणुसासिओ न कुप्पेज्जा, खंति सेविज्ज पण्डिए ।
खुड्डेहि सह संसंगि, हासं कीडं च वज्जए ॥

जैसे आहिताग्नि अग्नि की शुश्रूषा करता हुआ ज़ागस्क रहता है, वैसे ही जो आचार्य की शुश्रूषा करता हुआ जागस्क रहता है, जो आचार्य के आलोकित और इंगित को जानकर उनके अभिप्राय की आराधना करता है, वह पूज्य है ।

जो आचार्य के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो आचार्य को सुनने की इच्छा रखता हुआ उनके वाक्य को ग्रहण कर उपदेश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुरु की आशातनायुंनहीं करता, वह पूज्य है ।

आठ प्रकार के शिक्षाशील—

११५. आठ स्थानों (हेतुओं) से व्यक्ति को शिक्षा-शील कहा जाता है । १. जो हास्य न करे, २. जो सदा इन्द्रिय और मन का दमन करे, ३. जो मर्म-प्रकाशन न करे,

४. जो चरित्र से हीन न हो, ५. जिसका चरित्र दोषों से कलुषित न हो, ६. जो रसों में अति लोभ न हो, ७. जो क्रोध न करे, ८. जो सत्य में रत हो—उसे शिक्षा-शील कहा जाता है ।

पन्द्रह प्रकार के सुविनीत—

११६. पन्द्रह स्थानों (हेतुओं) से सुविनीत कहलाता है । १. जो नम्र व्यवहार करता है, २. जो चपल नहीं होता, ३. जो मायावी नहीं होता, ४. जो कुतूहल नहीं करता,

५. जो किसी का तिरस्कार नहीं करता, ६. जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता, ७. जो मित्रभाव रखने जाने के प्रति शक्त होता है, ८. जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता,

९. जो स्वलना होने पर किसी का तिरस्कार नहीं करता, १०. जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता, ११. जो अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशंसा करता है,

१२. जो कलह और हाथा-पाई का वर्जन करता है, १३. जो कुलीन होता है, १४. जो लज्जावान् होता है, १५. जो प्रति-संलीन (इन्द्रिय और मन का संगोपन करने वाला) होता है—वह बुद्धिमान मुनि विनीत कहलाता है ।

शिष्य के करणीय कार्य—

११७. बुद्धिमान शिष्य गुरु के एक बार बुलाने पर या बार-बार बुलाने पर कभी भी बैठा न रहे, किन्तु वे जो आदेश दें, उसे आसन को छोड़कर यत्न के साथ स्वीकार करे ।

(शिष्य) आचार्य के समीप सदा प्रशान्त रहे । वाचालता न करे । उनके पास अर्थ-युत पदों को सीखे और निरर्थक कथाओं का वर्जन करे ।

(शिष्य) गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर क्रोध न करे, क्षमा की आराधना करे । क्षुद्र व्यक्तियों के साथ संसर्ग, हास्य और क्रीड़ा न करे ।

मा य चण्डालियं कासी, बहुयं मा य आलवे ।
कालेण य अहिज्जिता, तथो ज्ञाएज्ज एगगो ॥

—उत्त. अ. १, गा. ८-१०

पडिणीयं च बुद्धाणं, चाया अदुव कम्मणा ।
आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कंयाइ वि ॥

—उत्त. अ. १, गा. १७

आथरिएहं वाहिनतो, तुसिणीओ न कयाइ वि ।
पसाय-पेही नियागट्ठी, उवचिट्ठे गुरुं सया ॥

—उत्त. अ. १, गा. २०

म कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए ।
बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥

—उत्त. अ. १, गा. ४०

आहच्च चण्डालिय कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइ वि ।
'कडं कडे' त्ति भासेज्जा, 'अकडं नो कडे' त्ति य ॥

—उत्त. अ. १, गा. ११

गुरुसमीपनिसीयण विही—

११८. न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ।
न जुंजे उरुणा उरुं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥

नेव पल्हत्तियं कुज्जा, पक्खपिण्डं व संजए ।
पाए पसारिए चावि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥

—उत्त. अ. १, गा. १८-१९

आसणे उवचिट्ठेज्जा, "अणुच्चे अकुए" थिरे ।
अप्पट्ठाई निरुट्ठाई, निसीएज्जप्पकुवकुए ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३०

पण्ह पुच्छा विही—

११९. इहलोगपारत्तहियं, जेणं गच्छइ सोगगइं ।
बहुस्सुयं पज्जुवासेज्जा, पुच्छेज्जत्थविणिच्छयं ॥

—दस. अ. ८, गा. ४३

आसण-गओ न पुच्छेज्जा, नेव "सेज्जा-गओ कयाइ" वि ।
आगम्पुयुवकुट्ठओ^१ सन्तो, पुच्छेज्जा पंजलीउढो ॥

—उत्त. अ. १, गा. २२

(शिष्य) चण्डालोचित कर्म (क्रूर-व्यवहार) न करे। बहुत न बोले। स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे और उसके पश्चात् अकेला ध्यान करे।

(शिष्य) लोगों के समक्ष या एकान्त में, वचन से या कर्म से, कभी भी आचार्यों के प्रतिकूल वर्तन न करे।

आचार्यों के द्वारा बुलाये जाने पर किसी भी अवस्था में भी न रहे, गुरु के प्रसाद को चाहने वाला, मोक्षाभिलाषी शिष्य सदा उनके समीप रहे।

शिष्य आचार्य को कुपित न करे। स्वयं भी कुपित न हो। आचार्य का उपघात करने वाला न हो। उनका छिद्रान्वेषी न हो।

(शिष्य) सहसा चण्डालोचित कर्म कर उसे कभी भी न छिपाए। अकरणीय किया हो तो किया और नहीं किया हो तो न किया कहे।

गुरु के समीप बैठने की विधि—

११८. (शिष्य) आचार्यों के वरान्वर न बैठे। आगे और पीछे भी न बैठे। उनके उरु (जाँघ) से अपना उरु सटाकर न बैठे। विछीने पर बैठ ही उनके आदेश को स्वीकार न करे, किन्तु उसे छोड़कर स्वीकार करे।

संयमी मुनि गुरु के समीप पालथी लगाकर (घुटनों और जाँघों के चारों ओर वस्त्र बाँधकर) न बैठे। पक्ष-पिण्ड कर (दोनों हाथों से शरीर को बाँधकर) तथा पैरों को फैलाकर न बैठे।

जो गुरु के आसन से नीचा हो, अकम्पमान हो और स्थिर हो (जिसके पाये धरती पर टिके हुए हों) वैसे आसन पर बैठे। प्रयोजन होने पर भी बार-बार न उठे। बैठे तब स्थिर एवं शान्त होकर बैठे। हाथ-पैर आदि से चपलता न करे।

प्रश्न पूछने की विधि—

११९. जिस श्रमणधर्म के द्वारा इहलोक और परलोक में हित होता है, मृत्यु के पश्चात् सुगति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह बहुश्रुत की पर्युपासना करे और अर्थ विनिश्चय के लिए प्रश्न करे।

आसन पर अथवा शय्या पर बैठो-बैठा कभी भी गुरु से कोई बात न पूछे, परन्तु उनके समीप आकर उकहू बैठ, हाथ जोड़कर पूछे।

१ उत्कटासन—गोदुहासन को कहते हैं।

अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा ।
विट्ठिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जाए ॥

—दस. अ. ८, गा. ४५

नापुट्ठो वागरे किच्चि^१, पुट्ठो वा नालियं वए ।
कोहं असच्चं कुव्वेज्जा^२, धारेज्जा पियमप्पियं ॥

—उत्त. अ. १, गा. १४

न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं^३ ।
अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥

—उत्त. अ. १, गा. २५

सेहकयपण्हस्स गुरु दिण्णमुत्तरं—

१२०. एवं विणयजुत्तस्स, सुत्तं अत्थं च तदुभयं ।
पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागरेज्ज जहासुयं ॥

—उत्त. अ. १, गा. २३

गुरुं पइ सेहस्स किच्चाइं—

१२१. तेत्ति गुरुणं गुणसागराणं, सोच्चाण मेहावि सुभासियाइं ।
चरे, मुणी पंचरए त्तिगुत्तो, चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥

गुरुमिह सययं^१, पडियरिय मुणी, जिणवयनिउणे अभिगमकुसले ।
धुणिय रयमलं पुरेकडं, भासुरमउलं गइं गय ॥

—दस. अ. ६, उ. ३, गा. १४-१५

सेहं पइ गुरुस्स किच्चाइं—

१२२. जे माणिया सययं माणयंति, जत्तेण कन्नं व निवेसयंति ।
ते माणए माणरिहे तवस्सी, जिइंदिए सच्चरए, स पुज्जो ॥

—दस. अ. ६, उ. ३, गा. १३

अणुसासणे सेहस्स किच्चाइं—

१२३. जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा ।
मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥

विना पूछे न बोले, बीच में न बोले, पृष्ठमांस—चुगली न
खाए और कपटपूर्ण असत्य का वर्जन करे ।

विना पूछे कुछ भी न बोले । पूछने पर असत्य न बोले ।
क्रोध न करे । आ जाए तो उसे विफल कर दे । प्रिय और अप्रिय
को धारण करे—उन पर राग और द्वेष न करे ।

किसी के पूछने पर भी अपने, पराये या दोनों के प्रयोजन के
लिए अथवा अकारण ही सावध न बोले, निरर्थक न बोले और
मर्म-भेदी वचन न बोले ।

शिष्य के प्रश्न पर गुरु द्वारा उत्तर—

१२०. इस प्रकार जो शिष्य विनय-युक्त हो, उसके पूछने पर गुरु
सूत्र, अर्थ और तदुभय (सूत्र और अर्थ दोनों) जैसे सुने हों (जाने
हुए हों) वैसे बताये ।

गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य—

१२१. जो मेधावी मुनि उन गुण-सागर गुरुओं के सुभाषित सुन-
कर उनका आचरण करता है, पाँच महाव्रतों में रत, मन, वाणी
और शरीर से गुप्त तथा क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर
करता है, वह पूज्य है ।

इस लोक में गुरु की सतत सेवा कर, जिनमत-निपुण (आगम-
निपुण) और अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल मुनि पहले
किए हुए रज और मल को कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति
को प्राप्त होता है ।

शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य—

१२२. अभ्युन्धान आदि के द्वारा सम्मानित किये जाने पर जो
शिष्यों को सतत सम्मानित करते हैं—श्रुत ग्रहण के लिए प्रेरित
करते हैं, पिता जैसे अपनी कन्या को यत्नपूर्वक योग्य कुल में
स्थापित करता है, वैसे ही आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग
में स्थापित करते हैं, उन माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्य-
रत आचार्य का जो सम्मान करता है वह पूज्य है ।

अनुशासन-पालन में शिष्य के कर्तव्य—

१२३. “आचार्य मुझ पर कोमल या कठोर वचनों से जो अनु-
शासन करते हैं वह मेरे लाभ के लिए हैं”—ऐसा सोचकर प्रयत्न-
पूर्वक उनके वचनों को स्वीकार करे ।

१ अपुच्छिओ णिक्कारणं न भासते ।

—जीतकल्प चूर्णी, पृ. २८८

२ कदाचित् क्रोध आ जाय तो उपशान्त होकर दुःसंकल्प, दुर्वचन एवं दुष्कृत्य का पश्चात्ताप करे । क्रोध के असत्य करने की,
अर्थात् क्रोध करने से संचित अशुभ कर्मवर्गणा के क्षय की यही विधि है ।

३ लोकविरुद्ध या राज्यविरुद्ध आदि, जिसके प्रगट होने से मनुष्य को अपयश के भय से मरना पड़े वह वचन मर्म वचन है ।

अणुसासणमोवायं , दुबकडस्स य चोयणं ।
हियं तं मन्नए पण्णो, वेसं होइ असाहणो ॥

हियं विगय-भया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं ।
वेस्सं तं होइ मूढाणं, खन्ति - सोहिकरं पयं ॥

—उत्त. अ. १, गा. २७-२६

गुरुकयाणुसासणस्स पभावो—

१२४. रमए पण्डिए सासं, हयं भइं व वाहए ।
बालं सम्मइ सासन्तो, गलियस्सं व वाहए ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३७

कुवियगुरु पसायणट्ठा सेहस्स किच्चाइं—

१२५. आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए ।
विज्जवेज्ज पंजलिउडो, वएज्ज न पुणो त्ति य ॥

—उत्त. अ. १, गा. ४१

चउट्ठिवा विणयसमाही—

१२६. सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमवखायं—इह खलु थेरेहिं
भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता ।

प०—कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहि-
ट्ठाणा पन्नत्ता ?

उ०—इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा
पन्नत्ता, तं जहा—

१. विणयसमाही, २. सुयसमाही,
३. तवसमाही, ४. आचारसमाही ।

विणए सुए अ तवे, य आयारे निच्चं पंडिया ।
अभिरामयंति अप्पाणं, जे भवंति जिइंदिया ॥

चउट्ठिवा खलु विणयसमाही भवइ तं जहा—

१. अणुसासिज्जंतो सुस्सुसइ,
२. सम्मं संपट्ठिवज्जइ,
३. वेयमाराहइ,

४. न य भवइ अत्तसंपगहिए ।

चउत्थं पयं भवइ । भवइ य इत्थ सिल्लोगो—

मृदु या कठोर वचनों से किया जाने वाला अनुशासन दुष्कृत का निवारक होता है । प्रज्ञावान् मुनि उसे हित मानता है । वही असाधु के लिए द्वेष का हेतु बन जाता है ।

भय-मुक्त बुद्धिमान शिष्य गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर मानते हैं । परन्तु अज्ञानियों के लिए वही—क्षमा और चित्त-विशुद्धि करने वाला गुण-वृद्धि का आधारभूत—अनुशासन द्वेष का हेतु बन जाता है ।

गुरु के अनुशासन का शिष्य पर प्रभाव—

१२४. जैसे उत्तम घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक आनन्द पाता है, वैसे ही पण्डित (विनीत) शिष्य पर अनुशासन करता हुआ गुरु आनन्द पाता है और जैसे दुष्ट घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक खिन्न होता है, वैसे ही बाल (अविनीत) शिष्य पर अनुशासन करता हुआ गुरु खिन्न होता है ।

कुपित गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य—

१२५. आचार्य को कुपित हुए जानकर विनीत शिष्य प्रतीतिकारक (या प्रीतिकारक) वचनों से उन्हें प्रसन्न करे । हाथ जोड़कर उन्हें शान्त करे और यों कहे कि “मैं ऐसा पुनः नहीं करूँगा ।”

चार प्रकार की विनय-समाधि—

१२६. आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान् (प्रज्ञापक आचार्य प्रभवस्वामी) ने इस प्रकार कहा—इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में स्थविर भगवान् ने विनय समाधि के चार स्थानों का प्रज्ञापन किया है ।

प०—वे विनय-समाधि के चार स्थान कौन से हैं जिनका स्थविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है ?

उ०—वे विनय-समाधि के चार प्रकार ये हैं, जिनका स्थविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है, जैसे—

(१) विनय-समाधि (२) श्रुत-समाधि,
(३) तप-समाधि, (४) आचार-समाधि ।

जो जितेन्द्रिय होते हैं वे पण्डित पुरुष अपनी आत्मा को सदा विनय, श्रुत, तप और आचार में लीन किये रहते हैं ।

विनय-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

(१) शिष्य आचार्य के अनुशासन को सुनना चाहता है ।
(२) अनुशासन को सम्यग् रूप से स्वीकार करता है ।
(३) वेद (ज्ञान) की आराधना करता है अथवा (अनुशासन के अनुकूल आचरण कर आचार्य की वाणी को सफल बनाता है) ।

(४) आत्मोत्कर्ष (गर्व) नहीं करता—

यह चतुर्थ पद है और यहाँ (विनय-समाधि के प्रकरण) में एक श्लोक है—

पेहेइ हियाणुसासनं, सुस्सइ तं च पुणो अहिइए ।
नय भाणमएण मज्जइ, विणयसमाही आययट्ठिए ॥
—दस. अ. ६, उ. ४, सु. १-४, गा. १-२

विणयस्स सुफलं—

१२७. तम्हा विणयमेत्तेज्जा, सीलं पडिलभेज्जओ ।
बुद्ध-पुत्ते नियागट्ठी, न निक्कसिज्जइ कण्हई ॥
—उत्त. अ. १, गा. ७

नच्चा नमइ मेहावी, लोए “कित्ती से” जायए ।
हवई किच्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥

पुज्जा ऊस्स पसीयन्ति, संबुद्धा पुव्वसंथुया ।
पसन्ना लाभइस्सन्ति, विउलं अट्ठियं सुयं ॥

स पुज्जसत्थे सुविणीयसंसए,
“मणोरुई” चिट्ठइ कम्म-संपया ।

तवोसमायारिसमाहिसंबुद्धे,
महज्जुई पंच-वयाइं पालिया ॥

स देव-गन्धर्व-मणुस्सपूइए, चइत्तु देहं मलपंकपुव्वयं ।
सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिड्ठिए ॥
—उत्त. अ. १, गा. ४५, ४८

अविणीय लक्खणाइं—

१२८. आणाअनिहेसकरे, गुरुणमणुववायकारए ।
पडिणीए असंबुद्धे, “अणिवीए त्ति” वुच्चई ॥
—उत्त. अ. १, गा. ३

आयरियउवज्जाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए ।
ते चेव खिसई बाले, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

आयरियउवज्जायाणं, सम्मं नो पडित्तपइ ।
अपडिपुयए थद्धे, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥
—उत्त. अ. १७, गा. ४-५

(१) मोक्षार्थी मुनि हितानुशासन की अभिलाषा करता है—
सुनना चाहता है ।

(२) शुश्रूषा करता है—अनुशासन को सम्यक् रूप से ग्रहण करता है ।

(३) अनुशासन के अनुकूल आचरण करता है ।

(४) मैं विनय-समाधि में कुशल हूँ—इस प्रकार गर्व के उन्माद से उन्मत्त नहीं होता ।

विनय का सुपरिणाम—

१२७. इसलिए विनय का आचरण जिससे शील की प्राप्ति हो । जो बुद्ध (आचार्य का प्रिय शिष्य) और मोक्ष का अभिलाषी होता है, वह गण से नहीं निकाला जाता ।

मेधावी मुनि उक्त विनय-पद्धति को जानकर उसे क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाता है । उसकी लोक में कीर्ति होती है । जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है, उसी प्रकार वह धर्माचरण करने वालों के लिए आधार होता है ।

उस पर तत्त्ववित् पूज्य आचार्य प्रसन्न होते हैं । अध्ययन-काल से पूर्व ही वे उसके विनय-समाचरण से परिचित होते हैं । वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूत विपुल श्रुत-ज्ञान का लाभ करवाते हैं ।

वह पूज्य होता है—उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है उसके सारे संशय मिट जाते हैं । वह गुरु के मन को भाता है । वह कर्म-सम्पदा (दसविध समाचारी) से सम्पन्न होकर रहता है ।

वह तप-समाचारी और समाधि से संवृत्त होता है । पांच महाव्रतों का पालन कर महान् तेजस्वी हो जाता है ।

देव, गन्धर्व और मनुष्यों से पूजित वह विनीत शिष्य मल और पंक से बने हुए शरीर को त्यागकर या तो शाश्वत सिद्ध होता है या अल्पकर्म वाला महर्द्धिक देव होता है ।

अविनीत के लक्षण—

१२८. जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, गुरु की शुश्रूषा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और तथ्य को नहीं जानता, वह “अविनीत” कहलाता है ।

जिन आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिखाया उन्हीं की निन्दा करता है, वह विवेक-विकल भिक्षु पाप-श्रमण कहलाता है ।

जो आचार्य और उपाध्याय के कार्यों की सम्यक् प्रकार से चिन्ता नहीं करता—उनकी सेवा नहीं करता, जो बड़ों का सम्मान नहीं करता, जो अभिमानी होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

तिविहे अविणए—

१२६. अविणए तिविहे पणत्ते, तं जहा—

देसच्छाई,

निरालंबणता,

णाणा पेज्जदोसे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, मु. १८३

चउदसविहे अविणीए—

१३०. अह चउदसहि ठाणेहि, बट्टमाणे उ संजए ।
अविणीए वुच्चई सो उ, निव्वाणं च न गच्छइ ॥
अभियखणं फोही हवइ, पवन्धं च पफुच्चई ।
मित्तिज्जमाणो वमई, सुयं लद्धूण मज्जई ॥

अवि पावपरिवहेवी, अवि मित्तेसु कुप्पई ।
सुप्पियस्तावि मित्तस्त, रहे भासइ पावगं ॥

पइण्णवाई दुहिले, चट्ठे लुट्ठे अणिग्गहे ।
असंविभागी अच्चियत्ते, अविणीए त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. ११, गा. ६-६

अविणीय सरूवं—

१३१. एवं ते हिस्सा दिया य, राओ य अणुपुच्चेण चाइया तेहि
महावीरेहि पण्णाणमंतेहि,

तेसितिए पन्नाणमुयलव्म हेच्चा उवसमं फारसियं समादियंति ।

यसिस्ता वंमचेरंसि आणं तं णो त्ति मन्नमाणा ।

आघायं तु सोच्चा निसम्म “समणुत्ता जीविस्साभो” एणे
णिवखम्म ते असंभवेता विद्वज्जमाणा कामेसु गिद्धा अज्झोव-
वन्ना समाहिमाघायमक्षोसयंता सत्थारमेव फरुसं वयंति ।

सीलमंता उवसंता संघ्राए रीयमाणा, “असीला” अणुवय-
माणस्स वित्तिया मंदस्स बालया ।

तीन प्रकार के अविनय—

१२६. अविनय तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) देगत्यागी—स्वामी को गाली आदि देकर देश को छोड़-
कर चले जाना ।

(२) निरालम्बन—गच्छ या कुट्टम्ब को छोड़ देना या उससे
अलग हो जाना ।

(३) नानाप्रेयोद्वेपी—नाना प्रकारों से लोगों के साथ राग-
द्वेष करना ।

चौदह प्रकार के अविनीत—

१३०. चौदह स्थानों (हेतुओं) में वर्तन करने वाला संयमी
अविनीत कहा जाता है । वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता ।

(१) जो बार-बार क्रोध करता है, (२) जो क्रोध को टिका-
कर रखता है, (३) जो मित्रभाव रखने वाले को भी ठुकराता है,
(४) जो श्रुत प्राप्त कर मद करता है,

(५) जो किसी की स्वलना होने पर उमका तिरस्कार
करता है, (६) जो मित्रों पर कुपित होता है, (७) जो अत्यन्त
प्रिय मित्र की भी एकांत में बुराई करता है,

(८) जो असंवद्व-भापी है, (९) जो देगद्रोही है, (१०) जो
अभिमानी है, (११) जो सरस आहार आदि में लुब्ध है, (१२)
जो अजितेन्द्रिय है, (१३) जो असंविभागी है, (१४) जो अप्रीति-
कर है—वह अविनीत कहलाता है ।

अविनीत का स्वरूप—

१३१. जिस प्रकार पक्षी अपने शावकों को शिक्षण देते हैं उसी
प्रकार जो ज्ञान न होने के कारण जिनोक्त धर्म की आराधना व
लिए उद्यत नहीं हैं उन गिप्यों को दिन-रात गुरुजन अध्ययन
कराते हैं ।

इस प्रकार महापराक्रमी प्रजावान् गुरुओं से पढ़ाये गये उन
गिप्यों में कुछ ऐसे होते हैं जो गुरुओं से आगम-ज्ञान प्राप्त करने
के अनन्तर उपशमभाव छोड़कर ज्ञान-गर्व से उद्यत हो जाते हैं ।

कुछ गिप्य ऐसे होते हैं जो संयमी बनने के पश्चात् जिनाज्ञा
की अवहेलना करते हुए शरीर की शोभा बढ़ाते हैं ।

“हम सर्वमान्य बनेंगे” ऐसा सोनकर कुछ गिप्य दीक्षा लेते
हैं और वे मोक्षमार्ग के पथिक बनकर काम-वासनाजन्य सुख में
आमक्त बन जिनोक्त समाधिभाव को प्राप्त नहीं होते हैं और जो
उन्हें हितगिषा देते हैं वे उन्हें कर्कण वचन कहते हैं ।

कुछ कुशील गिप्य उपशान्त एवं त्रिवेकी श्रमणों को “शील-
‘भ्रष्ट’ कहते हैं—यह उन पासत्यादिक मन्दजनों की दुगुनी
मूर्खता है ।

णियदृमाणा वेगे आयारगोयरमाइक्कखंति ।

नागब्रह्मणा, दंसणलूसिणो नममाणा एगे जीवियं विप्परिणा-
मेति ।

पुट्टा वेगे णियच्छंति, जीवियस्सेव कारणा । निक्खंतं पि तेसिं
दुन्निकखंतं भवई ।

बालवयणिज्जा हु ते नरा पुणो पुणो जातिं पक्कपेति अहे
संभवता विहायमाणा "अहमंसीति विउक्कसे" उदासीणे
फरुसं वयंति । पलियं पगंथे, अट्टुवा अगंथे अतहेहि— तं
मेहावी जाणिज्जा घम्मं ।

एवं तेसिं भगवओ अणुट्टाणे जहा से दिएपोए । एवं ते सिस्सा
दिया थ, राओ थ अणुपुव्वेण वाइय त्ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. ३, सु. १८६-१९१

गुरुआईणं पडिणीया—

१३२. रायगिहे नयरे-जाव-एवं वयासी—

प्र०—गुरु णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा—
आयरियपडिणीए, उवज्जायपडिणीए,
थेरपडिणीए ।

प०—गइं णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा—
इह्लोगपडिणीए, परलोगपडिणीए,
इह्लोभलोगपडिणीए ।

प०—समूहं णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा—
कुलपडिणीए, गणपडिणीए,
संघपडिणीए ।

कुछ शिष्य स्वयं संयम का पालन नहीं करते हैं, किन्तु शुद्ध
आचार-गोचर का कथन करते हैं ।

कुछ शिष्य ज्ञान-दर्शन भ्रष्ट हैं किन्तु वे ऐसा कहते हैं—कि
"हम जैसा आचरण कर रहे हैं यही शुद्ध आचार है" इसलिए
ज्ञान-दर्शनभ्रष्ट वे शिष्य विनयी होते हुए भी आचार-भ्रष्ट हैं ।

कुछ अज्ञ शिष्य परीपहों से पीड़ित होने पर सुख सुविधा के
लिए संयम भ्रष्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों का गृहत्याग भी निर-
र्थक होता है ।

वे असंयमी शिष्य अज्ञ जनों में भी निन्दनीय होते हैं, कुछ
अल्पज्ञ शिष्य—विद्वत्ता का दिखावा करते हुए "मैं विद्वान् हूँ,"
ऐसा कहकर मध्यस्थ श्रमणों की अवहेलना करते हैं अथवा मिथ्या-
दोषारोपण करके अवहेलना करते हैं । अतः वे पुनः पुनः चारों
गतियों में जन्म लेते हैं इसलिए मेधावी शिष्य विनयधर्म को
जाने ।

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का (पंख आने तक उसके माता-
पिता द्वारा) पालन किया जाता है, उसी प्रकार (भगवान महावीर
के) धर्म में जो अभी तक अनुत्थित है, (जिनकी वृद्धि अभी तक
धर्म में संस्कारवद्ध नहीं हुई है) उन शिष्यों का वे (आचार्य)
क्रमशः वाचना आदि के द्वारा दिन-रात पालन—संवर्द्धन करते
हैं, ऐसा मैं कहता हूँ ।

गुरु आदि के प्रत्यनीक—

१३२. राजगृह नगर में (गौतम स्वामी ने) यावत् (श्रमण भगवान्
महावीर से) इस प्रकार पूछा—

प्र०—भगवन् ! गुरुदेव की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक (द्वेषी
या विरोधी) कहे गए हैं ?

उ०—गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं वे इस प्रकार—
(१) आचार्य-प्रत्यनीक, (२) उपाध्याय-प्रत्यनीक,
(३) स्थविर-प्रत्यनीक ।

प्र०—भगवन् ! गति की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे
गए हैं ?

उ०—गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गये हैं । वे इस प्रकार—
(१) इह्लोक-प्रत्यनीक, (२) परलोक-प्रत्यनीक,
(३) उभयलोक-प्रत्यनीक ।

प्र०—भगवन् ! समूह (श्रमणसंघ) की अपेक्षा कितने प्रत्य-
नीक कहे गए हैं ?

उ०—गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं । वे इस प्रकार—
(१) कुल-प्रत्यनीक, (२) गण-प्रत्यनीक,
(३) संघ-प्रत्यनीक ।

प०—अणुकर्पं पडुच्च कति पडिणीया पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा—
तवस्सिपडिणीए गिलाणपडिणीए,
सेहपडिणीए ।

प०—सुयं णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा—
सुत्तपडिणीए, अत्यपडिणीए,
तदुभयपडिणीए ।

प०—भावं णं भंते ! पडुच्च कति पडिणीया पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तओ पडिणीया पणत्ता, तं जहा—
नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए,
चरित्तपडिणीए ।^१ —वि. स. ८, उ. ८, सु. १-७

अविणीय उवमाइ—

१३३. जहा सुणी पूइ-कण्णी, निक्कसिज्जइ सव्वसो ।
एवं दुस्सोल-पडिणीए, मुहुरी निक्कसिज्जइ ॥

कण-कुण्डगं चइत्ताणं, विट्ठं मुंजइ सूयरे ।
एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सोले रमई मिए ॥

सुणियाऽभावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य ।
विणए ठवेज्ज अप्पाणं, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥
—उत्त. अ. १, गा. ४-६

मा "गल्लियस्से व" कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो ।
कसं व दट्ठुमाइण्णे, पावगं परिवज्जए ॥
—उत्त. अ. १, गा. १२

जे य चंटे मिए थद्रे, दुव्वाई नियढी सढे ।
वृज्जइ से अविणीयप्पा, कट्ठं सोयगयं जहा ॥

विणयं पि जो उवाएणं, चोइओ कुप्पई नरो ॥
दिव्वं सो सिरिमेज्जंति, दंडेण पडिसेहए ॥
—दस. अ. ६, उ. २, सु. ३-४

प्र०—भगवन् ! अनुकम्प्य (साधुओं) की अपेक्षा से कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ०—गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं । वे इस प्रकार—
(१) तपस्त्री-प्रत्यनीक, (२) ग्लान-प्रत्यनीक,
(३) शैक्ष (नवदीक्षित)-प्रत्यनीक ।

प्र०—भगवन् ! श्रुत की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ०—गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं । वे इस प्रकार—
(१) सूत्रप्रत्यनीक, (२) अर्थप्रत्यनीक,
(३) तदुभयप्रत्यनीक ।

प्र०—भगवन् ! भाव की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ?

उ०—गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं । वे इस प्रकार—
(१) ज्ञान-प्रत्यनीक, (२) दर्शन-प्रत्यनीक
(३) चारित्र-प्रत्यनीक ।

अविनीत की उपमाएँ—

१३३. जैसे सड़े हुए कानों वाली कुतिया सभी स्थानों से निकाली जाती है, वैसे ही दुःशील, गुरु के प्रतिकूल-वर्तन करने वाला और वाचाल भिक्षु गण से निकाल दिया जाता है ।

जिस प्रकार सूअर चावलों की भूसी को छोड़कर विष्ठा खाता है, वैसे ही अज्ञानी भिक्षु शील को छोड़कर दुःशील में रमण करता है ।

अपनी आत्मा का हित चाहने वाला भिक्षु कुतिया और सूअर की तरह दुष्ट मनुष्य के अभाव (हीन भाव) को सुनकर अपने आप को विनय में स्थापित करे ।

जैसे अविनीत घोड़ा चावुक को बार-बार चाहता है, वैसे विनीत शिष्य गुरु के वचन को (आदेश-उपदेश) को बार-बार न चाहे । जैसे विनीत घोड़ा चावुक को देखते ही उन्मार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के इंगित और आकार को देखकर अशुभ प्रवृत्ति छोड़ दे ।

जो चण्ड, मृग-अज, स्तब्ध, अप्रियवादी, मायावी और शठ है, वह अविनीतात्मा संसार-स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काठ ।

विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित होता है, वह आती हुई दिव्य लक्ष्मी को ढण्डे से रोकता है ।

खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई ।
असमाहि च वेएइ, तोत्तओ य से भज्जई ॥

एगं उसइ पुच्छमि, एगं विन्धइऽभिवखणं ।
एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥

एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निविज्जई ।
उक्कुइ उप्फिडई, सडे बालगवी वए ॥

माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडिप्पहं ।
मयलवखेण चिदुई, वेणेण य पहावई ॥

छिन्नाले छिन्वई सिल्लि, दुहन्तो भंजए जुगं ।
से वि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जाहित्ता पलायए ॥

खलुंका जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।
जोइया धम्मजाणम्मि, भज्जन्ति धिइदुब्बला ॥

इड्ढीगारविए एगे, एगेऽस्थ रसगारवे ।
सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥

भिवखालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुए थद्धे ।
एगं च अणुसासम्मो, हेअहि कारणेहि य ॥

सो वि अन्तरभासिल्लो, दोसमेव पकुच्चई ।
आवरियाणं तं वयणं, पडिकूलेह अभिवखणं ॥

न सा ममं वियाणाइ, न वि सा मज्झ दाहिई ।
निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नो त्थ वच्चउ ॥

पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समन्तओ ।
रायवेट्ठि व मन्नन्ता, करेन्ति भिउडि मुहे ॥

जो खलुंक (दुष्ट) वलों को जोतता है, वह उन्हें मारता हुआ क्लेश पाता है, असमाधि का अनुभव करता है और अन्ततः उसका चाबुक भी टूट जाता है ।

वह क्षुब्ध हुआ वाहक किसी की पूँछ काट देता है, तो किसी को बार-बार वींधता है । और उन वलों में से कोई एक समिला—जुए की कील को तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्ग पर चल पड़ता है ।

कोई मार्ग के एक ओर पाशवं (वगल) में गिर पड़ता है कोई बैठ जाता है, कोई लेट जाता है । कोई कूदता है, कोई उछलता है, तो कोई शठ बालगवी—तरुण गाय के पीछे भाग जाता है ।

कोई धूतं बल शिर को निढाल बनाकर भूमि पर गिर जाता है । कोई क्रोधित होकर प्रतिपथ-उन्मार्ग में चला जाता है । कोई मृतक-सा पड़ा रहता है, तो कोई वेग से दौड़ने लगता है ।

कोई छिन्नाल—दुष्ट बल रास को छिन्न-भिन्न कर देता है । दुर्वान्त होकर जुए को तोड़ देता है । और सू-सू आवाज करके वाहन को छोड़कर भाग जाता है ।

अयोग्य बल जैसे वाहन को तोड़ देते हैं, वैसे ही धैर्य में कमजोर शिष्यों को धर्म-यान में जोतने पर वे भी उसे तोड़ देते हैं ।

कोई ऋद्धि—ऐश्वर्य का गौरव (अहंकार) करता है, कोई रस का गौरव करता है, कोई सात—सुख का गौरव करता है, तो कोई चिरकाल तक क्रोध करता है ।

कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता है, कोई अपमान से डरता है, तो कोई स्तब्ध है—धीठ है । हेतु और कारणों से गुरु कभी किसी का अनुशासित करता है ।

तब वह बीच में ही बोल उठता है, मन में द्वेष प्रकट करता है तथा बार-बार आचार्य के वचनों के प्रतिकूल आचरण करता है ।

(गुरु प्रयोजनवश किसी श्राविका से कोई वस्तु लाने को कहे, तब वह कहता है) वह मुझे नहीं जानती, वह मुझे नहीं देगी, मैं जानता हूँ, वह घर से बाहर गई होगी । इस कार्य के लिए मैं ही क्यों, कोई दूसरा साधु चला जाए ।

किसी कार्य के लिए उन्हें भेजा जाता है और वह कार्य किए बिना ही लौट आते हैं । पूछने पर कहते हैं—उस कार्य के लिए आपने हमसे कब कहा था ? वे चारों ओर घूमते हैं, किन्तु गुरु के पास कभी नहीं बैठते । कभी गुरु का कहा कोई काम करते हैं तो उसे राजा की बेगार की भाँति मानते हुए मुँह पर भृकुटी तान लेते हैं—मुँह को मचोट लेते हैं ।

बाइया संगहिया चैव, "भक्तपाणे य" पोसिया ।
जायपक्खा जहा हंसा, पक्कमन्ति दिसोदिंति ॥

अह सारही विचिन्तेइ, खलुकोहं समागओ ।
किं मज्झ द्रुत्तसीसेहि, अप्पा मे अवसीयई ॥

जारिसा मम सीसाउ, तारिसा गलिगद्दहा ।
गलिगद्दहे चइत्ताणं, दढं परिगिण्हइ तवं ॥

—उत्त. अ. २७, गा. ३-१६

अविणीय-विणीय सरूपं—

१३४. जे यावि चंडे मइ-इडिडगारवे,
पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे ।
अदिदुधम्मे विणए अकोविए,
असंविभागी न ह्व तस्स मोक्खो ॥
निद्वेसवत्ती पुण जे गुरुणं,
सुयत्थधम्मा विणयस्मि कोविआ ।
तरित्तु ते ओहमिणं दुरुत्तरं,
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गय ॥

—दस. अ. ६, उ. २, गा. २२-२३

अविणीय-सुविणीय लक्षणार्थं—

१३५. तहेव अविणीयप्पा, उववज्झा हया गया ।
दीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुवट्टिया ॥

तहेव सुविणीयप्पा, उववज्झा हया गया ।
दीसंति सुहमेहंता, इडिडपत्ता महायसा ॥

तहेव अविणीयप्पा, लोमंसि नरनारिओ ।
दीसंति दुहमेहंता, छाया ते विगलितेन्द्रिया ॥
दण्डसत्थपरिजुण्णा, असब्बभवयणेहि य ।
कलुणा विवन्नछंदा, खुप्पिवासाए परिगया ॥

तहेव सुविणीयप्पा, लोमंसि नरनारिओ ।
दीसंति सुहमेहंता, इडिडपत्ता महायसा ॥

तहेव अविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा ।
दीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुवट्टिया ॥

तहेव सुविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्झगा ।
दीसंति सुहमेहंता, इडिडपत्ता महायसा ॥

(आचार्य सोचते हैं) मैंने उन्हें पढ़ाया, संगृहीत (दीक्षित) किया भक्त-मान से पोषित किया, किन्तु कुछ योग्य बनने पर ये वैसे ही बन गए हैं, जैसे पंख आने पर हंस विभिन्न दिशाओं में प्रक्रमण कर जाते हैं—दूर-दूर उड़ जाते हैं ।

कुशियों द्वारा खिन्न होकर सारथि (आचार्य) सोचते हैं—इन दुष्ट शिष्यों से मुझे क्या ? इनके संसर्ग से मेरी आत्मा अवसन्न व्याकुल होती है ।

जैसे गलिगदंभ (आलसी और निकम्मे गधे) होते हैं, वैसे ही ये मेरे शिष्य हैं । (ऐसा सोचकर आचार्य ने) गलिगदंभ रूप शिष्यों को छोड़कर दृढ़ तपश्चरण (उग्र बाह्याभ्यन्तर तपोमार्ग) स्वीकार किया ।

अविनीत और विनीत का स्वरूप—

१३४. जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और ऋद्धि का गर्व है, जो पिशुन है, जो साहसिक है, जो गुरु की आज्ञा का यथासमय पालन नहीं करता, जो अदृष्ट (अज्ञात) धर्मा है, जो विनय में निपुण नहीं है, जो असंविभागी है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता ।

और जो गुरु के आज्ञाकारी हैं, जो गीतार्थ हैं, जो विनय में कोविद हैं, वे इस दुस्तर संसार-समुद्र को तैरकर कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।

अविनीत-सुविनीत के लक्षण—

१३५. जो औपवाह्य (सवारी के काम आने वाले) घोड़े और हाथी अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

जो औपवाह्य घोड़े और हाथी सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

लोक में जो पुरुष और स्त्री अविनीत होते हैं, क्षत-विक्षत या दुर्बल, इन्द्रिय-विकल, दण्ड और शस्त्र से जर्जर, असभ्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, करुण, परवश, भूख और प्यास से पीड़ित होकर दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

जो देव, यक्ष और गृह्यक (भवनवासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

जो देव, यक्ष और गृह्यक सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

जे आयरियउवञ्जायाणं, सुस्सुसावयणंकरा ।
तेसि सिक्खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥

—दस. अ. ६, उ. २, गा. ५-१२

अविनीतस्स-विनीतस्स य आयरण-पभावो—

१३६. अण्णट्टा परट्टा वा, सिप्पा जेउणियाणि य ।
गिहिणो उवभोगट्टा, इहलोगस्स कारणा ॥
जेण बंधं वहं घोरं, परियावं च दाहणं ।
सिक्खमाणा नियच्छन्ति, जुत्ता ते ललिइंदिया ॥
ते वि तं गुरुं पूर्यंति, तस्स सिप्पस्स कारणा ।
सक्कारेति नमंसंति, तुट्टा निद्वेसवत्तिणो ॥
किं पुण जे सुयग्गाही, अणंतहियकामए ।
आयरिया जं वए भिक्खू, तम्हा तं नाइवत्तए ॥

नीयं सेज्जं गइं ठाणं, नीयं च आसणाणि य ।
नीयं च पाए वंदेज्जा, नीयं कुज्जा य अंजलि ॥

संघट्टइत्ता काएण, तहा उवहिणामवि ।
खमेह अवराहं मे, वएज्ज न पुणो त्ति य ॥

—दस.अ. ६, उ. २, गा. १३-१५

(आलवन्ते लवन्ते वा, न निसेज्जाए पडिस्सुणे ।
मोचूणं आसणं धीरो, सुस्सुसाए पडिस्सुणे ॥^१)

—दस. अ. ६, उ. २, गा. २० का टिप्पण

बिक्खी अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य ।
जस्सेयं बुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥

—दस. अ. ६, उ. २, गा. २१

अणासवा थूलवया, कुसीला,
मिउं पि चण्डं पकरेति सीसा ।

चित्ताणुया लहु दक्खोववेया,
पसायए ते हु दुरासयं पि ॥

—उत्त. अ. १, गा. १३

जे चिग्गहीए अज्ञायभासी,
न से समे होति अक्षंसपत्ते ।
ओवायकारी य हिरीमणे य,
एगंतदिट्ठी य अमाइरूवे ॥

जो मुनि आचार्य और उपाध्याय की शुश्रूषा और आज्ञा-पालन करते हैं उनकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे जल से सींचे हुए वृक्ष ।

अविनीत और सुविनीत के आचरण का प्रभाव—

१३६. जो गृही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपभोग के निमित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते हैं—

वे पुरुष ललितेन्द्रिय होते हुए भी शिक्षा-काल में (शिक्षक के द्वारा) घोर बन्ध, वध और दाहण परिताप को प्राप्त होते हैं ।

फिर भी वे उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं और सन्तुष्ट होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं ।

जो आगम-ज्ञान को पाने में तत्पर और अनन्तहित (मोक्ष) का इच्छुक है उसका फिर कहना ही क्या ? इसलिए आचार्य जो कहे भिक्षु उसका उत्लंघन न करे ।

“भिक्षु (आचार्य से) नीची शैथ्या करे, नीची गति करे, नीचे खड़ा रहे, नीचा आसन करे, और नीचा होकर अन्जलि करे—हाथ जोड़े ।

अपनी काया से तथा उपकरणों से एवं किसी दूसरे प्रकार से आचार्य का स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—“आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा ।”

(बुद्धिमान् शिष्य गुरु के एक वार बुलाने पर या वार-वार बुलाने पर कभी भी बैठा न रहै, किन्तु आसन को छोड़कर शुश्रूषा के साथ उनके वचन को स्वीकार करे ।)

“अविनीत के विपत्ति और विनीत के सम्पत्ति होती है”—ये दोनों जिसे ज्ञात हैं, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ।

आज्ञा को न मानने वाले और अट-शंट बोलने वाले कुशील शिष्य कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं ।

चित्त के अनुसार चलने वाले और पटुता से कार्य को सम्पन्न करने वाले शिष्य, दुराशय (शीघ्र ही कुपित होने वाले) गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं ।

जो साधक कलहकारी है, अन्याययुक्त (न्याय-विरुद्ध) बोलता है, वह (रागद्वेषयुक्त होने के कारण) सम-मध्यस्थ नहीं हो सकता, वह कलहरहित भी नहीं होता । परन्तु सुसाधु उपपात-कारी (गुरु सान्निध्य में रहकर—उनके निर्देशानुसार चलने वाला) या उपायकारी (सूत्रोपदेशानुसार उपाय—प्रवृत्ति करने वाला) होता है, वह अनाचार सेवन करते गुरु आदि से लज्जित होता है, जीवादि तत्त्वों में उसकी (दृष्टि-श्रद्धा) स्पष्ट या निश्चित होती है, तथा वह माया-रहित व्यवहार करता है ।

३ पेसले सुद्धमे पुरिसजाते,
जच्चणिए चैव सुउज्जुयारे ।
बहुं पि अणुसासिते जे तहच्चा,
समे हु से होति अक्षक्षपत्ते ॥

—सूय. श्रु. १, अ. १३, गा. ६-७

अविनीय-सुविणीयाणं चित्तणं—

१३७. “खड्डुया मे चवेदा मे, अक्कोसा य वहा य मे” ।
कल्लाणमणुसासन्तो , पावदिट्ठि ति मग्गई ॥

पुत्तो मे भाय नाइ ति, साह कल्लाण मग्गई ।
पावदिट्ठो उ अप्पाणं, सासं “दासं व” मग्गई ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३८-३९

पंच असिक्खा ठाणाणि—

१३८. अह पंचहिं ठाणोहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।
यम्मा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥

—उत्त. अ. ११, गा. ३

सिक्खाए अणुवउत्ता—

१३९. तओ नो कप्पंति सिक्खावेत्तए, तं जहा—

१. पण्डए,
२. वाइए,
३. कीवे ।

—क. उ. ४, सु. ६

तेत्तीसं आसायणाओ—

१४०. इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं तेत्तीसं आसायणाओ पणत्ताओ ।

प०—कयराओ खलु ताओ थेरेहिं भगवन्तेहिं तेत्तीसं आसाय-
णाओ पणत्ताओ ?

उ०—इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवन्तेहिं तेत्तीसं आसाय-
णाओ पणत्ताओ, तं जहा—

१. सेहे रायणियस्स पुरओ गंता, भवइ आसायणा
सेहस्स ।
२. सेहे रायणियस्स सपक्खं गंता, भवइ आसायणा
सेहस्स ।
३. सेहे रायणियस्स आसन्नं गंता, भवइ आसायणा
सेहस्स ।

भूल होने पर आचार्य आदि के द्वारा अनेक वार अनुशासित होकर भी जो अपनी लेश्या शुद्ध रखता है, वह सुसाधक मृदुभापी या विनयादिगुणयुक्त है। वही सूक्ष्मार्यदर्शी है, वही वास्तव में संयम में पुरुषार्थी है, तथा वही उत्तम जाति से समन्वित और साधवाचार में ही सहज-सरल-भाव से प्रवृत्त रहता है। वही सम है, और अकपाय-प्राप्त है (अथवा वही सुसाधक वीतराग पुरुषों के समान अक्षंक्षा प्राप्त है) ।

विनीत-अविनीत का स्वगत चिन्तन—

१३७. पाप-दृष्टि वाला शिष्य गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को भी ठोकर मारने, चांटा चिपकाने, गाली देने व प्रहार करने के समान मानता है ।

गुरु मुझे पुत्र, भाई और स्वजन की तरह अपना समझकर शिक्षा देते हैं—ऐसा सोच विनीत शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है। परन्तु कुशिष्य हितानुशासन से शासित होने पर अपने को दास तुल्य मानता है ।

शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण—

१३८. निम्न पाच स्थानों (हेतुओं) से शिक्षा प्राप्त नहीं होती—
(१) मान, (२) क्रोध, (३) प्रमाद,
(४) रोग, (५) आलस्य

शिक्षा के अयोग्य—

१३९. इन तीनों को शिक्षित करना नहीं कल्पता है, यथा—

- (१) पण्डक—महिला सदृश स्वभाव वाला नपुंसक,
- (२) वातिक—कामवासना का दमन न कर सकने वाला,
- (३) क्लीव—असमर्थ ।

तेत्तीस आशातनाएँ—

१४०. इस आर्हत प्रवचन में स्थविर भगवन्तों ने तेत्तीस आशात-
नाएँ कही हैं—

प्र०—उन स्थविर भगवन्तों ने वे कौन सी तेत्तीस आशात-
नाएँ कही हैं ?

उ०—उन स्थविर भगवन्तों ने ये तेत्तीस आशातनाएँ कही
हैं। जैसे—

- (१) शौक्ष (अल्प दीक्षापर्यायवाला) रात्रिक साधु के आगे चले तो उसे आशातना दीप लगता है ।
- (२) शौक्ष, रात्रिक साधु के समक्ष (समश्रेणी-वरावरी में) चले तो उसे आशातना दीप लगता है ।
- (३) शौक्ष, रात्रिक साधु के आसन्न (अति समीप) होकर चले तो उसे आशातना दीप लगता है ।

४. सेहे रायणियस्स पुरओ चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
५. सेहे रायणियस्स सपक्खं चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
६. सेहे रायणियस्स आसन्नं चिट्ठित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
७. सेहे रायणियस्स पुरओ निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
८. सेहे रायणियस्स सपक्खं निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
९. सेहे रायणियस्स आसन्नं निसीइत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१०. सेहे रायणिएणं सद्धिं बहिया विचारभूमिं निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुव्वतरागं आयमइ, पच्छा रायणिए भवइ आसायणा सेहस्स ।
११. सेहे रायणिएणं सद्धिं बहिया विचारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुव्वतरागं आलोएइ पच्छा रायणिए, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१२. केइ रायणियस्सं पुव्व-संलवित्तए सिया, तं सेहे पुव्वतरागं आलवइ, पच्छा रायणिए, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१३. सेहे रायणियस्स राओ वा वियाले वा बाहर-माणस्स—“अज्जो ! के सुत्ता ? के जागरा ?” तत्थ सेहे जागरमाणे रायणियस्स अपडिसुणेत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१४. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, पडिग्गहित्ता तं पुव्वमेव सेहतरागस्स आलोएइ, पच्छा रायणियस्स, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१५. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गहित्ता तं पुव्वमेव सेहतरागस्स उवदंसेइ, पच्छा रायणियस्स, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१६. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गहित्ता तं पुव्वमेव सेहतरागं उवणिमंतेइ, पच्छा रायणिए, भवइ आसायणा सेहस्स ।
- (४) शैक्ष, रात्निक साधु के आगे खड़ा हो तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (३) शैक्ष, रात्निक साधु के समक्ष खड़ा हो तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (६) शैक्ष, रात्निक साधु के आसन्न खड़ा हो तो आशातना दोष लगता है ।
- (७) शैक्ष, रात्निक साधु के आगे बैठे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (८) शैक्ष, रात्निक साधु के समक्ष बैठे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (९) शैक्ष, रात्निक साधु के आसन्न बैठे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (१०) शैक्ष, रात्निक साधु के साथ बाहर (मलोत्सर्ग-स्थान) पर गया हुआ हो (कारणवशात् दोनों एक ही पात्र में जल ले गये हों) ऐसी दशा में यदि शैक्ष रात्निक से पहले आचमन (शौच-शुद्धि) करे तो आशातना दोष लगता है ।
- (११) शैक्ष, रात्निक के साथ बाहर विचारभूमि या विहार-भूमि (स्वाध्याय स्थान) पर जावे तो वहाँ शैक्ष रात्निक से पहले आलोचना करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (१२) कोई व्यक्ति रात्निक के पास वार्तालाप के लिए आये, यदि शैक्ष उससे पहले ही वार्तालाप करने लगे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (१३) रात्रि में या विकाल (सन्ध्या-समय) में रात्निक साधु शैक्ष को सम्बोधन करके कहे—(पूछे—) हे आर्य ! कौन-कौन सो रहे हैं और कौन-कौन जाग रहे हैं ? उस समय जागता हुआ भी शैक्ष यदि रात्निक के वचनों को अनसुना करके उत्तर न दे तो आशातना दोष लगता है ।
- (१४) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (गृहस्थ के घर से) लाकर उसकी आलोचना पहले किसी अन्य शैक्ष के पास करे और पीछे रात्निक के समीप करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (१५) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (गृहस्थ के घर से) लाकर पहले किसी अन्य शैक्ष को दिखावे और पीछे रात्निक को दिखलावे तो उसे आशातना दोष लगता है ।
- (१६) शैक्ष, यदि अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार को उपाश्रय में लाकर पहले अन्य शैक्ष को (भोजनार्थ) आमंत्रित करे और पीछे रात्निक को आमन्त्रित करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

१७. सेहे रायणिएणं सद्धि असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता तं रायणियं अणा-पुच्छिता जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खद्धं खद्धं तं दलयति, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१८. सेहे असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिगाहिता रायणिएणं सद्धि आहारेमाणे तत्थ सेहे—खद्धं-खद्धं डागं-डागं उसद्धं-उसद्धं रसियं-रसियं मणुन्नं-मणुन्नं मणामं-मणामं निद्धं-निद्धं लुषखं-लुषखं आहारित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
१९. सेहे रायणियस्स बाहरमाणस्स अपडिमुणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२०. सेहे रायणियस्स बाहरमाणस्स तत्थगए चेव पडि-मुणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२१. सेहे रायणियं "किं" ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२२. सेहे रायणियं "तुमं" ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२३. सेहे रायणियं खद्धं खद्धं वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२४. सेहे रायणियं तज्जाएणं तज्जाएणं पडिहणित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२५. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स "इति एवं" वत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ।
२६. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स "नो सुमरस्सी" ति वत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२७. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स णो सुमणसे, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२८. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेत्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
२९. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स कहं आच्छित्ता, भवइ आसायणा सेहस्स ।
३०. सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स तीसे परिसाए, अणुट्ठियाए अभिन्नाए अवुच्छिन्नाए, अब्बोग्गाए दोच्चंप्पि तत्तेव कहं कहिस्सा, भवइ आसायणा सेहस्स ।

(१७) शैक्ष, यदि रात्रिक साधु के साथ अन्न, पान, खादिम और स्वादिम आहार को (उपाश्रय में) लाकर रात्रिक से बिना पूछे जिम-जिस साधु को देना चाहता है जल्दी-जल्दी अधिक-अधिक मात्रा में देवे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(१८) शैक्ष, अन्न, पान, खादिम और स्वादिम आहार को लाकर रात्रिक साधु के साथ आहार करता हुआ यदि वहाँ वह शैक्ष प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के शाक, श्रेष्ठ, ताजे, रसदार, मनोज्ञ, मनोभिलपित (खीर, खड़ी, हलुआ आदि) स्निग्ध और रुक्ष नमकीन पापड़ आदि आहार करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(१९) रात्रिक के बुलाने पर यदि शैक्ष रात्रिक की बात को नहीं सुनता है (अनमूनी कर चुप रह जाता है) तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२०) रात्रिक के बुलाने पर यदि शैक्ष अपने स्थान पर बैठा हुआ उनकी बात को मुने और सन्मुख उपस्थित न हो तो आशातना दोष लगता है ।

(२१) रात्रिक के बुलाने पर यदि शैक्ष 'क्या कहते हो' ऐसा कहता है तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२२) शैक्ष, रात्रिक को "तू" या "तुम" कहे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२३) शैक्ष, रात्रिक के सम्मुख अनर्गल प्रलाप करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२४) शैक्ष, रात्रिक को उसी के द्वारा कहे गये वचनों से प्रतिभाषण करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२५) शैक्ष, रात्रिक से क्या कहते समय कहे कि "यह ऐसा कहिये" तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२६) शैक्ष, रात्रिक के क्या कहते हुए "आप भूलते हैं, आपको स्मरण नहीं है" कहता है तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२७) शैक्ष, रात्रिक के क्या कहते हुए यदि सु-मनस न रहे (दुर्भाव प्रकट करे) तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२८) शैक्ष, रात्रिक के क्या कहते हुए यदि (किसी वहाँ से) परिपद् (सभा) को विसर्जन करने का आग्रह करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(२९) शैक्ष, रात्रिक के क्या कहते हुए यदि क्या-में बाधा उपस्थित करे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(३०) शैक्ष, रात्रिक के क्या कहते हुए, उस परिपद् के अनुत्थित (नहीं उठने तक) अभिन्न, अच्छिन्न (छिन्न-भिन्न नहीं होने तक) और अव्याकृत (नहीं विखरने तक) विद्यमान रहते हुए यदि उसी क्या को दूसरी बार और तीसरी बार भी कहता है तो उसे आशातना दोष लगता है ।

३१. सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारगं पाएणं संघट्टित्ता हत्थेण अण्णुणवित्ता गच्छइ, भवइ आसायणा सेहस्स ।

३२. सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारए चिट्ठित्ता वा, निसीइत्ता वा, तुयट्ठित्ता वा, भवइ आसायणा सेहस्स ।

३३. सेहे रायणियस्स उच्चासणंसि वा समासणंसि वा चिट्ठित्ता वा, निसीइत्ता वा, तुयट्ठित्ता वा, भवइ आसायणा सेहस्स ।

एयाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं तेत्तीसं आसायणाओ पणत्ताओ ।^१—त्ति बेमि ।

—दसा. द. ३, सु. १-३

अहवा तेत्तीसं आसायणाओ—

१४१. १. अरिहंतानं आसायणाए,

२. सिद्धाणं आसायणाए,

३. आयरियाणं आसायणाए,

४. उवज्जायाणं आसायणाए,

५. साहूणं आसायणाए,

६. साहूणीणं आसायणाए,

७. सावयाणं आसायणाए,

८. सावियाणं आसायणाए,

(३१) शैक्ष, यदि रात्रिक साधु के शैथ्या-संस्तारक का (असावधानी से) पैर से स्पर्श हो जाने पर हाथ जोड़कर बिना क्षमा-याचना किये चला जाये तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(३२) शैक्ष, रात्रिक के शैथ्या-संस्तारक पर खड़ा होवे, बैठे या लेटे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

(३३) शैक्ष, रात्रिक से ऊँचे या समान आसन पर, खड़ा हो या बैठे या लेटे तो उसे आशातना दोष लगता है ।

स्थविर भगवन्तों ने निश्चय से ये पूर्वोक्त तेतीस आशातनाएँ कही हैं । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

तेतीस आशातना (दूसरा प्रकार)—

१४१. (१) अरिहन्तों की आशातना—वर्तमान में यहाँ अरिहन्त कहाँ हैं, नहीं हैं तो फिर आशातना कैसी ? (इस प्रकार का विकल्प करना)

(२) सिद्धों की आशातना—सिद्धों के शरीर नहीं है फिर सुख का उपभोग किस प्रकार होगा ? वे निष्क्रिय हैं फिर उनका ज्ञान सक्रिय कैसे ? इत्यादि विकल्प करना ।

(३) आचार्यों की आशातना—यह लघुवय है, यह कुलीन नहीं है, वह स्वयं वैय्यावृत्ति करने के लिए सबको प्रेरणा देता है, इत्यादि विकल्प करना ।

(४) उपाध्यायों की आशातना—आचार्य के समान ।

(५) साधुओं की आशातना—ये मलिन वस्त्र रखते हैं, ये कठोर तप करके आत्मघात करते हैं, इनके जाति-कुल का कोई पता नहीं है, केशलुंचन जैसे अज्ञान कष्ट सहनकर अपना वड़प्पन बताते हैं, इत्यादि विकल्प करना ।

(६) साध्वियों की आशातना—ये सदा अपवित्र रहती हैं, कलहशीला होती हैं, अत्यधिक परिग्रह रखती हैं, इत्यादि विकल्प रखना ।

(७) श्रावकों की आशातना—ये प्रतिदिन मिथ्याभाषण करके.....मिच्छा मि दुक्कडं.....लेते रहते हैं ये तो मायाचारी हैं, ये जन धन में ममत्व रखकर मुक्ति की कामना करते हैं, ये सन्तान और सम्पत्ति की कामना से दान पुण्य करते हैं, इत्यादि विकल्प रखना ।

(८) श्राविकाओं की आशातना—ये बाल-बच्चों में मोह रखती हैं, रात-दिन आरम्भ परिग्रह में लगी रहती हैं, इनमें ईर्ष्या, जलन बहुत रहती है, इत्यादि बातें कहकर अवहेलना करना ।

६. देवाणं आसायणाए,
१०. देवीणं आसायणाए,
११. इहलोगस्स आसायणाए, परलोगस्स आसायणाए,
१२. केवलीणं आसायणाए,
१३. केवलीपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए,
१४. सदेव-मणुआ-सुरस्स लोगस्स आसायणाए,
१५. सन्वपाण-सूय-जीव सत्ताणं आसायणाए,
१६. कालस्स आसायणाए,
१७. सुयस्स आसायणाए,
१८. सुयदेवपाए आसायणाए,
१९. वायणापरियस्स आसायणाए,
- चउहस णाण आसायणाओ—
२०. जं वाइदं,
२१. वच्चामेलियं,
२२. हीणक्खरं,
२३. अक्खक्खरं,
२४. पयहीणं,
२५. विणयहीणं,
२६. जोगहीणं,
- (६) देवताओं की आशातना—देवताओं की निन्दा करना या देवताओं का अस्तित्व ही न मानना, पुनर्जन्म न मानना ।
- (१०) देवियों की आशातना—देवों के समान ।
- (११) इहलोक और परलोक की आशातना—इहलोक और परलोक की प्ररूपणा को असत्य मानना, पुनर्जन्म न मानना, नरक आदि चार गतिर्याँ न मानना ।
- (१२) केवली की आशातना—केवली का अवर्णवाद (निन्दा) करना ।
- (१३) केवली-प्रज्ञप्त धर्म की आशातना—धर्म के माहात्म्य का अपलाप करना, सर्वज्ञकथित सिद्धान्तों का उपहास करना ।
- (१४) लोक की आशातना—देवादि सहित लोक के सम्बन्ध में मिथ्या प्ररूपणा करना, लोक सम्बन्धी पौराणिक धारणाओं पर विश्वास करना, लोक की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय सम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं का प्रचार करना ।
- (१५) प्राण, भूत जीव और सत्त्वों की आशातना—आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न करना, या क्षणिक मानना, पृथ्वी आदि को निर्जीव मानना ।
- (१६) काल की आशातना—“काले कालं समायरे” ... के सिद्धान्त को स्वीकार न करना, या इस सिद्धान्त का उपहास करना ।
- (१७) श्रुत की आशातना—श्रुत की प्राकृत भाषा सामान्य जनों की भाषा है, श्रुत में परस्पर विरोध है, इत्यादि विकल्प रखना ।
- (१८) श्रुत देवता की आशातना—श्रुत की अधिष्ठात्री देवी को अकिंचित्कर मानना ।
- (१९) वाचनाचार्य की आशातना—उपाध्याय की आज्ञा से शिष्यों को श्रुत का उद्देश आदि कराने वाले को वाचनाचार्य कहते हैं। उसकी अवज्ञा करना ।
- [चौदह ज्ञान की आशातना]
- (२०) व्याविद्ध—आगम पढ़ते हुए पदों को आगे-पीछे करके बोलना ।
- (२१) व्यत्याम्नेडित—शून्यचित्त से शास्त्र के पाठों को दोहराना, अथवा अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिला देना ।
- (२२) हीनाक्षर—अक्षर छोड़कर स्वाध्याय करना ।
- (२३) अधिकाक्षर—आगमपाठ में अधिक अक्षर बोलना ।
- (२४) पदहीन—आगमपाठ में से पद छोड़कर पाठ करना ।
- (२५) विनयहीन—शास्त्र पढ़ाने वाले का विनय न करना ।
- (२६) योगहीन—मन, वचन और काययोग को चंचल रखना ।

२७. घोसहीणं,
 २८. सुदृढचिन्तं,
 २९. दृढदृष्टिच्छिद्यं,
 ३०. अकाले कओ सज्ज्ञाओ,
 ३१. काले न कओ सज्ज्ञाओ,
 ३२. असज्ज्ञाइए सज्ज्ञाइयं,
 ३३. सज्ज्ञाइए न सज्ज्ञाइयं ।

—आव. अ. ४, सु. २६

आसायणा-फल-निरूपणं—

१४२. जे यावि मंदि त्ति गुरुं विइत्ता,
 डहरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा ।
 हीलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा,
 करंति आसायणं ते गुरुणं ॥
 पगईए मंदा वि भवंति एगे,
 डहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया ।
 आयारमंता गुणसुद्धिअप्पा,
 जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा ॥
 जे यावि नागं डहरे त्ति नच्चा,
 आसायए से अहियाय होइ ।
 एवारियं पि हु हीलयन्तो,
 नियच्छई जाइपहं खु मंदे ॥
 आसीविसो यावि परं सुद्धो,
 किं जीवनासाओ परं न कुज्जा ।
 आयरियपाया पुण अप्पसन्ना,
 अबोहिआसायणं नत्थि मोक्खो ॥
 जो पावगं जलियमवक्कमेज्जा,
 आसीविसं वा वि हु कोवएज्जा ।
 जो वा विसं खायइ जीवियट्ठी,
 एतोवमासायणया गुरुणं ॥
 सिया हु से पावय नो डहेज्जा,
 आसीविसो वा कुंविओ न भक्खे ।
 सिया विसं हालहलं न मारे,
 न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

(२७) घोषहीन—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का यथार्थ उच्चारण न करना ।

(२८) सुष्ठुदत्त—शिष्य को उसकी योग्यता से अधिक पढ़ाना ।

(२९) दृष्टुप्रतिच्छित्त—श्रुत को दुर्भाव से ग्रहण करना ।

(३०) अकाल में स्वाध्याय करना—कालिक श्रुत को अकाल में पढ़ना, और उत्कालिक श्रुत को अस्वाध्यायकाल में पढ़ना ।

(३१) काल में स्वाध्याय न करना—कालिक और उत्कालिक आगमों को निश्चित स्वाध्यायकाल में न पढ़ना ।

(३२) अस्वाध्याय में स्वाध्याय करना—बत्तीस अस्वाध्यायों में स्वाध्याय करना ।

(३३) स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करना—जिस समय बत्तीस अस्वाध्याय में से एक भी अस्वाध्याय न हो, फिर भी स्वाध्याय न करना ।

आशातना के फल का निरूपण—

१४२. जो मुनि गुरु को—“ये मन्द (अल्पप्रज्ञ) हैं”, ये “ये अल्पव्यस्क और अल्प-श्रुत हैं”, ऐसा जानकर उनके उपदेश को मिथ्या मानते हुए उनकी अवहेलना करते हैं । वे गुरु की आशातना करते हैं ।

कई आचार्य वयोवृद्ध होते हुए भी स्वभाव से मन्द (अल्प-प्रज्ञ) होते हैं और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न होते हैं । आचारवान् और गुणों में सुस्थितात्मा आचार्य, भले फिर वे मन्द हों या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-राशि को उसी प्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि ईधन-राशि को ।

जो कोई—यह सर्प छोटा है—ऐसा जानकर उसकी आशातना (कदर्यना) करता है, वह (सर्प) उसके अहित के लिए होता है । इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य को भी अवहेलना करने वाला मन्द संसार में परिभ्रमण करता है ।

आशीविष सर्प अत्यन्त क्रुद्ध होने पर भी “जीवन-नाश” से अधिक क्या कर सकता है ? परन्तु आचार्यपाद अप्रसन्न होने पर अबोध के कारण वनते हैं । अतः आशातना से मोक्ष नहीं मिलता ।

कोई जलती अग्नि को लांघता है, आशीविष सर्प को कुपित करता है और जीवित रहने की इच्छा से विष खाता है, गुरु की आशातना इनके समान है । ये जिस प्रकार हित के लिए नहीं होते, उसी प्रकार गुरु की आशातना हित के लिए नहीं होती ।

सम्भव है कदाचित् अग्नि न जलाए, सम्भव है आशीविष सर्प कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है कि हलाहल विष भी न मारे, परन्तु गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं है ।

जो पव्वयं सिरसा भेत्तुमिच्छे,
सुत्तं व सीहं पडिबोहएज्जा ।
जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं,
एसोवमासायणया गुरुणं ॥

सिया ह्नु सीसेण गिरिं पि भिदे,
सिया ह्नु सीहो कुविओ न भक्खे ।
सिया न भिदेज्ज व सत्तिअग्गं,
न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

आयरियपाया पुण अप्पसन्ना,
अवोहिआसायण नत्थि मोक्खो ।
तम्हा अणावाहसुहाभिकंली,
गुरुप्पसायाभिमुहो रमेज्जा ॥

—दस. अ. ६, उ. १, गा. २-१०

आसायणाए पायच्छित्तं—

१४३. जे भिक्खू आयरिय-उवज्जयायाणं सेज्जा-संयारयं पाएणं
संघट्टेत्ता हत्येणं अण्णणवेत्ता धारयमाणे गच्छइ गच्छंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १६, सु. ३६(५१)

१४४. जे भिक्खू भिक्खुं अण्णयरीए अच्चासायणाए अच्चासाइए
अच्चासायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. ४

अविणयकरणस्स पायच्छित्तं—

१४५. जे भिक्खू भदंतं आगाढं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भदंतं फरुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भदंतं आगाढं फरुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भदंतं अण्णयरीए अच्चासायणयाए अच्चासाएइ
अच्चासायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १०, सु. १-४(५१)

कोई शिर से पर्वत का भेदन करने की इच्छा करता है, सोए
हुए सिंह को जगाता है और भाले की नोंक पर प्रहार करता है,
गुरु की आशातना इनके समान है ।

सम्भव है शिर से पर्वत को भी भेद डाले, सम्भव है सिंह
कुपित होने पर भी न खाए और यह भी सम्भव है कि भाले की
नोंक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव
नहीं है ।

आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर बोधि-लाभ नहीं होता ।
आशातना से मोक्ष नहीं मिलता । इसलिए मोक्ष-सुख चाहने वाला
मुनि गुरु-कृपा के अभिमुख रहे ।

आशातना के प्रायश्चित्त—

१४३. जो भिक्षु आचार्य उपाध्यायों की शैया शंस्तारक को पैर से
छूकर हाथ से विनय किये बिना जाता है, जाने के लिए कहता है,
जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह भिक्षु लघु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त का पात्र
होता है ।

१४४. जो भिक्षु भिक्षु की किसी एक प्रकार की आशातना करता
है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह भिक्षु चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान [प्रायश्चित्त]
का पात्र होता है ।

अविनय करने का प्रायश्चित्त—

१४५. जो भिक्षु आचार्य को अपशब्द कहता है, कहलवाता है,
कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु आचार्य को कठोर वचन कहता है, कहलवाता है,
कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु आचार्य को अपशब्द और कठोर वचन कहता है,
कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु आचार्य की किसी एक प्रकार की आशातना करता
है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र
होता है ।



तइओ बहुमाण णाणायारो

तृतीय बहुमान ज्ञानाचार

आयरिय महिमा—

१४६. जहा निसंते तवणच्चिमालो,
पमासई केवलभारहं तु ।
एवायरिओ सुयसीलबुद्धिए,
विरायई सुरमज्जे व इंदो ॥

जहा ससी कोमुइजोगजुत्तो,
नक्खत्ततारागणपरिवुडप्पा ।
त्ते सोहई विमले अब्भमुवके,
एवं गणी सोहइ भिक्खुमज्जे ॥
महागरा आयरिया महेसी,
समाहिजोगे सुयसीलबुद्धिए ।
संपाविडकामे अणुत्तराई,
आराहए तोसए धम्मकामी ॥

—दस. अ. ६, उ. १, गा. १४-१६

आयरिय सुस्सुसा फलं—

१४७. सोच्चाण मेहावी सुभासियाइं,
सुस्सुसए आयरियप्पमत्तो ।
आराहइत्ताण गुणे अणेगे,
से पावई सिद्धिमणुत्तरं ॥

—दस. अ. ६, उ. १, गा. १७

रुक्खभेयेण आयरिय भेया—

१४८. (क) चत्तारि रुक्खा पण्णत्ता, तं जहा—
साले णाममेगे सालपरियाए,
साले णाममेगे एरण्डपरियाए,
एरण्डे णाममेगे सालपरियाए,
एरण्डे णाममेगे एरण्डपरियाए,
एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तं जहा —
साले णाममेगे सालपरियाए,
साले णाममेगे एरण्डपरियाए,
एरण्डे णाममेगे सालपरियाए,
एरण्डे णाममेगे एरण्डपरियाए,

(ख) चत्तारि रुक्खा पण्णत्ता, त जहा—

साले णाममेगे सालपरिवारे,
साले णाममेगे एरण्डपरिवारे,
एरण्डे णाममेगे सालपरिवारे,
एरण्डे णाममेगे एरण्डपरिवारे,

आचार्यों की महिमा—

१४६. जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य सम्पूर्ण भारत (भरत-क्षेत्र) को प्रकाशित करता है वैसे ही श्रुत, शील और बुद्धि से सम्पन्न आचार्य विश्व को प्रकाशित करते हैं और जिस प्रकार देवताओं के बीच इन्द्र शोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के बीच आचार्य सुशोभित होते हैं ।

जिस प्रकार बादलों से मुक्त विमल आकाश में नक्षत्र और तारागण से परिवृत आश्विन कार्तिक-पूर्णिमा में उदित चन्द्रमा शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के बीच गणी (आचार्य) शोभित होते हैं ।

अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की सम्प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जरा का अर्थी होकर समाधियोग, श्रुतशील और बुद्धि के महान् आकर, मोक्ष की एपणा करने वाले आचार्य की आराधना करे और उन्हें प्रसन्न करे ।

आचार्य की सेवा का फल—

१४७. मेघावी मुनि इन सुभाषितों को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की सुश्रूषा करे । इस प्रकार वह अनेक गुणों की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है ।

वृक्ष के भेद से आचार्य के भेद—

१४८ (क) वृक्ष चार प्रकार के कहे हैं, यथा —

शाल जाति का हो और शाल पर्यायी हो,
शाल जाति का हो और एरण्ड पर्यायी हो,
एरण्ड जाति का हो और शाल पर्यायी हो,
एरण्ड जाति का हो और एरण्ड पर्यायी हो ।

इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के कहे हैं यथा—

श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न हो और ज्ञान-क्रिया युक्त हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न हो और ज्ञान-क्रिया रहित हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न हो और ज्ञान-क्रिया युक्त हो,
श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न हो और ज्ञान-क्रिया रहित हो ।

(ख) वृक्ष चार प्रकार के कहे हैं, यथा—

शाल जाति का और शाल परिवारवाला,
शाल जाति का और एरण्ड परिवारवाला,
एरण्ड जाति का और शाल परिवारवाला,
एरण्ड जाति का और एरण्ड परिवार वाला ।

एवामेव चत्वारि आयरिया पणत्ता, तं जहा—

साले णाममेगे सालपरिवारे,

साले णाममेगे एरण्डपरिवारे,

एरण्डे णाममेगे सालपरिवारे,

एरण्डे णाममेगे एरण्डपरिवारे ।

सालदुममज्झयारे, जह साले णाम होइ दुमराया ।

इय सुन्दर आयरिए, सुन्दरसीसे मुण्येव्वे ॥

एरण्डमज्झयारे, जह साल णाम होइ दुमराया ।

इय सुन्दर आयरिए, मंगुल सीसे मुण्येव्वे ॥

सालदुममज्झयारे, एरण्डे णाम होइ दुमराया ।

इय मंगुल आयरिए, सुन्दरसीसे मुण्येव्वे ॥

एरण्डमज्झयारे, एरण्डे णाम होइ दुमराया ।

इय मंगुलआयरिए, मंगुलसीसे मुण्येव्वे ॥

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३४६

फलभेयेण आयरियभेया—

१४६. चत्वारि फला पणत्ता, तं जहा—

१. आमलग—महुरे, २. मुहिया—महुरे,

३. खीर—महुरे, ४. खंड - महुरे ।

एवामेव चत्वारि आयरिया पणत्ता, तं जहा—

१. आमलगमहुरफलसमाणे,

२. मुहियामहुरफलसमाणे,

३. खीरमहुरफलसमाणे,

४. खंडमहुरफलसमाणे । —ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

करंडग सभाणा आयरिया—

१५०. चत्वारि करंडगा पणत्ता, तं जहा—

१. सोवाग—करंडए, २. वेसिया—करंडए,

३. गाहावई—करंडए, ४. राय—करंडए,

एवामेव चत्वारि आयरिया पणत्ता, तं जहा—

१. सोवागकरंडसमाणे,

२. वेसियाकरंडसमाणे,

३. गाहावईकरंडसमाणे,

४. राजकरंडसमाणे । —ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३४८

इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के कहे हैं, यथा—

श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न और श्रेष्ठ गुण सम्पन्न शिष्य परिवारवाला,

श्रेष्ठ जाति, कुल समुत्पन्न और गुण रहित शिष्य परिवारवाला,

श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न और गुण सहित शिष्य परिवारवाला ।

श्रेष्ठ जाति, कुल में अनुत्पन्न और गुण रहित शिष्य परिवारवाला ।

जिस प्रकार शाल वृक्षों के मध्य में रहा हुआ महान् शाल वृक्ष शोभित होता है । उसी प्रकार सुन्दर शिष्यों के मध्य में सुन्दर आचार्य शोभित होते हैं ।

जिस प्रकार एरण्ड वृक्षों के मध्य में महान् शाल वृक्ष अशोभनीय लगता है । उसी प्रकार सुन्दर आचार्य असुन्दर शिष्यों से अशोभनीय लगते हैं ।

शाल वृक्षों के बीच में जैसी एरण्ड की स्थिति है वैसे ही सुन्दर शिष्यों में असुन्दर आचार्य की स्थिति है ।

एरण्डों में जैसे एरण्ड रहता है, वैसे ही असुन्दर शिष्यों में असुन्दर आचार्य रहता है ।

फल भेद से आचार्य के भेद—

१४६. चार प्रकार के फल कहे हैं, यथा—

(१) आंवला जैसे मधुर, (२) द्राक्षा जैसे मधुर,

(३) क्षीर जैसे मधुर, (४) खांड जैसे मधुर ।

इसी प्रकार आचार्य चार प्रकार के कहे हैं, यथा—

(१) आंवला जैसे मधुर फल के समान,

(२) द्राक्षा जैसे मधुर फल के समान,

(३) क्षीर जैसे मधुर फल के समान,

(४) खांड जैसे मधुर फल के समान ।

करंडिया के समान आचार्य—

१५०. चार प्रकार के करण्डक कहे हैं, यथा—

(१) श्वपाक—करंडक, (२) वेश्या—करंडक,

(३) गाथापति—करंडक, (४) राज—करंडक,

इसी प्रकार चार प्रकार के आचार्य कहे हैं, यथा—

(१) श्वपाक के करंडक जैसे,

(२) वेश्या के करंडक जैसे,

(३) गाथापति के करंडक जैसे,

(४) राजा के करंडक जैसे ।

आयरिय-उवज्जायाणं सिद्धि—

१५१. प०—आयरिय-उवज्जायाणं भन्ते ! सविसर्यं गणं अगिलाए संगिण्हमाणं, अगिलाए उवगिण्हमाणे कइहि भवग्गहणेहि सिज्झइ-जाव-सच्चदुवखाणमंतं करेइ ?

उ०—गोयमा ! अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं ।
अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ ।
तच्चं पुण भवग्गहणं णाइवकमइ ॥

—वि. श. ५, उ. ६, सु. १६

आयरिय-उवासणा—

१५२. जहाहियग्गी जलणं नभंसे,
नाणाहुईमंतपयाभिसिं ।
एवायरियं उवचिट्टएज्जा,
अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥

—दस. अ. ६, उ. १, गा. ११

गुरु-पूयणं—

१५३. जस्संतिए धम्मपयाइं सिव्वे,
तस्संतिए वेणइयं पउजे ।
सवकारए सिरसा पंजलीओ,
कायगिरा भो मणसा य निच्चं ॥
लज्जा दया संजम बंभचेरं,
कल्लाणभागिस्स विसोहिठाणं ।
जे मे गुरु सययमणुसासयंति,
ते हं गुरु सययं पूययामि ॥

—दस. अ. ६, उ. १, गा. १२-१३

तहारूवसमण माहणाणं पज्जुवासणा फलं—

१५४. प०—१. तहारूवा णं भन्ते ! समणं वा माहणं वा पज्जुवास-
माणस्स किं फला पज्जुवासणा ?

उ०—गोयमा ! सवणफला ।
प०—२. से णं भन्ते ! सवणे किं फले ?
उ०—णाणफले ।
प०—३. से णं भन्ते ! णाणे किं फले ?
उ०—विण्णाणफले ।
प०—४. से णं भन्ते ! विण्णाणे किं फले ?
उ०—पच्चक्खाणफले ।
प०—५. से णं भन्ते ! पच्चक्खाणे किं फले ?
उ०—संजमफले ।

आचार्य-उपाध्याय की सिद्धि—

१५१. प्र०—हे भगवन् ! आचार्य और उपाध्याय यदि अपने शिष्यों को विना ग्लानि के सूत्रार्थ दे और विना ग्लानि के रत्न-त्रय की साधना में सहयोग दे तो कितने भव ग्रहण करने के पश्चात् सिद्ध होते हैं—यावत्—सर्व दुःखों का अन्त करते हैं ?

उ०—हे गौतम ! कुछ एक तो उसी भव से सिद्ध होते हैं और कुछ एक दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं किन्तु तीसरे भव को तो कोई लांघता नहीं अर्थात् तीसरे भव से तो सिद्ध होते ही हैं ।

आचार्य की उपासना—

१५२. जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण विविध आहुति और मन्त्रपदों से अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्त-ज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी आचार्य की विनयपूर्वक सेवा करे ।

गुरु-पूजा—

१५३. जिसके समीप धर्मपदों की शिक्षा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे ! गिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर (पंचांग वन्दन कर) काया, वाणी और मन से सदा सत्कार करे ।

लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य कल्याणभागी साधु के लिए विशोधिस्थल हैं । जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा देते हैं उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ ।

तथारूप श्रमणों माहणों की पर्युपासना का फल—

१५४. प्र०—भन्ते ! तथारूप (जैसा वेश है, तदनुरूप गुणों वाले) श्रमण या माहण की पर्युपासना करने वाले मनुष्य को उसकी पर्युपासना का क्या फल मिलता है ?

उ०—गौतम ! पर्युपासना का फल श्रवण है ।
प्र०—(२) भन्ते ! उस श्रवण का क्या फल होता है ?
उ०—गौतम ! श्रवण का फल ज्ञान है ।
प्र०—(३) भन्ते ! उस ज्ञान का क्या फल होता है ?
उ०—गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है ।
प्र०—(४) भन्ते ! उस विज्ञान का क्या फल होता है ?
उ०—गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान है ।
प्र०—(५) भन्ते ! प्रत्याख्यान का क्या फल होता है ?
उ०—गौतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है ।

प०—६. से णं भंते ! संजमे कि फले ?

उ०—अण्हये फले ।

प०—७. से णं भंते ! अण्हये कि फले ?

उ०—तवफले ।

प०—८. से णं भंते ! तवे कि फले ?

उ०—बोदाणफले ।

प०—९. से णं भंते ! बोदाणं कि फले ?

उ०—अकिरियाफले ।

प०—१०. से णं भंते ! अकिरिया कि फला ?

उ०—सिद्धिपञ्जवसाणफला पणत्ता गोयमा !

गाथा—

सवणे णाणे य विण्णाणे, पच्चवखाणे य संजमे ।

अण्हये तवे चेव, बोदाणे अकिरिया सिद्धि ॥

—वि. स. २, उ. ५, सु. २६

—ठाणं. अ ३, उ. ३, सु. १६५

गुरु साहम्मिय सुस्सूणया फलं—

१५५. प०—गुरुसाहम्मियसुस्सूणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—गुरुसाहम्मियसुस्सूणयाए णं विणयपडिर्वत्ति जणयइ ।

“विणयपडिर्वन्ते य णं” जीवे अणच्चासायणसीले

नेरइयतिरिक्खजोणियमणस्सदेवदोग्गईओ निरुभई ।

वण्णसंजलणभत्तिवहुमाणयाए मणस्सदेवसोग्गईओ

निबन्धइ सिद्धि सोग्गइं च विसोहेइ । पसत्थाइं च णं

विणयमूलाइं सच्चकज्जाइं साहेइ । अन्ने य वहुवे जीवे

विणइत्ता भवइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ६

गुरुकुलवासस्स माहप्पं—

१५६. गंथं विहाय इह सिक्खमाणो,

उट्ठाय सुबंभचेरं वसेज्जा ।

शोवायकारी विणयं सुसिक्खे,

जे छेए विप्पमादं न कुज्जा ॥

प्र०—(६) भन्ते ! संयम का फल क्या है ?

उ०—गौतम ! संयम का फल अनाश्रवत्व (संवर—नवीन कर्मों का निरोध) है ।

प्र०—(७) भन्ते ! अनाश्रवत्व का क्या फल होता है ?

उ०—गौतम ! अनाश्रवत्व का फल तप है ।

प्र०—(८) भन्ते ! तप का क्या फल होता है ?

उ०—गौतम ! तप का फल व्यवदान (कर्मनाश) है ।

प्र०—(९) भन्ते ! व्यवदान का क्या फल होता है ?

उ०—गौतम ! व्यवदान का फल अक्रिय है ।

प्र०—(१०) भन्ते ! अक्रिय का क्या फल होता है ?

उ०—गौतम ! अक्रिय का अन्तिम फल सिद्धि है । (अर्थात्—अक्रियता—अयोगी अवस्था प्राप्त होने पर अन्त में सिद्धि-मुक्ति प्राप्त होती है ।)

गाथा—

(१) (पर्युपासना का फल) श्रवण, (२) (श्रवण का फल) ज्ञान, (३) (ज्ञान का फल) विज्ञान, (४) (विज्ञान का फल) प्रत्याख्यान, (५) (प्रत्याख्यान का फल) संयम, (६) (संयम का फल) अनाश्रवत्व, (७) (अनाश्रवत्व का फल) तप, (८) (तप का फल) व्यवदान, (९) (व्यवदान का फल) अक्रिया और (१०) (अक्रिया का फल) सिद्धि है ।

गुरु और सार्धमिक सुश्रूपा का फल—

१५५. प्र०—भन्ते ! गुरु और सार्धमिक की शुश्रूपा (पर्युपासना) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—गुरु और सार्धमिक की शुश्रूपा से वह विनय को प्राप्त होता है । विनय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु का अविनय या परिवाद करने वाला नहीं होता, इसलिए वह नैरयिक, तिर्यग्-योनिक, मनुष्य और देव सम्बन्धी दुर्गति का निरोध करता है । श्लाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा मनुष्य और देव-सम्बन्धी सुगति से सम्बन्ध जोड़ता है । सिद्धि और सुगति का मार्ग प्रणस्त करता है । विनय-मूलक सब प्रणस्त कार्यों को सिद्ध करता है और दूसरे बहुत व्यक्तियों को विनय के पथ पर ले आता है ।

गुरुकुलवास का माहात्म्य—

१५६. इस लोक में बाह्य-आभ्यन्तर ग्रन्थ-परिग्रह का त्याग करके प्रव्रजित होकर मोक्षमार्ग-प्रतिपादक शास्त्रों के ग्रहण, (अध्ययन), और आसेवन (आचरण) रूप में गुरु से सीखता हुआ साधक सम्यक् रूप से ब्रह्मचर्य (नवगुप्ति सहित ब्रह्मचर्य या संयम) में स्थित रहे अथवा गुरुकुल में वास करे । आचार्य या गुरु के सान्निध्य में अथवा उनकी आज्ञा में रहता हुआ शिष्य विनय का प्रशिक्षण ले । (संयम या गुरु-आज्ञा के पालन में) निष्णात साधक (कदापि) प्रमाद न करे ।

जहा द्वियापोतमपत्तजातं,
सावासगा पवित्रं मण्णमाणं ।
तमचाइयं तरुणमपत्तजातं,
ढंकादि अव्वत्तगमं हरेज्जा ॥

एवं तु सेहं पि अपुट्टधामं,
निस्सारियं वुत्तिमं मण्णमाणा ।
दियस्स छावं व अपत्तजातं,
हरिसु णं पावधम्मा अपणेगे ॥

ओसाणमिच्छे मणुए समाहिं,
अणोसिते णंतकरे ति णच्चा ।
ओभासमाणो दवियस्स वित्तं,
ण णिवक्से वहिया आसुपण्णे ॥

जे ठाणओ या सयणासणे या,
परंक्कमे यावि सुसाधुजुत्ते ।
समितीसु गुत्तीसु य आयपण्णे,
वियागरत्ते य पुढो वदेज्जा ॥
—सूय. सु. १, अ. १४, गा. १-५

सहाणि सोच्चा अट्ट भेरवाणि,
अणासवे तेसु परिवएज्जा ।
निहं च भिवखु न पमाय कुज्जा,
कहं कहं पी वित्तिगिच्छतिण्णे ॥

डहरेण वुद्धेणऽणुसासिते ऊ,
रातिणिण्णावि समव्वएणं ।
सम्मं तगं थिरतो णाभिगच्छे,
णिज्जंतए वा वि अपाराए से ॥

जैसे कोई पक्षी का बच्चा पूरे पंख आये बिना अपने आवास-स्थान (घोंसले) से उड़कर अन्यत्र जाना चाहता है, वह तरुण (बाल) पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है। थोड़ा-थोड़ा पंख फड़-फड़ाते देखकर ढंक आदि मांस-लोलुप पक्षी उसका हरण कर लेते हैं और मार डालते हैं।

इसी प्रकार जो साधक अभी श्रुत-चारित्र्य धर्म में पुष्ट-परिपक्व नहीं है, ऐसे शैक्ष (नवदीक्षित शिष्य) को अपने गच्छ (संघ) से निकला या निकाला हुआ तथा वश में आने योग्य जानकर अनेक पापण्डी परतीर्थिक पंख न आये हुए पक्षी के बच्चे की तरह उसका हरण कर लेते (धर्मभ्रष्ट कर देते) हैं।

गुरुकुल में निवास नहीं किया हुआ साधकपुरुष अपने कर्मों का अन्त नहीं कर पाता, यह जानकर गुरु के सान्निध्य में निवास और समाधि की इच्छा करे। मुक्तिगमनयोग्य (द्रव्यभूत-निष्कलंक चारित्र्यसम्पन्न) पुरुष के आचरण (वृत्त) को अपने सदनुष्ठान से प्रकाशित करे। अतः आशुप्रज्ञ साधक गच्छ से या गुरुकुलवास से बाहर न निकले।

गुरुकुलवास से साधक स्थान—(कायोत्सर्ग), शयन (शय्या-संस्तरक, उपाश्रय शयन आदि) तथा आसन, (आसन आदि पर उपवेशन-विवेक, गमन-आगमन, तपश्चर्या आदि) एवं संयम में पराक्रम के (अभ्यास) द्वारा सुसाधु के समान आचरण करता है। तथा समितियों और गुप्तियों के विषय में (अभ्यस्त होने से) अत्यन्त प्रज्ञावान् (अनुभवी) हो जाता है। वह समिति-गुप्ति आदि का यथार्थस्वरूप दूसरों को भी बताता है।

ईर्यासमिति आदि से युक्त साधु मधुर या भयंकर शब्दों को सुनकर उनमें मध्यस्थ—राग-द्वेष रहित होकर संयम में प्रगति करे, तथा निद्रा-प्रमाद एवं विकथा-कषायादि प्रमाद न करे। (गुरुकुल निवासी अप्रमत्त) साधु को कहीं किसी किसी विषय में विचिकित्सा—शंका हो जाय तो वह (गुरु से समाधान प्राप्त करके) उससे पार (निश्शंक) हो जाए।

गुरु सान्निध्य में निवास करते हुए साधु से किसी विषय में प्रमादवश भूल हो जाए तो अवस्था और दीक्षा में छोटे या बड़े साधु द्वारा अनुशासित (शिक्षित या निवारित) किये जाने पर अथवा भूल सुधारने के लिए प्रेरित किये जाने पर जो साधक उसे सम्यक्तया स्थिरतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह संसार-समुद्र को पार नहीं कर पाता।

विउद्धितेणं समयाणुसिद्धे,
 डहरेण बुद्धेण व चोइते तु ।
 अच्चुद्धिताए घट्टासिए वा,
 अगारिणं वा समयाणुसिद्धे ॥

ण तेसु कुञ्जे य पव्वहेज्जा,
 ण यावि किञ्चि फरसं वदेज्जा ।
 तहा करिस्सं ति पडिस्सुणेज्जा,
 सेयं खु मेयं ण पमाद कुञ्जा ॥

वर्णसि मूढस्स जहा अमूढा,
 मग्गाणुसासंति हितं पयाणं ।
 तेणाधि मज्झं इणमेव सेयं,
 जं मे बुहाऽसम्मणुसासयंति ॥

अह तेण मूढेण अमूढगस्स,
 कायव्व पूया सविसेसजुत्ता ।
 एत्तोवमं तत्थ उवाहु वीरे,
 अणुगम्म अत्थं उवणेति सम्मं ॥

णेया जहा अंधकारंति राओ,
 मग्गं ण जाणाइ अपस्समाणं ।
 से मूरियस्स अच्चुग्गमेणं,
 मग्गं विजाणाति पगासियंति ॥
 एवं तु सेहे चि अपुट्टधम्मे,
 धम्मं न जाणाति अवुज्झमाणे ।
 से कोविए जिणवयणेण पच्छा,
 सूरुोदए पासति चक्खुणेव ॥

—सूय. सु. १, अ. १४, गा. ६-१३

साध्वाचार के पालन में कहीं भूल होने पर परस्तीर्थिक, अथवा गृहस्थ द्वारा आर्हत आगम विहित आचार की शिक्षा दिये जाने पर या अवस्था में छोटे या बृद्ध के द्वारा प्रेरित किये जाने पर, यहाँ तक कि अत्यन्त तुच्छ कर्म करने वाली घटदासी (घड़ा भरकर लाने वाली नौकरानी) द्वारा अकार्य के लिए निवारित किये जाने पर अथवा किसी के द्वारा यह कहे जाने पर कि 'यह कार्य तो गृहस्थाचार के योग्य भी नहीं है, साधु की तो बात ही क्या है ?'

इन (पूर्वोक्त विभिन्न रूप से) शिक्षा देने वालों पर साधु क्रोध न करे, (परमार्थ का विचार करके) न ही उन्हें दण्ड आदि से पीड़ित करे, और न ही उन्हें पीड़ाकारी, कठोर शब्द कहे; अपितु "मैं भविष्य में ऐसा (पूर्वऋषियों द्वारा आचरित) ही करूँगा" इसप्रकार (मध्यस्थवृत्ति से) प्रतिज्ञा करे, (अथवा अपने अनुचित आचरण के लिए "मिच्छामि दुक्कडं" के उच्चारण-पूर्वक आत्म-निन्दा द्वारा उससे निवृत्त हो) साधु यही समझे कि इसमें (प्रसन्नतापूर्वक अपनी भूल स्वीकार करके उससे निवृत्त होने में) मेरा ही कल्याण है। ऐसा समझकर वह पुनः प्रमाद न करे।

जैसे यथार्थ और अयथार्थ मार्ग को भली-भाँति जानने वाले व्यक्ति घोर वन में मार्ग भूले हुए दिशामूढ़ व्यक्ति को कुमार्ग से हटाकर जनता के लिए हितकर मार्ग बता देते (शिक्षा देते) हैं, इसी तरह मेरे लिए भी यही कल्याणकारक उपदेश है, जो ये बृद्ध, बड़े या तत्वज्ञ पुरुष मुझे सम्यक् अच्छी शिक्षा देते हैं।

उस मूढ़ (प्रमादवग्न मार्गभ्रष्ट) पुरुष को उस अमूढ़ (मार्ग-दर्शन करने या जाग्रत करने वाले पुरुष) का उसी तरह विशेष रूप से (उसका परम उपकार मानकर) आदर-सत्कार (पूजा) करना चाहिए, जिस तरह मार्गभ्रष्ट पुरुष सही मार्ग पर चढ़ाने और बताने वाले व्यक्ति की विशेष सेवा-पूजा आदर-सत्कार करता है। इस विषय में वीर प्रभु ने यही उपमा (तुलना) बताई है। अतः पदार्थ (परमार्थ) को समझकर प्रेरक के उपकार (उपदेश) को हृदय में सम्यक् रूप से स्थापित करे।

जैसे अटवी आदि प्रदेशों से भलीभाँति परिचित मार्गदर्शक भी अंधेरी रात्रि में कुछ भी न देख पाने के कारण मार्ग को भली-भाँति नहीं जान पाता, परन्तु वही पुरुष सूर्य के उदय होने से चारों ओर प्रकाश फैलने पर मार्ग को भलीभाँति जान लेता है।

इसी तरह धर्म में अनिपुण-अपरिपक्व शिष्य भी सूत्र और अर्थ को नहीं समझता हुआ धर्म (श्रमणधर्म तत्व) को नहीं जान पाता, किन्तु वही अवोध शिष्य एक दिन जिनवचनों के अध्ययन-अनुशीलन से विद्वान् हो जाता है। फिर वह धर्म को इस प्रकार स्पष्ट जान लेता है जिस प्रकार सूर्योदय होने पर आँख के द्वारा व्यक्ति घट-पट आदि पदार्थों को स्पष्ट जान लेता है।

पण्हकरणविही—

१५७. कालेण पुच्छे समियं पयासु,
आइवखमाणो इवियस्स वित्तं ।
तं सोयकारी य पुढो पवेसे,
संखा इमं केवलियं समाहिं ॥

अस्ति सुठिच्चा तिविहेण तायो,
एतेसु या संति निरोहमाहु ।
ते एवमखंति तिलोगदंसी,
ण भुज्जमेत ति पमायसंगं ॥

णिसम्म से भिक्खु समीहमट्टं,
पडिभाणवं होति विसारते या ।
आयाणमट्टी वोदाण मोणं,
उवेच्च सुट्ठेण उवेति मोक्खं ॥
—सूय. सु. १, अ. १४, गा. १५-१७

उत्तरविही—

१५८. संखाय धम्मं च वियागरंति,
बुद्धा हु ते अंतकरा भवंति ।
ते पारगा दोण्ह वि मोघणाए,
संसोघितं पण्हमुदाहरंति ॥

प्रश्न करने की विधि—

१५७. (गुरुकुलवासी) साधु (प्रश्न करने योग्य) अवसर देखकर सम्यग्ज्ञानसम्पन्न आचार्य से प्राणियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे । तथा मोक्षगमन योग्य (द्रव्य) सर्वज्ञ वीतराग प्रभु के आगम (ज्ञान-धन) को बताने वाले आचार्य की पूजा-भक्ति करे । आचार्य का आज्ञाकारी शिष्य उनके द्वारा उपदिष्ट केवलि-प्ररूपित सम्यक्-ज्ञानादिरूप समाधि को भलीभाँति जानकर हृदय में स्थापित करे ।

इसमें (गुरुकुलवास काल में) गुरु से जो उपदेश सुना और हृदय में भलीभाँति अवधारित किया, उस समाधिभूत मोक्षमार्ग में अच्छी तरह स्थित होकर मन-वचन-काया से कृत, कारित और अनुमोदित रूप से स्व-पर-त्राता (अपनी आत्मा का और अन्य प्राणियों का रक्षक) बना रहे । इन समिति-गुप्ति-आदि रूप समाधिभागों में स्थिर हो जाने पर सर्वज्ञों ने शान्तिलाभ और कर्मनिरोध बताया है । त्रिलोकदर्शी महापुरुष कहते हैं कि साधु को फिर कभी प्रमाद का संग नहीं करना चाहिए ।

गुरुकुलवासी वह साधु उत्तम साधु के आचार को सुनकर अथवा स्वयं अभीष्ट अर्थ—मोक्ष रूप अर्थ को जानकर गुरुकुलवास से प्रतिभावान् एवं सिद्धान्त विशारद (स्वसिद्धान्त का सम्यग्ज्ञाता होने से श्रोताओं को यथार्थ-वस्तुतत्त्व के प्रतिपादन में निपुण) हो जाता है । फिर सम्यग्ज्ञान आदि से अथवा मोक्ष से प्रयोजन रखने वाला (आदानार्थी) वह साधु तप (व्यवदान) और मौन (संयम) ग्रहण रूप एवं आसेवन रूप शिक्षा द्वारा (उपलब्ध करके शुद्ध) निरुपाधिक उद्गमादि दोष रहित आहार से निर्वाह करता हुआ समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष को प्राप्त करता है ।

उत्तरविधि—

१५८. (गुरुकुलवासी होने से धर्म में सुस्थित, बहुश्रुत, प्रतिभावान् एवं सिद्धान्त विशारद) साधु सद्बुद्धि से (स्व-पर-शक्ति को, पर्षदा को या प्रतिपाद्य विषय को सम्यक्तया जानकर) दूसरे को श्रुत-चारित्र-धर्म का उपदेश देते हैं (धर्म की व्याख्या करते हैं) । वे बुद्ध-त्रिकालवेत्ता होकर जन्म-जन्मान्तर संचित कर्मों का अन्त करने वाले होते हैं । वे स्वयं दूसरों को कर्मपाश से अथवा ममत्वरूपी वेड़ी से मुक्त करके संसार-पारगामी हो जाते हैं । वे सम्यक्तया सोच-विचार कर (प्रश्नकर्ता कौन है ? यह किस पदार्थ को समझ सकता है, मैं किस विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ हूँ ? इन बातों की भलीभाँति परीक्षा करके) प्रश्न का संशोधित (पूर्वापर अविरुद्ध) उत्तर देते हैं ।

नो छादते नो वि य सूसएज्जा,
माणं ण सेवेज्ज पगासणं च ।
ण यावि पण्णे परिहास कुज्जा,
ण या सिसावाद वियागरेज्जा ॥

भूताभिसंकाए दुगुच्छमाणो,
ण णिव्वेहे मंतपदेण गोत्तं ।
ण किञ्चि मिच्छे मणुओ पयासु,
असाह्वधम्माणि ण संबदेज्जा ॥

हासं पि णो संघये पावधम्मं,
ओए तहियं फरसं वियाणे ।
नो तुच्छए नो व विकंयतिज्जा,
अणाइले या अकसाइ भिव्वू ॥

संकेज्ज, याऽसंकिंतभाव भिव्वू,
विमज्जवादां च वियागरेज्जा ।

साधु प्रश्नों का उत्तर देते समय शास्त्र के यथार्थ को न छिपाए (अथवा वह अपने गुरु या आचार्य का नाम या अपना गुणोत्कर्ष बताने के अभिप्राय से दूसरों के गुण न छिपाए), अप-सिद्धान्त का आश्रय लेकर शास्त्रपाठ की तोड़-मरोड़ कर व्याख्या न करे, (अथवा दूसरों के गुणों को दूषित न करे), तथा वह में ही सर्वशास्त्रों का ज्ञाता और महान् व्याख्याता हूँ, इस प्रकार मान-गर्व न करे, न ही स्वयं को बहुश्रुत एवं महातपस्वी रूप से प्रकाशित करे अथवा अपने तप, ज्ञान गुण आदि को प्रसिद्ध न करे। प्राज्ञ (श्रुतधर) साधक श्रोता (मन्दबुद्धि वाला व्यक्ति) का परिहास भी न करे, और न ही (तुम पुत्रवान्, धनवान् या दीर्घायु हो इस प्रकार का) आशीर्वादसूचक वाक्य कहे।

प्राणियों के विनाश की आशंका से तथा पाप से घृणा करता हुआ साधु किसी को आशीर्वाद न दे, तथा मन्त्र आदि के पदों का प्रयोग करके गोत्र (वचनगुप्ति या वाक्संयम अथवा मौन) को निःसार न करे, (अथवा साधु राजा आदि के साथ गुप्त मन्त्रणा करके या राजादि को कोई मन्त्र देकर गोत्र—प्राणियों के जीवन का नाश न कराए) साधु पुरुष धर्मकथा या शास्त्र व्याख्यान करता हुआ जनता (प्रजा) से द्रव्य या किसी पदार्थ के लाभ, सत्कार या भेंट, पूजा आदि की अगिलापा न करे, असाधुओं के धर्म (वस्तुदान, तर्पण आदि) का उपदेश न करे (अथवा असाधुओं के धर्म का उपदेश करने वाले को सम्यक् न कहे, अथवा धर्मकथा करता हुआ साधु असाधु-धर्मों—अपनी प्रशंसा, कीर्ति, प्रसिद्धि आदि की इच्छा न करे)।

जिससे हँसी उत्पन्न हो, ऐसा कोई शब्द या मन-वचन-काया का व्यापार न करे, अथवा साधु किसी के दोषों को प्रकट करने वाली, पापबन्ध के स्वभाववाली बातें हँसी में न कहे। वीतरागता में ओतप्रोत (रागद्वेष रहित) साधु दूसरों के चित्त को दुःखित करने वाले कठोर सत्य को भी पापकर्मबन्धकारक जानकर न कहे। साधु किसी विशिष्ट लब्धि, सिद्धि या उपलब्धि अथवा पूजा-प्रतिष्ठा को पाकर मद न करे, न ही अपनी प्रशंसा करे अथवा दूसरे को भलीभांति जाने-परखे बिना उसकी अति प्रशंसा न करे। साधु व्याख्यान या धर्मकथा के अवसर पर लाभादि निरपेक्ष (निलोभ) एवं सदा कपायरहित होकर रहे।

सूत्र और अर्थ के सम्बन्ध में शंकारहित होने पर भी, “में ही इसका अर्थ जानता हूँ, दूसरा नहीं;” इस प्रकार का गर्व न करे, अथवा अशंकित होने पर भी शास्त्र के गूढ़ शब्दों की व्याख्या करते समय शंका (अन्य अर्थ की सम्भावना) के साथ कहे, अथवा स्पष्ट (शंका रहित) अर्थ को भी इस प्रकार न कहे. जिससे श्रोता को शंका उत्पन्न हो तथा पदार्थों की व्याख्या विभ्रज्यवाद से सापेक्ष दृष्टि से अनेकांत रूप से करे।

भासादुगं धम्म समुत्तिहेहि,
विद्यागरेज्जा समय्या सुपण्णे ॥

अणुगच्छमाणे वितहं ऽभिजाणे,
तहा तहा साहु अकक्कसेणं ।
ण कत्थती भास विहिसएज्जा,
निरुद्धगं वा वि न दीहएज्जा ॥

समालवेज्जा पडिपुणभासी,
निसामिया समिया अहुदंसी ।
आणाए सुद्धं वयणं भिउंजे,
ऽभिसंधए पावविवेगं भिक्खू ॥
—सूय. सु. १, अ. १४, गा. १८-२४

समाहिविहाणं—

१५९. अहाबुइयाइं सुसिखएज्जा,
जएज्ज या णातिवेलं वदेज्जा ।
से दिट्ठिमं दिट्ठि ण लूसएज्जा,
से जाणति भासिउं तं समाहिं ॥

अलूसए णो पच्छणभासी,
णो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई ।
सत्थारभत्तो अणुवीति वायं,
सुयं च सम्मं पडिवातएज्जा ॥

धर्माचरण करने में समुद्यत साधुओं के साथ विचरण करता हुआ साधु दो भापाएँ (सत्य और असत्यामृषा) बोले। सुप्रज्ञ (स्थिरबुद्धिसम्पन्न) साधु धनिक और दरिद्र दोनों को समभाव से धर्म कहे।

पूर्वोक्त दो भापाओं का आश्रय लेकर शास्त्र या धर्म की व्याख्या करते हुए साधु के कथन को कोई व्यक्ति यथार्थ समझ लेता है, और कोई मन्दमति व्यक्ति उसे अयथार्थ रूप में (विपरीत) समझता है, (ऐसी स्थिति में) साधु उस विपरीत समझने वाले व्यक्ति को जैसे-जैसे समीचीन हेतु, युक्ति, उदाहरण एवं तर्क आदि से वह समझ सके, वैसे-वैसे हेतु आदि से अकर्कश (कटुता-रहित—कोमल) शब्दों में समझाने का प्रयत्न करे। (किन्तु जो ठीक नहीं समझता है, उसे—तू मूर्ख है, दुर्बुद्धि है, जड़मति है, इत्यादि तिरस्कारसूचक वचन कहकर उसके मन को दुःखित न करे, (तथा प्रश्नकर्ता की भाषा को असम्बद्ध वताकर उसकी विडम्बना न करे, छोटी-सी (थोड़े शब्दों में कही जा सकने वाली) बात को व्यर्थ का शब्दाडम्बर करके विस्तृत न करे।

जो बात संक्षेप में न समझाई जा सके उसे साधु विस्तृत (परिपूर्ण) शब्दों में कहकर समझाए। गुरु से सुनकर पदार्थ को भलीभाँति जानने वाला (अर्थदर्शी) साधु आज्ञा से शुद्ध वचनों का प्रयोग करे। साधु पाप का विवेक रखकर निर्दोष वचन बोले।

समाधि का विधान—

१५९. तीर्थकर और गणधर आदि ने जिस रूप में आगमों का प्रतिपादन किया है, गुरु से उनकी अच्छी तरह शिक्षा ले, (अर्थात्—ग्रहण शिक्षा द्वारा सर्वज्ञोक्त आगम का अच्छी तरह ग्रहण करे और आसेवना शिक्षा द्वारा उद्युक्त विहारी होकर तदनुसार आचरण करे) (अथवा दूसरों को भी सर्वज्ञोक्त आगम अच्छी तरह सिखाए)। वह सदैव उसी में प्रयत्न करे। मर्यादा का उल्लंघन करके अधिक न बोले। सम्यक्दृष्टिसम्पन्न साधक सम्यक्दृष्टि को दूषित न करे (अथवा धर्मोपदेश देता हुआ साधु किसी सम्यक्दृष्टि की दृष्टि को (शंका पैदा करके) विगाड़े नहीं। वह साधक उस (तीर्थकरोक्त सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-तपश्चरणरूप) भाव समाधि को कहना जानता है।

साधु आगम के अर्थ को दूषित न करे, तथा वह सिद्धान्त को छिपा कर न बोले। स्व-पर-त्राता साधु सूत्र और अर्थ को अन्यथा न करे। साधु शिक्षा देने वाले (प्रशास्ता-गुरु) की भक्ति का ध्यान रखता हुआ सोच-विचार कर कोई बात कहे, तथा साधु ने गुरु से जैसा सुना है, वैसा ही दूसरे के समक्ष सिद्धान्त या शास्त्र वचन का प्रतिपादन करे।

से सुदसुत्ते उवहाणवं च,
धम्मं च जे विदति तत्थ तत्थ ।
आदेज्जपक्के कुसले वियत्ते,
से अरिहति भासिउं तं समाहि ॥

—सूय. सु. १, अ. १४, गा. २५-२७

मुत्तधरस्स भेया—

१६०. तओ पुरिस जाया पणत्ता, तं जहा—
मुत्तधरे, अत्पधरे, तदुमयधरे ।

—स्यानांग अ. ३, उ. ३, सु. ३४४

बहुस्सुपसरुवं—

१६१. जहा संपम्मि पयं, "निहियं दुहओ वि" विरायइ ।
एवं बहुस्सुए भिक्खू, धम्मो कित्ति तहा सुयं ॥

जहा से कम्मोयाणं, आइण्णे फन्न्यए सिया ।
आसे जवेण पवरे, एयं हवइ बहुस्सुए ॥

जहाइणसमाक्खे , सूरे वटपरवरुमे ।
उमओ नन्दिपोसेणं, एयं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सट्ठिहायणे ।
बलवन्ते अप्पट्ठिए, एयं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से तिक्खसिगे, जायल्लन्धे विरायई ।
वसरे जूहाहिवई, एयं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से तिक्खदाठे, उदगो दुप्पहंसए ।
सीहे मियाणपवरे, एयं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से वामुदेये, संखचक्कगदाधरे ।
अप्पट्ठियवत्ते जोहे, एयं हवइ बहुस्सुए ॥

जिस साधु का सूत्रोच्चारण, सूत्रानुसार प्ररूपण एवं सूत्रा-
ध्ययन शुद्ध है, जो शास्त्रोक्त तप (उपघान तप) का अनुष्ठान
करता है, जो श्रुतचारित्ररूप धर्म को सम्यक् रूप से जानता या
प्राप्त करता है अथवा जो उत्सर्ग के स्थान पर उत्सर्ग-मार्ग की
और अपवाद-मार्ग के स्थान पर अपवाद की प्ररूपणा करता है,
या हेतुग्राह्य अर्थ की हेतु से और आगम-ग्राह्य अर्थ की आगम
से अथवा स्व-समय की स्व-समय रूप में एवं पर-समय की पर-
समय रूप में प्ररूपणा करता है, वही पुरुष ग्राह्य-वाक्य है । तथा
वही शास्त्र का अर्थ और तदनुसार आचरण करने में कुशल होता
है । वह अविचारपूर्वक कार्य नहीं करता । वही ग्रन्थमुक्त साधक
सर्वजनों की समाधि की व्याख्या कर सकता है ।

श्रुतधर के प्रकार—

१६०. श्रुतधर पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैं—

सूत्रधर, अर्थधर और तदुभयधर (सूत्र और अर्थ दोनों के
धारक) ।

बहुश्रुत का स्वरूप

१६१. जिस प्रकार शंख में रखा हुआ दूध दोनों ओर (अपने
और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होता है, उसी प्रकार
बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत दोनों ओर (अपने और
अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होते हैं ।

जिस प्रकार कम्बोज देश के ढोड़ों में से कन्थक ढोड़ा शील
आदि गुणों से आकीर्ण और वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार
भिक्षुओं में बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है ।

जिस प्रकार आकीर्ण (जातिमान्) अश्व पर चढ़ा हुआ दूढ़
पराक्रम वाला योद्धा दोनों ओर वजने वाले वाद्यों के घोप से
अजेय होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अपने आसपास होने वाले
स्वाध्याय-घोप से अजेय होता है ।

जिस प्रकार हथिनियों से परिवृत साठ वर्ष का बलवान्
हाथी किसी से पराजित नहीं होता, उसी प्रकार बहुश्रुत दूसरों
से पराजित नहीं होता ।

जिस प्रकार तीक्ष्ण सींग और अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला
बैल यूथ का अधिपति वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहु-
श्रुत आचार्य वनकर सुशोभित होता है ।

जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला पूर्ण युवा और दुप्पराजेय
सिंह आरण्य-पशुओं में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य
तीर्थिकों में श्रेष्ठ होता है ।

जिस प्रकार शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाला
वासुदेव अवाधित बल वाला योद्धा होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत
अवाधित बल वाला होता है ।

जहा से चाउरन्ते, चक्रवट्टी महिडिडए ।
चउदसरयणाहिर्वई , एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से सहस्सक्खे, वज्जपाणी पुरन्दरे ।
सक्के देवाहिर्वई, एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से तिमिरविद्धंसे, उत्तिट्टन्ते दिवायरे ।
जलन्ते इव तेएण, एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से उडुवई चन्दे, नक्खत्तपरिवारिए ।
पडिपुण्णे पुण्णमासीए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से सामाइयाणं, कोट्टागारे सुरक्खिए ।
नाणाधत्तपडिपुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसणा ।
अणादियस्स देवस्स, एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा ।
सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी ।
नाणोसहिपज्जलिए , एवं हवइ बहुस्सुए ॥

जहा से सयंभूरमणे, उदही अवखओदए ।
नाणारयणपडिपुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए ॥

समुद्दगम्भीरसमा दुरासया,
अचक्किया केणइ दुप्पहंसया ।
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो,
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया ॥

तम्हा सुयमहिट्ठेज्जा, उत्तमद्दगवेसए ।
जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धिं संपाउणेज्जासि ॥

—उत्त. अ. ११, गा. १५-३२

अबहुस्सुय सरूवं—

१६२. जे यावि होइ निव्विज्जे, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
अभिवक्खणं उल्लवई, अविणोए अबहुस्सुए ॥

—उत्त. अ. ११, गा. २

जिस प्रकार महान् ऋद्धिशाली, चतुरन्त चक्रवर्ती चौदह रत्नों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत चतुर्दश पूर्वधर होता है ।

जिस प्रकार सहस्रचक्षु, वज्रपाणि और पुरों का विदारण करने वाला शक्र देवों का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत देवी (श्रुत) सम्पदा का अधिपति होता है ।

जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत तप के तेज से जलता हुआ प्रतीत होता है ।

जिस प्रकार नक्षत्र-परिवार से परिवृत ग्रहपति चन्द्रमा पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार साधुओं के परिवार से परिवृत बहुश्रुत सकल कलाओं में परिपूर्ण होता है ।

जिस प्रकार सामाजिकों (समुदाय वृत्ति वालों) का कोष्ठागार सुरक्षित और अनेक प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार के श्रुत से परिपूर्ण होता है ।

जिस प्रकार अनाश्रुत देव का आश्रय सुदर्शन नाम का जम्बु वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

जिस प्रकार नीलवान् पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलने वाली शीता नदी शेष नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

जिस प्रकार अतिशय महान् और अनेक प्रकार की औषधियों से दीप्त मन्दर पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है ।

जिस प्रकार अक्षय जल वाला स्वयंभूरमण समुद्र अनेक प्रकार के रत्नों से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अक्षय ज्ञान से परिपूर्ण होता है ।

समुद्र के समान गम्भीर, दुराशय (कण्टों से अवाधित), अभय, किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजेय, विपुलश्रुत से पूर्ण और त्राता बहुश्रुत मुनि कर्मों का क्षय करके उत्तम गति (मोक्ष) में गये ।

इसलिए उत्तम-अर्थ (मोक्ष) की गवेषणा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रयण करे, जिससे वह अपने आपको और दूसरों को सिद्धि (मुक्ति) की प्राप्त करा सके ।

अबहुश्रुत का स्वरूप—

१६२. जो विद्याहीन है, विद्यावान् होते हुए भी जो अभिमानी है, जो सरस आहार में लुब्ध है, जो अजितेन्द्रिय है, जो बार-बार असम्बद्ध बोलता है, जो अविनीत है, वह अबहुश्रुत कहलाता है ।

जे य चंहे मिए यद्धे, कुच्चाई नियडी सहे ।
बुज्झइ से अविणीयप्पा, ऋट्टं सोयगयं जहा ॥

—दस. अ. ६, उ. २, गा. ३

जो चण्ड, अन्न, स्तब्ध, अप्रियवादी, मायावी और शठ हैं,
वह अविनीतात्मा संसार स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता है, जैसे
नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काण्ड ।

चउत्थो उवहाणायारो

सिक्खारिह—

१६३. वसे गुरुकुले निच्चं, जोगयं उवहाणवं ।
पियंकरे गियंवाई, से तिगच्छं तद्दुमरिहई ॥

—उत्त. अ. ११, गा. १४

चतुर्थ उपधानाचार

शिक्षा के योग्य—

१६३. जो सदा गुरुकुल में वास करता है, जो समाधियुक्त होता
है, जो उपधान (श्रुत-अध्ययन के समय तप) करता है, जो प्रिय
करता है, जो प्रिय बोलता है—वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

पंचमो अणिण्हवायारो

असाहुसह्वं—

१६४. अहो य रामो य समुट्ठिएहि, सहागएहि पटिलत्तम धम्मं ।
समाहि माघायमजोसयंता, सत्वारमेवं फरसं वपंति ॥

पंचम अनिन्हवाचार

असाधु का स्वरूप—

१६४. अहर्निश उत्तम अनुष्ठान में प्रवृत्त तीर्थंकरों से धर्म को
पाकर भी समाधिमागं का सेवन न करते हुए जमालि आदि
निन्हव अपने शास्ता को कठोर वचन कहते हैं ।

१ (क) आगमों के अध्ययन-काल में आर्यविन आदि तप करना उपधानाचार है ।

(ग) प्रत्येक आगम के अध्ययन-काल में कितना तप करना—इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध आगमों में नहीं है, किन्तु
“योगोद्बहन विधि” विषयक कतिपय ग्रन्थों में उपधान तप की विधि है ।

उपधान परिभाषा—

(ग) उपसमीपेः प्रीयते प्रियते सूत्रादिकां येन तपसा तदुपधानम् ।

(घ) उपधायने उयण्टभ्यने श्रुतमनेनेनि उपधानम् ।

(च) आचारांग श्रुत. १, अ. ६ वां “उवहाणमुयं” उपधानश्रुत नाम का अध्ययन है । इस अध्ययन में भगवान् महावीर की
तपोमय साधना का वर्णन है ।

(छ) सूत्रकृतांग श्रुत. १, अ. ११, गा. ३५ में “उपधानश्रीयं” श्रमण का विशेषण है ।

(ज) स्थानांग अ. २, उद्दे. ३, सूत्र ८४ में “उपधान-प्रतिमा” का उल्लेख है । उपधानं तपस्तत्प्रतिमोपधानप्रतिमा द्वादश
भिक्षुप्रतिमा एकादशोपागकप्रतिमाश्चेत्येवरूपेति ।

(झ) स्थानांग अ. ४, उद्दे. १, सूत्र २५१ में भी “उपधान-प्रतिमा” का उल्लेख है ।

(ञ) स्थानांग अ. ४, उद्दे. १, सूत्र २३५ में चार अन्तःक्रियाओं में उपधानवान् अणगार का विशेषण है ।

(ट) सूत्रकृतांग श्रु. १, अ. २, उद्दे. १ गा. १५ में एक गृन्दर रूपक दिया है—जिस प्रकार पक्षिणी पंख फड़फड़ाकर घूल
झाड़ देती है, उसी प्रकार श्रमण भी उपधान तप से कर्मरज को झाड़ देता है ।

(ठ) उपधान-महिमा—जइ खलु मट्ठं वत्थं, गुज्झइ उदगाएहि दव्वेहि । एवं भावुवाहाणेण, सुज्झए कम्ममट्ठविहं ॥

—आचारांग निर्युक्ति गाथा २८३

(ड) उपधान तप के सम्बन्ध में निणीय और महानिणीय में यत् किञ्चित् लिखा है किन्तु प्रतियां उपलब्ध न होने से यहाँ नहीं
लिखा है ।

(ढ) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा में उपधान तप कराने की परिपाटी प्रचलित है । वे इस तप की आराधना में श्रावक-
श्राविकाओं को ही अधिक से अधिक स्थान देते हैं । ‘सप्त उपधान विधि’ नामक पुस्तक में सात प्रकार के उपधान की
तप विधि हैं । इसके प्रस्ताविक निवेदन में सांगदक मुनि ने लिखा है कि—“पूर्वस्मिन्समये उपधानतपोवाहि नामाचारादि-
व्यवस्था परमोत्कृष्टविधिमम्पन्ना प्रकारान्तरेण निर्धारिता चासीत्, परं देशकालादिकं समालोच्य करुणावरुणालयैराचार्यैः
न क्रमो नितरां मुगमो भवेत्तथा पश्चात् परिवर्तितः ।”

(ण) उपधान तप के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थ विधिप्रपा ‘आचार दिनकर’ और ‘समाचारीशतक’ आदि में यत्र तत्र लिखा है
जिज्ञामु उन-उन ग्रन्थों का स्वाध्याय करें ।

विसोहयं ते अणुकाहयंते, जे आयभावेण वियागरेज्जा ।
अट्ठाणिए होइ बहुगुणाणं, जे णाणसंकाए मुसं वएज्जा ॥

जे यावि पुट्टा पलिउंचयंति आयाणमट्ठं खलु वंचयति ।
असाहुणो ते इह साहुमाणी, मायणिण एसंति अणंतघातं ॥
—सूय. सु. १, अ. १३, गा. २-४

जो (गोष्ठामाहिल के समान^१) विशुद्ध मोक्ष मार्ग की परम्परागत व्याख्या से भिन्न व्याख्या करते हैं, वे सर्वज्ञ के ज्ञान में सशंक होकर मृपा बोलते हैं, अतः उत्तम गुणों के अपात्र होते हैं ।

जो कोई (साधक साधिका) पूछने पर अपने (गुरु का नाम) छिपाते हैं, वे लेने लायक मोक्ष अर्थ से अपने को वंचित करते हैं । वे असाधु होते हुए अपने को साधु मानने वाले माया (कपट) से युक्त हो अनन्तकालिक घात (नरक) को प्राप्त होंगे ।

छट्ठो वंजणणाणायारो^२ सत्तामो अट्ठणाणा-
यारो^३ अट्ठमो तदुभयणाणायारो^४

सुत्तत्थस्स अणिण्हवणं—

१६५. अट्ठसए^५ णो पच्छन्नभासी, णो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई^६ ।
सत्थारभस्ती अणुवीइ वार्यं, सुयं च सम्मं पडिवाययंसि ॥
—सूय. सु. १, अ. १४, गा. २६, (६०५)

छठा व्यंजन-ज्ञानाचार, सातवां अर्थ-ज्ञाना-
चार, आठवां तदुभय-ज्ञानाचार

सूत्रार्थ का न छिपाना—

१६५. सर्व प्राणियों का वाता श्रमण आगम के अर्थ को न छिपावे, न दूषित करे. सूत्रार्थ का अन्यथा उच्चारण न करे तथा शास्ता की भक्ति का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वात विचार कर कहे और गुरु से सूत्रार्थ की जैसी व्याख्या सुनी है वैसी ही अन्य को कहे ।



- १ भगवान् महावीर के शासनकाल में सात प्रवचन निन्हव हुए हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन स्थानांग अ. ७, सूत्र ५८७ में है ।
- २ (क) जो अर्थ को व्यक्त करे वह व्यंजन है, व्यंजनों से सूत्र की रचना होती है, अतः व्यंजन सूत्र को कहते हैं । “वंजणमिति भणत्ते सुत्तं”—निशीथचूर्णी पीठिका पृष्ठ १२ गाथा १७. सूत्र के अक्षरों का शुद्ध उच्चारण करना व्यंजनाचार है ।
(ख) सूत्र के अशुद्ध उच्चारण से अर्थ-भेद होता है, अर्थ-भेद से क्रिया भेद तथा क्रिया-भेद से निर्जरा नहीं होती है और निर्जरा न होने से मोक्ष नहीं होता है, अतः सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है ।
(ग) सूत्रकृतांग श्रुत. १, अ. १४, गा. २७ में “सुद्ध सुत्ते” सूत्र का शुद्ध उच्चारण भावसमाधि का हेतु माना है ।
(घ) शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है तथा भाषा समिति का विवेक आवश्यक है, अतः एतद् विषयक विस्तृत विवरण भाषा समिति विभाग में देखें ।
- ३ सूत्र का सत्य अर्थ करना अर्थाचार है ।
- ४ सूत्र और अर्थ का शुद्ध उच्चारण करना और सम्यक् अर्थ समझना तदुभयाचार है ।
- ५ अट्ठसए—अपसिद्धान्तव्याख्यायेन सर्वज्ञोक्तमागमं न दूषयेत् ।
- ६ ताई—संसारात् त्रायी-त्राणशीलो जन्तुनाम् ।

णाणायार-परिसिट्ठं

ज्ञानाचार परिशिष्ट

णाण-आयार-भेएण पुरिसभेया—

१६६. (क) चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

सेयंसे नाममेगे सेयंसे,

सेयंसे नाममेगे पावंसे,

पावंसे नाममेगे सेयंसे,

पावंसे नाममेगे पावंसे ।

(ख) चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

सेयंसे नाममेगे सेयंसेत्ति सालिसए,

सेयंसे नाममेगे पावंसेत्ति सालिसए,

पावंसे नाममेगे सेयंसेत्ति सालिसए,

पावंसे नाममेगे पावंसेत्ति सालिसए ।

(ग) चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

सेयंसे नाममेगे सेयंसे त्ति मग्गइ,

सेयंसे नाममेगे पावंसे त्ति मग्गइ,

पावंसे नाममेगे सेयंसे त्ति मग्गइ,

पावंसे नाममेगे पावंसे त्ति मग्गइ ।

(घ) चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

सेयंसे नाममेगे सेयंसे त्ति सालिसए मग्गइ,

सेयंसे नाममेगे पावंसे त्ति सालिसए मग्गइ,

ज्ञान और आचार भेद से पुरुषों के प्रकार—

१६६. (क) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा—

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और आचरण की दृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से पापी हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से भी पापी हैं और आचरण की दृष्टि से भी पापी हैं ।

(ख) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा—

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ सदृश हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से पापी के सदृश हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ सदृश हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं और आचरण की दृष्टि से पापी सदृश हैं ।

(ग) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा—

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, किन्तु अपने आप को पापी मानते हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं और अपने आप को पापी मानते हैं ।

(घ) चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, यथा—

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और अपने आप को श्रेष्ठ सदृश मानते हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं किन्तु अपने आप को पापी सदृश मानते हैं ।

पावसे नाममेगे सेयसे त्ति सालिसए मन्नइ,

पावसे नाममेगे पावसे त्ति सालिसए मन्नइ ।

—ठाणं अ. ४, उ. ४, सु. ३४४

ण।णिणो अण्णाणिणो य—

१६७. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

डुग्गए नाममेगे डुग्गए,

डुग्गए नाममेगे सुग्गए,

सुग्गए नाममेगे डुग्गए,

सुग्गए नाममेगे सुग्गए ।

१६८. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

तमे नाममेगे तमे,

तमे नाममेगे जोई,

जोई नाममेगे तमे,

जोई नाममेगे जोई । —ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७

नाणदंसणुप्पत्ति—अणुप्पत्ति य—

१६९. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

किससरीरस्स नाममेगस्स णाण-दंसणे समुप्पज्जइ,

नो दढसरीरस्स,

दढसरीरस्स नाममेगस्स णाण-दंसणे समुप्पज्जइ,

नो किससरीरस्स,

एगस्स किससरीरस्स वि णाण-दंसणे समुप्पज्जइ,

दढसरीरस्स वि,

एगस्स नो किससरीरस्स णाण-दंसणे समुप्पज्जइ,

नो दढसरीरस्स । —ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २८३

अतिसेस नाणदंसणाणं अणुप्पत्ति कारणाइं—

१७०. चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अस्सि समयंसि
अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्जिउकामे वि ण समुप्पज्जेज्जा,
तं जहा—

१. अभिक्खणं-अभिक्खणं इत्थिकहं भत्तकहं देसकहं रायकहं
कहेत्ता भवति ।

२. विवेगेण विउस्सग्गेणं णो सम्मसप्पाणं भावित्ता भवति ।

३. पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि णो धम्मजागरियं जागरइत्ता
भवति ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं किन्तु अपने आप को
श्रेष्ठ सदृश मानते हैं ।

कुछ पुरुष बोध की दृष्टि से पापी हैं और अपने आप को
पापी सदृश मानते हैं ।

ज्ञानी और अज्ञानी—

१६७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष पहले भी ज्ञानादि गुण से हीन है और पीछे भी
ज्ञानादि गुण से हीन है ।

एक पुरुष पहले ज्ञानादि गुण से हीन है किन्तु पीछे ज्ञानादि
गुण से सम्पन्न होता है ।

एक पुरुष पहले ज्ञानादि गुण से सम्पन्न है किन्तु पीछे ज्ञानादि
गुण से हीन हो जाता है ।

एक पुरुष पहले भी ज्ञानादि गुण से सम्पन्न है और पीछे भी
ज्ञानादि गुण से सम्पन्न है ।

१६८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष पहले अज्ञानी है और पीछे भी अज्ञानी है,

एक पुरुष पहले अज्ञानी है किन्तु पीछे ज्ञानी है,

एक पुरुष पहले ज्ञानी है किन्तु पीछे अज्ञानी है,

एक पुरुष पहले भी ज्ञानी है और पीछे भी ज्ञानी है ।

ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—

१६९. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

कृश शरीर वाले पुरुष को ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है, किन्तु
दृढ़ शरीर वाले को नहीं,

दृढ़ शरीर वाले पुरुष को ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है, किन्तु
कृश शरीर वाले को नहीं,

कृश और दृढ़ शरीर वाले पुरुष को भी ज्ञान-दर्शन उत्पन्न
होता है,

कृश और दृढ़ शरीर वाले पुरुष को ज्ञान-दर्शन उत्पन्न नहीं
होता है,

अतिशययुक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति नहीं होने के
कारण—

१७०. चार कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों के इस समय में
अर्थात् तत्काल अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते-होते भी
उत्पन्न नहीं होते, जैसे—

(१) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी बार-बार स्त्रीकथा, भक्तकथा,
देशकथा और राजकथा करता है ।

(२) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी विवेक और व्युत्सर्ग के द्वारा
आत्मा को सम्यक् प्रकार से भावित करने वाला नहीं होता ।

(३) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी पूर्वरात्रि और अपररात्रिकाल के
समय धर्म-जागरण करके जागृत नहीं रहता ।

४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्स णो सम्मं-
गवेसित्ता भवति ।

इच्छेतेहि चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा
-जाव-(अस्सिं समयंसि अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्जिउ-
कामे वि) णो समुप्पज्जेज्जा ।

—ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २५४

अतिसेस नाणदंसणुप्पत्ति कारणाइं—

१७१. चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अस्सिं समयंसि
अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्जिउकामे समुप्पज्जेज्जा, तं जहा—

१. इत्थिकहं भत्तकहं देसकहं रायकहं णो कहेत्ता भवति ।

२. विवेगेण विउस्सगेणं सम्मभप्पणाणं भावेत्ता भवति ।

३. पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरइत्ता
भवति ।

४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उंछस्स सामुदाणियस्स सम्मं
गवेसित्ता भवति ।

इच्छेतेहि चउहि ठाणेहि णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा
-जाव-अस्सिं समयंसि अतिसेसे णाणदंसणे समुप्पज्जिउकामे
समुप्पज्जेज्जा । —ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २५४

णाण-दंसणाणं वुड्ढिकरा हाणिकरा य—

१७२. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

एगेणं नाममेगे वड्ढइ एगेणं हायइ,

एगेणं नाममेगे वड्ढइ दोहि हायइ,

दोहि नाममेगे वड्ढइ एगेणं हायइ,

एगे दोहि नाममेगे वड्ढइ दोहि हायइ ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७

(४) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक, एपणीय, उंछ और
सामुदानिक भिक्षा की सम्यक् प्रकार से गवेपणा नहीं करता ।

इन चार कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को तत्काल
अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते-होते भी रुक जाते हैं—
उत्पन्न नहीं होते ।

अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति के कारण—

१७१. चार कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को अभीष्ट अति-
शय-युक्त ज्ञान-दर्शन तत्काल उत्पन्न होते हैं, जैसे—

(१) जो स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राजकथा नहीं
कहता ।

(२) जो विवेक और व्युत्सर्ग के द्वारा आत्मा की सम्यक्
प्रकार से भावना करता है ।

(३) जो पूर्वरत्रि और अपररत्रि के समय धर्म ध्यान करता
हुआ जागृत रहता है ।

(४) जो प्रासुक, एपणीय, उंछ और सामुदानिक भिक्षा की
सम्यक् प्रकार से गवेपणा करता है ।

इन चार कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों के अभीष्ट,
अतिशय-युक्त ज्ञान-दर्शन तत्काल उत्पन्न होते हैं ।

ज्ञान-दर्शनादि की वृद्धि करने वाले और हानि करने
वाले—

१७२. चार प्रकार के पुरुष कहे गये हैं—यथा—

एक पुरुष ज्ञान से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन से हीन
होता है,

एक पुरुष ज्ञान से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन और विनय से
हीन होता है,

एक पुरुष ज्ञान और चारित्र्य से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन
से हीन होता है,

एक पुरुष ज्ञान और चारित्र्य से बढ़ता है किन्तु सम्यग्दर्शन
और विनय से हीन होता है ।

[इस चौभंगी का एक वैकल्पिक अर्थ और भी है—

एक पुरुष ज्ञान से बढ़ता है और राग से हीन होता है,

एक पुरुष ज्ञान से बढ़ता है और राग-द्वेष से हीन होता है,

एक पुरुष ज्ञान व संयम से बढ़ता है और राग से हीन
होता है,

एक पुरुष ज्ञान व संयम से बढ़ता है और राग-द्वेष से हीन
होता है ।]

ओहिनाणिस्स खोभगा—

१७३. पंचहिं ठाणेहिं ओहिदंसणे समुपज्जिउकामे वि तप्पढमयाए खंभाएज्जा, तं जहा—

१. अप्पभूतं वा पुढावि पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा,

२. कुन्थुरासिभूतं वा पुढावि पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा,

३. महइ महालयं वा महोरगसरीरं पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा,

४. देवं वा महइद्वयं-जाव-महेसक्खं पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा,

५. पुरेसु वा पोरणाइं महइ महालयाइं महानिहाणाइं पहीण-सामियाइं, पहीणसेउयाइं, पहीणगुत्तागराइं उच्छिन्न-सामियाइं उच्छिन्नसेउयाइं उच्छिन्नगोत्तागराइं जाइं इमाइं गामागर-णगर-खेड-कव्वड-मंडव-दोणमुह-पट्टणासम-संवाह-सन्निवेसेसु सिघाडग-तिग-चउक्क-चक्कर-चउम्मुह-महापहपहेसु णगरणिद्धमणेसु सुसाण-सुन्नागार-गिरिकंदर-संति-सेलोवट्टावण भवणगिहेसु सन्निखित्ताइं चिट्ठन्ति ताइं वा पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएज्जा । इच्चेएहिं पंचहिं ठाणेहिं ओहिदंसणे समुपज्जिउकामे तप्पढमयाए खंभाएज्जा ।

केवलणाण-दंसण अक्खोभगा—

१७४. पंचहिं ठाणेहिं केवलवरणाण-दंसणे समुपज्जिउकामे तप्पढ-मयाए नो खंभाएज्जा, तं जहा—

अप्पभूतं वा पुढावि पासित्ता तप्पढमयाए नो खंभाएज्जा, —सेसं तहेव—जाव—भवणगिहेसु सन्निखित्ताइं चिट्ठन्ति ताइं वा पासित्ता तप्पढमयाए नो खंभाएज्जा । इच्चेएहिं पंचहिं ठाणेहिं-जाव-नो खंभाएज्जा ।

—ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३६४

णाणसंपन्ना किरियासंपन्ना य—

१७५. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

बुहे णाममेगे बुहे,
बुहे नाममेगे अबुहे,
अबुहे नाममेगे बुहे,
अबुहे नाममेगे अबुहे ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

बुहे नाममेगे बुहहियए,
बुहे नाममेगे अबुहहियए,
अबुहे नाममेगे बुहहियए,
अबुहे नाममेगे अबुहहियए । —ठाणं. अ ४, उ. ४, सु. ३४२

अवधिज्ञान के क्षोभक—

१७३. अवधिज्ञान प्रथम अवधिउपयोग की प्रवृत्ति के समय पांच कारणों से क्षुब्ध-चलित होता है, यथा—

(१) पृथ्वी को अल्प देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधि उपयोग की प्रवृत्ति के समय क्षुब्ध होता है,

(२) कुंतुओं की रागिमय पृथ्वी को देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधिउपयोग की प्रवृत्ति के समय क्षुब्ध होता है,

(३) महान् अजगर के शरीर देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधिउपयोग की प्रवृत्ति के समय क्षुब्ध होता है ।

(४) अत्यन्त मुग्धी और महती ऋद्धि वाले देव को देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधिउपयोग की प्रवृत्ति के समय क्षुब्ध होता है ।

(५) पुर ग्रामादि के जनपद आदि में एवं गिरिकन्दरा-श्मशान-शून्यगृह आदि स्थानों में स्वामी हीन उत्तराधिकारीहीन प्राचीन दबी हुई महानिधियों (भण्डारों) को देखकर अवधिज्ञानी प्रथम अवधिउपयोग की प्रवृत्ति के समय क्षुब्ध होता है ।

केवलज्ञान-दर्शन के अक्षोभक—

१७४. केवलज्ञानी और केवलदर्शनी उपयोग की प्रवृत्ति के समय क्षुब्ध नहीं होता, यथा—

पृथ्वी को अल्प देखकर—यावत्—स्वामीहीन महानिधियों को देखकर क्षुब्ध नहीं होते हैं । इन पांच कारणों से—यावत्—क्षुब्ध नहीं होते हैं ।

ज्ञान सम्पन्न और क्रिया सम्पन्न—

१७५. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष शास्त्रज्ञ है और क्रियाकुशल भी है,
एक पुरुष शास्त्रज्ञ है किन्तु क्रियाकुशल नहीं है,
एक पुरुष शास्त्रज्ञ नहीं है किन्तु क्रियाकुशल है,
एक पुरुष शास्त्रज्ञ भी नहीं है और क्रियाकुशल भी नहीं है ।
चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
एक पुरुष विवेकी है और उसके कार्य भी विवेकपूर्ण हैं,
एक पुरुष विवेकी है किन्तु उसके कार्य अविवेककृत हैं,
एक पुरुष अविवेकी है किन्तु उसके कार्य विवेकपूर्ण हैं,
एक पुरुष अविवेकी है और उसके कार्य भी अविवेककृत हैं ।

गाणजुत्ता—आयारजुत्ता य—

१७६. (क) चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

जुत्ते नाममेगे जुत्ते,
जुत्ते नाममेगे अजुत्ते,
अजुत्ते नाममेगे जुत्ते,
अजुत्ते नाममेगे अजुत्ते ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

तमे नाममेगे तमबले,
तमे नाममेगे जोईबले,
जोई नाममेगे तमबले,
जोई नाममेगे जोईबले ।

चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

तमे नाममेगे तमवलपलज्जणे,
तमे नाममेगे जोईवलपलज्जणे,
जोई नाममेगे तमवलपलज्जणे,
जोई नाममेगे जोईवलपलज्जणे ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३२७

गाणजुत्ता—णाणपरिणत्ता य—

१७७. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

जुत्ते नाममेगे जुत्तपरिणए,

जुत्ते नाममेगे अजुत्तपरिणए,

अजुत्ते नाममेगे जुत्तपरिणए,

अजुत्ते नाममेगे अजुत्तपरिणए ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

ज्ञान-युक्त और आचार-युक्त

१७६. (क) चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष ज्ञान से युक्त है और आचार से भी युक्त है,
एक पुरुष ज्ञान से युक्त है किन्तु आचार से युक्त नहीं है,
एक पुरुष ज्ञान से अयुक्त है किन्तु आचार से युक्त है,
एक पुरुष ज्ञान से भी अयुक्त है और आचार से भी अयुक्त है ।

[काल की अपेक्षा से इस चौमंगी का अर्थ इस प्रकार होगा—

एक पुरुष गृहस्थ पर्याय में धनादि से युक्त था और श्रमण-
पर्याय में भी ज्ञानादि से युक्त है,

एक पुरुष गृहस्थ पर्याय में धनादि से युक्त था किन्तु श्रमण-
पर्याय में ज्ञानादि से युक्त नहीं है,

एक पुरुष गृहस्थ पर्याय में धनादि से अयुक्त था किन्तु
श्रमणपर्याय में ज्ञानादि से युक्त है ।

एक पुरुष गृहस्थ पर्याय में धनादि से अयुक्त था और श्रमण-
पर्याय में भी ज्ञानादि से अयुक्त है ।]

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष अज्ञानी है और दुराचारी है,
एक पुरुष अज्ञानी है किन्तु सदाचारी है,
एक पुरुष ज्ञानी है किन्तु दुराचारी है,
एक पुरुष ज्ञानी है किन्तु सदाचारी है ।

(ख) चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष अज्ञानी है और उसे दुराचार में ही आनन्द आता है,
एक पुरुष अज्ञानी है किन्तु उसे सदाचार में आनन्द आता है,
एक पुरुष ज्ञानी है किन्तु उसे दुराचार में ही आनन्द आता है,
एक पुरुष ज्ञानी है किन्तु उसे सदाचार में ही आनन्द आता है ।

ज्ञान-युक्त और ज्ञान परिणत—

१७७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है और ज्ञानादि की परिणति से
भी युक्त है,

एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है किन्तु ज्ञानादि की परिणति से
युक्त नहीं है,

एक पुरुष ज्ञानादि से अयुक्त है किन्तु ज्ञानादि की परिणति
से युक्त है,

एक पुरुष ज्ञानादि से भी अयुक्त है और ज्ञानादि की परिणति
से भी अयुक्त है ।

णाणजुत्ता वेसजुत्ता य—

१७८. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

जुत्ते नाममेगे जुत्तरूवे,
जुत्ते नाममेगे अजुत्तरूवे,
अजुत्ते नाममेगे जुत्तरूवे,
अजुत्ते नाममेगे अजुत्तरूवे ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

णाणजुत्ता सिरिजुत्ता, अजुत्ता य—

१७९. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

जुत्ते नाममेगे जुत्तसोभे,

जुत्ते नाममेगे अजुत्तसोभे,

अजुत्ते नाममेगे जुत्तसोभे,

अजुत्ते नाममेगे अजुत्तसोभे ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

पंचविहा परिण्णा—

१८०. पंचविहा परिण्णा पणत्ता, तं जहा—

१. उवहिपरिण्णा,
२. उवस्सयपरिण्णा,
३. कसायपरिण्णा,
४. जोगपरिण्णा,
५. भत्तपाणपरिण्णा ।

—ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४२०

शरीरसंपन्ना पण्णासंपन्ना य—

१८१. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

उन्नए नाममेगे उन्नए पन्ने,
उन्नए नाममेगे पणए पन्ने,
पन्नए नाममेगे उन्नए पन्ने,
पन्नए नाममेगे पणए पन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

उज्जू उज्जुपण्णा, जुत्ता वंका वंकपण्णाजुत्ता—

१८२. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

उज्जू नाममेगे उज्जूपन्ने,
उज्जू नाममेगे वंकपन्ने,
वंके नाममेगे उज्जूपन्ने,
वंके नाममेगे वंकपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

ज्ञान-युक्त और वेपयुक्त—

१७८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है और साधुवेप से भी युक्त है,
एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है किन्तु साधुवेप से अयुक्त है,
एक पुरुष ज्ञानादि से अयुक्त है किन्तु साधुवेप से युक्त है,
एक पुरुष ज्ञानादि से भी अयुक्त है और साधुवेप से भी अयुक्त है ।

ज्ञानयुक्त और शोभायुक्त; अयुक्त—

१७९. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है और उसकी उचित शोभा भी है ।

एक पुरुष ज्ञानादि से युक्त है किन्तु उसकी उचित शोभा नहीं है ।

एक पुरुष ज्ञानादि से अयुक्त है किन्तु उसकी उचित शोभा है ।

एक पुरुष ज्ञान से भी अयुक्त है और उसकी उचित शोभा भी नहीं है ।

पाँच प्रकार की परिज्ञा—

१८०. परिज्ञा पाँच प्रकार की कही गई है, जैसे—

(१) उपधि परिज्ञा,
(२) उपाश्रय परिज्ञा,
(३) कपाय परिज्ञा,
(४) योग परिज्ञा,
(५) भक्तपान परिज्ञा ।

शरीरसम्पन्न और प्रज्ञ सम्पन्न—

१८१. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष शरीर से उन्नत है और प्रज्ञा से भी उन्नत है,
एक पुरुष शरीर से उन्नत है किन्तु प्रज्ञा से उन्नत नहीं है,
एक पुरुष शरीर से उन्नत नहीं है किन्तु प्रज्ञा से उन्नत है,
एक पुरुष शरीर से भी उन्नत नहीं है और प्रज्ञा से भी उन्नत नहीं है ।

ऋजु-ऋजुप्रज्ञ और वक्र-वक्रप्रज्ञ—

१८२. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष ऋजु है और ऋजुप्रज्ञ है,
एक पुरुष ऋजु है किन्तु वक्रप्रज्ञ है,
एक पुरुष वक्र है किन्तु ऋजुप्रज्ञ है,
एक पुरुष वक्र है और वक्रप्रज्ञ है ।

दीना दीनपण्णाजुत्ता, अदीना अदीनपण्णाजुत्ता—

१८३. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा,
दीणे नाममेगे दीणपन्ने,
दीणे नाममेगे अदीणपन्ने,
अदीणे नाममेगे दीणपन्ने,
अदीणे नाममेगे अदीणपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४. उ. २, सु. २७६

अज्जा अणज्जा, अज्जपण्णाजुत्ता अणज्ज पण्णाजुत्ता—

१८४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
अज्जे नाममेगे अज्जपन्ने,
अज्जे नाममेगे अणज्जपन्ने,
अणज्जे नाममेगे अज्जपन्ने,
अणज्जे नाममेगे अणज्जपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २८०

सच्च्चा असच्च्चा, सच्चपण्णाजुत्ता असच्च पण्णाजुत्ता—

१८५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
सच्च्चे नाममेगे सच्चपन्ने,
सच्च्चे नाममेगे असच्चपन्ने,
असच्च्चे नाममेगे सच्चपन्ने,
असच्च्चे नाममेगे असच्चपन्ने ।

सुसीला दुस्सीला, सील पण्णाजुत्ता असीलपण्णाजुत्ता—

१८६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
सुइ नाममेगे सुइपन्ने,
सुइ नाममेगे असुइपन्ने,
असुइ नाममेगे सुइपन्ने,

असुइ नाममेगे असुइपन्ने ।

सुद्धा सुद्ध पण्णाजुत्ता, असुद्धा असुद्ध पण्णाजुत्ता—

१८७. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—
सुद्धे नाममेगे सुद्धपन्ने,

सुद्धे नाममेगे असुद्धपन्ने,

असुद्धे नाममेगे सुद्धपन्ने,

असुद्धे नाममेगे असुद्धपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २४१

दीन और अदीन, दीन-प्रज्ञावान और अदीन-प्रज्ञावान—

१८३. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष दीन है और सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में भी दीन है ।
एक पुरुष दीन है किन्तु सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में अदीन है ।
एक पुरुष अदीन है किन्तु सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में दीन है ।
एक पुरुष अदीन है और सूक्ष्म अर्थ के आलोचन में भी अदीन है ।

आर्य और अनार्य, आर्य प्रज्ञावान् और अनार्य प्रज्ञावान्—

१८४. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष आर्य भी है और आर्यप्रज्ञ भी है ।
एक पुरुष आर्य है किन्तु आर्यप्रज्ञ नहीं है ।
एक पुरुष अनार्य है किन्तु आर्यप्रज्ञ है ।
एक पुरुष अनार्य है और अनार्यप्रज्ञ भी है ।

सत्यवक्ता और असत्यवक्ता सत्य प्रज्ञा और असत्य प्रज्ञा—

१८५. पुरुष चार प्रकार के कहे हैं, यथा—

एक पुरुष सत्य वक्ता है और उसकी प्रज्ञा भी सत्य है ।
एक पुरुष सत्य वक्ता है किन्तु उसकी प्रज्ञा असत्य है ।
एक पुरुष असत्य वक्ता है किन्तु उसकी प्रज्ञा सत्य है ।
एक पुरुष असत्य वक्ता है और उसकी प्रज्ञा भी असत्य है ।
शील सम्पन्न और दुशील सम्पन्न, शील प्रज्ञावान और दुशील प्रज्ञावान—

१८६. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष स्वभाव से अच्छा है और उसकी प्रज्ञा भी पवित्र है,
एक पुरुष स्वभाव से अच्छा है किन्तु उसकी प्रज्ञा अपवित्र है,
एक पुरुष स्वभाव से अच्छा नहीं है किन्तु उसकी प्रज्ञा पवित्र है,

एक पुरुष स्वभाव से अच्छा नहीं है और उसकी प्रज्ञा भी अपवित्र है ।

शुद्ध और शुद्ध प्रज्ञावान, अशुद्ध और अशुद्ध प्रज्ञावान—

१८७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष निर्मल ज्ञानादि गुणवाला है और उसकी प्रज्ञा भी शुद्ध है,

एक पुरुष निर्मल ज्ञानादि गुणवाला है किन्तु उसकी प्रज्ञा अशुद्ध है,

एक पुरुष निर्मल ज्ञानादि गुणवाला नहीं है किन्तु उसकी प्रज्ञा शुद्ध है,

एक पुरुष निर्मल ज्ञानादि गुणवाला नहीं है और उसकी प्रज्ञा भी शुद्ध नहीं है ।

वायणा दाता, अदाता, ग्रहिता, अग्रहिता—

१८८. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. वाएइ णाममेगे णो वायावेइ,
२. वायावेइ णाममेगे णो वाएइ,
३. एगे वाएइ वि वायावेइ वि,
४. एगे णो वाएइ णो वायावेइ ।

पडिच्छगा-अपडिच्छगा—

१८९. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. पडिच्छति णाममेगे णो पडिच्छावेति,
२. पडिच्छावेति णाममेगे णो पडिच्छति,
३. एगे पडिच्छति वि पडिच्छावेति वि,
४. एगे णो पडिच्छति णो पडिच्छावेति ।

पण्ह कत्ता, अकत्ता—

१९०. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. पुच्छइ णाममेगे णो पुच्छावेइ,
२. पुच्छावेइ णाममेगे णो पुच्छइ,
३. एगे पुच्छइ वि पुच्छावेइ वि,
४. एगे णो पुच्छइ णो पुच्छावेइ ।

वागरा, अवागरा—

१९१. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१. वागरेति णाममेगे णो वागरावेति,
२. वागरावेति णाममेगे णो वागरेति,
३. एगे वागरेति वि वागरावेति वि,
४. एगे णो वागरेति णो वागरावेति ।

—ठाणं, अ. ४, उ. १, सु. २५६

वाचना दाता, अदाता, ग्रहिता, अग्रहिता—

१८८. पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

- (१) कोई पुरुष दूसरों को वाचना देता है, किन्तु दूसरों से वाचना नहीं लेता ।
- (२) कोई पुरुष दूसरों से वाचना लेता है, किन्तु दूसरों को वाचना नहीं देता ।
- (३) कोई पुरुष दूसरों को वाचना देता है और दूसरों से वाचना लेता भी है ।
- (४) कोई पुरुष न दूसरों को वाचना देता है और न दूसरों से वाचना लेता है ।

सूत्रार्थ ग्राहक अग्राहक—

१८९. पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

- (१) कोई पुरुष प्रतीच्छा (सूत्र और अर्थ का ग्रहण) करता है, किन्तु प्रतीच्छा करवाता नहीं है ।
- (२) कोई पुरुष प्रतीच्छा करवाता है, किन्तु प्रतीच्छा करता नहीं है ।
- (३) कोई पुरुष प्रतीच्छा करता भी है और प्रतीच्छा करवाता भी है ।
- (४) कोई पुरुष प्रतीच्छा न करता है और न प्रतीच्छा करवाता है ।

प्रश्नकर्ता, अकर्ता—

१९०. पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

- (१) कोई पुरुष प्रश्न करता है, किन्तु प्रश्न करवाता नहीं है ।
- (२) कोई पुरुष प्रश्न करवाता है, किन्तु स्वयं प्रश्न करता नहीं है ।
- (३) कोई पुरुष प्रश्न करता भी है और प्रश्न करवाता भी है ।
- (४) कोई पुरुष न प्रश्न करता है, न प्रश्न करवाता है ।

सूत्रार्थ व्याख्याता, अव्याख्याता—

१९१. पुनः पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

- (१) कोई पुरुष सूत्रादि का व्याख्यान करता है, किन्तु अन्य से व्याख्यान करवाता नहीं है ।
- (२) कोई पुरुष व्याख्यान करवाता है, किन्तु स्वयं व्याख्यान नहीं करता है ।
- (३) कोई पुरुष स्वयं व्याख्यान करता है, और अन्य से व्याख्यान करवाता भी है ।
- (४) कोई पुरुष न स्वयं व्याख्यान करता है और न अन्य से व्याख्यान करवाता है ।

सुएण वा सरीरेण वा पुण्णा अपुण्णा—

१६२. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

पुण्णे नाममेगे पुण्णे,
पुण्णे नाममेगे तुच्छे,
तुच्छे नाममेगे पुण्णे,
तुच्छे नाममेगे तुच्छे ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएण पुण्णा अपुण्णा, पुण्णावभासा अपुण्णावभासा—

१६३. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

पुण्णे नाममेगे पुण्णोभासी,
पुण्णे नाममेगे तुच्छोभासी,
तुच्छे नाममेगे पुण्णोभासी,
तुच्छे नाममेगे तुच्छोभासी ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएण पुण्णा अपुण्णा, पुण्णरूवा अपुण्णरूवा—

१६४. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

पुण्णे नाममेगे पुण्णरूवे,
पुण्णे नाममेगे तुच्छरूवे,
तुच्छे नाममेगे पुण्णरूवे,
तुच्छे नाममेगे तुच्छरूवे । —ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएण पुण्णा अपुण्णा, उपकारकारगा, अपकारकारगा—

१६५. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

पुण्णे वि एगे पियट्ठे,
पुण्णे वि एगे अवदत्ते,
तुच्छे वि एगे पियट्ठे,
तुच्छे वि एगे अवदत्ते ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६०

सुएण पुण्णा अपुण्णा, सुअस्स दाता अदाता—

१६६. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

पुण्णे वि एगे विस्संदइ,
पुण्णे वि एगे णो विस्संदइ,
तुच्छे वि एगे विस्संदइ,
तुच्छे वि एगे नो विस्संदइ ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६५

सुएण सरीरेण य उन्नया अवनया—

१६७. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

उन्नए नाममेगे उन्नए,
उन्नए नाममेगे पणए,

श्रुत और शरीर से पूर्ण अथवा अपूर्ण—

१६२. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष अवयवादि से पूर्ण है और श्रुत से भी पूर्ण है,
एक पुरुष अवयवादि से पूर्ण है किन्तु श्रुत से अपूर्ण है,
एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है किन्तु अवयवादि से पूर्ण है,
एक पुरुष श्रुत से भी अपूर्ण है और अवयवादि से भी अपूर्ण है ।

श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण सदृश या अपूर्ण सदृश—

१६३. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है और पूर्ण ही दिखाई देता है,
एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है किन्तु अपूर्ण दिखाई देता है,
एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है किन्तु पूर्ण दिखाई देता है,
एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है और अपूर्ण ही दिखाई देता है ।

श्रुत से पूर्ण अपूर्ण, श्रमणवेप से पूर्ण और अपूर्ण—

१६४. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष श्रुत से भी पूर्ण है और साधुवेप से भी पूर्ण है,
एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है किन्तु साधुवेप से पूर्ण नहीं है,
एक पुरुष श्रुत से अपूर्ण है किन्तु साधुवेप से पूर्ण है,
एक पुरुष श्रुत से भी अपूर्ण है और साधुवेप से भी अपूर्ण है ।

श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण उपकारी और अपकारी—

१६५. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है और परोपकारी भी है,
एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है किन्तु परोपकारी नहीं है,
एक पुरुष श्रुत से पूर्ण नहीं है किन्तु परोपकारी है,
एक पुरुष श्रुत से भी पूर्ण नहीं है और परोपकारी भी नहीं है ।

श्रुत से पूर्ण और अपूर्ण, श्रुत के दाता और अदाता—

१६६. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है और अन्य को श्रुत देता है,
एक पुरुष श्रुत से पूर्ण है किन्तु अन्य को श्रुत नहीं देता है,
एक पुरुष श्रुत से पूर्ण नहीं है किन्तु अन्य को श्रुत देता है,
एक पुरुष श्रुत से भी पूर्ण नहीं है और अन्य को भी श्रुत नहीं देता है ।

श्रुत से और शरीर से उन्नत या अवनत—

१६७. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष शरीर से उन्नत है और श्रुत से भी उन्नत है,
एक पुरुष शरीर से उन्नत है किन्तु श्रुत से उन्नत नहीं है,

पणए नाममेगे उन्नए,

पणए नाममेगे पणए ।

—ठाणं. अ. ४, सु. २३६

जाइसंपन्ना, जाइहीणा, सुयसंपन्ना, सुयहीणा—

१६८. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

जाइसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने,

सुयसंपन्ने नाममेगे नो जाइसंपन्ने,

एगे जाइ संपन्ने वि सुयसंपन्ने वि,

एगे नो जाइ संपन्ने नो सुयसंपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

कुलसंपण्णा, कुलहीणा, सुयसम्पन्ना, सुयहीणा—

१६९. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

कुलसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने,

सुयसंपन्ने नाममेगे नो कुलसंपन्ने,

एगे कुलसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि,

एगे नो कुलसंपन्ने नो सुयसंपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

सुरूवा, कुरूवा, सुयसम्पन्ना, सुयहीणा—

२००. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

रूवसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने,

सुयसंपन्ने नाममेगे नो रूवसंपन्ने,

एगे रूवसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि,

एगे नो रूवसंपन्ने नो सुयसंपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

बलसम्पण्णा, बलहीणा, सुयसम्पण्णा, सुयरहिया—

२०१. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

बलसंपन्ने नाममेगे नो सुयसंपन्ने,

सुयसंपन्ने नाममेगे नो बलसंपन्ने,

एगे बलसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि,

एगे नो बलसंपन्ने नो सुयसंपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ३, सु. ३१६

सुत्तधरा, अत्थधरा—

२०२. तओ पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

सुत्तधरे, अत्थधरे, तदुभयधरे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १७७

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

सुत्तधरे नाममेगे नो अत्थधरे,

अत्थधरे नाममेगे नो सुत्तधरे,

एगे सुत्तधरे वि अत्थधरे वि,

एगे नो सुत्तधरे नो अत्थधरे ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २५६

एक पुरुष शरीर से उन्नत नहीं है किन्तु श्रुत से उन्नत है,

एक पुरुष शरीर से उन्नत नहीं है और श्रुत से भी उन्नत नहीं है ।

जातिसम्पन्न, जातिहीन, श्रुतसम्पन्न, श्रुतहीन—

१६८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष जातिसम्पन्न है किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष श्रुतसम्पन्न है किन्तु जातिसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष जातिसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,

एक पुरुष जातिसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी

नहीं है ।

कुलसम्पन्न और कुलहीन, श्रुतसम्पन्न और श्रुतहीन—

१६९. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष कुलसम्पन्न है किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष श्रुतसम्पन्न है किन्तु कुलसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष कुलसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,

एक पुरुष कुलसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी

नहीं है ।

सुरूप और कुरूप, श्रुतसम्पन्न और श्रुतहीन—

२००. चार प्रकार के पुरुष कहे गये हैं, यथा—

एक पुरुष रूपसम्पन्न है किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष श्रुतसम्पन्न है किन्तु रूपसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष रूपसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,

एक पुरुष रूपसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी नहीं है ।

बलसम्पन्न और बलहीन, श्रुतसम्पन्न और श्रुतहीन—

२०१. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष बलसम्पन्न है, किन्तु श्रुतसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष श्रुतसम्पन्न है, किन्तु बलसम्पन्न नहीं है,

एक पुरुष बलसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है,

एक पुरुष बलसम्पन्न भी नहीं है और श्रुतसम्पन्न भी नहीं है ।

सूत्रधर, अर्थधर—

२०२. श्रुतधर पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैं—

सूत्रधर, अर्थधर और तदुभयधर (सूत्र और अर्थ दोनों के

धारक)

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक सूत्रधर है किन्तु अर्थधर नहीं है,

एक अर्थधर है किन्तु सूत्रधर नहीं है,

एक सूत्रधर भी है और अर्थधर भी है,

एक सूत्रधर भी नहीं है और अर्थधर भी नहीं है ।

छसु दिसासु णाणवुड्डी—

२०३. छद्दिसाओ पणत्ताओ, तं जहा—पाईणा, पडीणा, दाहिणा, उदीणा, उड्ढा, अधा ।

छ्हि दिसाह् जीवाणं गती पवत्तति नाणाभिगमे, तं जहा—
पाईणात्ते-जाव-अघाते । —ठाणं. अ. ६, सु. ४६६

नाणवुड्ढिकरा दस नक्खत्ता—

२०४. दस नक्खत्ता णाणस्स वुड्ढिकरा पणत्ता, तं जहा—

मिगसिरमद्दा पुस्तो, तिसि य पुब्बाइं मूलमस्सेसा ।
हत्थो चित्तो य तथा, दस वुड्ढिकराइं णाणस्स^१ ॥
—ठाणं. अ. १०, सु. ७८१

तिविहा निणया—

२०५. तिविहे अंते पणत्ते, तं जहा—

लोगंते,
वेयंते,
समयंते । —ठाणं. ३, उ. ४, सु. २१६

तिविहा निव्वुई—

२०६. तिविधा वावत्ती पणत्ता, तं जहा —
जाणू, अजाणू, वित्तिगच्छा ।

तिविहो विसयाणुरागो—

२०७. तिविधा अज्झोववज्जणा पणत्ता, तं जहा —
जाणू, अजाणू, वित्तिगच्छा ।

तिविहं विसयाणुसेवनं—

२०८. तिविधा परियावज्जणा पणत्ता, तं जहा—
जाणू, अजाणू, वित्तिगच्छा । —ठाणं. ३, उ. ४, सु. २१८

छहों दिशाओं में ज्ञान वृद्धि—

२०३. छः दिशाएँ कही हैं, यथा—(१) पूर्व, (२) पश्चिम, (३) दक्षिण, (४) उत्तर, (५) ऊर्ध्व, (६) अधो ।

छः दिशाओं में जीवों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यथा—
पूर्व—यावत्—अधोदिशा में ।

ज्ञान वृद्धिकर दस नक्षत्र—

२०४. ज्ञान वृद्धि करने वाले दस नक्षत्र कहे हैं, यथा—

(१) मृगशिर, (२) आर्द्रा, (३) पुष्य, (४) पूर्वाषाढा,
(५) पूर्वाफाल्गुनी, (६) पूर्वाभाद्रपदा, (७) मूल, (८) अश्लेषा,
(९) हस्त, (१०) चित्रा ।

तीन प्रकार के निर्णय—

२०५. अन्त (रहस्य-निर्णय) तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) लोकान्त-निर्णय— लौकिक शास्त्रों के रहस्य का निर्णय ।
(२) वेदान्त-निर्णय— वैदिक शास्त्रों के रहस्य का निर्णय ।
(३) समयान्त-निर्णय— जैनमिद्धान्तों के रहस्य का निर्णय ।

तीन प्रकार की निवृत्ति—

२०६. व्यावृत्ति (पापरूप कार्यों से निवृत्ति) तीन प्रकार की कही गई है—ज्ञान-पूर्वक, अज्ञान-पूर्वक और विचिकित्सा (संशयादि)-पूर्वक ।

तीन प्रकार का विषयानुराग—

२०७. अध्युपपादन (इन्द्रिय-विषयानुसंग) तीन प्रकार का कहा गया है—ज्ञानपूर्वक, अज्ञान-पूर्वक और विचिकित्सा-पूर्वक ।

तीन प्रकार का विषय सेवन—

२०८. पर्यापादन (विषय-सेवन) तीन प्रकार का कहा गया है—
ज्ञानपूर्वक, अज्ञान-पूर्वक, और विचिकित्सा-पूर्वक ।




१ इन नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ योग होने पर यदि अध्ययन किया जाता है तो ज्ञान वृद्धि होती है, विघ्नरहित अध्ययन, श्रवण, व्याख्यान एवं धारणा होती है । ऐसे कार्यों में विशेषकाल कारण होता है, क्योंकि विशेषकाल क्षयोपशम का हेतु होता है, कहा भी है—

गाहा—उदयकलयखओवसमा, जं च कम्मुणो भणिया । दव्वं, खेतं कालं, भवं च भावं च संपप्प ॥

ज्ञानाचार तालिका

ज्ञानाचार



२

॥ दंशणायारो ॥

शिरसंकिच्य शिखरंश्रिय,
शिरसिचिचिच्छा अमूहदिदिठ य ।
उववूह - शिरीकरणे,
वच्छल्ल - पभावणे अत्ठ ॥

—निशोचमाप्य, भाग १, पाठ २२

च र णा नु यो ग

[द शं ना चार]

२

दंसणायारो

दर्शनाचार

सम्यक्दर्शन ! स्वरूप एवं प्राप्ति के उपाय

दंसणसरूवं—

२०६. प०—से णूणं भंते ! तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहि पवेइयं ?

उ०—हुंता, गोयमा ! तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहि पवेइयं ।

प०—से णूणं भंते ! एवं मणे धारेमाणे, एवं पकरेमाणे, एवं चिट्ठेमाणे, एवं संवरेमाणे आणाए आराहए भवइ ?

उ०—हुंता, गोयमा ! एवं मणं धारेमाणे-जाव-आणाए आराहए भवइ । —वि. स. १, उ. ३, सु. ६

सम्मत्तस्स दीवोवमा—

२१०. च्चुद्धमाणाण पाणाणं, किच्चंताण सकम्मुणा ।
आधाति साहु तं दीवं, पत्तिट्ठेसा पवुच्चती ॥
—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १३

दंसण लक्खणं—

२११. जीवाजीवा य बंधो य, पुण्णं पावासवो तथा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, संते ए तहिया नव ॥

तहियाणं तु भावाणं, सद्भावे उवएसणं ।
भावेणं सहहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥

—उत्त. अ. २८, गा. १४-१५

इणमेव णावकंखंति जे जणा धुवचारिणो ।
जाति - मरणं परिणाय - चरे संकमणे वढे ॥

—आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७८

दर्शन स्वरूप—

२०६. प्र०—हे भगवन् ! वही सत्य और निःशंक है जो जिन भगवान् ने कहा है ?

उ०—हाँ गौतम ! वही सत्य और निःशंक है जो जिन भगवान् ने कहा है ।

प्र०—हे भगवन् ! इस प्रकार मन में धारणा करता हुआ, आचरण करता हुआ, स्थिर रहता हुआ, आत्मसंवरण करता हुआ प्राणी आज्ञा का आराधक होता है ?

उ०—हाँ गौतम ! इस प्रकार मन में धारण करता हुआ—यावत्—आज्ञा का आराधक होता है ।

सम्यक्त्व को द्वीप की उपमा—

२१०. (मिथ्यात्व, कपाय एवं प्रमाद आदि संसार-सागर के स्रोतों के प्रवाह (तीव्रधारा) में बहाकर ले जाते हुए तथा अपने (कृत) कर्मों (के उदय) से दुःख पाते हुए प्राणियों के लिए तीर्थकर उसे (निर्वाणमार्ग को) उत्तम द्वीप पर हितरत वतार्ते हैं । (तत्त्वज्ञ पुरुष) कहते हैं कि यही मोक्ष का प्रतिष्ठान (संसार भ्रमण से विश्रान्ति रूप स्थान, या मोक्ष प्राप्ति का आधार) है ।

दर्शन का लक्षण—

२११. (१) जीव, (२) अजीव, (२) बन्ध (४) पुण्य, (५) पाप, (६) आश्रय, (७) संवर, (८) निर्जरा और (९) मोक्ष ये नव पदार्थ सत्य हैं ।

जीवादि इन सत्य पदार्थों के सद्भाव में स्वभाव से या उपदेश से जो भावपूर्वक श्रद्धा है उसे सम्यक्त्व कहा गया है ।

जो पुरुष ध्रुवचारी—अर्थात् शाश्वत सुख-केन्द्र मोक्ष की ओर गतिशील होते हैं, वे ऐसा विपर्यासपूर्ण जीवन नहीं चाहते । वे जन्म-मरण के चक्र को जानकर दृढ़तापूर्वक मोक्ष के पथ पर बढ़ते रहें ।

समदंसणिस्स अट्ट पभावणा—

२१२. निस्संकिय निक्कंखिय, निव्वित्तिगिच्छा अमूढविट्ठी य ।
उववूह - थिरीकरणे, वच्छल्ल - पभावणे अट्ट ॥
—उत्त. अ. २८, गा. ३१

सम्मदंसणिस्स दसविहारुई—

२१३. निसग्गुवएसरुई , आणारुई सुत्तवीयरुइमेव ।
अभिगमवित्थारुई , किरियासंखेवधम्मरुई ॥^१

(१) भूयत्थेणाहिगया , जीवाजीवा य पुण्ण-पावं च ।
सहसम्मुइयासवसंवरो , रोएइ उ निसग्गो ॥

जो जिणविट्ठे भावे, चउव्विहे सदुहाइ सयमेव ।
एमेव नऽसह त्ति य, स निसग्गरुई त्ति नायव्वो ॥

(२) एए चेव उ भावे, उवइट्ठे जो परेण सदुहई ।
छउमत्थेण जिणेण व, उवएसरुई त्ति नायव्वो ॥

(३) रागो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवगयं होइ ।
आणाए रोयंतो, सो खलु आणारुई नाम ॥

(४) जो सुत्तमहिज्जन्तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं ।
अंगेण बाहिरेण व, सो सुत्तरुइ नायव्वो ॥

(५) एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।
उदए व्व तेल्लविट्ठु, सो वीयरुइ त्ति नायव्वो ॥

(६) सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ विट्ठं ।
“एवकारस अंगाइं”, पइण्णगं विट्ठिवाओ य ॥

(७) दव्वाण सव्वभावा, सव्वपमाणेहि जस्स उवल्लद्धा ।
सव्वाहि नयविहीहि, य, वित्थारुई त्ति नायव्वो ॥

(८) दंसणनाणचरित्ते , तव्वविणए सच्चसमिइगुत्तीसु ।
जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥

(९) अणभिगहियकुट्ठी , संखेवरुई त्ति होइ नायव्वो ।
अविसारओ पवयणे, अणभिगहिओ य सेसेसु ॥

सम्यक्त्व के आठ (प्रभावना) अंग—

२१२. (१) निःशंका, (२) निष्कांक्षा, (३) निर्विकित्सा,
(४) अमूढ़ दृष्टि, (५) उपवृंहण (सम्यक्दर्शन की पुष्टि),
(६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य, (८) प्रभावना—ये आठ
सम्यक्त्व के अंग हैं ।

सम्यक्त्व के दस प्रकार—(रुचि)

२१३. (१) निसर्ग-रुचि, (२) उपदेश-रुचि, (३) आज्ञा-रुचि,
(४) सूत्र-रुचि, (५) बीज-रुचि, (६) अभिगम-रुचि, (७) विस्तार-
रुचि, (८) क्रिया-रुचि, (९) संक्षेप-रुचि, (१०) धर्म-रुचि ।

(१) जो परोपदेश के बिना केवल अपनी आत्मा से उपजे
हुए भूतार्थ (यथार्थ-ज्ञान) से, जीव, अजीव, पुण्य, पाप तथा आश्रव
को जानता है और संवर पर श्रद्धा करता है, वह निसर्ग-रुचि है ।

जो जिनेन्द्र द्वारा दृष्ट तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से
विशेषित पदार्थों पर स्वयं ही—“यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं
है”—ऐसी श्रद्धा रखता है, उसे निसर्ग-रुचि वाला जानना
चाहिए ।

(२) जो दूसरों—छद्मस्थ या जिन—के द्वारा उपदेश प्राप्त
कर, इन भावों पर श्रद्धा करता है, उसे उपदेश-रुचि वाला
जानना चाहिए ।

(३) जो व्यक्ति, राग, द्वेष, मोह और अज्ञान से दूर हो
जाने पर वीतराग की आज्ञा में रुचि रखता है, वह आज्ञा-रुचि है ।

(४) जो अंग-प्रविष्ट या अंग वाह्य सूत्रों को पढ़ता हुआ
सम्यक्त्व पाता है, वह सूत्र-रुचि है ।

(५) पानी में डाले हुए तेल की बूंद की तरह सम्यक्त्व
(रुचि) एक पद (तत्त्व) से अनेक पदों में फैलता है, उसे बीज रुचि
जानना चाहिए ।

(६) जिसे ग्यारह अंग, प्रकीर्ण और दृष्टिवाद आदि श्रुत-
ज्ञान अर्थ सहित प्राप्त है, वह अभिगम-रुचि है ।

(७) जिसे द्रव्यों के सब भाव, सभी प्राणियों और सभी नय-
विधियों से उपलब्ध हैं, वह विस्तार-रुचि है ।

(८) दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, विनय, सत्य, समिति,
गुप्ति आदि क्रियाओं में जिसकी वास्तविक रुचि है, वह क्रिया-
रुचि है ।

(९) जो जिन-प्रवचन में विशारद नहीं है और अन्यान्य
प्रवचनों का अभिज्ञ भी नहीं है, [किन्तु] जिसे कुदृष्टि का आग्रह न
होने के कारण स्वल्प ज्ञान मात्र से जो तत्त्व-श्रद्धा प्राप्त होती है,
उसे संक्षेप-रुचि जानना चाहिए ।

(१०) जो अत्यिकायधम्मं, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
सद्दहइ जिणामिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नायच्चो ॥

—उत्त. अ. २८, गा. १६-२७

तिविहे दंसणे —

२१४. तिविहे दंसणे पणत्ते,^१ तं जहा—

१. सम्मदंसणे, २. मिच्छदंसणे,
३. सम्मामिच्छदंसणे । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १६०/१

सम्मदंसणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

णिसगसम्मदंसणे, अभिगमदंसणे,
णिसगसम्मदंसणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

पडिवाइ चेव, अपडिवाइ चेव,

अभिगमसम्मदंसणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

पडिवाइ चेव, अपडिवाइ चेव,

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५६

दंसणसंपणयाए फलं—

२१५. प०—दंसणसंपणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—दंसणसंपणयाए णं भवमिच्छत्तछेयणं करेइ,
परं न विज्जायइ ।

अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे
सम्मं भावेमाणे विहरइ ॥

—उत्त. अ. २६, गा. ६२

दरिसणावरणिज्जस्स खएण वोहिलाभो अक्खएण-अलाभो—

२१६. प०—(क) सोच्चा णं भंते ! केवलिसस वा-जाव-त्तपक्खिय-
उवासियाए वा केवलं वोहिं बुज्जेज्जा ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा णं केवलिसस वा-जाव-त्तपक्खिय-
उवासियाए वा अत्येगत्तिए केवलं वोहिं बुज्जेज्जा
अत्येगत्ति ए केवलं वोहिं नो बुज्जेज्जा ।

१ (क) ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५६ ।

(ख) सत्तविहे दंसणे पणत्ते, तं जहा—१. सम्मदंसणे, २. मिच्छदंसणे, ३. सम्मामिच्छदंसणे, ४. चक्खुदंसणे, ५. अचक्खुदंसणे,
६. ओहिदंसणे, ७. केवलदंसणे । —ठाणं. अ. ७, सु. ५६५

(ग) अट्टविहे दंसणे पणत्ते, तं जहा—१. सम्मदंसणे, २. मिच्छदंसणे, ३. सम्मामिच्छदंसणे, ४. चक्खुदंसणे, ५. अचक्खुदंसणे,
६. ओहिदंसणे, ७. केवलदंसणे, ८. सुविणदंसणे । —ठाणं. अ. ८, सु. ६१६

स्थानांग की रचना के अनुसार ७ और ८ दर्शनों के प्रकार कहे गये हैं किन्तु सम्यग्दर्शनादि दर्शनत्रय से चक्षुदर्शनादि दर्शनों का विषय साम्य नहीं है । चक्षुदर्शनादि चार दर्शन उपयोग रूप हैं और यह चारों दर्शन दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम-क्षयजन्य हैं ।

(घ) तिविधे पयोगे पणत्ते, तं जहा—सम्मपयोगे, मिच्छपयोगे, सम्मामिच्छपयोगे । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १६०

(१०) जो जिन-प्ररूपित अस्तिकाय-धर्म, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे धर्म-रुचि जानना चाहिए ।

तीन प्रकार के दर्शन—

२१४. तीन प्रकार के दर्शन कहे गये हैं यथा—

(१) सम्यग्दर्शन, (२) मिथ्यादर्शन,
(३) सम्यग्मिथ्यादर्शन ।

सम्यग्दर्शन दो प्रकार के कहे गये हैं यथा—

(१) निसर्ग सम्यग्दर्शन, (२) अभिगम सम्यग्दर्शन ।

निसर्ग सम्यग्दर्शन दो प्रकार के कहे गये हैं यथा—

(१) प्रतिपात्ति, (२) अप्रतिपात्ति ।

अभिगम सम्यग्दर्शन दो प्रकार के कहे गये हैं यथा—

(१) प्रतिपात्ति, (२) अप्रतिपात्ति ।

दर्शन का फल—

२१५. प्र०—भन्ते ! दर्शन-सम्पन्नता (सम्यक्-दर्शन की सम्प्राप्ति) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—दर्शन-सम्पन्नता से वह संसार-पर्यटन के हेतु-भूत मिथ्यात्व का उच्छेद करता है—क्षायिक सम्यक्-दर्शन को प्राप्त होता है । उसे आगे उसकी प्रकाश-शिक्षा बुझती नहीं । वह अनुत्तर ज्ञान और दर्शन को आत्मा से संयोजित करता हुआ, उन्हें सम्यक् प्रकार से आत्मसात् करता हुआ विहरण करता है ।

दर्शनावरणीय के क्षय से वोधिलाभ और क्षय न होने से अलाभ—

२१६. प्र०—(क) भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव केवलवोधि को प्राप्त कर सकता है ?

उ०—गीतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव केवलवोधि को प्राप्त कर सकते हैं और कई जीव केवलवोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

जस्स णं दरिसणावरणिज्जाणं कम्मणं खओवसमे नो
कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलस्स वा-जाव-त्त्प-
विखयउवासियाए वा केवलं वोहिं नो बुज्जेज्जा ।

—वि. श. ६, उ. ३१, सु. ३२

दंसणलाभाणुकूलो कालो—

२१७. तयो जामा पणत्ता, तं जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे,
तिहिं जामेहिं आया केवलं वोहिं बुज्जेज्जा,
पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

दंसणलाभाणुकूला वया—

२१८. तयो वया पणत्ता, तं जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।
तिहिं वएहिं आया केवलं वोहिं बुज्जेज्जा—
पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

छसु दिसासु दंसणालाभो—

२१९. छद्दिसाओ पणत्ताओ, तं जहा—

पाईणा, पढीणा, दाहिणा. उदीणा उड्ढा, अहा—
छोहिं दिसाहिं जीवाणं दंसणामिगमे ।

—ठाणं. अ. ६, सु. ४६६

पंच दुल्लभवोही जीवा—

२२०. पंचहिं ठाणेहिं जीवा दुल्लभवोधिपत्ताए कम्मं पकरेंति,
तं जहा—

अरहंताणं अवण्णं वदमाणे,
अरहंतपणत्तस्स धम्मस्स अवण्णं वदमाणे,
आयरियउवज्जायाणं अवण्णं वदमाणे,
चाउवण्णस्स संघस्स अवण्णं वदमाणे,
विवक्क-त्तवधंभचेराणं देवाणं अवण्णं वदमाणे ।

—ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४२६

पंच सुलभवोही जीवा—

२२१. पंचहिं ठाणेहिं जीवा सुलभवोधिपत्ताए कम्मं पकरेंति,
तं जहा—

अरहंताणं वण्णं वदमाणे,
अरहंतपणत्तस्स धम्मस्स वण्णं वदमाणे,
आयरियउवज्जायाणं वण्णं वदमाणे,
त्राउवण्णस्स संघस्स वण्णं वदमाणे,
विवक्क-त्तव-धंभचेराणं देवाणं वण्णं वदमाणे ।

—ठाणं. अ. ५, उ. ३, सु. ४२६

जिसके दर्शनावरणीय कर्म का अयोपशम नहीं हुआ है वह
केवली से—यावत्—केवलीपाक्षिक उपामिका मे बिना मुने
बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है ।

दर्शनप्राप्ति के लिए अनुकूल काल—

२१७. तीन याम (प्रहर) कहे हैं, यथा—

प्रथम याम, मध्यम याम, अन्तिम याम ।
तीन यामों में आत्मा शुद्ध बोध को प्राप्त होता है,
प्रथम याम, मध्यम याम, और अन्तिम याम ।

दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल वय—

२१८. तीन वय कहे हैं, यथा—

प्रथम वय, मध्यम वय, अन्तिम वय ।
तीन वय में आत्मा शुद्ध बोध को प्राप्त होता है—
प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय ।

दर्शन प्राप्ति के लिए अनुकूल दिशाएँ—

२१९. छः दिशाएँ कही हैं, यथा—

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व और अधो ।
इन छः दिशाओं में जीवों को दर्शन (सम्यक्त्व) की प्राप्ति
होती है ।

पाँच दुर्लभवोधि जीव—

२२०. पाँच कारणों से जीव दुर्लभवोधि करने वाले (जिनधर्म
की प्राप्ति को दुर्लभ बनाने वाले) मोहनीय आदि कर्मों का उपा-
र्जन करते हैं । जैसे—

- (१) अहंत्तो का अवर्णवाद करता हुआ ।
- (२) अहंप्रजप्त धर्म का अवर्णवाद करता हुआ ।
- (३) आचार्य उपाध्याय का अवर्णवाद करता हुआ ।
- (४) चतुर्वर्ण (चतुर्विध) संघ का अवर्णवाद करता हुआ ।
- (५) तप और ब्रह्मचर्य के परिपाक से दिव्य गति को प्राप्त
देवों का अवर्णवाद करता हुआ ।

पाँच सुलभवोधि जीव—

२२१. पाँच कारणों से जीव सुलभवोधि करने वाले कर्म का
उपार्जन कनता है । जैसे—

- (१) अहंत्तो का वर्णवाद (सद्गुणोद्भावन) करता हुआ ।
- (२) अहंप्रजप्त धर्म का वर्णवाद करता हुआ ।
- (३) आचार्य-उपाध्याय का वर्णवाद करता हुआ ।
- (४) चतुर्वर्ण (चतुर्विध) संघ का वर्णवाद करता हुआ ।
- (५) तप और ब्रह्मचर्य के विपाक से दिव्यगति को प्राप्त
देवों का वर्णवाद करता हुआ ।

तमो दुर्बोध्या—

२२२. तमो दुसण्णप्या पण्णत्ता, तं जहा—
दुट्ठे,
मूढे,
वग्गाहिते^१

तमो सुबोध्या—

२२३. तमो सुसण्णप्या पण्णत्ता, तं जहा—
अदुट्ठे,
अमूढे,
अक्खगाहिते ।^२ —उणं. अ. ३, उ. ४, सु. २०४

सुल्लहवोही-दुल्लहवोही य—

२२४. इतो विद्धंसमाणस्त, पुणो संबोहि दुल्लभा ।
दुल्लभा उ तहच्चा णं, जे घम्महु वियागरे ॥
—सुय. सु. १, अ. १५, गा. १८

इणमेव खणं वियाणिया, णो सुलभं बोहि च आहियं ।
एवं सहिएऽहियासए, आह जिणे इणमेव सेसगा ।
—सुय. सु. १, अ. २, उ. ३, गा. १९

इह जीवियं अणियमेत्ता, पब्भट्ठा समाहिजोर्गेहि ।
ते काम-भोगरसगिद्धा, उववज्जंति आसुरे काये ॥

तत्तो वि य उवट्ठित्ता, संसारे बहु अणुपरियडंति ।
बहुकम्मलेवलित्ताणं , बोहि होहि सुदुल्लहा तेसि ॥
—उत्त. अ. ८, गा. १४-१४

मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा कण्हलेस्सभोगाढा ।
इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

सम्महंसणरत्ता , अनियाणा सुक्कलेसभोगाढा ।
इय जे मरंति जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही ॥

मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा हु हिसगा ।
इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥
—उत्त. अ. ३६, गा. २५७-२५९

तीन दुर्बोध्य—

२२२. तीन दुःसंज्ञाप्य (दुर्बोध्य) कहे गये हैं—
(१) दुष्ट—तत्त्वोपदेष्टा के प्रति द्वेष रखने वाला,
(२) मूढ़—गुण और दोषों से अनभिज्ञ,
(३) व्युद्ग्राहित—अंधश्रद्धा वाला दुराग्रही ।

तीन सुबोध्य—

२२३. तीन सुसंज्ञाप्य (सुबोध्य) कहे गये हैं—
(१) अदुष्ट—तत्त्वोपदेष्टा के प्रति द्वेष न रखने वाला,
(२) अमूढ़—गुण और दोषों का ज्ञाता,
(३) अच्युद्ग्राहित—सम्यक् श्रद्धावाला ।

सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि—

२२४. जो जीव इस मनुष्यभव (या शरीर) से भ्रष्ट हो जाता है, उसे पुनः जन्मान्तर में सम्बोधि (सम्यग्दृष्टि) का प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है । जो साधक धर्मरूप पदार्थ की व्याख्या करते हैं, अथवा धर्म प्राप्ति के योग्य हैं, उनको तथाभूत अर्चा (सम्यग्दर्शनादि प्राप्ति के योग्य शुभ लक्ष्या अन्तःकरणपरिणति, अथवा सम्यग्दर्शन-प्राप्तियोग्य तेजस्वी मनुष्यदेह) (जिसने पूर्वजन्म में धर्म-बोध नहीं पाया है, उन्हें) प्राप्त होनी अति दुर्लभ है ।

जानादि सम्पन्न या स्वहितैपी मुनि इस प्रकार विचार करे कि यही क्षण (बोधि प्राप्ति का) अवसर है, बोधि (सम्यग्दर्शन) दुर्लभ है ऐसा जिन—राग-द्वेष विजेता ने और शेष तीर्थकरों ने कहा है ।

जो श्रमण काम, भोग और रसों में गूढ़ हैं वे इस जीवन में अनियन्त्रित रहकर और समाधियोग से भ्रष्ट होकर आसुर काय में उत्पन्न होते हैं ।

(बहुत कर्मों के लेप से लिप्त) वे वहाँ से भी निकलकर संसार में बहुत परिभ्रमण करते हैं, उन्हें बोधि की प्राप्ति महान् दुर्लभ है ।

इस प्रकार जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, निदान सहित (धर्म) क्रिया करने वाले और कृष्णलक्ष्या युक्त हो मरते हैं उन्हें पुनः बोधि प्राप्त होना महान् दुर्लभ है ।

सम्यग्दर्शन में अनुरक्त, निदानरहित (धर्म) क्रिया करने वाले, और शुक्ललक्ष्या युक्त जो जीव मरते हैं, उन्हें बोधि प्राप्त होना सुलभ है ।

जो जीव (अन्तिम समय में) मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, निदान से युक्त और हिंसक होकर मरते हैं, उन्हें बोधि दुर्लभ होती है ।

बोधिहाभे बाधगा साहगा य—

दो ठाणाइं अपरियाणित्ता आया णो केवलं बोहि बुज्जेज्जा,
तं जहा—आरंभे चेव, परिग्गेहे चेव ।

दो ठाणाइं परियाणित्ता आया केवलं बोहि बुज्जेज्जा,
तं जहा—आरंभे चेव, परिग्गेहे चेव ।

बोहि ठाणेहि आया केवलं बोहि बुज्जेज्जा, तं जहा—
सोच्चा चेव, अभिसोच्चा वेव ।

बोहि ठाणेहि आया केवलं बोहि बुज्जेज्जा, तं जहा—
खएण चेव, उवसमेण चेव । —ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५४

सड्डालु आ, असड्डालु आ—

२२५. १. सड्डिस्स णं समणुअस्स संपव्वयमाणस्स—समियं ति
मअमाणस्स एगया समिया होइ,

२. सड्डिस्स णं समणुअस्स संपव्वयमाणस्स—समियं ति मअ-
माणस्स एगया असमिया होइ,

३. सड्डिस्स णं समणुअस्स संपव्वयमाणस्स—असमियं ति
मअमाणस्स एगया समिया होइ,

४. सड्डिस्स णं समणुअस्स संपव्वयमाणस्स—असमियं ति
मअमाणस्स एगया असमिया होइ ।

५. समियं ति मअमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया
होइ उवेहाए ।

६. असमियं ति मअमाणस्स समिया वा, असमिया वा,
असमिया होइ, उवेहाए ।

उवेहमाणो अणुवेहमाणो ब्रूया—“उवेहाहि समियाए”

इच्चेवं तत्थ संघो क्षोसिओ भवइ ।

ये उट्टितस्स ठितस्स गति समणुपासह ।

एत्थ वि बासभावे अप्पाणं—णो उवदंसेज्जा ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ५, सु. १६६

सम्मदुंसणि समणस्स परीसहविजयो—

२२६. तथो ठाणा ववसियस्स हिताए सुमाए खमाए णिस्सेत्ताए
आणुगामियत्ताए भवति, तं जहा—

बोधिलाभ में बाधक और साधक—

दो स्थानों का (हेतुओं का) त्याग किए बिना आत्मा को शुद्ध
सम्यक्त्व (बोध) प्राप्त नहीं होता है, यथा—आरम्भ और
परिग्रह ।

दो स्थानों का त्याग करने पर आत्मा शुद्ध बोध (सम्यक्त्व)
प्राप्त करता है, यथा—आरम्भ और परिग्रह ।

दो स्थानों से आत्मा शुद्ध बोध को प्राप्त होता है, यथा—
मुनकर और समझकर ।

दो स्थानों से आत्मा शुद्ध बोध को प्राप्त होता है, यथा—
कर्मों के क्षय से अथवा उपशम से ।

श्रद्धालु-अश्रद्धालु—

२२५. (१) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रव-
चन को सम्यग् मानता है और भविष्य में भी सम्यग् मानता है ।

(२) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रवचन
को सम्यग् मानता है किन्तु भविष्य में सम्यग् नहीं मानता है ।

(३) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रवचन
को असम्यग् मानता है किन्तु भविष्य में सम्यग् मानता है ।

(४) दीक्षित होने के समय वैराग्यवान् श्रद्धालु जिन प्रवचन
को असम्यग् मानता है और भविष्य में भी असम्यग् मानता है ।

(५) जो जिन प्रवचन को सम्यग् मानता है उसे सम्यक् या
असम्यक् पदार्थ विचारणा से सम्यक् रूप में परिणत होते हैं ।

(६) जो जिन प्रवचन को असम्यक् मानता है उसे सम्यक्
या असम्यक् पदार्थ असम्यक् विचारणा से असम्यक् रूप में परि-
णत होते हैं ।

विचारक पुरुष अविचारक पुरुष से कहे कि—हे पुरुष !
सम्यक् विचार कर ।

इस प्रकार (सम्यग् विचार से ही) संयमी जीवन में कर्म क्षय
किये जाते हैं ।

इस प्रकार से व्यवहार में होने वाली सम्यक् असम्यक् की
गुत्थी सुलझाई जा सकती है—अर्थात् इस पद्धति से (मिथ्या-
त्वादि के कारण होने वाली) कर्मसन्तति रूप मन्धि तोड़ी जा
सकती है ।

तुम अज्ञान भाव में भी अपने आपको प्रदर्शित मत करो ।

सम्यग्दर्शी श्रमण का परीपह-जय—

२२६. व्यवसित (श्रद्धालु) निर्ग्रन्थ के लिए तीन स्थान हित, शुभ,
क्षम, निःश्रेयस और अनुगामिता के कारण होते हैं, यथा—

१. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए णिग्गंथे पावयणे णिस्संकिंते णिवकंखित्ते णिद्वित्तिगिच्छते णो भेद-समावण्णे णो कलुससमावण्णे णिग्गंथं णं पावयणं सदहति पत्तियति रोएत्ति, से परिस्सहे अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति, णो तं परिस्सहा अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति ।

२. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए समाणे पंचहिं महव्वएहिं णिस्संकिंए-जाव-णो कलुससमावण्णे पंच महव्वताइं सदहति-जाव-णो तं परिस्सहा अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति ।

३. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए छहिं जीवणिकाएहिं णिस्संकिंते-जाव-णो कलुससमावण्णे छ जीवणिकाए सदहति-जाव-णो तं परिस्सहा अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. २२३

असम्मद्दंसणिस्स समणस्स परीसह पराजओ—

२२७. तओ ठाणा अव्वसितस्स अहिताए असुभाए अखमाए अणिस्सेसाए अणागुगामियत्ताए भवंति, तं जहा—

१. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए णिग्गंथे पावयणे संकिंते कंखित्ते वित्तिगिच्छते भेदसमावण्णे कलुस-समावण्णे णिग्गंथं पावयणं णो सदहति णो पत्तियति णो रोएत्ति, तं परिस्सहा अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति, णो से परिस्सहे अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवइ ।

२. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए पंचहिं महव्वएहिं संकिंते-जाव-कलुससमावण्णे पंच महव्वताइं णो सदहति-जाव-णो से परिस्सहे अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति ।

३. से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए छहिं जीवणिकाएहिं संकिंते-जाव-कलुससमावण्णे छ जीवणिकाए णो सदहति-जाव-णो से परिस्सहे अभिजुंजिय-अभिजुंजिय अभिभवति ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. २२३

सम्मत्तपरक्कमस्स पण्हत्तरा—

२२८. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु सम्मत्त-परक्कमे “नाम अज्झयणे” समणेणं भगवया महावीरेणं कास-वेणं पवेइए जं सम्मं सदहित्ता पत्तियाइत्ता रोयइत्ता फास-

(१) जो मुण्डित हो, अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर निर्ग्रन्थ प्रवचन में निःशंकित निःकाक्षित, निर्विचिकित्सक, अभेदसमापन्न अकलुषसमापन्न होकर निर्ग्रन्थ-प्रवचन में श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है वह परीषहों से जूझ-जूझ कर; उन्हें अभिभूत कर देता है, उसे परीषह अभिभूत नहीं कर पाते ।

(२) जो मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर पाँच महाव्रतों में निःशंकित—यावत्—अकलुषसमापन्न होकर पाँच महाव्रतों में श्रद्धा करता है—यावत्—वह परीषहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत कर देता है, उसे परीषह अभिभूत नहीं कर पाते ।

(३) जो मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर छह जीवनिकायों में निःशंकित—यावत्—अकलुषसमापन्न होकर छह जीवनिकाय में श्रद्धा करता है,—यावत्—वह परीषहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत कर देता है, उसे परीषह जूझ-जूझ कर अभिभूत नहीं कर पाते ।

असम्यग्दर्शी श्रमण का परीषह पराजय—

२२७. अव्यस्थित (अश्रद्धालु) निर्ग्रन्थ के तीन स्थान अहित, अशुभ, अक्षम, अनिःश्रेयस और अनानुगामिता के कारण होते हैं—

(१) वह मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर निर्ग्रन्थ प्रवचन में शंकित, कांक्षित, विचिकित्सक, भेद-समापन्न और कलुष-समापन्न होकर निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता । उसे परीषह आकर अभिभूत कर देते हैं, वह परीषहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत नहीं कर पाता ।

(२) वह मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर पाँच महाव्रतों में शंकित—यावत्—कलुषसमापन्न होकर पाँच महाव्रतों पर श्रद्धा नहीं करता—यावत्—उसे परीषह आकर अभिभूत कर देते हैं, वह परीषहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत नहीं कर पाता ।

(३) वह मुण्डित हो अगार से अनगार धर्म में प्रव्रजित होकर छह जीवनिकायों में शंकित—यावत्—कलुषसमापन्न होकर छह जीव-निकाय पर श्रद्धा नहीं करता,—यावत्—उसे परीषह प्राप्त होकर अभिभूत कर देते हैं, वह परीषहों से जूझ-जूझ कर उन्हें अभिभूत नहीं कर पाता ।

सम्यक्त्व-पराक्रम के प्रश्नोत्तर—

२२८. आयुष्मन् ! मैंने सुना है भगवान् ने इस प्रकार कहा है— इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन में कश्यप-नोत्री श्रमण भगवान् महावीर ने सम्यक्त्व-पराक्रम नाम का अध्ययन कहा है, जिस पर भलिभाँति

इत्ता पालइत्ता तोरइत्ता किट्टइत्ता सोहइत्ता आराहइत्ता
आणाए अणुपालइत्ता वहेवे जीवा सिज्जन्ति वुज्जन्ति मुच्चन्ति
परिनिव्वायन्ति सत्त्वद्वुक्खाणमन्तं करेन्ति ।
तस्स ण अयमट्ठे एवमाहिज्जइ तं जहा—

श्रद्धा कर, प्रतीति कर, रुचि रखकर, जिसके विषय का स्पर्श
कर, स्मृति में रखकर, समग्र-रूप से हस्तगत कर, गुरु को पठित
पाठ का निवेदन कर, गुरु के समीप उच्चारण की शुद्धि कर,
सही अर्थ का बोध प्राप्त कर और अर्हत् की आज्ञा के अनुसार
अनुपालन कर बहुत जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते
हैं, परिनिर्वाण (शान्त) होते हैं और सब दुःखों का अन्त करतो
हैं । सम्यक्त्व-पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा गया है । जैसे—

१. संवेगे	२. निच्चेए
३. धम्मसद्धा	४. गुरुसाहम्मियसुत्सुसणया
५. आलोयणया	६. निन्दणया
७. गरहणया	८. सामाइए
९. चउन्वीसत्यए	१०. वंदणए
११. पडिक्कमणे	१२. काउस्सगे
१३. पच्चक्खणणे	१४. थवयुडुमंगले
१५. कालपडिलेहणया	१६. पायच्छित्तकरणे
१७. खमावणया	१८. सज्जाए
१९. वायणया	२०. पडिपुच्छणया
२१. परियट्टणया	२२. अणुप्पेहा
२३. धम्मक्कहा	२४. सुयस्स आराहणया
२५. एगगमणसंनिवेशणया	२६. संजमे
२७. तवे	२८. वोदाने
२९. सुहसाए	३०. अप्पडिवट्टया
३१. विवित्तसयणासणेसेवणया	३२. विणियट्टणया
३३. संभोगपच्चक्खणणे	३४. उचहिपच्चक्खणणे
३५. आहारपच्चक्खणणे	३६. कसायपच्चक्खणणे
३७. जोगपच्चक्खणणे	३८. सररीरपच्चक्खणणे
३९. सहायपच्चक्खणणे	४०. भत्तपच्चक्खणणे
४१. सट्ठमावपच्चक्खणणे	४२. पडिहवया
४३. वेयावच्चे	४४. सत्त्वगुणसंपणया
४५. वीयरगया	४६. खन्ती
४७. मुत्ती	४८. अज्जवे
४९. मह्वे	५०. भावसच्चे
५१. करणसच्चे	५२. जोगसच्चे
५३. मणगुत्तया	५४. वयगुत्तया
५५. कायगुत्तया	५६. मणसमाधारणया
५७. वयसमाधारणया	५८. कायसमाधारणया
५९. नाणसंपन्नया	६०. दंसणसंपन्नया
६१. चरित्तसंपन्नया	६२. सोइन्द्रियनिग्रहे
६३. चत्थिन्द्रियनिग्रहे	६४. घाणिन्द्रियनिग्रहे
६५. जिह्विन्द्रियनिग्रहे	६६. फासिन्द्रियनिग्रहे

१. संवेग	२. निर्वेद
३. धर्म-श्रद्धा	४. गुरु और साधर्मिक की शुश्रूष
५. आलोचना	६. निन्दा
७. गर्हा	८. सामायिक
९. चतुर्विंशति-स्तव	१०. वन्दन
११. प्रतिक्रमण	१२. कायोत्सर्ग
१३. प्रत्याख्यान	१४. स्तव-स्तुति-मंगल
१५. काल-प्रतिलेखन	१६. प्रायश्चित्तकरण
१७. क्षामणा	१८. स्वाध्याय
१९. वाचना	२०. प्रतिप्रच्छना
२१. परावर्तना	२२. अनुप्रेक्षा
२३. धर्म-कथा	२४. श्रुताराधना
२५. एकाग्र मन की स्थापना	२६. संयम
२७. तप	२८. व्यवदान
२९. सुख की स्पृहा का त्याग	३०. अप्रतिबद्धता
३१. विवित्त-शयनासन-सेवन	३२. विनिवर्तना
३३. सम्भोग-प्रत्याख्यान	३४. उपधि-प्रत्याख्यान
३५. आहार-प्रत्याख्यान	३६. कपाय-प्रत्याख्यान
३७. योग-प्रत्याख्यान	३८. शरीर-प्रत्याख्यान
३९. सहाय-प्रत्याख्यान	४०. भक्त-प्रत्याख्यान
४१. सद्भाव-प्रत्याख्यान	४२. प्रतिरूपता
४३. वैयावृत्य	४४. सर्वगुण-सम्पन्नता
४५. वीतरागता	४६. क्षांति
४७. मुक्ति	४८. आर्जव
४९. मार्दव	५०. भाव-सत्य
५१. करण-सत्य	५२. योग-सत्य
५३. मनो-गुप्तता	५४. वाक्-गुप्तता
५५. काय-गुप्तता	५६. मन-समाधारणा
५७. वाक्-समाधारणा	५८. काय-समाधारणा
५९. ज्ञान-सम्पन्नता	६०. दर्शन-सम्पन्नता
६१. चारित्र-सम्पन्नता	६२. श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह
६३. चक्षुरिन्द्रिय-निग्रह	६४. घ्राणेन्द्रिय-निग्रह
६५. जिह्वेन्द्रिय-निग्रह	६६. स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह

६७. क्रोध-विजय
६८. माण-विजय
६९. माया-विजय
७०. लोभ-विजय
७१. प्रेयो-द्वेष-मिथ्या-दर्शन विजय
७२. शैलीशी
७३. अकर्मता ।^१

—उत्त. अ. २६, सु. १-२

संवेगाङ्गणं फलं—

२२६. ५०—संवेगेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—संवेगे णं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ । अणुत्तराए धम्म-सद्धाए संवेगं हव्वमागच्छइ । अणन्ताणुवन्धि कोहमाण-मायालोभे खवेइ । कम्मं न वन्धिइ । तप्पच्चइयं च णं मिच्छत्तविसोहि काऊण दंसणाराहए भवइ । दंसण-विसोहीए य णं विसुद्धाए अत्यगइए तेणेव भवगहणेणं सिञ्जइ । सोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवगहणं सिञ्जइ । सोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवगहणं नाइवकमइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ३

५०—अहं भन्ते ! संवेगे, निव्वेए, गुरु-साहम्मिय-सुस्ससणया, आलोयणया, निदयणया, गरहणया, खमावणया, सुह-सायया, विउसमणया, भावे अपडिवद्धया, विणिवट्टणया, विवित्त-सयणासण-सेवणया, सोइंदिय-संवरे-जाव-फांसिदिय-संवरे, जोग-पच्चक्खाणे, सरीर-पच्चक्खाणे, कसाय-पच्चक्खाणे, संभोग-पच्चक्खाणे, उवहि-पच्च-क्खाणे, भत्त-पच्चक्खाणे, खमा, विरागया, भाव-सच्चे, जोग-सच्चे, करण-सच्चे, मण-समन्नाहरणया, वइ-समन्नाहरणया, काय-समन्नाहरणया, कोह-विवेगे-जाव-मिच्छादंसण-सल्ल-विवेगे, णाण-संपन्नया, दंसण-संपन्नया, चरित्त-संपन्नया, वेदण-अहियासणया, मार-णत्तिय-अहियासणया, एए णं भन्ते ! पया किं पज्जव-साणफला समणाउसे ?

संवेग आदि का फल—

२२६. प्र०—भन्ते ! संवेग (मोक्ष की अभिलाषा) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—संवेग से वह अनुत्तर धर्म-श्रद्धा को प्राप्त होता है । अनुत्तर धर्म-श्रद्धा से शीघ्र ही और अधिक संवेग को प्राप्त करता है । अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, और लोभ का क्षय करता है । नये कर्मों का संग्रह नहीं करता । कपाय के क्षीण होने से प्रकट होने वाली मिथ्यात्व-विशुद्धि कर दर्शन (सम्यक्-श्रद्धा) की आराधना करता है । दर्शन-विशोधि के विशुद्ध होने पर कई एक जीव उसी जन्म से सिद्ध हो जाते हैं और कई उसके विशुद्ध होने पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते—उसमें अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं ।

प्र०—आयुष्मन् श्रमण भगवन् ! संवेग, निर्वेद, गुरु-साधर्मिक शुश्रूषा, आलोचना, निन्दना, गहंणा, क्षमापना, श्रुत-सहायता, व्युपशमना, भाव में अप्रतिवद्धता, विनिवर्त्तना, विवित्त शयनासन-सेवनता, श्रोत्रेन्द्रिय-संवर—यावत्—स्पर्शेन्द्रिय संवर, योग-प्रत्या-ख्यान, शरीर-प्रत्याख्यान, कपाय-प्रत्याख्यान, सम्भोग-प्रत्याख्यान, उपधि-प्रत्याख्यान, भक्त-प्रत्याख्यान, क्षमा, विरागता, भाव-सत्य, योग-सत्य, करण-सत्य, मनःसमन्वाहरण, वचन-समन्वाहरण, काय-समन्वाहरण, क्रोध-विवेक—यावत्—मिथ्यादर्शनशून्य-विवेक, ज्ञान-सम्पन्नता, दर्शन-सम्पन्नता, चारित्र-सम्पन्नता, वेदना-अध्यासनता और मारणान्तिक-अध्यासनता इन पदों का अन्तिम फल क्या कहा गया है ?

१ सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन के इन सूत्रों में सम्यग्दर्शन से सम्बन्धित केवल चार सूत्र हैं और शेष सूत्र अन्यान्य विषयों के हैं वे जिन-जिन अनुयोगों के हैं उन-उन अनुयोगों में यथास्थान दिये गये हैं ।

२ (क) उत्तराध्ययन अ. २६ में संवेग से अकम्मया तक ७१ प्रश्नोत्तर हैं (मतान्तर से ७२ या ७३ प्रश्नोत्तर हैं) और इस उपरोक्त प्रश्नोत्तर में केवल ५४ पद हैं, जिनके फल का इसमें कथन है ? इस क्रम भेद और संख्या भेद का क्या कारण है ? यह शोध का विषय है । कुछ विद्वान इसका कारण वाचना भेद बताते हैं । कुछ विद्वानों की यही मान्यता है कि—भगवती सूत्र के ये प्रश्नोत्तर उत्तराध्ययन अ. २६ का संक्षिप्त पाठ है ।

(ख) प्रश्न के अन्त में “समणाउसो” सम्बोधन अशुद्ध प्रतीत होता है । क्योंकि हे “आयुष्मन् श्रमण” यह सम्बोधन गुरु शिष्य के लिये करता है । यहाँ इससे विपरीत है ।

उ०—गोयमा ! संवेगे निव्वेए-जाव-मारणंतिय-अहियासणया-
एए णं सिद्धि-पञ्जवसाणफला पन्नत्ता समणाउसो ।

—वि. श. १७, उ. ३, सु. २२

निव्वेयफलं—

२३०. प०—निव्वेएणं भत्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—निव्वेएणं दिव्व-माणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेयं
हव्वमागच्छइ । सव्वविसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु
विरज्जमाणे आरम्भपरिच्चायं करेइ । आरम्भपरिच्चायं
करेमाणे संसारमगं वोच्छिन्दइ सिद्धिमगे पडिवन्ने य
भवइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ४

सम्मद्दंसणित्तस विण्णणं—

२३१. जं सम्मं ति पासह, तं मोणं ति पासह ।
जं मोणं ति पासह, तं सम्मं ति पासह ॥

न इमं सक्कं सिद्धिलेहं आदिमज्जनाणेहं गुणसाएहं वं-
समायरेहं पमत्तेहं गारमावसत्तेहं ।

सम्मत्तदंसो मुणो—

२३२. मुणो मोणं समायाय धुणे कम्मसरीगं ।

पंतं लूहं सेवन्ति, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।

एस ओहंतरे मुणो तिण्णे मुत्ते विरए बियाहिए—त्ति वेमि ॥

—आ. श्रु. १, अ. ५, उ. ३, सु. १६१

सम्मत्तदंसो न करेइ पावं—

२३३. जाइं च वुड्ढं च इहज्ज पासे,

भूएहं जाणे पडिलेइ सायं ।

तम्हाउत्तिविज्जे परमंति णच्चा,

सम्मत्तदंसो न करेइ पावं ॥

—आ. श्रु. १, अ. ५, उ. २, सु. ११२

कुम्म दिट्ठन्तं—

२३४. एवं पेगे महावीरा त्रिपरवकमंति ।

मासह ! एगेऽवसीयमाणे अणत्तपण्णे ।

उ०—हे आयुष्मन् श्रमण गौतम ! संवेग, निर्वेद आदि
—यावत्—मारणान्तिक अध्यासनता इन सभी पदों का अन्तिम
फल सिद्धि (मुक्ति) है ।

निर्वेद का फल—

२३०. प्र०—भन्ते ! निर्वेद (भव-वैराग्य) से जीव क्या प्राप्त
करता है ?

उ०—निर्वेद से वह देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी काम-
भोगों में ग्लानि को प्राप्त होता है । सब विषयों से विरक्त हो
जाता है । सब विषयों से विरक्त होता हुआ वह आरम्भ और
परिग्रह का परित्याग करता है । आरम्भ और परिग्रह का परि-
त्याग करना हुआ संसार-मार्ग का विच्छेद करता है और सिद्धि-
मार्ग को प्राप्त होता है ।

सम्यक्त्वो का विज्ञान—

२३१. जो सम्यक्त्व को समझता है, वह मुनि-जीवन को समझता
है । जो मुनि-जीवन को समझता है, वह सम्यक्त्व को समझता है ।

इस (सम्यक्त्व या मुनि जीवन) का सम्यक् अनुष्ठान गिथिल,
स्नेही, आसक्त, कुटिल, प्रमत्त और गृही जनों से शक्य नहीं है ।

सम्यक्त्वदर्शी मुनि—

२३२. मुनि मीन—(सम्यक्त्व या मुनि जीवन) को स्वीकार करके
कर्मरूप शरीर को धुने ।

सम्यग्दर्शी वीर तुच्छ एवं रुद्ध आहार का सेवन करते हैं ।

ऐसा सम्यग्दर्शी मुनि भवसागर तिरजेवाला है और वही
तीर्ण, मुक्त, विरत कहा गया है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

सम्यक्त्वदर्शी पाप नहीं करता—

२३३. हे आर्य ! जन्म जरा मरण के दुःखों को देख, प्राणियों के
सुख-दुःख के साथ तू तेरे सुख-दुःख की तुलना कर और इसके लिए
तू मोक्ष के स्वरूप को जानकर अति विद्वान बन । क्योंकि मोक्ष-
मार्ग जानकर जो सम्यक्त्वदर्शी हुआ है वह पाप नहीं करता है ।

कूर्म-दृष्टान्त—

२३४. कुछ (विरले लघुकर्मा) महान वीर पुरुष इस प्रकार के
ज्ञान के आख्यान (उपदेश) को सुनकर (संयम में) पराक्रम भी
करते हैं ।

(किन्तु) उन्हें देखो, जो आरमप्रजा से शून्य है, इसलिए
(संयम में) विपाद पाते हैं, (उनकी करुणदशा को इस प्रकार
समझो) ।

से बेमि—से जहा वि कुम्भे हरए विणिविद्वित्त—पच्छण-
पलासे, उम्मुगं से णो लभति ।

रुक्ख दिट्ठन्तं—भंजगा इव संनिवेशं नो चरंति,
एवं पेगे अणेगरुवेहिं कुलेहिं जाता ।

रुवेहिं सत्ता कलुणं थणंति,
णिदाणतो ते ण लभंति मोक्खं ।

—आ. श्रु. १, अ. ६, उ. १, सु. १७८

सम्मद्दंसणस्स चउच्चिहा सदहणा—

२३५. परमत्थसंथवो वा,
सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वा वि,
वाचनकुदंसणवज्जवणा य,

एए सम्मत्तसदहणा ।^१

—उत्त. अ. २८, गा. २८ श्रद्धा प्रकट होती है ।

मैं कहता हूँ—जैसे एक कछुआ है, उसका चित्त (एक) महाद्वाद (सरोवर) में लगा हुआ है। वह सरोवर शैवाल और कमल के पत्तों से ढका हुआ है। वह कछुआ उन्मुक्त आकाश को देखने के लिए (कहीं) छिद्र को भी नहीं पा रहा है।

वृक्ष दृष्टान्त—जैसे वृक्ष (विविध शीत, ताप, तूफान तथा प्रहारों को सहते हुए भी) अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग हैं जो (अनेक सांसारिक कष्ट, यातना, दुःख आदि बार-बार पाते हुए भी) गृहवास को नहीं छोड़ते।

इसी प्रकार कई (गुरुकर्मी) लोग अनेक प्रकार (दरिद्र, सम्पन्न, मध्यवित्त आदि) कुलों में जन्म लेते हैं, (धर्माचरण के योग्य भी होते हैं) किन्तु रूपादि विषयों में आसक्त होकर (अनेक प्रकार के शारीरिक-मानसिक दुःखों से, उपद्रवों से और भयंकर रोगों से आक्रान्त होने पर) करुण विलाप करते हैं, (लेकिन इस पर भी वे दुःखों के आवास रूप गृहवास को नहीं छोड़ते) ऐसे व्यक्ति दुःखों के हेतुभूत कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते।

सम्यक्त्वी की चार प्रकार की श्रद्धा—

२३५. (१) परमार्थ तत्व का वारावार गुणगान करना,
(२) जिन महापुरुषों ने परमार्थ को भलीभाँति देखा है उनकी सेवा शुश्रूषा करना,
(३) जो सम्यक्त्व से—सन्मार्ग से पतित हो गये हैं तथा
(४) जो कुदर्शनी—असत्य दर्शन में विश्वास रखते हैं उनकी संगति न करना,

यह सम्यक्त्व श्रद्धा है अर्थात् इन उक्त गुणों से सम्यक्त्व की

१ सम्यक्त्व के सड़सठ भेद—

चउ सदहण-तिंलिगं, दस-विणय-ति-सुद्धि-पंच-गयदोसं । अट्ट-पभावण-भूसण, लक्खण - पंचविह - संजुत्तं ॥
छच्चिह-जयणागारं, छभावणभावियं च छट्ठाणं । इय सत्तसट्ठि-दंसण - भेअ - विमुद्धं तु सम्मत्तं ॥
ये सड़सठ भेद क्रमशः इस प्रकार हैं—

सम्यक्त्व के तीन लिग (चिन्ह)

१. सुस्सुसधम्मराओ, २. गुरुदेवाणं जहा समाहिए । ३. वेयावच्चे नियमो, सम्मदिट्ठिस्स लिगाई ॥

सम्यक्त्व के दस विनय

१. अरिहंत, २. सिद्ध, ३. चेइए, ४. सुए, ५. अधम्मे, ६. असाहुवग्गे य ।

७. आयरिय, ८. उवज्झाए, ९. पवयणे, १०. दंसणे विणओ ॥

सम्यक्त्वी की तीन शुद्धि

१. मुत्तूण जिणं, २. मुत्तूण जिणमयं, ३. जिणमयट्ठिए मोत्तुं । संसारकत्तवारं, वित्तिज्जंतं जगं सेसं ॥

सम्यक्त्व के पाँच दूषण

शंका १, कंख, २, विगिच्छा, ३, पसंस, ४, तह संथवो, ५, कुलिगीसु । सम्मत्तस्सड्ढ्यारा, परिहरिअन्वा पयत्तेणं ॥

[शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर]

सम्मतस्स पंचअइयारा—

२३६. सम्मतस्स समणोवासएणं पंच अइयारा इमे जाणियत्वा, न समापरियत्वा, तं जहा—

संका, कंसा, चित्तिगिच्छा, परपासंड-पसंसा, पर-पासंड-संधवे ।
—आव. अ. ६, सु. ६५

१. सम्मदंसणस्स पढमं "संसयं" अइयारं—

संसयं परियाणओ संसारे परिण्णाए भवइ,
संसयं अपरियाणओ संसारे अपरिण्णाए भवइ—

—आ. सु. १, अ. ५, उ. १, सु. १४६

२. सम्मदंसणस्स त्रिदयं "कंसा" अइयारं—

प०—कहं णं मत्ते ! समणा चि निग्गंया कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ?

उ०—गोदमा ! तेहि तेहि नाणंतरेहि वंसणंतरेहि चरित्तंतरेहि सिगंतरेहि पवयणंतरेहि पावयणंतरेहि कप्पंतरेहि मग्गंतरेहि मत्तंतरेहि मंगंतरेहि नयंतरेहि नियमंतरेहि संकिया कलिया चित्तिगिच्छता भेदसमावप्रा, कन्नुससमावप्रा, एयं एतु समणा निग्गंया कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ।

—वि. न. १, उ. ३, सु. ५

(जेय टिप्पण पिछने पृष्ठ का)

सम्यक्त्वो की आठ प्रभावना—

१. पावनशी, २. धम्मकहीं, ३. वार्द, ४. नेमित्तियों, ५. तवस्सी य । ६. विज्जासिद्धो, ७. य कवी, अट्टे व न. पभावणा भणिया ॥

सम्यक्त्वो के पाँच भूषण—

१. जिणमासणे कुलनया, २. पभावणा, ३. तित्थसंघणा, ४. धिरया । ५. भस्ती अ गुणा सम्मत, दीवया उत्तमा पंच ॥

सम्यक्त्वो के पाँच लक्षण—

१. उदमग, २. मंवेगो मि अ, ३. निव्वेओ तह य होइ, ४. अणुकंपा, । ५. अत्थिक्किं च अ एए, सम्मतो लक्खणा पंच ॥

सम्यक्त्वो की छः प्रकार की यत्ना —

नो अप्रनिस्सिण्णं अप्रनित्थियेयं य तह् सदेवाइं । गहिण्णं कुत्तियएहिं, १. वंदामि न वा, २. नमंसामि ॥

३. नेव अणाल्लो आल्लेमि, ४. नो मंवेमि तह् तेसि । देमि न ५. असणाइं, पेसेमि न गंध, ६. पुप्फाइं ॥

सम्यक्त्वो के छः आगार—

१. रायाभिओगो य, २. गणाभिओगो, ३. वलाभिओगो य, ४. गुराभिओगो ।

५. कंतारयिती, ६. गुरुनिग्गहो य, छ छिडियाऊ जिणमासणम्मि ॥

सम्यक्त्वो की छः भावना—

१. मूलं, २. दारं, ३. पट्टणं, ४. आहारो, ५. भायणं, ६. निही । दु छक्कसा वि धम्मस्स, सम्मतं परिकित्तिअं ॥

सम्यक्त्व के छः स्थान—

अत्थि अ णिचो कण्ठे, कयं च गुण्ठे अत्थि णिव्वाणं । अत्थि अ मुखो वाओ, छ सम्मतस्स ठाणाइं ॥

—प्रवचन सारोद्धार, द्वार १४६, गा. ६४०-६५५

१ (क) आठ दर्शनातिचार—संका, कंसा, चित्तिगिच्छा, मूठदिही, अणुववूहा, अथिरीकरणं, अवच्छलं, अप्पभावणया ।

—जीतकल्पचूर्णी, गा. २८

सम्यक्त्व के पाँच अतिचार—

२३६. सम्यक्त्व के पाँच प्रधान अतिचार जानने योग्य हैं, आदर के योग्य नहीं हैं, यथा—

(१) संका, (२) काक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) पर-पापंड-प्रशंसा, (५) पर-पापंड-संस्तव ।

(१) सम्यग्दर्शन का प्रथम 'संशय' अतिचार—

जो संशय को जानता है वह संसार को भी जानता है, जो संशय को नहीं जानता है वह संसार को भी नहीं जानता है—

(२) सम्यक् दर्शन का द्वितीय "कांक्षा" अतिचार—

प्र०—भगवन ! श्रमणनिग्रन्थ कांक्षामोहनीयकर्म का वेदन किस प्रकार करते हैं ?

उ०—गौतम ! उन-उन कारणों से ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर, कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर, और प्रमाणान्तरों के द्वारा शंकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेदसमापन्न और क्लृप्तसमापन्न होकर श्रमणनिग्रन्थ भी कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ।

३. सम्महसणस्सं तद्वयं "विद्भिगच्छा" अइयारं—
वित्तिगिच्छसमावन्नेणं अप्पाणेणं णो लभति समाधिं ।

सिता वेगे अणुगच्छति,

असिता वेगे अणुगच्छति ।

अणुगच्छमोणेहिं अणुगच्छमाणे कहां णं णिविज्जे ?

—आ. सु. १, अ. ५, सु. १६७

४. परपासंडसेवी—

आयरियपरिच्चाई, परपासण्डसेवए ।

गाणंगणिए दुब्भूए, पावसमाणे त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. १७

५. परपासंडसंथव—

अकुसीले सया भिक्खू, णो य संसग्गियं भए ।

सुहूवा तत्थुवसग्गा, पडिबुज्जेज्जे ते विदू ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, गा. २८

साहगस्स पव्वज्जा पुव्वं निव्वेयदसा—

२३७. से वेमि पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगितिया मणुस्सा भवंति,
तं जहा—आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे,
णीयागोया वेगे, कायंमंता वेगे, हस्समता वेगे, सुवण्णा वेगे,
दुवण्णा वेगे, सुहूवा वेगे, दुहूवा वेगे ।

तेसिं च णं खेत्त-वत्थूणि परिग्गहियाणि भवंति, तं जहा—
अप्पयरा वा भुज्जतरा वा । तेसिं च णं जण-जाणवयाइं
परिग्गहियाइं भवंति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जयरा वा ।

तहप्पकारेहिं कुलेहिं आगम्म अभिभूय एगे भिक्खायरियाए
समुट्ठिता, सतो वा वि एगे णायओ य उवकरणं च विप्पजहाय
भिक्खायरियाए समुट्ठिता, असतो वा वि एगे नायओ व उव-
करणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता ।

(३) सम्यक्दर्शन का तृतीय विचिकित्सा अतिचार—

विचिकित्साप्राप्त (शंकाशील) आत्मा समाधि प्राप्त नहीं
कर पाता ।

कुछ लघुकर्मा सित (बद्ध/गृहस्थ) आचार्य का अनुगमन करते
हैं, (उनके कथन को समझ लेते हैं)

कुछ असित (अप्रतियद्ध/अनगार) भी (विचिकित्सादि रहित
होकर आचार्य का) अनुगमन करते हैं ।

इन अनुगमन करने वालों के बीच में रहता हुआ (आचार्य)
का अनुगमन न करने वाला (तत्व नहीं समझने वाला) कैसे
उदासीन (संयम के प्रति खेदखिन्न) नहीं होगा ?

(४) परपासंडसेवी—

जो आचार्य को छोड़ दूसरे धर्म-सम्प्रदायों में चला जाता है,
जो छह मास की अवधि में एक गण से दूसरे गण में संक्रमण करता
है, जिसका आचरण निन्दनीय है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

(५) परपायंडसंस्तव—

साधु सदैव अकुशील बनकर रहे, तथा कुशीलजनों या
दुराचारियों के साथ संसर्ग न रखे, क्योंकि उसमें (कुशीलों की
संगति में) भी सुखरूप (अनुकूल) उपसर्ग रहते हैं, अतः विद्वान
साधक इस तथ्य को भलीभाँति जाने तथा उनसे सावधान (प्रति-
बुद्ध-जागृत) रहे ।

प्रब्रज्या पूर्व साधक की निर्वेद-दशा—

२३७. (श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बुस्वामी से कहते हैं—) मैं ऐसा
कहता हूँ कि पूर्व आदि चारों दिशाओं में नाना प्रकार के मनुष्य
निवास करते हैं, जैसे कि कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य होते हैं,
कोई उच्चगोत्रीय और कोई नीचगोत्रीय होते हैं, कोई मनुष्य
लम्बे कद के (ऊँचे) और कोई ठिगने कद के (त्नस्व) होते हैं,
किसी के शरीर का वर्ण सुन्दर होता है, किसी का असुन्दर होता
है, कोई सुरूप होते हैं, कोई कुरूप ।

उनके पास खेत और मकान आदि होते हैं, उनके अपने जन
(परिवार, कुल आदि के लोग) तथा जनपद (देश) परिगृहीत
(अपने स्वामित्व के) होते हैं, जैसे कि किसी का परिग्रह थोड़ा
और किसी का अधिक ।

इनमें से कोई पुरुष पूर्वोक्त कुलों में जन्म लेकर विषय-भोगों
की आसक्ति छोड़कर भिक्षावृत्ति धारण करने के लिए (दीक्षाग्रहण
हेतु) उद्यत होते हैं । कई विद्यमान ज्ञातिजन (स्वजन) अज्ञातिजन
(परिजन) तथा उपकरण (विभिन्न भोगोपभोग-साधन या धन-
धान्यादि वैभव) को छोड़कर भिक्षावृत्ति धारण करने (प्रव्रजित
होने) के लिए समुद्यत होते हैं, अथवा कई अविद्यमान ज्ञातिजन,
अज्ञातिजन एवं उपकरण का त्याग करके भिक्षावृत्ति धारण करने
के लिए समुद्यत होते हैं ।

जे ते सतो या अततो या पायप्रो य उवकरणं च विष्पजहाय
मिषप्रारियाए समुद्रिता पुष्यामेव तेहि जातं भवति, तं
जहा—इह एतु पुरिते अणमणं समद्राए एवं विष्पटिवेदेति,
नं जहा—

केतं मे, वरुं मे, हिरणं मे, सुवर्णं मे, धनं मे,
घनं मे, कर्म मे, दूतं मे, विदुस-धन-कण-रयण-मणि-
मोक्षि-मंग-मित्त-स्ववास-रत्न-रयण-संतसार-भाषतेयं मे, सदा
मे, स्वा मे, गंधा मे, रगा मे, फासा मे, एते एतु मे काम-
भोगा, अहमपि एतेमि ।

मे मेहायो पुष्यामेव आपणा एवं गमनित्राणेज्जा, तं जहा—

इह एतु मम अणमरे दुषणे रोगायंके समुपज्जेज्जा अनिट्टे
अकंमे अणिये अणुमे अमणुणे अमणामे नुनसे णो मुहे, से
हंता जयसारी कामभोगा ! इयं मम अणमरे दुषणं रोगायंके
परिदाइयत्त अनिट्टे अकंमे अणिये अणुमं अमणुणं अमणामं
दुषणं णो मुहे, ताहं दुषणामि या मोषामि या जूरामि या
निन्तामि या विट्टामि या परितण्णामि या,

इमाधो मे अणमरातो दुषणानो रोगायंकातो पट्टिमोपह
अनिट्टातो अकंमातो अणियेधो अणुमाधो अमणुप्राधो अमणा-
माधो दुषणधो णो मुहामो । एवामेव णो सत्तपुष्यं भवति ।

इह एतु कामभोगा णो ताणाए या मरणाए या, पुरिते या

जो विद्यमान अथवा अविद्यमान जातिजन, अजातिजन उप-
करण का त्याग करके मिधाचर्या (माधुवीक्षा) के लिए समुत्थित
होते हैं, इन दोनों प्रकार के साधकों को पहले से ही यह ज्ञात होता
है कि—इस लोक में पुण्यगण अपने से भिन्न वस्तुओं (पर-
पदार्थों) को उद्देश्य करके झूठमूठ ही ऐसा मानते हैं कि ये मेरी
हैं, मेरे उपभोग में आगेंगी, जैसे कि—

यह गेन (या जमीन) मेरा है, यह मकान मेरा है, यह चाँदी
मेरी है, यह गोना मेरा है, यह धन मेरा है, धान्य मेरा है, यह
कान्हे के बर्तन मेरे हैं, यह बहुमूल्य वस्त्र या लीह आदि धातु मेरा
है, यह प्रचुर धन (गाय, भ्रम आदि पणु) यह बहुत-सा कनक, ये
रत्न, मणि, मोती, जंगशिला, प्रवाल (मृगा), रक्तरत्न (नान),
पद्मराग आदि उत्तमोत्तम मणियाँ और पतृक नकद धन, मेरे हैं,
ये कर्णप्रिय जब्द करने वाले शीषा, वेणु आदि दाह्य-साधन मेरे हैं,
ये गुन्दर और स्ववान पदार्थ मेरे हैं, ये द्रव्य, तेल आदि सुगन्धित
पदार्थ मेरे हैं, ये उत्तमोत्तम स्वादिष्ट एवं सरस दाह्य पदार्थ मेरे
हैं, ये कामन-कामन म्यर्ग वाले गद्दे, तौषक आदि पदार्थ मेरे हैं।
ये पूर्वोक्त पदार्थ-समूह मेरे कामभोग के साधन हैं, मैं इनका योग-
क्षेम (अप्राप्त को प्राप्त करने और प्राप्त की रक्षा) करने वाला
हूँ, अथवा उपभोग करने में समर्थ हूँ।

यह (प्रयजित अथवा प्रयज्या नेने का इच्छुक) मेधावी साधक
स्वयं पहले से ही (इनका उपभोग करने से पूर्व ही) भतीभाँति
ज्ञात ले कि "इस संसार में जब मुझे कोई रोग या आतंक
उत्पन्न होता है, जो कि मुझे दृष्ट नहीं है, कान्त (मनोहर) नहीं
है, प्रिय नहीं है, अणुभ है, अमनोज है, अधिक पीड़ाकारी (मनो-
व्यथा पैदा करने वाला) है, दुःगरूप है, गुगरूप नहीं है, (तब
यदि मैं प्रार्थना करूँ कि) हे भव का अन्त करने वाले मेरे धन-
धान्य आदि कामभोगों ! मेरे इन अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अणुभ,
अमनोज, अनीच दुःगद, दुःगरूप या अगुगरूप रोग, आतंक आदि
को तुम बाँट कर ले लो, क्योंकि मैं इस पीड़ा, रोग या आतंक से
नरुत दुःखी हो रहा हूँ, मैं चिन्ता या शोक से व्याकुल हूँ, इनके
कारण मैं बहुत चिन्ताग्रस्त हूँ, मैं अत्यन्त पीड़ित हो रहा हूँ, मैं
बहुत ही बेचना पा रहा हूँ, या अतिमंतप्त हूँ।

अतः तुम सब मुझे इस अनिष्ट अकान्त, अप्रिय, अणुभ,
अमनोज, अवमान्य दुःगरूप या अगुगरूप मेरे किसी एक दुःख से
या रोगायंके से मुक्त करा दो। तो वे (धनधान्यादि कामभोग)
पदार्थ उक्त प्रार्थना गुनकर दुःगादि से मुक्त करा दें। ऐसा कभी
नहीं होगा !

इस संसार में चाक्षुष में काम-भोग दुःख से पीड़ित उस
व्यक्ति की रक्षा करने या क्षरण देने में समर्थ नहीं होते। इन
काम-भोगों का उपभोक्ता किसी समय तो (दुःसाध्य व्याधि, जरा-

एगता पुर्वि कामभोगे विप्पजहति, कामभोगा वा एगता पुर्वि पुरिसं विप्पजहति, अग्ने खलु कामभोगा अन्नो अहमंसि, से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहि कामभोगेहि मुच्छामो ? इति संखाए णं वयं कामभोगे विप्पजहिसामो ।

से मेहावी जाणेज्जा बाहिरंगमेतं, इणमेव उवणीततरांगं,

तं जहा—माता मे, पिता मे, भ्राया मे, भज्जा मे, भगिणी मे, पुत्ता मे, धूता मे, नत्ता मे, सुण्हा मे, पेसा मे, सुही मे, सयण-संगंथ-संथुता मे, एते खलु मे णायओ, अहमवि एतेसि ।
—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६७-६७१

एगत्त भावणया णिव्वेयं—

२३८. से मेहावी पुव्वामेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा—इह खलु मम अण्णतरे दुक्खे रोगातंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे-जाव-दुक्खे नो सुहे, से हंता भयंतारो णायओ इमं मम ण्णतरं दुक्खं रोगायंकां परिआदियध अणिट्ठं-जाव-नो सुहं मा हं दुक्खामि वा-जाव-परितप्पामि वा, इमातो मं अन्नयरातो दुक्खातो रोगायंकातो पडिमोएह अणिट्ठाओ-जाव-णो सुहातो । एवामेव णो लद्धपुव्वं भवति ।

तेसि वा वि भयंताराणं मम णाययाणं अण्णयरे दुक्खे रोगा-तंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे-जाव-नो सुहे. से हंता अहमेतेसि भयंताराणं णाययाणं इमं अण्णतरं दुक्खं रोगातंकां परिआइ-यामि अणिट्ठं-जाव-णो सुहं, मा मे दुक्खंतु वा-जाव-परितप्पंतु वा, इमाओ णं अण्णतरातो दुक्खातो रोगातंकातो परिमोएमि अणिट्ठातो-जाव-नो सुहातो । एवामेव णो लद्धपुव्वं भवति ।

जीर्णता, या अन्य शासनादि का उपद्रव या मृत्युकाल आने पर) पहले से ही स्वयं इन काम-भोग पदार्थों को (वरतना) छोड़ देता है, अथवा किसी समय (द्रव्यादि के अभाव में) (विपयोन्मुख) पुरुष को काम-भोग (ये कामभोग्य साधन) पहले ही छोड़ (कर चल) देते हैं। इसलिए ये काम-भोग मेरे से भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। फिर हम क्यों अपने से भिन्न इन काम-भोगों में मूर्च्छित आसक्त हों, इस प्रकार इन सबका ऐसा स्वरूप जानकर (अब) हम इन कामभोगों का परित्याग कर देंगे।

(इस प्रकार वह विवेकशील) बुद्धिमान साधक (निश्चितरूप से) जान ले, ये सब काम-भोगादिपदार्थ बहिरंग—बाह्य हैं, मेरी आत्मा से भिन्न (परभाव) हैं।

(सांसारिक दृष्टि वाले मानते हैं कि) इनसे तो मेरे निकटतर ये ज्ञातिजन (स्वजन) हैं—जैसे कि (वह कहता है—) “यह मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, ये मेरा दास (नौकर-चाकर) है, यह मेरा नाती है, मेरी पुत्र-वधू है, मेरा मित्र है, ये मेरे पहले और पीछे के स्वजन एवं परिचित सम्बन्धी हैं। ये मेरे ज्ञातिजन हैं, और मैं भी इनका आत्मीय जन हूँ।”

एकत्व-भावना से प्राप्त निर्वेद—

२३८. (किन्तु उक्त शास्त्रज्ञ) बुद्धिमान साधक को स्वयं पहले से ही सम्यक् प्रकार से जान लेना चाहिए कि इस लोक में मुझे किसी प्रकार का कोई दुःख या रोग-आतंक (जो कि मेरे लिए अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय—यावत्—दुःखदायक है) पैदा होने पर मैं अपने ज्ञातिजनों से प्रार्थना करूँ कि हे भय का अन्त करने वाले ज्ञातिजनो ! मेरे इस अनिष्ट, अप्रिय—यावत्—दुःखरूप या असुखरूप दुःख या रोगातंक को आप लोग बराबर वांट लें, ताकि मैं इस दुःख से दुःखित, चिन्तित—यावत्—अतिसंतप्त न होऊँ। आप सब मुझे इस अनिष्ट—यावत्—उत्पीड़क दुःख या रोगातंक से मुक्त करा (छुटकारा दिला) दें।” इस पर वे ज्ञाति-जन मेरे दुःख और रोगातंक को वांट कर ले लें, या मुझे इस दुःख या रोगातंक से मुक्त करा दें, ऐसा कदापि नहीं होता।

अथवा भय से मेरी रक्षा करने वाले उन मेरे ज्ञातिजनों को ही कोई दुःख या रोग उत्पन्न हो जाय, जो अनिष्ट, अप्रिय—यावत्—असुखकर हो, तो मैं उसे भयत्राता ज्ञातिजनों के अनिष्ट, अप्रिय—यावत्—असुखरूप उस दुःख या रोगातंक को वांटकर ले लूँ, ताकि वे मेरे ज्ञातिजन दुःख न पाएँ—यावत्—वे अतिसंतप्त न हों, तथा मैं उन ज्ञातिजनों को उनके किसी अनिष्ट—यावत्—असुखरूप दुःख या रोगातंक से मुक्त कर दूँ, ऐसा भी कदापि नहीं होता।

अणस्स दुक्खं अणो नो परियाइयति, अण्णेण कडं कम्मं
अणो नो पडिसंवेदेति,^१ पत्तेयं जायति, पत्तेयं मरइ, पत्तेयं
चयति, पत्तेयं उववज्जति, पत्तेयं झंझा, पत्तेयं सण्णा, पत्तेयं
मण्णा, एवं विण्णू, वेदणा, इति खलु णातिसंयोगो णो ताणाए
वा णो सरणाए वा,

पुरिसो वा एगता पुट्ठि णातिसंयोगे विप्पजहति, नातिसंयोगा
वा एगता पुट्ठि पुरिसं विप्पजहंति, अण्णे खलु णातिसंयोगा
अणो अहमंसि, से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहि णातिसंयोगेहि
मुच्छामो ? इति संखाए ण वयं णातिसंयोगे विप्पजहिस्सामो ।

से मेहावी जाणेज्जा बाहिरगमेतं, इणमेव उवणीयतरागं,
तं जहा—हत्या मे, पाया मे, बाहा मे, उरु मे, सीसं मे,
उदरं मे, सीलं मे, आउं मे, बल मे, चणो मे, तथा मे,
छाया मे, सीयं मे, चक्खुं मे, घाणं मे, जिह्वा मे, फासा मे,
ममाति ।

जंसि वयातो परिजूरति तं जहा—आकूओ बलाओ
वण्णाओ तताओ छात्ताओ सीताओ-जाव-फासाओ, सुसंधीता
संधी यिसंधी भवति, वलितरगे गाते भवति, किण्हा कैसा
पलिता भवति, तं जहा—जं पि य इमं सरीरग उरालं

(क्योंकि) दूसरे के दुःख को दूसरा व्यक्ति बाँट नहीं सकता ।
दूसरे के द्वारा कृतकर्म का फल दूसरा नहीं भोग सकता ।
प्रत्येक प्राणी अकेला ही जन्मता है, (आयुष्य क्षय होने
पर) अकेला ही मरता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही त्याग करता
है, अकेला ही प्रत्येक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग या स्वीकार
करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही झंझा (कलह) आदि कपायों
को ग्रहण करता है, अकेला ही पदार्थों का परिज्ञान करता है,
तथा प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही मनन-चिन्तन करता है, प्रत्येक
व्यक्ति अकेला ही विद्वान् होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने सुख-
दुःख का वेदन (अनुभव) करता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार से
अन्यकृत कर्म का फल अन्य नहीं भोगता, तथा प्रत्येक व्यक्ति को
जन्म-जरा-मरणादि भिन्न-भिन्न हैं इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञाति-
जनों का संयोग दुःख से रक्षा करने या पीड़ित मनुष्य को शान्ति
या शरण देने में समर्थ नहीं है ।

कभी (क्रोधादिवश या मरणकाल में) मनुष्य स्वयं ज्ञातिजनों
के संयोग को पहले ही छोड़ देता है अथवा कभी ज्ञातिसंयोग भी
(मनुष्य के दुर्व्यवहार-दुराचरणादि देखकर) मनुष्य को पहले छोड़
देता है । अतः (मेधावी साधक यह निश्चित जान ले कि) “ज्ञाति-
जनसंयोग मेरे से भिन्न है, मैं भी ज्ञातिजन संयोग से भिन्न हूँ ।”
तब फिर हम अपने पृथक् (आत्मा से भिन्न) इस ज्ञातिजनसंयोग
में क्यों आसक्त हों ? यह भलीभाँति जानकर अब हम ज्ञाति-संयोग
का परित्याग कर देंगे ।

परन्तु मेधावी साधक को यह निश्चित रूप से जान लेना
चाहिए कि ज्ञातिजनसंयोग तो बाह्य वस्तु (आत्मा से भिन्न-पर-
भाव) है ही, इनसे भी निकटतर सम्बन्धी ये सब (शरीर से सम्ब-
न्धित अवयवादि) हैं, जिन पर प्राणी ममत्व करता है, जैसे
कि—ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी बाँहें हैं, ये मेरी
जाँघें हैं, यह मेरा मस्तक है, यह मेरा उदर (पेट) है, यह मेरा शील
(स्वभाव या आदत) है, इसी तरह मेरी आयु, मेरा बल, मेरा वर्ण
(रंग), मेरी चमड़ी (त्वचा), मेरी छाया (अथवा कान्ति), मेरे
कान, मेरे नेत्र, मेरी नासिका, मेरी जिह्वा, मेरी स्पर्शेन्द्रिय, इस
प्रकार प्राणी “मेरा मेरा” करता है ।

(परन्तु याद रखो) आयु अधिक होने पर ये सब जीर्ण
शीर्ण हो जाते हैं । जैसे कि (वृद्ध होने के साथ-साथ मनुष्य)
आयु से, बल से, वर्ण से, त्वचा से, कान से, तथा स्पर्शेन्द्रिय
सभी शरीर सम्बन्धी पदार्थों से क्षीण-हीन हो जाता है । उसकी
सुगठित (गठी हुई) दृढ़ सन्धियाँ (जोड़) ढीली हो जाती हैं,
उसके शरीर की चमड़ी सिकुड़कर नसों के जाल से वेष्टित

१ न तस्स दुक्खं विभयति नाइओ, न मित्तवग्गा न मुया न वंधवा । एक्को सयं पच्चणु होइ दुक्खं, कत्तारमेवं अणुजाइ कम्मं ॥

आहारोवचियं एतं पि य मे अणुपुव्वेणं विप्यजहियव्वं
भविस्सति ।

एयं संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुट्ठिते दुहतो लोगं
जाणेज्जा, तं जहा—जीवा चेव अजीवा चेव, तसा चेव,
थावरा चेव । —सूय. सु. २, अ. १, सु. ६७२-६७६

अणुसोओ पडिसोओ य—

२३६. अणुसोयपट्टिए बहुजणम्मि ,
पडिसोयलद्धलक्खेणं ।
पडिसोयमेव अप्पा ,
दायव्वो होउकामेणं ॥

अणुसोयसुहोलोगो ,
पडिसोओ आसवो सुविहियाणं ।
अणुसोओ संसारो ,
पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥

तम्हा आयारपरक्कमेण, संवरसमाहिबहुलेणं ।
चरिया गुणा य नियमा य, होंति साहूण द्दुव्वा ॥
—दस. चू. २, गा. १-४

अथिरप्पाणं विविहा उवमा—

२४०. जइं तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।
वायाविद्धो व्व हडो, अट्ठिअप्पा भविस्सति ॥

गोवालो भण्डपालो वा, जहा तद्दव्वणिससरो ।
एवं अणिससरो तं पि, सामणस्स भविस्सति ॥
—उत्त. अ. २२, गा. ४४-४५

सामण ह्रीणाणं अवट्ठिई—

२४१. कहं नु कुज्जा सामणं, जो कामे न निवारए ।
पए पए विसीयंतो, संकप्पस्स वसं गओ ॥
—उत्त. अ. २, गा. १

धम्माउ भट्ठं सिरिओववेयं,
जन्नग्गि विज्झायमिक्कप्पतेयं ।
हीलंति णं दुव्विहियं कुसीला,
दाट्ठिद्वियं घोरविसं व नागं ॥
इहेवधम्मो अयसो अकित्ति,
दुत्तामवेज्जं च पिहुज्जणम्मि ।
चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो,
संभिन्नवित्तस्स य हेट्ठो गई ॥

(तरंगरेखावत्) हो जाती है। उसके काले केश सफेद हो जाते हैं,
यह जो आहार से उपचित (वृद्धिगत) औदारिक शरीर है, वह
भी क्रमशः अवधि (आयुष्य) पूर्ण होने पर छोड़ देना पड़ेगा।

यह जानकर भिक्षाचर्या स्वीकार करने हेतु प्रव्रज्या के लिए
समुद्यत साधु लोक को दोनों प्रकार से जान ले, जैसे कि—लोक
जीवरूप और अजीवरूप है, तथा धर्मरूप है और स्थावररूप है।

अनुस्रोत और प्रतिस्त्रोत—

२३६. अधिकांश लोग अनुस्रोत में प्रस्थान कर रहे हैं—भोग
मार्ग की ओर जा रहे हैं। किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे
प्रतिस्त्रोत में गति करने का लक्ष्य प्राप्त है, जो विषय-भोगों से
विरक्त हो मंथम की आराधना करना चाहता है, उसे अपनी
आत्मा को स्रोत के प्रतिकूल ले जाना चाहिए—विषयानुरक्ति में
प्रवृत्त नहीं करना चाहिए।

जन-साधारण को स्रोत के अनुकूल चलने में सुख की अनुभूति
होती है, किन्तु जो सुविहित साधु हैं उसका आश्रय (इन्द्रिय-
विजय) प्रतिस्त्रोत होता है। अनुस्रोत संसार है (जन्म मरण की
परम्परा है) और प्रतिस्त्रोत उसका उत्तार है जन्म-मरण का पार
पाना है।

इसलिए आचार में पराक्रम करने वाले, संवर में प्रभूत
समाधि रखने वाले साधुओं को चर्या, गुणों तथा नियमों की ओर
दृष्टिपात करना चाहिए।

अस्थिरात्मा को विभिन्न उपमाएँ—

२४०. यदि तू स्त्रियों को देख उनके प्रति इस प्रकार राग-भाव
पैदा करेगा तो वायु से आहत हड (वनस्पति-विशेष) की तरह
अस्थिरात्मा हो जायगा।

जैसे गोपाल और भाण्डपाल गायों और किराने के स्वामी
नहीं होते, इसी प्रकार तू भी श्रामण्य का स्वामी नहीं होगा।

साधुता से पतित की दशा—

२४१. वह कैसे श्रामण्य का पालन करेगा जो काम (विषय-राग)
का निवारण नहीं करता, जो संकल्प के वशीभूत होकर पग-पग
पर विपादग्रस्त होता है ?

जिसकी दाढ़ें उखाड़ ली गई हों उस घोर विषधर सर्प की
साधारण लोग भी अवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-भ्रष्ट, चारित्र्य
रूपी श्री से रहित, बुझी हुई यज्ञाग्नि की भाँति निस्तेज और
दुर्विहित साधु की कुशील व्यक्ति भी निन्दा करते हैं।

धर्म से च्युत, अधर्मसेवी और चारित्र्य का खण्डन करने वाला
साधु इसी मनुष्य-जीवन में अधर्म का आचरण करता है। उसका
अयश और अकीर्ति होती है। साधारण लोगों में भी उसका
दुर्नाम होता है तथा उसकी अधोगति होती है।

भुंजित्तु भोगाद् पसञ्ज ज्ञेयसा,
तहाविहं कट्टु असंजमं वहुं ।
गइं च गच्छे अणभिज्झियं दुहं,
बोही य से नो सुलभा पुणो पुणो ॥

—दस. चू. १, गा. १२-१४

जया य चयई धम्मं, अणज्जो भोग कारणा ।
से तत्य मुच्चिए बाले, आयई नाववुज्झइ ॥
जया ओहाविओ होइ, इंदो वा पडिओ छंमं ।
सच्चधम्मपरिच्चमट्टो, स पच्छा परितप्पइ ॥

जया य वंदिमो होइ, पच्छा होइ अवंदिमो ।
देवया य चुया ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥

जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो ।
राया च रज्जपट्टमट्टो, स पच्छा परितप्पइ ॥

जया य माणिमो होइ, पच्छा होइ अमाणिमो ।
सेट्टि व्व कट्टे छूढो, स पच्छा परितप्पइ ॥

जया य थेरओ होइ, समइवकंतजोव्वणो ।
मच्छो व्व गलं गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥

जया य कुकुटं वस्स, कुत्तत्तीहिं विहम्मइ ।
हत्थी व वंघणे वट्टो, स पच्छा परितप्पइ ॥

पुत्तदारपरिकिण्णो, मोहसंताणसंतओ ।
पंकोसओ जहा नागो, स पच्छा परितप्पइ ॥

अज्ज आहं गणी हंतो, भावियप्पा वहुस्सुओ ।
जइ हं रमंते परियाए, सामण्णे जिणदेसिए ॥

—दस. चू. १, गा. १-९

जो पच्चइत्ताण महव्वयाहं, सम्भं नो पासयई पमाया ।
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिट्ठे, न मूलओ छिन्दइ वन्धणं से ॥

आउत्तया जस्स न अत्थिय काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए ।
आयाणनिक्खेवदुगुण्ठणाए, न वीरजायं अणुजाइ मगं ॥

चिरं पि से मुण्डरुई भवित्ता, अत्थिरव्वए तव नियमेहो भट्टे ।
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ ह्हु संपराए ॥

वह संयम से भ्रष्ट साधु आवेगपूर्ण चित्त से भोगों को भोग-
कर और तथाविध प्रचुर असंयम का आसेवन कर अनिष्ट एवं
दुःखपूर्ण गति में जाता है और बार-बार जन्म-मरण करने पर भी
उसे बोधि मुलभ नहीं होती ।

अनार्य जब भोग के लिए धर्म को छोड़ता है तब वह भोग
में मूर्च्छित अज्ञानी अपने भविष्य को नहीं समझता ।

जब कोई साधु उत्प्रव्रजित होता है—गृहवास में प्रवेश करता
है—तब वह सकलधर्म से भ्रष्ट होकर वैसे ही परिताप करता है
जैसे देवलोक के वैभव से च्युत होकर भूमितल पर पड़ा हुआ इन्द्र ।

प्रव्रजित काल में साधु वन्दनीय होता है, वही जब उत्प्रव्रजित
होकर अवन्दनीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है
जैसे अपने स्थान में च्युत देवता ।

प्रव्रजित काल में साधु पूज्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित
होकर अपूज्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे
राज्य-भ्रष्ट राजा ।

प्रव्रजित काल में साधु मान्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित
होकर अमान्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है
जैसे कर्वट (छोटे से गाँव) में अवरुद्ध किया हुआ श्रेष्ठी ।

यौवन के वीत जाने पर जब वह उत्प्रव्रजित साधु वृद्ध होता
है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे काँटे को निगलने
वाला मत्स्य ।

वह उत्प्रव्रजित साधु जब कुटुम्ब की दुश्चिन्ताओं से प्रतिहत
होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे बन्धन में बँधा
हुआ हाथी ।

पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ और मोह की परम्परा से परि-
व्याप्त वह वैसे ही परिताप करता है जैसे पंक में फँसा हुआ
हाथी ।

आज में भावितात्मा और बहुश्रुत गणी होता यदि जिनो
पदिष्ट श्रमण-पर्याय (चारित्र्य) में रमण करता ।

जो महाव्रतों को स्वीकार कर भलीभाँति उनका पालन
नहीं करता, अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता, रसों में मूर्च्छित
होता है वह बन्धन का मूलोच्छेद नहीं कर पाता ।

ईर्या, भाणा, एपणा, आदान-निक्षेप औय उच्चार-प्रसवण
की परिस्थापना में जो सावधानी नहीं वर्तता, वह उस मार्ग का
अनुगमन नहीं कर सकता जिस पर वीर-पुरुष चले हैं ।

जो व्रतों में स्थिर नहीं है, तप और नियमों से भ्रष्ट है,
वह चिरकाल से मुण्डन में रुचि रखकर भी और चिरकाल तक
आत्मा को कष्ट देकर भी संसार का पार नहीं पा सकता ।

“पोल्ले व” मुट्टी जह से असारै,
अयन्तिए कूडकहावणे वा ।
राढामणी वैरुलियप्पगासे ,
अमहगघए होइ य जाणएसु ॥
कुसील्लिगें इह धारइत्ता,
इसिञ्जयं जीविय वूहइत्ता ।
असंजए संजयलप्पमाणे,
विणिघायमागच्छइ से चिरं पि ॥

“विसं तु पीय” जह कालकूडं,
हणाइ सत्थं जह कुग्गहीयं ।
“एसे व” धम्मो विसओववन्नो,
हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥

जे लक्खणं सुविण पउंजमाणे,
निमित्त-कोउहल-संपगाढे ।
कुहेडविज्जासवदारजीवी,
न गच्छई सरणं तम्मिकाले ॥

तमंतमेणेव उ से असीले,
सया डुही विप्परियासुवेइ ।
संधावई नरग-तिरिक्खजोणि,
मोणं विराहेत्तु असाहुरूवे ॥
उट्टेसियं कीयगडं नियागं,
न मुंचई किच्चि अणेसणिज्जं ।
अग्गोवि वा सब्बभवखी भवित्ता,
इओ च्चओ गच्छइ कट्टु पावं ॥

न तं अरी कंठछेत्ता करेइ,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहणो ॥
निरट्टिया नग्गरुई उ तस्स,
जे उत्तमट्टं विवज्जासमेइ ।
इमे वि से नत्थि परे वि लोए,
डुहमा वि से झिज्जइ तत्थ लोए ॥

एभेवऽह्छन्द—कुसीलरूवे,
मग्गं विराहेत्तु जिणुत्तमाणं ।
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा,
निरट्टसोया परियावमेइ ॥

जो पोली मुट्टी की भाँति असार है, खोटे सिक्के की भाँति नियन्त्रण रहित हैं, काचमणि होते हुए भी वैडूर्य जैसे चमकता है, वह जानकार व्यक्तियों की दृष्टि में मूल्यहीन हो जाता है ।

जो कुशील वेश और ऋषि-ध्वज (रजोहरण आदि मुनि-चिन्हों) को धारण कर उनके द्वारा जीविका चलाता है, असंयत होते हुए भी अपने आपको संयत कहता है, वह चिरकाल तक विनाश को प्राप्त होता है ।

“दिया हुआ काल-कटु विप, अवधि से पकड़ा हुआ शस्त्र और नियन्त्रण में नहीं लाया हुआ वेताल जैसे विनाशकारी होता है, वैसे ही यह विपयों से युक्त धर्म भी विनाशकारी होता है ।

जो लक्षण-शास्त्र, स्वप्न-शास्त्र का प्रयोग करता है, निमित्त शास्त्र और कौतुक कार्य में अत्यन्त आसक्त है, मिथ्या आश्चर्य उत्पन्न करने वाले विद्यात्मक आश्रव द्वार से जीविका चलाता है, वह कर्म का फल भुगतने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ।

वह शील रहित साधु अपने तीव्र अज्ञान से सतत दुःखी होकर विपरीत दृष्टि-वाला हो जाता है । वह असाधु प्रकृति वाला मुनि धर्म की विराधना कर नरक और तिर्यग्-योनि में जाता जाता रहता है ।

जो औद्देशिक, क्रीतकृत, नित्याग्र और कुछ भी अनेपणीय को नहीं छोड़ता, वह अग्नि की तरह सर्वभक्षी होकर, पाप-कर्म का अर्जन करता है और यहाँ से मरकर दुर्गति में जाता है ।

स्वयं की अपनी दुष्प्रवृत्ति-शील दुरात्मा जो अनर्थ करती है, वह गला काटने वाला शत्रु भी नहीं कर पाता है । उक्त तथ्य को निर्दय-संयमहीन मनुष्य मृत्यु के क्षणों में पश्चात्ताप करता हुआ जान पाएगा ।

जो उत्तमार्थ में—अन्तिम समय की साधना में विपरीत दृष्टि रखता है उसकी श्रामण्य में अभिरुचि व्यर्थ है उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है । दोनों लोक के प्रयोजन से शून्य होने के कारण वह उभय-भ्रष्ट भिक्षु निरन्तर चिन्ता में धुलता जाता है ।

इसी प्रकार स्वच्छन्द साधु और कुशील साधु भी जिनोत्तम भगवान् के मार्ग की विराधना कर वैसे ही परिताप को प्राप्त होता है, जैसे कि भोग-रसों में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी (गीघ) पक्षिणी परिताप को प्राप्त होती है ।

सोन्वाण मेहावि मुभासियं इमं,
अणुमामणं नाणगुणोपवेयं ।
मगं कुसीसाण जहाय सव्वं,
महानिपच्छाण यए पहेणं ॥

चरित्तमायारगुणत्रिए तओ,
अणुत्तरं ए मंजमराविवाणं ।
निरामवे संग्रविवाणकम्मं,
उवेइ ठाणं विउत्तमं सुयं ॥

—उत्त. अ. २०, गा. ३६-५०

संजमरयाणं सुखं अरयाणं दुक्खं—

२४०. देवत्तोणसमानो उ, परिवाओ महोसिणं ।
रयाणं अरयाणं तु, महानिरयगारिसो ॥

अमरोयमं जाणिय सोशममुत्तमं,
रयाण परिवाए तहारयाणं ।
निरओयमं जाणिय इयममुत्तमं,
रमेज्ज तम्हा परिवाए पंठिए ॥

—इम. नू. १, गा. १०-११

अयिर समगस्स ठिद्धेउ चित्तणं—

२४३. इमस्स ता नेरइयम जंतुणो,
दुओयणोपस्स कित्तेसवत्तिणो ।
पल्लओयमं सिज्जट्ठा सागरोयमं,
किमंग पुण मज्जा इमं मणोवुहं ॥

न मे चिरं कुवग्गमिणं भयिस्सई,
अमागया भोगविवायम जंतुणो ।
न चे मरोरेण इमेणवेस्सई,
अविस्सई जीवियपउजयेण मे ॥

जरसेयमप्या उ ह्येज्ज निच्छिओ,
चाएज्ज वेहं न उ धम्मसासनं ।
तं तारिसं नो पयसेति इंदिया,
उयेतवाया य मुवंसणं गिरि ॥

इच्छेय संगरिसय बुद्धिमं नरो,
आयं उयायं विविहं विवाणिया ।
काएण याया अतु माणमेणं,
तिगुत्तिगुत्तो त्रिणययणमहिद्धिजासि ॥

—इम. नू. १, गा. १५-१८

मेधावी माधक इस मुभाषित को एवं ज्ञान-गुण से युक्त अनुशासन (शिक्षा) को चुनकर कुशील व्यक्तियों के सब मार्गों को छोड़कर, महान् निर्ग्रन्थ के पथ पर चले ।

चारिध्याचार और ज्ञानादि गुणों में सम्पन्न निर्ग्रन्थ निराश्रय होता है अनुत्तर शुद्ध संयम का ज्ञान कर वह निराश्रय (राग-द्वेषादि बन्ध-हेतुओं से मुक्त) साधक कर्मों का क्षय कर विपुल उत्तम एवं प्राप्यत मोक्ष को प्राप्त करता है ।

संयम में रत को सुख अरत को दुःख—

२४२. संयम में रत महर्षियों के लिए मुनि-पर्याय देवलोक के समान सुख होता है और जो संयम में रत नहीं होते उनके लिए यही (मुनि-पर्याय) महानरक के समान दुःख होता है ।

संयम में रत मुनियों का सुख देवों के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर तथा संयम में रत न रहने वाले मुनियों का दुःख नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर पण्डित मुनि संयम में ही रतन करे ।

संयम में अस्थिर धर्मण की स्थिरता हेतु चिन्तन—

२४३. दुःख से युक्त और क्लेशमय जीवन बिताने वाले इन नारकीय जीवों की पल्लोपम और सागरोपम आयु भी समाप्त हो जाती है तो फिर वह भेरा मनोदुःख कितने काल का है ?

यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा । जीवों की भोग-पिपासा अशाश्वत है । यदि वह इस शरीर के होते हुए न मिटी तो मेरे जीवन की समाप्ति के समय तो अवश्य मिट ही जायगी ।

जिसकी आत्मा इस प्रकार निश्चित होती है (दृढ़ संकल्पयुक्त होनी है)—“देह को त्याग देना चाहिए पर धर्मशासन को नहीं छोड़ना चाहिए”—उस दृढ़-प्रतिज्ञ साधु को इन्द्रियाँ उसी प्रकार विचरित नहीं कर सकतीं जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से आता हुआ महावायु गुदणंन गिरि को ।

बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार सम्यक् आलोचना कर तथा विविध प्रकार के लाभ और उनके साधनों को जानकार तीन गुणधर्मों (काय, वाणी और मन) से गुप्त होकर त्रिणवाणी का आश्रय ले ।

इह खलु भो ! पन्वइएणं, उप्पल्लदुक्खेणं, संजमे अरइसमावन्न-
चित्तेणं, ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएणं चेव, हयरस्सि-गयंकुस-
पोयपडागाभूयाइं इमाइं अट्टारस ठाणाइं सम्मं संगडिलेहिय-
व्वाइं भवन्ति । तं जहा—

१. हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ।

२. लहुस्सगा इत्तरिया गिहीणं कामभोगा ।

३. भुज्जो य माइवहुला मणुस्सा ।

४. इमे य मे दुक्खे न चिरकालोवट्टाई भविस्सइ ।

५. ओमजणपुरक्कारे ।

६. वंतस्स य पडियाइयणं ।

७. अहरगइवासोवसंपया ।

८. दुल्लभे खलु भो ! गिहीणं धम्मे गिहिवासमज्जे
वसंताणं ।

९. आयंके से वहाय होइ ।

१०. संकप्पे से वहाय होइ ।

११. सोवक्केसे गिहवासे । निरुवक्केसे परियाए ।

१२. बंधे गिहवासे । मोक्खे परियाए ।

१३. सावज्जे गिहवासे । अणवज्जे परियाए ।

१४. बंधुसाहारणा गिहीणं कामभोगा ।

१५. पत्तेयं पुण्णपावं ।

१६. अणित्थे खलु भो ! मणुयाणं जीविए कुसग्गज्जलविदुच्चले ।

१७. बहुं च खलु पावं कम्मं पगडं ॥

१८. पावाणं च खलु भो ! कडाणं कम्माणं पुंवि दुच्चिष्णाणं
दुप्पडिकंताणं वेयइत्ता मोक्खो, नत्थि अवेयइत्ता, तवसा
वा ओसइत्ता ।

अट्टारसमं पयं भवइ ।

—दस. चू. १, सु. १

मुमुक्षुओ ! निर्ग्रन्थ-प्रवचन में जो प्रव्रजित है किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो गया, संयम में उसका चित्त अरति-युक्त हो गया, वह संयम को छोड़ गृहस्थाश्रम में चला जाना चाहता है, उसे संयम छोड़ने से पूर्व अठारह स्थानों का भलीभाँति आलोचन करना चाहिए। अस्थितात्मा के लिए इनका वही स्थान है जो अश्व के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश और पोत के लिए पताका का है। अठारह स्थान इस प्रकार हैं, यथा—

(१) ओह ! इस दुष्पमा (दुःख-बहुल पाँचवें आरे) में लोग बड़ी कठिनाई में जीविका चलाते हैं ।

(२) गृहस्थों के काम-भोग स्वल्प-सारसहित (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं ।

(३) मनुष्य प्रायः माया बहून होते हैं ।

(४) यह मेरा परीपह-जनित दुःख चिरकाल स्थायी नहीं होगा ।

(५) गृहवासी को नीच जनों का पुरस्कार करना होता है—सत्कार करना होता है ।

(६) संयम को छोड़ घर में जाने का अर्थ है वमन को वापस पीना ।

(७) संयम को छोड़ गृहवास में जाने का अर्थ है नारकीय-जीवन का अंगीकार ।

(८) ओह ! गृहवास में रहते हुए गृहियों के लिए धर्म का स्पर्श निश्चय दुर्लभ है ।

(९) वहाँ आतंक वध के लिए होता है ।

(१०) वहाँ संकल्प वध के लिए होता है ।

(११) गृहवास क्लेश सहित है और मुनि-पर्याय क्लेश-रहित ।

(१२) गृहवास बन्धन है और मुनि पर्याय मोक्ष ।

(१३) गृहवास सावद्य है और मुनि पर्याय अनवद्य ।

(१४) गृहस्थों के काम-भोग बहुजन सामान्य है—सर्व सुलभ हैं ।

(१५) पुण्य और पाप अपना-अपना होता है ।

(१६) ओह ! मनुष्यों का जीवन अनित्य है, कुश के अग्र-भाग पर स्थित जल-बिन्दु के समान चंचल है ।

(१७) ओह ! इससे पूर्व बहुत ही मैंने पाप-कर्म किये हैं ।

(१८) ओह ! दुश्चरित्र और दुष्ट-पराक्रम के द्वारा पूर्वकाल में अर्जित किये हुए पाप-कर्मों को भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है—उनसे छुटकारा होता है । उन्हें भोगे बिना (अथवा तप के द्वारा उनका क्षय किए बिना) मोक्ष नहीं होता—उनसे छुटकारा नहीं होता ।

—यह अठारहवाँ प्रद. है ।

मिच्छादंसणविजयो फलं—

२४४. प्र०—वेज्ज-दोस-मिच्छादंसणविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—वेज्ज-दोस-मिच्छादंसणविजएणं नाण-दंसण-चरित्तारा-हणयाए अट्ठुइ । “अट्ठुविहस्स कम्मस्स कम्मगण्ठि-विमोयणाए” तप्पढमयाए जहाणुपूर्व्वि-अट्ठवीसइविहं मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ, पंचविहं नाणावरणिज्जं नव-दंसणावरणिज्जं पंचविहं अन्तरायं एए तिसिं वि कम्मसे जुगवं खवेइ ।

तओ पच्छा अणुत्तरं अणंतं कसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वित्तिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पभावणं केवल-वरणाण-दंसणं समुप्पाडेइ ।

-जाव-सजोगी भवइ, ताव य इरियावहियं कम्मं बन्धइ सुहफरिसं दुसमयट्ठिइयं ।

तं पढमसमए वद्धं, विइयसमए वेइयं, तइयसमए निज्जिण्णं तं वद्धं पुट्ठं उदीरियं वेइयं निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मं चावि भवइ ॥

अहाउयं पालइत्ता अन्तोमुहुत्तद्वावसेसाउए जोगनिरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाइ सुक्कज्जाणं ज्ञायमाणे तप्पढमयाए “मणजोगं निरुम्मइ निरुम्मिता, वइजोगं निरुम्मइ निरुम्मिता, कायजोगं निरुम्मइ निरुम्मिता आणायाणुनिरोहं” करेइ करित्ता ईसिं पंचहस्सक्ख-रुच्चारणद्वाए य णं अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियट्ठि-सुक्कज्जाणं ज्ञियायमाणे वेयणिज्जं, आउयं, नामं, गोत्तं च एए चत्तारि वि कम्मसे जुगवं खवेइ ।

तओ ओरालियकम्माइं च सच्चार्हि विप्पजहणाहिं विप्पजहिता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुसमाणगई उद्धं एगसम-एणं अविग्गहेणं तत्य गन्ता सागारोवउत्ते सिज्जइ बुज्जइ मुच्चइ परिनिच्चाएइ सच्चदुक्खाणमन्तं करेइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ७३-७५

मिथ्यादर्शन विजय का फल—

२४४. प्र०—भन्ते ! प्रेम, द्वेष और मिथ्या-दर्शन के विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रेम, द्वेष और मिथ्या-दर्शन के विजय से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए उद्यत होता है। आठ कर्मों में जो कर्मग्रन्थि (घात्य-कर्म) है, उसे खोलने के लिए वह उद्यत होता है। वह जिसे पहले कभी भी पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाया उस अट्टाईस प्रकार वाले मोहनीय कर्म को क्रमशः सर्वथा क्षीण करता है, फिर वह पाँच प्रकार वाले ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार वाले दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार वाले अन्तराय— इन तीनों विद्यमान कर्मों को एक साथ क्षीण करता है।

उसके पश्चात् वह अनुत्तर, अनन्त, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरा-वरण तिमिर रहित, विशुद्ध लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन को उत्पन्न करता है।

जब तक वह सयोगी होता है तब तक उसके ईर्या-पथिक-कर्म का बन्ध होता है। बन्ध सुख-स्पर्श (पुण्य-मय) होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है।

प्रथम समय में बन्ध होता, द्वितीय समय में वेदा जाता है और तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है। वह कर्म बद्ध होता है, स्पृष्ट होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है, नष्ट हो जाता है और अन्त में अकर्म भी हो जाता है।

केवली होने के पश्चात् वह शेष आयुष्य का निर्वाह करता है। जब अन्तरमुहूर्त परिमाण आयु शेष रहती है, वह योग-निरोध करने में प्रवृत्त हो जाता है। उस समय सूक्ष्म-क्रिय अप्र-तिपाति नामक शुक्लध्यान में लीन बना हुआ वह सबसे पहले मनो-योग का निरोध करता है, फिर वचनयोग का निरोध करता, फिर काययोग निरोध करता है, उसके पश्चात् आनापान (उच्छ्-वास-निश्वास) का निरोध करता है, उसके पश्चात् स्वल्पकाल तक पाँच ह्रस्वाक्षरों (अ इ उ ऋ लृ) का उच्चारण किया जाये उतने काल तक समुच्छिन्न-क्रियाअनिवृत्ति नामक शुक्लध्यान में लीन बना हुआ अनागार वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र—इन चार कर्मों को एक साथ क्षीण करता है।

उसके बाद वह औदारिक और कर्मण शरीर को सदा के लिए सर्वथा परित्याग कर देता है। सम्पूर्णरूप से इन शरीरों से रहित होकर वह ऋजुश्रेणी को प्राप्त होता है और एक समय में अस्पृशद्गतिरूप ऊर्ध्वगति से विना मोड़ लिए (अविग्रह रूप से) सीधे वहाँ (लोकाग्र में) जाकर साकारोपयोगयुक्त (ज्ञानोपयोगी अवस्था में) सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परि-निर्वाण को प्राप्त होता है और समस्त दुःखों का अन्त कर देता है।

चउण्हं अण्ण उत्थियसद्दहण-णिरसणं—

२४५. इह खलु पाईणं वा पडोणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संति
एगतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेण लोगं तं उववन्ना,

तं जहा—आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चगोया वेगे णीया-
गोया वेगे, कायंता वेगे हस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे दुव्वण्णा
वेगे, सुरुवा वेगे डुरुवा वेगे ।

तेसि च णं महं एगे राया भवति
महाहिमवंतमलयमंदरमहिंदसारे अच्चंतविमुद्धरायकुलवंसप्पसूते
निरंतररायलक्खणविरातियंगमंगे बहुजणवहुमाणपूजिते सव्व-
गुणसमिद्धे खंत्ति मुदिए मुद्धाभिसित्ते,

माउं पिउं सुजाए
दयपत्ते सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे
मणुस्सिदे जणवदपिया जणवदपुरोहिते सेउकरे के०करे

णरपवरे पुरिसवरे पुरिसम्रीहे पुरिसआसीविसे पुरिसवरपोंड-
रीए पुरिसवरगंधहत्थी
अड्ढे वित्ते वित्ते वित्थिण्णविउलभवण-सयणासण-जाण-
वाहणाइण्णे

चार अन्यतीर्थियों की श्रद्धा का निरसन—

२४५. (श्रमण भगवान् महावीर कहते हैं—) इस मनुष्य लोक में
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में उत्पन्न कई प्रकार के
मनुष्य होते हैं,

जैसे कि—उन मनुष्यों में कई आर्य (धेन्नायं आदि)
होते हैं, अथवा कई अनायं (धर्म में दूर, पापी, निर्दय,
निरनुकम्प, क्रोधमूर्ति, असंस्कारी) होते हैं, कई उच्चगोत्रीय होते
हैं, कई नीचगोत्रीय । उनमें से कोई भीमकाय (नम्बे और सुदृढ़
शरीर वाले) होते हैं । कई ठिगने कद के होते हैं । कोई (सोने
की तरह) सुन्दर वर्ण वाले होते हैं, तो कोई बुरे (काले कलूट)
वर्ण वाले । कोई सुरूप (सुन्दर अंगोपांगों से युक्त) होते हैं तो
कोई कुरूप (बेडौल, अपंग) होते हैं ।

उन मनुष्यों में (विलक्षण कर्मोदय से) कोई एक राजा होता
है । वह (राजा) महान् हिमवान्, मलयाचल, मन्दराचल तथा
महेन्द्र पर्वत के समान सामर्थ्यवान् अथवा वैभववान् होता है ।
वह अत्यन्त विशुद्ध राजकुल के वंश में जन्मा हुआ होता है ।
उसके अंग राजलक्षणों से सुशोभित होते हैं । उसकी पूजा प्रतिष्ठा
अनेक जनों द्वारा बहुमानपूर्वक की जाती है, वह गुणों से समृद्ध
होता है, वह क्षत्रिय (पीड़ित प्राणियों का त्राता-रक्षक) होता है ।
वह सदा प्रसन्न रहता है । वह राजा राज्याभिषेक किया हुआ
होता है ।

वह अपने माता-पिता का नुपुत्र (अंगजात) होता है ।
उसे दया प्रिय होती है । वह सीमंकर (जनता की मुख्यवस्था के
लिए सीमा—नैतिक धार्मिक मर्यादा स्थापित करने वाला) तथा
सीमंधर (स्वयं उस मर्यादा का पालन करने वाला) होता है ।
वह क्षेमंकर (जनता का कुशल-क्षेम करने वाला) तथा क्षेमन्धर
(प्राप्त योग क्षेम का वहन-रक्षण करने वाला) होता है । वह
मनुष्यों में इन्द्र, जनपद (देश या प्रान्त) का पिता, और जनपद
का पुरोहित (शांतिरक्षक) होता है । वह अपने राज्य या राष्ट्र
की सुख-शांति के लिए सेतुकर (नदी, नहर, पुल, बाँध आदि का
निर्माण कराने वाला) और केतुकर (भूमि, खेत, वगीचे आदि की
व्यवस्था करने वाला) होता है ।

वह मनुष्यों में श्रेष्ठ, पुरुषों में वरिष्ठ, पुरुषों में सिंहसम,
पुरुषों में आसीविप सर्प समान, पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक तुल्य,
पुरुषों में श्रेष्ठ मत्तगन्धहस्ती के समान होता है । वह अत्यन्त
घनाढ्य, दीप्तिवान् (तेजस्वी) एवं प्रसिद्ध पुरुष होता है । उसके
पास विशाल विपुल भवन, शैथ्या, आसन, यान (विविध पालकी
आदि) तथा वाहन (घोड़ा-गाड़ी, रथ आदि सवारियाँ एवं हाथी,
घोड़े आदि) की प्रचुरता रहती है ।

बहुधनवहुजातरुव-रयए
आभोगपभोगसंपउत्ते
विच्छडिड्यपडरभत्त-पाणे
वहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलप्पभूते
पडिपुण्णकोस-कोट्टागाराउहधरे

वल्लवं दुच्चलपच्चामित्ते
ओह्यकंटकं निहयकंटकं मलियकंटकं उद्वियकंटकं अकंटयं
ओह्यसत्तू निहयसत्तू उद्वियसत्तू निज्जियसत्तू पराइयसत्तू
ववगयदुड्ढिमक्खमारिभयविमुक्कं,

रायवण्णभो जहा उववाइए-जाव-पसंतडिदमरं रज्जं पसासे-
माणे विरहति ।

तस्स णं रण्णो परिस्ता भवति—
उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्खागा इक्खागपुत्ता नाया
नायपुत्ता
कोरव्वा कोरव्वपुत्ता भडा भडपुत्ता माहंगा माहणपुत्ता
लेच्छई लेच्छइपुत्ता पसत्तारो पसत्थपुत्ता सेणावती सेणावती-
पुत्ता ।

पढमं तज्जीवतच्छरीरवाइएसद्दहण णिरसनं—

२४६. तेसि च णं एगतिए सड्ढी, कामं तं समणा य माहणा य
पहारेंसु गमणाए,
तत्थउन्नतरेणं धम्मणेणं पणत्तारो वयमेत्तेणं धम्मणेणं पण-
वइस्सामो,

से ए वमायाणह भयंतारो जहा मे एस धम्मे सुयव्खाते
सुपण्णत्ते भवति ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४६-६४७

उसके कोप (खजाने) प्रचुर धन, सोना, चाँदी आदि से भरे रहते हैं। उसके यहाँ से बहुत-से लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी दिया जाता है। उसके यहाँ बहुत से दास-दासी, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु रहते हैं। उसके धान्य का कोठार अन्न से, धन के कोश (खजाने) प्रचुर द्रव्य से और आयु-घागर विविध शास्त्रास्त्रों से भरा रहता है।

वह शक्तिशाली होता है। वह अपने शत्रुओं को दुर्बल बनाए रखता है। उसके राज्य में कंटक—चोरों, व्यभिचारियों, लुटेरों तथा उपद्रवियों एवं दुष्टों का नाश कर दिया जाता है, उनका मानमर्दन कर दिया जाता है, उन्हें कुचल दिया जाता है, उनके पैर उखाड़ दिये जाते हैं, जिससे उसका राज्य निष्कण्टक (चोर आदि दुष्टों से रहित) हो जाता है। उसके राज्य पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें खदेड़ दिया जाता है, उनका मानमर्दन कर दिया जाता है, अथवा उनके पैर उखाड़ दिये जाते हैं, उन शत्रुओं को जीत लिया जाता है, उन्हें हरा दिया जाता है। उसका राज्य दुर्भिक्ष और महामारी आदि के भय से विमुक्त हो जाता है।

(यहाँ से लेकर) “जिसमें स्वचक्र-परचक्र का भय शान्त हो गया है, ऐसे राज्य का प्रशासन-पालन करता हुआ वह राजा विचरण करता है,” (यहाँ तक का पाठ औपपातिक सूत्र में वर्णित पाठ की तरह समझ लेना चाहिए।)

उस राजा की परिपद् (सभा) होती है। उसके सभासद ये होते हैं—उग्रकुल में उत्पन्न उग्रपुत्र, भोगकुल में जन्मे भोगपुत्र, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न तथा इक्ष्वाकूपुत्र, ज्ञातकुल में उत्पन्न ज्ञात-पुत्र, कुरुकुल में उत्पन्न—कौरव, तथा कौरवपुत्र, सुभटकुल में उत्पन्न तथा सुभटपुत्र, ब्राह्मणकुल में उत्पन्न तथा ब्राह्मणपुत्र, लिच्छवी नामक क्षत्रियकुल में उत्पन्न तथा लिच्छवीपुत्र, प्रशा-स्तागण (मन्त्री आदि बुद्धिजीवी वर्ग) तथा प्रशास्तापुत्र (मन्त्री आदि के पुत्र) सेनापति और सेनापति पुत्र।

प्रथम तज्जीव-तत्शरीरवादी की श्रद्धा का निरसन—

२४६. इनमें से कोई एक धर्म में श्रद्धालु होता है। उस धर्म श्रद्धालु के पास श्रमण या ब्राह्मण (माहन) धर्म की प्राप्ति की इच्छा से जाने का निश्चय (निर्धारण) करते हैं। किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे श्रमण और ब्राह्मण यह निश्चय करते हैं कि हम इस धर्मश्रद्धालु पुरुष के समक्ष अपने इस (अभीष्ट) धर्म की प्ररूपणा करेंगे।

वे उस धर्मश्रद्धालु पुरुष के पास जाकर कहते हैं—“हे संसार भीरु धर्मप्रेमी ! अथवा भय से जनता के रक्षक महाराज ! मैं जो भी उत्तम धर्म की शिक्षा आपको दे रहा हूँ उसे ही आप पूर्वपुरुषों द्वारा सम्यक् प्रकार से कथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) समझें।”

तं जहा—उद्धं पादतला अहे केसगमत्यया तिरियं तयपरि-
यन्ते जीवे,
एस आयपज्जवे कसिणे,
एस जीवे जीवति, एस मए णो जीवति, सरीरे चरमाणे
चरति, विणट्ठम्मि य णो चरति,
एतं तं जीवितं भवति,

आदहणाए परेहिं णिज्जति,
अगणिज्जामित्ते सरीरे क्वोत-वण्णाणि अट्टीणी भवन्ति,
आसंदीपंचमा पुरिसा नामं पच्चगच्छन्ति ।
एवं असतोअसंविज्जमाणे ।^१

जेसिं तं सुयवखाय भवति—“अन्नो भवति जीवो अन्नं सरीरं”
तम्हा ते एवं नो विप्पडिवेदेति—

अयमाउसो ! आता दीहे ति वा हस्से ति वा परिमंडले ति
वा बट्टे ति वा तंसे ति वा चउरंसे ति वा छलंसे ति वा
अट्टंसे ति वा आयते ति वा
कण्हे ति वा णीले ति वा लोहिते ति वा हालिद्धे ति वा
सुब्धिगंधे ति वा दुब्धिगंधे ति वा तित्ते ति वा कडुए ति वा
कसाए ति वा अंबिले ति वा महुरे ति वा कण्ठंसे ति वा
मउए ति वा गरुए ति वा सित्ते ति वा उसिणे ति वा णिद्धे
ति वा लुक्खे ति वा ।

एवमसतो असंविज्जमाणे ।

जेसिं तं सुयवखायं भवति “अन्नो जीवो अन्नं सरीरं”, तम्हा
ते णो एवं उवलभन्ति—

वह धर्म इस प्रकार है— पादतल (पैरों के तलवे) से ऊपर
और मस्तक के केशों के अग्रभाग से नीचे तक तथा तिरच्छा—
चमड़ी तक जो शरीर है, वही जीव है। यह शरीर ही जीव का
समस्त पर्याय (अवस्था विशेष अथवा पर्यायवाची शब्द) है।
(क्योंकि) इस शरीर के जीने तक ही यह जीव जीता रहता है,
शरीर के मर जाने पर यह नहीं जीता, शरीर के स्थित (टिके)
रहने तक ही यह जीव स्थित रहता है और शरीर के नष्ट हो
जाने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक शरीर है, तभी
तक यह जीवन (जीव) है।

शरीर जब मर जाता है तब दूसरे लोग जलाने के लिए ले
जाते हैं, आग से शरीर के जल जाने पर हड्डियां कपोत वर्ण
(कबूतरी रंग) की हो जाती है। इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को
श्मशान भूमि में पहुँचाने वाले जघन्य (कर्म से कम) चार पुरुष
मृत शरीर को ढोने वाली मंचिका (अर्थाँ) को लेकर अपने गाँव
में लौट आते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि
शरीर से भिन्न कोई जीव नामक पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह
शरीर से भिन्न प्रतीत नहीं होता। (अतः जो लोग शरीर से भिन्न
जीव का अस्तित्व नहीं मानते, उनका यह पूर्वोक्त सिद्धांत ही
युक्तियुक्त समझना चाहिए।)

जो लोग युक्तिपूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि ‘जीव पृथक्
है और शरीर पृथक् है,’ वे इस प्रकार (जीव और शरीर को)
पृथक्-पृथक् करके नहीं बता सकते कि—

यह आत्मा दीर्घ (लम्बा) है, यह ह्रस्व (छोटा या ठिगना)
है, यह चन्द्रमा के समान परिमण्डलाकार है, अथवा गेंद की तरह
गोल है, यह त्रिकोण है, या चतुष्कोण है, या यह पट्कोण या
अष्टकोण है, यह आयत (चौड़ा) है, यह काला है अथवा नीला
है, यह लाल है या पीला है या श्वेत है, यह सुगन्धित है या
दुर्गन्धित, यह तिक्त (तीखा) है या कड़वा अथवा कसैला, खट्टा
या मीठा है, अथवा यह कर्कश है या कोमल है अथवा भारी
(गुरु) है या हलका (लघु) अथवा शीतल है या उष्ण है, स्निग्ध
है अथवा रूक्ष है।

इसलिए जो लोग जीव को शरीर से भिन्न नहीं मानते,
उनका मत ही युक्ति संगत है।

जिन लोगों का यह कथन है कि जीव अन्य है, और शरीर
अन्य है, वे इस प्रकार से जीव को उपलब्ध (प्राप्त) नहीं करा
पाते—

१ पत्तेण कसिणे आया जे वाला जे य पंडिता, संति पेच्चा ण ते संति णत्थि सत्तोवपातिया ।
णत्थि पुण्णे व पावे वा णत्थि लोए इतो परे, सरीरस्स विणासेणं विणासो होति देहिणो ॥

से जहानामए केइ पुरिसे कोसीतो अंसि अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा—अयमाउसो ! अंसी, अयं कोसीए,
एवमेव णत्थि केइ अभिनिव्वट्टित्ताणं उवदंसेति— अयमाउसो !
आता अयं सरीरे ।

से जहानामए केइ पुरिसे मुंजाओ इसीयं अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! मुंजो, अयं इसीया,
एवामेव णत्थि केति उवदंसेत्तारो अयमाउसो ! आता इदं
सरीरे ।

से जहानामए केति पुरिसे मंसाओ अट्टि अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! मंसे, अयं अट्टी,
एवामेव णत्थि केति उवदंसेत्तारो—अयमाउसो ! आया, इदं
सरीरं ।

से जहानामए केति पुरिसे करतलाओ आमंलकं अभिनिव्व-
ट्टित्ताणं उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! करतले, अयं आमलए,
एवामेव णत्थि केति उवदंसेत्तारो—अयमाउसो ! आया. इदं
सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे दहीओ णवणीयं अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! नवनीतं, अयं दही,
एवामेव णत्थि केति उवदंसेत्तारो जाव सरीरं ।

से जहानामए केति पुरिसे तिलोहंतो तेल्ले अभिनिव्वट्टित्ताणं
अयमाउसो ! तेल्ले, अयं पिण्णाए,
उवदंसेज्जा—
एवामेव-जाव-सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे उक्खत्तो खोत्तरसं अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा—अयमाउसो ! खोत्तरसे, अयं चोए, एवमेव
-जाव-सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्गि अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! अरणी, अयं अग्गी,
एवामेव-जाव-सरीरं ।

जैसे—कि कोई व्यक्ति म्यान से तलवार को बाहर निकाल
कर दिखलाता हुआ कहता है—“आयुष्मान् ! यह तलवार है,
और यह म्यान है ।” इसी प्रकार कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो
शरीर से जीव को पृथक् करके दिखला सके कि “आयुष्मान् !
यह तो आत्मा है और यह (उससे भिन्न) शरीर है ।”

जैसे कि कोई पुरुष मुंज नामक घास से इपिका (कोमल
स्पर्श वाली शलाका) को बाहर निकाल कर अलग-अलग बतला
देता है कि “आयुष्मान् ! यह तो मुंज है और यह इपिका है ।”
इसी प्रकार ऐसा कोई उपदर्शक पुरुष नहीं है, जो यह बता सके
कि “आयुष्मान् ! यह आत्मा है और यह (उससे पृथक्)
शरीर है ।”

जैसे कोई पुरुष मांस से हड्डी को अलग-अलग करके बतला
देता है कि “आयुष्मान् ! यह मांस और यह हड्डी है ।” इसी
तरह कोई ऐसा उपदर्शक पुरुष नहीं है, जो शरीर से आत्मा को
अलग करके दिखला दे कि “आयुष्मान् ! यह तो आत्मा है और
यह शरीर है ।”

जैसे कोई पुरुष हथेली से आंवले को बाहर निकालकर
दिखला देता है कि “आयुष्मान् ! यह हथेली (करतल) है, और
यह आंवला है ।” इसी प्रकार कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो शरीर
से आत्मा को पृथक् करके दिखा दे कि “आयुष्मान् ! यह आत्मा
है, और यह (उससे पृथक्) शरीर है ।”

जैसे कोई पुरुष दही से नवनीत (मक्खन) को अलग निकाल
कर दिखला देता है कि “आयुष्मान् ! यह नवनीत है और यह
दही है ।” इस प्रकार कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो शरीर से
आत्मा को पृथक् करके दिखला दे कि “आयुष्मान् ! यह तो
आत्मा है और यह शरीर है ।”

जैसे कोई पुरुष तिलों से तेल निकालकर प्रत्यक्ष दिखला
देता है कि “आयुष्मान् ! यह तो तेल है और यह उन तिलों की
खली है,” वैसे कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो शरीर को आत्मा से
पृथक् करके दिखा सके कि “आयुष्मान् ! यह आत्मा है, और
यह उससे भिन्न शरीर है ।”

जैसे कोई पुरुष ईत्र से उसका रस निकालकर दिखा देता है
कि “आयुष्मान् ! यह ईत्र का रस है और यह उसका छिलका
है,” इसी प्रकार ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर और आत्मा
को अलग-अलग करके दिखला दे कि “आयुष्मान् ! यह आत्मा
है और यह शरीर है ।”

जैसे कि कोई पुरुष अरणि की लकड़ी से आग निकालकर
प्रत्यक्ष दिखला देता है कि —“आयुष्मान् ! यह अरणि है और
यह आग है,” इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शरीर
और आत्मा को पृथक् करके दिखला दे कि “आयुष्मान् ! यह
आत्मा है और यह उससे भिन्न शरीर है ।”

एवं असतो असंविज्जमाणे ।

जेसि तं सुयक्खातं भवति तं जहा—“अन्नो जीवो अन्नं सरीरं”
तम्हा तं भिच्छा ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४८-६५०

से हुंता

हणह खणह छणह दहह पयह आलुंणह विलुंणह सहसक्कारेह
विपरामुसह,

एत्ताव ताव जीवे, णत्थि परलोए,

ते णो एवं विप्पडिवेदंति, तं जहा—किरिया इ वा अकिरिया
इ वा, सुक्कडे ति वा दुक्कडे ति वा, कल्लाणे ति वा पावए
ति वा, साहू ति वा असाहू ति वा, सिद्धि ति वा असिद्धि
ति वा, निरए ति वा अनिरए ति वा ।

एवं ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूवरूवाइं कामभोगाइं
सभारंभंति भोयणाए ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५१

एवं पेगे पागन्मिया निक्खम्म मामगं धम्मं पणवेति ।

तं सद्दहमाणा तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा

साधु सुयक्खाते समणे ति वा माहणे ति वा, कामं खलु
आउसो ! तुमं पूययामो,
तं जहा—असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा
वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा,

तत्थेगे पूयणाए समाउडिंसु तत्थेगे पूयणाए निगामइंसु ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५२

इसलिए आत्मा शरीर से पृथक् उपलब्ध नहीं होती, यही
वात युक्तियुक्त है । इस प्रकार (विविध युक्तियों से आत्मा का
अभाव सिद्ध होने पर भी) जो पृथगात्मवादी (स्वदर्शनानुरागवश)
वार-वार प्रतिपादन करते हैं, कि आत्मा अलग है, शरीर अलग
है, पूर्वोक्त कारणों से उनका कथन मिथ्या है ।

इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मानने वाले तज्जीव
तच्छरीरवादी लोकायतिक आदि स्वयं जीवों का (निःसंकोच)
हनन करते हैं, तथा (दूसरों को भी उपदेश देते हैं)—

इन जीवों को मारो, यह पृथ्वी खोद डालो, यह वनस्पति
काटो, इसे जला दो, इसे पकाओ, इन्हें लूट लो या इनका हरण
कर लो । इन्हें काट दो या नष्ट कर दो, विना सोचे विचारे
सहसा वध कर डालो, इन्हें पीड़ित (हैरान) करो, इत्यादि ।

इतना (शरीरमात्र) ही जीव है, (परलोकगामी कोई जीव
नहीं होने से) परलोक नहीं है ।” (इसलिए यथेष्ट सुख भोग
करो) ।

वे शरीरात्मवादी आगे कही जाने वाली बातों को नहीं
मानते जैसे कि—सत्क्रिया या असत्क्रिया, सुकृत या दुष्कृत,
कल्याण (पुण्य) या पाप, भला या बुरा, सिद्धि या असिद्धि, नरक
या स्वर्ग, आदि ।

इस प्रकार वे शरीरात्मवादी अनेक प्रकार के कर्मसमारम्भ
करके विविध प्रकार के काम-भोगों का सेवन (उपभोग) करते हैं
अथवा विषयों का उपभोग करने के लिए विविध प्रकार के
दुष्कृत्य करते हैं ।

इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा न मानने की धृष्टता करने
वाले कोई नास्तिक अपने मतानुसार प्रब्रज्या धारण करके “भैरा
ही धर्म सत्य है” ऐसी प्ररूपणा करते हैं ।

इस शरीरात्मवाद में श्रद्धा रखते हुए, उस पर प्रतीति करते
हुए, उसमें रुचि रखते हुए कोई राजा आदि उस शरीरात्मवादी
से कहते हैं—

हे श्रमण या ब्राह्मण ! आपने हमें यह तज्जीव-तच्छरीरवाद
रूप उत्तम धर्म बताकर बहुत ही अच्छा किया, हे आयुष्मन् !
(आपने हमारा उद्धार कर दिया) अतः हम आपकी पूजा (सत्कार
सम्मान) करते हैं, जैसे कि—हम अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य
अथवा वस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पाद-प्रौंछन आदि के द्वारा
आपका सत्कार-सम्मान करते हैं ।

यों कहते हुए कई राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं,
अथवा वे शरीरात्मवादी अपनी पूजा-प्रतिष्ठा में प्रवृत्त हो जाते
हैं, और उन स्वमतस्वीकृत राजा आदि को अपनी पूजा-प्रतिष्ठा
के लिए अपने मत-सिद्धान्त में दृढ़ (पक्के या कट्टर) कर
देते हैं ।

पुत्रामेव तैसि णायं भवति—समणा भविस्सामो अणगारा अकिंचणा अपुत्ता अपसू परदत्तभोजो भिक्खुणो पावं कम्मं णो करिस्सामो समुट्ठाए ते अप्पणा अप्पडिविरया भवन्ति, सयमाइयन्ति अन्ने वि आदियावेन्ति अन्नं पि आतियंतं समणुजाणन्ति,

एवामेव ते इत्थिकामभोगोहं मुच्छिया गिद्धा गद्धिता अज्झोब-वध्मा लुद्धा रागदोसत्ता, ते णो अप्पाणं समुच्छेद्वेति, नो परं समुच्छेद्वेति, नो अण्णाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेद्वेति,

पहीणा पुव्वसंजोगं, आयरियं मगं असंपत्ता, इति ते णो हन्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा ।

इति पढमे पुरिसज्जाते तज्जीव-तस्सरोरिए आहिते ।

— सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५३

वि०यं पंचमहब्रह्मवाइए सद्ग्रहणनिरसनं—

१४७. अहावरे दोच्चे पुरिसज्जाते पंचमहब्रह्मति ए ति आहिज्जति ।

इह खलु पाईणं वा-जाव-संतेगतीया मणुस्सा भवन्ति अणु-पुव्वेणं लोयं उववण्णा, तं जहा—आरिया वेगे-जाव-डुरुवा वेगे । तैसि च णं महं एगे राया भवती महया एवं चेव णिरव-सेसं-जाव-सेणावतिपुत्ता ।

तैसि च णं एगतीए सड्ढी भवति, कामं तं समणा य माहणा य पहारिसु गमणाए । तत्थयण्णपरेणं धम्मणं पन्नतारो वय-मिमेणं धम्मणं पन्नवइस्सामो,

इन शरीरात्मवादियों ने पहले तो यह प्रतिज्ञा की होती है कि “हम अनगार (घर-वार के त्यागी), अकिंचन (द्रव्यादि-रहित), अपुत्र (पुत्रादि के त्यागी), अपशु (पशु आदि के स्वामित्व से रहित), परदत्तभोजी (दूसरों के द्वारा दिये गए भिक्षान्न पर निर्वाह करने वाले) भिक्षु एवं श्रमण (श्रम सम एवं श्रम-तप की साधना करने वाले), वनेंगे, अब हम पाप कर्म (सावद्य कार्य) नहीं करेंगे,” ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वे स्वयं दीक्षा ग्रहण करके (प्रव्र-जित होकर) भी पाप कर्मों (सावद्य आरम्भसमारम्भादि कार्यों) से विरत (निवृत्त) नहीं होते, वे स्वयं परिग्रह को ग्रहण (स्वी-कार) करते हैं, दूसरे से ग्रहण कराते हैं और परिग्रह ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करते (अच्छा समझते) हैं ।

इसीप्रकार वे स्त्री तथा अन्य कामभोगों में आसक्त (मूर्च्छित), गूढ, उनमें अत्यधिक इच्छा और लालसा से युक्त, लुब्ध (लोभी), राग-द्वेष के वशीभूत एवं आर्त (चिन्तातुर) रहते हैं । वे न तो अपनी आत्मा को संसार से या कर्म-पाश (बन्धन) से मुक्त कर पाते हैं, न वे दूसरों को मुक्त कर सकते हैं, और न अन्य प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों को मुक्त कर सकते हैं ।

वे (उक्त शरीरात्मवादी प्रथम असफल पुरुष के समान) अपने स्त्री-पुरुष, धन-धान्य आदि पूर्वसंयोग गृहावास या ज्ञाति-जनवास) से भ्रष्ट (प्रहीन) हो चुके हैं, और आर्यमार्ग (सम्यग्-दर्शनादियुक्त मोक्षमार्ग) को नहीं पा सके हैं । अतः वे न तो इस लोक के होते हैं, और न ही परलोक के होते हैं (किन्तु उभयलोक के सधनुष्ठान से भ्रष्ट होकर (बीच में कामभोगों—(के कीचड़) में आसक्त हो (फँस) जाते हैं ।

इस प्रकार प्रथम पुरुष तज्जीव-तच्छरीरवादी कहा गया है ।

द्वितीय पंच महाभूतवादी की श्रद्धा का निरसन—

२४७. पूर्वोक्त प्रथम पुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष पंचमहाभूतिक कहलाता है ।

इस मनुष्यलोक की पूर्व—यावत्—उत्तरदिशा में मनुष्य रहते हैं । वे क्रमशः नाना रूपों में मनुष्यलोक में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि—कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य । कोई—यावत्—कुरूप आदि होते हैं । उन मनुष्यों में से कोई एक महान् पुरुष राजा होता है । वह राजा पूर्वसूत्रोक्त विशेषणों—महान् हिमवान आदि से युक्त होता है और उसकी राजपरिपद्—यावत्—सेनापति आदि से युक्त होती है ।

उन सभासदों में से कोई पुरुष धर्मश्रद्धालु होता है । वे श्रमण और माहन उसके पास जाने का निश्चय करते हैं । वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले अन्यतीर्थिक श्रमण और माहन (ब्राह्मण) राजा आदि से कहते हैं—“हम आपको उत्तम धर्म की शिक्षा देंगे ।”

से एवमायाणह भयंतारो ! जहा मे एस धम्मे सुअवखाए सुपणत्ते भवति ।

इह खलु पंच महब्भूता जेहिं नो कज्जति किरिया ति वा अकिरिया ति वा, सुकडे ति वा दुकडे ति वा कल्लाणे ति वा पावए ति वा साहु ति वा असाहु ति वा, सिद्धी ति वा असिद्धी ति वा गिरए ति वा अगिरए ति वा अवि यंतसो तणमात-मवि ।

तं च पदुद्देसेणं पुढोभूतसमवातं जाणेज्जा, तं जहा—

पुढवी एगे महब्भूते, आऊ दोच्चे महब्भूते, तेऊ तच्चे महब्भूते, वाउ चउत्थे महब्भूते, आगासे पंचमे महब्भूते ।

इच्चेते पंच महब्भूता अणिम्मिता अणिम्मेया अकडा णो कित्तिमा णो कडगा अणादिया अणिघणा अवंझा अपुरोहिता सतंतता सासता ।

आयछट्टा पुण एगे, एवमाहु—

सतो णत्थि विणासो, असतो णत्थि संभवो ।

एताव ताव जीवकाए, एताव ताव अत्थिकाए, एताव ताव सव्वलोए, एतं मुहं लोगस्स कारणयाए, अवि यंतसो तणमा तमवि ।

से क्किणं क्किणावेमाणे, हणं घातमाणे, पयं पयावेमाणे, अवि अंतसो पुरिसमवि विक्किणिता घायइत्ता, एत्थ वि जाणाहि—णत्थि एत्थ दोसो ।^१

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५४-६५७

इसके पश्चात् वे कहते हैं—“हे भयत्रातायो ! प्रजा के भय का अन्त करने वालो ! मैं जो भी आपको उत्तम धर्म का उपदेश दे रहा हूँ, वही पूर्व पुरुषों द्वारा सम्यक् प्रकार से कथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) है ।”

इस जगत में पंच महाभूत ही सब कुछ हैं । जिनसे हमारी क्रिया या अक्रिया, सुकृत अथवा दुष्कृत, कल्याण या पाप, अच्छा या बुरा, सिद्धि या असिद्धि, नरकगति या नरक के अतिरिक्त अन्य गति; अधिक कहां तक कहें, तिनके के हिलने जैसी क्रिया भी (इन्हीं पंचमहाभूतों) से होती है ।

उस भूत-समवाय (समूह) को पृथक्-पृथक् नाम से जानना चाहिए । जैसे कि—

पृथ्वी एक महाभूत है, जल दूसरा महाभूत है, तेज (अग्नि) तीसरा महाभूत है, वायु चौथा महाभूत है और आकाश पांचवां महाभूत है ।

ये पाँच महाभूत किसी कर्ता के द्वारा निर्मित (बनाये हुए) नहीं हैं, न ही ये किसी कर्ता द्वारा बनवाए हुए (निर्मापित) हैं, ये किये हुए (कृत) नहीं हैं, न ही ये कृत्रिम (बनावटी) हैं, और न ये अपनी उत्पत्ति के लिए किसी की अपेक्षा रखते हैं । ये पाँचों महाभूत आदि एवं अन्त रहित हैं तथा अवन्द्य—अवश्य कार्य करने वाले हैं । इन्हें कार्य में प्रवृत्त करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ये स्वतन्त्र एवं शाश्वत (नित्य) हैं ।

कोई (सांख्यवादी) पंचमहाभूत और छोटे आत्मा को मानते हैं । वे इस प्रकार कहते हैं कि—

सत् का विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती । (वे पंचमहाभूतवादी कहते हैं—) “इतना ही (यही) जीव काय है, इतना ही (पंचभूतों का अस्तित्वमात्र ही) अस्तिकाय है, इतना ही (पंचमहाभूतरूप ही) समग्र जीव लोक है । ये पंच-महाभूत ही लोक के प्रमुख कारण (समस्त कार्यों में व्याप्त) हैं, यहाँ तक कि तृण का कम्पन भी इन पंचमहाभूतों के कारण होता है ।”

(इस दृष्टि से आत्मा असत् या अकिञ्चित्कर होने से) “स्वयं खरीदता हुआ, दूसरे से खरीद कराता हुआ, एवं प्राणियों का स्वयं घात करता हुआ तथा दूसरे से घात कराता हुआ, स्वयं पकाता हुआ और दूसरों से पकवाता हुआ (उपलक्षण से इन सब असद् अनुष्ठानों का अनुमोदन करता हुआ, (यहाँ तक कि किसी पुरुष को (दास आदि के रूप में) खरीदकर घात करने वाला पुरुष भी दोष का भागी नहीं होता क्योंकि इन सब (सावद्य) कार्यों में कोई दोष नहीं है, यह समझ लो ।”

१ संति पंच महब्भूया इहमेगेसिमाहिया । पुढवी आऊ तेउ वाउ आगासे पंचमा ।

एते पंच महब्भूया तेव्भो एगो त्ति आहिया, अह ऐसिं विणासे उ विणासो होइ दोहिणो ॥—सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. ७-८

ते णो एतं विष्पडिवेदंति, तं जहा—किरिया ति वा—जाव—
अणिरए ति वा ।

एवामेव ते विरुवरुवेह कम्मसमारंभेहि विरुवरुवाइं काम-
भोगाइं समारंभति भोयणाए ।

एवामेव ते अणारिया विष्पडिवण्णा तं सदमहाणा पत्तियमाणा
—जाव—इति ते णो ह्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु
विसण्णा ।

दोच्चे पुरिसज्जाए पंचमहभूतिए ति आहिते ।

—सुय. सु. २, अ. १, सु. ६५८

तइयं ईसरकारणीय वाइए सदहण-णिरसणं—

२४८. अहावरे तच्चे पुरिसज्जाते ईसरकारणिए ति आहिज्जइ ।

इह खलु पाईणं वा—जाव—उदीणं वा संतेगतिया मणुस्सा
भवति अणुपुद्देणं लोयं उववणा, तं जहा—आरिया वेगे
—जाव—तेसि च णं महंते एगे राया भवति—जाव—सेणावति-
पुत्ता ।

तेसि च णं एगतीए सदुदी भवति, कामं तं समणा य माहणा
य पहारिसु गमणाए—जाव—जहा मे एस धम्मे सुअमखाए
सुपण्णत्ते भवति ।

इह खलु धम्मा पुरिसादीया पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया
पुरिसपज्जोइता पुरिसअमिसमण्णागता पुरिसमेव अभिभूय
चिट्ठन्ति ।

वे (पंचमहाभूतवादी) क्रिया से लेकर नरक से भिन्न गति तक
के (पूर्वोक्त) पदार्थों को नहीं मानते ।

इस प्रकार वे नाना प्रकार के सावद्य कार्यों के द्वारा काम-
भोगों की प्राप्ति के लिए सदा आरम्भ-समारम्भ में प्रवृत्त रहते
हैं । अतः वे अनार्य (आर्यधर्म से दूर), तथा विपरीत विचार वाले
हैं । इन पंचमहाभूतवादियों के धर्म (दर्शन) में श्रद्धा रखने वाले
एवं इनके धर्म को सत्य मानने वाले राजा आदि (पूर्वोक्त प्रकार
से इनकी पूजा-प्रशंसा तथा आदर सत्कार करते हैं, विषयभोग-
सामग्री इन्हें भेंट करते हैं । इस प्रकार सावद्य अनुष्ठान में भी
अधर्म न मानने वाले वे पंचमहाभूतवादी स्त्री सम्बन्धी कामभोग
में मूर्च्छित होकर) न तो इहलोक के रहते हैं और न परलोक के ।
उभयभ्रष्ट होकर पूर्ववत् बीच में ही कामभोगों में फँसकर कष्टों
पाते हैं ।

यह दूसरा पुरुष पांचमहाभूतिक कहा गया है ।

तृतीय ईश्वरकारणिकवादी की श्रद्धा का निरसन—

२४८. दूसरे पांचमहाभूतिक पुरुष के पश्चात् तीसरा पुरुष “ईश्वर-
कारणिक” कहलाता है ।

इस मनुष्यलोक में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशाओं में कई
मनुष्य होते हैं, जो क्रमशः इस लोक में उत्पन्न हैं । जैसे कि उनमें
से कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य आदि । प्रथम सूत्रोक्त सब वर्णन
यहाँ जान लेना चाहिए । उनमें कोई एक श्रेष्ठ पुरुष महान् राजा
होता है । वहाँ से लेकर राजा की सभा के सभासदों (सेनापति-
पुत्र) तक का वर्णन भी पूर्वोक्त वर्णनवत् समझ लेना चाहिए ।

इन पुरुषों में से कोई एक धर्मश्रद्धालु होता है । उस धर्म-
श्रद्धालु के पास जाने का तथाकथित श्रमण और ब्राह्मण (माहन)
निश्चय करते हैं । वे उसके पास जाकर कहते हैं—हे भयत्राता
महाराज ! मैं आपको सच्चा धर्म सुनाता हूँ, जो पूर्वपुरुषों द्वारा
कथित एवं सुप्रज्ञप्त है,—यावत्—आप उसे ही सत्य समझें ।

इस जगत में जितने भी चेतन—अचेतन धर्म (स्वभाव या
पदार्थ) हैं, वे सब पुरुषादिक हैं—ईश्वर या आत्मा (उनका) आदि
कारण है; वे सब पुरुषोत्तरिक हैं—ईश्वर या आत्मा ही सब
पदार्थों का कार्य है, अथवा ईश्वर ही उनका संहारकर्ता है, सभी
पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रणीत (रचित) हैं, ईश्वर से ही उत्पन्न (जन्मे
हुए) हैं, सभी पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रकाशित हैं, सभी पदार्थ ईश्वर
के अनुगामी हैं, ईश्वर का आधार लेकर टिके हुए हैं ।

१. से जहानामए गंडे सिया सरीरे जाते सरीरे वुड्डे सरीरे अभिसमण्णागते सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठन्ति ।

२. से जहानामए अरइ सिया सरीरे जाया सरीरे अभिसंवुड्डा सरीरे अभिसमण्णागता सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठन्ति ।

३. से जहानामए वम्मिए सिया पुढवीजाते पुढवीसंवुड्डे पुढवी अभिसमण्णागते पुढवीमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-अभिभूय चिट्ठन्ति ।

४. से जहानामए रुक्खे सिया पुढवीजाते पुढविसंवुड्डे पुढवि-अभिसमण्णागते पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-अभिभूय चिट्ठन्ति ।

५. से जहानामए पुक्खरणी सिया पुढविजाता-जाव-पुढवि-मेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठन्ति ।

६. से जहानामए उदगपोक्खले सिया उदगजाए-जाव-उदगमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि-जाव-पुरिसमेव अभि-भूय चिट्ठन्ति ।

७. से जहानामए उदगवुड्डुए सिया उदगजाए-जाव-उदगमेव अभिभूय चिट्ठति । एवामेव धम्मा वि पुरिसादीया-जाव-पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठन्ति ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६५९-६६०

जं पि य इमं समणाणं णिग्गंथाणं उट्ठिं विरंजियं कुवाल-संगं गणिपिट्ठं, तं जहा —

(१) जैसे कि किसी प्राणी के शरीर में हुआ फोड़ा (गुमड़ा) शरीर से ही उत्पन्न होता है, शरीर में ही बढ़ता है, शरीर का ही अनुगामी बनता है और शरीर का आधार लेकर टिकता है, इसी तरह सभी धर्म (पदार्थ) ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, ईश्वर से ही वृद्धिगत होते हैं, ईश्वर के ही अनुगामी होते हैं, ईश्वर का आधार लेकर ही स्थित रहते हैं ।

(२) जैसे अरति (मन का उद्वेग) शरीर से ही उत्पन्न होती है, शरीर में ही बढ़ती है, शरीर की अनुगामी बनती है, और शरीर को ही मुख्य आधार बना करके पीड़ित करती हुई रहती है, इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न होकर—यावत्—उसी से वृद्धिगत और उसी के आश्रय से स्थित हैं ।

(३) जैसे बल्मीक (कीटविशेषकृत मिट्टी का स्तूप या दीमकों के रहने की बाँधी) पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी में ही बढ़ता है, और पृथ्वी का ही आश्रय लेकर रहता है, वैसे ही समस्त धर्म (पदार्थ) भी ईश्वर से ही उत्पन्न होकर—यावत्—उसी में लीन होकर रहते हैं ।

(४) जैसे कोई वृक्ष मिट्टी से ही उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही उसका संवर्द्धन होता है, मिट्टी का ही अनुगामी बनता है, और मिट्टी में ही व्याप्त होकर रहता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न, संवर्द्धित और आनुगामिक होते हैं और अन्त में उसी में व्याप्त होकर रहते हैं ।

(५) जैसे पुष्करिणी (बावड़ी) पृथ्वी से उत्पन्न (निर्मित) होती है, और—यावत्—अन्त में पृथ्वी में ही लीन होकर रहती है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में ही लीन होकर रहते हैं ।

(६) जैसे कोई जल का पुष्कर (पोखर या तालाव) हो, वह जल से ही उत्पन्न (निर्मित) होता है, जल से ही बढ़ता है, जल का अनुगामी होकर अन्त में जल को ही व्याप्त करके रहता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न, संवर्द्धित एवं अनुगामी होकर उसी में विलीन होकर रहते हैं ।

(७) जैसे कोई पानी का वूद्वुद् (बुलबुला) पानी में उत्पन्न होता है, पानी से ही बढ़ता है, पानी का ही अनुगमन करता है और अन्त में पानी में ही विलीन हो जाता है, वैसे ही सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में व्याप्त (लीन) होकर रहते हैं ।

यह जो श्रमणों-निर्ग्रन्थों द्वारा कहा हुआ, रचा हुआ या प्रकट किया हुआ, द्वादशांग गणिपिटक (आचार्यों का या गणधरों का ज्ञान पिटारा—ज्ञानभण्डार है), जैसे कि —

आयारो-जाव-विट्ठिवातो, सच्चमेयं मिच्छा, णं एतं तहितं,
ण एयं आहत्तहितं ।

इमं सच्चं, इमं तहितं, इमं आहत्तहितं, ते एवं सण्णं कुच्चंति,
ते एवं सण्णं संठवेत्ति, ते एवं सण्णं सोवट्ठयंति,

तमेवं ते तज्जातियं दुक्खं णात्तिउट्ठन्ति सत्थणी पंजरं जहा ।

ते णो (एतं) विप्पडिबेदंति तं जहा—किरिया इ वा-जाव-
अणिरए ति वा ।

एवामेव ते विरूपरुवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूपरुवाइं काम-
भोगाइं समारंभित्ता भोगणाए एवामेव ते अणारिया विप्प-
डिवण्णा, तं सहमाणा-जाव-इत्ति ते णो हव्वाए णो पाराए,
अंतरा कामभोगेसु विसण्णा ।

तच्चे पुरिसज्जाते इत्सरकारणिए^१ ति आहिते ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६१-६६२

चउत्थं णियइवाइय सहहण-णिरसणं—

२४९. अहावरे च उत्ये पुरिसजाते णियतिवातिए ति आहिज्जति ।

इह खलु पाईणं वा तहेव-जाव-सेणावतिपुत्ता वा, तेसि च णं

आचारांग, सूत्रकृतांग से लेकर दृष्टिवाद तक, यह सब मिथ्या है, यह तथ्य (सत्य) नहीं है और न ही यह यथातथ्य (यथार्थ वस्तुस्वरूप का बोधक) है, (क्योंकि यह सब ईश्वरप्रणीत नहीं है) ।

यह जो हमारा (ईश्वरकर्तृत्ववाद या आत्माद्वैतवाद है) यह सत्य है, यह तथ्य है, यह यथातथ्य (यथार्थ रूप से वस्तुप्रकाशक) है । इस प्रकार वे (ईश्वरकारणवादी या आत्माद्वैतवादी) ऐसी संज्ञा (मान्यता या विचारधारा) रखते, (या निश्चित करते) हैं, वे अपने शिष्यों के समक्ष भी इसी मान्यता की स्थापना करते हैं, वे सभा में भी वे इसी मान्यता से सम्बन्धित युक्तियाँ मताग्रह-पूर्वक उपस्थित (प्रस्तुत करते हैं) ।

जैसे पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ सकता वैसे ही वे (पूर्वोक्त वादी) अपने ईश्वर-कर्तृत्ववाद या आत्माद्वैतवाद को अत्यन्ता-ग्रह के कारण नहीं छोड़ सकते, अतः इस मत के स्वीकार करने से उत्पन्न (तज्जातीय) दुःख (दुःख के कारणभूत कर्मसमूह) को नहीं तोड़ सकते ।

वे (ईश्वरकारणवादी या आत्माद्वैतवादी स्वमताग्रहग्रस्त होने से) इन (आगे कहे जाने वाली) बातों को नहीं मानते जैसे कि—पूर्वसूत्रोक्त क्रिया से लेकर अनिरय (नरक से अतिरिक्त गति) तक हैं ।

वे नाना प्रकार के पापकर्मयुक्त (सावध) अनुष्ठानों के द्वारा कामभोगों के उपभोग के लिए अनेक प्रकार के काम-भोगों का आरम्भ करते हैं । वे अनार्य (आर्यधर्म से दूर) हैं, वे विपरीत मार्ग को स्वीकार किये हुए हैं, अथवा भ्रम में पड़े हुए हैं । इस प्रकार के ईश्वरकर्तृत्ववाद में श्रद्धा-प्रतीति रखने वाले वे धर्म-श्रद्धालु राजा आदिक उन मतप्ररूपक साधकों की पूजा-भक्ति करते हैं, इत्यादि पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार वे ईश्वरकारणवादी न तो इस लोक के होते हैं न परलोक के । वे उभयभ्रष्ट लोग बीच में ही कामभोगों में फँसकर दुःख पाते हैं ।

यह तीसरे ईश्वरकारणवादी का स्वरूप कहा गया है ।

चौथा नियतिवादी की श्रद्धा का निरसन—

२४९. तीन पुरुषों का वर्णन करने के पश्चात् अब नियतिवादी नामक चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है ।

इस मनुष्य लोक में पूर्वादि दिशाओं के वर्णन से लेकर राजा और राजसभा के सभासद सेनापतिपुत्र तक का वर्णन प्रथम

१ ईसरेण कडे लोए पहाणात्ति तहावरे । जीवाऽजीव समाउत्ते सुह-दुक्ख समन्निए । —सूय. सु. २, अ. १, उ. ३, गा. ६(६४)

एगतिए सङ्घी भवति, कामं तं समणा य माहणा या संपहा-
रिसु गमणाए-जाव-जहा मे एस धम्मे सुअवखाते सुपण्णत्ते
भवति ।

इह खलु दुवे पुरिसा भवन्ति—एगे पुरिसे किरियमाइक्खति,
एगे पुरिसे णो किरियमाइक्खति ।

जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे णोकिरिय-
माइक्खइ, दो वि ते पुरिसा तुल्ला एगट्टा कारणमावणा ।

बाले पुण एवं विप्पडिवेदेति कारणमावन्ने, तं जहा—जो
अहमंसी दुवखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा
पिड्डामि वा परितप्पामि वा अहं तमकासी,

परो वा जं दुक्खंति वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ वा पिड्डइ
वा परितप्पइ वा परो एतमकासि,

एवं से बाले सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेति
कारणमावन्ने ।

मेघावी पुण एवं विप्पडिवेदेति कारणमावन्ने—

अहमंसी दुवखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा
पिड्डामि वा परितप्पामि वा, णो अहमेतमकासि परो वा
जं दुक्खंति वा-जाव-परितप्पति वा नो परो एयमकासि ।

एवं से मेघावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेति
कारणमावन्ने ।

से बेमि—पाईणं वा-जाव- जे तसथावरा पाणा ते
संघायमावज्जंति,

पुरुषोक्त पाठ के समान जानना चाहिए। पूर्वोक्त राजा और उसके सभासदों में से कोई पुरुष धर्मश्रद्धालु होता है। उसे धर्म-श्रद्धालु जानकर (धर्मोपदेशार्थ) उसके निकट जाने का श्रमण और ब्राह्मण निश्चय करते हैं।—थावत्—वे उसके पास जाकर कहते हैं—“मैं आपको पूर्वपुरुषकथित और सुप्रज्ञप्त (सत्य) धर्म का उपदेश करता हूँ (उसे आप ध्यान से सुने।)”

इस लोक में (या दार्शनिक जगत् में) दो प्रकार के पुरुष होते हैं—एक पुरुष क्रिया का कथन करता है, (जबकि) दूसरा क्रिया का कथन नहीं करता, (क्रिया का निषेध करता है)।

जो पुरुष क्रिया का कथन करता है और जो पुरुष क्रिया का निषेध करता है। (नियतिवाद) को प्राप्त है।

ये दोनों ही अज्ञानी (बाल) हैं, अपने सुख और दुःख के कारणभूत काल, कर्म तथा ईश्वर आदि को मानते हुए यह समझते हैं कि मैं जो कुछ भी दुःख पा रहा हूँ, शोक (चिन्ता) कर रहा हूँ, दुःख से आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप) कर रहा हूँ, या शारीरिक बल का नाश कर रहा हूँ, पीड़ा पा रहा हूँ, या संतप्त हो रहा हूँ, वह सब मेरे ही किये हुए कर्म (कर्मफल) हैं,

तथा जो दूसरा दुःख पाता है, शोक करता है, आत्मनिन्दा करता है, शारीरिक बल का क्षय करता है, अथवा पीड़ित होता है या संतप्त होता है, वह सब उसके द्वारा किये हुए (कर्म-फल) हैं।

इस कारण वह अज्ञानी (काल, कर्म, ईश्वर आदि को सुख-दुःख का कारण मानता हुआ) स्वनिमित्तक (स्वकृत) तथा परनिमित्तक (परकृत) सुख-दुःखादि को अपने तथा दूसरे के द्वारा कृत कर्मफल समझता है।

परन्तु एकमात्र नियति को ही समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला पुरुष तो यह समझता है कि

“मैं जो कुछ दुःख भोगता हूँ, शोकमग्न होता हूँ या संतप्त होता हूँ, वे सब मेरे किये हुए कर्म (कर्मफल) नहीं हैं, तथा दूसरा पुरुष जो दुःख पाता है, शोक आदि से संतप्त-पीड़ित होता है, वह भी उसके द्वारा कृतकर्मों का फल नहीं है, (अपितु यह सब नियति का प्रभाव है)।

इस प्रकार वह बुद्धिमान पुरुष अपने या दूसरे के निमित्त से प्राप्त हुए दुःख आदि को यों मानता है कि ये सब नियतिकृत (नियति के कारण से हुए) हैं, किसी दूसरे के कारण से नहीं।

अतः मैं (नियतिवादी) कहता हूँ कि पूर्व आदि दिशाओं में रहने वाले जो त्रस एवं स्थावर प्राणी हैं, वे सब नियति के प्रभाव से ही औदारिक आदि शरीर की रचना (संघात) को प्राप्त करते हैं,

ते एवं परियायमावर्जन्ति, ते एवं विवेगमावर्जन्ति,
ते एवं विहाणमागच्छन्ति, ते एवं संगइयन्ति ।

उवेहाए णो एयं विप्पड्विवेदंति, तं जहा—किरिया ति वा
-जाव-णिरए ति वा अणिरए ति वा ।

एवं ते विरुवरुवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरुवरुवाइं कामभोगाइं
समारंभंति भोयणाए । एवामेव ते अणारिया विप्पड्विवण्णा
तं सद्दहमाणा-जाव-इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा
कामभोगेसु विसण्णा ।

चउत्थे पुरिसजाते णियइवाइए त्ति आहिए ।

इच्चेते चत्तारि पुरिसजाता णाणापन्ना णाणाछंदा णाणासीला
णाणाविट्ठी णाणारुई णाणारंभा णाणज्जवसाणसंजुत्ता
पहीणपुव्वसंजोगा आरियं मग्गं असंपत्ता,

इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा ।¹

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६३-६६६

विविहा लोगरयण-परुवणा—

२५०. इणमन्नं तु अण्णाणं इहमेगेसिमाहियं ।
देवउत्ते अयं लोगे वंभ उत्ते त्ति आवरे ॥

१ आघायं पुणं एगेसि उववन्ना पुढो जिया । वेदयन्ति सुहं दुक्खं अदुवा लुप्पन्ति ठाणओ ॥
न तं सयंकडं दुक्खं कओ अन्नकडं च णं । सुहं वा जइ वा दुक्खं सेहियं वा असेहियं ॥
न सयं कडं णं अन्नेहिं वेदयन्ति पुढो जिया । संगतियं तं तहा तेसि इहमेगेहिमाहियं ॥
एवमेताइं जंपता वाला पंडियमाणिणो । णियया—अणिययं संतं अजाणंता अबुद्धिया ॥
इहमेगे उ पासत्या ते भुज्जो विप्पगग्गिमाया । एवं उवद्धिता संता णं ते दुक्खविमोक्खया ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. २६-३२

वे नियति के कारण ही बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था (पर्याय) को प्राप्त करते हैं, वे नियतिवशात् ही शरीर से पृथक् (मृत) होते हैं, वे नियति के कारण ही काना, कुबड़ा आदि नाना प्रकार की दशाओं को प्राप्त करते हैं, नियति का आश्रय लेकर ही नाना प्रकार के सुख-दुःखों को प्राप्त करते हैं ।

(श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं—) इस प्रकार नियति को ही समस्त अच्छे बुरे कार्यों का कारण मानने की कल्पना (उत्प्रेक्षा) करके (निःसंकोच एवं कर्मफल प्राप्ति से निश्चिन्त होने से) नियतिवादी आगे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते—क्रिया, अक्रिया से लेकर प्रथम सूत्रोक्त नरक और नरक से अतिरिक्त गति तक के पदार्थ ।

इस प्रकार वे नियतिवाद के चक्र में पड़े हुए लोग नाना प्रकार के सावद्यकर्मों का अनुष्ठान करके काम-भोगों का उपभोग करते हैं, इसी कारण (नियतिवाद में श्रद्धा रखने वाले) वे (नियतिवादी) अनार्य हैं, वे भ्रम में पड़े हैं । वे न तो इस लोक के होते हैं और न परलोक के, अपितु काम-भोगों में फँसकर कष्ट भोगते हैं ।

यह चतुर्थपुरुष नियतिवादी कहलाता है ।

इस प्रकार ये पूर्वोक्त चार पुरुष भिन्न-भिन्न बुद्धि वाले, विभिन्न अभिप्राय वाले, विभिन्न शील (आचार) वाले, पृथक्-पृथक् दृष्टि (दर्शन) वाले, नाना रुचि वाले, अलग-अलग आरम्भ धर्मानुष्ठान वाले तथा विभिन्न अध्यवसाय (पुरुषार्थ) वाले हैं । इन्होंने माता-पिता आदि गृहस्थाश्रमीय पूर्वसंयोगों को तो छोड़ दिया, किन्तु आर्यमार्ग (मोक्षपथ) को अभी तक पाया नहीं है ।

इस कारण वे न तो इस लोक के रहते हैं और न ही परलोक के होते हैं, किन्तु बीच में ही (सांसारिक) काम-भोगों से ग्रस्त होकर कष्ट पाते हैं ।

लोक रचना के अनेक प्रकार—

२५०. (पूर्वोक्त अज्ञानों के अतिरिक्त) दूसरा अज्ञान यह भी है—“इस लोक (दार्शनिक जगत्) में किसी ने कहा है कि यह लोक (किसी) देव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है और दूसरे कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया है ।”

ईसरेण कडे लोए पहाणाति तहावरे ।
जीवा - जीवसमाउत्ते सुह - दुखसमन्निए ॥

सयंभुणा कडे लोए इति वृत्तं महेसिणा ।
मारैण संथुता माया तेण लोए असासते ॥

माहणा समणा एगे आह अंडकडे जगे ।
असो तत्तमकासी य अयाणंता मुसं वदे ॥

सएहि परियाएहि लोयं बूया कडे ति य ।
तत्तं ते ण विजाणंती ण विणासि कयाइ वि ॥

अमण्णुणसमुप्पादं दुखमेव विजाणिथा ।
समुप्पादमयाणंता किह नाहिति संवरं ॥
—सूय. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. ५-१०

अकारकवाइ—

२५१. कुव्वं च कारवं चेव सव्वं कुव्वं ण विज्जति ।
एवं अकारओ अप्पा एवं ते उ पगब्भिया ॥

जे ते उ वाइणो एवं लोए तेसि कुओे सिण ।
तमातो ते तमं जंति मंदा आरंभनिस्सिया ॥
—सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १३-१४

एगप्पवाइ—

२५२ जहा य पुढवीथूमे एगे नाणा हि दीसइ ।
एवं भो ! कसिणे लोए, विण्णू नाणा हि दीसए ॥

एवमेगे ति जंपंति, मंदा आरंभनिस्सिया ।
एवं किच्चा सयं वावं, तिब्बं दुखं नियच्छइ ॥
—सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. ६-१०

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख-दुःख से समन्वित (सहित) यह लोक ईश्वर के द्वारा कृत-रचित है (ऐसा कई कहते हैं) तथा दूसरे (सांख्य) कहते हैं कि (यह लोक) प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा कृत हैं ।

स्वयम्भू (विष्णु या किसी अन्य) ने इस लोक को बनाया है, ऐसा हमारे महर्षि ने कहा है । यमराज ने यह माया रची है, इसी कारण यह लोक अशाश्वत-अनित्य (परिवर्तनशील) है ।

कई माहन (ब्राह्मण) और श्रमण जगत् को अण्डे के द्वारा कृत कहते हैं तथा (वे कहते हैं)—ब्रह्मा ने तत्त्व (पदार्थ-समूह) को बनाया है । वस्तुतत्त्व को न जानने वाले ये (अज्ञानी) मिथ्या ही ऐसा कहते हैं ।

(पूर्वोक्त अन्य दर्शनी) अपने-अपने अभिप्राय से इस लोक को कृत (किया हुआ) वतलाते हैं । (वास्तव में) वे (सब अन्यदर्शनी) वस्तुतत्त्व को नहीं जानते, क्योंकि यह लोक कभी भी विनाशी नहीं है ।

दुःख अमनोज्ञ (अशुभ) अनुष्ठान से उत्पन्न होता है, यह जान लेना चाहिए । दुःख की उत्पत्ति का कारण न जानने वाले लोग दुःख को रोकने (संवर) का उपाय कैसे जान सकते हैं ?

अकारकवाद—

२५१. आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, और न दूसरों से कराता है, तथा आत्मा समस्त (कोई भी) क्रिया करने वाला नहीं है । इस प्रकार आत्मा अकारक है । इस प्रकार वे (अकारकवादी सांख्य आदि) (अपने मन्तव्य की) प्ररूपणा करते हैं ।

जो वे (पूर्वोक्त) वादी (तज्जीव-तच्छरीरवादी) तथा अकारकवादी इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, इत्यादि तथा “आत्मा अकर्ता और निष्क्रिय है” कहते हैं, उनके मत में यह लोक (चतुर्गंतिक संसार या परलोक) कैसे घटित हो सकता है ? (वस्तुतः) वे मूढ़ एवं आरम्भ में आसक्त वादी एक (अज्ञान) अन्धकार से निकलकर दूसरे अन्धकार में जाते हैं ।

एकात्मवाद—

२५२. जैसे एक ही पृथ्वीस्तूप (पृथ्वीपिण्ड) नानारूपों में दिखाई देता है, हे जीवो ! इसी तरह समस्त लोक में (व्याप्त) विज्ञ (आत्मा) नानारूपों में दिखाई देता है, अथवा (एक) आत्मरूप (यह) समस्त लोक नानारूपों में दिखाई देता है ।

इस प्रकार कई मन्दमति (अज्ञानी), “आत्मा एक ही है”, ऐसा कहते हैं, (परन्तु) आरम्भ में आसक्त रहने वाला व्यक्ति पापकर्म करके स्वयं अकेले ही दुःख प्राप्त करते हैं (दूसरे नहीं) ।

आयच्छट्टवाय—

२५३. संति पंच महभूता इहमेगेसि आहिता ।
आयच्छट्टा पुणेगाऽऽहु आया लोगे य सासते ॥

बुहओ ते ण विणस्संति नो य उप्पज्जए असं ।
सव्वे वि सव्वहा भावा नियतीभावमागता ॥

—सू. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १५-१६

अवतारवायं—

२५४. सुद्धे अपावए आया इहमेगेसि आहितं ।
पुणो कीडा-पदोसेणं से तत्य अवरज्जति ॥

इह संबुडे मुणी जाए पच्छा होति अपावए ।
वियडं व जहा भुज्जो नीरयं सरयं तथा ॥

—सू. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. ११-१२

लोगवायसमिक्खा—

२५५. लोगावायं निसामेज्जा इहमेगेसि आहितं ।
विचरीतपणसंभूतं अणपणवृत्तितानुयं ॥

अणंते णितिए लोए सासते ण विणस्सति ।
अंतवं णितिए लोए इति धीरोऽतिपासति ॥

अपरिमाणं विजाणाति इहमेगेसि आहितं ।
सव्वत्थ सपरिमाणं इति धीरोऽतिपासति ॥

जे केइ तसा पाणा चिट्ठन्ति अदु थावरा ।
परियाए अत्थि से अंजू तेण ते तस-थावरा ॥

—सू. सु. १, अ. १, उ. ४, गा. ५-८

पंचखंधवायं—

२५६. पंच खंधे वयंतेगे बाला उ खगजोइणो ।
अणो अणो णेव ह्ण हेउयं च अहेउयं ॥

आत्मषष्ठवाद—

२५३. इस जगत् में पाँच महाभूत हैं, और छठा आत्मा है, ऐसा कई वादियों ने प्ररूपण किया (कहा) फिर उन्होंने कहा कि “आत्मा और लोक शाश्वत—नित्य हैं ।”

सहेतुक और अहेतुक दोनों प्रकार से भी पूर्वोक्त छहों पदार्थ नष्ट नहीं होते, और न ही असत्-अविद्यमान पदार्थ कभी उत्पन्न होता है। सभी पदार्थ सर्वथा नियतीभाव—नित्यत्व को प्राप्त होते हैं।

अवतारवाद—

२५४. इस जगत् में किन्हीं (दार्शनिकों या अवतारवादियों) का कथन (मत) है कि आत्मा शुद्धाचारी होकर (मोक्ष में) पापरहित हो जाता है। पुनः क्रीडा (राग) या प्रद्वेष (द्वेष) के कारण वही (मोक्ष में ही) बन्ध युक्त हो जाता है।

इस मनुष्य भव में जो जीव संबृत-संयम-नियमादि युक्त मुनि बन जाता है, वह बाद में निष्पाप हो जाता है। जैसे—रज रहित निर्मल जल पुनः सरजस्क मलिन हो जाता है। वैसे ही वह (निर्मल निष्पाप आत्मा भी पुनः मलिन हो जाती है।)

लोकवाद—समीक्षा—

२५५. इस लोक में किन्हीं लोगों का कथन है कि लोकवाद-पौराणिक कथा या प्राचीन लौकिक लोगों द्वारा कही हुई बातें सुनना चाहिए, (किन्तु वस्तुतः पौराणिकों का वाद) विपरीत बुद्धि की उपज है—तत्त्वविरुद्ध प्रज्ञा द्वारा रचित है, परस्पर एक दूसरों द्वारा कही हुई मिथ्या बातों (गप्पों) का ही अनुगामी यह लोकवाद है।

यह लोक (पृथ्वी आदि लोक) अनन्त (सीमारहित) है, नित्य है और शाश्वत है, यह कभी नष्ट नहीं होता, (यह किसी का कथन है।) तथा यह लोक अन्तवान सीमा और नित्य है। इस प्रकार व्यास आदि धीर पुरुष देखते अर्थात् कहते हैं।

इस लोक में किन्हीं का यह कथन है कि कोई पुरुष सीमातीत पदार्थ को जानता है, किन्तु सर्व को जानने वाला नहीं। समस्त देश-काल की अपेक्षा वह धीर पुरुष सपरिमाण—परिमाण सहित—एक सीमा तक जानता है।

जो कोई त्रस अथवा स्यावर प्राणी इस लोक में स्थित है, उनका अवश्य ही पर्याय (परिवर्तन) होता है, जिससे वे त्रस से स्थावर और स्थावर से त्रस होते हैं।

पंच स्कन्धवाद—

२५६. कई बाल (अज्ञानी) क्षणमात्र स्थिर रहने वाले पाँच स्कंध बताते हैं। वे (भूतों से) भिन्न तथा अभिन्न कारण से उत्पन्न (सहेतुक) और विना कारण उत्पन्न (अहेतुक) (आत्मा को) नहीं मानते, नहीं कहते।

पृथ्वी आऊ तेऊ य तहा वाउ य एकओ ।
चत्तारि धाउणो रूवं एवमाहुंसु जाणगा ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १७-१८

पत्तेयवाय पसंसा सिद्धिलाभो य—

२५७. एयाणुवीति मेधावि वंमचेरे ण ते वसे ।
पुढो पावाउया सन्वे अक्खायारो सयं सयं ॥

सए सए उवट्टाणे सिद्धिमेव ण अन्नहा ।
अहो वि होति वसवत्ती सव्वकामसमप्पिए ॥

सिद्धा य ते अरोगा य इहमेगेसि आहितं ।
सिद्धिमेव पराकाउं सासए गढिया नरा ॥

असंवुडा अणादीयं भमिंहिति पुणो पुणो ।
कप्पकालमुवज्जंति ठाणा आसुर किट्ठिसिय ॥
—सूय. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. १३-१६

विविह वाय-निरसनं—

२५८. आगारमावसंता वि आरणा वा वि पच्चया ।
इमं दरिसणभावन्ना सव्वदुक्खा विमुच्चती ॥

ते णावि संघि णच्चा णं न ते धम्मविऊ जणा ।
जे ते उ वाइणो एवं ण ते ओहंतराऽऽहिता ॥

दूसरे (बौद्धों) ने बताया कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों धातु के रूप हैं, ये (शरीर के रूप में) एकाकार हो जाते हैं, (तब इनकी जीव-संज्ञा) होती है ।

स्व-स्व-प्रवाद-प्रशंसा एवं सिद्धि लाभ का दावा—

२५७. बुद्धिमान साधक इन (पूर्वोक्त वादियों के कथन पर) चिन्तन करके (मन में यह) निश्चित कर ले कि (पूर्वोक्त जगत् कर्तृत्ववादी या अवतारवादी) ब्रह्म=आत्मा की चर्या (सेवा या आचरण) में स्थित नहीं है । वे सभी प्रावादुक अपने-अपने वाद की पृथक्-पृथक् वाद (मान्यता) की वड़ा-चड़ाकर प्रशंसा (वखान) करने वाले हैं ।

(विभिन्न मतवादियों ने) अपने-अपने (मत में प्ररूपित) अनुष्ठान से ही सिद्धि (समस्त सांसारिक प्रपंच रहित सिद्धि) होती है, अन्यथा (दूसरी तरह से) नहीं, ऐसा कहा है । मोक्ष प्राप्ति से पूर्व इसी जन्म एवं लोक में ही वशवर्ती (जितेन्द्रिय अथवा हमारे तीर्थ या मत के अधीन) हो जाए तो उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ।

इस संसार में कई मतवादियों का कथन है कि (हमारे मतानुसार अनुष्ठान से) जो सिद्धि (रस-सिद्धि या अष्टसिद्धि) प्राप्त हुए हैं, वे नीरोग (रोग मुक्त) हो जाते हैं । परन्तु इस प्रकार की डींग हांकने वाले वे लोग (स्वमतानुसार प्राप्त) तथाकथित सिद्धि को ही आगे रखकर अपने-अपने आशय (दर्शन या मत) में ग्रथित (आसक्त/ग्रस्त-बँधे हुए) हैं ।

वे (तथाकथित लौकिक सिद्धिवादी) असंवृत-इन्द्रिय मनःसंयम से रहित होने से (वास्तविक सिद्धि-मुक्ति तो दूर रही) इस अनादि संसार में बार-बार परिभ्रमण करेंगे । वे कल्पकाल पर्यन्त—चिरकाल तक असुरों-भवनपति देवों तथा किल्बिषक (निम्नकोटि के) देवों के स्थानों में उत्पन्न होते हैं ।

विविध वाद निरसन —

२५८. अन्यमती अपने ही मत को श्रेष्ठ मानते हुए इस प्रकार कहते हैं—घर में रहने वाले (गृहस्थ), तप्या वन में रहने वाले तापस एवं प्रव्रज्या धारण किये हुए मुनि अथवा पार्वत—पर्वत की गुफाओं में रहने वाले (जो कोई) भी (मेरे) इस दर्शन को प्राप्त (स्वीकार) कर लेते हैं, (वे) सब दुःखों से मुक्त हो जाते हैं ।

लेकिन वे (पूर्वोक्त मतवादी अन्यदर्शनी) न तो सन्धि को जानकर (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं,) और न ही वे लोग धर्मवेत्ता हैं । इस प्रकार के (पूर्वोक्त अफलवाद के समर्थक) वे जो मतवादी (अन्यदर्शनी) हैं, उन्हें (तीर्थंकर ने) संसार (जन्म-मरण की परम्परा) को तैरने वाले नहीं कहे ।

ते णावि संघि णच्चा णं न ते धम्मविक्क जणा ।
जे ते उ वाइणो एवं ण ते संसारपारगा ॥

ते णावि संघि णच्चा णं न ते धम्मविक्क जणा ।
जे ते उ वाइणो एवं ण ते गन्मस्स पारगा ॥

ते णावि संघि णच्चा णं न ते धम्मविक्क जणा ।
जे ते उ वाइणो एवं ण ते जम्मस्स पारगा ॥

ते णावि संघि णच्चा णं न ते धम्मविक्क जणा ।
जे ते उ वाइणो एवं ण ते दुक्खस्स पारगा ॥

ते णावि संघि णच्चा णं न ते धम्मविक्क जणा ।
जे ते उ वाइणो एवं न ते मारस्स पारगा ॥

णाणाविहाइं दुक्खाइं अणुभवन्ति पुणो पुणो ।
संसारचक्कवालम्मि वाहि-मच्चु-जराकुले ॥

उच्चावयाणि गच्छन्ता गन्मस्संतं ऽ णंतसो ।
नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणोत्तमे ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. १, गा. १९-२७

मिच्छादंसणेहि संसार परियट्टणं—

२५९. इच्चेयाहि दिट्ठीहि सातागारव-णिस्सिता ।
सरणं ति मण्णमाणा सेवन्ती पावगं जणा ॥

जहा आसाविणं णावं जातिअंधो दुरुहिया ।
इच्छेज्जा पारभागंतुं अंतरा य विसीयति ॥

एवं तु समणा एगे मिच्छद्विट्ठी अणारिया ।
संसारपारकंखी ते संसारं अणुपरियट्टन्ति ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. ३०-३२ रहते हैं ।

वे (अन्यतीर्थिक) सन्धि को जाने विना ही (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं,) तथा वे धर्मज्ञ नहीं हैं। इस प्रकार के जो वादी (पूर्वोक्त सिद्धान्तों को मानने वाले) हैं, वे (अन्यतीर्थी) चातुर्गतिक संसार (समुद्र) के पारगामी नहीं हैं।

वे (अन्य मतावलम्बी) न तो सन्धि को जानकर (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं) और न ही वे धर्म के ज्ञाता हैं। इस प्रकार के जो वादी (पूर्वोक्त मिथ्या सिद्धान्तों को मानने वाले) हैं, वे गर्भ (में आगमन) को पार नहीं कर सकते।

वे (अन्य मतवादी) न तो सन्धि को जानकर (क्रिया में प्रवृत्त होते हैं), और न ही वे धर्म के तत्त्वज्ञ हैं। जो मतवादी (पूर्वोक्त मिथ्यावादों के प्ररूपक हैं), वे जन्म (परम्परा) को पार नहीं कर सकते।

वे (अन्य मतवादी) न तो सन्धि को जानकर ही (क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं), और न ही वे धर्म का रहस्य जानते हैं। इस प्रकार के जो वादी (मिथ्यामत के शिकार) हैं, वे दुःख (—सागर) को पार नहीं कर सकते।

वे अन्यतीर्थी सन्धि को जाने विना ही (क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं), वे धर्मज्ञ नहीं हैं। अतः जो (पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या प्ररूपणा करने वाले) वादी हैं, वे मृत्यु को पार नहीं कर सकते।

वे (मिथ्यात्वग्रस्त अन्य मतवादी) मृत्यु, व्याधि और वृद्धावस्था से पूर्ण (इस) संसाररूपी चक्र में बार-बार नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं—दुःख भोगते हैं।

ज्ञातपुत्र जिनोत्तम श्री महावीर स्वामी ने यह कहा कि वे (पूर्वोक्त अफलवादी अन्यतीर्थी) उच्च-नीच गतियों में भ्रमण करते हुए अनन्त बार (माता के) गर्भ में आयेंगे।

मिथ्यादर्शनों से संसार का परिभ्रमण—

२५९. इन (पूर्वोक्त) दृष्टियों को लेकर सुखोपभोग एवं बड़गण में आसक्त अपने-अपने दर्शन को अपना शरण मानते हुए पाप का सेवन करते हैं।

जैसे चारों ओर से जल प्रविष्ट होने वाली (छिद्रयुक्त) नौका पर चढ़कर जन्मान्ध व्यक्ति पार जाना चाहता है, परन्तु वह बीच ही जल में डूब जाता है।

इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि, अनार्य भ्रमण संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन संसार में ही बार-बार पर्यटन करते



मिथ्यात्व अज्ञान अनाचरण

मिच्छादंसणस्स भेयप्पभेया—

२६०. मिच्छादंसणे दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—
 अभिगहियमिच्छादंसणे चेव
 अणभिगहियमिच्छादंसणे चेव ।
 अभिगहियमिच्छादंसणे दुविहे पन्नत्ते तं जहा—
 सपज्जवसिते चेव अपज्जवसिते चेव ।
 एवमणमिगहितमिच्छादंसणे वि ।
 सपज्जवसिते, अपज्जवसिते ।

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५६

मिच्छत्तस्स भेयप्पभेया—

२६१. तिविहे मिच्छत्ते पणत्ते, तं जहा—
 अकिरिया, अविणए, अज्ञाणे ।
 अकिरिया तिविहा पणत्ता, तं जहा—
 पओगकिरिया^१, समुदानकिरिया,^२ अज्ञाणकिरिया ।
 पओगकिरिया तिविहा पणत्ता, तं जहा—
 मणपओगकिरिया, वडुपओगकिरिया,
 कायपओगकिरिया ।
 समुदानकिरिया तिविहा पणत्ता, तं जहा—
 अणंतरसमुदानकिरिया,^३ परंपरसमुदानकिरिया^४,
 तदुभयसमुदानकिरिया^५ ।
 अज्ञाणकिरिया तिविहा पणत्ता, तं जहा—
 मतिअज्ञाणकिरिया, सुअज्ञाणकिरिया,
 विभंगअज्ञाणकिरिया ।
 अज्ञाणे तिविहे पणत्ते, तं जहा—
 देसण्णाणे^६, सव्वण्णाणे^७, भावण्णाणे^८ ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १६३

मिथ्यादर्शन के भेद प्रभेद—

२६०. मिथ्यादर्शन दो प्रकार का कहा गया है, यथा—
 आभिग्रहिक (इस भव में ग्रहण किया गया मिथ्यात्व) और
 अनाभिग्रहिक, (पूर्व भवों से आने वाला मिथ्यात्व)
 आभिग्रहिक मिथ्यादर्शन दो प्रकार का कहा गया है यथा—
 सपर्यवसित (सान्त) और अपर्यवसित (अनन्त)
 अनाभिग्रहिक मिथ्यादर्शन दो प्रकार का कहा गया है—
 सपर्यवसित और अपर्यवसित ।

मिथ्यात्व के भेद प्रभेद—

२६१. मिथ्यात्व तीन प्रकार का कहा है, यथा—
 (१) अक्रिया, (२) अविनय, (३) अज्ञाव ।
 अक्रिया मिथ्यात्व तीन प्रकार का कहा है, यथा—
 (१) प्रयोगक्रिया, (२) समुदानक्रिया, (३) अज्ञानक्रिया ।
 प्रयोगक्रिया तीन प्रकार की कही है, यथा—
 (१) मनप्रयोगक्रिया, (२) वचनप्रयोगक्रिया,
 (३) कायप्रयोगक्रिया ।
 समुदानक्रिया तीन प्रकार की कही है, यथा—
 (१) अनन्तर समुदानक्रिया, (२) परम्परा समुदानक्रिया,
 (३) तदुभय समुदानक्रिया ।
 अज्ञान क्रिया तीन प्रकार की कही है, यथा—
 (१) मति-अज्ञान क्रिया, (२) श्रुत-अज्ञान क्रिया,
 (३) विभंग-अज्ञान क्रिया ।
 अज्ञान तीन प्रकार का कहा है, यथा—
 (१) देश अज्ञान, (२) सर्व अज्ञान, (३) भाव अज्ञान ।

१ प्रयोगक्रिया आत्मा की वीर्य-शक्ति के व्यापार को कहते हैं, मिथ्यात्वी जीव का प्रयोग असम्यक् होने से अक्रिय कहा जाता है; और उससे जीव के कर्मबन्ध होता है । आत्मा की वीर्य-शक्ति का व्यापार मन, वचन और काया द्वारा व्यक्त होता है, इसलिए प्रयोगक्रिया के ये तीन भेद हैं ।

२ समुदानक्रिया—मन, वचन और काया के व्यापार से संचित कर्म रज का प्रकृतिबन्ध आदि रूप से अथवा देशघाति एवं सर्व-घातिरूप से व्यवस्थित होना समुदान क्रिया है ।

३ अनन्तर समुदान क्रिया—प्रथम समय में होने वाली क्रिया ।

४ परम्परा समुदान क्रिया—द्वितीयादि समयों में होने वाली क्रिया ।

५ तदुभय समुदान क्रिया—प्रथमाप्रथम समयों में होने वाली क्रिया ।

६ विवक्षित द्रव्य के एक देश को न जानना देश अज्ञान है ।

७ विवक्षित द्रव्य को सर्वथा न जानना सर्व अज्ञान है ।

८ विवक्षित द्रव्य के पर्याय न जानना "भाव अज्ञान" है ।—टीका

२६२. दसविधे मिच्छन्ते पणत्ते, तं जहा—

१. अधम्मे धम्मसण्णा,
२. धम्मे अधम्मसण्णा,
३. उम्मग्गे मग्गसण्णा,
४. मग्गे उम्मग्गसण्णा,
५. अजीवेसु जीवसण्णा,
६. जीवेसु अजीवसण्णा,
७. असाधुसु साधुसण्णा,
८. साधुसु असाधुसण्णा,
९. अमुत्तेसु मुत्तसण्णा,
१०. मुत्तेसु अमुत्तसण्णा ।

—ठाणं. अ. १०, सु. ७३४

मोहमूढस्स बोहप्पदानं—

२६३. अदक्खुव दक्खुवाहितं, सहसु अहक्खुदंसणा ।
हंदि ह् सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिज्जे कडेण कम्मणा ॥

दुःखी मोहे पुणो पुणो, निव्विदेज्ज सिलोग-पूयणं ।
एवं सहिते हि पासए, आयतुलं पाणेहि संजते ॥

—सूय. सु. १, अ. २, उ. ३, गा. ११-१२

मोहमूढस्स दुदसा—

२६४. पासह एगेज्जसीयमाणे अणत्तपण्णे ।

से बेमि—से जहावि कुम्मे हरए विणिविद्वचित्ते
पच्छणपलासे, उम्ममुग्गं वे णो लभति ।

मंजगा इव संनिवेसं नो चयंति ।

एवं पेगे अणेगरूवेहि कुलेहि जाता
रूवेहि सत्ता कलुणं थणंति,
णिदागतो ते ण लभंति मोवखं ॥१७८॥

अह पास तेहि कुलेहि आयत्ताए जाया—

गंडी अडुवा कोठी रायंसी अवमारियं ।
काणियं क्षिमियं चैव कुणितं खुज्जितं तथा ॥

२६२. मिथ्यात्व दश प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- (१) अधर्म को धर्म मानना,
- (२) धर्म को अधर्म मानना,
- (३) उन्मार्ग को सुमार्ग मानना,
- (४) सुमार्ग को उन्मार्ग मानना,
- (५) अजीवों को जीव मानना,
- (६) जीवों को अजीव मानना,
- (७) असाधुओं को साधु मानना,
- (८) साधुओं को असाधु मानना,
- (९) अमुक्तों को मुक्त मानना,
- (१०) मुक्तों को अमुक्त मानना ।

मोहमूढ को बोधदान—

२६३. अदृष्टवत् (अन्धतुल्य) पुरुष ! प्रत्यक्षदर्शी (सर्वज्ञ) द्वारा कथित दर्शन (सिद्धान्त) में श्रद्धा करो । हे असर्वज्ञदर्शन पुरुषो ! स्वयंकृत मोहनीय कर्म से जिसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई है, (वह सर्वज्ञोक्त सिद्धान्त को नहीं मानता) यह समझ लो ।

दुःखी जीव पुनः पुनः मोह—विवेकमूढता को प्राप्त करता है । (अतः) अपनी स्तुति और पूजा से साधु को विरक्त रहना चाहिए । इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र-सम्पन्न संयमी साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य देखे ।

मोहमूढ की दुर्दशा—

२६४. उन्हें देखो, जो आत्मप्रज्ञा से शून्य हैं, इसलिए विषाद पाते हैं ।

मैं कहता हूँ—जैसे एक कछुआ है, उसका चित्त महाहृद में लगा हुआ है । वह सरोवर शंवाल और कमल के पत्तों से ढका हुआ है । वह कछुआ उन्मुक्त आकाश को देखने के लिए छिद्र को भी नहीं पा रहा है ।

जैसे वृक्ष (विविध शीत-तापादि सहते हुए भी) अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग हैं (जो अनेक सांसारिक कष्ट पाते हुए भी गृहवास को नहीं छोड़ते) ।

इसी प्रकार कई (गुरुकर्मा) लोग अनेक प्रकार के कुलों में जन्म लेते हैं, किन्तु रूपादि विषयों में आसक्त होकर करुण विलाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति दुःखों के हेतुभूत कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते ।

अच्छा तू देख वे उन कुलों में आत्मत्व (अपने-अपने कृत कर्मों के फलों को भोगने) के लिए निम्नोक्त रोगों के शिकार हो जाते हैं—

- (१) गण्डमाला, (२) कोढ़, (३) राजयक्ष्मा, (४) अपस्मार (मृगी या मूर्छा), (५) काणत्व, (६) जड़ता, (७) कुणित्व,

उदरि च पास, मुहं च सूणियं च गिलासिणि ।
वेवहं पीडसिपि च सिलिवयं मधुमेहाणि ॥
सोलस एते रोगा अवखाया अणुपुव्वसो ।

अहं णं फुसंति आतंका फासा य असमंजसा ॥१७९॥

मरणं तेसि सपेहाए उववार्यं चयणं च णच्चा
परिपागं च सपेहाए तं सुणेहि जहा तथा ।

संति पाणा अंधा तमंसि वियाहिता ।
तामेव सह असहं अतियच्च उच्चावचे फासे पडिसंवेदेति ।

बुद्धेहि एव पवेदितं ।
संति पाणा वासगा रसगा उदए उदयचरा आगासगामिणो

पाणा पाणे किलेसंति ।
पास लोए महम्मयं ।
बहुदुक्खा हु जंतवो ।
सत्ता कामेहि माणवा ।
अबलेण वहं गच्छंति सरीरेण पभंगुरेण ।

अट्टे से बहुदुक्खे इति बाले पकुव्वति ।

एते रोगे बहू णच्चा आतुरा परितावए ।

णालं पास । अलं तवेतेहि ।

एतं पास मुणी ! महम्मया णातिवादेज्ज कंचणं ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. १, सु. १७८-१८०

छव्विहे विवादे—

२६५. छव्विहे विवादे पणत्ते, तं जहा—

१. ओसक्कइत्ता,

(टूटापन, एक हाथ या पैर छोटा या एक बड़ा), (८) कुवड़ापन, (९) उदररोग, (१०) मूकरोग (गूंगापन), (११) शोथरोग—सूजन, (१२) भस्मकरोग, (१३) कम्पनवात, (१४) पीठसर्पि—पंगुता, (१५) श्लीपदरोग (हाथीपगा) और (१६) मधुमेह ये सोलह रोग क्रमशः कहे गये हैं ।

इसके अनन्तर (भूल आदि मरणान्तक) आतंक (दुःसाध्य रोग) और अप्रत्याशित (दुःखों के) स्पर्श प्राप्त होते हैं ।

उन मनुष्यों की मृत्यु का पर्यालोचन कर उपपात और च्यवन को जानकर तथा कर्मों के विपाक (फल) का भलीभाँति विचार करके उसके यथातथ्य को सुनो ।

(इस संसार में) ऐसे भी प्राणी बताये गये हैं, जो अन्धे होते हैं, और अन्धकार में ही रहते हैं । वे प्राणी उसी को एक बार या अनेक बार भोगकर तीव्र और मन्द स्पर्शों का प्रतिसंवेदन करते हैं ।

बुद्धों (तीर्थकरों) ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है ।

(और भी अनेक प्रकार के) प्राणी होते हैं—जैसे—वर्षज (वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले मेंढक आदि) अथवा वासक (भापालब्धि-सम्पन्न द्वीन्द्रियादि प्राणी), रसज-रस में उत्पन्न होने वाले अथवा रसग (रसज्ञ संज्ञी जीव), उदक—एकेन्द्रिय अप्कायिक जीव, या जल में उत्पन्न होने वाले कृमि या जलचर जीव, आकाशगामी-नभचरपक्षी आदि ।

वे प्राणी अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं ।

तू देख, लोक में महान् भय है ।

संसार में जीव बहुत ही दुःखी हैं ।

मनुष्य काम-भोगों में आसक्त हैं ।

इस निर्बल शरीर को सुख देने के लिए अन्य प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं ।

वेदना से पीड़ित वह मनुष्य दुःख पाता है । इसलिए वह अज्ञानी प्राणियों को कष्ट देता है ।

इन अनेक रोगों को उत्पन्न हुए जानकर आतुर मनुष्य (चिकित्सा के लिए अन्य प्राणियों को) परिताप देते हैं ।

तू देख ! ये (प्राणिघातक-चिकित्साविधियाँ कर्मोदय जनित रोगों का शमन करने में पर्याप्त (समर्थ नहीं) हैं अतः इनसे तुमको दूर रहना चाहिए ।

मुनिवर ! तू देख ! यह (हिंसामूलक चिकित्सा) महान् भयरूप है । अतः किसी भी प्राणी का अतिपात-वध मत कर ।

विवाद—शास्त्रार्थ के छह प्रकार—

२६५. विवाद—शास्त्रार्थ छह प्रकार का कहा गया है, जैसे—

(१) वादी के तर्क का उत्तर ध्यान में न आने पर समय विताने के लिए प्रकृत विषय से हट जाना ।

२. उस्सवकइत्ता,

३. अणुलोमइत्ता,

४. पडिलोमइत्ता,

५. भइत्ता,

६. भेलइत्ता ।

—ठाणं. अ. ६, सु. ५१२

विपरीतपरुवणस्स पायच्छित्तं—

२६६. जे भिक्खू अप्पाणं विप्परियासेइ विप्परियासंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू परं विप्परियासेइ विप्परियासंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ७०-७१—(६४)

अणउत्थियागं चउरो वाया—

२६७. चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पावाडुया जाइं पुढो वयंति ।

किरियं अकिरियं विणयं ति तइयं, अण्णाणमाहुंसु चउत्थमेव ॥

—सूय. सु. १, अ. १२, गा. १

किरियावाईणं सद्धा—

२६८. प०—से किं तं किरिया-वाई यावि भवति ?

उ०—किरिया-वाई, भवति ।

तं जहा—आहिय-वाई, आहिय-पण्णे, आहिय-दिट्ठी,

सम्मा-वाई, निया-वाई, संति पर-लोगवादी,
अत्थि इहलोगे, अत्थि परलोगे, अत्थि माया, अत्थि पिया,
अत्थि अरिहंता, अत्थि चक्कवट्ठी, अत्थि बलदेवा, अत्थि
वासुदेवा,अत्थि सुकड-दुक्कडाणं कम्माणं फल-वित्ति-विसेसे,
सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति,
दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिण्णा फला भवंति,
सफले कल्लाण-पावए,

पञ्चार्यंति जीवा,

अत्थि नेरइया-जाव-अत्थि देवा अत्थि सिद्धी ।

(२) शास्त्रार्थ की पूर्ण तैयारी होते ही वादी को पराजित करने के लिए आगे आना ।

(३) विवादाध्यक्ष को अपने अनुकूल बना लेना, अथवा प्रतिवादी के पक्ष का एक वार समर्थन कर उसे अपने अनुकूल कर लेना ।

(४) शास्त्रार्थ की पूर्णता तैयारी होने पर विवादाध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी की उपेक्षा कर देना ।

(५) विवादाध्यक्ष की सेवा कर उसे अपने पक्ष में कर लेना ।

(६) निर्णायकों में अपने समर्थकों का बहुमत कर लेना ।

विपरीत प्ररूपणा का प्रायश्चित्त—

२६६. जो भिक्षु अपनी विपरीत धारणा बनाता है, बनवाता है, बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दूसरे की विपरीत धारणा बनाता है, बनवाता है, बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह भिक्षु गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है ।

अन्यतीर्थियों के चार वाद—

२६७. परतीर्थिक मतवादी (प्रावादुक) जिन्हें पृथक्-पृथक् बतलाते हैं, वे चार समवसरण—वाद या सिद्धान्त ये हैं—क्रियावाद, अक्रियावाद, तीसरा विनयवाद, और चौथा अज्ञानवाद ।

क्रियावादियों की श्रद्धा—

२६८. प्र०—भगवन् ! क्रियावादी कौन है ?

उ०—जो अक्रियावादी से विपरीत आचरण करता है ।

यथा—जो आस्तिकवादी है, आस्तिकबुद्धि है, आस्तिक दृष्टि है,

सम्यक्वादी है, नित्य (मोक्ष) वादी है, परलोकवादी है,
जो यह मानता है कि इह लोक है, पर लोक है, माता है,
पिता है, अरिहंत हैं, चक्रवर्ती हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं,

सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फलवृत्ति-विशेष होता है सु-आचरित कर्म शुभफल देते हैं और असद् आचरित कर्म अशुभ फल देते हैं,

कल्याण (पुण्य) और पाप फल-सहित हैं, अर्थात् अपना फल देते हैं,

जीव परलोक में जाते भी हैं और आते भी हैं,

नारकी हैं,—यावत्—(तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं) देव हैं और सिद्धि (मुक्ति) है । इस प्रकार मानने वाला आस्तिक क्रियावादी कहलाता है ।

से एवं वादी एवं पत्ने एवं विद्वि-छंद-रागभिनिवट्टे यावि भवइ ।

से भवइ महिच्छे-जाव-उत्तरगामिणेइए सुवकपविखए, आगमेस्ताणं सुलभवोहिए यावि भवइ ।

से तं किरिया-वादी । —दसा. द. ६, सु. १५-१६

एगंत किरियावादी—

२६६. अहावरं पुरवखायं किरियावाइदरिसणं ।
कम्मचित्तापणट्ठाणं संसारपरिवड्डणं ॥

जाणं काएण णाउट्टी अबुहो जं च हिंसती ।
पुट्टो संवेदेति परं अवियत्तं खु सावज्जं ॥

संतिमे ततो आयणा जेहि कीरति पावगं ।
अभिकम्माय पेत्ताय मणसा अणुजाणिया ॥

एए उ ततो आयणा जेहि कीरति पावगं ।
एवं भावविसोहिए णिव्वाणमभिगच्छती ॥

पुत्तं पि ता समारंभ आहारदुमसंजए ।
भुंजमाणो य मेघावी कम्मुणा नोवत्तिप्पति ॥

मणसा जे पउस्संति चित्तं तेसि न विज्जती ।
अणवज्जं अतहं तेसि ण ते संवुडचारिणो ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. २४-२६

एगंत किरियावायस्स सम्मं किरियावायस्स परुवगा—

२७०. ते एवमक्खंति समेच्च लोगं,

तहा तहा समणा माहणा य ।

सयकंडं णणकंडं च दुक्खे,

आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खं ॥

इस प्रकार का आस्तिकवादी, आस्तिक प्रज्ञ, और आस्तिक दृष्टि (कदाचिन् चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से) स्वच्छन्द रागाभिनिविष्ट महान् इच्छाओं वाला भी होता है, और वही दशा में यदि नरकायु का बन्ध कर नेता है तो वह उत्तर दिग्ग-वर्ता नरकों में उत्पन्न होता है, वह शुक्लपाक्षिक होता है और आगामीकाल में सुलभवोधि होता है,—यावत्—मुक्तियों को प्राप्त करता हुआ अन्त में मोक्षगामी होता है ।

यह क्रियावादी है ।

एकान्त क्रियावादी—

२६६. दूसरा पूर्वोक्त (एकान्त) क्रियावादियों का दर्शन है । इन (कर्म-बन्धन) को चिन्ता से रहित (उन एकान्त क्रियावादियों का दर्शन) (जन्म-मरण-रूप) संसार की या दुःख ममूह की वृद्धि करने वाला है ।

जो व्यक्ति जानता हुआ मन से हिंसा करना है, किन्तु जखर से छेदन-भेदनादि क्रिया रूप हिंसा नहीं करता एवं जो अनजान में (शरीर से) हिंसा कर देता है, वह केवल स्वयंभवाय से उच्छा (कर्मबन्ध का) फल भोगता है । वस्तुतः वह नाबद्ध (पाप) कर्म अव्यक्त-अस्पष्ट-अप्रकट होता है ।

ये तीन (कर्मों के) आदान (ग्रहण—बन्ध के कारण) हैं, जिनसे पाप (पापकर्मबन्ध) किया जाता है—(१) किसी प्राणी को मारने के लिए स्वयं अभिद्रम-आश्रमण करना, (२) प्राणि वध के लिए नाँकर आदि को भेजना या प्रेरित करना, और (३) मन से अनुजा-अनुमोदना देना ।

ये ही तीन आदान-कर्मबन्ध के कारण हैं, जिनसे पापकर्म किया जाता है । वहाँ (पाप कर्म से) भावों की विभुद्धि होने से कर्मबन्ध नहीं, किन्तु मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

(किसी दुष्काल आदि विपत्ति के समय) कोई असंयत गृहस्थ पिता आहार के लिए पुत्र को भी मारकर भोजन करे तो वह कर्मबन्ध नहीं करता । तथा मेघावी साधु भी निस्पृहभाव से उस आहार मांस का सेवन करता हुआ कर्म से लिप्त नहीं होता ।

जो लोग मन से (किसी प्राणी पर) द्वेष करते हैं, उनका चित्त विशुद्धियुक्त नहीं है तथा उनके (उस) कृत्य को निरवध (निष्पाप) कहना अतथ्य-मिथ्या है तथा वे लोग संवर के ताप विचरण करने वाले नहीं हैं ।

एकान्त क्रियावाद और सम्यक् क्रियावाद प्ररूपक—

२७०. वे श्रमण (शाक्यभिक्षु) और माहन (ब्राह्मण) अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार लोक को जानकर उस-उस क्रिया के अनुसार फल प्राप्त होना बताते हैं ।

तथा (वे यह भी कहते हैं कि) दुःख स्वयंकृत (अपना ही किया हुआ) होता है, अन्यकृत नहीं । परन्तु तीर्थंकरों ने विद्या (ज्ञान) और चरण (चारित्र-क्रिया) से मोक्ष कहा है ।

ते चबखु लोगंसिह णायगा तु,
मगाऽणुसासंति हितं पयाणं ।
तहा तहा सासयमाहु लोए,
जंसी पया माणव ! संपगाढा ॥

जे रबखसा वा जमनीइया वा,
जे वा सुरा गंधवा य काया ।
आगासगामी य पुढीसिया य,
पुणो पुणो त्रिप्परियासुवेति ॥

जमाहु ओहं सतिलं अपारगं,
जाणाहि णं भवगहणं डुमोखं ।

जंसी विसप्रा विसयंगणाहि,
डुहतो वि लोयं अणुसंचरति ॥
—सूय. सु. १, अ. १२, गा. ११-१४

ण कम्मणा कम्म खवेति वाला,
अकम्मणा उ कम्म खवेति धीरा ।
मेघाविणो लोभमयावतीता,
संतोसिणो णो पकरंति पावं ॥

ते तीत - उप्पण - मगागताइं,
लोगस जाणंति तहागताइं ।
णेतारो अणोस अणणणेया,
बुद्धा ह ते अंतकटा भवंति ॥

ते णेव कुट्ठवंति ण कारवेति,
भूताभिसंकाए बुगुंछमाणा ।

इस लोक में तीर्थंकर आदि नेत्र के समान हैं, तथा वे (शासन) नायक (धर्म नेता या प्रधान) हैं। वे प्रजाओं के लिए हितकर ज्ञानादि रूप मोक्षमार्ग की शिक्षा देते हैं।

इस चतुर्दशरज्ज्वात्मक या पंचास्तिकायरूप लोक में जो-जो वस्तु जिस-जिस प्रकार से द्रव्याधिकनय की दृष्टि से शाश्वत है उसे उसी प्रकार से उन्होंने कही है। अथवा यह जीवनिकायरूप लोक (संसार) जिन-जिन मिथ्यात्व आदि कारणों से जैसे-जैसे शाश्वत (सुदृढ़ या सुदीर्घ) होता है, वैसे-वैसे उन्होंने बताया है, अथवा जैसे-जैसे राग-द्वेष आदि या कर्म की मात्रा में अभिवृद्धि होती है, वैसे-वैसे सांसारिकवृद्धि होती है, यह उन्होंने कहा है, जिस संसार में (नारक, तिर्यन्च, मनुष्य और देव के रूप में) प्राणिगण निवास करते हैं।

जो राक्षस हैं, अथवा यमलोकवासी (नारक) हैं, तथा जो चारों निकाय के देव हैं, या जो देव गन्धर्व हैं, और पृथ्वीकाय आदि पञ्चजीवनिकाय के हैं तथा जो आकाशगामी हैं एवं जो पृथ्वी पर रहते हैं, वे सब (अपने किये हुए कर्मों के फलस्वरूप) वार-वार विविध रूपों में (विभिन्न गतियों से) परिभ्रमण करते रहते हैं।

तीर्थंकरों गणधरों आदि ने जिस संसार सागर को स्वयम्भूरमण समुद्र के जल की तरह अपार (दुस्तर) कहा है, उस गहन संसार को दुर्मोक्ष (दुःख से छुटकारा पाया जा सके, ऐसा) जानो।

जिस संसार में विषयों और अंगनाओं में आसक्त जीव दोनों ही प्रकार से (स्थावर और जंगमरूप) अथवा आकाशाश्रित एवं पृथ्वी-आश्रित रूप से अथवा वेपमात्र से प्रव्रज्याधारी होने और अविरति के कारण, एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते रहते हैं।

अज्ञानी जीव (पापयुक्त) कर्म करके अपने कर्मों का क्षय नहीं कर सकते। अकर्म के द्वारा (आश्रवों—कर्म के आगमन को रोक कर, प्रन्ततः शैलेशी अवस्था में) धीर (महासत्व) साधक कर्म का क्षय करते हैं। मेघावी साधक लोभमय (परिग्रह) कार्यों से अतीत (दूर) होते हैं, वे सन्तोषी होकर पापकर्म नहीं करते।

वे वीतराग पुरुष प्राणिलोक (पंचास्तिकायात्मक या प्राणि-समूह रूप लोक) के भूत, वर्तमान एवं भविष्य (के सुख-दुःखादि वृत्तान्तों) को यथार्थ रूप में जानते हैं। वे दूसरे जीवों के नेता हैं, परन्तु उनका कोई नेता नहीं है। वे ज्ञानी पुरुष (स्वयंबुद्ध, तीर्थंकर, गणधर आदि) संसार (जन्म-मरण) का अन्त कर देते हैं।

वे (प्रत्यक्षज्ञानी या परोक्षज्ञानी तत्त्वज्ञ पुरुष) प्राणियों के घात की आशंका (डर) से पाप-कर्म से घृणा (अरुचि) करते हुए स्वयं हिंसादि पापकर्म नहीं करते, न ही दूसरे से पाप (हिंसादि) कर्म कराते हैं।

सया जता विष्णमंति धीरा,
विष्णत्तिवीरा य भवंति ऐगे ॥

—सूय. सु. १, अ. १२, गा. १५-१७

सम्मक्रियावायस्स पडिवायका पालगा य—

२७१. डहरे य पाणे वुड्ढे य पाणे,
ते आततो पासति सव्वलोए ।
उवेहति लोगमिणं महंतं,
बुद्ध ऽ प्पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥

जे आततो परतो यावि णच्चा,
अलमप्पणो होति अलं परेसि ।
तं जोतिभूतं च सताऽऽवसेज्जा,
जे पाउकुज्जा अणुवीयि धम्मं ॥

अत्ताण जो जाणति जो य लोगं,
आगइं च जो जाणइ णागइं च ।
जो सासयं जाणइ असासयं च,
जाती मरणं च जणोववातं ॥
अहो वि सत्ताण विउट्टणं च,
जो आसवं जाणति संवरं च ।
दुक्खं च जो जाणति निज्जरं च,
सो भासितुमरिहति किरियवादं ॥

सहेसु रुवेसु असज्जमाणे,
गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे ।
णो जीवियं णो मारणाभिकंखी,
आवाणगुत्ते वलयाविमुक्के ॥
—सूय. सु. १, अ. १२, गा. १८-२२

अक्रियावाइ सरूवं—

२७२. अक्रियावाइ-वण्णणं, तं जहा—अक्रिया यावि भवइ
नाहिय-वाई, नाहिय-पण्णे, नाहिय-दिट्ठी,

णो सम्मवाई, णो णितियवादी, णं संति परलोगवाई,

वे धीर पुरुष सदैव संयत (पापकर्म से निवृत्त) रहते हुए संयमानुष्ठान की ओर झुके रहते हैं। परन्तु कई अन्यदंगीनी ज्ञान (विज्ञप्ति) मात्र से वीर बनते हैं, क्रिया से नहीं।

सम्यक् क्रियावाद के प्रतिपादक और अनुगामी—

२७१. इस समस्त लोक में छोटे-छोटे (कुन्यु आदि) प्राणी भी हैं और बड़े-बड़े (स्थूल शरीर वाले हाथी आदि) प्राणी भी हैं। सम्यक्वादी सुसाधु उन्हें अपनी आत्मा के समान देवता-ज्ञानता है। “यह प्रत्यक्ष दृश्यमान विज्ञान (महान्) प्राणिलोक कर्मवज दुःखरूप है,” इस प्रकार की उत्प्रेक्षा (अनुप्रेक्षा—विचारणा) करता हुआ वह तत्त्वदर्शी पुण्य अप्रमत्त साधुओं से दीक्षा ग्रहण करे—प्रव्रजित हो।

जो सम्यक् क्रियावादी साधक स्वयं अथवा दूसरे (तीर्थंकर, गणधर आदि) से जीवादि पदार्थों को जानकर अन्य जिज्ञानुओं या मुमुक्षुओं को उपदेश देता है, जो अपना या दूसरों का उद्धार या रक्षण करने में समर्थ है, जो जीवों को कर्म परिणति वा अथवा सद्धर्म (श्रुत-चारित्र्यरूप धर्म या क्षमादिदशविध श्रमण धर्म एवं श्रावक धर्म) का विचार करके (तदनुसार) धर्म को प्रकट करता है, उन ज्योतिः स्वरूप (तेजस्वी) मुनि के मान्निध्य में सदा निवास करना चाहिए।

जो आत्मा को जानता है, जो लोक को तथा जीवों की गति और अनागति (सिद्धि) को जानता है, इसी तरह शाश्वत (मोक्ष) और अशाश्वत (संसार) को तथा जन्म-मरण एवं प्राणियों के नाना गतियों में गमन को जानता है; तथा अधोलोक (नरक आदि) में भी जीवों को नाना प्रकार की पीड़ा होती है, यह जो जानता है, एवं जो आश्रव (कर्मों के आगमन) और संवर (कर्मों के निरोध) को जानता है तथा जो दुःख (बन्ध) और निजंग को जानता है, वही सम्यक् क्रियावादी साधक क्रियावाद को सम्यक् प्रकार से बता सकता है।

सम्यक्वादी साधु मनोज शब्दों और रूपों में आसक्त न हो। न ही अमनोज गन्ध और रस के प्रति द्वेष करे तथा वह (असंयमी जीवन) जीने की आकांक्षा न करे, और न ही (परीपहों और उपसर्गों से पीड़ित होने पर) मृत्यु की इच्छा करे। किन्तु संयम (आदान) से सुरक्षित (गुप्त) और माया से विमुक्त होकर रहे।

अक्रियावादी का स्वरूप—

२७२. जो अक्रियावादी है, अर्थात् जीवादि पदार्थों के अस्तित्व का अपलाप करता है, नास्तिकवादी है, नास्तिक बुद्धिवाला है, नास्तिक दृष्टि रखता है।

जो सम्यक्वादी नहीं है, नित्यवादी नहीं है और क्षणिकवादी है, जो परलोकवादी नहीं है।

णत्थि इह लोए, णत्थि पर लोए, णत्थि माया, णत्थि पिया,
णत्थि अरिहंता, णत्थि चक्कवट्टी, णत्थि बलदेवा, णत्थि
वासुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि णेरइया,
णत्थि सुकड-डुक्कडाणं फल-वित्ति-विसेसो,

णो सुच्चिण्णा कम्मा सुच्चिण्णाफला भवन्ति,

णो दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिण्णाफला भवन्ति,

अफले कल्लाण-पावए, णो पच्चायन्ति जीवा,
णत्थि णिरयगई, तिरियगई, मणुस्सगई, देवगई, णत्थि सिद्धि

से एवं वादी, एवं पण्णे, एवं दिट्ठी, एवं छंद-रागाभिनिविट्ठे
यावि भवई ।

से भवति महिच्छे, महारंभे, महापरिगहे, अहम्मिए, अहम्मा-
णुए, अहम्मसेवी, अहम्मिट्ठे, अहम्मक्खाइ, अहम्मरागी
अहम्मपलोई, अहम्मजीवी, अहम्म-पलज्जणे, अहम्म-सोल-
समुदायारे, अहम्मणे चैव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ ।

“हण, छिद, भिद” विकत्तए,

लोहियपाणी, चंडे, रुद्धे, खुद्धे, असमिक्खियकारी, साहस्सिए,

उक्कंचण-वंचण-माया-नियडि-कूड-कचड-साइ-संपयोग-चहुले,

दुस्सीले, दुप्परिचए, दुच्चरिए, दुरणुणेए, दुव्वए, दुप्पडिया-
णंदे,

निस्सीले, निव्वए, निरगुणे, निम्मेरे, निप्पच्चयखाण-पोसहो-
चवासे, असाह ।

—दस. द. ६, सु. ३-५

जो कहता है कि इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता
नहीं है, पिता नहीं है, अग्निहन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव
नहीं है, वासुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नारकी नहीं है ।

सुकृत (पुण्य) और दुष्कृत (पाप) कर्मों का फलवृत्ति विशेष
नहीं है,

सुचीर्ण (सम्यक् प्रकार से आचरित) कर्म, सुचीर्ण (शुभ)
फल नहीं देते हैं,

दुश्चीर्ण (कुत्सित प्रकार से आचरित) कर्म, दुश्चीर्ण (अशुभ)
फल नहीं देते हैं,

कल्याण (शुभ) कर्म और पापकर्म फलरहित हैं, जीव पर-
लोक में जाकर उत्पन्न नहीं होते, नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव
ये चार गतियाँ नहीं हैं, सिद्धि मुक्ति नहीं है ।

जो इस प्रकार कहने वाला है, इस प्रकार की प्रज्ञा (बुद्धि)
वाला है, इस प्रकार की दृष्टिवाला है, और जो इस प्रकार के
छन्द (इच्छा या लोभ) और राग (तीव्र अभिनिवेश या कदाग्रह)
से अभिनिविष्ट (सम्पन्न) है, वह मिथ्यादृष्टि जीव है ।

ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव महा इच्छा वाला, महारम्भी, महा-
परिग्रही, अधार्मिक, अधर्मानुगाभी, अधर्मसेवी, अधर्मिष्ठ, अधर्म
व्याप्तिवाला, अधर्मानुरागी, अधर्मदृष्टा, अधर्मजीवी, अधर्म में
अनुरक्त रहने वाला, अधार्मिक शील-स्वभाववाला, अधार्मिक
आचरण और अधर्म से ही आजीविका करता हुआ विचरता है ।

(वह मिथ्यादृष्टि नास्तिक आजीविका के लिए दूसरों से)
कहता है—जीवों को मारो, उनके अंगों का छेदन करो, शिर-मेट
आदि का भेदन करो, काटो, (इसका अन्त करो, वह स्वयं जीवों
का अन्त करता है)

उसके हाथ रक्त से रंगे रहते हैं, वह चण्ड, रौद्र और क्षुद्र
होता है, असमीक्षित (बिना विचारे) कार्य करता है, साहसिक
होता है,

लोगों से उत्कोच (रिश्वत-भूस) लेता है, प्रवंचन, माया,
निकृति (छल) कूट, कपट और सातिसम्भ्रयोग (माया-जाल रचने)
में बहुत कुशल होता है ।

वह दुःशील होता है, दुष्टजनों से परिचय रखता है, दुश्च-
रित होता है, दुरनुनेय (दारुणस्वभावी) होता है हिंसा-प्रधान
व्रतों को धारण करता है, दुष्प्रत्यानन्द (दुष्कृत्यों को करने और
सुनने से आनन्दित) होता है अथवा उपकारी के साथ कृतघ्नता
करके आनन्द मानता है ।

शील-रहित होता है, व्रत रहित होता है, प्रत्याख्यान (त्याग)
और पीपघोषवास नहीं करता है, अर्थात् श्रावक व्रतों से रहित
होता है और असाधु है, अर्थात् साधुव्रतों का पालन नहीं
करता है ।

अकिरिवाङ्गं समिक्खा—

२७३.लवावसंकी य अणागतेहिं,
णो किरियामाहंसु अकिरियमाया ।

सम्मिस्सभावं सगिरा गिहीते,
से मुम्मुई होति अणाणुवादी ।

वमं दुपक्खं इममेगपक्खं
आहंसु, छलायतणं च कम्मं ॥

ते एवमक्खंति अबुज्झमाणा,
विरुवरूवाणि अकिरियाता ।
जमादिदित्ता बहवो मणूसा,
भमंति संसारमणोवतणं ॥

णाइच्चो उदेति ण अत्यमेति,
ण चंदिभा वड्ढती हायती वा ।
सलिला ण संदंति ण वंति वाया,
वंदो णियते कसिणे हु लोए ॥

जहा य अंधे सह जोतिणा वि,
रूवाइं णो पस्सति हीणनेत्ते ।
संतं पि ते एवमकिरियाता,
किरियं ण पस्संति निरुद्धपण्णा ॥

संवच्छरं सुविणं लक्खणं च,
निमित्तं देहं उप्पाइयं च ।
अट्टंगमेतं बहवे अहिता,
लोगंसि जाणंति अणागताइं ॥

केई निमित्ता तहिया भवंति,
केसिचि तं विप्पडिएति णाणं ।
ते विज्जभावं अणहिज्जमाणा,
आहंसु विज्जापलिमोक्खमेव ॥

—सूय. सु. १, अ. १२, गा. ४-१०

अक्रियावादियों की समीक्षा—

२७३. (उत्तरार्द्धं) तथालव यानि कर्मबन्ध की शंका करने वाले अक्रियावादी भविष्य और भूतकाल के क्षणों के साथ वर्तमान-काल का कोई सम्बन्ध (संगति) न होने से क्रिया (और तज्जनित कर्मबन्ध) का निषेध करते हैं ।

वे (पूर्वोक्त अक्रियावादी) अपनी वाणी से स्वीकार किये हुए पदार्थों का निषेध करते हुए मिश्रपक्ष को (पदार्थ के अस्तित्व और नास्तित्व दोनों से मिश्रित विरुद्धपक्ष को) स्वीकार करते हैं । वे स्याद्वादियों के कथन का अनुवाद करने (दोहराने) में भी असमर्थ होकर अति मूक हो जाते हैं ।

वे इस पर-मत को द्विपक्ष-प्रतिपक्ष युक्त तथा स्वमत को प्रतिपक्ष रहित बताते हैं एवं स्याद्वादियों के हेतु वचनों को खण्डन करने के लिए वे छलयुक्त वचन एवं कर्म (व्यवहार) का प्रयोग करते हैं ।

वस्तुतत्त्व को न समझने वाले वे अक्रियावादी नाना प्रकार के शास्त्रों का कथन (शास्त्रवचन प्रस्तुत) करते हैं । जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर बहुत-से मनुष्य अनन्तकाल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

सर्वशून्यतावादी (अक्रियावादी) कहते हैं कि न तो सूर्य उदय होवा है, और न ही अस्त होता है तथा चन्द्रमा (भी) न तो बढ़ता है और न घटता है, एवं नदी आदि के जल बहते नहीं और न ही हवाएँ चलती हैं । यह सारा लोक अर्थशून्य (वन्ध्य या मिथ्या) एवं नियत (निश्चित-अभाव) रूप है ।

जैसे अन्ध मनुष्य किसी ज्योति (दीपक आदि के प्रकाश) के साथ रहने पर भी नेत्रहीन होने से देख नहीं पाता, इसी तरह जिनकी ज्ञाना ज्ञानावरण के कारण रुकी हुई है, वे बुद्धिहीन अक्रियावादी सम्मुख विद्यमान क्रिया को भी नहीं देखते ।

जगत् में बहुत-से लोग ज्योतिषशास्त्र (संवत्सर), स्वप्न-शास्त्र, लक्षणशास्त्र, निमित्तशास्त्र शरीर पर प्रादुर्भूत-तिल-मप आदि चिन्हों का फल बताने वाला शास्त्र, तथा उल्कापात दिग्दाह, आदि का फल बताने वाला शास्त्र, इन अष्टांग (आठ अंगों वाले) निमित्त शास्त्रों को पढ़कर भविष्य की बातों को जान लेते हैं ।

कई निमित्त तो सत्य (तथ्य) होते हैं और किन्हीं-किन्हीं निमित्तवादियों का वह ज्ञान विपरीत (अयथार्थ) होता है । यह देखकर विद्या का अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी विद्या से परिमुक्त होने—त्याग देने को ही कल्याणकारक कहते हैं ।

अक्रियावाद्दस मित्छादंडूपओगो—

२७४. (क) १. सखाओ पाशाहवाओ अप्पडिविए जावज्जीवाए.

२. सखाओ मुमावाओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

३. सखाओ अदिआवाओ अप्पडिविए जावज्जीवाए.

४. सखाओ मेठुआओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

५. सखाओ परिणहओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

६. सखाओ कोहाओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

७. सखाओ माओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

८. सखाओ माओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

९. सखाओ मोओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१०. सखाओ वेओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

११. सखाओ होओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१२. सखाओ कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१३. सखाओ अओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१४. सखाओ निओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१५. सखाओ पओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१६. सखाओ अओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१७. सखाओ माओ अप्पडिविए जावज्जीवाए,

१८. सखाओ मिओ अप्पडिविए जावज्जीवाए ।

— दसा. द. ६, गु. ६

(क) सखाओ कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए. कओ अप्पडिविए जावज्जीवाए.

अक्रियावादी का मिथ्यादण्ड प्रयोग—

२७४. (क) यह यावज्जीवन सर्व प्रकार के प्राणातिपात (जीव-पात) से अप्रतिविरत रहता है अर्थात् सभी प्रकार की जीव-हिंसा करना है,

२. यावज्जीवन सर्वप्रकार के मृपावाद से अप्रतिविरत रहता है,

३. यावज्जीवन सर्वप्रकार के अदत्तादान से अप्रतिविरत रहता है,

४. यावज्जीवन सर्वप्रकार के मीयुन-मेयन से अप्रतिविरत रहता है,

५. यावज्जीवन सर्वप्रकार के परिग्रह से अप्रतिविरत रहता है अर्थात् त्याग नहीं करता है,

६. यावज्जीवन सर्वप्रकार के क्रोध से अप्रतिविरत रहता है,

७. यावज्जीवन सर्वप्रकार के मान से अप्रतिविरत रहता है,

८. यावज्जीवन सर्वप्रकार के माया से अप्रतिविरत रहता है,

९. यावज्जीवन सर्वप्रकार के लोभ से अप्रतिविरत रहता है,

१०. यावज्जीवन सर्वप्रकार के प्रेय (राग) से अप्रतिविरत रहता है,

११. यावज्जीवन सर्वप्रकार के द्वेष से अप्रतिविरत रहता है,

१२. यावज्जीवन सर्वप्रकार के कलह से अप्रतिविरत रहता है,

१३. यावज्जीवन सर्वप्रकार के अभ्यास्यन से अप्रतिविरत रहता है,

१४. यावज्जीवन सर्वप्रकार के पंशुन्य से (चुगली करने से) अप्रतिविरत रहता है,

१५. यावज्जीवन सर्वप्रकार के पर-परिवाद (लोगों का पीठ पीछे अपवाद) करने से अप्रतिविरत रहता है,

१६. यावज्जीवन सर्वप्रकार की रति (दृष्ट पदार्थों के मिलने पर प्रमत्तता) और अरति (दृष्ट पदार्थों के नहीं मिलने पर अप्रमत्तता) से अप्रतिविरत रहता है,

१७. यावज्जीवन सर्वप्रकार की माया-मृगा (छलपूर्वक अत्य भावना करने और भेग-भूषण बदलकर दूसरों को ठगने से) अप्रतिविरत रहता है,

१८. यावज्जीवन सर्वप्रकार के मिथ्यादर्शन जल्य से अप्रतिविरत रहता है अर्थात् जन्म भर उक्त पाप-स्यानों का सेवन करता रहता है ।

(ग) यह नास्तिक मिथ्यादृष्टि सर्वप्रकार के कषाय रंग के मरुत, दन्तकाष्ठ (दातुन-दन्तघायन) स्नान, मर्दन, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, माला और अलंकारों (आभूषणों) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है ।

सन्वाओ सगड-रह-जाण-जुग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-
संदमाणिया-सयणासण-जाण-वाहण-भोयण - पवित्थर-
विहिओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्वप्रकार के शकट, रथ, यान, युग, गिल्ली, थिल्ली, शिविका, स्यन्दमानिका, शयनासान; यान, वाहन, भोजन और प्रविष्टर विधि (गृह-सम्बन्धी वस्त्र-पात्रादि) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है। (अर्थात् सभी प्रकार के पंचेन्द्रियों के विषय-सेवन में अति आसक्त रहता है, सभी प्रकार की सवारियों का उपभोग करता है और नाना प्रकार के गृह-सम्बन्धी वस्त्र, आभरण, भोजनादि का संग्रह करता रहता है।)

सन्वाओ आस-हत्थि-गो-महिस-गवेलय-मेस दास-दासी-
कम्मकर-पोरुत्साओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह मिथ्यादृष्टि सर्व अश्व, हस्ती, गौ (गाय-वैल) महिष (भैंस-पाड़ा), गवेलक (वकरा-वकरी), मेप (भेड़-मेपा), दास, दासी और कर्मकर (नीकर-चाकर आदि) पुरुष-समूह से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ कय-विक्कय-मासद्ध-मासरूपग-संववहाराओ
अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्वप्रकार के क्रय (खरीद) विक्रय (विक्री) मापार्ममाप (मासा, आधामासा) रूपक-संव्यवहार से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ हिरण-सुवण-धण-धन्न-मणि-मोत्तिय-संख-
सिलप्पवालाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्व हिरण्य (चांदी), सुवर्ण, धन-धान्य, मणि-मौक्तिक, शंख-शिलप्रवाल (मूंगा) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ कूडतुल्ल-कूडमाणाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्वप्रकार के कूटलतुला, कूटमान (हीनाधिक तोल-नाप) से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ आरम्भ-समारंभाओ अप्पडिविरए जावज्जी-
वाए;

वह सर्व आरम्भ-समारम्भ से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ पयण-पयावणाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्व प्रकार के पचन-पाचन से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ करण-करावणाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्व कार्यों के करने-कराने से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है।

सन्वाओ कुट्टण-पिट्टणाओ तज्जण-तालणाओ वह-बंध-
परिक्लेसाओ अप्पडिविरए जावज्जीवाए;

वह सर्वप्रकार के कूटने-पीटने से, तर्जन-ताड़न से, वध, बन्ध और परिक्लेश से यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है

जे यावण्णे तहंपगारा सावज्जा अबोहिया कम्मा पर-
पाण-परियावण कडा कज्जंति ततो वि य अप्पडिविरए
जावज्जीवाए ।

—यावत्—जितने भी उक्त प्रकार के सावध (पापयुक्त) अबोधिक (मिथ्यात्ववर्धक) और दूसरे जीवों के प्राणों को परि-
ताप पहुँचाने वाले कर्म किये जाते हैं, उनसे भी वह यावज्जीवन अप्रतिविरत रहता है। अर्थात् उक्त सभी प्रकार के पाप-कार्यों एवं आरम्भ-समारम्भों में संलग्न रहता है।

(वह मिथ्यादृष्टि पापात्मा किस प्रकार से उक्त पाप-कार्यों के करने में लगा रहता है, इस बात को एक दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं—)

से जहानामए केइ पुरिसे कलम-मसूर-तिल-मूंग-मास-
निप्पाव-कुलत्थ-आलिसदग-सेत्तीणा हरिमंथ जवजवा
एवमाइएहि अयते कूरे मिच्छा दंडं पउंजइ ।

एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिर-वट्टग-लावग-
कपोत-कपिजल-मिय-महिस-वाराह-नाह-गोह-कुम्मसरी-
सिवादिएहि अयते कूरे मिच्छा दंडं पउंजइ ।

—दसा. द. ६, सु. ७-८

(ग) जावि य से वाहिरिया परिसा भवति, तं जहा—
दासे इ वा, पेसे इ वा, मिअए इ वा, भाइल्ले इ वा,
कम्मकरे इ वा, भोगपुरिसे इ वा,
तेसि पि य णं अण्णयरगंसि अहा—लह्यंसि अवराहंसि
सयमेव गरुणं दंडं निवत्तेति । तं जहा—

इमं दंडेह, इमं मुंडेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह, इमं
अंडुय-बंधणं करेह, इमं नियल-बंधणं करेह, इमं हडि-
बंधणं करेह, इमं चारग-बंधणं करेह, इमं नियल-जुयल-
संकोडिय-मोडियं करेह, इमं हत्थछिन्नयं करेह, इमं
पाय-छिन्नयं करेह, इमं कण्ण-छिन्नयं करेह, इमं नक्क-
छिन्नयं करेह, इमं सीस-छिन्नयं करेह, इमं मुख-छिन्नयं
करेह, इमं वेय छिन्नयं करेह, इमं उट्टुछिन्नयं करेह, इमं
हियउप्पाडियं करेह,

एवं नयण-वसण-दसण-वदण-जिबम-उप्पाडियं करेह, इमं
उल्लंविंयं करेह, इमं घासियं, इमं घोलियं, इमं सूला-
इयं, इमं सूलाभिन्नं, इमं खारवत्तियं करेह, इमं दब्ब-
वन्नियं करेह, इमं सीह-पुच्छयं करेह, इमं वसभपुच्छयं
करेह, इमं दवग्गि-दद्वयं करेह, इमं काफणीमंस-खावियं
करेह इमं भत्तपाण-निरुद्धयं करेह, इमं जावज्जीव-
बंधणं करेह, इमं अन्नतरेणं असुभ-कुमारणं मारेह ।

जैसे कोइ पुरुष कलम (धान्य), मसूर, तिल, मूंग, माप
(उड़द) निप्पाव (वालोल, धान्यविशेष) कुलत्थ (कुलथी) आलि-
सिंदक (चवला) सेत्तीणा (तुवर) हरिमन्थ (काला चना) जव-
जव (जवार) और इसी प्रकार के दूसरे धान्यों को बिना किसी
यतना के (जीव-रक्षा के भाव बिना) क्रूरतापूर्वक उपमर्दन
करता हुआ मिथ्यादण्ड प्रयोग करता है, अर्थात् उक्त धान्यों को
जिस प्रकार खेत में लुप्त, खलिहान में दलन-मलन करते, मूसल
से उखली में कूटते, चक्की से दलते-पीसते और चूल्हे पर राँधते
हुए निर्दय व्यवहार करता है ।

उसी प्रकार कोई पुरुष-विशेष तीतर, वटेर, लावा, कबूतर,
कपिजल (कुरज-एक पक्षि विशेष) मृग, भैंसा, वराह (सूकर),
ग्राह (मगर), गोघा (गोह, गोहरा), कछुआ और सर्प आदि
निरपराध प्राणियों पर अयतना से क्रूरतापूर्वक मिथ्यादण्ड का
प्रयोग करता है, अर्थात् इन जीवों के मारने में कोई पाप नहीं
है, इस बुद्धि से उनका निर्दयतापूर्वक घात करता है ।

(ग) उस मिथ्यादृष्टि की जो वाहरी परिपद् होती है, जैसे—
दास (श्रीत किकर) प्रेष्य (दूत) भृतक (वेतन से काम करने
वाला) भागिक (भागीदार कार्यकर्ता) कर्मकर (घरेलू काम करने
वाला) या भोग पुरुष (उसके उपाजित धन का भोग करने
वाला) आदि, उनके द्वारा अतिलघु अपराध के हो जाने पर
स्वयं ही भारी दण्ड देने की आज्ञा देता है ।

जैसे—(हे पुरुषो), इसे डण्डे आदि से पीटो, इसका शिर
मुंडा डालो, इसे तजित करो, इसे थप्पड़ लगाओ, इसके हाथों
में हथकड़ी डालो, इसके पैरों में वेड़ी डालो, इसे खोड़े में डालो,
इसे कारागृह (जेल) में बन्द करो, इसके दोनों पैरों को सांक
से कसकर मोड़ दो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काट दो,
इसके कान काट दो, इसकी नाक काट दो, इसके ओठ काट दो,
इसका शिर काट दो, इसका मुख छिन्न-भिन्न कर दो, इसका
पुरुष-चिन्ह काट दो, इसका हृदय-विदारण करो ।

इसी प्रकार इसके नेत्र, वृषण (अण्डकोप) दशन (दाँत)
वदन (मुख) और जीभ को उखाड़ दो, इसे रस्सी से बाँधकर
वृक्ष आदि पर लटका दो, इसे बाँधकर भूमि पर घसीटो, इसका
दही के समान मन्यन करो, इसे झूली पर चढ़ा दो, इसे त्रिशूल
से भेद दो, इसके शरीर को शस्त्रों से छिन्न-भिन्न कर उस पर
क्षार (नमक, सज्जी, आदि खारी वस्तु) भर दो, इसके धावों में
डाभ (तीक्ष्ण घास कास) चुभाओ, इसे सिंह की पूंछ से बाँधकर
छोड़ दो, इसे वृषभ सांड की पूंछ से बाँधकर छोड़ दो, इसे
दावाग्नि में जला दो, इसके माँस के कौड़ी के समान टुकड़े बना
कर काक-गिद्ध आदि को खिला दो, इसका खान-पान बन्द कर
दो, इसे यावज्जीवन वन्धन में रखो, इसे किसी भी अन्य प्रकार
की कुमत्त से मार डालो ।

जा वि य सा अर्द्धितरिषा परिषा भवति, तं जहा—
माया इ वा, पिया इ वा, भाया इ वा, भगिणी इ वा,
भज्जा इ वा, धूया इ वा, सुण्हा इ वा तैसि पि य णं
अण्णयरंसि अहा लहुर्यंसि अवरहंसि सयमेव गरुयं दंडं
निवत्तेति, तं जहा—

सीयोदग-वियडंसि कायं बोलित्ता भवइ;

उसिणोदग-वियडेण कायं ओसिचित्ता भवइ;

अगणिकाएण कायं उड्डहिच्चा भवइ;

जोत्तेण वा, वेत्तेण वा, नेत्तेण वा, कसेण वा, छिवाडीए
वा, लयाए वा, पासाइं उहालित्ता भवइ;

दंडेण वा, अट्टीण वा, मुट्टीण वा, लेलुएण वा, कवालेण
वा, कायं आउट्टित्ता भवइ ।

तहप्पगारे पुरिस-जाए संवसमाणे दुम्मणा भवंति ।

तहप्पगारे पुरिस-जाए विप्पवसमाणे सुमणा भवंति ।

तहप्पगारे पुरिस-जाए, दंडमासी, दंडगुरुए, दंडपुरवखडे,

अहिए अस्सि लोयंसि, अहिए परंसि लोयंसि ।

ते दुक्खेंति, सोयंति, एवं झुरेंति, तिप्पंति, पिट्टेंति,
परितप्पंति,

ते दुक्खण-सोयण-झुरण-तिप्पण-पिट्टण-परितप्पण-वह-
बंध-परिकिलेसाओ अप्पडिविरए ।

—दस. द. ६, सु. ६-११

(घ) एवामेव से इत्थि-काम भोगेहिं मुच्छिए, गिद्धे, गट्टिए,
अज्झोववण्णे,

-जाव-वासाइं चउ-पंचमाइं, छ दसमाणि वा अप्पतरो
वा भुज्जतरो वा कालं भुज्जित्ता कामभोगाइं, पसेवित्ता
वेरायतणाइं, संचिणित्ता बहुयं पावाइं कम्माइं,

उस मिथ्यादृष्टि की जो आभ्यन्तर परिषद् होती है, जैसे—
माता, पिता, भ्राता, भगिनी, भार्या (पत्नी) पुत्री, स्नुषा
(पुत्रवधू) आदि, उनके द्वारा किसी छोटे से अपराध के होने पर
स्वयं ही भारी दण्ड देता है ।

जैसे—शीतकाल में अत्यन्त शीतल जल से भरे तालाव
आदि में उसका शरीर डुबाता है ।

उष्णकाल में अत्यन्त उष्णजल उसके शरीर पर सिंचन
करता है,

उनके शरीर को आग से जलाता है ।

जोत (बैलों के गले में बाँधने के उपकरण) से, वेंत आदि से,
नेत्र (दही मथने की रस्ती) से, कशा (हण्टर चाबुक) से, छिवाड़ी
(चिकनी चाबुक) से, या लता (गुर-बेल) से मार-मारकर दोनों
पार्श्वभागों का चमड़ा उधेड़ देता है ।

अथवा डण्डे से, हड्डी से, मुट्ठी से, पत्थर के ढेले से और
कपाल (खप्पर) से उसके शरीर को कूटता-पीटता है ।

इस प्रकार के पुरुषवर्ग के साथ रहने वाले मनुष्य दुर्मन
(दुःखी) रहते हैं और इस प्रकार के पुरुषवर्ग से दूर रहने पर
मनुष्य प्रसन्न रहते हैं ।

इस प्रकार का पुरुषवर्ग सदा डण्डे को पार्श्वभाग में रखता
है और किसी के अल्प अपराध के होने पर भी अधिक से अधिक
दण्ड देने का विचार रखता है, तथा दण्ड देने को सदा उद्यत
रहता है और डण्डे को ही आगे कर बात करता है ।

ऐसा मनुष्य इस लोक में भी अपना अहित-कारक है और
परलोक में भी अपना अकल्याण करने वाला है ।

उक्त प्रकार के मिथ्यादृष्टि अक्रियावादी नास्तिक लोग
दूसरों को दुःखित करते हैं, शोक-संतप्त करते हैं, दुःख पहुँचाकर
झुरित करते हैं, सताते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं, पीटते हैं और अनेक
प्रकार से परिताप पहुँचाते हैं ।

वह दूसरों को दुःख देने से, शोक उत्पन्न करने से, झुराने
से, रुलाने से, पीटने से, परितापन से, वध से, बन्ध से नाना
प्रकार के दुःख-सन्ताप पहुँचाता हुआ उनसे अप्रतिविरत रहता
है, अर्थात् सदा ही दूसरों को दुःख पहुँचाने में संलग्न रहता है ।

(घ) इसी प्रकार वह स्त्री सम्बन्धी काम-भोगों में मूर्च्छित,
गृद्ध, आसक्त और पंचेन्द्रियों के विषयों में निमग्न रहता है ।

—यावत्—वह चार-पाँच वर्ष, या -ह-सात वर्ष, या आठ-
दस वर्ष या इससे अल्प या अधिक काल तक काम-भोगों को
भोगकर वैर-भाव के सभी स्थानों का सेवन कर और बहुत
पाप-कर्मों का संचय कर,

ओसन्नं संभार-कडेण कम्मुण्णा । से जहानामए—
अयगोले इ वा, सेलगोले इ वा उदयंसि पविखत्ते समाणे
उदग-तलमइवत्तित्ता अहे धरणि-तले पइट्टाणे भवइ,
एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए वज्ज-बहुले, धुण्ण-बहुले,
पंक-बहुले, वेर-बहुले दंभ-नियडि-साइ-बहुले, आसायणा-
बहुले, अयस-बहुले, अधत्तिय-बहुले ।
ओस्सण्णं तस-पाण-घातो कालमासे कालं किच्चा धरणि-
तलमइवत्तित्ता अहे नरग-धरणितले पइट्टाणे भवइ ।

ते णं नरगा—

अंतो वट्टा, बाहिं चउरंसा, अहे-खुरप्पसंठाण-संठिआ,
निच्चंधकार-तमसा,

ववगय-गह-चंद-सूर-णक्खत्त-जोइस-पहा,

मेद-वसा-मंस-रुहिर-पूय-पडल-चिक्खल - लित्ताणुलेवण-
तला,

असुइविस्सा, परमदुब्भिमंघा,

काउय-अगणि-वण्णाभा, कक्खड-फासा दुरहियासा ।

असुभा नरगा । असुभा नरएसु वेयणा ।

नो चेव णं नरएसु नेरइया निहायंति वा, पयलायति
वा, सुइं वा, रइं वा, धिइं वा, मइं वा उवलमंति ।

ते णं तत्थ—

उज्जलं, विडलं, पगाढं, कक्कसं, कडुयं, चंडं, दुक्खं,
दुग्गं, तिक्खं, तिब्बं दुरहियासं नरएसु णेरइया नरय-
वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

से जहानामए रुक्खे सिया पव्वयग्गे जाए, मूलच्छिन्ने,
अग्गे गरुए,

जओ निन्नं, जओ दुग्गं, जओ विसमं तओ पवडति ।
एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गब्भाओ गब्भं, जम्माओ
जम्मं, माराओ मारं, दुक्खाओ दुक्खं,

प्रायः स्वकृत कर्मों के भार से; जैसे,

लोहे का गोला या पत्थर का गोला जल में फेंका जाने पर
जल-तल का अतिक्रमण कर नीचे भूमि-तल में जा पड़ता है,

वैसे ही उक्त प्रकार का पुरुषवर्ग-वज्रवत् पाप-बहुल, क्लेश-
बहुल, पंक-बहुल, वैर-बहुल, दम्भ-निकृति-साति-बहुल, आशा-
तना-बहुल, अयश-बहुल, अप्रतीति-बहुल होता हुआ,

प्रायः त्रस प्राणियों का घात करता हुआ कालमास में काल
इस भूमि-तल का अतिक्रमण कर नीचे नरक भूमि-तल में जाकर
(मरण) करके प्रतिष्ठित हो जाता है ।

वे नरक—

भीतर से वृत्त (गोल) और बाहिर चतुरस्र (चौकोण) हैं,
नीचे क्षुरप्र (क्षुरा-उस्तारा) के आकार से संस्थित है, नित्य घोर
अन्धकार से व्याप्त है,

और चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र इन ज्योतिष्कों की प्रभा से
रहित हैं,

उन नरकों का भूमितल मेद-वसा (चर्वी), मांस, रुधिर, पूय
(विकृत रक्त पीव), पटल (समूह) सी कीचड़ से लिप्त-अति-
लिप्त है ।

वे नरक मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से भरे हुए हैं, परम
दुर्गन्धमय हैं,

काली या कपोत वर्ण वाली अग्नि के वर्ण जैसी आभा वाले
हैं, कर्कश स्पर्श वाले हैं, अतः उनका स्पर्श असह्य है,

वे नरक अशुभ हैं अतः उन नरकों में वेदनाएँ भी अशुभ ही
होती हैं ।

उन नरकों में नारकी न निद्रा ही ले सकते हैं और न ऊँघ
ही सकते हैं । उन्हें स्मृति, रति, घृति और मति उपलब्ध नहीं
होती है ।

वे नारकी उन नरकों में—

उज्ज्वल, विपुल, प्रगाढ़, कर्कश, कटुक, खण्ड, रौद्र, दुःख-
मय तीक्ष्ण, तीव्र दुःसह नरक-वेदनाओं का प्रतिसमय अनुभव
करते हुए विचरते हैं ।

जैसे पर्वत के अग्रभाग (शिखर) पर उत्पन्न वृक्ष मूल भाग
के काट दिये जाने पर उपरिम भाग के भारी होने से

जहाँ निम्न (नीचा) स्थान है, जहाँ दुर्गम प्रवेश है और
जहाँ विपम स्थल है वहाँ गिरता है, इसी प्रकार उपर्युक्त प्रकार
का मिथ्यात्वी घोर पापी पुरुष वर्ग एक गर्भ से दूसरे गर्भ में,
एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में, और
एक दुःख से दूसरे दुःख में पड़ता है ।

बाहिण-गामि णेरइए, कण्हपक्खिए, आगमेस्साणं-जाव-
दुल्लभवोहिए यावि भवति ।

से तं अकिरिया-वाई यावि भवइ ।

—दसा. द. ६, सु. १२-१४

एगंतणाणवाई—

२७५. कल्लाणे पावए वा वि,
ववहारो ण विज्जई ।
जं वेरं तं न जाणंति,
समणा बालपंडिया ॥

असेसं अक्खयं वा वि,
सव्वदुक्खे त्ति वा पुणो ।
वज्झा पाणा न वज्झंति,
इति वायं न नीसरे ॥

दीसंति समियाचारा,
भिव्खुणो साहुजीविणो ।
एए मिच्छोवजीवि त्ति,
इति विट्ठि न धारए ॥

दक्खिणाए पडिलंभो,
अत्थि नत्थि त्ति वा पुणो ।
ण वियागरेज्ज मेहावी,
संतिमगं च धूहए ॥

—सूय. सु. २, अ. ५, गा. २६-३२

भणन्ता अकरेन्ता य,
वन्धमोक्खपइण्णिणो ।
वायाविरियमेत्तेण
समासासेन्ति अप्पयं ॥

न चित्ता तायए भासा,
कओ विज्जाणुसासणं ।
विसंघा पावकम्मेहि,
बाला पंडियमाणिणो ॥

—उत्त. अ. ६, गा. ६-१०

अण्णाणवायं—

२७६. जविणो सिगा जहा संता परिताणेण वज्जिता ।
असंक्रियाइ संकंति संक्रियाइ असंकिणो ॥

वह दक्षिण-दिशा-स्थित घोर नरकों में जाता है, वह कृष्ण
पाक्षिक नारकी आगामी काल में—यावत्—दुर्लभवोधि वाला
होता है ।

उक्त प्रकार का जीव अक्रियावादी है ।

एकान्त ज्ञानवादी—

२७५. यह व्यक्ति एकान्त कज्याणवान् (पुण्यवान्) है, और यह
एकान्त पापी है, ऐसा व्यवहार नहीं होता, (तथापि) बालपण्डित
(सद-असद-विवेक से रहित होते हुए भी स्वयं को पण्डित मानने
वाले) (शाक्य आदि) श्रमण (एकान्त पक्ष के अवलम्बन से
उत्पन्न होने वाले), वैर (कर्मबन्धन) नहीं जानते ।

जगत् के अशेष (समस्त) पदार्थ अक्षय (एकान्त नित्य) है,
अथवा एकान्त अनित्य हैं, ऐसा कथन (प्ररूपण) नहीं करना
चाहिए, तथा सारा जगत् एकान्त रूप से दुःखमय है, ऐसा वचन
भी नहीं कहना चाहिए एवं अमुक प्राणी वध्य है, अमुक अवध्य
है, ऐसा वचन भी साधु को (मुंह से) नहीं निकालना चाहिए ।

साधुतापूर्वक जीने वाले, (शास्त्रोक्त) सम्यक् आचार के
परिपालक निर्दोष भिक्षाजीवी साधु दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए
ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ये साधुगण कपट से जीविका
(जीवननिर्वाह) करते हैं ।

मेधावी (विवेकी) साधु को ऐसा (भविष्य) कथन नहीं करना
चाहिए कि दान का प्रतिलाभ अमुक से होता है, अमुक से नहीं
होता, अथवा तुम्हें आज भिक्षा-लाभ होगा या नहीं ? किन्तु
जिससे शान्ति की वृद्धि होती हो, ऐसा वचन कहना चाहिए ।

“ज्ञान से ही मोक्ष होता है”—जो ऐसा कहते हैं, पर उसके
लिए कोई क्रिया नहीं करते, वे केवल वन्ध और मोक्ष के सिद्धांत
की स्थापना करने वाले हैं । वे केवल वाणी की वीरता से अपने
आपको आश्वासन देने वाले हैं ।

विविध भापाएँ त्राण नहीं होती । विद्या का अनुशासन भी
कहाँ त्राण देता है ? (जो इनको त्राण मानते हैं वे) अपने आपको
पण्डित मानने वाले अज्ञानी मनुष्य विविध प्रकार से पाप-कर्मों
में डूबे रहते हैं ।

अज्ञानवाद—

२७६. जैसे परित्राण-संरक्षण से रहित अत्यन्त शीघ्र भागने वाले
मृग शंका से रहित स्थानों में शंका करते हैं और शंका करने
योग्य स्थानों में शंका नहीं करते ।

परियाणियाणि संकंता पासित्ताणि असंकिणो ।
अण्णाणभयसंविग्गा संपत्तिं तहिं संहि ॥

अह तं पव्वेज वज्झ अहे वज्झस्स वा वए ।
मुच्चेज्ज पयपासाओ तं तु मंदे ण वेहती ॥

अहियप्पा हियपण्णाणे विसमंतेणुवागते ।
से वद्धे पयपासेहिं तत्थ धायं नियच्छति ॥

एवं तु समणा एगे मिच्छद्विट्ठो अणारिया ।
असंकिताइं संकंति संकिताइं असंकिणो ॥

धम्मपण्णा जा सा तं तु संकंति मूढगा ।
आरंभाइं न संकंति अवियत्ता अकोविया ॥

सव्वप्पगं विउवकस्सं सव्वं णूमं विहूणिया ।
अप्पत्तियं अकम्मंसे एयमट्ठं मिगे चुए ॥

जे एतं णामिजाणंति मिच्छद्विट्ठो अणारिया ।
मिगा वा पासवद्धा ते धायमेसंतं णंतसो ॥

माहणा समणा एगे सव्वे णाणं सयं वदे ।
सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणंति किच्चणं ॥

मिलक्खु अमिलक्खुस्स जहा चुत्ताणुभासती ।
ण त्थेउं से विजाणाति भासियं तऽणुभासती ॥

एवमण्णाणिया नाणं वयंता विसयं सयं ।
णिच्छयत्थं ण जाणंति मिलक्खु व अबोहिए ॥

सुरक्षित-परित्राणित स्थानों को शंका-स्पद और पाश-बन्धन-युक्त स्थानों को शंकारहित मानते हुए अज्ञान और भय से उद्विग्न वे (मृग) उन—(पाशयुक्तबन्धन वाले) स्थलों में ही जा पहुँचते हैं ।

यदि वह मृग उस बन्धन को लाँघकर चला जाए, अथवा उसके नीचे होकर निकल जाए तो पैरों में पड़े हुए (उस) पाश बन्धन से छूट सकता है, किन्तु वह मूर्ख मृग तो उस (बन्धन) को देखता (ही) नहीं है ।

अहितात्मा-अपना ही अहित करने वाले अहितबुद्धि (प्रज्ञा) वाला वह मृग कूट-पाशादि (बन्धन) से युक्त विपम प्रदेश में पहुँचकर वहाँ पद-बन्धन से बँध जाता है और (वहीं) वध को प्राप्त होता है ।

इसी प्रकार कई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण अशंकनीय-शंका के अयोग्य स्थानों में शंका करते हैं और शंकनीय-शंका के योग्य स्थानों में निःशंक रहते हैं—शंका नहीं करती ।

वे मूढ़ मिथ्यादृष्टि, धर्मप्रज्ञापना—धर्मप्ररूपणा में तो शंका करते हैं, (जबकि) आरम्भों हिंसायुक्त कार्यों में (सत्शास्त्रज्ञान से रहित है, इस कारण) शंका नहीं करते ।

सर्वात्मक—सबके अन्तःकरण में व्याप्त—लोभ, समस्त माया, विविध उत्कर्परूप मान और अप्रत्ययरूप क्रोध को त्यागकर ही जीव अकर्माश (कर्म से सर्वथा) रहित होता है । किन्तु इस (सर्वज्ञ-भाषित) अर्थ (सदुपदेश या सिद्धान्त अथवा सत्य) को मृग के समान (वेचारा) अज्ञानी जीव ठूकरा देता है ।

जो मिथ्यादृष्टि अनार्यपुरुष इस अर्थ (सिद्धान्त या सत्य) को नहीं जानते मृग की तरह पाश (बन्धन) में बद्ध वे (मिथ्या-दृष्टि अज्ञानी) अनन्तवार घात—विनाश को प्राप्त करेंगे—विनाश को ढूँढते हैं ।

कई ब्राह्मण (माहन) एवं श्रमण (ये) सभी अपना-अपना ज्ञान बघारते हैं—ब्रतलाते हैं परन्तु समस्त लोक में जो प्राणी हैं, उन्हें भी (उनके विषय में भी) वे कुछ नहीं जानते ।

जैसे म्लेच्छ पुरुष अम्लेच्छ (आर्य) पुरुष के कथन (कहे हुए) का (सिर्फ) अनुवाद कर देता है । वह हेतु (उस कथन के कारण या रहस्य) को विशेष नहीं जानता, किन्तु उसके द्वारा कहे हुए वक्तव्य के अनुसार ही (परमार्थशून्य) कह देता है ।

इसी तरह सम्यग्ज्ञानहीन (ब्राह्मण और श्रमण) अपना-अपना ज्ञान बघारते—कहते हुए भी (उसके) निश्चित अर्थ (परमार्थ) को नहीं जानते । वे (पूर्वोक्त) म्लेच्छों—अनार्यों की तरह सम्यक् बोधरहित हैं ।

अण्णाणियाण वीमंसा अण्णाणे नो नियच्छती ।
अप्पणो य परं णालं कुतो अण्णेऽणुसासिडं ? ॥

वणे मूढे जहा जंतु मूढणेतानुगामिए ।
दुहओ वि अकोविया तिव्वं सोयं णियच्छति ॥

अंधो अंधं प्हं णितो दूरमद्धान गच्छती ।
आवज्जे उप्पहं जंतु अदुवा पंथानुगामिए ॥

एवमेगे नियावट्ठी धम्ममाराहगा चयं ।
अदुवा अधम्ममावज्जे ण ते सव्वज्जुयं वए ॥

एवमेगे वितक्काहिं णो अण्णं पज्जुवासिया ।
अप्पणो य वितक्काहिं अयमंजू हि दुम्मति ॥

एवं तक्काए साहेता धम्मा-धम्मे अकोविया ।
दुक्खं ते नाइतुट्ठन्ति सउणी पंजरं जहा ॥

सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वइं ।
जे उ तत्थ विउस्संति संसारं ते विउस्सिया ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. ६-२३

एगंत अण्णायवायस्स समिक्खा—

२७७. अण्णाणिया ता कुसला वि संता,
असंयुया णो वितिगिच्छतिण्णा ।
अकोविया आहु अकोवियाए,
अणाणुवीयीति मुसं वदंति ॥

—सूय. सु. १, अ. १२, गा. २

अज्ञानियों—अज्ञानवादियों द्वारा अज्ञानपक्ष में मीमांसा-पर्यालोचना करना युक्त (युक्तिसंगत) नहीं हो सकता । (जब) वे (अज्ञानवादी) अपने आपको अनुशासन (स्वकीय शिक्षा) में रखने में समर्थ नहीं हैं, तब दूसरों को अनुशासित करने (शिक्षा देने) में कैसे समर्थ हो सकते हैं ?

जैसे वन में दिशामूढ़ प्राणी दिशामूढ़ नेता के पीछे चलता है तो सन्मार्ग से अनभिज्ञ वे दोनों ही (कहीं खतरनाक स्थल में पहुँचकर) अवश्य तीव्र शोक में पड़ते हैं—असह्य दुःख पाते हैं—वैसे ही अज्ञानवादी सम्यक् मार्ग के विषय में दिग्मूढ़ नेता के पीछे चलकर वाद में गहन शोक में पड़ जाते हैं ।

अन्धे मनुष्य को मार्ग पर ले जाता हुआ दूसरा अन्धा पुरुष (जहाँ जाना है, वहाँ से) दूरवर्ती मार्ग पर चला जाता है, इसमें वह (अज्ञानान्ध) प्राणी या तो उत्पथ (उबड़-खाबड़ मार्ग) को पकड़ लेता है—पहुँच जाता है, या फिर उस (नेता) के पीछे-पीछे (अन्य मार्ग पर) चला जाता है ।

इसी प्रकार कई नियागार्थी—मोक्षार्थी कहते हैं—हम धर्म के आराधक हैं, परन्तु (धर्माराधना तो दूर रही) वे (प्रायः) अधर्म को ही (धर्म के नाम से) प्राप्त—स्वीकार कर लेते हैं । वे सर्वथा सरल-अनुकूल संयम के मार्ग को नहीं पकड़ते—नहीं प्राप्त करते ।

कई दुर्बुद्धि जीव इस प्रकार के (पूर्वोक्त) वितर्कों (विकल्पों) के कारण (अपने अज्ञानवादी नेता को छोड़कर) दूसरे—ज्ञानवादी की पर्युपासना—सेवा नहीं करते । अपने ही वितर्कों से मुग्ध वे यह अज्ञानवाद की यथार्थ (सीधा) है, (यह मानते हैं) ।

धर्म-अधर्म के सम्बन्ध में अज्ञानवादी इस प्रकार के तर्कों से सिद्ध करते हुए दुःख को नहीं तोड़ सकते, जैसे पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ सकता ।

अपने-अपने मत की प्रशंसा करते हुए और दूसरे के वचन की निन्दा करते हुए जो उस विषय में अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं, वे संसार में दृढ़ता से जकड़े रहते हैं ।

एकान्त अज्ञानवाद-समीक्षा—

२७७. वे अज्ञानवादी अपने आपको (वाद में) कुशल मानते हुए भी संशय से रहित (विचिकित्सा) को पार किये हुए (नहीं) हैं । अतः वे असंस्तुत) असम्बद्धभाषी या मिथ्यावादी होने से अप्रशंसा के पात्र हैं । वे स्वयं अकोविद (धर्मोपदेश में अनिपुण) हैं और अपने अकोविद (अनिपुण-अज्ञानी) शिष्यों को उपदेश देते हैं । वे (अज्ञान पक्ष का आश्रय लेकर) वस्तुतत्त्व का विचार किये बिना ही मिथ्याभाषण करते हैं ।

एगंत विणयवाइस्स समिक्खा—

२७८. सच्चं असच्चं इति चितयंता,
 असाहु साहु त्ति उदाहरंता ॥
 जेमे जणा वेणइया अणेगे,
 पुट्टा वि भावं विणइंसु नाम ॥
 अणोवसंखा इति ते उदाहु,
 अट्टे स ओभासति अम्ह एवं ।
 —सूय. सु. १, अ. १२, गा. ३-४/१

पौंडरीय रूचगं—

२७९. सुयं मे आउसंतेण भगवता एवंमक्खायं—
 इह खलु पौंडरीए णामं अञ्जयणे, तस्स णं अयमट्टे—
 पण्णत्ते—
 से जहाणामए पोक्खरणी सिया बहुउदगा बहुसेया बहुपुक्खला
 लद्धा पुण्डरीगिणी पासादिया दरिसणीया अभिरूवा
 पडिक्खा ।

तीसे णं पुक्खरणीए तत्थ तत्थ देसे तहिं तहिं वहवे पउमवर-
 पौंडरिया बुइया अणुपुब्बट्टिया ऊसिया रुइला वण्णमंता गंध-
 मंता रसमंता फासमंता पासादीया दरिसणीया अभिरूवा
 पडिक्खा ।

तीसे णं पुक्खरणीए बहुमज्झवेसमाए एगे महं पउमवरपौंडरिए
 बहुए, अणुपुब्बट्टिए ऊसित्ते रुइले वण्णमंते रसमंते फासमंते
 पासादीए दरिसणिए अभिरूवे पडिक्खे ।

सध्वावन्ति च णं तीसे पुक्खरणीए तत्थ तत्थ देसे तहिं तहिं

एकांत-विनयवादी की समीक्षा—

२७८. जो सत्य है, उसे असत्य मानते हुए तथा जो असाधु
 (अच्छा नहीं है,) उसे साधु (अच्छा) बताते हुए ये जो बहुत से
 विनयवादी लोग हैं, वे पूछने पर भी अपने भाव के अनुसार
 विनय से ही स्वर्ग-मोक्ष प्राप्ति बताते हैं ।

वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान न होने से व्यामूढमति
 वे विनयवादी ऐसा कहते हैं । वे कहते हैं—“हमें अपने प्रयोजन
 की सिद्धि इसी प्रकार से दिखती है ।”

पौंडरिक रूपक—

२७९. (श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं) “हे आयु-
 प्पमन् ! मैंने सुना है—‘उन भगवान ने ऐसा कहा था’—
 “इस आर्हत प्रवचन में पौण्डरीक नामक एक अध्ययन है, उसका
 यह अर्थ—भाव उन्होंने बताया—कल्पना करो कि जैसे कोई
 पुष्करिणी (कमलों वाली बावड़ी) है, जो अगाध जल से परिपूर्ण है,
 बहुत कीचड़ वाली है, (अथवा बहुत से अत्यन्त श्वेत पद्म होने
 तथा स्वच्छ जल होने से अत्यन्त श्वेत है), बहुत पानी होने से
 अत्यन्त गहरी है अथवा बहुत-से कमलों से युक्त है । वह पुष्क-
 रिणी (कमलों वाली इस) नाम को सार्थक करने वाली या यथार्थ
 नाम वाली, अथवा जगत् में लब्धप्रतिष्ठ है । वह प्रचुर पुण्डरीकों
 श्वेतकमलों से सम्पन्न है । वह पुष्करिणी देखने मात्र से चित्त
 को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, प्रशस्तरूपसम्पन्न, अद्वितीयरूप-
 वाली (अत्यन्त मनोहर) है ।

उस पुष्करिणी के देश-देश (प्रत्येक देश) में, तथा उन-उन
 प्रदेशों में—यत्र-तत्र बहुत-से उत्तमोत्तम पौण्डरीक (श्वेतकमल)
 कहे गए हैं, जो क्रमशः ऊँचे उठे (उभरे) हुए हैं । वे पानी और
 कीचड़ से ऊपर उठे हुए हैं । अत्यन्त दीप्तिमान् हैं, रंग-रूप में
 अतीव सुन्दर हैं, सुगन्धित हैं, रसों से युक्त हैं, कोमल स्पर्शवाले
 हैं, चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, अद्वितीय रूपसम्पन्न
 एवं सुन्दर हैं ।

उस पुष्करिणी के ठीक बीचोंबीच (मध्यभाग) में एक बहुत
 बड़ा तथा कमलों में श्रेष्ठ पौण्डरिक (श्वेत) कमल स्थित बताया
 गया है । वह भी उत्तमोत्तम क्रम से विलक्षण रचना से युक्त है,
 तथा कीचड़ और जल से ऊपर उठा हुआ है, अथवा बहुत ऊँचा
 है । वह अत्यन्त रुचिकर या दीप्तिमान् है, मनोज्ञ है, उत्तम
 सुगन्ध से युक्त है, विलक्षण रसों से सम्पन्न है, कोमलस्पर्श युक्त
 है, अत्यन्त आल्हादक दर्शनीय, मनोहर और अतिसुन्दर है ।

(निष्कर्ष यह है) उस सारी पुष्करिणी में जहाँ-तहाँ, इधर-
 उधर सभी देश-प्रदेशों में बहुत से उत्तमोत्तम पुण्डरीक (श्वेत-
 कमल) भरे पड़े (बताए गए) हैं । वे क्रमशः उतार-चढ़ाव से

वहवे पउमवर-पुण्डरीया बुझया अणुपुव्वट्ठिता-जाव-पडिहूवा ।

सव्वावंति च णं तीसे पुव्वखरणीए बहुमज्झदेसभागे एगे महं
पउमवरपोडरीए बुझते अणुपुव्वट्ठिते-जाव-पडिहूवे ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६३८

पोंडरीयपग्गहणे चउरो वि असफला—

अह पुरिसे पुरत्थिमातो दिसातो आगम्म तं पुव्वखरणीं तीसे
पुव्वखरणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवरपोडरियं
अणुपुव्वट्ठितं ऊसियं-जाव-पडिहूवं ।

तए णं से पुरिसे एवं वदासी—

“अहमंसि पुरिसे खेत्तण्णे कुसले पंडिते वियत्ते मेघावी अवाले
मग्गत्थे मग्गविहू मग्गस्स गति-परक्कमण्णू,

अहमेयं पउमवरपोडरियं उज्झिवखेस्सामि” त्ति कट्ठ इति
वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुव्वखरणीं,
जाव जावं च णं अभिक्कमे ताव तावं च णं महंते उदए,
महंते सेए पहणे तीरं, अग्गत्ते पउमवरपोडरीयं णो हव्वाए
णो पाराए, अंतरा पोव्वखरणीए सेयंसि विसण्णे पढमे पुरि-
सज्जाए ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६३६

अहावरे दोच्चे पुरिसज्जाए ।

अह पुरिसे दक्खिणातो दिसातो आगम्म तं पुव्वखरणीं तीसे
पुव्वखरणीए तीरे ठिच्चा पासति

तं महं एगं पउमवरपोडरीयं अणुपुव्वट्ठितं-जाव-पडिहूवं,
तं च एत्थ एगं पुरिसजातं पासति पहोणं तीर, अपत्तं पउम-
वरपोडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा पोव्वखरणीए
सेयंसि विसण्णं ।

सुन्दर रचना से युक्त है, जल और पंक से ऊपर उठे हुए,
—यावत्—पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न अत्यन्त रूपवान् एवं अद्वितीय
सुन्दर है ।

उस समग्र पुष्करिणी के ठीक बीच में एक महान् उत्तम-
पुण्डरीक (श्वेतकमल) बताया गया है, जो क्रमशः उभरा हुआ
—यावत्—(पूर्वोक्त) सभी गुणों से सुशोभित बहुत मनोरम है ।

श्रेष्ठ पुण्डरीक को पाने में असफल चार पुरुष—

अब कोई पुरुष पूर्वदिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर
उस पुष्करिणी के तीर (किनारे) खड़ा होकर उस महान् उत्तम
एक पुण्डरीक को देखता है, जो क्रमशः (उतार चढ़ाव के कारण)
सुन्दर रचना से युक्त तथा जल और कीचड़ से ऊपर उठा हुआ
एवं—यावत्—(पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) बड़ा ही मनोहर है ।

इसके पश्चात् उस श्वेतकमल को देखकर उस पुरुष ने (मन
ही मन) इस प्रकार कहा—“मैं पुरुष हूँ, खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ या
निपुण) हूँ, कुशल (हित में प्रवृत्ति एवं अहित से निवृत्ति करने में
निपुण) हूँ, पण्डित (पाप से दूर, धर्मज्ञ या देशकालज्ञ), व्यक्त
(बाल-भाव से निष्क्रान्त-वयस्क अथवा परिपक्वबुद्धि), मेघावी
(बुद्धिमान्) तथा अवाल (बालभाव से निवृत्त-युवक) हूँ । मैं
मार्गस्थ (सज्जनों द्वारा आचरित मार्ग पर स्थित) हूँ, मार्ग का
ज्ञाता हूँ, मार्ग की गति एवं पराक्रम का (जिस मार्ग से चलकर
जीव अपने अभीष्टदेश में पहुँचता है, उसका) विशेषज्ञ हूँ ।

मैं कमलों में श्रेष्ठ इस पुण्डरीक कमल को (उखाड़कर) बाहर
निकाल लूंगा । इस इच्छा से यहां आया हूँ ।”—यह कहकर
पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है । वह ज्यों-ज्यों पुष्करिणी
में आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसमें अधिकाधिक गहरा पानी
और कीचड़ का उसे सामना करना पड़ता है । अतः वह व्यक्ति
तीर से भी हट चुका है और श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के पास भी
नहीं पहुँच पाया । वह न इस पार का रहा, न उस पार का ।
अपितु उस पुष्करिणी के बीच में ही गहरे कीचड़ में फँसकर
अत्यन्त क्लेश पाता है । यह प्रथम पुरुष की कथा है ।

अब दूसरे पुरुष का वृत्तान्त बताया जाता है ।

(पहले पुरुष के कीचड़ में फँस जाने के बाद) दूसरा पुरुष
दक्षिण दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर उस (पुष्करिणी)
के दक्षिण किनारे पर ठहरकर उस श्रेष्ठ पुण्डरीक को देखता है,
जो विशिष्ट क्रमबद्ध रचना से युक्त है,—यावत्—(पूर्वोक्त विशे-
षणों से युक्त) अत्यन्त सुन्दर है । वहाँ (खड़ा-खड़ा) वह उस
(एक) पुरुष को देखता है, जो किनारे से बहुत दूर हट चुका है
और उस प्रधान श्वेतकमल तक पहुँच नहीं पाया है, जो न उधर
का रहा है, न उधर का, बल्कि उस पुष्करिणी के बीच में ही
कीचड़ में फँस गया है ।

तए णं से पुरिसे तं पुग्गिं एवं वदासी—अहो णं इमे पुरिसे
अखेयण्णे अकुसले अपंडिते अवियत्ते अमेहावी वाले णो
मगत्थे णो मग्गविक्क णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू

जं णं एस पुरिसे “खेयन्ने कुसले-जाव-पउमवरपोंडरीयं
उत्तिक्खेस्सामि”,

णो य खलु एतं पउमवरपोंडरीयं एवं उत्तिक्खेय्व्वं जहा णं
एस पुरिसे मन्ने ।

अहमंसि पुरिसे खेयण्णे कुसले पंडिए वियत्ते मेहावी अवाले
मगत्थे मग्गविक्क मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू अहमेयं पउमवर-
पोंडरीयं उत्तिक्खेस्सामि त्ति कट्टु इति वच्चा से पुरिसे
अभिकम्मे तं पुक्खरणिं,

-जाव-जावं च णं अभिकम्मे ताव तावं च णं महंते उदए महंते
सेए, पहीणे तीरं, अप्पत्ते पउमवरपोंडरीयं, णो हव्वाए णो
पाराए, अंतरा सेयंसि विसण्णे दोच्चे पुरिसजाते ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४०

अहावरे तच्चे पुरिसजाते ।

अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ दिसाओ आगम्म तं पुक्खरणिं तीसे
पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवरपुण्डरियं
अणुपुव्वट्ठियं-जाव-परिक्खं,

ते तत्थ दोग्णि पुरिसज्जाते पासति पहीणे तीरं, अप्पत्ते
पउमवरपोंडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, -जाव-सेयंसि
निसण्णे ।

तते णं से पुरिसे एवं वदासी—

अहो णं इमे पुरिसा अखेत्तन्ना अकुसला अपंडिया अवियत्ता
अमेहावी वाला णो मगत्था

तदनन्तर दक्षिण दिशा से आये हुए इस दूसरे पुरुष ने उस
पहले पुरुष के विषय में कहा कि—“अहो ! यह पुरुष खेदज्ञ
(मार्गजनित खेद-परिश्रम को जानता) नहीं है, (अथवा इस क्षेत्र
का अनुभव नहीं है,) यह अकुशल है, पण्डित नहीं है, परिपक्व
बुद्धिवाला नहीं है, यह अभी बाल-अज्ञानी है । यह
सत्पुरुषों के मार्ग में स्थित नहीं है, न ही यह व्यक्ति मार्गवेत्ता
है । जिस मार्ग से चलकर मनुष्य अपने अभीष्ट उद्देश्य को
प्राप्त करता है, उस मार्ग की गतिविधि तथा पराक्रम को यह
नही जानता । जैसा कि इस व्यक्ति ने यह समझा था कि मैं बड़ा
खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ हूँ, कुशल हूँ,—यावत्—पूर्वोक्त विशेषताओं से
युक्त हूँ, मैं इस पुण्डरीक को उखाड़कर ले जाऊँगा,

किन्तु यह पुण्डरीक इस तरह उखाड़कर नही लाया जा
सकता जैसा कि यह व्यक्ति समझ रहा है ।

“मैं खेदज्ञ (या क्षेत्रज्ञ) पुरुष हूँ, मैं इस कार्य में कुशल हूँ,
हिताहित विज्ञ हूँ, परिपक्वबुद्धिसम्पन्न प्रौढ़ हूँ, तथा मेधावी हूँ,
मैं नादान वच्चा नहीं हूँ, पूर्वज सज्जनों द्वारा आचारित मार्ग
पर स्थित हूँ, उस पथ का ज्ञाता हूँ, उस मार्ग की गतिविधि
और पराक्रम को जानता हूँ । मैं अवश्य ही इस उत्तम ध्वेतकमल
को उखाड़कर बाहर निकाल लाऊँगा, (मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके
आया हूँ) यों कहकर वह द्वितीय पुरुष उस पुष्करिणी में उतर गया ।

ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसे अधिकाधिक
कीचड़ और अधिकाधिक जल मिलता गया । इस तरह वह भी
किनारे से दूर हट गया और उस प्रधान पुण्डरीक कमल को भी
प्राप्त न कर सका । यों वह न इस पार का रहा और न उस
पार का रहा । वह पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फँसकर
रह गया और दुःखी हो गया । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है ।

इसके पश्चात् तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है ।

दूसरे पुरुष के पश्चात् तीसरा पुरुष पश्चिम दिशा से उस
पुष्करिणी के पास आकर उसके किनारे खड़ा होकर उस एक
महान् श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को देखता है, जो विशेष रचना से
युक्त—यावत्—पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त अत्यन्त मनोहर है ।
वह वहाँ (उस पुष्करिणी में) उन दोनों पुरुषों को भी देखता है,
जो तीर से भ्रष्ट हो चुके हैं और उस उत्तम ध्वेतकमल को भी
नहीं पा सके, तथा जो न इस पार के रहे और न उस पार के
रहे, अपितु पुष्करिणी के अग्रबीच में अगाध कीचड़ में ही फँस
कर दुःखी हो गये थे ।

इसके पश्चात् उस तीसरे पुरुष ने उन दोनों पुरुषों के लिए
इस प्रकार कहा—“अहो ! ये दोनों व्यक्ति खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ नहीं
है, न पण्डित हैं, न ही प्रौढ़—परिपक्वबुद्धिवाले हैं, न ये बुद्धि-
मान् हैं, ये अभी नादान बालक से हैं, ये साधु पुरुषों द्वारा आचा-

णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमणू, जं णं एते पुरिसा एवं मण्णे "अम्हेतं पउमवरपोंडरीयं उण्णिक्खेस्सामो", णो य खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उण्णिक्खेतत्वं जहा ण एए पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे खेतन्ने कुसले पंडिते वियत्ते मेहावी अवाले मग्गथे मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमणू, अहमेयं पउमवर-पोंडरीयं उण्णिक्खेस्सामि इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरणिं,

-जाव-जावं च णं अभिक्कमे ताव तावं च णं महंते उदए महंते सेए जाव अंतरा सेयंसि निसण्णं तच्चे पुरिसजाए ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४१

अहावरे चउत्थे पुरिसजाए ।

अह पुरिसे उत्तरातो दिसातो आगम्म तं पुक्खरणिं तीसे पुक्खरणीए तीरे ठिच्चा पासति एयं पउमवरपोंडरीयं अणुपुब्बट्ठितं -जाव- पडिरूवं ।

ते तत्थ तिण्णि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अप्पत्ते-जाव-सेयंसि निसण्णे ।

तते णं से पुरिसे एवं वदासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेतणा -जाव-णो मग्गस्स गतिपरक्कमणू, जण्णं एते पुरिसा एवं मण्णे—अम्हेतं पउमवरपोंडरीयं उण्णिक्खेस्सामो । णो खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उण्णिक्खेतत्वं जहा णं एते पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे खेयण्णे-जाव-मग्गस्स गतिपरक्कमणू, अहमेयं पउमवरपोंडरीयं उण्णिक्खेस्सामि इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरणिं,

जाव जावं च णं अभिक्कमे ताव तावं च णं महंते उदए महंते सेते-जाव-विसण्णे

चउत्थे पुरिसजाए ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४२

रित मार्ग पर स्थित नहीं है, तथा जिस मार्ग पर चलकर जीव अभीष्ट को सिद्ध करता है, उसे ये नहीं जानते। इसी कारण ये दोनों पुरुष ऐसा मानते थे कि "हम इस उत्तम श्वेतकमल को उखाड़कर बाहर निकाल लाएँगे," परन्तु इस उत्तम श्वेतकमल को इस प्रकार उखाड़ लाना सरल नहीं, जितना ये दोनों पुरुष मानते हैं।"

"अलवत्ता मैं खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ), कुशल, पण्डित. परिपक्व-बुद्धिसम्पन्न, मेधावी, युवक, मार्गवेत्ता, मार्ग की गतिविधि और पराक्रम का ज्ञाता हूँ। मैं इस उत्तम श्वेतकमल को बाहर निकाल कर ही रहूँगा, मैं यह संकल्प करके ही यहाँ आया हूँ। (यों कहकर उस तीसरे पुरुष ने पुष्करिणी में प्रवेश किया और ज्यों-ज्यों उसने आगे कदम बढ़ाए, त्यों-त्यों उसे बहुत अधिक पानी और अधिकाधिक कीचड़ का सामना करना पड़ा। अतः वह तीसरा व्यक्ति भी कीचड़ में वहीं फँसकर रह गया और अत्यन्त दुःखी हो गया। वह न इस पार का रद्दा और न उस पार का। यह तीसरे पुरुष की कथा है।

अब चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है।

तीसरे पुरुष के पश्चात् चौथा पुरुष उत्तर दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर, किनारे खड़ा होकर उस एक महान् श्वेतकमल को देखता है. जो विशिष्ट रचना से युक्त—यावत्—(पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट) मनोहर है। तथा वह वहाँ (उस पुष्करिणी में) उन तीनों पुरुषों को भी देखता है, जो तीर से बहुत दूर हट चुके हैं और श्वेतकमल तक भी नहीं पहुँच सके हैं अपितु पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फँस गए हैं।

तदनन्तर उन तीनों पुरुषों को (देखकर उन) के लिए चौथे पुरुष ने इस प्रकार कहा—“अहो ! ये तीनों पुरुष खेदज्ञ (क्षेत्रज्ञ) नहीं हैं,—यावत्—(पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) मार्ग की गति-विधि एवं पराक्रम में विशेषज्ञ नहीं हैं। इसी कारण ये लोग समझते हैं कि "हम उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को उखाड़कर ले आएँगे, किन्तु ये उत्तम श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता, जैसा कि ये लोग मान रहे हैं।

"मैं खेदज्ञ पुरुष हूँ—यावत्—उस मार्ग की गतिविधि और पराक्रम का विशेषज्ञ हूँ। मैं इस प्रधान श्वेतकमल को उखाड़कर ले आऊँगा इसी अभिप्राय से मैं होकर यहाँ आया हूँ।"

यों कहकर वह चौथा पुरुष भी पुष्करिणी में उतरा और ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों उसे अधिकाधिक पानी और अधिकाधिक कीचड़ मिलता गया। वह पुरुष उस पुष्करिणी के बीच में ही भारी कीचड़ में फँसकर दुःखी हो गया। अब न तो वह इस पार का रद्दा, न उस पार का।

इस प्रकार चौथे पुरुष का भी वही हाल हुआ।

पवरपोंडरीय पगगहणे निरीहो भिक्खु सफलो—

अह भिक्खू लूहे तीरट्टी खेयण्णे कुसले पंडिते वियत्ते मेहावी
अबाले मग्गत्थे मग्गविदू मग्गस्स गतिपरक्कमणू अन्नतरीओ
दिसाओ अणुदिसाओ वा आगम्म तं पुक्खरणीं, तीसे पुक्ख-
रणीए तीरेऽठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवर-पोंडरीयं-जाव-
पडिख्वं,

ते य चत्तारि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अप्पत्ते-जाव-
अंतरा पोक्खरणीए सेयंसि विसण्णे ।

तते णं भिक्खू एवं वदासी—

अहो णं इमे पुरिसा अखेतण्णा-जाव-णो मग्गस्स गतिपरक्क-
मणू जं णं एते पुरिसा एवं मन्ने “अग्गेयं पउमवरपोंडरीयं
उत्तमिविखस्सामो” णो य खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं
उत्तमवखेतव्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ने,

अहमंसो भिक्खू लूहे तीरट्टी खेयण्णे-जाव-मग्गस्स गति-परक्क-
मणू, अग्गेयं पउमवर-पोंडरीयं उत्तमिविखस्सामि त्ति कट्ठ
इति वच्चा,

से भिक्खू णो अभिक्कमे तं पुक्खरणीं, तीसे पुक्खरणीए तीरे
ठिच्चा सद्दं कुज्जा—“उप्पताहि खलु भो पउमवरपोंडरीया !
उप्पताहि खलु भो पउमवरपोंडरीया ।”
अह से उप्पत्तिसे पउमवरपोंडरिए ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४३

एवं से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविदू नियागपडिक्खणे,

से जहेयं वृत्तियं, अट्ठुवा पत्ते पउमवरपोंडरीयं अट्ठुवा अपत्ते
पउमवरपोंडरीयं ।

उत्तम श्वेतकमल को पाने में सफल : निःस्पृह भिक्षु—

इसके पश्चात् राग-द्वेषरहित (रूक्ष-अस्निग्ध घड़े के समान
कर्ममल-लेपरहित), संसार-सागर के (तीर उस पार जाने का
इच्छुक) खेदज्ञ या क्षेत्रज्ञ,—यावत्—(पूर्वोक्त सभी विशेषणों से
युक्त) मार्ग की गति और पराक्रम का विशेषज्ञ तथा निर्दोष
भिक्षामात्र से निर्वाह करने वाला साधु किसी दिशा अथवा
विदिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर उस (पुष्करिणी) के
तट पर खड़ा होकर उस श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल को देखता है, जो
अत्यन्त विशाल—यावत्—(पूर्वोक्त गुणों से युक्त) मनोहर है।
और वहाँ वह भिक्षु उन चारों पुरुषों को भी देखता है, जो
किनारे से बहुत दूर हट चुके हैं, और उत्तम श्वेतकमल को भी
नहीं पा सकते हैं। जो न तो इस पार के रहे हैं, न उस पार के,
जो पुष्करिणी के बीच में ही कीचड़ में फँस गए हैं।

इसके पश्चात् उस भिक्षु ने उन चारों पुरुषों के सम्बन्ध में
इस प्रकार कहा—“अहो ! ये चारों व्यक्ति खेदज्ञ नहीं हैं,—यावत्—
(पूर्वोक्त विशेषणों से सम्पन्न) मार्ग की गति एवं पराक्रम से
अनभिज्ञ हैं। इसी कारण यह लोग समझने लगे कि “हम लोग
इस श्रेष्ठ श्वेतकमल को निकाल कर ले जाएंगे, परन्तु यह उत्तम
श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता, जैसा कि ये लोग
समझते हैं।”

“मैं निर्दोष भिक्षाजीवी साधु हूँ, राग-द्वेष से रहित (रूक्ष =
निःस्पृह) हूँ। मैं संसार सागर के पार (तीर पर) जाने का इच्छुक
हूँ, क्षेत्रज्ञ (खेदज्ञ) हूँ—यावत्—जिस मार्ग से चलकर साधक
अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए पराक्रम करता है, उसका
विशेषज्ञ हूँ। मैं इस उत्तम श्वेतकमल को (पुष्करिणी से बाहर)
निकालूंगा, इसी अभिप्राय से यहाँ आया हूँ।”

यों कहकर वह साधु उस पुष्करिणी के भीतर प्रवेश नहीं
करता, वह उस (पुष्करिणी) के तट पर खड़ा-खड़ा ही आवाज
देता है—“हे उत्तम श्वेतकमल ! वहाँ से उठकर (मैंरे पास) आ
जाओ, आ जाओ ! यों कहने के पश्चात् वह उत्तम पुण्डरीक उस
पुष्करिणी से उठकर (या बाहर निकलकर) आ जाता है।

इस प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणयुक्त) वह भिक्षु धर्मार्थी (धर्म
से ही प्रयोजन रखने वाला) धर्म का ज्ञाता और नियाग (संयम
या विमोक्ष) को प्राप्त होता है।

ऐसा भिक्षु जैसा कि इस अध्ययन में पहले कहा गया था,
पूर्वोक्त पुरुषों में से पांचवाँ पुरुष है। वह (भिक्षु) श्रेष्ठ पुण्डरीक
कमल के समान निर्वाण को प्राप्त कर सके अथवा उस श्रेष्ठ
पुण्डरीक कमल को (मति, श्रुत, अवधि एवं मनःपर्याय ज्ञान तक
ही प्राप्त होने से) प्राप्त न कर सके, (वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है।)

एवं से भिक्खू परिण्णातकम्मे परिण्णायसंखे परिण्णायगिहवासे
उससंते समिते सहिए सदा जते ।

सेयं वयणिज्जे तं जहा—

समणे ति वा माहणे ति वा खंते ति वा दंते ति वा गुत्ते ति
वा मुत्ते ति वा इसी ति वा मुणीति वा कति ति वा विदू ति
वा भिक्खू ति वा लूहे ति वा तिरट्ठी ति वा चरणकरणपारविदु

त्ति बेमि ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६६२-६६३

दिट्ठन्तस्स णिगमणं—

२८०. किट्ठित्ते णात्ते समणाउसो ! अट्ठे पुण से जाणितव्वे भवति ।

भंते ! त्ति समणं भगवं महावीरं निगंथा य निगंथीओ य
वंदति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वदासी—किट्ठित्ते
नाए समणाउसो ! अट्ठे पुण से ण जाणामो ।

समणाउसो ! त्ति समणे भगवं महावीरे ते य वहवे निगंथा
य निगंथीओ य आमंतिता एवं वदासी—हंता समणाउसो !
आइक्खामि विभावेमि किट्ठेमि पवेदेमि समट्ठं सहेउं सनि-
मित्तं भुज्जो भुज्जो उवदसेमि ।

से बेमि—लोयं च खलु मए अप्पाहट्ठु समणाउसो ! सा
पुक्खरणी बुइता,

इस प्रकार का भिक्षु कर्म (कर्म के स्वरूप, विपाक एवं उपा-
दान) का परिज्ञाता, संग (वाह्य-आभ्यन्तर-सम्बन्ध) का परिज्ञाता,
तथा (निःसार) गृहवास का परिज्ञाता (मर्मज्ञ) हो जाता है। वह
(इन्द्रिय और मन के विषयों का उपशमन करने से) उपशान्त,
(पंचसमितियों से युक्त होने से) समित, (हित से—ज्ञानादि से युक्त
होने से—) सहित एवं सदैव यतनाशील अथवा संयम में प्रयत्न-
शील होता है।

उस साधक को इस प्रकार (आगे कहे जाने वाले विशेषणों
में से किसी भी एक विशेषणयुक्त शब्दों से) कहा जा सकता है,
जैसे कि—

वह श्रमण है, या माहन् (प्राणियों का हनन मत करो,
ऐसा उपदेश करने वाला या ब्रह्मचर्यनिष्ठ होने से ब्राह्मण) है,
अथवा क्षान्त (क्षमाशील) है, या दान्त (इन्द्रियमनोवशीकर्ता) है,
अथवा गुप्त (तीन गुप्तियों से गुप्त) है, अथवा मुक्त (मुक्तवत्),
तथा महर्षि (विशिष्ट तपश्चरणयुक्त) है, अथवा मुनि (जगत् की
त्रिकालावस्था पर मनन करने वाला) है, अथवा कृती (पुण्यवान्
—सुकृति या परमायं पण्डित), तथा विद्वान् (अध्यात्मविद्यावान्)
है, अथवा भिक्षु (निरवद्यभिक्षाजीवी) है, या वह रूअ (बन्ता-
हारी-प्रान्ताहारी) है, अथवा तीरार्थी (मोक्षार्थी) है, अथवा चरण-
करण (मूल-उत्तर गुणों) के रहस्य का पारगामी है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

दृष्टान्तों के दार्ष्टान्तिक की योजना—

२८०. (श्रमण भगवान् महावीर स्वामी कहे हैं—) “आयुष्मान्
श्रमणो ! तुम्हें मैंने यह दृष्टान्त (ज्ञात) कहा है; इसका अर्थ
(भाव) तुम लोगों को जानना चाहिए।”

“हाँ, भदन्त !” कहकर साधु और साध्वी श्रमण भगवान्
महावीर को वन्दना और नमस्कार करते हैं। वन्दना-नमस्कार
करके भगवान् महावीर से इस प्रकार कहते हैं—“आयुष्मन् श्रमण
भगवान् ! आपने जो दृष्टान्त बताया उसका अर्थ (रहस्य) हम
नहीं जानते।”

(इस पर) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उन बहुत-से
निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थिनियों को सम्बोधित करके इस प्रकार कहा—
“आयुष्मान् श्रमण-श्रमणियों ! मैं इसका अर्थ (रहस्य) बताता हूँ,
अर्थ स्पष्ट (प्रकट) करता हूँ। पर्यायवाची शब्दों द्वारा उसे कहता
हूँ, हेतु और दृष्टान्तों द्वारा हृदयंगम कराता हूँ; अर्थ, हेतु और
निमित्त सहित उस अर्थ को बार-बार बताता हूँ।”

(सुनो,) उस अर्थ को मैं कहता हूँ—“आयुष्मान् श्रमणो !
मैंने अपनी इच्छा से मानकर (मात्र रूपक के रूप में कल्पना कर)
इस लोक को पुष्करिणी कहा है।

कर्मं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से उदए बुद्धते,

हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी कल्पना से विचार करके कर्म को इस पुष्करिणी का जल कहा है ।

कामभोगा य खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से सेए ते बुद्धते,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी कल्पना से स्थिर करके काम-भोगों को पुष्करिणी का कीचड़ कहा है ।

जणं-जाणवयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! ते बहुवे पउमवरपुण्डरीभा बुद्धता,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी दृष्टि से चिन्तन करके आर्य देशों के मनुष्यों और जनपदों (देशों) को पुष्करिणी के बहुत से श्वेतकमल कहा है ।

रायाणं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से एगे महं पउमवरपौटरीए बुद्धते,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से अपने मन में निश्चित करके राजा को उस पुष्करिणी का एक महान् श्रेष्ठ श्वेतकमल (पुण्डरीक) कहा है ।

अन्नउत्थिया य खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! ते चत्तारि पुरिसजाता बुद्धता,

हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर अन्य-तीर्थिकों को उस पुष्करिणी के कीचड़ में फंसे हुए चार पुरुष बताया है ।

धम्मं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से भिक्खु बुद्धते,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी बुद्धि से चिन्तन करके धर्म को वह भिक्षु बताया है ।

धम्मतित्थं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से तीरे बुद्धए,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से अपने आप सोचकर धर्मतीर्थ को पुष्करिणी का तट बताया है ।

धम्मकहं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से सद्दे बुद्धते,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपनी आत्मा में निश्चित करके धर्मकथा को उस भिक्षु का वह शब्द (आवाज) कहा है ।

नेव्वाणं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से उप्पाते बुद्धते,

आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने अपने मन में स्थिर करके निर्वाण (समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष या सिद्धशिला स्थान) को श्रेष्ठ पुण्डरीक का पुष्करिणी से उठकर बाहर आना कहा है ।

एवमेयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउत्तो ! से एवमेयं बुद्धतं ।

(संक्षेप में) आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने इस (पूर्वोक्त) प्रकार से अपनी आत्मा में निश्चय करके (यत्किञ्चित् साधर्म्यं के कारण) इन पुष्करिणी आदि को इन लोक आदि के दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया है ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६४४-६४५

एगंतविट्ठी णिसेहो—

२८१. अणादीयं परिणाय,
अणवदग्गे ति या पुणो ।
जासतमसासते यावि,
इति विट्ठि न धारए ॥

एतेहिं दोहिं ठाणेहिं,
ववहारो ण विज्जती ।
एतेहिं दोहिं ठाणेहिं,
अणायारं तु जाणए ॥

एकान्त-दृष्टि निषेध—

२८१. "यह (चतुर्दशरज्ज्वात्मक एवं धर्माधर्मादिपद्मव्यरूप) लोक अनादि (आदि-रहित) और अनन्त है," यह जानकर विवेकी पुरुष यह लोक एकान्त नित्य (शाश्वत) है, अथवा एकान्त अनित्य (अशाश्वत) है; इस प्रकार की दृष्टि, एकान्त (आग्रहमयी बुद्धि) न रखे ।

इन दोनों (एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य) पक्षों (स्थानों) से व्यवहार (शास्त्रीय या लौकिक व्यवहार) चल नहीं सकता । अतः इन दोनों एकान्त पक्षों के आश्रय को अनाचार जानना चाहिए ।

समुच्छिज्जिहति सत्यारो,
सत्त्वे पाणा अणेलिसा ।
गंठीगा वा भविस्संति,
सासयं ति च णो वदे ॥

एएहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।
एएहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणई ॥

जे केति खुड्डगा पाणा,
अदुवा संति महालया ।
सरिसं तेहि वेरं ति,
असरिसं ति य णो वदे ॥

एतेहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जती ।
एतेहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥

अहाकडाइं भुंजंति,
अण्णमण्णे सकम्मणो ।
उवलित्ते ति जाणेज्जा,
अणुवलित्ते ति वा पुणो ॥

एतेहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जती ।
एतेहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥

जमिदं [उरालमाहारं,
कम्मगं च तमेव य ।
सत्त्वत्थ वीरियं अत्थि,
णत्थि सत्त्वत्थ वीरियं ॥

एतेहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जती ।
एतेहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥

णत्थि लोए अलोए वा, णेवं सण्णं निवेसए ।
अत्थि लोए अलोए वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

प्रशास्ता (शासनप्रवर्तक (तीर्थकर तथा उनके शासनानुगामी सभी भव्य जीव) एक दिन) भवोच्छेद (कालक्रम से मोक्षप्राप्ति कर लेंगे) । अथवा सभी जीव परस्पर विसदृश (एक समान नहीं) हैं, या सभी जीव कर्मग्रन्थि से वद्व (ग्रन्थिक) रहेंगे, अथवा सभी जीव शाश्वत (सदा स्थायी एकरूप) रहेंगे, अथवा तीर्थकर, सदैव शाश्वत (स्थायी) रहेंगे । इत्यादि एकान्त वचन नहीं बोलने चाहिए ।

क्योंकि इन दोनों (एकान्तमय) पक्षों से (शास्त्रीय या लौकिक) व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्तपक्षों के ग्रहण को अनाचार समझना चाहिए ।

(इस संसार में) जो (एकेन्द्रिय आदि) क्षुद्र (छोटे) प्राणी हैं, अथवा जो महाकाय (हाथी, ऊँट, मनुष्य आदि) प्राणी हैं, इन दोनों प्रकार के प्राणियों (की हिंसा से, दोनों) के साथ समान ही वैर होता है, अथवा समान वैर नहीं होता; ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

क्योंकि इन दोनों ("समान वैर होता है या समान वैर नहीं होता"); एकान्तमय वचनों से व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्त वचनों को अनाचार जानना चाहिए ।

आधाकर्म दोपयुक्त आहारादि का जो साधु उपभोग करते हैं, वे दोनों (आधाकर्मदोपयुक्त आहारादिदाता तथा उपभोक्ता) परस्पर अपने (पाप) कर्म से उपलिप्त होते हैं, अथवा उपलिप्त नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए ।

इन दोनों एकान्त मान्यताओं से व्यवहार नहीं चलता है, इसलिए इन दोनों एकान्त मन्तव्यों का आश्रय लेना अनाचार समझना चाहिए ।

यह जो (प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला) औदारिक शरीर है, आहारक शरीर है, और कामण शरीर है, तथैव वैक्रिय एवं तैजस् शरीर है; ये पांचों (सभी) शरीर एकान्ततः भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं) अथवा ये पांचों सर्वथा भिन्न-भिन्न ही हैं; ऐसे एकान्तवचन नहीं कहने चाहिए । तथा सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति (वीर्य) विद्यमान है, अथवा सब पदार्थों में सबकी शक्ति नहीं ही है; ऐसा एकान्तकथन भी नहीं करना चाहिए ।

क्योंकि इन दोनों प्रकार के एकान्त विचारों से व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्तमय विचारों का प्ररूपण करना अनाचार समझना चाहिए ।

लोक नहीं है या अलोक नहीं है, ऐसी संज्ञा (बुद्धि—समक्ष नहीं रखनी चाहिए अपितु) लोक है और अलोक (आकाशास्ति-कायमात्र) है, ऐसी संज्ञा रखनी चाहिए ।

जतिव जीवा अजीवा वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव जीवा अजीवा वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव धम्मे अधम्मे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव धम्मे अधम्मे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव वंघे व मोषणे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव वंघे व मोषणे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव पुण्णे व पावे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव पुण्णे व पावे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव आसवे संवरे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव आसवे संवरे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव वेपणा निज्जरा वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव वेपणा निज्जरा वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव किरिया अकिरिया वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव किरिया अकिरिया वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव कोहे व माणे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव कोहे व माणे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव माया व लोभे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव माया व लोभे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव पेज्जे व दोसे वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव पेज्जे व दोसे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव चाउरंते संसारे, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव चाउरंते संसारे, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव देवो व देवी वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव देवो व देवी वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव सिद्धी असिद्धी वा, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव सिद्धी असिद्धी वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव सिद्धो नियं टाणं, जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव सिद्धो नियं टाणं, एवं सण्णं निवेसए ॥

जतिव साहू असाहू वा जेवं सण्णं निवेसए ।
अतिव साहू असाहू वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

जीव और अजीव पदार्थ नहीं हैं, ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु जीव और अजीव पदार्थ हैं, ऐसी संज्ञा (बुद्धि) रखनी चाहिए ।

धर्म-अधर्म नहीं हैं, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, किन्तु धर्म भी है और अधर्म भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

बन्ध और मोक्ष नहीं हैं, यह नहीं मानना चाहिए, अपितु बन्ध है और मोक्ष भी है, यही श्रद्धा रखनी चाहिए ।

पुण्य और पाप नहीं हैं, ऐसी बुद्धि रखना उचित नहीं, अपितु पुण्य भी है और पाप भी है, ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए ।

आश्रव और संवर नहीं हैं, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अपितु आश्रव भी है और संवर भी है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

वेदना और निजंरा नहीं हैं, ऐसी मान्यता रखना ठीक नहीं है किन्तु वेदना और निजंरा है, यह मान्यता रखनी चाहिए ।

क्रिया और अक्रिया नहीं हैं, ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रिया भी है और अक्रिया भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

क्रोध और मान नहीं हैं, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, अपितु क्रोध भी है और मान भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

माया और लोभ नहीं हैं, इस प्रकार की मान्यता नहीं रखनी चाहिए, किन्तु माया है और लोभ भी है, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

राग और द्वेष नहीं हैं, ऐसी विचारणा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु राग और द्वेष हैं, ऐसी विचारणा रखनी चाहिए ।

चार गति वाला संसार नहीं है, ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अपितु चातुर्गतिक संसार (प्रत्यक्षसिद्ध) है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

देवी और देव नहीं हैं, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, अपितु देव-देवी हैं, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए ।

सिद्धि (मुक्ति) या असिद्धि (अमुक्तिरूप संसार) नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, अपितु सिद्धि भी है और असिद्धि (संसार) भी है, ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए ।

सिद्धि (मुक्ति) जीव का निज स्थान (सिद्धशिला) नहीं है, ऐसी खोटी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रत्युत सिद्धि जीव का निजस्थान है, ऐसा सिद्धान्त मानना चाहिए ।

(संसार में कोई) साधु नहीं है और असाधु नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रत्यक्ष साधु और असाधु दोनों हैं, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

नत्थि कल्लाणे पावे वा, णेवं सण्णं निवेसए ।
अत्थि कल्लाणे पावे वा, एव सण्णं निवेसए ॥

—सूय. सु. २, अ. ५, गा. १२-२८

पासत्थाइं वंदमाणस्स पसंसमाणस्स पायच्छित्तं—

२८२. जे भिक्खू पासत्थं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पासत्थं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ओसण्णं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ओसण्णं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कुसीलं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कुसीलं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू नितियं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू नितियं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू संसत्तं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू संसत्तं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू काहियं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू काहियं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पासणियं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पासणियं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भमायं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भमायं पसंसइ पसंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू संपसारयं वंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ।

कोई भी कल्याणवान और पापी नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु कल्याणवान् और पापी दोनों हैं ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

पार्श्वस्थादिवंदन-प्रशंसन प्रायश्चित्त—

२८२. जो भिक्षु पासत्थे को वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पासत्थे की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अवसन्न की वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अवसन्न की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कुशील को वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कुशील की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नित्यक की वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नित्यक की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु संसत्त को वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु संसत्त की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु देश आदि की कथा करने वाले को वन्दन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु देश आदि की कथा करने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नृत्यादि देखने वाले को वन्दन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नृत्यादि देखने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ये उपकरण मेरे ही हैं, ऐसा कहने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ये उपकरण मेरे ही हैं, ऐसा कहने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (असंयतों को) आरम्भ के कार्यों का निर्देशन करने वाले को वन्दना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे मिषू संपसारयं पसंसद पसंसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, नु. ४५-६२—(७७)

अण उतिययाणं मोक्खपरूवणा परिहारो य—

२८३. इहेगे मूढा पवदंति मोक्खं,

आहारसंपज्जणवज्जणं ।

एगे य सीतोदगसेवणेणं,

हुतेण एगे पवदंति मोक्खं ॥

पाओसिणाणादिमु णत्थि मोक्खो,

खारस्स लोणस्स अणासएणं ।

ते मज्ज मंसं समुणं च भोच्च,

अप्रत्य वासं परिकप्पयंति ॥

उदणेण जे सिद्धिमुदाहरंति,

सायं च पातं उदगं फुसंता ।

उदगस्स कासेण सिय य सिद्धी,

सिज्जिसु पाणा बहवे दगंसि ॥

मच्छा य कुम्मा य सिरोसिवा य,

मग्गु य उट्टा दगरक्खसा य ।

अट्टाणमेयं कुसला वदंति,

उदणेण जे सिद्धिमुदाहरंति ॥

उदगं जती कम्म मलं हरेज्जा,

एयं सुहं इच्छामेत्तता वा ।

अंधच्च णेयारमणुस्सरित्ता,

पाणाणि च्चं विणिहंति मंदा ॥

पावाहं कम्माहं पकुच्चतो हि,

सिओदगं तु जइ तं हरेज्जा ।

सिज्जिसु एगे दगसत्तघाती,

मुसं वयंते जलसिद्धिमाहु ॥

हुतेण जे सिद्धिमुदाहरंति,

सायं च पातं अगणि फुसंता ।

जो मिषू (असंयतों को) आरम्भ के कार्यों का निर्देशन करने वाले की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह मिषू गुरु चातुर्मासिक परिहार प्रायश्चित्त स्थान का पात्र होता है ।

अन्यतीर्थियों की मोक्ष प्ररूपणा और उसका परिहार—

२८३. इस जगत् में अथवा मोक्षप्राप्ति के विषय में कई मूढ़ इस प्रवाद का प्रतिपादन करते हैं कि आहार का रस-पोषक-नमक खाना छोड़ देने से मोक्ष प्राप्त होता है, और कई शीतल (कच्चे जल के सेवन से) तथा कई (अग्नि में घृतादि द्रव्यों का) हवन करने से मोक्ष (की प्राप्ति) बतलाते हैं ।

प्रातःकाल में स्नानादि से मोक्ष नहीं होता, न ही द्वार (खार) या नमक न खाने से मोक्ष होता है । वे (अन्यतीर्थी मोक्षवादी) मद्य मांस और लहसुन खाकर मोक्ष-अन्यत्र (संसार में) अपना निवास बना लेते हैं ।

सायंकाल और प्रातःकाल जल का स्पर्श (स्नानादि क्रिया के द्वारा) करते हुए जो जल स्नान से सिद्धि (मोक्ष प्राप्ति) बतलाते हैं, (वे मिथ्यावादी हैं) । यदि जल के (बार-बार) स्पर्श से मुक्ति (सिद्धि) मिलती तो जल में रहने वाले बहुत-से जलचर प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेते ।

(यदि जलस्पर्श से मोक्ष प्राप्ति होती तो) मत्स्य, कच्छप, सरीसृप (जलचर सर्प), महग तथा उष्ट्र नामक जलचर और जलराक्षस (मानवाकृति जलचर) आदि जलजन्तु सबसे पहले मुक्ति प्राप्त कर लेते, परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः जो जल-स्पर्श से मोक्षप्राप्ति (सिद्धि) बताते हैं, मोक्षतत्व पारंगत (कुशल) पुरुष उनके इस कथन को अयुक्त कहते हैं ।

जल यदि कर्म-मल का हरण-नाश कर लेता है, तो वह इसी तरह शुभ-पुण्य का भी हरण कर लेगा (अतः जल कर्म-मल हरण कर लेता है, यह कथन) इच्छा (कल्पना) मात्र है । मन्दबुद्धि लोग अज्ञानान्ध नेता का अनुसरण करके इस प्रकार (जलस्नान आदि क्रियाओं) से प्राणियों का घात करते हैं ।

यदि पापकर्म करने वाले व्यक्ति के उस पाप को शीतल (सचित्त) जल (जल स्नानादि) हरण कर ले तब तो कई जल जन्तुओं का घात करने वाले (मछुए आदि) भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे । इसलिए जो जल (स्नान आदि) से सिद्धि (मोक्ष प्राप्ति) बतलाते हैं, वे मिथ्यावादी हैं ।

सायंकाल और प्रातःकाल अग्नि का स्पर्श करते हुए जो लोग (अग्निहोत्रादि कर्मकाण्डी) अग्नि में होम करने से सिद्धि (मोक्षप्राप्ति या सुगतिगमनरूप स्वर्गप्राप्ति) बतलाते हैं, वे भी

एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा,
अर्गाणि फुसंताण कुकम्मिणं पि ॥

अपरिक्ख विट्ठं ण हु एव सिद्धी,
एहिंति ते घातमवुज्जमाणा ।
भूतेहि जाण पडिलेह सातं,
विज्जं गहाय तस-थावरेहि ॥

थणंति लुप्पंति तसंति कम्मो,
पुढो जगा परिसंखाय भिक्खू ।
तम्हा विट्ठ विरते आयगुत्ते,
वट्ठुं तसे य पडिसाहरेज्जा ॥
—सूय. सु. १, अ. ७, गा. १२-२०

अण्णत्तिथियाणं पररूपणा परिहारो य—

२८४. तमेव [अविजाणंता,
अबुद्धा बुद्धमाणिणो ।
बुद्धा मो त्ति य मण्णंता,
अंतए ते समाहिए ॥
ते य बीओदगं चेव,
तमुट्ठिस्सा य जं कडं ।
भोच्चा ज्ञाणं क्षियार्यंति,
अखेतण्णा असमाहिता ॥
जहा ढंका य कंका य, कुलला मग्गुका सिही ।
मच्छेसणं क्षियार्यंति, ज्ञाणं ते कलुसाधमं ॥
एवं तु समणा एगे,
मिच्छहिट्ठी अणारिया ।
विसएसणं क्षियार्यंति,
कंका वा कलुसाहमा ॥
—सूय. सु. १, अ. ११, गा. २५-२८

मोक्ख विसारस्स उवएसो—

२८५. अह ते परिभासेज्जा भिक्खू मोक्खविसारए ।
एवं तुब्भे पमासेता दुपक्खं चेव सेवहा ॥

मिथ्यावादी हैं। यदि इस प्रकार (अग्निस्पर्श से या अग्निकायं करने) से सिद्धि मिलती हो, तब तो अग्नि का स्पर्श करने वाले (हलवाई, रसोइया, कुम्भकार, लुहार, स्वर्णकार आदि) कुकर्मियों (आरम्भ करने वालों, आग जलाने वालों) को भी सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए।

जलस्नान और अग्निहोत्र क्रियाओं से सिद्धि मानने वाले लोगों ने परीक्षा किये बिना ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार सिद्धि नहीं मिलती। वस्तुतत्त्व के बोध से रहित वे लोग घात (संसार भ्रमणरूप अपना विनाश) प्राप्त करेंगे। अध्यात्मविद्यावान् (सम्यग्ज्ञानी) यथार्थ वस्तुस्वरूप का ग्रहण (स्वीकार) करके यह विचार करे कि त्रस और स्थावर प्राणियों के घात से उन्हें सुख कैसे होगा? यह (भलीभाँति) समझ ले।

पापकर्म करने वाले प्राणी पृथक्-पृथक् रुदन करते हैं, (तलवार आदि के द्वारा) छेदन किये जाते हैं, त्रास पाते हैं। यह जानकर विद्वान् भिक्षु पाप से विरत होकर आत्मा का रक्षक (गोप्ता या मन-वचन-काय-गुप्ति से युक्त) बने। वह त्रस और स्थावर प्राणियों को भलीभाँति जानकर उनके घात की क्रिया से निवृत्त हो जाय।

अन्यतीर्थियों की प्ररूपणा और परिहार—

२८४. उसी (प्रतिपूर्ण अनुपम निर्वाणमार्गरूप धर्म) को नहीं जानते हुए अविवेकी (अबुद्ध) होकर भी स्वयं को पण्डित मानने वाले अन्यतीर्थिक हम ही धर्म तत्व का प्रतिबोध पाए हुए हैं यों मानते हुए सम्यग्दर्शनादिरूप भाव समाधि से दूर हैं।

वे (अन्यतीर्थिक) बीज और सचित्त जल का तथा उनके उद्देश्य (निमित्त) से जो आहार बना है, उसका उपभोग करके (आर्त) ध्यान करते हैं, क्योंकि वे अखेदज्ञ (उन प्राणियों के खेद-पीड़ा से अनभिज्ञ या धर्म ज्ञान में अनिपुण) और असमाधियुक्त हैं।

जैसे ढंक, कंक, कुरर, जलमुर्गा और शिखी नामक जलचर पक्षी मछली को पकड़कर निगल जाने का बुरा विचार (कुध्यान) करते हैं, उनका वह ध्यान पापरूप एवं अधम होता है।

इसी प्रकार कई तथाकथित मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य भ्रमण विषयों की प्राप्ति (अन्वेपणा) का ही ध्यान करते हैं, अतः वे भी ढंक, कंक आदि प्राणियों की तरह पाप भावों से युक्त एवं अधम हैं।

मोक्ष विशारद का उपदेश—

२८५. इसके पश्चात् मोक्षविशारद (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप मोक्ष की प्ररूपणा करने में निपुण) साधु उन (अन्यतीर्थिकों) से (इस प्रकार) कहे कि यों कहते (आक्षेप करते हुए) आप लोग दुष्पक्ष (मिथ्या पक्ष) का सेवन करते (आश्रय लेते) हैं।

तुभ्ये भुंजह पाएसु,
गिलाणा अभिहडं ति य ।
तं च बीभोदगं भोच्चा,
तमुद्देसादि जं कडं ॥

लित्ता तिच्चाभितावेण,
उज्जया असमाहिया ।
नातिकंडुइतं सेयं,
अरुयस्सावरज्जती ॥

तत्तेण अणुसिट्ठा,
ते अपडिण्णेण जाणया ।
ण एस गियए मग्गे,
असमिक्खा वई कित्ती ॥

एरिसा जा वई एसा,
अग्गे वेणु व्व करिसिता ।
गिहिणो अभिहडं सेयं,
भुंजितुं न तु भिक्खुणो ॥

धम्मपण्णवणा जा सा,
सारंभाण विसोहिया ।
न तु एताहिं विट्ठीहिं,
पुच्चमासि पकप्पियं ॥

सच्चाहिं अणुजुत्तीहिं अचयंता जवित्तए ।
ततो वायं गिराकिच्चा ते भुज्जो वि पणम्मिता ॥

रागदोसाभिभूतप्पा
मिच्छत्तेण अभिदुक्ता ।
अक्कोसे सरणं जंतिं,
टंकणा इव पच्चयं ॥

वहुगुणुप्पगप्पाइं
कुज्जा अत्तसमाहिए ।
जेणऽण्णो ण विरुज्जेज्जा,
तेणं तं तं समापरे ॥

आप सन्त लोग (गृहस्थ के कांसा, तांवा आदि धातु के) पात्रों में भोजन करते हैं, रोगी सन्त के लिए गृहस्थों से (अपने स्थान पर) भोजन मंगवा कर लेते हैं, तथा आप बीज और सचित्त (कच्चे) जल का उपभोग करते हैं एवं जो आहार किसी सन्त के निमित्त (उद्देश्य) से बना है उस औद्देशिक आदि दोषयुक्त आहार का सेवन करते हैं ।

आप लोग तीव्र कपायों अथवा तीव्र बन्ध वाले कर्मों से लिप्त (सद्विवेक से—) रहित तथा समाधि (शुभ अध्यवसाय) से रहित हैं । (अतः हमारी राय में) घाव (व्रण) का अधिक खुजलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे दोष (विकार) उत्पन्न होता है ।

जो प्रतिकूल ज्ञाता नहीं है अथवा जिसे मिथ्या (विपरीत) अर्थ बताने की प्रतिज्ञा नहीं है, तथा जो हेय-उपादेय का ज्ञाता साधु है, उसके द्वारा उन (आलोपकर्ता अन्य दर्शनियों) को सत्य (तत्त्व वास्तविक) बात की शिक्षा दी जाती है कि यह (आप लोगों द्वारा स्वीकृत) मार्ग (निन्दा का रास्ता) नियत (युक्ति संगत) नहीं है, आपने सुविहित साधुओं के लिए जो (आलोपात्मक) बचन कहा है, वह विना विचार के कहा है, तथा आप लोगों का आचार भी विवेकशून्य है ।

आपका यह जो कथन है कि साधु को गृहस्थ द्वारा लाये हुए आहार का उपयोग (सेवन) करना श्रेयस्कर है, किन्तु साधु के द्वारा लाये हुए का नहीं, यह बात वाँस के अग्रभाग की तरह कमजोर है, (वजनदार नहीं है ।)

(साधुओं को दान आदि देकर उपकार करना चाहिए), यह जो धर्म-अज्ञापना (धर्म-देगना) है, वह आरम्भ-समारम्भयुक्त गृहस्थों की विगुद्धि करने वाली है, साधुओं की नहीं, इन दृष्टियों से (सर्वज्ञों ने) पूर्वकाल में यह प्ररूपणा नहीं की थी ।

समग्र युक्तियों से अपने पक्ष की सिद्धि (स्थापना) करने में असमर्थ वे अन्यतीर्थी तब वाद को छोड़कर फिर अपने पक्ष की स्थापना करने की धृष्टता करते हैं ।

राग और द्वेष से जिनकी आत्मा दबी हुई है, जो व्यक्ति मिथ्यात्व से ओत-प्रोत हैं, वे अन्यतीर्थी शास्त्रार्थ में हार जाने पर आक्रोश (गाली या अपशब्द आदि) का आश्रय लेते हैं । जैसे (पहाड़ पर रहने वाले) टंकणजाति के म्लेच्छ (युद्ध में हार जाने पर) पर्वत का ही आश्रय लेते हैं ।

जिसकी चित्तवृत्ति समाधि (प्रसन्नता या कपालोपशान्ति) से युक्त है, वह मुनि, (अन्यतीर्थी) के साथ विवाद के समय) अनेक गुण निष्पन्न हो, जिससे इस प्रकार का अनुष्ठान करे और दूसरा कोई व्यक्ति अपना विरोधी न बने ।

इमं च धम्ममादाय कासवेण पवेइयं ।

कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स अगिलाए समाहिते ॥

—सू. सु. १, अ. ३, उ. ३, गा. ११-२०

णिब्वाणमेव साहेज्जं—

२८६. णेब्वाणपरमा बुद्धा,
णक्खत्ताणं व चंदिमा ।

तम्हा सया जते दंते,
निब्वाणं संघते मुणी ॥

—सू. सु. १, अ. ११ गा. २२

मोक्खमग्गे अपमत्तगमणोवएसो—

२८७. नं हू जिणे अज्ज विस्सई, बहुमए विस्सई मग्गवेसिए ।
संपइ नेयाउए पहे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अवसोहिय कण्टगापहं, ओइण्णो सि पहं महालयं ।
गच्छसि मग्गं विसोहिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेज्जगाहिया ।
पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

तिण्णो हू सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्त. अ. १०, गा. ३१-३४

णिब्वाणमूलं सम्मद्दंसणं—

२८८. नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भइयव्वं ।
सम्मत्तचरित्ताइं , जुगवं पुक्खं व सम्मत्तं ॥

नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निब्वाणं ॥

—उत्त. अ. २८, गा. २६-३०

पहाणा मोक्खमग्गा—

२८९. अच्चन्तकालस्स समूलगस्स,
सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।

तं भासओ मे पडिपुण्णचित्ता,
सुणेह एग्गहियं हियत्थं ॥

काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कहे हुए इस धर्म को स्वीकार करके समाधियुक्त भिक्षु रुग्ण साधु की सेवा (वैयावृत्य) ग्लानि रहित होकर करे ।

निर्वाण ही साध्य है—

२८६. जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा प्रधान है, वैसे ही निर्वाण को ही प्रधान (परम) मानने वाले (परलोकार्थी) तत्त्वज्ञ साधकों के लिए (स्वर्ग, चक्रवर्तित्व, धन आदि को छोड़कर) निर्वाण ही सर्वश्रेष्ठ (परम पद) है । इसलिए मुनि सदा दान्त (मन और इन्द्रियों का विजेता) और यत्नशील (यतनाचारी) होकर निर्वाण के साथ ही-सन्धान करे, (प्रवृत्ति करे) ।

मोक्ष मार्ग में अप्रमत्त भाव से गमन का उपदेश—

२८७. “आज जिन नहीं दीख रहे हैं, जो मार्ग-दर्शक हैं वे एक-मत नहीं है”—अगली पीढ़ियों को इस कठिनाई का अनुभव होगा, किन्तु अभी मेरी उपस्थिति में तुझे पार ले जाने वाला (न्यायपूर्ण) पथ प्राप्त है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

कांटों से भरे मार्ग को छोड़कर तू विशाल-पथ पर चला आया है । दृढ़ निश्चय के साथ उसी मार्ग पर चल । हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

बलहीन भार-वाहक की भांति तू विषम-मार्ग में मत चले जाना । विषम-मार्ग में जाने वाले को पछतावा होता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

तू इस महान् समुद्र को तैर गया, अब तीर के निकट पहुँच कर क्यों खड़ा है ? उसके पार जाने के लिए जल्दी कर । हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

निर्वाण का मूल सम्यग्-दर्शन

२८८. सम्यक्त्व-विहीन चारित्र नहीं होता । दर्शन (सम्यक्त्व) में चारित्र की भजना (विकल्प) है । सम्यक्त्व और चारित्र युगपत् (एक साथ) उत्पन्न होते हैं और जहाँ वे युगपत् उत्पन्न नहीं होते, वहाँ पहले सम्यक्त्व होता है ।

अदर्शनी (असम्यक्त्वी) के ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र-गुण नहीं होते । अगुणी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती । अमुक्त का निर्वाण नहीं होता ।

प्रधान मोक्षमार्ग—

२८९. अनादि-कालीन सब दुःखों और उनके कारणों (कषाय आदि) के मोक्ष का जो उपाय है वह मैं कह रहा हूँ । वह एकांत-हित (ध्यान के लिए हितकर) है, अतः तुम प्रतिपूर्ण चित्त होकर हित (मोक्ष) के लिए सुनो ।

नाणस्त सन्वस्त पगासणाए,
 अन्नाणमोहस्त विवज्जणाए ।
 रागस्त दोसस्त यं संखएणं,
 एगन्तसोवखं समुवेइ मोवखं ॥
 तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा,
 विवज्जणा बालजणस्त वूरा ।
 "सज्जायएगन्तनिसेवणा य",
 सुत्तय-संचिन्तणया धिई य ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १-३

उम्मगपट्टाणं निरयगमणं—

२९०. सुद्धं मगं विराहिता, इहमेगे उ दुम्मती ।
 उम्मगगता दुवखं, धंतमेसति ते तथा ॥

जहा आसाविणि नावं, जातिवं . दुरुहिया ।
 इच्छती पारमागंतुं, अंतरा य विसीयती ॥

एवं तु समणा एगे, मिच्छद्विद्धी अणारिया ।
 सोयं कसिणमावणा, आगंतरो महम्मयं ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, सु. २६-३१

णिट्वाण साहणा—

२९१. इमं च धम्ममादाय,
 कासवेण पवेदितं ।

तरे सोयं महाघोरं,
 अत्ताए परिव्वए ॥

विरते गामधम्मेहि,
 जे केइ जगती जगा ।

तेसि अत्तुवमायाए,
 थामं कुव्वं परिव्वए ॥

अतिमाणं च मायं च,
 तं परिण्णाय पंडिते ।

सग्गमेय निराकिच्चा,
 निट्वाणं संघए मुणी ॥

संघते साहुधम्मं च,
 पावं धम्मं गिराकरे ।

उवघाणवीरिए भिक्खू,
 कोहं माणं न पत्थए ॥

सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है ।

गुरु और वृद्धों (स्थविर मुनियों) की सेवा करना, अज्ञानी-जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन करना तथा धैर्य रखना, यह मोक्ष का मार्ग है ।

उन्मार्ग से गमन करने वालों की नरकगति—

२९०. इस जगत् में कई दुर्बुद्धि व्यक्ति तो शुद्ध (निर्वाण रूप) भावमार्ग की विराधना करके उन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं । वे अपने लिए दुःख तथा अनेक वार घात (विनाश-मरण) चाहते हैं या ढूंढते हैं ।

जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छिद्र वाली नौका पर चढ़कर नदी पार जाना चाहता है, परन्तु वह बीच (मझघार) में ही डूब जाता है ।

इसी तरह कई मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमण कर्मों के आश्रय रूप पूर्ण भाव स्रोत में डूबे हुए होते हैं । उन्हें अन्त में नरकादि दुःख रूप महाभय पाना पड़ेगा ।

निर्वाण मार्ग की साधना—

२९१. काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस धर्म को ग्रहण (स्वीकार) करके शुद्ध मार्ग साधक साधु महाघोर (जन्म-मरणादि दीर्घकालिक दुःखपूर्ण) संसार सागर] को पार करे तथा आत्मरक्षा के लिए संयम में पराक्रम करे ।

साधु ग्राम धर्मों (शब्दादि विषयों) से निवृत्त (विरत) होकर जगत् में जो कोई (जीवितार्थी) प्राणी है, उन सुखप्रिय प्राणियों को आत्मवत् समझकर उन्हें दुःख न पहुँचाए, उनकी रक्षा के लिए पराक्रम करता हुआ संयम पालन में प्रगति करे ।

पण्डित मुनि अति-(चारित्र्य विघातक) मान और माया (तथा अति लोभ और क्रोध) को (संसारवृद्धि का कारण) जानकर इस समस्त कपाय समूह का निवारण करके निर्वाण (मोक्ष) के साथ आत्मा का सन्धान करे अथवा मोक्ष अन्वेपण करे ।

(मोक्ष मार्ग परायण) साधु क्षमा आदि दशविध श्रमण धर्म अथवा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप उत्तम धर्म के साथ मन-वचन-काया को जोड़े अथवा उत्तर धर्म में वृद्धि करे । तथा जो पाप-धर्म है उसका निवारण करे । भिक्षु तपश्चरण (उपधान) में पूरी शक्ति लगाए तथा क्रोध और अभिमान को जरा भी सफल न होने दे ।

जे य बुद्धा अतिक्कंता,
जे य बुद्धा अणागता ।
संति तैसि पतिट्ठाणं,
भूयाणं जगती जहा ॥

अह णं वतमावण्णं,
फासा उच्चावथा फुसे ।
ण तेषु विणिहण्णज्जा,
वातेणव महागिरी ॥

संवुडे से महापण्णे,
धीरे वनेसणं चरे ।
निव्वुडे कालमाकंखी,
एवं केवल्लिणो मयं ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. ३२-३८

सुमग्ग-उम्मग्ग सख्वं—

२६२. कुप्पहा बहवो लोए, जेहि नासन्ति जंतवो ।
अद्धाणे कह वट्टन्ते, तं न नस्ससि गोयमा ॥
जे य मग्गेण गच्छन्ति, जे य उम्मग्गपट्टिया ।
ते सब्बे विइया मज्जे, तो न नस्सामहं मुणी ॥
मग्गे य इइ के वुत्ते ? केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेव बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥
कुप्पवयण - पासण्डी, सब्बे उम्मग्गपट्टिया ।
सम्मग्गं तु जिणवखायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥

—उत्त. अ. २३, गा. ६०-६३

मोक्खमग्ग जिण्णासा—

२६३. कयरे मग्गे अक्खाते, माहणेण मतीमता ।
जं मग्गं उज्जु पावित्ता, ओहं तरति दुत्तरं ॥

तं मग्गं अणुत्तरं बुद्धं, सव्वदुक्खविमोक्खणं ।
जाणासि णं जहा भिक्खु, तं णे ब्रूहि महामुणी ॥

जइ णे केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा ।
तैसि तु कतरं मग्गं, आइक्खेज्ज कहाहि णे ॥

जइ वो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा ।
तैसिमं पडिसाहेज्जा, मग्गसारं सुणेह मे ॥

जो बुद्ध (केवलज्ञानी) अतीत में हो चुके हैं, और जो बुद्ध भविष्य में होंगे, उन सबका आधार (प्रतिष्ठान) शान्ति ही (कषाय-मुक्ति या मोक्ष रूप भाव मार्ग) है, जैसे कि प्राणियों का जगती (पृथ्वी) आधार है ।

अनगर धर्म स्वीकार करने के पश्चात् साधु नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल परीपह और उपसर्ग स्पर्श करे तो साधु उनसे जरा भी विचलित न हो, जैसे कि महावात से महागिरिवर भेरु कमी विचलित नहीं होता ।

आश्रवद्वारों का निरोध (संवर) किया हुआ वह महाप्रज्ञ धीर साधु दूसरे (गृहस्थ) के द्वारा दिया हुआ एपणीय-कल्पनीय आहार ही ग्रहण (सेवन) करे । तथा शान्त (उपशान्त कषायः निवृत्त) रहकर (अगर काल का अवसर आए तो) काल (पण्डित-मरण या समाधिमरण) की आकांक्षा (प्रतीक्षा) करे, यही केवली भगवान् का मत है ।

सन्मार्ग-उन्मार्ग का स्वरूप—

२६२. "गौतम ! लोक में कुमार्ग बहुत हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं । मार्ग पर चलते हुए तुम क्यों नहीं भटकते हो ?"

"जो सन्मार्ग से चलते हैं और जो उन्मार्ग से चलते हैं, उन सबको मैं जानता हूँ । अतः हे मुने ! मैं नहीं भटकता हूँ ।"

"मार्ग किसे कहते हैं ?" केशी ने गौतम को कहा ।

केशी के पूछने पर गौतम ने यह कहा—

"मिथ्या प्रवचन को मानने वाले सभी पापण्डी—व्रती लोग उन्मार्ग पर चलते हैं । सन्मार्ग तो जिनोपदिष्ट है, और यही उत्तम मार्ग है ।"

मोक्षमार्ग जिज्ञासा—

२६३. अहिंसा के परम उपदेष्टा (महामाहन) केवलज्ञानी (विशुद्ध मतिमान) भगवान महावीर ने कौन सा मोक्षमार्ग बताया है ? जिस सरल मार्ग को पाकर दुस्तर संसार (ओघ) को मनुष्य पार करता है ?

हे महामुने ! सब दुःखों से मुक्त करने वाले शुद्ध और अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) उस मार्ग को आप जैसे जानते हैं, (कृपया) वह हमें बताइये ।

यदि कोई देव अथवा मनुष्य हमसे पूछे तो हम उनको कौन सा मार्ग बताएँ ? (कृपया) यह हमें बताइये ।

यदि कोई देव या मनुष्य तुमसे पूछे तो उन्हें यह (आगे कहा जाने वाला) मार्ग बतलाना चाहिए । यह साररूप मार्ग तुम मुझसे सुनो ।

अणुपुच्छेण महाघोरं, कासवेण पवेदियं ।
जमादाय इओ पुब्बं, समुद्धं व ववहारिणो ॥

अतरिसु तरत्तेगे, तरिस्संति अणागता ।
तं सोच्चा पडिबबलामि, जंतवो तं सुणेह मे ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १-६

निव्वाण-मार्ग—

२६४. उद्धं अहे तिरियं च, जे केइ तस-थावरा ।
सव्वत्य विरतिं कुज्जा, संति निव्वाणमाहियं ॥

पम्प बोसे निराकिच्चा, ण विरुज्जेज्ज केणइ ।
मणसा वयसा च्चव, कायसा च्चव अंतसो ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. ११-१२

अणुत्तर णाण-दंसणं—

२६५. जमतीतं पटुप्पणं, आगामिस्सं च णायगो ।
सव्वं मण्णति तं तातो, दंसणावरणंतए ॥

अंतए विरतिंगिष्ठाए, रे जाणति अणेत्तिसं ।
अणेत्तिसस्स अब्खाया, ण से होति तहि तहि ॥

—सूय. सु. १, अ. १५, गा. १-२

मेत्ति भावणा—

२६६. (क) तहि तहि सुयबखायं, से य सच्चे सुयाहिए ।
सदा सच्चेण संपण्णे, मेत्ति भूतेहि कप्पते ॥

भूतेहि न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे वुसीमओ ।
वुसीमं जगं परिण्णाय, अस्सि जीवितभावणा ॥

भावणाजोगसुट्ठप्पा, जले णावा व आहिया ।
णावा व तीरसंपत्ता, सव्ववुबखा तिउट्ठति ॥

—सूय. सु. १, अ. १५, गा. १-५

काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् द्वारा प्रतिपादित उस अति-कठिन मार्ग को मैं क्रमशः बताता हूँ। जैसे समुद्र मार्ग से विदेश में व्यापार करने वाले व्यापारी समुद्र को पार कर लेते हैं, वैसे ही इस मार्ग का आश्रय लेकर इससे पूर्व बहुत से-जीवों ने संसार-सागर को पार किया है।

वर्तमान में कई भव्य जीव पार करते हैं, एवं भविष्य में भी बहुत से जीव इसे पार करेंगे। उस भावमार्ग को मैंने तीर्थंकर महावीर से सुनकर (जैसा समझा है) उस रूप में मैं आप (जिज्ञासुओं) को कहूँगा। हे जिज्ञासुजीवों! उस मार्ग (सम्बन्धी वर्णन को आप मुझसे सुने।

निर्वाण-मार्ग—

२६४. ऊपर, नीचे और तिरछे (लोक में) जो कोई त्रस और स्थावर जीव हैं, सर्वत्र उन सबकी हिंसा से विरति (निवृत्ति) करना चाहिए। (इस प्रकार) जीव को शान्तिमय निर्वाण-भोक्ष (की प्राप्ति कही गई) है।

इन्द्रियविजेता साधक दोषों का निवारण करके किसी भी प्राणी के साथ जीवनपर्यन्त मन से, वचन से या काया से वैर विरोध न करें।

अनुत्तरज्ञान दर्शन—

२६५. जो पदार्थ (अतीत में) हो चुके हैं, जो पदार्थ वर्तमान में विद्यमान हैं और जो पदार्थ भविष्य में होने वाले हैं, उन सबको दर्शनावरणीय कर्म का सर्वथा अन्त करने वाले जीवों के त्राता-रक्षक, धर्मनायक तीर्थंकर जानते-देखते हैं।

जिसने विचिकित्सा (संशय) का सर्वथा अन्त (नाश) कर दिया है, वह (घातिचतुष्टय का क्षय करने के कारण) अतुल (अप्रतिम) ज्ञानवान् है। जो पुरुष सबसे बढ़कर वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन करने वाला है, वह उन-उन (वीद्वादि दर्शनों) में नहीं होता।

मैत्री भावना—

२६६. (क) (तीर्थंकरदेव ने) उन-उन (आगमादि स्थानों) में जो (जीवादि पदार्थों का) अच्छी तरह से कथन किया है, वही सत्य है और वही सुभाषित (स्वाख्यात) है। अतः सदा सत्य से सम्पन्न होकर प्राणियों के साथ मैत्री भावना रखनी चाहिए।

प्राणियों के साथ वैर-विरोध न करें, यही तीर्थंकरों का या सुसंयमी का धर्म है। कुसंयमी साधु जगत् का स्वरूप सम्यक् रूप से जानकर इस वीतराग-प्रतिपादित धर्म में जीवित भावना करे।

भावनाओं के योग से जिसका अन्तरात्मा शुद्ध हो गया है, उसकी स्थिति जल में नौका के समान कही गई है। किनारे पर पहुँची हुई नौका, विश्राम करती है, वैसे ही भावना योग साधक भी संसार-समुद्र के तट पर पहुँचकर समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है।

(ख) जं च मे पृच्छसी काले, सम्मं सुद्धेण चेषसा ।
ताहं पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिणसासणे ॥

किरियं च रोयए धीरे, अकिरियं परिवज्जए ।
दिद्धीए दिट्ठिसम्पन्ने, धम्मं चर सुवुच्चरं ॥

एयं पुण्णपयं सोऊचा, अत्थ-धम्मोवसोहियं ।
भरहो वि भारहं वासं, चेच्चा कामाई पव्वए ॥

सगरो वि सागरन्तं, भरहवासं नराहिवो ।
इस्सरियं केवलं हिच्चा, दयाए परिनिव्वुडे ॥

चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्ठी महिड्ढिओ ।
पव्वज्जमब्भुवगओ , मधवं नाम महाजसो ॥

सणंकुमारो मणुस्सिन्दो, चक्कवट्ठी महिड्ढिओ ।
पुत्तं रज्जे ठवित्ताणं, सो वि राया तवं चरे ॥

चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्ठी महिड्ढिओ ।
सन्ती सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

इक्खागरायवसमो , कुन्थु नाम नराहिवो ।
विक्खायकित्ती धिइमं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

सागरन्तं जहित्ताणं, भरहं नरवरीसरो ।
अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्ठी नराहिवो ।
चइत्ता उत्तमे भोए, महापउमे तवं चरे ॥

एगच्छत्तं पसाहित्ता, महि माणनिसूरणो ।
हरिसेणो मणुस्सिन्दो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

अन्निओ र.यसहस्सेहि सुपरिच्चाई दमं चरे ।
जयनागो ।जणक्खायं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

दसण्णरज्जं मुइयं, चइत्ताण मुणी चरे ।
दसणभट्ठो निक्खन्तो, सक्खं सक्केण चोइओ ॥

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ ।
चइत्तण गेहं वइवेही, सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥

करकण्डू कलिगेसु, पंचालेसु य दुम्भुहो ।
नमी राया विदेहेसु, गन्धारेसु य नग्गई ॥

(ख) ' जो तुम मुझे सम्यक् शुद्ध चित्त से काल के विषय में पूछ रहे हो, उसे बुद्ध—सर्वज्ञ ने प्रकट किया है । अतः वह ज्ञान जिनशासन में विद्यमान है ।'

“धीर पुरुष क्रिया में रुचि रखे और अक्रिया का त्याग करे । सम्यक्दृष्टि से दृष्टिसम्पन्न होकर तुम दुश्चर धर्म का आचरण करो ।”

“अर्थे आरं धर्म से उपशोभित इस पुण्यपद (पवित्र उपदेश वचन) को सुनकर भरत चक्रवर्ती भारतवर्ष और कामभोगादि का परित्याग कर प्रव्रजित हुए थे ।”

“नराधिप सागर चक्रवर्ती सागर-पर्यन्त भारतवर्ष एवं पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर दया—अर्थात् संयम की साधना से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।”

“महान् ऋद्धि-सम्पन्न महान यशस्वी मधवा नामक चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर प्रव्रज्या स्वीकार की ।”

“महान् ऋद्धि-सम्पन्न, मनुष्येन्द्र सनत्कुमार चक्रवर्ती ने पुत्र को राज्य पर स्थापित कर तप का आचरण किया ।”

“महान् ऋद्धि-सम्पन्न और लोक में शान्ति करने वाले शान्तिनाथ चक्रवर्ती ने भारतवर्ष को छोड़कर अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

“इक्वाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, विख्यातकीर्ति, धृतिमान् कुन्थुनाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

“सागरपर्यन्त भारतवर्ष को छोड़कर, कर्म-रज को दूर करके नरेश्वरों में श्रेष्ठ ‘अर’ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

“भारतवर्ष को छोड़कर, उत्तम भोगों को त्यागकर ‘महा-पद्म चक्रवर्ती ने तप का आचरण किया ।”

“शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले हरिपेण चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एकछत्र शासन करके फिर अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

“हजार राजाओं के साथ श्रेष्ठ त्पागी जय चक्रवर्ती ने राज्य का परित्याग कर जिन-भाषित दम (संयम) का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की ।”

“साक्षात् देवेन्द्र से प्रेरित होकर दशार्ण-भद्र राजा ने अपने सब प्रकार से प्रमुदित दशार्ण राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली और मुनि-धर्म का आचरण किया ।”

“साक्षात् देवेन्द्र से प्रेरित होने पर भी विदेह के राजा नमि श्रामण्य धर्म में भलि-भाति स्थिर हुए और अपने को अति नम्र बनाया ।”

“कलिग में करकण्डू, पांचाल में द्विमुख, विदेह में नमि राजा और गन्धार में नग्गति—

एए नरिन्दवसमा, निषखन्ता जिणसासणे ।
पुत्ते रज्जे ठवित्ताणं, सामण्णे पज्जुवट्टिया ॥

सोवीररायवसभो , चेच्चा रज्जं मुणो चरे ।
उद्दायणो पव्वइभो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥

तहेव कासीराया, वि सेओ-सच्चपरक्कमे ।
कामभोगे परिच्चज्ज, पहणे कम्ममहावणं ॥

तहेव विजओ राया, अणट्टाकित्ति पव्वए ।
रज्जं तु गुणसमिद्धं, पयहित्तु महाजसो ॥
तहेवुगं तवं किच्चा, अच्चविखत्तेण चेतसा ।
महावलो रायरिसी, अद्दाय सिरसा सिरं ॥

कहं धीरो अहेऊहिं, उम्मत्तो व माहिं चरे ?
एए विसेसमादाय, सूरा बडपरक्कमा ॥

अच्चन्तनिपाणखमा , सच्चा मे भासिया वई ।
अतरिसु तरन्तेगे, तरिस्सन्ति अणागया ॥

कहं धीरे अहेऊहिं, अत्ताणं परियावसे ?
सव्वसंगविनिम्मक्के , सिद्धे हवइ नीरए ॥

—उत्त. अ. १८, गा. ३२-५४

सिद्धद्वाराण सरूवं—

२६७. इह आगतिं गतिं परिणाय अच्चेति जातिमरणस्स वट्टमगं
वक्खातरते ।

सव्वे सरा नियट्टन्ति,
तक्का जत्थ ण विज्जति,
मत्ती तत्थ ण गाहिया ।
ओए अप्पतिट्ठाणस्स खेत्तण्णे ।

से ण दीहे, ण हस्से, ण वट्टे; ण तंसे, ण चउरंसे,
ण परिमंडले,
ण किण्हे, ण णीसे, ण लोहिते, ण हात्तिहे, ण सुक्किले,

ये राजाओं में वृषभ के समान महान् थे । इन्होंने अपने-
अपने पुत्र को राज्य में स्थापित कर श्रामण्य धर्म स्वीकार
किया ।

सोवीर राजाओं में वृषभ के समान महान् उद्दायण राजा
ने राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली, मुनि-धर्म का आचरण किया
और अनुत्तर गति प्राप्त की ।

इसी प्रकार श्रेय और सत्य में पराक्रमशील काशीराज ने
काम-भोगों का परित्याग कर कर्मरूपी महावन का नाश
किया ।

इसी प्रकार अमरकीर्ति महान् यशस्वी विजय राजा ने
गुण-समृद्ध राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या ली ।

इसी प्रकार अनाकुल चित्त से उग्र तपश्चर्या करके राजर्षि
महावल ने शिर देकर शिर प्राप्त किया—अर्थात् अहंकार का
विसर्जन कर सिद्धिरूप उच्च पद प्राप्त किया । अथवा सिद्धिरूप
श्री प्राप्त की ।

इन भरत आदि शूर और दृढ़ पराक्रमी राजाओं ने जिन-
शासन में विशेषता देखकर ही उसे स्वीकार किया था । अतः
अहेतुवादों से प्रेरित होकर अब कोई कैसे उन्मत्त की तरह पृथ्वी
पर विचरण करे ?

मैंने यह अत्यन्त निदानक्षम—युक्तिसंगत सत्य-वाणी कही
है । इसे स्वीकार कर अनेक जीव अतीत में संसार-समुद्र से पार
हुए हैं, वर्तमान में पार हो रहे हैं और भविष्य में पार होंगे ।

धीर साधक एकान्तवादी अहेतुवादों में अपने-आप को
कैसे लगाएँ ? जो सभी संगों से मुक्त है, वही नीरज अर्थात्
कर्मरज से रहित होकर सिद्ध होता है ।

सिद्धस्थान का स्वरूप—

२६७. साधक जीवों की गति-आगति (संसार परिभ्रमण) के
कारणों का परिज्ञान करके व्याख्यात-रत मुनि जन्म-मरण के
वृत्त मार्ग को पार कर जाता है ।

(उन सिद्धात्मा का स्वरूप या अवस्था बताने के लिए) सभी
स्वर लौट जाते हैं, वहाँ कोई तर्क नहीं है, वहाँ मति भी प्रवेश
नहीं कर पाती । वहाँ (मोक्ष में) वह समस्त कर्मफल से रहित
ओजरूप शरीररूप प्रतिष्ठान—आधार से रहित और क्षेत्रज्ञ
ही है ।

वह न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न वृत्त है, न त्रिकोण है, न
चतुष्कोण है, न परिमण्डल है ।

वह न कृष्ण है, न नील है, न लाल है, न पीला है और न
शुक्ल है ।

ण सुन्मिगंधे, ण दुन्मिगंधे,

ण तित्ते, ण कडुए, ण कसाए, ण अंबिले, ण महुरे,
ण कक्खडे, ण मउए, ण गरुए, ण लहुए, ण सीए, ण उण्हे,
ण णिद्धे, ण लुक्खे,

ण काळ, ण रुहे, ण संगे, ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अण्णहा ।

परिण्णे सण्णे ।

उवमा ण विज्जति ।

अरूवी सत्ता ।

अपदस्स पदं णत्थि ।

से ण सद्दे, ण रुवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे इच्चेतावंति ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ६, सु. १७६

सच्चा असच्चा दंसणसच्चा दंसणअसच्चा—

२६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—

सच्चे नाममेगे सच्चद्विटी,
सच्चे नाममेगे असच्चद्विटी,
असच्चे नाममेगे सच्चद्विटी,
असच्चे नाममेगे असच्चद्विटी ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २४१

सुशीला दुस्शीला सुदंसणा कुदंसणा—

२६९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—

सुई नाममेगे सुइद्विटी,

सुई नाममेगे असुइद्विटी,

असुई नाममेगे सुइद्विटी,

असुई नाममेगे असुइद्विटी ।

—ठाणं अ. ४, उ. १, सु. २४१

शुद्धा अशुद्धा शुद्ध दंसणा अशुद्ध दंसणा—

३००. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—

शुद्धे नाममेगे सुद्धे,
शुद्धे नाममेगे असुद्धे,
अशुद्धे नाममेगे सुद्धे,
अशुद्धे नाममेगे असुद्धे ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

न वह सुगन्ध (युक्त) है, न दुर्गन्ध (युक्त) है,

न तित्त (तीखा) है, न कडुवा है, न कसैला है, न खट्टा है, न मीठा है, न कर्कश है, न मृदु है, न गुरु है, न लघु है, न ठंडा है, न गर्म है, न चिकना है, न रूखा है,

न कायवान् है, न जन्मधर्मा है, संग रहित है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है ।

वह परिज्ञ है, संज्ञ (सभी पदार्थ सम्यक् जानता) है, वह सर्वतः चैतन्यमय ज्ञानघन है । (उसका बोध कराने के लिए) कोई उपमा नहीं है । वह अरूपी (अमूर्त) सत्ता है । वह पदातीत-अपद है । उसका बोध कराने के लिए कोई पद नहीं है ।

वह न शब्द है, न रूप है, न गन्ध है, न रस है और न स्पर्श है । वस, इतना ही है ।

सत्यवक्ता, असत्यवक्ता दर्शनसत्या दर्शन असत्या—

२६८. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष सत्य वक्ता है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी सत्य है, एक पुरुष सत्यवक्ता है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन असत्य है, एक पुरुष असत्यवक्ता है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन सत्य है, एक पुरुष असत्यवक्ता है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी असत्य है ।

सुशील और दुश्शील; सुदर्शन और कुदर्शन—

२६९. चार प्रकार के पुरुष वहे हैं, यथा—

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी अच्छा है,

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन अच्छा नहीं है,

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला नहीं है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन अच्छा है,

एक पुरुष अच्छे स्वभाववाला नहीं है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी अच्छा नहीं है ।

शुद्ध और अशुद्ध शुद्ध दर्शनवाले और कुदर्शनवाले—

३००. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

एक पुरुष शुद्ध है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी शुद्ध है, एक पुरुष शुद्ध है किन्तु दृष्टि शुद्ध नहीं है, एक पुरुष अशुद्ध है किन्तु उसकी दृष्टि शुद्ध है, एक पुरुष अशुद्ध है और उसकी दृष्टि भी अशुद्ध है ।

उन्नया अवनया उन्नयदंसणा-अवनयदंसणा—

३०१. चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—
 उन्नए नाममेगे उन्नयद्विटी,
 उन्नए नाममेगे पणएद्विटी,
 पणए नाममेगे उन्नयद्विटी;
 पणए नाममेगे पणएद्विटी ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

सरला वंका उज्जुदंसणा-वंकदंसणा आइ —

३०२. (क) चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—
 उज्जु नाममेगे उज्जुद्विटी,
 उज्जु नाममेगे वंकद्विटी,
 वंके नाममेगे उज्जुद्विटी,
 वंके नाममेगे वंकद्विटी ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३६

(ख) चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा —

- अज्जे नाममेगे अज्जद्विटी,
 अज्जे नाममेगे अणज्जद्विटी,
 अणज्जे नाममेगे अज्जद्विटी,
 अणज्जे नाममेगे अणज्जद्विटी ।

—ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २५०

(ग) चत्वारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

- दीणे नाममेगे दीणद्विटी,
 बीणे नाममेगे अदीणद्विटी,
 अदीणे नाममेगे दीणद्विटी,
 अदीणे नाममेगे अदीणद्विटी ।

—ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २७१

उन्नत और अवनत, उन्नत दर्शनी और अवनत दर्शनी—

३०१. चारप्र कार के पुरुष कहे हैं, यथा—
 एक पुरुष उन्नत है और उन्नत दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष उन्नत है किन्तु हीन दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष हीन है किन्तु उन्नत दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष हीन है और हीन दृष्टि-दर्शनवाला है ।

सरल और वक्र, सरल दृष्टि और वक्रदृष्टि आदि—

३०२. चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—
 एक पुरुष हृदय से सरल है और मायारहित दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष हृदय से सरल है किन्तु वह मायायुत दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष हृदय से वक्र है किन्तु मायारहित दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष हृदय से वक्र है और मायायुत दृष्टि-दर्शनवाला है ।

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

- एक पुरुष आर्य है और आर्य दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष आर्य है किन्तु अनार्य-दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष अनार्य है किन्तु आर्य-दृष्टि-दर्शनवाला है,
 एक पुरुष अनार्य है और अनार्य दृष्टि-दर्शनवाला है ।

चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, यथा—

- एक पुरुष म्लान मुख वाला है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी स्पष्ट नहीं है,
 एक पुरुष म्लान मुख वाला है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन स्पष्ट है,
 एक पुरुष म्लान मुख वाला नहीं है किन्तु उसकी दृष्टि-दर्शन स्पष्ट है,
 एक पुरुष म्लान मुख वाला नहीं है और उसकी दृष्टि-दर्शन भी स्पष्ट है ।

दर्शनाचार : परिशिष्ट

(१) पुण्डरीक सम्बन्धी दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक की योजना—

प्रस्तुत प्रकरण के दो सूत्रों (सूत्र २७७-२७८) में से प्रथम सूत्र में श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण-श्रमणियों की जिज्ञासा देखकर उनको दृष्टान्तों का अर्थघटन करके बताने का आश्वासन दिया है, द्वितीय सूत्र में महावीर प्रभु ने अपनी केवलज्ञानरूपी प्रज्ञा द्वारा निश्चित करके पुष्करिणी आदि दृष्टान्तों का विविध पदार्थों से उपमा देकर इस प्रकार अर्थघटन किया है—

(१) पुष्करिणी चौदह रज्जू-परिमित विशाल लोक है ! जैसे पुष्करिणी में अगणित कमल उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं, वैसे ही लोक में अगणित प्रकार के जीव स्व-स्वकर्मानुसार उत्पन्न-विनष्ट होते रहते हैं। पुष्करिणी अनेक कमलों का आधार होती है, वैसे ही मनुष्यलोक भी अनेक मानवों का आधार है।

(२) पुष्करिणी का जल कर्म है। जैसे पुष्करिणी में जल के कारण कमलों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आठ प्रकार के स्वकृत कर्मों के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति होती है।

(३) काम-भोग पुष्करिणी का कीचड़ है। जैसे—कीचड़ में फँसा हुआ मानव अपना उद्धार करने में असमर्थ हो जाता है, वैसे ही काम-भोगों में फँसा मानव भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये दोनों ही समान रूप से बन्धन के कारण हैं। एक बाह्य बन्धन है, दूसरा आन्तरिक बन्धन।

(४) आर्यजन और जनपद बहुसंख्यक श्वेतकमल हैं। पुष्करिणी में नाना प्रकार के कमल होते हैं, वैसे ही मनुष्यलोक में नाना प्रकार के मानव रहते हैं। अथवा पुष्करिणी कमलों से सुशोभित होती है, वैसे ही मनुष्यों और उनके देशों से मानव लोक सुशोभित होता है।

(५) जैसे पुष्करिणी के समस्त कमलों में प्रधान एक उत्तम और विशाल श्वेतकमल है, वैसे ही मनुष्यलोक के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ और सब पर शासनकर्ता नरेन्द्र होता है, वह शीर्षस्थ एवं स्व-पर अनुशास्ता होता है, जैसे कि पुष्करिणी में कमलों का शीर्षस्थ श्रेष्ठ पुण्डरीक है।

(६) अविवेक के कारण पुष्करिणी के कीचड़ में फँस जाने वाले जैसे वे चार पुरुष थे, वैसे ही संसाररूपी पुष्करिणी के काम-भोगरूपी कीचड़ या मिथ्या मान्यताओं के दलदल में फँस जाने वाले चार अन्यतीर्थिक हैं, जो पुष्करिणी-पंकमग्न पुरुषों की तरह न तो अपना उद्धार कर पाते हैं, न ही प्रधान श्वेतकमलरूप शासक का उद्धार कर सकते हैं।

(७) अन्यतीर्थिक गृहत्याग करके भी सत्संयम का पालन नहीं करते, अतएव वे न तो गृहस्थ ही रहते हैं, न साधुपद-मोक्षपद प्राप्त कर पाते हैं। वे बीच में फँसे पुरुषों के समान न इधर-के-न उधर के रहते हैं—उभयभ्रष्ट ही रह जाते हैं।

(८) जैसे बुद्धिमान् पुरुष पुष्करिणी के भीतर न घुसकर उसके तट पर से ही आवाज देकर उत्तम श्वेतकमल को बाहर निकाल लेता है, वैसे ही राग-द्वेषरहित साधु काम-भोग रूपी दलदल से युक्त संसार-पुष्करिणी में न घुसकर संसार के धर्मतीर्थरूप तट पर खड़ा (तटस्थ-निलिप्त) होकर धर्मकथारूपी आवाज देकर श्वेतकमलरूपी राजा-महाराजा आदि को संसाररूपी पुष्करिणी से बाहर निकाल लेते हैं।

(९) जैसे कमल जल और कीचड़ का त्याग करके बाहर (उत्तम ऊपर उठ) आता है, इसी प्रकार उत्तम पुरुष अपने अष्टविध कर्मरूपी जल और काम-भोगरूपी कीचड़ का त्याग करके निर्वाणपद को प्राप्त कर लेते हैं। श्वेतकमल का ऊपर उठकर बाहर आना ही निर्वाण पाना है।

(२) क्रियावाद—

नियुक्तिकार ने क्रियावाद के १८० भेद बताए हैं। वे इस प्रकार से हैं—सर्वप्रथम जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष इन नौ पदार्थों को क्रमशः स्थापित करके उसके नीचे स्वतः और परतः ये दो भेद रखने चाहिए। इसी तरह उनके नीचे “नित्य” और “अनित्य” इन दो भेदों की स्थापना करनी चाहिए। उसके नीचे क्रमशः काल, स्वभाव, नियति, ईश्वर और आत्मा इन ५ भेदों की स्थापना करनी चाहिए। जैसे—(१) जीव स्वतः विद्यमान है, (२) जीव परतः (दूसरे से) उत्पन्न होता है, (३) जीव नित्य है, (४) जीव अनित्य है, इन चारों भेदों को क्रमशः काल आदि पांचों के साथ लेने से बीस भेद (४×५=२०)

होते हैं। इसी प्रकार अजीवादि शेष ८ के प्रत्येक के बीस-बीस भेद समझने चाहिए। यों नी ही पदार्थों के $२० \times ६ = १२०$ भेद क्रियावादियों के होते हैं।^१

(३) अक्रियावाद—

अक्रियावाद के ८४ भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं—जीव आदि ७ पदार्थों को क्रमशः लिखकर उसके नीचे (१) स्वतः और (२) परतः ये दो भेद स्थापित करने चाहिए। फिर उन $७ \times २ = १४$ ही पदों के नीचे (१) काल, (२) यदृच्छा, (३) नियति, (४) स्वभाव, (५) ईश्वर और (६) आत्मा इन ६ पदों को रखना चाहिए। जैसे—जीव स्वतः यदृच्छा से नहीं है, जीव परतः यदृच्छा से नहीं है, जीव स्वतः काल से नहीं है, जीव परतः काल से नहीं है, इसी तरह नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के साथ भी प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं। यों जीवादि सातों पदार्थों के सात स्वतः परतः के प्रत्येक के दो और काल आदि के ६ भेद मिलाकर कुल $७ \times २ = १४ \times ६ = ८४$ भेद हुए।^२

(४) अज्ञानवाद—

अज्ञानवादियों के ६७ भेद इस प्रकार हैं—जीवादि ६ तत्वों को क्रमशः लिखकर उनके नीचे ये ७ भंग रखने चाहिए—(१) सत्, (२) असत्, (३) सदसत्, (४) अवक्तव्य, (५) सदवक्तव्य, (६) असदवक्तव्य, और (७) सद्-असद् अवक्तव्य। जैसे—जीव सत् है, यह कौन जानता है? और यह जानने से भी क्या प्रयोजन है? इसी प्रकार क्रमशः असत् आदि शेष छहों भंग समझ लेने चाहिए। जीवादि ६ तत्वों में प्रत्येक के साथ सात भंग होने से कुल ६३ भंग हुए। फिर ४ भंग ये और मिलाने से $६३ + ४ = ६७$ भेद हुए। चार भंग ये हैं—(१) सत् (विद्यमान) पदार्थ की उत्पत्ति होती है, यह कौन जानता है, और यह जानने से भी क्या लाभ? इसी प्रकार असत् (अविद्यमान), सदसत् (कुछ विद्यमान और कुछ अविद्यमान), और अवक्तव्यभाव के साथ भी इसी तरह का वाक्य जोड़ने से ४ विकल्प होते हैं।

(५) विनयवाद—

निर्युक्तिकार ने विनयवाद के ३२ भेद बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) देवता, (२) राजा, (३) यति, (४) ज्ञाति, (५) वृद्ध, (६) अधम, (७) माता और (८) पिता। इन आठों का मन से, वचन से, काया से और दान से विनय करना चाहिए। इस प्रकार $८ \times ४ = ३२$ भेद विनयवाद के हुए।^३

इस प्रकार अन्यतीर्थिक मान्य	क्रियावाद के	१२० भेद
	अक्रियावाद के	८४ भेद
	अज्ञानवाद के	६७ भेद
	विनयवाद के	३२ भेद

सर्वभेद ३६३



१ सूत्रकृतांग निर्युक्ति गा. ११६।

२ सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति पत्रांक २०८।

३ सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति पत्रांक २०८।

सम्यक्दर्शन तालिका

दर्शनाचार	वस प्रकार (रुचि)	आठ अंग	श्रद्धा के चार प्रकार
१. निसर्ग सम्पग्दर्शन	१. निसर्गरुचि	१. निःशंका	१. परमार्थ का संस्तव
२. अभिगम सम्पग्दर्शन	२. उपदेशरुचि	२. निष्कांक्षा	२. सुदृष्ट परमार्थ सेवना
पाँच लक्षण :	३. आज्ञारुचि	३. निर्विचिकित्सा	३. सम्यक्त्व श्रुष्ट का संगत्याग
१. उपशम	४. सूत्ररुचि	४. अमूढदृष्टि	४. कुदर्शनी का संगत्याग
२. संवेग	५. बीजरुचि	५. उपवृंहण	आठ प्रभावक
३. निर्वेद	६. अभिगमरुचि	६. स्थिरीकरण	१. प्रावचनिक
४. अणुकंपा	७. विस्ताररुचि	७. वात्सल्य	२. धर्मकथिक
५. आस्तिक्य	८. क्रियारुचि	८. प्रभावना	३. वादी
पाँच अतिचार	९. संक्षेपरुचि		४. नैमित्तिक
१. शंका	१०. धर्मरुचि		५. तपस्वी
२. कांक्षा			६. विद्यासिद्ध
३. विचिकित्सा			७. कवि
४. पर-पाषंड-प्रशंसा			८. प्रभावक
५. पर-पाषंड-संस्तव			
पाँच शूषण			
१. जिनशासन कुशलता			
२. प्रभावना			
३. तीर्थ सेवना			
४. धर्मस्थिरता			
५. गुण-भक्ति			
मिथ्यादर्शन	१ अक्रिया	२ अविनय	३ अज्ञान
१ प्रयोग क्रिया	२ समुदान क्रिया	३ अज्ञान क्रिया	३ प्रकार
१. मंत्र-प्रयोग क्रिया	१. अनन्तर समुदानक्रिया	१. मतिअज्ञान क्रिया	१. देयअज्ञान
२. वचनप्रयोग क्रिया	२. परम्पर समुदानक्रिया	२. श्रुतअज्ञान क्रिया	२. सर्वअज्ञान
३. कायप्रयोग क्रिया	३. तदुभय समुदानक्रिया	३. विमंगलअज्ञान क्रिया	३. भावअज्ञान
			वसा प्रकार
			१. धर्म में अधर्म श्रद्धा
			२. अधर्म में धर्म श्रद्धा (आदि) ।

॥ चरित्तायारो ॥

पणिघाण - जोगजुत्तो,
पंचहिं समतीहिं तिहिं य गुत्तीहिं ।
एस चरित्तायारो,
अठविहो होति णायत्तो ॥

—निशीयमाध्य, भाग १, गा० ३५

च र णा नु यो ग

[चारित्राचार]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

चरित्तायारो

चारित्राचार

चरणविहिमहत्तं—

३०३. चरणविहिं पवत्रामि, जीवस्स उ सुहावहं ।
जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥

—उत्त. अ. ६१, गा. १

दोहं ठाणोहं संपन्ने अणगारे अणादीयं अणवयगं दोहमद्धं
चाउरंतसंसारकंतरं चीत्तिवतेज्जा, तं जहा—विज्जाए चैव
चरणेण चैव ।^१ —ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५३

णत्थि आसवे संवरे वा, णेव सण्णं निवेसए ।

अत्थि आसवे संवरे वा, एवं सण्णं निवेसए ॥

—सूय. सु. २, अ. ५, गा. १७

संवरस्स उप्पत्ति अणुप्पत्ति य—

३०४. तओ जामा पण्णत्ता,

तं जहा—पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

तिहिं जामेहिं आया केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा,

तं जहा—पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

प०—असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखय-
उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ?

उ०—गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखय-
उवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा,
अत्थेगत्तिए केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।

प०—से केणट्टेणं भंते ! एवं वूच्चइ—

असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पविखयउवासियाए
वा अत्थेगत्तिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, अत्थेगत्तिए
केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं अज्झवसाणावरणज्जाणं कम्मणं
खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा
-जाव-तप्पविखयउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संव-
रेज्जा ।

चरणविधि का महत्त्व—

३०३. अब मैं जीव को सुख देने वाली उस चरण-विधि का
कथन करूँगा जिसका आचरण कर बहुत से जीव संसार-सागर
से तिरगए ।

विद्या और चरण (चारित्र) इन दोनों स्थानों से सम्पन्न
अणगार अनादि अनन्त दीर्घ मार्ग वाले एवं चतुर्गतिरूप संसार
रूपी गहन वन को पार करता है, अर्थात् मुक्त होता है ।

आश्रव और संवर नहीं है ऐसी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए
किन्तु आश्रव भी है और संवर भी है ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए ।

संवर की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—

३०४. तीन याम (प्रहर) कहे गये हैं—

यथा—प्रथम याम, मध्यम याम और अन्तिम याम ।

तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध संवर से संवृत होता है—

यथा—प्रथम याम में, मध्यम याम में और अन्तिम याम में ।

प्र०—भन्ते ! केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपा-
सिका से विना सुने कोई जीव संवर आराधन कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपा-
सिका से सुने विना कई जीव संवर आराधन कर सकते हैं और
कई जीव संवर आराधन नहीं कर सकते हैं ।

प्र०—भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है—

केवलि से—यावत्—केवलि पाक्षिक उपासिका से सुने विना
कोई एक जीव संवर आराधन कर सकता है और कोई जीव
संवर आराधन नहीं कर सकता ?

उ०—गौतम ! जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयो-
पशम हुआ है वह केवलि से—यावत्—केवलि पाक्षिक उपासिका
से सुने विना संवर आराधन कर सकता है ।

जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-
तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।
से तेणट्ठेणं गोयमा एवं वुच्चइ—

जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ।

जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. १३

प०—सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवा-
सियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-
उवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा,
अत्थेगत्तिए केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा
अत्थेगत्तिए केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, अत्थेगत्तिए
केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं
खओवसमे कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-
तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ।
जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।

से तेणट्ठेणं गोयमा एवं वुच्चइ —

जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-
उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ।

जस्स णं अज्झवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे
नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्प-
क्खियउवासियाए वा केवलेणं संवरेणं नो संवरेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

आसवस्स संवरस्स य विवेगो —

३०५. अमणुणसमुप्पादं दुक्खमेव विजाणिया ।

समुप्पादमयाणंता किह नाहिंति संवरं ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. १०

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है ।
वह केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने बिना
संवर आराधन नहीं कर सकता है ।

गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है—

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह
केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने बिना
संवर आराधन कर सकता है ।

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ
है वह केवली से—यावत्—केवलि पाक्षिक उपासिका से सुने
बिना संवर आराधन नहीं कर सकता है ।

प्र०—भन्ते ! केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपा-
सिका से सुनकर कोई जीव संवर आराधन कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपा-
सिका के सुनकर कोई जीव संवर आराधन कर सकता है और
कोई जीव संवर आराधन नहीं कर सकता है ।

प्र०—भन्ते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है—

केवलि से—यावत्—केवलि पाक्षिक उपासिका से सुनकर
कोई जीव संवर आराधन कर सकता है और कई जीव संवर
आराधन नहीं कर सकता है ?

उ०—गौतम ! जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयो-
पशम हुआ है वह केवलि से—यावत्—केवलि पाक्षिक उपासिका
से सुनकर संवर आराधन कर सकता है ।

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ
है वह केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर
संवर आराधन नहीं कर सकता है ।

गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है—

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है
वह केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर
संवर आराधन कर सकता है ।

जिसके अध्यवसानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ
है वह केवलि से—यावत्—केवलि पाक्षिक उपासिका से सुनकर
संवर आराधन नहीं कर सकता है ।

आश्रव और संवर का विवेक—

३०५. दुःख की उत्पत्ति का कारण जानना चाहिए,

दुःख की उत्पत्ति को बिना जाने कैसे संवर को जाव पाएँगे ।

अहो वि सत्ताण विउट्टणं च,
जो आसवं जाणति संवरं च ।
दुक्खं च जो जाणति निज्जरं च,
सो भासितुमरिहति फिरियवावं ॥

—सूय. सु. १, अ. १२, गा. २१

जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा ।

जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा ।

एते य एए संबुज्झमाणे लोणं च आणाए अभिसमेच्चा पुढो
पवेदितं ।

चिट्ठं कूरेहि कम्मोहि चिट्ठं परिविचिट्ठति ।
अचिट्ठं कूरेहि कम्मोहि णो चिट्ठं परिविचिट्ठति ।

एणे वदंति अट्टुवा वि णाणी, णाणी वदंति अट्टुवा वि एणे ।
—आ. सु. १, अ. ४, उ. २, सु. १३४-१३५

प०—जीवे णं भंते ? सया समियं एयति वेयति चलति फंबद्ध
घट्टइ खुब्बनइ उदीरति तं तं भावं परिणमति ?

उ०—हंता, मंठियपुत्ता ! जीवे णं सया समितं एयति—जाव-
तं तं भावं परिणमति ।

प०—जाव च णं भंते ! से जीवे सया समितं-जाव-परिण-
मति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतफिरिया
भवति ?

उ०—णो इणट्टे समट्टे ।

जो अधोलोक में प्राणियों के विवर्त (जन्म-मरण) को जानता है, जो आश्रव और संवर को जानता है, जो दुःख और निर्जरा को जानता है, वही क्रियावाद का प्रतिपादन कर सकता है ।

जो आश्रव (कर्मबन्ध) के स्थान हैं, वे ही परिस्सव (संवर) कर्म निर्जरा के स्थान बन जाते हैं, (इस प्रकार) जो परिस्सव (संवर) है, वे आश्रव हो जाते हैं ।

जो अनास्रव, व्रत विशेष हैं, वे भी (अणुभ अध्यवसाय वाले के लिए ; अपरिस्सव-कर्म के कारण हो जाते हैं,) इसी प्रकार जो अपरिस्सव-पाप के कारण हैं, वे भी (कदाचित्) अनास्रव होते हैं ।

इन पदों (भंगों-विकल्पों) को सम्यक्प्रकार से समझने वाला तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित लोक (जीव समूह) को अज्ञा (आगमवाणी) के अनुसार सम्यक् प्रकार से जानकर आस्रवों का सेवन न करे ।

जो व्यक्ति अत्यन्त गाढ़ अध्यवसायवण क्रूर कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह अत्यन्त प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में पैदा होता है । गाढ़ अध्यवसायवाला होकर, क्रूर कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, वह प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में उत्पन्न नहीं होता है ।

यह बात चौदह पूर्वों के धारक श्रुतकेवली आदि कहते हैं, या केवलज्ञानी भी कहते हैं । जो यह बात केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रुतकेवली भी कहते हैं ।

प्र०—भगवन् ! क्या जीव सदा समित (परिमित) रूप में कांपता है, विविध रूप में कांपता है, चलता है (एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है) स्पन्दन क्रिया करता है (थोड़ा या धीमा चलता है) घट्टित होता (सर्व दिशाओं में जाता है घूमता है,) धुब्ध (चंचल) होता है, उदीरित (प्रवलरूप से प्रेरित) होता है या करता है, और उन-उन भावों में परिणत होता है ?

उ०—हां मण्डितपुत्र ! जीव सदा समित (परिमित) रूप से कांपता है,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत होता है ।

प्र०—भगवन् ! जब तक जीव समित-परिमित रूप से कांपता है,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत (परिवर्तित) होता है, तब तक क्या उस जीव की अन्तिम (मरण) समय में अन्तक्रिया (मुक्ति) होती है ?

उ०—मण्डितपुत्र ! यह अर्थ (वात) समर्थ (शक्य) नहीं है, (क्योंकि जीव जब तक क्रियायुक्त है, तब तक अन्तक्रिया क्रिया का अन्तरूप मुक्ति नहीं हो सकती ।)

१ (क) सु० १३४ और १३५ के बीच का मूलांश तपाचार के अन्तर्गत स्वाध्याय तप के पाँचवें भेद धर्मकया में देखिए ।

(ख) संवर तथा सामायिक के विशेष प्रसंग हेतु भग. श. १, उ. ६, सूत्र २१-२४ धर्मकयानुयोग भाग १ खंड २, पृ. ३१६-३२१ में देखें ।

प०—से केणट्टे भंते ! एवं बुच्चइ—जावं च णं से जीवे सया समितं एयति-जाव-अंते तावं च णं तस्स जीवस्स अंतकिरिया न भवति ?

उ०—मंडियपुत्ता ! जावं च णं से जीवे सया समितं-जाव-परिणमति तावं च णं से जीवे आरंभति सारंभति समारंभति,

आरम्भे वट्टति, सारम्भे वट्टति, समारम्भे वट्टति,

आरम्भमाणे, सारम्भमाणे, समारम्भमाणे
आरम्भे वट्टमाणे, सारम्भे वट्टमाणे, समारम्भे वट्टमाणे,
वहूणं पाणाणं-जाव-सत्ताणं दुवखावणताए सोयावणताए
जुरावणताए तिप्पावणताए पिट्टावणताए परितावण-
ताए वट्टति,

से तेणट्टेणं मंडियपुत्ता ! एवं बुच्चति—जावं च णं से जीवे सया समितं एयति-जाव-परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया न भवति ।

प०—जीवे णं भंते ! सया समियं नो एयति-जाव-नो तं तं भावं परिणमति ?

उ०—हंता, मंडियपुत्ता ! जीवे णं सया समियं-जाव-नो परिणमति ।

प०—जाव च णं भंते ! से जीवे नो एयति-जाव-नो तं तं भावं परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते अंत-किरिया भवति ?

उ०—हंता, -जाव-भवति ।

प०—से केणट्टेणं भंते ! -जाव-भवति ?

उ०—मंडियपुत्ता ! जावं च णं से जीवे सया समियं णो एयति-जाव-णो परिणमइ तावं च णं से जीवे नो आरंभति, नो सारंभति, नो समारंभति, नो आरम्भे

प्र०—भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव समितरूप से सदा कांपता है,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत होता है, तब तक उसकी अन्तिम समय में अन्तक्रिया नहीं होती है ?

उ०—हे मण्डितपुत्र ! जीव जब तक सदा समित रूप से कांपता है—यावत्—उन-उन भावों में परिणत होता है, तब तक वह (जीव) आरम्भ करता है, संरम्भ में रहता है, समारम्भ करता है,

आरम्भ में रहता (वर्तता) है, संरम्भ में रहता (वर्तता) है, और समारम्भ में रहता (वर्तता) है ।

आरम्भ, सारम्भ और समारम्भ करता हुआ तथा आरम्भ में, संरम्भ में, और समारम्भ में, प्रवर्तमान जीव—

वहुत-से प्राणों,—यावत्—सत्त्वों को दुःख पहुँचाने में, शोक कराने में, झूराने (विलाप कराने) में, रुलाने अथवा आंसू गिरवाने में, पिटवाने में, (थकान-हैरान कराने में,) और परित्याप (पीड़ा) देने (संतप्त करने) में प्रवृत्त होता है ।

इसलिए हे मण्डितपुत्र ! इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव सदा समितरूप से कम्पित होता है,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत होता है, तब तक वह जीव, अन्तिम समय (मरणकाल) में अन्तक्रिया नहीं कर सकता ।

प्र०—भगवन् ! जीव सदैव (शाश्वतरूप से) समितरूप से ही कम्पित नहीं होता,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत नहीं होता ?

उ०—हाँ, मण्डितपुत्र ! जीव सदा के लिए समितरूप से ही कम्पित नहीं होता,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत नहीं होता । (अर्थात्—जीव एक दिन क्रियारहित हो सकता है ।)

प्र०—भगवन् ! जब वह जीव सदा के लिए समितरूप से कम्पित नहीं होता—यावत्—उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तब क्या उस जीव की अन्तिम समय में अन्तक्रिया (मुक्ति) नहीं हो जाती ?

उ०—हाँ, (मण्डितपुत्र !) ऐसे—यावत्—जीव की अन्तिम समय में अन्तक्रिया (मुक्ति) हो जाती है ।

प्र०—भगवन् ! ऐसा किस कारण से कहा है कि ऐसे जीव की—यावत्—अन्तक्रिया मुक्ति हो जाती है ?

उ०—मण्डितपुत्र ! जब वह जीव सदा (के लिए) समित रूप से (भी) कम्पित नहीं होता,—यावत्—उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तब वह जीव आरम्भ नहीं करता, संरम्भ

वट्टइ, णो सारम्भे वट्टइ णो समारम्भे वट्टइ, अणा-
रम्भमाणे, असारम्भमाणे, असमारम्भमाणे,

आरम्भे अवट्टमाणे, सारम्भे अवट्टमाणे, समारम्भे अवट्ट-
माणे बहूणं पाणाणं-जाव-सत्ताणं अबुवखावणयाए-जाव-
अपरियावणयाए वट्टइ ।

प०—से जहानामए केइ पुरिसे सुवकं तणहत्थयं जाततेयंसि
पविखवेज्जा, से नूणं मंडियपुत्ता ! से सुवके तणहत्थए
जायतेयंसि पविखत्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्जइ ?

उ०—हंता, मसमसाविज्जइ ।

प०—से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवत्तंसि उदयविदु
पविखवेज्जा, से नूणं मंडियपुत्ता ! से उदयविदु तत्तंसि
अयकवत्तंसि पविखत्ते समाणे खिप्पामेव विद्वंसमा-
गच्छइ ?

उ०—हंता, विद्वंसमागच्छइ ।

प०—से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलट्टमाणे
वोसट्टमाणे समभरघट्टाए चिट्ठति ?

उ०—हंता चिट्ठति ।

प०—अहे णं केइ पुरिसे तंसि हरयंसि एगं महं नावं सतासवं
सयच्छिहं ओगाहेज्जा, से नूणं मंडियपुत्ता ! सा नावा
तेहि आसवदारेहि आपूरेमाणी आपूरेमाणीत्ता पुण्णा
पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसट्टमाणा समभरघट्टाए
चिट्ठति ?

उ०—हंता चिट्ठति ।

प०—अहे णं केइ पुरिसे तीसे नावाए सव्वंतो समंता आस-
वदाराइं पिहेइ पिहित्ता नावाउत्तिसंचणएणं उदयं
उत्तिसिज्जजा, से नूणं मंडियपुत्ता ! सा नावा तंसि
उदयंसि उत्तिसिज्जजा समाणंसि खिप्पामेव उद्वं उट्टाति ?

नहीं करता एवं समारम्भ भी नहीं करता, और न ही वह जीव
आरम्भ में, संरम्भ में एवं समारम्भ में प्रवृत्त होता है ।

आरम्भ, संरम्भ और समारम्भ नहीं करता हुआ तथा
आरम्भ, संरम्भ और समारम्भ में प्रवृत्त न होता हुआ जीव
बहुत-से प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों को दुःख पहुँचाने में
—यावत्—परिताप उत्पन्न करने में प्रवृत्त (या निमित्त) नहीं
होता ।

प्र०—(भगवान्) जैसे, (कल्पना करो) कोई पुरुष सूखे घास
के पूले (तृण के मुट्ठे) को अग्नि में डाले तो क्या मण्डितपुत्र !
वह सूखे घास का पूला अग्नि में डालते ही शीघ्र जल जाता है ?

उ०—हाँ, भगवन् ! वह शीघ्र जल जाता है ।

प्र०—(भगवान्) (कल्पना करो) जैसे कोई पुरुष तपे हुए
लोहे के कड़ाह पर पानी की बूंद डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! तपे
हुए लोहे के कड़ाह पर डाली हुई वह जल-विन्दु अवश्य ही शीघ्र
नष्ट हो जाती है ?

उ०—(मण्डितपुत्र—) हाँ भगवन् ! वह जलविन्दु शीघ्र
ही नष्ट हो जाती है ।

प्र०—(भगवान्—) (मान लो) कोई एक सरोवर है, जो
जल से पूर्ण हो, पूर्णमात्रा में पानी से भरा हो, पानी से लवालव
भरा हो, बढ़ते हुए पानी के कारण उसमें से पानी छलक रहा
हो, पानी से भरे हुए घड़े के समान क्या उसमें पानी व्याप्त हो
सकता है ?

उ०—हाँ, भगवन् ! उसमें पानी व्याप्त हो सकता है ।

प्र०—अब उस सरोवर में कोई पुरुष, सैकड़ों छोटे छिद्रों
वाली तथा सैकड़ों बड़े छिद्रों वाली एक बड़ी नौका को उतार
दे, तो क्या मण्डितपुत्र ! वह नौका उन छिद्रों (पानी आने के
द्वारों) द्वारा पानी से भरती-भरती जल से परिपूर्ण हो जाती है ?
पूर्णमात्रा में उसमें पानी भर जाता है ? पानी से वह लवालव
भर जाती है ? उसमें पानी बढ़ने से छलकने लगता है ? (और
अन्त में) वह (नौका) पानी से भरे घड़े की तरह सर्वत्र पानी
से व्याप्त होकर रहती है ?

उ०—हाँ, भगवन् ! वह पूर्वोक्त प्रकार से जल से व्याप्त
होकर रहती है ।

प्र०—यदि कोई पुरुष उस नौका के समस्त छिद्रों को चारों
ओर से बन्द कर (ढक) दे, और वैसा करके नौका की उलीचनी
(पानी उलीचने के उपकरण विशेष) से पानी को उलीच दे (जल
को रोक दे) तो हे मण्डितपुत्र ! नौका के पानी को उलीच कर
खाली करते ही क्या वह शीघ्र ही पानी के ऊपर आ जाती है ?

उ०—हंता उदाति ।^१

एवाभेव मंडियपुत्ता ! अत्तत्तासंबुडस्स अणगारस्स
इरियासमियस्स-जाव-गुत्तवंभयारिस्स,

आउत्तं गच्छमाणस्स चिद्धमाणस्स निसीयमाणस्स तुयट्ट-
माणस्स,

आउत्तं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पादपुंछणं गेण्हमाणस्स
निक्खिण्णमाणस्स-जाव-चक्खुपम्हनिवायमवि वेमाया
सुहुमा इरियावहिया किरिया-कज्जइ ।

सा पढमसमयबद्धपुट्टा बित्थिसमयवेत्तिता तत्थिसमय-
निज्जरिया, सा बद्धापुट्टा उदीरिया वेदिया निज्जिण्णा
सेयकाले अकम्मं चावि भवति ।

से तेणट्ठेणं मंडियपुत्ता ! एवं वुच्चति—जावं च णं से
जीवे सया समितं नो एयति-जाव-तावं च णं तस्स
जीवस्स अंते अंतकिरिया भवति ।

—वि. स. ३, उ. ३, सु. ११-१४

पाँच संवरदार पररूपणं—

३०६. जंबू !

एत्तो य संवरदाराहं, पंच बोच्छामि आणुपुव्विए ।
जह भणियाणि भगवया, सव्वदुक्खविमोक्खणट्टाए ॥
पढमं होइ अहिंसा, बिद्ध्यं सच्चवयणं ति पण्णत्तं ।
दत्तमणुण्णाय संवरो य, बंभचेरमपरिग्गहत्तं च ॥^२

उ०—हाँ, भगवन् ! पानी के ऊपर आ जाती है ।

हे मण्डितपुत्र ! इसी तरह अपनी आत्मा द्वारा आत्मा में
संवृत हुए, ईर्यासमिति आदि पाँच समितियों से समित तथा
मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियों से गुप्त, ब्रह्मचर्य की नी गुप्तियों
से गुप्त,

उपयोगपूर्वक गमन करने वाले, ठहरने वाले, बैठने वाले,
करवट बदलने वाले तथा,

उपयोगपूर्वक वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोच्छन, (रजोहरण)
आदि धर्मोपकरणों को सावधानी (उपयोग) के साथ उठाने और
रखने वाले अनगार को भी अक्षिनिमेष मात्र समय में विमात्रा-
पूर्वक सूक्ष्म ईर्यापथिकी क्रिया लगती है ।

वह प्रथम समय में वध्द-स्पृष्ट द्वितीय समय में वेदित और
तृतीय समय में निर्जीण (क्षीण) हो जाता है । वह वध्द-स्पृष्ट
उदीरित-वेदित एवं निर्जीण क्रिया भविष्यत्काल में अकमरूप भी
हो जाती है ।

इसी कारण से हे मण्डितपुत्र ! ऐसा कहा जाता है कि जब
वह जीव सदा समितरूप से भी कम्पित नहीं होता,—यावत्—
उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तत्र अन्तिम समय में
उसकी अन्तक्रिया हो जाती है ।

पाँच संवरद्वारों का प्ररूपण—

३०६. श्री सुधर्मास्वामी कहते हैं—हे जम्बू !

अब मैं पाँच संवरद्वारों को अनुक्रम से कहूँगा, जिसे भगवान्
ने सर्वदुःखों से मुक्ति पाने के लिए कहे हैं,

(इन पाँच संवरद्वारों) में प्रथम अहिंसा है, दूसरा सत्यवचन
है, तीसरा स्वामी की आज्ञा से दत्त (अदत्तादानविरमण) है,
चौथा ब्रह्मचर्य और पंचम अपरिग्रहत्व है ।

१ (क) प०—अत्थि णं भंते ! जीवा य पोगला य अन्नमन्नवद्धा अन्नमन्नपुट्टा अन्नमन्नमोगाढा अन्नमन्नसिणेहपडिवद्धा अन्नमन्नघडत्ताए
चिद्धन्ति ?

उ०—हंता, अत्थि ।

प०—से केणट्ठेणं भंते !-जाव-चिद्धन्ति ?

उ०—गोयमा ! से जहानामए हरदे सिया पुण्णे पुण्णप्यमाणे वोलट्टमाणे वोसट्टमाणे समभरघडत्ताए चिद्धति,

प०—अहे णं केइ पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महं नावं सदासवं सतज्जिड्डं ओगाहेज्जा । से नूणं गोयमा ! सा णावा तेहि
आसवद्वारेहि आपूरमाणी आपूरमाणी पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसट्टमाणा समभरघडत्ताए चिद्धति ?

उ०—हंता चिद्धति ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! अत्थि णं जीवा य पोगलाय-जाव-अन्नमन्नघडत्ताए चिट्ठन्ति । —वि. स. १, उ. ६, सु. २६

(ख) सूय. सु. १, अ. १, उ. २, गा. ३१ ।

(ग) उत्त. अ. २३, गा. ७०-७३ ।

२ (क) पंच महव्वया पण्णत्ता, तं जहा—१. सव्वाओ पाणातिवायाओ वेरमणं, २. सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, ३. सव्वाओ
अदिण्णादाणाओ वेरमणं, ४. सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं, ५. सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ।—ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३८६

(शेष अगले पृष्ठ पर)

ताणि उ इमाणि सुध्वय !
मह्वयाई लोयहियसव्वसाइं

सुयसागर-वेसियाइं, तवसंजममह्वयाइं
सीलगुणवरव्वयाइं, सच्चज्जव्वयाइं

जरय-तिरिय-मणुय-देवगइ-विवज्जगाइं
सव्वजिणसासणगाइं, कम्मरयविदारगाइं,

भवसयविणासगाइं, दुहसयविमोयणगाइं
सुहसयपवत्तणगाइं,
कापुरिसदुहत्तराइं सप्पुरिसणीसेवियाइं,

णिट्वाणगमणसगम्पयाणगाइं,
संवरदाराइं पंच कहियाणि उ भगवया ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. १

एयाइं वयाइं पंच वि सुध्वय-मह्वयाइं हेउसय विवित्त-
पुषखलाइं कहियाइं,

अरहंतसासणे समासेण पंच संवरा,
विरथरेण उ पणवीसंति,

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

(ख) पंच णिज्जरट्ठाणा पप्रत्ता, तं जहा —१. पाणाइयायाओ वेरमणं, २. मुसावायाओ वेरमणं, ३. अदिन्नादाणाओ वेरमणं
४. मेहुणाओ वेरमणं, ५. परिग्गहाओ वेरमणं । —सम. ५, सु. १

(ग) तहेव हिमं अलियं, चोज्जं अवम्भसेवणं । इच्छाकामं च लोभं च, संजओ परिवज्जए ॥ —उत्त. अ. ३५, गा. ३

(घ) उत्त. अ. २३, गा. २७, (ङ) —सूय. सु. १, अ. १६, सु. ६३५, (च) आव. अ. ४, सु. २४(३)

(छ) सूय. सु. २, अ. ६, गा. ६ (ज) दस. अ. १३, गा. ११ (झ) दस. अ. ६, गा. ८-२१

(व) स्या. अ. ५, उ. २, सु. ४१८ तथा सम. ५, में पाँच संवर के नाम हैं किन्तु वे सम्यक्त्व, विरति, अकपाय, अप्रमाद और अयोग हैं । पाँच निर्जंरास्थान, पाँच महाव्रत या पाँच संवर उक्त पाँच के अन्तर्गत "विरति" में समाविष्ट हो जाते हैं । संवर और निर्जंरा की परिभाषा के अनुसार प्राणातिपातविरमण आदि पाँच संवर भी हैं और निर्जंरास्थान भी हैं ।

पण्ह. सु. २, अ. १, सु. १ के प्रारम्भ में अहिंसा आदि ५ संवरों के कतिपय विशेषण हैं । उनमें नरकादि चार गतियों का विवर्जन और निर्वाण एवं देवगति की प्राप्ति पाँच संवरों की आराधना का फल कहा गया है । जहाँ देवगति विवर्जन है वहाँ अशुभ देवगति का विवर्जन है । निर्वाण गति की अपेक्षा ये पाँच निर्जंरा स्थान हैं । अशुभ की निर्जंरा होने से शुभ मनुष्य गति या शुभ देवगति दाता है ।

श्री सुधर्मास्वामी ने अपने अन्तेवासी जम्बू स्वामी से कहा—
हे सुव्रत ! अर्थात् उत्तम व्रतों के धारक और पालक जम्बू !
जिनका पूर्व में नामनिर्देश किया जा चुका है ऐसे ये महाव्रत
समस्त लोक के हितकारी हैं या लोक का सर्वहित करने वाले हैं ।

श्रुतरूपी सागर (आगम) में इनका उपदेश किया गया है ।
ये तप और संयमरूप व्रत हैं । इन महाव्रतों में शील का और
उत्तम गुणों का समूह सन्निहित है । सत्य और आर्जव-ऋजुता-
सरलता-निष्कपटता इनमें प्रधान है ।

ये महाव्रत नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति
से बचाने वाले हैं—मुक्ति प्रदाता हैं । समस्त जिनों—तीर्थकरों
द्वारा उपदिष्ट हैं । कर्मरूपी रज का विदारण करने वाले अर्थात्
क्षय करने वाले हैं ।

सैकड़ों भवों—जन्म-मरणों का अन्त करने वाले हैं । सैकड़ों
दुःखों से बचाने वाले हैं । सैकड़ों सुखों में प्रवृत्त करने वाले हैं ।
ये महाव्रत कायरपुरुषों के लिए दुस्तर हैं, सत्पुरुषों द्वारा
सेवित हैं,

ये मोक्ष में जाने के मार्ग हैं, स्वर्ग में पहुँचाने वाले हैं ।

इस प्रकार के ये महाव्रत रूप पाँच संवरद्वार भगवान् महा-
वीर ने कहे हैं ।

हे सुव्रत ! ये पाँच संवररूप महाव्रत सैकड़ों हेतुओं से पुष्कल
विस्तृत हैं ।

अरिहंत-शासन में ये संवरद्वार संक्षेप में (पाँच) कहे गए हैं ।
विस्तार से (प्रत्येक की पाँच-पाँच भावनाएँ होने से) इनके
पच्चीस प्रकार होते हैं ।

समिय-समिय संबुडे, सयाजयण-घडण-सुविसुद्धदंसणे एए अणु-
चरियसंजते चरमसरीरधरे भविस्सतीति ।

—पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. १८

पाप ठाणेहि जीवाणं गरुयत्तं—

३०७. प०—कहणं भंते ! जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ?

उ०—गोयमा ! पाणाइवाएणं, मुसावाएणं, अदिन्नादाणेणं,
मेहुणेणं, परिग्गहेणं, कोह-माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-
कलह-अन्नखाण-पिसुन्न-रइअरइ-परपरिवाय-माया-
भोस-मिच्छावंसणसल्लेणं एवं खलु गोयमा ! जीवा
गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ।

—वि. स. १, उ. ६, सु. १

विरइ ठाणेहि जीवाणं लहुयत्तं—

३०८. प०—कहणं भंते ! जीवा लहुयत्तं हव्वमागच्छंति ?

उ०—गोयमा ! पाणाइवायावेरमणेणं-जाव-मिच्छादंसणसल्ल
वेरमणेणं एवं खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं हव्व-
मागच्छंति,

एवं संसारं आउलीकरेंति, परित्ति करेंति
एवं संसारं दीही करेंति, हस्सी करेंति,
एवं संसारं अणुपरियट्टन्ति, वीइवयंति
पसत्था चत्तारि, अप्पसत्था चत्तारि ।^१

—वि. स. १, उ. ६, सु. २-३

दसविहे असंवरं—

३०९. दसविधे असंवरं पणत्ते, तं जहा—

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| १. सोत्तिदियअसंवरं, | २. चविखदियअसंवरं, |
| ३. घाणिदियअसंवरं, | ४. जिम्मिदियअसंवरं, |
| ५. फांसिदियअसंवरं, ^२ | ६. मणअसंवरं, ^३ |
| ७. वयअसंवरं, | ८. कायअसंवरं, |
| ९. उवकरणअसंवरं, | १०. सूचीकुसंगअसंवरं । |

—ठाणं. अ. १०, सु. ७०६.

जो साधु ईर्यासमिति आदि (पूर्वोक्त पच्चीस भावनाओं) सहित होता है अथवा ज्ञान और दर्शन से सहित होता है तथा कपायसंवर और इन्द्रियसंवर से संवृत्त होता है, जो प्राप्त संयम-योग का यत्नपूर्वक पालन करता है और अप्राप्त संयमयोग की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहता है, सर्वथा विशुद्ध श्रद्धावान् होता है, वह इन संवरों की आराधना करके अशरीर (मुक्त) होगा ।

पाप स्थानों से जीवों की गुरुता—

३०७. प्र०—भगवन् ! जीव किस प्रकार शीघ्र गुरुत्व (भारीपन) को प्राप्त होते हैं ?

उ०—गौतम ! प्राणातिपात से, मृपावाद से, अदत्तादान से, मंथुन से, परिग्रह से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, प्रेम (राग) से, द्वेष से, कलह से, अभ्याह्यान से, पैशुन्य से, रति-अरति से, परपरिवाद (परनिन्दा) से, मायामृपा से, और मिथ्या-दर्शनशाल्य से, इस प्रकार हे गौतम ! जीव शीघ्र गुरुत्व को प्राप्त होते हैं ।

विरति-स्थानों से जीवों की लघुता—

३०८. प्र०—भगवन् ! जीव किस प्रकार शीघ्र लघुत्व (लघुता-हल्केपन) को प्राप्त करते हैं ?

उ०—गौतम ! प्राणातिपात से विरत होने से—यावत्—मिथ्यादर्शनशाल्य से विरत होने से जीव शीघ्र लघुत्व को प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार जीव संसार को बढ़ाते हैं और परिमित करते हैं, दीर्घकालीन करते हैं, अल्पकालीन करते हैं, बार-बार भ्रमण करते हैं, संसार को लांघ जाते हैं ।

उनमें से चार (लघुत्व, परिक्तीकरण, ह्रस्वीकरण एवं व्यतिक्रमण) प्रशस्त हैं और चार (गुरुत्व, वृद्धीकरण, दीर्घीकरण एवं पुनः-पुनः भवभ्रमण) अप्रशस्त हैं ।

दस प्रकार के असंवर—

३०९. दस प्रकार के असंवर कहे गये हैं, यथा—

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| (१) श्रोत्रेन्द्रिय असंवर, | (२) चक्षुइन्द्रिय-असंवर; |
| (३) घ्राणेन्द्रिय-असंवर | (४) रसना-इन्द्रिय असंवर, |
| (५) स्पर्शनेन्द्रिय असंवर, | (६) मन-असंवर, |
| (७) वचन-असंवर, | (८) काय-असंवर, |
| (९) उपकरण-असंवर, | (१०) सूचीकुशाग्र-असंवर । |

१ वि. स. १२, उ. २, सु. १४१.

२ ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४२७ ।

३ ठाणं. अ. ६, सु. ४८७ ।

पंच संवर द्वारा—

३१०. पंच संवर द्वारा पन्नता, तं जहा—

- | | |
|----------------|---------------|
| १. सम्मतं, | २. विरहं, |
| ३. अप्रमत्तया, | ४. अकसाया, |
| ५. अजोगया । | —सम. ५, सु. १ |

महाजर्ण—

३११. सुसंबुद्धा पंचहि संवरेहि,

इह जीवियं अणवकंखमाणा ।

वोसट्टकाया सुद्धचत्तदेहा,

महाजर्यं जयइ जन्नसिट्ठं ॥

—उत्त. अ. १२, गा. ४२

दसविहे संवरे—

३१२. दसविघे संवरे पणत्ते, तं जहा—

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| १. सोत्तिदियसंवरे, | २. चन्निखदियसंवरे, |
| ३. धाणिदियसंवरे, | ४. जिन्निदियसंवरे, |
| ५. फासिदियसंवरे, ^१ | ६. मणसंवरे, ^२ |
| ७. वयसंवरे, | ८. कायसंवरे, |
| ९. उवकरणसंवरे, | १०. सूचीकुसग्गसंवरे । |
| —ठाणं. अ. १०, सु. ७०६ | |

दसविहा असमाही—

३१३. दसविधा असमाधी पणत्ता, तं जहा—

- | | |
|--|-----------------------|
| १. पाणातिवाते, | २. मुसावाए, |
| ३. अदिण्णादाने, | ४. मेहणे, |
| ५. परिग्गहे, | ६. इरियाज्जसमिती |
| ७. भासाज्जसमिती, | ८. एसणाज्जसमिती, |
| ९. आयाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणाज्जसमिती । | |
| १०. उच्चार - पासवण-खेल-सिघाणग-जल्ल-परिट्ठावणिग्या-ज्जसमिती । | —ठाणं. अ. १०, सु. ७११ |

दसविहा समाही—

दसविधा समाधी पणत्ता, तं जहा—

- | | |
|---|-----------------------|
| १. पाणातिवायवेरमणे, | २. मुसावायवेरमणे, |
| ३. अदिण्णादानवेरमणे, | ४. मेहणवेरमणे, |
| ५. परिग्गहवेरमणे, | ६. इरियासमिती, |
| ७. भासासमिती, | ८. एसणासमिती, |
| ९. आयाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणासमिती । | |
| १०. उच्चार - पासवण - खेल-सिघाणग-जल्ल-परिट्ठावणिग्या-समिती । | —ठाणं. अ. १०, सु. ७११ |

पाँच संवर द्वार—

३१०. पाच संवर द्वार कहे गये हैं, यथा—

- | | |
|---|--------------|
| (१) सम्यक्त्व, | (२) विरति, |
| (३) अप्रमत्तता, | (४) अकपायता, |
| (५) अयोगता या योगों की प्रवृत्ति का निरोध । | |

महायज्ञ—

३११. जो पाँच संवरों से सुसंवृत होता है,

जो असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करता है,

जो काया का व्युत्सर्ग करता है, जो शुचि है,

और जो देह का त्याग करता है, वह महाजयी

श्रेष्ठयज्ञ करता है ।

दस प्रकार के संवर—

३१२. संवर दस प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (१) श्रोत्रेन्द्रिय-संवर, | (२) चक्षुरिन्द्रिय-संवर, |
| (३) घ्राणेन्द्रिय-संवर, | (४) रसनेन्द्रिय-संवर, |
| (५) स्पर्शनेन्द्रिय-संवर, | (६) मन-संवर, |
| (७) वचन-संवर, | (८) काय-संवर, |
| (९) उपकरण-संवर, | (१०) सूचीकुशाग्र-संवर । |

दस प्रकार की असमाधि—

३१३. असमाधि दस प्रकार की कही गई है । जैसे—

- | | |
|--|----------------------|
| (१) प्राणातिपात-अविरमण । | (२) मृपावाद-अविरमण । |
| (३) अदत्तादान-अविरमण । | (४) मैथुन-अविरमण । |
| (५) परिग्रह-अविरमण । | (६) ईया-असमिति । |
| (७) भापा-असमिति । | (८) एपणा-असमिति । |
| (९) आदान-भाण्ड-मत्र (पात्र) निक्षेप की असमिति । | |
| (१०) उच्चार-प्रस्रवण-श्लेष्म-सिघाण-जल्ल परिष्ठापना की असमिति । | |

दस प्रकार की समाधि—

समाधि दस प्रकार की कही गई है । जैसे

- | | |
|--|---------------------|
| (१) प्राणातिपात-विरमण । | (२) मृपावाद-विरमण । |
| (३) अदत्तादान-विरमण । | (४) मैथुन-विरमण । |
| (५) परिग्रह-विरमण । | (६) ईयासमिति । |
| (७) भापासमिति । | (८) एपणासमिति । |
| (९) आदान भाण्ड मत्र (पात्र) निक्षेपण समिति । | |
| (१०) उच्चार - प्रस्रवण - श्लेष्म-सिघाण-जल्ल-परिष्ठापना समिति । | |

असंवृडअणगारस्स संसार परिभ्रमणं—

३१४. प०—असंवुडे णं भंते ! अणगारे किं सिज्झति ? भुज्झति ?
मुच्चति ? परिनिव्वति ? सच्चदुवखाणमंतं करेति ?

उ०—गोयमा ! नो इण्हं समट्ठे ।

प०—से केण्हं णं भंते ! एवं वुच्चइ नो सिज्झइ-जाव-नो
अंतं करेइ ?

उ०—गोयमा ! असंवुडे अणगारे आउयवज्जाओ सत्तकम्म-
पगडीओ,

सिद्धिलबंधणवद्धाओ घणियबंधणवद्धाओ पकरेति,
हस्सकालट्ठित्थीयाओ, दीहकालट्ठित्थीयाओ पकरेति,

मंदाणुभागाओ, तिब्वाणुभागाओ पकरेति,
अप्पपदेसगाओ बहुपपदेसगाओ पकरेति,
आउयं च णं कम्म सिय बंधति, सिय नो बंधति,

असातावेदणज्जं च णं कम्मं भुज्जो-भुज्जो उवचिणाति,
अणादीयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसार-
कंतारं अणुपरियट्ठइ ।

से तेण्हं णं गोयमा ! असंवुडे अणगारे नो सिज्झति
-जाव-नो सच्चदुवखाणमंतं करेइ ।

—वि. स. १, उ. १, सु. ११

संवुडअणगारस्स संसारपारगमणं—

३१५. प०—संवुडे णं भंते ! अणगारे सिज्झति-जाव-अंतं करेति ?

उ०—हंण, सिज्झति-जाव-अंतं करेति ।

प०—से केण्हं णं भंते ! एवं वुच्चइ-सिज्झइ-जाव-अंतं
करेति ?

उ०—गोयमा ! संवुडे अणगारे आउयवज्जाओ सत्तकम्म-
पगडीओ, घणियबंधणवद्धाओ | सिद्धिलबंधणवद्धाओ
पकरेति,
दीहकालट्ठित्थीयाओ हस्सकालट्ठित्थीयाओ पकरेति,

तिब्वाणुभागाओ मंदाणुभागाओ पकरेति,
बहुपपदेसगाओ अप्पपदेसगाओ पकरेति,
आउयं च णं कम्मं न बंधति,
असायावेयणज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उव-
चिणाति,

असंवृत अणगार का संसार परिभ्रमण—

३१४. प्र०—भगवन् ! असंवृत अनगार क्या सिद्ध होता है,
—यावत्—समस्त दुःखों का अन्त करता है ?

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य या ठीक) नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! वह किस कारण से सिद्ध नहीं होता,
—यावत्—अन्त नहीं करता ?

उ०—गौतम ! असंवृत अनगार आयुर्कर्म को छोड़कर शेष
सात कर्म प्रकृतियों को

शिथिल बन्धन से बद्ध को गाढ़ बन्धन से बद्ध करता है,
अल्पकालीन स्थिति वाली को दीर्घ-कालिक स्थिति वाली
करता है,

मन्द अनुभाग वाली को तीव्र अनुभाग वाली करता है,
अल्पप्रदेश वाली को बहुत प्रदेश वाली करता है,
और आयुर्कर्म को कदाचित् बाँधता है, एवं कदाचित् नहीं
बाँधता है,

असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपार्जन करता है,
तथा अनादि अनवदग्ग-अनन्त दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गति
संसाररूपी अरण्य में बार-बार पर्यटन परिभ्रमण करता है,

हे गौतम ! इस कारण से असंवृत अनगार सिद्ध नहीं होता
—यावत्—समस्त दुःखों का अन्त नहीं करता ।

संवृत अणगार का संसार पारगमन—

३१५. प्र०—भगवन् ! क्या संवृत अनगार सिद्ध होता है,
—यावत्—अन्त करता है ?

उ०—हाँ गौतम ! वह सिद्ध होना है,—यावत्—सब दुःखों
का अन्त करता है ।

प्र०—भगवन् ! वह किस कारण से सिद्ध होता है,
—यावत्—सब दुःखों का अन्त करता है ?

उ०—गौतम ! संवृत अनगार आयुष्यकर्म को छोड़कर शेष
सात कर्म प्रकृतियों को गाढ़बन्धन से बद्ध को शिथिल बन्धनबद्ध
कर देता है,

दीर्घकालिक स्थिति वाली को ह्रस्व (थोड़े) काल की स्थिति
वासी करता है,

तीव्ररस (अनुभाव) वाली को मन्दरस वाली करता है,
बहुत प्रदेश वाली को अल्पप्रदेश वाली करता है,
और आयुष्य कर्म को नहीं बाँधता है ।

वह असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपचय नहीं करता
है । (अतएव वह)

अणाईयं च णं अणवदगं दीहमद्धं चाउरंतं संसार-
कंतारं वीतीवयति ।

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—“संवुडे अणगारे
सिज्झति-जाव-अंतं करेति ।”

— वि. सं. १, उ. १, सु. ११

चरित्तसंपन्नयाए फलं—

३१६. प०—चरित्तसंपन्नाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—चरित्तसंपन्नाए णं सेलेसीभावं जणयइ । “सेलेसिं पडि-
वन्ते य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ । तओ
पच्छा सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाएइ सव्व-
दुक्खाणमंतं करेइ ।”

—उत्त. अ. २६, सु. ६३

एगे चरणविष्णाणेण एव मोक्खं मण्णंति—

३१७. इहमेगे उ मन्नन्ति, अप्पच्चक्खायपावगं ।

आयरियं विवित्ताणं, सव्वदुक्खा विमुच्चइ ॥

—उत्त. अ. ६, गा. ८

अनादि-अनन्त दीर्घमार्ग वाले चतुर्गतिरूप संसार-अरण्य का
उल्लंघन करता है ।

इस कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि संवृत
अनगार सिद्ध हो जाता है,—यावत्—अन्त कर देता है ।

चारित्र्य सम्पन्नता का फल—

३१६. प्र०—भन्ते ! चारित्र्य-सम्पन्नता से जीव क्या प्राप्त
करता है ?

उ०—चारित्र्य-सम्पन्नता से वह शैलेशी-भाव को प्राप्त होता
है । शैलेशी-दशा को प्राप्त करने वाला अनगार चार केवलि-
सत्क (केवली के विद्यमान) कर्मों को क्षीण करता है । उसके
पश्चात् वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परि-
निर्वाण होता है और सब दुःखों का अन्त करता है ।

कुछ लोग चारित्र्य के जानने से ही मोक्ष मानते हैं—

३१७. इस संसार में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पापों का
त्याग किये बिना ही आचार को जानने मात्र से जीव सब दुःखों
से मुक्त हो जाता है ।

प्रथम महाव्रत

(१) अहिंसा महाव्रत का स्वरूप और आराधना

सव्वेहिं तित्थयरेहिं सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्ताणं रक्खणं
क्कायव्वं इति परुवियं—

३१८. से वेमि—जे य अतोता जे य पट्टप्पणा जे य आगमेस्सा
अरहंता भगवंता सव्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं
पणवेति, एवं परुवेंति—

सव्वे पाणा-जाव-सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण
परिघेतव्वा, ण परित्तावेयव्वा, ण उद्देवेयव्वा,

सभी तीर्थकरों ने सभी प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों की रक्षा
करनी चाहिए ऐसी प्ररूपणा की है—

३१८. मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ—भूतकाल में (ऋषभदेव
आदि) जो भी अर्हन्त (तीर्थकर) हो चुके हैं, वर्तमान में जो भी
(सीमन्धरस्वामी आदि) तीर्थकर हैं, तथा जो भी भविष्य में
(पद्मनाभ आदि) होंगे, वे सभी अर्हन्त भगवान (परिपद में)
ऐसा ही उपदेश देते हैं, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही (हेतु,
दृष्टान्त, युक्ति आदि द्वारा) बताते (प्रज्ञापन करते) हैं, और ऐसी
ही प्ररूपणा करते हैं कि—

किसी भी प्राणी,—यावत्—सत्त्व की हिंसा नहीं करनी
चाहिए, न ही बलात् उनसे आज्ञा पालन कराना चाहिए, न
उन्हें बलात् दास-दासी आदि के रूप में पकड़कर या खरीदकर
रखना चाहिए, न उन्हें परित्याग (पीड़ा) देना चाहिए, और न
उन्हें उद्विग्न (भयभीत या हैरान) करना चाहिए ।

एस धम्मे ध्रुवे णित्थे सासते, समेच्च लोगं खेतन्नेहि पवेदिते ।^१

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८०

से भिक्खू जे इमे तस-थावरा पाणा भवंति ते णो सयं समा रभति,

णो अण्णेहि समारभावेति,

अण्णे समारभंते वि न समणुजाणइ,

इति से महता आदाणातो उवसंते उवट्ठिते पडिविरते ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८४

उरालं जगओ जोयं, विपरीपासं पलेति य ।
सव्वे अकंतदुक्खा य, अतो सव्वे अहिंसिया ॥

एतं खु णाणिणो सारं, जं न हिंसति किंच णं ।
अहिंसा समयं चैव, एतावतं वियाणिया ॥^२

—सूय. सु. १, अ. १, उ. ४, गा. ६-१०

पढम महव्वय आराहणा पइण्णा—

३१६. पढमे भंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं ।

सव्वं भंते ! पाणाइवायं पच्चक्खासि—

से सुहुमं वा बायरं वा, तसं वा, थावरं वा,

से य पाणाइवाए चउच्चिहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. दव्वओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

१. दव्वओ छसु जीवनिकाएसु,

२. खेत्तओ सव्वलोगे,

३. कालओ दिया वा, राओ वा,

४. भावओ रागेण वा दोसेण वा ।

नेव सयं पाणे अइवाएज्जा, नेवन्नेहि पाणे अइवायावेज्जा,
पाणे अइवायंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा,

यही धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है । समस्त लोक को केवल-ज्ञान के प्रकाश में जानकर जीवों के खेद (पीड़ा) को या क्षेत्र को जानने वाले श्री तीर्थंकरों ने इस धर्म का प्रतिपादन किया है ।

जो ये त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनका वह भिक्षु स्वयं समारम्भ नहीं करता,

न वह दूसरों से समारम्भ कराता है,

और न ही समारम्भ करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करता है ।

इस कारण से वह साधु महान् कर्मों के आदान (बन्धन) से मुक्त हो जाता है, शुद्ध संयम में उद्यत रहता है तथा पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है ।

(औदारिक-त्रस-स्थावर जीव रूप) जगत् का (वात्य-यौवन-वृद्धत्व आदि) संयोग—अवस्थाविशेष अथवा भोग—मन वचन काया की प्रवृत्ति उदार स्थूल है—इन्द्रियप्रत्यक्ष है और वे (जीव) विपर्यय (दूसरे पर्याय) को भी प्राप्त होते हैं तथा सभी प्राणी दुःख से आक्रान्त—पीड़ित हैं, अतः सभी प्राणी अहिंस्य—हिंसा करने योग्य नहीं—हैं ।

विशिष्ट विवेकी पुरुष के लिए यही सार—न्यायसंगत निष्कर्ष है कि वह (स्थावर या जंगम) किसी भी जीव की हिंसा न करे । अहिंसा के कारण सब जीवों पर समता रखना और (उपलक्षण से सत्य आदि) इतना ही जानना चाहिए, अथवा अहिंसा का समय (सिद्धान्त या आचार) इतना ही समझना चाहिए ।

प्रथम महाव्रत आराधन प्रतिज्ञा—

३१६. भन्ते ! पहले महाव्रत में प्राणातिपात से विरमण होता है ।

भन्ते ! मैं सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

सूक्ष्म या स्थूल, त्रस या स्थावर

उस प्राणातिपात के चार प्रकार कहे हैं—

(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से ।

(१) द्रव्य से छहों जीवनिकाय में,

(२) क्षेत्र से सर्वलोक में,

(३) काल से दिन में या रात में,

(४) भाव से राग या द्वेष से ।

जो भी प्राणी हैं उनके प्राणों का अतिपात मैं स्वयं नहीं करूँगा, दूसरों से नहीं कराऊँगा और अतिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा,

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेषं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।^१

पढमे भन्ते ! महव्वए उवट्टिओमि सव्वओ पाणाइवायाओ वेरमणं ।^२ —दस. अ. ४, सु. ११

पढम महव्वय पंच भावणाओ—

३२०. पढमं भन्ते ! महव्वयं पच्चवखामि सव्वं पाणातिवातं ।

से सुहमं वा, वायरं वा, तसं वा, थावरं वा, णेव सयं पाणातिवातं करेज्जा, नेवऽण्णं पाणातिवातं कारवेज्जा, अण्णं पि पाणातिवातं करंतं ण समणुजाणेज्जा ।

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा, वयसा, कायसा ।

तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।

तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति ।

१. तत्थिम्मा पढमा भावणा—रियासमिते से णिग्गंथे, णो अणरियासमिते त्ति ।

केवली ब्रया—“इरियाअसमिते से णिग्गंथे पाणाइं भूयाइं जीवाइं सत्ताइं अमिहणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, परियावेज्ज वा, लेसेज्ज वा; उट्टेज्ज वा । इरियासमिते से णिग्गंथे, णो इरियाअसमिते त्ति पढमा भावणा ।

२. अहावरा दोच्चा भावणा—मणं परिजाणति से णिग्गंथे,

जे य मणे पावए सावज्जे सकिरिए अण्हयकरे छेदकरे भेदकरे अधिकरणिए पादोसिए पारिताविए पाणातिवाइए भूतोवघातिए तह्वप्यारं मणं णो पघारेज्जा । मणं परिजाणति से णिग्गंथे, जे य मणे अपावए त्ति दोच्चा भावणा ।

यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योगं से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं उससे निवृत्त होता हूँ, निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ और (कपाय) आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भन्ते ! मैं पहले महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व प्राणातिपात की विरति होती है ।

प्रथम महाव्रत और उसकी पाँच भावना—

३२०. भन्ते ! मैं प्रथम महाव्रत में सम्पूर्ण प्राणातिपात (हिंसा) का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ ।

मैं सूक्ष्म-स्थूल (वादर) और त्रस-स्थावर समस्त जीवों का न तो स्वयं प्राणातिपात (हिंसा) करूँगा, न दूसरों से कराऊँगा और न प्राणातिपात करने वालों का अनुमोदन—समर्थन करूँगा, इस प्रकार मैं यावज्जीवन तीन करण से एवं मन, वचन, काया से—तीन योगों से इस पाप से निवृत्त होता हूँ ।

हे भगवन् ! मैं उस पूर्वकृत पाप (हिंसा) का प्रतिक्रमण करता, (पीछे हटता हूँ,) (आत्म-साक्षी से—) निन्दा करता हूँ, और (गुरु साक्षी से—) गद्दी करता हूँ, अपनी आत्मा से पाप का व्युत्सर्ग (पृथक्करण) करता हूँ ।

उस प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ होती हैं—

(१) उसमें पहली भावना यह है—निर्ग्रन्थ ईर्यासिमिति से युक्त होता है, ईर्यासिमिति से रहित नहीं ।

केवली भगवान् कहते हैं—“ईर्यासिमिति से रहित निर्ग्रन्थ प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का हनन करता है, धूल आदि से ढकता है, दवा देता है, परिताप देता है, चिपका देता है, या पीड़ित करता है । इसलिए निर्ग्रन्थ ईर्यासिमिति से युक्त होकर रहे, ईर्यासिमिति से रहित होकर नहीं ।” यह प्रथम भावना है ।

(२) इसके पश्चात् दूसरी भावना यह है—मन को जो अच्छी तरह जानकर पापों से हटाता है वह निर्ग्रन्थ है ।

जो मन पापकर्ता सावद्य (पाप से युक्त) है, क्रियाओं से युक्त है, कर्मों का आस्रवकारक है छेदन-भेदनकारी है, क्लेश-द्वेषकारी है, परितापकारक है । प्राणियों के प्राणों का अतिपात करने वाला और जीवों का उपघातक है । इस प्रकार के मन (मानसिक विचारों) को धारण (ग्रहण) न करे । मन को जो भलीभाँति जानकर पापमय विचारों से दूर रखता है । जिसका मन पापों (पापमय विचारों) से रहित है, वह निर्ग्रन्थ है । यह द्वितीय भावना है ।

समता सव्वभूएसु, सत्तु-मित्तिसु वा जणे । पाणाइवायविरइं, जावज्जीवाए दुक्करे ।

३. महावरा तच्चा भावणा—वहं परिजाणति से णिग्गंथे,

जा य वई पाविद्या सावज्जा सकिरिया-जाव-भूतोवघातिया
तहप्पगारं वइं णो उच्चारेज्जा ।

जे वइं परिजाणति से णिग्गंथे जा य वइ अपाविद्या त्ति
तच्चा भावणा ।

४. महावरा चउत्था भावणा—आयाणभंडमत्तणिकखेवणा-
समित्ते से णिग्गंथे, णो अणादाणभंडमत्तणिकखेवणाऽसमित्ते ।

केवली ब्रूया—“आदाणभंडनिकखेवणासमित्ते से णिग्गंथे
पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं अभिहणेज्ज वा-जाव-उह्वेज्ज
वा । तम्हा आयाणभंडनिकखेवणासमित्ते से णिग्गंथे, णो
अणादाणभंडनिकखेवणाऽसमित्ते त्ति चउत्था भावणा ।

५. महावरा पंचमा भावणा—आलोइयपाण-भोयणभोई से
णिग्गंथे णो अणालोइयपाण-भोयणभोई ।

केवली ब्रूया—“अणालोइयपाण - भोयणभोई से णिग्गंथे
पाणाणि वा, भूताणि वा, जीवाणि वा, सत्ताणि वा अभि-
हणेज्ज वा-जाव-उह्वेज्ज वा । तम्हा आलोइयपाण-भोयण-
भोई से णिग्गंथे, णो अणालोइयपाण-भोयणभोई त्ति पंचमा
भावणा ।^१

एत्ताव ताव मह्व्वयं सम्मं काएणं फासिते पालित्ते तीरिए
किट्ठित्ते अवट्ठित्ते आणाए आराहिते यावि भवति ।

पढमे भंते ! मह्व्वए पाणाइवाताओ वेरमणं ।

—भा. सु. २, अ. १५, नु. ७७७-७७९

(३) इसके अनन्तर तृतीय भावना यह है—जो साधक
वचन का स्वरूप भलीभाँति जानकर सदोप वचनों का परित्याग
करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।

जो वचन पापकारी सावद्य क्रियाओं से युक्त यावत् जीवों
का उपघातक है; साधु इस प्रकार के वचन का उच्चारण न
करे ।

औं वाणी के दोषों को भलीभाँति जानकर सदोप वाणी का
परित्याग करता है वही निर्ग्रन्थ है । उसकी वाणी पापदोष रहित
हो, यह तृतीय भावना है ।

(४) तदनन्तर चौथी भावना यह है—जो आदानभाण्डमात्र
निक्षेपण समिति से युक्त है, वह निर्ग्रन्थ है । जो आदानभाण्डमात्र
निक्षेपण समिति से रहित है वह निर्ग्रन्थ नहीं है ।

केवली भगवान् कहते हैं—जो निर्ग्रन्थ—आदानभाण्डमात्र
निक्षेपण समिति से रहित है, वह प्राणियों, भूतों, जीवों और
सत्त्वों का अभिघात करता है,—यावत्—पीड़ा पहुँचाता है ।
इसलिए जो आदान-भाण्डमात्रनिक्षेपण समिति से युक्त है वही
निर्ग्रन्थ है, जो आदानभाण्ड (मात्र) निक्षेपण समिति से रहित
है, वह निर्ग्रन्थ नहीं है । यह चतुर्थ भावना है ।

(५) इसके पश्चात् पाँचवीं भावना यह है—जो साधक
आलोकित पानभोजनभोजी होता है, वह निर्ग्रन्थ होता है, अना-
लोकित पान-भोजन-भोजी नहीं ।

केवली भगवान् कहते हैं—जो विना देखे-भाले ही आहार-
पानी सेवन करता है । वह निर्ग्रन्थ प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों
का हनन करता है,—यावत्—उन्हें पीड़ा पहुँचाता है । अतः
जो देखभाल कर आहार-पानी का सेवन करता है, वही निर्ग्रन्थ
है । विना देखे भाले आहार-पानी करने वाला नहीं । यह
पंचम भावना है ।

इस प्रकार पाँच भावनाओं से विशिष्ट तथा साधक द्वारा
स्वीकृत प्राणातिपात विरमणरूप प्रथम महाव्रत का सम्यक् प्रकार
काया से स्पर्श करने पर, उसका पालन करने पर, गृहीत महा-
व्रत को भलीभाँति पार लगाने पर, उसका कीर्तन करने पर,
उसमें अवस्थित रहने पर, भगवदाज्ञा के अनुरूप आराधन हो
जाता है ।

हे भगवन् ! यह प्राणातिपातविरमणरूप प्रथम महाव्रत है ।

१ (क) समवायांग सूत्र में अहिंसा महाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं—१. ईयांसमिति, २. मनोगुप्ति, ३. वचनगुप्ति, ४. आलोक
भाजन भोजन, ५. आदानभाण्डमात्रनिक्षेपण समिति ।

—सम. सम. २५, सु. १

(ख) प्रश्नव्याकरण में अहिंसा महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—१. ईयांसमिति, २. अपापगमन, ३. अपापवचन,
४. एपणा समिति, ५. आदान निक्षेपण समिति ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ७-११

विशेष के लिए देखें इसी विभाग का परिशिष्ट ।

अहिंसाए सट्टी नामाहं—

३२१. तत्य पढमं अहिंसा, तस-थावर-सत्त्वभूय-खेमंकरी ।

तीसे समावणाओ, किंचि वोच्छं गुणुहेसं ॥

तत्य पढमं अहिंसा ।

जा सा सदेव मणुयामुरस्स लोगस्स भवइ दीवो

त्ताणं सरणं गइ पइट्ठा ।

१. निश्वाणं,

२. निध्वुई,

३. समाही,

४. सत्ती,

५. कित्ती,

६. कंती,

७. रत्ती य,

८. विरत्ती य,

९. सुयंग,

१०. तिसी,

११. दया,

१२. विमुत्ती,

१३. क्षंती,

१४. समत्ताराहणा,

अहिंसा के साठ नाम—

३२१. इन संवरद्वारों में प्रथम जो अहिंसा है, वह तस और थावर—समस्त जीवों का क्षेम-कुशल करने वाली है ।

में पाँच भावनाओं सहित अहिंसा के गुणों का कुछ कथन करूँगा ।

उन (पूर्वोक्त) पाँच संवरद्वारों में प्रथम संवरद्वार अहिंसा है ।

यह अहिंसा देवों, मनुष्यों और अमुरों सहित समग्र लोक के लिए द्वीप अथवा दीप (दीपक) के समान है ।

त्राण है—विविध प्रकार के जागतिक दुःखों से पीड़ित जनों की रक्षा करने वाली है । शरणदात्री है, उन्हें शरण देने वाली है । कल्याणकामी जनों के लिए गति-गम्य है—प्राप्त करने योग्य है तथा समस्त गुणों एवं सुखों का आधार है ।

(अहिंसा के निम्नलिखित नाम हैं ।)

(१) निर्वाण—मुक्ति का कारण है ।

(२) निर्वृत्ति—दुर्घ्यानरहित होने से मानसिक स्वस्थता-रूप है ।

(३) समाधि—समता का कारण है ।

(४) शक्ति—आध्यात्मिक शक्ति या शक्ति का कारण है । (कही-कहीं "सत्ती" के स्थान पर "सन्ती" पद मिलता है, जिसका अर्थ है—शांति, अहिंसा में परद्रोह की भावना का अभाव होता है, अतएव वह शान्ति भी कहलाती है ।)

(५) कीर्ति—कीर्ति का कारण है ।

(६) कान्ति—अहिंसा के आराधक में कान्ति—तेजस्विता उत्पन्न हो जाती है, अतः वह कान्ति है ।

(७) रति—प्राणिमात्र के प्रति प्रीति, मैत्री, अनुरक्ति—आत्मीयता को उत्पन्न करने के कारण वह रति है ।

(८) विरति—पापों से विरक्ति ।

(९) श्रुतांग—समीचीन श्रुतज्ञान इसका कारण है, अर्थात् सत् शास्त्रों के अध्ययन मनन से अहिंसा उत्पन्न होती है, इस कारण इसे श्रुतांग कहा गया है ।

(१०) तृप्ति—सन्तोषवृत्ति भी अहिंसा का एक अंग है ।

(११) दया—कष्ट पाते हुए, मरते हुए या दुःखित प्राणियों की करुणाप्रेरित भाव से रक्षा करना, यथाशक्ति दूसरे के दुःख का निवारण करना ।

(१२) विमुक्ति—बन्धनों से पूरी तरह छुड़ाने वाली ।

(१३) क्षान्ति—क्षमा, यह भी अहिंसा का रूप है ।

(१४) सम्यक्त्वा राधना—सम्यक्त्व की आराधना—सेवना । कारण ।

१५. महंती, (१५) महती—समस्त व्रतों में महान्-प्रधान-जिनमें संस्कृत व्रतों का समावेश हो जाए ।
१६. बोही, (१६) बोधि—धर्म प्राप्ति का कारण ।
१७. बुद्धी, (१७) बुद्धि—बुद्धि को सार्थकता प्रदान करने वाली ।
१८. धिई, (१८) धृति—चित्त की धीरता—दृढ़ता ।
१९. समिद्धी, (१९) समृद्धि—सब प्रकार की सम्पत्तता से युक्त—जीवन को आनन्दित करने वाली ।
२०. रिद्धी, (२०) ऋद्धि—लक्ष्मी प्राप्ति का कारण ।
२१. विद्धी, (२१) वृद्धि—पुण्य एवं धर्म की वृद्धि का कारण ।
२२. ठिती, (२२) स्थिति—मुक्ति में प्रतिष्ठित करने वाली ।
२३. पुट्टी, (२३) पुष्टि—पुण्यवृद्धि से जीवन को पुष्ट बनाने वाली अथवा पाप का अपचय करके पुण्य का उपचय करने वाली ।
२४. नंदा, (२४) नन्दा—स्व और पर को आनन्द-प्रमोद प्रदान करने वाली ।
२५. भद्रा, (२५) भद्रा—स्व का और पर का भद्र—कल्याण करने वाली ।
२६. विशुद्धी, (२६) विशुद्धि—आत्मा को विशिष्ट शुद्ध बनाने वाली ।
२७. लब्धि, (२७) लब्धि—केवलज्ञान आदि लब्धियों का कारण ।
२८. विसिद्धिद्धी, (२८) विशिष्ट दृष्टि—विचार और आचार में अनेकान्त प्रधान दर्शनवाली ।
२९. कल्याणं, (२९) कल्याण—कल्याण या शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का कारण ।
३०. मंगलं, (३०) मंगल—पाप-विनाशिनी, सुख उत्पन्न करने वाली, भव-सागर से तारने वाली ।
३१. प्रमोदो, (३१) प्रमोद—स्व-पर को हर्ष उत्पन्न करने वाली ।
३२. विभूति, (३२) विभूति—ऐश्वर्य का कारण ।
३३. रक्षा, (३३) रक्षा—प्राणियों को दुःख से बचाने की प्रकृतिरूप, आत्मा को सुरक्षित बनाने वाली ।
३४. सिद्धावासो, (३४) सिद्धावास—सिद्धों में निवास कराने वाली, मुक्ति-धाम में पहुँचाने वाली मोक्ष हेतु ।
३५. अणासवो, (३५) अनासव—आते हुए कर्मों का निरोध करने वाली ।
३६. केवलीणंठाणं, (३६) केवली-स्थानम्—केवलियों के लिए स्थानरूप ।
३७. सिवं, (३७) शिव—सुख स्वरूप, उपद्रवों का शमन करने वाली ।
३८. समिद्धि, (३८) समिति—सम्यक् प्रवृत्ति ।
३९. शीलं, (३९) शील—सदाचार स्वरूपा, समीचीन आचार ।
४०. संजमो त्ति य, (४०) संयम—मन और इन्द्रियों का निरोध तथा जीव रक्षा रूप ।
४१. शीलपरिग्रहो, (४१) शीलपरिग्रह—सदाचार अथवा ब्रह्मचर्य का धर-चारित्र्य का स्थान ।

४२. संवरो य,

४३. गुप्ति,

४४. व्यवसायो,

४५. उत्सवो,

४६. जज्ञो,

४७. आयतनं,

४८. यतनां,

४९. अप्रमादो,

५०. आश्वासो,

५१. विश्वासो,

५२. अभयो,

५३. सर्वस्व वि अमाघातो,

५४. चोक्ष,

५५. पवित्रा,

५६. शुचि,

५७. पूजा,

५८. विमला,

५९. प्रभासा य,

६०. निर्मलतरा त्ति,

एवमादीणि नियमगुणनिम्नयाहं पञ्जवनामाणि ह्येति,
अहिंसाए भगवतीए ।

—पण्ह० सु० २, अ० १, सु० २

अहिंसा भगवईए अट्टोवमा—

३२२. एसा सा भगवइ अहिंसा,

१. ज्ञा सा भीयाण विव सरणं,

२. पक्खीणं विव गमणं,

३. तिसियाणं विव सल्लं,

(४२) संवर—आसन्न का निरोध करने वाली ।

(४३) गुप्ति—मन, वचन, काय की असत् प्रवृत्ति को रोकना ।

(४४) व्यवसाय—विशिष्ट-उत्कृष्ट निश्चय रूप ।

(४५) उत्सव्य—प्रणस्त भावों की उत्पत्ति—वृद्धि समुदाय ।

(४६) यज्ञ—भाव देवपूजा अथवा यत्न—जीव रक्षा में सावधानतास्वरूप ।

(४७) आयतन—समस्त गुणों का स्थान ।

(४८) यतना—प्रमाद—लापरवाही आदि का त्याग ।

(४९) अप्रमाद—मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा इन पाँच प्रमादों का त्याग ।

(५०) आश्वासन—प्राणियों के लिए आश्वासन-तसल्ली ।

(५१) विश्वास—समस्त जीवों के विश्वास का कारण ।

(५२) अभय—प्राणियों को निर्भयता प्रदान करने वाली, स्वयं आराधक को भी निर्भय बनाने वाली ।

(५३) सर्वस्व अमाघात—प्राणिमात्र की हिंसा का निषेध अथवा अमारी-धोपणा स्वरूप ।

(५४) चोक्ष—चोखी, शुद्ध, भली प्रतीत हाने वाली ।

(५५) पवित्रा—अत्यन्त पावन—वज्र सरीखे घोर आघात से भी त्राण करने वाली ।

(५६) शुचि—भाव की अपेक्षा शुद्ध—हिंसा आदि मलीन भावों से रहित, निष्कलंक ।

(५७) पूजा—पूजा, विशुद्ध या भाव से देवपूजा रूप ।

(५८) विमला—स्वयं निर्मल एवं निर्मलता का कारण ।

(५९) प्रभासा—आत्मा को दीप्ति प्रदान करने वाली, प्रकाशमय ।

(६०) निर्मलतरा—अत्यन्त निर्मल अथवा आत्मा को अतीव निर्मल बनाने वाली ।

अहिंसा भगवती के (पूर्वोक्त तथा इसी प्रकार के अन्य) इत्यादि स्वगुण निष्पन्न (अपने गुणों से निष्पन्न हुए) पर्यायवाची नाम हैं ।

भगवती अहिंसा की आठ उपमाएँ—

३२२. यह अहिंसा भगवती जो है; सो—

(१) (संसार के समस्त) भयभीत प्राणियों के लिए शरणभूत है,

(२) पक्षियों के लिए आकाश में गमन करने (उड़ने) के समान है,

(३) यह अहिंसा प्यास से पीड़ित प्राणियों के लिए जल के समान है,

४. खुहियाणं विव असणं,
 ५. समुद्मज्जे व पोयवहणं,
 ६. चउप्पयाणं व आसमपयं,
 ७. दुहट्टियाणं व ओसहिबलं,
 ८. अडवीमज्जे व सत्थगमणं,

एतो विसिट्ठतरिया अहिंसा जा सा पुढवी-जल-अगणि-मारुय-
 वणस्तइ-वीय-हरिय-जलयर-थलयर-खहयर-तस-थावर-सव्व-
 भूय-खेमंकरी ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ३

अहिंसा सरूपरूपवगा पालगा य—

३२३. एसा भगवई अहिंसा जा सा अपरिमिय-णाणवंसणधरेहि
 सील-गुण-विणय-तव-संयम-णायगेहि, तिरथकरेहि सव्वजग-
 जीववच्छलेहि तिलोयमहिएहि जिणवरेहि (जिणंदेहि)
 सुट्ठुदिट्ठा,

ओहिजिणेहि विण्णाया,
 उज्जुमईहि विदिट्ठा,
 विउत्तमईहि विदिआ,
 पुव्वधरेहि अहीया,

वेउव्वीहि पतिण्णा,

१. आभिणिबोहियणाणीहि, २. सुयणाणीहि,
 ३. ओहिनाणीहि, ४. मणपज्जवणाणीहि, ५. केवलणाणीहि,

१. आमोसहिपत्तेहि, २. खेलोसहिपत्तेहि, ३. विप्पोसहिपत्तेहि,
 ४. जल्लोसहिपत्तेहि, ५. सव्वोसहिपत्तेहि ।

१. वीयबुद्धीहि, २. कुट्टबुद्धीहि, ३. पयाणुसारीहि,
 ४. संभिण्णसोएहि, ५. सुयधरेहि ।

- (४) भूखों के लिए भोजन के समान है,
 (५) समुद्र के मध्य डूबते हुए जीवों के लिए जहाज
 समान है,
 (६) चतुष्पद—पशुओं के लिए आश्रय (स्थान) के
 समान है,
 (७) दुःखों से पीड़ित—रोगी जनों के लिए औषध-बल के
 समान है,
 (८) भयानक जंगल में सार्थ—संघ के साथ गमन करने के
 समान है ।

(क्या भगवती अहिंसा वास्तव में जल, अन्न, औषध, यात्रा
 में सार्थ (समूह) आदि के समान ही है ? नहीं ।) भगवती
 अहिंसा इनसे भी विशिष्ट है, जो पृथ्वीकायिक, जलकायिक,
 अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बीज, हरितकाय,
 जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस और स्थावर सभी जीवों का क्षेम-
 कुशल-मंगल करने वाली है ।

अहिंसा स्वरूप के प्ररूपक और पालक—

३२३. यह भगवती अहिंसा वह है जो अपरिमित—अनन्त केवल-
 ज्ञान-दर्शन को धारण करने वाले, शीलरूप गुण, विनय, तप और
 संयम के नायक—इन्हें चरम सीमा तक पहुँचाने वाले, तीर्थ की
 संस्थापना करने वाले—प्रवर्तक, जगत के समस्त जीवों के प्रति
 वात्सल्य धारण करने वाले, त्रिलोक पूजित जिनवरों (जिनेन्द्रों)
 द्वारा अपने केवलज्ञान-दर्शन द्वारा सम्यक् रूप में स्वरूप, कारण
 और कार्य के दृष्टिकोण से निश्चित की गई है ।

विशिष्ट अवधिज्ञानियों द्वारा विज्ञात की गई है ।

ऋजुमति-मनःपर्यवज्ञानियों द्वारा देखी-परखी गई है ।

विपुलमति-मनःपर्यवज्ञानियों द्वारा ज्ञात की गई है ।

चतुर्दश पूर्वश्रुत के धारक मुनियों ने इसका अध्ययन
 किया है ।

वित्रियालब्धिधारकों ने इसका आजीवन पालन किया है ।

(१) आभिनिबोधिक-मतिज्ञानियों ने, (२) श्रुतज्ञानियों ने,
 (३) अवधिज्ञानियों ने, (४) मनःपर्यवज्ञानियों ने, (५) केवल-
 ज्ञानियों ने,

(१) आमषौषधिलब्धि के धारक, (२) श्लेष्मीषधिलब्धि के
 धारक, (३) विप्रौषधिलब्धि धारकों, (४) जल्लौषधिलब्धि-
 धारकों, (५) सर्वाँषधिलब्धिप्राप्त,

(१) बीजबुद्धि, (२) कोष्ठबुद्धि, (३) पदानुसारिबुद्धि—
 लब्धि के धारकों, (४) सम्भिन्नश्रोतसुलब्धि के धारकों, (५) श्रुत-
 धरों ने ।

१. मणबलिर्एहि, २. वयबलिर्एहि, ३. कायबलिर्एहि ।

(१) मनोवली, (२) वचनवली और (३) कायवली मुनियों ने

१. गाणबलिर्एहि, २. दंसणबलिर्एहि, ३. चरित्तबलिर्एहि,

(१) ज्ञानवली, (२) दर्शनवली तथा (३) चारित्र्यवली महापुरुषों ने

१. खीरासवेहि, २. मध्वासवेहि,
३. सप्पियासवेहि, ४. अक्खीणमहाणसिर्एहि,

(१) क्षीरास्रवलन्धिघारी, (२) मध्वास्रवलन्धिघारी, (३) सर्पिरास्रवलन्धिघारी तथा (४) अक्खीण महानसलन्धि के धारकों ने,

१. चारणेहि, विज्जाहरेहि ।

(१) चारणों और विद्याधरों ने,

चउत्तयभत्तिर्एहि एवं-जाव-उम्मासभत्तिर्एहि,

चतुर्थभक्तिकों—एक-एक उपवास करने वालों से लेकर—यावत्—छः मास भक्तिक तपस्वियों ने इसी प्रकार—

१. उक्खित्तचरर्एहि, २. णिक्खित्तचरर्एहि,
२. अन्तचरर्एहि, ४. पन्तचरर्एहि,
५. लूहचरर्एहि, ६. अण्णइलाएहि,
७. समुयाणचरर्एहि, ८. मोणचरर्एहि,
९. संसट्टकप्पिर्एहि, १०. तज्जायसंसट्टकप्पिर्एहि,
११. उवणिर्एहि, १२. सुद्धेसणिर्एहि,
१३. संखाबत्तिर्एहि, १४. विट्ठलाभिर्एहि,
१५. अट्ठिताभिर्एहि, १६. पुट्टलाभिर्एहि,
१७. आयंभित्तर्एहि, १८. पुरिमडिडर्एहि,
१९. एक्कासणिर्एहि, २०. णिविड्ढर्एहि,
२१. भिण्णपिंडवाइर्एहि, २२. परिमियपिंडवाइर्एहि,
२३. अंताहारर्एहि, २४. पंताहारर्एहि,
२५. अरसाहारर्एहि, २६. बिरसाहारर्एहि,
२७. लूहाहारर्एहि, २८. तुच्छाहारर्एहि,
२९. अन्तजीवीर्एहि, ३०. पन्तजीवीर्एहि,
३१. लूहजीवीर्एहि, ३२. तुच्छजीवीर्एहि,
३३. उवसन्तजीवीर्एहि, ३४. पसन्तजीवीर्एहि,
३५. विवित्तजीवीर्एहि,
३६. अक्खीरमट्टसप्पिर्एहि,

(१) उत्क्षिप्तचरक, (२) निक्षिप्तचरक,
(३) अन्तचरक, (४) प्रान्तचरक,
(५) रूक्षचरक, (६) अन्नग्लायक,
(७) समुदानचरक, (८) मौनचरक,
(९) संसृष्टकल्पिक, (१०) तज्जातसंसृष्टकल्पिक,
(११) उपनिधिक, (१२) शुद्धैपणिक,
(१३) संख्यादत्तिक, (१४) दृष्टलाभिक,
(१५) अदृष्टलाभिक, (१६) पृष्टलाभिक,
(१७) आचाम्लक, (१८) पुरिर्माधिक,
(१९) एकाशनिक, (२०) निर्विकृतिक,
(२१) भिन्नपिण्डपातिक, (२२) परिमितपिण्डपातिक,
(२३) अन्ताहारी, (२४) प्रान्ताहारी,
(२५) अरसाहारी, (२६) बिरसाहारी,
(२७) रूक्षाहारी, (२८) तुच्छाहारी,
(२९) अन्तजीवी, (३०) प्रान्तजीवी,
(३१) रूक्षजीवी, (३२) तुच्छजीवी,
(३३) उपशान्तजीवी (३४) प्रशान्तजीवी,
(३५) विवित्तजीवी तथा
(३६) दूध, मधु और घृत का यावज्जीवन त्याग करने वालों ने,

३७. अमज्जमंसासिर्एहि ।

(३७) मद्य और मांस से रहित आहार करने वालों ने,

१. ठाणाइर्एहि,
२. पडिमंठाइर्एहि, ३. ठाणुक्कटिर्एहि,
४. वीरासणिर्एहि, ५. णेसज्जिर्एहि, ६. बंडाइर्एहि,
७. लगंडसाइर्एहि, ८. एणपासणेहि, ९. आयावएहि,
१०. अप्पावएहि, ११. अणिट्टमएहि, १२. अकंडूयएहि,
१३. घुयकेसमंसुत्तोमणएहि,

(१) कायोत्सर्ग करके एक स्थान पर स्थिर रहने का अभिग्रह करने वालों ने, (२) प्रतिमास्थायिकों ने, (३) स्थानोत्कटियों ने, (४) वीरासनिकों ने, (५) नैपथिकों ने, (६) दण्डायतिकों ने (७) लगण्डशायिकों ने, (८) एकपाश्वरकों ने, (९) आतापकों ने, (१०) अद्रावतों ने, (११) अनिष्ठीवकों ने, (१२) अकंडूयकों ने, (१३) घृतकेश-श्मश्रु-लोम-नख अर्थात् सिर के बाल, दाढ़ी मूँछ और नखों का संस्कार करने का त्याग करने वालों ने,

१४. उच्चगायपडिकम्मविप्पमुक्केहिं, समणुच्चिण्णा,

(१४) सम्पूर्ण शरीर के प्रक्षालन आदि संस्कार के त्यागियों ने,

सुयहरविद्वयत्थकायबुद्धीहिं धीरमइबुद्धिणो य ।

जे ते आसीविसउगतेयकप्पा, णिच्छयववसायपज्जत्तकयमईया,
णिच्चं सज्जायज्जाणअणुबद्धधम्मज्ञाणा, पंचमहव्वयचरित्त-
जुत्ता, समिया समिइसु समियपावा छव्विहजगवच्छला
णिच्चमप्पमत्ता एएहिं अण्णेहिं य जा सा अणुपालिया
भगवई ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ४

अप्पसमद्विटी—

३२४. तुमं सि णाम तं चेव जं हंतव्वं ति मण्णसि,
तुमं सि णाम तं चेव जं अज्जावेतव्वं ति मण्णसि,
तुमं सि णाम तं चेव जं परितावेतव्वं ति मण्णसि,
तुमं सि णाम तं चेव जं परिघेतव्वं ति मण्णसि,

एवं तं चेव जं उद्वेतव्वं ति मण्णसि ।
अंजू चेयं पडिबुद्धजीवी । तम्हा ण हंता, ण वि घातए ।

अणुसवेयणमप्पाणेणं जं हंतव्वं णामिपत्थए ।
—आ. सु. १, अ. ५, उ. ५, सु. १७०
इणमेव णावकंखंति, जे जणा धुवचारिणो ।
जाती-मरणं परिण्णाय, चरे संकमणे वढे ॥

णत्थि कालस्स णागमो
—आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७८
पभू एजस्स दुगुच्छणाए । आतंकदंसी अहियं ति णच्चा ।

जे अज्झत्थं जाणति से बहिया जाणति, ।
जे बहिया जाणति से अज्झत्थं जाणति ।
एयं तुलमण्णेसिं ।
इहू संतिगता बहिया णावकंखंति जीविउं ।
—आ. सु. १, अ. १, उ. ७, सु. ५६

श्रुतधरों के द्वारा तत्त्वार्थ को अवगत करने वाली बुद्धि के धारक महापुरुषों ने (अहिंसा भगवती का) सम्यक् प्रकार से आचरण किया है ।

(इनके अतिरिक्त) आशीविष सर्प के सामान उग्र तेज से सम्पन्न महापुरुषों ने, वस्तुतत्त्व का निश्चय और पुरुषार्थ—दोनों में पूर्ण कार्य करने वाली बुद्धि से सम्पन्न महापुरुषों ने, नित्य स्वाध्याय और वित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यान करने वाले तथा धर्म ध्यान में निरन्तर चित्त को लगाये रखने वाले पुरुषों ने, पाँच महाव्रत स्वरूप चारित्र्य से युक्त तथा पाँच समितियों से सम्पन्न, पापों का शमन करने वाले, पट् जीवनिकायरूप जगत के वत्सल, निरन्तर अप्रमादी रहकर विचरण करने वाले महात्माओं ने तथा अन्य विवेकविभूषित सत्पुरुषों ने अहिंसा भगवती की आराधना की है ।

आत्मसमदृष्टि—

३२४. तू वही है, जिसे तू हनन योग्य मानता है;
तू वही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है;
तू वही है, जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है;
तू वही है, जिसे तू दास बनाने हेतु ग्रहण करने योग्य मानता है;
और तू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है ।
ज्ञानी पुरुष ऋजु-सरल होता है, वह प्रतिबोध पाकर जीने वाला होता है इसके कारण वह स्वयं हनन नहीं करता और न दूसरों से हनन करवाता है ।

कृत कर्म के अनुरूप स्वयं को ही उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए किसी का हनन करने की इच्छा मत करो ।

जो पुरुष मोक्ष की ओर गतिशील हैं वे इस (विपर्यासपूर्ण जीवन को जीने) की इच्छा नहीं करते (विपर्यासपूर्ण जीवन जीने वाले के) जन्म-मरण को जानकर वह मोक्ष के सेतु पर दृढ़तापूर्वक चले ।

मृत्यु के लिए कोई भी क्षण अनवसर नहीं है (वह किसी भी क्षण आ सकती है) ।

साधनाशील पुरुष हिंसा में आतंक देखता है, उसे अहित मानता है । अतः वायुकायिक जीवों की हिंसा से निवृत्त होने में समर्थ होता है ।

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य संसार को भी जानता है । जो बाह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है ।

इस तुला (स्व-पर की तुलना) का अन्वेषण कर, चिन्तन कर ।

इस (जिनशासन में) जो शान्ति प्राप्त (कषाय जिनके उपशान्त हो गये हैं) और दयाद्रुहृदय वाले (द्रविक) मुनि हैं, वे जीव-हिंसा करके जीना नहीं चाहते ।

षड्जीवनिकाय का स्वरूप एवं हिंसा का निषेध

भगवया छ जीवनिकाया परूषिया—

३२५. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमकषायं—इह खलु छज्जी-
वणिया नामज्जयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं
पवेइया सुयकषाया सुपन्नता ।

सेयं मे अहिज्जिज्जं अज्जयणं धम्मपन्नती ।

प०—कयरा खलु सा छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेणं भग-
वया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुयकषाया सुपन्नता ।
सेयं मे अहिज्जिज्जं अज्जयणं धम्मपन्नती ।

उ०—इमा खलु सा छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेणं भग-
वया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुयकषाया सुपन्नता ।
सेयं मे अहिज्जिज्जं अज्जयणं धम्मपन्नती तं जहा—

१. पुढिकाइया, २. आउकाइया, ३. तेउकाइया,
४. वाउकाइया, ५. वणस्सइकाइया, ६. तसकाइया ।
—दस. अ. ५, सु. १-३

छण्हं जीवणिकायाणं अणारंभपइण्णा—

३२६. इच्चैसि छण्हं जीवणिकायाणं नेव सयं वंडं समारंभेज्जा,
नेवन्नेहि वंडं समारंभावेज्जा, वंडं समारंभंते वि अन्ने न
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तियिहं तिविहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-
जाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।
—दस. अ. ५, सु. १०

उवेहेणं वहिया य लोकं ।

से सव्वलोकंसि जे केइ विण्णु ।

अणुवियि पास ! णिक्खित्तदंडा जे केइ सत्ता पलियं चयंति ।

णरा मृतच्चा धम्मविदु ति अंजू,

भगवान ने छह जीवनिकाय प्ररूपित किये हैं—

३२५. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान् ने इस प्रकार
कहा—निग्रन्थ-प्रवचन में निश्चय ही षड्जीवनिका नामक अध्य-
यन काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित सु-
आख्यात और सुप्रज्ञप्त है ।

इस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है ।

प्र०—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन कौन-सा है जो
काश्यप-गोत्री श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात
और सु-प्रज्ञप्त है, जिस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए
श्रेय है ?

उ०—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन जो काश्यप-गोत्री
श्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त
है, जिस धर्म-प्रज्ञप्ति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है—यह
है जैसे—

(१) पृथ्वीकायिक, (२) अप्कायिक, (३) तेजस्कायिक,
(४) वायुकायिक, (५) वनस्पतिकायिक और (६) त्रसकायिक ।

छह जीवनिकायों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा—

३२६. इन छह जीव-निकायों के प्रति स्वयं दण्ड-समारम्भ नहीं
करना चाहिए, दूसरों से दण्ड-समारम्भ नहीं कराना चाहिए और
दण्ड-समारम्भ करने वालों का अनुमोदन नहीं करना चाहिए ।
यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन
से, काया से—न करूंगा, न कराऊंगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूंगा ।

भन्ते ! मैं अतीत में किए दण्ड समारम्भ से निवृत्त होता
हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और (कपाय-) आत्मा
का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

इस (धर्म) से विमुख जो लोग हैं उनकी उपेक्षा कर !

जो ऐसा कहता है, वह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई
विद्वान है, उनमें अग्रणी विज्ञ है ।

तू अनुचिन्तन करके देख—जिन्होंने दण्ड (हिंसा) का त्याग
किया है, (वे ही श्रेष्ठ विद्वान होते हैं) ।

जो सत्वशील मनुष्य धर्म के सम्यक् विशेषज्ञ होते हैं, वे ही
कर्म का क्षय करते हैं । ऐसे मनुष्य धर्मवेत्ता होते हैं अथवा शरीर
के प्रति भी अनासक्त होते हैं ।

आरंभजं दुःखमिणं ति णच्चया । एवमाहु सम्मत्तदंसिणो ।

से सब्बे पावाद्या दुःखस्स कुसला परिणमुदाहरंति इति
कम्मं परिणाय सब्बसो ।

—आ. सु. १, अ. ४, उ. ३, सु. १४०

छ जीवणिकायाणं हिंसा न-कायव्वा—

३२७. इच्चेयं छज्जीवणियं, सम्मद्दिही सया जए ।
दुलहं लभित्तु सामणं, कम्मुणा न विराहेज्जासि ॥

—दस. अ. ४, गा. ५१

पुढवी-आऊ - अगणि - वाऊ -तण-रुक्ख-सबीयगा ।
अंडया पोय - जराऊ - रस - संसेय - उन्भिया ॥

एतेहि छाँहं काएँहं, तं विज्जं परिजाणिया ।
मणसा कायवक्केणं, णारंभी ण परिग्गही ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, गा. ८-९

पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहाऽगणी ।
वाउजीवा पुढो सत्ता, तण रुक्ख सबीयगा ॥

अहाबरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया ।
इत्ताव ताव जीवकाए, नावरे विज्जती काए ॥

सब्बाहि अणुजुत्तीहि, मतिमं पडिलेहिया ।
सब्बे अकंतदुक्खा य, अतो सब्बे न हिंसया ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, सु. ७-९

पुढवि दगअगणिमारु य, तण - रुक्ख - सबीयगा ।
तसा य पाणा जीव ति, इह वुत्तं महेसिणा ॥

तेसिं अछ्छणजोएण, निरुच्चं होयव्वयं सिया ।
मणसा काय वक्केण, एवं भवइ संजए ॥

—दस. अ. ८, गा. २-३

एत्थं पि जाण उवावीयमाणा, जे आयारे ण रमंति,

आरम्भमाणा विणयं वयंति,

छंबोवणीया अक्खोववणा,

इस दुःख को आरम्भ से उत्पन्न हुआ जानकर (समस्त हिंसा का त्याग करना चाहिए) ऐसा (सर्वज्ञों ने) कहा है ।

वे सब प्रावादिक (सर्वज्ञ) होते हैं, वे दुःख (दुःख के कारण कर्मों को) जानने में कुशल होते हैं । इसलिए वे कर्मों को सब प्रकार से जानकर उनको त्याग करने का उपदेश देते हैं ।

छह जीवनिकायों की हिंसा नहीं करनी चाहिए—

३२७. दुर्लभ श्रमण-भाव को प्राप्त कर सम्यक्-दृष्टि और सतत सावधान श्रमण इस पञ्चजीवनिकाय की कर्मणा—मन, वचन और काया—से विराधना न करे ।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा हरित, तृण, वृक्ष और बीज आदि वनस्पति एवं अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज तथा उद्भिज्ज आदि त्रसकाय, ये सब पट्कायिक जीव हैं ।

विद्वान् साधक इन छह कार्यों से इन्हें जीव जानकर मन, वचन और काया से न इनका आरम्भ करे और न इनका परिग्रह करे ।

पृथ्वी जीव है, पृथ्वी के आश्रित भी पृथक्-पृथक् जीव हैं, जल एवं अग्नि भी जीव हैं, वायुकाय के जीव भी पृथक्-पृथक् हैं तथा हरित तृण, वृक्ष और बीज (के रूप में वनस्पतियाँ) भी जीव हैं ।

इनके अतिरिक्त (छठे) त्रसकाय वाले जीव होते हैं । इस प्रकार तीर्थंकरों ने जीव के छह निकाय (भेद) बताये हैं । इतने ही (संसारी) जीव के भेद हैं । इसके अतिरिक्त संसार में और कोई जीव (का मुख्य प्रकार) नहीं होता ।

बुद्धिमान पुरुष सभी अनुकूल (संगत) युक्तियों से इन जीवों में जीवत्व सिद्ध करके भलीभाँति जाने-देखे कि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है (सभी सुख-लिप्सु हैं), अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न करे ।

पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु बीज-पर्यन्त तृण-वृक्ष और त्रस प्राणी—ये जीव हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।

भिक्षु को मन, वचन और काया से उनके प्रति सदा अहिंसक होना चाहिए । इस प्रकार अहिंसक रहने वाला संयत (संयमी) होता है ।

तुम यह जानो ! जो आचार (अहिंसा-आत्म-स्वभाव) में रमण नहीं करते वे कर्मों से—आसक्ति की भावना से बंधे हुए हैं ।

वे आरम्भ करते हुए भी स्वयं को संयमी बताते हैं । अथवा दूसरों को संयम का उपदेश करते हैं ।

वे स्वच्छन्दचारी और विषयों में आसक्त होते हैं ।

आरम्भसत्ता पकरेति संगं ।

से चसुमं सध्व समण्णागत-पण्णाणेणं अण्णरणिज्जं पावं कम्मं
तं णो अण्णेसिं ।

तं परिण्णाय मेघावी णेव सयं छज्जीव-णिक्काय-सत्थं समा-
रंभेज्जा,

णेवण्णेहिं छज्जीवणिक्कायसत्थं समारंभावेज्जा,
णेवण्णे छज्जीवणिक्कायसत्थं समारंभंते समण्णजाणेज्जा ।

जस्सेते छज्जीवणिक्कायसत्थ-समारम्भा परिण्णाय भवन्ति से
ह्मुणी परिण्णायकम्मि,

त्ति वेमि । —आ. सु. १, अ. १, उ. ७, सु. ६२

उट्ठं अहे य त्तिरियं दिसासु,

तसा य जे यावरा जे य पाणा ।

सया जत्ते तेसु परिट्ठवएज्जा,

मणप्पदोसं अविकंपमाणे ॥

—सूय. सु. १, अ. १४, गा. १४

से मेघावी जे अणुग्घायणस्स खेत्तण्णे जे य बंधप्पमोक्ख-
मण्णेसी ।

कुसले पुण णो चट्ठे णो मुक्के ।

से जं च आरम्भे, जं च णारंभे, अणारट्ठं च ण आरम्भे ।

छणं छणं परिण्णाय लोगसण्णं च सव्वसो ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ६, सु. १०४

पुद्गलिकाय अणारंभकरण पइण्णा—

३२८ पुद्गली चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुद्दोसत्ता अन्नत्थ सत्थ
परिणएणं ।

—दस. अ. ४, सु. ४

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-
पावकम्मि दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते
वा जागरमाणे वा—से पुद्दोव वा भित्ति वा सिलं वा लेलुं
वा ससरक्खं वा कायं ससरक्खं वा वत्थं हत्थेण वा पाएण वा
कट्ठेण वा किलिचेण वा अंगुत्तियाए वा सलागाए वा सलाग-
हत्थेण वा, न आलिहेज्जा न विलिहेज्जा न घट्टेज्जा न
भिदेज्जा,

वे (स्वच्छन्दचारी) आरम्भ में आसक्त रहते हुए पुनः-पुनः
कर्म का संग-बन्धन करते हैं ।

वह वसुमान (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप धन से संयुक्त) सब
प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में प्रज्ञापूर्वक विचार करता है,
अन्तःकरण से पाप-कर्म को अकरणीय (न करने योग्य) जानें, तथा
उस विषय में अन्वेपण (मन से चिन्तन) भी न करे ।

यह जान कर मेघावी मनुष्य स्वयं पट्ट-जीव-निकाय का समा-
रम्भ न करे ।

दूसरों से उसका समारम्भ न करवाए,

उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे ।

जिसने पट्ट-जीवनिकाय-शस्त्र का प्रयोग भलीभाँति समझ
लिया है, त्याग दिया है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि कहलाता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

साधु ऊँची, नीची और तिरछी दिशाओं में जो भी त्रस और
स्थावर प्राणी रहते हैं, उनकी हिंसा जिस प्रकार से न हो, उस
प्रकार की यतना (यत्न) करे तथा संयम में पुरुषार्थ करे एवं उन
प्राणियों पर लेशमात्र भी द्वेष न करता हुआ संयम में निश्चल
रहे ।

वह मेघावी है, जो अनुद्घात-अहिंसा का समग्र स्वरूप जानता
है, तथा जो कर्मों के बन्धन से मुक्त होने की अन्वेपणा करता है ।

कुशल पुरुष न बँधे हुए हैं और न मुक्त हैं ।

उन कुशल साधकों ने जिसका आचरण नहीं किया है उनके
द्वारा अनाचरित प्रवृत्ति का आचरण न करे ।

अहिंसा और हिंसा के कारणों को जानकर उनका त्याग कर
दे । लोक-संज्ञा (लौकिक सुख) को भी सर्व प्रकार से जाने और
छोड़ दे ।

पृथ्वीकाय का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा—

३२८ शस्त्र-परिणति से पूर्व पृथ्वी चित्तवती (सजीव) कही गई
है । वह अनेक जीवों और पृथक सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र
अस्तित्व) वाली है ।

संयत विरत-प्रतिहत-भ्रत्याख्यातपापकर्मा भिक्षु अथवा
भिक्षुणी, दिन में या रात में, एकान्त में या परिपद् में, सोते
या जागते—पृथ्वी, भित्ती (नदी पर्वत आदि की दरार), शिला,
ढेने, सचित्त-रज से संसृष्ट काय अथवा सचित्त-रज से संसृष्ट
वस्त्र या हाथ, पांव, काण्ठ, खपच्चि, अंगुली, शलाका अथवा
शलाका-समूह से न आलेखन करे, न विलेखन करे, न घट्टन
करे और न भेदन करे ।

अन्नं न आलिहावेज्जा न विलिहावेज्जा न घट्टावेज्जा न भिदावेज्जा,

अन्नं आलिहंतं वा विलिहंतं वा घट्टन्तं वा भिदंतं वा न समणु-
जाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-
जाणामि ।^१

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोस-
रामि ।

—दस. अ. ४, सु. १८

सचित्त पृथ्वीए णिसिज्जा निसेहो—

अचित्त पृथ्वीए णिसेज्जा विहाणो—

३२९. सुद्धपुढवीए न निसिए, ससरक्खम्मि य आसणे ।

पमज्जित्तु निसीएज्जा, जाइत्ता जस्स ओग्गहं ॥

—दस. अ. ८, गा. ५

पुढवीकाइयाणं वेयणा विण्णायतेसि आरम्भणिसेहो कओ—

३३०. अट्टे लोए परिज्जुण्णे दुस्संबोअे अविजाणए ।

अस्सिं लोए पव्वहिए तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परि-
तावेत्ति ।

संति पाणा पुढो सिता ।

लज्जमाणा पुढो पास ।

अणगरा मोत्ति एगे पवयमाणा । जमिणं विरूवरूवेहिं
सत्थेहिं पुढविकम्मसमारंभेणं पुढविसत्थं समारंभमाणो
अणेगरूवे षाणे विहिंसति ।

तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—

दूसरे से न आलेखन कराए, न विलेखन कराए, न घट्टन
कराए और न भेदन कराए ।

आलेखन, विलेखन, घट्टन या भेदन करने वाले का अनु-
मोदन भी न करे, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से
मन से, वचन से, काया से, न करूंगा न कराऊंगा और न करने
वाले का अनुमोदन भी करूंगा ।

भंते ! मैं अतीत के पृथ्वी-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ,
उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

सचित्त पृथ्वी पर निषद्या (बैठने) का निषेध—

अचित्त पृथ्वी पर बैठने का विधान—

३२९. मुनि शुद्ध पृथ्वी और सचित्त-रज से संसृष्ट आसन पर न
बैठे । अचित्त पृथ्वी पर प्रमार्जन कर और वह जिसकी हो उसकी
अनुमति लेकर बैठे ।

पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना जानकर उनके आरम्भ का
निषेध किया है—

३३०. जो मनुष्य आर्त, (विषय-वासना-कपाय आदि से पीड़ित)
है, वह ज्ञान-दर्शन से परिजीर्ण-हीन रहता है । ऐसे व्यक्ति को
समझाना कठिन होता है, क्योंकि वह अज्ञानी जो है ।

अज्ञानी मनुष्य इस लोक में व्यथा-पीड़ा का अनुभव करता
है । काम-भोग व सुख के लिए आतुर-लालायित बने प्राणी स्थान-
स्थान पर पृथ्वीकाय आदि प्राणियों को परित्याप (कष्ट) देते रहते
हैं । यह तू देख ! समझ !

पृथ्वीकायिक प्राणी पृथक्-पृथक् शरीर में आश्रित रहते हैं
अर्थात् वे प्रत्येकशरीरी होते हैं ।

तू देख ! आत्म-साधक, लज्जामान है—हिंसा से स्वयं का
संकोच करता हुआ अर्थात् हिंसा करने में लज्जा का अनुभव
करता हुआ संयममय जीवन जीता है ।

कुछ वेषधारी साधु 'हम गृहत्यागी हैं' ऐसा कथन करते हुए
भी वे नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी सम्बन्धी हिंसा-क्रिया में
लगकर पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं । तथा पृथ्वीकायिक
जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के जीवों
की भी हिंसा करते हैं ।

इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा (विवेक) का उपदेश
किया है ।

इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण माणण-पुयणाए जाती-
मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेजं,

से सयमेव पुढविसत्थं समारंभति, अण्णेहि वा पुढविसत्थं
समारंभावेति, अण्णे वा पुढविसत्थं समारंभंते, समणुजाणति,
तं से अहिताए, तं से अबोहीए ।

से तं संबुज्जमाने आयाणीयं समुट्ठाए ।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं इहमेगेसि जातं भवति—एस
खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए ।

इच्चत्थं गट्टिए लोए, जमिणं विरुवरुवेहि सत्थेहि पुढवि-
कम्मसमारंभेण पुढविसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरुवे पाणे
विहिंसंति ।

से वेमि—

अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेगे अंधमच्छे,

अप्पेगे पावमब्भे, अप्पेगे पादमच्छे,
अप्पेगे गुप्फमब्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे,
अप्पेगे जंघमब्भे, अप्पेगे जंघमच्छे,
अप्पेगे जाणुमब्भे, अप्पेगे जाणुमच्छे,
अप्पेगे उरुमब्भे, अप्पेगे उरुमच्छे,
अप्पेगे कट्टिमब्भे, अप्पेगे कट्टिमच्छे,
अप्पेगे णामिमब्भे, अप्पेगे णामिमच्छे,
अप्पेगे उदरमब्भे, अप्पेगे उदरमच्छे,
अप्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे,
अप्पेगे पिट्टिमब्भे, अप्पेगे पिट्टिमच्छे,
अप्पेगे उरमब्भे, अप्पेगे उरमच्छे,
अप्पेगे हियमब्भे, अप्पेगे हियमच्छे,
अप्पेगे थणमब्भे, अप्पेगे थणमच्छे,
अप्पेगे खंधमब्भे, अप्पेगे खंधमच्छे,
अप्पेगे बाहुमब्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे,
अप्पेगे हत्थमब्भे, अप्पेगे हत्थमच्छे,
अप्पेगे अंगुलिमब्भे, अप्पेगे अंगुलिमच्छे,

कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशंसा-सम्मान और पूजा
के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुख का प्रतिकार
करने के लिए ।

स्वयं पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं, दूसरों से हिंसा
करवाते हैं, तथा हिंसा करने वालों का अनुमोदन करते हैं ।

वह (हिंसावृत्ति) उसके अहित के लिए होती है । वह उसकी
अबोधि अर्थात् ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि और चारित्र्य-बोधि की
अनुपलब्धि के लिए कारणभूत होती है ।

वह साधक (संयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी
तरह समझता हुआ, आदानीय-संयम-साधना में तत्पर हो
जाता है ।

कुछ मनुष्यों को भगवान के या अनगार मुनियों के समीप
धर्म सुनकर यह ज्ञान होता है कि—“यह जीव-हिंसा ग्रन्थि है,
यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है ।”

(फिर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में
आसक्त होता है, वह नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी सम्बन्धी
हिंसा-क्रिया में संलग्न होकर पृथ्वी-कायिक जीवों की हिंसा
करता है, और तब वह न केवल पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा
करता है, अपितु अन्य नानाप्रकार के जीवों की भी हिंसा
करता है ।

मैं कहता हूँ—

जैसे कोई किसी जन्मान्ध इन्द्रियविकल—पंगु, गूंगा, बहरा,
अवयवहीन को भेदे, मुद्गर आदि से चोट पहुँचाये छेदे, (तलवार
आदि से घाव को काटकर अलग कर दे)

जैसे कोई किसी के पैर को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के टखने को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की जंघा को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के धुटने को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के उर को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की कटि को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की नाभि को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के उदर को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की पाश्र्व (पसली) को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की पीठ को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की छाती को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के हृदय को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के स्तन को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के कंधे को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की भुजा को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी के हाथ को भेदे, छेदे,
जैसे कोई किसी की अंगुली को भेदे, छेदे,

अप्येगे णहमब्भे, अप्येगे णहमच्छे,
 अप्येगे गीवमब्भे, अप्येगे गीवमच्छे,
 अप्येगे हणुमब्भे, अप्येगे हणुमच्छे,
 अप्येगे होट्टमब्भे, अप्येगे होट्टमच्छे,
 अप्येगे वंत्तमब्भे, अप्येगे वंत्तमच्छे,
 अप्येगे जिम्भमब्भे, अप्येगे जिम्भमच्छे,
 अप्येगे तालुमब्भे, अप्येगे तालुमच्छे,
 अप्येगे गल्लमब्भे, अप्येगे गल्लमच्छे,
 अप्येगे गंडमब्भे, अप्येगे गंडमच्छे,
 अप्येगे कण्णमब्भे, अप्येगे कण्णमच्छे,
 अप्येगे णासमब्भे, अप्येगे णासमच्छे,
 अप्येगे अचिच्चमब्भे, अप्येगे अचिच्चमच्छे,
 अप्येगे भमुहमब्भे, अप्येगे भमुहमच्छे,
 अप्येगे णिडालमब्भे, अप्येगे णिडालमच्छे,
 अप्येगे सीसमब्भे, अप्येगे सीसमच्छे,
 अप्येगे संपमारए, अप्येगे उट्टवए ।

एतथ सत्थं^१ समारंभमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिण्णाता भवति ।

एतथ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिण्णाता भवति ।

तं परिण्णाय मेहावी णेव सयं पुढविसत्थं समारंभेज्जा,
 णेवण्णेहिं पुढविसत्थं समारंभावेज्जा, णेवण्णेपुढविसत्थं
 समारंभंते समणुजाणेज्जा ।

अस्सेते पुढविकम्मसमारंभा परिण्णाता भवति से ह्मुणो
 परिण्णायकस्से ।

त्ति वेमि । —आ. सु. १, अ. १, उ. २, सु. १०-१८

जैसे कोई किसी के नख का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी की ग्रीवा (गरदन) का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी हनु (ठुड्डी) का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के होंठ का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के दाँत का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी की जीभ का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के तालु का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के गले का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के कपोल का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के कान का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी नाक (नासिका) का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी की आँख का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी की भौंह का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के ललाट का भेदन करे, छेदन करे,
 जैसे कोई किसी के सिर का भेदन करे, छेदन करे।

जैसे कोई किसी को गहरी चोट मारकर, मूर्च्छित कर दे, या प्राण-वियोजन ही कर दे उसे जैसी कष्टानुभूति होती है; वंसी ही पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना समझनी चाहिए ।

जो यहाँ (लोक में) पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ—प्रयोग करता है, वह वास्तव में इन आरम्भों (हिंसा सम्बन्धी प्रवृत्तियों के कट्ट परिणामों व जीवों की वेदना) से अनजान है ।

जो पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ-प्रयोग नहीं करता, वह वास्तव में इन आरम्भों-हिंसा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञाता है, (वही इनसे मुक्त होता है)

यह (पृथ्वीकायिक जीवों की अव्यक्त वेदना) जानकर बुद्धिमान् मनुष्य न स्वयं पृथ्वीकाय का समारम्भ करे, न दूसरों से पृथ्वीकाय का समारम्भ करवाये और न उसका समारम्भ करने वाले का अनुमोदन करे ।

जिसने पृथ्वीकाय सम्बन्धी समारम्भ को जान लिया अर्थात् हिंसा के कट्ट परिणाम को जान लिया वही परिज्ञातकर्मा (हिंसा का त्यागी) मुनि होता है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

१ निर्युक्तिकार ने पृथ्वीकाय के दस शस्त्र इस प्रकार गिनाये हैं :—

१—कुदाल आदि भूमि खोदने के उपकरण ।

६—उच्चार-प्रश्रवण (मल-मूत्र) ।

२—हल आदि भूमि विदारण के उपकरण ।

७—स्वकाय शस्त्र; जैसे—काली मिट्टी का शस्त्र पीली मिट्टी आदि ।

३—मृग शृंग ।

८—परकाय शस्त्र; जैसे—जल आदि ।

४—काठ-लकड़ी तृण आदि ।

९—तदुभय शस्त्र; जैसे—मिट्टी मिला जल ।

५—अग्निकाय ।

१०—भावशस्त्र-असंयम ।

—आचारांग निर्युक्ति गा. ६५-६६

आउकाय अणारंभ करण-पइण्णा—

३३१. आज्ज चित्तमंतमक्खाया अणगेजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं ।

—दस. अ. ४, सु. ५

से भिक्षु वा भिक्षुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा—

से उदगं वा ओसं वा हिमं वा महियं वा करगं वा हरतणुगं वा सुद्धोदगं वा उदओल्लं वा वायं उदओल्लं वा वत्थं ससिण्णं वा कायं ससिण्णं वा वत्थं, न आमुसेज्जा न संफुसेज्जा न आवीलेज्जा न पवीलेज्जा न अक्खोडेज्जा न पक्खोडेज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा,

अन्नं न आमुसावेज्जा न संफुसावेज्जा न आवीलावेज्जा न पवीलावेज्जा न अक्खोडावेज्जा न पक्खोडावेज्जा न आयावेज्जा न पयावेज्जा,

अन्नं आमुसंतं वा संफुसंतं वा आवीलंतं वा पवीलंतं वा अक्खोडंतं वा पक्खोडंतं वा आयावंतं वा पयावंतं वा न समणुजाणेज्जा ।

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

—दस. अ. ४, सु. १६

उदउल्लं अप्पणो कायं, नेव पुंछे न संलिहे ।

समुप्पेहं तहाभूयं, नो णं संघट्टए मुणी ॥

—दस. अ. ८, सु. ७

आउकाइयाणं हिंसा निसेहो—

३३२. लज्जमाणा पुढो पाप ।

“अणगारा मो” त्ति एणे पवपमाणा, जमिणं विक्खुवहुवेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारंभेणं उदयसत्थं समारंभमाणे अप्पे वणेगरुवे पाणे विहिंसति ।

अपकायिक जीवों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा—

३३१. शस्त्र-परिणति से पूर्व अप् चित्तवान (सजीव) कहा गया है । वह अनेक जीव और पृथक सत्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है ।

संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या रात में, एकान्त में या परिपद् में, सोते या जागते—

उदक, ओस, हिम, धूंअर, ओले, भूमि को भेदकर निकले हुए जल विन्दु, शुद्ध उदक (अन्तरिक्ष-जल), जल से भीगे शरीर अथवा जल से भीगे वस्त्र, जल से स्निग्ध शरीर अथवा जल से स्निग्ध वस्त्र का न आमर्श करे, न संस्पर्श करे, न आपीड़न करे, न प्रपीड़न करे, न आस्फोटन करे, न प्रस्फोटन करे, न आतापन करे, और न प्रतापन करे,

दूसरों से न आमर्श कराए, न संस्पर्श कराए, न आपीड़न कराए, न प्रपीड़न कराए, न आस्फोटन कराए, न प्रस्फोटन कराए, न आतापन कराए, न प्रतापन कराए ।

आमर्श, संस्पर्श, आपीड़न, प्रपीड़न, आस्फोटन, प्रस्फोटन, आतापन या प्रतापन करने वाले का अनुमोदन न करे ।

यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से—मन से, वचन से, काया से, न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के जल-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

मुनि जब से भीगे अपने शरीर को न पोंछे और न मले । शरीर को तथाभूत (भीगा हुआ) देखकर उसका स्पर्श न करे ।

अपकायिक जीवों की हिंसा का निषेध—

३३२. (हे ! आत्म साधक !) तू देख ! आत्म-साधक, लज्जामान है—(हिंसा से स्वयं संकोच करता हुआ अर्थात् हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करता हुआ संयममय जीवन जाता है ।)

कुछ साधु वेपधारी “हम गृहत्यागी हैं” ऐसा कथन करते हुए भी वे नाना प्रकार के शस्त्रों से अपकाय सम्बन्धी हिंसा-क्रिया में लगकर अपकायिक जीवों की हिंसा करते हैं । तथा अपकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

तस्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—

इमस्स चैव जीवितस्स परिवंदण-माणण-पूययाए । जाती-मरण-
मोयणाए-दुक्खपडिघातहेतुं से सयमेव उदयसत्थं समारंभति,
अण्णेहि वा उदयसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा उदयसत्थं
समारंभते समणुजाणति ।

तं से अहिताए, तं से अबोधए ।

से तं संबुज्जसमाणे आयाणीयं समुट्ठाए ।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं इहमेगेसिं णातं भवति—एस खलु
मोहे, एस खलु गंथे, एस खलु मारे, एस खलु निरए ।

इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं उदयसत्थ-
कम्मसमारंभेणं उदयसत्थं समारंभमाणे अण्णे व णेरुवे पाणे
विहिंसति ।

से वेमि—

संति पाणा उदयणिस्सिया जीवा अणेगा ।

इहं च खलु भो अणगाराणं उदय—जीवा वियाहिया ।

सत्थं चेत्यं अणुवीयि पास ।

पुढो सत्थं पवेदितं ।

अडुवा अदिण्णादाणं ।

कप्पइ णे, कप्पइ णे पातु अडुवा विभूसाए ।

पुढो सत्थेहिं विउट्टन्ति ।

इस विषय में भगवान् महावीर स्वामी ने परिज्ञा-विवेक का उपदेश किया है ।

कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशंसा-सम्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए स्वयं अपकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, तथा हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है ।

वह (हिंसावृत्ति) उसके अहित के लिए होती है वह उसकी अबोधि अर्थात् ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि और चारित्र-बोधि की अनुपलब्धि के लिए कारणभूत होती है ।

वह साधक (संयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझता हुआ, आदानीय-संयम साधना में तत्पर हो जाता है ।

कुछ मनुष्यों को भगवान् के या अनगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि—“यह जीव-हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है ।”

(फिर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में आसक्त होता है, वह नाना प्रकार के शस्त्रों से जल-सम्बन्धी हिंसा-क्रिया में संलग्न होकर अपकायिक जीवों की हिंसा करता है और तब वह न केवल अपकायिक जीवों की हिंसा करता है, अपितु अन्य नाना प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है ।

मैं कहता हूँ—

जल के आश्रित अनेक प्रकार के जीव रहते हैं ।

हे मनुष्य ! इस अनगार-धर्म में, अर्थात् अर्हत्दर्शन में जल को “जीव” (सचेतन) कहा है ।

जलकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिन्तन करके देखें !

भगवान् ने जलकाय के अनेक शस्त्र बताये हैं ।

जलकाय की हिंसा, सिर्फ हिंसा ही नहीं, वह अदत्तादान चोरी भी है ।

“हमें कल्पता है । अपने सिद्धान्त के अनुसार हम पीने के जल ले सकते हैं । हम पीने तथा नहाने (विभूषा) के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं ।”

इस तरह अपने शास्त्र का प्रमाण देकर या नानाप्रकार के शस्त्रों द्वारा जलकाय के जीवों की हिंसा करते हैं ।

१ निर्युक्तिकार ने जलकाय के सात शस्त्र इस प्रकार बताये हैं—

(१) उत्सेचन—कुएँ से जल निकालना ।

(२) गालन—जल छानना ।

(३) धोवन—जल से उपकरण-वर्तन आदि धोना ।

(४) स्वकाय शस्त्र—एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शस्त्र है,

(५) परकाय शस्त्र—मिट्टी, तेल, क्षार, शर्करा, अग्नि आदि ।

(६) तदुभय शस्त्र—जल से भीगी मिट्टी आदि ।

(७) भाव शस्त्र—असंयम ।

—आचा. निर्युक्ति गा. ११३, ११४

एत्य द्वि तैसि णो णिकरणाए ।

एत्य सत्यं^१ समारंभमाणस्त इच्छेते आरम्भा अपरिणयाया भवंति ।

एत्य सत्यं असमारंभमाणस्त इच्छेते आरम्भा परिणयाया भवंति ।

तं परिणयाय मेहावी णेव सयं उदयसत्यं समारंभेज्जा, णेव-
ण्हि उदयसत्यं समारंभावेज्जा, उदयसत्यं समारंभंते अण्णे
ण समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते उदयसत्यसमारंभा परिणयाया भवंति से ह्मु णुणी
परिणयातकम्मे ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ३, सु. २३-३१

तेउकाइयाणं अणारंभ-करण पइण्णा—

३३३. तेऊ चित्तमंतमइखाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्य सत्प-
परिणएणं ।

—दस. अ. ४, सु. ६

से भिवखू वा भिवखुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-
पावकम्मे ।

दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागर-
माणे वा—

से अगणि वा इंगालं वा मुम्मुरं वा अच्चि वा जालं वा
अलायं वा सुट्ठगणि वा उक्कं वा, न उंजेज्जा न घट्टेज्जा न
उज्जालेज्जा न निव्वावेज्जा ।

अन्नं न उंजावेज्जा न घट्टावेज्जा न उज्जालावेज्जा न निव्वा-
वेज्जा ।

अन्नं उंजतं वा घट्टन्तं वा उज्जालंतं वा निव्वावंतं वा न
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणु-
जाणामि ।^१

अपने शास्त्र का प्रमाण देकर जलकाय की हिंसा करने वाले
साधु हिंसा के पाप से विरत नहीं हो सकते अर्थात् उनका हिंसा
न करने का संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता ।

जो यहाँ, शास्त्र-प्रयोग कर जलकाय जीवों का समारम्भ
करता है, वह इन आरम्भों (जीवों की वेदना व हिंसा के
कुपरिणाम) से बच नहीं पाता ।

जो जलकायिक जीवों पर शास्त्र-प्रयोग नहीं करता, वह
आरम्भों का ज्ञाता है, वह हिंसा-दोष से मुक्त होता है। अर्थात्
वह ज-परिज्ञा से हिंसा को जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसे
त्याग देता है ।

बुद्धिमान मनुष्य यह (उक्त कथन) जानकर स्वयं जलकाय
का समारम्भ न करे, दूसरों से न करवाए और उसका समारम्भ
करने वालों का अनुमोदन न करे ।

जिसको जल-सम्बन्धी समारम्भ का ज्ञान होता है, वही परि-
ज्ञातकर्मा (मुनि) होता है ।

तेजस्कायिक जीवों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा—

३३३. शास्त्र-परिणति से पूर्व तेजस् चित्तवान् (सजीव) कहा
गया है। वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है ।

संयत विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा
भिक्षुणी ।

दिन में या रात में, एकान्त में या परिपद में, झोते या
जागते—

अग्नि, अंगारे, मुमंर, अच्चि, ज्वाला, अलात (अधजली
लकड़ी), शुद्ध (काष्ठ रहित) अग्नि अथवा उल्का का न उत्सेचन
करे, न घट्टन करे, न उज्ज्वालन करे और न निर्वाण करे
(न बुझाए);

न दूसरों से उत्सेचन कराए, न घट्टन कराए, न उज्ज्वालन
कराए और न निर्वाण कराए;

उत्सेचन, घट्टन, उज्ज्वालन या निर्वाण करने वाले का
अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन श्रोग से
मन से, वचन से, काया से, न कहूँगा, न कराऊँगा और न करने
वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

१ इंगालं अगणि अच्चि, अलायं वा संजोइयं । न उंजेज्जा न घट्टेज्जा, नो णं निव्वावए मुणी ।। —दस. अ. ५, गा. ५

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-
रामि ।

—दस. अ. ४, सु. २०

तेउकाओ अमोहसत्थो—

३३४. विसप्पे सव्वओधारे, बहुपाणविणासमे ।
नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. १२

तेउकाइयाणं हिंसा निसेहो—

३३५. जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से असत्थस्स खेयण्णे ।

जे असत्थस्स खेयण्णे से दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे ।

वीरेहिं एयं अभिप्पूय विट्ठं संजतेहिं सया जतेहिं सदा अप्प-
मत्तेहिं ।

जे पमत्ते गुणट्टित्ते से ह्ठुं डंडे पवुच्चति ।

तं परिणाय मेघावी इदाणीं णो जमहं पुस्वमकासी पमादेणं ।

लज्जमाणा पुढो पास ।

अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा, जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं
अगणिकम्मसमरंभेणं अगणिसत्थं समारंभमाणे अण्णेवज्जेगुरूवे
पाणे विहिंसति ।

तत्थ खलु भगवता परिणया पवेदिता—

इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण माणण-पूयणाए जाती-मरण-
मोयणाए दुक्खपडिघातहेतुं,

से सयमेव अगणिसत्थं समारभति, अण्णेहिं वा अगणिसत्थं
समारभावेति, अण्णे वा अगणिसत्थं समारभमाणे समणु-
जाणति ।

त से अहिताए, तं से अबोधीए ।

से तं संबुज्जमाणे आयाणीयं समुट्ठाए ।

भन्ते ! मैं अतीत के अग्नि-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ,
उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का
व्युत्सर्ग करता हूँ ।

तेजस्कायिक एक अमोघ शस्त्र—

३३४. अग्नि फैलने वाली, सब ओर से धार वाली और बहुत
जीवों का विनाश करने वाली होती है, उसके समान दूसरा कोई
शस्त्र नहीं होता, इसलिए भिक्षु उसे न जलाए ।

तेजस्कायिक जीवों की हिंसा का निषेध—

३३५. जो दीर्घलोक शस्त्र (अग्निकाय) के स्वरूप को जानता है
वह अशस्त्र (संयम) का स्वरूप भी जानता है ।

जो संयम का स्वरूप जानता है वह दीर्घलोक शस्त्र का
स्वरूप भी जानता है ।

वीरों (आत्मज्ञानियों) ने, ज्ञान-दर्शनावरण आदि कर्मों को
विजय कर (नष्ट कर) यह (संयम) का पूर्ण स्वरूप देखा है । वे
वीर संयमी, सदा यतनाशील और सदा अप्रमत्त रहने वाले थे ।

जो प्रमत्त है, गुणों (अग्नि के रांधना-पकाना आदि) का
अर्थी है, वह दण्ड-हिंसक कहलाता है ।

यह जानकर मेघावी पुरुष (संकल्प करे)—अब मैं वह (हिंसा)
नहीं करूँगा, जो मैंने प्रमाद के वश होकर पहले किया था ।

तू देख ! सच्चे साधक (अग्निकाय की) हिंसा करने में लज्जा
अनुभव करते हैं ।

और उनको भी देख जो अपने आपको “अनगर” घोषित
करते हैं, वे विविध प्रकार के शस्त्रों (उपकरणों) द्वारा अग्नि
सम्बन्धी आरम्भ-समारम्भ करते हुए अग्निकाय के जीवों की
हिंसा करते हैं, और साथ ही तदाश्रित अन्य अनेक जीवों की भी
हिंसा करते हैं ।

इस विषय में भगवान ने परिज्ञा अर्थात् विवेक का निरूपण
किया है ।

अपने इस जीवन से लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के
लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के लिए दुखों का प्रतिकार करने के
लिए (इन कारणों से)

कोई स्वयं अग्निकाय की हिंसा करता है, दूसरों से भी
अग्निकाय की हिंसा करवाता है और अग्निकाय की हिंसा करने
वालों का अनुमोदन करता है ।

यह हिंसा, उसके अहित के लिए होती है तथा अबोधि का
कारण बनती है ।

वह साधक यह समझते हुए संयम-साधना में तत्पर हो जाता है ।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इह मेगेति षातं
भवति—एस खलु गंये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस
खलु निरए ।
इच्चत्यं गट्टिए लोए, जमिणं विह्वरुवेहि सत्येहि^१ अगणि-
कम्मसमारंभेणं अगणिसत्यं समारंभमाणे अण्णे वडणेगरुवे
पाणे विहिंसति ।

से बेमि—संति पाणा पुढविणिस्सिता तणणिस्सिता पत्तणि-
स्सिता कट्टणिस्सिता गोमयणिस्सिता कयवरणिस्सिता ।
संति संपातिमा पाणा आहच्च संपयन्ति य ।

अगणिं च खलु पुट्टा एणे संघातभावज्जंति । जे तत्थ संघात-
भावज्जंति ते तत्थ परियावज्जंति । जे तत्थ परियावज्जंति ते
तत्थ उट्टायन्ति ।

एत्यं सत्यं समारंभमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिण्णाता
भवन्ति ।

एत्य सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिण्णाता
भवन्ति ।

तं परिण्णाय मेहावी नेव सयं अगणि-सत्यं समारंभेज्जा,

नेवण्णेहिं अगणिसत्यं समारंभावेज्जा,
अगणिसत्यं समारंभेमाणे, अण्णे न समणुजाणेज्जा ।

जस्स एते अगणिकम्मसमारंभा परिण्णाता भवन्ति से ह्ठ मुणी
परिण्णायकम्मे,

त्ति बेमि । —आ. सु. १, अ. १, उ. ४, सु. ३२-३८
तं भिक्खुं सीतफास परोवेवमाणगातं उवसंक्रमित्तु गाहावती
बूया—

भगवान् से या अनगार मुनियों से सुनकर कुछ मनुष्यों को
यह परिज्ञान हो जाता है, कि यह जीव हिंसा ग्रन्थि है, मोह है,
मृत्यु है और नरक है ।

फिर भी मनुष्य इस जीवन (प्रशंसा, सन्तान आदि के लिए)
में आसक्त होता है । जो कि वह तरह-तरह के शस्त्रों से अग्नि-
काय की हिंसा-क्रिया में संलग्न होकर अग्निकायिक जीवों की
हिंसा करता है । वह न केवल अग्निकायिक जीवों की हिंसा
करता है अपितु अन्य नाना प्रकार के जीवों की भी हिंसा
करता है ।

मैं कहता हूँ—बहुत से प्राणी-पृथ्वी, तृण, पात्र, काष्ठ,
गोबर और कुड़ा-कचरा आदि के आश्रित रहते हैं ।

कुछ सम्पातिम-उड़ने वाले प्राणी होते हैं (कीट, पतंग, पक्षी
आदि) जो उड़ते-उड़ते नीचे गिर जाते हैं ।

ये प्राणी अग्नि का स्पर्श पाकर संघात (शरीर का संकोच)
को प्राप्त होते हैं । शरीर का संघात होने पर अग्नि की उष्मा
से मूर्च्छित हो जाते हैं । मूर्च्छित हो जाने के बाद मृत्यु को भी
प्राप्त हो जाते हैं ।

जो अग्निकाय के जीवों पर शस्त्र-प्रयोग करता है, वह इन
आरम्भ-समारम्भ क्रियाओं के कटु परिणामों से अपरिज्ञात होता
है, अर्थात् वह हिंसा के दुःखद परिणामों से छूट नहीं सकता है ।

जो अग्निकाय पर शस्त्र-समारम्भ नहीं करता है, वह
वास्तव में आरम्भ का ज्ञाता अर्थात् हिंसा से मुक्त हो जाता है ।

यह जानकर मेघावी मनुष्य स्वयं अग्नि-शस्त्र का समारम्भ
न करे,

दूसरों से उसका समारम्भ न करवाए,

उसका समारम्भ करने वालों का अनुमोदन न करे ।

जिसने यह अग्नि-कर्म-समारम्भ भली प्रकार समझ लिया
है, वही मुनि है, वही परिज्ञात-कर्मा (कर्म का ज्ञाता और
त्यागी) है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

शीत-स्पर्श से काँपते हुए शरीर वाले उस भिक्षु के पास
आकर कोई गृहपति कहे—

१ अग्निकाय के शस्त्रों का उल्लेख करते हुए निर्युक्ति में इसके ८ प्रकार बताये हैं—

१. मिट्टी या धूलि (इससे वायु निरोधक वस्तु कदम आदि भी समझना चाहिए) ।

२. जल,

४. त्रस प्राणी,

६. परकाय शस्त्र—जल आदि,

८. भावशस्त्र—असंयम ।

३. आद्रं वनस्पति,

५. स्वकाय शस्त्र—एक अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है ।

७. तदुभय मिश्रित—जैसें तुप मिश्रित अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है ।

—आचा. नि. गा. ६६

आउसंतो समणा ! णो खलु ते गामधम्मा उच्चाहंति ?

आउसन्तो गाहावती ! णो खलु मम गामधम्मा उच्चाहंति ।
सीतफासं णो खलु अहं संचाएमि अहियासेत्तए ।

णो खलु मे कप्पति अगणिकायं उज्जालित्तए वा पज्जालित्तए
वा कायं भायावित्तए वा पयावित्तए वा अण्णेसिं वा वय-
णाओ ।

सिया एवं वदंतस्स परो अगणिकायं उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता
कायं भायावेज्जा वा पयावेज्जा वा । तं च भिक्खु पडिले-
हाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए त्ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ४, सु. २११-२१२

जे मायरं च पियरं च हेच्चा,
समणव्वदे अगणि समारभेज्जा ।
अहाहू से लोगे कुसीलधम्मे,
भूताइं जे हिंसति आतसाते ॥

उज्जालओ पाणऽतिवातएज्जा,
निव्वावओ अगणि तिवातइज्जा ।
तम्मा उ मेहावि समिक्ख धम्मं,
ण पंडित्ते अगणि समारभेज्जा ॥

पुढवि वि जीवा आऊ वि जीवा,
पाणा य संपात्तिम संपयन्ति ।
संसेवया कट्टसमस्सिता य,
एते दहे अगणि समारभंते ॥

—सूय. सु. १, अ. ८, गा. ५-५

वाउकाय अणारम्भ करण पइण्णा—

३३६. वाउ चित्तमंतमक्खाया अणोगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्य-
परिणएणं ।

—दस. अ. ४, सु. ७

से भिक्खु वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-
पावकम्मे,
दिया वा रामो वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागर-
माणे वा—]

आयुप्मान् श्रमण ! क्या तुम्हें ग्रामधर्म तो पीड़ित नहीं कर
रहा है ? (इस पर मुनि कहता है)

आयुप्मान् गृहपति ! मुझे ग्रामधर्म पीड़ित नहीं कर रहे हैं,
किन्तु मेरा शरीर दुर्बल होने के कारण मैं शीत-स्पर्श को सहन
करने में समर्थ नहीं हूँ (इसलिए मेरा शरीर शीत से प्रकम्पित हो
रहा है) ।

(तुम अग्नि क्यों नहीं जला लेते ?) इस प्रकार गृह-
पति द्वारा कहे जाने पर मुनि कहता है—) अग्निकाय को उज्ज्व-
लित करना, प्रज्वलित करना, उससे शरीर को थोड़ा सा भी
तपाना या दूसरों को कहकर अग्नि प्रज्वलित कराना अकल्पनीय है ।

(कदाचित्त वह गृहस्थ) इस प्रकार बोलने पर अग्निकाय को
उज्ज्वलित-प्रज्वलित करके साधु के शरीर को थोड़ा तपाए या
विशेष रूप में तपाए । उस अवसर पर अग्निकाय के आरम्भ को
भिक्षु अपनी बुद्धि से विचार कर आगम की आज्ञा को ध्यान में
रखकर उस गृहस्थ से कहे कि अग्नि का सेवन मेरे लिए बसेव-
नीय है ।

जो अपने माता और पिता को छोड़कर श्रमणप्रत को धारण
करके अग्निकाय का समारम्भ करता है तथा जो अपने मुल के
लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह लोक में कुशील धर्म वाला
है, (ऐसा सर्वज्ञ पुरुषों ने) कहा है ।

आग जलाने वाला व्यक्ति प्राणियों का घात करता है और
आग बुझाने वाला व्यक्ति भी अग्निकाय के जीवों का घात करता
है । इसलिए भेधावी (मर्यादाशील) पण्डित (पाप से निवृत्त
साधक) अपने (श्रुतचारित्ररूप श्रमण) धर्म का विचार करके
अग्निकाय का समारम्भ न करे ।

पृथ्वी भी जीव है, जल भी जीव है तथा सम्पातिम (उड़ने
वाले पतंगे आदि) भी जीव हैं जो आग में पड़कर मर जाते हैं ।
और भी पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव एवं काष्ठ (लकड़ी
आदि ईंधनों) के आश्रित रहने वाले जीव होते हैं । जो अग्नि-
काय का समारम्भ करता है, वह इन (स्वावर-त्रस) प्राणियों को
जला देता है ।

वायुकायिक जीवों का आरम्भ न करने की प्रतिज्ञा—

३३६. शस्त्र-परिणति से पूर्व वायु चित्तवान् (सजीव) कहा गया
है । वह अनेक जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र
अस्तित्व) वाला है ।

संयत-विरत - प्रतिहत - प्रत्याख्यात - पापकर्मा भिक्षु अथवा
भिक्षुणी ।

दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद् में, सोते या
जागते—

से सिएण वा बिहुयणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्त-
भंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण
वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा भुहेण वा अप्पणो
वा कायं वाहिरं वा वि पोग्गलं, न फुसेज्जा न वीएज्जा,

अन्नं न फुसावेज्जा न वीयावेज्जा,

अन्नं फुसंतं वा बीयंतं वा न समणुजाणेज्जा^१ जावज्जीवाए
तिविहं तिविहेणं भणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि
करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-
रामि ।

—दस. अ. ४, सु. २१

वाउकाइयाणं हिंसा निसेहो—

३३७. सज्जमाणा पुढो पास । “अणगारा भो” त्ति एगे पवइमाणा,
जमिणं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं वाउकम्मसमारंभेणं वाउसत्थं
समारम्भमाणे अण्णेवज्जेणेरुवे पाणे विहिंसति ।

तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—

इमस्स चेव जीवियस्स. परिचंदण-भाणण-पूयणाए, जाई-भरण-
भोयणाए, दुक्खपडिघातहेतुं,

से सयमेव वाउसत्त्रं समारभति, अण्णेहिं वा वाउसत्थं समा-
रभावेत्ति, अण्णे वा वाउसत्थं समारभते समणुजाणति ।

तं से अहियाए, तं से अबोधीए ।

से तं संबुज्जमाणे, आयाणीयं समुट्टाए,

सोच्चा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसिं णातं भवति
—एस खलु गंये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु
णिरए ।

इच्चत्थं गडिए लोए ।

जमिणं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं वाउकम्म-समारंभेणं वाउसत्थं
समारम्भमाणे अण्णेवज्जेणेरुवे पाणे विहिंसति ।

चामर, पंखे, वीजन, पत्र, पत्र के टुकड़े, शाखा, शाखा के
टुकड़े, मोर-पंख, मोर-पिच्छी, वस्त्र, वस्त्र के पल्ले, हाथ या
मुँह से अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों को फूंक न दे,
हवा न करे ।

दूसरों से फूंक न दिलाए, हवा न कराए;

फूंक देने वाले या हवा करने वाले का अनुमोदन भी न करे,
यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से,
काया से,—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन
भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के वायु-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ,
उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा का
व्युत्सर्ग करता हूँ ।

वायुकायिक जीवों की हिंसा का निषेध—

३३७. तू देख ! संयमी साधक जीव हिंसा में लज्जा, ग्लानि-संकोच
का अनुभव करते हैं । और उनको भी देख, जो “हम गृहत्यागी
हैं” यह कहते हुए भी अनेक प्रकार के उपकरणों से वायुकाय का
समारम्भ करते हैं । वायुकाय की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक
प्राणियों की भी हिंसा करते हैं ।

इस विषय में भगवान ने परिज्ञा-विवेक का प्ररूपण किया है ।

कोई मनुष्य इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के
लिए, जन्म-मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतिकार करने
के लिए,

स्वयं भी वायुकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से
करवाता है, तथा हिंसा करते हुए का अनुमोदन भी करता है ।

यह हिंसा उसके अहित के लिए होती है । अवोधि के लिए
होती है ।

वह संयमी, उस हिंसा को—हिंसा के कुपरिणामों को
सम्यक् प्रकार से समझते हुए संयम में तत्पर हो जावे ।

भगवान से या गृहत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर कुछ
मनुष्य यह जान लेते हैं कि यह हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह
मृत्यु है, यह नरक है ।

फिर भी मनुष्य हिंसा में आसक्त होता है ।

वह नाना प्रकार के शस्त्रों से वायुकायिक जीवों का समा-
रम्भ करता है । वह न केवल वायुकायिक जीवों की हिंसा
करता है अपितु अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा
करता है ।

१ तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा । न वीएज्ज अप्पणो कायं, वाहिरं वा वि पोग्गलं ।

—दस. अ. ८, गा. ६

से बेमि—संति संपाइमा पाणा आहृच्च संपतंति य ।

फरिसं च खलु पुट्टा, एगे संघायमावज्जंति । जे तत्थ संघाय-
मावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ परिया-
वज्जंति ते तत्थ उदायन्ति ।

एत्थ सत्थं समारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिणता
भवन्ति ।

एत्थं सत्थं समारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिणता
भवन्ति ।

तं परिणाय मेहावी णेव सयं वाउसत्थं समारभेज्जा,

णेवण्णेहि वाउसत्थं समारभावेज्जा,

णंबण्णे वाउसत्थं समारभंते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते वाउसत्थं समारम्भा परिणता भवन्ति, से हु मुणी
परिणायकस्से त्ति बेमि ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ७, सु. ५७-६१

वणस्सइकाय अणारम्भ-करण पइण्णा—

३८. वणस्सई चित्तमंतमखाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थसत्थ-
परिणएणं,

तं जहा—अग्गबीया मूलबीया पोरबीया खंधबीया बीयरूहा
सम्मूच्छिमा तणलया ।

वणस्सइकाइया सबीया चित्तमंतमखाया अणेगजीवा पुढो-
सत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं ।

—दस. अ. ४, सु. ८

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चवखाय-
पावकस्से, दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते
वा जागरमाणे वा—

से बीएसु वा बीयपइट्टिएसु वा रूढेसु वा रूढपइट्टिएसु वा
जाएसु वा जायपइट्टिएसु वा हरिएसु वा हरियपइट्टिएसु वा
छिन्नेसु वा छिन्नपइट्टिएसु वा सच्चित्तंसु वा सच्चित्तकोलपडि-
नित्तिएसु वा, न गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीएज्जा,
न तुयट्ठेज्जा,

अन्नं न गच्छावेज्जा न चिट्ठावेज्जा न निसियावेज्जा न
तुयट्ठावेज्जा,

में कहता हूँ सम्पातिम—उड़ने वाले प्राणी होते हैं, वे वायु
से प्रताड़ित होकर नीचे गिर जाते हैं ।

वे प्राणी वायु का स्पर्श-आघात होने से सिकुड़ जाते हैं ।
जब वे वायुस्पर्श से संघातित होते हैं—सिकुड़ जाते हैं, तब वे
मूर्च्छित हो जाते हैं । जब वे मूर्च्छा को प्राप्त होते हैं तो वहाँ
मर भी जाते हैं ।

जो यहाँ वायुकायिक जीवों का समारम्भ करता है, वह इन
आरम्भों से वास्तव में अनजान है ।

जो वायुकायिक जीवों पर शस्त्र-समारम्भ नहीं करता,
वास्तव में उसने आरम्भ को जान लिया है ।

यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य स्वयं वायुकाय का समारम्भ
न करे ।

दूसरों से वायुकाय का समारम्भ न करवाए ।

वायुकाय का समारम्भ करने वालों का अनुमोदन न करे ।

जिसने वायुकाय के शस्त्र-समारम्भ को जान लिया है, वही
मुनि परिज्ञात-कर्मा (हिंसा का त्यागी) है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

वनस्पतिकायिक जीवों का आरंभ न करने की प्रतिज्ञा—

३३८. शस्त्र-परिणति से पूर्व वनस्पति चित्तवती (सजीव) कही
गई है । वह अनेक जीव और पृथक् सत्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है ।

उसके प्रकार ये हैं—अग्र-बीज, मूल-बीज, पर्व-बीज, स्कन्ध-
बीज, बीज-रूह, सम्मूर्छिम, तृण और लता ।

शस्त्र-परिणति से पूर्व बीजपर्यन्त (मूल से लेकर बीज तक)
वनस्पतिकायिक चित्तवान् कहे गये हैं । वे अनेक जीवों और
पृथक् सत्वों वाले प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व वाले हैं ।

संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा
भिक्षुणी, दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद् में, सोते या
जागते ।

बीजों पर, बीजों पर रखी हुई वस्तुओं पर, स्फुटित बीजों
पर, स्फुटित बीजों पर रखी हुई वस्तुओं पर, पत्ते आने की
अवस्था वाली वनस्पति पर स्थित वस्तुओं पर, हरित पर,
हरित पर रखी हुई वस्तुओं पर, छिन्न वनस्पति के अंगों पर,
छिन्न वनस्पति के अंगों पर रखी हुई वस्तुओं पर, सचित्त वन-
स्पति पर, सचित्त कोल—अण्डों एवं काष्ठ-कीट—से युक्त काष्ठ
आदि पर न चले, न खड़ा रहे, न बैठे, न सोये;

दूसरों को न चलाए, न खड़ा करे; न बैठाए, न सुलाए,

अन्नं गच्छन्तं वा चिद्वृत्तं वा निसीयन्तं वा तुयद्वृत्तं वा न
समणुजाणेज्जा,
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्म भन्ते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि-
रामि ।

— दस. अ. ४, सु. २२

तणखखं न छिद्रेज्जा, फलं मूलं व कस्सई ।
आमगं विविहं वीयं, मणसा वि न पत्यए ॥

गहणेसु न चिद्वेज्जा, वीएसु हरिएसु वा ।
उदगम्मि तहा निच्चं, उत्तिगपणगेसु वा ॥

— दस. अ. ८, गा. १०-११

दसविहा तणवणस्सइकाइया पन्नत्ता, तं जहा—

१. मूले, २. कंदे, ३. खंघे, ४. तया, ५. साले,
६. पवाले, ७. पत्ते, ८. पुष्के, ९. फले, १०. वीये ।

— ठाणं. अ. १०, सु. ७७३

वणस्सइकाइयाणं हिंसा निसेहो—

३३९. लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा मो' त्ति एगे पवयमाणा,
जमिणं विरुवुरुवेहि सत्थेहि वणस्सत्तिकम्मसमारम्भेणं वण-
स्सत्तिसत्थं समारम्भमाणे अण्णे अणेगुरुवे पाणे विहिंसति ।

तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चैव जीवि-
यस्स परिवंदण-माणण-भूयणाए, जाती-वरण-भोयणाए, दुख-
पडिघातहेतुं,

से सयमेव वणस्सत्तिसत्थं समारंभति, अण्णेहि वा वणस्सत्ति-
सत्थं समारंभावेति अण्णे वा वणस्सत्तिसत्थं समारम्भमाणे
समणुजाणति ।

तं से अहियाए तं से अबोहिए ।

से चं संबुद्धमाणे आयाणीयं समुट्ठाए ।

सोक्खा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णायं भवति
—एस खलु गये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे एस खलु
णिरए ।

चलने खड़ा रहने, बैठने या सोने वाले का अनुमोदन भी
न करे,

यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग से—मन से,
वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के वनस्पति-समारम्भ से निवृत्त होता हूँ,
उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (कपाय) आत्मा
का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

मुनि वृण, वृक्ष तथा किसी भी (वृक्ष आदि के) फल या
मूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सचित्त बीजों की
मन से भी इच्छा न करे ।

मुनि वन-निकुञ्ज के बीच में बीज पर, हरित पर, अनन्त-
कायिक-वनस्पति सर्पच्छत्र और काई पर खड़ा न रहे ।

वृणवनस्पतिकायिक जीव दश प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

(१) मूल, (२) कन्द, (३) स्कन्ध, (४) त्वक्, (५) शाला,
(६) प्रवाल, (७) पत्र, (८) पुष्प, (९) फल, (१०) बीज ।

वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा का निषेध—

३३९. तू देख, ज्ञानी हिंसा से लज्जित-विरत रहते हैं । “हम
गृहत्यागी हैं” यह कहते हुए भी कुछ लोग नाना प्रकार के
शस्त्रों से, वनस्पतिकायिक जीवों का समारम्भ करते हैं । वन-
स्पतिकाय की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों
की भी हिंसा करते हैं ।

इस विषय में भगवान ने परिज्ञा-विवेक का उपदेश किया
है—इस जीवन के लिए प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए जन्म,
मरण और मुक्ति के लिए, दुख का प्रतीकार करने के लिए ।

वह (तथाकथित साधु) स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों की
हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, करने वाले का
अनुमोदन भी करता है ।

यह (हिंसा करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अहित
के लिए होता है, यह उसकी अबोधि के लिए होता है ।

यह समझता हुआ साधक संयम में स्थिर हो जाए ।

भगवान् से या त्यागी अणगारों के समीप सुनकर उसे इस
वात का ज्ञान हो जाता है—(हिंसा) ग्रन्थि है, यह मोह है, यह
मृत्यु है, यह तरक है ।

इच्छत्थं गद्विष्ट लोए, जमिणं विरूवरुर्वेहिं सत्थेहिं वणस्सति-
कम्मसमारंभेणं वणस्सतिसत्थं समारंभमाणे वऽण्णे अणेगरुवे
पाणे विहिंसति ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ५, सु. ४२-४४

एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्छेते आरम्भा अपरिण्णाता
भवन्ति ।

एत्थ सत्थं असमारम्भमाणस्स इच्छेते आरम्भा परिण्णाया
भवन्ति ।

तं परिण्णाय मेधावी णेव सयं वणस्सतिसत्थं समारंभावेज्जा,
णेवऽण्णेहिं वणस्सतिसत्थं समारम्भावेज्जा,
णेवऽण्णे वणस्सतिसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते वणस्सतिसत्थसमारम्भा परिण्णाया भवन्ति ते ह्नु मुणी
परिण्णायकम्मे त्ति बेमि ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ५, सु. ४६-४८
हरिताणि भूताणि विलंबगाणि,

आहारदेहाइं पुढो सिताइं ।

जे छिदति आतसुहं पडुच्चा,

पागन्नि पाणे बहुणं तिवाती ॥

जातिं च वुड्ढिं च विणासयन्ते,

बीयादि अस्संजय [आयदंडे ।

अहाहु से लोए अणज्जधम्मे,

बीयादि जे हिंसति आयसाते ॥

—सूय. सु. १, अ. ७, गा. ८-९

वणस्सइ य मणुयजीवणयस्स य तुलत्तं—

३४०. से बेमि—

इमं पि जातिधम्मयं,

एयं पि जातिधम्मयं;

इमं पि वुड्ढिधम्मयं,

एयं पि वुड्ढिधम्मयं;

इमं पि चित्तमंतयं,

एयं पि चित्तमंतयं;

इमं पि छिण्णं मिलाती,

एयं पि छिण्णं मिलाती;

फिर भी मनुष्य इसमें आसक्त होता है वह नाना प्रकार के
शस्त्रों से वनस्पतिकाय के समारम्भ में संलग्न होकर वनस्पति-
कायिक जीवों की हिंसा करता है। वह न केवल वनस्पतिकायिक
जीवों की हिंसा करता है अपितु अन्य नाना प्रकार के जीवों की
भी हिंसा करता है।

जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ करता
है, वह उन आरम्भों आरम्भजन्य कटुफलों से अनजान रहता है।
(जानता हुआ भी अनजान है।)

जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र प्रयोग नहीं करता,
उसके लिए आरम्भ-परिज्ञान है।

यह जानकर मेधावी स्वयं वनस्पति का समारम्भ न करे,
न दूसरों से समारम्भ करवाए और न समारम्भ करने वालों का
अनुमोदन करे।

जिसको यह वनस्पति सम्बन्धी समारम्भ परिज्ञात होते हैं,
वही परिज्ञात कर्मा (हिंसा त्यागी) मुनि होता है।

हरी द्वव अंकुर आदि भी (वनस्पतिकायिक) जीव हैं, वे भी
जीव आकार धारण करते हैं। वे (मूल, स्कन्ध, शाखा, पत्ते,
फल-फूल, आदि अवयवों के रूप में) पृथक्-पृथक् रहते हैं। जो
व्यक्ति अपने सुख की अपेक्षा से तथा अपने आहार (या आधार-
आवास) एवं शरीर-पोषण के लिए इनका छेदन-भेदन करता है,
वह धृष्ट पुरुष बहुते-से प्राणियों का विनाश करता है।

जो असंयमी (गृहस्थ या प्रव्रजित) पुरुष अपने सुख के लिए
बीजादि (विभिन्न प्रकार के बीज वाले अन्न एवं फलादि) का
नाश करता है, वह (बीज के द्वारा) जाति (अंकुर की उत्पत्ति)
और (फल के रूप में) वृद्धि का विनाश करता है। (वास्तव में)
वह व्यक्ति (हिंसा के उक्त पाप द्वारा) अपनी ही आत्मा को
दण्डित करता है संसार में तीर्थकरों या प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे
अनार्यधर्मी (अनाड़ी या अधर्मसंसक्त) कहा है।

वनस्पति शरीर एवं मनुष्य शरीर की समानता—

३४०. मैं कहता हूँ—

१. यह मनुष्य भी जन्म लेता है,

—यह वनस्पति भी जन्म लेती है,

२. यह मनुष्य भी बढ़ता है,

—यह वनस्पति भी बढ़ती है,

३. यह मनुष्य भी चेतनायुक्त है,

—यह वनस्पति भी चेतनायुक्त है,

४. यह मनुष्य शरीर छिन्न होने पर म्लान हो जाता है,

—यह वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान होती है,

इमं पि आहारगं,
एयं पि आहारगं;
इमं पि अणितियं,
एयं पि अणितियं;
इमं पि असासयं,
एयं पि असासयं;
इमं पि चयोवचइयं,

एयं पि चयोवचइयं;

इमं पि विप्परिणामधम्मयं,

एयं पि विप्परिणामधम्मयं ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ५, सु. ४५

तसकाय सरूवं—

३४१. से बेमि—

संतिमे तसा पाणा, तं जहा—

अंडया पोतया जरायुया रसया संसेइमा समुच्छिमा उन्मिया
उबवातिया ।^१

एस संसारे ति पवुच्चति । मंदस्स अविषाणओ ।

णिज्जाइत्ता पडितेहिता पत्तेयं परिणिट्वाणं ।

सत्वेसि पाणाणं सत्वेसि भूताणं सत्वेसि जीवाणं सत्वेसि
सत्ताणं^२ । अस्सातं अपरिणिट्वाणं महम्मयं दुक्खं ति बेमि ।

१ उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से त्रस जीवों के आठ भेद इस प्रकार किये गये हैं—

१. अंडज—अण्डों से उत्पन्न होने वाले—कोयल, कन्नूतर, मयूर, हंस आदि ।

२. पोतज—पोत अर्थात् चर्ममय थैली । पोत से उत्पन्न होने वाले—जैसे हाथी, बल्लुली आदि ।

३. जरायुज—जरायु का अर्थ है गर्भ-वैष्टन या वह क्षित्ली जो जन्म के समय शिशु को आवृत्त किये रहती है । इसे “जेर” भी कहते हैं । जरायु के साथ उत्पन्न होने वाले जैसे—मनुष्य, गाय, भैंस आदि ।

४. रसज—छाछ, दही आदि रस विकृत होने पर इनमें जो कृमि आदि उत्पन्न हो जाते हैं वे “रसज” कहे जाते हैं ।

५. संस्वेदज—पसीने से उत्पन्न होने वाले, जैसे—जूं, लीख आदि ।

६. सम्मूर्च्छिम—बाह्य वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले, जैसे—भ्रमर, चींटी, मच्छर, मक्खी आदि ।

७. उद्भिज्ज—भूमि को फोड़कर निकलने वाले, जैसे—टीड, पतंगे आदि ।

८. औपपातिक—“उपपात” का शाब्दिक अर्थ है सहसा घटने वाली घटना । आगम की दृष्टि से देवता शैया में, नारक कुम्भी में उत्पन्न होकर एक मुहूर्त के भीतर ही पूर्ण युवा बन जाते हैं, इसलिए वे औपपातिक कहलाते हैं ।

२ (क) प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त प्राण, भूत, जीव और सत्व शब्द सामान्यतः जीव के ही वाचक हैं । शब्दनय (समभिरूढ नय) की अपेक्षा से आगम में इसके अलग-अलग अर्थों का प्रयुक्तीकरण इस प्रकार है— (शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

५. यह मनुष्य भी आहार करता है,

—यह वनस्पति भी आहार करती है,

६. यह मनुष्य-शरीर भी अनित्य है,

—यह वनस्पति शरीर भी अनित्य है,

७. यह मनुष्य-शरीर भी अशाश्वत है,

—यह वनस्पति शरीर भी अशाश्वत है,

८. यह मनुष्य-शरीर भी आहार से उपचित होता है, आहार के अभाव में अपचित-क्षीण होता है,

—यह वनस्पति शरीर भी इसी प्रकार उपचित-अपचित होता है ।

९. यह मनुष्य-शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है,

—यह वनस्पति शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है ।

त्रसकाय का स्वरूप

३४१ में कहता हूँ—

ये सब त्रस प्राणी हैं, जैसे—

अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूर्च्छिम, उद्भिज्ज और औपपातिक ।

यह (त्रस जीवों का समन्वित क्षेत्र) संसार कहा जाता है । मन्द तथा अज्ञानी जीवों को यह संसार होता है ।

मैं चिन्तन कर, सम्यक् प्रकार से देखकर कहता हूँ—प्रत्येक प्राणी परिनिर्वाण (शान्ति और सुख) चाहता हूँ ।

सब प्राणियों, सब भूतों, सब जीवों और सब सत्त्वों को असाता (वेदना) और अपरिनिर्वाण (अशान्ति) ये महामयंकर और दुःखदायी हैं । मैं ऐसा कहता हूँ ।

संसति पाणा पदिसो दिसासु य ।

तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परितावेति ।

संसति पाणा पुढो सिया ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ६, सु. ४६

तसकायस्स भेयप्पभेया—

३४२. से जे पुण इसे अणेगे वहवे तसा पाणा तं जहा—

अंडया पोयया जराउया रसया संसेइमा सम्मुच्छिमा उन्मिया उववाइया ।

जेसि केसिचि पाणाणं अभिक्कंतं पडिक्कंतं संकुचियं पसारियं रुयं भंतं तसियं पलाइयं आगइ-गइविन्नाया—

जे य कीडपयंगा, जा य कुंथुपिवीलिया, सव्वे वेइंदिया, सव्वे तेइंदिया, सव्वे चउरंदिया, सव्वे पांचदिया, सव्वे तिरिक्ख-जोणिया, सव्वे नेरइया, सव्वे मणुया, सव्वे देवा, सव्वे पाणा परमाहम्मिया—

एसो खलु छट्ठो जीवनिकाओ तसकाओ ति पवुच्चई ।

—दस. अ. ४, सु. ६

तसकाय अणारम्भ पइप्णा—

३४३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे,

दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागर-माणे वा—

से कीडं वा पयंगं वा कुंथुं वा पिवीलियं वा हत्थंसि वा पार्यंसि वा बाहुंसि वा उरुंसि वा उदरंसि वा सीसंसि वा

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

प्राण—दस प्रकार के प्राणयुक्त होने से ।

भूत—तीनों काल में रहने के कारण ।

जीव—आयुष्य कर्म के कारण ।

सत्त्व—विविध पर्यायों का परिवर्तन होते हुए भी आत्मद्रव्य की सत्ता में कोई अन्तर नहीं आने के कारण ।

(ख) शीलाकाचार्य ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—

प्राण—द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव ।

भूत—चैनस्पतिकायिक जीव ।

जीव—पांच इन्द्रियवाले जीव, देव, मनुष्य, नारक और तिर्यच ।

सत्त्व—पृथ्वी, अप, अग्नि और वायुकाय के जीव ।

ये प्राणी दिशा और विदिशाओं में सब ओर से भयभीत-त्रस्त रहते हैं ।

तू देख, विषय-सुखाभिलाषी आतुर मनुष्य स्थान-स्थान पर इन जीवों को परिताप देते रहते हैं ।

त्रसकायिक प्राणी पृथक्-पृथक् शरीरों के आश्रित रहते हैं ।

त्रसकाय के भेद-प्रभेद—

३४२. और ये जो अनेक त्रस प्राणी हैं, जैसे—

अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूर्च्छनज, उद्भिज, औपपातिक वे छः जीव-निकाय में आते हैं ।

जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, शब्द करना, इधर-उधर जाना, भयभीत होना, दौड़ना—ये क्रियाएँ हैं और जो आगति एवं गति के विज्ञाता हैं वे त्रस हैं ।

जो कीट, पतंग, कुंथु, पिपीलिका सब दो इन्द्रिय वाले जीव, सब तीन इन्द्रिय वाले जीव, सब चार इन्द्रिय वाले जीव, सब पांच इन्द्रिय वाले जीव. सब तिर्यक्-योनि, सब नैरयिक, सब मनुष्य, सब देव और सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं—

यह छट्ठा जीव-निकाय त्रसकाय कहलाता है ।

त्रसकाय के अनारम्भ की प्रतिज्ञा—

३४३. संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी—

दिन में या रात में, एकान्त में या परिषद में, सोते या जागते—

कीट, पतंग, कुंथु या पिपीलिका को हाथ, पैर, बाहु, उर, उदर, सिर, वस्त्र, पात्र, कंवल, पादप्रौच्छनक, रजोहरण, गोच्छग,

वत्यंसि वा पडिग्गहंसि वा कंबलंसि वा पायपुच्छंसि वा
रयहरणंसि वा गोच्छगंसि वा उडुगंसि वा दंडगंसि वा पीढ-
गंसि वा फलगंसि वा सेज्जंसि वा संयारगंसि वा अन्नयरंसि
वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिल्लेहिय पडि-
लेहिय पमज्जिय पमज्जिय एगंतमवणेज्जा नो संघायमा-
वज्जेज्जा ।

—दस. अ. ४, सु. २३

तसे पाणे न हिंसेज्जा वाया अदुष कम्मणा ।

उवरओ सच्चम्मएसु पासेज्ज विविहं जगं ।

—दस. अ. ८, गा. १२

तसकाइयाणं हिंसानिसेहो—

३४४. लज्जमाणा पुढो पास । "अणगारा मो" ति एगे पवयमाणा,
जमिणं विरुक्खवेहिं सत्थेहिं तसकायसमारंभेणं तसकायसत्थं
समारम्भमाणे अण्णे अणेगरुक्खे पाणे विहिंसति ।

तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चेव जीवियस्स
परिवंदण-माणण पूयणाए, जाती-मरण-मोयणाए, दुखपडि-
घातहेतुं से सयमेव तसकायसत्थं समारंभति, अण्णेहिं वा
तसकायसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा तसकायसत्थं समारंभ-
माणे समणुजाणति ।

तं से अहिताए, तं से अबोधीए ।

से तं संबुज्जमाणे आयाणीयं समुट्ठाए ।

सोच्चा भगवतो अणगारारणं वा अपिण्ण इहमेगेसिं णातं
भवति—एस खलु गंधे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस
खलु निरए ।

इच्चत्थं गट्ठिए लोए जमिणं विरुक्खवेहिं सत्थेहिं तसकाय-
समारंभेणं तसकायसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरुक्खे पाणे
विहिंसति ।

से वेमि—

अप्पेगे अच्चाए वधेति, अप्पेगे अजिणाए वधेति, अप्पेगे मंसाए
वधेति, अप्पेगे सोणिताए वधेति, अप्पेगे हिययाए वधेति, एवं
पित्ताए वसाए विच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए विसाणाए
वंताए दाढाए नहाए ण्हारुणीए अट्टिए,

उन्दक—(स्थंडिल), दण्डक, पीठ पर, या फलक, या शैया
संस्तारक पर तथा उसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण पर
चढ़ जाये तो सावधानीपूर्वक धीमे-धीमे प्रतिलेखन कर, प्रमार्जन
कर, उन्हें वहाँ से हटाकर एकान्त में रख दे किन्तु उनका संघात
न करे—आपस में एक दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुँचे वैसे
न रखे ।

(मुनि) वचन अथवा कर्म (कार्य) से त्रस प्राणियों की हिंसा
न करे । समस्त जीवों की हिंसा से उपरत (साधु-साध्वी) विविध
स्वरूप वाले जगत् (प्राणी-जगत) को (विवेकपूर्वक) देखे ।

त्रसकायिकों की हिंसा का निषेध—

३४४. तू देख !, ज्ञानी हिंसा से लज्जित-विरत रहते हैं ।
"हम गृह त्यागी हैं" यह कहते हुए भी कुछ लोग नाना प्रकार
के शस्त्रों से त्रसकायिक जीवों का समारम्भ करते हैं । त्रसकाय
की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा
करते हैं ।

इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा—विवेक का उपदेश किया
है—इस जीवन के लिये, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म,
मरण और मुक्ति के लिए, और दुःख का प्रतिकार करने के लिए
वह (तथाकथित साधु) स्वयं त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता
है, दूसरों से हिंसा करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

यह (हिंसा करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अहित
के लिए होता है । यह उसकी अबोधि के लिए होता है ।

वह संयमी उस हिंसा को हिंसा के कुपरिणामों को सम्यक्
प्रकार से समझते हुए संयम में तत्पर हो जावे ।

भगवान् से या गृहत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर कुछ मनुष्य
यह जान लेते हैं कि हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह, यह मृत्यु है, यह
नरक है ।

फिर भी मनुष्य इस हिंसा में आसक्त होता है । वह नाना
प्रकार के शस्त्रों से त्रसकायिक जीवों के समारम्भ में संलग्न
होकर त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है । वह न केवल त्रस-
कायिक जीवों की हिंसा करता है अपितु अन्य नाना प्रकार के
जीवों की भी हिंसा करता है ।

में कहता हूँ—

कुछ मनुष्य अर्चा (देवता की वलि या शरीर के शृंगार)
के लिए जीवहिंसा करते हैं । कुछ मनुष्य चर्म के लिए, मांस,
रक्त, हृदय (कलेजा), पित्त, चर्बी, पंख, पूंछ, केश, सींग, विपाण
(सूअर का दाँत) दाँत, दाढ़, नख, स्नायु, अस्थि (हड्डी)

अट्टिमिंजाए अट्टाए अणट्टाए ।

अप्पेगे हिंसिसु मे त्ति वा,

अप्पेगे हिंसंति वा,

अप्पेगे हिंसिस्सति वा वा णे बधेति ।

एत्थं एत्थं समारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा अपरिण्णाया भवंति ।

एत्थ सत्थं असमारम्भमाणस्स इच्चेते आरम्भा परिण्णाया भवंति ।

तं परिण्णाय मेघावी णेव सयं तसकायसत्थं समारंभेज्जा णेवण्णेहिं तसकायसत्थं समारंभावेज्जा णेवण्णे तसकायसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते तसकायसत्थसमारम्भा परिण्णाया भवंति से हु मुणी परिण्णातकम्मे त्ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ६, सु. ५०-५५

अज्जसत्थं सत्त्वओ सत्त्वं, दिस्स पाणे पियायए ।

न हुणे पाणिणो पाणे, भय-वेराओ उवरए ॥

—उत्त. अ. ६, गा. ६

छण्हं जीवणिकायाणं हिंसा कम्मबंधहेउ त्ति—
तिक्कालिय अरहंताणं समा परूवणा—

३४५. तत्थ खलु भगवता छज्जीवणिकाया हेऊ पणत्ता, तं जहा—
पुढविकायिया-जाव-तसकायिया ।

से जहानामए मम अस्सायं दंडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेलूण वा कवालैण वा आउडिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परिताविज्जमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा उट्टविज्जमाणस्स वा -जाव-लोमुवखणणमातमवि हिंसाकरं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि,

इच्चेवं जाण सन्वे पाणा-जाव-सत्ता दंडेण वा-जाव-कवालैण वा आउडिज्जमाणः वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा

और अस्थिमज्जा के लिए प्राणियों की हिंसा करते हैं। कुछ किसी प्रयोजनवश, कुछ निष्प्रयोजन—व्यर्थ ही जीवों का वध करते हैं।

कुछ व्यक्ति इन्होंने मेरे (स्वजनादि की) हिंसा की, इस कारण (प्रतिशोध की भावना से) हिंसा करते हैं।

कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि की) हिंसा करता है, इस कारण (प्रतीकार की भावना से) हिंसा करते हैं।

कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि की हिंसा करेगा) इस कारण (भावी आतंक/भय की भावना से) हिंसा करते हैं।

जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है, वह इन आरम्भ (आरम्भजनित कुपरिणामों) से अनजान ही रहता है।

जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह इन आरम्भों से सुपरिचित (युक्त) रहता है।

यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य स्वयं त्रसकाय-शस्त्र का समारम्भ न करे, दूसरों से समारम्भ न करवाये, समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे।

जिसने त्रसकाय-सम्बन्धी समारम्भों (हिंसा के हेतुओं-उपकरणों-कुपरिणामों) को जान लिया, वही परिज्ञातपापकर्मा (हिंसा-त्यागी) मुनि होता है।

सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म (सुख) जैसे मुझे इष्ट है, वैसे ही दूसरों को इष्ट है और सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है यह देखकर भय और वर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे।

छः जीवनिकायों की हिंसा कर्मबन्ध का हेतु है—
त्रैकालिक अर्हन्तों ने समान प्ररूपणा की है।

३४५ सर्वज्ञ भगवान् तीर्थंकर देव ने पट्जीवनिकायों (सांसारिक प्राणियों) को कर्मबन्ध के हेतु बताया है ! जैसे कि—पृथ्वीकाय — यावत् — त्रसकाय तक पट्जीवनिकाय है।

जैसे कोई व्यक्ति मुझे डण्डे से, हड्डी से, मुक्के से, ढेले से, या पत्यर से अथवा घड़े के फूटे हुए ठीकरे आदि से मारता है, अथवा चाबुक आदि से पीटता है, अथवा अंगुली दिखाकर धमकाता है, या डाँटता है, अथवा ताड़न करता है, या सताता-संताप देता है, अथवा क्लेश करता है, अथवा उद्विग्न करता है, या उपद्रव करता है, या डराता है, तो मुझे दुःख (असाता) होता है, —यावत्—कि मेरा एक रोम भी उखाड़ता है तो मुझे मारने जैसा दुःख और भय का अनुभव होता है।

इसी तरह सभी जीव, सभी भूत, समस्त प्राणी—यावत्—सर्व सत्त्व, डण्डे—यावत्—ठीकरे से मारे जाने या पीटे जाने,

ताडिज्जमाणा वा परियाविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उद्दिज्जमाणा वा-जाव-लोमुक्खणणमातमवि हिंसाकरं दुक्खं भयं पडिसवेवेति ।

एवं णच्चा सव्वे पाणा-जाव-सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परितावेयव्वा, ण उद्देयव्वा ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६७६

आयरियाणायरियवयणाणं सरूवं—

३४६. आवंती के आवंती लोयंसी समणा य भाहणा च पुढो विवादं वदंति ।

“से दिट्ठं च णे, सुयं च णे, मयं च णे, विण्णायं च णे, उद्दं अहं तिरियं दिसासु सव्वतो सुपडिलेहियं च णे—सव्वे पाणा सव्वे जीवा सव्वे भूता सव्वे सत्ता हंतव्वा अज्जावेतव्वा परिघेतव्वा, परितावेतव्वा, उद्देतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्य दोसो ।”

अणारियवयणमेयं ।

तत्थ जे ते आरिया ते एवं वयासी —

“से बुद्धिं च भे, दुस्सुयं च भे, दुम्मयं च भे, दुद्विण्णायं च भे, उद्दं अहं तिरियं दिसासु सव्वतो दुप्पडिलेहितं च भे, जं णं तुब्भे एवं आचक्खह, एवं भासह, एवं पणवेह, एवं परूवेह—सव्वे पाणा सव्वे भूता सव्वे जीवा सव्वे सत्ता हंतव्वा, अज्जावेतव्वा, परिघेतव्वा, परितावेयव्वा, उद्देतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्य दोसो ।”

अणारियवयणमेयं ।

अयं पुण एवमाचिक्खामो, एवं भासामो, एवं पणवेमो, एवं परूवेमो—

“सव्वे पाणा सव्वे भूता सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेतव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परियावेयव्वा, ण उद्देतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्य दोसो ।”

अंगुली दिखाकर धमकाये जाने या डंटे जाने अथवा ताड़न किये जाने, सताये जाने, हैरान किये जाने या उद्विग्न (भयभीत) किये जाने—यावत्—एक रोम मात्र के उखाड़े जाने से वे मृत्यु कासा कष्ट एवं भय महसूस करते हैं ।

ऐसा जानकर समस्त प्राण—यावत्—सत्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए. उन्हें बलात् अपनी आज्ञा का पालन नहीं कराना चाहिए, न उन्हें बलात् पकड़कर या दास-दासी आदि के रूप में खरीद कर रखना चाहिए, न ही किसी प्रकार का संताप देना चाहिए और न उन्हें उद्विग्न (भयभीत) करना चाहिए ।

आर्य-अनार्य वचनों का स्वरूप—

३४६ इन मत-मतान्तरों वाले लोक में जितने भी, जो भी श्रमण या ब्राह्मण हैं, वे परस्पर विरोधी भिन्न-भिन्न मतवाद (विवाद) का प्रतिपादन करते हैं । जैसे कि कुछ मतवादी कहते हैं—

“हमने यह देख लिया है, सुन लिया है, मनन कर लिया है और विशेष रूप से जान भी लिया है, (इतना ही नहीं) ऊँची, नीची और तिरछी सभी दिशाओं में सब तरह से भली-भाँति इसका निरीक्षण कर लिया है कि सभी प्राणी, सभी जीव, सभी भूत, सभी सत्व हनन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें परिताप पहुँचाया जा सकता है, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, उन्हें प्राण-हीन बनाया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में यही समझ लो कि (इस प्रकार से) हिंसा में कोई दोष नहीं है ।”

यह अनार्य (पाप-परायण) लोगों का कथन है ।

इस जगत् में जो भी आर्य-पाप कर्मों से दूर रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा है—

“आपने दोषयुक्त ही समझा है, ऊँची-नीची-तिरछी सभी दिशाओं में सर्वथा दोषपूर्ण होकर निरीक्षण किया है, जो आप ऐसा कहते हैं, ऐसा भाषण करते हैं, ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा प्ररूपण (मत-प्रस्थापन) करते हैं कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्व हनन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें बलात् पकड़कर दास बनाया जा सकता है, उन्हें परिताप दिया जा सकता है, उनको प्राणहीन बनाया जा सकता है, इस विषय में यह निश्चित समझ लो कि हिंसा में कोई दोष नहीं है ।”

यह सरासर अनार्यवचन है ।

हम इस प्रकार कहते हैं, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा ही प्ररूपण करते हैं कि—

“सभी प्राणी, भूत, जीव और सत्वों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको जबरन शासित नहीं करना चाहिए, और न-उन्हें डराना-धमकाना, प्राण-रहित करना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह निश्चित समझ लो कि अहिंसा का पालन सर्वथा दोषरहित है ।”

आयरियवयणमेयं ।

पुत्रं णिकाय समयं पत्तेयं पुच्छिस्सामो—

हं भो पावाडुया ! किं मे सायं दुक्खं उताहु असायं ? समिता
पडिवण्णे या वि एवं बूया —

“सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूताणं सव्वेसि जीवाणं सव्वेसि
सत्ताणं असायं अपरिनिव्वणं महब्भयं दुक्खं ति,” ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. ४, उ. २, सु. १३६-१३६

पाणाइवाएण बालजीवाणं पुणो पुणो जम्म-मरणं—

३४७. पृथ्वी य आळ अगणी य वाउ,

तण-रुक्ख-बीया य तसा य पाणा ।

जे अंडया जे य जराउ पाणा,

संसेयया जे रसयाभिघाणा ॥

एताइं कायाइं पवेदियाइं,

एतेसु जाण पडिलेह सायं ।

एतेह कायेहि य आयदंडे,

एतेसु या विप्परियासुविति ॥

जातीवहं अणुपरियट्टमाणे,

तस - थावरेहं विणिघायमेति ।

से जाति-जाती बहुकूरकम्मे,

जे कुव्वती मिज्जती तेण वाले ॥

अस्सि च लोगे अडुवा परत्था,

सतग्गसो वा तह अण्णहा वा ।

संसारमावन्न परं परं ते,

बंधंति वेयंति य दुण्णियाइं ॥

—सूय. सु. १, अ. ७, गा. १-४

आवंती के आवती लीयसि विप्परामुसति अट्टाए अणट्टाए वा
एतेसु चैव विप्परामुसंति ।

गुरु से कामा ! ततो से मारस्स अंतो ।

यह आर्यवचन है ।

पहले उनमें से प्रत्येक दार्शनिक को, जो जो उसका सिद्धान्त
है, उसमें व्यवस्थापित कर हम पूछेंगे—

“हे दार्शनिको । प्रखरवादियो । आपको दुःख प्रिय है या
अप्रिय ? यदि आप कहें कि हमें दुःख प्रिय है, तब तो यह उत्तर
प्रत्यक्षविरुद्ध होगा, यदि आप कहें कि हमें दुःख प्रिय नहीं है, तो
आपके द्वारा इस सम्यक् सिद्धान्त के स्वीकार किये जाने पर हम
आपसे यह कहना चाहेंगे कि,

“जैसे आपको दुःख प्रिय नहीं है, वैसे ही सभी प्राणी, भूत,
जीव और सत्त्वों को दुःख असाताकारक है, अप्रिय है, अशान्ति-
जनक है और महा-भयंकर है ।” ऐसा मैं कहता हूँ ।

प्राणातिपात से बाल जीवों का पुनः-पुनः जन्म-मरण—

३४७ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, तृण, वृक्ष, बीज और त्रस
प्राणी तथा जो अण्डज हैं, जो जरायुज प्राणी हैं, जो स्वेदज
(पत्तीने से पैदा होने वाले) और रसज (दूध, दही आदि रसों की
विकृति से पैदा होने वाले) प्राणी हैं । इन (पूर्वोक्त) सबको सर्वज्ञ
वीतरागों ने जीविकाय (जीवों के काय शरीर) बताया है । इन
(पूर्वोक्त पृथ्वीकायादि प्राणियों) में सुख की इच्छा रहती है,
इसे समझ लो और इस पर कुशाग्र बुद्धि से विचार करो ।

जो इन जीविकायों का उपमर्दन-पीड़न करके (मोक्षाकांक्षा
रखते हैं, वे) अपनी आत्मा को दण्डित करते हैं, वे इन्हीं (पृथ्वी-
कायादि जीवों) में विविध रूप में शीघ्र या बार-बार जाते
(या उत्पन्न होते) हैं ।

प्राणि-पीड़क वह जीव एकेन्द्रिय आदि जातियों में बार-बार
परिभ्रमण (जन्म-जरा, मरण आदि का अनुभव करता हुआ)
करता हुआ त्रस और स्यावर जीवों में उत्पन्न होकर कायदण्ड
विपाकज कर्म के कारण विघात को प्राप्त होता है । वह अति-
क्रूरकर्मा अज्ञानी जीव बार-बार जन्म लेकर जो कर्म करता है,
उसी में मरण-शरण हो जाता है ।

इस लोक में अथवा परलोक में, एक जन्म में अथवा सैकड़ों
जन्मों में वे कर्म कर्ता को अपना फल देते हैं । संसार में परिभ्रमण
करते हुए वे कुशील जीव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दुःख भोगते हैं और
आर्तध्यान करके फिर कर्म बाँधते हैं, और अपने दुर्नीतियुक्त
कर्मों का फल भोगते रहते हैं ।

इस लोक में जितने भी कोई मनुष्य सप्रयोजन या निष्प्रयोजन
जीवों की हिंसा करते हैं, वे उन्हीं जीवों (की योनियों में) विविध
रूप में उत्पन्न होते हैं ।

उनके लिए शब्दादि काम का त्याग करना बहुत कठिन
होता है ।

जतो से भारंस्स अंतो ततो से दूरे ।

णेव से अंतो णेव से दूरे ।

से पासति कुसितमिव कुसग्गे पणुणं णिवतितं चातेरितं ।

एवं बालस्स जीवितं मंदस्स अविजाणतो ।

कृराणी कम्माणि बाले पकुब्बमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्प-
रियासमुवेति,

मोहेण गव्वं भरणाइ इति ।

एत्थ मोहे पुणो पुणो ।

—आ. सु. १. अ. ५, उ. १, सु. १४७-१४८

अजयणा निसेहो—

३४८. अजयं चरमाणो उ, पाण-भूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

अजयं चिट्ठमाणो उ, पाण-भूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

अजयं आसमाणो उ, पाण-भूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

अजयं सयमाणो उ, पाण-भूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

अजयं भुंजमाणो उ, पाण-भूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

अजयं भासमाणो उ, पाण-भूयाइं हिंसई ।
बंधई पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

प्र०—कहं चरे कहं चिट्ठे, कहमासे कहं सए ।
कहं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥

इसलिए वह मृत्यु की पकड़ में रहता है और इसीलिए अमृत (परमपद-मोक्ष) से दूर रहता है ।

(कामनाओं का निवारण करने वाला) पुरुष न तो मृत्यु की सीमा (पकड़) में रहता है और न मोक्ष से दूर रहता है ।

वह पुरुष कुश की नोंक को छुए हुए अस्थिर और वायु के झोंके से प्रेरित होकर गिरते हुए विन्दु की तरह जीवन को (अस्थिर) जानता देखता है ।

बाल (अज्ञानी), मन्द (मन्दबुद्धि) का जीवन भी इसी तरह अस्थिर है, परन्तु वह (मोहवश) (जीवन के अनित्यत्व) को नहीं जान पाता ।

वह अज्ञानी हिंसादि क्रूर कर्म उत्कृष्ट रूप से करता हुआ (दुःख को उत्पन्न करता है) तथा उसी दुःख से मूढ़ उद्विग्न होकर वह विपरीत दशा को प्राप्त होता है ।

उस मोह से वह बार-बार गर्भ में आता है जन्म-मरणादि पाता है ।

इसमें भी उसे पुनः-पुनः मोह उत्पन्न होता है ।

अयतना का निषेध—

३४८. अयतनापूर्वक चलने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

अयतनापूर्वक खड़ा होने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

अयतनापूर्वक बैठने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

अयतनापूर्वक सोने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

अयतनापूर्वक भोजन करने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

अयतनापूर्वक बोलने वाला त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है । उससे पाप-कर्म का बन्ध होता है । वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

प्र०—कैसे चले ? कैसे खड़े हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे खाए ? कैसे बोले ? जिससे पाप-कर्म का बन्ध न हो।

उ०—जयं चरे जयं चिद्रे, जयमासे जयं सए ।
जयं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥

सध्वभूयप्पभूयस्स , सम्मं भूयाइ पासओ ।
पिहियासवस्स दंतस्स, पावं कम्मं न बंधई ॥

—दस. अ. ४, गा. २४-३२

छज्जीवनिकायवह-परिणामं—

३४६. गन्भाइ मिज्जंति बुया-ज्जुयाणा,
णरा परे पंचसिहा कुमारा ।
जुवाणगा मज्झिम थेरगा य,
चयंति ते आउखए पलीणा ॥

संबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं,
दट्ठं भयं बालिसेणं अलंभो ।
एगंतदुक्खे जरिते व लोए,
सकम्मुणा विप्परियासुवेति ॥

—सूय. सु. १, अ. ७, गा. १०-११

उ०—यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक खड़े होने, यतनापूर्वक बैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने, और यतनापूर्वक बोलने वाला पाप-कर्म का बन्ध नहीं करता है ।

जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है, जो सब जीवों को सम्यक्-दृष्टि से देखता है, जो आस्रव का निरोध कर चुका है और जो दान्त है उसके पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

छः जीवनिकाय की हिंसा का परिणाम—

३४६. (देवी-देवों की अर्चा या धर्म के नाम पर अथवा सुख-वृद्धि आदि किसी कारण से जीवों का छेदन-भेदन करने वाले) मनुष्य गर्भ में ही मर जाते हैं तथा कई तो स्पष्ट बोलने तक की वय में और कई अस्पष्ट बोलने तक की उम्र में ही मर जाते हैं । दूसरे पंचशिखा वाले मनुष्य कुमार अवस्था में ही मृत्यु की गोद में चले जाते हैं, कई युवक होकर तो कई मध्यम (प्रीढ़) उम्र के होकर अथवा बूढ़े होकर चल बसते हैं । इस प्रकार बीज आदि का नाश करने वाले प्राणी (इन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में) आयुष्य क्षय होते ही शरीर छोड़ देते हैं ।

हे जीवो ! मनुष्यत्व या मनुष्य-जन्म की दुर्लभता को समझो । (नरक एवं तिर्यच योनि के भय को देखकर एवं विवेकहीन पुरुष को उत्तम विवेक अलाभ (प्राप्ति का अलाभ) जानकर बोध प्राप्त करो । यह लोक ज्वरपीड़ित व्यक्ति की तरह एकान्त दुःखरूप है । अपने (हिंसादि पाप) कर्म से सुख चाहने वाला जीव सुख के विपरीत (दुःख) ही पाता है ।



षड्जीवनिकाय-हिंसाकरण-प्रायश्चित्त-३

सच्चित्तवृक्षमूले आलोयणाइ करण पायच्छित्त सुत्ताइं—

३५०. जे भिक्खू सच्चित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा आलोएज्ज वा पलो-एज्ज वा आलोयंतं वा पलोयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सच्चित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा तुयट्ठंतं वा चेएइ चेतंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सच्चित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा असणं वा-जाव-साइमं वा आहारेइ आहारंतं वा साइज्जइ ।

सच्चित्त वृक्ष के मूल में आलोकन आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

३५०. जो भिक्षु सच्चित्त वृक्ष के मूल पर स्थिर होकर देखे, बार-बार देखे, दिखावे, बार-बार दिखावे, देखने वाले या बार-बार देखने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सच्चित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर कायोत्सर्ग करे, शय्या बनावे, बैठे प्रा लेटे इत्यादि कार्य करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सच्चित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर असण—यावत्—खाद्य का आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा उच्चारं वा पासवणं वा परिट्टवेइ परिट्टवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्जायं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्जायं उद्दिसइ उद्दिसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्जायं समुद्दिसइ समुद्दिसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्जायं अणुजाणइ अणुजाणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्जायं वाएइ वायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख-मूलंसि ठिच्चा सज्जायं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्त-रुक्ख मूलंसि ठिच्चा सज्जायं परियट्टेइ परियट्टंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. १-११

सचित्तरुक्खे दुरुहणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

३५१. जे भिक्षु सचित्तरुक्खं दुरुहइ, दुरुहंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ६

तसपाणाणं वंधण-मोयण करण पायच्छित्त सुत्तं—

३५२. जे भिक्षु कोलुण पडियाए अण्यपरि तसपाणजाइं १. तण-पासएण वा, २. मुंज-पासएण वा, ३. कट्ट-पासएण वा, ४. चम्म-पासएण वा, ५. वेत्त-पासएण वा, ६. रज्जु-पासएण वा, ७. सुत्त-पासएण वा, वंधइ वंधंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु कोलुण-पडियाए अण्यपरि तसपाणजाइं तण-पासएण वा-जाव-सुत्त-पासएण वा वट्ठेल्लयं मुयइ मुयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।^१

—नि. उ. १२, सु. १-२

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर उच्चार-पासवण परठता है, परठवाता है परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय का उद्देशण (पारायण) करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय की आज्ञा देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर स्वाध्याय की अनुज्ञा देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर सूत्रार्थ की वाचना देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर सूत्रार्थ के सम्बन्ध में प्रश्न करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल पर स्थित होकर सूत्रार्थ की पुनरावृत्ति करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सचित्त वृक्ष पर चढ़ने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३५१. जो भिक्षु सचित्त वृक्ष पर चढ़ता है, चढ़ने के लिए कहता है या चढ़ने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

त्रस प्राणियों को बाँधने और बन्धनमुक्त करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३५२. जो भिक्षु करुणा भाव से किसी एक त्रस प्राणी को १. तृण के पाश से २. मुंज के पाश से, ३. काष्ठ के पाश से, ४. चर्म के पाश से, ५. वेत्र पाश से, ६. रज्जू पाश से, ७. सूत्र पाश से, बाँधता है, बंधवाता है, बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु करुणा भाव से किसी एक त्रस प्राणी को तृण पाश से—यावत्—सूत्र पाश से बँधे हुए को मुक्त करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

१ कुछ प्रतियों में चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का विधान है ।

पुढवीकाइयाणं आरंभ करण पायच्छित्त सुत्तं—

३५३. जे भिक्खू पुढवीकायस्स वा-जाव-वणत्सइकायस्स वा कल-
मायमवि समारंभइ समारंभंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १२, चु. ८

सचित्त पुढवीकाइए ठाणाइ करणपायच्छित्त सुत्ताइं—

३५४. जे भिक्खू अणंतरहियाए पुढवीए १. ठाणं वा, २. सेज्जं वा,
३. गिसेज्ज वा, ४. गिसीहियं वा चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सत्तिणिद्धाए पुढवीए ठाणं वा-जाव-गिसीहियं वा
चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सत्तरक्खाए पुढवीए ठाणं वा-जाव-गिसीहियं वा
चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू महियाकडाए पुढवीए डाणं वा-जाव-गिसीहियं वा
चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए पुढवीए ठाणं वा-जाव-गिसीहियं वा
चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए ठाणं वा-जाव-गिसीहियं वा
चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए लेलूए ठाणं वा जाव-गिसीहियं वा
चेएइ चैयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, चु. १-७

सअंडाइए दारूए पाणाइ करण पायच्छित्त सुत्तं—

३५५. जे भिक्खू कोलावासंसि दारूए जीवपइट्टिए सअंडे-जाव-
संताणगंसि ठाणं वा-जाव-गिसीहियं वा चेएइ चैयंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, चु. ८

पृथ्वीकाय आदि के आरम्भ करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३५३. जो भिक्षु पृथ्वीकाय— यावत्—वनस्पतिकाय का कल्प से
अल्प भी आरम्भ करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सचित्त पृथ्वीकायिकादि पर कायोत्सर्ग करने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

३५४. जो भिक्षु सदा सचित्त रहने वाली पृथ्वी पर कायोत्सर्ग
करता है, सोता है, बैठता है, स्वाध्याय करता है, करवाता है
करने वाले का अनुमोदन करता है

जो भिक्षु स्निग्ध पृथ्वी पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—
स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु सचित्त पानी से भीगी हुई पृथ्वी पर कायोत्सर्ग
करता है—यावत्—स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त रज वाली पृथ्वी पर कायोत्सर्ग करता है
—यावत्—स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—
स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु सचित्त शिला पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—
स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु सचित्त देने पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—
स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अंडों वाले काष्ठ पर कायोत्सर्ग करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३५५. जो भिक्षु कीड़े पड़े हुए काष्ठ पर, सजीव काष्ठ पर,
अंडे प्राणी—यावत्—नकड़ी चल रही हो ऐसे काष्ठ पर
कायोत्सर्ग करता है,—यावत्—स्वाध्याय करता है या कायो-
त्सर्गादि तीनों कार्य एक ही स्थान पर करता है, करवाता है,
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

दुबद्धयुणाइसु ठाणाइ करण पायच्छित्त सुत्ताइं —

३५६. जे भिक्खू १. धूर्णसि वा, २. गिहेलुयंसि वा, ३. उमुकालंसि वा, ४. कामजजसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतरिक्खजायंसि दुबद्धे दुग्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेएइ चयेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. कुलियंसि वा, २. भित्तिसि वा, ३. सिलंसि वा, ४. लेलुंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतरिक्खजायंसि दुबद्धे दुग्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा—जाव—णिसीहियं वा चेएइ चयेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. खंधंसि वा, २. पलिहंसि वा, ३. मंचंसि वा, ४. मंडयंसि वा, ५. मालंसि वा, ६. पासायंसि वा, ७. हम्म-तलंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतरिक्खजायंसि दुबद्धे दुग्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा—जाव—णिसीहियं वा चेएइ चयेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चारम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १३, सु. ६-१ ?

वत्याओ पुढवीकाइयाइ निहरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

३५७. जे भिक्खू वत्याओ पुढवीकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्याओ आठकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्याओ तेठकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्याओ कंठाणि वा—जाव—वीयाणि वा णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्याओ ओसहिवीयाइं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्याओ तसमाणजाइं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

अस्थिर यूगी आदि पर कायोत्सर्ग आदि करने का प्रायश्चित्त सूत्र —

३५६. जो भिक्षु अस्थिर स्तम्भ, देहली, ऊखल, स्नान करने की चौकी आदि अन्य उस प्रकार के किसी ऊँचे स्थान पर अच्छी तरह बँधा हुआ नहीं, अच्छी तरह रखा हुआ नहीं, हिलता हुआ अस्थिर होने पर कायोत्सर्ग करता है, सोता है, स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अस्थिर सोपान, भीत, शिला और शिलाखण्ड आदि अन्य ऐसे ऊँचे स्थानों पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—स्वाध्याय करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अस्थिर स्कन्ध पर, आगल पर, मंच पर, मण्डप पर, माल पर, प्रासाद पर, तलघर पर या अन्य ऐसे अधर स्थानों पर कायोत्सर्ग करता है—यावत्—स्वाध्याय करता है, या कायोत्सर्गादि तीनों कार्य एक ही स्थान पर करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वस्त्र से पृथ्वीकाय आदि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३५७. जो भिक्षु वस्त्र से (सचित्त) पृथ्वीकाय को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र से (सचित्त) अप्काय को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र से (सचित्त) अग्निकाय को निकालता है, निकलवाता है निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र से (सचित्त) कन्दमूल—यावत्—बीज निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र से औपधी (सचित्त) बीज को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र से त्रस प्राणियों को निकालता है, निकलवाता है, निकाले हुए (वस्त्र) को लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु वत्थं णिक्कोरेइ णिक्कोरावेइ, णिक्कोरियं आहट्ट
देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घादयं ।

—नि. उ. १८, सु. ६४-७०

जो भिक्षु वस्त्र को कोरता है, कोरवाता है, कोरे हुए को
लाकर दे उसे लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



सदोष-चिकित्सा का निषेध-४

सदोष तेगिच्छा निसेहो—

३५८. से तं जाणह जमहं बेमि—

तेइच्छं पंडिए पवयमाणे से हंता छेत्ता भेत्ता लुंपित्ता विलुं-
पित्ता उद्वइत्ता “अकडं करिस्सामि” त्ति मण्णमाणे, जस्स
वि य णं करेइ ।

अलं बालस्स संगेणं, जे वा से करेति बाले ।

ण एवं अणगारस्स जायति त्ति बेमि ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ६४

से तं संबुज्जमाणे आयाणीयं समुट्ठाए तम्हा पावं कम्मं णेव
कुज्जा ण कारवे ।

सिया तत्थ एकयरं विप्परामुसति छसु अण्णयरम्मि कप्पति ।
सुहट्ठी लालप्पमाणे सएण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति ।
सएण विप्पमाएण पुढो वयं पकुव्वति जंसिमे पाणा
पव्वहिता ।

पडिलेहाए णो णिकरणाए । एस परिण्णा कम्मोवसंती ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ६, सु. ६५-६७

सदोष-चिकित्सा निषेध—

३५८. तुम उसे जानो, जो मैं कहता हूँ—

अपने को चिकित्सा पण्डित बताते हुए कुछ वैद्य, चिकित्सा
में प्रवृत्त होते हैं । वह अनेक जीवों का हनन, भेदन, लुम्पन,
विलुम्पन और प्राण-वध करता है । “जो पहले किसी ने नहीं
किया, ऐसा मैं करूँगा”, यह मानता हुआ (वह जीव वध करता
है) । वह जिसकी चिकित्सा करता है (वह भी जीव वध में सह-
भागी होता है ।)

(इस प्रकार की हिंसा-प्रधान चिकित्सा करने वाले) अज्ञानी
की संगति से क्या लाभ है जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, वह
भी बाल अज्ञानी है ।

अनगार ऐसी चिकित्सा नहीं करवाता—ऐसा मैं कहता हूँ ।

वह (साधक) उस पाप-कर्म के विषय को सम्यक् प्रकार से
जानकर संयम साधना में समुद्यत हो जाता है । इसलिए वह
स्वयं पाप-कर्म न करे, दूसरों से न करवाये (अनुमोदन भी
न करे ।)

कदाचित् (वह प्रमाद या अज्ञानवश) किसी एक जीवकाय
का समारम्भ करता है, तो वह छहों जीव-कायों में से (किसी का
भी या सभी का) समारम्भ कर सकता है । वह सुख का अभिलाषी
बार-बार सुख की अभिलाषा करता है, (किन्तु) स्व-कृत कर्मों के
कारण, (व्यथित होकर) मूढ़ बन जाता है और विषयादि सुख के
बदले दुःख को प्राप्त करता है । वह (मूढ़) अपने अति प्रमाद के
कारण ही अनेक योनियों में भ्रमण करता है, जहाँ पर कि प्राणी
अत्यन्त दुःख भोगते हैं ।

यह जानकर पाप-कर्म के कारण प्राणी संसार में दुःखी
होता है । उसका (पाप-कर्म का) संकल्प त्याग देवे । यही परिज्ञा-
विवेक कहा जाता है । इसी से (पाप त्याग से) कर्मों की शान्ति
(क्षय) होती है ।

गिहृत्येण व्रणपरिकर्मो न कायव्वो—

३५६. से से परो कायंसि व्रणं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि व्रणं संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि व्रणं तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि व्रणं लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा, णो ते सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि व्रणं सीतोदग्गवियडेण वा उत्तिणोदग्गवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोवेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि व्रणं अण्णतरेणं सत्यजाएणं अच्चिदेज्ज वा विच्चिदेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि व्रणं अण्णतरेणं सत्यजातेणं अच्चिदित्ता वा विच्चिदित्ता वा पूर्यं वा सोणियं वा णीहरेज्ज वा, विसो-हेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७०८-७१३

गिहृत्येण गंडाईणं परिकर्मो न कायव्वो—

३६०. से से परो कायंसि गंडं वा अरइयं वा पुलयं वा भगंदलं वा आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा संवाहेज्ज वा पलिमहेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो तं णियमे ।

से से परो कायंसि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा, णो तं सात्तिए, णो णियमे ।

गृहस्थ से व्रण-परिकर्म नहीं कराना चाहिए—

३५६. कदाचित् कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को एक बार पोंछे या बार-बार अच्छी तरह से पोंछकर साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे और न वचन और काया से प्रेरणा करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ साधु के शरीर पर हुए व्रण को दवाए या अच्छी तरह मर्दन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ साधु के शरीर में हुए व्रण के ऊपर तेल, घी या वसा चुपड़े मसले, लगाए या मर्दन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ साधु के शरीर पर व्रण को लोध कल्क चूर्ण या वर्ग आदि विलेपन द्रव्यों का आलेपन-विलेपन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को प्रामुक शीतल जल या उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोये तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को किसी प्रकार से शस्त्र से थोड़ा-सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा-सा विशेष रूप से छेदन करके उसमें से मवाद या रक्त निकाले या उसे साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

गृहस्थ से गण्डादि का परिकर्म नहीं कराना चाहिए—

३६०. कदाचित् कोई गृहस्थ, साधु के शरीर में हुए गण्ड, अर्धा, पुलक अथवा भगंदर को एक बार या बार-बार साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर में हुए गण्ड—थावत्—भगन्दर को दवाये या परिमर्दन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर में हुए गण्ड—थावत्—भगन्दर पर तेल, घी, वसा चुपड़े, मले या मालिश करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

से से परो कार्यासि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा लोद्धेण वा कक्केण वा च्चुणेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उच्चट्टेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परो कार्यासि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा सीतोदगवियडेण वा उत्तिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७१५-७१६

गिहत्थेण सल्लतिगिच्छा न कायव्वा—

३६१. से से परो कार्यासि गंडं वा-जाव-भगंदलं वा अण्णतरेणं सत्थ-जातेणं अर्च्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा, अन्नतरेणं सत्थजातेणं आच्छिदित्ता वा विच्छिदित्ता वा पूयं वा सोणियं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२०

गिहत्थेण वेयावच्चं न कायव्वं—

३६२. से से परो सुद्धेणं वा वड्ढलेणं तेइच्छं आउट्टे, से से परो अमुद्धेणं वड्ढलेणं तेइच्छं आउट्टे से से परो गिलाणस्स सच्चित्ताइं कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणि वा हरियाणि वा खणित्तु वा कड्ढत्तु वा कड्ढावेत्तु वा तेइच्छं आउट्टेज्जा णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

कड्ढवेयण कट्टुवेयणा पाण-भूत-जीव-सत्ता वेदणं वेदंति ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२८

गिहत्थकय तिगिच्छाए अणुमोयणा णिसेहो—

३६३. से से परो पादाओ पूयं वा सोणियं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७००

गिहत्थकय खाणुयाइणिहरण अणुमोयणा णिसेहो—

३६४. से से परो पादाओ खाणुयं वा, कंटयं वा, णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए वा, णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ६६६

गिहत्थकय लिक्खाइ णिहरणस्स अणुमोयणां णिसेहो—

३६५. से से परो सीसातो लिक्खं वा जूयं वा णीहरेज्ज वा विसाहेज्ज वा णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२४

यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर में हुए गण्ड—यावत्—भगन्दर पर लोध कल्क चूर्ण या वर्ण का थोड़ा या अधिक विलेपन करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

यदि कोई गृहस्थ, मुनि के शरीर में हुए गण्ड—यावत्—भगन्दर को प्रासुक शीतल या उष्ण जल से थोड़ा या बहुत धोये तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

गृहस्थ से शल्य चिकित्सा नहीं कराना चाहिए—

३६१. यदि गृहस्थ मुनि के शरीर में हुए गण्ड—यावत्—भगन्दर को किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा-सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे अथवा किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा-सा या विशेष रूप से छेदन करके मवाद या रक्त निकाले या उसे साफ करे तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

गृहस्थ से वैयावृत्य नहीं कराना चाहिए—

३६२. यदि कोई गृहस्थ शुद्ध वाग्वल (मन्त्रवल) से साधु की चिकित्सा करनी चाहे अथवा गृहस्थ अशुद्ध मन्त्रवल से साधु की व्याधि उपशान्त करना चाहे अथवा वह गृहस्थ किसी रोगी साधु की चिकित्सा सचित्त कन्द, मूल, छाल या हरी को खोदकर या खींचकर बाहर निकालकर या निकलवाकर चिकित्सा करना चाहे, तो साधु उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

यदि साधु के शरीर में कठोर वेदना हो तो (यह विचार कर उसे समभाव से सहन करे कि) समस्त प्राणी, भूत, जीव और सत्व अपने किये हुए अशुभ कर्मों के अनुसार कटुक वेदना का अनुभव करते हैं ।

गृहस्थकृत चिकित्सा की अनुमोदना का निषेध—

३६३. यदि कोई गृहस्थ साधु के पैरों में पैदा हुए रक्त और मवाद को निकाले या उसे निकाल कर शुद्ध करे तो वह उसे न मन से भी चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

गृहस्थ द्वारा ठूँठा आदि निकालने की अनुमोदना का निषेध—

३६४. यदि कोई गृहस्थ साधु के पैरों में लगे हुए काँटे आदि को निकाले या उसे शुद्ध करे तो वह उसे मन से भी न चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

गृहस्थ द्वारा लीख आदि निकालने की अनुमोदना का निषेध—

३६५. यदि कोई गृहस्थ साधु के सिर से जूँ या लीख निकाले, या सिर साफ करे, तो वह उसे न मन से भी चाहे, वचन एवं काया से प्रेरणा भी न करे ।

चिकित्साकरण प्रायश्चित्त-५

(१) परस्पर चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त

व्रण-परिकर्म-प्रायश्चित्त-सूत्राङ्ग—

३६६. जे भिक्षु अप्पणो कार्यसि वणं,

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,
आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कार्यसि वणं—
संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,
संवाहंतं वा, पलिमहेज्ज वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कार्यसि वणं—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अहमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अहमंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कार्यसि वणं—
लोद्वेण वा-जात्र-वणणेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उद्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उद्वट्टंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कार्यसि वणं—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोवेज्ज वा,

उच्छोलंतं वा, पघोवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कार्यसि वणं—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मातियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. २८-३३

अणमण्ण-वण-तिगिच्छाए प्रायश्चित्तसूत्राङ्ग—

३६७. जे भिक्षु अणमण्णस्स कार्यसि वणं—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

व्रण-परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६६. जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण का, मार्जन करे,
प्रमार्जन करे ।

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण का,
मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मर्दन करावे, प्रमर्दन करावे,
मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण पर,
तेल—यावत्—मक्खन, मले वार-वार मले,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।
जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण पर,
लोध्र—यावत्—चर्ण का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण को,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, वार-वार धोये,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के व्रण को,
रंगे, वार-वार रंगे,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

परस्पर व्रण की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६७. जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए व्रण का,
मार्जन करे, प्रमार्जन करे,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं—
संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,
संबाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं—
तेल्लेण वा, जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,
उल्लोलेतं वा, उव्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं—
सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,
उच्छोलेतं वा, पधोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,
फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।
त सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ६१-६४

गंडादि परिकर्म पायश्चित्त सूत्राई—

३६८. जे भिक्खू अप्पणो कायंसि—
गंडं वा, पिंडयं वा, अरइयं वा, असियं वा, भगंदलं वा,
अण्णयरेण तिक्खेण सत्थजाएणं,
अच्छिदेज्ज वा विच्छिदेज्ज वा,
अच्छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणिय वा,
णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,
णीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए व्रण का,
मर्दन करे, प्रमर्दन करे, मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए व्रण पर,
तेल—यावत्—मक्खन मले, वार-वार मले, मलवावे, वार-
वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक-दूसरे के शरीर पर हुए व्रण पर,
लोध—यावत्—वर्ण का, उवटन करे, वार-वार उवटन करे,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए व्रण को—
अचित्त शीत जल से, अचित्त उष्ण जल से,
घोए, वार-वार घोए, धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए व्रण को—
रंगे, वार-वार रंगे, रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गण्डादि परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६८. जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड—यावत्—भगन्दर को—
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करे, वार-वार छेदन करे,
छेदन करावे, वार-वार छेदन करावे,
छेदन करने वाले का, वार-वार छेदन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड—यावत्—भगन्दर को—
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करके, वार-वार छेदन करके,
पीव या रक्त को,
निकाले, शोधन करे, निकलवावे, शोधन करवावे,
निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड—यावत्—भगन्दर को—
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,

अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
णीहरित्ता वा, विसोहित्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोवेज्ज वा,
उच्छोलंतं वा, पघोवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अप्पणो कार्यंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेण सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
णीहरित्ता वा, विसोहित्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोइत्ता वा,

अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

आलिपंतं वा, विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अप्पणो कार्यंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं, सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
णीहरित्ता वा, विसोहित्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,

अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अट्ठमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,
अट्ठमंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अप्पणो कार्यंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं, सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
णीहरित्ता वा, विसोहित्ता वा,
सीओदग वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोइत्ता वा,

छेदन कर, वार-वार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, वार-वार धोये,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड—यावत्—भगन्दर को—
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, वार-वार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, वार-वार धोये,
धोकर, वार-वार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करे, वार-वार लेप करे,
लेप करवावे, वार-वार लेप करवावे,
लेप करने वाले का, वार-वार लेप करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर के गण्ड—यावत्—भगंदर को—
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, वार-वार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, वार-वार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का
लेप कर, वार-वार लेप कर,
तेल,—यावत्—मक्खन,
मले, वार-वार मले,

मलावे, वार-वार मलावे,
मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।
जो भिक्षु अपने शरीर के गंड—यावत्—भगंदर को—
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करके, वार-वार छेदन करके,
पीप या रक्त को,
निकाले, शोधन करे,
अचित्त शीतल जल से या अचित्त उष्ण जल से
धोकर, वार-वार धोकर,

अण्यरेणं आलेषणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अभंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा,
अण्यरेणं धूवणजाएणं,

धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा,
धूवंतं वा, पधूवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ३४-३९

अण्यमण्य-गंडाइ-तिगिच्छाए पायच्छित्त-सुत्ताइं —

३६९. जे भिक्खू अण्यमण्यस्स कायंसि—गंडं वा, पित्तं वा, अरइयं
वा, असियं वा, भगंवलं वा,
अण्यरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अच्छिदेतं वा, विच्छिदेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्यमण्यस्स कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अण्यरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्यमण्यस्स कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अण्यरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-धियडेण वा, उप्पिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पधोएतं वा साइज्जइ ।

अन्य किसी एक लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलकर, बार-बार मलकर,
किसी एक अन्य प्रकार के धूप से,
धूप दे, बार-बार धूप दे,
धूप दिलावे, बार-बार धूप दिलावे,
धूप देने वाले का, बार-बार धूप देने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

एक दूसरे के गण्डादि की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

३६९. जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्—
भगन्दर को—

किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करे, बार-बार छेदन करे,
छेदन करवाये, बार-बार छेदन करवाये,

छेदन करने वाले का, बार-बार छेदन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्—
भगन्दर को—

अन्य किसी प्रकार के शस्त्र से,
छेदन करके, बार-बार छेदन करके,
पीप या रक्त को,
निकाले, शोधन करे,
निकलवावे, शोधन करवावे,
निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्—
भगन्दर को—

अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये. बार-बार धोये,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु अणमणस्तस कायंसि - गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग वियडेण वा, उप्पिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

आलिपेतं वा, विलिपेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्तस कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग वियडेण वा, उप्पिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अम्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,
अम्मंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्तस कायंसि—गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग वियडेण वा, उप्पिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलित्ता वा, पघोइत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा, -जाव-णवणीएण वा,

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्—
भगन्दर को,

अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करके, बार-बार छेदन करके,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करे, बार-बार लेप करे, लेप करवावे, बार-बार लेप
करवावे,

लेप करने वाले का, बार-बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्—
भगन्दर को—

अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करके, बार-बार छेदन करके,
पीप या रक्त को,
निकाले, शोधन करे,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मले, बार-बार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलने वाले का, या बार-बार मलने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर हुए गण्ड—यावत्—
भगन्दर को—

अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक अन्य लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,

अन्मंगेत्ता वा, मषखेत्ता वा,
अन्नयरेणं धूवणजाएणं,
धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा,

धूवंतं वा, पधूवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ६७-७२

किमिणीहरण पायच्छित्तसुत्तं—

३७०. जे भिक्खू अप्पणो पालु-किमियं वा, कृच्छिकिमियं वा, अंगु-
लीए णिवेसिय णिवेसिय, णीहरइ, णीहरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ४०

अण्णमण्ण किमिणीहरणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

३७१. जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पालु-किमियं वा, कृच्छिकिमियं वा,
अंगुली निवेसिय निवेसिय, नीहरइ, नीहरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ७३

वमणाइ-परिकम्म-पायच्छित्तसुत्ताइं—

३७२. जे भिक्खू वमणं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विरेयणं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वमण-विरेयणं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अरोगे परिकम्मं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, सु. ४२-४५

गिहि तिगिच्छाकरण पायच्छित्तसुत्तं—

३७३. जे भिक्खू गिहितिगिच्छं करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. १३

मलकर वार-वार मलकर,

किसी एक अन्य प्रकार के धूप से,

धूप दे, वार-वार धूप दे,

धूप दिलवावे वार-वार धूप दिलवावे,

धूप दिलवाने वाले का, वार-वार धूप दिलवाने वाले का
अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३७०. जो भिक्षु अपनी गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों
को उंगली डाल-डालकर निकालता है, निकलवाता है, निकालने
वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

एक दूसरे के कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३७१. जो भिक्षु एक दूसरे के गुदा के कृमियों को, कुक्षि के
कृमियों को उंगली डाल-डालकर निकालता है, निकलवाता है,
निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

वमन आदि के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७२. जो भिक्षु वमन करता है, करवाता है, करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विरेचन करता है, करवाता है, करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वमन और विरेचन करता है, करवाता है, करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रोग न होने पर भी औषधि लेता है, लिवाता है,
लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

गृहस्थ की चिकित्सा करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३७३. जो भिक्षु गृहस्थ की चिकित्सा करता है, करवाता है,
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

(२) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी परस्पर चिकित्सा के प्रायश्चित्त

निर्ग्रन्थेण निर्ग्रन्थस्सपायाइ परिकम्म कारावण पायच्छित्त-
सुत्ताइ—

३७४. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थस्स पाए—

अण्णत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावतं वा पमज्जावतं वा साइज्जइ ।

-जाव-जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थस्स गामाणुगामं वूइज्जमाणस्स,

अण्णत्तियएण वा गारत्तियएण वा,
सोसदुवारियं कारावेइ, कारावतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १५-६६

निर्ग्रन्थिणा निर्ग्रन्थीए पायाइ परिकम्मकारावणस्स पाय-
च्छित्तसुत्ताइ—

३७५. जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थीए पाए—

अण्णत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावतं वा, पमज्जावतं वा साइज्जइ ।

-जाव-जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थीए गामाणुगामं वूइज्जमाणीए,

अण्णत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
सोसदुवारियं कारावेइ, कारावतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १८०-२३४

निर्ग्रन्थीणा निर्ग्रन्थ-वणत्तगिच्छाकारावणस्स पायच्छित्त-
सुत्ताइ—

३७६. जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायसि वणं—

अण्णत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावतं वा, पमज्जावतं वा साइज्जइ ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थ के पैरों आदि के परिकर्म कराने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

३७४. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थ के पैर का,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे,

—यावत्—जो निर्ग्रन्थ ग्रामानुग्राम जाते हुए निर्ग्रन्थ के
मस्तक को,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
ढकवावे, ढकवाने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरों आदि के परिकर्म कराने
के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७५. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थी के पैर का,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का
अनुमोदन करे

—यावत्— जो निर्ग्रन्थी ग्रामानुग्राम जाती हुई निर्ग्रन्थी के
मस्तक को,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
ढकवाती है, ढकवाने वाली का अनुमोदन करती है ।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के व्रणों की चिकित्सा करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

३७६. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करने वाली का प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

१ उपरोक्त दोनों सूत्रों के जाव की पूर्ति के लिए देखिए ब्रह्मचर्य महाव्रत के प्रायश्चित्तों में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के प्रायश्चित्त सूत्र ।
ये सूत्रोंक का संस्करण गुटके से उद्धृत है ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स कायंसि वणं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
संवाहावेज्ज वा, पलिमहावेज्ज वा,
संवाहावेतं वा, पलिमहावेतं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स कायंसि वणं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
तेल्लेण वा,—जाव—णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, भिल्लिगावेतं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स कायंसि वणं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
लोद्धेण वा,—जाव—वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेतं वा, उव्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स कायंसि वणं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेतं वा, पधोयावेतं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स कायंसि वणं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि उ. १७, सु. २७-३२

निग्रन्थिणा निग्रन्थं गण्डादिं तिगिच्छाकारावणस्स पाय-
च्छित्तसुत्ताइं—

३७७. जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदावेज्ज वा, विच्छिदावेज्ज वा,
अच्छिदावेतं वा, विच्छिदावेतं वा साइज्जइ ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाली का प्रमर्दन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण पर,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण पर,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोध—यावत्—वर्णं का,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाली का वार-वार उवटन करवाने वाली
का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, वार-वार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के शरीर पर हुए व्रण को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निग्रन्थी द्वारा निग्रन्थ के गण्डादि की चिकित्सा करवाने
के प्रायश्चित्त सूत्र—

३७७. जो निग्रन्थी निग्रन्थ के शरीर पर हुए,
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवावे, वार-वार छेदन करवावे,
छेदन करवाने वाली का, वार-वार छेदन करवाने वाली
का अनुमोदन करे ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा,
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा;
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा विसोहावेत्ता वा,
सीओःग-विपडेण वा, उत्तिणोदग-विपडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग विपडेण वा, उत्तिणोदग-विपडेण वा,
उच्छोलावेत्ता वा, पघोयावेत्ता वा,
अन्नपरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपावेज्ज वा, विलिपावेज्ज वा,
आलिपावेत्तं वा, विलिपावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए-
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवावे, शोधन करवावे,
निकलवाने वाली का, शोधन करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए,
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवा कर, शोधन करवाकर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, बार-बार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे,
लेप करवाने वाली का, बार-बार लेप करवाने वाली का
अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए,
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अन्नंगावेज्ज वा, मक्खावेज्ज वा,
अन्नंगावेत्तं वा, मक्खावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा णिग्गंथो णिग्गंथस्स कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अन्नंगावेत्ता वा, मक्खावेत्ता वा,
अन्नयरेणं धूवणजाएणं वा,
धूवावेज्ज वा, पधूवावेज्ज वा,
धूवावेत्तं वा, पधूवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ३३-३८

णिग्गंथिणा णिग्गंथकिमिणीहरावणस्स पायच्छित्तमुत्तां—

३७८. जा णिग्गंथो णिग्गंथस्स—

पालुकिमियं वा, कुच्छिकिमियं वा, अण्णउत्थिएण वा,
गारत्थिएण वा,
अंगुलिए निवेसाविय निवेसाविय,
नीहरावेइ नीहरावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ३९

णिग्गंथेण णिग्गंथो वण-त्तिगिच्छाकारावणस्स पायच्छित्त-
मुत्ताइं—

३७९. जे णिग्गंथे णिग्गंथोए कायंसि वणं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवाकर, वार-वार धुलवाकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करवाकर, वार-वार लेप करवाकर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवाकर, वार-वार मलवाकर,
मलवाने वाली का, वार-वार मलवाने वाली का अनुमोदन

करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर पर हुए,
गण्ड—यावत्—भगन्दर को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, वार-वार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धुलवाकर वार-वार धुलवाकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करवाकर, वार-वार लेप करवाकर,
तेल—यावत्—मक्खन,

मलवाकर, वार-वार मलवाकर,

किसी एक प्रकार के अन्य, धूप से,

धूप दिलवावे, वार-वार धूप दिलवावे,

धूप दिलवाने वाली का वार-वार धूप दिलवाने वाली का
अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के कृमि निकलवाने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

३७८. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की,

गुदा के कृमियों को, कुक्षि के कृमियों को,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,

उंगली डलवा-डलवाकर निकलवाती है या निकलवाने वाली
का अनुमोदन करती है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के व्रणों की चिकित्सा करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

३७९. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए व्रण का,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,

आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
शामज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि वणं—
अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
संबाहेज्ज वा, पत्तिमहावेज्ज वा,
संबाहावेतं वा, पत्तिमहावेतं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि वणं—
अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
तेल्लेण वा-जाव-जवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भित्तिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, भित्तिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि वणं—
अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
लोद्वेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उत्तोलोलावेज्ज वा, उद्वट्टावेज्ज वा,
उत्तोलोलावेतं वा, उद्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि वणं—
अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
सोओदग-वियडेण वा, उंसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेतं वा, पघोयावेतं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि वणं—
अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ८०-८५

निग्गंथेण निग्गंथी गंडाइ तिग्गिच्छाकारावणस्स पायच्छित्त-
सुत्ताइ—

८०. जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि—

गंडं वा, पिलगं वा, अरइयं वा, असियं वा, भगंवलं वा,
अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्तयजाएणं,
अच्छिदावेज्ज वा, विच्छिदावेज्ज वा,
अच्छिदावेतं वा, विच्छिदावेतं वा साइज्जइ ।

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए व्रण का,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवानेवाले का, प्रमर्दन करवानेवाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए व्रण का,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—घावत्—मक्खन,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलवानेवाले का, बार-बार मलवानेवाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए व्रण पर—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोघ—घावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, बार-बार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए व्रण को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ द्वारा,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे बार-बार धुलवावे,
धुलवानेवाले का, बार-बार धुलवानेवाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर हुए व्रण को,
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे बार-बार रंगवावे,
रंगवानेवाले का, बार-बार रंगवानेवाले का अनुमोदन करे ।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के गण्डादि की चिकित्सा करवाने
के प्रायश्चित्त सूत्र —

३८०. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,

गण्ड—घावत्—भगन्दर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,

किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,

छेदन करवावे, बार-बार छेदन करवावे,

छेदन करवाने वाले का, बार-बार छेदन करवाने वाले का
अनुमोदन करे.

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि—
 गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
 अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
 अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
 अच्चिदावेत्ता वा, विच्चिदावेत्ता वा,
 पूयं वा, सोणियं वा,
 नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
 नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि—
 गंडं वा, -जाव-भगंदलं वा,
 अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
 अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
 अच्चिदावेत्ता वा, विच्चिदावेत्ता वा,
 पूयं वा, सोणियं वा,
 नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
 सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
 उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
 उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि—
 गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
 अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
 अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
 अच्चिदावेत्ता वा, विच्चिदावेत्ता वा,
 पूयं वा, सोणियं वा,
 नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
 सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
 उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेत्ता वा,
 अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
 आलिपावेज्ज वा, विलिपावेज्ज वा,
 आलिपावेत्तं वा, विलिपावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि—
 गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
 अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
 अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
 अच्चिदावेत्ता वा, विच्चिदावेत्ता वा,
 पूयं वा, सोणियं वा,
 नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
 सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा,
 उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेत्ता वा,

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,
 गंड—यावत्—भगंदर को—
 अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
 किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
 छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
 पीप या रक्त को,
 निकलवावे, शोधन करवावे,
 निकलवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,
 गंड—यावत्—भगंदर को,
 अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
 किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
 छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
 पीप या रक्त को,
 निकलवाकर, शोधन करवाकर,
 अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
 धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
 धुलवानेवाले का, बार-बार धुलवानेवाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,
 गंड—यावत्—भगंदर को,
 अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
 किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
 छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
 पीप या रक्त को,
 निकलवाकर, शोधन करवाकर,
 अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
 धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,
 अन्य किसी एक लेप का,
 लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे,
 लेप करवाने वाले का, बार-बार लेप करवाने वाले का अनु-
 मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,
 गंड—यावत्—भगंदर को—
 अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
 किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
 छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
 पीप या रक्त को,
 निकलवाकर, शोधन करवाकर,
 अचित्त शीत जल से, या अचित्त उष्ण जल से,
 धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,

अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
 आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा,
 तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
 अन्नंगावेज्ज वा, मक्खावेज्ज वा,
 अन्नंगावेत्तं वा, मक्खावेत्तं वा साइज्जइ ।
 जे निग्गंथे निग्गंथीए कायंसि —
 गंडं वा, जाव-मगंदलं वा,
 अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
 अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
 अचिच्छवावेत्ता वा, विचिच्छवावेत्ता वा,
 पूयं वा, सोणियं वा,
 नीहरावेत्ता वा, विसोह्रावेत्ता वा,
 सीओदग-वियडेण वा, उंसिणोदग-वियडेण वा,
 उच्छोलावेत्ता वा, पधोपावेत्ता वा,
 अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
 आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा,
 तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
 अन्नंगावेत्ता वा, मक्खावेत्ता वा,
 अन्नयरेणं धूवणजाएणं,
 धूवावेज्ज वा, पधूवावेज्ज वा,
 धूवावेत्तं वा, पधूवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणं आबज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ८६-९१

निग्गंथेण निग्गंथी-किमीणीहरावणस्स पायचिच्छत्तसुत्तं—

३८१. जे निग्गंथे निग्गंथीए,

पातुकिमियं वा,
 कुच्चिकिमियं वा,
 अण्णउत्थिएण वा, गारहत्थिएण वा,
 अंगुत्थिए निवेसाविय निवेसाविय नीहरावेइ, नीहरावेत्तं वा
 साइज्जइ ।

तं सेवमाणं आबज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ९२

अन्य किसी एक लेप का,
 लेप करवाकर, बार-बार लेप करवाकर,
 तेल—यावत्—मक्खन,
 मलवावे, बार-बार मलवावे,
 मलवानेवाले का, बार-बार मलवानेवाले का अनुमोदन करे ।
 जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर के,
 गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
 अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
 किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
 छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
 पीप या रक्त को,
 निकलवाकर, शोधन करवाकर,
 अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
 धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,
 अन्य किसी एक लेप का,
 लेप करवाकर, बार-बार लेप करवाकर,
 तेल—यावत्—मक्खन,
 मलवाकर, बार-बार मलवाकर,
 किसी एक प्रकार के अन्य धूप से,
 धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,
 धूप दिलवाने वाले का, बार-बार धूप दिलवाने वाले का
 अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
 आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के कृमि निकलवाने का प्रायश्चित्त
 सूत्र—

३८१. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी की,

गुदा के कृषियों को—
 और कुक्षि के कृमियों को,
 अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
 उंगली डलवा-डलवाकर निकलवाता है, निकलवाने वाले का
 अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
 आता है ।



(३) अन्यतीर्थिक या गृहस्थ द्वारा चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त

व्रण तिगिच्छाकारावणस्स पायच्छित्तसुत्ताइं—

३८२. जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वणं—

आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वणं—

संवाहावेज्ज वा, पलिमहावेज्ज वा,
संवाहावेतं वा, पलिमहावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वणं—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, भिल्लिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वणं—

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उच्चट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेतं वा, उच्चट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वणं—

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेतं वा, पघोयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्यसि वणं—

फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. २५-३०

व्रण की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३८२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के व्रण का—

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के व्रण का—

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के व्रण पर—

तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे. वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के व्रण पर—

लोध—यावत्—वणं का
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर से व्रण को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के व्रण को—

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

गंडाह तिगिच्छा करावणस्स पायच्छित्तसुत्ताहं—

३८३. जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्थसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेज्ज वा, विच्छिदावेज्ज वा,
अच्छिदावेत्तं वा, विच्छिदावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्थसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नपरेणं वा तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावित्ता वा विच्छिदावित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्थसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोसावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोसावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो कार्थसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नपरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूर्यं वा सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोसावेत्ता वा, पघोयावेत्ता वा,
अन्नपरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपावेज्ज वा, विलिपावेज्ज वा,
आलिपावेत्तं वा, विलिपावेत्तं वा साइज्जइ ।

गण्ड आदि की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३८३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवावे, बार-बार छेदन करवावे,
छेदन करवाने वाले का, बार-बार छेदन करवाने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवावे, शोधन करवावे,
निकलवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,
निकलवाकर, शोधन करवाकर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,
अन्य किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे,
लेप करवाने वाले का, बार-बार लेप करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जे भिक्षू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो
कार्यसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपावेत्ता वा, विलिपावेत्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अम्मंगावेज्ज वा, मक्खावेज्ज वा,
अम्मंगावेत्तं वा, मक्खावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, अप्पणो
कार्यसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदावेत्ता वा, विच्छिदावेत्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरावेत्ता वा, विसोहावेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेत्ता वा, पधोयावेत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अम्मंगावेत्ता वा, मक्खावेत्ता वा,
अन्नयरेणं धूवणजाएणं,
धूवाणावेज्ज वा, पधूवावेज्ज वा,
धूवावेत्तं वा, पधूवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ३१-३६

किमिणीहरावणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

३८४. जे भिक्षू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
पालुकिमियं वा, कुच्छिकिमियं वा, अंगुलिए निवेसाविय
निवेसाविय, नीहरावेइ नीहरावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं पेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ३७

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को.

अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,

निकलवाकर, शोधन करवाकर,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,

अन्य किसी एक प्रकार का,

लेप करवाकर, बार-बार लेप करवाकर,

तेल—यावत्—मक्खन,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलवाने वाले का, बार-बार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,

अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन करवाकर, बार-बार छेदन करवाकर,
पीप या रक्त को,

निकलवाकर, शोधन करवाकर,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धुलवाकर, बार-बार धुलवाकर,

अन्य किसी एक प्रकार के लेप का,

लेप करवाकर, बार-बार लेप करवाकर,

तेल—यावत्—मक्खन,

मलवाकर, बार-बार मलवाकर,

अन्य किसी एक प्रकार के धूप से,

धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,

धूप दिलवाने वाले का, बार-बार धूप दिलवाने वाले का
अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

कृमि निकलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३८४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से—

गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को उँगली डलवा
डलवाकर, निकलवाने, निकलवाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



(४) अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त-

अण्डतियस्स गारतियस्स वणपरिकम्म पायच्छित्त-
सुत्ताइं—

३८५. जे भिक्खू अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा, कायंसि
वणं—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा, कायंसि
वणं—

संबाहेज्ज वा, पत्तिमहेज्ज वा,

संबाहंतं वा, पत्तिमहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा, कायंसि
वणं—

तेल्लेण वा, जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खंतं वा, भिल्लिगंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा, कायंसि
वणं—

लोद्वेण वा, जाव-वण्णेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उल्लोलेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उल्लोलेज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा, कायंसि
वणं—

सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,

उत्तोल्लेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उत्तोल्लंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा, कायंसि
वणं—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से व्रण की चिकित्सा के प्रायश्चित्त
सूत्र—

३८५. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण पर—

तेल—घावत्—मक्खन,

मले, वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण पर—

लोध—घावत्—वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

घोये, वार-वार घोये,

घुलवावे, वार-वार घुलवावे,

घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के व्रण को—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. २३-२८

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स गंडाइतिगिच्छाए पायच्छित्त-
सुत्ताइं—

३८६. जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा, कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,

अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अच्छिदेतं वा, विच्छिदेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा, कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,

अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,

पूयं वा, सोणियं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,

अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,

पूयं वा. सोणियं वा,

नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,

सीमोदग-वियडेण वा. उस्सिणोदग-वियडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा, कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,

अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,

अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,

पूयं वा, सोणियं वा,

नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की गण्डादि की चिकित्सा के प्रायश्चित्त सूत्र—

३८६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,

अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,

छेदन करे, बार-बार छेदन करे,

छेदन करवावे, बार-बार छेदन करवावे,

छेदन करने वाले का, बार-बार छेदन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,

अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,

छेदन कर, बार-बार छेदन कर,

पीप या रक्त को,

निकाले, शोधन करे,

निकलवावे, शोधन करवावे,

निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,

अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,

छेदन कर, बार-बार छेदन कर,

पीप या रक्त को,

निकाल कर, शोधन कर,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,

अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,

छेदन कर, बार-बार छेदन कर,

पीप या रक्त को,

निकालकर, शोधन कर,

सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

आलिपंतं वा, विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं, सत्थजाएणं;
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अहमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,
अहमंगेतं वा, मक्खेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा, कायंसि—
गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अहमंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा,
अण्णयरेणं धूवणजाएणं,
धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा,

धूवेतं वा, पधूवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठारणं अणुगइयं ।

—नि. उ. ११, सु. २६-३४

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप करे, बार-बार लेप करे,
लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे,
लेप करने वाले का, बार-बार लेप करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मले, बार-बार मले,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के शरीर के—
गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
अन्य किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
अन्य किसी एक लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलकर, बार-बार मलकर,
अन्य किसी एक प्रकार के धूप से,
धूप दे, बार-बार धूप दे,
धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,
धूप देने वाले का, बार-बार धूप देने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स किमिणिहरणस्स पायच्छित्त-
सुत्तं—

३८७. जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा,
पालु-किमियं वा, कुच्छि-किमियं वा,
अंगुलीए निवेसिय निवेसिय,
नीहरइ, नीहरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ३५

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के कृमि निकालने का प्रायश्चित्त
सूत्र—

३८७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थों के—
गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को
उंगली डाल-डालकर,
निकालता है, निकलवाता है, या निकालने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



आरम्भजन्य कार्य करने के प्रायश्चित्त-६

दगणालियाकरण पायच्छित्त सुत्तं—

३८८. जे भिक्खू दगवीणियं—

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ११

सिक्कग-करण-पायच्छित्त सुत्तं—

३८९. जे भिक्खू सिक्कगं वा, सिक्कगणंतं वा,

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १२

पदमग्गाइकरण पायच्छित्त सुत्तं—

३९०. जे भिक्खू पयमगं वा, संकमं वा, आलंबणं वा,

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १०

पयमग्गाइ णिम्माण करणं पायच्छित्त सुत्तं—

३९१. जे भिक्खू पयमगं वा, संकमं वा, अवलंबणं वा—

अण्णउत्थियण वा, गारत्थियण वा कारेइ कारेतं वा साइज्जइ ।

पानी बहने की नाली निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३८८. जो भिक्षु पानी बहने की नाली का निर्माण—

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

छींका निर्माण करण प्रायश्चित्त सूत्र—

३८९. जो भिक्षु छींका तथा छींके की डोरियों का निर्माण—

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पदमार्गादि निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३९०. जो भिक्षु पदमार्ग, संक्रमणमार्ग या आलम्बन का

स्वयं निर्माण करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे लघु-मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पदमार्गादि निर्माण सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र—

३९१. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से

पगडण्डी, पुल या अवलम्बन का,

निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु दगवीणियं—

अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा
कारेइ कारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सिक्कगणंतं वा—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा
कारेइ कारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सोत्तियं वा, रज्जुयं वा, चिलिमिलि वा—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा
कारेइ कारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. १, सु. ११-१४

दंडाइ परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

३६२. जे भिक्षु दंडगं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणं वा, वेणुसुइयं वा,
सयमेव परिघट्टेइ वा, संठवेइ वा, जमावेइ वा,

परिघट्टेंतं वा संठवेंतं वा जमावेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २६

दारुदंडकरणाईणं पायच्छित्त सुत्ताइं—

३६३. जे भिक्षु सचित्ताइं—१. दारु-दंडाणि वा, २. वेणु-दंडाणि
वा, ३. वेत्त-दंडाणि वा—
करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्ताइं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सचित्ताइं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु चित्ताइं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा
करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु चित्ताइं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा
घरेइ, घरेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से,

पानी निकालने की नाली का,

निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से,

छींका, छींके की डोरियों का,

निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से,

सूत की रस्सी या चिलिमिली का,

निर्माण करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

दण्डादि परिस्कार सम्बन्धी प्रायश्चित्त—

३६२. जो भिक्षु दण्ड, लाठी, अवलेहनिका या वांस की सूई का
स्वयं निर्माण करता है, आकार सुधारता है, विपम को
सम करता है,

निर्माण करवाता है, आकार सुधारवाता है, विपम को सम
करवाता है,

निर्माण करने वाले का, आकार सुधारने वाले का, विपम
को, सम करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

दारुदण्ड करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६३. जो भिक्षु (१) सचित्त काष्ठ का दण्ड, (२) सचित्त वांस
का दण्ड और (३) सचित्त वेंत का दण्ड

बनाता है, बनवाता है, बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त काष्ठ का दण्ड—यावत्—सचित्त वेंत का
दण्ड

धरा रखता है, धरा रखवाता है, धरा रखने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त काष्ठ के दण्ड—यावत्—सचित्त वेंत के
दण्ड का

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को—यावत्—वेंत के दण्ड को,

रंगता है, रंगवाता है, रंगने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को—यावत्—वेंत के दण्ड को

रंग कर धरा रखता है, धरा रखवाता है, धरा रखने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू चित्ताहं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विचित्ताहं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा
करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विचित्ताहं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा
धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विचित्ताहं—दारु-दंडाणि वा-जाव-वेत्त-दंडाणि वा

परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. २५-३३

सुईयाईणं उत्तरकरण पायच्छित्त सुत्ताहं—

३६४. जे भिक्षू सुईए उत्तरकरणं—

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू पिप्पलगस्स उत्तरकरणं—

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नहच्छेयणगस्स उत्तरकरणं—

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कण्णसोहणगस्स उत्तरकरणं—

सयमेव करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १४-१७

सुईयाईणं अण्णउत्थियाइणा उत्तरकरणस्स पायच्छित्त
सुत्ताहं—

३६५. जे भिक्षू सुईए उत्तरकरणं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,

कारेति, कारेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु रंगे हुए काष्ठ के दण्ड का—यावत्—सचित्त वेंत
के दण्ड का

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को—यावत्—वेंत के दण्ड को
दुरंगा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु काष्ठ के दण्ड को—यावत्—वेंत के दण्ड को
दुरंगा करके धरा रखता है, धरा रखवाता है, धरा रखने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दुरंगे काष्ठ के दण्ड का—यावत्—दुरंगे वेंत के
दण्ड का

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सूई आदि के परिष्कार के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६४. जो भिक्षु सूई का उत्तरकरण (परिष्कार)

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु कैची का उत्तरकरण

स्वयं करता है, करवाता है करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु नखछेदन का उत्तरकरण

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु कर्णशोधन का उत्तरकरण

स्वयं करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उस भिक्षु को मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अन्यतीर्थिकादि द्वारा सूई आदि के उत्तरकरण के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

३६५. जो भिक्षु सूई का उत्तरकरण (परिष्कार)

अन्यतीर्थिकों से या गृहस्थ से

करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु पिप्पलगस्स उत्तरकरणं—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा
कारेत्ति, कारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु नहच्छेयणगस्स उत्तरकरणं—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा
कारेत्ति, कारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु कण्णसोहणगस्स उत्तरकरणं—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा
कारेत्ति कारेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. १५-१८

सूई आईणं अणट्ट जायणा करणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३६६. जे भिक्षु अणट्टाए सूईं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणट्टाए पिप्पलगं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणट्टाए नहच्छेयणगं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणट्टाए कण्णसोहणगं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. १६-२२

सूई आईणं अविहि जायणा करणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३६७. जे भिक्षु अविहीए सूईं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अविहीए पिप्पलगं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अविहीए नहच्छेयणगं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अविहीए कण्णसोहणगं—

जाएइ जायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. २३-२६

सूई आईणं विपरियपओगकरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३६८. जे भिक्षु पाडिहारियं सूईं जाइत्ता—

वरथं सिव्विस्सामि त्ति पायं सिव्वइ सिव्वंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु कैंची का उत्तरकरण—

अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से

करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नखछेदनक का उत्तरकरण—

अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से

करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कर्णशोधनक का उत्तरकरण—

अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से

करवाता है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उस भिक्षु को मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विना प्रयोजन सूई आदि याचना का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६६. जो भिक्षु विना प्रयोजन सूई की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विना प्रयोजन कैंची की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विना प्रयोजन नखछेदनक की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विना प्रयोजन कर्णशोधनक की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उस भिक्षु को मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अविधि से सूईआदि याचना के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६७. जो भिक्षु अविधि से सूई की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अविधि से कैंची की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अविधि से नखछेदनक की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अविधि से कर्णशोधनक की याचना—

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उस भिक्षु को मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सूई आदि के विपरीत प्रयोगों के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६८. जो भिक्षु पाडिहारियं = प्रत्यर्पणीय सूई की याचना करके—

“वस्त्र सीवुंगा” ऐसा कहने के बाद पात्र

सीता है, सीवाता है, सीने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्खू पाडिहारियं पिप्पलगं जाइत्ता—
वत्थं छिदिस्सामि त्ति पायं छिदइ छिदंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं नहच्छेयणं जाइत्ता—
नहं छिदिस्सामि त्ति सल्लुद्धकरणं करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं कणसोहणं जाइत्ता—
कणमलं निहरिस्सामि त्ति दंतमलं वा, नहमलं वा नीहरइ
नीहरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।
—नि. उ. १, सु. २७-३०

सूई आईणं अणमण्णदाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३६६. जे भिक्खू अप्पणो एगस्स अट्टाए सूईं जाइत्ता—
अणमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो एगस्स अट्टाए पिप्पलगं जाइत्ता—
अणमण्णस्स अणुप्पदेइ, अणुप्पदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो एगस्स अट्टाए नहच्छेयणं जाइत्ता—
अणमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो एगस्स अट्टाए कणसोहणं जाइत्ता—
अणमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।
—नि. उ. १, सु. ३१-३४

अण्णउत्थिएण गारत्थिएण गिहधूम-परिसाडण पायच्छित्त
सुत्तं—

४००. जे भिक्खू गिहधूमे—
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा,
परिसाडावेइ परिसाडावंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।
—नि. उ. १, सु. ५७

जो भिक्षु पाडिहारिय कैंची की याचना करके—

“वस्त्र काटूंगा” ऐसा कहने के बाद पात्र
काटता है, कटवाता है, काटने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पाडिहारिय नखछेदनक की याचना करके—

“नख काटूंगा” ऐसा कहने के बाद कांटा
निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु पाडिहारिय कर्णशोधनक की याचना करके—

“कान का मँल निकालूंगा” ऐसा कहने के बाद दाँतों का
या नखों का मँल
निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सूई आदि के अन्योन्य प्रदान का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६६. जो भिक्षु केवल अपने लिए “सूई” की याचना—
करता है (और वह याचित्त सूई) दूसरों दूसरों को
देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु केवल अपने लिए “कैंची” की याचना—
करता है (और वह याचित्त कैंची) दूसरों दूसरों को
देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु केवल अपने लिए “नखछेदनक” की याचना—
करता है (और याचित्त नखछेदनक) दूसरों दूसरों को
देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु केवल अपने लिए “कर्णशोधनक” की याचना—
करता है (और वह याचित्त कर्णशोधनक) दूसरों दूसरों को
देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अन्यतीर्थिक और गृहस्थ से गृहधूम साफ कराने का
प्रायश्चित्त सूत्र—

४००. जो भिक्षु गृहधूम को
अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से साफ
करवाता है, साफ करवाते हुए का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



प्रथम महाव्रत का परिशिष्ट-१

४०१. [पुरिम-पच्छिमगाणं तित्यगराणं पंचजामस्त पणवीसं भाव-
णाओ पणत्ताओ तं जहा^१—

पढम महव्वयस्स पंच भावणाओ—

- | | |
|--|-----------------|
| १. ईरिआसमिई | २. मणगुत्ती |
| ३. वयगुत्ती | ४. आलोयपाणभोयणं |
| ५. आदान-भंड-मत्तणिक्वेवणासमिई । —सम. २५, सु. १ | |
- तस्स इमा पंच भावणाओ पढमस्स वयस्स होति —पाणाइ-
वायवेरमण-परिरक्खणट्टयाए ।

पढमा भावणा

पढमं ठाण-नामग-गुण-जोग-जुंजणजुगंतर-णिवाइयाए दिट्ठिए
ईरियच्चं,

कीड पर्यंग-तस-थावर-दयावरेण णिच्चं पुक्क-फल-तथ-पवाल-
कंद-मूल-दग-मट्ठिय-वीय-हरिय-परिवज्जिएण सम्मं ।

एवं खलु सव्वपाणा, ण हीलियच्चा, ण णिदियच्चा, ण गर-
हियच्चा, ण हिंसियच्चा, ण छिदियच्चा, ण भिदियच्चा, ण
वहेयच्चा, ण भयं दुक्खं च किंचि लब्भा पावेउं,

एवं इरियासमिइ जोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा असवल-
मसंकिलिट्ठणिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाह ।

४०१. प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों ने पाँच महाव्रतों की पञ्चीस
भावनायें कही हैं । यथा—

प्रथम महाव्रत की पाँच भावनायें—

[प्राणातिपात-विरमण या अहिंसा महाव्रत की पाँच भावना—]

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| (१) ईर्या समिति | (२) मनोगुप्ति |
| (३) वचनगुप्ति | (४) आलोकित-पान-भोजन |
| (५) आदानभंड-मात्रनिकेपणासमिति । | |

पाँच महाव्रतों (संवरो) में से प्रथम महाव्रत की ये—आगे
कही जाने वाली—पाँच भावनाएँ प्राणातिपातविरमण अर्थात्
अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए हैं ।

प्रथम भावना—

खड़े होने, ठहरने और गमन करने में स्व-पर की पीड़ा-
रहितता गुणयोग को जोड़ने वाली तथा गाड़ी के युग (जुवे)
प्रमाण भूमि पर गिरने वाली दृष्टि से (अर्थात् लगभग चार हाथ
आगे की भूमि पर दृष्टि रखकर) निरन्तर कीट, पतंग, त्रस,
स्थावर जीवों की दया में तत्पर होकर फूल, फल, छाल, प्रवाल,
—पत्ते-क्रोपल, मूल, जल, मिट्टी, बीज एवं हरितकाय-द्रव आदि
को (कुचलने से) वचाते हुए, सम्यक् प्रकार से—यतना के साथ
चलना चाहिए ।

इस प्रकार चलने वाले साधु को निश्चय ही समस्त अर्थात्
किसी भी प्राणी की हीलना—उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, निन्दा
नहीं करनी चाहिए, गर्हा नहीं करनी चाहिए । उनकी हिंसा नहीं
करनी चाहिए । उनका खेदन नहीं करना चाहिए, भेदन नहीं
करना चाहिए, उन्हें व्यथित नहीं करना चाहिए । इन पूर्वोक्त
जीवों को लेशमात्र भी भय या दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए ।

इस प्रकार (के आचरण) से साधु ईर्या समिति में मन,
वचन, काय की प्रवृत्ति से भावित होता है । तथा शवलता
(मलीनता) से रहित संकेश से रहित अक्षत (निरतिचार)
चारित्र की भावना से युक्त, संयमशील एवं अहिंसक सुसाधु कह-
लाता है—मोक्ष का साधक होता है ।

१ यह पाठ समवायांग का है—अतः एक साथ पाँच महाव्रत की पञ्चीस भावनाएँ कही गई हैं ।
अहाँ प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ यथास्थान दी गई हैं ।

बिइया भावणा—

विइयं च मणेण पावएणं पावगं अहम्मियं दारुणं णिस्संसं
वह-बंध-परिकिलेस बहुलं भय-मरण-परिकिलेससंकिलिट्ठं,
ण कयावि मणेण पावएणं पावगं किंचि वि ज्ञायव्वं ।

एवं मणसमिइजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा असबलमसंकि-
लिट्ठणिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाहू ।

तइया भावणा—

तइयं च वईए पावियाए पावगं ण किंचि वि भासियव्वं ।

एवं वइ-समितिजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा असबल-
मसंकिलिट्ठ-णिव्वण-चरित्त-भावणाए अहिंसए संजए सुसाहू ।

चउत्था भावणा—

चउत्थं आहारएसणाए सुद्धं उच्छं गवेसियव्वं,

अण्णाए अकहिए अगट्टिए अदुट्ठे अदीणे अकलुणे अविसाई
अपरित्तजोगी जयण-घडण-करण-चरिय-विणय - गुण-जोग-
संपओगजुत्ते भिक्खू भिक्खेसणाए जुत्ते समुदाणेउणं....

भिक्षाचरियं उच्छं घेत्तूण आगओ गुरुजणस्स पासं गमणा-
गमणाइयारे पडिक्कमणपडिक्कंते आलौयणदायणं य दाउण
गुरुजणस्स गुरुसंदिट्ठस्स वा जहोवएसं णिरइयारं च अप्प-
मत्तो पुणरवि अणेसणाए पयओ पडिक्कमित्ता ।

द्वितीय भावणा—

दूसरी भावना मनः समिति है। पापमय, अधार्मिक—धर्म-
विरोधी, दारुण—भयानक, नृशंस—निर्दयतापूर्ण, वध, वन्ध
और परिक्लेश की बहुलता वाले, भय, मृत्यु एवं क्लेश से
संकिलिष्ट—मलीन ऐसे पापयुक्त मन से लेशमात्र भी विचार नहीं
करना चाहिए। इस प्रकार (के आचरण) से—मनःसमिति की
प्रवृत्ति से अन्तरात्मा भावित—वासित होती है तथा निर्मल
संकलेशरहित, अखण्ड (निरतिचार) चारित्र की भावना से युक्त
संयमशील एवं अहिंसक सुसाधु कहलाता हैं।

तृतीय भावणा—

तीसरी भावना वचन समिति है। पापमय वाणी से तनिक
भी पापयुक्त—सावद्य वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार की वाक् समिति (भाषा समिति) के योग से युक्त
अन्तरात्मा वाला निर्मल, संक्लेश रहित और अखण्ड चारित्र की
भावना वाला अहिंसक साधु सुसाधु होता है—मोक्ष का साधक
होता है।

चतुर्थ भावणा—

चौथी भावना निर्दोष आहार लेना है। आहार की एषणा
से शुद्ध-एषणा सम्बन्धी समस्त दोषों से रहित, मधुकरी वृत्ति
से—अनेक घरों से भिक्षा की गवेषणा करनी चाहिए

भिक्षा लेने वाला साधु अज्ञात रहे—अज्ञात सम्बन्ध वाला रहे,
अगृद्ध—गृद्धि—आसक्ति से रहित हो, अदुष्ट—द्वेष से रहित हो,
अर्थात् भिक्षा न देने वाले, अपर्याप्त भिक्षा देने वाले या नीरस
भिक्षा देने वाले दाता पर द्वेष न करे। करुण दयनीय-दयापात्र न
बने। अलाभ की स्थिति में विषाद न करे। मन-वचन-काय की
सम्यक् प्रवृत्ति में निरन्तर निरत रहे। प्राप्त संयम योगों की रक्षा
के लिए यतनाशील एवं अप्राप्त संयमयोगों की प्राप्ति के लिए
प्रयत्नवान, विनय का आचरण करने वाला तथा क्षमा आदि
गुणों की प्रवृत्ति से युक्त ऐसा भिक्षाचर्या में तत्पर भिक्षुक अनेक
घरों में भ्रमण करके थोड़ी-थोड़ी भिक्षा ग्रहण करे।

भिक्षा ग्रहण करके अपने स्थान पर गुरुजन के समक्ष जाने-
आने में लगे हुए अतिचारों दोषों का प्रतिक्रमण करे। गृहीत-
आहार-पानी की आलोचना करे। आहार-पानी उन्हें दिखला दे,
फिर गुरुजन के अथवा गुरुजन द्वारा निर्दिष्ट किसी अग्रगण्य
साधु के आदेश के अनुसार सब अतिचारों-दोषों की निवृत्ति के
लिए पुनः प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करे।

पसंते आसीणसुहृणिसण्णे मुहृत्तमित्तं च ज्ञानसुहृजोगणाण-
सज्जायगोवियमणे धम्ममणे अविमणे सुहृमणे अविग्गहमणे
समाहियमणे सट्ठासंवेगणिज्जरमणे पवयणवच्छलमाविद्यमणे
उट्ठिकण य पहुत्तुट्ठे जहारायणियं णिमंतइत्ता य साह्वे
भावओ य विइण्णे य गुरुजणेणं उपविट्ठे ।

संभ्रमज्जिऊण ससीसं कायं तहा करयत्तं, अमुच्छिए अगिद्धे
अगदिए अगरहिए अणज्जोववण्णे अणाइत्ते अनुट्ठे अणत्तट्ठिए
असुरसुरं अचवचत्तं अदुयमविलंबियं अपरिसाडियं आलोय-
भायणे जयं पयत्तेण ववगयं-संजोग-भणिगालं च विगयधूमं
अक्खोवज्जणालेवणभूम्यं संजमजायामायणिमित्तं संभ्रममार-
वहणट्ठयाए भुंजेज्जा, पाणधारणट्ठयाए संजएणं समिधं ।

एवं आहारसमित्तिजोगेणं भाविओ भवति अन्तरप्पा ।
असवलमसंकिट्ठि-निच्चण-चरित्त भावणाए अहिंसए
संजए सुसाहू ।

पंचमी भावना—

पंचमं आयाणिकखेवणसमित्ती—पीढ-फलक-सिज्जा-संयारग-
वत्य-पत्त-कंचल-वंडग-रयहरण - चोलपट्टग-मुहपोत्तिय - पाय-
पुंछणाई एयं पि संजमसस उववहणट्ठयाए वायात्तव-वंसभसग-
सीयपरिरक्खणट्ठयाए उववरणं रागशोसरहियं परिहरियत्तं

तत्पश्चात् शान्त भाव से सुखपूर्वक आसीन होकर मुहूर्त भर
धर्मध्यान। गुरु की सेवा आदि शुभ योग तत्त्वचिन्तन अथवा स्वा-
ध्याय के द्वारा अपने मन का गोपन करके—चित्त स्थिर करके
श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म में संलग्न मन वाला होकर, चित्तशून्यता
से रहित होकर, संक्लेश से मुक्त रहकर, कलह अथवा दुराग्रह से
रहित मन वाला होकर, समाहितमना—समाधियुक्त मन वाला
—अपने चित्त को उपशम में स्थापित करने वाला, श्रद्धा संवेग—
मोक्ष की अभिलाषा और कर्म निर्जरा में चित्त को संलग्न करने
वाला, प्रवचन में वत्सलतामय मन वाला होकर साधु अपने आसन
से उठे और हृष्ट-तुष्ट होकर यथारत्निक—दीक्षा में छोटे-बड़े के
क्रमानुसार अन्य साधुओं को आहार के लिए निमन्त्रित करे। लाए
हुए आहार को गुरुजनों द्वारा वितरण कर देने के बाद उचित
आसन पर बैठे।

फिर मस्तक सहित शरीर को तथा हथेली को भली-भाँति
प्रमाजित करके—पूज करके आहार में अनासक्त होकर, स्वादिष्ट
भोजन की लालसा से रहित होकर तथा रसों में अनुराग रहित
होकर दाता या भोजन की निन्दा नहीं करता हुआ, सरस
वस्तुओं में आमक्ति न रखता हुआ, अकनुपित भावपूर्वक, लोलुपता
से रहित होकर, परमार्थ बुद्धि का धारक साधु (भोजन करते
समय) “सुड-सुड” ध्वनि न करता हुआ, “चप-चप” आवाज न
करता हुआ, न बहुत जल्दी-जल्दी और न बहुत देर से, भोजन
को भूमि पर न गिराता हुआ, चौड़े प्रकाशयुक्त पात्र में (भोजन
करे।) यतनापूर्वक, आदरपूर्वक एवं संयोजनादि सम्बन्धी दोषों
से रहित, अंगार तथा धूम दोष से रहित, गाड़ी की धुरी में तेल
देने अथवा धाव पर मल्हम लगाने के समान केवल संयमयात्रा के
निर्वाह के लिए एवं संयम के भार को वहन करने के लिए; प्राणों
को धारण करने के लिए साधु को सम्यक् प्रकार से—यतना के
साथ भोजन करना चाहिए।

इस प्रकार आहार समिति (एपणासमिति) में समीचीन रूप
से प्रवृत्ति के योग से अन्तरात्मा भावित करने वाला साधु,
निर्मल, संक्लेशरहित तथा अखण्डित चारित्र्य की भावना वाला
अहिंसक संयमी होता है—मोक्षसाधक होता है।
पंचम भावना—

पाँचवीं भावना आदान निक्षेपण समिति है। इसका स्वरूप
इस प्रकार है—संयम के उपकरण पीठ—पीड़ा, चौकी, फलक,
पाट, शय्या—सोने का आसन, संस्तारक—घास का बिस्रौना,
वस्त्र, पात्र, कम्बल, दण्ड, रजोहरण, चोलपट्ट; मुखवस्त्रिका,
पादप्रोष्ठन (पैर-पोंछने का वस्त्रखण्ड) ये अथवा इनके अतिरिक्त
उपकरण संयम की रक्षा या बुद्धि के उद्देश्य से तथा पवन, धूप,
डांस, मच्छर-और शीत आदि से शरीर की सुरक्षा के लिए

संजमेणं णिच्चं पडिलेहण पफोडण-पमज्जणयाए अहो य
राओ य अप्पमत्तेण होइ सययं णिक्खियत्वं च णिण्हियत्वं
च भायणभंडोवहिउवगरणं ।

एवं आयाणभंडणिवेवणासमिड्जोणेण भाविओ भवई अन्त-
रप्पा असबलसकिलिट्ठि णिवणचरित्तभावणाए अहिंसए
संजए सुसाहू ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ७-११

उवसंहारो—

४०२. एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुप्पणिहियं ।
इमेहिं पंचहिं णि कारणेहिं मण-वयण-काय परिरक्खिएहिं
णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो गेयव्वो धिइमया मइमया
अणासवो अकलुसो अच्छिहो अपरिस्तावी असंकिलिट्ठो सुद्धो
सव्वजिणमणुणाओ ।

एवं पढमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्ठियं
आराहियं आणाए अणुपालियं भवइ ।

एवं णायमुणिया भावया पण्णवियं पसिद्धं सिद्धं सिद्धवर-
सासणमिणं आघवियं सुदेसियं पसत्थं ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. १२-१४

सत्त-सत्तविहे आरम्भे, सारम्भे, समारम्भे—

४०३. सत्तविहे आरम्भे पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| १. पुढवीकाइय आरम्भे, | २. आउकाइय आरम्भे, |
| ३. तेउकाइय आरम्भे, | ४. वाउकाइय आरम्भे, |
| ५. वणस्सइकाइय आरम्भे, | ६. तसकाइय आरम्भे, |
| ७. अजीवकाइय आरम्भे । | |

सत्तविहे सारम्भे पण्णत्ते, तं जहा-पुढविकाइयसारम्भे -जाव-
अजीवकाइयसारम्भे ।

सत्तविहे समारम्भे पण्णत्ते, तं जहा—पुढविकाइयसमारम्भे
-जाव-अजीवकाइयसमारम्भे । —ठाणं. अ. ७, सु. ५७१

सत्त, सत्तविहे अणारंभे, असारंभे, असमारंभे य—

४०४. सत्तविहे अणारम्भे पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|----------------------|-------------------|
| १. पुढविकाइयअणारंभे, | २. आउकाइयअणारंभे, |
|----------------------|-------------------|

धारण—ग्रहण करना चाहिए । (शोभावृद्धि आदि किसी अन्य
प्रयोजन से नहीं) । साधु सदैव इन उपकरणों के प्रतिलेखन,
प्रस्फोटन—झटकाने और प्रमार्जन करने में, दिन में और रात्रि
में सतत अप्रमत्त रहे और भाजन—पात्र, भाण्ड—मिट्टी के
वरतन, उपधि—वस्त्र आदि तथा अन्य उपकरणों को यतना-
पूर्वक रखे या उठाए ।

इस प्रकार आदान निक्षेपण समिति के योग से भावित
अन्तरात्मा—अन्तःकरण वाला साधु निर्मल, असंकलिष्ट तथा
अखण्ड (निरतिचार) चारित्र की भावना से युक्त अहिंसक संयम-
शील सुसाधु होता है ।

उपसंहार—

४०२. इस प्रकार मन, वचन और काय से सुरक्षित इन पांच
भावना रूप उपायों से यह अहिंसा-संवरद्वार पालित-सुप्रणिहित
होता है । अतएव धैर्यशाली और मतिमान पुरुष को सदा जीवन
पर्यन्त सम्यक् प्रकार से इसका पालन करना चाहिए । यह अना-
स्रव है, अर्थात् नवीन कर्मों के आस्रव को रोकने वाला है, दीनता
से रहित है, कलुष-मलीनता से रहित और अच्छिद्र-अनास्रवल्प
है, अपरिस्रावी—कर्मरूपी जल के आगमन को अवरोध करने
वाला है, मानसिक संक्लेश से रहित है, शुद्ध है और सभी तीर्थ-
करों द्वारा अनुज्ञात-अभिमत है ।

पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम संवरद्वार स्पृष्ट होता है, पालित
होता है, शोधित होता है, तीर्ण—पूर्ण रूप से पालित होता है,
कीर्तित, आराधित और (जिनेन्द्र भगवान की) आज्ञा के अनुसार
पालित होता है । ऐसा भगवान् ज्ञात मुनि—महावीर ने प्रजा-
पित किया है एवं प्ररूपित किया है । यह सिद्धवरशासन प्रसिद्ध
है, सिद्ध है, बहुमूल्य है, सम्यक् प्रकार से उपदिष्ट है और
प्रशस्त है ।

आरम्भ-सारम्भ-समारम्भ के सात-सात प्रकार—

४०३. आरम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (१) पृथ्वीकायिक-आरम्भ, | (२) अप्कायिक-आरम्भ, |
| (३) तेजस्कायिक-आरम्भ, | (४) वायुकायिक-आरम्भ, |
| (५) वनस्पतिकायिक-आरम्भ | (६) त्रसकायिक-आरम्भ, |
| (७) अजीवकाय-आरम्भ । | |

सारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे—

पृथ्वीकायिक-सारम्भ—यावत्—अजीवकाय सारम्भ ।

समारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे—

पृथ्वीकायिक-समारम्भ—यावत्—अजीवकाय समारम्भ ।

अनारंभ असारंभ और असमारंभ के सात-सात प्रकार—

४०४. अनारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| (१) पृथ्वीकायिक अनारम्भ, | (२) अप्कायिक अनारम्भ, |
|--------------------------|-----------------------|

३. तेजकाइयअणारम्भे, ४. वाउकाइयअणारम्भे,
५. वणस्सइकाइयअणारम्भे, ६. तसकाइयअणारम्भे,
७. अजीवकाइयअणारम्भे,
सत्तविहे असारंभे पणत्ते, तं जहा—पुढविकाइयअसारंभे
-जाव-अजीवकाइयअसारंभे ।

सत्तविहे असमारंभे पणत्ते, तं जहा—पुढविकाइयअसमारंभे
-जाव-अजीवकाइय असमारंभे । —ठाणं. अ. ७, सु. ५७१

अट्ठसुहुमजीवाणं हिंसा णिसेहो—

४०५. अट्ठ सुहुमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजए ।
वयाहिगारी भ्रएसु, आस च्चिट्ठ सएहि वा ॥

अट्ठ सुहुमाइं—

५०—कयराइं अट्ठ सुहुमाइं, जाइं पुच्छेज्ज संजए ।
इमाइं ताइं मेहावी, आइक्खेज्ज वियक्खणो ॥

७०—१ सिणेह २ पुप्फसुहुमं च, ३-४ पाणुत्तिगं तहेव य ।
५ पणगं ६ बीयं ७ हरियं च, ८ अंडसुहुमं च अट्ठमं ॥^१

एवमेगाणि जाणित्ता, सव्वभावेण संजए ।
अप्पमत्तो जए निच्चं, सत्विदियसमाहिए ॥

—दसा. अ. ८, गा १३-१६

पढमं पाणसुहुमं—

४०६. ५०—से किं तं पाणसुहुमे ?

७०—पाणसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिदे,
५. सुक्किल्ले ।

अत्थि कुंयु अणुद्धरी नामं जा ठिया अचलमाणा
छउमत्थाण निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा नो चक्खु-
फासं हव्वमागच्छइ ।

जा अट्ठिया च्चलमाणा छउमत्थाण निग्गंथाण वा,
निग्गंथीण वा चक्खुफासं हव्वमागच्छइ ।

जा छउमत्थेण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिक्खणं
अभिक्खणं जाणियच्चा पडिलेहियच्चा हवइ ।

से तं पाणसुहुमे । —दसा. द. ८, सु. ५१

(३) तेजस्कायिक अनारम्भ, (४) वायुकायिक अनारम्भ,
(५) वनस्पतिकायिक अनारम्भ, (६) त्रसकायिक अनारम्भ,
(७) अजीवकाय अनारम्भ ।

असारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे पृथ्वीकायिक
असारम्भ—यावत्—अजीवकाय असारम्भ ।

असमारम्भ सात प्रकार का कहा गया है । जैसे—पृथ्वी-
कायिक असमारम्भ—यावत्—अजीवकाय असमारम्भ ।

आठ सूक्ष्म जीवों की हिंसा का निषेध—

४०५. संयमी मुनि आठ प्रकार के सूक्ष्म (शरीर वाले जीवों) को
देखकर बैठे, खड़ा हो और सोए । इन सूक्ष्म-शरीर वाले जीवों
को जानने पर ही कोई सब जीवों की दया का अधिकारी
होता है ।

आठ सूक्ष्म—

५०—वे आठ सूक्ष्म कौन-कौन से हैं ? संयमी शिष्य यह पूछे
तब मेघावी और विचक्षण आचार्य कहे कि वे ये हैं—

७०—(१) स्नेह, (२) पुष्प, (३) प्राण, (४) उर्त्तिग, (५)
काई, (६) बीज, (७) हरित, (८) अण्ड—ये आठ प्रकार के
सूक्ष्म हैं ।

सब इन्द्रियों से समाहित साधु इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों
को सब प्रकार से जानकर अप्रमत्त-भाव से सदा यतना करे ।

प्रथम प्राण सूक्ष्म—

४०६. ५०—भगवन् ! प्राणि-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

७०—प्राणि-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण
वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले ।

सूक्ष्म कुंयुए (पृथ्वी पर चलने वाले द्वीन्द्रियादि सूक्ष्म प्राणी)
यदि स्थिर हों, चलायमान न हों, छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को
शीघ्र दृष्टिगोचर नहीं होते हैं ।

सूक्ष्म कुंयुए यदि अस्थिर हों, चलायमान हों तो छद्मस्थ
निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाते हैं ।

ये प्राणी-सूक्ष्म छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार
जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

प्राणी सूक्ष्म-वर्णन समाप्त ।

१ (क) वासावासं पज्जोसवियाणं इह खलु निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा इमाइं अट्ठ सुहुमाइं जाइं छउमत्थेण निग्गंथेण वा
निग्गंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियच्चाइं पासियच्चाइं पडिलेहियच्चाइं भवन्ति, तं जहा—

१. पाणसुहुमं, २. पणगसुहुमं, ३. वीअसुहुमं, ४. हरियसहुमं,
५. पुप्फसुहुमं, ६. अंडसुहुमं, ७. लेणसुहुमं, ८. सिणेहसुहुमं । —दसा. द. ८, सु. ५०

(ख) इस गाथा में “उर्त्तिगसुहुम” है और ठाणं अं. ८ सू. १६ में “लेणसुहुम” है । यह कवल शब्द भेद है । दोनों का अर्थ
समान है ।

बीयं पणगसुहुमं—

४०७. प०—से किं तं पणगसुहुमे ?

उ०—पणगसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिद्दे,
५. सुक्किल्ले ।

अत्थि पणगसुहुमे तद्द्वसमाणवण्णे नामं पणत्ते ।

जे छउमत्थेण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिक्खणं
अभिक्खणं जाणियव्वे पासियव्वे पडिलेहियव्वे भवइ ।
से तं पणगसुहुमे । —दसा. द. ८, सु. ५२

तईयं बीयसुहुमं—

४०८. प०—से किं तं बीअसुहुमे ?

उ०—बीअसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिद्दे,
५. सुक्किल्ले ।

अत्थि बीअसुहुमे कणिया समाणवण्णए नामं पणत्ते ।

जे छउमत्थेण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिक्खणं
अभिक्खणं जाणियव्वे पासियव्वे पडिलेहियव्वे भवइ ।
से तं बीअसुहुमे । —दसा. द. ८, सु. ५३

चउत्थं हरियसुहुमं—

४०९. प०—से किं तं हरियसुहुमे ?

उ०—हरियसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिद्दे,
५. सुक्किल्ले ।

अत्थि हरियसुहुमे पुढवीसमाणवण्णए नामं पणत्ते ।

जे छउमत्थेण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिक्खणं
अभिक्खणं जाणियव्वे पासियव्वे पडिलेहियव्वे भवइ ।
से तं हरियसुहुमे । —दसा. द. ८, सु. ५४

पंचमं पुष्पसुहुमं—

४१०. प०—से किं तं पुष्पसुहुमे ?

उ०—पुष्पसुहुमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. किण्हे, २. नीले, ३. लोहिए, ४. हालिद्दे,
५. सुक्किल्ले ।

अत्थि पुष्पसुहुमे रुक्खसमाणवण्णे नामं पणत्ते,

जे छउमत्थेण निग्गंथेण वा, निग्गंथीए वा अभिक्खणं
अभिक्खणं जाणियव्वे पासियव्वे पडिलेहियव्वे भवइ ।
से तं पुष्पसुहुमे । —दसा. द. ८, सु. ५५

द्वितीय पनक सूक्ष्म—

४०७. प्र० भगवन् ! पनक सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ० पनक सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गए हैं, यथा—

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले ।

वर्षा होने पर भूमि, काष्ठ, वस्त्र जिस वर्ण के होते हैं उन पर उसी वर्ण वाली फूलन आती है, अतः उनमें उसी वर्ण वाले जीव उत्पन्न होते हैं ।

अतः ये पनक-सूक्ष्म छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

पनक सूक्ष्म-वर्णन समाप्त ।

तृतीय बीज सूक्ष्म—

४०८. प्र० भगवन् ! बीज-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०—बीज-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले ।

वर्षा काल में शालि आदि धान्यों में समान वर्ण वाले सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं वे बीज-सूक्ष्म कहे जाते हैं ।

ये बीज-सूक्ष्म छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

बीज-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

चतुर्थं हरित सूक्ष्म—

४०९. प्र०—भगवन् ! हरित-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०—हरित-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले ।

ये हरित-सूक्ष्म हरे पत्तों पर पृथ्वी के समान वर्ण वाले होते हैं ।

ये हरित-सूक्ष्म छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

हरित-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

पंचम पुष्प सूक्ष्म—

४१०. प्र०—भगवन् ! पुष्प-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०—पुष्प-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

(१) कृष्ण वर्ण वाले, (२) नील वर्ण वाले, (३) लाल वर्ण वाले, (४) पीत वर्ण वाले, (५) शुक्ल वर्ण वाले ।

ये पुष्प-सूक्ष्म जीव फूलों में वृक्ष के समान वर्ण वाले होते हैं ।

ये पुष्प-सूक्ष्म जीव छद्मस्थ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के बार-बार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

पुष्प-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

छट् अंडसुहृमं—

४११. प०—से किं तं अंडसुहृमे ?

उ०—अंडसुहृमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. उद्संडे,
२. उक्कलियंडे,
३. पिपीलिकाण्डे,
४. हलिकाण्डे,
५. हलोहलिकाण्डे ।

जे छटमत्येण निगंयेण वा, निगंयीए वा अभिबखणं
अभिबखणं जाणियत्वे पासियत्वे पडिलेहियत्वे भवइ ।
से तं अंडसुहृमे । —दसा. द. ८, सु. ५६

सप्तमं लयणसुहृमं—

४१२. प०—से किं तं लेणसुहृमे ?

उ०—लेणसुहृमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. उत्तिलेणे,
२. मिगुलेणे,
३. उज्जुए,
४. तालमूलए,
५. संबुक्कावट्टे नामं पंचमे ।

जे छटमत्येण निगंयेण वा, निगंयीए वा अभिबखणं
अभिबखणं जाणियत्वे पासियत्वे पडिलेहियत्वे भवइ ।
से तं लेणसुहृमे । —दसा. द. ८, सु. ५७

अट्टमं सिणेह सुहृमं—

४१३. प०—से किं तं सिणेह-सुहृमे ?

उ०—सिणेह-सुहृमे पंचविहे पणत्ते, तं जहा—

१. उत्सा,
२. हिमए,
३. महिया,
४. करए,
५. हरतणए ।

जे छटमत्येण निगंयेण वा, निगंयीए वा अभिबखणं
अभिबखणं जाणियत्वे पासियत्वे पडिलेहियत्वे भवइ ।
से तं सिणेह-सुहृमे । —दसा. द. ८, सु. ५८

छठा अण्ड सूक्ष्म—

४११. प्र०—भगवन् ! अण्ड सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०—अण्ड सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) उद्भाण्ड—मधुमक्खी मत्कुण आदि के अण्डे ।
- (२) उत्कलिकाण्ड—मकड़ी आदि के अण्डे ।
- (३) पिपीलिकाण्ड—कीड़ी, मकोड़ी आदि के अण्डे ।
- (४) हलिकाण्ड—छिपकली आदि के अण्डे ।
- (५) हलोहलिकाण्ड—शरटिका आदि के अण्डे ।

ये अण्डसूक्ष्मजीव छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के वार-वार
जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

अण्ड-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

सप्तम लयन सूक्ष्म—

४१२. प्र०—भगवन् ! लयन-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०—लयन-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) उत्तिलयन—भूमि में गोलाकार गड्ढे बनाकर रहने
वाले, सूँड़ वाले जीव ।
- (२) मिगुलयन—कीचड़ वाली भूमि पर जमने वाली पपड़ी
के नीचे रहने वाले जीव ।
- (३) उज्जुक लयन—विलों में रहने वाले जीव ।
- (४) तालमूलक लयन—ताल वृक्ष के मूल के समान ऊपर
सकड़े, अन्दर से चौड़े विलों में रहने वाले जीव ।
- (५) संबुक्कावर्त लयन—शंख के समान घरों में रहने वाले
जीव ।

ये लयन-सूक्ष्म जीव छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के वार-
वार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

लयन-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

अष्टम स्नेह सूक्ष्म—

४१३. प्र०—भगवन् ! स्नेह-सूक्ष्म किसे कहते हैं ?

उ०—स्नेह-सूक्ष्म पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) ओस-सूक्ष्म—ओस बिन्दुओं के जीव ।
- (२) हिम-सूक्ष्म—वर्फ के जीव ।
- (३) महिका-सूक्ष्म—कुहरा, धुंवर आदि के जीव ।
- (४) करक-सूक्ष्म—ओला आदि के जीव ।
- (५) हरित-तृण-सूक्ष्म—हरे घास पर रहने वाले जीव ।

ये स्नेह सूक्ष्म जीव छद्मस्य निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के वार-वार
जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन योग्य हैं ।

स्नेह-सूक्ष्म वर्णन समाप्त ।

पंचिन्द्रियघायका दसविहं असंजमं कुर्वन्ति—

४१४. पंचिन्द्रिया णं जीवा समारभमाणस्स दसविहे असंजमे कज्जति, तं जहा—

१. सोतामयाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति ।
२. सोतामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।
३. चक्खुमयाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति ।
४. चक्खुमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।
५. घाणमयाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति ।
६. घाणमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।
७. जिह्मामयाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति ।
८. जिह्मामएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।
९. फासमायाओ सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति ।
१०. फासमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवति ।^१

—ठाणं. अ. १०, सु. ७१५

दसविहे असंजमे—

४१५. दसविहे असंजमे पण्णत्ते, तं जहा—

१. पुढविकाइय असंजमे, २. आउकाइयअसंजमे,
३. तेउकाइयअसंजमे, ४. वाउकाइयअसंजमे,
५. वणस्सतिकाइयअसंजमे, ६. वेइंदियअसंजमे,
७. तेइंदियअसंजमे, ८. चउरिंदियअसंजमे,
९. पंचिंदियअसंजमे, १०. अजीवकायअसंजमे ।^२

—ठाणं. अ. १०, सु. ७०९

पंचिन्द्रिय अघायका दसविहं संजमं कुर्वन्ति—

४१६. पंचिन्द्रिया णं जीवा असमारभमाणस्स दसविहे संजमे कज्जति तं जहा—

१. सोतामयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति ।
२. सोतामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवति ।
३. चक्खुमयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति ।
४. चक्खुमएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवति ।
५. घाणमयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति ।
६. घाणमएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवति ।
७. जिह्मामयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति ।

पंचेन्द्रिय के घातक दस प्रकार का असंयम करते हैं—

४१४. पंचेन्द्रिय जीवों का घात करने वाले के दश प्रकार का असंयम होता है । जैसे—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से ।
- (२) श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से ।
- (३) चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से ।
- (४) चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से ।
- (५) घ्राणेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से ।
- (६) घ्राणेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से ।
- (७) रसनेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से ।
- (८) रसनेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से ।
- (९) स्पर्शनेन्द्रिय सम्बन्धी सुख का वियोग करने से ।
- (१०) स्पर्शनेन्द्रिय सम्बन्धी दुःख का संयोग करने से ।

दस प्रकार के असंयम—

४१५. असंयम दस प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- (१) पृथ्वीकायिक असंयम, (२) अप्कायिक असंयम,
- (३) तेजस्कायिक असंयम, (४) वायुकायिक असंयम,
- (५) वनस्पतिकायिक असंयम, (६) द्वीन्द्रिय असंयम,
- (७) त्रीन्द्रिय असंयम, (८) चतुरिन्द्रिय असंयम
- (९) पंचेन्द्रिय-असंयम, (१०) अजीवकाय असंयम ।

पंचेन्द्रिय जीवों के अघातक दस प्रकार का संयम करते हैं—

४१६. पंचेन्द्रिय जीवों का घात नहीं करने वाले के दश प्रकार का संयम होता है । जैसे—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय—सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।
- (२) श्रोत्रेन्द्रिय—सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से ।
- (३) चक्षुरिन्द्रिय—सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।
- (४) चक्षुरिन्द्रिय—सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से ।
- (५) घ्राणेन्द्रिय—सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।
- (६) घ्राणेन्द्रिय—सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से ।
- (७) रसनेन्द्रिय—सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।

१ चउरिंदिया णं जीवा समारभमाणस्स अट्ठविहे असंजमे कज्जति तं जहा—

१ चक्खुमाओ सोक्खाओ ववरोवेत्ता भवइ, २ चक्खुमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवइ,
एवं जाव—

७ फासमाओ सोक्खाओ ववरोवेत्ता भवइ, ८ फासमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता भवइ ।

—ठाणं, अ. ८ सु. ६१५

२ सत्तविहेअसंजमे पण्णत्ते, तं जहा—पुढविकाइय असंजमे जाव तसकाइय असंजमे; अजीवकाय असंयमे । —ठाणं. अ. ७, सु. ५७१

८. जिह्मामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवति ।
 ९. फासमयाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति ।
 १०. फासामएण दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवति ।^१

—ठाणं. अ. १०; सु. ७१५

दसविहे संजमे—

४१७. दसविधे संजमे पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| १. पुढविकाइयसंजमे, | २. आउकाइयसंजमे, |
| ३. तेउकाइयसंजमे, | ४. वाउकाइयसंजमे, |
| ५. वणस्सतिफाइयसंजमे, | ६. वेइंदियसंजमे, |
| ७. तेइंदियसंजमे, | ८. चउरिंदियसंजमे |
| ९. पंचिंदियसंजमे, | १०. अजीवकायसंजमे । ^२ |

—ठाणं. अ. १०, सु. ७०९

पावसमण-सरूवं—

४१८. सम्महमाणे पाणाणि, वीयाणी हरियाणि य ।
 असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. ६

अन्नउत्थियाणं थेरेहिं सह पुढवी हिंसा विवादो—

४१९. तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—“तुम्हे णं अउजो ! तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतवाला यावि भवइ ।

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—“केण कारणेणं अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतवाला यावि भव-मो ?

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—“तुम्हे णं अउजो ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह, अभिहणह, वत्तेह, सेसेह, संघट्टेह, परितावेह, कित्तामेह, उवह्वेह ।

तए णं तुम्हे पुढविं पच्चेमाणा-जाव-उवह्वेमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतवाला यावि भवइ ।”

- (८) रसनेन्द्रिय—सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से ।
 (९) स्पर्शनेन्द्रिय—सम्बन्धी सुख का वियोग नहीं करने से ।
 (१०) स्पर्शनेन्द्रिय—सम्बन्धी दुःख का संयोग नहीं करने से ।

दस प्रकार के संयम—

४१७. संयम दश प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (१) पृथ्वीकायिक संयम, | (२) अप्कायिक संयम, |
| (३) तेजस्कायिक संयम, | (४) वायुकायिक संयम, |
| (५) वनस्पतिकायिक संयम, | (६) द्वीन्द्रिय-संयम, |
| (७) त्रीन्द्रिय-संयम, | (८) चतुरिन्द्रिय संयम, |
| (९) पंचेन्द्रिय संयम, | (१०) अजीवकाय-संयम । |

पाप श्रमण का स्वरूप—

४१८. द्वीन्द्रिय आदि प्राणी तथा बीज और हरियाली का मर्दन करने वाला, असंयमी होते हुए भी अपने आपको संयमी मानने वाला, पाप—श्रमण कहलाता है ।

अन्यतीर्थिकों का स्थविरों के साथ पृथ्वी हिंसा विषयक विवाद—

४१९. तत्पयचात् उन अन्यतीर्थिकों ने उन स्थविर भगवन्तों से कहा—आर्यों ! (हम कहते हैं कि) तुम ही त्रिविध-त्रिविध असंयत—यावत्—एकान्तवाल हो ।

इस पर उन स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों से (पुनः) पूछा—आर्यों ! किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध असंयत, —यावत्—एकान्तवाल हैं ?

तब उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवन्तों से यों कहा—
 “आर्यों ! तुम गमन करते हुए पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते (आक्रान्त करते) हो. हनन करते हो, पादाभिघात करते हो, उन्हें भूमि के साथ शिल्लट (संघपित) करते (टकराते) हो, उन्हें एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे करते हो, जोर से स्पर्श करते हो, उन्हें परितापित करते हो, उन्हें मारणान्तिक कष्ट देते हो, और उपद्रवित करते-मारते हो । इस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते हुए—यावत्—मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध असंयत, —यावत्—एकान्तवाल हो ।”

१ चउरिंदिया णं जीवा असमारभमाणस्स अट्ठविहे संजमे कज्जति, तं जहा—चक्खुमाओ सोक्खाओ अववरोवित्ता भवइ चक्खुमएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवइ एवं जाव—फासमाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ फासामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवइ ।

—ठाणं. अ. ८, सु. ६१५

२ सत्तविहे संजमे पण्णत्ते तं जहा—पुढविकाइयसंयमे जाव तसकाइयसंयमे, अजीवकायसंयमे ।

—ठाणं. अ. ७, सु. ६७१

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—“नो खलु अज्जो ! अम्हे रीयं रीयमाणा पुढावि पेच्चेमो-जाव-उवह्वेमो ।

अम्हे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा कायं वा, जोगं वा, रियं वा पडुच्च देसं दंसेणं वयामो, पएसं पएसेणं वयामो, “तेणं अम्हे देसं देसेणं वयमाणा, पएसं पएसेणं वयमाणा नो पुढावि पेच्चेमो-जाव-उवह्वेमो,

तए णं अम्हे पुढावि अपेच्चेमाणा-जाव-अणुवह्वेमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-जाव-एगंतपडिया यावि भवामो ।

तुब्भे णं अज्जो ! अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतबाला यावि भवइ ।

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—“केणं कारणेणं अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतबाला यावि भवामो ?

तए णं थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—“तुब्भे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढावि पेच्चेह-जाव-उवह्वेह, तए णं तुब्भे पुढावि पेच्चेमाणा-जाव-उवह्वेमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-जाव-एगंतबाला यावि भवइ ।

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—“तुब्भे णं अज्जो ! गम्ममाणे अगते, वीत्तिकमिज्जमाणे अबीत्तिकंते, रायगिहं नगरं संपाविउकामे असंपत्ते ?”

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—“नो खलु अज्जो ! अम्हं गम्ममाणे अगते, वीत्तिकमिज्जमाणे अबीत्तिकंते रायगिहं नगरं संपाविउकामे असंपत्ते,”

अम्हं णं अज्जो गम्ममाणे अगए, वीत्तिकमिज्जमाणे वीत्तिकंते, रायगिहं नगरं संपाविउकामे संपत्ते, तुब्भं णं अप्पणा चेव गम्ममाणे अगए, वीत्तिकमिज्जमाणे अबीत्तिकंते रायगिहं नगरं संपाविउकामे असंपत्ते ।

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं पडिहणेंति ।

—वि. स. ८, उ. ७, सु. १६-२४

तब उन स्थविरों ने उन अन्यतीर्थिकों से यों कहा—आर्यों ! हम गमन करते हुए पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते (कुचलते) नहीं,—यावत्—मारते नहीं ।

हे आर्यों ! हम गमन करते हुए काय (अर्थात्—शरीर के लघुनीति-बड़ीनीति आदि कार्य) के लिए, योग (अर्थात्—ग्लान आदि की सेवा) के लिए, ऋत (अर्थात्—सत्य अप्कायादि-जीव-संरक्षणरूप संयम) के लिए एक देश (स्थल) से दूसरे देश (स्थल) में और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं ।

इस प्रकार एक स्थल से दूसरे स्थल में और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हुए हम पृथ्वीकायिक जीवों को नहीं दवाते हुए,—यावत्—नहीं मारते हुए हम त्रिविध-त्रिविध संयत,—यावत्—एकान्त-पण्डित हैं । किन्तु हे आर्यों ! तुम स्वयं त्रिविध त्रिविध असंयत,—यावत्—एकान्तवाल हो ।”

इस पर उन अन्यतीर्थिकों ने उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा—“आर्यों ! हम किस कारण से त्रिविध-त्रिविध असंयत,—यावत्—एकान्तवाल हैं ?”

तब स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों से यों कहा—“आर्यों ! तुम गमन करते हुए पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते हो,—यावत्—मार देते हो । इसलिए पृथ्वीकायिक जीवों को दवाते हुए,—यावत्—मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध असंयत,—यावत्—एकान्तवाल हो ।”

इस पर वे अन्यतीर्थिक उन स्थविर भगवन्तों से यों बोले—हे आर्यों ! तुम्हारे मत में (जाता हुआ), अगत (नहीं गया) कहलाता है, जो लांघा जा रहा है, वह नहीं लांघा गया कहलाता है, और राजगृह को प्राप्त करने (पहुँचने) की इच्छा वाला पुरुष असम्प्राप्त (नहीं पहुँचा हुआ) कहलाता है ।

तत्पश्चात् उन स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों से इस प्रकार कहा—आर्यों ! हमारे मत में जाता हुआ, अगत नहीं कहलाता, उल्लंघन किया जाता हुआ, उल्लंघन नहीं किया नहीं कहलाता । इसी प्रकार राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति असम्प्राप्त नहीं कहलाता ।

हमारे मत में तो, आर्यों ! जाता हुआ “गत”, लांघता हुआ “व्यतिक्रान्त”, और राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति सम्प्राप्त कहलाता है । हे आर्यों ! तुम्हारे ही मत में जाता हुआ “अगत”, लांघता हुआ “अव्यतिक्रान्त” और राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला असम्प्राप्त कहलाता है ।

तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों को प्रतिहत (निरुत्तर) किया ।



द्वितीय महाव्रत

द्वितीय महाव्रत स्वरूप एवं आराधना

विद्य-महत्त्व-आराहण पद्धति—

४२०. अहावरे दोच्चे भंते ! महत्त्व ए मुसावायाओ वेरमणं ।

सद्वं भंते ! मुसावायं पच्चवत्तामि ॥

से कोहा वा, सोहा वा भया वा हासा वा ।

से य मुसावाए चउत्विहे पणत्ते, तं जहा—

१. दव्वओ, २. सेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

१. दव्वओ सद्वदरवेत्तु,

२. सेत्तओ लोगे वा अलोगे वा,

३. कालओ दिवा वा राओ वा,

४. भावओ कोहेण वा, सोहेण वा, भएण वा, हासेण वा,

नेव सयं मुसं वएज्जा, नेदन्नेहि मुसं वायावेज्जा, मुसं वपत्ते
धि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण
मणेणं वायाए^१ काएणं^२ न करेमि न वारवेमि करंतं पि
अन्ने न समणुजाणामि ।

तास भंते ! पडिषारमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं चोत्ति-
रामि ।

दोच्चे भंते ! महत्त्व ए उवट्ठिमोमि सव्वाओ मुसावायाओ
वेरमणं ।^३ —दस. अ. ४, सु. १२

मुसावाय विरमणमहत्त्वयस्स पंच भावणाओ—

४२१. अहावरं दोच्चं (भंते) महत्त्वयं पच्चवत्तामि सद्वं मुसावायं
वद्वोसं । से कोहा वा लोभा वा भया वा हासा वा णेय सय
मुसं भासेज्जा, णेयण्णेणं मुसं भासावेज्जा, अण्णं पि मुसं
भासंतं न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं
मणत्ता वपत्ता कायत्ता ।

द्वितीय महाव्रत के आराधक की प्रतिज्ञा—

४२०. भन्ते ! इसके पश्चात् दूसरे महाव्रत में मृपावाद की विरति
होती है । भन्ते ! मैं सर्व मृपावाद का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

वह शोध से हो या लोभ से, भय से हो या हास्य से ।

मृपावाद चार प्रकार के हैं—

(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से ।

(१) द्रव्य से सर्व द्रव्य के सम्बन्ध में,

(२) क्षेत्र से लोक में या अलोक में,

(३) काल से दिन में या रात में,

(४) भाव से शोध या लोभ से, भय से या हास्य से

मैं स्वयं असत्य नहीं बोलूंगा, दूसरों से असत्य नहीं बुलवा-
ऊंगा और अनत्य बोलने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूंगा,
यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन
से, काया से—न करूंगा, न कराऊंगा और करने वाले का अनु-
मोदन भी नहीं करूंगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के मृपावाद से निवृत्त होता हूँ, उसकी
निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और (क.पाय) आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

भन्ते ! मैं दूसरे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व
मृपावाद की विरति होती है ।

मृपावाद विरमण महाव्रत की पांच भावना—

४२१. इसके पश्चात् भगवन ! मैं द्वितीय महाव्रत स्वीकार करता
हूँ । आज मैं सब प्रकार से मृपावाद (असत्य) और सदोप-वचन
का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ । (इस सत्य महाव्रत के पालन
के लिए) साधु शोध से, लोभ से, भय से या हास्य से न तो स्वयं
मृपा (असत्य) बोले, न ही अन्य व्यक्ति से असत्य भाषण बुलवाए
और जो व्यक्ति असत्य बोलता है, उसका अनुमोदन भी न करे ।
इस प्रकार यावज्जीवन तीन करणों से तथा मन-वचन-काया, इन
तीनों योगों से मृपावाद का सर्वथा त्याग करे ।

१ मुसावाओ य लोगम्मि सव्वसाह्मि गरिहो । अविस्साओ य भूयाणं तम्हा मोसं विवज्जे ॥ —दस. अ. ६, गा. १२

२ मन से असत्य चिन्तन न करना, ३ वचन से असत्य न बोलना, ४ काया से असत्य आचरण न करना ।

५ निच्चकालण्यमत्तेणं, मुसावायविवज्जणं । भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥

तस्स भंते ! पडिक्कमामि-जाव-वोत्तिरामि ।

तत्थिमाओ पंच भावणाओ भवंति ।

१. तत्थिमा पढमा भावणा अणुवीयि भासी से णिग्गंथे, णो अणुवीयि भासी ।

केवली बूया—अणुवीयि भासी से णिग्गंथे समावज्जेज्जा मोसं वयणाए । अणुवीयि भासी से निग्गंथे, णो अणुवीयि भासी त्ति पढमा भावणा ।

२. अहावरा दोच्चा भावणा कोधं परिजाणति से निग्गंथे, णो कोधणे सिया ।

केवली बूया—कोधपत्ते कोही समावदेज्जा मोसं वयणाए । अणुवीयि भासी ? से निग्गंथे णो य कोहणाए सि (य) त्ति दोच्चा भावणा ।

३. अहावरा तच्चा भावणा—लोभं परिजाणति से निग्गंथे णो य लोभणाए सिया ।

केवली बूया—लोभपत्ते लोभी समावदेज्जा मोसं वयणाए । लोभं परिजाणति से निग्गंथे णो य लोभणाए सि (य) त्ति तच्चा भावणा ।

४. अहावरा चउत्था भावणा—भयं परिजाणति से निग्गंथे णो य भयभीरुए सिया ।

केवली बूया—भयपत्ते भीरु समावदेज्जा मोसं वयणाए । भयं परिजाणति से निग्गंथे, णो य भयभीरुए सिया, चउत्था भावणा ।

५. अहावरा पंचमा भावणा—हासं परिजाणति से निग्गंथे णो य हासणाए सिया ।

इस प्रकार मृषावाद-विरमण रूप द्वितीय महाव्रत स्वीकार करके हे भगवन् ! मैं (पूर्वभाषित मृषावाद रूप) पाप का प्रति क्रमण करता हूँ,—यावत्—अपनी आत्मा से मृषावाद का सर्वथा व्युत्सर्ग (पृथक्करण) करता हूँ ।

उस द्वितीय महाव्रत की पाँच भावनाएँ होती हैं—

(१) उन पाँचों में से पहली भावना इस प्रकार है—वक्तव्य के अनुरूप चिन्तन करके बोलता है, वह निर्ग्रन्थ है, बिना चिन्तन किये बोलता है, वह निर्ग्रन्थ नहीं है ।

केवली भगवान् ने कहा है—बिना विचारे बोलने वाले निर्ग्रन्थ को मिथ्या भाषण का दोष लगता है । अतः वक्तव्य विषय के अनुरूप चिन्तन करके बोलने वाला साधक ही निर्ग्रन्थ कहला सकता है, बिना चिन्तन किये बोलने वाला नहीं । यह प्रथम भावना है ।

(२) इसके पश्चात् दूसरी भावना इस प्रकार है—क्रोध का कटुफल जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्ग्रन्थ है । इसलिए साधु को क्रोधी नहीं होना चाहिए ।

केवली भगवान् ने कहा है—क्रोध आने पर क्रोधी व्यक्ति आवेशवश असत्य वचन का प्रयोग कर देता है । अतः जो साधक क्रोध का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निर्ग्रन्थ कहला सकता है, क्रोधी नहीं, यह द्वितीय भावना है ।

(३) तदनन्तर तृतीय भावना यह है—जो साधक लोभ का दुष्परिणाम जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्ग्रन्थ है, अतः साधु लोभग्रस्त न हो ।

केवली भगवान् ने कहा है—कि लोभ प्राप्त व्यक्ति लोभा-वेशवश असत्य बोल देता है । अतः जो साधक लोभ का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निर्ग्रन्थ है, लोभाविष्ट नहीं । यह तीसरी भावना है ।

(४) इसके बाद चौथी भावना यह है—जो साधक भय का दुष्फल जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्ग्रन्थ है । अतः साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए ।

केवली भगवान् का कहना है—भय-प्राप्त भीरु व्यक्ति भयाविष्ट होकर असत्य बोल देता है । अतः जो साधक भय का यथार्थ अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निर्ग्रन्थ है, न कि भयभीत । यह चौथी भावना है ।

(५) इसके अनन्तर पाँचवी भावना यह है—जो साधक हास्य के अनिष्ट परिणाम को जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है, अतएव निर्ग्रन्थ को हँसोड़ नहीं होना चाहिए ।

केवली ब्रूया—हासपत्ते हासी समावदेज्जा मोतं वयणाए ।
हासं परिजाणति से त्रिगंथे णो य हासणाए सिय त्ति पंचमा
भावणा ।^१

एत्ताव ताव (बोच्चं) महध्वयं सम्मं काएणं फासिते पालिते
तीरिए किट्टिते अत्रट्टिते आगाए आराहिते यावि भवति ।

दोच्चे भंते । महव्वए मुसावायाओ वैरमणं ।

—आ. सु. २, अ. १५, सु. ७८०-७८२

सच्चवयणस्स परूवगा आराहगा य—

४२२. तं सच्चं भगवं तित्थयरसुभासियं दसविहं,^२

चोद्दसपुव्वीहिं पाहुडत्थविइयं, महरिसीण य समयप्पइणं,

वेविद-णरिद-भासियत्थं, वैमाणियसाहियं, महत्थं, मंतोसहि-
विज्जा-साहणत्थं, चारंगण-समण-सिद्धविज्जं, मणुयगणाणं
बंदणिज्जं, अमरगणाणं अच्चणिज्जं, असुरगणाणं पूयणिज्जं,
अणेगपातंठियरिगहियं जं तं लोगम्मि सारभूयं ।

—पण्ह. सु. २, अ. २, सु. ४

सच्चवयणस्स महप्पं—

४२३. जंबू ! विइयं य सच्चवयणं सुद्धं सुवियं सिवं सुजायं सुभा-
सियं सुव्वयं सुकहियं सुविहं सुपइट्टियं सुपइट्टियजसं सुसंज-
मिय-वयण-बुइयं सुरवर-णरवसम-पवरवलवग-सुविहिय-जण-
बहुमयं, परमसाहुधम्मचरणं, तव-णियम-परिगहियं सुगइपह-
देसगं य लोगुत्तमं वयमिणं ।

केवली भगवान् का कथन है—हास्यवश हँसी करने वाला
व्यक्ति असत्य भी बोल देता है । इसलिए जो मुनि हास्य का
अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका त्याग कर देता है, वह निर्गन्ध
है, न कि हँसी मजाक करने वाला । यह पाँचवी भावना है ।

इस प्रकार इन पाँच भावनाओं से विशिष्ट साधक द्वारा
स्वीकृत मृपावाद विरमण रूप द्वितीय सत्य महाव्रत का काया से
सम्यक्-स्पर्श (आचरण) करने, उसका पालन करने, गृहीत महा-
व्रत को भलीभाँति पार लगाने, उसका कीर्तन करने एवं उसमें
अन्त तक अवस्थित रहने पर भगवद् आज्ञा के अनुरूप आराधन
हो जाता है ।

हे भगवन् ! यह मृपावाद विरमण रूप द्वितीय महाव्रत है ।

सत्य संवर के प्ररूपक और आराधक—

४२२. (१) वह सत्य भगवान् तीर्थंकरों द्वारा दस प्रकार का
कहा गया है ।

(२) चतुर्दश पूर्वधरों ने प्राभृतों में प्रतिपादित सत्य के अंश
को जाना है । महर्षियों ने सत्य का सिद्धान्त रूप में प्रतिपादित
किया है ।

देवेन्द्रों और नरेन्द्रों ने सत्य को पुरुषार्थ साध्य कहा है ।
वैमानिक देवों ने सत्य का महान् प्रयोजन साध लिया है । सत्य
मन्त्र, औपधी तथा विद्याओं की साधना कराने वाला है । विद्या-
धरों चारणों एवं श्रमणों की विद्याएँ सत्य से ही सिद्ध होती हैं ।
सत्य मनुष्यों के लिए वन्दनीय है, देवों के लिए अर्चनीय है और
असुरों के लिए पूजनीय है । अनेक पाखण्डियों ने भी सत्य को
ग्रहण किया है । सत्य लोक में सारभूत है ।

सत्य वचन की महिमा—

४२३. हे जम्बू ! द्वितीय संवरद्वार सत्य है ।

यह सत्य वचन शुद्ध है, पवित्र है, शिव है, सुजात है, सुभा-
पित है, सुव्रत है, सुकथित है, सुदृष्ट है सुप्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित
यशवाला है, अत्यन्त संयत वचनों द्वारा कथित है, उत्तम देवों,
उत्तम पुरुषों, वलवानों तथा सुविहित जनों द्वारा सम्मत है, परम
साधुजनों का धर्मानुष्ठान है, तप और नियमों द्वारा गृहीत है,
सद्गति का पथ प्रदर्शक है और यह व्रत लोक में उत्तम है ।

१ (क) समवायांग सूत्र में द्वितीय महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) अनुवीचिभाषण, (२) क्रोधविवेक, (३) लोभविवेक, (४) भयविवेक, (५) हास्यविवेक ।

—सम. सम. २५, सु. १

(ख) प्रश्नव्याकरण सूत्र में इस महाव्रत की भावनाएँ आचारांग सूत्र की तरह ही है ।

—प. सु. २, अ. २, सु. ११—१५

विस्तृत पाठ परिशिष्ट में देखें ।

२ ठाणं. अ. १०, सु. ७४१ ।

—प. सु. २, अ. २, सु. १—३

विज्जाहर-गगणगमण-विज्जाण साहकं सगमग-सिद्धिपहदेसगं
अवितहं,

तं सच्चं उज्जुयं अकुडिलं भूयत्यं अत्यओ विमुद्धं उज्जोयकरं
पभासगं भवइ सत्वभावाणं जीवलोए, अविसंवाइ ।

जहत्थमहुंरं पच्चक्खं दयिवयं ष जं तं अच्छेरकारणं

१. अवत्यंतरेसु बहुएसु मणुसाणं, सच्चेण महासमुद्धमज्जे वि
मूढाणिया वि पोया ।

२. सच्चेण य उदगसंभमम्मि वि ण बुज्झइ ण य मरंति थाहं
ते लहंति ।

३. सच्चेण य अगणिसंभमम्मि वि ण डज्झंति उज्जुगा
मणुस्सा ।

४. सच्चेण य तत्ततेल्ल-तउ-लोह-सीससगाइं छिवंति धरंति
ण य डज्झंति मणुस्सा ।

५. सच्चेण य मणुस्सा पव्वयकडकाहिं मुच्चंति ण य मरंति ।

६. सच्चेण य परिगहिया असिपंजरगया समराओ वि णिइंति
अण्णहा य सच्चवाइ ।

७. वहंबंधमियोगवेर-धीरेहिं पमुच्चंति य ।

८. अमित्तमज्झाहिं णिइंति अण्णहा य सच्चवाइ ।

९. देवाणि य देवयाओ करंति सहायं सच्चवयणे रत्ताणं ।

—पण्ह. सु. २, अ २, सु. १-३

सच्चवयणस्स छ उवमाओ—

४२४. १. गंभीरयरं महासमुद्धाओ,
२. थिरयरं मेरुपव्वयाओ,
३. सोमयरं चंदमंडलाओ,
४. दित्तरं सूरमंडलाओ,
५. विमलयरं सरयणहयलाओ,
६. मुरभियरं गंधमादणाओ ।

यह सत्य वचन विद्याधरों की आकाशगामिनी विद्या की
सिद्धियों में साधन रूप है। स्वर्गमार्ग और सिद्धिमार्ग का
दर्शक है। असत्य से रहित है।

यह सत्य सरल है, अकुटिल है, वास्तविक अर्थ का प्रति-
पादक है, प्रयोजन से शुद्ध है, उद्योत करने वाला है, जीव लोक
में समस्त भावों को प्रकाशित करने वाला है, अविसंवादी है,

ययार्थ में मधुर है। प्रत्यक्ष देवता के समान है, आश्चर्यजनक
कार्यों का साधक है।

(१) अनेक अवस्थाओं में मनुष्य सत्य के प्रभाव से महा-
समुद्र के मध्य में रहा हुआ भी डूबता नहीं है।

(२) सत्य के प्रभाव से समुद्र में भूले हुए जहाज और उनके
चलाने वाले पानी के भँवरों में भी डूबते नहीं हैं, मरते नहीं हैं
और किनारे लग जाते हैं।

(३) सत्य के प्रभाव से मनुष्य अग्नि का क्षोभ होने पर भी
जलता नहीं है।

(४) सत्य के प्रभाव से सरल मनुष्य तपे हुए तेल, तंबा, लोहा
या सीसे को छुए या हथेली पर रखे तो भी जलता
नहीं है।

(५) सत्य के प्रभाव से पर्वत पर से गिराये गए मनुष्य
मरते नहीं हैं।

(६) सत्य के प्रभाव से समर में शत्रुओं के मध्य में फँस
हुआ मनुष्य भी बिना घाव लगे निकल जाता है।

(७) सत्यवादी पुरुष प्रबल शत्रुओं द्वारा की जाने वाली
मारपीट, बन्धन और बलात्कार से भी मुक्त हो जाता है।

(८) सत्यवादी शत्रुओं के मध्य में आया हुआ भी निर्दोष
निकल आता है।

(९) सत्यवादी की देवता भी सहायता करते हैं।

सत्य वचन की छह उपमाएँ—

४२४. (१) सत्य महासागर से भी अधिक गम्भीर है,
- (२) सत्य सुमेरु से भी अधिक स्थिर है,
- (३) सत्य चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है,
- (४) सत्य सूर्यमण्डल से भी अधिक दीप्तिमान है,
- (५) सत्य शरद ऋतु के आकाश मण्डल से भी अधिक
निर्मल है,
- (६) सत्य गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सुगन्धमय है।

जे वि य लोमि अपरिसेसा मंतजोगा जवा य विज्जा य
जंभगा य अत्यावि य सत्याणि य सिक्खाओ य आगमा य
सन्वाइं पि ताइं पच्चे पइट्टियाइं ।

—प. सु. २, अ. २, सु. ५-६

अवक्तव्यं सच्चं—

४२५. सच्चं वि य संजमस्स उवरोधकारणं किञ्चि न वत्तव्वं
हिमांसावज्जसंपउत्तं भेय-विकहकारणं अणत्थ-वाय-कलह-
कारणं अणज्जं, अववाय-विवायसंपउत्तं बेलंबं ओजवेज्ज बहुलं
णिल्लज्जं लोयगरहणज्जं बुद्धिं वुत्सुयं अमुणियं । अप्पणो
थवणा, परेसु णिदा,

ण तंसि मेहावी, णं तेसि घण्णो ण तंसि पियधम्मो, ण तंसि
कुलीणो, ण तंसि दाणयई, ण तंसि सूरो, ण तंसि पडिक्खा,
ण तंसि लट्ठो, ण पंडिओ, ण बहुत्सुओ, ण वि य तंसि
तवस्सी, ण यावि परलोयणिच्छयमई असि, सच्चकालं ।

जाइ-कुल-रुव वाहि-रोगेण वावि जं होई वज्जणज्जं दुहओ
उवयारमइक्कतं एवं विहं सच्चं वि ण वत्तव्वं ।

—प. सु. २, अ. २, सु. ८

दत्तव्वं सच्चं—

४२६. प०—अहं केरिसगं पुणाइ सच्चं तु भासियव्वं ?

उ०—जं तं दवेहि पज्जवेहि य गुणोहि कम्मोहि बहुविहेहि
सिप्पोहि आगमेहि य णामक्खाय-णिवाय-उवसग्ग-
तद्धिय-समास-संघि-पद-हेउ-ओगिय-उणाइ-किरिया-
विहाण-घाउ-सर-विभक्ति-वण्णजुत्तं तिकल्लं वसविहं
पि सच्चं^१ जह भणियं तह य कम्मणा होइ । दुवालस-
विहा होइ भासा,^२ वयणं वि य होइ सोलसविहं ।^३

एवं अरहंतमणुणायं समिक्खियं संजएणं कालम्मि य
वत्तव्वं ।

—प. सु. २, अ. २, सु. ९

सच्चवयण फलं—

४२७. इमं च अलिय-पिसुण-फरस-कडुय-ववलवयण-परिरक्खणट्ट-
याए पावयणं भगवया सुक्खियं,

१ (क) ठाणं, अ. १०, सु. ७४? (ख) पण्ण. पद ११, सु. ८६२

२ पण्ण. प. ११, सु. ८६६ ३ पण्ण. प. ११, सु. ८६६

लोक में जितने भी मन्त्र योग जाप, विद्या, जूम्मक देव, अस्त्र-
शस्त्र, शिक्षा, कला और आगम हैं ये सब सत्य में प्रतिष्ठित हैं ।

अवक्तव्य सत्य—

४२५. (१) संयम का बाधक हो वैसा सत्य कदापि नहीं बोलना
चाहिए । हिंसा और सावध से युक्त, चारित्र्य का भेद करने वाला,
विकाररूप, वृथा, कलहकारी अनार्य या अन्याय युक्त, अपवाद
और विवाद उत्पन्न करने वाला, विडम्बनाजनक, जोश और
धृष्टता से युक्त, लज्जाहीन, लोक निन्दनीय, अच्छी तरह न देखा
हुआ, अच्छी तरह न सुना हुआ, अच्छी तरह न जाना हुआ,
आत्म-प्रशंसा तथा परनिन्दा रूप, ऐसा सत्य वचन भी नहीं
बोलना चाहिए ।

(२) “तुझमें बुद्धि नहीं है, तू धन का लेनदार नहीं है, तू
धर्मप्रिय नहीं है, तू कुलीन नहीं है, तू दानी नहीं है, तू धूरवीर
नहीं है, तू रूपवान नहीं है, तू पण्डित नहीं है, तू बहुश्रुत नहीं है,
तू तपस्वी नहीं है, तू परलोक की दृढ़ श्रद्धा नहीं रखता है” ऐसे
वचन कदापि कहने योग्य नहीं है ।

(३) जो वचन जाति, कुल, रूप, व्याधि, रोग आदि के कथन
द्वारा पर को पीड़ा पहुँचाने वाले हों तथा शिष्टाचार या उपकार
का उल्लंघन करें वे वर्जनीय हैं । ऐसा सत्य भी बोलने योग्य
नहीं है ।

वक्तव्य सत्य—

४२६. प्र०—फिर किस प्रकार का सत्य कहना चाहिए ?

उ०—जो वचन द्रव्य-पर्याय-गुण कर्म नाना प्रकार के शिल्प
और आगम से युक्त हों तथा नाम, आख्यात, निपात, उपसर्ग, तद्धित
समास, सन्धि, पद, हेतु, यौगिक उणादि (प्रत्ययविशेष) क्रिया-
विधान धातु स्वर विभक्ति वर्ण से युक्त हों अर्थात् जो वचन अर्थ
की दृष्टि से और शब्द शास्त्र की दृष्टि से युक्त हों उनका ही प्रयोग
करना चाहिए । दस प्रकार के सत्य त्रैकालिक हैं । यह सत्य जिस
प्रकार कहा गया है उसी प्रकार का होता है । वारह प्रकार की
भाषा और सोलह प्रकार के वचन होते हैं ।

इस प्रकार अर्हन्त भगवान् द्वारा अनुज्ञात एवं समीक्षित
वचन यथासमय संयमी जनों को बोलने चाहिए ।

सत्य वचन का फल—

४२७. यह प्रवचन भगवान् ने असत्य, पैशुन्य, कठोर, कटुक तथा
विवेकहीन वचनों के निषेध के लिए सम्यक् प्रकार से कहा है ।

अत्तहियं पेक्काभाविंयं आगमेसिभद्दं सुद्धं णेयाउयं अकुडिलं
अणुत्तरं सत्त्वदुक्ख पावाणं विउसमणं ।

—प. सु. २, अ. २. सु. १०

अल्पमुसावायस्स पायच्छित्तसुत्तं—

४२८. जे भिक्खू लहुसगं मुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १६

वसुराइयं अवसुराइयं वयमाणस्स पायच्छित्तसुत्ताइं—

४२९. जे भिक्खू वुसिराइयं अवुसिराइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अवुसिराइयं वुसिराइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि उ. १६, सु. १४-१५

विवरीय वयमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

४३०. जे भिक्खू णत्थि संभोगवत्तिया^१ किरियत्ति वयइ वयंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ६३

विवरीय पायच्छित्तं वदमाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

४३१. जे भिक्खू उग्घाइयं अणुग्घाइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणुग्घाइयं उग्घाइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्घाइयं अणुग्घाइयं देइ देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणुग्घाइयं उग्घाइयं देइ देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्घाइयं सोच्चा णच्चा संभुजइ संभुजंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्घाइय-हेउं सोच्चा णच्चा संभुजइ संभुजंतं वा
साइज्जइ ।

यह प्रवचन आत्म हितकर है, परभव में शुभ फल देने वाला है, भविष्य में कल्याणकारी है, शुद्ध है, न्याय युक्त है, कुटिलता से रहित है, सर्वोत्तम है, समस्त दुःखों और पापों को शान्त करने वाला है ।

अल्पमृषावाद का प्रायश्चित्त सूत्र—

४२८. जो भिक्षु अल्प मृषावाद बोलता है, बोलवाता है, बोलने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वसुरातिक-अवसुरातिक कथन के प्रायश्चित्त सूत्र—

४२९. जो भिक्षु धनवान को निर्धन कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु निर्धन को धनवान कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विपरीत कथन का प्रायश्चित्त सूत्र—

४३०. जो भिक्षु "संभोग वत्तिया क्रिया नहीं है" ऐसा कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विपरीत प्रायश्चित्त कहने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४३१. जो भिक्षु उद्घातिक को अनुद्घातिक कहता है, कहलवाता है, कहने के लिए अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अनुद्घातिक को उद्घातिक कहता है, कहलवाता है, कहने के लिए अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु उद्घातिक प्रायश्चित्त वाले को अनुद्घातिक प्रायश्चित्त देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अनुद्घातिक प्रायश्चित्त वाले को उद्घातिक प्रायश्चित्त देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु को) उद्घातिक प्रायश्चित्त प्राप्त हुआ है, ऐसा सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (किसी अन्य भिक्षु के) उद्घातिक प्रायश्चित्त का हेतु सुनकर या जानकर (उसके साथ) आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ सम्भोग विसम्भोग विधान के लिए देखिये इसी अनुयोग के "संघव्यवस्था" में "गणव्यवस्था" के "सम्भोग विधान" विषय में ।

परिशिष्ट-१

बिड्य मुसावाय विरमण महव्वयस्स पंच भावणा—

४३२. १. अणुवीतिभासणया,

२. कोहविवेगे,

३. लोभविवेगे,

४. भयविवेगे,

५. हासविवेगे,

—सम. २५, सु. १६५

तस्स इमा पंच भावणाओ वितियस्स वयस्स अलियवयणस्स
वेरमण-परिरक्खणट्टयाए ।

पढमं—सोऊण संवरट्ठं परमट्ठं सुट्ठु जाणिऊणं ण वेगियं ण
तुरियं ण चवलं ण कडुयं ण फरुसं ण साहसं ण य परस्स
पीलाकरं सावज्जं,

सच्चं च हियं च मियं च गाहगं च सुद्धं संगयमकाहलं च
समिक्खियं संजएण कालम्मि य वत्तव्वं ।

एवं अणुवीडिसमिड्ढजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा संजयकर-
चरण-णयण-वयणो सूरुओ सच्चवज्जवसंपण्णो ।

विड्यं—कोहो ण सेवियव्वो, कुद्धो चंडिक्किओ भणूसो ।

१. अलियं भणेज्ज पिसुणं भणेज्ज, फरुसं भणेज्ज, अलियं-
पिसुणं-फरुसं भणेज्ज ।

२. कलहं करेज्जा, वैरं करेज्जा, विकहं करेज्जा, कलहं-वैरं
विकहं करेज्जा,

३. सच्चं हणेज्ज, सीलं हणेज्ज, विणयं हणेज्ज, सच्चं सीलं
विणयं हणेज्ज ।

४. वेसो भवेज्ज, वत्थुं भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज, वेसो वत्थुं
गम्मो भवेज्ज ।

एयं अण्णं च एवमाइयं भणेज्ज कोहगिसंपलित्तो तम्हा कोहो
ण सेवियव्वो ।

एवं खंतीइ भाविओ भवइ अंतरप्पा संजयकर-चरण-णयण-
वयणो सूरुओ सच्चवज्जवसंपण्णो ।

मृषावाद-विरमण या सत्य महाव्रत की पाँच भावना—

४३२. (१) अनुवीचिभाषण—चिन्तन करके बोलना,

(२) क्रोध-विवेक—क्रोध त्यागकर बोलना,

(३) लोभ-विवेक—लोभ त्यागकर बोलना,

(४) भय-विवेक—भय त्यागकर बोलना,

(५) हास्य-विवेक—हास्य त्यागकर बोलना,

द्वितीय अलीक वचन विरमण व्रत की रक्षा के लिए ये पाँच
भावनाएँ कही हैं—

प्रथम—सत्य वचन रूप संवर का अर्थ गुरु के समीप और
उसका परमार्थ सम्यक् प्रकार से समझकर वेग, त्वरा एवं चपलता
पूर्वक अनिष्ट कठोर साहसिक परपीड़ाकारी और सावद्य वचन
नहीं बोलने चाहिए ।

सत्य हितकारी परिमित ग्राहक (प्रतीतिजनक) शुद्ध
सुसंगत स्पष्ट विचार युक्त वचन संयमी जनों को यथासमय
बोलने चाहिए ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा अनुविचिन्त्य समिति के योग
से युक्त होता है । उसका अन्तरात्मा हाथ पैर नेत्र एवं मुख को
संयत करने वाला शौर्य तथा सरल सत्य से परिपूर्ण हो जाता है ।

द्वितीय—क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रुद्ध और रुद्र मनुष्य—

(१) असत्य भाषण करता है, पैशुन्य-चुगली करता है,
कठोर वचन बोलता है, और असत्य, पैशुन्य एवं कठोर वचनों
का प्रयोग करता है ।

(२) कलह करता है, वैर करता है, विकथा करता है और
कलह, वैर एवं विकथा करता है ।

(३) सत्य का घात करता है, शील का घात करता है,
विनय का घात करता है और सत्य, शील एवं विनय का घात
करता है ।

(४) द्वेष का पात्र बनता है, दोष का पात्र बनता है, निन्दा
का पात्र बनता है और द्वेष, दोष एवं निन्दा का पात्र बनता है ।
जो क्रोधाग्नि से प्रज्वलित है वह इस प्रकार के तथा अन्य
प्रकार के मृषा वचन बोलता है, इसलिए क्रोध नहीं करना
चाहिए ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा क्षमा से भावित होता है
उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते हैं तथा वह शौर्य
एवं सरल सत्य से परिपूर्ण हो जाता है ।

ततियं—लोहो न सेवियन्वो—

१. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, खेतस्स व वत्युस्स व कएण ।

२. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, कित्तीए व लोभस्स व कएण ।

३. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, रिद्धीए व सोबखस्स व कएण ।

४. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, भत्तस्स व पाणस्स व कएण ।

५. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, पीढस्स व फलगस्स व कएण ।

६. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, सेज्जाए व संथारगस्स व कएण ।

७. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, वत्युस्स व पत्तस्स व कएण ।

८. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, कंबलस्स व पायपुंछस्स व कएण ।

९. लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, सीसस्स व सिस्तीणीए व कएण ।

लुब्धो लोलो भणेज्ज अलियं, अन्नेसु य एवमादिसु बहुसु कारण-सएसु, तम्हा लोभो न सेवियन्वो ।

एवं भुत्तीए भाविओ भवइ अन्तरप्पा । संजय कर-चरण-नयण-वपण सूरु सच्चवज्जवसंपप्पो ।

चउत्त्यं—न भाइयत्वं—

१. भीतं खु भया अइंति लहुयं ।

२. भीतो अवित्तिज्जओ मणूसो ।

३. भीतो भूतेहि घिप्पइ ।

४. भीतो अन्नं पि ह भेसेज्जा ।

५. भीतो तव-संजमं पि ह मुएज्जा ।

६. भीतो य भरं न नित्थरेज्जा ।

७. सप्पुरिस-निसेबियं च मग्गं भीतो न समत्थो अणुचरिउं ।

तम्हा न भाइयत्वं भयस्स वा, वाहिस्स वा, रोगस्स वा, जराए वा, मच्चुस्स वा अग्रस्स वा एवमाइयस्स ।

एवं घ्रेज्जेण भाविओ भवइ अन्तरप्पा ।

संजय-कर-चरण-नयण-वपण-सूरु सच्चवज्जवसंपप्पो ।

तृतीय - लोभ नहीं करना चाहिए लोभी लालची मनुष्य—

(१) क्षेत्र और वास्तु (मकान आदि) के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(२) कीर्ति और लोभ के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(३) ऋद्धि और सुख के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(४) भोजन और पान के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(५) पीढा और फलक के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(६) शय्या और संस्तारक के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(७) वस्त्र और पात्र के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(८) कम्बल और पाद प्रोँछन के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

(९) शिष्य और शिष्या के लिए मिथ्या भाषण करता है ।

इत्यादि अनेक कारणों से लोभी मिथ्या भाषण करता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा भुक्ति (निर्लोभता) से भावित होता है उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते हैं, तथा शौर्य एवं सरल-सत्य से परिपूर्ण हो जाता है ।

चतुर्थ—भयभीत नहीं होना चाहिए,

(१) भयभीत को शीघ्र ही अनेक भय उपस्थित हो जाते हैं ।

(२) भयभीत की कोई सहायता नहीं करता है,

(३) भयभीत को भूत-प्रेत लग जाते हैं,

(४) भयभीत मनुष्य दूसरों को भी भयभीत करता है,

(५) भयभीत मनुष्य तप-संयम को भी त्याग देता है,

(६) भयभीत मनुष्य भार वहन नहीं कर सकता,

(७) भयभीत मनुष्य सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है,

अतएव भय से, व्याधि से, रोग से, जरा से, मृत्यु से तथा अन्य किसी भय के हेतु से भयभीत नहीं होना चाहिए ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा धैर्य से भावित होता है उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते हैं तथा वह शौर्य एवं सरल सत्य से परिपूर्ण हो जाता है ।

पंचमकं—हासं न सेवियन्वं ।
अलियाइ असंतकाइ जंपति हासइत्ता ।

१. परपरिभवकारणं च हासं ।
२. परपरिवायप्ययं च हासं ।
३. परपीलाकारणं च हासं ।
४. भेदविमुक्तिकारणं च हासं ।
५. अज्ञोऽज्ञजणियं च होज्ज हासं ।
६. अज्ञोऽज्ञगमणं च होज्ज मम्मं ।
७. अज्ञोऽज्ञगमणं च होज्ज कम्मं ।
८. कंदप्पाभियोगगमणं च होज्ज हासं ।

९. आसुरियं किंविस्सत्तणं जणेज्ज च हासं । तम्हा हासं न सेवियन्वं ।

एवं मोणेण भाविओ भवइ अंतरप्पा ।

संजम-कर-चरण-नयण-वयण सूरु सच्चंजवसंपप्पो ।

—प. सु. २, अ. २, सु. ११-१५

उपसंहारो—

४३३. एवमिणं संवरस्स वारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहियं ।

इमेहि पंचहि वि कारणेहि मण-वयण-काय-परिरक्खिएहि निच्चं आमरणतं च एस जोगो णेयवो धितिमया मतिमया अणासवो अकलुसो अच्छिदो अपरिस्सावी असंकित्ठो सम्ब जिणमणुणाओ ।

एवं बितियं संवरदार फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवइ ।

एवं नायमुणिणा भगवया-पन्नवियं पक्कवियं पसिद्धं सिद्धवर-सासणमिणं आघवियं सुवेसियं पसत्थं ।

—प. सु. २, अ. २, सु. १६-१८

छहं अवयणाइणं निसेहो—

४३४. तो कप्पइ निगंथाणवा-निगंथीणवा

इसाइ छ अवयणाइं वइसए, तं अहा—

पंचम—किसी की हँसी नहीं करनी चाहिए, हँसी-मजाक करने वाले ही असत्य वचन और अशोभन वचन बोलते हैं ।

(१) हास्य दूसरे के पराभव का कारण होता है ।

(२) हास्य पर-निन्दा प्रधान होता है ।

(३) हास्य पर-पीड़ाजनक होता है ।

(४) हास्य से चारित्र्य का भंग और विकृत मुख होता है ।

(५) हास्य परस्पर (एक दूसरे के साथ) होता है ।

(६) हास्य से (एक दूसरे के) मर्म प्रकट होते हैं ।

(७) हास्य लोकनिन्द्य कर्म है ।

(८) हास्य से (साधु की) कान्दर्पिका और आभियोगिक देवों में उत्पत्ति होती है ।

(९) हास्य से (साधु की) असुर और कित्त्वपिक देवों में उत्पत्ति होती है, इसलिए किसी की हँसी नहीं करनी चाहिए ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा मीन से भावित होता है उसके हाथ, पैर, नेत्र एवं मुख संयत हो जाते हैं तथा वह शीघ्र एवं सरल-सत्य से परिपूर्ण हो जाता है ।

उपसंहार—

४३३. इस प्रकार मन, वचन और काय से पूर्ण सुरक्षित-मुसेवित इन पांच भावनाओं से संवर का यह द्वार—सत्यमहाव्रत सम्यक् प्रकार से संवृत—आचरित और सुप्रणिहित—स्थापित हो जाता है । अतएव धैर्यवान् तथा मतिमान् साधक को चाहिए कि वह आस्रव का निरोध करने वाले, निर्मल, निश्छिद्र—कर्म-जल के प्रवेश को रोकने वाले, कर्मबन्ध के प्रवाह से रहित, संक्लेश का अभाव करने वाले एवं समस्त तीर्थकरों द्वारा अनुज्ञात इस योग को निरन्तर जीवन पर्यन्त आचरण में उतारे ।

इस प्रकार (पूर्वोक्त रीति से) सत्य नामक संवरद्वार यथा-समय अंगीकृत, पालित, शोधित—निरतिधार आचरित या शोभाप्रदायक, तीरित—अन्त तक पार पहुँचाया हुआ, कीर्तित—दूसरों के समक्ष आदरपूर्वक कथित, अनुपालित—निरन्तर सेवित और भगवान् की आज्ञा के अनुसार आधारित होता है ।

इस प्रकार भगवान् ज्ञातमुनि—महावीर स्वामी ने इस सिद्धवरशासन का कथन किया है, विशेष प्रकार से विवेचन किया है । यह तर्क और प्रमाण से सिद्ध है, सुप्रतिष्ठित किया गया है, भव्य जीवों के लिए इसका उपदेश किया गया है, यह प्रशस्त कल्याणकारी—मंगलमय है ।

नहीं बोलने योग्य छः वचनों का निषेध—

४३४. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को ये छह कुवचन बोलना नहीं कल्पता है । यथा—

- | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|
| १. अलियवयणे, | २. हीलियवयणे, | (१) अलीकवचन, | (२) अवहैलनाजनक वचन, |
| ३. खिसियवयणे | ४. फरुसवयणे, | (३) खिसित वचन, | (४) परुप वचन, |
| ५. गारतियवयणे, | | (५) गार्हस्थ्य वचन, | |
| ६. विओसवियं वा पुणो उदीरितए । ^१ | | (६) शान्त कलह को पुनः प्रज्वलित करने वाला वचन । | |

—कप्य. उ. ६, सु. १

अट्ट ठाणाइणं निसेहो—

४३५. कोहे माणे य मायाए लोमे य उवउत्तया ।
हासे मए मोहरिए विगहीसु तहेव च ॥

एयाइं अट्ट ठाणाइं परिवज्जितु संजए ।
असावज्जं मियं काले भासं भासेज्ज पन्नवं ॥

—उत्त. अ. २४, गा. ६-१०

भाषा से सम्बन्धित आठ स्थानों का निषेध—

४३५. (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) हास्य,
(६) भय, (७) वाचालता और (८) विकथा के प्रति सावधान
रहे—इनका प्रयोग न करे ।

प्रज्ञावान् मुनि इन आठ स्थानों का वर्जन कर यथा-समय
निरवद्य और परिमित वचन बोले ।



तृतीय महाव्रत स्वरूप एवं आराधना

तृतीयमहव्ययस्स आराहणा पइण्णा—

४३६. अहावरे तच्चे भंते ! महव्वए अदिग्घादाणाओ वेरमणं ।

सर्वं भंते ! अदिग्घादाणं पञ्चषखामि ?¹

से गामे वा, नगरे वा, रक्षे वा, अप्पं वा, बह्वं वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा ।

से य अदिग्घादाणे चउत्विहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. दब्बओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

१. दब्बओ अप्पं वा बह्वं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा,

२. खेत्तओ गामे वा, नगरे वा, अरण्ये वा,

३. कालओ दिया वा राओ वा

४. भावओ अप्पग्घे वा महग्घे वा ।

नेव सयं अदिग्घं गेण्हेज्जा, नेवन्नेहि अदिग्घं गेण्हावेज्जा, अदिग्घं गेण्हेत्ते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए त्तिविहं त्तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ।²

तच्चे भंते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ अदिग्घादाणाओ वेरमणं । —दस. अ. ४, सु. १३

“समणे भविस्सामि अणगारे अकिचणे अपुत्ते अपसु परवत्त-भोई पाबं कम्मं णो करिस्सामि” त्ति समुट्ठाए “सर्वं भंते ! अदिग्घादाणं पञ्चषखामि ।”

तृतीय महाव्रत के आराधन की प्रतिज्ञा—

४३६. भन्ते ! इसके पश्चात् तीसरे महाव्रत में अदत्तादान की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सर्व अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ । जैसे कि—गाँव में, नगर में या अरण्य में (कहीं भी) अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त (सजीव) हो या अचित्त (निर्जीव) ।

वह अदत्तादान चार प्रकार का है जैसे—(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से ।

(१) द्रव्य से—अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त ।

(२) क्षेत्र से—गाँव में, नगर में या अरण्य में,

(३) काल से—दिन में या रात्रि में,

(४) भाव से—अल्प मूल्य वाली या बहुमूल्य वाली ।

किसी भी अदत्त-वस्तु को मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, दूसरों से अदत्त वस्तु का ग्रहण नहीं कराऊँगा और अदत्त-वस्तु ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के अदत्तादान से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भन्ते ! मैं तीसरे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व अदत्तादान की विरति होती है ।

मुनि दीक्षा लेते समय साधु प्रतिज्ञा करता है—“अब मैं श्रमण बन जाऊँगा । अनगार, अकिचन (अपरिग्रही) अपुत्र (पुत्रादि सम्बन्धों से मुक्त), अपशु (द्विपद-चतुष्पद आदि पशुओं के स्वामित्व से मुक्त) एवं परदत्तभोजी (दूसरे गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भिक्षा में प्राप्त आहारादि का सेवन करने वाला) होकर मैं अब कोई भी हिंसादि पापकर्म नहीं करूँगा ।” इस प्रकार संयम पालन के लिए उत्थित-समुद्यत होकर कहता है—“भन्ते ! मैं आज समस्त प्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”

१ दंतसोह्णमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं । अणवज्जेसणिज्जस्स, गेण्हेणा अवि दुक्करं ॥

२ चित्तभतमचित्तं वा अप्पं वा जइ वा बह्वं । दंतसोह्णमेत्तं पि ओग्गहं सि अजाइया ॥

—उत्त. अ. १६, गा. २८

—दस. अ. ६, गा १३

से अणुपविसिक्ता गामं वा जाव-रायहाणि वा णेव सयं
अदिष्णं गेहेज्जा, णेवऽण्णं अदिष्णं गेहावेज्जा, णेवऽण्णं
अदिष्णं गेहंतं पि समणुजाणेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६०७

अदिष्णादाण मह्वयस्स पंच भावणाओ—

४३७. अहावरं तच्चं भंते ! मह्वयं पच्चवखामि सच्चं अदिष्णा-
दाणं ।

से गामे वा नगरे वा अरण्ये वा अप्यं वा बहं वा अणुं वा
भूलं वा वित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा णेव सयं अदिष्णं गेहेज्जा,
णेवऽण्णं अदिष्णं गेहावेज्जा अण्णं पि अदिष्णं गेहंतं
ण समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा
वयसा कायसा तस्स भंते ! पडिक्कमामि-जाव-ओसिरामि ।

तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति ।

१. तहियमा पट्टमा भावणा—अणुवीयि मितोग्गहजाई से
निगंये णो अणुवीयि मितोग्गहजाई से निगंये ।

केवली ब्रूया—अणुवीयि मितोग्गहजाई से निगंये अदिष्णं
गेहेज्जा । अणुवीयि मितोग्गहजाई से निगंये, णो अणु-
वीयि मितोग्गहजाई ति पट्टमा भावणा ।

२. अहावरा दोच्चा भावणा—अणुणविय पाण भोयणं भोई
से निगंये, णो अणुणविय पाण-भोयणभोई ।

केवली ब्रूया—अणुणवीयि पाण-भोयणभोई से निगंये
अदिष्णं भुजेज्जा । तट्ठा अणुणवीयि पाण-भोयण भोई से
निगंये, णो अणुणविय पाण-भोयणभोई ति दोच्चा
भावणा ।

साधु ग्राम—यावत्—राजधानी में प्रविष्ट होकर स्वयं विना
दिये हुए (किसी भी) पदार्थ को ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण
कराए और न अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन-समर्थन करे ।

तृतीय महाव्रत और उसकी पांच भावना—

४३७. "भगवन् ! इसके पश्चात् अब मैं तृतीय महाव्रत स्वीकार
करता हूँ, इसके सन्दर्भ में मैं सब प्रकार से अदत्तादान का प्रत्या-
ख्यान (त्याग) करता हूँ । वह इस प्रकार—

वह (ग्राह्य पदार्थ) चाहे गाँव में हो, नगर में हो, अरण्य में
हो, थोड़ा हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल (छोटा हो या बड़ा),
सचेतन हो, या अचेतन; उसे उसके स्वामी के विना दिये न तो
स्वयं ग्रहण करूँगा, न दूसरे से (विना दिये पदार्थ) ग्रहण कर-
वाऊँगा, और न ही अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन-समर्थन
करूँगा, यावज्जीवन तक, तीन करणों से तथा मन-वचन-काया,
इन तीन योगों से यह प्रतिज्ञा करता हूँ । साथ ही मैं पूर्वकृत
अदत्तादावरूप पाप का प्रतिश्रमण करता हूँ,—यावत्—अपनी
आत्मा से अदत्तादान पाप का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

उस तीसरे महाव्रत की ये पांच भावनाएँ हैं—

(१) उन पांचों में से प्रथम भावना इस प्रकार है—जो
साधक पहले विचार करके परिमित अवग्रह की याचना करता
है, वह निर्ग्रन्थ है, किन्तु विना विचार किये परिमित अवग्रह की
याचना करने वाला नहीं ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो विना विचार किये मित-
वग्रह की याचना करता है, वह निर्ग्रन्थ अदत्त ग्रहण करता है ।
अतः तदनु रूप चिन्तन करके परिमित अवग्रह की याचना करने
वाला साधु निर्ग्रन्थ कहलाता है, न कि विना विचारे किये मर्या-
दित अवग्रह की याचना करने वाला । इस प्रकार यह प्रथम
भावना है ।

(२) इसके अनन्तर दूसरी भावना यह है—गुरुजनों की
अनुज्ञा लेकर आहार-पानी आदि सेवन करने वाला निर्ग्रन्थ होता
है, अनुज्ञा लिये विना आहार-पानी आदि का उपभोग करने
वाला नहीं ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ गुरु आदि की
अनुज्ञा प्राप्त किये विना पान-भोजनादि का उपभोग करता है,
वह अदत्तादान का सेवन करता है । इसलिए जो साधक गुरु
आदि की अनुज्ञा प्राप्त करके आहार-पानी आदि का उपभोग
करता है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है । अनुज्ञा ग्रहण किये विना
आहार-पानी आदि का सेवन करने वाला नहीं । यह दूसरी
भावना है ।

३. अहावरा तच्चा भावणा—निगंथे णं उग्गहंसि, उग्गहि-
यंसि एत्ताव ताव उग्गहणसीलए सिया ।

केवली बूया—निगंथे णं उग्गहंसि उग्गहियंसि एत्ताव ताव
अणोग्गहणसीलो अदिण्णं ओगिण्हेज्जा, निगंथे णं उग्गहंसि
उग्गहियंसि एत्ताव-ताव उग्गहणसीलए सिय त्ति तच्चा
भावणा ।

४. अहावरा चउत्था भावणा—निगंथे ण उग्गहंसि उग्गहि-
यंसि अभिक्खणं अभिक्खणं उग्गहणसीलए सिया ।

केवली बूया—निगंथे णं उग्गहंसि उग्गहियंसि अभिक्खणं
अभिक्खणं अणोग्गहणसीले अदिण्णं गिण्हेज्जा, निगंथे णं
उग्गहंसि उग्गहियंसि अभिक्खणं अभिक्खणं उग्गहणसीलए
सिय त्ति चउत्था भावणा ।

५. अहावरा पंचमा भावणा—अणुवीयि मित्तोग्गहजाई से
निगंथे साहम्मिएसु णो अणुवीयि मित्तोग्गहजाई ।

केवली बूया—अणुवीयि मित्तोग्गहजाई से निगंथे साहम्मि-
एसु अदिण्णं ओगिण्हेज्जा । से अणुवीयि मित्तोग्गहजाई से
निगंथे साहम्मिएसु णो अणुवीयि मित्तोग्गहजाई त्ति पंचमा
भावणा ।^१

एत्ताव ताव (तच्चे) महव्वयं सम्मं काएणं फासिते पालिते
तीरिए क्कित्ते अवट्ठिते आणाए आराहिते यावि भवति ।

तच्चं भंते ! महव्वयं अदिण्णादाणाओ वेरमणं ।

—आ. सु. २, अ. १५, सु. ७८३-७८५

(३) अब तृतीय भावना का स्वरूप इस प्रकार है—निर्ग्रन्थ
साधु को क्षेत्र और काल के (इतना-इतना इस प्रकार से) प्रमाण-
पूर्वक अवग्रह की याचना करनी चाहिए ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ इतने क्षेत्र और
इतने काल की मर्यादापूर्वक अवग्रह की अनुज्ञा (याचना) ग्रहण
नहीं करता वह अदत्त का ग्रहण करता है । अतः निर्ग्रन्थ साधु
क्षेत्र काल की मर्यादा खोलकर अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण करने
वाला होता है, अन्यथा नहीं । यह तृतीय भावना है ।

(४) इसके अनन्तर चौथी भावना यह है—निर्ग्रन्थ अवग्रह
की अनुज्ञा ग्रहण करने के पश्चात् वार-वार अवग्रह अनुज्ञा—
ग्रहणशील होना चाहिए ।

क्योंकि केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ अवग्रह की
अनुज्ञा ग्रहण कर लेने पर वार-वार अवग्रह की अनुज्ञा नहीं लेता,
वह अदत्तादान दोष का भागी होता है । अतः निर्ग्रन्थ को एक
वार अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण कर लेने पर भी पुनः-पुनः अवग्रहा-
नुज्ञा ग्रहणशील होना चाहिए । यह चौथी भावना है ।

(५) इसके पश्चात् पाँचवीं भावना इस प्रकार है—जो
साधक साधमिकों से भी विचार करके मर्यादित अवग्रह की
याचना करता है, वह निर्ग्रन्थ है, विना विचारे परिमित अवग्रह
की याचना करने वाला नहीं ।

केवली भगवान् ने कहा है—विना विचार किये जो साध-
मिकों से परिमित अवग्रह की याचना करता है, उसे साधमिकों
का अदत्त ग्रहण करने का दोष लगता है । अतः जो साधक
साधमिकों से भी विचारपूर्वक मर्यादित अवग्रह की याचना करता
है । वही निर्ग्रन्थ कहलाता है । विना विचारे साधमिकों से मर्या-
दित अवग्रह याचक नहीं । इस प्रकार की पंचम भावना है ।

इस प्रकार पंच भावनाओं से विशिष्ट एवं स्वीकृत अदत्ता-
दान विरमण तृतीय महाव्रत का सम्यक् प्रकार से काया से स्पर्श
करने, उसका पालन करने, गृहीत महाव्रत को भलीभाँति पार
लगाने, उसका कीर्तन करने तथा उसमें अन्त तक अवस्थित रहने
पर भगवदाज्ञा के अनुरूप सम्यक् आराधन हो जाता है ।

भगवन् ! यह अदत्तादान—विरमणरूप तृतीय महाव्रत है ।

१. (क). समवायांग सूत्र में तृतीय महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१. अवग्रहानुज्ञापना,

२. अवग्रह सीमापरिज्ञान,

३. स्वयं ही अवग्रह अनग्रहणता,

४. साधमिक अवग्रह अनुज्ञापनता ।

५. साधारण भक्तपान अनुज्ञाप्य-परिभुंजनता ।

—संम. २५, सु. १६५

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

दत्तमणुणाय संवरस्तु स्वरूपं—

४३८. आयाणं नरयं दिस्सं नायएज्ज तणामवि ।

“दोगुंछी अप्पणो पाए” दिस्सं भुंजेज्ज भोयणं ॥

—उत्त. अ. ६, गा. ७

जंबू ! दत्तमणुणायसंवरों नाम होइ ततियं सुव्वता ।

महद्वयं गुणद्वयं परद्रव्य-हरण-पडिचिरइ-करणजुत्तं । अपरि-
मितमणंतं - तट्हाणुगयमहिच्छ - मण - वयण-कलुस-आयाण-
मुनिग्गहिंयं, सुसंजमिय-मण-हत्थ-पायनिभियं निग्गंयं णेट्ठिकं,
निरत्तं, निरासवं, निदमयं-विमुत्तं, उत्तमनर-वसभ-पवर-
बलवग-सुविहितजणसंमतं परमसाहुधम्मचरणं ।

—प. गु. २, अ. ३, गु. १

अदिन्नादानविरमणमह्वयाराहुगस्स अकरणिज्ज किच्चाइं—

४३९. जय य गाभागार नगर-निगम-रोट-कव्वड-मटव-वोणमुह-
सवाह-पट्टणासपगयं च किच्चि द्दयं मणि-मुत्त-सिलप्पवाल-
कंठ-मूल-रययधर-कणग-रयणमादि पडियं पम्हट्टं विप्पणट्टं न
कप्पति कस्सइ कहेंचं वा, गेण्हेंचं वा ।

अहिरन्न-मुद्यन्निक्केणं, समलेट्ठुफं चणे णं अपरिग्गहसंवुडे णं
लोगम्मि विरहियच्चं ।

जं पि य होज्जाइ दद्वजातं गलगतं खेतगतं रत्तमंतरगतं वा
किच्चि पुफ-फल-तयप्पवाल-कंठ मूल-तण-कट्ट-सयकरादि

(अपि टिप्पणं पिच्छे पृष्ठ का)

(य) प्रश्नव्याकरण में पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१. विविक्तवागवसति,

३. शय्या समिति,

५. विनय प्रयोग ।

पाठ देखिए—परिमिष्ट में ।

दत्त अनुज्ञात संवर का स्वरूप—

४३८. “परिग्रह नरक है”—यह देखकर एक तिनके को भी अपना बनाकर न रखे (अथवा “अदत्त का आदान नरक है”— यह देखकर विना दिया हुआ एक तिनका भी न ले) असंयम से जुगुप्सा करने वाला मुनि अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन करे ।

मुन्दर व्रत वाले हे जम्बू ! तीसरा संवरद्वार दत्तानुज्ञात नामक है ।

यह महाव्रत है और गुणव्रत भी है । इस लोक और परलोक के गुधार का निमित्तभूत है । परद्रव्य के हरण करने में विरक्ति-युक्त, अपरिमित तथा अनन्ततृष्णारूप और अनुगत (वस्तुओं की अपेक्षा) महेच्छा रूप जो मन-वचन के द्वारा होने वाला पाप रूची ग्रहण (आदान) के भली प्रकार निग्रह-युक्त, अच्छी तरह से संयमित मन-हाथ-पैर आदि के संवरण-युक्त, (वाह्य तथा आभ्यन्तर) ग्रन्थि को तोड़ने वाला, निष्ठायुक्त (उत्कृष्ट), निरुक्त (तीर्थकरों द्वारा पूर्णता से कहा गया), आलस-रहित, निर्भय, विमुक्त (लोभ के दोष से रहित) उत्तम, नरवृषभ द्वारा प्रधान बलवान् मनुष्यों और सुविहित (साधु) जनों से मान्य किया हुआ और परम साधुओं का धर्मानुष्ठान रूप यह (तीसरा) व्रत है ।

अदत्तादान विरमण महाव्रत आराधक के अकरणीय कृत्य—

४३९. गांव - आगर - निगम-खेड-कव्वड-मण्डप-द्रोणमुख-सम्बाह-पट्टण-आश्रम आदि का कोई भी द्रव्य जैसे—मणि-मुक्ता (मोती), शिला-प्रवाल-कांसी (धातु), वस्त्र-सोना-चांदी-रत्न आदि कुछ भी क्यों न पड़ा हो, या किसी का खो गया हो, और वह पड़ा पा गया हो (और उसके मालिक को मिलता न हो) फिर उसके विषय में किसी से कहना या स्वयं उठा लेना, साधु को नहीं कल्पता है ।

हिरण्य-सुवर्ण से रहित-धन और पत्थर तथा कंचन को समान जानने वाला (ऐसी उपेक्षावृत्ति से) केवल अपरिग्रह और संवृत (इन्द्रियों के संवरयुक्त) भाव से, साधु को लोक में घूमना चाहिये ।

कुछ भी द्रव्यादि पदार्थ खलिहान में हो या खेत में हो, जंगल में हो, जैसे फूल-फल बकल-मंजरी (प्रवाल) कन्द-मूल-

—प. सु. २, अ. ३, सु. १०-१५

अप्यं च बहुं च अणुं च थूलगं वा न कल्पति उगहंमि
अदिणंमि गिण्हिउं ।

जे हणि हणि उगहं अणुञ्जविय गेण्हियम्भं ।

वज्जेयम्भो सव्वकालं अचियत्त-घरपवेसो, अचियत्त-भत्तपाणं,
अचियत्त-पाढ - फलग-सेज्जा-संथारग-वत्थ-पत्त-कंबल-दंडग-
रयहरणनिसेज्ज-बोलपट्टग-मुहपोत्तियं-पायपुंछणाइ-भायण-
भंडोवहिउवकरणं ।

परपरिवाभो परस्सदोसो, परववएसेणं जं च गेण्हइ, परस्स
नासेइ जं च सुकयं दाणस्स य अंतराइयं, दाणविप्पणासो,
पेसुम्भं चोव मच्छरित्तं च ।

जे वि य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारग-वत्थ-पाय-कंबल-मुह-
पोत्तिय-पायपुंछणाइ-भायण-भंडोवहि-उवकरणं असंविभागी,
असंगहइ ।

तवतेणे य, वयतेणे य, रुवतेणे य, भायारे चोव भावतेणे य ।

सहकरे झंझकरे कलहकरे वेरकरे विकहकरे असमाहिकरे,
सया अप्पमाणभोई, सततं अणुबद्धवेरे य, निच्चरोसी, से
तारिसए नाराहए वयमिणं ।

—प. सु. २, अ. ३, सु. २-७

दत्तमणुण्णाय संवरस्स आराहगा—

४४०. प०—अह केरिसए पुणाइं आराहए वयमिणं ?

उ०—जे से उवहि-भत्त-पाण-संगहण-दाण-कुसले ।

घास-लकड़ी-कंकर आदि वस्तुएँ मूल्यवान् या विशेष मूल्य की हों,
थोड़ी हों या बहुत हों, फिर भी साधु उन वस्तुओं को उसके
मालिक की आज्ञा पाये बिना न ले ।

प्रतिदिन अवग्रह पाकर (मालिक की आज्ञा लेकर) उन-उन
कल्प्य वस्तुओं को ही साधु को लेना उचित है ।

साधु से अप्रीति करने वाले के घर में प्रवेश या ऐसे किसी
अप्रीति वाले के घर का भोजन पानादि साधु को लेना अनुचित
है एवं अप्रतीतिकारी के यहाँ से पाट, पट्टे, शय्या, संस्तारक,
कपड़े, वर्तन, कम्बल, डन्डा रजोहरण, तख्त, चोलपट्टक, मुख
पर बाँधने की मुख-बस्त्रिका, पादप्रोछन, भोजन, वस्त्रादि उप-
करण भी न लें ।

दूसरे के अपवाद (औरों के दोषों को) देखकर या किसी
दूसरे के नाम से किसी प्रकार की वस्तु न लें, इस रीति के दोष
साधु के लिए त्याज्य हैं । इस भाँति दूसरों के द्वारा किया गया
उपकार का नाश करना, इस ढंग के कार्य, दान में विघ्न बढ़े
करने वाले कार्य, दान का विनाश, दूसरों की खोटी-खरी चुगली-
चाड़ी, तथा मात्सर्य ये सब दोष त्याग करने योग्य हैं ।

जो साधु तख्त, चौकी, शय्या, संस्तारक, वस्त्र, पात्र, कंबल,
रजोहरण, छोटी चौकी, चोलपट्टक, मुँह पर बाँधने की मुँहपत्ती,
पैर पोंछने का कपड़ा आदि तथा भोजन, भण्ड इत्यादि उपकरण
संविभाग न कर दे, ऐसे उपकरण दोषमुक्त-सूझते मिले तो भी
उन्हें लेने की रुचि न करे ।

जो तप का चोर हो, वाचा का चोर हो, रूप का चोर हो,
आचार धर्म का चोर हो, भाव का चोर हो ।

(रात्रि में) प्रगाढ़-ऊँचे स्वर में बोलता हो, गच्छ में फूट
डालता हो, कलह करता हो, वैर बढ़ाता हो, विकथा-बकवास
करता हो, चित्त में असमाधि उत्पन्न करता हो, सदा प्रमाण रहित
भोजन करता हो, निरन्तर वैर विरोध को टिकाए रखता हो,
नित्य नया रोष या अप्रसन्नता रखता हो, ऐसी प्रकृति का साधु
तीसरे व्रत का आराधन नहीं कर सकता है ।

दत्त अनुज्ञात संवर के आराधक—

४४०. प्र०—(यदि पूर्वोक्त प्रकार के मनुष्य इस व्रत की आरा
धना नहीं कर सकते) तो फिर किस प्रकार के मनुष्य इस व्रत के
आराधक हो सकते हैं ?

उ०—इस अस्तेय व्रत का आराधक वही पुरुष हो सकता है
जो—वस्त्र, पात्र आदि धर्मोपकरण, आहार-पानी आदि का
संग्रहण और संविभाग करने में कुशल हो ।

अच्छंत-बाल-बुद्धल-गिलाण-बुद्ध-खवग-पवसय-आय-
रिय-उवज्जाए, सेहे साहम्मिए, तवस्सी, कुल-गण-संघ-
चेइयट्टे ।

निज्जरट्ठी वेयावच्चं अणित्थियं वह्विहं वसविहं
करेइ ।

१. न य अचियत्तस्स गिहं पविसइ ।

२. न य अचियत्तस्स गेण्हइ भत्त पाणं ।

३. न य अचियत्तस्स सेवइ पीठ फलग-सेज्जा संधारग-
वत्थ-पाय-कंबल-हंडग-रयहरण-निसेज्ज-चोलपट्टय-
मुहपोत्तिय-पायपुंछणाइ-भायण-भंडोवहि-उवगरणं ।

४. न य परिवार्यं परस्स जंपति ।

५. न यावि दोसे वरस्स गेण्हति ।

६. परववएसेण वि न णिचि गेण्हति ।

७. न य यियरिणामेति किंचि जणं ।

८. न यावि णासेइ दिअ-सुकयं ।

९. वारुण य न होइ पच्छात्तावि ।

१०. संविभागसीले ।

११. संगहोवगहकुसले, से तारिसए आराहेइ वयमिणं ।

—पण्ह. सु. २, अ. ३, सु.

दत्तमणुणाय संवरस्स फलं—

४४१. इमं च १२वव्यहरण-वेरमण-परिरक्खणट्टयाए पावणं भग-
वया सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभावियं आगमेसिभइं सुद्धं
नेयाय अकुटिलं अणुत्तरं सव्वदुक्खपावाण-विओवसमणं ।

—पण्ह. सु. २, अ. ३, सु. ९

जो अत्यन्त बाल, दुर्बल, रुग्ण, वृद्ध और मासक्षपक आदि
तपस्वी साधु की, प्रवर्तक, आचार्य, उपाध्याय की, नवदीक्षित
साधु की तथा साधमिक—लिंग एवं प्रवचन से समानधर्मा साधु
की, तपस्वी कुल, गण, संघ के चित्त की प्रसन्नता के लिए सेवा
करने वाला हो,

जो निजंरा का अभिलापी हो—कर्म क्षय करने का इच्छुक
हो, जो अनिश्चित हो अर्थात् यशकीर्ति आदि की कामना न करते
हुए दूसरे पर निर्भर न रहता हो, वही दस प्रकार का वैयावृत्य,
(अन्नपान आदि अनेक प्रकार से) करता है ।

(१) वह अप्रीतिकारक गृहस्थ के कुल में प्रवेश नहीं करता ।

(२) अप्रीतिकारक के घर का आहार-पानी ग्रहण नहीं
करता है ।

(३) अप्रीतिकारक के पीठ, पलक, शय्या, संस्तारक, वस्त्र,
पाद, कम्बल, दण्ड रजोहरण, आसन, चोलपट्ट, मुखवस्त्रिका
एवं पादभ्रोंछन भाजन-भंड उपकरण आदि उपधि भी नहीं लेता है ।

(४) वह दूसरों की निन्दा (परपरिवाद) नहीं करता ।

(५) दूसरे के दोषों को ग्रहण नहीं करता है ।

(६) जो दूसरों के नाम से (अपने लिए) कृष्ण भी ग्रहण
नहीं करता ।

(७) किसी को दानादि धर्म से विमुख नहीं करता ।

(८) दूसरे के दान आदि का सुकृत अथवा धर्माचरण का
अपलाप नहीं करता है ।

(९) जो दानादि देकर और वैयावृत्य आदि करके पश्चात्ताप
नहीं करता है ।

(१०) आचार्य, उपाध्याय आदि के लिए संविभाग करने
वाला ।

(११) संग्रह एवं उपकार करने में कुशल साधक ही अस्तेय-
व्रत का आराधक होता है ।

दत्त अनुज्ञात संवर का फल—

४४१. परकीय द्रव्य के हरण से विरमण (निवृत्ति) रूप इस
अस्तेयव्रत की परिरक्षा के लिए भगवान् तीर्थंकर देव ने यह
प्रवचन समीचीन रूप से कहा है । यह प्रवचन आत्मा के लिए
हितकारी है, आगामी भव में शुभ फल प्रदान करने वाला है
और भविष्यत् में कल्याणकारी है । यह प्रवचन शुद्ध है, न्याय-
युक्ति-तर्क से संगत है, अकुटिल-मुक्ति का सरल मार्ग है, सर्वोत्तम
है तथा समस्त दुःखों और पापों को निशेष रूप से शान्त कर
देने वाला है ।

अण्ण समणोवगरणस्स ओग्गह विहि—

४४२. जेहिं वि सद्धिं संपव्वइए तेसिऽपि याइं छत्तयं वा डंडगं वा मत्तयं वा-जाव-चम्मछेदणं वा तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अण्णुण्णविय पडिलेहिय पमज्जिय तओ संजयामेव ओगिण्णहेज्ज वा पगिण्णहेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६०७

रज्ज परियट्टिए ओग्गह विहि—

४४३. से रज्जपरियट्टेसु संयडेसु अब्बोग्गडेसु अब्बोच्छिन्नेसु अपर परिग्गहिएसु सच्चे व ओग्गहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिट्ठइ अहा-लंढमवि ओग्गहे ।

से रज्जपरियट्टेसु असंथडेसु वोगडेसु वोच्छिन्नेसु परपरिग्ग-हिएसु भिक्खुभावस्स अट्टाए दोच्चंपि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे सिया ।

—वव. उ. ७, सु. २६-२७

अप्पअट्टिण्णदाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

४४४. जे भिक्खू लहुसां अदत्तं आइयइ आइयन्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २०

सेह-अवहरण-विप्परिणामण पायच्छित्त सुत्तं—

४४५. जे भिक्खू सेहं अवहरइ अवहरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सेहं विप्परिणामेइ विप्परिणामंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १०, सु. ९-१०

आयरियस्स अवहरण-विप्परिणामण-पायच्छित्त सुत्तं—

४४६. जे भिक्खू विसं अवहरइ अवहरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विसं विप्परिणामेइ विप्परिणामंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १०, सु. ११-१२

अन्य साधु के उपकरण-उपयोग हेतु अवग्रह ग्रहण विधान—

४४२. जिन साधुओं के साथ या जिनके पास वह प्रव्रजित हुआ है, या विचरण कर रहा है, या रह रहा है, उनके भी छत्र, दण्ड, मात्रक (भाजन) —यावत्—चर्मच्छेदनक आदि उपकरणों को पहले उनसे अवग्रह—अनुज्ञा लिए बिना तथा प्रतिलेखन प्रमार्जन किये बिना एक या अनेक बार ग्रहण न करे। अपितु उनसे पहले अवग्रह-अनुज्ञा (ग्रहण करने की आज्ञा) लेकर, तत्पश्चात् उसका प्रतिलेखन-प्रमार्जन करके फिर मंथमपूर्वक उस वस्तु को एक या अनेक बार ग्रहण करे।

राज्य परिवर्तन में अवग्रह अनुज्ञापन—

४४३. राजा की मृत्यु के बाद जब तक नये राजा का अभिषेक हो राज्य अविभक्त एवं शत्रुओं द्वारा अनाक्रान्त रहे। राजवंश अविच्छिन्न रहे और राज्य व्यवस्था पूर्ववत् रहे तब तक साधु साध्वियों के लिए पूर्वगृहीत आज्ञा ही अवस्थित रहती है।

राजा की मृत्यु के बाद राज्य विभक्त हो जाय या शत्रुओं द्वारा आक्रान्त हो जाये। राजवंश विच्छिन्न हो जाये या राज्य व्यवस्था पूर्ववत् न रहे तो साधु-साध्वियों को भिक्षु-भाव की रक्षा के लिए दूसरी बार आज्ञा लेनी चाहिए।

अल्प अदत्तादान का प्रायश्चित्त सूत्र—

४४४. जो भिक्षु अल्प अदत्तादान लेता है, लिखाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारिक स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

शिष्य के अपहरण का या उसके भाव परिवर्तन का प्रायश्चित्त सूत्र—

४४५. जो भिक्षु शिष्य का अपहरण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु शिष्य के पूर्व गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारिक स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

आचार्य के अपहरण या परिवर्तनकरण का प्रायश्चित्त सूत्र—

४४६. जो भिक्षु आचार्य का अपहरण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु आचार्य का परिवर्तन करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारिक स्थान (प्रायश्चित्त) आता है।



तृतीय महाव्रत परिशिष्ट

अदिग्णादाण महद्वयस्स पंच भावणाओ—

४४७. १. उग्गहमणुणवणया,
२. उग्गहसीमजाणया,
३. समयमेव उग्गहं अणुगिण्हणया,
४. साहम्मिय उग्गहं अणुणविय परिभुंजणया,
५. साहारणभत्तपाणं अणुणविय परिभुंजणया ।

—सम. २५, सु. १

तस्स इमा पंच भावणाओ होंति परदद्व-हरणवेरमणपरि-
रक्खणट्टयाए ।

पढमं—देवकुल-सभप्पवा-आवसह-रुक्खमूल-आराम-कंदरागर-
गिरिगुहा-कम्म-उज्जाण-जाणसाला-कुवियसाला-मंडव-सुन्नघर-
सुसाण लेण-आवणे, अन्नंमि य एवमादियंमि दग-मट्टिय-बीज-
हरित-तस-पाण-असंसत्ते अहाकडे फामुए विवित्ते पसत्ये
उवस्सए होइ विहरियद्वं ।

आहाकम्मवट्टले य जे से आसित्त-समंज्जिओवलित्त-सोहिय-
छायण-दूमण-लिपण-अणुलिपण-जलण-भंडाचालणं, अंतो वहि
च असंजमो जत्य वट्टई, संजयाण अट्टा वज्जेयव्वो हु उवस्सओ
से तारिसए सुत्त पडिकट्टे ।

एवं विवित्तवास-वसहि-समित्तिजोगेण भाविओ भवई अंतरप्पा ।
निच्चं अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरओ दत्तमणु-
आय-ओग्गहचई ।

वितीयं—आरामुज्जाण-काणण-वणप्पदेसभागे जं किच्चि इक्कडं
च, कठिणगं च जंतुगं च पर-भेर-कुच्च-कुस-डब्भ-पलाल-
सूयग-वल्लज-पुष्प, फल-तयप्पवाल-कंद-मल-तण-कट्ट-सवक-
रादी गेणहइ, सेज्जोवहिस्स अट्टा न कप्पए ओग्गहे अदिन्नंमि
गिण्हेउं ।

जे हणि हणि उग्गहं अणुणविय गेण्हियद्वं ।

(तृतीय अदत्तादान महाव्रत की पाँच भावना—

४४७. (१) अवग्रह-अनुज्ञापनता ।
- (२) अवग्रहसीम-ज्ञापनता ।
- (३) स्वयमेव अवग्रह-अनुग्रहणता ।
- (४) साधमिक-अवग्रह-अनुज्ञापनता ।
- (५) साधारण-भक्तपान अनुज्ञाप्य परिभुंजनता ।

परद्रव्यहरण-विरमण (अदत्तादान त्याग) व्रत की पूरी तरह
रक्षा करने के लिए ये पाँच भावनाएँ हैं—

प्रथम—देवकुल, सभा-महाजनस्थान, प्रपा, परिव्राजक
निवास, वृक्षमूल, उद्यान, कन्दरा, खान, गुफा, चूना बनाने का
स्थान, यानशाला, गृह सामग्री भरने का स्थान, मण्डप, शून्यगृह,
शमशान, लयन—शैल गृह, विक्रयशाला आदि अन्य ऐसे ही स्थान
जो सचित्त पानी, मिट्टी, बीज, हरितकाय त्रस प्राणियों से
रहित हो और गृहस्थ ने अपने उपयोग के लिए बनवाया हो ।
प्रासुक हो तथा स्त्री-पुरुष-पण्डक से रहित और प्रशस्त हो ऐसे
उपाश्रय में साधु को रहना चाहिए ।

जो स्थान आधाकर्मवहुल हो अर्थात् जहाँ साधु के निमित्त
पानी का छिड़काव किया हो, झाड़ू से साफ किया हो, पानी से
खूब सींचा हो, चन्दन माला आदि से सुशोभित किया हो, चटाई
आदि विछाई हो, कलई से ध्वेत किया गया हो, गोबर आदि से
लीपा हो, बार-बार लीपा हो, गरम करने के लिए या प्रकाश के
लिए आग जलाई हो, वर्तन इधर-उधर किये हों इस प्रकार
साधुओं के लिए जिस उपाश्रय के अन्दर या बाहर जीवों की
अधिक हिंसा की गई हो ऐसा आगम निषिद्ध उपाश्रय साधु के
लिए वर्जनीय है ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा विवित्तवाससमिति से
भावित होता है वह दुर्गति में ले जाने वाले पापकर्मों के करने
और करवाने के दोष से नित्य विरत होता हुआ दत्त अनुज्ञात
अवग्रह की रूचि वाला बनता है ।

द्वितीय—आराम, उद्यान, कानन और वन प्रदेश में जो
कोई इक्कडग, कठिनग, जंतुग, परा, मूज, कुश, द्वव, पलाल,
सूयग, वल्लज, पुष्प, फल, छाल, अंकुर, मूल, तृण, काष्ठ, कांकरी
आदि संस्तरक के लिए आवश्यक हो वे आज्ञा-माँग कर लेने
कल्पते हैं, विना आज्ञा-अदत्त लेना नहीं कल्पता ।

प्रतिदिन आज्ञा लेकर लेना कल्पता है ।

एवं उग्राहसमित्तिजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा ।
निच्चं अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्तमणुस्साय-
ओग्गहइ ।

ततीयं—१. पीढ-फलक-सेज्जा-संथारगट्टयाए रुक्खा न छिदि-
यव्वा ।

२. न छेदणेण भेदणेण सेज्जा कारेयव्वा ।

३. जस्सेव उवस्सए वसेज्ज, सेज्जं तत्थेव गवेसेज्जा ।

४. न य विसमं समं करेज्जा ।

५. न निवाय-पवाय उस्सुगुत्तं ।

६. न डंस-मसगेसु खुभियव्वं ।

७. अग्गी धूमो य न कायव्वो ।

एवं संजम-बहुले, संवर-बहुले, संवुड-बहुले, समाहि-बहुले; धीरे
काएण फासर्यतो, सयरं अज्जप्पज्जाणजुत्ते समिए एगे चरेज्ज
धम्मं ।

एवं सेज्जासमित्तिजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा ।

निच्चं अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्तमणुस्साय-
ओग्गहइ ।

चउत्थं—साहारण-पिडपातलाभे भोत्तव्वं संजएण समियं ।

न साय-सुपाहिकं, न खद्ध, न वेगियं, न तुरियं, न चवलं, न
साहसं, न य परस्स पीलाकरं सावज्जं ।

तह भोत्तव्वं जह से ततियवयं न सीदति ।

साहारण-पिडपायलाभे सुहुमं अदिस्सादाणवय-नियम-वेरमणं ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा अवग्रह समिति से भावित
होता है वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने और
करवाने के दोष से नित्य विरत होता हुआ दत्त अनुज्ञात अवग्रह
की रुचि वाला बनता है ।

तृतीय—(१) पीड़ा, फलक, शय्या या संस्तारक के लिए वृक्ष
नहीं काटना चाहिए ।

(२) छेदन-भेदन क्रिया कर शय्या नहीं बनवानी चाहिए ।

(३) जिसके उपाश्रय में निवास किया हो वहीं शय्या की
गवेषणा करनी चाहिए ।

(४) ऊँची-नीची जमीन को सम नहीं करना चाहिए ।

(५) हवा का अभाव हो या अधिक हवा आती हो तो कुछ
भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए ।

(६) डंस या मच्छरों का उपद्रव हो तो भी क्षोभ नहीं
होना चाहिए ।

(७) अग्नि या धुआँ नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार जो पृथ्वीकाय आदि जीवों के रक्षण में तत्पर,
आश्रय रोकने में तत्पर, कषाय और इन्द्रियों के निग्रह में तत्पर,
चित्त-समाधि में तत्पर, धैर्यवान्, काया से सर्वदा (न केवल
मनोरथ से) चारित्र्य का पालन करता हुआ अध्यात्मध्यान से
युक्त होता है, वह रागादि से रहित होकर धर्म का आचरण
करता है ।

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा शय्यासमिति के योग से
भावित होता है वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने
के दोष से विरत होता हुआ दत्त अनुज्ञात अवग्रह की रुचि वाला
बनता है ।

चतुर्थ—समान साधर्मिकों को प्राप्त आहार आदि भी आज्ञा
प्राप्त करके उपयोग में लेने चाहिए ।

साधर्मिकों के आहार में से शाक, दाल आदि अधिक नहीं
लेने चाहिए, भोजन का भी अधिक भाग नहीं लेना चाहिए,
(अन्यथा साधुओं को अप्रीति होती है) ग्रास वेग से नहीं निगलने
चाहिए, ग्रास मुँह में जल्दी-जल्दी नहीं रखने चाहिए, आहार
करते समय कायिक चपलता नहीं रखनी चाहिए, सहसा (हित-
मित्त-पथ्य का विवेक किये बिना) आहार नहीं करना चाहिए,
“दूसरों को पीड़ा हो” इस प्रकार आहार नहीं करना चाहिए,
सावद्य (सदोष) आहार नहीं करना चाहिए ।

आहार इस प्रकार लेना चाहिए जिससे तृतीय व्रत खण्डित
न हो ।

समान स्वधर्मिकों से प्राप्त आहार आदि के (आज्ञा लेकर)
लेने में निश्चित रूप से सूक्ष्म अदत्तादान विरमण व्रत का पालन
होता है ।

एवं साहारण-पिडपायलाभे समिति जोगेण भाविभो भवइ
अंतरप्पा ।

निच्च अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरत्ते दत्तमणुग्गाय
ओग्गहृई ।

पंचमर्ग—१. साहम्मिएसु विणओ पउजियच्चो ।

२. उवगरण-पारणासु विणओ पउजियच्चो ।

३. वायण-वरियट्टणासु विणओ पउजियच्चो ।

४. दाण-गहण-पुच्छणासु विणओ पउजियच्चो ।

५. निक्खमण-पवेसणासु विणओ पउजियच्चो ।

६. गुरुसु साहुसु तवस्सीसु य विणओ पउजियच्चो ।
अत्तेसु य एवमादिसु बहुसु कारणसएसु विणओ पउजियच्चो ।

विणओवि तवो, तवो वि धम्मो, तम्हा विणओ पउजियच्चो ।

एवं विणएण भाविभो भवई अंतरप्पा ।

निच्चं अहिकरणं करण-कारावण-पावकम्म विरए, दत्तमणु-
ग्गाय ओग्गहृई ।

—प. सु. २, अ. ३, सु. १०-१५

उवसंहारो—

४४८. एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुप्पणिहियं,
एवं पंचहि वि कारणोहि मण-वय-काय-परिग्गिखएहि निच्चं
आमरणंतं च एस जोगो जेयच्चो धिइमया मइमया अणासवो
अकलुसो अछिट्ठो अपरिस्तावो असंकिलिट्ठो सुद्धो सच्चजिण-
मणुग्गाओ ।

एवं तद्धयं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं,

तीरियं,
किट्टियं,

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा आचरण पिण्ड पात्र समिति
के योग से भावित होता है ।

वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने व कराने के
दोष से विरत होता हुआ दत्त-अनुज्ञात अवग्रह रुचि वाला
वनता है ।

पंचम—(१) साधर्मों के प्रति विनय का प्रयोग करना
चाहिए ।

(२) रोगी आदि के सेवा के लिए, पारणा तपश्चर्या की
समाप्ति में विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

(३) वाचना—नये ग्रन्थ के अध्ययन में तथा परिवर्तना—
सूत्रार्थक के दुहराने में विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

(४) साधर्मिकों को आहारादि देने में या उनसे आहारादि
ग्रहण करने में अथवा सूत्रार्थ की पृच्छा में विनय का प्रयोग
करना चाहिए ।

(५) उपाश्रय से निकलते समय या उपाश्रय में प्रवेश करते
समय विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

(६) गुरुओं की, साधुओं की, तपस्वियों की विनय करनी
चाहिए इत्यादि ऐसे अनेक प्रसंगों में विनय का प्रयोग करना
चाहिए ।

“विनय तप है, तप धर्म है, इसलिए गुरुओं, साधुओं और
तपस्वियों के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए ।”

इस प्रकार जिसका अन्तरात्मा विनय से भावित होता है
वह दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्मों के करने व कराने के दोषों
से सदा विरत होता हुआ दत्त-अनुज्ञात के अवग्रह की रुचि वाला
वनता है ।

उपसंहार—

४४८. इस प्रकार मन, वचन और काय से पूर्ण रूप से सुरक्षित-
सुसेवित इन पाँच भावनाओं से संवर का यह द्वार—अस्तेय महाव्रत
सम्यक् प्रकार से संवृत-आचरित और सुप्रणिहित स्थापित हो
जाता है । अतएव धैर्यवान् तथा मतिमान् साधक को चाहिये कि
वह आस्रव का निरोध करने वाले, निर्मल (अकलुप) निश्चिच्छद्र-
कर्म-जल के प्रवेश को रोकने वाले, कर्मबन्ध के प्रवाह से रहित,
संक्लेश का अभाव करने वाले एवं समस्त तीर्थंकरों द्वारा अनुज्ञात
इस योग को निरन्तर जीवनपर्यन्त आचरण में उतारे ।

इस प्रकार (पूर्वोक्त रीति से) दत्तानुज्ञात नामक तृतीय संवर-
द्वार यथासमय अंगीकृत, पालित, शोधित-निरतिचार आचरित
या शोभाप्रदायक

तीरित—अन्त तक पार पहुँचाया हुआ

कीर्तित—दूसरों के समक्ष आदरपूर्वक कथित

आराहियं आणाए अणुपालियं भवइ ।

एवं णयमुणिणा भगवया पणवियं परुवियं पसिद्धं सिद्धं
सिद्धवर सासणमिणं आघवियं सुदेसियं पसत्थं ।

—प. सु. २, अ. ३, सु. १६

अन्नउत्थिएहि अदत्तादाणाक्खेवो—थेरेहि तत्परिहारो
य—

४४६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । वण्णओ । गुण-
सिलए चेइए वण्णओ-जाव-पुढविंसलापट्टओ वण्णओ तस्स
णं गुणसिलयस्स चेइयस्स अदूरसामंते बह्वे अन्नउत्थिया
परिवसंति ।

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आदिगरे
-जाव-समोसढे-जाव-परिसा पडिगया ।

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बह्वे
अंतेवासी थेरा भगवंतो जातिसम्पन्ना कुलसम्पन्ना-जाव-जीवि-
यासा-मरणभयविप्पमुक्खा समणस्स भगवओ महावीरस्स
अदूरसामंते उड्ढं जाणू अहोसिरा क्षाणकोट्टोवगया सज्जेणं
तवसा अप्पाणं भावेभाणा-जाव-विहरंति ।

तए णं ते अन्नउत्थिया जेणेव थेरा भगवन्तो तेणेव उवा-
गच्छंति, उवागच्छत्ता ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी—“तुम्हे
णं अज्जो तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अप्पडिहय-अपच-
क्खाय पावकम्मा सकिरिया असंवुडा, एगंतदडा, एगंतवाला
या वि भवह ।

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी —

“केण कारणेणं अज्जो ! तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-
अप्पडिहय-अप्पचक्खाय—पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि
भवामो ?”

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी—

“तुम्हे णं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं
सातिज्जह । तए णं तुम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंज-
माणा, अदिन्नं सातिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-

अनुपालित—निरन्तर सेवित और भगवान् की आज्ञा के
अनुसार आराधित होता है ।

इस प्रकार भगवान् ज्ञातमुनि महावीर स्वामी ने इस सिद्ध-
वरशासन का कथन किया है, विशेष प्रकार से विवेचन किया
है । यह तर्क और प्रमाण से सिद्ध है, सुप्रतिष्ठित किया गया है,
भव्य जीवों के लिये इसका उपदेश किया गया है, यह प्रशस्त-
कल्याणकारी-मंगलमय है ।

अन्यतीर्थिकों द्वारा अदत्तादान का आक्षेप—स्थविरों द्वारा
उसका परिहार—

४४९. उस काल उस समय में राजगृह नगर था । (औपपातिक
सूत्र में वर्णित चम्पानगरवत् जानना) गुणशीलक चैत्य था,
—यावत्—पृथ्वीशिलापट्टक था । (यह वर्णन औपपातिक सूत्र
के पूर्णभद्र चैत्य की भाँति समझना तथा शिलापट्टक तक का
वर्णन जानना) उस गुणशीलक चैत्य के आस-पास (इदं-गिदं) बहुत
से अन्यतीर्थिक रहते थे ।

उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर धर्म के
आदि संस्थापक—यावत्—पधारे : (यह वर्णन औपपातिकवत्
जानना) —यावत्—परिपद् धर्मोपदेश सुनकर वापिस लौट गयी ।

उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के अनेक
शिष्य जातिसम्पन्न कुलसम्पन्न—यावत्—जीवन की आशा रहित
और मरण भय से रहित स्थविर भगवन्त श्रमण भगवान् महावीर
के आस-पास घुटने खड़े रखकर, सिर नीचे झुकाकर, ध्यान कोष्ठ
को प्राप्त होकर संयम-तप से आत्मा को भावित करते हुए
विचरते थे ।

एकदा वे अन्यतीर्थिक जहाँ स्थविर भगवन्त थे, वहाँ आये ।
उनके पास आकर स्थविर भगवन्तो को इस प्रकार कहा—“हे
आर्यों ! तुम त्रिविध-त्रिविध से (तीन करण तीन योग से)
असंयत, अविरत, अप्रतिहत पापकर्म वाले और अप्रत्याख्यान
पाप कर्म वाले हो, क्रिया सहित हो, असंवृत हो, एकान्त हिंसा
कारक, एकान्त अज्ञानी भी हो ।”

ततः स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों से इस प्रकार पूछा—

“हे आर्यों ! किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध से असंयत-
अविरत-अप्रतिहत-पापकर्म और अप्रत्याख्यान पाप कर्म वाले
—यावत्—एकान्त अज्ञानी हैं ?”

तदनन्तर अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार
कहा—

“हे आर्य ! तुम अदत्त (बिना दिये) ग्रहण करते हो, अदत्त
भोजन करते हो, अदत्त का स्वाद लेते हो—इस प्रकार तुम
अदत्त ग्रहण करते हुए, अदत्त भोजन करते हुए, अदत्त की

अविरय-अप्पडिहय-अपच्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवह ।”

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—

“केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गेण्हाओ, अदिन्नं भुंजामो, अदिन्नं सात्तिज्जामो ?”

तए णं अम्हे अदिन्नं गेण्हाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं सात्तिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अप्पडिहय-अपच्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवामो ?

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी—

“तुम्हाणं अज्जो ! दिज्जमाणे अदिन्ने, पडिगहेज्जमाणे अपडिग्गहिए निसिरिज्जमाणे अणिसट्ठं,

तुम्हे णं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्तं एत्थ णं अंतरा केइ अवहरिज्जा, गाहावइस्स ण तं, नो खलु तं तुम्भं, तइ णं तुम्हे अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं सात्तिज्जह, “तए णं तुम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं सात्तिज्जमाणा-जाव-एगंतवाला यावि भवह ।”

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्न उत्थिए एवं वयासी—

“नो खलु अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गिण्हामो, अदिन्नं भुंजामो, अदिन्नं सात्तिज्जामो, अम्हे णं अज्जो ! दिन्नं गेण्हामो, दिन्नं भुंजामो, दिन्नं सात्तिज्जामो ।”

तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणो, दिन्नं भुंजमाणा, दिन्नं सात्तिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मा, अकिरिया, संवुडा, एगंत अवंडा, एगंत-पंडिया यावि भवामो ।

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी—

“केण कारणेणं अज्जो ! तुम्हे दिन्नं गेण्हह, दिन्नं भुंजह, दिन्नं सात्तिज्जह,” तए णं तुम्हे दिन्नं गेण्हमाणा-जाव-एगंत-पंडिया यावि भवह ।

अनुमति देते हुए, त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-अप्रतिहत-पापकर्म वाले और अप्रत्याख्यान पापकर्म वाले—यावत्—एकान्त अज्ञानी हो ।

तत्पश्चात् स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों से इस प्रकार पूछा—

“हे आर्यों ! किस कारण से हम अदत्त ग्रहण करते हैं ? अदत्त भोजन करते हैं ? अदत्त का स्वाद लेते हैं ?

अदत्त का ग्रहण करते हुए अदत्त का भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए, त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-पापकर्म के अनिरोधक, पापकर्म के अप्रत्याख्यान वाले—यावत्—एकान्त अज्ञानी भी हैं ?”

वाद में अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार कहा—

“हे आर्यों ! आपके मत में दिया जाता हुआ पदार्थ “नहीं दिया”, ग्रहण किया जाता हुआ पदार्थ “नहीं ग्रहण किया”, पात्र में डाला जाता हुआ पदार्थ—“नहीं डाला गया” ऐसा कथन है ।

हे आर्यों ! आपको दिया जाता हुआ पदार्थ, जब तक पात्र में नहीं पड़ा तब तक बीच में से ही कोई उसका अपहरण कर ले तो तुम कहते हो—“वह उस गृहपति के पदार्थ का अपहरण हुआ”, “तुम्हारे पदार्थ का अपहरण हुआ” ऐसा तुम नहीं कहते । इस कारण से तुम अदत्त का ग्रहण करते हो, तुम अदत्त का भोजन करते हो, अदत्त की अनुमति देते हो, अतः तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए, अदत्त का भोजन करते हुये, अदत्त की अनुमति देते हुए—यावत्—एकान्त अज्ञानी हो ।”

तदनन्तर स्थविर भगवन्तों ने उन अन्यतीर्थिकों को इस प्रकार कहा—

हे आर्यों ! हम अदत्त ग्रहण नहीं करते, अदत्त भोजन नहीं करते, अदत्त की अनुमोदना नहीं करते, हम दत्त (दिया हुआ) ग्रहण करते हैं, दत्त का भोजन करते हैं, दत्त की अनुमोदना करते हैं ।

अतः हम दत्त को ग्रहण करते हुए, दत्त का भोजन करते हुये, दत्त का अनुमोदन करते हुए, त्रिविध-त्रिविध संयत-विरत, पापकर्मों के निरोधक, पापकर्मों के प्रत्याख्यान किये हुए, त्रिया रहित—संवृत, एकान्त अहिंसक, एकान्त ज्ञानी हैं ।”

तत्पश्चात् उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा—

“हे आर्यों ! किस कारण से तुम दत्त ग्रहण करते हो, दत्त भोजन करते हो, दत्त की अनुमोदना करते हो, दत्त ग्रहण करते हुए—यावत्—एकान्त ज्ञानी हो ?

तए णं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—

“अम्हे णं अज्जो ! दिज्जमाणे दिन्ने, पडिगहेज्जमाणे पडिग्गहिए निसिरिज्जमाणे निसट्ठे । अम्हे णं तं णो खलु तं गाहावइस्स ।

तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हामो, दिन्नं भुंजामो, दिन्नं सात्तिज्जामो, तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा, दिन्नं भुंजमाणा, दिन्नं सात्तिज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय-पडिहय पच्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतपंडिया यावि भवामो ।

तुब्भे णं अज्जो ! अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय-अतिरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवह ।

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—

“केण कारणेणं अज्जो अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय पावकम्मा सकिरिया—असंबुडा एगंत-दंडा एगंतवाला यावि भवामो ?

तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—

“तुब्भे णं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं साइज्जइ, तए णं अज्जो ! तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवह ।”

तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी—

“केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गेण्हामो, अदिन्नं भुंजामो, अदिन्नं साइज्जामो, तए णं अम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं, असंजय-अविरय-अपच्चक्खाय-पावकम्मा-जाव-एगंतवाला यावि भवामो ।”

तए णं थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी—

तदनन्तर स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों को इस प्रकार कहा—

“हमारे मत में हे आर्यों ! दिया जाता हुआ “दिया गया” ग्रहण किया जाता हुआ “ग्रहण किया” पात्र में डाला जाता हुआ “पात्र में डाला गया” ऐसा कथन है । अतः हमें दिया हुआ पदार्थ जब तक पात्र में नहीं पड़ा हो तब तक बीच में से कोई अपहरण करता है तो वह हमारा है, वह गृहस्व का नहीं है ।

अतः हम दिया हुआ ग्रहण करते हैं, दिया हुआ भोजन करते हैं, दिये हुए की अनुमति देते हैं । इस प्रकार हम दत्त का ग्रहण करते हुए, दत्त का भोजन करते हुए, दत्त की अनुमति देते हुए, त्रिविध-त्रिविध से संयत-विरत-पापकर्म के निरोधक, पाप कर्म के प्रत्याख्यान किये हुए क्रिया रहित, संवृत्त, एकान्त अहितक—यावत्—एकान्त पण्डित हैं ।

हे आर्यों ! तुम स्वयं त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक, पापकर्मों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए—यावत्—एकान्त अज्ञानी हो ।

तत्पश्चात् उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा—

“किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध से असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक पापकर्मों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए—यावत्—एकान्त अज्ञानी हैं ?”

तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों से इस प्रकार कहा—

हे आर्यों ! तुम अदत्त ग्रहण करते हो, अदत्त भोजन करते हो, अदत्त की अनुमति देते हो । इस प्रकार हे आर्यों ! तुम अदत्त ग्रहण करते हुए, अदत्त भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध के असंयत, अविरत, पापकर्मों के अनिरोधक, पापकर्मों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए—यावत्—एकान्त अज्ञानी हो ।

तदनन्तर उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा—

हे आर्यों ! किस कारण से हम अदत्त ग्रहण करते हैं, अदत्त भोजन करते हैं, अदत्त की अनुमति देते हैं, इस प्रकार अदत्त ग्रहण करते हुए, अदत्त भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक, पापकर्मों के प्रत्याख्यान नहीं किये हुए—यावत्—एकान्त अज्ञानी होते हैं ?

तत्पश्चात् उन स्थविर भगवन्तों ने अन्यतीर्थिकों से इस प्रकार कहा—

तुम्हे णं अज्जो दिज्जमाणे—अदिन्ने, पडिगहेज्जमाणे अपडि-
गहिए, निसिरिज्जमाणे अनिसट्टे ।

तुम्हे णं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिगहणं असंपत्तं एत्थ णं
अंतरा केइ अवहरिज्जा गाहावइस्स णं तं, नो खलु तं तुम्भं,
तए णं तुम्हे अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुंजह, अदिन्नं सातिज्जह,

तए णं तुम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं
साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-अपडिहय-
अपक्खबुधाय-पावकम्मा-जाव-एगंतबाला यावि भवह ।”

—वि. स. ८, उ. ७, सु. १-१५

हे आर्यो तुम देते हुए को “अदत्ता” ग्रहण करते हुए को
“ग्रहण नहीं किया”, पात्र में डाला जाता पदार्थ “नहीं डाला
गया” (मानते हो) ।

हे आर्य ! दिया जाता हुआ पदार्थ जब-तक पात्र में नहीं
आया और बीच में से ही कोई उसे अपहरण करता है तो वह
गृहस्थ का है, वह तुम्हारा नहीं है, अतः तुम अदत्त ग्रहण करते
हो, अदत्त भोजन करते हो, अदत्त की अनुमति देते हो—

इस प्रकार तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए, अदत्त का
भोजन करते हुए, अदत्त की अनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध से
असंयत-अविरत-पापकर्मों के अनिरोधक, पापकर्मों का प्रत्याख्यान
नहीं किये हुए—यावत्—एकान्त अज्ञानी हो ।”



चतुर्थ महाव्रत

ब्रह्मचर्य स्वरूप (१)

चउत्थ बंभचेर महव्वयस्स आराहण-पइण्णा—

४५०. अहावरे चउत्थे भंते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं ।

सर्वं भन्ते । मेहुणं पच्चक्खामि; से दिव्वं वा माणुसं वा, तिरिक्ख जोणियं वा ।

[से य मेहुणे चउत्थिहे पण्णत्ते, तं जहा—१. दव्वओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

१. दव्वओ रूवेसु वा, रूवसहगतेसु वा दव्वेसु,

२. खेत्तओ उड्ढलोए वा, अहोलोए वा, तिरियलोए वा ।

३. कालओ दिया वा राओ वा,

४. भावओ रागेण वा दोसेण वा ।]

नेव सयं मेहुणं सेवेज्जा, नेवऽन्नेहि मेहुणं सेवावेज्जा, मेहुणं सेवन्ते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए-तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं, न करेमि, न कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।^१

चउत्थे भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओमि सच्चाओ मेहुणाओ वेरमणं ।

—दस. अ. ४, सु. १४

अहावरं चउत्थं भंते ! महव्वयं पच्चक्खामि सर्वं मेहुणं ।

से दिव्वं वा, माणुसं वा, तिरिक्खजोणियं वा, णेव सयं मेहुणं गच्छेज्जा । णेवऽण्णं मेहुणं गच्छाविज्जा, अण्णं पि मेहुणं गच्छंतं ण समणुजाणेज्जा,

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं-जाव-वोसिरामि ।

चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत के आराधन की प्रतिज्ञा—

४५०. भन्ते ! इसके बाद चौथे महाव्रत में मैथुन की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सब प्रकार के मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ । देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अथवा तिर्यन्व सम्बन्धी ।

[वह मैथुन चार प्रकार का है, जैसे—(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से ।

(१) द्रव्य से रूप में या रूप युक्त द्रव्य में,

(२) क्षेत्र से उर्ध्वलोक, या अधोलोक या तिर्यक्लोक में,

(३) काल से दिन में या रात्रि में,

(४) भाव से राग या द्वेष से ।]

मैथुन का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरों से मैथुन सेवन नहीं कराऊँगा और मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करते वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के मैथुन-सेवन से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और मैथुन से अविरत आत्मा की अतीत अवस्था का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भन्ते ! मैं चौथे महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व मैथुन की विरति होती है ।

इसके बाद भगवन् ! मैं चतुर्थ महाव्रत स्वीकार करता हूँ इसके सन्दर्भ में समस्त प्रकार के मैथुन—विषय सेवन का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी और तिर्यन्व योनि सम्बन्धी मैथुन का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा, न दूसरों से एतत् सम्बन्धी मैथुन सेवन कराऊँगा, और न ही मैथुन सेवन करने वालों का अनुमोदन करूँगा ।

यावज्जीवन तक तीन करण तीन योग से यह प्रतिज्ञा करता हूँ—यावत्—अपनी आत्मा से मैथुन सेवन पाप का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

१ विरई अबंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा । उगं महव्वयं बंभं धारेयव्वं सुदुक्करं ॥

मैथुनविरमणव्रतस्य पंच भावणाओ—

४५१. तस्मिन्माओ पंच भावणाओ भवन्ति ।

१. तत्थिमा पढमा भावणा—

णो णिग्गंथे अभिक्खणं अभिक्खणं इत्थीणं कहं कहइत्तए सिय ।

केवली ब्रूया—णिग्गंथे णं अभिक्खणं अभिक्खणं इत्थीणं कहं कहेमाणे संतिभेदा, संतिविभंगा, संति केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

णो णिग्गंथे अभिक्खणं अभिक्खणं इत्थीणं कहं कहइत्तए सिय त्ति पढमा भावणा ।

२. अहावरा दोच्चा भावणा—

णो णिग्गंथे इत्थीणं मणोहराइं मणोरमाइं इंदियाइं आलो-इत्तए णिज्जाइत्तए सिया ।

केवली ब्रूया—णिग्गंथे णं इत्थीणं मणोहराइं मणोरमाइं इंदियाइं आलोएमाणे णिज्जाएमाणे संतिभेदा, संतिविभंगा संति केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा,

णो णिग्गंथे इत्थीणं मणोहराइं मणोरमाइं इंदियाइं आलो-इत्तए णिज्जाइत्तए सिय त्ति दोच्चा भावणा ।

३. अहावरा तच्चा भावणा—

णो णिग्गंथे इत्थीणं पुव्वरयाइं पुव्वकीलियाइं सुमरित्तए सिया ।

केवली ब्रूया—णिग्गंथे णं इत्थीणं पुव्वरयाइं पुव्वकीलियाइं सरमाणे संतिभेदा, संतिविभंगा संति केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

णो णिग्गंथे इत्थीणं पुव्वरयाइं पुव्वकीलियाइं सुमरित्तए सिय त्ति तच्चा भावणा ।

४. अहावरा चउत्था भावणा—

णात्तिमत्तपाण—भोयणभोई से णिग्गंथे, णो पणीयरसभोयण-भोई ।

केवली ब्रूया—अत्तिमत्तपाण—भोयणभोई से णिग्गंथे पणीयरस भोयणभोई त्ति संतिभेदा संतिविभंगा संति केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

मैथुनविरमणव्रत की पाँच भावनाएँ—

४५१. उसकी पाँच भावनाएँ कही गई हैं—

(१) उन पाँच भावनाओं में पहली भावना इस प्रकार है—

निर्ग्रन्थ साधु बार-बार स्त्रियों की काम-जनक कथा (वात-चीत) न कहे ।

केवली भगवान् ने कहा है—बार-बार स्त्रियों की कथा कहने वाला निर्ग्रन्थ शान्ति रूप चारित्र्य का और शान्तिरूप ब्रह्मचर्य का भंग करने वाला होता है, तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

अतः निर्ग्रन्थ को स्त्रियों की कथा बार-बार नहीं कहनी चाहिए । यह प्रथम भावना है ।

(२) इसके पश्चात् दूसरी भावना यह है—

निर्ग्रन्थ साधु काम-राग से स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को सामान्य रूप से या विशेष रूप से न देखे ।

केवली भगवान् ने कहा है—स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों को काम-रागपूर्वक सामान्य या विशेष रूप से अवलोकन करने वाला साधु शान्तिरूप चारित्र्य का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्मचर्य का भंग करता है, तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

अतः निर्ग्रन्थ को स्त्रियों की मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियों का कामरागपूर्वक सामान्य अथवा विशेष रूप से अवलोकन नहीं करना चाहिए । यह दूसरी भावना है ।

(३) इसके अनन्तर तीसरी भावना इस प्रकार है—

निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियों के साथ की हुई पूर्वरति (पूर्वाश्रम में की हुई) एवं पूर्व कामक्रीड़ा का स्मरण न करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—स्त्रियों के साथ की हुई पूर्वरति एवं पूर्व कामक्रीड़ा का स्मरण करने वाला साधु शान्ति-रूप चारित्र्य का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्मचर्य का भंग करने वाला होता है तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

अतः निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियों के साथ हुई पूर्वरति एवं पूर्व काम-क्रीड़ा का स्मरण न करे । यह तीसरी भावना है ।

(४) इसके बाद चौथी भावना इस प्रकार है—

निर्ग्रन्थ अतिमात्रा में आहार-पानी का सेवन न करे, और न ही सरस स्निग्ध-स्वादित् भोजन का उपयोग करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ प्रमाण से अधिक (अतिमात्रा में) आहार-पानी का सेवन करता है, तथा स्निग्ध सरस-स्वादित् भोजन करता है, वह शान्तिरूप चारित्र्य का नाश करने वाला तथा शान्तिरूप ब्रह्मचर्य को भंग करने वाला होता है तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

गातिमत्तपाण-भोयणभोई से निगगंये, णो पणीतरसभोयणभोई
त्ति चउत्त्या भावणा ।

५. अहावरा पंचमा भावणा—

णो निगगंये इत्थी-पसु-पंडगसंसत्ताई सयणासणाई सेवित्तए
त्तिया ।

केवली ब्रूया—निगगंये णं इत्थी-पसु-पंडगसंसत्ताई सयणा-
सणाई सेवेमाणे संतिभेदा संतिविभंगा, संति केवलिपण-
त्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

णो निगगंये इत्थी-पसु-पंडगसंसत्ताई सयणासणाई सेवित्तए
त्तिय त्ति पंचमा भावणा ।^१

एत्ताव ताव महव्वए सम्मं काएण फासिते पालिते सोहिते
तीरिए किट्टिते अत्रडिठिते आणाए आराहिते यावि भवति ।

चउत्थं भंते ! महव्वयं मेहुणाओ वेरमणं ।

—आ. सु. २, अ. १५, सु. ७=६-७८८

ब्रह्मचर महिमा—

४५२. जंबू ! एत्तो य ब्रह्मचरं उत्तम-तव-नियम-णाण-वंसण-चरित्त-
समत्त-विणयमूलं ।

यम-नियम-गुणप्पहाणजुत्तं,
हिमबंत-महंत-तैयमंत-पसत्थ-गंभीर-यिमित्त-मज्झं,

इसलिए निर्ग्रन्थ को अति मात्रा में आहार-धानी का लेना
या सरस स्निग्ध भोजन का उपभोग नहीं करना चाहिए। यह
चौथी भावना है।

इसके अनन्तर पंचम भावना का स्वल्प इस प्रकार है—

निर्ग्रन्थ स्त्री, पशु और नपुंसक से संसक्त शय्या (बस्ति)
और आसन आदि का सेवन न करे।

केवली भगवान् कहते हैं—जो निर्ग्रन्थ स्त्री, पशु और नपुं-
सक से संसक्त शय्या और आसन आदि का सेवन करता है, वह
शान्तिरूप चरित्र को नष्ट कर देता है, शान्तिरूप ब्रह्मचर्य को
भंग कर देता है और शान्तिरूप केवलीप्ररूपित धर्म से द्रष्ट हो
जाता है।

इसलिए निर्ग्रन्थ को स्त्री-पशु-नपुंसक संसक्त शय्या और
आसन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह पंचम
भावना है।

इस प्रकार इन पांच भावनाओं से विशिष्ट एवं स्वीकृत
मैथुनविरमण रूप चतुर्य महाव्रत का सम्यक् प्रकार से कर्म से
स्पर्श करने पर, उसका पालन करने पर, उसका रोदन करने पर,
प्रारम्भ से पालन करते हुए पूर्ण करने पर, पूर्ण दिनों का
पालन करने पर, कीर्तन करने पर तथा अन्त तक उन्नत बच-
स्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुल्प सम्यक् आचरण हो
जाता है।

भगवन् ! यह मैथुन-विरमणरूप चतुर्य महाव्रत है।

ब्रह्मचर्य महिमा—

४५२. हे जम्बू ! अदत्तादानविरमण के अनन्तर ब्रह्मचर्य व्रत है।
यह ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सम्यक्त्व
तथा विनय का मूल है।

यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है।

हिमवान् पर्वत से भी महान और तेजस्वी, जिसके पालन
करने से साधकों का अन्तःकरण प्रशस्त, गम्भीर और स्थिर हो
जाता है।

१ (क) समवायांग सूत्र में चतुर्य महाव्रत की पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं—१. स्त्री-पशु और नपुंसक से संसक्त शयन, आसन का
वर्जन, २. स्त्रीकथा विरजनता, ३. स्त्रियों की इन्द्रियों के अवलोकन का वर्जन, ४. पूर्वभुक्त और पूर्वक्रीडित का अस्तरण;
५. प्रणीत आहार का विवर्जन ।

—सं. २५, सु. १

(ख) प्रश्नव्याकरण में पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं—१. असंसक्त वासवसति, २. स्त्रीजन कथा-वर्जन, ३. स्त्री के जंग प्रत्यंगों
और चेष्टाओं के अवलोकन का वर्जन, ४. पूर्वभुक्त भोगों की स्मृति का वर्जन, ५. प्रणीत रस का भोजन वर्जन ।
विस्तृत पाठ परिशिष्ट में देखें ।

—प. सु. २, अ. ४, सु. ५-१२

अज्जवसाहुजणाचरितं
मोक्षमार्गं, विमुद्ध-सिद्धिगति-निलयं,
सासयमन्वावाहमपुणन्मवं, पसत्थं, सोमं, सुभं, सिवमयलम-
बखयकरं,

जतिवर सारक्खितं, सुचरियं, सुसाहियं,

नवरं—मुणिवरेहि महापुरिस-धीर-सूर-धम्मिय-धितिमंताण
य सया विमुद्धं,

भवं सव्वभव्वजणाणुचिन्न निस्संक्रियं निम्भयं, नित्तुसं,
निरायासं, निरुव्वलेवं,

निम्बुत्तिघरं, नियमं, निप्पकंपं तव-संजम-पूल-दत्तिय-णेम्मं,

पंच महव्वय-सुरक्खियं, समिति-गुत्तिगुत्तं,
झाणवरकवाडमुकयं, अज्जप्पदिन्नफलिहं,

संनद्धोच्छइय-दुग्गइपहं, सुगइपहवेसगं च, लोगुत्तमं च ।

—प. सु. २, अ. ४, सु. १

देवदाणवगन्धव्वा जक्ख-रक्खस-किन्नरा ।

बम्मयारिं नमंसन्ति, दुक्करं जे करन्ति तं ॥

—उत्त. अ. १६, गा. १८

बंभचेरस्स सत्ततीस उवमाओ—

४५३. १. वयमिणं पउमसर-तलाग-पालिभूयं,

२. महासगड-अरगतुंवाभूयं,

३. महाविडिम-रुक्ख-खंघभूयं,

४. महानगर-पागार-कवाड-फलिहभूयं,

५. रज्जु-पिणिद्धो व इवकेतू विमुद्धऽणो-गुण-संपणिद्धं ।

६. गह्गण-णक्खत्त-तारगाणं च जहा उडुवई ।

यह सरल साधुजनों द्वारा आचरित है ।

यह मोक्षमार्ग है, विमुद्ध सिद्ध गति का स्थान है ।

यह शाश्वत है, क्षुधादि पीड़ाओं से रहित है और पुनर्भव को रोकने वाला है, प्रशस्त है, मंगलमय है, सौम्य है, शुभ अथवा सुखरूप है, शिव है, अचल है, अक्षयकारी है ।

इस ब्रह्मचर्य का यतिवरों ने सम्यक् प्रकार से रक्षण किया है, सम्यक् प्रकार से आचरण किया है, सम्यक् प्रकार से कहा है ।

विशेष—उत्तम मुनियों ने, महापुरुषों ने, धीर, शूरवीरों ने, धार्मिक पुरुषों ने, धैर्यवानों ने इस ब्रह्मचर्य का सदा, याव-ज्जीवन पालन किया है ।

यह व्रत निर्दोष है, कल्याणकारी है, भव्यजनों ने इसका आचरण किया है, यह शंका रहित है, भय रहित है, तुपरहित-स्वच्छ-तन्दुल के समान खेद के कारणों से रहित है, पाप के लेप से रहित है ।

निवृत्ति—मन का मुक्ति गृह है, नियमों से निश्चल है, तप-संयम का मूल है ।

पंच महाव्रतों से सुरक्षित है, समिति गुप्ति से युक्त है ।

उत्तम ध्यान के लिए कपाट के पीछे मध्य भाग में दी हुई अर्गला के समान है ।

यह व्रत दुर्गति के मार्ग को अवरुद्ध करने वाला है और सुगति का पथदर्शक है । यह व्रत लोक में उत्तम है ।

ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सभी नमस्कार करते हैं, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।

ब्रह्मचर्य की सैंतीस उपमाएँ—

४५३. (१) यह व्रत कमलों से सुशोभित सरोवर और तालाव के समान धर्म की पाल के समान है अर्थात् धर्म की रक्षा करने वाला है ।

(२) किसी महाशकट के पहियों के आरों के लिए नाभि के समान है ।

(३) यह व्रत किसी विशाल वृक्ष के स्कन्ध के समान है, धर्म का आधार ब्रह्मचर्य है ।

(४) यह व्रत महानगर के प्राकार—परकोटा के कपाट की अर्गला के समान है ।

(५) डोरी से बँधे इन्द्रध्वज के सदृश है । उसी प्रकार अनेक गुणों से समृद्ध ब्रह्मचर्य है ।

(६) जैसे ग्रहगण नक्षत्र और तारागण में चन्द्रमा प्रधान होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

७. मणि - मुक्त - सिल - प्वाल-रत्न-रयणागराणं च जहा समुद्रो ।

(७) मणि, मुक्ता, शिला, प्रवाल और लाल (रत्न) की उत्पत्ति के स्थानों में समुद्र प्रधान है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सर्व व्रतों का श्रेष्ठ उद्भव स्थान है ।

८. वेरुलिओ चैव जहा मणीणं ।

(८) इसी प्रकार ब्रह्मचर्य मणियों में वैडूर्यमणि के समान उत्तम है ।

९. जहा मउडो चैव भूसणाणं ।

(९) आभूषणों में मुकुट के समान है ।

१०. वत्थाणं चैव खोमजुयलं ।

(१०) समस्त प्रकार के वस्त्रों में क्षोमयुगल/कपास के वस्त्र-युगल के सदृश है ।

११. अरविन्द चैव पुष्पजेट्ठं ।

(११) पुष्पों में श्रेष्ठ अरविन्द-कमलपुष्प के समान है ।

१२. गोसीसं चैव चंदणाणं ।

(१२) चन्दनों में गोशीर्ष चन्दन के समान है ।

१३. हिमवन्तो चैव ओसहीणं ।

(१३) जैसे औषधियों चमत्कारिक वनस्पतियों का उत्पत्ति स्थान हिमवान् पर्वत है, उसी प्रकार आमशौषधि आदि (लब्धियों) की उत्पत्ति का स्थान ब्रह्मचर्य है ।

१४. सीतोदा चैव निन्नगाणं ।

(१४) जैसे नदियों में शीतोदा नदी प्रधान है, वैसे ही सब व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

१५. उवहीसु जहा सयंभुरमणो ।

(१५) समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र जैसे महान् है, उसी प्रकार व्रतों में ब्रह्मचर्य महत्वशाली है ।

१६. रूयगवरे चैव मंडलिक-पव्वयाणं ।

(१६) जैसे माण्डलिक अर्थात् गोलाकार पर्वतों में रुचकवर पर्वत प्रधान है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

१७. पवरो एरावण इव कुंजराणं ।

(१७) इन्द्र का एरावण नामक गजराज जैसे सर्व गजराजों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य मुख्य है ।

१८. सिहोव्व जहा मिगाणं ।

(१८) ब्रह्मचर्य वन्य जन्तुओं में सिंह के समान प्रधान है ।

१९. पवरो सुपर्णकुमारं च वेणुदेवे ।

(१९) ब्रह्मचर्य सुपर्णकुमार देवों में वेणुदेव के समान श्रेष्ठ है ।

२०. धरणे जहा पण्णग-इंदराया ।

(२०) जैसे नागकुमार जाति के देवों में धरणेन्द्र प्रधान है, उसी प्रकार सर्व व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

२१. कप्पाणं चैव बंभलोए ।

(२१) कल्पों में ब्रह्मलोक कल्प के समान ब्रह्मचर्य उत्तम है ।

२२. सभासु य जहा भवे सोहम्मा ।

(२२) जैसे उत्पाद सभा आदि इन पाँचों सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में ब्रह्मचर्य है ।

२३. ठितिसु लवसत्तमव्व पवरा ।

(२३) जैसे स्थितियों में लवसत्तमा-अनुत्तरविमानवासी देवों की स्थिति प्रधान है, उसी प्रकार व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

२४. दाणाणं चैव अभयदानं ।

(२४) सब दानों में अभयदान के समान ब्रह्मचर्य सब व्रतों में श्रेष्ठ है ।

२५. किमिराओ चैव कम्बलाणं ।

(२५) ब्रह्मचर्य सब प्रकार के कम्बलों में किमिरागरत्त कम्बल के समान उत्तम है ।

२६. संघयणे चैव वज्जरिसभे ।

(२६) संहननों में वज्रऋषभनाराचसंहनन के समान ब्रह्मचर्य समस्त व्रतों में उत्तम है ।

२७. संठाणे चैव समचउरसे ।

(२७) संस्थानों में समंचतुरस्रसंस्थान के समान ब्रह्मचर्य समस्त व्रतों में उत्तम है ।

२८. ज्ञानेषु य परमशुक्लज्ञानं ।

(२८) ब्रह्मचर्य ध्यानों में परम शुक्लध्यान के समान सर्व-प्रधान है ।

२९. ज्ञानेषु य परमकेवलं सुप्रसिद्धं ।

(२९) समस्त ज्ञानों में जैसे केवलज्ञान प्रधान है, उसी प्रकार सर्व व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

३०. ज्ञानेषु य परम शुक्लज्ञानं ।

(३०) ज्ञानेषु में परमशुक्लज्ञाना जैसे सर्वोत्तम है, वैसे ही सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है ।

३१. तित्थंकरे जहा चैव मुणोणं ।

(३१) ब्रह्मचर्य व्रत मग्न व्रतों में इमी प्रकार उत्तम है, जैसे मग्न मुनियों में तीर्थंकर उत्तम होते हैं ।

३२. यासेसु जहा महाविदेहे ।

(३२) ब्रह्मचर्य सभी व्रतों में वैसा ही श्रेष्ठ है, जैसे सब क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र उत्तम है ।

३३. गिरिराया चैव मंदरवरे ।

(३३) पर्वतों में गिरिराज सुमेरु की भांति ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम व्रत है ।

३४. यज्ञेषु जह नंदनवनं पवरं ।

(३४) जैसे समस्त वनों में नन्दनवन प्रधान है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है ।

३५. दुमेषु जहा जंबू सुवंसणा विस्सुयजता, जीए नामेण, य-अयंशीयो ।

(३५) जैसे समस्त वृक्षों में सुदृशान जम्बू विख्यात है, जिसके नाम से यह द्वीप विख्यात है । उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य विख्यात है ।

३६. तुरगपत्ती, गजपत्ती, रज्जुपत्ती, नरपत्ती जह विस्सुए चैव-राया ।

(३६) जैसे अश्वधिपति, गजाधिपति और रथाधिपति राजा विख्यात होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यव्रताधिपति विख्यात है ।

३७. रहिय चैव जहा महारथगए ।

(३७) जैसे रथियों में महारथी राजा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ माना है ।

एवमणेगा गुणा अहोणा भवन्ति एवमि वंमचेरे ॥

इस प्रकार (ब्रह्मचर्य) अनेक निर्मल गुणों से व्याप्त है ।

— प. गु. २, अ. ४, गु. २

ब्रह्मचर्य के खण्डित होने पर सभी महाव्रत खण्डित हो जाते हैं—

ब्रह्मचर्य के खण्डित होने पर सभी महाव्रत खण्डित हो जाते हैं—

४५४ जंमि य भगमि होइ महंगा नद्वं संभगमद्विषमत्तिय-सुष्णिय-कुमल्लिय-पचयपट्टिय-पट्टिय-परिमणिय - विणासियं, विणय-गील-तय-नियम-गुणममूहं ।

४५४. (यह वेदा आधारभूत व्रत है) जिनके भग्न होने पर महंगा—एकदम मग्न विनय, जीवन, तप और गुणों का समूह फूट घड़े की तरह मभग्न हो जाता है, दही की तरह मथित हो जाता है, आटे की भांति चूर्ण-चूरा चूरा हो जाता है, कांटे लगे शरीर की तरह शल्य युक्त हो जाता है । पर्वत से लुकी शिला के समान लुकी-गिरा हुआ, चीरो या तोड़ी हुई लकड़ी की तरह खण्डित हो जाता है तथा दुरवस्था को प्राप्त और अग्नि द्वारा दग्ध होकर विगरे काष्ठ के समान विनष्ट हो जाता है ।

— प. गु. २, अ. ४, गु. २-३

ब्रह्मचर्य के आराधिए सव्वे महव्वया आराहिया—

ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर सभी महाव्रतों की आराधना हो जाती है—

४५५. तं वंमं भगवंतं जंमि य आराहियंमि ययमिणं सव्वं—

यह ब्रह्मचर्य भगवान है—अतिशय सम्पन्न है ।

“सीलं तवो य, विणभो य, संजमो य, खंती, गुत्ती, मुत्ती,
तहेव इहलोइय-पारलोइय जसे य, कित्ती य, पच्चओ य” ।
तम्हा निहुएण वंभचेरं चरियव्वं, सब्बओ विमुद्धं जावज्जी-
वाए जाव सेयट्ठी संजउत्ति ॥

एवं भणियं वयं भगवया, तं च इमं—
गाहाओ—

पंचमहव्वसुध्वयमूलं, समणमणाइल साहुसुचिन्नं ।
वेर-विरमणं पज्जवसाणं, सव्वसमुद्धमहोदधितित्थं ॥

तित्थकरेहि सुदेसियमगं, नरय-तिरिच्छ-विवज्जियमगं ।
सव्वपवित्तिसुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाणअवंगुयदारं ॥

देव-नारिद-नमंसियपूर्यं, सव्वजगुत्तम-मंगलमगं ।
दुद्धरिसं गुणनायकमेवकं, मोक्खपहस्सऽवाडिसगभूयं ॥

— प. सु. २, अ. ४, सु. ३-४

बंधचेर विघातका—

४५६. जेण सुद्धचरिएण भवइ सुबंधणो सुसमणो सुसाहू सुइसी
सुमुणी संजए एवं भिक्खू जो सुद्धं चरति बंधचेरं ।

इस प्रकार एक ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर अनेक गुण स्वतः अधीन—प्राप्त हो जाते हैं । ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने पर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या सम्बन्धी सम्पूर्ण व्रत अलण्ड रूप से पालित हो जाते हैं, यथा—शील, समाधान, तप, विनय और संयम, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति-निर्लोभता । ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से इहलोक और परलोक सम्बन्धी यश और कीर्ति प्राप्त होती है । यह विश्वास का कारण है अर्थात् ब्रह्मचारी पर सब का विश्वास होता है । अतएव श्रेयार्थी को एकाग्रचित्त से (तीन करण और तीन योग से) विशुद्ध (सर्वथा निर्दोष) ब्रह्मचर्य का यावज्जीवन पालन करना चाहिए ।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत का कथन किया है ।

भगवान् का वह कथन इस प्रकार है—

गाथार्थ—

यह ब्रह्मचर्य व्रत पाँच महाव्रत रूप शोभन व्रतों का मूल है, शुद्ध आचार या स्वभाव वाले मुनियों द्वारा भाव-पूर्वक सम्यक् प्रकार से सेवन किया गया है, यह वैरभाव की निवृत्ति और उसका अन्त करने वाला है तथा समस्त समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र के समान दुस्तर किन्तु तैरने का उपाय होने के कारण तीर्थस्वरूप है ।

तीर्थकर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के मार्ग-उपाय-गुप्ति आदि भलीभाँति बतलाए हैं । यह नरकगति और तिर्यचगति के मार्ग को रोकने वाला है, अर्थात् ब्रह्मचर्य आराधक को नरक-तिर्यचगति से बचाता है, सभी पवित्र अनुष्ठानों को सारयुक्त बनाने वाला तथा मुक्ति और वैमानिक देवगति के द्वार को खोलने वाला है ।

देवेन्द्रों और नरेन्द्रों के द्वारा जो नमस्कृत हैं, अर्थात् देवेन्द्र और नरेन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं उन महापुरुषों के लिए भी ब्रह्मचर्य पूजनीय है । यह जगत् के सब मंगलों का मार्ग—उपाय है अथवा प्रधान उपाय है । यह दुद्धर्ष अर्थात् कोई इसका पराभव नहीं कर सकता या दुष्कर है । यह गुणों का अद्वितीय नायक है अर्थात् ब्रह्मचर्य ही ऐसा साधन है जो अन्य सभी सद्-गुणों की आराधना को प्रेरित करता है ।

ब्रह्मचर्य के विघातक—

४५६. ब्रह्मचर्य महाव्रत का निर्दोष परिपालन करने से मनुष्य उत्तम ब्राह्मण, उत्तम श्रमण, उत्तम साधु, श्रेष्ठ ऋषि अर्थात् यथार्थ तत्त्वदृष्टा, उत्कृष्ट मुनि—तत्त्व का वास्तविक मनन करने वाला, वही संयत संयमवान् और वही सच्चा भिक्षु-निर्दोष भिक्षाजीवी है ।

इमं च रति-राग-दोष-मोह-पवट्टणकरं; किं मज्ज-पमाय-
दोष-पसत्यं—सौलकरणं, अमंगणाणि य, तेल्ल-मज्जणाणि
य, अभिक्कणं कक्क-सोस-कर-चरण-चदण धोवण-संवाहण-
गायकम्म-पत्तिमट्टणाणुत्तेवण-चुत्तवास-धूवण-सरीरपरिमट्टण-
वात्तसिक-हसिय-नणिय-नट्ट-गीय-वाइय-नट्ट-नट्टक-जल्ल-मल्ल-
वेत्तण-वेत्तक जाणि य सिगारागाराणि थ ।

अत्राणि य एवमःदिवाणि तथ-संजम-वंमचेर-घातोवघातियाहं
अणुचरमाणेणं वंमचेरं वरजेयत्वाहं सव्यकालं ।

—प. गु. २, अ. ४, गु. ५

वंमचेर सहायगा—

४५७. भविष्यो भवद् य अंतरप्या, इमेहि तय-नियम-सौल-जोगेहि
निच्चरालं ।

प०—किं ते ?

उ०—अणुत्तण-अदंतघावण-सेध-मल्ल-जल्लधारणं, मूणवय-
केसलोणं य, गुम-दम-अचेल्लग-खुत्तिवसा, लाघव-
मितोमिण-अट्टमेज्जा, भूमि-नित्तेज्जा, परधरपवेस-
सुद्धापलट्ट-भाषायमाण-निदण-दंस-मसग-फास-नियम-
तय-गुण-घिणयमादिण्हि जहा से थिरतरकं होइ
वंमचेरं ।

—प. गु. २, अ. ४, गु. ६

वंमचेर आराहणा फलं—

४५८. इमं च अवंमचेरविरमणं-परिरक्कणट्टयाए पावयणं भगवया
सुकहियं, अत्तहियं पेच्चा भाविक, आगमेसि भद्दं, सुद्धं,
नेआउयं, अकुटिलं, अणुत्तरं, संववदुक्क-पाघाण विउसवणं ।

—प. गु. २, अ. ४, गु. ७

ब्रह्मचर्य का अनुपालन करने वाले पुरुष को इन आगे कहे जाने वाले व्यवहारों का त्याग करना चाहिए—विषयराग, स्नेह-राग, द्वेष और मोह की वृद्धि करने वाला, निस्सार प्रमाददोष तथा पाश्वर्य-श्रियिलाचारी साधुओं का शील-आचार, (जैसे निष्कारण शय्यातर पिण्ड का उपभोग आदि) घृतादि की मालिश करना, तेल लगाकर स्नान करना, बार-बार वगल, शिर, हाथ पैर और मुंह धोना, मर्दन करना, पैर आदि दवाना, पगचम्पी करना, परिमर्दन करना, समग्र शरीर को मलना, विलेपन करना, चूर्णवास-मुगन्धित चूर्ण-पाउडर से शरीर को सुवासित करना, अगर आदि का धूप देना, शरीर को मण्डित करना, सुशोभित बनाना, वाकुणिक कर्म करना, नखों, केशों एवं बस्त्रों को संवारना आदि, हँसी ठट्ठा करना, विकारयुक्त भाषण करना, नाट्य, गीत, चादित्र, नटों, नृत्यकारों और जल्लों-रस्से पर खेल दिखलाने वालों और मल्लों—कुशतीवाजों का तमाशा देखना जो शृंगार का आगार—घर है ।

तथा इसी प्रकार अन्य बातें जिनसे तपश्चर्या, संयम एवं ब्रह्मचर्य का उपघात—आंगिक विनाश या घात—पूर्णतः विनाश होता है, ये ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाले को सदैव के लिए त्याग देना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य के सहायक—

४५७. इन त्याज्य व्यवहारों के वर्जन के साथ आगे कहे जाने वाले व्यापारों से अन्तरात्मा को भावित-वासित करना चाहिए ।

प्र०—वे व्यापार कौन से हैं ?

उ०—(वे ये हैं) स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना, स्वेद (पमीना) धारण करना, जमे हुए या इससे मिश्र मूल को धारण करना, मौनव्रत धारण करना, केशों का लुञ्चन करना, शमा, दम-इन्द्रियनिग्रह, अचेलकता—वस्त्ररहित होना अथवा अल्प वस्त्र धारण करना, भूख-प्यास सहना, लाघव—उपाधि अल्प रखना, सर्दों गर्मी सहना, काण्ठ की शय्या, भूमिनिपद्या जमीन पर आसन, परगृहप्रवेश-शय्या या भिक्षादि के लिए गृहस्य के घर में जाना और प्राप्ति या अत्राप्ति (को समभाव से सहना) मान, अपमान, निन्दा एवं दंशमणक का क्लेश राहन करना, नियम अर्थात् द्रव्यादि सम्बन्धी अभिग्रह करना, तप तथा मूलगुण आदि एवं विनय (गुरुजनों के लिए अभ्युत्थान) आदि से अन्तःकरण को भावित करना चाहिए, जिससे ब्रह्मचर्यव्रत खूब स्थिर—दृढ़ हो ।
ब्रह्मचर्य की आराधना का फल—

४५८. अत्रह्मनिवृत्ति (ब्रह्मचर्य) व्रत की रक्षा के लिए भगवान महावीर ने यह प्रवचन कहा है । यह प्रवचन परलोक में फल-प्रदायक है, भविष्य में कल्याण का कारण है शुद्ध है, न्याययुक्त है, कुटिलता से रहित है, सर्वोत्तम है और दुःखों और पापों को उपयान्त करने वाला है ।

बंभचेराणुकूला वय—

४५६. ततो वया पण्णत्ता,

तं जहा—पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।
तिहि वएहि आया केवलं बंभचेरवासमावसेज्जा,

तं जहा—पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

बंभचेराणुकूला यामा—

४६०. ततो जामा पण्णत्ता,

तं जहा—पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।
तिहि जामेहि आया केवलं बंभचेरवासमावसेज्जा,

तं जहा—पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३; उ. २, सु. १६३

बंभचेरस्स उत्पत्ति अणुत्पत्ति य—

४६१. प०—असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा ?

उ०—गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा, अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा, अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा । जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे, भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा ।

से तेणट्ठेणं गोयमा एवं वुच्चइ—

जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. १३

ब्रह्मचर्य के अनुकूल वय—

४५६. वय (काल-कृत अवस्था-भेद) तीन कहे गये हैं—

यथा—प्रथमवय, मध्यमवय और अन्तिमवय ।

तीनों ही वयों में आत्मा विशुद्ध ब्रह्मचर्यवास में निवास करता है,

यथा—प्रथम वय में, मध्यम वय में और अन्तिम वय में ।

ब्रह्मचर्य के अनुकूल प्रहर—

४६०. तीन याम (प्रहर) कहे गये हैं—

यथा—प्रथम याम, मध्यम याम और अन्तिम याम ।

तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध ब्रह्मचर्यवास में निवास करता है—

यथा—प्रथम याम में, मध्यम याम में और अन्तिम याम में ।

ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति—

४६१. प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से विना सुने कोई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कोई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं और कोई जीव ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना कोई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं और कोई जीव ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है ।

जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने विना ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है ।

जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है ।

प०—सोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा , अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ—

सोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा, अत्थेगत्तिए केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा ।

जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ।

से तेणट्ठेणं गोयमा एवं बुच्चइ—

जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं आवसेज्जा ।

जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से णं सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं बंभचेरवासं नो आवसेज्जा ।

—वि. स. ६, उ. ३१, सु. ३२

प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई जीव ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और कई जीव ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कई जीव ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं और कई जीव ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हैं ?

उ०—गौतम ! जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है ।

जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है ।

जिसके चारित्र्यावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है, वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है ।



ब्रह्मचर्य पालन के उपाय (२)

धम्मरहसारही धम्मरामविहारी बंभयारी—

४६२. धम्मरामे चरे भिक्खू. धिइमं धम्मसारही ।

धम्मरामरए वन्ते, बंभचेरसमाहिए ॥

—उत्त. अ. १६, गा. १७

बंभचेरसमाहिठाणा—

४६३. सुयं मे आठसं ! तेणं भगवया एवमवखायं—

इह खलु धेरेहि भगवन्तेहि वस बंभचेरसमाहिठाणा पन्नसा,

धर्मरथ सारथी धर्मरामविहारी ब्रह्मचारी—

४६२. धैर्यवान्, धर्म के रथ को चलाने वाला, धर्म में रत, दान्त और ब्रह्मचर्य में चित्त का समाधान पाने वाला भिक्षु धर्म के उद्यान में विचरण करे ।

ब्रह्मचर्य समाधि-स्थान—

४६३. हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, भगवान् ने ऐसा कहा है—

निर्ग्रन्थ प्रवचन में जो स्थविर (गणधर) भगवान् हुए हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य समाधि के दम स्थान बतलाये हैं,

जे भिखू सोच्चा, नच्चा, निसम्म, संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिबहुले, गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

प०—कयरे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहि-
टाणा पन्नत्ता, जे भिखू सोच्चा, नच्चा, निसम्म,
संजमबहुले, संवरबहुले, समाहिबहुले, गुत्ते, गुत्तिन्दिए,
गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ?

उ०—इमे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहिटाणा
पन्नत्ता, जे भिखू सोच्चा, नच्चा, निसम्म, संजमबहुले,
संवरबहुले, समाहिबहुले, गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तवम्भ-
यारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा त्ति ।

—उत्त. अ. १६, सु. १

दस वम्भचेरसमाहिटाणाणं णामाइं—

४६४. १. आलओ थोजणाइणो, २. थोकहा य मणोरमा ।
३. संथवो चव नारीणं, ४. तात्ति इन्दियदरिसणं ॥
५. कुइयं रुइयं गीयं,

६. भुत्तासियाणि य ।

७. पणीयं भत्तपाणं च, ८. अइमायं पाण-भोयणं ॥

९. गतभूसणमिदुं च,

१०. कामभोगा य दुज्जया । नरस्सत्तगवेसिस्स, त्रिसं ताल-
उडं जहा ।

—उत्त. अ. १६, गा. १३-१५

द्विविक्तसयणासणसेवणं—

४६५. “द्विविक्ताइं सयणासणाइं सेविज्जा, से निग्गंथे” नो इत्थी-
पसु-पण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेविक्ता हवइ से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु इत्थी-पसु-पण्डगसंसत्ताइं
सयणासणाइं सेवमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका
वा, कांखा वा, वित्तिगिच्छा वा, समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा, उम्भायं वा पारणिज्जा,

जिन्हें सुनकर, जिनके अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु संयम,
संवर और समाधि का पुनः-पुनः अभ्यास करे । मन, वाणी और
शरीर का गोपन करे, इन्द्रियों को उनके विषयों से बचाए,
ब्रह्मचर्य को सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त होकर
विहार करे ।

प्र०—स्यविर भगवान् ने वे कौन से ब्रह्मचर्य-समाधि के
दस स्थान बतलाये हैं, जिन्हें सुनकर, जिनके अर्थ का निश्चय
कर, भिक्षु संयम, संवर और समाधि का पुनः-पुनः अभ्यास करे ।
मन, वाणी और शरीर का गोपन करे, इन्द्रियों को उनके विषयों
से बचाये, ब्रह्मचर्य को सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा
अप्रमत्त होकर विहार करे ?

उ०—स्यविर भगवान् ने ब्रह्मचर्य समाधि के दस स्थान
बतलाये हैं, जिन्हें सुनकर अर्थ का निश्चय कर, भिक्षु संयम,
संवर और समाधि का पुनः-पुनः अभ्यास करे । मन, वाणी और
शरीर का गोपन करे । इन्द्रियों को उनके विषयों से बचाये,
ब्रह्मचर्य को दस सुरक्षाओं से सुरक्षित रखे और सदा अप्रमत्त
होकर विहार करे । वे इस प्रकार हैं—

दस ब्रह्मचर्य समाधि स्थानों के नाम—

४६४. (१) स्त्रियों से आकीर्ण आलय, (२) मनोरम स्त्री-कथा,
(३) स्त्रियों का परिचय, (४) उनकी इन्द्रियों को देखना,
(५) उनके क्लृप्त, रोदन, गीत और हास्य युक्त शब्दों को
सुनना,

(६) उनके भुक्त भोगों को याद करना,

(७) प्रणीत पान भोजन, (८) मात्रा से अधिक पान भोजन,

(९) शरीर को सजाने की इच्छा और

(१०) दुर्जय काम-भोग - ये दस आत्म-गवेपी मनुष्य के
लिए तालपुट विष के समान हैं ।

द्विविक्त-शयनासन सेवन—

४६५. जो एकान्त शयन और आसन का सेवन करता है, वह
निर्ग्रन्थ है । निर्ग्रन्थ स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और
आसन का सेवन नहीं करता ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—स्त्री, पशु और
नपुंसक से आकीर्ण शयन और आसन का सेवन करने वाले
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचि-
कित्सा उत्पन्न होती है,

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा
होता है ।

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ वा
धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा नो इत्थी-पसु-पण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता
हवइ से निगगंये । —उत्त. अ. १६, मु. २

जं विवित्तमणाइणं, रहियं इत्थि जणेण य ।

बम्मचरेस्स रक्खट्टा, आलयं तु नित्सेवए ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ३

अन्नदुं पगडं लयणं, भएज्ज सयणाऽऽसणं ।

उच्चारम्मिसम्पन्नं, इत्थी-पसु-विवज्जियं ॥

—दस. अ. ८, गा. ५१

विवित्तसेज्जासणजन्तियाणं, ओमासणाणं दमिइन्द्रियाणं ।

न रागसत्तू धरित्सेइ वित्तं, पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥

जहा विरालावसहस्स भूले, न भूसगाणं वसही पसत्या ।

एमेव इत्थीनिलयस्स मज्जे, न बम्मयारिस्स खमो निवासो ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १२-१३

मणोहरं चित्तहरं, मल्ल-धूवेण वासियं ।

सकवाडं पण्डरत्तोर्यं, मणसा वि न पत्यए ॥^१

इन्द्रियाणि उ भिक्खुस्स, तारित्तम्मि उवस्सए ।

दुक्कराइं निवारेंडं, कामरागविवड्ढणे ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. ४-५

कामं तु देवीहिं वि भूसिधाहिं न चाइया खोभइउं तिगुत्ता ।

तहा वि एगंतहियं ति नच्चा, विवित्तवासो मुणिणं पसत्यो ॥

भोक्खामिक्खिस्स वि माणवस्स संसारभीरस्सुंठियस्स धम्मे ।

नेयारिस्सं दुत्तरमतिय लोए, जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १६-१७

१. विवित्तसयणासण सेवणफलं—

४६६. प०—विवित्तसयणासणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—विवित्तसयणासणयाए णं चरित्तगुत्ति जणयइ । चरित्त-
गुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगन्तरए
भोक्खभावपटिवन्ने अट्टविहकम्मगंठि निज्जरेइ ।

—उत्त. अ. २६, मु. ३३

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा केवल कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इमलिए जो स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और
आसन का सेवन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मुनि वैसे आलय में रहे जो
एकान्त, अनाकीर्ण और स्त्रियों से रहित हों ।

मुनि दूसरों के लिए बने हुए गृह, शयन और आसन का
सेवन करे । वह गृह मल-मूत्र-विसर्जन की भूमि से युक्त तथा
स्त्री और पशु से रहित हो ।

जो विविक्त-शय्या और आसन से नियन्त्रित होते हैं, जो कम
खाते हैं और जितेन्द्रिय होते हैं, उनके चित्त को राग-शत्रु वैसे
ही आक्रान्त नहीं कर सकता है जैसे औपघ से पराजित रोग
देह को ।

जैसे विल्ली की बस्ती के पास चूहों का रहना अच्छा नहीं
होता, उसी प्रकार स्त्रियों की बस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहना
अच्छा नहीं होता ।

जो स्थान मनोहर चित्रों से आकीर्ण, माल्य और धूप से
सुवासित, किवाड़ सहित, श्वेत चन्दवा से युक्त हो वैसे स्थान
की मन से भी प्रार्थना (अभिलाषा) न करे ।

काम-राग को बढ़ाने वाले उपाश्रय में इन्द्रियों का निग्रह
करना (उन पर नियन्त्रण पाना) भिक्षु के लिए दुष्कर होता है ।

यह ठीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियों को विभूषित
देवियाँ भी विचलित नहीं कर सकतीं, फिर भी भगवान् ने
एकान्त हित की दृष्टि से उनके विविक्त-वास को प्रशस्त कहा है ।

भोक्ष चाहने वाले संसार-भीरु एवं धर्म में स्थित मनुष्य के
लिए लोक में और कोई वस्तु ऐसी दुस्तर नहीं है, जैसी दुस्तर
मन को हरने वाली सुकुमार सुन्दरियाँ हैं ।

१. विविक्त शयनासन सेवन का फल—

४६६. प्र०—भन्ते ! विविक्त-शयनासन के सेवन से जीव क्या
फल प्राप्त करता है ?

उ०—विविक्त शयनासन के सेवन से वह चारित्र्य की रक्षा
को प्राप्त होता है । चारित्र्य की सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिक
आहार का वर्जन करने वाला, दृढ़ चरित्र वाला, एकांत में रत,
अन्तःकरण से मोक्ष-साधना में लगा हुआ, आठ प्रकार के कर्मों
की गांठ को तोड़ देता है ।

१ चित्तमिति न निज्जाए, नारि वा सुअलंकियं । भक्खरं पिव दट्ठूणं, दिट्ठीं पटिसमाहरे ॥

—दस. अ. ८, गा. ५४

२. थीकहाणिसेहो—

४६७. नो इत्थीणं कहं कहित्ता हवइ, से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु इत्थीणं कहं कहेमाणस्स,
बम्मयारिस्स बम्मयेरे संका वा, कंखा वा, वित्तिगिच्छा
वा समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवलपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा नो इत्थीणं कहं कहेज्जा,

—उत्त. अ. १६, सु. ३

भणपत्तहायजणणि, कामरागविवड्ढणि ।

बम्मचेररओ भिक्खू थीकहं तु विवज्जे ॥

सयं च संथवं थीहि, संकहं च अभिक्खणं ।

बम्मचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जे ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ४-५

३. इत्थीहि सद्धि निसेज्जाणिसेहो—

४६८ नो इत्थीहि सद्धि सन्निसेज्जाणए विहरित्ता हवइ से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु इत्थीहि सद्धि सन्निसेज्जा-
णयस्स, विहरमाणस्स बम्मयारिस्स बम्मचेरे संका वा,
कंखा वा, वित्तिगिच्छा वा, समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवलपन्नताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु नो निग्गंथे इत्थीहि सद्धि सन्निसेज्जाणए
विहरेज्जा ।

—उत्त. अ. १६, सु. ४

कुव्वंति संथवं ताहि, पम्मट्ठा समाहिजोगेहि ।

तम्हा समणा ण समेति, आतहिताय सण्णिसेज्जाओ ॥

—सूय. सु. १, अ. ४, उ. १, गा. १६

जहा कुक्कुडपीयस्स, निच्चं कुललो भयं ।

एवं खु बम्मयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भयं ॥

—दस. अ. ८, गा. ५३

२—स्त्री-कथा निषेध—

४६७. जो स्त्रियों की कथा नहीं करता वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—स्त्रियों की कथा करने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद पैदा होता है,

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए स्त्रियों की कथा न करे ।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु मन को आल्हाद देने वाली तथा काम-राग बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का वर्जन करे ।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के साथ परिचय और बार-बार वार्तालाप का सदा वर्जन करे ।

३—स्त्री के आसन पर बैठने का निषेध—

४६८. जो स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा, या विचिकित्सा, उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद पैदा होता है,

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए ।

समाधियोगों (धर्मध्यान) से भ्रष्ट पुरुष ही उन स्त्रियों के साथ संसर्ग करते हैं । अतएव श्रमण आत्महित के लिए स्त्रियों के निवास स्थान पर बैठा (निपट्टा) नहीं करते ।

जिस प्रकार मुर्गे के बच्चे को विल्ली से सदा भय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय होता है ।

जतुकुम्भे जोतिमुवगूढे, आसुऽभितत्ते णासमुपयाति ।
एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेण णासमुवर्यति ॥
—सूय. सु १, अ. ४, उ. १, गा. २७

हृत्थपायपडिच्छिन्नं, कण्णनासविगप्पियं ।
अवि वाससइं नारिं, वंमयारी विवज्जए ॥
—दस. अ. ८, गा. ५५

समरेसु अगारेसु, सन्धीसु य महापहे ।
एगो एगत्यए सट्ठि, नेव चिट्ठे न संलवे ॥
—उत्त. अ. १, गा. २६

४. इत्थी इंदियाणं आलोयणणसेहो—

४६९. नो इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता,
निज्झाइत्ता, हवइ, से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु इत्थीणं इन्दियाइं मणो-
हराइं, मणोरमाइं आलोएमाणस्स, निज्झायमाणस्स
बम्मयारिस्स बम्मचेरे संका वा, कांखा वा, वित्तिगिच्छा
वा समुप्पज्जिज्जा,
भेयं वा लभेज्जा,
उम्मार्यं वा पाउणिज्जा,
दीह्णालियं वा रोगायं कं ह्वेज्जा,
केवल्लिपन्नत्ताओ वा घम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु निग्गंथे नो इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं,
मणोरमाइं आलोएज्जा, निज्झाएज्जा ।

—उत्त. अ. १६, सु. ५

अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लवियपेहियं ।

वम्मचेररओ थीणं, चक्खुगेज्जं विवज्जए ॥^१

—उत्त. अ. १६, गा. ६

न ह्व-लावण्ण-विलास-हासं,

न जंपियं इंदियपेहियं वा ।

इत्थीण चित्तंसि निवैसइत्ता,

वट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी ॥

अदंसण चेव अपत्थणं च,

अचिन्तणं चेव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्सारियज्ञाणजोगं,

हियं सया बम्मवए रयाणं ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १४-१५

जैसे अग्नि को छूता हुआ लाख का घड़ा तप्त होकर नाश को प्राप्त (नष्ट) हो जाता है. इसी तरह स्त्रियों के साथ संवास (संसर्ग) से अनगर पुरुष (भी) शीघ्र ही नष्ट (संयमभ्रष्ट) हो जाता है ।

जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, जो कान, नाक से विकल हो वैसे सौ वर्णों की बूढ़ी नारी से भी ब्रह्मचारी दूर रहे ।

कामदेव के मन्दिरों में, घरों में, दो घरों के बीच की संघियों में और राजमार्ग में अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे और न संलाप करे ।

४—स्त्री की इन्द्रियों के अवलोकन का निषेध—

४६९. जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर नहीं देखता, उनके विषय में चिन्तन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर देखने वाले और उनके विषय में चिन्तन करने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद पैदा होता है,

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर न देखे और उनके विषय में चिन्तन न करे ।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के चक्षु-ग्राह्य, अंग-प्रत्यंग, आकार, बोलने की मनोहर मुद्रा और चितवन को न देखे और न देखने का प्रयत्न करे ।

तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर आलाप, इंगित और चितवन को चित्त में रमा कर उन्हें देखने का संकल्प न करे ।

जो सदा ब्रह्मचर्य में रत है, उनके लिए स्त्रियों को न देखना, न चाहना, न चिन्तन करना और न वर्णन करना हितकर है और धर्म-ध्यान के लिए उपयुक्त है ।

५. इत्थीणं कूडयाइ सदसवणणिसेहो—

४७०. नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि वा, कुड्यसहं वा, रुड्यसहं वा, गीयसहं वा, हसियसहं वा, थणियसहं वा, कन्दियसहं वा, विलवियसहं वा, सुणेत्ता हवइ से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि वा कुड्यसहं वा, रुड्यसहं वा, गीयसहं वा, हसियसहं वा, थणियसहं वा, कन्दियसहं वा, विलवियसहं वा, सुणमाणस्स वम्मयारिस्स वम्मचेरे संका वा, कंखा वा, वित्तिगिच्छा वा, समुप्पज्जिज्जा, वम्मयारिस्स, वम्मचेरे संका वा, कंखा वा, वित्तिगिच्छा वा, समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवलपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु निग्गंथे नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि वा, कुड्यसहं वा, रुड्यसहं वा, गीयसहं वा, हसियसहं वा, थणियसहं वा, कन्दियसहं वा, विलवियसहं वा सुणेत्ता हवइ से निग्गंथे ।

—उत्त. १६, सु. ६

कुड्यं रुड्यं गीयं, हसियं थणियं कन्दियं ।

वम्मचेरेरओ थीणं, सोयगिज्जं विवज्जाए ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ७

६. भुत्तभोग-मुमरणणिसेहो—

४७१. नो निग्गंथे पुव्वरयं, पुव्वकीलियं अणुसरिता हवइ से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु पुव्वरयं, पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स, वम्मयारिस्स वम्मचेरे संका वा, कंखा वा, वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवलपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु नो निग्गंथे पुव्वरयं, पुव्वकीलियं अणुसरिता हवइ से निग्गंथे ।

—उत्त. अ. १६, सु. ७

५—स्त्रियों के वासनाजन्य शब्द-श्रवण का निषेध—

४७०. जो मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को नहीं सुनता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को सुनने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद पैदा होता है,

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा वह केवली कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को न सुने ।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियों के श्रोत्र—ग्राह्य कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन और क्रन्दन को न सुने और न सुनने का प्रयत्न करे ।

६—भुक्त भोगों के स्मरण का निषेध—

४७१. जो गृहवास में की हुई रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—गृहवास में की हुई रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण करने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है ।

अथवा उन्माद पैदा होता है ।

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है ।

अथवा वह केवली कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

इसलिए गृहवास में की हुई रति और क्रीड़ा का अनुस्मरण न करे ।

हासं किड्डं रइं दप्यं, सहसाऽवत्तासियाणि य ।

वम्भचेररओ थौणं, नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ८

७. पणीयआहारणित्सेहो—

४७२. नो पणीयं आहारं आहारित्ता हवइ से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु पणीयं पाणभोयणं
आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा, कंखा
वा, वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवल्लिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु नो निग्गंथे पणीयं आहारं आहारेज्जा ।

—उत्त. अ. १६, सु. ८

पणीयं भत्तपाणं तु खिप्पं मयद्विबड्ढणं ।

वम्भचेररओ भिवखू निच्चसो परिवज्जए ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ६

रसा पगाभं न निसेवियव्वा,

पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।

दित्तं च कामा सममिद्ववन्ति,

दुमं जहा साउफलं य पवखी ॥

जहा दवगी पउरिन्धणे वणे,

समादओ नोवसमं उवेइ ।

एविन्दियग्गी वि पग ममोइणो,

न वम्भयारिस्स हियाय कस्सई ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १०-११

८. अमितपाणभोयणणित्सेहो—

४७३. नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवइ से निग्गंथे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निग्गंथस्स खलु अइमायाए पाणभोयणं
आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा, कंखा
वा, वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवल्लिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु नो निग्गंथे अइमायाए पाणभोयणं
भुंजिज्जा ।

—उत्त. अ. १६, सु. ६

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु पूर्व-जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्य, क्रीड़ा, रति, अभिमान और आकस्मिक त्रास का कभी भी अनुचिन्तन न करे ।

(७) विकार-वर्धक आहार करने का निषेध—

४७२. जो प्रणीत आहार नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—वह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—प्रणीत पान-भोजन करने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के विषय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है ।

अथवा उन्माद पैदा होता है ।

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है ।

अथवा वह केवलि-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

इसलिए प्रणीत आहार न करे ।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु शीघ्र ही काम-वासना को बढ़ाने वाले प्रणीत भक्त पान का सदा वर्जन करे ।

रसों का प्रकाम (अधिक मात्रा में) सेवन नहीं करना चाहिए । वे प्रायः मनुष्य की धातुओं को उद्दीप्त करते हैं । जिसकी धातुएँ उद्दीप्त होती हैं उसे काम-भोग सताते हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी ।

जैसे पवन के शोकों के साथ प्रचुर इन्धन वाले वन में लगा हुआ दावानल उपशान्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी (ठूस ठूस कर खाने वाले) की इन्द्रियाग्नि (कामाग्नि) शान्त नहीं होती । इसलिए प्रकाम-भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता ।

८—अधिक आहार का निषेध—

४७३. जो मात्रा से अधिक नहीं खाता-पीता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—मात्रा से अधिक पीने और खाने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा व विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद पैदा होता है,

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा केवलि-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए मात्रा से अधिक न पीए और न खाए ।

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।
नाइमत्तं तु भुंजेज्जा, बम्मचेररओ सया ॥

—उत्त. अ. १६, गा. १०

६. विभूसाणसेहो—

४७४. नो विभूसाणुवाई हवइ, से निगगंथे ।

प०—त कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—विभूसावत्तिए, विभूसियसरीरे इत्थि-
जणस्स अभिलसणिज्जे हवइ । तओ णं तस्स इत्थि-
जणेणं अभिलसिज्जमाणस्स बम्मयारिस्स बम्मचेरे संका
वा, कंखा वा, वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवलपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु नो निगगन्थे विभूसाणुवाई सिया ।

—उत्त. अ. १६, सु. १०

विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमण्डणं ।

बम्मचेररओ भिक्खू, सिगारत्थ न धारए ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ११

१०. सद्दाइसु मुच्छाणसेहो—

४७५. नो सद्द-रुव-रस-गन्ध-फासाणुवाई हवइ, से निगगन्थे ।

प०—तं कहमिति चे ?

उ०—आयरियाह—निगगन्थस्स खलु सद्द - रुव रस-गन्ध-
फासाणुवाइस्स बम्मयारिस्स बम्मचेरे संका वा, कंखा
वा, वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,

भेयं वा लभेज्जा,

उम्मायं वा पाउणिज्जा,

दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,

केवलपन्नत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा ।

तम्हा खलु णो निगगन्थे सद्द-रुव-रस-गन्ध-फासाणु-
वाइ हविज्जा ।

इसमे बम्मचेरसमाहिट्ठाणे हवइ ।

—उत्त० अ० १६, सु० ११

ब्रह्मचर्य-रत और स्वस्थ चित्तवाला भिक्षु जीवन निर्वाह के लिए उचित समय में निर्दोष, भिक्षा द्वारा प्राप्त, परिमित भोजन करे, किन्तु अधिक मात्रा में न खाये ।

६—विभूषा करने का निषेध—

४७४. जो विभूषा नहीं करता—शरीर को नहीं सजाता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—जिसका स्वभाव विभूषा करने का होता है, जो शरीर को विभूषित किये रहता है, उसे स्त्रियाँ चाहने लगती है । पश्चात् स्त्रियों के द्वारा चाहे जाने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद होता है ।

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है

अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए विभूषा न करे ।

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु विभूषा का वर्जन करे और शरीर की शोभा बढ़ाने वाले (केश, दाढ़ी आदि को) शृंगार के लिये धारण न करे ।

१०—शब्दादि विषयों में आसक्ति का निषेध—

४७५. जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ है ।

प्र०—यह क्यों ?

उ०—ऐसा पूछने पर आचार्य कहते हैं—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त होने वाले ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य (के विषय) में शंका, कांक्षा और विचिकित्सा उत्पन्न होती है ।

अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता है,

अथवा उन्माद पैदा होता है ।

अथवा दीर्घकालिक रोग और आतंक होता है,

अथवा वह केवली-कथित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है,

इसलिए शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त न बने ।

ब्रह्मचर्य की समाधि का यह दसवां स्थान है ।

सद्दे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य ।
पंचविहे कामगुणे, निव्वसो परिवज्जए ॥

—उत्त० अ० १६, गा, १२

कामाणु गिद्धिप्पभवं खु दुक्खं,
सध्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
जं काइयं माणसियं च किंचि,
तस्सऽत्तगं गच्छइ वीयरगो ॥

जहा य किपागफला मणोरमा,
रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा ।
ते खुद्दए जीविय पच्चमाणा,
एओवमा कामगुणा विवागे ॥

—उत्त० भा० ३२, गा० १६-२०

बुज्जए कामभोगे य, निव्वसो परिवज्जए ।
संकट्टाणाणि सध्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥

—उत्त० अ० १६, गा० १६

विभूसा इत्थिसंसर्गो पणीयरसभोयणं ।
नरस्सऽत्तगबेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥

—दस० अ० ८, गा० ५६

विवित्ता य भवे सेज्जा, नारीणं न सवे कहं ।
गिहिसंयवं न कुज्जा, कुज्जा साहूहि संयवं ॥

—दस० अ० ८, गा० ५२

ब्रह्मचर्यरक्षणोपाय—

४७६. से पभूतवंसो पभूतपरिष्णाणे उवसंते समिए सहिते सदा जते
बट्ठं विप्पडिवेवेति अप्पाणं-किमेस जणो करिस्सति ?

एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थियो ।

मुणिणा ह एतं पवेदितं । उब्बाधिज्जमाणे गामधम्मैहिं,

अवि णिब्बत्तासए ।
अवि ओमोबरियं कुज्जा,
अवि उट्ठं ठाणं ठाएज्जा,
अवि गामाणुगामं बूइज्जेज्जा,
अवि आहारं वोच्छिदेज्जा,
अवि चए इत्थीसु मणं ।

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम-
गुणों का सदा वर्जन करें ।

सब जीवों के, और देवताओं के भी जो कुछ कायिक और
मानसिक दुःख हैं, वे काम-भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न
होते हैं । वीतराग उस दुःख का अन्त पा जाता है ।

जैसे किपाक फल खाने के समय रस और वर्ण से मनोरम
होते हैं और परिपाक के समय क्षुद्र-जीवन का अन्त कर देते हैं,
काम-गुण भी विपाक फल में ऐसे ही होते हैं ।

एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-भोगों और ब्रह्मचर्य में
शंका उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त सभी स्थानों का वर्जन करे ।

आत्मगवेषी पुरुष के लिए विभूषा, स्त्री का संसर्ग और
प्रणीतरस का भोजन तालपुट विष के समान है ।

मुनि एकान्त स्थान में रहे, स्त्रियों की कथा न कहे । और
गृहस्थों से परिचय न करे । यदि परिचय करना ही चाहे तो
साधुओं से ही करे ।

ब्रह्मचर्य रक्षण के उपाय—

४७६. वह प्रभूतदर्शी, प्रभूत परिज्ञानी, उपशान्त, समिति से युक्त,
(ज्ञानादि) सहित, सदा यतनाशील या इन्द्रियजयी अप्रमत्त मुनि के
लिए उद्यत स्त्रीजन को देखकर अपने आपका पर्यालोचन
करता है—

“यह स्त्रीजन मेरा क्या कर लेगा ?” अर्थात् मुझे क्या सुख
प्रदान कर सकेगा ? (तनिक भी नहीं) वह स्त्रियाँ परम आराम
(चित्त को मोहित करने वाली) हैं । किन्तु मैं तो सहज आत्मिक
सुख से सुखी हूँ (ये मुझे क्या सुख देंगी ?)

ग्रामधर्म (इन्द्रिय विषय वासना) से उत्पीड़ित मुनि के लिए
मुनीन्द्र तीर्थंकर महावीर ने यह उपदेश दिया है कि—

वह निर्वल (निःसार) आहार करे,
ऊनोदरिका (अल्पाहार) भी करे—कम चाये,
ऊर्ध्व स्थान होकर कायोत्सर्ग करे,
ग्रामानुग्राम विहार भी करे,
आहार का परित्याग (अनशन) करे,
स्त्रियों के प्रति अकृष्ट होने वाले मन का परित्याग करे ।

पुव्वं दंडा पच्छा फासा, पुव्वं फासा पच्छा दंडा ।

इच्छेते कलहा संगकरा भवन्ति पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्ज
अणासेवणाए ।

से णो कहिए, णो पासणिए, णो संपसारए, णो मामए, णो
कत्तकिरिए, वड्ढुत्ते अज्झप्पसंबुडे परिवज्जए सदा पावं ।

एतं भोणं समणुवासेज्जासि । त्ति वेभि ॥

—आ० सु० १, अ० ५, उ० ४, सु० १६४-१६५

११. गणिका-आवागमणसेहो—

४७७. न चरेज्ज वेससामंते बंभचेरवसाणुए ।
बंभयारिस्स दंतस्स होज्जा तत्थ विसोत्तिया ॥

अणायणे चरंतस्स संसग्गीए अभिक्खणं ।
होज्ज वयाणं पीला सामणम्मि य संसओ ॥

तम्हा एयं वियाणित्ता दोसं दुग्गइवड्ढणं ।
वज्जए वेससामंतं मुणी एगंतमस्सिए ॥

—दस० अ० ५, उ० १, गा० ९-११

बंभचेरस्स अट्टारसागरा—

४७८. अट्टारसविहं बंभे पणत्ते, तं जहा —

- (१) ओरालिए कामभोगे णेव सयं मणेणं सेवइ,
- (२) नोवि अण्णं मणेणं सेवावेइ,
- (३) मणेणं सेवंतं पि अण्णं न समणुजाणइ,
- (४) ओरालिए कामभोगे णेव सयं वायाए सेवइ,
- (५) नोवि अण्णं वायाए सेवावेइ,
- (६) वायाए सेवंतं पि अण्णं न समणुजाणइ,

विषय सेवन करने के पहले अनेक पाप करने पड़ते हैं, वाद में भोग भोगे जाते हैं, अथवा कभी पहले भोग भोगे जाते हैं वाद में उसका दण्ड मिलता है ।

इस प्रकार ये काम भोग कलह और आसक्ति पैदा करने वाले होते हैं । स्त्री-संग से होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुष्परिणामों को आगम के द्वारा तथा अनुभव द्वारा समझकर आत्मा को उनके अनासेवन की आज्ञा दे । अर्थात् स्त्री का सेवन न करने का सुदृढ़ संकल्प करे ।

ब्रह्मचारी कामकथा न करे, (वासनापूर्ण दृष्टि से) स्त्रियों को न देखे, परस्पर कामुक भावों—संकेतों का प्रसारण न करे, उन पर ममत्व न करे, शरीर की साज-सज्जा से दूर रहे, वचन गुप्ति का पालक वह मुनि वाणी से कामुक आलाप न करे, मन को भी काम-वासना की ओर जाते हुए नियन्त्रित करे, सतत पाप का परित्याग करे ।

इस (अब्रह्मचर्य-विरति रूप) मुनित्व को जीवन में सम्यक् प्रकार से वसा ले—जीवन में उतार लें ।

११. वेश्याओं की गली में आवागमन निषेध—

४७७ ब्रह्मचर्य का वशवर्ती मुनि वेश्या वाड़े के समीप न जाये । वहाँ दमितेन्द्रिय ब्रह्मचारी के भी विस्रोतसिका हो सकती है—साधना का स्रोत मुड़ सकता है ।

अस्थान में बार-बार जाने वाले के (वेश्याओं का) संसर्ग होने के कारण व्रतों की पीड़ा (विनाश) और श्रामण्य में सन्देह हो सकता है ।

इसलिए इसे दुर्गति बढ़ाने वाला दोष जानकर एकान्त (मोक्ष मार्ग) का अनुगमन करने वाला मुनि वेश्या—वाड़े के समीप न जाये ।

ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार --

४७८. ब्रह्मचर्य अठारह प्रकार का कहा गया है जैसे—

१. औदारिक (शरीर वाले मनुष्यों-तिर्यचों के) काम-भोगों को न मन से स्वयं सेवन करता है,
२. न अन्य को मन से सेवन कराता है,
३. सेवन करते हुए अन्य की न मन से अनुमोदना करता है ।
४. औदारिक—कामभोगों को न वचन से स्वयं सेवन करता है,
५. न अन्य को वचन से सेवन कराता है,
६. सेवन करते हुए अन्य की वचन से अनुमोदना नहीं करता है,

(७) ओरालिए कामभोगे णेव सयंकाएणं सेवइ,

(८) णोवि य अण्णं काएणं सेवावेइ.

(९) काएणं सेवतं पि अण्णं न समणुजाणइ ।

(१०) दिव्वे कामभोगे णेव सयं मणेणं सेवति,

(११) णो वि अण्णं मणेणं सेवावेइ,

(१२) मणेणं सेवतं पि अण्णं न समणुजाणइ,

(१३) दिव्वे कामभोगे णेव सधं वायाए सेवावेइ,

(१४) णोवि अण्णं वायाए सेवावेइ,

(१५) वायाए सेवतं पि अण्णं न समणुजाणइ ।

(१६) दिव्वे कामभोगे णेव सयं काएणं सेवइ ।

(१७) णोवि अण्णं काएणं सेवावेइ,

(१८) काएणं सेवतं पि अण्णं न समणुजाणइ ।

सम० १८, सु० १ करता है ।

७. औदारिक—काम-भोगों को न स्वयं काया से सेवन करता है,

८. न अन्य को काया से सेवन कराता है,

९. सेवन करते हुए अन्य की काया से अनुमोदना नहीं करता है,

१०. दिव्य—(देव-देवी सम्बन्धी) काम-भोगों को न स्वयं मन से सेवन करता है,

११. न अन्य को मन से सेवन कराता है,

१२. सेवन करते हुए भी न मन से अनुमोदना करता है,

१३. दिव्य-कामभोगों को न स्वयं वचन से सेवन करता है,

१४. न अन्य को वचन से सेवन कराता है,

१५. सेवन करते हुए अन्य की वचन से अनुमोदना नहीं करता है,

१६. दिव्य-कामभोगों को न स्वयं काया से सेवन करता है,

१७. न अन्य को काया से सेवन कराता है,

१८. सेवन करते हुए अन्य की काया से अनुमोदना नहीं करता है ।



अब्रह्म निषेध के कारण—३

अधम्मस्स मूलं—

४७९. अवंसवरियं घोरं, पमायं दुरहिट्टियं ।
नापरंति मुणो लोए, भेयाययणवज्जिणो ॥

मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुत्सयं ।
तन्हा मेहुण संसर्गि निगंथा वज्जयति णं ॥

—दसव. ६।१५-१६

अधर्म का मूल है—

४७९. अग्रहचर्यं जगत में घोर—सबसे भारी प्रमाद का कारण है, दुर्बल व्यक्ति ही इसका सेवन करते हैं तथा इसका सेवन दुरधिष्ठित—धृणा एवं जुगुप्सा जनक है, चारित्र्य भंग के स्थान (भेदायतन) से दूर रहने वाले मुनि इसका आचरण नहीं करते ।

यह अब्रह्मचर्यं अधर्म का मूल (बीज-जड़) है और महान दोषों की राशि ढेर है । इसलिए निग्रन्थ मैथुन का; संसर्ग काके वर्जन करते हैं ।

१ (क) तीन प्रकार के मैथुन हैं—१. दिव्य, २. मानुष्य और ३. तीर्यक्ष्य । इन तीनों से विरति ही ब्रह्मचर्य है ।

यदि प्रत्येक विरति के तीन कारण तीन योग से विकल्प प्रस्तुत किये जाते तो ९ विकल्प होते । इस प्रकार तीनों विरति २७ विकल्प होते हैं ।

यहाँ ब्रह्मचर्य के १८ भेदों में औदारिक कामभोगों के नौ विकल्पों के अन्तर्गत मानुष्यों और तीर्यक्ष्यों की मैथुन विरति समा-विष्ट कर ली गई है ।

शेष नौ विकल्पों में केवल दिव्य कामभोगों की विरति ही कही गई है ।

(ख) उत्त. अ. ३१, ग. १४ ।

(ग) इसी प्रकार अब्रह्म के १८ प्रकार हैं आव० श्रमण सूत्र ४ में ।

इत्योरागणसेहो—

४८०. जे छेये से सागारियं ण सेवे ।

कट्टु एवं अविजाणतो वितिया मंदस्स वालिया ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. १, सु. १४६

नो रक्खसीसु गिज्जेज्जा, गंडवच्छासुण्णोच्चितासु ।
जाओ पुरिसं पलोमिता, खेलंति जहा व दासेोहं ॥

नारीसु नोपगिज्जेज्जा इत्थी विप्यज्जे अणगारे ।
धम्मं च पेसलं नच्चा, तत्थ ठवेज्ज मिक्खू अप्पाणं ॥

—उत्त, अ. ८, गा. १८-१९

न मिज्जति महावीरे, जस्स नत्थि पुरेकडं ।
वाऊ व जालमच्चेति, पिया लोगंसि इत्थिओ ॥

इत्थिओ जे ण सेवंति, आदिमोक्खा हु ते जणा ।
ते जणा वंधणुम्भुवका, नावकंखंति जीवितं ॥

—सूय. सु. १, अ. १५, गा. ८-९

अह सेणुत्तप्पती पच्छा, भोच्चा पायसं व विसमिस्सं ।
एवं विवेगमायाए, संवासो न कप्पती दविए ॥

तम्हा उ वज्जए इत्थी, विसलित्तं व कंटगं णच्चा ।
ओए कुलाणी वसवती, आघाति ण से वि णिग्गथे ॥

जे एयं उच्छं अणुगिद्धा, अण्णयरा हु ते कुसीलाणं ।
सुतवस्सिए वि से भिक्खु, णो विहरे सह णमित्थीसु ॥

अवि धूयराहिं सुण्हाहिं, धातीहिं अद्दुव दासीहिं ।
महतीहिं वा कुमारीहिं, संथवं से णेव कुज्जा अणगारे ॥

अद्दु णातिणं व सुहिणं वा, अप्पियं दट्टु एगता होति ।
गिद्धा सत्ता कामेहिं, रक्खण-पोसणे मणुस्सेज्जसि ॥

स्त्री-राग निषेध—

४८०. जो कुशल है वह मैथुन-सेवन नहीं करता और जो मैथुन सेवन करके छिपाता है या अनजान बनता है यह उस मूर्ख (काममूढ़) की दूसरी मूर्खता है ।

जिनके वक्ष में गांठें (ग्रन्थियाँ) हैं, जो अनेक चित्त (कामनाओं) वाली हैं, जो पुरुष को प्रलोभन में फँसाकर खरीदे हुए दास की भाँति उसे नचाती हैं (वासना की दृष्टि से ऐसी) राक्षसी स्वरूप (साधनाविधातक) स्त्रियों में आसक्त नहीं होना चाहिए ।

अनगर स्त्रियों में मूर्च्छित न हो तथा उनके संसर्ग को छोड़ दे । भिक्षु धर्म को श्रेष्ठतम जानकर उत्ती में अपनी आत्मा को स्थापित करे ।

जिसके पूर्वकृत कर्म नहीं हैं, वह महावीर्यवान् नहीं मरता (और नहीं जन्मता) जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को पार कर जाती है, वैसे ही वह (साधक) लोक में प्रिय होने वाली स्त्रियों को पार पा जाता है, (वह स्त्रियों के वश में नहीं होता) ।

जो साधक जन स्त्रियों का सेवन नहीं करते, वे सर्वप्रथम मोक्षगामी होते हैं । समस्त (कर्म) बन्धनों से मुक्त वे साधुजन (असंयमी) जीवन जीने की आकांक्षा नहीं करते ।

जैसे विपमिश्रित खीर को खाकर मनुष्य पश्चात्ताप करता है, वैसे ही स्त्री के वश में होने के पश्चात् वह साधु पश्चात्ताप करता है । इस प्रकार अपने आचरण का विपाक जानकर राग-द्वेष रहित भिक्षु को स्त्री के साथ संवास (संसर्ग) करना नहीं कल्पता है ।

स्त्रियों को विष से लिप्त कांटे के समान समझकर साधु स्त्रीसंसर्ग से दूर रहे । स्त्री के वश में रहने वाला जो साधक गृहस्थों के घरों में अकेला जाकर अकेली स्त्री को धर्मकथा करता है वह भी “निर्ग्रन्थ” नहीं है ।

जो भिक्षु इस (स्त्री संसर्गरूपी) जूठन या त्याज्य निन्द्यकर्म में अत्यन्त आसक्त है, वह अवश्य ही कुशीलों, (पार्श्वस्थ, अवसन्न आदि चारित्र भ्रष्टों) में से कोई एक है । इसलिए वह साधु चाहे उत्तम तपस्वी भी हो, तो भी स्त्रियों के साथ विहार न करे ।

भिक्षु अपनी पुत्रियों, पुत्रवधुओं, धाय-माताओं अथवा दासियों, या बड़ी उम्र की स्त्रियों अथवा कुंवारी कन्याओं के साथ भी वह अनगर सम्पर्क—परिचय न करे ।

किसी समय (एकान्त स्थान में स्त्री के साथ बैठे हुए साधु को) देखकर (उस स्त्री के) ज्ञातियों अथवा हितैषियों को अप्रिय लगता है । (वे सोचते हैं यह साधु कामभोगों में मूढ़ है, आसक्त भी है ।) वे साधु से कहते हैं (तुम इसका रक्षण-पोषण करो,) क्योंकि तुम इसके पुरुष हो ।

समणं पि बट्टुबासीणं, तत्थ वि ताव एगे कुप्पंति ।
अदुवा भोयणेहि णत्थेहि, इत्थी दोससंकिणो होंति ॥

कुप्पंति संथवं ताहि, पम्मट्टा समाहिजोगेहि ।
तम्हा समणा ण समेंति, आतहिताय सण्णिसेज्जाओ ॥

बह्वे गिहाइं अयहट्टु. मिस्सीभायं पत्थुता एगे ।
धुवमग्गमेव पवदंति, वायावीरिवं कुसीलाणं ॥

सुद्धं रथति परिसाए, अह रहस्सम्मि दुक्कडं करेति ।
जाणंति य णं तहावेदा, माइत्ते भटासडेयं ति ॥

सयं दुक्कडं च न वयइ, आइट्टो धि पक्कयती चाले ।
वेयाणुवीइ मा कासी, चोइज्जंतो गिजाइ से भुज्जो ॥

उत्तिया वि इत्थिपोसेसु, पुरिसा इत्थिवेदखतण्णा ।
पण्णासपन्निता वेगे, णारीण यत्तं उवकसंति ॥

अवि हत्थ-पाइछेदाए, अदुवा चद्धमंत उक्कंते ।
अवि तेयसाअमितवणाहं, तच्छिय खारसिचणाइं च ॥

अदु कण्ण-णासियाछेज्जं, कंठच्छेदणं तित्तिखंति ।
इति एत्थ पावसंतत्ता, न य वेत्ति पुणो न काहि ति ॥

—सूय. सु. १, अ. ४, उ. १, गा. १०-२२

ओए सहा ण रज्जेज्जा, भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा ।
भोगे समणाण सुणेहा, जह भुंजंति मियखुणो एगे ॥

उदासीन तपस्वी साधु को भी स्त्री के साथ एकान्त में वातचीत करते या बैठे देखकर कोई-कोई व्यक्ति क्रुद्ध हो उठते हैं। अथवा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन साधु के लिए बनाकर रखते या देते देखकर वे उस स्त्री के प्रति दोष की शंका करने लगते हैं।

समाधि योग से भ्रष्ट पुरुष ही उन स्त्रियों के साथ संसर्ग करते हैं इसलिए धमण आत्महित के लिए स्त्रियों के निवास स्थान (निपद्या) पर नहीं जाते।

बहुत से लोग घर से निकलकर प्रश्रजित होकर भी मिश्र-भाव अर्थात् कुछ गृहस्थ का और कुछ साधु का यों मिला-जुला आचार अपना लेते हैं। इसे वे मोक्ष का मार्ग ही कहते हैं। (सच है) कुशीलों के वचन में ही शक्ति होती है, (कार्य में नहीं)

वह (कुशील) भिक्षु सभा में स्वयं को शुद्ध कहता है, परन्तु एकान्त में पाप करता है। तथाविद् (उसकी अंगचेष्टाओं-आचार-विचारों एवं व्यवहारों को जानने वाले व्यक्ति) उसे जान लेते हैं कि यह मायावी महाधूर्त है।

वाल (अज्ञ) साधक स्वयं अपने दुष्कृत-पाप को नहीं कहता, तथा गुरु आदि द्वारा उसे अपने पाप को प्रकट करने का आदेश दिये जाने पर भी वह अपनी बड़ाई करने लगता है। तुम मँथुन की अभिलाषा मत करो, इस प्रकार बार-बार प्रेरित किये जाने पर वह कुशील ग्लानि को प्राप्त हो (मुर्छा) जाता है (झेंप जाता है या नाराज हो जाता है।)

कुछ पुरुष स्त्रियों की पोषक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रह चुके हैं, अतएव स्त्रियों के कारण होने वाले खेदों के ज्ञाता (अनुभवी) हैं एवं प्रज्ञा से सम्पन्न हैं फिर भी वे स्त्रियों के वश में हो जाते हैं।

(इस लोक में परस्त्री-सेवन के दण्ड रूप में) उसके हाथ-पंर भी छेदे जा सकते हैं, अथवा उसकी चमड़ी और मांस भी उखेड़ा जा सकता है, अथवा उसे आग में डालकर जलाया जाना भी सम्भव है, और उसका अंग छीलकर उस पर नमक भी छिड़का जा सकता है।

कान और नाक छेदन एवं कण्ठ का छेदन (गला काटा जाना) तो सहन कर लेते हैं, परन्तु यह नहीं कहते हैं कि "हम अब फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे।"

राग-द्वेष से मुक्त होकर अकेला रहने वाला भिक्षु कामभोग में कभी आसक्त न बने। भोग की कामना उत्पन्न हो गई हो तो उससे फिर विरक्त हो जाये। कुछ धमण-भिक्षु जैसे भोग भोगते हैं, उनके भोगों को तुम सुनो।

अहं तं तु भेदभावन्नं, मुच्छितं भिक्खु काममतिवट्टं ।
परिभिविद्याण तो पच्छा, पाडु बट्टु मुद्धि पहणति ॥
जइ केसियाए मए भिक्खू णो विहरे सह णमित्थीए ।
केसाणि वि हं लुंचिस्सं, नऽन्नत्थ मए चरिज्जासि ॥

अहं से होति उवलद्धो, तो पेसंति तहाभूतेहिं ।
लाउच्छेदं पेहाहिं, वग्गुफलाइं आहराहिं त्ति ॥

दारुणि सागपागाए, पज्जोओ वा भविस्सती रातो ।
पाताणि य मे रयावेहि, एहि य ता मे पट्टि उम्महे ॥
वत्थाणि य मे पडिलेहेहि, अन्नपाणं च आहराहिं त्ति ।
गंधं च रओहरणं च कासवगं च समणुजाणाहिं ॥

अट्टु अंजणि अलंकारं, कुक्कुहयं च मे पयच्छाहि ।
लोद्धं च लोद्धकुसुमं च, वेणुपलासियं च गुलियं च ॥
कुट्टुं अगुरुं तगरुं च, संपिट्टुं समं उसीरेण ।
तेल्लं मुहं भिलिजाए, वेणुफलाइं सन्निधाणाए ॥

नंदीचुण्णगाइं पहराहि, छत्तोवाहणं च जाणाहि ।
सत्थं च सूवच्छेयाए, आणीलं च वत्थयं रयावेहि ॥

सुफणिं च सागपागाए, आमलगाइं दगाहरणं च ।
तिलगकरणिमंजणसलागं, घिसु मे विघूणयं विजाणाहि ॥
संडासगं च फणिहं च, सीहलिपासगं च आणाहि ।
आदंसगं पयच्छाहि, दंतपक्खालणं पवेसेहि ॥
पूयफलं तंबोलं च, सूईसुत्तगं च जाणाहि ।
कोसं च मोयमेहाए, सुप्पुक्खल्लगं च खारगलणं च ॥
चंदालगं च करगं च, वच्चघरगं च आउसो ! खणाहि ।
सरपादगं च जाताए, गोरहणं च सामणेराए ॥

घडिगं च सडिडिमयं च, चेलगोलं कुमारभूताए ।
वासं समभियावन्नं, आवसहं च जाण भत्तं च ॥

आसंदियं च नवसुत्तं, पाउल्लाइं संकमट्टाए ।
अट्टु पुत्तवोहलट्टाए, आणप्पा हवंति दासा वा ॥

चारित्र्य से भ्रष्ट मूर्च्छित और कामासक्त भिक्षु को वश में करने के बाद स्त्री उसके सिर पर पैर से प्रहार करती है ।

(भिक्षु को वश में करने के लिए कोई स्त्री कहती है—) मैं केश रखती हूँ । भिक्षु ! यदि तुम मेरे साथ विहार करना नहीं चाहते तो मैं केशलुंचन करा लूंगी । तुम मुझे छोड़ अन्यत्र मत जाओ ।

जब वह भिक्षु पकड़ में आ जाता है तब उससे नौकर का काम कराती है—कद्दू काटने के लिए चाकू ला । अच्छे फल ला ।

शाकभाजी पकाने के लिए लकड़ी ला । उससे रात को प्रकाश भी हो जायगा । मेरे पैर रचा । आ, मेरी पीठ मल दे ।

मेरे वस्त्रों को देख (ये फट गये हैं, नये वस्त्र ला) अन्न-पान ले आ । सुगन्ध चूर्ण और कूची ला । बाल काटने के लिए नाई को बुला ।

अंजनदानी, आभूषण और तुंबवीणा ला । लोघ, लोघ के फूल वांसुरी और (औषध की) गुटिका ला ।

कूठ, तगर, अगर, खस के साथ पीना हुआ चूर्ण, मुंह पर मलने के लिए तेल तथा वस्त्र आदि रखने के लिए वांस की पिटारी ला ।

(होठों को मुलायम करने के लिए) नन्दी चूर्ण, छत्ता और जूते ला । भाजी छीलने के लिए छुरी ला । वस्त्र को हल्के नीले रंग से रंगा दे ।

शाक पकाने के लिए तपेली, आंवले, कलश, तिलककरनी अंजनशलाका तथा गरभी के लिए पंखा ला ।

(नाक के केशों को उखाड़ने के लिए) संदशक, कंधी और केश-कंकण ला । दर्पण दे और दतवन ला ।

सुपारी, पान, सूई, घागा, मूत्र के लिए पात्र, सूप, ओखली मूसल और सब्जी गलाने का बर्तन ला ।

आयुष्मान् ! पूजा-पात्र और लघु पात्र ला । संडास के लिए गढा खोद दे । पुत्र के लिए घनुष्य और श्रामणेरे (श्रमण-पुत्र) के लिए तीन वर्ष का बैल ले आ ।

बच्चे के लिए घण्टा, डमरू और कपड़े की गेंद ला । हे भर्ता ! वर्षा सिर पर मंडरा रही है । इसलिए घर की ठीक व्यवस्था कर ।

नई सुतली की खटिया और चलने के लिए काष्ठ-पादुका ला । तथा गर्भकाल में स्त्रियाँ अपने दोहद (लालसा) की पूर्ति के लिए अपने प्रियतम पर दास की भाँति शासन करती हैं ।

जाते फले समुत्पन्ने, गेण्हसु वा णं अहवा जहाहि ।
अह पुत्तपोत्तिणो एगे, भारवहा हवन्ति उट्टा वा ॥

राथो वि उट्टिया संता, वारगं संठवेति धाती वा ।
सुहिरीमणा वि ते संता, वत्यधुवा हवन्ति हंसा वा ॥

एवं चर्हाहि कयपुच्चं, भोगत्याए जेऽभिवावप्या ।
दासे मिए व पेस्से वा, पसुभूते वा से ण वा केई ॥

एवं खु तासु विण्णपं संयवं संवासं च चएज्जा ।
तज्जातिया इमे कामा चज्जकरा य एवमक्खाया ॥

एवं भयं ण सेयाए इह से अप्पगं णिहम्भित्ता ।
णो इत्थि णो पसुं भिवत्तू, णो सय पाणिणा णिज्जेज्जा ॥

सुविमुद्धत्तेसे मेहावी परकिरियं च चज्जाए णाणी ।
मणसा यत्ता फाएणं सच्चफाससहे अणगारे ॥

इच्चेवमाहु ते वीरे धुवरए धूयमोहे से भिवत्तू ।
तम्हा अज्जात्यविमुद्धे सुविमुक्के आमोपयाए परिच्चएज्जासि ॥
—सू. सु. १, अ. ४, उ. २, गा. १-२२

पुत्र रूपी फल के उत्पन्न होने पर (वह कहती है) इसे (पुत्र को) ले अथवा छोड़ दे । (स्त्री के अधीन होने वाले) कुछ पुरुष पुत्र के पोषण में लग जाते हैं और वे ऊँट की भाँति भारवाही हो जाते हैं ।

वे रात में भी उठकर (रोते हुए) बच्चे को धाई की भाँति लोरी गाकर सुला देते हैं । वे लाजयुक्त मन वाले होते हुए भी धोवी की भाँति (स्त्री और बच्चे के) बस्त्रों को धोते हैं ।

बहुतों ने पहले ऐसा किया है । जो काम-भोग के लिए भ्रष्ट हुए हैं वे दास की भाँति समर्पित, मृग की भाँति परवश, प्रेय्य की भाँति कार्य में व्यापृत और पशु की भाँति भारवाही होते हैं । वे अपने आप में कुछ भी नहीं रहते ।

इस प्रकार (स्त्रियों के विषय में जो कहा गया है) उन दोषों को जानकर- उनके साथ परिचय और संवास का परित्याग करे । ये काम-भोग सेवन करने से बढ़ते हैं । तीर्थकरों ने उन्हें कर्म-बन्धन कारक बतलाया है ।

ये कामभोग भय उत्पन्न करते हैं । ये कल्याणकारी नहीं हैं । यह जानकर भिक्षु मन का निरोध करे—कामभोग से अपने को बचाए । वह स्त्रियों और पशुओं से बचे तथा अपने गुप्तांग को हाथ से न छुए ।

शुद्ध अन्तःकरण वाला मेधावी ज्ञानी भिक्षु परक्रिया न करे—स्त्री के पैर आदि न दवाए । वह अरिक्केत भिक्षु मन, वचन और काया से सब स्पर्शों (कण्टों) को सहन करे ।

भगवान् महावीर ने ऐसा कहा है—जो राग और मोह को धुन डालता है वह भिक्षु होता है । इसलिए वह शुद्ध अन्तःकरण भिक्षु काम-वांछा से मुक्त होकर, बन्धन-मुक्ति के लिए परिश्रम करे ।



परिकर्म निषेध—४

गिहत्थकय कायकिरियाए अणुमोयणा णिसेहो—

४८१. परकिरियं अज्जात्थियं संसेद्धयं णो तं सातिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ६६०

गृहस्थकृत काय क्रिया की अनुमोदना का निषेध—

४८१. पर अर्थात् गृहस्थ के द्वारा आध्यात्मिकी अर्थात् मुनि के शरीर पर की जाने वाली काय व्यापाररूपी क्रिया संश्लेषिणी-कर्म बन्धन की जननी है, (अतः) वह उसे मन से न चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा न करे ।

गृहस्थकृत-कायपरिकर्मस्स अणुमोयणा णिसेहो—

४८२. से से परो कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं संबाधेज्ज वा पलिमहेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा मक्खेज्ज वा अम्भगेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वटेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं सीतोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोवेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं अण्णतरेणं विलेवण जाएणं आलिपेज्ज वा विरिलिपेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं अण्णतरेण धूवणजाएण धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो कायं फुमेज्ज वा रएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे । —आ. सु. २, अ. १३, सु. ७०१-७०७

गृहस्थकृत-पायपरिकर्मस्स अणुमोयणा णिसेहो—

४८३. से से परो पादाइं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाइं संबाधेज्ज वा पलिमहेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाइं फुमेज्ज वा रएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाइं तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा मक्खेज्ज वा भिल्लिगेज्ज वा णो तं सातिए, णो तं णियमे ।

से से परो पादाइं लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्वटेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

गृहस्थकृत शरीर के परिकर्मों की अनुमोदना का निषेध—

४८२. यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक बार या बार-बार पोंछकर साफ करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक बार या बार-बार मर्दन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर तेल—यावत्—चर्बी मले या बार-बार मले तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर लोध,—यावत्—वर्ण का उवटन करे, बार-बार उवटन करे तं: वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ साधु के शरीर को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से धोये या बार-बार धोये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

कदाचित् कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर किसी एक प्रकार के विलेपन से एक बार या बार-बार लेप करे तो वह उसे न मन से चाहे न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को किसी अन्य प्रकार के धूप से धूपित करे या प्रधूपित करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर फूंक मारे या रंगे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे ।

गृहस्थकृत पादपरिकर्म की अनुमोदना का निषेध—

४८३. यदि कोई गृहस्थ मुनि के चरणों को (वस्त्रादि से) पोंछे, बार-बार पोंछे तो वह उसे न मन से चाहे, वचन और काया से भी प्रेरणा न करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के चरणों का मर्दन करे, प्रमर्दन करे वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ मुनि के चरणों को फूंक मारे तथा रंगे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणों पर तेल—यावत्—चर्बी मले या बार-बार मले तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणों पर लोध,—यावत्—वर्ण का उवटन करे या बार-बार उवटन करे तो वह उसे न मन से

से से परो पादाङ्गं सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाङ्गं अणतरेण विलेवणजातेण आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो पादाङ्गं अणतरेण धूवणजाएणं धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ६९१-६९८

आरामाइसु गिहत्थकयपायाइ - परिकम्माणुमोयणा णिसेहो—

४८४. से से परो आरामंसि वा उज्जाणंसि वा णीहरित्ता वा विसो-
हिता वा पायाइं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा णो तं सातिए
णो तं णियमे ।

एवं गेयव्वा अणमण्णकिरिया वि ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२७

गिहत्थकय-पाय परिकम्म णिसेहो—

४८५. से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं
आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा; णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं
संबाधेज्जा वा पलिमहेज्जा वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं
फुमेज्ज वा रएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं
तेत्तेण वा-जाव-वसाए वा मक्खेज्ज वा मिंलिगेज्ज वा, णो
तं सातिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता लोद्धेण वा,
कक्केण वा जुण्णेण वा बण्णेण वा उत्तलेज्ज वा उद्धट्टेज्ज
वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणों को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से धोये या बार-बार धोये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणों पर किसी एक प्रकार के द्रव्यों से एक बार या बार-बार विलेपन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणों को किसी एक प्रकार के धूप से धूपित और प्रधूपित करे तो वह उसे न मन से चाहे और न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

उद्यानादि में गृहस्थकृत पैर आदि के परिकर्मों की अनु-
मोदना का निषेध—

४८४. यदि कोई गृहस्थ साधु को आराम या उद्यान में ले जाकर प्रवेश कराकर उसके चरणों को पोंछे, बार-बार पोंछे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

इसी प्रकार साधुओं की अन्योन्यक्रिया पारस्परिक क्रियाओं के विषय में भी ये सब सूत्र पाठ समझ लेने चाहिए ।

गृहस्थकृत पादपरिकर्म निषेध—

४८५. यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर अथवा करवट बदलवाकर उनके चरणों को वस्त्रादि से पोंछे, अथवा बार-बार पोंछे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उसके चरणों को सम्मर्दन करे या प्रमर्दन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उसके चरणों को फूंक मारे या रंगे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उनके चरणों पर तेल—यावत्—
धर्वी से मले तथा बार-बार मले तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उनके चरणों पर लोथ—यावत्—
वर्ण का उवटन करे बार-बार उवटन करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं सीओदगवियडेण वा उतिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पघोएज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं अण-तरेण विलेवणजाएणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, णो तं साइए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता पादाइं अण-तरेण धूवणजाएणं धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयट्टावेत्ता हारं वा अद्धहारं वा उरत्थं वा गेवेयं वा मण्डं वा पालवं वा सुवण-सुत्तं वा आविधेज्ज वा पिण्णिधेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे । —आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२५-७२६

गिहत्थकथ-मलणीहरणस्स अणुमोयणा णिसेहो—

४८६. से से परो कायातो सेयं वा जल्लं वा णीहरेज्ज वा विसो-हेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

से से परो अच्छिमलं वा कणमलं वा दंतमलं वा णहमलं वा णीहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२१-७२२

गिहत्थकथ रोमपरिकम्मस्स अणुमोयणा णिसेहो—

४८७. से से परो दीहाइं बालाइं दीहाइं रोमाइं दीहाइं भमुहाइं दीहाइं कक्खरोमाइं दीहाइं वत्थिरोमाइं कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७२३

भिक्षुस्स भिक्षुणीए अणमण्णकिरियाणिसेहो—

४८८. से भिक्षू वा भिक्षुणी वा अणमण्णकिरियं अज्झत्थियं संसेइयं णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७३०

अणमण्ण पायाइ परिकम्म णिसेहो—

४८९. से अणमण्ण पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे ।

—आ. सु. २, अ. १३, सु. ७३१

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उनके चरणों को प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से धोये अथवा बार-बार धोये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उनके पैरों पर किसी एक प्रकार के विलेपन द्रव्यों का एक बार या बार-बार विलेपन करे तो वह न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उनके चरणों को किसी एक प्रकार के विशिष्ट धूप से धूपित और प्रधूपित करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलंग पर लिटाकर या करवट बदलवाकर उसको हार, अर्घहार, वक्षस्यल पर पहनने योग्य आभूषण, गले का आभूषण, मुकुट, लम्बी माला, सुवर्णसूत्र बाँधे या पहनाये तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे ।

गृहस्थ द्वारा मैल निकालने की अनुमोदना का निषेध—

४८६. यदि कोई गृहस्थ साधु के शरीर से पसीने को या मैल से युक्त पसीने को (पोंछे) या साफ करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

यदि कोई गृहस्थ, साधु के आंख का मैल, कान का मैल, दांत का मैल या नख का मैल निकाले या उसे साफ करे तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

गृहस्थकृत रोम परिकर्मों की अनुमोदना का निषेध—

४८७. यदि कोई गृहस्थ साधु के सिर के लम्बे केशों, लम्बे रोमों, भीहें एवं कांख के लम्बे रोमों, लम्बे गुह्य रोमों को काटे, अथवा सँवारे, तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन और काया से भी प्रेरणा करे ।

भिक्षु भिक्षुणी की अन्योन्य परिकर्म क्रिया की अनुमोदना का निषेध—

४८८. साधु या साध्वी की अन्योन्य क्रिया-परस्पर पाद-भ्रमार्ज-नादि समस्त क्रिया, जो कि परस्पर में सम्बन्धित है, कर्मसंश्लेष-जननी है, इसलिए वह इसको न मन से चाहे, और न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे ।

अन्योन्य पादादि परिकर्म क्रिया की अनुमोदना का निषेध—

४८९. साधु या साध्वी (बिना कारण) परस्पर एक दूसरे के चरणों को पोंछकर एक बार या बार-बार पोंछकर साफ करें तो वह उसे न मन से चाहे, न वचन एवं काया से भी प्रेरणा करे ।

१—चिकित्साकरण प्रायश्चित्त (५)

विभूषा के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा के प्रायश्चित्त—१

विभूषावडियाए वणतिगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताइं—

४६०. जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं लोद्धेण वा-जाव-वणणेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उव्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ११२-११७

विभूषा के संकल्प से व्रणों की चिकित्सा करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६०. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए

व्रण का मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए

व्रण का मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए

व्रण पर तेल से—यावत्—मक्खन से,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए

व्रण पर लोध—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए

व्रण को अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

घोवे, बार-बार घोवे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर हुए

व्रण को रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषावडियाए गंडाइ तिगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताइं—

४६१. जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा, -जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिवक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अच्छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा, -जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिवक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा सोणियं वा,
नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा, -जाव-भगदलं वा,
अन्नयरेणं तिवक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,
उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूषावडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिवक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

विभूषा के संकल्प से गण्डादि की चिकित्सा करने के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

४६१. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करे, बार-बार छेदन करे,
छेदन करवावे, बार-बार छेदन करवावे,
छेदन करने वाले का, बार-बार छेदन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाले, शोधन करे,
निकलवावे, शोधन करवावे,
निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
घोए, बार बार घोए, धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
घोकर, बार-बार घोकर,
किसी एक लेप का,
लेप करे, बार-बार लेप करे,
लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे,
लेप करने वाले का, बार-बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जे भिक्षू विभूसावडियाए अप्पणो कार्यसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अम्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अम्मंगेतं वा, मक्खेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू विभूसावडियाए अप्पणो कार्यसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेत्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अम्मंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा,
अन्नयरेणं धूवणजाएणं,
धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा,

धूवंतं वा, पधूवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चारुम्मसियं परिहारद्धानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ११८-१२३

विभूसावडियाए किमिणीहरणस्स पायच्छित्तमुत्तं—

४६२. जे भिक्षू विभूसावडियाए अप्पणो—

पालुकिमियं वा, कुच्छिकिमियं वा, अंगुलीए निवेसिय निवे-
सिय नीहरेइ, नीहरेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन मले,
बार-बार मले,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर के—

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
अन्य किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलकर, बार-बार मलकर,
किसी एक प्रकार का,
धूप देवे, बार-बार धूप देवे,
धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,
धूप दिलवाने वाले का, बार-बार धूप दिलवाने वाले का
अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

विभूषा के संकल्प से कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

४६२. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने—

गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को अंगुली डाल-
डालकर निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

तं सेवमाणे भावज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।^१ उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
—नि. उ. १५, सु. १२४ आता है ।



मैथुन के संकल्प से स्व-शरीर की चिकित्सा के प्रायश्चित्त—२

मेहुणवडियाए वण तिगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताइं—

४६३. जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउगामस्स अप्पणो कायंसि—

वणं संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं तेल्लेण वा-जाव-णवणीरणं वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खंतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं लोद्धेण वा-जाव-वणणेण वा,

उल्लोल्लेज्ज वा, उद्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उद्वट्टंतं वा साइज्जइ ।

मैथुन सेवन के संकल्प से व्रण की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६३. जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण का मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण का मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण पर तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण पर लोध,—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

१ यहाँ व्रणचिकित्सा, गण्डादिचिकित्सा और कृमिचिकित्सा के सूत्र औषधक्रम से लिए गये हैं ।

निम्नूपा की दृष्टि से कोई कहीं चिकित्सा न करता है, न करवाता है, चिकित्सा का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य लाभ है । चिकित्सा में औषधादि के प्रयोग से कृमियों की हिंसा अनिवार्य है अतः यहाँ ये उसी हिंसा के प्रायश्चित्त सूत्र हैं ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

वणं फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ३६-४१

मेहुणवडियाए गंडाइ तिगिच्छाए पायच्छित्तसुत्ताइं—

४६४. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिवखेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,

अच्छिदंतं वा, विच्छिदंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिवखेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिवखेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा विसोहेत्ता वा,

जो भिक्षु, माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण को अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोवे, बार-बार धोवे,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु, माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

व्रण को रंगे, बार-बार रंगे,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से गण्डादिक चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

गण्ड—यावत्—भगन्दर को
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करे, बार-बार छेदन करे,
छेदन करवावे, बार-बार छेदन करवावे,
छेदन करने वाले का, बार-बार छेदन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

गण्ड—यावत्—भगन्दर को
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाले, शोधन करे,
निकलवावे, शोधन करवावे,
निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए,

गण्ड—यावत्—भगन्दर को
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

आलिपेंतं वा, विलिपेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपेत्ता वा, विलिपेत्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अभंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अभंगेत्तं वा, मक्खेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि—

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूर्यं वा, सोणियं वा,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, बार-बार धोये,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप करे, बार-बार लेप करे,
लेप करावे, बार-बार लेप करावे,

लेप करने वाले का, बार-बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए

गण्ड,—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाल कर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मले, बार-बार मले,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर हुए,

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,

नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,^१
 सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
 उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
 अण्णयरेणं आलेवणजाएणं,
 आलिपेत्ता वा, विलिपेत्ता वा,
 तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
 अम्मंगेत्ता वा, मवखेत्ता वा,
 अन्नयरेणं धूवणजाएणं,
 धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा,
 धूवेंतं वा, पधूवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मसियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
 —नि. उ. ६, सु. ४२-४७

मेहुणवडियाए किमि-णिहरणस्स पायच्छित्त सुत्तं —

४६५. जे भिवखू माउगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो,

पालुकिमियं वा, कुच्छिकिमियं वा, अंगुलिए निवेसिय निवे-
 सिय,
 नीहरइ, नीहरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मसियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
 —नि. उ. ६, सु. ४८

निकालकर, शोधन कर,
 अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
 धोकर, बार-बार धोकर,
 किसी एक प्रकार के लेप का,
 लेप कर, बार-बार लेप कर,
 तेल—यावत्—मक्खन,
 मलकर, बार-बार मलकर,
 किसी एक प्रकार के धूप से,
 धूप दे, बार-बार धूप दे,
 धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,
 धूप देने वाले का, बार-बार धूप देने वाले का अनुमोदन
 करे ।

उभे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
 आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से कृमि निकालने का प्रायश्चित्त
 सूत्र—

४६५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
 से) मैथुन सेवन का संकल्प करके

अपने गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को उँगली
 डाल-डालकर,

निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन
 करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
 आता है ।



मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर चिकित्सा के प्रायश्चित्त—३

मेहुणवडियाए अण्णमण्णवणतिगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताइं— मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर व्रण की चिकित्सा
 करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६६. जे भिवखू माउगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि,

वणं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

४६६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
 से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण का मार्जन करे, प्रमार्जन करे,
 मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन
 करे ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

वणं संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

वणं तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मवखेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मवखेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

वज्जं लोद्वेण वा-जाव-वणणेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोल्लेतं वा, उव्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

वणं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,

उच्छोल्लेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोल्लेतं वा, पधोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

वणं फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्माप्रियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. २६-३१

मेहुणवडियाए अणमण गंडाइ तिगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताइ—

४६७. जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण का मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण पर तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलवाने वाले का, बार-बार मलवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण पर लोध, —यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण को अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

व्रण को रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर गण्डादि की चिकित्सा करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६७. जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर हुए

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्यरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,
अच्छिदेंतं वा, विच्छिदेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्यरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्यरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेत्तं वा, पघोएत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अण्यरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अण्यरेणं आलेवण-जाएणं,
आलिपेज्ज वा, त्रिलिपेज्ज वा,

आलिपंतं वा, त्रिलिपंतं वा साइज्जइ ।

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन करे, बार-बार छेदन करे,
छेदन करवावे, बार-बार छेदन करवावे,
छेदन करने वाले का, बार-बार छेदन करने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गण्ड,—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकाले, शोधन करे,
निकलवावे, शोधन करवावे,
निकालने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके, एक दूसरे से,

गण्ड,—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, बार-बार धोये,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके, एक दूसरे के,

गण्ड—यावत्—भगन्दर की,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप करे, बार-बार लेप करे,
लेप करवावे, बार-बार लेप करवावे,
लेप करने वाले का, बार-बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जे भिक्षू माउगामस्त मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अणयरेणं तिवखेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अणयरेणं आलेवणजाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
अभंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,
अभंगेतं वा, मक्खेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्त मेहुणवडियाए अणमणस्स कायंसि,

गंडं वा-जाव-भगंदलं वा,
अणयरेणं तिवखेणं सत्थजाएणं,
अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा,
पूयं वा, सोणियं वा,
नीहरित्ता वा, विसोहेत्ता वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,
अणयरेणं आलेवण जाएणं,
आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अभंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा,
अणयरेणं धूवण-जाएणं,
धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा,
धूवंतं वा, पधूवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ३२-३७ आता है ।

हुणवडियाए अणमणकिमि-णीहरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

४६८. जे भिक्षू माउगामस्त मेहुणवडियाए अणमणस्स पालु-

किमियं वा, कुच्छि-किमियं वा,
अंगुलीए निवेसिय निवेसिय,
नीहरइ, नीहरंतं वा साइज्जइ ।

तं-सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ३८ आता है ।

जो भिक्षु माता के समान है इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गण्ड,—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन,
मले, बार-बार मले, मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गण्ड—यावत्—भगन्दर को,
किसी एक प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र से,
छेदन कर, बार-बार छेदन कर,
पीप या रक्त को,
निकालकर, शोधन कर,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोकर, बार-बार धोकर,
किसी एक प्रकार के लेप का,
लेप कर, बार-बार लेप कर,
तेल—यावत्—मक्खन, मलकर, बार-बार मलकर,
किसी एक प्रकार के धूप से,
धूप दे, बार-बार धूप दे, धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,
धूप देने वाले का, बार-बार धूप देने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर कृमि निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

४६८. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के,

गुदा के कृमियों को और कुक्षि के कृमियों को,
उंगली डाल-डालकर,
निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन

करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

(२) परिकर्मकरण-प्रायश्चित्तं

स्व-शरीर परिकर्म-प्रायश्चित्त—१

कायपरिकर्मस्स प्रायश्चित्तं सुत्ताइं—

४६६. जे भिक्षु अप्पणो कायं—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कायं—

संवाहेज्ज वा, पलिमद्देज्ज वा,

संवाहंतं वा, पलिमद्दंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कायं—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अन्नंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अन्नंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कायं—

लोद्वेण वा-जाव-वण्णेण वा,

खल्लोलेज्ज वा, उद्वद्देज्ज वा,

खल्लोलंतं वा, उद्वद्दंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कायं—

सीओदग्ग-विद्यहेण वा, उसिणोदग्ग-विद्यहेण वा,

उच्छोलेज्ज वा; पधोवेज्ज वा,

उच्छोलंतं वा, पधोवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अप्पणो कायं—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ भासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६६. जो भिक्षु अपने शरीर का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करावे, प्रमर्दन करावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर पर—

तेल—धावत्—मक्खन,

मले, वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर पर—

लोध—धावत्—वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करावे, वार-वार उवटन करावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उग्ग जल से,

धोये, वार-वार धोये,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने शरीर को—

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगावे, वार-वार रंगावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहार स्यान् (प्रायश्चित्त)

—नि. उ. ३, सु. २२-२७ आता है ।

मलणीहरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५००. जे भिक्खू अप्पणो कायाओ —

सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

णीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो—

अच्छि-मलं वा, कण्ण-मलं वा, दंत-मलं वा, णह-मलं वा,

णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

णीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ६७-६८

पायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५०१. जे भिक्खू अप्पणो पाए—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो पाए—

संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो पाए—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अम्भंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अम्भंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो पाए—

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उल्लोलेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उल्लोलंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो पाए—

सोभोवग-वियडेण वा, उत्तिणोवग-वियडेण वा,

मैल दूर करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५००. जो भिक्षु अपने शरीर से—

श्वेद (पसीना) को, जल (जमा हुआ मैल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने—

आँख के मैल को, कान के मैल को, दाँत के मैल को, नख के मैल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

पादपरिकमं के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०१. जो भिक्षु अपने पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करावे, प्रमार्जन करावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने पैरों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने पैरों पर—

तेल,—यावत्—नवनीत (मक्खन),

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने पैरों पर—

लोध,—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करावे, बार-बार उवटन करावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने पैरों को—

अचित्त शीत जल से और अचित्त उष्ण जल से,

उच्छोलेज्ज वा, पघोवेज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो पाए—

फूमैज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमैतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. १६-२१

णहसिहापरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५०२. जे भिक्खू अप्पणो दीहाओ णहसिहाओ—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ४१

जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५. जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं जंघ-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं कक्ख-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं मंसु-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं वत्थि-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं चक्खु रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ४२-४६

धोये, वार-वार धोये,

धुलावे, वार-वार धुलावे,

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने पैरो को—

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगावे, वार-वार रंगावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

नखाग्र भागों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५०२. जो भिक्षु अपने लम्बे नखाग्रों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

जंघादिरोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०३. जो भिक्षु अपने जाँघ (पिन्डली) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने वगल (कांख) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने श्मश्रु (दाढ़ी) मूँछ के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने वस्ति के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने चक्षु के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

ओष्ठपरिकर्मस्सपायश्चित्त सुत्ताइं—

५०४. जे भिक्खू अप्पणो उट्टे—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो उट्टे—

संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहंतं वा, पलिमहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो उट्टे—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अहमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अहमंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो उट्टे—

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उव्वट्टंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो उट्टे—

सीओदग-विपडेण वा, उत्तिणोदग विपडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो उट्टे—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाहंयं ।

—नि. उ. ३, सु. ५०-५५

उत्तरोट्ठाइरोमाणं पायश्चित्त सुत्ताइं—

५०५. जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं उत्तरोट्ट-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पंतं वा, संठवंतं वा साइज्जइ ।

ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०४. जो भिक्षु अपने होठों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने होठों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने होठों पर—

तेल—घाबत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने होठों पर—

लोध—घाबत्—उर्ण का,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे,

उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे,

उबटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने होठों को—

अचित्त भीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने होठों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) जाता है ।

उत्तरोट्ठादि रोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०५. जो भिक्षु अपने लम्बे उत्तरोष्ठ रोम—

(होठ के नीचे के लम्बे रोम),

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्खू अप्पणो दोहाइं णासा-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ५६

दंतपरिकर्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५०६. जे भिक्खू अप्पणो दंते—
आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा,

आघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो दंते—
उच्छोत्तेज्ज वा, पघोवेज्ज वा,

उच्छोल्लेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो दंते—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ४७-४९

चक्खु परिकर्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५०७. जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि—
संवाहेज्ज वा, पलिमद्वेज्ज वा,

संवाहंतं वा, पलिमद्वेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि—
तेल्लेण वा-जाय-णवणीएण वा,
अम्मगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अम्मगंतं वा, मक्खेतं वा, साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि—

जो भिक्षु अपने नाक के लम्बे रोम—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

दन्त परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०६. जो भिक्षु अपने दांतों को—
घिसे, बार-बार घिसे,

घिसवावे, बार-बार घिसवावे,

घिसने वाले का, बार-बार घिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने दांतों को—

घोये, बार-बार घोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने दांतों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

चक्षु परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०७. जो भिक्षु अपनी आँखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपनी आँखों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपनी आँखों पर—

तेल—घाबत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपनी आँखों पर—

लोद्रेण वा-जाव-वर्णेण वा,

उल्लोल्लेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,
उल्लोल्लेतं वा, उव्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज वा,

उच्छोल्लेतं वा, पधोवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ५८-६३

अच्छिपत्तपरिकम्म पायच्छित्त सुत्तं—

५०८. जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं अच्छि-पत्ताइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ५७

धुमगाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५०९. जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं धुमग-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं पास-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ६४-६५

केस परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५१०. जे भिक्खू अप्पणो दीहाइं केसाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ६६

लोध्र—यावत्—वर्णं का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का

अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपनी बाँखों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोवे, बार-बार धोवे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपनी आँखों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अक्षिपत्र-परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५०८. जो भिक्षु अपने लम्बे अक्षि पत्रों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

भौंहादिरोम परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५०९. जो भिक्षु अपने भौंह के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अपने पार्श्व के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

केशों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५१०. जो भिक्षु अपने लम्बे केशों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

सीसदुवारियं करणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५११. जे भिक्खू गामाणुगामं दूइज्जमाणे अप्पणो सीसदुवारियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मात्तियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ३, सु. ६६

मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५११. जो भिक्षु ग्रामानुग्राम जाता हुआ अपने मस्तक को— ढकता है,
ढकवाता है, और ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) माता है ।



परस्पर शरीर परिकर्म प्रायश्चित्त—२

अणमणस्सकाय परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

५१२. जे भिक्खू अणमणस्स कायं—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,
आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू अणमणस्स कायं—
संवाहेज्ज वा, पलिमट्टेज्ज वा,
संवाहंतं वा, पलिमट्टंतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू अणमणस्स कायं—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,
मक्खंतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू अणमणस्स कायं—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उच्चट्टेज्ज वा,
उल्लोलंतं वा, उच्चट्टंतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू अणमणस्स कायं—
सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,
उच्छोलंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

एक दूसरे के शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१२. जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर का—
मार्जन करे, प्रमार्जन करे,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।
जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर का—
मर्दन करे, प्रमर्दन करे,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।
जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर—
तेल—यावत्—मक्खन,
मले, वार-वार मले,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।
जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर पर—
लोध—यावत्—वर्ण का,
उवटन करे, वार-वार उवटन करे,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।
जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर को—
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, वार-वार धोये,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु अणमणस्स कायं—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमैतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ४, सु. ५५-६०

अणमणस्स मलणिहरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५१३. जे भिक्षु अणमणस्स अच्छि मलं वा, कण्ण-मलं वा, दंत-
मलं वा, नह-मलं वा,
नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरैतं वा, विसोहैतं वा साइज्जइ ।
जे भिक्षु अणमणस्स कायाओ—सेयं वा, जल्लं वा, पंकं
वा, मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरैतं वा, विसोहैतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ४, सु. ६६-१००

अणमणस्स पाययरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५१४. जे भिक्षु अणमणस्स पाए—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स पाए—
संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहैतं वा, पलिमहैतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स पाए—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खैतं वा, भिल्लिगैतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स पाए—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलैतं वा, उव्वट्टैतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

एक दूसरे के मल निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१३. जो भिक्षु एक दूसरे के आँखों के मँल को, कान के मँल
को, दाँत के मँल को, नख के मँल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के शरीर से स्वेद (पसीना) को जल्ल,
(जमा हुआ मँल) पंक (लगा हुआ कीचड़). मल्ल (लगी हुई
रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

एक दूसरे के पाद परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१४. जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों पर—

तेल—थावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों पर—

लोध,—थावत्—वर्ण का,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे,

उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे,

उबटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु अणमणस्स पाए—
सीओदगवियडेण वा, उतिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स पाए—
फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ४६-५४

अणमणस्स गहसीहापरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५१५. जे भिक्षु अणमणस्स दीहाओ नह-सीहाओ—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ७४

अणमणस्स जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं —

५१६. जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं जंघ-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं कवख-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं मंसु-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं वत्थि-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों को—

अचित्त शीत जल से यां अचित्त उष्ण जल से,
घोये, वार-वार घोये,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

घोने वाले का, वार-वार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पैरों को—

रंगे, वार-वार-वार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के नखाग्र काटने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५१५. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे नखाग्रों को —

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के जंघादि के रोमों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त
सूत्र—

५१६. जो भिक्षु एक दूसरे के जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों
को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे की कुक्षि (काँख) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के श्मथु (दाढ़ी मूँछ) के लम्बे रोमों

को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के वस्ति के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षू अणमणस्स दीहाइं चक्खु-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उगघाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ७५-७६

अणमणस्स ओट्टु परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५१७. जे भिक्षू अणमणस्स उट्टे—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अणमणस्स उट्टे—
संवाहेज्ज वा, पल्लिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पल्लिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अणमणस्स उट्टे,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अणमणस्स उट्टे—
लोल्लेण वा-जाव-वणणेण वा,
उल्लोल्लेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोल्लेतं वा, उव्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अणमणस्स उट्टे—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोल्लेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोल्लेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अणमणस्स उट्टे—
फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,
फुमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उगघाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ५३-५५

जो भिक्षु एक दूसरे की चक्षु के लम्बे रोमों को—
काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के होठों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१७. जो भिक्षु एक दूसरे के होठों का—
मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों पर—

लोध—यावत्—वर्ण का,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे,—

उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे,

उबटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के होठों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अणमणस्स उत्तरोष्ठरोमाइं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—
सूत्र—

५१८. जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं उत्तरोष्ठरोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं णासा-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ८६

अणमणस्स दंतपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५१९. जे भिक्षु अणमणस्स दंते—

आघंतेज्ज वा, पघंतेज्ज वा,

आघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दंते—

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दंते—

फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ८०-८२

अणमणस्स चक्खु परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५२०. जे भिक्षु अणमणस्स अच्छीणि—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स अच्छीणि—

संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ ।

५१८. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे उत्तरोष्ठ रोम (होठ के नीचे लम्बे रोम) —

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के नाक के लम्बे रोम—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के दाँतों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१९. जो भिक्षु एक दूसरे के दाँतों को—

घिसे, वार-वार घिसे,

घिसवावे, वार-वार घिसवावे,

घिसने वाले का, वार-वार घिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के दाँतों को—

धोए, वार-वार धोए,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के दाँतों को—

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे की आँखों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५२०. जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु अणमणस्स अच्छीणि—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स अच्छीणि—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उध्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उध्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स अच्छीणि—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पधोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स अच्छीणि—
फुमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फुमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ६१-६६

अणमणस्स अच्छीपत्तपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५२१. जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं अच्छिपत्ताइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ६०

अणमणस्स भमुगाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५२२. जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं भूमग-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अणमणस्स दीहाइं पास-रोमाइं—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों पर—

तेल — यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों पर—

लोध—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का

अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे की आँखों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के अक्षिपत्र के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५२१. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे अक्षिपत्रों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के भौंह आदि के परिकर्मों के प्रायश्चित्त के सूत्र—

५२२. जो भिक्षु एक दूसरे के भौंह के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु एक दूसरे के पार्श्व के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

कप्पेतं वा, संठव्वेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ९७-९८

अणमणस्स केस-परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५२३. जे भिक्खू अणमणस्स दीहाइं केसाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठव्वेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ९८

अणमणस्स सीसदुवारियंकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५२४. जे भिक्खू गामाणुगामियं दुइज्जमाणे—

अणमणस्स सीसदुवारियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. १०१

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

एक दूसरे के केशों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५२३. जो भिक्षु एक दूसरे के लम्बे केशों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

एक दूसरे के मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५२४. जो भिक्षु ग्रामानुग्राम जाते हुए एक दूसरे के मस्तक को—

ढकता है, ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।



अन्यतीर्थिकादि द्वारा स्व-शरीर का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त—३

कायपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५२५. जे भिक्खू अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं—

आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,

आमज्जाव्वेतं वा, पमज्जाव्वेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं—

संबाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा,

संबाहाव्वेतं वा, पलिमद्दाव्वेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,

मक्खाव्वेतं वा, भिल्लिगाव्वेतं वा साइज्जइ ।

शरीर का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५२५. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर का—

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर का—

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर को—

तेल—घावत्—मक्खन से,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उच्चट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेत्तं वा, उच्चट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं—
सोभोदण-वियडेण वा, उसिणोदण-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायं—
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. १९-२४

मलणीहरावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५२६. जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो —
अच्छिमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,

नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो कायाओ—
सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मल्लं वा,

नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. ६३-६४

पाय-परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५२७. जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पादे—
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पादे—
संबाहावेज्ज वा, पलिमहावेज्ज वा,

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर को—
लोध—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, बार-बार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर को—
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने शरीर को—
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मल दूर करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५२६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने—
आंख के मँल को, कान के मँल को, दाँत के मँल को, नख
के मँल को,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने—
शरीर से स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मँल) को,
पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पैरों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५२७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पैरों का—
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पैरों का—
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

संवाहावेतं वा, पलिमट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पादे—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खवावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खवावेतं वा, भिल्लिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पादे—
लोद्वेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उद्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेतं वा, उद्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पादे—
सीओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेतं वा, पघोयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो पादे—
फूमावेज्जा वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. १३-३८

णहसीहाए परिकम्मकारावणस पायच्छित्त सुत्तं—
५२८. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा दीहाओ नह-
सिहाओ—

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. ३८

जंघाइरोमाणं परिकम्मकारावणस पायच्छित्त सुत्ताइं—
५२९. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा दीहाइं जंघ-
रोमाइं—
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा दीहाइं कक्ख-
रोमाइं—

मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पैरों को—
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पैरों को—
लोध—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पैरों को—
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने पैरों को—
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

नखाग्र परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—
५२८. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से लंबे नखाग्रों को—

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

जंघादि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५२९. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से जंघा (पिण्डली) के
लम्बे रोमों को—

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से वगल (कांख) के लम्बे
रोमों को—

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा दीहाइं मंसु-
रोमाइं—
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा दीहाइं वत्थि-
रोमाइं—
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा दीहाइं चक्खु-
रोमाइं—
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. ३६-४३

ओठु परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५३०. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे—
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे—
संवाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा,
संवाहावेतं वा, पलिमद्दावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, भिल्लिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेतं वा, उव्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से श्मश्रु (दाढ़ी मूँछ)
के लम्बे रोमों को—
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से वस्ति के लम्बे रोमों
को—
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से लम्बे चक्षु रोमों
को—
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

होठों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३०. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों का—
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों का—
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों को—
तेल—घावत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों पर—
लोध—घावत्—वर्ण का,
उबटन करवावे, वार-वार उबटन करवावे,
उबटन करवाने वाले का, वार-वार उबटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो उट्टे—
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ४७-५२

उत्तरोष्ठादिरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सत्ताइं—

५३१. जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो बीहाइं
उत्तरोट्टरोमाइं—
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो णासा
रोमाइं—

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ५३

दंतपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५३२. जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दंतं—
आघंसावेज्ज वा, पघंसावेज्ज वा,
आघंसावेत्तं वा, पघंसावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दंतं—
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दंतं—
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों पर—
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने होठों को—
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

उत्तरोष्ठादि रोमों के परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

५३१. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने लम्बे उत्त-
रोष्ठ रोम (होठों के नीचे के लम्बे रोम)
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने नाक के लम्बे
रोम—

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

दाँतों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने दाँतों को—
धिसवावे, बार-बार धिसवावे,
धिसवाने वाले का, बार-बार धिसवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने दाँतों को—
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने दाँतों को—
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ४४-४६

अच्छीपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५३३. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि—

आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि—
संवाहावेज्ज वा, पलिमद्दावेज्ज वा,
संवाहावेत्तं वा, पलिमद्दावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेत्तं वा, भिल्लिगावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि—
लोल्लेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेत्तं वा, उव्वट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि—
सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि—
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ५५-६०

अच्छीपत्त-परिकम्म-कारावणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५३४. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दीहाइं
अच्छीपत्ताइं—

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ५४

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

आँखों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों का—

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों का—
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों पर—
तेल,—यावत्—मक्खन,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलवाने वाले का, बार-बार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों पर—
लोध,—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, बार-बार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों का—
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपनी आँखों को—
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अक्षीपत्रों के परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५३४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अपने लम्बे अक्षि-
पत्रों को—

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

- शुमगरोमाइ परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं— भौंहों आदि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—
५३५. जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दीहाइं ५३५. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपने भौंहों के लंबे रोमों को—
शुमगरोमाइं— कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।
- जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दीहाइं ५३५. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपने पाश्र्व के लम्बे रोमों को—
पासरोमाइं— कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।
- तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।
—नि. उ. १५, सु. ६१-६२
- केश-परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्तं— केश परिकर्म करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—
५३६. जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा अप्पणो दीहाइं ५३६. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से अपने लम्बे केशों को—
केसाइं— कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे।
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।
- तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।
—नि. उ. १५, सु. ६२
- सीसदुवारियं कारावणस्स पायच्छित्त सुत्तं— मस्तक ढकवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—
५३७. जे भिक्षु अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा गामाणुगामं ५३७. जो भिक्षु अन्यतीथिक से या गृहस्थ से ग्रामानुग्राम जाता हुआ अपने मस्तिष्क को—
दुइज्जमाणे अप्पणो सीसदुवारियं— ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।
कारावेइ, कारावेत्तं वा साइज्जइ । उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. ६५



अन्यतीर्थिकादि द्वारा निर्ग्रन्थी-निर्ग्रन्थ के प्रायश्चित्त—४

निर्ग्रन्थिणा निर्ग्रन्थ काय-परिकर्म-कारावणस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५३८. जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
संवाहावेज्ज वा, पलिमट्टावेज्ज वा,
संवाहावेतं वा, पलिमट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, भिल्लिगावेतं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेतं वा, उव्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेतं वा, पघोयावेतं वा साइज्जइ ।

जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्स कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. २१-२६

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के शारीरिक परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५३८. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलवाने वाली का, बार-बार मलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोध,— यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाली का, बार-बार उवटन करवाने वाली
का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, बार-बार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाली का, बार-बार रंगवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निग्रन्थिणा निग्रन्थं अच्छी आईणं मल-णीहरावणस्स पायच्छित्तं सुत्ताइं—

५३६. जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स—

अच्छिमलं वा, कणमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स—

कापाओ सेयं वा, जत्तं वा, पंक्कं वा, मल्लं वा,

अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेयमाणे भावज्जइ चाउत्थमात्थियं परिहारद्वानं ऽग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, गु. ६५-६६

निग्रन्थिणा निग्रन्थं पायपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्तं सुत्ताइं—

५४०. जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स पादे—

अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स पादे—

अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
संभाहावेज्ज वा, पत्थिमहावेज्ज वा,
संभाहावेत्तं वा, पत्थिमहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स पादे—

अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
तेत्थेण वा-जाय-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, मिनिगावेज्ज वा,
मक्खावेत्तं वा, मिनिगावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्रन्थी निग्रन्थस्स पादे—

अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
लोद्वेण वा-जाय-णवणेण वा,
उत्थोलावेज्ज वा, उवट्टावेज्ज वा,
उत्थोलावेत्तं वा, उवट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

निग्रन्थी द्वारा निग्रन्थ का मूल निकलवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३६. जो निग्रन्थी निग्रन्थ के—

आईणों के मूल को, कान के मूल को, दाँत के मूल को, नख के मूल को, अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करवाने वाली का, शोधन करवाने वाली का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के—

स्वेद (पत्तीना) को, जल्ल (जमा हुआ मूल) को, पंक्क (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करवाने वाली का, शोधन करवाने वाली का अनुमोदन करे ।

उसे चानुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निग्रन्थी द्वारा निग्रन्थ के पैरों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४०. जो निग्रन्थी निग्रन्थ के पैर का—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के पैर का—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के पैर पर—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलवाने वाली का, बार-बार मलवाने वाली का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थी निग्रन्थ के पैरों पर—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
लोध का—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाली का, बार-बार उवटन करवाने वाली का अनुमोदन करे ।

जा निगन्थी निगन्थस्स पादे—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगन्थी निगन्थस्स पादे—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १५-२०

निगन्थिणा निगन्थं णहसिहा परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्तं सुत्तं—

५४१. जा निगन्थी निगन्थस्स दीहाओ नहसिहाओ—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ४०

निगन्थिणा निगन्थं जंघाइ रोमाणं परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्तं सुत्ताइं—

५४२. जा निगन्थी निगन्थस्स दीहाइं जंघरोमाइं—

अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगन्थी निगन्थस्स दीहाइं फवखरोमाइं—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगन्थी निगन्थस्स दीहाइं मंसुरोमाइं—

अणउत्थिएण वा. गारत्थिएण वा

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पैरों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, बार-बार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पैरों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाली का, बार-बार रंगवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के नखाग्रों का परिकर्म करवाने का
प्रायश्चित्त सूत्र—

५४१. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के लम्बे नखाग्रों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के जंघादि के रोमों का परिकर्म
करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४२. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों
को—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के बगल (कांख) के लम्बे रोमों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के श्मश्रु (दाढ़ी मूँछ) के लम्बे रोमों
को—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,

कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्गंथी निग्गंथस्स दीहाइं वत्थिरोमाइं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्गंथी निग्गंथस्स दीहाइं चक्खुरोमाइं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ४१-४५

निग्गंथिणा निग्गंथ ओट्टुपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५४३. जा निग्गंथी निग्गंथस्स उट्टे—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्गंथी निग्गंथस्स उट्टे—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
संवाहावेज्ज वा, पलिमट्ठावेज्ज वा,
संवाहावेत्तं वा, पलिमट्ठावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्गंथी निग्गंथस्स उट्टे—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेत्तं वा, भिल्लिगावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निग्गंथी निग्गंथस्स उट्टे—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्ठावेज्ज वा,
उल्लोलावेत्तं वा, उव्वट्ठावेत्तं वा साइज्जइ ।

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के वस्ति के लम्बे रोमों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के लम्बे लक्षु रोमों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के होठों का परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५४३. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, बार-बार मलवावे,
मलवाने वाली का, बार-बार मलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोध—यावत्—वर्ण से,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाली का, बार-बार उवटन करवाने वाली
का अनुमोदन करे ।

जा निगंघी निगंघ्यस्स उट्टे—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सोओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगंघी निगंघ्यस्स उट्टे—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मात्थियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ४९-५४

निगंघिणा निगंघ्य उत्तरोट्टाइ रोमाणं परिकम्मकारावण-
स्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

५४४. जा निगंघी निगंघ्यस्स दीहाइं उत्तरोट्ट रोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

[जा निगंघी निगंघ्यस्स दीहाइं णासा रोमाइं—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।]

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मात्थियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ५५

निगंघिणा निगंघ्य दंतं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त
सुत्ताइ—

५४५. जा निगंघी निगंघ्यस्स दंते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आघंसावेज्ज वा, पघंसावेज्ज वा,
आघंसावेत्तं वा, पघंसावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगंघी निगंघ्यस्स इत्ते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, बार-बार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के होठों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाली का, बार-बार रंगवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के उत्तरोष्ठ रोमों के परिकर्म कर-
वाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४४. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के उत्तरोष्ठ लम्बे रोमों (होठ के
नीचे के लम्बे रोम) को

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के नासिका के लम्बे रोमों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के दाँतों का परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५४५. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के दाँतों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
घिसवावे, बार-बार घिसवावे,
घिसवाने वाली का, बार-बार घिसवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के दाँतों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, बार-बार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जा निगमंथी निगमंथस्स वंते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

— नि. उ. १७, सु. ४६-४८

निगमंथिणा निगमंथ अच्छी परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्त सुत्ताइं—

५४६. जा निगमंथी निगमंथस्स अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगमंथी निगमंथस्स अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
संबाहावेज्ज वा, पलिमट्ठावेज्ज वा,
संबाहावेत्तं वा, पलिमट्ठावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगमंथी निगमंथस्स अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेत्तं वा, भिल्लिगावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगमंथी निगमंथस्स अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेत्तं वा, उव्वट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगमंथी निगमंथस्स अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जा निगमंथी निगमंथस्स अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के दाँतों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाली का, बार-बार रंगवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ की आँखों का परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५४६. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों का—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाली का, प्रमार्जन करवाने वाली का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों का—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाली का, प्रमर्दन करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों पर—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, व र-बार मलवावे,
मलवाने वाली का, बार-बार मलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों पर—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोध,—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाली का, बार-बार उवटन करवाने वाली
का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाली का, बार-बार धुलवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ की आँखों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,

कृमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
कृमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १९, सु. ५७-६२

णिग्गंधिणा णिग्गंध अच्छीपत्त परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्त सुत्तं—

५४७. जा णिग्गंधी णिग्गंधस्स दीहाइं अच्छिपत्ताइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ५६

णिग्गंधिणा णिग्गंध भुमगाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्त सुत्ताइं—

५४८. जा णिग्गंधी णिग्गंधस्स दीहाइं भुमगरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा संठवावेतं वा साइज्जइ ।

जा णिग्गंधी णिग्गंधस्स दीहाइं पासरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ६३-६४

णिग्गंधिणा णिग्गंधस्स केश परिकम्मकारावणस्स पाय-
च्छित्त सुत्ताइं—

५४९. (जा णिग्गंधी णिग्गंधस्स दीहाइं केशाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ६५

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाली का, वार-वार रंगवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के अक्षीपत्रों का परिकर्म करवाने
का प्रायश्चित्त सूत्र—

५४७. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के लम्बे अक्षि पत्रों को—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के भौंहों आदि के परिकर्म करवाने
के प्रायश्चित्त सूत्र—

५४८. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के भौंहों के लम्बे रोमों को—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के पार्श्व के लम्बे रोमों को—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के केश परिकर्म करवाने का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५४९. जो निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थ के लम्बे केशों को—

अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाली का, सुशोभित करवाने वाली का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ का मस्तक ढकवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५५०. जा निर्ग्रन्थी निर्ग्रन्थस्य सामानुग्रामं ब्रह्मजमाने—
अण्डत्तियेण वा, गारत्तियेण वा,
सोसदुवारियं कारावेह, कारावेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाद्धमासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ६७ आता है ।

निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ का मस्तक ढकवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५५०. जो निर्ग्रन्थी ग्रामानुग्राम जाते हुए निर्ग्रन्थ के मस्तक को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
ढकवाती है, ढकवाने वाली का अनुमोदन करती है ।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



अन्यतीर्थिकादि द्वारा निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के प्रायश्चित्त—५

निर्ग्रन्थेण निर्ग्रन्थो कायपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुराई—

५५१. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थोए कायं—
अण्डत्तियेण वा, गारत्तियेण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेतं वा, पमज्जावेतं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थोए कायं—
अण्डत्तियेण वा, गारत्तियेण वा,
संबाहावेज्ज वा, पलिमट्टावेज्ज वा,
संबाहावेतं वा, पलिमट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थोए कायं—
अण्डत्तियेण वा, गारत्तियेण वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भित्तिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, भित्तिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थोए कायं—
अण्डत्तियेण वा, गारत्तियेण वा,
लोद्रेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उत्तलोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उत्तलोलावेतं वा, उव्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के शरीर परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५५१. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर का—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर का—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—घाघत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर पर—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोध—घाघत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए कायं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ७४-७६

निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थी मलणिहरावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५५२. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए—

अच्छिमलं वा, कण्णमलं वा, वंतमलं वा, नहमलं वा,

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए—

कायाओ सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
नीहरावेज्ज वा, विसोहावेज्ज वा,
नीहरावेत्तं वा, विसोहावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ११८-११९

निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थी पायपरिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५५३. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए पावे—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के शरीर को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी का (आंखों आदि के) मैल निकल-
वाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५५२. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी की—

आंख के मैल को, कान के मैल को, दाँत के मैल को, नख
के मैल को,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के—

स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मैल), पंक (लगा
हुआ कीचड़), मल्ल (लगी हुई रज) को,

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
दूर करवावे, शोधन करवावे,
दूर करवाने वाले का, शोधन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरों का परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५५३. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जे निगंग्ये निगंग्यीए पावे—

अणउत्तिएण वा, गारत्तिएण वा,
संवाहावेज्ज वा, पल्लिमहावेज्ज वा,
संवाहावेत्तं वा, पल्लिमहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निगंग्ये निगंग्यीए पादे—

अणउत्तिएण वा, गारत्तिएण वा,
तेत्तेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मवसावेज्ज वा, मित्तिगावेज्ज वा,
मवसावेत्तं वा, मित्तिगावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निगंग्ये निगंग्यीए पादे—

अणउत्तिएण वा, गारत्तिएण वा,
सोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उत्तलोलावेज्ज वा, उत्त्वट्टावेज्ज वा,
उत्तलोलावेत्तं वा, उत्त्वट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निगंग्ये निगंग्यीए पादे—

अणउत्तिएण वा, गारत्तिएण वा,
सोमोवण-वियडेण वा, उत्तिणोवण-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निगंग्ये निगंग्यीए पादे—

अणउत्तिएण वा, गारत्तिएण वा,
फूमावेज्जा वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ६८-७३

निगंग्येण णहसीहाए परिक्रमकारावणस्स पायच्छित्त-सुत्तं—

५५४. जे निगंग्ये निगंग्यीए बीहाओ नहसिहाओ—

अणउत्तिएण वा, गारत्तिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. ६३

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल—धावत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
सोध—धावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पैरों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे;
रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के नखाग्रों का परिक्रमं करवाने का
प्रायश्चित्त सूत्र—

५५४. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के लंबे नखाग्रों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थेण निर्ग्रन्थी जंघाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५५५. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दीहाइं जंघरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दीहाइं कक्खरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दीहाइं मंसुरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दीहाइं वत्थिरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दीहाइं चक्खुरोमाइं—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि उ. १७, सु. ६४-६८

निर्ग्रन्थेण निर्ग्रन्थी ओट्टु परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५५६. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए उट्टे—

अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के जंघा आदि के रोमों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५५५. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के वगल (कांस) के लम्बे रोमों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के श्मश्रु (दाढ़ी मूँछ) के लम्बे रोमों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के वस्ति के लम्बे रोमों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के चक्षु के लम्बे रोमों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के होठों का परिकर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५५६. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के होठों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जे निग्रन्थे निग्रन्थीए उट्टे—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
संबाहावेज्ज वा, पल्लिमट्टावेज्ज वा,
संबाहावेत्तं वा, पल्लिमट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्रन्थे निग्रन्थीए उट्टे—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, भिल्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेत्तं वा, भिल्लिगावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्रन्थे निग्रन्थीए उट्टे—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
ल्लोद्वेण वा-जाव-णवणेण वा,
उल्लोल्लावेज्ज वा, उल्लोल्लावेत्तं वा,
उल्लोल्लावेत्तं वा, उल्लोल्लावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्रन्थे निग्रन्थीए उट्टे—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उल्लोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पधोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निग्रन्थे निग्रन्थीए उट्टे—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आयज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १०२-१०७

निग्रन्थेण निग्रन्थी उत्तरोट्ट रोमाणं परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्तं सुत्ताइं—

५५७. जे निग्रन्थे निग्रन्थीए दीहाइं उत्तरोट्ट रोमाइं—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

(जे निग्रन्थे निग्रन्थीए दीहाइं णासा रोमाइं—

अण्णउत्तियएण वा, गारत्तियएण वा,

जो निग्रन्थ निग्रन्थी के होठों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी के होठों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
तेल,—यावत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी के होठों पर—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
लोघ—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी के होठों पर—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ द्वारा,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी के होठों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन करे ।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निग्रन्थ-निग्रन्थी के उत्तरोष्ठादि रोमों का परिकर्म कर-
वाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५५७. जो निग्रन्थ निग्रन्थी के उत्तरोष्ठा के लम्बे रोमों (होठ के
नीचे के लम्बे रोम) को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

(जो निग्रन्थ निग्रन्थी के नासिका के लम्बे रोमों को—

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,

कप्येज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्येत्तं वा, संठवेत्तं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १०८

निर्ग्रन्थेण निर्ग्रन्थी दंतपरिकर्मकारावणस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५५८. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दंते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आघंसावेज्ज वा, पघंसावेज्ज वा,
आघंसावेत्तं वा, पघंसावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दंते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पघोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेत्तं वा, पघोयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए दंते—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेत्तं वा, रयावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ९९-१०१

निर्ग्रन्थेण निर्ग्रन्थी अच्छीपरिकर्मकारावणस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५५९. जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
आमज्जावेज्ज वा, पमज्जावेज्ज वा,
आमज्जावेत्तं वा, पमज्जावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
संबाहावेज्ज वा, पलिमहावेज्ज वा,
संबाहावेत्तं वा, पलिमहावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे निर्ग्रन्थे निर्ग्रन्थीए अच्छीणि—
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,

कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के दाँतों का परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५५८. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के दाँतों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
घिसवावे, बार-बार घिसवावे,
घिसवाने वाले का, बार-बार घिसवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के दाँतों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, बार-बार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के दाँतों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, बार-बार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी की आँखों के परिकर्म करवाने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५५९. जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी की आँखों का—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करवाने वाले का, प्रमार्जन करवाने वाले का अनु-
मोदन करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी की आँखों का—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,
मर्दन करवाने वाले का, प्रमर्दन करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी की आँखों पर—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खावेज्ज वा, मिर्लिगावेज्ज वा,
मक्खावेतं वा, मिर्लिगावेतं वा साइज्जइ ।

जे निगन्थे निगन्थीए अच्छीणि—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
लोद्रेण वा-जाव-वणेण वा,
उल्लोलावेज्ज वा, उव्वट्टावेज्ज वा,
उल्लोलावेतं वा, उव्वट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे निगन्थे निगन्थीए अच्छीणि—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलावेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,
उच्छोलावेतं वा, पधोयावेतं वा साइज्जइ ।

जे निगन्थे निगन्थीए अच्छीणि—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
फूमावेज्ज वा, रयावेज्ज वा,
फूमावेतं वा, रयावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ११०-११५

निगन्थेण निगन्थी अच्छिपत्त परिकम्मकारावणस्स पाय-
च्छित्त सुत्तं—

५६०. जे निगन्थे निगन्थीए दीहाइं अच्छिपत्ताइं—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १०६-११०

निगन्थेण निगन्थी भुमगाइरोमाणं परिकम्मकारावणस्स
पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६१. जे निगन्थे निगन्थीए दीहाइं भुमग-रोमाइं—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेतं वा, संठवावेतं वा साइज्जइ ।

तेल—यावत्—मक्खन,
मलवावे, वार-वार मलवावे,
मलवाने वाले का, वार-वार मलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी की आँखों पर—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
लोघ—यावत्—वर्ण का,
उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,
उवटन करवाने वाले का, वार-वार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी की आँखों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धुलवावे, वार-वार धुलवावे,
धुलवाने वाले का, वार-वार धुलवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो निग्रन्थ निग्रन्थी की आँखों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
रंगवावे, वार-वार रंगवावे,
रंगवाने वाले का, वार-वार रंगवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निग्रन्थ द्वारा निग्रन्थी के अक्षीपत्रों का परिकर्म करवाने
का प्रायश्चित्त सूत्र—

५६०. जो निग्रन्थ निग्रन्थी के लम्बे अक्षि पत्रों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुगोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुगोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निग्रन्थ द्वारा निग्रन्थी के भीह आदि के रोमों का परि-
कर्म करवाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६१. जो निग्रन्थ निग्रन्थी के भीहों के लम्बे रोमों को—
अन्यतीथिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुगोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुगोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

जे निग्नान्ये निग्नान्यीए दीहाइं पास-रोमाइं—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ११६-११७

निग्नान्येण निग्नान्यी केसाइं परिकम्मकारावणस्स पायच्छित्त
सुत्तं—

५६२. (जे निग्नान्ये निग्नान्यीए दीहाइं केसाइं—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
कप्पावेज्ज वा, संठवावेज्ज वा,
कप्पावेत्तं वा, संठवावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. ११७

निग्नान्येण निग्नान्यी सीसदुवारियं कारावणस्स पायच्छित्त
सुत्तं—

५६३. जे निग्नान्ये निग्नान्यीए गामाणुगामं द्दुज्जमाणे—
अणउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा,
सीसदुवारियं कारावेइ, कारावेत्तं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १२०

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के पार्श्व के लम्बे रोमों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के केश परिकर्म करवाने का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५६२. (जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के लम्बे केशों को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
कटवावे, सुशोभित करवावे,
कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के मस्तक को ढकवाने का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५६३. जो निर्ग्रन्थ ग्रामानुग्राम जाती हुई निर्ग्रन्थी के मस्तक को—
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से,
ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

□ अ

अन्यतीर्थिक के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त—६

अणउत्थियस्स गारत्थियस्स कायपरिकम्मस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५६४. जे भिक्षू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वां कार्यं—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर परिकर्म का प्रायश्चित्त
सूत्र—

५६४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर का,
मार्जन करे, प्रमार्जन करे,
मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,
मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा कायं—
संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा कायं—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा कायं—
लोद्वेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उद्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उद्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा कायं—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा,
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. १७-२२

अण्डतियस्स गारतियस्स मलणिहरणपायच्छित्त
सुत्ताइ—

५६५. जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा—
अच्छिमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्डतियस्स वा, गारतियस्स वा—
कायाओ, सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मल्लं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर को,

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर पर,

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर पर,

लोध—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर को,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, वार-वार धोये,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे,

धोने वाले का, वार-वार धाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के शरीर को—

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के मूल निकालने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

५६५. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के—

आँख के मूल को, कान के मूल को, दाँत के मूल को, नख
के मूल को—

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के—

शरीर के स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मूल) को,

पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।

तं त्रेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ६१-६२

अणउत्थियस्स गारत्थियस्स पायपरिकम्म पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५६६. जे भिक्खू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा पाए—
आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा पाए—
संवाहेज्ज वा, रलिमहेज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा पाए—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिल्लिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा पाए—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उक्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उक्वट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा पाए—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा पाए—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं त्रेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ११-१६

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त
सूत्र—

५६६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,!

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों पर—

लोघ—यावत्—उणं का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पैरों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स णहपरिकम्म-पायच्छित्त
सुत्तं—

५६७. जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाओ नह-
सिहाओ—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ३६

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स जंघाइरोम-परिकम्म-पाय-
च्छित्त सुत्ताइं—

५६८. जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं जंघ-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा, दीहाइं कक्ख-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं मंसु-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं वत्थि-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं चक्खु
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ३७-४१

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के नखाग्रों के परिकर्म का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५६७. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के लम्बे नखाग्रों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के जंघादि के रोमों का परिकर्म
करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६८. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के जंघा (पिण्डली) के,
लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के बगल (कांख) के लम्बे
रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के श्मश्रु (दाढ़ी मूँठ) के
लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के वस्ति के लम्बे रोमों
को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के चक्षु के लम्बे रोमों
को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अण्डत्थियस्स गारत्थियस्स ओट्टुपरिकम्मस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५६६. जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे—
संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहंतं वा, पलिमहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे—
तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खंतं वा, भिल्लिगंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलंतं वा, उव्वट्टंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे—
सीभोदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा उट्टे—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ४५-५०

अण्डत्थियस्स गारत्थियस्स उत्तरोट्टाइरोम-परिकम्म
पायच्छित्त सुत्ताइं—

५७०. जे भिक्खू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं
उत्तरोट्ट-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पंतं वा, संठवंतं वा साइज्जइ ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त
सूत्र—

५६६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों पर—

लोध्र—यावत्—वर्ग का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

घोसे, बार-बार घोसे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के होठों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के उत्तरोष्ठ रोम आदि के परिकर्म
के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७०. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के उत्तरोष्ठ के लम्बे रोम
(होठ के नीचे के लम्बे रोम),

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

(जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा दोहाइं णासा रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ५१

अण्णउत्तियस्स गारत्तियस्स दंतपरिकम्म - पायच्छित्त सुत्ताइं—

५७१. जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा दंते—

आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा,

आघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा दंते—

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा दंते—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ४२-४४

अण्णउत्तियस्स गारत्तियस्स चक्खु परिकम्म-पायच्छित्त सुत्ताइं—

५७२. जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा अच्छीणि—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा अच्छीणि—

संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्तियस्स वा, गारत्तियस्स वा अच्छीणि—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिल्लिगेंतं वा साइज्जइ ।

(जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के नासिका के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

कटवाने वाले का, सुशोभित करवाने वाले का अनुमोदन करे ।)

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के दांतों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७१. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के दांतों को—

घिसे, बार-बार घिसे,

घिसवावे, बार-बार घिसवावे,

घिसवाने वाले का, बार-बार घिसवाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के दांतों को—

धोए, बार-बार धोए,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के दांतों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के आँखों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७२. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की आँखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की आँखों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की आँखों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा अच्छीणि—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उव्वट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा अच्छीणि—
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा अच्छीणि—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ५३-५८

अण्डत्थियस्स गारत्थियस्स अच्छीपत्तपरिकम्म - पाय-
च्छित्त सुत्तं—

५७३. जे भिक्षू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं
अच्छिपत्ताइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ५२

अण्डत्थियस्स गारत्थियस्स भुमगाइरोम-परिकम्म पाय-
च्छित्त सुत्ताइं—

५७४. जे भिक्षू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं भुमग-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्डत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं पास-
रोमाइं—

कप्पेज्ज, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ५६-६०

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की आँखों पर—

लोध,—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करवाने वाले का, बार-बार उवटन करवाने वाले
का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की आँखों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की आँखों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के अक्षिपत्रों के परिकर्म का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५७३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के लम्बे अक्षिपत्रों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के भौंहों आदि के परिकर्मों के
प्रायश्चित्त सूत्र—

५७४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के भौंहों के लम्बे रोमों
को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के पार्श्व के लम्बे रोमों
को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स केस परिकम्म-पायच्छित्त सुत्तं—

५७५. (जे भिक्खु अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा दीहाइं केसाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ५३

अण्णउत्थियस्स गारत्थियस्स सोसदुवारियंकरणस्स पाय-च्छित्त सुत्तं—

५७६. जे भिक्खु गामाणुगामं इइज्जमाणे अण्णउत्थियस्स वा, गार-त्थियस्स वा—

सोस-दुवारियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ६३

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के केश परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५७५. (जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के लम्बे केशों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५७६. जो भिक्षु ग्रामानुग्राम जाता हुआ अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के—

मस्तक को ढकता है, ढकवाता है,

ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



विभूषा के संकल्प से स्व-शरीर का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त—७

विभूषावडियाए कायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५७७. जे भिक्खु विभूषावडियाए अप्पणो कायं—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु विभूषावडियाए अप्पणो कायं—

संवाहेज्ज वा, पत्तिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पत्तिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु विभूषावडियाए अप्पणो कायं—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, मिळिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, मिळिगेतं वा साइज्जइ ।

विभूषा के संकल्प से शरीर परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७७. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्खु विभूसावडियाए अप्पणो कार्यं—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उल्लोलिज्ज वा, उच्चट्टेज्ज वा,

उल्लोलेंतं वा, उच्चट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु विभूसावडियाए अप्पणो कार्यं—
सीओदग-वियडेण वा, उप्पिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलिज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु विभूसावडियाए अप्पणो कार्यं—
फूमैज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमैतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १०६-१११

विभूसावडियाए मलणिहरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५७८. जे भिक्खु विभूसावडियाए अप्पणो—

अच्छिमलं वा, कण्णमलं वा, दंतमलं वा, नहमलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु विभूसावडियाए अप्पणो—

कायाओ सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मल्लं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेंतं वा, विसोहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १५०-१५१

विभूसावडियाए पायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५७९. जे भिक्खु विभूसावडियाए अप्पणो पादे—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर पर—

लोध—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से.

घोये, बार-बार घोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने शरीर को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से मूल को निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७८. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने—

आँख के मूल को, कान के मूल को, दाँत के मूल को, नख के मूल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,^१

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने—

शरीर से स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मूल) को,

पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से पैरों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५७९. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो पादे—
संवाहेज्ज वा, पत्तिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पत्तिमहेतं वा साइज्जइ ।

ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो पादे—
तेत्तेण वा-जाव-गवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो पादे—
सोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उत्तोत्तेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा,

उत्तोत्तेतं वा, उवट्टेतं वा साइज्जइ ।

ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो पादे—
सीओदग-वियडेण वा, उस्सिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोत्तेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोत्तेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो पादे—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १००-१०५

विभूषावडियाए नहसिहाए परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५८०. ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो बोहाओ नह-सिहाओ—
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १२५

विभूषावडियाए जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५८१. ॐ भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो बोहाइं जंघ-रोमाइं—

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों का—
मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों पर—
तेस—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों पर—

लोध्र—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोवे, बार-बार धोवे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पैरों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से नखाग्रों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५८०. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने लम्बे नखाग्रों को—
काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से जंघादि के रोमों के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८१. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने जंघा (पिण्डली) के लम्बे रोमों को—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो दीहाइं कक्ख-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो दीहाइं संसु-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो दीहाइं वत्थि-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो दीहाइं चक्खुरोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आदज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १२६-१३०

विभूसावडियाए ओट्टपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५८२. जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो उट्टे—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो उट्टे—

संबाहेज्ज वा, पल्लिमहेज्ज वा,

संबाहेतं वा, पल्लिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विभूसावडियाए अप्पणो उट्टे—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने वगल (कांत्त) के लंबे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने श्मश्रु (दाढ़ी मूँछ) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने वस्ति के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने चक्षु के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से होठों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८२. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,†

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो उट्टे—

लोढेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उत्तोल्लेज्ज वा, उम्बट्टेज्ज वा,

उत्तोल्लेतं वा, उम्बट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो उट्टे—

सोओदग-वियडेण वा, उत्तिणोदग-वियडेण वा,
उत्तोल्लेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उत्तोल्लेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो उट्टे—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १३४-१३६

विभूषावडियाए उत्तरोष्ठाइं रोमाइं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५८३. जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो बीहाइं उत्तरोष्ठाइं
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

[जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो बीहाइं णासा रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।]

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १४०

विभूषावडियाए दंत परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५८४. जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो बंते—

भाघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा,

भाघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूषावडियाए अप्पणो बंते—

उत्तोल्लेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उत्तोल्लेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों पर—

लोघ का—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने होठों को—

रंगे, बार-बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से उत्तरोष्ठादि रोमों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८३. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने उत्तरोष्ठ रोमों के (होठ के नीचे के) लम्बे रोम—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

(जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने नासिका के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विभूषा के संकल्प से दाँतों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८४. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने दाँतों को—

घिसे, बार-बार घिसे,

घिसवावे, बार-बार घिसवावे,

घिसने वाले का, बार-बार घिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने दाँतों को—

धोए, बार-बार धोए,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो दंते—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. १३१-१३३

विभूसावडियाए अच्छीपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५८५. जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो अच्छीणि—
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो अच्छीणि—
संहाहेज्ज वा, पलिसद्वेज्ज वा,

संवाहंतं वा, पलिसद्वंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो अच्छीणि—
तेस्सेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा,

मक्खंतं वा, मिलिगंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो अच्छीणि—
लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,
उत्तोल्लेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उत्तोल्लंतं वा, उव्वट्टंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो अच्छीणि—
सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोमेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोल्लंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूसावडियाए अप्पणो अच्छीणि—
फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १४२-१४७

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने दांतों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे. बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषा के संकल्प से चक्षु परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८५. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन

करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों पर—

लोध,—यावत्—वर्ण का,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे,

उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे,

उबटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का

अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

घोवे, बार-बार घोवे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपनी आंखों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

विभूषावडियाए अच्छिपत्तपरिकम्मस्त पायच्छित्त सुत्तं—

५८६. जे भिक्षु विभूषावडियाए अत्पणो दोहाइं अच्छिपत्ताइं—
कप्पेज्ज वा, मंठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, मंठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मसियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १४१

विभूषावडियाए भुमगरोमाणं परिकम्मस्त पायच्छित्त सुत्ताइं—

५८७. जे भिक्षु विभूषावडियाए अत्पणो दोहाइं भुमगरोमाइं—

कप्पेज्ज वा, मंठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, मंठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विभूषावडियाए अत्पणो दोहाइं पासरोमाइं—

कप्पेज्ज वा, मंठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, मंठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मसियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १४२-१४९

विभूषावडियाए केस-परिकम्मस्त पायच्छित्त सुत्तं—

५८८. (जे भिक्षु विभूषावडियाए अत्पणो दोहाइं केसाइं—
कप्पेज्ज वा, मंठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, मंठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मसियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।)

—नि. उ. १५, सु. १४९

विभूषावडियाए तीसदुवारियंकरणस्त पायच्छित्त सुत्तं—

५८९. जे भिक्षु विभूषावडियाए मामानुगामं दूइज्जमाणे—
अत्पणो तीसदुवारियं करेइ,
करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मसियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १५२

विभूषा के संकल्प से अक्षीपत्रों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५८६. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने अक्षीपत्रों को—
काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विभूषा के संकल्प से भौंहो आदि के रोमों के परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

५८७. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने भौंहों के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने पाशवों के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विभूषा के संकल्प से केश परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

५८८. (जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से अपने लम्बे केशों को—
काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विभूषा के संकल्प से मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५८९. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से ग्रामानुग्राम जाता हुआ—
अपने मस्तक को ढकता है, ढकवाता है,

ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



मैथुन के संकल्प से स्व-शरीर परिकर्म के प्रायश्चित्त—८

मेहुणवडियाए कायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायं—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायं—

संवाहेज्ज वा, पल्लिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पल्लिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायं—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायं—

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोस्सेज्ज वा, उद्धट्टेज्ज वा,

उल्लोसेतं वा, उद्धट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायं—

सीओदग-वियडेण वा, उतिणोदगवियडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायं—

मैथुन सेवन के संकल्प से शरीर का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६०. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर पर—

लोध—यावत्—वणं से,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे,

उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे,

उबटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने शरीर को—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाडम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ३०-३५

मेहणवडियाए मलणीहरगस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६१. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अप्पणो—

अच्छि-मलं वा, फण-मलं वा, दंत-मलं वा, नह-मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अप्पणो—

कायाओ—सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाडम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ७४-७५

मेहणवडियाए पायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अप्पणो पाए—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जन्तं वा, पमज्जन्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अप्पणो पाए—

संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अप्पणो पाए—

रंगे, वार-वार रंगे,

रंगवावे, वार-वार रंगवावे,

रंगने वाले का, वार-वार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से मल निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६१. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने—

आँखों के मँल को, कान के मँल को, दाँत के मँल को, नख के मँल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने—

स्वेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मँल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल्ल (लगी हुई रज) को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से पैरों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों पर—

तैलेण वा-जाव-भवणोण वा,
मस्सेज्ज वा, मित्तिगेज्ज वा,

मस्सेतं वा, मित्तिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मात्तगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए—

सोढेण वा-जाव-वग्गेण वा,
उत्तोलेज्ज वा, उम्बट्टेज्ज वा,

उत्तोलेतं वा, उम्बट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मात्तगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए—

सोढोदण-वियडेण वा, उत्तिणोदण-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मात्तगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए—

फूनेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूनेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चारुन्मासियं परिहारद्वाणं अनुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. २४-२६

मेहुणवडियाए गहसिहापरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५६३. जे भिक्षु मात्तगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो बीहाओ नह-
सोहाओ—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे भावज्जइ चारुन्मासियं परिहारद्वाणं अनुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ४६

मेहुणवडियाए जंघाइ रोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त
सुत्ताइं—

५६४. जे भिक्षु मात्तगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो बीहाइं जंघ-
रोमाइं—

तेल—घाबतु—नकलन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे.

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों पर—

सोप—घाबतु—वगं का,

उबटन करे, बार-बार उबटन करे.

उबटन करवावे, बार-बार उबटन करवावे,

उबटन करने वाले का, बार-बार उबटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों को—

अक्षित शीत जल से या अक्षित उष्ण जल से,

धोवे, बार-बार धोवे,

धुलावे, बार-बार धुलावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पैरों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (श्रायश्चित्त)
माता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से नखों का परिकर्षण करने के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५६३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने लम्बे नखाओं को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (श्रायश्चित्त)
माता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से जांघ आदि के रोमों का परिकर्षण
करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने जंघा (पिण्डली) के लंबे
रोमों को—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं कक्ख-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं मंसु-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं वल्लि-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं चक्खु-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अग्गुघाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ५०-५४

मेहुणवडियाए ओट्टुपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६५. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उट्टे—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उट्टे—

संबाहेज्ज वा, पल्लिमहेज्ज वा,

संबाहेतं वा, पल्लिमहेतं वा साइज्जइ ।

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने वगल (काँख) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने श्मश्रु (दाढ़ी मूँछ) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने वस्ति के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने चक्षु के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन-सेवन के संकल्प से होठों का परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उट्टे—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,
मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिल्लिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उट्टे—

लोद्धेण वा-जाव-वणणेण वा,
उल्लोल्लेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा,

उल्लोल्लेंतं वा, उवट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उट्टे—

सोओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोल्लेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उट्टे—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ५५-६३

मेहुणवडियाए उत्तरोट्टाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५९६. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं उत्तरोट्ट-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

(जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं णासा-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,
कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ६४

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों पर—

तेल—घावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों पर—

लोध—घावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिनकी (ऐसी स्त्री से) मथुन सेवन का संकल्प करके अपने होठों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलावे, बार-बार धुलावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मथुन सेवन का संकल्प करके, अपने होठों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मथुन सेवन के संकल्प से उत्तरोष्ठ रोमों के परिकर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५९६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मथुन सेवन का संकल्प करके अपने उत्तरोष्ठ के लम्बे रोमों (होठों के नीचे के लम्बे रोम) को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

(जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मथुन सेवन का संकल्प करके अपने नाक के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे, कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।)

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मेहुणवडियाए दंतपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६७. जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दंते—

आघसेज्ज वा, पघसेज्ज वा,

आघसंतं वा, पघसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दंते—

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दंते—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ५५-५७

मेहुणवडियाए चक्खुपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

५६८. जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि—

संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहेंतं वा, पलिमहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि—

तेल्लेण वा-जाव-णवणोएण वा,

मक्खेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, मिलिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि—

मैथुन सेवन के संकल्प से दाँतों के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६७. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने दाँतों को—

घिसे, बार-बार घिसे,

घिसवावे, बार-बार घिसवावे,

घिसने वाले का, बार-बार घिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने दाँतों को—

घोये, बार-बार घोये,

घुलवावे, बार-बार घुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने दाँतों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से आँखों के परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५६८. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों पर—

तेल—घाबत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों पर—

लोद्धेण वा-जाव-वर्णेण वा,
उल्लोलेज्ज वा, उव्वहेज्ज वा,
उल्लोल्लंतं वा, उव्वह्लंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि—

सोओदग्-वियडेण वा, उसिणोदग्-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोल्लंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ६६-७१

मेहुणवडियाए अच्छिपत्त परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५९९. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं अच्छि-
पत्ताइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पंतं वा संठवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ६५

मेहुणवडियाए भुमगाइरोमपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

६००. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं भुमग-
रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पंतं वा, संठवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं पास
रोमाइं—

लोघ—यावत्—वर्ण का,
उवटन करे, बार-बार उवटन करे,
उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,
उवटन करने वाले का. बार-बार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,
धोये, बार-बार धोये,
धुलवावे, बार-बार धुलवावे.

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपनी आँखों को—

रंगे, बार-बार रंगे,
रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से अक्षीपत्र परिकर्म का प्रायश्चित्त
सूत्र—

५९९. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने लम्बे अक्षिपत्रों को—

काटे, सुशोभित करे,
कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से भीह आदि के रोमों का परिकर्म
करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६००. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने भीह के लम्बे
रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने पार्श्व के लम्बे
रोमों को—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ७२-७३

मेहुणवडियाए केश-परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं —

६०१. (जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइं केसाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।)

—नि. उ. ६, सु. ७३

मेहुणवडियाए सीसडुवारिय करणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६०२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए गामाणुगामं दूइज्ज-
माणे—सीसडुवारियं

करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ७६

काटे, सुणोभित्त करे,

कटवावे, सुणोभित्त करवावे,

काटने वाले का, सुणोभित्त करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से केश परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

६०१. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके अपने लम्बे केशों को—

काटे, सुणोभित्त करे,

कटवावे, सुणोभित्त करवावे,

काटने वाले का, सुणोभित्त करने वाले का अनुमोदन करे ।

उने चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।


मैथुन सेवन के संकल्प से मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६०२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके भ्रामानुग्राम जाते हुए मस्तक को—

ढके, ढकवावे, ढकने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।



मैथुन के संकल्प से परस्पर परिकर्म के प्रायश्चित्त—६

मेहुणवडियाए अणमण्णकायपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

६०३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अणमण्णस्स कायं—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अणमण्णस्स कायं—

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर शरीर के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

६०३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन

करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर का—

संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संबाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, भिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं—

लोद्वेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उव्वट्टेज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उव्वट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं—

सीओद्वग-वियडेण वा, उस्सिणोद्वग-वियडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेतं वा, रएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवभाणे भावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. २०-२५

मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स मलणिहरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

६०४. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स—

अच्छि-मलं वा, कण्ण-मलं वा, बंत-मलं वां, नह-मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर—

तेल—घावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर पर—

लोध—घावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलावे, बार-बार धुलावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के शरीर को—

रंगे. बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर मल निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६०४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की—

आंख के मँल को, कान के मँल को, दाँत के मँल को, नख के मँल को,

दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु मातृगामस्त मेहृणवडियाए अणमणस्त—

कायाओ सेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, मलं वा,

नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा,

नीहरेतं वा, विसोहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाट्मसासियं परिहारट्ठाणं अणुघाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ६४-६५

मेहृणवडियाए अणमण पायपरिकम्मस्त पायच्छित्त
सुत्ताइं—

६०५. जे भिक्षु मातृगामस्त मेहृणवडियाए अणमणस्त पाए—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मातृगामस्त मेहृणवडियाए अणमणस्त पाए—

संबाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

सबाहेतं वा, पलिमहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मातृगामस्त मेहृणवडियाए अणमणस्त पाए—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, मिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेतं वा, मिल्लिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मातृगामस्त मेहृणवडियाए अणमणस्त पाए—

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उट्टवट्टेज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उट्टवट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु मातृगामस्त मेहृणवडियाए अणमणस्त पाए—

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के—

शरीर के स्त्रेद (पसीना) को, जल्ल (जमा हुआ मूल) को, पंक (लगा हुआ कीचड़) को, मल (लगी हुई रज) को, दूर करे, शोधन करे,

दूर करवावे, शोधन करवावे,

दूर करने वाले का, शोधन करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर पैरों के परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

६०५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों पर—

तेल,—यावत्—मक्खन,

मले, वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे,

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों पर—

लोघ—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

उच्छोलेज्ज वा, पधोयावेज्ज वा,

उच्छोल्लंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स पाए—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमैतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. १४-१६

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण-णहसिहा परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६०६. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाओ नहसीहाओ—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पैतं वा, संठवैतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ३६

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण जंघाइरोमाणं परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

६०७. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं जंघ-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पैतं वा, संठवैतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं कक्ख-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पैतं वा, संठवैतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं मंसु-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पैतं वा, संठवैतं वा साइज्जइ ।

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पैरों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर नखाग्रों के परिकर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

६०६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के नखाग्रों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर जंघादि परिकर्मों के प्रायश्चित्त सूत्र—

६०७. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के—जंघा (पिंडली) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के बगल (कांख) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के श्मश्रु (दाढ़ी मूँछ) के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स दीहाइं वत्थि-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा.

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स दीहाइं चक्खु-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा.

कप्पेतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ४०-४४

मेहुणवडियाए अणमण-ओठु परिकम्मस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६०८. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स उट्टे—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स उट्टे—

संवाहेज्ज वा, पलिमट्टेज्ज वा,

संवाहेतं वा, पलिमट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स उट्टे—

तेल्लेण वा-जाव-वणोण वा,

मक्खेज्ज वा, मिलिगेज्ज वा.

मक्खेतं वा, मिलिगेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स उट्टे—

लोठ्ठेण वा-जाव-वणोण वा,

उत्तोलेज्ज वा, उक्खट्टेज्ज वा,

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के वस्ति के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के चक्षु के लम्बे रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से ओष्ठ परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

६०८. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों को—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों पर—

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों पर—

लोठ्ठ—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उल्लोलेंतं वा, उव्वट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उट्टे —

सौओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उट्टे —

फूमैज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ४८-५३

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण-उत्तरोट्टाइ रोम-परिकम्मस्स
पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६०६. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं
उत्तरोट्ट रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।

(जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं
णासा-रोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेंतं वा साइज्जइ ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ५४

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण-दंतपरिकम्मस्स पायच्छित्त-
सुत्ताइं—

६१०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दंते—

आघसेज्ज वा, पघसेज्ज वा,

आघसंतं वा, पघसंतं वा साइज्जइ ।

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का
अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

घोये, बार-बार घोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

घोने वाले का, बार-बार घोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के होठों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर उत्तरोष्ठ परिकर्म के
प्रायश्चित्त सूत्र—

६०६. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के लम्बे उत्तरोष्ठ
रोमों को (होठ के नीचे के रोम)

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

[जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के नाक के लम्बे
रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।]

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर दन्तपरिकर्म के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

६१०. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के दाँतों को—

घिसे, बार-बार घिसे,

घिसवावे, बार-बार घिसवावे,

घिसने वाले का, बार-बार घिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स दत्ते—

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स दत्ते—

कूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

कूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ४५-४७

मेहुणवडियाए अणमण-अच्छी परिकम्मस्स पायच्छित्त-
सुत्ताइं—

६११. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स
अच्छीणि—

आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा,

आमज्जंतं वा, पमज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स
अच्छीणि—

संवाहेज्ज वा, पलिमट्टेज्ज वा,

संवाहेंतं वा, पलिमट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स
अच्छीणि—

तेल्लेण वा-जाव-वणणीएण वा,

मक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा,

मक्खेंतं वा, भिल्लिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए अणमणस्स
अच्छीणि—

सोद्धेण वा-जाव-वणणेण वा,

उल्लोलेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा,

उल्लोलेतं वा, उवट्टेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के दाँतों को—

धोये, बार-बार धोये,

घुलवावे, बार-बार घुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के दाँतों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे,

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपरिकर्म के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

६११. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों का—

मार्जन करे, प्रमार्जन करे,

मार्जन करवावे, प्रमार्जन करवावे,

मार्जन करने वाले का, प्रमार्जन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों पर—

तेल—घावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों पर—

लोध—घावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स
अच्छीणि—

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा. पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स
अच्छीणि—

फूमेज्ज वा, रएज्ज वा,

फूमेंतं वा, रएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ५६-६१

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण - अच्छिपत्तपरिकम्मस्स पाय-
च्छित्त सुत्तं -

६१२. जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं
अच्छिपत्ताइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा. संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ५५

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण-भुमगाइ-रोमाणं परिकम्मस्स
पायच्छित्त-सूत्ताइं—

६१३. जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं
भुमगरोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं
पासरोमाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेंतं वा, संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ६२-६३

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)
मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोये, बार-बार धोये,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे की आँखों को—

रंगे, बार-बार रंगे,

रंगवावे, बार-बार रंगवावे;

रंगने वाले का, बार-बार रंगने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर अक्षिपत्रपरिकर्म के
प्रायश्चित्त सूत्र—

६१२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के लम्बे अक्षिपत्रों
को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर भौंह आदि रोमों के
परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

६१३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के भौंह के लम्बे
रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के पार्श्व के लम्बे
रोमों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण केसपरिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६१४. (जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाइं केसाइं—

कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज वा,

कप्पेतं वा. संठवेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ६३

मेहुणवडियाए अण्णमण्ण-सीसदुवारियं करणस्स पाय-च्छित्त सुत्तं—

६१५. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स गामा-णुगामं द्दुइज्जमाणे—

सीस-दुवारियं करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ६६

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर केशपरिकर्म का प्राय-श्चित्त सूत्र—

६१४. (जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके एक दूसरे के लम्बे केशों को—

काटे, सुशोभित करे,

कटवावे, सुशोभित करवावे,

काटने वाले का, सुशोभित करने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।)

मैथुन-सेवन के संकल्प से परस्पर मस्तक ढकने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके ग्रामानुग्राम जाते हुए एक दूसरे के मस्तक को—

ढकता है, ढकवाता है, ढकने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।



३. मैथुन के संकल्प से निषिद्ध कृत्यों के प्रायश्चित्त—(१०)

मेहुणसेवण संकप्पस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६१६. निग्गंथी च णं गिलायमाणं पिया वा, भाया वा, पुत्तो वा, पलिस्सएज्जा—

तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

निग्गंथं च णं गिलायमाणं माया वा, भगिणी वा, धूया वा, पलिस्सएज्जा—

तं च निग्गंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—कप्प. उ. ४, सु. १४-१५

मैथुन सेवन संकल्प के प्रायश्चित्त सूत्र—

६१६. ग्लान निग्रन्थी के पिता, भ्राता या पुत्र गिरती हुई निग्रन्थी को—हाथ का सहारा दें, गिरी हुई को उठावें,

स्वतः उठने-बैठने में असमर्थ को उठावे, बिठावें—

उस समय वह निग्रन्थी (पूर्वानुभूत मैथुन सेवन की स्मृति से) पुरुष स्पर्श का अनुमोदन करे तो,

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

ग्लान निग्रन्थ की माता, वहन या बेटा गिरते हुए निग्रन्थ को—हाथ का सहारा दें, गिरे हुए को उठावें,

स्वतः उठने-बैठने में असमर्थ को उठावें, बिठावें,

उस समय वह निग्रन्थ (पूर्वानुभूत मैथुन सेवन की स्मृति से) स्त्री स्पर्श का अनुमोदन करे तो—

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विकुर्वित्यरूपेण मेहुणसंकल्पपायश्चित्त सुत्ताइं—

६१७. देवे य इत्थिरुवं विउन्वित्ता निगंथं पडिग्गाहेज्जा—

तं च निगंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

देवे य पुरिसरुवं विउन्वित्ता निगंथं पडिग्गाहेज्जा—

तं च निगंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

देवी अ इत्थिरुवं विउन्वित्ता निगंथं पडिग्गाहेज्जा—

तं च निगंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

देवी अ पुरिसरुवं विउन्वित्ता निगंथं पडिग्गाहेज्जा—

तं च निगंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता,

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—कप्प. उ. ५, सु. १-४

मेहुणवडियाए तिगिच्छाकरणस्स पायश्चित्त सुत्ताइं—

६१८. जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

पिट्ठं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा,

भत्तायएण उप्पाएइ, उप्पायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

पिट्ठं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा,

विकुर्वित रूप से मैथुन संकल्प के प्रायश्चित्त सूत्र—

६१७. यदि कोई देव (विकुर्वणा शक्ति से) स्त्री का रूप बनाकर निग्रन्थ का आलिगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो—

(मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होता है ।

अतः वह (निग्रन्थ) अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है ।

यदि कोई देव (विकुर्वणा शक्ति से) पुरुष का रूप बनाकर निग्रन्थी का आलिगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो—

(मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होती है ।

अतः वह (निग्रन्थी) अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होती है ।

यदि कोई देवी (विकुर्वणा शक्ति से) स्त्री का रूप बनाकर निग्रन्थ का आलिगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो—

(मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होता है—

अतः वह निग्रन्थ अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है ।

यदि कोई देवी पुरुष का रूप बनाकर निग्रन्थी का आलिगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो—

[मैथुन सेवन नहीं करने पर भी] मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होती है ।

अतः वह [निग्रन्थी] अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान [प्रायश्चित्त] का पात्र होती है ।

मैथुन-सेवन के संकल्प से चिकित्सा करने का सूत्र—

६१८. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी [ऐसी स्त्री से] मैथुन सेवन का संकल्प करके—

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को, भिलावा आदि से उत्तेजित करता है, उत्तेजित करवाता है, उत्तेजित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को,

भल्लायण उष्पाएत्ता—

सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेंतं वा, पघोवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

पिट्ठन्तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा,

भल्लायण उष्पाएत्ता

सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोइत्ता वा,

अन्नयरेणं आलेवणजाएणं आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा,

आलिपंतं वा, विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

पिट्ठन्तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा,

भल्लायण उष्पाएत्ता—

सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा—

अन्नयरेणं आलेवणजाएणं

आलिपित्ता वा, विलिपित्ता वा,

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अम्मंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अम्मंगेंतं वा, मक्खेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

पिट्ठन्तं वा, सोयंतं वा, पोसंतं वा,

भल्लायण उष्पाएत्ता—

सीओदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेत्ता वा, पघोएत्ता वा,

अन्नयरेणं आलेवणजाएणं,

आलिपित्ता वा विलिपित्ता वा,

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

अम्मंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा,

अन्नयरेणं धूवणजाएणं धूवेज्ज वा, पघूवेज्ज वा,

भिलावा आदि से उत्तेजित करके,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोवे, बार-बार धोवे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके,

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को,

भिलावा आदि से उत्तेजित करके,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोकर, बार-बार धोकर,

अन्य किसी लेप का लेपन करे, बार-बार लेपन करे,

लेपन करवावे, बार-बार लेपन करवावे,

लेपन करने वाले का, बार-बार लेपन करवाने वाले का

अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

उस स्त्री की योनि को, अपान को या अन्य छिद्र को,

भिलावा आदि से उत्तेजित करके,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोकर, बार-बार धोकर,

अन्य किसी लेप का,

लेप करे, बार-बार लेप करे,

तेल—घावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

उस स्त्री की योनि को, अपान को या छिद्र को,

भिलावा आदि से उत्तेजित करके,

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोकर, बार-बार धोकर,

अन्य किसी लेप का,

लेप कर, बार-बार लेप कर,

तेल—घावत्—मक्खन,

मलकर, बार-बार मलकर,

किसी एक प्रकार के धूप से, धूप दे, बार-बार धूप दे,

धूप दिलवावे, बार-बार धूप दिलवावे,

धूवेंतं वा, पधूवेंतं वा साइज्जइ ।

धूप देने वाले का, बार-बार धूप देने वाले का अनुमोदन करे ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

—नि. उ. ६, सु. १४-१८

मेहुण पत्थणाय पायच्छित्त सुत्तं—

मैथुन-सेवन के लिए प्रार्थना करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१९. जे भिक्खू माउग्गामं मेहुणवडियाए विण्णवेइ, विण्णवेंतं वा साइज्जइ ।

६१९. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन के लिए प्रार्थना करे, करवावे, करने वाले का अनुमोदन करे ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

—नि. उ. ६, सु. १

मेहुणवडियाए वत्थ विरहियकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

मैथुन-सेवन के लिए वस्त्र अपावृत करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६२०. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए सयं अवारडि कुज्जा, करेंतं वा साइज्जइ ।

६२०. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन के लिए उसे स्वयं नग्न होने के लिए कहे, कहलवावे, कहने वाले का अनुमोदन करे ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

—नि. उ. ६, सु. ११

मेहुणवडियाए अंगादाण-वरिसणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

मैथुन-सेवन के लिए अंगादान दर्शन का प्रायश्चित्त सूत्र—

६२१. (जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

६२१. [जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके कहे कि—

“इच्छामि भे अज्जो ! अचेलियाए अंगादाणं पासित्तए”

“हे आर्ये ! मैं तुम्हारे अनावृत अंग को देखना चाहता हूँ ।”

जो तं एवं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।)

इस प्रकार जो कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है ।]

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

—नि. उ. ६, सु. ११

अंगादाण-परिकम्मस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

६२२. जे भिक्खू अंगादाणं—

६२२. जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

कट्टेण वा, कलिचेण वा,

काष्ठ से, बाँस की खपन्ची से,

अंगुलियाए वा, सलागाए वा,

अंगुली से या शलाका से,

संचालेइ संचालेंतं वा साइज्जइ ।

संचालन करता है, संचालन करवाता है, संचालन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्खू अंगादाणं—

जो भिक्षु जननेन्द्रिय का—

संबाहेज्ज वा, पलिमट्टेज्ज वा,

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

संबाहेंतं वा, पलिमट्टेंतं वा साइज्जइ ।

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्खू अंगादाणं—

जो भिक्षु जननेन्द्रिय पर—

तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा,

तेल—थावत्—मक्खन,

अधमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अधमंगेतं वा, मक्खेतं वा, साइज्जइ ।

जे भिक्खू अंगादानं—

लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा,

उच्चट्टेइ वा, परिवट्टेइ वा,

उच्चट्टेतं वा, परिवट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अंगादानं—

सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा,

उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पघोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अंगादानं निच्छलेइ, निच्छलेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अंगादानं—

जिग्घइ, जिग्घंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अंगादानं—

अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुपवेसित्ता सुक्कपोग्गले,

निग्घायइ, निग्घायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाराणं अणुग्घाइयं ।

नि० उ० १, सु० २—६

मेहुणवडियाए अंगादानपरिकम्मस्स पायच्छित्तसुत्ताइं—

६२३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादानं—

कट्ठेण वा, फिल्लिणेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा,

संचालेइ, संचालेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादानं—

संचाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा,

संचाहेतं वा, पलिहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादानं—

मले, वार-वार मले,

मलवावे, वार-वार मलवावे.

मलने वाले का, वार-वार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय पर—

लोघ,— यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, वार-वार उवटन करे,

उवटन करवावे, वार-वार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, वार-वार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोवे, वार-वार धोवे,

धुलवावे, वार-वार धुलवावे.

धोने वाले का, वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय के अग्र भाग की त्वचा को ऊपर की ओर करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

सूँघता है, सूँघवाता है, सूँघने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु जननेन्द्रिय को—

किसी अचित्त छिद्र में प्रवेश करके वीर्य के पुद्गलों को

निकालता है, निकालवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से अंगादान परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

६२३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय का—

काण्ट से, वांस की खपचत्री से, अंगुली से या शलाका से,

संचालन करता है, संचालन करवाता है, संचालन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय का—

मर्दन करे, प्रमर्दन करे,

मर्दन करवावे, प्रमर्दन करवावे,

मर्दन करने वाले का, प्रमर्दन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय पर—

तेल्लेण जाव-णवणीएण वा,
अढमंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा,

अढमंगेतं वा, मक्खेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं—

लोद्धेण वा जाव-वणणेण वा,
उव्वट्टेइ वा, परिवट्टेइ वा,

उव्वट्टेतं वा, परिवट्टेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं—

सीओदगवियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

उच्छोलेतं वा, पधोएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं—

णिच्छल्लेइ, णिच्छल्लेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं—

जिग्घइ, जिग्घेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं—

अन्नयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुपवेसेत्ता सुक्कपोग्गले,
निग्घायइ, निग्घायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ३-१०

हृत्यकम्मपायच्छित्तसुत्तं—

६२४. जे भिक्खू हृत्यकम्मं करेइ करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. १

तेल—यावत्—मक्खन,

मले, बार-बार मले,

मलवावे, बार-बार मलवावे,

मलने वाले का, बार-बार मलने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय पर—

लोध्र—यावत्—वर्ण का,

उवटन करे, बार-बार उवटन करे,

उवटन करवावे, बार-बार उवटन करवावे,

उवटन करने वाले का, बार-बार उवटन करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय को—

अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से,

धोवे, बार-बार धोवे,

धुलवावे, बार-बार धुलवावे,

धोने वाले का, बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय को—

त्वचा को ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है, ऊपर उठाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय को—

सूँघता है, सूँघवाता है, सूँघने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके जननेन्द्रिय को—

अन्य किसी अचित्त छिद्र में प्रवेश करके वीर्य के पुद्गल को, निकालता है, निकलवाता है, निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

हस्तकर्म प्रायश्चित्त सूत्र—

६२४. जो भिक्षु हस्तकर्म करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मेहुणवडियाए हत्यकम्मकरणस्स पायच्छित्तसत्तं—

६२५. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए

हत्यकम्मं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवामाणे आवज्जइ चाउन्मासियं परिहारट्ठाणं अणुघाइयं ।
—नि. उ. ६, सु. २

सुक्कपोगल णिग्घाडण पायच्छित्त सुत्तं—

६२६. जत्थ एए बहवे इत्थीओ प्र पुरिसा य पण्हायंति, तत्थ से समणे निग्गये
अन्नयरंति अचित्तंति सोयंति सुक्कपोगले निग्घाएमाणे
हत्यकम्म पडिसेवणपत्ते आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं
अणुघाइयं ।

जत्थ एए बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हायंति, तत्थ से समणे निग्गये

अन्नयरंति अचित्तंति सोयंति सुक्कपोगले निग्घाएमाणे
मेहुण-पडिसेवणपत्ते

आवज्जइ चाउन्मासियं परिहारट्ठाणं अणुघाइयं ।

—वव. उ. ६ सु. १६-१७

मैथुन सेवन के संकल्प से हस्तकर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६२५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

हस्तकर्म करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

शुक्र के पुद्गल निकालने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६२६. जहाँ पर अनेक स्त्री-पुरुष मैथुन सेवन (प्रारम्भ) करते हैं उन्हें देखकर वह (एकाकी अगीतार्थ) श्रमण-निर्ग्रन्थ—

हस्तकर्म से किसी अचित्त स्रोत में शुक्र पुद्गल निकाले तो, उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जहाँ पर अनेक स्त्री-पुरुष मैथुन सेवन (प्रारम्भ) करते हैं उन्हें देखकर (एकाकी अगीतार्थ) श्रमण-निर्ग्रन्थ

मैथुन सेवन करके किसी अचित्त स्रोत में शुक्र-पुद्गल निकाले तो,

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



मैथुनेच्छा से उपकरण धारणादि के प्रायश्चित्त—४

मेहुणवडियाए वत्थधरणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६२७. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

कसिणाइं वत्थाइं धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

अहयाइं वत्थाइं धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

मैथुन-सेवन के संकल्प से वस्त्र धारण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६२७. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

अभिन्न वस्त्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

अक्षत वस्त्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

धोवरत्ताइं वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

[जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

भलिणाइं वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।]

जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

चित्ताइं वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

विचित्ताइं वत्थाइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. १६-१३

विभूसावडियाए वत्थाइ उवगरणधरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६२८. जे भिक्खू विभूसावडियाए वत्थं वा-जाव-पायपुंछणं वा-

अण्णयरं वा उवगरणजायं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १५३

विभूसावडियाए वत्थाइ उवगरण धोवणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६२९. जे भिक्खू विभूसावडियाए वत्थं वा-जाव-पायपुंछणं वा-

अण्णयरं वा उवगरणजायं धोवेइ, धोवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. १५४

मेहुणवडियाए आभूसणं करमाणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६३०. जे भिक्खू माउगामस्स मेहुणवडियाए—

१. हाराणि वा,

२. अद्धहाराणि वा,

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

धोकर रंगे हुए वस्त्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

(जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

मलिन वस्त्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।)

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

किसी एक रंग के वस्त्र को धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके उस स्त्री के लिए—

दुरंगे वस्त्र को धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विभूषा हेतु उपकरण धारण प्रायश्चित्त सूत्र—

६२८. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से वस्त्र—यावत्—रजोहरण या—

ऐसे कोई उपकरण को धारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विभूषा हेतु उपकरण प्रक्षालन प्रायश्चित्त सूत्र—

६२९. जो भिक्षु विभूषा के संकल्प से वस्त्र—यावत्—रजोहरण या—

अन्य ऐसे कोई उपकरण को धोता है, धुलवाता है, धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से आभूषण निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६३०. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियां जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

(१) हार,

(२) अद्धहार

३. एगावली वा, ६. केडराणि वा,
४. मुत्तावली वा, १०. कुण्डलाणि वा,
५. कणगावली वा, ११. पट्टाणि वा,
६. रयणावली वा, १२. मउडाणि वा,
७. कडगाणि वा, १३. पलंब-सुत्ताणि वा,
८. तुडियाणि वा, १४. सुवर्ण-सुत्ताणि वा,

करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

हाराणि वा-जाव-सुवर्ण-सुत्ताणि वा धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए —

हाराणि वा-जाव-सुवर्ण-सुत्ताणि वा परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ७-६

मेहुणवडियाए मालाकरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

६३१. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

१. तण-मालियं वा, ८. संख-मालियं वा,
२. मुंज-मालियं वा, ९. हड्ड-मालियं वा,
३. भिड-मालियं वा, १०. कट्ट-मालियं वा,
४. मयण-मालियं वा, ११. पत्त-मालियं वा,
५. पिच्छ-मालियं वा, १२. पुप्फ-मालियं वा,
६. दंत मालियं वा, १३. फल-मालियं वा,
७. सिंग-मालियं वा, १४. बीज-मालियं वा,

१५. हरिय-मालियं वा,

करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

तणमालियं वा-जाव-हरियमालियं वा, धरेइ, धरेंतं वा, साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

तणमालियं वा-जाव-हरिय-मालियं वा पिणड्ढइ, पिणड्ढंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. १-३

- (३) एकावली, (८) केयूर-कंठा,
(४) मुक्तावली, (१०) कुण्डल,
(५) कनकावली, (११) पट्ट,
(६) रत्नावली, (१२) मुकुट,
(७) कटि सूत्र, (१३) प्रलग्न सूत्र,
(८) भुजबन्ध, (१४) सुवर्ण सूत्र

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके—

हार—यावत्—सुवर्ण सूत्र धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके—

हार—यावत्—सुवर्ण सूत्र का परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से माला निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६३१. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

- (१) तृण की माला, (८) शंख की माला,
(२) मुंज की माला, (९) हड्डी की माला,
(३) वेंत की माला, (१०) काष्ठ की माला,
(४) मदन की माला, (११) पत्र की माला,
(५) पीछ की माला, (१२) पुष्प की माला,
(६) दंत की माला, (१३) फल की माला,
(७) सींग की माला, (१४) बीज की माला,

(१५) हरित (वनस्पति) की माला

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके—

तृण की माला—यावत्—हरित की माला धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

तृण की माला—यावत्—हरित की माला पहनता है, पहनवाता है, पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मेहुणवडियाए धाउकम्मकरणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६३२. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

- | | |
|-------------------|--------------------|
| १. अय-लोहाणि वा, | ४. सीसग-लोहाणि वा, |
| २. तंब-लोहाणि वा, | ५. रूप-लोहाणि वा, |
| ३. तउय-लोहाणि वा, | ६. सुवण-लोहाणि वा, |
- करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

अय-लोहाणि वा-जाव-सुवण-लोहाणि वा,
धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

अयलोहाणि वा-जाव-सुवण-लोहाणि वा,
परिभुंजइ, परिभुंजत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ४-६ आता है ।



मैथुनेच्छा सम्बन्धी प्रकीर्णक प्रायश्चित्त—५

मेहुणवडियाए कलहकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६३३. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

कलहं कुज्जा, कलह वूया,
कलहवडियाए बहियाए,
गच्छइ, गच्छत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. १२

मेहुणवडियाए पत्तपदानस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६३४. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए—

मैथुन सेवन के संकल्प से धातु निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६३२. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

- | | |
|-----------------|------------------|
| (१) अय-लोहा, | (४) सीसक-लोहा |
| (२) ताम्र-लोहा, | (५) रूप-लोहा, |
| (३) त्रपु-लोहा, | (६) सुवर्ण-लोहा, |

करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके—

अय-लोहा—यावत्—सुवर्ण-लोहा को,

धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से)

मैथुन सेवन का संकल्प करके—

अय-लोहा—यावत्—सुवर्ण-लोहा का,

परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।

मैथुन सेवन के लिए कलह करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६३३. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन के संकल्प से—

कलह करे, कलह करने का संकल्प करके बोले, या कलह करने का संकल्प करके बाहर,

जाता है, जाने के लिए कहे, और जाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से पत्र लिखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६३४. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

तेहं लिहइ, तेहं लिहावइ,
तेहवडियाए बहियाए,
गच्छइ, गच्छंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाट्ममासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ६, सु. १३

मेहुणवडियाए पणीय आहारं आहारमाणस्स पायच्छित्त
सुत्त—

६३५. जे भिक्षु माउगामस्स मेहुणवडियाए—

१. खीरं वा, २. दही वा, ३. णवणीयं वा, ४. सप्यं वा,
५. गुलं वा, ६. खंडं वा, ७. सक्करं वा, ८. मच्छडियं वा,
अणयरं वा पणीयं आहारं आहारेइ आहारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाट्ममासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ६, सु. ५७

वशीकरण सूत्तकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६३६. जे भिक्षु सण-कप्पासओ वा, उण कप्पासओ वा, पोण्ड
कप्पासओ वा, अमिल-कप्पासओ वा,
वशीकरण सुत्ताइं करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. ३, सु. ७०

अक्किच्चठाणसेवण विवादे विणिण्णओ—

६३७. दो साहम्मिया एगयओ विहरंति,
एगे तस्य अन्नपरं अक्किच्चठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

“अहं णं भते ! अणुणेणं साहुण सद्धि इमम्मि कारणम्मि
मेहुणपडिसेवी ।”
पच्चयहेइं च सयं पडिसेवियं भणति ।

प०—से तस्य पुच्छियेव्वे —“किं पडिसेवी, अपडिसेवी ?”
उ०—से य वएज्जा—“पडिसेवी”, परिहारपत्ते ।

से यं वएज्जा—“नो पडिसेवी” नो परिहारपत्ते जं से
पमाणं वयइं से पमाणओ धेयव्वे ।

पत्र लिखता है, पत्र लिखवाता है,
पत्र लिखने के संकल्प से बाहर,
जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चानुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मैथुन सेवन के संकल्प से प्रणीत आहार करने का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

६३५. जो भिक्षु माता के समान हैं इन्द्रियाँ जिसकी (ऐसी स्त्री
से) मैथुन सेवन का संकल्प करके—

(१) दूध, (२) दही, (३) मक्खन, (४) घी,
(५) गुड़, (६) खंड, (७) शक्कर, (८) मिथी
और भी ऐसे पौष्टिक आहार करता है, करवाता है, करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चानुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

वशीकरण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६३६. जो भिक्षु सण कपास से, उन कपास से, पोण्ड
कपास से और अमील कपास से—

वशीकरण सूत्र करता है, करवाता है, करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे मासिक उद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अकृत्य सेवन के सावन्ध में हुए विवाद का निर्णय—

६३७. दो साधर्मिक एक साथ विचरते हों—

उनमें से यदि एक साथ किसी एक अकृत्य स्थान की प्रति-
सेवना करके आलोचना करे कि—

“हे भगवन् ! मैं अमुक साधु के साथ अमुक कारण के होने
पर मैथुन-प्रतिसेवी हूँ” (प्रतीति कराने के लिए वह अपनी प्रति-
सेवना स्वीकार करता है अतः गणावच्छेदक को) दूसरे साधु से
पूछना चाहिए कि—

प०—क्या तुम प्रतिसेवी हो, या अप्रतिसेवी ?

उ०—(क) यदि वह कहे कि—“मैं प्रतिसेवी हूँ—तब तो
परिहार तप का पात्र होता है ।”

(ख) यदि वह कहे कि—“मैं प्रतिसेवी नहीं हूँ ।” तो वह
परिहार तप का पात्र नहीं है । क्योंकि वह प्रमाणभूत सत्य कहता
है—इसलिए उसका सत्य कथन स्वीकार करना चाहिए ।

प०—से किमाहु भंते !

उ०—सच्चपइन्ना व्यवहारा ।

जे भिक्खू अ गणाओ अवक्कम्म ओहाणुप्पेही वज्जेज्जा,
से य अणोहाइए इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उव-
संपज्जिताणं विहरित्तए,
तत्थ णं थेराणं इमेयारूवे विवाए समुप्पज्जित्था—

“इमं भो ! जाणह किं पडिसेवी, अपडिसेवी ?”

से य पुच्छियव्वे—

प०—“किं पडिसेवी, अपडिसेवी ?”

उ०—से य वएज्जा - “पडिसेवी” परिहारपत्ते ।

से य वएज्जा—“नो पडिसेवी” नो परिहारपत्ते ।
जं से पमाणं वयइ से पमाणओ घेयव्वे ।

प०—से किमाहु भंते !

उ०—सच्चपइन्ना व्यवहारा ।

—वव. उ. २, सु. २४-२५ बताया है ।



५. परिशिष्ट

चउत्थस्स बंभचेरमहव्वयस्स पंच भावणाओ—

६३८. १. इत्थो-पसु-पंडगसंसत्तसयणासणवज्जणया,
 २. इत्थोकहवि वज्जणया,
 ३. इत्थीणं इंदियाणमालोयणवज्जणया,
 ४. पुव्वरय-पुव्वकीलिआणं अणणुसरणया,
 ५. पणीताहार विवज्जणया । —सम. ५. सु. १
- तस्स इमा पंच भावणाओ चउत्थस्स हींति अबंभचेरवैरमण-
परिरक्खणट्टयाए ।

पढमा भावणा-विवित्त सयणासणया—

६३९. पढमं १. सयणासण-घर-दुवार-अंगण-आगास-गवक्ख-साल-
अभिलोपण-पच्छवत्थुकपसाहणक-ण्हाणिकावकामा अन्नकासा ।

प्र०—हे भगवन् ! आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

उ०—तीर्थंकरों ने सत्य प्रतिज्ञा पर (सत्य कथन पर) व्यव-
हार को निर्भर बताया है ।

असंयम सेवन की इच्छा से यदि कोई साधु गण से निकल-
कर जावे और वाद में असंयम का सेवन किए बिना ही आकर
पुनः उसी गण में सम्मिलित होना चाहे—

(ऐसी स्थिति में) संघ स्थविरों में यदि विवाद उत्पन्न हो
जाए कि—

“भिक्षुओ ! क्या तुम यह जानते हो कि भिक्षु प्रतिसेवी है
या अप्रतिसेवी ?”

तव उस साधु से पूछना चाहिए कि—

प्र०—क्या तुम प्रतिसेवी हो या अप्रतिसेवी हो ?

उ०—(क) (यदि वह कहे कि) “मैं प्रतिसेवी हूँ ।” तो वह
परिहारतप (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है ।

(ख) (यदि वह कहे कि) “मैं प्रतिसेवी नहीं हूँ ।” तो वह
परिहारतप (प्रायश्चित्त) का पात्र नहीं होता है । क्योंकि वह
प्रमाणभूत (सत्य) वचन कहता है अतः उसका कथन प्रमाण रूप
से ग्रहण करना चाहिए ।

प्र०—हे भगवन् ! आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

उ०—तीर्थंकरों ने सत्य प्रतिज्ञा पर व्यवहार को निर्भर

चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

- (१) स्त्री-पशु-नपुंसक सहित शयन-आसन त्याग,
- (२) स्त्री-कथा का त्याग,
- (३) स्त्री की इन्द्रियों (मनोहरांग) को देखने का त्याग,
- (४) पूर्वानुभूत रति क्रीडा के स्मरण का त्याग,
- (५) पौष्टिक स्निग्ध आहार करने का त्याग,

चतुर्थ अन्नह्यचर्यविरमणव्रत की रक्षा के लिए ये पाँच
भावनाएँ हैं ।

प्रथम भावना स्त्री युक्त स्थान का वर्जन —

६३९. (१) शय्या, आसन, गृहद्वार (घर का दरवाजा), आँगन,
आकाश (छत) ऊपर से खुला स्थान, झरोखा, सामान रखने का
कमरा आदि स्थान, बैठकर देखने का ऊँचा स्थान, पिछवाड़ा-
पीछे का घर, नहाने और शृंगार करने का स्थान, इत्यादि सब
स्थान, स्त्री-संसक्त—नारी के संसर्ग वाले होने से वर्जनीय हैं ।

२. जो य बैसियायणे अच्छंति य ।

३. जत्य इत्यिकाओ अभिबखणं मोह-बोस-रति-रागवद्ध-णीओ कर्हिंति य कहाओ बहुविहाओ ते वि हु वज्जणिज्जा ।

४. इत्यिसंसत्त-संकित्तिट्ठा अन्ने वि य एवमाई अवकासा ते वि हु वज्जणिज्जा ।

५. जत्यं मणोविबमभो वा, मंगोवा, (मंसगो वा) अट्टं, इदं च हुज्ज भाणं तं तं वज्जेज्जवज्जभीह अणायतणं अंत-पंतवासी ।

एवमसंसत्त वास-वसही समिद्ध-जोगेण भाविओ भवद्ध अंत-रप्पा-३। रतमण-विरयगामघम्मे जित्तिदि ए बंमचेरगुत्ते ।

बिद्यया भावणा : इत्यीकहा, विवज्जणया—

६४०. विद्ययं—१. नारी जणस्स मज्झे न कहेयव्वा कहा विचिता विव्वोय-विलास-संपउत्ता हास-सिगार-लोइयकहव्व मोह-जणणी ।

२. न आवाह-विवाहवरकहाविइ इत्यीणं वा सुभग-दुभग कहा चउसट्ठिं च महिलागुणा ।

३. न वद्व-वेस-जाति-कुल-हव-नाम-नेवत्थ-परिजण-कहावि इत्यियाणं ।

४. अन्नावि य एवमादियाओ कहाओ सिगार-कलुणरसाओ तव-संजम-बंमचेरघाओब्रघाइयाओ अणुचरमाणेणं बंमचेरं न कहेयव्वा, न सुणेयव्वा, न चित्तेयव्वा ।

एवं इत्यी कहाविरति-समिच्चिजोगेणं भाविओ भवद्ध अंतरप्पा आरत-मण-विरय-गामघम्मे जित्तिदि ए बंमचेरगुत्ते ।

तृतीया भावणा : इत्यीणं इंदियाणमालोयण वज्जणया—

६४१. ततीयं—नारीणं हसिय-मणियं चेद्विय-विधेविलय-गइ-विलास-कीलियं,

(२) जहाँ वेध्याओं के अड्डे हैं ।

(३) जहाँ स्त्रियाँ वार-वार आकर बैठकर मोह द्वेष काम-राग और स्नेहराग की वृद्धि करने वाली नाना प्रकार की कथाएँ कहती हैं—उनका भी ब्रह्मचारी को वर्जन करना चाहिए ।

(४) स्त्री संसर्ग के कारण संक्लेशयुक्त अन्य जो भी स्थान ही, उससे भी अलग रहना चाहिए ।

(५) जहाँ रहने से मन में व्यग्रता उत्पन्न हो, ब्रह्मचर्य भग्न हो, जहाँ रहने से आतंछ्यान—रौद्रध्यान होता ही, उन-उन अनायतनों—अयोग्य स्थानों का पापभीरु-ब्रह्मचारी परित्याग करे । साधु विषय-विकार रहित एकान्त स्थानवासी हो ।

इस प्रकार स्त्रियों के संसर्ग से रहित स्थान में समिति के योग से भावित-अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्तवाला तथा इन्द्रिय विकार से विरत रहने वाला, जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य से गुप्त (सुरक्षित) रहता है ।

द्वितीय भावना : स्त्रीकथा-विवर्जन—

६४० केवल स्त्रियों की सभा में वाणी विलास रूप विचित्र प्रकार की कथा नहीं करनी चाहिए, जो कथा स्त्रियों की काम-चेष्टाओं से और विलास-स्मित आदि के वर्णन से युक्त हो, जो हास्य और शृंगार रस की प्रधानता वाली हो, जो मोह उत्पन्न करने वाली हो,

(२) इसी प्रकार गीने या विवाह सम्बन्धी बातें भी नहीं करनी चाहिए । स्त्रियों के सौभाग्य-दुर्भाग्य की चर्चा, वार्ता एवं महिलाओं के चौंसठ गुणों (कलाओं) सम्बन्धी कथाएँ भी नहीं कहनी चाहिए ।

(३) स्त्रियों के रंग-रूप, देश, जाति, कुल, नाम (भेद-प्रभेद आदि) पौष्णाक तथा परिवार सम्बन्धी कथाएँ नहीं कहनी चाहिए ।

(४) तथा इसी प्रकार की जो भी अन्य कथाएँ शृंगार रस से कठुणा उत्पन्न करने वाली हों और जो तप, संयम तथा ब्रह्मचर्य का घात-उपघात करने वाली हों, ऐसी कथाएँ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधुजनों को नहीं कहनी चाहिए, न सुननी चाहिए और न उनका चिन्तन करना चाहिए ।

इसी प्रकार स्त्रीकथा-विरति-समिति के योग से भावित-अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्तवाला तथा इन्द्रिय विकार से विरत रहने वाला, जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य से गुप्त (सुरक्षित) रहता है ।

तृतीय भावना : स्त्री रूप दर्शन निषेध—

६४१. नारियों के हास्य को, विकारमय प्राप्त को, हाथ आदि की चेष्टाओं को, कटाक्षयुक्त निरीक्षण को, गति-चाल को, विलास-क्रीड़ा को,

विबोतिय-नट्ट-गीत-वाइय-सरीर-संठाण-वन्न-कर-चरण-नयण-
लावण-रूव-जोवण-पयोहराधर-वत्यालंकार-भूसण णि य
गुज्झोवकासियाइं ।

अन्नाणि य एवमाइयाइं तव-संजम-बंभचेर-घातोवघातियाइं
अणुचरमाणेणं बंभचेरं न चक्खुसा, न मणसा, न वयसा,
पत्थेयव्वायं पावकम्माइं ।

एवं इत्थी रूव-विरति-समित्तिजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा
आरतमण-विरय-गामधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुत्ते ।

चउत्था भावणा : पुव्वरय-पुव्वकीडा अणुस्सरणया—
६४२. चउत्त्यं—पुव्वरय-पुव्वकीलिय-पुव्वसंगंथं-गंथ-संथुया

जे ते आवाह-विवाह-चोल्लकेसु य तिथिसु जन्नेसु उस्तवेसु य
सिगारागार चारुवेसाहि हाव-भाव-पललिय विक्खेव-विलास
सालिणीहि अणुकूलपेम्मिकाहि सद्धि अणुभूया सयण-संपभोगा,

उदुसुहवर-कुसुम-सुरभि चंदण-सुगंधि-वरवासधूव-सुहभरिस-
वत्थ-भूसण-गुणोववेया

रमणिज्जाउज्ज - गेय-पउर - नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल- मुट्टिक-
वेलंबग-कहग-पवग-लासग-आइक्खग-लंख-मुंख-तूणइल्ल-तुंव-
बीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि महुर-सर-गीय-
सुस्सराइं

अन्नाणि य एवमादियाणि तव-संजम-बंभचेरघातोवघातियाइं
अणुचरमाणेणं बंभचेरं न ताइं समणेण लब्भा वट्ठुं न क्खेउं,
न सुमरिउं जे ।

कामोत्पादक संभाषण, नाट्य, नृत्य, गीत, वीणादि वादन,
शरीर की आकृति, गौर श्याम आदि वर्ण, हाथों, पैरों एवं नेत्रों
का लावण्य, रूप, यौवन, स्तन, अघर-ओष्ठ, वस्त्र, अलंकार और
भूषण-ललाट की विन्दी आदि को तथा उसके गोपनीय अंगों को,
तथा अन्य इसी प्रकार की चैष्टाओं को जिनसे ब्रह्मचर्य, तप,
तथा संयम का घात उपघात होता है। उन्हें ब्रह्मचर्य का अनु-
पालन करने वाला मुनि न नेत्रों से देखे, न मन से सोचे और न
वचन से उनके सम्बन्ध में कुछ बोले और न पापमय कार्यों की
अभिलाषा करे।

इसी प्रकार स्त्रीरूपविरति-समिति के योग से भावित
अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्त वाला, इन्द्रिय विकार
से विरत, जितेन्द्र्य और ब्रह्मचर्य से गुप्त—(सुरक्षित) होता है।
चतुर्थ भावना : पूर्व भुक्त भोगों के स्मरण का निषेध—
६४२. पहले (गृहस्थावस्था में) किया गया रमण—विषयोपभोग,
पूर्वकाल में की गई काम क्रीड़ाएँ, पूर्वकाल के सग्रन्थ-श्वसुरकुल
(ससुराल) सम्बन्धी जन, ग्रन्थ—साले आदि से सम्बन्धित जन,
तथा संस्तुत—पूर्व काल के परिचित जन, इन सबका स्मरण नहीं
करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त गौने या विवाह, चूडाकर्म्म, शिशु का मुण्डन
तथा पर्वतियियों में, यज्ञों में, पूजाओं में, उत्सवों में, शृंगार
रस की गृहस्वरूप सुन्दर वेशभूषा वाली, हाव—मुख की चैष्टा,
भाव—चित्त के अभिप्राय, लालित्य-युक्त कटाक्ष, ढीली चोटी, पत्र-
लेखा, आँखों में अंजन आदि शृंगार, हाथों, भौंहों एवं नेत्रों की
विशेष प्रकार की चैष्टा इन सब से सुशोभित, अनुकूल प्रेम वाली
स्त्रियों के साथ अनुभव किए हुए शयन आदि के विविध प्रकार
के कामशास्त्रोक्त प्रयोग,

ऋतु के अनुकूल सुल प्रदान करने वाले उत्तम पुष्पों का
सौरभ एवं चन्दन की सुगन्ध, चूर्ण किए हुए अन्य उत्तम वास-
द्रव्य, धूप, सुखद स्पर्श वाले वस्त्र, आभूषण युक्त,

रमणीय वाद्यध्वनि, गायन, प्रचुर नट, नाचने वाले, रस्ती
पर खेल दिखलाने वाले, कुशतीवाज, मुक्केवाज, विदूषक, कद्दानी
सुनाने वाले, उछलने वाले, रास गाने वाले या रासलीला करने
वाले, शुभाशुभ बताने वाले, ऊँचे वांस पर खेल करने वाले या
चित्रमय पट्ट लेकर भिक्षा माँगने वाले, तूण नामक वाद्य बजाने
वाले, वीणा बजाने वाले, एक प्रकार के ताल बजाने वाले, इन
सबकी क्रीड़ाएँ गायकों के नाना प्रकार के मधुर ध्वनि वाले गीत
एवं मनोहर स्वर,

इस प्रकार के अन्य विषय, जो तप, संयम और ब्रह्मचर्य का
घात उपघात करने वाले हैं, उन्हें ब्रह्मचर्यपालक श्रमण को देखना
नहीं चाहिए, इन से सम्बन्ध वार्तालाप नहीं करना चाहिए और पूर्व
काल में जो देखे-सुने हों उनका स्मरण भी नहीं करना चाहिए।

एवं पुस्वरय-पुस्वकीलिय-विरति-समितिजोगेणं भाविओ भवइ
अंतरप्पा आरयमण-विरय-गामधम्मे जिर्दिदिए बंमचेरगुत्ते ।

पंचमा भावणा : पणीयाहार विवज्जणया—

६४३. पंचमगं—आहार-पणीय-निद्ध-भोयण-विवज्जिए संसए सुसाहु
ववगय-खीर-दहि-सप्पि-नवनीय-तेत्त-गुल-खंड-मच्छंडिक-महु-
मज्ज-मंसखज्जक-विगति-परिचत्तकयाहारे

न वप्पणं, न बहुसो, न नितिकं,

न सायसुपाहिकं, न खडं ।

“तहा भोत्तव्वं जह से जायामायाए य भवइ”

न य भवइ विन्मभो, न भंसणा य धम्मस्स ।

एवं पणीयाहार विरति-समितिजोगेण भाविओ भवइ अंत-
रप्पा आरय-मण-विरय-गामधम्मे जिर्दिदिए बंमचेरगुत्ते ।

—प. सु. २, अ. ४, सु. ८-१२

उपसंहारो—

एवमिणं संवरस्स वारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहियं ।
इमेहि पंचाहिं वि कारणेहि मण-वयण-काय-परिरिखएहिं ।
णिच्चं आमरणंतं च एसो जोगो णेयब्बो धितिमया
मतिमया ।

अणासवो अकलुसो अच्छिदो अपरिस्तावो असंकलिदो सुद्धो
सब्बजिणमणुष्सावो ।

एवं अउत्थं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं
आणाए अणुपालियं भवइ ।

एवं नायमुणिणा भगवया पन्नवियं पव्वियं पसिद्धं सिद्धवर
सासनमिणं आघवियं सुवेसियं पसत्थं । तिबेमि ।

—प. सु. २, अ. ४, सु. १२

इस प्रकार पूर्वरत-पूर्वकीडितविरति-समिति के योग से
भावित अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्य में अनुरक्त चित्त वाला,
जितेन्द्रिय, साधु ब्रह्मचर्य से गुप्त (सुरक्षित) होता है ।

पाँचवी भावना : विकारवर्धक आहार निषेध—

६४३. स्वादिष्ट, गरिष्ठ एवं स्निग्ध (चिकनाई वाले) भोजन का
त्यागी संयमशील-सुसाधु दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड़, खाण्ड,
मिसरी, मधु, मद्य, मांस, खाद्य—पकवान और विगय से रहित
आहार करे ।

वह दर्पकारक इन्द्रियों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला
आहार न करे । दिन में बहुत बार न खाए और न प्रतिदिन
लगातार खाए ।

न दाल और व्यंजन की अधिकता वाला और न प्रचुर
भोजन करे ।

“साधु उतना ही हित-मित आहार करे जितना उसकी
संयम-यात्रा का निर्वाह करने के लिए आवश्यक हो ।”

जिससे मन में विभ्रम-चंचलता उत्पन्न न हो और धर्म
(ब्रह्मचर्यव्रत) से च्युत न हो ।

इस प्रकार प्रणीत आहार की विरति रूप समिति के योग से
भावित अन्तःकरण वाला, ब्रह्मचर्य की आराधना में अनुरक्त
चित्तवाला और मंथन से विरत साधु जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य से
सुरक्षित होता है ।

उपसंहार—

इस प्रकार ब्रह्मचर्यव्रत रूप यह संवरद्वार सम्यक् प्रकार से
संवृत और सुरक्षित-पालित होता है । मन, वचन और काय, इन
तीनों योगों से परिरक्षित इन (पूर्वोक्त) पाँच भावना रूप कारणों
से सदैव, आजीवन यह योग धैर्यवान् और मतिमान् मुनि को
पालन करना चाहिए ।

यह संवरद्वार आस्रव से रहित है और भावछिद्रों से रहित
है । इससे कर्मों का आस्रव नहीं होता है । यह संक्लेश से रहित
है, शुद्ध है और सभी तीर्थकरों द्वारा अनुज्ञात है ।

इस प्रकार यह चौथा संवरद्वार विधिपूर्वक अंगीकृत, पालित,
शोधित—अतिचार त्याग से निर्दोष किया गया, पार—किनारे
तक पहुँचाया हुआ, कीर्तित—दूसरों को उपदिष्ट किया गया,
आराधित और तीर्थकर भगवान् की आज्ञा के अनुसार अनु-
पालित होता है ।

ऐसा ज्ञात मुनि भगवान् (महावीर) ने कहा है, युक्तिपूर्वक
समझाया है । यह प्रसिद्ध-जगद्विख्यात है, प्रमाणों से सिद्ध है ।
यह भवस्थित सिद्धों—अहंन्त भगवानों का शासन है । सुर, नर
आदि की परिषद में उपदिष्ट किया गया है और मंगलकारी है ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

ब्रह्मचरस्स णव अगुत्तिओ—

६४४. णव ब्रह्मचर अगुत्तीओ पणत्ताओ, तं जहा—

णो विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता भवति—

१. इत्थीसंसत्ताइं पसुसंसत्ताइं पंडगसंसत्ताइं ।

२. इत्थीणं कहं कहेत्ता भवति ।

३. इत्थिठाणाइं सेवित्ता भवति ।

४. इत्थीणं इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता
णिज्जाइत्ता भवति ।

५. पणीयरसभोई भवति ।

६. पाणभोयणस्स अइमायमाहारए सया भवति ।

७. पुव्वरय पुव्वकीलियं सरित्ता भवति ।

८. सद्दाणुवाई रुवाणुवाई सिलोगाणुवाई भवति ।

९. सायासोखपडिबद्धे यावि भवति ।^१

—ठाणं. अ. ९, सु. ६६३

ब्रह्मचरस्स णव गुत्तिओ—

६४५. णव ब्रह्मचरगुत्तीओ पणत्ताओ, तं जहा—

विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता भवति—

१. णो इत्थीसंसत्ताइं णो पसुसंसत्ताइं णो पंडगसंसत्ताइं ।

२. णो इत्थीणं कहं कहेत्ता भवति ।

३. णो इत्थिठाणाइं सेवित्ता भवति ।

४. णो इत्थीणमिंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता
णिज्जाइत्ता भवति ।

५. णो पणीतरसभोत्ती भवति ।

६. णो पाणभोयणस्स अतिमातमाहारए सया भवति ।

७. णो पुव्वरतं पुव्वकीलियं सरित्ता भवति ।

८. णो सद्दाणुवाती णो रुवाणुवाती णो सिलोगाणुवाती
भवति ।

९. णो सातसोखंपडिबद्धे यावि भवति ।

—ठाणं. अ. ९, सु. ६६३

१ सम० ९, सु० १ ।

ब्रह्मचर्यं की नौ अगुप्तियाँ—

६४४. ब्रह्मचर्यं की नौ अगुप्तियाँ या विराघनाएँ कही गई हैं । जैसे—

जो ब्रह्मचारी एकान्त में शयन-आसन का सेवन नहीं करता,

(१) किन्तु स्त्रीसंसक्त, पशुसंसक्त और नपुंसकसंसक्त स्थानों का सेवन करता है ।

(२) जो ब्रह्मचारी स्त्रियों की कथा करता है तथा स्त्रियों में कथा करता है ।

(३) जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के बैठने-उठने के स्थानों का सेवन करता है ।

(४) जो ब्रह्मचारी स्त्रियों के मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को देखता है और उनका चिन्तन करता है ।

(५) जो ब्रह्मचारी प्रणीत रस वाला भोजन करता है ।

(६) जो ब्रह्मचारी सदा अधिक मात्रा में आहार-पान करता है ।

(७) जो ब्रह्मचारी पूर्वभुक्त भोगों और क्रीड़ाओं का स्मरण करता है ।

(८) जो ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दों को सुनने का, सुन्दर रूपों को देखने का और कीर्ति-प्रशंसा का अभिलाषी होता है ।

९. जो ब्रह्मचारी सातावेदनीय-जनित सुख में प्रतिबद्ध होता है ।

ब्रह्मचर्यं की नौ गुप्तियाँ—

६४५. ब्रह्मचर्यं की नौ गुप्तियाँ (बाँड़ें) कही गई हैं । जैसे—

ब्रह्मचारी एकान्त में शयन और आसन करता है,

(१) किन्तु स्त्रीसंसक्त, पशुसंसक्त और नपुंसक के संसर्ग वाले स्थानों का सेवन नहीं करता है ।

(२) ब्रह्मचारी स्त्रियों की कथा नहीं करता है व स्त्रियों में कथा नहीं करता है ।

(३) ब्रह्मचारी स्त्रियों के बैठने-उठने के स्थानों का सेवन नहीं करता है ।

(४) ब्रह्मचारी स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को नहीं देखता है और चिन्तन भी नहीं करता है ।

(५) ब्रह्मचारी प्रणीत-रस-धृत-तेलबहुल भोजन नहीं करता है ।

(६) ब्रह्मचारी सदा अधिक मात्रा में आहार-पानी नहीं करता है ।

(७) ब्रह्मचारी सदा पूर्वकाल में भोगे हुए भोगों और स्त्री क्रीड़ाओं का स्मरण नहीं करता है ।

(८) ब्रह्मचारी मनोज्ञ शब्दों को सुनने का, सुन्दर रूपों को देखने का और कीर्ति-प्रशंसा का अभिलाषी नहीं होता है ।

(९) ब्रह्मचारी सातावेदनीय-जनित सुख में प्रतिबद्ध-आसक्त नहीं होता है ।



पंचम अपरिग्रह महाव्रत

अपरिग्रह महाव्रत की आराधना—१

अपरिग्रहमहव्यय आराहण-पद्धणा—

६४६. अहावरे पंचमे भन्ते ! महव्यय परिग्रहाओ वैरमणं ।

सर्वं भन्ते ! परिग्रहं पञ्चकस्वामि—से गामे वा णगरे वा अरण्ये वा अप्यं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा ।

(से य परिग्रहे चञ्चिवहे पणत्ते) तं जहा,

१. बवओ, २. सेतओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

१. बवओ सब्बदवेहि,

२. सेतओ सब्बसोएहि,

३. कालओ बिया वा राओ वा,

४. भावओ अप्पघे वा महघे वा ।)

नेव सयं परिग्रहं परिणेहेज्जा, नेवन्नेहि परिग्रहं परिणेहा-
वेज्जा, परिग्रहं परिणेहंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा^१
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निवामि गरिहामि अप्पाणं
वोसिरामि ।^२

पंचमे भन्ते ! महव्यय उवट्ठिओमि सब्बाओ परिग्रहाओ
वैरमणं । —दस. अ. ४, सु. १५

अपरिग्रहमहव्ययस्स पंच भावणाओ—

६४७. अहावरं पंचमं भन्ते ! महव्ययं सर्वं परिग्रहं पञ्चकस्वामि ।
से अप्यं वा, बहुं वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा,
अचित्तमंतं वा, णेव सयं परिग्रहं गेणेहेज्जा, णेवऽण्णेणं परि-
ग्रहं गेणेहावेज्जा, अण्णं वि परिग्रहं गेण्हंतं न समणुजाणेज्जा
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा वपसा कायसा तस्स
भन्ते ! पडिक्कमामि निवामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

अपरिग्रह महाव्रत आराधन की प्रतिज्ञा—

६४६. भन्ते ! इसके पश्चात् पाँचवें महाव्रत में परिग्रह की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ । जैसे कि—गाँव में, नगर में या अरण्य में, अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त ।

(परिग्रह के चार प्रकार हैं यथा—

(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से,

(१) द्रव्य से सर्व द्रव्य सम्बन्धी

(२) क्षेत्र से सर्व लोक में

(३) काल से दिन में या रात्रि में

(४) भाव से अल्प मूल्य वाली वस्तु हो या बहुमूल्य वाली)

किसी भी परिग्रह का ग्रहण मैं स्वयं नहीं करूँगा, दूसरों से परिग्रह ग्रहण नहीं कराऊँगा और परिग्रह ग्रहण करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा से परिग्रह का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भन्ते ! मैं पाँचवें महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ । इसमें सर्व परिग्रह की विरति होती है ।

अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

६४७. इसके पश्चात् हे भगवन् ! मैं पाँचवें महाव्रत में सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ । मैं थोड़ा या बहुत, या स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी भी प्रकार के परिग्रह से स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा, न दूसरों से ग्रहण कराऊँगा और परिग्रह ग्रहण करने वालों का अनुमोदन करूँगा । इस प्रकार यावज्जीवन तीन करण तीन योग से, मन से, वचन से, काया से परिग्रह से निवृत्त होता हूँ । हे भगवन् ! उसका प्रतिक्रमण नहीं करूँगा, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा परिग्रह का त्याग करता हूँ ।

१ सूय० सु० २, अ० १, सु० ६८५ ।

२ धण-धम्म-पेसवग्गु, परिग्रहविवज्जणा । सब्बारंभपरिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ।

—उत्त० अ० १६, गा० ३

तस्मिन्माओ पंच भावनाओ सवन्ति—

पद्मा भावना—सोईदियसंजमो—

१. तत्थिमा पद्मा भावना—सोततो णं जीवे मणुण्णामणुण्णाइं सद्दाइं सुणेति, मणुण्णामणुण्णेहिं सद्देहिं णो सज्जेज्जा, णो रज्ज्जा, णो गिज्जेज्जा, णो बुज्जेज्जा, णो अज्जेवव-ज्जेज्जा, णो विणिघायमावज्जेज्जा ।

केवली बूया—निग्गंथे णं मणुण्णामणुण्णेहिं सद्देहिं सज्जमाणे-जाव-विणिघायमावज्जमाणे संतिभेदा संतिविभंगा संति-केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

गाहा—णं सकका णं सोइं, सद्दा सोत्तविसयमागया ।
राग-दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जेए ॥

सोततो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं सद्दाइं सुणेति पद्मा भावना ।

वित्तिया भावना—चक्खुरिदियसंजमो—

२ अहावरा दोच्चा भावना—चक्खूतो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं रुवाइं पासति, मणुण्णामणुण्णाइं रुवेहिं णो सज्जेज्जा-जाव-णो विणिघातमावज्जेज्जा ।

केवली बूया—निग्गंथे णं मणुण्णामणुण्णाइं रुवेहिं सज्जमाणे-जाव-संति केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

गाहा—णं सकका रुवमददट्ठं, चक्खूविसयमागतं ।
राग-दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जेए ॥

चक्खूतो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं रुवाइं पासति त्ति दोच्चा भावना ।

तत्तिया भावना—घाणिदिय संजमो—

३. अहावरा तच्चा भावना—

घाणतो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं गंधाइं अग्घायंति मणुण्णा-मणुण्णेहिं गंधेहिं णो सज्जेज्जा-जाव-विणिघाय-मावज्जेज्जा ।

केवली बूया—मणुण्णामणुण्णेहिं गंधेहिं सज्जमाणे-जाव-संति केवलपणत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।

उस पंचम महाव्रत की पाँच भावनाएँ ये हैं—

प्रथम भावना—श्रोत्रेन्द्रिय संयम—

उसमें प्रथम भावना श्रोत्र (कान) से यह जीव मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ शब्दों को सुनता है, परन्तु वह उसमें असक्त न हो, राग भाव न करे, गृद्ध न हो, मोहित न हो, अत्यन्त आसक्ति न करे, राग-द्वेष करके अपने आत्म-भाव को नष्ट न करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो साधु मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दों में आसक्त होता है—यावत्—राग द्वेष करता है वह शान्ति रूप चारित्र्य को भंग करता है, शान्ति रूप अपरिग्रह महाव्रत को भंग करता है, शान्ति रूप केवलीप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

गाथार्थ—कर्ण-प्रदेश में आये हुए शब्दों का श्रवण न करना शक्य नहीं है किन्तु उसके सुनने पर जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है, भिक्षु उसका परित्याग करे ।

अतः श्रोत्र से जीव प्रिय और अप्रिय सभी प्रकार के शब्दों को सुनता है । यह प्रथम भावना है ।

द्वितीय भावना—चक्षुरिन्द्रिय संयम—

अब दूसरी भावना चक्षु से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार के रूपों को देखता है, किन्तु साधु मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूपों में आसक्त न हो—यावत्—राग-द्वेष करके अपने आत्मभाव को नष्ट न करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूपों को देखकर आसक्त होता है—यावत्—शान्ति रूप-केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

गाथार्थ—नेत्रों के विषय बने हुए रूप को न देखना तो शक्य नहीं है, वह दिख ही जाता है किन्तु उसके देखने पर जो राग-द्वेष उत्पन्न होता है भिक्षु उनका परित्याग करे अर्थात् उनमें राग-द्वेष का भाव उत्पन्न न होने दे ।

अतः नेत्रों से जीव मनोज्ञ अमनोज्ञ रूपों को देखता है, यह दूसरी भावना है ।

तीसरी भावना—घ्राणिन्द्रिय संयम—

अब तीसरी भावना,

नासिका से जीव प्रिय और अप्रिय गन्धों को सूँघता है, किन्तु भिक्षु मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्ध पाकर आसक्त न हो—यावत्—राग द्वेष करके आत्मभाव का नाश न करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ या अमनोज्ञ गंध पाकर आसक्त होता है—यावत्—वह शान्तिरूप केवलि प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

गाहा—ण सबका ण गंधमग्घाउं. णासाविसयमागयं ।
राग-दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परिवज्जए ॥

घाणतो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं गंधाइ अग्घायति त्ति तच्चा
भावणा ।

चउत्थाभावणा—जिह्विन्द्रिय संजमो—

४. अहाबरा चउत्था भावणा—जिह्मातो जीवो मणुण्णाम-
णुण्णाइं रसाइं अस्सादेति मणुण्णामणुण्णाइं रसेहि णो
सज्जेज्जा-जाव-णो विणिघातभावज्जेज्जा ।

केवली ब्रूया—निग्गंथे णं मणुण्णामणुण्णेहि रसेहि सज्ज-
माणे-जाव-संति केवलपणत्ताओ धम्मामो भंसेज्जा ।

गाहा—ण सबका रसमणासातूं, जीहाविसयमागतं ।
राग-दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परिवज्जए ॥

जीहातो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं रसाइं अस्सादेति त्ति चउत्था
भावणा ।

पंचमा भावणा—फासिन्द्रिय संजमो—

अहाबरा पंचमा भावणा—

फासातो जीवो मणुण्णामणुण्णेहि फासेहि णो सज्जेज्जा-जाव-
णो विणिघातभावज्जेज्जा ।

केवली ब्रूया—निग्गंथेणं मणुण्णामणुण्णेहि फासेहि सज्जमाणे
-जाव-संति केवलपणत्ताओ धम्मामो भंसेज्जा ।

गाहा - ण सबका ण संवेदेतुं फासं विसयमागतं ।
राग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जए ॥

फासातो जीवो मणुण्णामणुण्णाइं फासाइं पडिसंवेदेति त्ति
पंचमा भावणा ।^१

गाथार्थ—ऐसा नहीं हो सकता कि नासिका—प्रदेश के
सान्निध्य में आये हुए गन्ध के परमाणु पुद्गल सूंघे न जाए, किन्तु
उनको सूंघने पर जो उनमें राग-द्वेष समुत्पन्न होता है, भिक्षु
उनका परित्याग करे ।

अतः नासिका से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार की गन्धों
को सूंघता है, यह तीसरी भावना है ।

चौथी भावना—जिह्वेन्द्रिय संयम—

अब चौथी भावना जिह्वा से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ रसों का
आस्वादन कराता है, किन्तु भिक्षु को चाहिए कि वह मनोज्ञ अम-
नोज्ञ रसों में आसक्त न हो,—यावत्—राग-द्वेष करके अपने
आत्मभाव का नाश न करे ।

केवली भगवान ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ-अमनोज्ञ रसों
को पाकर आसक्त होता है—यावत्—वह शान्तिरूप केवली
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

गाथार्थ—ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिह्वाप्रदेश पर
रस आए और वह उसका आस्वादन न करे किन्तु उन रसों के
प्रति जो राग-द्वेष उत्पन्न होता है भिक्षु उसका परित्याग करे ।

अतः जिह्वा से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार के रसों
का आस्वादन करता है, यह चौथी भावना है ।

पंचम भावना—स्पर्शेन्द्रिय संयम—

अब पाँचवी भावना

स्पर्शेन्द्रिय से जीव मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्शों का संवेदन
(अनुभव) करता है किन्तु भिक्षु उन मनोज्ञामनोज्ञ स्पर्शों में
आसक्त न हो,—यावत्—राग-द्वेष करके अपने आत्मभाव का
नाश न करे ।

केवली भगवान ने कहा है—जो निर्ग्रन्थ मनोज्ञ-अमनोज्ञ
स्पर्शों को पाकर आसक्त होता है—यावत्—वह शान्तिप्रिय
केवलीप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है ।

गाथार्थ—स्पर्शेन्द्रिय के विषय प्रदेश में आए हुए स्पर्श का
संवेदन न करना किसी तरह संभव नहीं है, अतः भिक्षु उन
मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्शों को पाकर उनमें उत्पन्न होने वाले राग या
द्वेष का परित्याग करता है ।

अतः स्पर्शेन्द्रिय से जीव प्रिय-अप्रिय अनेक प्रकार के स्पर्शों
का संवेदन करे, यह पाँचवी भावना है ।

१ समवायांग सूत्र में पंचम महाव्रत की पाँच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१. श्रोत्रेन्द्रियरागोपरति, २. चक्षुरिन्द्रियरागोपरति, ३. घ्राणेन्द्रियरागोपरति,

४. रसनेन्द्रियरागोपरति,

५. स्पर्शेन्द्रियरागोपरति ।

—सम० स० २५, सु० १

—पण्ह० सु० २, अ० ५, सु० १३-१६

प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच भावनाएँ आचार्यांग सूत्र की तरह ही हैं ।

एताव ताव महव्वए सम्मं काएणं फासिते पालिते तीरिए
किट्टिते अवट्टिते आणाए आराहिते यावि भवति ।

पंचमं भंते ! महव्वयं परिग्गहाओ वेरमणं ।

—आ. सु. २, अ. १५, सु. ७८९-७९१

अपरिग्रहमहव्वयस्स पादपोवमा—

६४८. जो सो वीरवर-वयण-विरति-पवित्थर-बहुविहपकारो सम्मत्त
विमुद्धो मूलो ।

धिति कन्दो ।

विणय वेइओ ।

निग्गत-तिलोक्क-विपुल-जस-निविड-पीण-पवर-मुजात खंधो ।

पंचमहव्वय-विसाल सालो ।

भावण तयंत

ज्जाण-सुभोग-नाण-पल्लववरं-कुरधरो ।

बहुगुण कुसुमससिद्धो ।

सील सुगंधो ।

अण्हव फलो ।

पुणो थ मोक्खवर बीजसारो ।

मंदरगिरिसिहर-चूलिका इव मोक्खवर मुत्तिमग्गस्स सिहर-
भूओ संवरवरपादपो । —पण्ह० सु० २, अ० ५, सु० २

अपरिग्रह महव्वय-आराहग्गस्स अकप्पणिज्जाइं दव्वाइं—

६४९. जत्थ न कप्पइ गःमागर-नगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-
पट्टणाऽऽसमगयं च । किंचि अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा, यूलं
वा तस-थावरकायदव्वजायं मणसा वि परिघेत्तुं ।

न हिरण-सुवण-खेत्त-वत्थुं ।

इस प्रकार पंच भावनाओं से विशिष्ट तथा साधक द्वारा
स्वीकृत परिग्रह-विरमण रूप पंचम-महाव्रत का काया से सम्यक्
स्पर्श कर उसका पालन करे, स्वीकृत महाव्रत को पार लगाने,
उसका कीर्तन करने तथा अन्त तक उसमें अवस्थित रहने पर
भगवदाज्ञा के अनुरूप आराधक हो जाता है ।

भगवन ! यह है—परिग्रह-विरमणरूप पंचम महाव्रत ।

अपरिग्रह महाव्रत को पादप की उपमा —

६४८. श्री वीरवर—महावीर भगवान् के वचन—आदेश से की
गई परिग्रह निवृत्ति के विस्तार से यह संवरवर-पादप अर्थात्
अपरिग्रह नामक अन्तिम संवरद्वार बहुत प्रकार का है । सम्यग्-
दर्शन इसका विशुद्ध-निर्दोष मूल है ।

धृति—चित्त की स्थिरता इसका कन्द है ।

विणय इसकी वेदिका—चारों ओर का परिकर है ।

तीनों लोकों में फैला हुआ विपुल यश इसका सघन महान्
सुनिर्मित स्कन्ध (तना) है ।

पंच महाव्रत इसकी विशाल शाखाएँ हैं ।

अनित्यता, अशरणता आदि भावनाएँ इस संवर वृक्ष की
त्वचा है ।

धर्मध्यान, शुभयोग तथा ज्ञान रूपी पल्लवों के अंकुरों को
यह धारण करने वाला है ।

बहुसंख्यक उत्तरगुण रूपी फूलों से यह समृद्ध है ।

यह शील के सौरभ से सम्पन्न है ।

यह संवरवृक्ष अनास्रव-कर्मास्रव के निरोध रूप फलों
वाला है ।

मोक्ष ही इसका बीजसार-मीजी है ।

यह मेरु पर्वत के शिखर पर चूलिका के समान मोक्ष-कर्म
क्षय के निर्लोभता स्वरूप मार्ग का शिखर है ।

इस प्रकार का अपरिग्रह रूप उत्तम संवर रूपी जो वृक्ष है,
वह अन्तिम संवरद्वार है ।

अपरिग्रह महाव्रत आराधक के अकल्पनीय द्रव्य—

६४९. ग्राम, आकर, नगर, खेड, कर्वट, मंडब, द्रोणमुख, पत्तन
अथवा आश्रम में रहा हुआ कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह अल्प
मूल्य वाला हो या बहुमूल्य हो, प्रमाण में छोटा हो अथवा बड़ा
हो, वह त्रसकाय-शंख आदि हो या स्थावरकाय—रत्न आदि हो,
उस द्रव्य समूह को मन से भी ग्रहण करना नहीं कल्पता, अर्थात्
उसे ग्रहण करने की इच्छा करना भी योग्य नहीं है ।

चाँदी, सोना, क्षेत्र (खुली भूमि), वास्तु (मकान-दुकान
आदि) भी ग्रहण करना नहीं कल्पता ।

न दासी-दास-भृत्य-नियत वृत्ति पाने वाला सेवक, प्रेष्य—

संदेश ले जाने वाला सेवक, घोड़ा, हाथी, बैल आदि भी ग्रहण करना नहीं कल्पता ।

न जाण-जुग-सयणाह, न छत्तकं, न कुंडिया, न उवाणहा ।

यान—रथ, गाड़ी और युग्य—डोली आदि, शयन और छत्र-छाता आदि भी ग्रहण करना नहीं कल्पता, न कमण्डलु, न जूता,

न पेहण-वीथण-तालियंटका ।

न मोरपीछी, न वीजना—पंखा और तालवृन्त—ताड़ का पंखा ग्रहण करना कल्पता है ।

न यावि अय तउय तंब-सोसक-कंस-रयत-जातरुव-मणि-मुत्ता-धार-पुडक-संख-दंत-मणि-सिग-सेल-काय-घरचेल-चम्म-पत्ताहं-महरिहाइं, परस्स अज्झोववायलोम जणणाइ परियड्ढेउं गुणवओ ।

लोहा, त्रपु, तांबा, सीसा, कांसा, चांदी, सोना. मणि और मोती का आधार सीपरम्पुट, शंख, उत्तम दांत, सींग, शील-पापाण, उत्तम कांच, वस्त्र और चमड़ा और इनके बने हुए पात्र भी ग्रहण करना नहीं कल्पता । ये सब मूल्यवान पदार्थ दूसरे के मन में ग्रहण करने की तीव्र आकांक्षा तथा लोभ उत्पन्न करते हैं, उन्हें खींचना, अपनी ओर झपटना बढ़ाना या जतन से रखना मूल-गुणादि से युक्त भिक्षु के लिए उचित नहीं है ।

न यावि पुप्फ-फन-कंद-मूलादियाहं, सण-सत्तरसाइं, सव्व-घन्नाइं तिहि वि जोगेहिं परिघेत्तुं ओसह-भेसज्ज-भोदणट्टयाए संजएणं ।

इसी प्रकार पुष्प, फल, कन्द, मूल आदि तथा सनादि सत्रह प्रकार के धान्य ऐसे समस्त धान्यों को भी परिग्रहत्यागी साधु औपध, भेषज्य या भोजन के लिए त्रियोग—मन, वचन, काय से ग्रहण न करे ।

प०—किं कारणं ?

प्र०—नहीं ग्रहण करने का क्या कारण है ?

उ०—अपरिमित-णाण-दंसणघरेहिं सोलगुण-विणय-सव-संजम-नायकेहिं तित्थयरेहिं सव्वजगज्जीव-वच्छलेहिं तिलोयमहिएहिं जिणवरिदेहिं एस जोणी जंगमाणं विट्ठा ।

उ०—अपरिमित-अनन्त ज्ञान और दर्शन के धारक, शील-चित्त की शान्ति, गुण—अहिंसा आदि, विनय, तप और संयम के नायक, जगत् के समस्त प्राणियों पर वात्सल्य धारण करने वाले, त्रिलोक-पूजनीय, तीर्थंकर जिनेन्द्र देवों ने अपने केवलज्ञान से देखा है कि ये पुष्प, फल आदि त्रस जीवों की योनि—उत्पत्ति स्थान है ।

न कप्पइ जोणी-समुच्छेदो तेण वज्जंति समणसीहा ।

योनि का उच्छेद—विनाश करना योग्य नहीं है । इसी कारण श्रमणसिंह—उत्तम मुनि पुष्प, फल आदि का परिवर्जन करते हैं ।

जं पि य ओदण-कुम्मास-गंज-तप्पण-मंथु-मुज्जिय-पलल-सूप-सक्कुलि-वेडिम-घरसरक-चुन्न-कोसग-पिड-सिह-रिणि-वट्ट-मोयग खीर-दहि-सप्पि-नवनीत तेल्ल-गुल-खंड-मच्छंडिय-मधु-मज्ज-मंस खज्जक-वंजण-विधिमा-दिकं पणीयं उवस्सए परघरे व रन्ने न कप्पति, तं पि सन्निहिं काउं सुविहियाणं ।

और जो भी ओदन—क्रूर, कुल्माप—थोड़े उवाले उड़द आदि, गंज—एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, तर्पण—सत्तू, मंथु—बोर आदि का चूर्ण—आटा, भूजी हुई घानी—लाई, पलल तिल के फूलों-पिण्ड. सूप—दाल, गण्कुली—तिलपपड़ी, वेण्टिम—जलेबी, इमरती आदि, वरसरक नामक भोज्य वस्तु, चूर्णकोश—खाद्य विशेष, गुड़ आदि का पिण्ड, शिखरिणी—दही में शक्कर आदि मिलाकर बनाया गया भोज्य—श्रीखण्ड, वट्ट—वड़ा, मोदक—लड्डू, दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, खाजा, गुड़, खांड, मिश्री. मधु, मद्य, मांस और अनेक प्रकार के व्यंजन—शाक, छाछ आदि वस्तुओं का उपाश्रय में या अन्य किसी के खर में अथवा अटवी में सुविहित—परिग्रहत्यागी, शोभन आचार वाले साधुओं को संभय करना नहीं कल्पता है ।

—पण्ह० सु० २. अ० ५, सु० ३-५



अपरिग्रह महाव्रत के आराधक—२

अपरिग्रही—

६५०. आवंती के आवंती लोयंसि अपरिग्रहावन्ती एएसु चैव अप-
रिग्रहावन्ति । —आ. सु. १, अ. ५, सु. १५७

अपरिग्रही समणस्स पडमोवमा—

६५१. बोछिन्द सिणेहमप्पणो कुमुयं सारइयं व पाणियं ।
से सव्वसिणेहवज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥
—उत्त. अ. १०, गा. २८

सव्वे एगंतपंडिया सव्वत्थ समभावसाहगा—

६५२. जहा अंतो तहा बाहिं, जहा बाहिं तहा अंतो ।

अंतो अंतो पूतिदेहंतराणि पासति पुढो वि सव्वंताइं ।
पंडिते पडिलेहाए ।

से मतिमं परिणाय मा य हु लालं पच्चासी । मा तेसु
तिरिच्छमप्पाण भावातए ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ६२

सव्वे बाला आसत्ता सव्वे पंडिया अणासत्ता—

६५३. आहाकडं चैव निकाममोणे,
निकामसारी य विसण्णमेसी ।
इत्थीसु सत्ते य पुढो य बाले,
परिग्रहं चैव पक्खवमाणे ॥

वेराणुगिद्धे णिचयं करेति,
इतो चुते से डुहमडुडुगं ।
तम्हा तु मेघावि समिक्ख धम्मं,
चरे मुणी सव्वतो विप्पमुक्के ॥

आयं न कुज्जा इह जीवित्ठी,
असज्जमाणो य परिव्वएज्जा ।
णिसम्मभासी य विणीय गिद्धिं,
हिसणित्तं वा ण कहं करेज्जा ॥
—सूय. सु. १, अ. १०, गा. ८-१०

अपरिग्रही—

६५०. इस जगत् में जितने अपरिग्रही हैं वे पदार्थों (वस्तुओं) में
(मूर्छा न रखने और उनका संग्रह न करने के कारण) अपरि-
ग्रही हैं ।

अपरिग्रही श्रमण को पद्म की उपमा

६५१. जिस प्रकार शरद्-ऋतु का कुमुद (रक्त-कमल) जल में
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेदन कर
निलिप्त बन । हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

सभी एकान्त पण्डित सर्वत्र समभाव के साधक होते हैं—

६५२. (यह देह) जैसा भीतर है, वैसा बाहर है, जैसा बाहर है
वैसा भीतर है ।

इस शरीर के भीतर अशुद्धि भरी हुई है, साधक इसे देखे ।
देह से झरते हुए अनेक अशुचि स्रोतों को भी देखें । इस प्रकार
पंडित पुरुष शरीर की अशुचिता (तथा काम-विपाक) को भली-
भांति देखें ।

वह मतिमान् साधक (उक्त विषय को) जानकर तथा त्याग
कर लार को न चाटे—वमन किये हुए भोगों को पुनः सेवन न
करे । अपने को तिर्यक् मार्ग में (काम-भोग के बीच में अथवा
ज्ञान-चारित्र्य से विपरीत मार्ग में) न फंसाए ।

सभी बाल जीव आसक्त हैं, सभी पण्डित अनासक्त हैं—

६५३. जो साधु आघाकर्म आदि दोषदूषित आहार की कामना
करता है, जो निमन्त्रण पिंड आदि आहार की गवेपणा करता है,
वह (पार्श्वस्थ आदि कुशीलों के) मार्ग की गवेपणा करता है जो
स्त्रियों के विलास आदि अलग-अलग हास्य में आसक्त होकर
परिग्रह का संचय करता है ।

(परिग्रह अर्जन के निमित्त) प्राणियों के साथ जन्म-जन्मांतर
तक वैर में गृद्ध होकर वह पाप कर्म का संचय करता है । वह
यहां से च्युत होकर दुःखप्रद स्थानों में जन्म लेता है । इसलिए
मेघावी मुनि धर्म की समीक्षा कर सब ओर से सर्वथा विमुक्त
होकर संयम की चर्या करे ।

साधु इस लोक में चिरकाल तक जीने की इच्छा से आय
(द्रव्योपार्जन या कर्मोपार्जन) न करे, तथा स्त्री-पुत्र आदि में
अनासक्त रहकर संयम में पराक्रम करे । साधु पूर्वापर विचार
करके कोई बात कहे । शब्दादि विषयों से आसक्ति हटा ले तथा
हिसायुक्त कथा न कहे ।

अनासक्तो एव मरणा मुच्चइ—

६५४. जरामच्चु वसोवणीते नरे सततं मूढे धम्मं णाभिजाणति ।
पासिय आतुरे पाणे अप्पमत्तो परिव्वए ।

मंता एयं मतिमं पास,
आरंभजं बुद्धमिणं ति णच्चा,

मायी पमायी पुणरेति गम्भं ।
उवेहमाणो सद्-ह्वेसु अंजू माराभिसंकी मरणा पमुच्चति ।
—आ. सु. १, अ. ३, उ. १, सु. १०८

अनासक्तो एव सत्त्वहा अहिसओ भवइ—

६५५. आसेवित्ता एयमट्ठं इच्चेवेगे समुद्धिता ।

तम्हा तं विद्दयं नासेवते निस्सारं पासिय णाणी ।
उववायं चयणं णच्चा, अणणं चर माहणे ।

से ण छणे, न छणावए, छणंतं णाणुजाणति ।

निज्जिद न्दि अरते पयासु ।

अणोमदंती निज्जणे पावेहि कम्मोहि ।

—आ. सु. १, अ. ३, उ. २, सु. ११६

कामभोगेसु अगिद्धो णियंठो—

६५६. अणातपिण्डेणऽपियासएज्जा, नो पूयणं तवसा आयहेज्जा ।
सद्धोहि ह्वेहि असज्जमाणे, सद्धोहि कामोहि विणीय गेहि ॥

सम्भाइं संग्गाइं अइच्च धीरे, सव्याइं दुब्याइं तितिवद्यमाणे ।
अक्खिले अगिद्धे अणिएयचारी, अभयंकरे भिबलू अणाविलप्पा ॥
सूय. सु. १, अ. ७, गा. २७-२८

अनासक्त ही मरण से मुक्त होता है—

६५४. बुढ़ापे और मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मनुष्य (देहादि की आसक्ति से) सतत मूढ़ बना रहता है। वह धर्म को नहीं जान सकता। (आसक्त) मनुष्यों को शारीरिक—मानसिक दुःखों से आतुर देखकर साधक सतत अप्रमत्त होकर विचरण करे।

हे मतिमान् ! तू मननपूर्वक इन प्राणियों को देख ।

यह दुःख आरम्भजण्य (प्राणी) हिंसाजनित है, यह जानकर तू—अप्रमत्त बन)

मायी और प्रमादी मनुष्य बार-बार जन्म लेता है ।

शब्द और रूप आदि के प्रति जो उपेक्षा करता है—(राग-द्वेष नहीं करता है) वह ऋजु होता है जो मृत्यु के प्रति सदा आशंकित (सतर्क) रहता है और मृत्यु (के भय) से मुक्त हो जाता है ।

आसक्त ही हमेशा अहिसक होता है—

६५५. कई व्यक्ति असंयम का आचरण करके अंत में संयम-साधना से संलग्न हो जाते हैं अतः वे पुनः इसका सेवन नहीं करते हैं ।

हे ज्ञानी ! विषयों को निस्सार देखकर (तू केवल मनुष्यों के ही जन्म-मरण नहीं) देवों के उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) निश्चित हैं, वह जानकर हे महान् ! तू अनन्य (संयम या मोक्ष मार्ग) का आचरण कर ।

वह (संयमी मुनि) प्र.णियों की हिंसा स्वयं न करे, न दूसरों से हिंसा कराए और न हिंसा करने वाले का अनुमोदन करे ।

तू (कामभोगजनित आमोद-प्रमोद से विरक्त होकर) स्त्रियों में अनुरक्त मत बन ।

परम उच्च को देखने वाला पाप कर्मों में उदासीन रहता है ।

कामभोगों में अनासक्त निर्ग्रन्थ—

६५६. मुनि अज्ञातपिण्ड (अपरिचित घरों से लाये हुए भिक्षाघ्न) में अपना निर्वाह करे, तपस्या के द्वारा अपनी पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा न करे, शब्दों और रूपों में अनासक्त रहता हुआ समस्त काम-भोगों से आसक्ति हटावे ।

धीर साधक सर्वसंगों को त्याग कर, सभी दुःखों को सहन करता हुआ वह अखिल (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से पूर्ण) हो, अनासक्त (विषयभोगों में अनासक्त हो) अनियतचारी, अप्रतिबद्ध-विहारी (और अभयंकर) जो न स्वयं भयभीत हो और न दूसरों को भयभीत करे (तथा) निर्मल चित्तवाला हो ।

परिचर्चाई समणानं पमाय णिसेहो—

६५७. चिञ्चाण धणं च भारियं, पव्वइओ हि सि अणगारियं ।
मा वन्तं पुणो वि आइए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अवउज्झियं मित्तबन्धवं, विउलं चैव धणोहसंचयं ।
मा तं विइयं गवेसए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्त. अ. १०, गा. २६-३०

सलुद्धरो समणो—

६५८. महयं पत्तिगोव जाणिया, जा वि य वंदण-पूयणा इहं ।
सुहमे सल्ले दुरुद्धरे, विदुमं ता पयहेज्ज संथवं ॥
—सूय. सु. १, अ. २, उ २, गा. ११

चाईणं देवगई—

६५९. गवासं मणिकुंडलं, पसवो दासपोरुसं ।
सव्वमेयं चइत्ताणं, कामरूवी भविस्ससि ॥
—उत्त. अ. ६, गा. ५

धीरा धम्मं जाणंति—

६६०. आसं च छंदं च विगिच धीरे ।

तुमं चैव तं सल्लमाहट्टु ।

जेण सिया तेण णो सिया ।

इणमेव णावबुज्झंति जे जणा मोहपाउडा ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ४, सु. ८३

ध्रुवचारिणो कम्मरयं धुणंति—

६६१. आयाण भो ! सुस्सुस भो ! धूतवादं पवेदयिस्सामि । इह
खलु अत्ताए तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसंभूता अभि-
संजाता अभिणिव्वट्ठा अभिसंबुद्धा अभिसंबुद्धा अभिणिक्खंता
अणुपुव्वेणं महामुणी ।

तं परक्कमंतं परिदेवमाणा 'मा णे चयाहि' इति ते वदंति ।
छंदोवणीता अज्झोववण्णा अक्कंदकारी जणगा रुदंति ।

त्यागी श्रमणों के लिए प्रमाद का निषेध—

६५७. धन और पत्नी का त्याग कर तू अनगार-वृत्ति के लिए
घर से निकला है, अतः वमन किये हुए—कामभोगों को फिर से
स्वीकार न कर । हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

मित्र, बान्धव और विपुल धनराशि को छोड़कर फिर से
उनकी गवेषणा मत कर । हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत
कर ।

शल्य को समाप्त करने वाला ही श्रमण होता है—

६५८. जो वंदना और पूजा है वह महाकीचड़ है, उसे भी इस
लोक में या जिन-शासन में स्थित विद्वान् मुनि गर्वरूप सूक्ष्म एवं
कठिनता से निकाला जा सकने वाला शल्य जानकर उस संस्तव
का परित्याग करे ।

त्यागियों की देवगति—

६५९. गाय, घोड़ा, मणि, कुण्डल, पशु, दास और पुरुष-समूह—
इन सबको छोड़ । ऐसा करने पर तू काम-रूपी (इच्छानुकूल
रूप बनाने में समर्थ) होगा ।

धीर पुरुष धर्म को जानते हैं—

६६०. हे धीर पुरुष ! तू आशा और स्वच्छन्दता (मनमानी) का
त्याग कर दे ।

उस भोगेच्छा रूप शल्य का सृजन तूने स्वयं ही किया है ।

जिस भोग सामग्री से तुझे सुख होता है उससे सुख भी नहीं
होता है । (भोग के बाद दुःख है ।)

जो मनुष्य मोह की सघनता से आवृत हैं, ढके हैं, वे इस
तथ्य को, उक्त आशय को—कि पौद्गलिक साधनों से कभी सुख
मिलता है, कभी नहीं, वे क्षणभंगुर हैं, तथा वे ही शल्य (कांटा)
रूप हैं; नहीं जानते हैं ।

ध्रुवचारी कर्मरज को धुनते हैं—

६६१ हे मुने ! समझो, सुनने की रुचि करो, मैं धूतवाद का
निरूपण करूँगा, इस संसार में आत्मभाव से प्रेरित होकर, उन
कुलों में शुक्रशोणित के अभिवेक-अभिसिचन से माता के गर्भ में
कललरूप हुए, फिर प्रसव होकर संवद्धित हुए, तत्पश्चात् अभि-
सम्बुद्ध हुए, फिर धर्म श्रवण करके विरक्त होकर अभिनिष्क्रमण
किया । इस प्रकार क्रमशः महामुनि बनते हैं ।

मोक्षमार्ग संयम में पराक्रम करते हुए उस मुनि के माता-
पिता आदि करुण विलाप करते हुए यों कहते हैं—'तुम हंमें मत
छोड़ो, हम तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार व्यवहार करेंगे, तुम पर
हमें ममत्व है ।' इस प्रकार आक्रन्दन करते हुए वे रुदन
करते हैं ।

अतारिसे मुणो ओहं तरए जणगा जेण विप्पजढा ।

सरणं तत्थ णो समेति । किह णाम से तत्थ रमति ।

एतं णाणं सया समणुवासेज्जाति ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. १, सु. १८१-१८२

सामण्यरहिया समणा—

६६२. जे घम्मलद्धं विणिहाय भुंजे,
विघडेण साहट्टु य जो तिणाति ।
जो घोवति लूसयती य यत्थं,
अहाऽऽहु से णागणियस्स दूरे ॥
कम्मं परिणाय दगंति धीरे,
विघडेण जीयेज्ज य आदिभोषणं ।
से बीप-कंदाति अमंजमाणे,
धिरते तिणाणादिषु इत्थियामु ॥
जे मायरं पियरे च हेच्चा,
ऽणारं तहा पुत्त पसुं घणं च ।
कुसाइं जे घावति सादुगाइं,
अहाऽऽहु से सामणियस्स दूरे ॥
कुसाइं जे घावति सादुगाइं,
आघाति घम्मं उदराणुगिट्ठे ।
अहाट्टु से आयरियाण सतंसे,
जे लावइज्जा असणस्स हेउं ॥
निबल्लम्म दीणे परभोयणम्मि,
भुहमंगलिओवरियाणुगिट्ठे ।
नीवारगिट्ठे व महावराहे,
अदूर एवेहति घातमेव ॥
अप्रस्स पाणस्सिहलोइयस्सं,
अणुत्पियं भासति सेवमाणे ।
पासस्ययं चेव कुसीलयं च,
निस्सारए होति जहा पुत्ताए ॥
—सूय. सु. १, अ. ७, गा. २१-२६

पंच आसवदाराए—

६६३. पंच आसवदारा पणत्ता, तं जहा—

१. मिच्छत्तं, २. अविरइ, ३. पमाया, ४. कसाया,
५. जोगा । —सम. समवाय ५, सु. १

जिसने माता-पिता को छोड़ दिया है ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है न ही संसार-सागर को पार कर सकता है ।”

वह मुनि (स्वजनों का विलाप-रुदन सुनकर) उनकी शरण में नहीं जाता । वह तत्त्वज्ञ पुरुष भला कैसे उस (गृहवास) में रमण कर सकता है ?

मुनि इस ज्ञान को सदा (अपनी आत्मा में) अच्छी तरह बसा ले ।

श्रामण्य रहित श्रमण—

६६२ जो भिक्षा से प्राप्त अन्न का संचय कर भोजन करता है, जो शरीर को संकुचित कर निर्जीव जल से स्नान करता है, जो कपड़ों को धोता है उन्हें फाड़कर छोटे और सांघ कर बड़े करता है, वह नागन्य (श्रामण्य) से दूर है, ऐसा कहा है ।

जल के सभारंभ से कर्म-बंध होता है, ऐसा जानकर धीर मुनि मृत्यु पर्यन्त निर्जीव जल से जीवन विताए । वह बीज, कंद आदि न खाए, स्नान आदि तथा स्त्रियों से विरत रहे ।

जो माता, पिता, घर, पुत्र, पशु और धन को छोड़कर स्वादु भोजन वाले कुलों की ओर दौड़ता है, वह श्रामण्य से दूर है, ऐसा कहा है ।

जो स्वादु भोजन वाले कुलों की ओर दौड़ता है, पेट भरने के लिए धर्म का आख्यान करता है और जो भोजन के लिए अपनी प्रशंसा करवाता है, वह आर्य श्रमणों की गुण-संपदा के सीवें भाग से भी हीन होता है ।

जो अभिनिष्क्रमण कर गृहस्थ से भोजन पाने के लिए दीन होता है, भोजन में आसक्त होकर दाता की प्रशंसा करता है वह चारे के लोभी विशालकाय सुअर की भांति शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है ।

जो इहलौकिक अन्न-पान के लिए प्रिय वचन बोलता है, पार्श्वस्था और कुशीलता का सेवन करता है वह पुआल की भांति निस्सार हो जाता है ।

पांच आसव द्वार—

६६३. पांच आसव द्वार बताये हैं, जैसे—

(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग ।



परिग्रह का स्वरूप—३

परिग्रहस्वरूप—

६६४. आवन्ती के आवन्ती लोगंसि परिग्रहावन्ती, से अप्यं वा बहुं वा अणुं वा यूल वा, चित्तमंत वा, अचित्तमंतं वा एतेषु चैव परिग्रहावन्ती ।

एतदेवेगेसि महम्भयं भवति ।

लोगवित्तं च णं उवेहाए ।

एते संगे अविजाणतो । —आ. सु. १, अ. ५, सु. १५४

परिग्रहपावस्स फलं दुक्खं—

६६५. तं परिगिज्झं दुपयं चउप्पयं अभिजुंजियाणं संसिचियाणं तिविघे ग जा वि से तत्थ मत्ता भवति अप्पा वा, द्हुगा वा ।

से तत्थ गढिते चिट्ठति भोयणाए ।

ततो से एगदा विप्परिसिट्ठं संभूतं महोवकरणं भवति ।

तं पि से एगदा वायादा विभयंति, अदत्तहारो वा सेज्वहरति, रायाणो वा से विलुंपंति गस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारदाहेण वा से डज्जति ।

इति से परस्सज्जाए कूराइं कम्माइं वाले पकुच्चमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति ।

मुणिणा ह्ठ एतं पवेदितं ।

अणोहंतरा एते, णो य ओहं तरित्ठए ।

परिग्रह का स्वरूप—

६६४. इस जगत् में जितने भी प्राणी परिग्रह वाले हैं, वे अन्य या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त वस्तु को ग्रहण करते हैं । वे इनमें आसक्त होने से ही परिग्रहवान् हैं ।

यह परिग्रह ही परिग्रहियों के लिए महाभय का कारण होता है ।

साधको ! असंयमी-परिग्रही लोगों के वित्त-धन या वृत्त (संज्ञाओं) को देखो ।

जो आसक्तियों को नहीं जानता, वह महाभय को पाता है ।

परिग्रह पाप का फल दुःख—

६६५. वह परिग्रह में आसक्त मनुष्य द्विपद (मनुष्य-कर्मचारी) चतुष्पद (पशु आदि) का परिग्रह करके उनका उपयोग करता है । उनको कार्य में नियुक्त करता है । फिर धन का संग्रह-संचय करता है । अपने, दूसरों के और दोनों के सम्मिलित प्रयत्नों से (अपनी पूर्वाजित पूंजी, दूसरों का श्रम तथा बुद्धि तीनों के सह-योग से) उनके पास अल्प या बहुत मात्रा में धन संग्रह हो जाता है ।

वह उस अर्थ में गृह-आसक्त हो जाता है और भोग के लिए संरक्षण करता है ।

पश्चात् विविध प्रकार के भोगोपभोग करने के बाद बची हुई विपुल अर्थ सम्पदा से महान् उपकरण वाला बन जाता है ।

एक समय ऐसा आता है, जब उस सम्पत्ति में से दामाद-वेटे-पोते हिस्सा बंटा लेते हैं, चोर चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं या वह नष्ट विनष्ट हो जाती है तथा गृहदाह के साथ जल जाती है ।

इस प्रकार वह अज्ञानी पुरुष, दूसरों के लिए क्रूर कर्म करता हुआ अपने दुःख उत्पन्न करता है, फिर उस दुःख से त्रस्त होकर सुख की खोज करता है, पर अन्त में उसके हाथ दुःख ही लगता है इस प्रकार वह मूढ़ विपर्यास को प्राप्त होता है ।

भगवान् ने यह बताया है—(जो क्रूर कर्म करता है, वह मूढ़ होता है । मूढ़ मनुष्य सुख की खोज में बार-बार दुःख प्राप्त करता है ।)

ये मूढ़ अनोधंतर अर्थात् संसार प्रवाह को तैरने में समर्थ नहीं होते एवं प्रव्रज्या लेने में असमर्थ रहते हैं ।

अतीरंगमा एते णो य तीरं गमित्तए ।

अपारंगमा एते, णो य पारं गमित्तए ।

आयाणिज्जं च आदाय तम्मि ठाणे ण चिट्ठति ।
वित्तहं पप्प खेत्तणे तम्मि ठाणंमि चिट्ठति ॥

—आ. सु १, अ. २, उ. ३, सु. ७६

आइस्सखं चैव अबुज्जमाने,
ममाति से साहसकारि मंढे ।
अहो य रातो परितप्पमाने,
अट्टे सुमूढे अजरामरव्व ॥

जहाहि वित्तं पसवो य सव्वे,
जे वांधवा जे य णिता य मित्ता ।

सालप्पती सो वि य एइ मोहं,
अन्ने जणा तं सि हरंति वित्तं ॥

—सूय. सु १, अ. १०, गा. १८-१९

परिग्रहे आसक्ति णिसेहो—

परिग्रहाओ अप्पाणं अयसक्केज्जा ।

अण्णहा णं पासए परिग्रहेज्जा ।

एस मग्गे आरिएहि, पवेदित्ते, जहेत्थ कुसले णोवलिपिज्जासि
त्ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८६(घ)

परिग्रहं महाभयं—

६६६. से मुपडिबुद्धं मुविणियंति णच्चा पुरिसा परमचक्खू । विप-
रिक्कम एतेसु चैव बंभचेरं ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. २, सु. १५५

परिग्रहमुत्ति एव मुत्ति—

६६७. [यावरं जंगमं चैव, धणं धणं उववखरं ।

पक्कमानस्स कम्मोहि, नात्तं बुबुखाठ भोयणे ।]

—उत्त. अ. ६, गा. ५

परिग्रहेण दुहं अपरिग्रहेणं सुहं—

६६८. धम्मस्स य पारए मुणी, आरम्भस्स य अंतए ठिए ।

सोयति य ण ममाइणे, नो य लमंति णियं परिग्रहं ॥

वे अतीरंगम हैं, तीर-किनारे तक पहुँचने में (मोह कर्म का क्षय करने में) समर्थ नहीं होते ।

वे अपारंगम है,—पार—(संसार के उस पार निर्वाण तक) पहुँचने में समर्थ नहीं होते हैं ।

वह (मूढ़) आदाणीय-सत्यमार्ग (संयम पथ) को प्राप्त करने भी उस स्थान में स्थित नहीं हो पाता । अपनी मूढ़ता के कारण वह असत्मार्ग को प्राप्त कर उसी में ठहर जाता है ।

आयु-क्षय को नहीं समझता हुआ ममत्वशाली पापकर्म करने का साहस करता रहता है । वह दिन-रात चिन्ता से संतप्त रहता है । वह मूढ़ स्वयं को अजर-अमर के समान मानता हुआ (धन आदि पदार्थ) में मोहित रहता है ।

नमाधि का इच्छुक व्यक्ति धन और पणु आदि सब पदार्थों का (ममत्व) त्याग करे । जो वान्धव और प्रिय मित्र हैं, वे वस्तुतः लोकोत्तर उपकार नहीं करते हैं तथापि मनुष्य उनके वियोग से शोकाकुल होकर विलाप करता है, और मोह को प्राप्त होता है । (उसके मर जाने पर) उसके (द्वारा अत्यधिक कष्ट से उपा-जित) धन का दूसरे लोग ही हरण कर लेते हैं ।

परिग्रह में आसक्ति का निषेध—

परिग्रह से स्वयं को दूर रखे ।

जिस प्रकार गृहस्थ परिग्रह को ममत्व भाव से देखते हैं उस प्रकार न देखे, अन्य प्रकार से देखे और परिग्रह का वर्जन करे ।

यह (अनासक्ति का) मार्ग आर्य—तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है, जिससे कुशल पुरुष (परिग्रह में) लिप्त न हो । ऐसा मैं कहता हूँ ।

परिग्रह महाभय—

६६६. (परिग्रह महाभय का हेतु है) यह (प्रत्यक्षज्ञानी के द्वारा) सम्यक् प्रकार से दृष्ट और उपदेशित है । (इसलिए) परमचक्षु-प्मान् पुरुष (परिग्रह-संयम के लिए) पराक्रम करे । परिग्रह का संयम करने वालों में ही ब्रह्मचर्य होता है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

परिग्रह-मुक्ति ही मुक्ति है—

६६७. (चल और अचल सम्पत्ति, धन, धान्य और गृहोपकरण—ये सभी पदार्थ कर्मों से दुःख पाते हुए प्राणी को दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं ।)

परिग्रह से दुःख—अपरिग्रह से सुख—

६६८. जो पुरुष धर्म का पारगामी है और आरम्भ के अन्त (अभाव) में स्थित है, (वही) मुनि है । ममत्वयुक्त पुरुष शोक करते हैं, फिर भी अपने परिग्रह को नहीं पाते ।

इए लोगे दुहावहं विऊ, परलोगे य दुहं दुहावहं ।
विद्धंसणधम्ममेव तं, इति विज्जं को गारमावसे ? ॥
—सूय. सु. १, अ. २, गा. ६-१०

सुहोवाय परूवणं—

६६६. आयावयाही चय सोगमल्लं. कामे कमाही कमियं खु दुवखं ।
छिदाही दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ॥
—दस. अ. २, गा. ५

तण्हाए लयोवमा—

६७०. प०—अन्तोहियय—संभूया. लया विट्ठइ गोयमा !
फलेइ विसभवखीणि सा उ उद्धरिया कहं ? ॥
उ०—तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं ।
विहरामि जहानायं, मुक्को मि विसभवखणं ॥

प०—लया य इइ का वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥

उ०—भवतण्हा लया वुत्ता, भीमा भीमफलोदया ।
तमुद्धरित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी ॥
—उत्त. अ. २३, गा. ४५-४८

अट्टलोलुपा दंडं समारभंति—

६७१. अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुट्ठायी संजोगट्ठी
अट्टालोभी आलुंप्पे सहसक्कारे विणिविट्ठचित्ते एत्थ सत्थे पुणो
पुणो ।

से आतबले, से णातबले, से भित्तबले, से पेच्चबले, से देवबले,
से रायबले, से चोरबले, से अतिथिबले, से किन्नणबले, से
समणबले,

इच्चेतेहि विरुवरुवेहि कज्जेहि दंडसमादाणं, सपेहाए भया
कज्जंति, पावमोवखो त्ति मण्णमाणे अट्टुवा आसंसाए ।

परिग्रह इस लोक में दुःख देने वाला है और परलोक में भी
दुःख उत्पन्न करने वाला है, तथा वह विध्वंसक (विनश्वर)
स्वभाव वाला है, ऐसा जानने वाला कौन पुरुष गृह-निवास कर
सकता है ?

सुखी होने के उपाय का प्ररूपण—

६६६. अपने को तपा । सुकुमारता का त्याग कर । काम-विषय-
वासना का अतिक्रम कर । इससे दुःख अपने-आप अतिक्रान्त हो
जाएगा । द्वेष भाव को छिन्न कर, राग-भाव को दूर कर । ऐसा
करने से तू संसार (इहलोक और परलोक) में सुखी होगा ।

तृष्णा को लता की उपमा—

६७०. प्र०—हे गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न एक लता है ।
उसके विष-तुल्य फल लगते हैं । उसे तुमने कैसे उखाड़ा ?”

उ०—“उस लता को सर्वथा काटकर एवं जड़ से उखाड़कर
नीति के अनुसार मैं विचरण करता हूँ । अतः मैं विषफल खाने से
मुक्त हूँ ।”

प्र०—केशी ने गौतम को कहा—“वह लता कौन सी है ?”
केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

उ०—“भवतृष्णा ही भयंकर लता है । उसके भयंकर परि-
पाक वाले फल लगते हैं । हे महामुने ! उसे जड़ से उखाड़कर
मैं नीति के अनुसार विचरण करता हूँ ।”

अर्थलोलुप हिंसा करते हैं—

६७१. (जो विषयों से निवृत्त नहीं होता) वह रात-दिन परितप्त
रहता है । काल या अकाल में (धन आदि के लिए) सतत प्रयत्न
करता रहता है । विषयों को प्राप्त करने का इच्छुक होकर वह
धन का लोभी बनता है । चोर व लुटेरा बन जाता है । उसका
चित्त व्याकुल व चंचल बना रहता है और वह पुनः-पुनः शस्त्र-
प्रयोग (हिंसा व. संहार) करता रहता है ।

वह आत्मबल (शरीर बल), ज्ञातिबल, मित्रबल, प्रैत्य बल,
देवबल, राजबल, चोरबल अतिथिबल, कृपणबल और श्रमण-
बल का संग्रह करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों (उपक्रमों)
द्वारा दण्ड (हिंसा) का प्रयोग करता है ।

कोई व्यक्ति किसी कामना के लिए दण्ड का प्रयोग करता है
(अथवा किसी अपेक्षा से) कोई भय के कारण हिंसा आदि करता
है । कोई पाप से मुक्ति पाने की भावना से (यज्ञ-बलि आदि
द्वारा) हिंसा करता है । कोई किसी आशा (अप्राप्त को प्राप्त
करने की लालसा) से हिंसा-प्रयोग करता है ।

तं परिणाय मेधावी जेवसयं एतेहि कज्जेहि दंडं समारंभेज्जा,
जेवऽणं एतेहि कज्जेहि दंडं समारंभावेज्जा, जेवऽणं एतेहि
कज्जेहि दंडं समारंभंते समणुजाणेज्जा ।

एस मग्गे आरिएहि पवेविते जहेत्य कुसले णोवलिपेजास्सि
त्ति वेमि । —आ. सु. १; अ. २, उ. २, सु. ७२-७४

लोभ-निषेधो—

६७२. कस्मिं पियं जो इमं लोयं, पडिपुणं वलेज्ज इक्कस्स ।
तेणावि से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥

जहा लामो तथा लोभो. लामा लोभो पवड्ढई ।
दोभासकयं कज्जं, कोडोए वि न निट्ठियं ॥

—उत्त. अ. ८, गा. १६-१७

जीवियंतकरणे वि रोगायंके वि समुप्पन्ने ओसहाईणं संगह-
णिसेहो—

६७३. जं पियं ममणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहुपरंमि
समुप्पन्ने ।

वाताहिक-पित्त-सिभ-अइरित्त-कुविय-तह-सध्निवातजाते व
उदयपत्ते ।

उज्ज्वल-बल-विउल-ककखट-पगाढकुक्खे ।

असुह-कटुय-करसे ।

अण्डफलविवागे ।

महम्मए जीवियंतकरणे ।

सत्त्वसरीरपरितापणकरे न कप्पइ तारिसे वि तह अप्पणो
परस्स वा ओसह-भेसज्जं भत्त-पाणं च तं पियं संनिहिकयं ।

—पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. ७

असणाईणं संगह-निषेधो—

६७४. तहेव असणं पाणं वा, विविहं खाइम साइमं लमिक्खा ।
होही अट्ठो सुए परे वा, तं न निहे न निहावए जे स भिक्खु ।

—दस. अ. १०, गा. ८

सन्निहिं च न कुवेज्जा, लेवमायाए संजए ।

पक्खी पत्तं समादाय, निरवेक्खो परिब्बए ॥

—उत्त. अ. ६, गा. १५

यह जानकर मेधावी पुरुष पहले बताये गये प्रयोजनों के लिए
स्वयं हिंसा न करे, दूसरों से हिंसा न करवाये तथा हिंसा करने
वाले का अनुमोदन न करे ।

यह मार्ग आर्य-पुरुषों ने (तीर्थंकरों ने) बताया है । कुशल
पुरुष इन विषयों में लिप्त न हों । ऐसा मैं कहता हूँ ।

लोभ-निषेध—

६७२. धन्य धान्य से परिपूर्ण यह समूचा लोक भी यदि कोई
किसी को दे दे—उतसे भी वह सन्तुष्ट नहीं होता—तृप्त नहीं
होता, इतना दुप्पूर (लोभाभिभूत) है यह आत्मा ।

जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे लोभ बढ़ता है । दो-माशा
सोने से निष्पन्न होने वाला कार्य करोड़ों (स्वर्ण-मुद्राओं) से भी
पूरा नहीं हुआ ।

जीवनविनाशी रोग होने पर भी औपधादि के संग्रह का
निषेध—

६७३. सुविहित—आगमानुकूल चारित्र्य का परिपालन करने वाले
साधु को यदि अनेक प्रकार के रोग और आतंक (जीवन को
संकट या कठिनाई में डालने वाली व्याधि) उत्पन्न हो जाय ।

वात—पित्त या कफ का अतिशय प्रकोप हो जाय, अथवा
सन्निपात (उक्त दो या तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप)
हो जाए ।

इसके कारण उज्ज्वल अर्थात् सुख के लेशमात्र से रहित
प्रबल, विपुल, दीर्घकाल पर्यन्त कर्कश—अनिष्ट एवं प्रगाढ़ अर्थात्
अत्यन्त तीव्र दुःख उत्पन्न हो जाये ।

वह दुःख अणुभ या कटुक द्रव्य के समान (असुख-अनिष्ट
रूप) हो, परुष (कठोर) हो,

दुःखमय दारुण फल वाला हो,

महान् भय उत्पन्न करने वाला हो, जीवन का अन्त करने
वाला हो,

समग्र शरीर में परिस्ताप उत्पन्न करने वाला हो, तो ऐसा
दुःख उत्पन्न होने की स्थिति में भी स्वयं अपने लिए तथा दूसरे
साधु के लिए औपध, भैषज्य, आहार तथा पानी का संचय करके
रखना नहीं कल्पता है ।

अशान्ति के संग्रह का निषेध—

६७४. पूर्वोक्त विधि-से विविध अशान, पान, खाद्य और स्वाद्य को
प्राप्त कर कल या परसों काम आयेगा—इस विधि से जो न
सन्निधि (संचय) करता है और न कराता है—वह भिक्षु है ।

संयमी मुनि लेप लगे उतना भी संग्रह न करे—वासी न
रखे । पक्षी की भँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पान लेकर
भिक्षा के लिए पर्यटन करे ।

बाला क्रूरकम्माइं कुव्वंति—

६७५. ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति ।

जैहिं वा सद्धिं संवसति ते व णं एगया णिगया पुण्णिव परि-
वयंति, सो वा ते णियए पच्छा परिवएज्जा ।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा ।

तुमं पि तैसिं णालं ताणाए वा सरणाए वा ।
जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायं ।

भोगामेव अणुसोयंति,

इहमेगेसिं भाणवाणं तिविहेण जावि से तत्थ मत्ता भवति
अप्पा वा बहया वा ।

से तत्थ गढिते चिट्ठित्त भोयणाए ।

ततो से एगया विप्परिसिट्ठं संभूतं महोवकरणं भवति तं पि
से एगया दायादा विभयंति, अदत्तहारो वा सेऽवहरंति,
रायाणो वा से विलुंपंति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से,
अगारदाहेणं वा से डज्जति ।

इति से परस्स अट्ठाए कूराइं कम्माइं बाले पकुव्वमाणे तेण
दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ४, सु. ८१-८२

मूढा धम्मं न जाणंति—

६७६. थोसि लोए पव्वहिते ।

ते भो ! वदंति एयाइं आयतणाइं ।

से दुक्खाए मोहाए माराए णरगाए नरगतिरिक्खाए ।

सततं मूढे धम्मं णाभिजाणति ।

उदाहु वीरे—अप्पमादो महामोहे,

बालजीव क्रूर कर्म करते हैं—

६७५. कभी एक समय ऐसा आता है, जब उस अर्थ-संग्रही मनुष्य के शरीर में (भोग-काल में) अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

वह जिनके साथ रहता है, वे ही स्व-जन एकदा (रोगग्रस्त होने पर) उसका तिरस्कार व निन्दा करने लगते हैं । बाद में वह भी उनका तिरस्कार व निन्दा करने लगता है ।

हे पुरुष ! वे स्वजनादि तुझे त्राण देने में, शरण देने में समर्थ नहीं हैं ।

तू भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है ।

दुःख और सुख प्रत्येक आत्मा का अपना-अपना है, यह जानकर (इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे) ।

कुछ मनुष्य, जो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, वे बार-बार भोग के विषय में ही (ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह) सोचते रहते हैं ।

यहाँ पर कुछ मनुष्यों को (जो विषयों की चिन्ता करते हैं ।) (तीन प्रकार से) अपने, दूसरों के अथवा दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से अल्प या बहुत अर्थ-माया (धन-सम्पदा) हो जाती है । वह फिर उस अर्थ-माया में आसक्त होता है । भोग के लिए उसकी रक्षा करता है ।

भोग के बाद बची हुई विपुल सम्पत्ति के कारण वह महान् वैभव वाला बन जाता है । फिर जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब दामाद हिस्सा बँटाते हैं, चोर उसे चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं, वह अन्य प्रकार से नष्ट-विनष्ट हो जाती है । गृह दाह आदि से जलकर भस्म हो जाती है ।

अज्ञानी मनुष्य इस प्रकार दूसरों के लिए अनेक क्रूरकर्म करता हुआ (दुःख के हेतु का निर्माण करता है) फिर दुःखोदय होने पर वह मूढ़ बनकर विपर्यास भाव को प्राप्त होता है ।

मूर्ख धर्म को नहीं जानते हैं—

६७६. यह संसार स्त्रियों के द्वारा पराजित है (अथवा प्रव्यथित-पीड़ित है)

हे पुरुषो ! वे (स्त्रियों से पराजित जन) कहते हैं—“ये स्त्रियाँ आयतन हैं ।” (भोग की सामग्री है) ।

(किन्तु उनका) यह कथन-धारणा दुःख के लिए एवं मोह, मृत्यु, नरक तथा नरकान्तर तिर्यग्गति के लिए होता है ।

सतत मूढ़ रहने वाला मनुष्य धर्म को नहीं जान पाता ।

भगवान् महावीर ने कहा है—“महामोह” में अप्रमत्त रहे । अर्थात् विषयों के प्रति अनासक्त रहे ।

अलं कुसलस्स पमादेणं, संतिमरणं सपेहाए, भेउरधम्मं सपेहाए । जालं पासं ।

बुद्धिमान् पुरुष को प्रमाद से बचना चाहिए । शान्ति (मोक्ष) और मरण (संसार) को देखने-समझने वाला (प्रमाद न करे) यह शरीर क्षणभंगुर धर्म (नाशमान) है, यह देखने वाला (प्रमाद न करे) ।

अलं ते एतेहिं । एतं पासं मुणि ! महम्मयं ! जातिवातेज्ज कंचणं ।

ये भोग (तिरी अतृप्ति की प्यास बुझाने में) समर्थ नहीं हैं । यह देख । तुझे इन भोगों से क्या प्रयोजन है ? हे मुनि ! यह देख, ये भोग महान् भय रूप हैं । भोगों के लिए किसी प्राणी की हिसा न करे ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ४, सु. ८४-८५



आसक्ति-निषेध—४

सव्वण्ण एव सव्वासवं जाणइ—

सर्वज्ञ ही सर्व आस्रवों को जानते हैं—

६७७. ऊढं सोता, अहे सोता, तिरियं सोता वियाहिता ।
एते सोता वियवजाता जेहिं संगं ति पासहा ॥

६७७. ऊपर (आसक्ति) के स्रोत हैं, नीचे स्रोत हैं. मध्य में स्रोत हैं । ये स्रोत कर्मों के आस्रवद्वार कहे गये हैं जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को आसक्ति पैदा होती है, ऐसा तुम देखो ।

आबट्टमेयं तु पेहाए एत्थ विरमेज्ज बेववी ।

(रागद्वेष-कपाय-विषयावर्त रूप) भावावर्त का निरीक्षण करके आगमविद् पुरुष उससे विरत हो जाये ।

विणएत्तु सोतं निक्खम्म एस महं अकम्मा जाणति, पासति,
पडिलेहाए, णावकंखति । इह आगतिं गतिं परिणाय ।

विषयासक्तियों के या आस्रवों के स्रोत को हटाकर निष्क्रमण करने वाला यह महान साधक अकर्म होकर लोक को प्रत्यक्ष जानता, देखता है । अन्तर्निरीक्षण करने वाला साधक इस लोक में संसार-भ्रमण और उसके कारण की परिज्ञा करके उनकी आकांक्षा नहीं करता ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ६, सु. १७४-१७६(क)

रइ-णिसेहो—

रति-निषेध—

६७८. विसएत्तु मणुत्तेसु, पेमं नाभिनिविसए ।
अणिवचं तेति विन्नाय, परिणामं पोगगलाण उ ॥

६७८. शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पुद्गलों के परिणमन को अनिश्चय जानकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयों में राग भाव न करे ।

पोगगलाणपरिणामं, तेति नच्चा जहा तथा ।
विणीयतण्हां विहरे, सीईभूएण मय्यणा ॥

इन्द्रियों के विषयभूत पुद्गलों के परिणमन को, जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को उपशान्त कर तृष्णा-रहित हो विहार करे ।

—दस. अ. ८, गा. ५८-५९

अरइ-णिसेहो—

अरति-निषेध—

६७९. विरयं भिक्खुं रीयंतं चिररातोत्तियं अरती तत्थ किं विघारए ?

६७९. चिरकाल से मुनिधर्म में प्रव्रजित विरत और संयम में गतिशील भिक्षु को क्या अरति दबा सकती है ?

संभेमाणे समुद्धिते ।

(प्रतिक्षण आत्मा के साथ) संघान करने वाले तथा सम्यक् प्रकार से उत्थित मुनि को (अरति अभिभूत नहीं कर सकती ।)

जहा से दीवे असंदीणे एवं से धम्मे आरियादेसिए ।

ते अणवकंखमाणा अणतिवातेमाणा दइता मेघाविणो पंडिता ।

एवं तेसि भगवंतो अणुद्वाणे जहा से दियापोते । एवं ते सिस्सा
दिप्रा य अणुपुञ्जेण वायित ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. ३, सु. १८६

अरति आउट्टे से मेघावी खणंसि मुक्के ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. २, सु. ६६

रइ-अरइ णिसेहो—

६८०. जे ममाइयमतिं जहाति से जहाति ममाइयं ।

से हु विट्ठपहे मुणी जस्स णत्थि ममाइतं ।

तं परिण्णाय मेहावी विदित्ता लोगं, वंता लोगसण्णं से मतिमं
परवकमेज्जासि त्ति बेमि ।

णारतिं सहति वीरे, वीरे णो सहति रतिं ।

जम्हा अविमणे वीरे तम्हा वीरे ण रज्जति ।

सहे फासे अधियासमाणे णिंविद्व णंदि इह जीवियस्स ।

—आ. सु. १, अ. २; उ. ६, सु. ६७-६९(क)

भिक्षुणा न रइ कायव्वा, न अरइ कायव्वा—

६८१. अरतिं रतिं च अभिभूय भिक्षू,

बहूजणे वा तह एगचारी ।

एगंतमोणेण विघागरेज्जा,

एगस्स जंतो गतिरागती य ॥

सयं समेचचा अदुवा वि सोचचा,

भासेज्ज धम्मं हितवं पयाणं ।

जे गरहिया सणियाणप्पओणा,

ण ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥

—सूय. सु. १, अ. १३, गा. १८-१९

जैसे असंदीन (जल में नहीं डूबा हुआ) द्वीप आशवासन-
स्थान होता है. वैसे ही आर्य (तीर्थकर) द्वारा उपदिष्ट धर्म
(संसार-समुद्र पार करने वालों के लिए आशवासन-स्थान) होता है।

मुनि आकांक्षा तथा प्राण-वध न करने के कारण लोकप्रिय
मेघावी और पण्डित कहे जाते हैं ।

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का पालन किया जाता है, उसी
प्रकार धर्म में जो अभी तक अनुत्थित है, उन शिष्यों का वे
(महाभाग-आचार्य) क्रमशः वाचना द्वारा दिन-रात पालन
(संबर्द्धन) करते हैं ।

जो अरति (चैतन्यिक उद्वेग) का निवर्तन करता है, वह
मेघावी होता है ।

रति-अरति-निषेध—

६८०. जो ममत्व बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व का त्याग
करता है ।

वही दृष्ट-पथ (मोक्ष मार्ग को देखने वाला) मुनि है, जिसने
ममत्व का त्याग कर दिया ।

उस को (उक्त दृष्टिबिन्दु को) जानकर मेघावी लोकस्वरूप
को जाने । लोक-संज्ञा का त्याग करे, तथा संयम में पुरुषार्थ करे ।
वास्तव में उसे ही मतिमान (बुद्धिमान) पुरुष कहा गया है—
ऐसा मैं कहता हूँ ।

वीर साधक अरति (संयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं
करता, और रति (विषयों की अभिरुचि) को भी सहन नहीं
करता । इसलिए वीर इन दोनों में ही अविमनस्क—स्थिर-शान्त-
मना रहकर रति-अरति में आसक्त नहीं होता ।

मुनि शब्द (रूप, रस, गन्ध) और स्पर्श को सहन करता
है । इस असंयमी जीवन में होने वाले आमोद-प्रमोद आदि से
विरत होता है ।

भिक्षु को न रति करनी चाहिए और न अरति करनी
चाहिए—

६८१. साधु संयम में अरति (अरुचि) और असंयम में रति
(रुचि) को त्यागकर बहुत से साधुजनों के साथ रहता हो या
अकेला रहता है । जो बात मौन (मुनिधर्म या संयम) से सर्वथा
अविरुद्ध हो, वही कहे । (यह ध्यान रखे कि) जीवं अकेला ही
जाता है, और अकेला ही आता है ।

स्वयं जिनोक्त धर्म (सिद्धान्त) को भलीभाँति जानकर अथवा
दूसरे से सुनकर प्रजाओं (जन्तुता) के लिए हितकारक धर्म का
उपदेश दे । जो कार्य निन्द्य (गहित) है, अथवा जो कार्य निदान
(सांसारिक फलाकांक्षा) सहित किये जाते हैं, सुधीर वीतराग
धर्मानुयायी साधक उनका सेवन नहीं करते ।

रागणिगहोवायं—

६८२. समाए पेहाए परिन्वयंतो, सिया मणो निस्सरई वहिद्धा ।
न सा महं नोवि अहं पि तोसे, इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥
—दस. अ. २, गा. ४

अभिन्तर पासपरिगहपासवद्धा पाणिणो—

६८३. प०—दीसन्ती बहवे लोए, पासवद्धा सरीरिणो ।
मुक्कपासो लहुभूओ, कहं तं विहरसी मुणी ॥

उ०—ते पासे सन्वसो छित्ता, निहन्तूण उवायओ ।
मुक्कपासो लहुभूओ, विहरामि अहं मुणी ॥

प०—पासा य इइ के वृत्ता, केसी गोयमब्बवी ।
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥

उ०—रागद्धोसावओ तिब्बा, नेहपासा भयंकरा ।
ते छिन्दित्तु जहानायं, विहरामि जहक्कमं ॥
—उत्त. अ. २३, गा. ४०-४३

अभिन्तर-परिगहविरओ पंडिओ—

६८४. से असइं उच्चागोए, असइं णीयागोए । णो हीणे, णो अति-
रित्ते । णो पीहए ।

इति संखाए के गोतावादी ? के भाणावादी ? कंसि वा एगे
गिउम्मे ?

तम्हा पंडिते णो हरित्ते, णो कुज्जे ।

भूतेहिं जाणं पडिलेह सातं । समित्ते एयाणुपस्सी तं जहा—

अंधत्तं बहिरत्तं मूकत्तं काणत्तं कुट्टत्तं खुज्जत्तं बडभत्तं सामत्तं
संबलत्तं ।

सह पमावेणं अणेगरुबाओ जोणीओ संघेति, विरुद्धरुवे फासे
पडिसंवेदयति ।

से अबुज्जमाणे हतोवहते जाती-मरणं अणुपरियट्टमाणे ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७५-७६.

रागशमन के उपाय—

६८२. समदृष्टिपूर्वक विचरते हुए भी यदि कदाचित् मन (संयम से) बाहर निकल जाये-तो यह विचार करे कि "वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ ।" मुमुक्षु उसके प्रति होने वाले विषय-राग को दूर करे ।

आभ्यन्तर परिग्रह के पाश-से बद्ध प्राणी—

६८३. प्र०—“इस संसार में बहुत से शरीरधारी जीव (मोह के अनेक) पाशों से बद्ध हैं । मुने ! तुम बन्धन से मुक्त और लघभूत- (प्रतिबन्ध रहित हल्के) होकर कैसे विचरण करते हो ?”

उ०—“मुने ! मैं उन बन्धनों को सब प्रकार से काटकर, उपायों से विनष्ट कर, बन्धन-मुक्त और हल्का होकर विचरण करता हूँ ।”

प्र०—“गौतम ! वे बन्धन कौन से हैं ?” केशी ने गौतम से पूछा । केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

उ०—“तीव्र रागद्वेषादि और स्नेह भयंकर बन्धन है । उन्हें काटकर धर्म-नीति एवं आचार के अनुसार मैं विचरण करता हूँ ।”

आभ्यन्तर परिग्रह से विरत पण्डित—

६८४. यह पुरुष (आत्मा) अनेक बार उच्च गोत्र और अनेक बार नीच गोत्र को प्राप्त हो चुका है । इसलिए यहाँ न तो कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त (विशेष उच्च) है । यह जानकर उच्च-गोत्र की स्पृहा न करे ।

यह (उक्त तथ्य को) जान लेने पर कौन गोत्रवादी होगा ? कौन मानवादी होगा ? और कौन किस एक गोत्र (स्थान) में आसक्त होगा ?

इसलिए विवेकशील मनुष्य उच्चगोत्र प्राप्त होने पर हर्षित न हो और नीच गोत्र प्राप्त होने पर क्रुपित (दुखी) न हो ।

प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है, यह तू देख, इस पर सूक्ष्मता-पूर्वक विचार कर । जो समित (सम्यग्दृष्टिसम्पन्न) है वह इस (जीवों के इष्ट-अनिष्ट कर्मविपाक) को देखता है । जैसे—

अन्धापन, बहरापन, गूंगापन, कानापन, लूला-लंगड़ापन, कुवड़ापन, बोनापन, कालापन, चित्तक—बहरापन (कुण्ड आदि धर्मरोग) आदि की प्राप्ति अपने प्रमाद के कारण होती है ।

वह अपने प्रमाद (कर्म) के कारण ही नाना प्रकार की योनियों में जाता है और विविध प्रकार-के आघातों-दुःखों-वेदनाओं का अनुभव करता है ।

वह प्रमादी पुरुष कर्म-सिद्धान्त को नहीं समझता हुआ शारीरिक दुःखों से हत तथा मानसिक पीड़ाओं से उपहत (पुनः-पुनः पीड़ित) होता हुआ जन्म-मरण के चक्र में बार-बार भटकता है ।

परिग्रहविरतो पापकर्मविरतो होइ—

६८५. से भिक्षुं जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते णो
सयं परिगिण्हति, नेवऽण्णेणं परिगिण्हवेति, अण्णं परिगिण्हंतं
पि ण समणुजाणइ, इति से महया आवाणातो उवसंते उव-
ट्ठित्ते पडिविरते ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८५

गोला रूवगं—

६८६. उल्लो सुक्को य दो छुटा, गोलया मट्टियामया ।
दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥

एवं लगन्ति कुम्भेहा, जे नरा कामलासता ।
विरत्ता उ न लगन्ति, जहा सुक्को उ गोलवए ॥

—उत्त. अ. २५, गा. ४०-४१

भोगनियट्टी कुज्जा—

६८७. अधुवं जीवियं नच्चा. सिद्धिमगं वियाणिया ।
विणियट्टेज्ज भोगेसु, आउं परिमियमप्पणो ॥

—दस. अ. ८, गा. ३४

मणुण्णामणुण्णेषु काम-भोगेसु राग-द्वेषेण निग्रहो कायव्वो—

६८८. जे विण्णवणाहिऽज्जोसिया, संतिण्णेहि समं वियाहिया ।
तम्हा उड्डं ति पासहा, अदक्खुं कामाइं रोगवं ॥

अगं वणिएहिं आहियं,
घारेंती राईणिया इइं ।
एवं परमा महव्वया,
अक्खाया उ सराइभोयणा ॥

जे इह सायाणुगा णरा,
अज्जोववणा कामेसु मुच्छिया ।

किवणेण समं पगम्मिया,
न वि जाणंति समाहिमाहियं ॥

बाहेण जहा व विच्छते,
अबले हीइं गवं पचोइए ।

से यंतसो अप्पामए,
नातिवहति अबले विसीयति ॥

परिग्रहविरत पापकर्मविरत होता है—

६८५. जो ये सचित्त या अचित्त काम-भोग (के साधन) हैं, वह भिक्षु स्वयं उनका परिग्रह नहीं करता, न दूसरों से परिग्रह कराता है, और न ही परिग्रह करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन करता है। इस कारण से वह भिक्षु महान् कर्मों के आदान (ग्रहण या बन्ध) से मुक्त हो जाता है, शुद्ध संयम पालन में उपस्थित होता है, और पापकर्मों से विरत हो जाता है।

गोलों का रूपक—

६८६. “एक गोला और एक सूखा, ऐसे दो मिट्टी के गोले फेंके गये। वे दोनों दीवार पर गिरे। जो गोला था, वह वहीं विपक गया।”

“इसी प्रकार जो मनुष्य दुबुद्धि और काम-भोगों में आसक्त हैं, वे विषयों में चिपक जाते हैं। विरत साधक सूखे गोले की भाँति नहीं लगते हैं।”

भोगों से निवृत्त हो—

६८७. मुमुक्षु जीवन को अनित्य और अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने।

मनोज्ञ और अमनोज्ञ कामभोगों में राग-द्वेष का निग्रह करना चाहिए—

६८८. जो साधक स्त्रियों से आसक्त नहीं हैं, वे मुक्त (संसार-सागर) सन्तीर्ण के समान कहे गये हैं। इसलिए तुम ऊर्ध्व (मोक्ष) की ओर देखो और काम-भोगों को रोगवत् देखो।

जैसे इस लोक में वणिकों-व्यापारियों द्वारा लाये हुए उत्तमोत्तम सामान (रत्न आभूषण आदि) को राजा-महाराजा आदि लेते हैं, या खरीदते हैं, इसी प्रकार आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रात्रिभोजनत्याग सहित पाँच परम महाव्रतों को कामविजेता श्रमण ग्रहण धारण करते हैं।

इस लोक में जो मनुष्य (सुख के पीछे दौड़ते हैं) वे, अत्यासक्त हैं और काम-भोगों में मूर्च्छित हैं, वे कृपण (इन्द्रियविषयों के लालची) के समान काम-सेवन में घूट बने रहते हैं। वे (महावीर द्वारा कथित) समाधि को नहीं समझते।

जैसे गाड़ीवान के द्वारा चाबुक मारकर प्रेरित किया हुआ बैल कमजोर हो जाता है, अतः वह विषम-कठिन मार्ग में चल नहीं संकता, आखिरकार वह अल्प सामर्थ्य वाला (दुर्बल बैल) भार वहन नहीं कर सकता, अपितु कीचड़ आदि में फँसकर क्लेश पाता है।

एवं कामेक्षणविदू,
अज्ज सुए पयहेउज संयवं ।
कामो कामे न कामए,
सद्वे वा वि अलद कन्हुई ॥

भा पण्ड असाहुया भवे,
अच्चेही अणुसास अप्पंग ।
अहियं च असाहु सोयती,
से षणती परिदेवती चहुं ॥
इह जीवियमेव पासहा,
तरणए वाससयाउ तुट्ठी ।
इत्तरवासे न बुज्जहा,
गिठनरा कामेसु मुच्छिथा ॥

—मूय. सु. १, अ. २, उ. ३, गा. २-८

सद्वे कामभोगा दुहावहा—

६६. सद्वं विलवियं गोयं, सद्वं नट्टं विडम्बियं ।
सद्वे आमरणा भारा, सद्वे कामा दुहावहा ॥

बालाभिरामेसु दुहावहेसु, न तं मुहं कामगुणेसु रायं ।
विरक्तकामाण तत्रो घणानं, जं भिक्खुणं शीलगुणे रयाणं ॥
—उत्त. अ. १३, गा. १६-१७

कामभोगामिकङ्को परितप्पह

६६०. कामा दुरतिकम्मा । जीवियं दुप्पडिबूहंगं ।

कामकामो खनु अयं पुरिसे से सोयति जूरति तिप्पति पिड्ढति
परितप्पति ।

आयतबबभू सोगविपससी सोगस्स अहे भागं जाणति, उद्धं
भागं जाणति, तिरियं भागं जाणति ।

गडिए अणुपरियट्टमाणे ।

संघि विदिता इह मच्चिउएहि ।

एस बीरे पसंसित्ते जे बद्धे पडिमोयए ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ६०-६१

इसी तरह काम के अन्वेषण में निपुण पुरुष आज या कल में कामभोगों का संशय (छोड़ने का विचार किया करता है,) छोड़ नहीं सकता। अतः कामी पुरुष कामभोग की कामना ही न करे, तथा कहीं से प्राप्त हुए कामभोग की अप्राप्त के समान जाने (यही अभीष्ट है।)

मरणकाल में असाधुना (शोक या अनुताप) न हो अतः तू कामभोगों का त्यागकर स्वयं को अनुभासित कर (जो असाधु) असंयमी पुरुष होता है वह अत्यधिक शोक करता है, क्रन्दन करता है, और बहुत विलाप करता है।

इस लोक में अपने जीवन को ही देख लो, सौ वर्ष की आयु जाने मनुष्य का जीवन तरणावस्था (युवावस्था) में ही नष्ट हो जाता है। अतः इस जीवन को थोड़े दिन के निवास के समान समझो (ऐसी स्थिति में) क्षुद्र या अविवेकी मनुष्य ही कामभोगों में मूर्च्छित होते हैं।

सभी कामभोग दुःखदायी हैं—

६८६. सब गीत (गायन) विलाप हैं, समस्त नाट्य विडम्बना से भरे हैं, सभी आभूषण भाररूप हैं और सभी कामभोग दुःखावह (दुःखोत्पादक) हैं।

अज्ञानियों को रमणीय प्रतीत होने वाले, (किन्तु वस्तुतः) दुःखजनक कामभोगों में वह सुख नहीं है, जो सुख शीलगुणों में रत, कामभोगों से विरक्त तपोधन भिक्षुओं को प्राप्त होता है।

काम भोगामिलापी दुःखी होता है—

६६०. ये काम दुर्लभ्य है। जीवन (आयुष्य जितना है, उसे) बढ़ाया नहीं जा सकता, (तथा आयुष्य की टूटी डोरी को पुनः सांधा नहीं जा सकता।)

पुरुष काम-भोग की कामना रखता है। (किन्तु वह परितृप्त नहीं हो सकती, इसलिए) वह शोक करता है (काम की अप्राप्ति तथा वियोग होने पर खिन्न होता है) फिर वह शरीर से सूख जाता है, आँसू बहाता है। पीड़ा और परिताप (पश्चात्ताप) से दुःखी होता रहता है।

दीर्घदर्शी पुरुष लोकदर्शी होता है। वह लोक के अधोभाग को जानता है, ऊर्ध्व भाग को जानता है, तिरछे भाग को जानता है।

(काम-भोग में) गृद्ध हुआ आसक्त पुरुष संसार में (अथवा काम-भोग के पीछे) अनुपरिवर्तन—पुनः-पुनः चक्कर काटता रहता है।

(दीर्घदर्शी यह भी जानता है) यहाँ (संसार में) मनुष्यों के सन्धि (मरणधर्मा शरीर) को जानकर विरक्त हो।

वह वीर प्रशंसा के योग्य है (अथवा वीर प्रभु ने उसकी प्रशंसा की है) जो काम-भोग में बद्ध को मुक्त करता है।

कामभोगेषु आसक्ति-निषेहो—

६६१. लब्धे कामे ण पत्येज्जा, विवेगे एसमाहिं ।

आरियाइं सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिए सया ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, गा. ३२

अगिद्धे सद्द-फासेसु, आरंभेसु अणिसित्ते ।

सव्वेतं समयातीतं, जमेतं लवितं बहं ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, गा. ३५

लद्धा हरत्था पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणयाए ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. १, सु. १४६(ग)

कामगुणेषु मुच्छा-निषेहो—

६६२. जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे ।

उद्धं अहं तिरियं पाईणं पासमाणे रुवाइं पासति, सुणमाणे सदाइं सुणेति ।

उद्धं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रुवेसु मुच्छति, सद्देसु यावि ।

एसं लोणे वियाहिं ।

एत्थ अगुत्ते अणाणाए ।

पुणो पुणो गुणासाए वंकसमाथारे पमत्ते गारमावसे ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ५, सु. ४१

सद्दसवणासत्ति-निषेहो—

६६३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मुइंगसद्दाणि वा नंदीसद्दाणी वा झल्लरीसद्दाणि वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराइं विरूवरुवाइं वितताइं सदाइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सदाइं सुणेति, तं जहा— वीणासद्दाणी वा विवंचिसद्दाणि वा बद्धीसगसद्दाणि वा तुणयसद्दाणी वा पवणसद्दाणि वा तुंबवीणियसद्दाणी वा ढंकुणसद्दाणि वा, अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं विरूवरुवाणि सद्दाणि तताइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सदाइं सुणेति, तं जहा— तालसद्दाणि वा कंसतालसद्दाणि वा लत्तियसद्दाणि वा गोहियसद्दाणि वा किरिकिरिसद्दाणी वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराइं विरूवरुवाइं तालसदाइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

काम-भोगों में आसक्ति का निषेध—

६६१. लब्ध कामभोगों की इच्छा न करे। इसे विवेक कहा गया है। बुद्धों के पास सदा आचार की शिक्षा प्राप्त करे।

शब्द—यावत्—स्पर्श में अनासक्त तथा आरम्भ से अप्रतिबद्ध रहे। जो यह स्वरूप कहा गया है; वह सब समयातीत (त्रैकालिक) है।

प्राप्त कामभोगों को पर्यालोचना करके उनका सेवन न करने की आज्ञा दे और उनके कट्टु परिणामों का शिष्य को ज्ञान कराये।

कामगुणों में मूर्च्छा का निषेध—

६६२. जो गुण (शब्दादि विषय) हैं, वह आवर्त-संसार है। जो आवर्त है वह गुण है।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने देखने वाला रूपों को देखता है, सुनने वाला शब्दों को सुनता है।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने विद्यमान वस्तुओं में आसक्ति करने वाला, रूपों में मूर्च्छित हो जाता है, शब्दों में मूर्च्छित हो जाता है।

यह आसक्ति ही संसार कहा जाता है।

जो पुरुष यहाँ (विषयों में) अगुप्त है। वह इन्द्रिय एवं मन से असंयत है और आज्ञा (धर्म शासन) के बाहर है।

जो पुनः-पुनः विषयों का आस्वादन करता है। उनका भोग-उपभोग करता है, वह वक्र समाचार अर्थात् असंयममय जीवन वाला है। वह प्रमत्त है। तथा गृहत्यागी कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है।

शब्द-श्रवण की आसक्ति का निषेध—

६६३. संयमशील साधु या साध्वी मृदंग शब्द, नन्दीशब्द या झलरी (झालर या छेने) के शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य वाद्यों के शब्दों को कानों से सुनने के उद्देश्य से कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, जैसे कि वीणा के शब्द, विपंची के शब्द, बद्धीसक के शब्द, तुनक के शब्द, ढोल के शब्द, तुम्बवीणा के शब्द, ढंकुण (वाद्य विशेष) के शब्द, या इसी प्रकार के विविध वीणादि के शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में विचार न करे।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि— ताल के शब्द, कंसताल के शब्द, लत्तिका (कांसी) के शब्द, गोधिका (भाँड लोगों द्वारा काँख और हाथ में रखकर बजाये जाने वाले वाद्य) के शब्द या वांसुरी के शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—संखसद्दाणि वा वेणुसद्दाणि वा वंससद्दाणि वा खरमुहिसद्दाणि वा पिरिपिरियसद्दाणि वा अण्णतराइं तहप्पगाराइं विह्वरुवाइं सद्दाइं सुसिराइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—वप्पाणि वा फत्तिहाणी वा-जाव-सराणि वा सर-पंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं विह्वरुवाइं सद्दाइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—कच्छाणि वा णूमाणि वा गहणाणि वा वणाणि वा वणदुग्गाणि वा पव्वयाणि वा पव्वयदुग्गाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं विह्वरुवाइं सद्दाइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—गामाणि वा नगराणि वा निगमाणी वा रायहाणाणि वा भासम-पट्टण-सण्णि-वेसाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं विह्वरुवाइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि वा वण-संढाणि वा देवकुलाणि वा सभाणि वा पवाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—अट्टाणि वा अट्टालयाणि वा चरियाणि वा दाराणि वा गोपुराणि वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—तियाणि वा चउक्काणि वा चच्चराणि वा चउ-मुहाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति, तं जहा—महिसकरणट्टाणाणि वा वसमकरणट्टाणाणि वा अस्सकरणट्टाणाणि वा हत्थिकरणट्टाणाणि वा-जाव-कविजल-करणट्टाणाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं विह्वरुवाइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

साधु-साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—शंख के शब्द, वेणु के शब्द, वांस के शब्द, खरमुही के शब्द, वांस आदि की नली के शब्द या इसी प्रकार के अन्य नाना श्रुपिर (छिद्रगत) शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—खेत की क्यारियों में तथा खाइयों में होने वाले शब्द—यावत्—सरोवरों में, सरोवर की पंक्तियों में तथा तालावों की अनेक पंक्तियों में होने वाले तथा इसी प्रकार के अन्य विविध शब्दों को कानों से सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—नदी तटीय जलबहुल (कच्छों) में, भूमिगृहों या प्रच्छन्न स्थानों में, वृक्षों से सघन एवं गहन प्रदेशों में, वनों में, वन के दुर्गम प्रदेशों में, पर्वतों में या पर्वतीय दुर्गों में तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदेशों में होने वाले शब्दों को कानों से सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन से संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे गाँवों में, नगरों में, निगमों में, राजधानी में, आश्रम, पत्तन और सन्निवेशों में होने वाले शब्द या इसी प्रकार के अन्य नाना प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—आरामगारों में, उद्यानों में, वनों में, वनखण्डों में, देवकुलों में, सभाओं में, प्याउओं में होने वाले शब्द या अन्य इसी प्रकार के विविध शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—अटारियों में, प्राकार से सम्बद्ध अट्टालयों में, नगर के मध्य में स्थित राजमार्गों में, द्वारों में, नगर-द्वारों में होने वाले शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में होने वाले शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—तिराहों में, चौकों में, चौराहों में चतुर्मुख मार्गों में होने वाले शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में होने वाले शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं जैसे कि—भँसों के स्थान, वृषभशाला, घुड़शाला, हस्तिशाला—यावत्—कपिजल पक्षी आदि के रहने के स्थानों में होने वाले शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों को सुनने के लिए कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेइ,
तं जहा—महिसजुद्धाणि वा वसभजुद्धाणि वा अस्सजुद्धाणि
वा हत्थिजुद्धाणि वा जाव-कविजलजुद्धाणि वा अण्णतराइं वा
तहप्पगाराइं विरूवरूवाइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति,
तं जहा—जूहियट्टाणाणि वा ह्यजूहियट्टाणाणि वा गयजूहिय-
ट्टाणाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं विरूवरूवाइं सद्दाइं
णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति,
तं जहा—अक्खाइयट्टाणाणि वा माणुम्माणियट्टाणाणि वा
महयाहतनट्ट-गीत-वाइत-तंति-तलवाल-नुडिय-पडुप्प-वाउयट्टा-
णाणि वा अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं सद्दाइं णो अभि-
संधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति,
तं जहा—कलहाणि वा डिवाणि वा डमराणि वा दोरज्जाणि
वा वेरज्जाणि वा विरुद्धरज्जाणि वा अण्णतराइं वा तहप्प-
गाराइं सद्दाइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगतियाइं सद्दाइं सुणेति,
तं जहा—खुड्डियं दारियं परिवुत्तं मंडित्तालकितं निवुज्झ-
मार्णि पेहाए, एगपुरिसं वा वहाए णीणज्झमाणं पेहाए,
अण्णतराइं वा तहप्पगाराइं णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अण्णतराइं विरूवरूवाइं महस्स-
वाइं एवं जाणेज्जा, तं जहा—बहुसगडाणि वा बहुरहाणि
वा बहुमिलक्खुणिं वा बहुपच्चंताणि वा अण्णतराइं वा
तहप्पगाराइं विरूवरूवाइं महस्सवाइं कण्णसोयपडियाए णो
अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अण्णतराइं विरूवरूवाइं महस्स-
वाइं एवं जाणेज्जा, तं जहा—इत्थीणि वा पुरिसाणि वा
वेराणि वा डहराणि वा मज्झिमाणी वा आमरणविभूसियाणि
वा गायंताणि वा वायंताणि वा णच्चंताणि वा हसंताणि वा

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—
भैंसों के युद्ध, सांडों के युद्ध, अथव-युद्ध, हस्ति-युद्ध—यावत्—
कपिजल युद्ध में होने वाले शब्द तथा अन्य इसी प्रकार के पशु-
पक्षियों के लड़ने से या लड़ने के स्थानों में होने वाले शब्दों को
सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कानों में कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे
कि—यूथिक स्थानों में, अश्वयूथिक स्थानों में, गजयूथिक स्थानों
में तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में शब्दों को सुनने के लिए
कहीं भी जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—
कथा करने के स्थानों में, तोल-माप करने के स्थानों में, या
घुड़दौड़ आदि के स्थानों में, जहाँ बड़े-बड़े नृत्य, नाट्य, गीत,
वाद्य, तन्त्री, तल (कांसी का वाद्य), तालत्रुटित वादित्र, ढोल
वजाने आदि के आयोजन होते हैं ऐसे स्थानों में होने वाले शब्द
तथा इसीप्रकार के अन्य मनोरंजन स्थलों में होने वाले शब्दों
को सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते हैं, जैसे कि—
जहाँ कलह होते हों, शत्रु सैन्य का भय हो राष्ट्र का भीतरी या
बाहरी विप्लव हो, दो राज्यों के परस्पर विरोधी स्थान हों, वैर
के स्थान हों, विरोधी राजाओं के राज्य हों वहाँ के शब्द तथा
इसी प्रकार के अन्य विरोधी वातावरण के शब्दों को सुनने के
लिए गमन करने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, जैसे
कि— वस्त्राभूषणों से मण्डित और अलंकृत तथा बहुत से लोगों
से घिरी हुई किसी छोटी बालिका को घोड़े आदि पर बिठाकर
ले जाया जा रहा हो, अथवा किसी अपराधी व्यक्ति को वध के
लिए वधस्थान में ले जाया जा रहा हो, अथवा अन्य किसी ऐसे
व्यक्ति की शोभायात्रा निकाली जा रही हो. उस समय होने वाले
(जय जयकार या धिक्कार, तथा मानापमानसूचक नारों आदि
के) शब्दों को सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी अन्य नाना प्रकार के महोत्सवस्थानों को
इस प्रकार जाने, जैसे कि—जहाँ बहुत से शकट, बहुत से रथ,
बहुत से म्लेच्छ, बहुत से सीमाप्रान्तीय लोग एकत्रित हुए हों,
अथवा इस प्रकार के नाना महा-उत्सवस्थान हों, वहाँ कानों से
शब्द सुनने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी किन्हीं नाना प्रकार के महोत्सवों को यों
जाने कि—जहाँ स्त्रियाँ पुरुष, बालक और युवक आभूषणों से
विभूषित होकर गीत गाते हों, बाजे बजाते हों, नाचते हों, हँसते
हों, आपस में खेलते हों, रतिक्रीड़ा करते हों तथा विपुल अशन

रमंताणि वा मोहंताणि वा विपुलं असणं-जाव-साइमं परि-
भुंजंताणि वा परिभार्यंताणि वा विछड्ढयमाणाणि वा
विगोचयमाणाणि वा अण्यराइं वा तहपगाराइं विरूव-
रूवाइं महस्सवाइं कणसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा
गमणाए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा णो इहलोइएहिं सद्देहिं णो पर-
लोएहिं सद्देहिं, णो सुतेहिं सद्देहिं, णो असुतेहिं सद्देहिं, णो
बिद्धेहिं सद्देहिं, नो अबिद्धेहिं सद्देहिं, णो इद्धेहिं सद्देहिं, णो
कंतेहिं सद्देहिं सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो गिज्जेज्जा, णो
मुज्जेज्जा, णो अज्जेववज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ११, सु. ६६६-६८७

रूवावलोयणासत्ति णिसेहो—

६६४. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइपाइं रूवाइं पासति,
तं जहा—गंयिमाणि वा वेदिमाणी वा पूरिमाणि वा संघा-
तिमाणि वा फट्टकम्माणि वा पोत्थकम्माणि वा चित्तकम्माणि
वा मणिकम्माणि वा दंतकम्माणि वा पत्तच्छेज्जकम्माणि वा
विविहाणि वा वेदिमाइं अणत्तराइं वा तहपगाराइं विरूव-
रूवाइं चक्खुदंसणवडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

एवं नेयवं जहा सद्पडिमा सव्वा वाइत्तवज्जा रूवपडिमा
वि ।

—आ. सु. २, अ. १२, सु. ६८६

पासह एगे रूवेसु गिद्धे परिणिज्जमाणे । एत्थ फासे पुणो
पुणो ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. १, सु. १४६(घ)

बालाणं दुक्खलाणुभवणहेउणो—

६६५. बाले पुण गिहे कामसमणुणे असमितदुक्खे दुक्खी दुक्खान-
मेव आवट्टं अणुपरियट्टति ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ६, सु. १०५(ख)

सव्वे एगं न बाला ममत्तजुत्ता—

६६६. जीवियं पुढो पियं इहमेगेसि माणवाणं खेत-वत्थु ममायमा-
णाणं । आरत्तं विरत्तं मणिकुंडलं सह हिरण्येण इत्थियाओ
परिगिज्ज तत्थेव रत्ता ।

—यावत्—स्वादिम पदार्थों का उपभोग करते हैं। परस्पर वांटते
हैं या परोसते हैं, त्याग करते हैं, परस्पर तिरस्कार करते हैं
उनके शब्दों को तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से महोत्सवों में
होने वाले शब्दों को कानों से सुनने के लिए जाने का मन में
संकल्प न करे ।

साधु या साध्वी इहलौकिक एवं पारलौकिक शब्दों में श्रुत
(सुने हुए) या अश्रुत (विना सुने) शब्दों में, देखे हुए या विना
देखे हुए शब्दों में, इष्ट और कान्त शब्दों में न तो आसक्त हो,
न रक्त (रागभाव से लिप्त) हो, न गृह्य हो, न मोहित हो और
न ही मूर्च्छित या अत्यासक्त हो ।

रूप-दर्शन आसक्ति-निषेध—

६६४. साधु या साध्वी अनेक प्रकार के रूपों को देखते हैं जैसे—
गूथे हुए पुष्पों से निष्पन्न स्वस्तिक आदि को, बस्त्रादि से वेष्टित
या निष्पन्न पुतली आदि को, जिनके अन्दर कुछ पदार्थ भरने से
पुरुषाकृति बन जाती हो, उन्हें अनेक वर्णों के संघात से निर्मित
चीलादि को, काष्ठ कर्म से निर्मित रथादि पदार्थों को, पुस्तकर्म
से निर्मित पुस्तकादि को, दीवार आदि पर चित्रकर्म से निर्मित
चित्रादि को, विविध मणिकर्म से निर्मित स्वस्तिकादि को, दंत-
कर्म से निर्मित दन्तपुत्तलिका आदि को, पत्रछेदन कर्म से निर्मित
विविध पत्र आदि को, अथवा अन्य विविध प्रकार के वेष्टनो से
निष्पन्न पदार्थों को, तथा इसी प्रकार के अन्य नाना पदार्थों के
रूपों को, आँखों से देखने की इच्छा से साधु या साध्वी उस ओर
जाने का मन में संकल्प न करे ।

इस प्रकार जैसे शब्द सम्बन्धी प्रतिमा में ऊपर वर्णन किया
है, वैसे ही यहाँ चतुर्विध आतोद्यवाद्यो को छांडकर रूप प्रतिमा
के विषय में भी जानना चाहिए ।

देखो ! जो रूप में गृह्य है वे नरकादि योनियों में पुनः-पुनः
उत्पन्न होने वाले हैं ।

बाल जीवों के दुःखानुभव के हेतु—

६६५. बाल (अज्ञानी) बार-बार विषयों में स्नेह (आसक्ति) करता
है । काम-इच्छा और विषयों को मनोज्ञ समझकर (उसका सेवन
करता है) इसलिए वह दुःखों का शमन नहीं कर पाता-। वह
शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से दुःखी बना हुआ दुःखों के चक्र
में ही परिभ्रमण करता रहता है ।

सभी एकान्त बाल जीव ममत्वयुक्त होते हैं—

६६६. जो मनुष्य, क्षेत्र (खुली भूमि) तथा वास्तु (भवन) आदि
में ममत्व भाव रखता है, उनको यह असंयत जीवन ही प्रिय
लगता है । वे रंग विरंगे मणि, कुण्डल, हिरण्य-स्वर्ण और उनके
साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें अनुरक्त रहते हैं ।

ण एत्थ तवो वा दमो वा णियमो वा विस्सति ।

संपुण्णं बाले जीविउकामे लालप्पमाणे मूढे विप्परिघासमुवेति ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु. ७७(क)

आतुराणां परीसहा दुरहियासा—

६६७. आतुरं लोगमायाए चइत्ता पुव्वसंजोगं हेच्चा उवसमं वसित्ता
बंभचेरंसि वसु वा अणुवसु वा जाणित्तु धम्मं अहा तथा अहेगे
तमचाइ कुसीला ।

वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं विउसिज्ज अणुपुट्ठेण अण-
धियासेमाणा परीसहे दुरहियासाए ।

कामे मसायमाणस्स इदाणि वा मुहुत्ते वा अपरिमाणाए भेदे ।

एवं से अंतराइएहिं कामेहिं आकेवलएहिं अवितिण्णा चेते ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. १८३

कसायकलुसिया कसायं वड्ढंति—

६६८. कासं कसे खलु अयं पुरिसे, बहुमायी, कडेण मूढे,

पुणो तं करेति लोभं, वेरं वड्ढेति अप्पणो ।

जमिणं परिकहिण्जइ इमस्स चेव पडिबूहणताए ।

अमराइयइ महासड्ढी । अट्टमेतं तु पेहाए । अपरिण्णाए
कंदति ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ६३

परिग्रही पुरुष में न तप होता है, न दम—इन्द्रिय-निग्रह होता है और न नियम होता है ।

वह अज्ञानी, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की कामना करता रहता है । बार-बार सुख की प्राप्ति की अभिलाषा करता रहता है । किन्तु सुखों की अप्राप्ति व कामना की व्यथा से पीड़ित हुआ वह मूढ विपर्यास (सुख के बदले दुःख) को ही प्राप्त होता है ।

आतुर व्यक्तियों को परीषह असह्य होते हैं—

६६७. (काम-राग आदि से) आतुर लोक को भलीभाँति समझकर जानकर, पूर्व संयोग को छोड़कर, उपशम को प्राप्त कर, ब्रह्मचर्य में वास करके वसु (संयमी) अथवा अनुवसु (श्रावक) धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी कुछ कुशील व्यक्ति उस धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते ।

वे वस्त्र, पात्र, कम्बल एवं पाद-प्रोँछन को छोड़कर उत्तरोत्तर आने वाले दुःसह परीषहों को नहीं सह सकने के कारण (मुनि-धर्म का त्याग कर देते हैं) ।

विविध काम-भोगों को अपनाकर (उन पर) गाढ़ ममत्व रखने वाले व्यक्ति का तत्काल अन्तर्मुहूर्त में या अपरिमित समय में शरीर छूट सकता है ।

इस प्रकार वे अनेक विघ्नों और द्वन्द्वों या अपूर्णताओं से युक्त काम-भोगों से अतृप्त ही रहते हैं । (अथवा उनका पार नहीं पा सकते, बीच में ही समाप्त हो जाते हैं ।)

कषाय कलुषित भाव को बढ़ाते हैं—

६६८. काम-भोग में आसक्त वह पुरुष सोचता है—“मैंने यह कार्य किया, यह कार्य करूँगा” (इस प्रकार की आकुलता के कारण) वह दूसरों को ठगता है, माया कपट रचता है, और फिर अपने रचे माया जाल में फँसकर मूढ़ बन जाता है ।

वह मूढ़भाव से ग्रस्त फिर लोभ करता है (काम-भोग प्राप्त करने को ललचाता है) और (माया एवं लोभ युक्त आचरण के द्वारा) प्राणियों के साथ अपना वैर बढ़ाता है ।

जो मैं यह कहता हूँ (कि वह कामी पुरुष माया तथा लोभ का आचरण कर अपना वैर बढ़ाता है) वह इस शरीर को पुष्ट करने के लिए ही ऐसा करता है ।

वह काम-भोग में महान् श्रद्धा (आसक्ति) रखता हुआ अपने को अमर की भाँति समझता है । तू देख, आर्त-पीड़ित तथा दुःखी है । परिग्रह का त्याग नहीं करने वाला क्रन्दन करता है (रोता है) ।

सयणा न सरणदाया—

६६६. माया पिया ष्टुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।
नालं ते मम ताणाथ, लुपन्तस्स सकम्पुणा ॥

एयमट्ठं सपेहाए, पासे समियदंसणे ।
छिन्दं गेहिं सिणेह च, न कंखे पुव्वसंथवं ॥

—उत्त. अ. ६, गा. ३-४

जे गुणे से मूलद्वाने, जे मूलद्वाने से गुणे ।

इति से गुणद्वी महता परित्तावेणं वसे पमत्ते ।

तं जहा—माता मे, पिता मे, भाया मे, भगिणी मे, भज्जा
मे, पुत्ता मे, धूया मे सुण्हा मे, सहि-सयण-संगंथ-संथुता मे,
विवित्तोवकरण—परियट्ठण-भोयण-अच्छायणं मे ।

इच्चत्थं गट्ठिए लोए वसे पमत्ते ।

अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुट्ठापी संजोगद्वी
अट्ठात्तामी आलुंपे सहसवकारे विणिविट्ठचित्ते एत्थ सत्थे पुणो
पुणो ।

अप्पं च खलु आउं इहमेगेसि माणवाणं, तं जहा—सोतपण्णा-
णेहि परिहायमाणेहि, चक्खुपण्णाणेहि परिहायमाणेहि, घाण-
पण्णाणेहि परिहायमाणेहि, रसपण्णाणेहि परिहायमाणेहि,
फासपण्णाणेहि परिहायमाणेहि ।

अभिकंतं च खलु वयं सपेहाए तओ से एगया मूढभावं जण-
यंति ।

जेहि वा सद्धि संवसति ते व णं एगया णियगापुंत्वि परिवदंति,
सो वा ते णियगे पच्छा परिववेज्जा ।

स्वजन शरणदाता नहीं होते—

६६६. जब मैं अपने द्वारा किये गये कर्मों से छेदा जाता हूँ, तब
माता-पिता, पुत्र-वधू, भाई, पत्नी, और औरस पुत्र—ये सभी
मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते ।

सम्यक्-दर्शन वाला पुरुष अपनी बुद्धि से यह अर्थ देखे, गृद्धि
और स्नेह का छेदन करे, पूर्व परिचय की अभिलाषा न करे ।

जो गुण (इन्द्रिय-विषय) है वह (कषाय रूप संसार का)
मूल स्थान है । जो मूलस्थान है, वह गुण है ।

इस प्रकार आगे कहा जाने वाला विषयार्थी पुरुष महान्
परिताप से प्रमत्त होकर, जीवन विताता है ।

वह इस प्रकार मानता है—“मेरी माता है, मेरा पिता है,
मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी
पुत्री है, मेरी पुत्र-वधु है, मेरा सखा-स्वजन-सम्बन्धी-सहवासी है,
मेरे विविध प्रचुर उपकरण (अश्व, रथ, आसन आदि) परिवर्तन
(लेने देने की सामग्री) भोजन तथा वस्त्र है ।

इस प्रकार भेरेपन (ममत्व) में आसक्त हुआ पुरुष; प्रमत्त
होकर उनके साथ निवास करता है ।

वह प्रमत्त तथा आसक्त पुरुष रात-दिन परितप्त-चिन्तित
एवं तृष्णा से आकुल रहता है । काल या अकाल में प्रयत्नशील
रहता है । वह संयोग का अर्थी होकर अर्थ का लोभी बनकर
लूट-पाट करने वाला (चोर या डाकू) बन जाता है । सहसाकारी
दुःसाहसी और विना विचारे कार्य करने वाला हो जाता है ।
विविध प्रकार की आशाओं में उसका चित्त फंसा रहता है । वह
बार-बार शस्त्र प्रयोग करता है । संहारक-आक्रामक बन जाता है ।

इस संसार में कुछ एक मनुष्यों का आयुष्य अल्प होता है ।
जैसे—श्रोत्र-प्रज्ञान के परिहीन (सर्वथा दुर्बल) हो जाने पर,
चक्षु-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, घ्राण-प्रज्ञान के परिहीन होने
पर, रस-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, स्पर्श-प्रज्ञान के परिहीन
होने पर (वह अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है) ।

वय-अवस्था-यौवन को तेजी से जाते हुए देखकर वह चिन्ता-
ग्रस्त हो जाता है और फिर एकदा (बुढ़ापा आने पर) मूढभाव
को प्राप्त हो जाता है ।

वह जिनके साथ रहता है, वे स्वजन (पत्नी-पुत्र आदि)
कभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं, उसे कटु व अपमानजनक
वचन बोलते हैं । वाद में वह भी स्वजनों की निन्दा करने
लगता है ।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमं पि तेसि णालं
ताणाए वा सरणाए वा ।

से ण हासाए, ण किड्डाए, ण रतीए, ण विभूसाए ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. १, सु. ६३-६४

जेहि वा सद्धि संवसति ते व णं एगया णियगा पुंवि पोसेंति,
सो वा ते णियगे पच्छा पोसेज्जा । णालं ते तव ताणाए वा
सरणाए वा, तुमं पि तेसि णालं ताणाए वा सरणाए वा ।

उवादीतसेसेण वा संणिहिसंणिचयो कज्जति इहमेगेसि माण-
वाणं भोयणाए ।

ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति ।

जेहि वा सद्धि संवसति ते व णं एगया णियगा पुंवि परि-
हरंति, सो वा ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा ।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमं पि तेसि णालं
ताणाए वा सरणाए वा ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. १, सु. ६६(ख)-६७

एते जिता भो ! न सरणं

बाला पंडितमाणियो ।

हेच्चा णं पुंवसंजोगं

सिया किच्चोवदेसगा ॥

तं च भिक्खु परिणाय

विज्जं तेसु ण मुच्छए ।

अणुकसे अप्पलीणे

मज्जेण मुणि जावए ॥

सपरिग्गहा य सारंभा इहमेगेसि आहियं ।

अपरिग्गहे अणारभे भिक्खु ताणं पारव्वए ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. ४, गा. १-३

हे पुरुष ! वे स्वजन तेरी रक्षा करने में या तुझे शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तू भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है।

वह वृद्ध-जराजीर्ण पुरुष, न हंसी-विनोद के योग्य रहता है, न खेलने के, न रति-सेवन के और न शृंगार के योग्य रहता है।

जिन स्वजन आदि के साथ वह रहता है, वे पहले कभी (शैशव एवं रुग्ण अवस्था में) उत्तका पोषण करते हैं। वह भी बाद में उन स्वजनों का पोषण करता है। इतना स्नेह सम्बन्ध होने पर भी वे (स्वजन) तुम्हारे त्राण या शरण के लिए समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनको त्राण व शरण देने में समर्थ नहीं हो।

(मनुष्य) उपभोग में आने के बाद बचे हुए धन से, तथा जो स्वर्ण एवं भोगोपभोग की सामग्री अर्जित-संचित करके रखी है उसको सुरक्षित रखता है। उसे वह कुछ गृहस्थों के भोग-भोजन के लिए उपयोग में लेता है।

(अनेक भोगोपभोग के कारण फिर) कभी उसके शरीर में रोग की पीड़ा उत्पन्न होने लगती है।

जिन स्वजन स्नेहियों के साथ वह रहता आया है, वे ही उसे (कुष्ठ रोग आदि के कारण घृणा करके) पहले छोड़ देते हैं। बाद में वह भी अपने स्वजन स्नेहियों को छोड़ देता है।

हे पुरुष ! न तो वे तेरी रक्षा करने और तुझे शरण देने में समर्थ हैं और न तू ही उनकी रक्षा करने व शरण देने के लिए समर्थ है।

हे शिष्यो ! ये (असंवृत्त साधु) साधु (काम, क्रोध आदि से अथवा परीषह-उपसर्ग रूप शत्रुओं से) पराजित हैं, (इसलिए) ये शरण लेने योग्य नहीं हैं (अथवा स्वशिष्यों को) शरण देने में समर्थ नहीं हैं। वे अज्ञानी हैं, (तथापि) अपने आपको पण्डित मानते हैं। पूर्वसंयोग (बन्धु-बान्धव, धन-सम्पत्ति आदि) को छोड़कर भी (दूसरे आरम्भ-परिग्रह में) आसक्त हैं, तथा गृहस्थ को सावद्य कृत्या का उपदेश देते हैं।

विद्वान् भिक्षु उन (आरम्भ-परिग्रह में आसक्त साधुओं) को भलीभाँति जानकर उसमें मूर्च्छा (आसक्ति) न करे, अपितु (वस्तु स्वभाव का मनन करने वाला) मुनि किसी प्रकार का मद न करता हुआ उन अन्यतीर्थिकों, गृहस्थों एवं शिथिलाचारियों के साथ संसर्ग रहित होकर, मध्यस्थ भाव से संयमी जीवन-यापन करे; या मध्यस्थवृत्ति से निर्वाह करे।

मोक्ष के सम्बन्ध में कई (अन्यतीर्थी) मतवादियों का कथन है कि परिग्रहधारी और आरम्भ (हिंसाजनक प्रवृत्ति) से जीने वाले जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु निर्ग्रन्थ भाव-भिक्षु अपरिग्रही और अनारम्भी की शरण में जाए।

कर्मवेद्यणकाले न को वि सरणं—

७००. जे पावकम्मेहि धणं मणुसा
समाययन्ती अमहं गहाय ।
पहाय ते "पास पयट्टिए" नरे
वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥

तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए
सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।
एवं पया पेच्च इहं च लोए
"कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि" ॥

संसारमावघ्न परस्स अट्टा
साहारणं जं च करेइ कम्मं ।
कम्मस्स ते तस्स उ वेप-काले
न वन्धवा वन्धुवयं उवेन्ति ॥

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते
इमंमि लोए अट्टुवा परत्था ।
दीव-प्पणट्टे व अणुत्तरं-मोडे
नेयाठयं वट्ठुमवट्ठुमेव ॥

—उत्त. अ. ४, गा. २-५

कर्मवेदन-काल में कोई शरण नहीं होता—

७००. जो मनुष्य कुमति को स्वीकार कर पापकारी प्रवृत्तियों से धन का उपाजन करते हैं, उन्हें देख ! वे धन को छोड़कर मीत के मुँह में जाने को तैयार हैं । वे वैर (कर्म) से बन्धे हुए मरकर नरक में जाते हैं ।

जैसे सेंध लगाते हुए पकड़ा गया पापी चोर अपने कर्म से ही छेदा जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक में प्राणी अपने कृतकर्मों से ही छेदा जाता है । किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता ।

संसारी प्राणी अपने बन्धु-जनों के लिए जो साधारण कर्म (इसका फल मुझे भी मिले और उनको भी—ऐसा कर्म) करता है, उस कर्म के फल-भोग के समय वे बन्धु-जन बन्धुता नहीं दिखाते—उसका भाग नहीं बँटाते ।

प्रमत्त मनुष्य इस लोक में अथवा परलोक में धन से त्राण नहीं पाता । अन्धेरी गुफा में जिसका दीप बुझ गया हो उसकी भाँति, अनन्त मोह वाला प्राणी पार ले जाने वाले मार्ग को देखकर भी नहीं देखता है ।



अपरिग्रह महाव्रत आराधना का फल—५

अपरिग्रह आराहणफलं—

७०१. इमं च परिग्रह-वेरमण-परिरक्षणट्टयाए पावयणं भगवया
सुकहियं, अत्तहियं, पेच्चाभावियं, आगमेसिभद्दं, सद्दं, नेया-
उयं, अकुटिलं, अणुत्तरं, सच्च दुक्ख-पावाण-चिओसमणं ।
—पण्ह० सु० २, अ० ५, सु० १२

सुहसायाफलं—

७. २. ५०—सुहसाएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—सुहसाएणं अणुस्सुयत्तं जणयइ । अणुस्सुयत्ताए णं जीवे
अणुकम्पाए अणुइमडे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्जं कम्मं
खवेइ ।

—उत्त. अ. ३२, सु. ३१

अपरिग्रह आराधन का फल—

७०१. परिग्रहविरमण व्रत के परिरक्षण हेतु भगवान् ने यह प्रवचन (उपदेश) कहा है । यह प्रवचन आत्मा के लिए हितकारी है, आगामी भवों में उत्तम फल देने वाला है और भविष्य में कल्याण करने वाला है । यह शुद्ध, न्याययुक्त, अकुटिल, सर्वोत्कृष्ट और समस्त दुःखों तथा पापों को सर्वथा शान्त करने वाला है ।

सुख-स्पृहा-निवारण का फल—

७०२. प्र०—भन्ते ! सुख की स्पृहा का निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—सुख की स्पृहा का निवारण करने से वह विषयों के प्रति अनुत्सुक-भाव को प्राप्त करता है । विषयों के प्रति अनुत्सुक जीव अनुकम्पा करने वाला, प्रशान्त और शोकमुक्त होकर चारित्र्य को विकृत करने वाले मोह-कर्म का क्षय करता है ।

विणियट्टणाफलं—

७०३. प०—विणियट्टणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—विणियट्टणयाए णं पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुट्टेइ ।
पुच्चवट्ठणा य निज्जरणयाए तं नियत्तेइ तओ पच्छा चाउरंतं
संसारकंतारं वोइवयइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ३४

विनिवर्तना का फल—

७०३. प्र०—भन्ते ! विनिवर्तना (इन्द्रिय और मन को विषयों से दूर रखने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—विनिवर्तना से वह नये सिर से पाप-कर्मों को नहीं करने के लिए तय रहता है और पूर्व-अजित पाप-कर्मों का क्षय कर देता है—इस प्रकार वह पापकर्म का विनाश कर देता है । उसके पश्चात् चार-गति रूप चार बन्तों वाली संसार अटवी को पार कर जाता है ।



आसक्ति करने का प्रायश्चित्त—६

सह सवणासक्ति ए पायश्चित्त सुत्ताइं—

७०४. जे भिक्खू १. भेरि सद्दाणि वा, २. पडह-सद्दाणि वा, ३. मुरव-सद्दाणि वा, ४. मुङ्ग-सद्दाणि वा, ५. णंदि-सद्दाणि वा, ६. झल्लरी-सद्दाणि वा, ७. वल्लरि-सद्दाणि वा, ८. डमरु-सद्दाणि वा, ९. मडुय-सद्दाणि वा, १०. सद्दुय-सद्दाणि वा, ११. पएस-सद्दाणि वा, १२. गोलुकि-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि वित्तताणि सद्दाणि कणसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. वीणा सद्दाणि वा, २. विपंची-सद्दाणि वा, ३. तुण-सद्दाणि वा, ४. वच्चीसग-सद्दाणि वा, ५. वीणाइय-सद्दाणि वा, ६. तुंबवीणा-सद्दाणि वा, ७. झोडय-सद्दाणि वा, ८. डंकुण सद्दाणि वा, अण्यराणि वा तहप्पगाराणि त्तताणि सद्दाणि कणसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. ताल-सद्दाणि वा, २. कंसताल-सद्दाणि वा, ३. लित्ति-सद्दाणि वा, ४. गोहिय-सद्दाणि वा, ५. मकरिय-सद्दाणि वा, ६. कच्चभि-सद्दाणि वा, ७. महति-सद्दाणि वा, ८. सणालिया सद्दाणि वा, ९. वलिया-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सद्दाणि कणसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. संख-सद्दाणि वा, २. वंस-सद्दाणि वा, ३. वेणु सद्दाणि वा, ४. खरमुही-सद्दाणि वा, ५. परिलिस-सद्दाणि वा, ६. वेवा-सद्दाणि वा अण्यराणि वा तहप्पगाराणि झुसि-राणि सद्दाणि कणसोय पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १३५-१३८

शब्द श्रवणासक्ति के प्रायश्चित्त सूत्र—

७०४. जो भिक्षु (१) भेरी के शब्द, (२) पटह के शब्द, (३) मुरज के शब्द, (४) मृदंग के शब्द, (५) नान्दी के शब्द, (६) झालर के शब्द, (७) वल्लरी के शब्द (८) डमरु के शब्द, (९) मडुय के शब्द, (१०) सद्दुय के शब्द, (११) प्रदेश के शब्द, (१२) गोलुकी के शब्द अन्य ऐसे वाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) वीणा के शब्द, (२) विपंची के शब्द, (३) तुण के शब्द, (४) वच्चीसग के शब्द, (५) वीणादिक के शब्द, (६) तुम्बवीणा के शब्द, (७) जोटक के शब्द, (८) डंकुण के शब्द अन्य ऐसे वाद्यों के शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) ताल के शब्द, (२) कंसताल के शब्द, (३) लित्तिक के शब्द, (४) गोहिक के शब्द, (५) मकर्य के शब्द, (६) कच्चभि के शब्द, (७) महती के शब्द, (८) शातालिका के शब्द, (९) वलीका के शब्द, अन्य ऐसे शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) संख के शब्द, (२) वंस के शब्द, (३) वेणु के शब्द, (४) खरमुहि के शब्द, (५) परिलिस के शब्द, (६) वेवा के शब्द अन्य ऐसे ही शब्द सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वप्रादि (प्राकारादि) शब्द श्रवण के प्रायश्चित्त सूत्र—

७०५. जे भिक्खू, १. वप्पाणि वा, २. फलिहाणि वा, ३. उत्प-
साणि वा, ४. पल्ललाणि वा, ५. उज्जराणि वा, ६. णिज्ज-
राणि वा, ७. वावीणि वा, ८. पोखरराणि वा, ९. दीहि-
याणी वा, [१०. गुंजालियाणी वा,] ११. साराणि वा,
१२. सर-पंतियाणि वा, १३. सर-सर-पंतियाणि वा कण्ण-
सोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. कच्छाणि वा, २. गहणाणि वा, ३. णूमाणि
वा, ४. वणाणि वा, ५. वण-विदुग्गाणि वा, ६. पव्वयाणि
वा, ७. पव्वय-विदुग्गाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ
अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. गामाणि वा, २. णगराणि वा, ३. खेडाणि
वा, ४. कच्चटाणि वा, ५. मडंवाणि वा, ६. दोगमुहाणि
वा, ७. पट्टणाणि वा, ८. आगराणि वा, ९. संवाहाणि वा,
१०. सण्णिवेसाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभि-
संधारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. गाम-महाणि वा, २. णगर-महाणि वा, ३. खेड-
महाणि वा ४. कच्चड-महाणि वा, ५. मडं-महाणि वा,
६. दोगमुह-महाणि वा, ७. पट्टण-महाणि वा, ८. आगर-
महाणि वा, ९. संवाह-महाणि वा, १०. सण्णिवेस महाणि
वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू गाम-वहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-वहाणि वा कण्ण-
सोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

[जे भिक्खू गाम-वहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-वहाणि वा कण्ण-
सोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।]

जे भिक्खू गाम-पहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-पहाणि वा कण्ण-
सोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. आस-करणाणि वा, २. हत्थि-करणाणि वा,
३. उट्ट-करणाणि वा, ४. गोण-करणाणि वा, ५. महिस-
करणाणि वा, ६. सुकर-करणाणि वा कण्णसोय-पडियाए
अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. हय-जुद्धाणि वा, २. गय-जुद्धाणि वा, ३. उट्ट-
जुद्धाणि वा, ४. गोण-जुद्धाणि वा, ५. महिस-जुद्धाणि वा,
[मिंड-जुद्धाणि वा, कुक्कुट-जुद्धाणि वा, तित्तिर-जुद्धाणि वा,

वप्रादि (प्राकारादि) शब्द श्रवण के प्रायश्चित्त सूत्र—

७०५. जो भिक्षु (१) प्राकार, (२) खाई, (३) उत्पल, (४)
पल्लव, (५) घोघ, (६) झरना, (७) वापी, (८) पुष्करिणी,
(९) लम्बी बावड़ी, (१०) गम्भीर और टेढ़ी-मेढ़ी जल बापिकाएँ
[(११) सरोवर (बिना खोदे बना हुआ तालाब)], (१२) सरोवर
की पंक्ति और (१३) सरोवरों की पंक्तियों से आने वाले शब्दों
को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) कच्छ, (२) जंगल, (३) झाड़ी, (४) गहन
वन, (५) वन (में) दुर्ग, (६) पर्वत, (७) पर्वत दुर्ग से आने वाले
शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है,
जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) ग्राम, (२) नगर, (३) खेड़ा, (४) कुनगर,
(५) मडंव, (६) द्रोणमुख, (७) पट्टण, (८) आगर (खदानें),
(९) ढाणी, (१०) सन्निवेश से आने वाले शब्दों को सुनने के
संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है जाने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) ग्राम उत्सव, (२) नगर उत्सव, (३) खेड़ा
उत्सव, (४) कुनगर उत्सव, (५) मडंव उत्सव, (६) द्रोणमुख
उत्सव, (७) पट्टण उत्सव, (८) आगर उत्सव, (९) ढाणी उत्सव
(१०) सन्निवेश उत्सव से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प
से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु ग्रामवध—यावत्—सन्निवेशवध से आने वाले
शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है,
जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

(जो भिक्षु ग्रामदाह—यावत्—सन्निवेशदाह से आने वाले
शब्दों को सुनने के लिए जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने
वाले का अनुमोदन करता है ।)

जो भिक्षु ग्राम पथ—यावत्—सन्निवेश पथ से आने वाले
शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है,
जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) घोड़ा, (२) हाथी, (३) ऊँट, (४) बैल,
(५) भैंसा, (६) शूकर के शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है,
जाने के लिए कहता है जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) घोड़ों का युद्ध, (२) हाथियों का युद्ध,
(३) ऊँटों का युद्ध, (४) बैलों का युद्ध, (५) भैंसों का युद्ध,
(मींढा युद्ध, कुक्कुट युद्ध, तित्तिर युद्ध, वत्तक युद्ध, लावक (पक्षी-

वृद्ध-जुद्धाणि वा लावग-जुद्धाणि वा, अहि-जुद्धाणि वा,] ६. सूकर-जुद्धाणि वा लतानि-जुद्धाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. उज्जुहिया-ठाणाणि वा, [णिज्जुहिया-ठाणाणि वा] २. ह्यज्जुहिया-ठाणाणि वा, ३. गयज्जुहिया ठाणाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. अभिसेय-ठाणाणि वा, २. भक्खाइयठाणाणि वा, ३. माणम्मणिय-ठाणाणि वा, ४. महयाहय, ५. णट्ट, ६. गीय, ७. वादिय, ८. तंती, ९. तल, १०. ताल, ११. तुडिय, १२. पडुप्पवाइय-ठाणाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू १. डिद्वाराणि वा, २. डमराणि वा, ३. खाराणि वा, ४. वेराणि वा, ५. महाजुद्धाणि वा, ६. महासंगामाणि वा, ७. कलहाणि वा, ८. बोलाणि वा कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विरूव-रूवेसु महस्सवेसु इत्थोणि वा, पुरिसाणि वा, थेराणि वा, मज्झिमाणि वा, डहराणि वा अणलंकि-याणि वा, सुमलंकियाणि वा, गायंताणि वा, वायंताणि वा, णच्चताणि वा, हसंताणि वा, वाएसंताणि वा, मोहंताणि वा विपुलं असणं वा-जाव-साइमं वा परिभाएंताणि वा, परिभुंजंताणि वा, कण्णसोय-पडियाए अभिसंधारेइ, अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १३६-१५०

इहलोइयाइसहेसु आसत्तिए पायच्छित्तसुत्तं—

७०६. जे भिक्खू १. इहलोइएसु वा सहेसु^१ २. परलोइएसु वा सहेसु, ३. दिहेसु वा सहेसु, ४. अदिहेसु वा सहेसु, ५. सुएसु वा सहेसु, ६. असुएसु वा सहेसु, ७. विण्णाएसु वा सहेसु, ८. अविण्णाएसु वा सहेसु सज्जइ रज्जइ. गिज्जइ, अज्जो-ववज्जइ सज्जमाणं वा रज्जमाणं वा गिज्जमाणं वा अज्जो-ववज्जमाणं वा साइज्जइ ।

विशेष) युद्ध, सर्प युद्ध) ६. सूकर युद्ध के शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) अटवी से आने वाले, गायों के यूथ को, (अटवी में जाने वाले गायों के यूथ को) (२) घोड़ों के यूथ को, (३) हाथियों के यूथ से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) अभिषेक स्थान (२) जुआ खेलने का स्थान, (३) माप-तौल के स्थान, (४) महावलशाली पुरुषों के द्वारा जहाँ पर जोर जोर से वाजे बजाये जा रहे हों ऐसे स्थान, (५) नृत्य, (६) गीत, (७) वाद्य, (८) तन्त्री, (९) तल, (१०) ताल, (११) त्रुटित, (१२) घन-मृदंग आदि के स्थान से आने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) शत्रु के सैन्य को, (२) विद्रोह करने वाले को, (३) क्लेश करने वाले को, (४) वैर भाव रखने वाले को, (५) महायुद्ध को, (६) महासंग्राम को, (७) कलह को, (८) गाली-गलौच करने वाले शब्दों को सुनने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अनेक प्रकार के उत्सवों में स्त्रियों को, पुरुषों को, स्थविरों को, मध्यमवय वालों को, बालकों को, अनलंकृतों को, सुअलंकृतों को गाने वाले को, बजाने वाले को, नाचने वाले को, हँसने वाले को, रमण करने वाले को, मुग्धों को (जहाँ) विपुल अशन—यावत्—स्वाद्य बांटा जाता है या परिभोग किया जाता है ऐसे स्थान से आने वाले शब्दों को सुनने के लिए जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

इहलौकिकादि शब्दों में आसक्ति का प्रायश्चित्त सूत्र—

७०६. जो भिक्षु (१) इहलौकिक शब्दों में, (२) पारलौकिक शब्दों में, (३) दुष्ट शब्दों में, (४) अदृष्ट शब्दों में, (५) श्रुत शब्दों में, (६) अश्रुत शब्दों में, (७) ज्ञात शब्दों में, (८) अज्ञात शब्दों में, आसक्त, रक्त, गृद्ध और अत्यधिक गृद्ध होता है, होने को कहता है, होने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ भाष्य सु १५१ में यहाँ सद्देसु के स्थान पर रूवेसु शब्द है परन्तु सद्देसु शब्द उपयुक्त होने से निशीथ गुटके के अनुसार यहाँ यह सूत्र इस प्रकार लिया है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १५१

गायणाइ करणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

७०७. जे भिक्खू १ गाएज्ज वा. २. हसेज्ज वा, ३. वाएज्ज वा
४. ञच्चेज्ज वा. ५. अम्मिणएज्ज वा ६. हय-हेसियं वा,
७. हत्थियुल्लगुलाइयं वा, ८. उक्किट्ट सीहणायं वा करेइ
करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १३४

मुहाइणावीणियंकरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

७०८. जे भिक्खू मूह-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दंत-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उट्ट-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू नासा-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कण्ठ-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू हाथ-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू नह-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पत्त-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पुप्प-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू फल-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बीज-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू हरिय-वीणियं करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ३६४७

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गायन आदि करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७०७. जो भिक्षु (१) गाये, (२) हँसे, (३) बजाये, (४) नाचे, (५) अभिनय करे, (६) घोड़े की आवाज, (७) हाथी की गर्जना. और (८) सिहनाद करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मुख आदि से वीणा जैसी आकृति करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७०८. जो भिक्षु मुँह को वीणा (वाद्य ध्वनि) योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दांतों को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु होठों को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाक को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कंठ को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु हाथ को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नखों को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पतों को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पुष्प को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु फल को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु बीज को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु हरी वनस्पति को वीणा के योग्य करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मुहाइणाविणियं वायणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

७०६. जे भिक्खू मुह-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दंत-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उट्ट-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू नासा-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ककख-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू हत्थ-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू नह-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पत्त-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पुप्फ-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू फल-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बीय-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू हरिय-वीणियं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

त्तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ४८-५६

वप्पाइ अवलोयणस्स पायच्छित्तसुत्ताइं—

७१०. जे भिक्खू वप्पाणि वा-जाव-सरसरपंतियाणि वा चक्खुदंसण पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कच्छाणि वा-जाव-पव्वय-विट्ठगाणि वा चक्खु-दंसण पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू गामाणि वा-जाव-सण्णिवेसाणि वा चक्खुदंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत्तं वा साइज्जइ ।

मुख आदि से वीणा जैसी ध्वनि निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७०६. जो भिक्षु मुंह से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दांतों से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु होठों से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाक से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कांख से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु हाथ से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नखों से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पत्तों से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पुष्पों से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु फल से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु बीज से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु हरी वनस्पति से वीणा बजाता है, बजवाता है, बजाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वप्रादि अवलोकन के प्रायश्चित्त सूत्र—

७१०. जो भिक्षु प्राकार—यावत्—तालावों की पंक्तियों को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कच्छ—यावत्—पर्वत, दुर्ग को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ग्राम—यावत्—सन्निवेश को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु गाम-महाणि वा-जाव-सण्णिवेस-महाणि वा चक्खु-
दंसण पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु गाम-वहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-वहाणि वा चक्खु-
दंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

[जे भिक्षु गाम-वहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-वहाणि वा चक्खु-
दंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।]

जे भिक्षु गाम-पहाणि वा-जाव-सण्णिवेस-पहाणि वा चक्खु-
दंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु आस-करणाणि वा-जाव-सूकर-करणाणि वा चक्खु-
दंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु आस-जुद्धाणि वा-जाव-सूकर-जुद्धाणि वा चक्खु-
दंसण कणसोप-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षु उज्जुहियाठाणाणि वा-जाव-गयजूहियाठाणाणि वा
चक्खुदंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अभित्तेयट्टाणाणि वा-जाव-पडुप्पवाइयट्टाणाणि वा
चक्खुदंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु १. कट्ट-कम्माणि वा, २. चित्त-कम्माणि वा,
३. लेवकम्माणि वा, ४. पोत्थ-कम्माणि वा, ५. दंत-कम्माणि
वा, ६. मणि-कम्माणि वा, ७. सेल-कम्माणि वा, ८. गंथि-
माणि वा, ९. वेदिमाणि वा, १०. पुरिमाणि वा, ११. संघा,
त्तिमाणि वा, १२. पत्तयेज्जाणि वा, १३. विविहाणी वा,
१४. वेहिमाणि वा, चक्खुदंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभि-
संधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु डिबराणी वा-जाव-बोलाणि वा चक्खुदंसण-पडि-
याए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु विरुध-रुवेसु महसवेसु इत्थीणि वा-जाव-परि-
भुंजंताणि वा चक्खुदंसण-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं
वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु ग्राम उत्सव—यावत्—सन्निवेश उत्सव को देखने
के संकल्प से जाता है, जाने से लिए कहता है, जाने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ग्रामवध—यावत्—सन्निवेशवध को देखने के
संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

(जो भिक्षु ग्रामदाह—यावत्—सन्निवेश-दाह देखने के
संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनु-
मोदन करता है ।)

जो भिक्षु ग्राम पथ—यावत्—सन्निवेश पथ को देखने के
संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु घोड़ा—यावत्—शूकर के सिखाने के स्थानों को
देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु घोड़ों का युद्ध—यावत्—शूकर के युद्ध को देखने
के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु गायों के यूथ—यावत्—हाथियों के यूथ को देखने
के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अभिपेक स्थान—यावत्—मृदंग वाद्य आदि के
स्थान को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है,
जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) काष्ठ कर्म, (२) चित्र कर्म, (३) लेप कर्म,
(४) पुस्तक कर्म, (५) दन्त कर्म, (६) मणी कर्म, (७) शील कर्म,
(८) गाँठ देकर बनाई गयी माला, (९) लपेट कर बनाये गये
गुच्छे, (१०) धागा पोकर बनाई गई माला, (११) दो तीन
मालाओं का मिलाया हुआ हार, (१२) पत्तों को छेदकर बनायी
हुई माला, (१३) विविध प्रकार के पुष्पों की बनी हुई माला,
(१४) फूलों को वींधकर बनायी हुई माला को देखने के संकल्प
से जाता है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु शत्रु के सैन्य को—यावत्—गाली-गलौच करने
वालों को देखने के संकल्प से जाता है, जाने के लिए कहता है,
जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अनेक प्रकार के उत्सवों में स्त्रियों के—यावत्—
परिभोग किया जाता है ऐसे स्थान को देखने के संकल्प से जाता
है, जाने के लिए कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. १६-२८

इहलोइयाइरूवेसु आसत्तिए पायच्छित्त सुत्तं—

७११. जे भिक्खू १. इहलोइएसु वा रूवेसु, २. परलोइएसु वा रूवेसु, ३. विट्ठेसु वा रूवेसु, ४. अविट्ठेसु वा रूवेसु, ५. सुएसु वा रूवेसु, ६. असुएसु वा रूवेसु, ७. विण्णाएसु वा रूवेसु, ८. अविण्णाएसु वा रूवेसु, सज्जइ रज्जइ गिज्जइ अज्झोववज्जइ सज्जमाणं वा, रज्जमाणं वा, गिज्जमाणं वा, अज्झोववज्जमाणं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

नि. उ. १२, सु. २९

मत्ताइए अत्तदंसणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

७१२. जे भिक्खू मत्तए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अद्दाए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असीए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू मणीए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कुड्डा पाणे अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू तेल्ले अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू महुए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सप्पिए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू फाणिए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू मज्जाए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वसाए अप्पाणं देहइ देहंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, सु. ३१-४१

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

इहलौकिक आदि रूपों में आसक्ति रखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७११. जो भिक्षु (१) इहलौकिक रूपों में, (२) पारलौकिक रूपों में, (३) दृष्ट रूपों में, (४) अदृष्ट रूपों में, (५) श्रुत रूपों में, (६) अश्रुत रूपों में, (७) ज्ञात रूपों में, (८) अज्ञात रूपों में आसक्त, रक्त, गृद्ध और अत्यधिक गृद्ध होता है, होने को कहता है, होने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पात्र आदि में अपना प्रतिविम्ब देखने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७१२. जो भिक्षु पात्र में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु आरीसा में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने को कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु तलवार में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु मणि में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कुंड के पानी में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु तेल में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु मधु में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु घी में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु गुड़ में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु मज्जा में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु चरवी में अपना प्रतिविम्ब देखता है, देखने के लिए कहता है, देखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गंध-जिघण पायश्चित्त सूत्रं—

७१३. जे भिक्षू अचित्तपइद्वियं गंधं जिग्घइ, जिग्घंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वानं अग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ६

अप्यवियडोदगेण हत्याइपधोवण पायश्चित्त सूत्रं—

७१४. जे भिक्षू तद्दसएण सीशोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा हत्याणि वा पायाणि वा कण्णाणि वा अच्छिणी वा इंतानि वा नहाणि वा मुहं वा उच्छोलेज्ज वा पच्छोलेज्ज वा उच्छोसंतं वा पच्छोसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वानं अग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २१

कोउहल्ल पडियाए सव्वकज्जकरणस्स पायश्चित्त सूत्ताइं—

७१५. जे भिक्षू कोउहल्ल-पडियाए अण्णयरं तसपाणजाइं, १. तण-पासएण वा, २. मुंज-पासएण वा, ३. कट्ट-पासएण वा, ४. चम्म-पासएण वा, ५. वेत्त-पासएण वा ६. रज्जु-पासएण वा, ७. सुत्त-पासएण वा बंधइ बंधंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोउहल्ल-पडियाए अण्णयरं तसपाण जाइं तण-पासएण वा-जाव-सुत्त-पासएण वा बद्धेल्लयं मुयइ, मुयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोउहल्ल-पडियाए १. तणमालियं वा, २. मुंज-मालियं वा ३. मंत्रमालियं वा, ४ मयणमालियं वा, ५. पिठमालियं वा ६. दंतमालियं वा, ७. सिग्गमालियं वा, ८. संखमालियं वा, ९. हड्डमालियं वा, १०. कट्टमालियं वा, ११. पत्तमालियं वा, १२. पुष्कमालियं वा, १३. फल-मालियं वा, १४. बीयमालियं वा, १५. हरियमालियं वा करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोउहल्ल-पडियाए तण-मालियं वा-जाव-हरिय-मालियं धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोउहल्ल-पडियाए तण-मालियं वा-जाव-हरिय-मालियं वा पिणद्धइ पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोउहल्ल-पडियाए १. अयलोहाणि वा, २. तांब-लोहाणि वा, ३. तउयलोहाणि वा, ४. सीसलोहाणि वा,

गन्ध सूंघने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७१३. जो भिक्षु अचित्त प्रतिष्ठित गन्ध सूंघता है, सूंघताता है, सूंघने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अल्प अचित्त जल से हाथ धोने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७१४. जो भिक्षु अल्प अचित्त शीत जल या अल्प अचित्त उष्ण जल से हाथ, पैर, कान, आँख, दाँत, नख या मुँह (आदि) को प्रक्षालित करता है, धोता है, प्रक्षालित करवाता है, धुलवाता है, या प्रक्षालन करने वाले का, धोने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

कौतूहल के संकल्प से सभी कार्य करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७१५. जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से किसी एक त्रस प्राणी को (१) तृण के पास से, (२) मुंज के पास से, (३) काण्ट के पास से, (४) चर्म के पास से, (५) वेत्त के पास से, (६) रज्जु के पास से, (७) सूत्र के पास से बाँधता है, बाँधवाता है, बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से किसी एक त्रस प्राणी जाति को तृण पास से —यावत्— सूत्र पास से बाँधे हुए को मुक्त करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से (१) तृण की माला, (२) मुंज की माला, (३) भींड की माला, (४) मदन की माला, (५) पीछ की माला, (६) दंत की माला, (७) सींग की माला, (८) शंख की माला, (९) हड्डी की माला, (१०) काण्ट की माला, (११) पत्र की माला, (१२) पुष्प की माला, (१३) फल की माला, (१४) बीज की माला, (१५) हरित की माला करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से तृण की माला—यावत्— हरित की माला धरता है, धरवाता है, धरने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से तृण की माला—यावत्— हरित की माला पहनता है, पहनाता है, पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से (१) अयलोहा, (२) तांब लोहा, (३) त्रपु लोहा, (४) सीसक लोहा, (५) रूप्य लोहा,

५. रूपलोहाणि वा, ६. सुवर्णलोहाणि वा, करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए अय-लोहाणि वा-जाव-सुवर्ण लोहाणि वा धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए अय-लोहाणि वा-जाव-सुवर्ण लोहाणि वा पिणद्धइ पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए १. हाराणि वा, २. अद्धहाराणि वा, ३. एगावलि वा, ४. मुक्तावलि वा, ५. कणगावलि वा, ६. रथणावलि वा, ७. कणगाणि वा, ८. तुडियाणि वा, ९. केडराणि वा, १०. कुण्डलाणि वा, ११. पट्टाणि वा, १२. मउडाणि वा, १३. पलंबसुत्ताणि वा, १४. सुवर्ण-सुत्ताणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए हाराणि वा-जाव-सुवर्णसुत्ताणि वा धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए हाराणि वा-जाव-सुवर्णसुत्ताणि वा पिणद्धइ, पिणद्धंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए १. आईणाणि वा, २. आईण-यावराणि वा, ३. कंबलाणि वा, ४. कंबलपावराणि वा, ५. कोयराणि वा, ६. कोयरपावराणि वा, ७. कालमियाणी वा, ८. नीलमियाणि वा, ९. सामाणि वा, १०. मिहासामाणि वा, ११. उट्टाणि वा, १२. उट्टेस्साणि वा, १३. विरघाणि वा, १४. विवरघाणि वा, १५. परवंगाणि वा, १६. सहिणाणि वा, १७. सहिणकल्लाणि वा, १८. खोमाणि वा, १९. दुग्ग-त्ताणि वा, २०. पणलाणि वा, २१. आवरंताणि वा, २२. चीणाणि वा, २३. अंसुयाणि वा, २४. कणगकंताणि वा, २५. कणगखंसियाणि वा, २६. कणगचित्ताणि वा, २७. कणगविचित्ताणि वा, २८. आभरणविचित्ताणि वा करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए आईणाणि वा-जाव-आभरण-विचित्ताणि वा धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोउहल्ल-पडियाए आईणाणि वा-जाव-आभरण-विचित्ताणि वा (पिणद्धइ पिणद्धंतं वा) परिभुंजइ, परिभुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १-१४

(६) सुवर्ण लोहा, करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से अयलोहा—यावत्—सुवर्ण लोहा को धरकर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से अयलोहा—यावत्—सुवर्ण लोहा पहनता है, पहनवाता है, पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से (१) हार, (२) अर्घंहार, (३) एकावली, (४) मुक्तावली, (५) कनकावली, (६) रत्नावली, (७) कटिमूत्र, (८) भुजबन्ध, (९) कैयूर=कंठा, (१०) कुंडल, (११) पट्ट, (१२) मुकुट, (१३) प्रन्म्व सूत्र, (१४) सुवर्ण सूत्र करे, करावे, करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से हार—यावत्—सुवर्ण सूत्र धरकर रखे, रखवावे, रखने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु कौतूहल से हार—यावत्—सुवर्ण सूत्र पहने, पहनावे, पहनने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से (१) चर्म, (२) चर्म के वस्त्र, (३) कम्बल, (४) कम्बल के वस्त्र, (५) रई, (६) रई के वस्त्र, (७) कृष्ण मृग चर्म, (८) नील मृग चर्म, (९) श्याम मृग चर्म, (१०) सांभर मृग चर्म, (११) ऊँट की ऊन के वस्त्र, (१२) ऊँट की ऊन के कम्बल, (१३) व्याघ्र चर्म, (१४) चीते का चर्म, (१५) परवंग के वस्त्र (१६) महिण वस्त्र, (१७) चिकना सुखदायी वस्त्र, (१८) सोम वस्त्र, (१९) दुकूल वस्त्र, (२०) पणल वस्त्र, (२१) आवरत्त वस्त्र, (२२) चीन वस्त्र, (२३) रेशमी वस्त्र, (२४) स्वर्ण जैती कांति वाले वस्त्र, (२५) स्वर्ण सूत्रों से बने वस्त्र, (२६) स्वर्ण वर्ण वाले वस्त्र, (२७) विविध वर्ण वाले स्वर्ण वस्त्र और (२८) विविध प्रकार के आभरण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से चर्म—यावत्—आभरण धर के रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कौतूहल के संकल्प से चर्म—यावत्—आभरण का परिभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) धाता है ।



सीमारक्षकगवसीकरणार्हणं पायच्छित्त सुत्ताइं—

७२०. जे भिक्षू सीमारविखयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू सीमारविखयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू सीमारविखयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. १६, १७, १८

देशरक्षकगवसीकरणार्हणं पायच्छित्त सुत्ताइं—

७२१. जे भिक्षू देशरविखयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू देशरविखयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू देशरविखयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि० उ० ४, सु० ५, ११, १७

सर्वरक्षकगवसीकरणार्हणं पायच्छित्त सुत्ताइं—

७२२. जे भिक्षू सर्वरविखयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू सर्वरविखयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू सर्वरविखयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ६, १२, १८

सीमा-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

७२०. (जो भिक्षु सीमा-रक्षक को वश में करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सीमा-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सीमा-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।)

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

देश-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

७२१. जो भिक्षु देश-रक्षक को वश में करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु देश-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु देश-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सर्व-रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

७२२. जो भिक्षु सर्व-रक्षक को वश में करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सर्व-रक्षक के गुणों की प्रशंसा करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सर्व-रक्षक से प्रार्थना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



पाँचवें महाव्रत का परिशिष्ट—८

पंचम अपरिग्रह-महव्रतस्य पंचभावणाओ—

७२३. १. सोइंदियरागोवरई,
 २. च्चिद्वियरागोवरई,
 ३. घाणिदियरागोवरई,
 ४. जिन्मियरागोवरई,
 ५. फासिदियरागोवरई, —सम. २५, सु. १
 तस्स इमा पंच भावणाओ चरिमस्स वयस्स होति परिग्रह-
 वेरमण रक्खणट्टयाए ।

पढमं—

सोइंदिएण सोच्चा सट्टाई मणुत्तमद्दाइं —

प०—किं ते ?

उ०—वर-सुरय-मुहंग-पणव-वट्टुर-कच्छभि-वीणा-विपंची-
 वल्लयि-वट्टीसक-सुघोस-नंदि-सूसर-परिवादिणी-वंस-
 तूणक-पवक-तंती तल-ताल-तुडिय-निग्घोस-गीय-वाइ-
 याइं ।

नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्टिक-वेलंक्क-कहक-पवक-
 लासग-आइक्खग-लंख-मंख-तूणहल्ल-तुंव-वीणिय-
 तालायर-पकरणाणि य बहूणि महुर-सुर-गीत-सुस्स-
 राइं ।

..ची-नेहला-कलाव-पसरक-पहेरक-पायजालग घट्टिय-
 ख्खिणि-रयणोरुज्जालिय छुट्टिय-नेउर-मालिय-कणग-
 नियल-जाल-भूसणसट्टाणि ।

लीला-चंक्कम्म-माणानूदीरियाइं, तरुणी जण-हसियं-
 भणिय-कल-रिभित्त-मंजुलाइं, गुणवयणाणि व महुर-
 जणभासियाइं । अन्नेसु य एवमाइएसु य सहेसु मणुत्त-
 मद्दाएसु तेसु समणेण न सज्जियत्तं, न रज्जियत्तं, न

पाँचवें अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

७२३. (१) श्रोत्रेन्द्रिय के राग से विरक्ति,
 (२) चक्षुइन्द्रिय के राग से विरक्ति,
 (३) घ्राणेन्द्रिय के राग से विरक्ति,
 (४) जिह्वेन्द्रिय के राग से विरक्ति,
 (५) स्पर्शेन्द्रिय के राग से विरक्ति,
 परिग्रहविरमणव्रत की रक्षा के लिए अन्तिम अपरिग्रहमहाव्रत
 की ये पाँच भावनाएँ हैं ।

प्रथम भावना—श्रोत्रेन्द्रिय संयम—

श्रोत्रेन्द्रिय से मनोज्ञ एवं भद्र-सुहावने प्रतीत होने वाले शब्दों
 को सुनकर (साधु को राग नहीं करना चाहिए ।)

प्र०—वे शब्द कौन से हैं ?

उ०—महामर्दल, मृदंग, छोटा पटह, मेंढक और कच्छप
 की आकृति के वाद्य-विशेष, वीणा, वीपंची और वल्लकी
 (विशेष प्रकार की वीणाएँ) वट्टीसक—वाद्य-विशेष, सुघोषा
 नामक घण्टा, बारह प्रकार के बाजों का निघोष, सूसरपरि-
 वादिनी—एक प्रकार की वीणा, वांसुरी तूणक एवं पर्वत नामक
 वाद्य, तन्त्री—एक विशेष प्रकार की वीणा, करताल कांसे का
 ताल, श्रुटित इन सब बाजों के नाद को (सुनकर)

तथा नट, नर्तक, जल्ल-वांस या रस्सी के ऊपर खेल दिख-
 लाने वाले, मल्ल, मुष्टिमल्ल, विदूषक, कथाकार, तैराक रास
 गाने वाले, शुभाशुभ फल कहने वाले, लम्बे वांस पर खेल करने
 वाले, चित्रपट दिखाकर आजीविका करने वाले, तूण बजाने
 वाला (तून तूनी) तुम्बवीणा बजाने वाला, ताल-मंजीरे बजाने
 वाला इन सबकी अनेक प्रकार की मधुर ध्वनि से युक्त सुस्वर
 गीतों को (सुनकर)

तथा करघनी, कंदोरा ये कटि आभूषण, कलापक गले का
 आभूषण, प्रतरक और प्रहेरक नामक आभूषण, झांझर, घुंघरू,
 छोटी घण्टियों वाला आभरण, रत्नोच्छालक-रत्नों का जंघा का
 आभूषण, क्षुद्रिका नामक आभूषण, नूपुर चरणमालिका तथा
 सोने के लंगर और जालक नामक आभूषण, इन सब की ध्वनि
 आवाज को (सुनकर)

तथा लीलापूर्वक चलती हुई स्त्रियों की चाल से उत्पन्न
 (ध्वनि को) एवं तरुणी रमणियों के हांस्य की, बोलों की तथा
 स्वर-घोलनायुक्त मधुर तथा सुन्दर आवाज को (सुनकर) और
 स्नेहीजनों द्वारा भाषित प्रशंसा-वचनों को एवं इसी प्रकार के

गिञ्जियच्चं, न मुञ्जियच्चं न विनिग्घायं न आव-
ज्जियच्चं, न लुभियच्चं, न तुभियच्चं, ते हसियच्चं, न
सई च, मई च तस्य कुञ्जा ।

अरवि सोइंदिण सोच्छा सदाइं अमणुन्नपावगाइं ।

प०— कि ते ?

उ०—अक्कोस—फरुप—विंसण—अवमाणण—तज्जण—निदमंछण—
दित्तवयण—तासण—उक्कूजिय—रुन्न—रडिय—कदिय—निग्घुट्ट-
रसिय—कलुण—विलवियाइं ।

अन्नेसु य एवमाइएमु सद्देसु अमणुण्ण-पावएसु तेसु
समणेण न रुसियच्चं, न हीलियच्चं, न निदियच्चं, न
खिसियच्चं, न छिदियच्चं, न मिदियच्चं, न वहेयच्चं,
न दुगुंछावत्तियाए लव्भा उप्पाएउं ।

एवं सोइंदिय-भावणा-भाविको भवइ अंतरप्पा ।

मणुन्नामणुन्न-सुद्धि-दुद्धि-राग-दोत्तप्पणिहियप्पा साहू
मण-वयण-कायगुत्ते संवुडे पणिहिंतिःदए चरेज्ज
धम्मं ।

द्वितीय—

चक्खिदिण पासिय रुवाइं मणुन्नाइं भद्दाइं
सच्चित्ताचित्त मीसगाइं—

प०— कि ते ?

उ०—कट्टे पोत्ये य चित्तकम्मे लेप्पकम्मे सेले य, दंतकम्मे
य पंचहि वणोहि अणेग-संठाण-संठियाइं गंठिम-वेठिम-
पूरिम-संघातिमाणि य मल्लाइं बहुविहाणि य अहिय
नयण-नण-सुहकराइं ।

मनोज एवं सुहावने वचनों को (सुनकर) उनमें नाश्रु को बाधक
नहीं होना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, गृद्धि-अप्राप्ति की
अवस्था में उनकी प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, मुग्ध
नहीं होना चाहिए, उनके लिए स्व-पर का परिहृतन नहीं करना
चाहिए, लूब्ध नहीं होना चाहिए, तुष्ट—प्राप्ति होने पर प्रसन्न
नहीं होना चाहिए, हँसना नहीं चाहिए, ऐसे शब्दों का स्मरण
और विचार भी नहीं करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त श्रोत्रेन्द्रिय के लिए अमनोज मन में अप्रति-
जनक एवं पापक-अमद्र शब्दों को सुनकर (द्वेष) नहीं करना
चाहिए ।

प्र०—वे शब्द कौन से हैं ?

उ०—आक्रोश वचन (क्रोध में कहे जाने वाले) कठोर वचन,
निन्दाकारी वचन, अपमान भरे शब्द, दाँट-फटकार निर्भर्त्सना
(धिक्कारना), कोप वचन, त्रासजनक वचन, अस्पष्ट उच्च ध्वनि,
निर्घोष रूप ध्वनि, जानवर के समान चीत्कार, कदगाजनक
शब्द तथा विलाप के शब्द इन सब शब्दों का—

तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज एवं पापक-अमद्र शब्दों
को सुनकर रोप नहीं करना चाहिए, हीलना नहीं करनी चाहिए,
निन्दा नहीं करनी चाहिए, जनसमूह के समक्ष उन्हें बुरा नहीं
कहना चाहिए, अमनोज शब्द उत्पन्न करने वाली वस्तु का छेदन
नहीं करना चाहिए, भेदन—टुकड़े नहीं करने चाहिए, उसे नष्ट
नहीं करना चाहिए । अपने अथवा दूसरे के हृदय में दुगुप्सा
उत्पन्न नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय (संयम) की भावना से भावित अन्तः-
करण वाला साश्रु मनोज एवं अमनोज शुभ-अशुभ शब्दों में राग-
द्वेष के संवरवाला, मन वचन और काय का गापन करने वाला,
संवरयुक्त एवं गुप्तेन्द्रिय इन्द्रियों गोपन-कर्ता होकर धर्म का
आचरण करे ।

द्वितीय भावना—चक्षुरिन्द्रिय संवर—

चक्षुरिन्द्रिय से मनोज के अनुकूल एवं भद्र-सुन्दर सचित्त
द्रव्य, अचित्त द्रव्य और मिश्र सचित्ताचित्त द्रव्य के रूपों को
देखकर (राग नहीं करना चाहिए ।)

प्र०—वे रूप कौन से हैं ?

उ०—वे रूप चाहे काण्ठ पर हों, वस्त्र पर हों, चित्र-लिखित
हों, मिट्टी आदि के लेप से बनाये गये हों, पाषाण पर अंकित
हों, हाथी दाँत आदि पर हों, पाँच वर्ण के और नाना प्रकार के
आकार वाले हों, गूँथकर माला आदि की तरह बनाये गये हों,
वेष्टन से, चमड़ी आदि भरकर अथवा संघात से—फूल आदि

की तरह एक दूसरे को मिलाकर बनाये गये हों, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में हों और वे नयनों तथा मन को अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाले हों (तथापि उन्हें देखकर राग नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए) ।

ब्रह्मसंज्ञे परवते य गामागर-नगराणि य खुद्वियपुष्पिल-
रिणि-चावी-दीहियगुंजालिय-सरसरपतिय-सागर-
बिलंपतिय-छादिय-नदी-सर-तलाग-वप्पिणी-फुल्लुप्पल-
पउम-परिमंढियाभिरामे, अणेग-सउण-गण-मिहुण-
विचरिए ।

वरमंडव-विविह भवण-तोरण-चेतिय-देवकुल-समप्पवा-
घसह-सुकय - सयणासण-सीय-रह-सयण-जाण-जुग-
संबण-नर-नारिगणे य, सोम-पडिहव-वरिसणिज्जे-
अलकिय-विभूसिए, पुव्वकय-तवप्पभाव-सोहग-संप-
उत्ते ।

नट-नट्टग - जल्ल - मल्ल - मुट्टिय-वेलंग-रुहग-पवग-
साताग आइवताग-संप-संप-तुणइल्ल-नुम्ब-वीणिय-
तालायर-पकरणाणि य बहूणि सुकरणाणि ।

अन्नेसु य एवमाइएसु सवेसु मणुममहएसु तेसु समणेण
न सज्जयद्वं, न रज्जयद्व-जाय-न सइं च, मइं च
तस्य कृज्जा ।

पुणरवि च्चिखविण पासियरूवाइं अमणुम-
पावकाइ—

०—किं ते ?

०—गंडि-कीटिक फुणि-उवरि-कच्छुल्ल-पइल्ल-उज्ज-पंगुल-
बामण - अंधिलग - एगचकखु-विणिहय-सप्पि-सल्लग-
याहिरोगपीलियं चिगयाणि य मयककलेवराणि सकिमि-
णकुरहियं च दधरसि ।

इसी प्रकार वनखण्ड, पर्वत, ग्राम, नगर, छोटे जलाशय, गोलाकार वावड़ी, दीघिका—लम्बी वावड़ी. नहर, सरोवरों की पंक्ति समूह विलपंक्ति लोहे आदि की खानों में खोदे हुए गड्ढों की पंक्ति खाई नदी बिना खोदे प्राकृतिक रूप से बने जलाशय, तालाव, पानी की क्यारी जो विकसित नील कमलों एवं (श्वेतादि) कमलों से सुशोभित और मनोहर हो । जिनमें अनेक हंस, सारस आदि पक्षियों के युगल विचरण कर रहे हों ।

उत्तम मण्डप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, चैत्य, देवालय, सभा—लोगों के बैठने के स्थान विशेष, प्याऊ, आवसथ, परिवाजकों के आश्रम, सुनिर्मित शयन-पलंग आदि सिंहासन-आसन, शिविका-पालकी, रथ-गाड़ी यान, युग्म (टमटम) स्यन्दन-घुंघरूदार रथ या सांग्रामिक रथ और नर-नारियों का समूह, ये सब वस्तुएँ यदि सौम्य हों, आकर्षक और दर्शनीय हों, आभूषणों से अलंकृत और सुन्दर वस्त्रों से विभूषित हों, पूर्व में की हुई तपस्या के प्रभाव से सौभाग्य को प्राप्त हों (इन्हें देखकर)

तथा नट, नर्तक, जल्ल, मल्ल, मौण्टिक, विद्वपक, कथा-वाचक, प्लवक, रास करने वाले व वार्ता करने वाले, चित्रपट लेकर भिक्षा माँगने वाले, वांस पर खेल करने वाले, तुणइल्ल-तुणा बजाने वाले, तुम्बे की वीणा बजाने वाले एवं तालाचारों के विविध प्रयोग देखकर तथा बहुत से करतबों को देखकर तथा,

इस प्रकार के अन्य मनोज्ञ तथा सुहावने रूपों में साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए, अनुरक्त नहीं होना चाहिए—यावत्—उनका स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए ।

इसके सिवाय चक्षुरिन्द्रिय से अमनोज्ञ और पापकारी रूपों को देखकर (रोष नहीं करना चाहिए) ।

प्र०—वे (अमनोज्ञ रूप) कौन से हैं ?

उ०—गंडमाला के रोगी को, कुष्ठ रोगी को, चूले या टोंटे जलोदर के रोगी को, खुजली वाले को, हाथीपगा या श्लीपद के रोगी को, लंगड़े को, वामन-बोने को, जन्मान्ध को, एकचक्षु (काणों) को, विनिहत चक्षु को—जन्म के पश्चात् जिसकी एक या दोनों आँखें नष्ट हो गई हों, पिशाचग्रस्त को अथवा पीठ से सरक कर चलने वाले को, विशिष्ट चित्तपीड़ा रूप व्याधि या रोग से पीड़ित को (इनमें से किसी को देखकर) तथा विकृत मृतक—कलेवरों को या विलविलाते कीड़ों से युक्त सड़ी-गली द्रव्यराशि को देखकर ।

अन्नेसु य एवमाइएसु अमणुन्नपावएसु तेषु समणेण न रुसियन्व-जाव-न दुग्ुंछा वत्तियाए लब्भा उप्पातेउं ।

एवं चविंखदियभावणाभाविओ भवइ अंतरप्पा-जाव-चरेज्जघम्मं ।

तर्तियं—

घ्राणिदिएण अग्घाइए गंधाइं मणुन्न भद्दगाइं—

प०—किं ते ?

उ०—जलय - थलय - सरस-पुष्प-फल-पाण-भोयण-कुट्ट-तगर-पत्त-चोय - दमणक - मस्य-एलारस-पक्कमंसि-गोसीस-सरस-चदण-कप्पर-लवंग-अगर-कुंकुम-कक्कोल-उशीर-सेयचदण-सुगंध-सारंग-जुत्तिवरधुववासे, उडय-पिडिय-निहारिम गधिएसु ।

अन्नेसु य एवमाइएसु गंधेषु मणुन्न-भद्दएसु तेषु समणेण न सज्जियन्व-जाव-न सइं च, भइं च तत्थ कुज्जा ।

पुणरचि घ्राणिदिएण अग्घाइ य गंधाइ अमणुन्न-पावगाइं—

प०—किं ते ?

उ०—अहिमड-अस्समड-हृत्थिमड-गोमड-विग-सुणग-सियाल-मणुय-मज्जार-सीह-दीविय-मय-कुहिय-विणट्ट-किविण-बहुवुरभिगन्धेषु ।

अन्नेसु य एवमाइएसु गंधेषु अमणुन्न-पावएसु तेषु समणेण न रुसियन्व-जाव-न दुग्ुंछावत्तियाए लब्भा उप्पाएउं ।

एवं घ्राणदिय भावणा भाविओ भवइ अंतरप्पा-जाव-चरेज्ज घम्मं ।

चउत्थं—

जिंभिदिएण साइय-रसाणि उ मणुन्न-भद्दगाइं—

अथवा इनके सिवाय इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ और पापकारी रूपों को देखकर श्रमण को उन रूपों के प्रति दृष्ट नहीं होना चाहिए,—यावत्—मन में जुगुप्सा भी नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए ।

इस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय संवर रूप भावना से भावित अन्त-करण वाला मुनि—यावत्—धर्म का आचरण करे ।

तृतीय भावना—घ्राणेन्द्रिय संयम—

घ्राणेन्द्रिय से मनोज्ञ और सुहावना गंध सूंघकर (रागादि नहीं करना चाहिए)

प्र०—वे सुगन्ध क्या कैसे हैं ?

उ०—जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले सरस पुष्प, फल, पान, भोजन, उत्पलकुष्ठ, तगर, तमालपत्र, चोय-सुगन्धित त्वचा दमनक—एक विशेष प्रकार का फूल मरुआ, एलारस—इलायची का रस, जटामांती नामक सुगन्धित द्रव्य, सरस गोभीयं चन्दन, कपूर, लवंग, अगर, कुंकुम, कक्कोल—गोलाकार सुगन्धित फल-विशेष, उशीर—खस, श्वेत चन्दन आदि द्रव्यों के संयोग से बनी श्रेष्ठ धूप की सुगन्ध को सूंघकर (रागभाव नहीं धारण करना चाहिए ।)

तथा भिन्न-भिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले कालोचित सुगन्ध वाले एवं दूर-दूर तक फैलने वाली सुगन्ध से युक्त द्रव्यों में और इसी प्रकार की मनोहर, नासिका को प्रिय लगने वाली सुगन्ध के विषय में मुनि को आसक्त नहीं होना चाहिए—यावत्—उनका स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त घ्राणेन्द्रिय से अमनोज्ञ और असुहावने गन्धों को सूंघकर (रोप आदि नहीं करना चाहिए) ।

प्र०—वे दुर्गन्ध कौन से हैं ?

उ०—मरा हुआ सर्प, मृत घोड़ा, मृत हाथी, मृत गाय तथा भेड़िया, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, शृगाल, सिंह और चीता आदि के मृतक सड़े-गले कलेवरों की, जिसमें कीड़े बिलबिला रहे हों, दूर-दूर तक बढ़ते फैलने वाली गन्ध में

तथा इसी प्रकार के और भी अमनोज्ञ और असुहावनी दुर्गन्धों के विषय में साधु को रोप नहीं करना चाहिए—यावत्—मन में जुगुप्सा-धृणा भी नहीं होने देनी चाहिए ।

इस प्रकार अन्तर्आत्मा घ्राणेन्द्रिय की भावना से भावित होती है—यावत्—धर्म का आचरण करे ।

चतुर्थ भावना—रसनेन्द्रिय संयम—

रसना-इन्द्रिय से मनोज्ञ एवं सुहावने रसों का आस्वादन करके (उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए ।)

५०—कि ते ?

उ०—उग्गाहिम-विविहपाण-भोयणेसु गुलकय-खंडकय-तेल्ल-घयकयमक्खेसु बहुविहेसु लवणरस-संजुत्तेसु दालियं-सेहं-दुद्ध-दहिभाइं अठारसप्पगारेसु य मणुन्न-वन्न-गंध-रस-फास बहुदव्वसंमितेसु अन्नेसु य एवमाइएसु रसेसु मणुन्न भद्दएसु तेसु समणेण न सज्जियव्वं-जाव-न सइं च, मइं च तत्थ कुज्जा ।

पुणरवि जिह्मविण्ण साइयरसाइं अमणुन्न पावकाइं—

५०—कि ते ?

उ०—अरस - विरस - सीय - लुक्खणिज्जत्प-पाण-भोयणाइं दोसीण - वावन्न - कुहिय - पूइय-अमणुन्न-विणट्ट-पसूय-बहुदुम्मिगंधियाइं तित्त-कडुय-कसाय-अंवलरस-लीद-नीरसाइं—

अन्नेसु य एवमाइएसु रसेसु अमणुन्न-पावएसु न तेसु समणेण न रुसियव्वं-जाव-न दुगुंछावत्तियाए लव्वा उप्पाएउं एवं जिह्मविण्ण भावणा भाविओ भवइ अंतरप्पा-जाव-चरेज्ज धम्मं ।

पंचमगं—

पुण फासिदिण्ण फासिय फासाउ मणुन्न-भद्दकाइं—

५०—कि ते ?

उ०—इगमंडव - हीर-सेयचंदण-सीयलजल-विमलजल-विविह कुमुम सत्थर ओसीर-मुत्तिय-मुणाल-दोसिणा-पेहण-उक्खेवग-तालियंट-वीयणग-जणिय-मुहसीयले य पवणे गिम्हकाले सुह-फासाणि य बहूणि सयणाणि आस-णाणि य, पाउरणगुणे य सिसिरकाले अंगारपतावणा य ।

आयव-निट्ट-मउय-सीय-उसिण-लहुया य, जे उउसुह-फासा अंगसुहनिव्वुइकराते—

अन्नेसु य एवमाइएसु फासेसु मणुन्न-भद्दएसु तेसु समणेण न सज्जियव्वं-जाव-न सइं च, मइं च तत्थ कुज्जा ।

प्र०—वे रस कौन से हैं ?

उ०—तले हुए वस्तु, विविध प्रकार के पानक-भोजन, गुड़, शक्कर, तेल और घी से बने हुए भोज्य पदार्थ, अनेक प्रकार के नमकीन आदि रसों से युक्त, खट्टी दाल, सेन्धाम्ल-रायता आदि, दूध, दही आदि अठारह प्रकार के व्यंजन । मनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श से युक्त अनेक द्रव्यों से निर्मित भोजन तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ एवं सुहावने-लुभावने रसों में साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए—यावत्—उनका स्मरण तथा विचार भी नहीं करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त जिह्वा—इन्द्रिय से अमनोज्ञ और असुहावने रसों (का आस्वाद करके रोप आदि नहीं करना चाहिए ।)

प्र०—वे अमनोज्ञ रस कौन से हैं ?

उ०—रसहीन, विरस—पुराना होने से विगत-रस, ठण्डे, रुखे निर्वाह के अयोग्य भोजन-पानी को तथा रात-वासी, रंग बदले हुए सड़े हुए दुर्गन्ध वाले अमनोज्ञ ऐसे तित्त, कट्ट, कसैले खट्टे, शैवाल सहित पुराने पानी के समान एवं नीरस पदार्थों में

तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ तथा अशुभ रसों में साधु को रोप नहीं करना चाहिए—यावत्—मन में जुगुप्सा-धृणा भी नहीं होने देनी चाहिए । इस प्रकार अन्तरात्मा रसनेन्द्रिय की भावना से भावित होती है—यावत्—धर्म का आचरण करना चाहिए ।

पंचम भावना—स्पर्शनेन्द्रिय संयम—

स्पर्शनेन्द्रिय से मनोज्ञ और सुहावने स्पर्शों को छूकर (राग-भाव नहीं करना चाहिए)

प्र०—वे मनोज्ञ स्पर्श कौन से हैं ?

उ०—फव्वारे वाले मण्डप, हीरक, हार, श्वेत, चन्दन, शीतल निर्मल जल, विविध पुष्पों की शय्या, मोती, पद्मनाल, चन्द्रमा की चान्दनी तथा मोरपिच्छी, तालवृत्त, ताड़ का पंखा, पंखे से की गई सुखद शीतल पवन में, शीष्मकाल में सुखद स्पर्श वाले अनेक प्रकार के शयनों और आसनों में, शिशिरकाल-शीत-काल में आवरण गुण वाले अर्थात् ठण्ड से बचाने वाले,

वस्त्रादि में अंगारों से शरीर को तपाने, घूप, स्निग्ध—तेलादि पदार्थ, कोमल और शीतल, गर्म और हल्के—जो ऋतु के अनु-कूल सुखप्रद स्पर्श वाले हों, शरीर को सुख और मन को आनन्द देने वाले हों, ऐसे सब स्पर्शों में,

तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ और सुहावने स्पर्शों में श्रमण को आसक्त नहीं होना चाहिए—यावत्—उनका स्मरण और विचार भी नहीं करना चाहिए ।

पुनरवि फासिदिएण फासिय फासाइं अमणुन्न पाव-
काइं—

प०—किं ते ?

उ०—अणुग-वध-बंध-तालणंकण-अतिभारारोवणए अंग-
भंजण-सूती-नखप्पवेस-गायपच्छयण-लवखाररस-खार-
तेल्ल - कलकलंततडम-सीसक-काल-लोह-सिचण-हडि-
बंधण - रज्जुनिगल-संकल - हत्थंडुय-कुंमिपाक-दहण-
सीह-पुच्छन-उव्वंधण - सूलभेय - गयचलण-मलण-कर-
चरण-कन्न-नासोदु-सीसछेयण-जिम्मछेयण-वसण-नयण-
हियय - दंत-भंजण - जोत्त-लय-कसप्पहार-पाद-पण्हि-
जाणु-पत्थर-निवाय-पीलण-कविकच्छुअगाणि विच्छुय-
डंक-वायातव-दंसमसकनिवाते द्दुट्टनिसज्ज-दुत्तिसीहिया-
दुत्तिम-कवखड-गुरु-सीय-उसिण-लुवत्तेसु वहुविहेसु—

अन्नेसु य एवमाइएसु फासेसु उमणुन्न-पावकेसु तेसु
समणेण न रुसियव्वं-जाव-न दुगुंछावत्तियं लव्वा
उप्पाएडं ।

एवं फासिदियभावणाआविओ भवइ अंतरप्पा मणुन्ना-
मणुन्न-सुत्तिम-दुत्तिम-राग-दोम-पणिहियत्पा साहू मण-
वयण-काय गुत्ते संबुडे पणिहिंतिदिए चरेज्ज घम्मं ।

—पण्ह० सु० २. अ० ५, सु० १२-१६

उदसंहारो—

एवमिणं संवरस्सदारं सम्मं संवरियं होइ सुप्पणि-
हियं—इमेहिं पंचहिं व कारणेहिं मण-वय-कायपरि-
रखएहिं निच्चं आमरणंतं च एस जोगो नेयव्वो
घित्तिमया मत्तिमया अणासवो अकलुसो अच्छिद्वो
अपरिस्सावी असंकिलिट्ठो सुद्धो सव्वजिणमणुण्णाओ ।

इसके अतिरिक्त स्पर्शनेन्द्रिय से अमनोज एवं पापक-असुहावने
स्पर्शों को छूकर रूट नहीं होना चाहिए ।

प्र०—वे स्पर्श कौन से हैं ?

उ०—अनेक प्रकार के वध, वन्धन, ताडन-थप्पड़ आदि का
प्रहार, अंकन—तपाईं हुई सलाई आदि से शरीर को दागना
अधिक भार का लादा जाना, अंग-भंग होना या क्रिया जाना,
शरीर में सुई या नख का चुभाया जाना, अंग की हीनता होना,
लाख के रस, नमकीन (झार) तेल, उबलते शीशे या कृष्णवर्ण
लोहे से शरीर का सींचा जाना, काष्ठ के खोड़े में ढाला जाना,
रस्ती के निगड़ वन्धन से बाँधा जाना हथकड़ियाँ पहनाई जाना,
कुंभी में पकाना, अग्नि से जलाया जाना, सिंह की पूंछ से बाँध-
कर घसीटना, शूली पर चढ़ाया जाना, हाथी के पैर से कुत्ला
जाना, हाथ-पैर-कान-नाक-हांठ और शिर में छेद किया जाना,
जीभ का बाहर खींचा जाना, अण्डकोश-नेत्र-हृदय-दांत या आंत
का मोड़ा जाना, गाड़ी में जोता जाना, बेंत या चाबुक द्वारा
प्रहार किया जाना, एड़ी, घुटना या पायाण का अंग पर आघात
होना, यंत्र में पीला जाना, कपिकच्छू -अत्यन्त खुजली होना
अथवा खुजली उत्पन्न करने वाले फल केव का स्पर्श होना,
अग्नि का स्पर्श, विच्छू के डंक का, वायु का, धूप का या हांस-
मच्छरों का स्पर्श होना, दुष्ट—दोषयुक्त कष्टजनक आसन तथा
दुर्गन्धमय स्वाध्यायभूमि में, कंकश, भारी, शीत, उष्ण एवं रूक्ष
आदि अनेक प्रकार के स्पर्शों में,

इसी प्रकार के अन्य अमनोज स्पर्शों में साधु को रूट नहीं
होना चाहिए—यावत्—स्व-पर में घृणावृत्ति भी उत्पन्न नहीं
करनी चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय संवर की भावना से भावित अन्तः
करण वाला, मनोज और अमनोज, अनुकूल और प्रतिकूल स्पर्शों
की प्राप्ति होने पर राग-द्वेषवृत्ति का संवरण करने वाला साधु
मन, वचन और काय से गुप्त होता है । इस भांति साधु संवृते-
न्द्रिय होकर धर्म का आचरण करे ।

उपसंहार—

इस (पूर्वोक्त) प्रकार से यह पाँचवां संवरद्वार-अपरिग्रह-
सम्यक् प्रकार से मन, वचन और काय से परिरक्षित पाँच
भावना रूप कारणों से संवृत किया जाये तो सुरक्षित होता है ।
धैर्यवान् और विवेकवान् साधु को यह योग जीवन पर्यन्त पाल-
नीय है । यह आस्रव को रोकने वाला, निर्मल, मिथ्यात्व आदि
छिद्रों से रहित होने के कारण अपरिस्वावी, संवनेशहीन, शुद्ध
और समस्त तीर्थंकरों द्वारा अनुज्ञात है ।

एवं पंचमं संवरदारं फासियं-जाव-आणाए आराहियं भवइ ।

एवं नायमुणिणा भगवया पन्नवियं परुवियं पसिद्धं सिद्धं
सिद्धवरसासणमिणं आघवियं सुदेसियं पसत्थं ।

—पण्ड. सु. २, अ. ५, सु. १७

इस प्रकार यह पाँचवां संवरद्वार शरीर द्वारा स्पृष्ट, पालित
—यावत्—तीर्थकरों की आज्ञा के अनुसार आराधित होता है ।

ज्ञात मुनि भगवान् ने ऐसा प्रतिपादित किया है । युक्ति-
पूर्वक समझाया है । यह प्रसिद्ध है, सिद्ध और भवस्थ सिद्धों—
अरिहंतों का उत्तम शासन कहा गया है, समीचीन रूप से उप-
दिष्ट है । यह प्रशस्त संवरद्वार पूर्ण हुआ ।



पाँचों महाव्रतों का परिशिष्ट—६

पंचमहव्वय आराहणाफलं—

७२४. एतेसु वाले य पकुच्चमाणे,

आवट्टती कम्मसु पावएसु ।

अतिवाततो कीरति पावकम्मं,

निउंजमाणे उ करेति कम्मं ॥

आदीणमोई वि करेति पावं,

मंता तु एगंतसमाहिमाहु ।

बुद्धे समाहीय रत्ते विवेगे,

पाणातिपाता विरते ठितप्पा ॥

—सूय. सु. १, अ. १०, गा. ५-६

सीहं जहा खुद्धमिगा चरंता,

दूरे चरंति परिसंक्रमाणा ।

एवं तु मेघावि समिक्ख धम्मं,

दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥

संबुज्जमाणे तु णरे मतीमं,

पावातो अप्पाणं निवट्टएज्जा ।

हिंसप्यमूताइं दुहाइं मंता,

वेराणुत्रंघीणि महव्वयाणि ॥

मुसं न बूया मुणि अत्तगामी,

णिव्वानमेयं कसिणं समाहि ।

सयं न कुज्जा न वि कारवेज्जा,

करेतमन्नं पि य नाणुजाणे ॥

मुद्धे सिया जाए न दूसेज्जा,

अमुच्छित्ते णं य अज्जोववण्णे ।

धित्तिमं विमुक्के ण य पूयणट्ठी,

न सिलोयकामी य परिव्वएज्जा ॥

निक्खम्म गेहाउ निरावकंखी,

कायं विओसज्ज नियाणछिण्णे ।

नो जीवितं नो मरणाभिकंखी,

चरेज्ज भिक्खू वलया विमुक्के ॥

—सूय. सु. १, अ. १०, गा. २०-२४

पाँच महाव्रतों की आराधना का फल—

७२४. अज्ञानी जीव इन (पूर्वोक्त पृथ्वीकाय आदि) प्राणियों को
छेदन-भेदन-उत्पीड़न आदि के रूप में कष्ट देकर पापकर्मों के
आवर्त में फँस जाता है । प्राणातिपात स्वयं करने से प्राणी
ज्ञानावरणीय पाप कर्म करता है, तथा दूसरों को प्राणातिपात
पापकर्मों में नियोजित करके भी पाप कर्म करता है ।

दीनवृत्ति वाला भी पाप करता है । यह जानकर तीर्थकरों
ने एकान्त (भावरूप जानादि) समाधि का उपदेश दिया है ।
इसलिए प्रबुद्ध (जानी) समाधि और विवेक में रत होकर प्राणा-
तिपात से विरत हो स्थितात्मा रहे ।

जैसे चरते हुए मृग आदि छोटे पशु सिंह (के द्वारा मारा
जाने) की शंका करते हुए दूर से ही (वचकर) रहते हैं, इसी
प्रकार मेधावी साधक (समाधिरूप) धर्म को समझकर पाप को
दूर से ही छोड़ दे ।

समाधि को समझकर मतिमान् पुरुष दुःख हिंसा से उत्पन्न
होते हैं, और वर परम्परा बाँधने वाले हैं, इसलिए ये महाभय
जनक हैं, अतः साधक हिंसादि पापकर्म से स्वयं को निवृत्त करे ।

आत्मगामी मुनि असत्य न बोले । मुनि मृदावाद स्वयं न
करे । दूसरों के द्वारा न कराए तथा करने वाले का अनुमोदन न
करे । यह निर्वाण सम्पूर्ण समाधि है ।

एपणा द्वारा लब्ध शुद्ध आहार को दूषित न करे, उसमें
मूर्च्छित और आसक्त न हो, संयम में धृतिमान् वाह्याभ्यन्तर
परिग्रह से विमुक्त मुनि अपनी पूजा-प्रतिष्ठा एवं कीर्ति का अभि-
लापी न होकर शुद्ध संयम में पराक्रम करे ।

घर से निकल कर (दीक्षा लेकर) अनासक्त हो, शरीर का
व्युत्सर्ग कर, कर्मबन्धन को छिन्न कर । न तो जीने की इच्छा
करे और न ही मरण की । वह संसार-बलय (जन्म-मरण के
चक्कर) से विमुक्त होकर संयम में विचरण करे ।

आरम्भ-परिग्रहविरमो कर्मन्तकरो भवइ

७२५. १. इह खलु गारत्या सारम्भा सपरिग्रहा, संतेगतिया समण-माहणा सारम्भा सपरिग्रहा, जे इमे तस-थावरं पाणा ते सयं समारम्भन्ति, अण्णेण वि समारम्भावेति, अण्णं पि समारंभन्तं समणुजाणंति ।

२. इह खलु गारत्या सारम्भा सपरिग्रहा, संतेगतिया समण-माहणा वि सारम्भा सपरिग्रहा, जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते सयं चेव परिगिण्हंति, अण्णेण वि परिगिण्हावेति, अण्णं पि परिगिण्हन्तं समणुजाणंति ।

३. इह खलु गारत्या सारम्भा सपरिग्रहा, संतेगतिया समणा माहणा वि सारम्भा सपरिग्रहा, अहं खलु अणारम्भे अपरिग्रहे । जे खलु गारत्या सारम्भा सपरिग्रहा, संतेगतिया समण-माहणा वि सारम्भा सपरिग्रहा, एतेसि चेव निस्साए वंभचेरं चरिस्सामो ।

प०—कस्त णं तं हेउं ?

उ०—जहा पुव्वं तहा अवरं, जहा अवरं तहा पुव्वं । अंजू चेत्ते अणुवरया अणुवद्धिता पुणरवि तारिसगा चेव ।

जे खलु गारत्या सारम्भा सपरिग्रहा, संतेगतिया समण-माहणा सारंभा सपरिग्रहा, डुहतो पावाइं इति संखाए दोहिं वि अंतोहिं अदिस्समाणे इति भिक्खू रोएज्जा ।

से वेमि—पाईणं वा-जाव-दाहिणं वा एवं से परिण्णात-कम्मे, एवं से विवेयकम्मे, एवं से वियन्तकारए भवतीति भक्खातं ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६७७-६७८

आरम्भ-परिग्रह विरत कर्मों का अन्त करने वाला होता है—

७२५. (१) इस लोक में गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, कई श्रमण और ब्राह्मण भी आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं। वे गृहस्थ तथा श्रमण और ब्राह्मण इन त्रस और स्थावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ करते हैं, दूसरे के द्वारा भी आरम्भ कराते हैं और आरम्भ करने वाले का अनुमोदन करते हैं।

(२) इस जगत में गृहस्थ तो आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते ही हैं, कई श्रमण एवं माहन भी आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं। वे गृहस्थ तथा श्रमण और ब्राह्मण सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के काम-भोगों को स्वयं ग्रहण करते हैं, दूसरे से भी ग्रहण कराते हैं तथा ग्रहण करते हुए का अनुमोदन करते हैं।

(३) इस जगत में गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह से युक्त होते हैं, कई श्रमण और ब्राह्मण भी आरम्भ परिग्रह से युक्त होते हैं। (ऐसी स्थिति में आत्मारथी भिक्षु विचार करता है) मैं आरम्भ और परिग्रह से रहित हूँ। जो गृहस्थ हैं, वे आरम्भ और परिग्रह सहित हैं, कोई-कोई श्रमण तथा माहन भी आरम्भ-परिग्रह में लिप्त हैं; अतः आरम्भ परिग्रह युक्त पूर्वोक्त गृहस्थ वर्ग एवं श्रमण माहनों के आश्रय से मैं ब्रह्मचर्य (मुनिव्रत) का आचरण करूँगा।

प० आरम्भ-परिग्रह सहित गृहस्थ वर्ग और कतिपय श्रमण ब्राह्मणों के निश्चाय में ही जब रहना है, तब फिर इनका त्याग करने का क्या कारण है ?

उ० गृहस्थ जैसे पहले आरम्भ परिग्रह रहित होते हैं, वैसे पीछे भी होते हैं, एवं कोई-कोई श्रमण माहन प्रव्रज्या धारण करने से पूर्व जैसे आरम्भ-परिग्रहयुक्त होते हैं, इसी तरह बाद में आरम्भ परिग्रह में लिप्त रहते हैं। इसलिए ये लोग सावध आरम्भ-परिग्रह से निवृत्त नहीं हैं, अतः शुद्ध संयम का आचरण करने के लिए, शरीर टिकाने के लिए इनका आश्रय लेना अनुचित नहीं है।

आरम्भ-परिग्रह से युक्त रहने वाले जो गृहस्थ हैं, तथा जो सारम्भ सपरिग्रह श्रमण-माहन हैं, वे इन दोनों प्रकार (आरम्भ एवं परिग्रह की क्रियाओं से या राग और द्वेष) से पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसा जानकर साधु दोनों के अन्त से इनसे अदृश्यमान (रहित) हो इस प्रकार संयम में प्रवृत्ति करे।

इसलिए मैं कहता हूँ—पूर्व आदि (चारों) दिशाओं से आया हुआ जो (पूर्वोक्त विशेषताओं से युक्त) भिक्षु आरम्भ-परिग्रह से रहित है, वही कर्म के रहस्य को जानता है, इस प्रकार वह कर्म बन्धन से रहित होता है तथा वही (एक दिन) कर्मों का अन्त करने वाला होता है, यह श्री तीर्थंकर देव ने कहा है। ❌

रात्रि भोजन-निषेध—१

छट्ठवय आराहण पइण्णा—

७२६. अहावरे छट्ठे भंते ! वए राईभोयणाओ वेरमणं ।

सत्त्वं भंते ! राईभोयणं पच्चक्खामि—

से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा,

(से य राइभोयणे चउच्चिवहे पण्णत्ते,

तं जहा—१. दच्चओ, २. खेत्तओ, ३. कालओ, ४. भावओ ।

१. दच्चओ असणे वा-जाव-साइमे वा ।

२. खेत्तओ समयखेत्ते ।

३. कालओ राई ।

४. भावओ तित्ते वा, कडुए वा, कसाए वा, अंघिले वा मडुरे वा, लवणे वा ।)

नेव सयं राइं भुंजेज्जा, नेवन्नेहिं राइं भुंजावेज्जा, राइं भुंजंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि ।

तस्स भंते ! पटिवकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ।^१

छट्ठे भंते ! वए उवट्ठिओमि सव्वाओ राईभोयणाओ वेरमणं ।

इच्चेयाइं पंच महच्चयाइं राइभोयणवेरमणछट्ठाइं अत्तहियट्ठयाए उवसंपज्जित्ताणं विहरामि ।^२—दम. अ. ४, सु. १६-१७

राइए असणाइ गहण-णिसेहो—

७२७. नो कप्पइ निगंथाणं वा निगंथीणं वा,

राओ वा वियाले वा,

असणं वा, -जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्तए,

नग्रत्थ एणेणं पुव्वपडिलेहिएणं सेज्जासंथारएणं ।

—कप्प. उ. १, सु. ४४

पष्ठ व्रत आराधन प्रतिज्ञा—

७२६. भन्ते ! इसके पश्चात् छोटे व्रत में रात्रि-भोजन की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

जैसे—अशन, पान, खादिम, स्वादिम ।

(वह रात्रि-भोजन चार प्रकार के हैं—

जैसे—(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से, (४) भाव से ।

(१) द्रव्य से—अशन, पान, खादिम एवं स्वादिम ।

(२) क्षेत्र से—समय क्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र) में अर्थात् जिस समय जहाँ रात्रि हो ।

(३) काल से—रात्रि में ।

(४) भाव से—तित्त, कडुवा, कसैला, खट्टा, मीठा या नमकीन ।)

किसी भी वस्तु को रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगा, दूसरों को नहीं खिलाऊँगा और खाने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन के लिए तीन करण तीन योग से—मन से, वचन से, काया से न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं (अतीत के रात्रि भोजन से) निवृत्त होता हूँ, उमकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भन्ते ! मैं छोटे व्रत में उपस्थित हुआ हूँ, इसमें सर्व-रात्रि भोजन की विरति होती है ।

मैं इन पाँच महाव्रतों और रात्रि-भोजन-विरति रूप छोटे व्रत को आत्महित के लिए अंगीकार कर विहार करता हूँ ।

रात्रि में अशनादि ग्रहण का निषेध—

७२७. निग्रन्थों और निग्रन्थियों को

रात्रि में या विकाल में

अशन—यावत्—स्वादिम लेना नहीं कल्पता है ।

केवल एक पूर्व प्रतिलेखित शय्या संस्कारक को छोड़कर ।

१. चउच्चिवहे वि आहारे, राईभोयणवज्जणा । सन्निहीसंचओ चैव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ३१

२. रात्रि भोजन विरमण व्रत प्रथम अहिंसा व्रत में ही अन्तर्भूत है, अतः चतुर्थां धर्म और पंचयाम धर्म में इस व्रत का स्वतन्त्र रूप में उल्लेख नहीं हुआ है, श्रुतस्थविरो ने सरलता के लिए इस व्रत का भिन्न विधान पीछे से किया है ।

राइभोयण—णित्सेह कारणं—

७२८. संतिमे सुहुमा पाणा, तसा अबुव यावरा ।
जाइं राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ? ॥
उद्वोल्लं बीयसंसत्तं, पाणा निव्वडिया महिं ।
दिवा ताइं विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ? ॥

एयं च दोसं दट्ठुणं. नायपुत्तेण भासियं ।
सव्वाहारं न भुंजति, निगंथा राइभोयणं ॥

—दस. अ. ६, गा. २३-२५

राइभोयणस्स सव्वहा णित्सेहो—

७२९. अत्यंगयम्मि आइच्चे, पुरत्या य अणुग्गए ।
आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्यए ॥

—दस. अ. ८, गा. २८

पारियासिय आहारस्स भुंजेण णित्सेहो—

७३०. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा,
पारियासियस्स आहारस्स,
तयप्पमाणमेत्तमवि, भूइप्पमाणमेत्तमवि,
तोयविहुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारेत्तए,

नन्नत्य गाढाज्जादेहि रोगायंकेहि ।^२

—कप्प. उ. ५, नु. ४७

पारियासिय लेवणप्पओग णित्सेहो—

७३१. नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा,
पारियासिएणं आलेवणजाएणं,
गायाइं आलिपित्तए वा विलिपित्तए वा,
नन्नत्य गाढाज्जादेहि रोगायंकेहि । —कप्प. उ. ५, नु. ४८

रात्रि-भोजन निषेध का कारण—

७२८. जो व्रत और स्थावर सूक्ष्म प्राणी हैं. उन्हें रात्रि में नहीं देखना हुआ निर्ग्रन्थ एषणा कैसे कर सकता है ?

उदक से आद्रं और वीजयुक्त भोजन तथा जीवाकुल मार्ग—
उन्हें दिन में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें टालना शक्य नहीं—इमलिए निर्ग्रन्थ—रात को भिक्षाचर्या कैसे कर सकता है ?

जानपुत्र महावीर ने इस हिंसात्मक दोष को देखकर कहा—
“जो निर्ग्रन्थ होते हैं वे रात्रि-भोजन नहीं करते, चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते ।”

रात्रि-भोजन का सर्वथा निषेध—

७२९. नूयस्ति से लेकर पुनः नूयं पूर्व में न निकल आए तब तक सब प्रकार के आहार की मन में भी इच्छा न करे ।

रात्रि में आहारादि के उपयोग का निषेध—

७३०. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को

परिवामित (रात्रि में रखा हुआ या कालातिक्रान्त) आहार
त्वक् प्रमाण (तिल-तुप जितना) भूति-प्रमाण (एक चुटकी
जितना)

खाना तथा विन्दु प्रमाण जितना भी पानी पीना नहीं
कल्पना है—

केवल उग्र रोग एवं आतंक में (परिवामित आहार-भोग
लेना) कल्पना है ।

रात्रि में लेप लगाने का निषेध—

७३१. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को

अपने शरीर पर सभी प्रकार के परिवामित लेपन एक बार
लगाना या बार-बार लगाना नहीं कल्पता है—

केवल उग्र रोग एवं आतंकों में लगाना कल्पता है ।

- १ रात्रि भोजन करने वाले को शवल (श्रवल) दोष लगता है—देखिए—अनाचार में श्रवलदोष ।
- २ यह सूत्र स्वविरकल्पी के उत्तर्ग और अपवाद मार्ग का सूचक है और प्रश्नव्याकरण का निम्नांकित सूत्र जिनकल्पी के उत्तर्ग मार्ग का सूचक सूत्र है ।

इस सूत्र में अत्यन्त उग्र मरणान्त वेदना होने पर भी औषधि आदि के उपयोग का सर्वथा निषेध है ।

जं पि य समणस्स सुविहियन्त उ रोगायंके बहुप्पगारंमि नमुप्पन्ते वानाहिक-पित्त-निम-अइरित्त-कुविय-तह-नद्विवातजाते व उदयपत्ते, उज्जल-वल-विउल-कक्कड-पगाठडुक्खे, असुह-कडुय-फल्ले, चंडफल-विवागे, मह्भए, जीवियंतकरणे, सव्वसरीरपरिता-वणकरे न कप्पइ तारित्से वि तह अप्पणो परस्स वा ओसह-भेमज्जं भत्त-पाणं च तं पि संनिहियं । —पण्ह. सु. २, अ. ५, नु. ७

पारियासिय तैल्लार्ईणं अब्भंग णिसेहो—

७३२. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा,
पारियासिएणं तैल्लेण वा, घण्ण वा, नवनीएण वा, वसाए
वा,
गायाइं अब्भंगित्तए वा, मविलत्तए वा,
नत्तय गाढाऽगाढेहिं रोगायंकेहिं । —कप्प. उ. ५, मु. ४६

पारियासिय कक्काईणं उवट्टण णिसेहो—

७३३. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा,
परियासिएणं कक्केणं वा, लोद्धेणं वा, पघ्घेणं वा,
अत्तयरेणं वा आत्तेवणजाएणं गायाइं उवत्तेत्तए वा उवट्टे-
त्तए वा,
नत्तय गाढाऽगाढेहिं रोगायंकेहिं । —कप्प. उ. ५, मु. ५०

रात्रि में तैल आदि के मालिश का निषेध—

७३२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को
अपने शरीर पर परिवामित तैल-घृत-नवनीत और वसा
(चर्बी) का
चुपड़ना या मलना नहीं कल्पता है ।
केवल उग्र रोग या आतंकों में लगाना कल्पता है ।

रात्रि में कल्कादि के उवटन का निषेध—

७३३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को
अपने शरीर पर परिवामित कल्क, लोघ या धूप आदि का
किमी एक प्रकार का विलेपन करना या उवटन करना नहीं
कल्पता है ।
केवल उग्र रोग या आतंकों में लगाना कल्पता है ।



रात्रिभोजन के प्रायश्चित्त—२

सूरस्स उदयत्थमण-विइगिच्छाए पायच्छित्त सुत्ताणि—

७३४. भिक्षु य उदयवित्तीए अणत्थमियं-संकप्पो संधडिए^१ निच्चि-
गच्छइ समावण्णेण^२ असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता
आहारं आहरेमाणे,

अह पच्छा जाणेज्जा—

“अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा”

से जं च आसयंसि, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहे,
तं विगिच्चमाणे वा, विसोहमाणे वा णो अइक्कमइ ।

तं अप्पणा भुंजमाणे,

सूर्योदयास्त के सम्बन्ध में शंका होने पर आहार करने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

७३४. सूर्योदय पश्चात् और सूर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की
प्रतिज्ञा वाला तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असंदिग्ध
सशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य
या उपाध्याय आदि) अशन, यावत् स्वादिम (चतुर्विध आहार)
ग्रहण कर आहार करता हुआ,

यदि यह जाने कि

“सूर्योदय नहीं हुआ है अथवा सूर्यास्त हो गया है”

तो उस समय जो आहार मुंह में है, हाथ में है, पात्र में है,
उसे परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले तो जिनाज्ञा
का अतिक्रमण नहीं होता है ।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे

१. संस्तुत—शब्द का अर्थ है—सशक्त, स्वस्थ और प्रतिदिन पर्याप्तभोजी निर्ग्रन्थ भिक्षु ।

२. निच्चिकित्स—पद का अर्थ है संग्रह रहित—अर्थात्—सूर्योदय हो गया है या सूर्यास्त नहीं हुआ है—इस प्रकार के निश्चय
वाला निर्ग्रन्थ ।

अन्नेसि वा दलमाणे,
राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं
अणुग्घाइयं । —कप्प. उ. ५, सु. ६

भिक्षू य उगयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे

संथडिए विइगिच्छा-समावण्णेणं^१

असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे

अह पच्छा जाणेज्जा—

“अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा,”

से जं च आसयंसि, जं च पाणिंसी, जं च पडिग्गहे
तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ ।

तं अप्पणा भुंजमाणे,

अन्नेसि वा दलमाणे

राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं
अणुग्घाइयं । —कप्प. उ. ५, सु. ७

भिक्षू य उगयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे

असंथडिए निव्विगइच्छासमावण्णेणं

असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेता आहारं आहारेमाणे

अह पच्छा जाणेज्जा—

“अणुग्गए सूरिए, अत्थमिए वा,”

से जं च आसयंसि, जं च पाणिंसी, जं च पडिग्गहे
तं विगिचमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ ।

तं अप्पणा भुंजमाणे,

अन्नेसि वा दलमाणे,

राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं
अणुग्घाइयं । —कप्प. उ. ५, सु. ८

भिक्षू य उगयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे

या अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो

उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोष लगता है । अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

सूर्योदय पश्चात् और सूर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला किन्तु,

सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में संदिग्ध, सशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय आदि)

अशन,—यावत्—स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ,

यदि यह जाने कि

“सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है” तो

उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है

उसे परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि करले तो जिन आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे

या अन्य निर्ग्रन्थ को दे

तो उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोष लगता है । अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

सूर्योदयपश्चात् और सूर्यास्तपूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला तथा

सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असंदिग्ध, अशक्त एवं प्रतिपूर्ण आहार न करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय आदि)

अशन,—यावत्—स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ

यदि यह जाने कि

“सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है”

तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है—उसे परठ दे मुख आदि की शुद्धि कर ले तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या

अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो

उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोष लगता है । अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

सूर्योदय पश्चात् और सूर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला

असंयदिए विद्विगिच्छामावण्णेणं ।^१

असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता आहारं आहारेमाणे

अह पच्छा जाणेज्जा—

“अणुग्गए सूरिए, अत्यमिए वा”,

से जं च मुहे, जं च पाणिंसी, जं च पडिग्गहंसि

तं विगिचेमाणे वा, विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ ।

तं अप्पणा भुंजमाणे,

अन्नेसि वा दत्तमाणे,

राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं
अणुग्गाइयं । —कण्. उ. ५, सू. ६

जे भिक्खू उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे संयदिए णिद्वि-
त्तिगिच्छामावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ता भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—“अणुग्गयसूरिए अत्यमिए वा” से
जं च मुहे, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहंसि, तं विगिचेमाणे
विसोहेमाणे तं परिट्टमाणे णाइक्कमइ । जो तं भुंजइ भुंजंतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे संयदिए विद्विगिच्छा-
मावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता
भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—“अणुग्गए सूरिए, अत्यमिए वा”
से जं च मुहे, जं च पाणिंसि, जं च पडिग्गहंसि तं विगिचे-
माणे विसोहेमाणे तं परिट्टमाणे णाइक्कमइ । जो तं भुंजइ
भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे असंयदिए णिद्वि-
त्तिगिच्छा समावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ता भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

किन्तु सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में संदिग्ध, अशक्त एवं
प्रतिपूणं आहार न करने वाला निर्ग्रन्थ भिक्षु (आचार्य या उपा-
ध्याय आदि)

अंशन,—यावत्—स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण करता
हुआ

यदि यह जाने कि—

“सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है”

तो उस समय जो आहार मुँह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे
परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले तो जिनाजा का अति-
क्रमण नहीं करता है ।

यदि उम आहार को वह स्वयं खावे या

अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो

उसे रात्रि-भोजन सेवन का दोष लगता है अतः वह अनुद्-
घातिक चातुर्मासिक परिहार स्नात प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आहार
करने का संकल्प है स्वस्थ है, सन्देह रहित है (और) स्वयं अंशन
यावत् स्वाद्य ग्रहण करके उपभोग करता है, करवाता है, करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

यदि वह ऐसा जाने “सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो
गया है” तो जो मुँह में है, जो हाथ में है और जो पात्र में है
उसे निकाल कर साफ कर परठने वाला (वीतराग की आज्ञा का)
उल्लंघन नहीं करता है । यदि वह उस आहार को करता है,
करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आहार
करने का संकल्प है स्वस्थ है, सन्देह सहित है (और) स्वयं अंशन
यावत् स्वाद्य ग्रहण करके आहार करता है, करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

यदि ऐसा जाने “सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया
है” तो जो मुँह में है, हाथ में है और जो पात्र में है उसे निकाल
कर साफ कर परठने वाला (वीतराग की आज्ञा का) उल्लंघन
नहीं करता है । यदि वह उस आहार को करे, करावे, करने वाले
का अनुमोदन करे ।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले
आहार का संकल्प है, अस्वस्थ है, सन्देह रहित है (और) स्वयं
अंशन यावत् स्वाद्य ग्रहण करके उपभोग करता है, करवाता है,
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—‘अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा’ से जं च मुहे, जं च पडिग्गहंसि तं विगिंचेमाणे विसोहेमाणे तं परिट्टमाणे णाइक्कमइ । जो तं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उगयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए वित्ति-गिच्छा समावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा-जाव- साइमं वा पडिग्गाहेत्ता भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—‘अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा’ से जं च मुहे, जं च पाणिसि, जं च पडिग्गहंसि तं विगिंचेमाणे विसोहेमाणे तं परिट्टमाणे णाइक्कमइ । जो तं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १०, सु. ३१-३४

दिवसे वा रयणीए वा असणाई गहण-भुंजण पायच्छित्त सुत्ताई—

७३५. जे भिक्खू दिया असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता दिया भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।^१

जे भिक्खू दिया असणं वा-जाव- साइमं वा पडिग्गाहेत्ता रत्ति भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रत्ति असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता दिया भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रत्ति असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता राई भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ७४-७७

यदि वह ऐसा जाने “सूर्योदय हुआ नहीं है या सूर्यास्त हो गया है” तो जो मुँह में है, हाथ में है, और जो पात्र में है उसे निकाल कर, साफ कर परठने वाला (वीतराग की आज्ञा का) उल्लंघन नहीं करता है । यदि वह ऐसा आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जिस भिक्षु का सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आहार करने का संकल्प है, अस्वस्थ है, सन्देह सहित है और स्वयं अशन यावत् स्वाद्य ग्रहण करके उपभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

यदि वह ऐसा जाने “सूर्योदय हुआ नहीं है या सूर्यास्त हो गया है” तो जो मुँह में है, हाथ में है और जो पात्र में है उसे निकाल कर साफ कर परठने वाला (वीतराग की आज्ञा का) उल्लंघन नहीं करता है । यदि वह ऐसा आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुदघातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

दिन में या रात्रि में अशनादि ग्रहण करने के तथा खाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७३५. जो भिक्षु दिन में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके दिन में खाता है, खिलाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दिन में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके रात्रि में खाता है, खिलाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रात्रि में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके दिन में खाता है, खिलाता है या खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रात्रि में अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके रात्रि में खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुदघातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त आता है ।

१ इस सूत्र में दिन में अशनादि ग्रहण करके दिन में उसका उपयोग करने पर प्रायश्चित्त विधान है ।

इस सम्बन्ध में चूर्णिकार का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

पढम भंगं संभवो इमो—दिया घेतुंणिसि संवासे तुं तं वित्तियदिणे भुंजमाणस्स पढम भंगो भवति ॥

प्रथम भंग की रचना इस प्रकार है—

दिन में ग्रहण किए हुए अशनादि को रात में रखकर दूसरे दिन उसका उपयोग करने पर उपभोक्ता प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

—देखें गाथा ३३६७ की चूर्णी

राईए असणाई संग्रह करण—भुंजण पायच्छित्त सुत्ताइं—

७३६. जे भिक्षू असणं वा-जाव-साइमं वा अणागाढे परिवासेइ परिवासेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू परिवसियस्सं असणस्स वा-जाव-साइमस्स वा तयप्प-माणं वा भूइप्पमाणं वा विदुप्पमाणं वा आहारं आहारेइ आहारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घा-इयं ।
—नि. उ. ११, सु. ७८-७९

जे भिक्षू पारियासियं १. पिप्पलि वा, २. पिप्पलिचुण्णं वा, ३. सिगवेरं वा, ४. सिगवेरचुण्णं वा, ५. विलं वा, ६. लोणं वा, ७. उच्चिमयं लोणं वा आहारेइ आहारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणु-ग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ९१

दिवाभोयणस्स अवण्णं राईभोयणस्स वण्णं वदमाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

७३७. जे भिक्षू दियाभोयणस्स अवण्णं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू राइभोयणस्स वण्णं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणु-ग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ७२-७३

दिवसे वा, रयणीए गहियगोमयलेवस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

७३८. जे भिक्षू दिवा गोमयं पटिग्गाहेत्ता दिवा कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू दिवा गोमयं पटिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा, आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

रात्रि में अशनादि के संग्रह करने के तथा खाने के प्राय-श्चित्त सूत्र —

७३६. जो भिक्षु अत्यावश्यक कारण के अतिरिक्त अशन—यावत्—स्वाद्य रात्रि में रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वासी रखे हुए अशन—यावत्—स्वाद्य त्वक् प्रमाण भूतिप्रमाण चुटकी जितना तथा विन्दु प्रमाण जितना आहार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुदघातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु रात वासी रखे हुए १. पीपल, २. पीपल का चूर्ण, ३. सूँठ, ४. सूँठ का चूर्ण, ५. विल्व, ६. समुद्र का लवण, ७. खनिज लवण का आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुदघातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

दिवा-भोजन निन्दा और रात्रि-भोजन प्रशंसा के प्राय-श्चित्त सूत्र—

७३७. जो भिक्षु दिन में भोजन करने की निन्दा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रात्रि भोजन करने की प्रशंसा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुदघातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

दिन में या रात्रि में ग्रहण किए गए गोबर के लेप के प्रायश्चित्त सूत्र—

७३८. जो भिक्षु दिन में गोबर लेकर दिन में शरीर पर हुए व्रण पर लेप करता है, बार-बार लेप करता है,

लेप करवाता है, बार बार लेप करवाता है,

लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनु-मोदन करता है ।

जो भिक्षु दिन में गोबर लेकर रात में शरीर पर हुए व्रण पर लेप करता है, बार बार लेप करता है,

लेप करवाता है, बार बार लेप करवाता है,

लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू रत्ति गोमयं पडिगाहेत्ता दिवा कार्यसि वणं
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा,
आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू रत्ति गोमयं पडिगाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा,
आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १२, सु. ३२-३५

दिवसे वा, रयणीए वा गहियलेवपओगस्स पायच्छित्त
सुत्ताइ—

७३९. जे भिक्षू दिवा आलेवणजायं पडिगाहेत्ता दिवा कार्यसि वणं
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा,
आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू दिवा आलेवणजायं पडिगाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा,
आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू रत्ति आलेवणजायं पडिगाहेत्ता दिवा कार्यसि वणं
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा,
आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू रत्ति आलेवणजायं पडिगाहेत्ता रत्ति कार्यसि वणं
आलिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा,
आलिपावेज्ज वा विलिपावेज्ज वा,
आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १२, सु. ३६-३९

जो भिक्षु रात में गोबर लेकर दिन में शरीर पर हुए व्रण
पर लेप करता है, बार बार लेप करता है,
लेप करवाता है, बार बार लेप करवाता है,
लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु रात में गोबर लेकर रात में शरीर पर हुए व्रण
पर लेप करता है, बार बार लेप करता है,
लेप करवाता है, बार बार लेप करवाता है,
लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे अनुद्वैतिकात् चतुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

दिन में या रात्रि में गृहीत लेप प्रयोग के प्रायश्चित्त
सूत्र—

७३९. जो भिक्षु दिन में लेप मात्र ग्रहण करके दिन में शरीर पर
हुए व्रण पर लेप करे, बार बार लेप करे,
लेप करावे, बार बार लेप करावे,
लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु दिन में लेप मात्र ग्रहण करके रात में शरीर पर
हुए व्रण पर लेप करे, बार बार लेप करे,
लेप करावे, बार बार लेप करावे,
लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु रात में लेप मात्र ग्रहण करके दिन में शरीर पर
हुए व्रण पर लेप करे, बार बार लेप करे,
लेप करावे, बार बार लेप करावे,
लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

जो भिक्षु रात में लेप मात्र ग्रहण करके रात में शरीर पर
हुए व्रण पर लेप करे, बार बार लेप करे,
लेप करावे, बार बार लेप करावे,
लेप करने वाले का, बार बार लेप करने वाले का अनुमोदन
करे ।

उसे अनुद्वैतिकात् चतुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

उद्गालगिलनेस पायश्चित्त सूत्र—

७४० जे भिक्खू राओ वा, वियाले वा संपाणं सभोयणं उद्गालं उद्गालित्ता पच्चोगिलइ पच्चोगिलंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।^१
—नि. उ. १०, सु. ३५ आता है ।

उद्गाल गिलने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७४०. जो भिक्षु रात में या विकाल (सूर्योदय से पूर्व या पश्चात् मन्ध्या समय) पानी या भोजन के उद्गाल को उगलकर निगलता है, निगलवाता है या निगलने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



- १ (क) इस सूत्र के समान एक सूत्र कप्पसुत्त में भी है । जो यहाँ नीचे अंकित है । दोनों सूत्र समान विषय वाले हैं । दोनों सूत्रों में प्रायश्चित्त विधान भी समान है । किन्तु निशीथ का सूत्र संक्षिप्त है और कप्पसुत्त का सूत्र विस्तृत है—इससे प्रतीत होता है दोनों सूत्रों के स्रष्टा भिन्न हैं ।
- (ख) इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा, राओ वा वियाले वा, सपाणे सभोयणे उद्गाले आगच्छेज्जा, तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ । तं उद्गालित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—कप्प. उ. ५, सू. १०
- (ग) तओ अणुग्घाइया पणत्ता, तं जहा—१. हत्थकम्मं करेमाणे, २. मेहुणं पडिसेवमाणे, ३. राइभोयणं भुंजमाणे ।
—कप्प. उ. ४, सु. १

इस सूत्र में तीनों कार्य अनुद्घातिक प्रायश्चित्त योग्य हैं किन्तु प्रथम “हस्तकर्म” मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त योग्य है शेष “मैथुन के संकल्प” और “रात्रिभोजन” ये दो चातुर्मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त योग्य हैं ।

चारित्राचार तालिका

(१) संवर (५)

- १ प्राणतिपात विरमण
- २ मृषावाद विरमण
- ३ अदत्तादान विरमण
- ४ अन्नह्यचर्य विरमण
- ५ परियह विरमण

(२) संवर (५) (ग्रन्थ २/१)

- १ सम्यक्त्व संवर
- २ विरति संवर
- ३ अप्रमत्तता संवर
- ४ अकृपायता संवर
- ५ अजोगता संवर

(सम. ५)

(३) संवर (१०)

- १ श्रोत्रेन्द्रिय संवर
- २ चक्षु इन्द्रिय संवर
- ३ घ्राणेन्द्रिय संवर
- ४ रसना (जिह्वा) इन्द्रिय संवर
- ५ स्थानेन्द्रिय संवर
- ६ मनःसंवर
- ७ वचन संवर
- ८ काय संवर
- ९ उपकरण संवर
- १० सूची कुशाग्र संवर

(ठाण १०)

७ ब्रह्मचर्य दस समाधि स्थान

(उत्त. १६/१३-१४)

ब्रह्मचर्य के १५ प्रकार

(सम. १८)

ब्रह्मचर्य की नव गुप्ति

(ठाण. ६)

(४) समाधि (१०)

- १ प्राणतिपात विरमण
- २ मृषावाद विरमण
- ३ अदत्तादान विरमण
- ४ मंथन विरमण
- ५ परियह विरमण
- ६ इरियासमिति
- ७ भाषा समिति
- ८ एषणा समिति
- ९ आदान भाण्ड मात्र निक्षेपण समिति
- १० उच्चार प्रसवण श्लेष्म-सिंघाण जल्य परिष्ठापना समिति

(ठाण १०)

(५) प्राणतिपात विरमण (६)

- १ पृथ्वीकाय हिंसा विरमण
- २ अप्काय हिंसा विरमण
- ३ तेजस्काय हिंसा विरमण
- ४ वायुकाय हिंसा विरमण
- ५ वनस्पतिकाय हिंसा विरमण
- ६ जसकाय हिंसा विरमण

भावना (२५)

(दण. ४)

प्रत्येक महाव्रत की ५-५ भावनाएँ

(आ. २/१५)

(पणह. २११, सम. २५)

(६) संयम (१०)

- १ पृथ्वीकाय संयम
- २ अप्काय संयम
- ३ तेजस्काय संयम
- ४ वायुकाय संयम
- ५ वनस्पतिकाय संयम
- ६ द्वीन्द्रिय संयम
- ७ त्रीन्द्रिय संयम
- ८ चतुरिन्द्रिय संयम
- ९ पंचेन्द्रिय संयम
- १० अजीवकाय संयम

(स्थानांग १०)



अद्वैत प्रवचनमायाओ *




एयाओ पंच समिद्धओ चरणरुस य पवत्तणे ।
वुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुभत्थेसु सत्त्वसो ।
एया पवचणमाया जे सम्मं आयरे मुणी ।
से खिप्पं सत्त्व संसारा विप्पमुच्चइ पण्डिण ।

—उत्त० अ० २४/२६-२७



च र णा नु यो ग
(अष्ट प्रवचन माता)



अष्टप्रवचन माता का स्वरूप

अष्टप्रवचनमायाओ—

७४१. अष्ट प्रवचनमायाओ^१ पण्णत्ताओ, तं जहा—

१. इरियासमिई, २. भासासमिई,
३. एसणासमिई, ४. आयाण-भंड-मत्त-निकखेवणासमिई,
५. उच्चार-पासवण-त्तेल-सिघाण-जल्ल परिट्ठावणियासमिई^२

६. मणगुत्ती, ७. वडगुत्ती, ८. कायगुत्ती ।

—सम. गम ८, मु. १

एयाओ पंच समिईओ चरणस्स य पवत्तणे ।
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुमत्तेसु सव्वसो^३ ॥
एया पवचणमाया जे सम्मं आघरे मुणी ।
से सिप्पं सव्वसंसारा विप्पमुच्चइ पण्डए ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २६-२७

अष्टसमिईओ—

७४२. अष्ट समितीओ पण्णत्ताओ, तं जहा—

१. इरियासमिति,
२. भासासमिति,
३. एसणासमिति,
४. आयाणभंड-मत्त-निकखेवणामिति,
५. उच्चार-पासवण-त्तेल-सिघाण-जल्ल-परिट्ठावणियामिति,

६. मण-समिति,

७. वडसमिति,

८. कायसमिति,

—ठाणं अ ८, मु. ६०३

एयाओ अष्ट समिईओ^४ समासेण विद्याहिया ।

बुवाससंगं जिणस्सत्तायं मायं जत्थ उ पवचणं ॥

—उत्त. अ. २४, गा. ३

अष्टप्रवचन माता—

७४१. प्रवचन-माता के आठ प्रकार हैं, जैसे—

- (१) ईर्यासमिति, (२) भापासमिति,
- (३) एणणासमिति, (४) आदान-भांड-अमत्र-निकेपणा-समिति,
- (५) उच्चार-प्रस्रवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिस्थापनिवी

ममिति,

(६) मनोगुप्ति, (७) वचनगुप्ति और (८) कायगुप्ति ।

ये पांच समितियां चारित्र्य की प्रवृत्ति के लिए हैं और तीन गुप्तियां सब अशुभ विषयों से निवृत्ति करने के लिए हैं ।

जो पण्डित मुनि इन प्रवचन-माताओं का सम्यक् आचरण करता है, वह शीघ्र ही मर्व संभार से मुक्त हो जाता है ।

आठ समितियां—

७४२. समितियां आठ कही गई हैं, जैसे—

१. गमन में सावधानी—युग प्रमाण भूमि को शोधते हुए गमन करना ।

२. बोलने में सावधानी रखना तथा हित, मित, प्रिय वचन बोलना ।

३. गोचरी में सावधानी रखना—निर्दोष भिक्षा लेना ।

४. अमत्र-निकेपणा समिति—भोजनादि के भाण्ड पात्र आदि को सावधानीपूर्वक देखकर तथा शोधन कर लेना और रखना ।

५. उच्चार (मन) प्रस्रवण (मूत्र) श्लेष्म (कफ) सिघाण (नामिका का मैल) जल्ल (शरीर का मैल) निर्जीव स्थान में डालना ।

६. मन को संयम में रत रखना ।

७. विवेक पूर्वक बोलना ।

८. काया से संवर एवं कर्म निर्जरा करना ।

ये आठ समितियां संक्षेप में कही गई हैं ।

इनमें जिन-भाषित द्वादशांग-रूप प्रवचन समाया हुआ है ।

१ (क) आगमों में अष्ट प्रवचन माता की दो प्रकार की विवक्षाएँ हैं, यथा—पान समिति और तीन गुप्ति इनमें द्वादशांग समाविष्ट हैं । इन अष्टप्रवचन माताओं से ही द्वादशांग प्रवचन का प्रसव हुआ है ।

(ग) अष्ट प्रवचनमायाओ समिई गुत्ती तहेव य । पंचेव य समिईओ तओ गुत्तीओ आहिया ॥

इरिया भासमणादाणे उच्चार समिई उया । मणगुत्ति वयगुत्ती कायगुत्ती य अट्टमा ॥ —उत्त. अ. २४, गा. १-२

२ (क) आच. अ. ४, मु. २४, १ (ख) ठाणं. अ. ५, मु. ४५७, (ग) सम. स. ५, मु. १ ।

३ एगओ विरटं कुज्जा, एगओ य पवत्तणं । अमंजमे निर्यात्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥

—उत्त. अ. ३१, गा. २

४ ईर्यादि पांच की समिति और मनोगुप्ति आदि तीन की गुप्ति संज्ञा सर्वत्र प्रसिद्ध है पर इस गाथा में तथा ठाणं. अ. ८, ६०३ में आठों की समिति संज्ञा का ही उल्लेख है ।

ईर्यासमिति

विधिकल्प—१

इरियासमिद्दए भेयप्पभेया—

७४३. आलंबणेण कालेणं, मग्गेण जयणाई य ।
चउकारणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए ॥
तत्थ आलंबणं नाणं, दंसणं चरणं तथा ।
काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥

दव्वओ खेत्तओ चैव, कालओ भावओ तथा ।
जयणा चउद्विहा वुत्ता तं मे कित्तयओ सुण ॥

दव्वओ चक्खुसा पेहे,
जुगमेत्तं च खेत्तओ ।
कालओ जाव रीएज्जा,
उवउत्ते य भावओ ॥

इंदियत्थे विवज्जित्ता, सज्झायं चैव पंचहा^१ ।
तम्ममुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रिं रिए ॥

—उत्त. अ. २४, गा: ४-८

एयं कुसलस्स दंसणं ।
तद्दिट्ठीए,

तम्ममुत्तीए,

तप्पुरक्कारे,

तस्सण्णी,

तण्णिवैसणे, जयं विहारी, चित्तणिवाती पंथणिज्जाई
पालिवाहिरे पासिय पाणे गच्छेज्जा ।

से अभिक्कमममाणे पडिक्कमममाणे संकुचेमाणे पसारेमाणे
विणियट्टमाणे संपलिसज्जमाणे ।

ईर्यासमिति के भेद-प्रभेद—

७४३. संयमी मुनि आलम्बन, काल, मार्ग और यतना—इन चार कारणों से पारंगुद्ध ईर्या (गति) से चले ।

उनमें ईर्या का आलम्बन, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है । उसका काल दिवस है और उत्पथ का वर्जन करना उसका मार्ग है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना चार प्रकार की कही गई है । वह मैं कह रहा हूँ, सुनो ।

द्रव्य से—आँखों से देखे ।

क्षेत्र से—युग मात्र (गाड़ी के जुए जितनी) भूमि को देखे ।

काल से—जब तक चले तब तक देखे ।

भाव से—उपयुक्त (गमन में दत्तचित्त) रहे ।

इन्द्रियों के विषयों और पांच प्रकार के स्वाध्याय का वर्जन कर, ईर्या में तन्मय हो, उसे प्रमुख बनाकर उपयोगपूर्वक चले ।

(ईर्या-विवेक) यह धीतराग परमात्मा का कुशल दर्शन है ।

अतः परिपक्व साधक उस (धीतराग-दर्शनरूप गुरु-सान्निध्य) में ही एक मात्र दृष्टि रखे,

उसी के द्वारा प्ररूपित विषय-कपाय-आसक्ति से मुक्ति में मुक्ति माने, उसी को आगे (दृष्टिपथ में) रखकर मुक्ति माने,

उसी को आगे दृष्टिपथ में रखकर विचरण करे,

उसी का संज्ञान-स्मृति सतत सब कार्यों में रखे, उसी के सान्निध्य में तल्लीन होकर रहे ।

मुनि (प्रत्येक चर्या में) यतनापूर्वक विहार करे, चित्त को (गति में) एकाग्र कर मार्ग का सतत अवलोकन करते हुए (दृष्टि टिकाकर) चले । जीव-जन्तु को देखकर पैरों को आगे बढ़ने से रोक ले और मार्ग में आने वाले प्राणियों को बचाकर गमन करे ।

वह भिक्षु जाता हुआ, वापस लौटता हुआ, अंगों को सिकोड़ता हुआ, फैलाता (पसारता हुआ) इन समस्त अशुभप्रवृत्तियों से निवृत्त होकर, सम्यक् प्रकार से परिमार्जन करता हुआ समस्त क्रियाएँ करे ।

एगया गुणसमितस्स रीयतो कायसंफासमणुच्चिण्णा एगतिया पाणा उद्दयंति इहलोगवेदणवेज्जावडियं ।

जं आउट्टिकयं कम्मं तं परिणाय विवेगमेति । एवं से अप्प-मादेण विवेगं किट्टति वेदवी ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ४, सु. १६२-१६३

फासुय विहार सरुव परुवणा—

७४४. प०—किं ते भंते ! फासुयविहारं ?

उ०—सोमिला ! जं णं आरामेसु उज्जाणेसु देवकुलेसु सभासु पवासु इत्थी-पसु-पंडग-विवज्जियासु वसहीसु फासु-एसणिज्जं पीठ-फलक-सेज्जा-संथारगं उवसंपज्जित्ताणं विहरामि, से तं फासुयविहारं ।^१

—वि. स. १८, उ. १०, सु. २३

भावियप्पणो अणगारस्स किरिया विहाणं—

७४५. प०—अणगारस्स णं भंते ! भावियप्पणो पुरओ दुहओ जुग-मायाए पेहाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स अहे कुक्कुडपोते वा, वट्टापोते वा, कुल्लिगच्छाए वा, परिव्यावज्जेज्जा, तस्स णं भंते ! किं इरियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! अणगारस्स णं भावियप्पणो-जाव-इरिया-वहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ अणगारस्स णं भावियप्पणो-जाव-इरियावही किरिया कज्जइ णो संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिन्ना भवंति तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जति,

किसी समय प्रवृत्ति करते हुए अप्रमादी मुनि के शरीर का संस्पर्श पाकर कुछ प्राणी परिताप पाते हैं । कुछ प्राणि ग्लानि पाते हैं अथवा कुछ प्राणी मर जाते हैं, तो उसके इस जन्म में वेदन करने योग्य कर्म का बन्ध हो जाता है ।

आकुट्टि से (आगमोक्त विघ्नरहित-अविधिपूर्वक) प्रवृत्ति करते हुए जो कर्म-बन्ध होता है, उसको ज्ञपरिज्ञा से जानकर क्षय करे । इस प्रकार उसका (प्रमादवश किए हुए साम्प्रायिक कर्म बन्ध का) विलय (क्षय) अप्रमाद से (यथोचित प्रायश्चित्त से) होता है, ऐसा आगमवेत्ता शास्त्रकार कहते हैं ।

प्रासुक विहार स्वरूप प्ररूपण—

७४४. प्र०—हे भगवन् ! आपके प्रासुक विहार कौन सा है ?

उ०—हे सोमिल ! आराम (वगीचा), उद्यान, देवकुल, सभा, प्रपा (प्याऊ) आदि स्थानों में स्त्री, पशु, पण्डक (नपुंसक) रहित वसतियों में प्रासुक एषणीय पीठ, फलक, शय्या, संस्तरक आदि प्राप्त करके मैं विचरता हूँ । यह मेरे प्रासुक विहार हैं ।

भावित आत्मा अणगार की क्रिया का प्ररूपण—

७४५. प्र०—हे भगवन् ! सामने दोनों ओर युगमात्र (धूसर प्रमाण) भूमि को देखकर गमन करते हुए भावितात्मा अणगार के पाँव के नीचे मुर्गी का वच्चा, बतख का वच्चा या कुल्लिगच्छाय (चींटी जैसा सूक्ष्म जन्तु) आकर मर जाय तो, हे भगवन् ! उस अणगार को ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है या साम्प्रायिकी क्रिया लगती है ?

उ०—हे गौतम ! भावितात्मा अणगार को यावत् ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है, साम्प्रायिकी क्रिया नहीं लगती ।

प्र०—हे भगवान् ! किस कारण इस प्रकार कहा जाता है कि भावितात्मा अणगार को यावत् ऐर्यापथिकी क्रिया लाती है, साम्प्रायिकी क्रिया नहीं लगती ?

उ०—गौतम ! (वास्तव में) जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ व्यवच्छिन्न (अनुदय प्राप्त अथवा सर्वथा क्षीण) हो गये हैं, उस (११-१२-१३वें गुणस्थानवर्ती अणगार) को ही ऐर्यापथिकी क्रिया लगती है ।

१ (क) णाया सु. १, अ. ५, सु. ४६,

(ग) धम्म. भा. २, ख. ४, सु. ३०३, पृ. २७७ ।

(ख) धम्म. भा. १, ख. २, सु. १८७, पृ. ८७,

जस्त णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिन्ना भवन्ति
तस्त णं संपराइया किरिया कज्जइ ।

अहासुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया-कज्जइ ।

उत्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ,
से णं अहासुत्तमेव रीयति,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ अणगारस्स णं
भावियप्पणो-जाव-इरियावही किरिया कज्जइ नो संप-
राइया किरिया कज्जइ ।

—वि. स. १८, उ. ८, सु. १

संबुड अणगारस्स किरिया विहाणं—

७४६. प०—संबुडस्स णं भंते ! अणगारस्स आउत्तं गच्छमाणस्सं,

आउत्तं चिट्ठमाणस्सं,

आउत्तं निसीयमाणस्सं,

आउत्तं तुयट्ठमाणस्सं,

आउत्तं वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं. गिण्हमाणस्सं

वा, निक्खिवमाणस्सं वा, तस्स णं भंते ! किं इरिया-
वहिया किरिया कज्जइ ? संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! संबुडस्स णं अणगारस्स आउत्तं गच्छ-
माणस्स-जाव-आउत्तं वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं
गिण्हमाणस्सं वा, निक्खिवमाणस्सं वा, तस्स णं इरिया-
वहिया किरिया कज्जइ, णो संपराइया किरिया
कज्जइ ।

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ संबुडस्स णं अणगारस्सं
आउत्तं गच्छमाणस्स-जाव-णिक्खिवमाणस्सं वा, इरिया-
वहिया किरिया कज्जइ णो संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! जस्त णं कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिन्ना
भवन्ति, तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जइ, नो
संपराइया किरिया कज्जइ ।

जस्त णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिन्ना भवन्ति,
तस्स णं संपराइया किरिया कज्जइ ।

अहासुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कज्जइ
उत्सुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्जइ,

से णं अहासुत्तमेव रीयइ,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ संबुडस्स णं अण-
गारस्स आउत्तं गच्छमाणस्स-जाव-णिक्खिवमाणस्सं णो
संपराइया किरिया कज्जइ ।

—वि. स. ७, उ. ७, सु. १

जिसके- क्रोध, मान, माया और लोभ अव्यवच्छिन्न होते
हैं उनको साम्परायिकी क्रिया लगती है ।

क्योंकि वही यथासूत्र (आगम) के अनुसार प्रवृत्ति करने
वाले अणगार को ईर्यापथिकी क्रिया लगती है और उत्सूत्र प्रवृत्ति
करने वाले को साम्परायिकी क्रिया लगती है ।

इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि भावि-
तात्मा अणगार को—यावत्—इरियावही क्रिया लगती है साम्प-
रायिक क्रिया नहीं लगती है ।

संवृत्त अणगार की क्रिया का प्ररूपण :—

७४६. प्र०—हे भदन्त ! उपयोगपूर्वक गमन करने वाला,

उपयोगपूर्वक खड़ा रहने वाला,

उपयोगपूर्वक बैठने वाला,

उपयोगपूर्वक करवट बदलने वाला,

उपयोगपूर्वक वस्त्र-पात्र-कम्बल-पादप्रोच्छन्नक ग्रहण करने
वाला, निक्षेप करने वाला (रखने वाला) संवृत्त अणगार ईर्या-
पथिकी क्रिया करता है ? साम्परायिकी क्रिया करता है ?

उ०—गौतम ! उपयोगपूर्वक गमन करने वाला—यावत्—
उपयोगपूर्वक वस्त्र-पात्र-कम्बल-पादप्रोच्छन्न ग्रहण करने वाला—
निक्षेप करने वाला संवृत्त अणगार ईर्यापथिकी क्रिया करता है—
साम्परायिकी क्रिया नहीं करता है ।

प्र०—हे भदन्त ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—
उपयोगपूर्वक गमन करने वाला—यावत्—निक्षेप करने वाला
संवृत्त अणगार ईर्यापथिकी क्रिया करता है । साम्परायिकी क्रिया
नहीं करता है ?

उ०—गौतम ! जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न
(नष्ट) हो गये हैं उसको ईर्यापथिकी क्रिया होती है, साम्परायिकी
क्रिया नहीं होती है ।

जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ अव्युच्छिन्न (नष्ट नहीं हुए)
हैं उसको साम्परायिकी क्रिया होती है ।

यथाश्रुत से व्यवहार करने वाले को ईर्यापथिकी क्रिया होती
है । उत्सूत्र से व्यवहार करने वाले को साम्परायिकी क्रिया
होती है ।

(उपयोगपूर्वक गमनादि करने वाला संवृत्त अणगार) यथासूत्र
व्यवहार करता है ।

इस प्रयोजन से गौतम ! ऐसा कहा जाता है । संवृत्त
अणगार को उपयोगपूर्वक गमन करने वाले को—यावत्—साम्प-
रायिकी क्रिया नहीं होती है ।

निषेध कल्प—२

अथिर कट्टाइ उवरिगमण णिसेहो—

७४७. होज्ज कट्ठं सिलं वा वि, इट्ठालं वा वि एगया ।
ठवियं संकमट्ठाए, तं च होज्ज चलाचलं ॥
न तेण भिक्खू गच्छेज्जा, दिट्ठो तत्थ असंजमो ।
गंभीरं श्वासिरं चेष, सच्चिदियसमाहिण ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ६६-६७

मुणी इंगलाइं न अइक्कमे —

७४८. इंगालं छारियं रासि, तुसरसि च गोमयं ।
ससरख्खेहिं पाएहिं, संजमो तं न अइक्कमे ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ७

राईए-गमण णिसेहो—

७४९. नो कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा,
राओ वा वियाले वा,
अट्ठाणगमणं एत्तए ।

—कप्प. उ. १, सु. ४६

गोणाइ भएण उम्मगग गमण णिसेहो—

७५०. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
से गोणं वियालं पडिपहे पेहाए-जाव-चित्तचेत्तलडयं वियालं
पडिपहे पेहाए णो तेसि भीतो उम्मगगेणं गच्छेज्जा, णो
मग्गातो मग्गं संकमेज्जा, णो गहणं वा वणं वा दुग्गं वा
अणुपवित्सेज्जा, णो ख्खंसि बुरुहेज्जा, णो महत्तिमहालयंसि
उदयंसि कायं विओमेज्जा, णो वाडं वा, सरणं वा, सेणं वा,
सत्थं वा कंखेज्जा, अप्पुस्सुए-जाव-समाहीए, ततो संजयामेव
गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५१५

दस्सुगायतणमग्गेण गमण णिसेहो—

७५१. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
से विरुवरुवाणि पच्चंतिकाणि दसुगायतणाणि मिलक्खूणि
अणारियाणि दुस्सणप्पाणि दुप्पणवणिज्जाणि अकालपडि-
बोहीणि अकालपरिभोईणि, सति लार्डे विहाराए संथरमाणेहिं
जणवएहिं णो विहारवत्तियाए पवज्जेज्जा गमणाए ।

अस्थिर काष्ठादि के ऊपर होकर जाने का निषेध—

७४७. यदि कभी काठ, शिला या ईंट के टुकड़े संक्रमण के लिए रखे हुए हों और वे चलाचल हों तो सर्वेन्द्रिय समाहित भिक्षु उन पर होकर न जाये। इसी प्रकार वह प्रकाश-रहित और पोली भूमि पर से न जाये। भगवान् ने वहाँ असंयम देखा है।

भिक्षु कोयलादि का अतिक्रमण न करे—

७४८. संयमी मुनि सचित्त-रज से भरे हुए पैरों से कोयले, राख, भूसे और गोबर के ढेर के ऊपर होकर न जाये।

रात्रिगमन निषेध—

७४९. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को—
रात्रि में या विकाल में।

विहार (ग्रामानुग्राम मार्ग गमन) करना नहीं कल्पता है।

साँड आदि के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेध—

७५०. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी यदि मार्ग में मदोन्मत्त साँड विपैला साँप—यावत्—चीते आदि हिंसक पशुओं को सम्मुख आते देखे तो उनसे भयभीत होकर न उन्मार्ग से जावे, न एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर संक्रमण करे न गहन, वन एवं दुर्गम स्थान में प्रवेश करे, न वृक्ष पर चढ़े, न गहरे तथा विस्तृत जल में प्रवेश करे और न सुरक्षा के लिए किसी बाड़ की, शरण की, सेना की या शस्त्र की आकांक्षा करे। अपितु शरीर और उपकरणों के प्रति राग-द्वेष रहित होकर काया का व्युत्सर्ग करे, आत्मैकत्वभाव में लीन हो—यावत्—समाधिभाव में स्थिर रहे। उन्मत्त तिर्यच आदि के चले जाने पर वह यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे।

दस्यु प्रदेश के मार्ग से गमन का निषेध :—

७५१. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में विभिन्न देशों की सीमा पर रहने वाले दस्युओं के, म्लेच्छों के या अनार्यों के स्थान मिलें, तथा जिन्हें बड़ी कठिनता से आर्यों का आचार समझाया जा सकता है, जिन्हें दुःख से धर्म-बोध देकर अनार्य-कर्मों से हटाया जा सकता है, ऐसे अकाल (कुसमय) में जागने वाले, कुसमय में खाने-पीने वाले मनुष्यों के स्थान मिलें तो अन्य ग्राम आदि में विहार हो सकता हो या अन्य आर्य-जनपद विद्यमान हों तो प्रासुक-भोजी साधु उन म्लेच्छादि के स्थानों में विहार करने की दृष्टि से जाने का मन में संकल्प न करे।

केवली बूया-आयाणमेव ।

तेणं वाला "अयं तेणे, अयं उवचरए, अयं ततो आगते" त्ति कट्ठु तं भिक्खू अक्कोसेज्ज वा, वहेज्ज वा, रुभेज्ज वा, उद्वेज्ज वा, वत्थं वा-जाव-पादपुच्छं अच्छिदेज्ज वा, भिदेज्ज वा, अवहरेज्ज वा, परिद्वेज्ज वा ।

अह भिक्खूणं पुच्चोवट्ठिण पइण्णा-जाव-उवएसे जं तहप्पगा-राणि विरुवरुवाणि पच्चंतियाणि दसुगायतणाणि-जाव-णो विहारवत्तियाए पवज्जेज्जा गमणाए । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. १, सु. ४७१

निषिद्ध खेतों में विहार-करणस्त प्रायश्चित्त सूत्र—

७५२. (जे भिक्खू विहं अणेगाह-गमणिज्जं सति लाढे विहाराए संयरमाणेसु जणवएसु विहार-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विरुवरुवाइं दसुयायणाइं अणारियाइं मिलक्खूइं पच्चंतियाइं सति लाढे विहाराए संयरमाणेसु जणवएसु विहार-पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।)

—(नि. उ. १६, सु. २६-२७)

आमोसगाणं भएण उम्मग गमण णिसेहो—

७५३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से विहं सिया, सेज्जं पुण विहं जाणेज्जा, इमंसि खलु विहंसि वहवे आमोसगा उवकरणपडियाए संपडिया गच्छेज्जा, णो तेसि भीओ उम्मगेणं गच्छेज्जा-जाव-समा-हिए । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५१६

आमोसगउवसगे तुसिणीए होज्जा—

७५४. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से आमोसगा संपडिया गच्छेज्जा, ते णं आमोसगा एव वदेज्जा—“आउसंतो समणा ! आहर एयं वत्थं वा-जाव-पादपुच्छं वा देहि, णिक्खिवाहि,” तं णो देज्जा, णिक्खिवाज्जा, णो वंदिय जाएज्जा, णो अंजलि कट्ठु

केवली भगवान् कहते हैं—वहाँ जाना कर्मवत्त का कारण है, क्योंकि—वे म्लेच्छ, अजानी लोग साधु को देखकर—“यह चोर है, यह हमारे शत्रु के गाँव से आया है”, यों कहकर वे उस भिक्षु को गाली-माली देंगे, कोसेंगे, रस्सों से बाँधेंगे, कोठरी में बन्द कर देंगे, उपद्रव करेंगे, उसके वस्त्र—यावत्—पाद-पुच्छ आदि उपकरणों को तोड़-फोड़ डालेंगे, अपहरण कर लेंगे या उन्हें कहीं दूर फेंक देंगे, (क्योंकि ऐसे स्थानों में यह सब सम्भव है) ।

इसीलिए तीर्थंकर आदि आप्त पुरुषों द्वारा भिक्षुओं के लिए पहले से ही निर्दिष्ट यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश है कि भिक्षु उन सीमा प्रदेशवर्ती दस्यु स्थानों में—यावत्—विहार की दृष्टि से जाने का संकल्प भी न करें । अतः इन स्थानों को छोड़कर संयमी साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे ।

निषिद्ध क्षेत्रों में विहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

७५२. जो भिक्षु आहार आदि भुविद्या से प्राप्त होने वाले जनपदों के होते हुए भी बहुत दिन लगे ऐसे लम्बे मार्ग से जाने का संकल्प करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु आहारादि भुविद्या से प्राप्त होने वाले जनपदों के होते हुए भी सीमा पर रहने वाले अनेक प्रकार के दस्यु, अनार्य, म्लेच्छ आदि (जहाँ रहते हैं) ऐसे जनपदों की ओर विहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उस भिक्षु को चातुर्नास्तिक उद्घातिक (परिहारस्थान) (प्रायश्चित्त) जाता है ।

चोरों के भय से उन्मार्गं गमन का निषेध—

७५३. ग्रामानुग्राम विहार करते साधु-साध्वी यह जाने कि मार्ग में अनेक दिनों में पार करने योग्य अटवी मार्ग है । उस अटवी मार्ग में अनेक चोर (लुटेरे) इकट्ठे होकर साधु के उपकरण छीनने की दृष्टि से आ जाएँ तो साधु उनसे भयभीत होकर उन्मार्गं में न जाये—यावत्—प्रनाधिभाव में स्थिर रहे । चोरों का उपसर्ग समाप्त होने पर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचारण करे ।

चोरों का उपसर्ग होने पर मौन रहे—

७५४. ग्रामानुग्राम विचारण करते हुए साधु के पास यदि मार्ग में चोर (लुटेरे) संगठित होकर आ जाएँ और वे उससे कहें कि “आयुष्मन् श्रमण ! ये वस्त्र—यावत्—पादपुच्छ आदि लाओ, हमें दे दो, या यहाँ पर रख दो ।” इस प्रकार कहने पर साधु उन्हें वे (उपकरण) न दे, और न निकाल कर भूमि पर रखे ।

जाएज्जा, णो कलुणपणियाए जाएज्जा, धम्मियाए जायणाए जाएज्जा तुसिणीयभावेण वा उवेहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५१७

आमोसगेहि उवहि अवहरिए अभिओग णिसेहो—

७५५. ते णं आमोसगा सयं करणिज्जं ति कट्टु अक्कोसंति वा-जाव-उद्वेति वा वत्थं वा-जाव-पादपुंछणं वा अच्छि-वेज्ज वा-जाव-परिट्ठवेज्ज वा तं णो गामसंसारियं कुज्जा, णो रायसंसारियं कुज्जा, णो परं उवसंकमित्तु ब्रूया—आउ-संतो गाहावती एते खलु आमोसगा उवकरणपडियाए सयं करणिज्जं ति कट्टु अक्कोसंति वा-जाव-परिट्ठवेति वा । एत्तप्पगारं मणं वा वइं वा णो पुरतो|कट्टु विहरेज्जा । अप्पु-सुए-जाव-समाहिए ततो संजयामेव गामाणुगामं ब्रूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५१८

अण्णेण उवहि वहावणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

७५६. जे भिक्खू अण्णउत्तियेण वा गारत्तियेण वा उवहि वहावेइ वहावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ४०

पाडिपहियाणं पुच्छिए मोणं कायत्वं—

७५७. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं ब्रूइज्जमाणे, अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेज्जा, ते णं पाणिपहिया एवं वहेज्जा—आउसंतो समणा ! केवतिए एस गामे वा-जाव-रायहाणी वा, केवतिया एत्थ आसा हत्थी गामपिडोलगा मणुस्सा परिवसति ? से बहुमत्ते बहुउदए बहुजणे बहुजवसे ? से अप्पमत्ते अप्पुदए अप्पजणे अप्पजवसे ? एत्त-प्पगाराणि पसिणाणि पुट्ठो णो आइक्खेज्जा, एत्तप्पगाराणि पसिणाणि णो पुच्छेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. २, सु. ५०२

मगे गिहत्थेहि सद्धि आलाव णिसेहो—

७५८. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गामाणुगामं ब्रूइज्जमाणे णो परेहि सद्धि परिजविय परिजविय गामाणुगामं ब्रूइज्जेज्जा । ततो संजयामेव गामाणुगामं ब्रूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. २, सु. ४६२

अगर वे बलपूर्वक लेने लगे तो उन्हें पुनः लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशंसा) करके, हाथ जोड़कर या दीन-वचन कहकर याचना न करे । यदि माँगना हो तो धर्मवचन कहकर समझाकर माँगे अथवा मौनभाव धारण करके उपेक्षाभाव से रहे ।

चोरों द्वारा उपधि छीन लेने पर फरियाद न करे—

७५५. यदि चोर अपना कर्तव्य (जो करना है) जानकर साधु को कोसे—यावत्—गाली-गलौज करे—यावत्—उपद्रव करे और उसके वस्त्र—यावत्—पादपोंछन को फाड़ डालें, तोड़फोड़ दे—यावत्—दूर फेंक दे, तो भी वह साधु ग्राम में जाकर लोगों से उस बात को न कहे, न ही राजा या सरकार के आगे फरियाद करे, न ही किसी गृहस्थ के पास जाकर कहे कि “आयुष्मन् गृहस्थ !” इन चोरों (लुटेरों) ने हमारे उपकरण छीनने के लिए अथवा करणीय कृत्य जानकर हमें गाली-गलौज की है—यावत्—हमारे उपकरणादि नष्ट करके दूर फेंक दिये हैं” ऐसे कुविचारों को साधु मन में भी न लाये और न वचन से व्यक्त करे । अपितु रागद्वेष रहित होकर—यावत्—समाधिभाव में स्थिर रहे । चोरों का उपद्रव समाप्त होने पर वह यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

अन्य से उपधि वहन करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७५६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से उपधि का वहन करवाता है, वहन करवाने के लिए कहता है, वहन करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पथिकों के पूछने पर मौन रहना चाहिए—

७५७. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में सामने से आते हुए पथिक मिलें और वे साधु से यों पूछें— “हे आयुष्मन् श्रमण ! यह गाँव कितना बड़ा या कैसा है ? —यावत्—यह राजधानी कैसी है ? यहाँ पर कितने घोड़े, हाथी तथा भिखारी व कितने मनुष्य निवास करते हैं (क्या इस गाँव —यावत्—राजधानी में) प्रचुर अाहार, पानी, मनुष्य एवं धान्य है ? अथवा अल्प आहार पानी मनुष्य एवं धान्य है ?” इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर साधु उसका उत्तर न दे । उन प्रति पथिकों से भी इस प्रकार के प्रश्न न पूछे । उसके द्वारा न पूछे जाने पर भी वह ऐसी बातें न करें ।

मार्ग में गृहस्थों से वार्तालाप का निषेध—

७५८. साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए गृहस्थों के साथ बहुत अधिक वार्तालाप करते न चलें, किन्तु ईर्यासमिति का यथाविधि पालन करते हुए ग्रामानुग्राम विहार करें ।

मग्नो वप्पाइ अवलोयण णिसेहो—

७५६. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामानुगामं द्दुइज्जमाणे अंतरा से वप्पाणि वा—जाव-दरीओ वा कूडागाराणि वा, पासा-दाणि वा, णूमगिहाणि वा, रूक्खगिहाणि वा, पव्वतगिहाणि वा, रूक्खं वा, चैतियकडं थूमं वा, चैतियकडं आएसणाणि वा, आयतणाणि वा, देवकुलाणि वा, सहाणि वा, पवाणि वा, पणियगिहाणि वा, पणियसालाओ वा, जाणगिहाणि वा, जाणसालाओ वा, सुहाकम्मंताणि वा, दढ्भकम्मंताणि वा, वक्ककम्मंताणि वा, चम्मकम्मंताणि वा, वणकम्मंताणि वा, इंगालकम्मंताणि वा, कट्ठकम्मंताणि वा, सुसाण-कम्मंताणि वा, गिरिकम्मंताणि वा, कंदर-कम्मंताणि वा, संति कम्मंताणि वा, सेलोवट्ठाण कम्मंताणि वा, भवण-गिहाणि वा णो बाहाओ पगिज्झय पगिज्झय अंगुलियाए, उद्दिसिय उद्दिसिय ओणमिय ओणमिय, उण्णमिय उण्णमिय णिज्झाएज्जा । ततो संजयामेव गामानुगामं द्दुइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०४

मग्नो कच्छाइ अवलोयण णिसेहो—

७६०. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामानुगामं द्दुइज्जमाणे अंतरा से कच्छाणि वा, रवियाणि वा, णूमाणि वा, वलयाणि वा, गहणाणि वा, गहणविदुग्गाणि वा, वगाणि वा, वणविदुग्गाणि वा, पव्वताणि^१ वा, पव्वतविदुग्गाणि वा, अगडाणि वा, तलागाणि वा, दह्णि वा, णदीओ वा, वावीओ वा, पोक्ख-रणीओ वा, दीहियाओ वा, गुंजालियाओ वा, सराणि वा, सरपंतियाणि वा, सरसरपंतियाणि वा णो बाहाओ पगिज्झय-जाव-णिज्झाएज्जा ।

केवली बूया—आयाणमेयं ।

जे तत्थ मिगा वा, पसुया वा, पक्खी वा, सरीसिवा वा, सीहा वा, जलचरा वा, थलचरा वा, खहचरा वा, सत्ता ते, उत्तसेज्ज वा, वित्तसेज्ज वा, वाडं वा, सरणं वा कंखेज्जा, चारे ति मे अयं समणे ।

अह भिक्खूणं पुव्वोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं णो बाहाओ पगिज्झय-जाव-णिज्झाएज्जा । ततो संजयामेव आयरिय-उवज्जाहिं सिद्धिं गामानुगामं द्दुइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०५

मार्ग में वप्र आदि अवलोकन-निषेध—

७५६. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी मार्ग में आने वाले उन्नत टेकरे, खाइयां—यावत्—गुफाएँ या भूगर्भ गृह तथा कूटागार (पर्वत पर बने घर) प्रासाद, भूमिगृह, वृक्षों को काटछांट कर बनाए हुए गृह, पर्वत पर बना हुआ घर, चैत्य-वृक्ष, चैत्य-स्तूप, लोहकार आदि की शाला, आयतन, देवालय, सभा, प्याऊ, दूकान, गोदाम, यानगृह, यानशाला चूने का, दर्भ-कर्म का, वल्कल कर्म का, चर्म-कर्म का, वन-कर्म का कोयले बनाने का, काष्ठ-कर्म का कारखाना, तथा श्मशान, पर्वत, गुफा आदि में बने हुए गृह, शान्तिकर्म गृह, पापाण मण्डप एवं भवनगृह आदि को वाहें वार-वार ऊपर उठाकर, अंगुलियों से निर्देश करके, शरीर को ऊँचा-नीचा करके ताक-ताक कर न देखे, किन्तु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करने में प्रवृत्त रहे ।

मार्ग में कच्छादि अवलोकन निषेध—

७६०. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वियों के मार्ग में यदि कच्छ (नदी के निकटवर्ती नीचे प्रदेश), घास के संग्रहार्थ राजकीय त्यक्त भूमि, भूमिगृह, नदी आदि से वेष्टित भूभाग, गम्भीर निर्जल प्रदेश, पर्वत के एक प्रदेश में स्थित वृक्षवल्ली समुदाय, गहन दुर्गम वन, गहन दुर्गम पर्वत, अरण्य पर्वत पर भी दुर्गम स्थान, कूप, तालाव, द्रह, (झीलें), नदियाँ, वावड़ियाँ, पुष्कणियाँ, दीर्घिकाएँ (लम्बी वावड़ियाँ), गहरे और टेढ़े-मेढ़े जलाशय, बिना खोदे तालाव, सरोवर, सरोवर की पंक्तियाँ और बहुत से मिले तालाव हों तो उन्हें अपनी भुजाएँ ऊँची उठाकर, (अंगुलियों से संकेत करके तथा शरीर को ऊँचा-नीचा करके) — यावत्— ताक-ताक कर न देखे ।

केवली भगवान् कहते हैं यह कर्मबन्ध का कारण है ।

क्योंकि ऐसा करने से जो इन स्थानों में मृग, पशु, पक्षी, सांप, सिंह, जलचर, स्थलचर, खेचर, जीव रहते हैं, वे साधु की इन असंयममूलक चेष्टाओं को देखकर त्रास पायेंगे, विव्रस्त होंगे, किसी वाड़ की शरण चाहेंगे तथा वहाँ रहने वाले यह विचार करेंगे कि यह साधु हमें हटा रहा है ।

अतः तीर्थकरों ने पहले से ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश किया है कि साधु अपनी भुजाएँ ऊँची उठाकर— यावत्—ताक-ताक कर न देखे अपितु यतनापूर्वक आचार्य और उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ संयम का पालन करे ।

१ तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि य । रूक्खा महल्ल पेहाए, मेवं भासेज्ज पण्णवं ॥

अण्डतियएहि सद्धि निक्खमण-पवेस-णिसेहो—

७६१. से भिक्षु वा भिक्षुणी वा वहिया वियारभूमि वा, विहारभूमि वा, निक्खममाणे वा, पविसमाणे वा, णो अण्डतियएण वा, गारतियएण वा, परिहारिओ अपरिहारिण वा सद्धि वहिया वियारभूमि वा, विहारभूमि वा निक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३२८

अण्डतिययाइहि सद्धि गामाणुगामगमण णिसेहो—

७६२. से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गामाणुगामं द्दुइज्जमाणे णो अण्डतियएण वा गारतियएण वा परिहारिओ अपरिहारिण वा सद्धि गामाणुगामं द्दुइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३२८

अण्डतिययाइहि सद्धि निक्खममाणस्स पविसमाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

७६३. जे भिक्षु अण्डतियएण वा गारतियएण वा परिहारिण वा अपरिहारिण सद्धि गाहावइकुलं पिण्डवायपटियाए निक्खमइं वा अणुपविसइ वा निक्खमंतं वा अणुपविसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अण्डतियएण वा गारतियएण वा परिहारिओ अपरिहारिण सद्धि वहिया विहार-भूमि वा, वियार-भूमि वा निक्खमइ वा पविसइ वा निक्खमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४०-४१

अण्डतिययाइहि सद्धि गामाणुगामं द्दुइज्जमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

७६४. जे भिक्षु अण्डतियएण वा गारतियएण वा परिहारिओ अपरिहारिण सद्धि गामाणुगामं द्दुइज्जइ, व्दुइज्जंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४२

निसिद्धशय्या पविसण पायच्छित्तसुत्तं—

७६५. जे भिक्षु सागारियं सेज्जं अणुपविसइ अणुपविसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु सोदगं सेज्जं अणुपविसइ अणुपविसंतं वा साइज्जइ ।

अन्यतीर्थिक आदि के साथ निष्क्रमण व प्रवेश निषेध—

७६१. भिक्षु या भिक्षुणी वाहर विचार भूमि (शौचादि हेतु स्थंडिल भूमि) या विहार (स्वाध्याय) भूमि से लौटते या वहाँ प्रवेश करते हुए अन्यतीर्थिक या परपिण्डोपजीवी गृहस्थ (याचक) के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक (आचरण शिथिल) साधु के साथ न तो विचार-भूमि या विहार-भूमि से लौटें, न प्रवेश करें ।

अन्यतीर्थिकादि के साथ ग्रामानुग्राम गमन का निषेध—

७६२. एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए भिक्षु या भिक्षुणी अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक के साथ ग्रामानुग्राम विहार न करें ।

अन्यतीर्थिकादि के साथ प्रवेश और निष्क्रमण के प्रायश्चित्त सूत्र—

७६३. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक के साथ गाथापतिकुल में आहार की प्राप्ति के लिए निष्क्रमण करता है या प्रवेश करता है, निष्क्रमण कराता है या प्रवेश कराता है, निष्क्रमण करने वाले का या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक या अपारिहारिक के साथ (ग्राम से) वाहर की स्वाध्याय भूमि में या स्थण्डिल भूमि में निष्क्रमण करता है या प्रवेश करता है, निष्क्रमण कराता है या प्रवेश कराता है तथा निष्क्रमण करने वाले का या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अन्यतीर्थिक आदि के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७६४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक एवं गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक के साथ ग्रामानुग्राम जाता है, जाने के लिए अन्य को कहता है, जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निसिद्ध शय्याओं में प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७६५. जो भिक्षु सागारी की शय्या में प्रवेश करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पानी वाली शय्या में प्रवेश करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्खू सागणियं सेज्जं अणुपविसइ अणुपविसंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. १-३ आता है ।

जो भिक्षु अग्नि वाली शय्या में प्रवेश करता है, करता है,
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)



विधि-निषेध कल्प-३

भिक्खुस्स गमणस्सविहि णिसेहो—

७६६. अणुन्नए नावणए अप्पहिट्ठे अणाउले ।
इंदियाणि जहाभागं दमइत्ता मुणी चरे ।।

द्वदवस्स न गच्छेज्जा^१ भासमाणो य गोयरे ।
हंसतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १३-१४

विसममगे गमणस्सविहि णिसेहो—

७६७. ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए ।
संकेमण न गच्छेज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥

पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए ।
हिंसेज्ज पाणभूयाइं, तसे अट्टुव थावरे ॥

तम्हा तेण न गच्छेज्जा, संजए सुसमाहिए ।
सइ अन्नेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ४-६

भिक्खट्ठागमणमगस्सविहि णिसेहो—

७६८. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावत्तिकुलं पिंडवाय पडियाए
अणुपविट्ठे समाणे अंतरा से वप्पाणि वा, फलिहाणि वा,
पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अगलाणि वा, अगलपास-
गाणि वा, गड्ढाओ वा, दरिओ वा, सत्ति परिक्रमे संजया-
मेव परक्कमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेज्जा ।

केवली बूया—आयाणमेयं ।

से तत्थ परक्कममाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से तत्थ
पयलमाणे वा, पवडमाणे वा तत्थ से काए उच्चारणे वा,

भिक्षु के चलने के विधि-निषेध—

७६६. मुनि ऊँचा मुँह कर, झुककर, हूँट होकर, आकुल होकर
न चले (किन्तु) इन्द्रियों को (अपने अपने विषय के अनुसार)
दमन कर चले ।

उच्च-नीच कुल में गोचरी गया हुआ मुनि दौड़ता हुआ न
चले, बोलता और हंसता हुआ न चले ।

विषम मार्ग से जाने के विधि निषेध—

७६७. दूसरे मार्ग के होते हुए गहरे गड्ढे को, विषम भू-भाग
को, कटे हुए सूखे पेड़ को, अनाज के डंठल और पंकिल मार्ग को
टाले तथा संक्रम (जल या गड्ढे को पार करने के लिए काष्ठ या
पाषाण-रचित पुल) के ऊपर से न जाये ।

क्योंकि वहाँ गिरने या लड़खड़ा जाने से वह संयमी प्राणियों,
भूतों, त्रस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा करता है,

इसलिए सुसमाहित संयमी दूसरे मार्ग के होते हुए उस मार्ग
से न जाये । यदि दूसरा मार्ग न हो तो यतनापूर्वक जाये ।

भिक्षार्थ गमन मार्ग के विधि निषेध—

७६८ वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के यहाँ आहारार्थ जाते
समय रास्ते के बीच में ऊँचे टेकरे या खेत की क्यारियाँ हों या
खाइयाँ हों, या कोट हो, बाहर के द्वार (बंद) हो, आगल हो,
अगला-पाशक हो, गड्ढे हों, गुफा हो तो दूसरा मार्ग होते हुए
संयमी साधु उस मार्ग से न जाए ।

केवली भगवान् ने कहा है—यह कर्मवन्ध का मार्ग है ।

उस विषम-मार्ग से जाते हुए भिक्षु फिसल जाएगा या डिग
जाएगा, अथवा गिर जाएगा । फिसलने, डिगने या गिरने पर

पांसवणेण वा, खेलेण वा, सिंघाणएण वा, वंतेण वा, पित्तेण वा, पूएण वा, सुक्केण वा, सोणिणएण वा उवलित्ते सिया ।

तहप्पगारं कायं णो अणंतरंहियाए पुढवीए, णो ससणिद्धाए पुढवीए, णो ससरक्खाए पुढवीए, णो चित्तमंताए सिलाए, णो चित्तमंताए लेलूए, कोलावाससि वा दारुए जीव पतिट्ठित्ते सअडे-जाव-संताणए णो आमज्जेज्ज वा, णो पमज्जेज्ज वा, णो संलिहेज्ज वा, णो णिल्लिहेज्ज वा, णो आयावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा ।

से पुष्वामेव अप्प ससरक्खं तणं वा, पत्तं वा, कट्ठं वा, सक्करं वा जाएज्जा, जाइत्ता से त्तमायाए एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अहे क्षामथंङ्गिल्लंसि वा, अट्ठिरांसिसि वा, किट्टरांसिसि वा, तुसर्रांसिसि वा, गोमयरांसिसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि पडिलेहिय, पडिलेहिय, पमज्जिअ पमज्जिअ ततो संजयामेव आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, संलिहेज्ज वा णिल्लिहेज्ज वा, आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ५, सु. ३५३

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा-जाव-अणुपविट्ठे समाणे अंतरा से ओवाए वा, खाणुं वा, कंटए वा, घसी वा, भिलुगा वा, विसमे वा, विज्जले वा, परियावज्जेज्ज सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ५, सु. ३५५

ग्रामानुग्राम गमनस्सविहिणिसेहो—

७६९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा ग्रामानुग्रामं दूइज्जमाणे पुरओ जुगमायं पेहमाणे दट्ठूणं तसे पाणे उट्टट्ठु पादं रीएज्जा, साहट्ठु पादं रीएज्जा, वित्तिरिच्छं वा कट्ठु पादं रीएज्जा, सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्जा, ततो संजयामेव ग्रामानुग्रामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. १, सु. ४६९

उस भिक्षु का शरीर, मल, मूत्र, कफ, लीट, वमन, पित्त, मवाद, शुक्र (वीर्य) और रक्त से लिपट सकता है ।

अगर कभी ऐसा हो जाए तो वह भिक्षु मूत्रादि से उपलिप्त शरीर को सचित्त पृथ्वी से, सचित्त चिकनी मिट्टी से, सचित्त रज-वाली पृथ्वी से, सचित्त शिलाओं से, सचित्त पत्थर या ढेले से, या धुन लगे हुए काष्ठ से, जीवयुक्त काष्ठ से एवं अण्डे—यावत्—जालों आदि से युक्त काष्ठ आदि से अपने शरीर को न एक बार साफ करे, न बार बार साफ करे। न एक बार घिसे, और न बार-बार घिसे। न एक बार धूप में सुखाए न बार बार धूप में सुखाए ।

(पैर फिसल जाने या गिर पड़ने पर भिक्षु का शरीर यदि मलमूत्र, कफादि से खरड़ा जाए तो—)

वह भिक्षु पहले सचित्त—रज आदि से रहित तृण पत्र, काष्ठ, कंकर आदि की याचना करे। याचना से प्राप्त करके एकान्त स्थान में जाए वहाँ जाकर दग्ध (जली हुई) भूमि पर, हड्डियों के ढेर पर, लोह कीट के ढेर पर, तुप (भूसे) के ढेर पर, सूखे गोबर के ढेर पर, या उसी प्रकार की अन्य भूमि का प्रति-लेखन तथा प्रमार्जन करके यतनापूर्वक संयमी साधु स्वयमेव अपने शरीर को काष्ठ आदि से एक बार साफ करे या बार बार साफ करे, एक बार रगड़े या बार-बार रगड़े, एक बार धूप में सुखाए या बार-बार सुखाए ।

साधु-साध्वी—यावत्—भिक्षा के लिए जा रहे हों, मार्ग में बीच में यदि गड्ढा हो, खूँटा हो या ठूँठ पड़ा हो, कांटे हों, उतराई की भूमि हो, फटी हुई काली जमीन हो, ऊँची-नीची भूमि हो, या कीचड़ अथवा दलदल पड़ता हो, (ऐसी स्थिति में) दूसरा मार्ग हो तो संयमी साधु स्वयं उसी मार्ग से जाए, किन्तु जो (गड्ढे आदि वाला विषम किन्तु) सीधा मार्ग है, उससे न जाए ।

ग्रामानुग्रामगमन के विधि निषेध—

७६९. साधु या साध्वी एक ग्राम या दूसरे ग्राम विहार करते हुए अपने सामने की युग मात्र (गाड़ी के जुंए के बराबर चार हाथ प्रमाण) भूमि को देखते हुए चले, और मार्ग में त्रस जीवों को देखे तो पैर के अग्रभाग को उठाकर चले। यदि दोनों ओर जीव हो तो पैरों को सिकोड़ कर चले अथवा पैरों को तिरछे-टेढ़े रखकर चले (यह विधि अन्य मार्ग के अभाव में बताई गई है) यदि दूसरा कोई साफ मार्ग हो, तो उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाए किन्तु जीव जन्तुओं से युक्त सरल (सीधे) मार्ग से न जाए। उसी (जीव-जन्तु रहित) मार्ग से यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करना चाहिए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे णो मट्टियागतेहिं पाएहिं हरियाणी छिदिय छिदिय विकुज्जिय विकुज्जिय विफालिय विफालिय उम्मगेणं हरियवघाए गच्छेज्जा जहेयं पाएहिं मट्टियं खिप्पामेव हरियाणि अवहरंतु । माइट्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्जा । से पुव्वामेव अप्प-हरियं मगं पडिलेहेज्जा, पडिलेहिंत्ता ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से वप्पाणि वा-जाव-दरीओ वा, सत्ति परवकमे संजयामेव परवकमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेज्जा ।

केवली बूया—आयाणमेयं ।

से तत्थ परवकममाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, रुक्खाणि वा गुच्छाणि वा, गुम्माणि वा, लयाओ वा, वल्लीओ वा, तणाणि वा, गहणाणि वा, हरियाणि वा अवलंविद्य अवलंविद्य उत्तरेज्जा, जे तत्थ पडिपहिया उवागच्छंति ते पाणो जाएज्जा, जाइत्ता ततो संजयामेव अवलंविद्य अवलंविद्य उत्तरेज्जा । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. २, सु. ४६८-४६९

आयारियाएहिं सद्धिं गमणविहिं णिसेहो—

७७०. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा आयारिय उवज्झाएहिं सद्धिं गामाणुगामं दूइज्जमाणे णो आयारिय उवज्झायस्स हत्थेण हत्थं पाएण पायं, काएण कायं आसाएज्जा से अणासाइए अणासायमाणे ततो संजयामेव आयारिय उवज्झाएहिं सद्धिं गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०६

मग्गे आयारियाईणं विणओ—

७७१. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा आयारिय-उवज्झाएहिं सद्धिं दूइज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी गीली मिट्टी एवं कीचड़ से भरे हुए अपने पैरों से हरितकाय का छेदनकर बार-बार छेदन करके तथा हरे पत्तों को बहुत मोड़-तोड़ कर या दबाकर एवं उन्हें चीर-चीरकर मसलता हुआ मिट्टी न उतारे न हरित काय की हिंसा करने के लिए उन्मार्ग में इस अभिप्राय से जाए कि पैरों पर लगी हुई कीचड़ और यह गीली मिट्टी यह हरियाली अपने आप हटा देगी । ऐसा करने वाला साधु माया-स्थान का स्पर्श करता है । साधु को इस प्रकार नहीं करना चाहिये । वह पहले ही हरियाली से रहित मार्ग का प्रतिलेखन करे (देखें) और तब उसी मार्ग से यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी के मार्ग में यदि बड़े ऊँचे टेकरे या खेत की क्यारियाँ—यावत्—गुफाएँ हों तो अन्य मार्ग के होते हुए उस मार्ग से ही यतनापूर्वक गमन करे, किन्तु ऐसे सीधे विपम मार्ग से गमन न करे ।

केवली भगवान् ने कहा—यह मार्ग (निरापद न होने से) कर्म-बन्ध का कारण है ।

ऐसे विपम मार्ग से जाने से साधु-साध्वी का पैर आदि फिसल सकता है, वह गिर सकता है । कदाचित् उसका पैर आदि फिसलने लगे या वह गिरने लगे तो वहाँ जो भी वृक्ष, गुच्छ, पत्तों का समूह या फलों का गुच्छा, (झाड़ियाँ, लताएँ, बेलें, तृण, अथवा गहन झाड़ियाँ, वृक्षों के कोटर या वृक्ष लताओं का झुंड) हरितकाय आदि हो तो सहारा लेकर चले या उतरे अथवा वहाँ (सामने से) जो पथिक आ रहे हों, उनका हाथ (हाथ का सहारा) मांगे, उनके हाथ का सहारा मिलने पर उसे पकड़कर यतनापूर्वक चले या उतरे । इस प्रकार साधु या साध्वी को यतनापूर्वक ही ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए ।

आचार्यादि के साथ गमन के विधि निषेध—

७७०. आचार्य और उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु या साध्वी अपने हाथ से उनके हाथ, अपने पैर से उनके पैर का तथा अपने शरीर से उनके शरीर का (अविवेक पूर्ण रीति से) स्पर्श न करे । उनकी आशातना न करता हुआ उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे ।

मार्ग में आचार्यादि का विनय—

७७१. आचार्य और उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु या साध्वी को मार्ग में यदि सामने से आते हुए यात्री मिलें, और वे पूछें कि—

५०—आउसंतो समया ! के तुम्हे, कओ वा गृह्, कहि वा गच्छिहिह ?

२०—जे तस्य आयसिण वा, उवज्जाए वा, से भासेज्ज वा, वियागरेज्ज वा, आयसिय-उवज्जायस्स भासमाणस्स वा, वियागरेमाणस्स वा णो अंतरा भासं करेज्जा, ततो संजयामेव आहारातिणियाण् ढूङ्गेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०३

मग्गे रयणाहियेहि सद्धि गमणस्स विहि-णिसेहो—

३३२. से भिक्षु वा भिक्षुणी वा आहारातिणियं गामाणुगामं ढूङ्गमाने णो राडगियस्स हस्येण हस्यं, पादेण पादं, काएण कार्यं आसादेज्जा । से अणासादेए अणासायमाणे ततो संजया-मेव आहाराडणियं गामाणुगामं ढूङ्गेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०८

मग्गे रयणाहियाण विणओ—

३३३. से भिक्षु वा भिक्षुणी वा आहाराडणियं गामाणुगामं ढूङ्गमाने अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेज्जा, ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—

५०—आउसंतो समया ! के तुम्हे कओ वा गृह्, कहि वा गच्छिहिह ?

२०—जे तस्य सव्वगतिसिण्णं से भासेज्ज वा वियागरेज्ज वा, रातिणियस्स भासमाणस्स वा, वियागरेमाणस्स वा णो अंतरा भासं भासेज्जा । ततो संजयामेव गामाणुगामं ढूङ्गेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५०६

थेराणं वेयावडियाए परिहारकण्णट्टियस्स गमणविसया विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च—

३३४. परिहार-कण्णट्टिण्णं भिक्षु वडिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य से सरेज्जा ।

कण्णट्टे से गृण्णाडियाए पटिमाए । जं णं जं णं दिमं अन्ते साहम्मिया विहरंति तं णं तं णं दिमं उवमित्तए । नो से कण्णट्टे तस्य विहारवत्तियं वरयाए ।

२०—“आयुप्पन् अमण या अमणी ! आप कौन हैं ? कहाँ से आए हैं ? और कहाँ जाएंगे ?”

२०—इस प्रश्न पर जो आचार्य या उपाध्याय माय में हैं, वे उन्हें मामान्य या विशेष रूप में उत्तर देंगे। आचार्य या उपाध्याय मामान्य या विशेष रूप से उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे हैं, तब वह माघु या माध्वी बीच में न बोलें। किन्तु मौन रहकर यथारत्नाधिक क्रम से उनके साथ ग्रामानुष्ठान विचरण करें।

मार्ग में रत्नाधिक के साथ गमन के विधि-निषेध—

३३२. रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े) माघु या माध्वी के साथ ग्रामानुष्ठान विहार करता हुआ मुनि अपने हाथ से रत्नाधिक माघु के हाथ का, अपने पैर से उनके पैर का तथा अपने शरीर से उनके शरीर का (अविद्विपूर्वक) स्पर्श न करे। उनकी आज्ञाना न करता हुआ माघु यथारत्नाधिक क्रम से उनके साथ ग्रामानुष्ठान विहार करे।

मार्ग में रत्नाधिक का विनय—

३३३. रत्नाधिक माघुओं के साथ ग्रामानुष्ठान विहार करने वाले माघु या माध्वी को मार्ग में यदि सामने से आते हुए कुछ प्रतिपथिक (यात्री) मिलें वे यों पूछें कि

२०—“आयुप्पन् अमण ! आप कौन हैं ? कहाँ से आए हैं ? और कहाँ जाएंगे ?”

२०—(गुंजा पूछने पर) जो उन माघुओं में सबसे रत्नाधिक हैं, वे उनको मामान्य या विशेष रूप से उत्तर देंगे। जब रत्नाधिक मामान्य या विशेष रूप से उन्हें उत्तर देंगे हैं तब वह माघु बीच में न बोलें। किन्तु मौन रहकर उनके साथ ग्रामानुष्ठान विहार करें।

स्यविरों की सेवा के लिए परिहार कल्पस्थित भिक्षु के गमन सम्बन्धी विधि-निषेध और प्रायश्चित्त—

३३४. परिहार कल्प में स्थित भिक्षु (स्यविर की आज्ञा से) अन्यत्र किसी ठग स्यविर की वेयावृत्य (सेवा) के लिए जावे, उस समय स्यविर उसे स्मरण दिनाएँ कि—

“हे भिक्षु ! तुम परिहार तप रूप प्रायश्चित्त कर रहे हो अतः “वियाम के लिए जहाँ मुझे ठहरना पड़ेगा वहाँ मैं एक रात में अत्रिक नहीं ठहरूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा करो और जिस दिशा में ठग भिक्षु है उस दिशा में जाओ। मार्ग में वियाम के लिए तुम्हें एक राति ठहरना ही कल्पना है किन्तु एक रात के अत्रिक ठहरना नहीं कल्पना है।”

कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए । तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो वएज्जा—“वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुरायं वा” एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए । नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए ।

जे णं तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ।

परिहार-कप्पट्टिए भिक्खू वहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, थेरा य से नो सरेज्जा कप्पइ से निट्ठिसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए जं णं जं णं दिंसि अन्ने साहम्मिया विहरंति तं णं तं णं दिंसि उवलित्तए ।

नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए ।

कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए ।

तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परोवएज्जा—“वसाहि अज्जो ! एगरायं वा दुरायं वा ।”

एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए ।

नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए ।

जे तत्थ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ।

परिहार-कप्पट्टिए भिक्खू वहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा थेरा य से सरेज्जा वा, नो सरेज्जा वा ।

कप्पइ से निट्ठिसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए जं णं जं णं दिंसि अन्ने साहम्मिया विहरंति । तं णं तं णं दिंसि उवलित्तए ।

नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए ।

कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए ।

तंसि च णं कारणंसि निट्ठियंसि परो वएज्जा—“वसाहि अज्जो ! एगरायं वा, दुरायं वा ।” एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं वा वत्थए । नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा, दुरायाओ वा वत्थए ।

जे तत्थ परं एगरायाओ वा, दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ।

व० उ० १, सु० २०-२२

रोगादि के कारण अनेक रात रहना भी कल्पता है । कारण के समाप्त होने पर भी यदि कोई भिक्षु कहे कि—“हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और बसो” तो, एक-दो रात और रहना कल्पता है किन्तु वाद में उसे वहाँ एक-दो रात और रहना नहीं कल्पता है ।

यदि वाद में भी वह वहाँ रहे तो “जितने दिन-रात वह वहाँ रहे आचार्यादि उसे उतने ही दिन की दीक्षा का छेद या परिहार तप का प्रायश्चित्त दें ।”

परिहार कल्प-स्थित भिक्षु (स्थविर की आज्ञा से) अन्यत्र किसी रुग्ण भिक्षु की वैयावृत्य के लिए जावे—उस समय यदि स्थविर किसी कारणवश उसे स्मरण न दिला सके तो भी वह भिक्षु—“मार्ग में विश्राम के लिए जहाँ मुझे ठहरना पड़ेगा वहाँ मैं एक रात से अधिक नहीं ठहरूँगा”—ऐसी प्रतिज्ञा करके जिस दिशा में रुग्ण स्थविर है उस दिशा में जावे ।

मार्ग में विश्राम के लिए उसे एक रात रहना कल्पता है, किन्तु एक रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है ।

रोगादि के कारण अनेक रात रहना भी कल्पता है ।

कारण के समाप्त हो जाने पर भी यदि कोई भिक्षु कहे कि—“हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और रहो”

तो उसे वहाँ एक-दो रात और रहना कल्पता है ।

किन्तु वाद में उसे वहाँ एक-दो रात और रहना नहीं कल्पता है ।

यदि वाद में भी वह वहाँ रहे तो—“जितने दिन-रात वह वहाँ रहे आचार्यादि उसे उतने ही दिन की दीक्षा का छेद या परिहार तप का प्रायश्चित्त दें” ।

परिहारकल्प-स्थित भिक्षु (स्थविर की आज्ञा से) अन्यत्र किसी रुग्ण स्थविर की वैयावृत्य के लिए जावे—उस समय स्थविर उसे (किसी कारणवश) स्मरण दिलावे या न दिलावे तो भी वह भिक्षु—“मार्ग में विश्राम के लिए जहाँ मुझे ठहरना पड़ेगा वहाँ मैं एक रात से अधिक नहीं ठहरूँगा”—ऐसी प्रतिज्ञा करके जिस दिशा में रुग्ण स्थविर है उस दिशा में जावे ।

मार्ग में विश्राम के लिए उसे एक रात रहना कल्पता है किन्तु एक रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है ।

रोगादि के कारण अनेक रात रहना भी कल्पता है ।

कारण के समाप्त होने पर भी यदि कोई भिक्षु कहे कि—“हे आर्य ! तुम यहाँ एक-दो रात और रहो” तो उसे वहाँ एक-दो रात रहना और कल्पता है किन्तु वाद में उसे एक-दो रात और रहना नहीं कल्पता है ।

यदि वाद में भी वह वहाँ रहे तो—“जितने दिन-रात वहाँ रहे आचार्यादि उसे उतने ही दिन दीक्षा छेद या परिहारतप का प्रायश्चित्त दें ।”

अटवीए गमणस्सविहि-णिसेहो—

७७५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा,
अंतरा से विहं सिया, सेज्जं पुण विहं जाणेज्जा—एगाहेण
वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा,
पाउणेज्जा वा, णो वा पाउणेज्जा ।

तहप्पगारं विहं अणेगाहगमणिज्जं सति लाढे-जाव-विहाराए
संयरमाणेहि जणवएहि णो विहारवत्तियाए पवज्जेज्जा
गमणाए ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

अंतरा से वासे सिया पाणेसु वा, पणएसु वा, वीएसु वा,
हरिएसु वा, उदएसु वा, मट्टियाए वा अविट्ठथाए ।

अह भिक्खूणं पुट्ठोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारं
विहं अणेगाहगमणिज्जं सति लाढे णो विहार वत्तियाए पवे-
ज्जेज्जा गमणाए । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ० मु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७३

विरुद्धरज्जाइसु गमणस्स विहि-णिसेहो—

७७६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
अरायाणि वा, जुवरायाणि वा, दोरज्जाणि वा, वेरज्जाणि
वा, विरुद्धरज्जाणि वा, सति लाढे विहाराए संयरमाणेहि
जणवएहि णो विहारवत्तियाए पवज्जेज्जा गमणाए ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

ते णं वाला “अयं तेणे-जाव-तहप्पगाराणि विरुवरूवाणि
पच्चंतियाणि-जाव-अकाल परिभोईणि-सति लाढे विहाराए
संयरमाणेहि जणवएहि णो विहारवत्तियाए पवज्जेज्जा गम-
णाए । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ० मु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७२

वेरज्जे विरुद्धरज्जे गमणागमणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

७७७. जे भिक्खू वेरज्जे-विरुद्धरज्जंति सज्जं गमणं, सज्जं आग-
मणं, सज्जं गमणागमणं करेइ करेतं वा साइज्जइ ।

अटवी में जाने के विधि-निषेध—

७७५. ग्रामानुग्राम में विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने
कि आगे लम्बा अटवी-मार्ग है । यदि उस अटवी मार्ग के विषय
में वह यह जाने कि यह एक दिन में, दो दिनों में, तीन दिनों में,
चार दिनों में या पांच दिनों में पार किया जा सकता है, अथवा
पार नहीं किया जा सकता है,

तो विहार के योग्य अन्य आर्य जनपदों के होते हुए—यावत्—
(उस अनेक दिनों में पार किये जा सकने वाले भयंकर) अटवी
मार्ग से विहार करके जाने का विचार न करें ।

केवली भगवान् कहते हैं—ऐसा करना कर्मबन्ध का कारण है,
क्योंकि मार्ग में वर्षा हो जाने से द्वीन्द्रिय आदि जीवों की
उत्पत्ति हो जाने पर मार्ग में काई, (लीलन, फूलन) वीज,
हरियाली, सचित्त, पानी और अविध्वस्त मिट्टी आदि के होने से
संयम की विराधना होनी सम्भव है ।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थकरादि ने पहले ही यह प्रतिज्ञा
-यावत्-उपदेश दिया है कि वह साधु या साध्वी अन्य साफ और
एकाध दिन में ही पार किया जा सके ऐसे मार्ग के होते हुए अन्य
मार्ग से विहार करके जाने का संकल्प न करे । अतः साधु को
परिचित्त और साफ मार्ग से ही यतना-पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार
करना चाहिए ।

विरुद्ध राज्यादि में जाने के विधि-निषेध—

७७६. साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यह
जाने कि ये अराजक (राजा से रहित) प्रदेश हैं, या यहाँ केवल
युवराज का शासन है, (जो कि अभी राजा नहीं बना है) अथवा
दो राजाओं का शासन है, या परस्पर दो शत्रु-राजाओं का राज्य
है, या धर्म-विरोधी राजा का शासन है ऐसी स्थिति में विहार के
योग्य अन्य आर्य जनपदों के होते हुए, इस प्रकार के अराजक आदि
प्रदेशों में विहार करने की दृष्टि से गमन करने का विचार न करें ।

केवली भगवान् ने कहा है—ऐसे अराजक आदि प्रदेशों में
जाना कर्मबन्ध का कारण है—

क्योंकि वे अज्ञानीजन साधु के प्रति शंका कर सकते हैं “यह
चोर है—यावत्—तयारूप अनेक म्लेच्छ—यावत्—अकाल-
भोजी प्रदेशों में अन्य आर्य जनपदों के होते हुए विहार की दृष्टि
से जाने का संकल्प न करें । अतः साधु इन अराजक आदि प्रदेशों
को छोड़कर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे ।

अराज्य और विरुद्ध राज्य में गमनागमन का प्रायश्चित्त
सूत्र—

७७७. जो भिक्षु अराजकता वाले राज्य में या विरुद्ध राज्य
में जल्दी-जल्दी जाता है, जल्दी-जल्दी आता है, जल्दी-जल्दी
जाने-आने के लिए प्रेरणा देता है जल्दी-जल्दी जाने-आने वाले
का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं
अणुग्घाइयं ।^१ —नि० उ० ११, सु० ७१

अभिसेय-रायहाणीस् पुणो पुणो णिक्खमण-पवेसणस्स
पायच्छित्तसुत्तं—

७७८. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं महा-
भिसेयंसि वट्टमाणंसि णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खंतं वा
पविसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं दस
अभिसेयाओ रायहाणीओ उद्दिट्ठाओ गणियाओ वंजियाओ
अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा णिक्खमइ वा पवि-
सइ वा णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ ।

तं जहा—१. चंपा, २. महुरा, ३. वाराणसी, ४. सावत्थी,
५. साएयं, ६. कंपिल्लं, ७. कोसंबी, ८. मिहिला, ९. हत्तिय-
णापुरं, १०. रायगिहं ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घा-
इयं । —नि० उ० ९, सु० १८-१९

अगियाठाण मग्गेण गमण विहि-णिसेहो—

७७९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं हूइज्जमाणे अंतरा
से जवसाणि वा सगडाणि वा रहाणि वा सचक्काणि वा
परक्काणि वा, सेणं वा विरूवरूवं संणिविट्ठं पेहाए सति
परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्जा ।

से णं से परो सेणागओ वदेज्जा—“आउसंतो ! एस णं
समणे सेणाए अभिचारियं करेइ से णं वाहाए गहाए
आगसह ।” से णं परो वाहांहि गहाय आगसेज्जा, तं णो
सुमणे सिया णो डुम्मणे सिया, णो उच्चावयं मणं
णियच्छेज्जा, णो तेसि वालाणं घाताए वहाए समुट्ठेज्जा ।

उस भिक्षु को चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान
(प्रायश्चित्त) आता है ।

अभिषेक राजधानियों में बार-बार जाने-आने के
प्रायश्चित्त सूत्र—

७७८. जो भिक्षु राजा का, क्षत्रियों का, शुद्ध जातियों का,
मूर्धाभिपिक्तों का जहाँ पर महाअभिषेक हो रहा हो वहाँ वह
जाता-आता है. जाने-आने के लिए प्रेरणा करता है या जाने-आने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु राजा की, क्षत्रियों की, शुद्ध जातियों की मूर्धाभि-
पिक्तों की ये दश अभिषेक राजधानियाँ कही गई हैं, गिनाई गई
हैं, प्रसिद्ध हैं (उनमें) एक मास में दो बार या तीन बार जाता-
आता है, जाने-आने के लिए प्रेरणा देता है, जाने-आने वाले का
अनुमोदन करता है ।

यथा—१. चंपा, २. मयुरा, ३. वाराणसी, ४. श्रावस्ती,
५. साकेत, ६. कंपिल्य नगर, ७. कोसंबी, ८. मिथिला,
९. हस्तिनापुर, १०. राजगृह ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सेना के पड़ाव वाले मार्ग से गमन के विधि-निषेध—

७७९. साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार कर रहे हों, मार्ग
में यदि जौ, गेहूँ आदि धान्यों के ढेर हों, बेलगाड़ियाँ हों, रथ पड़े
हों, स्वदेश-शासक या परदेश-शासक की सेना के नाना प्रकार के
पड़ाव (छावनी के रूप में) पड़े हों, तो उन्हें देखकर यदि कोई
दूसरा (निरापद) मार्ग हो तो उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाए,
किन्तु उस सीधे (दोपयुक्त) मार्ग से न जाए ।

(यदि साधु सेना के पड़ाव वाले मार्ग से जाएगा, तो सम्भव
है) उसे देखकर कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक से कहे—
“आयुष्मान् ! यह श्रमण हमारी सेना का गुप्त भेद ले रहा है,
अतः इसकी वाहें पकड़कर खींचो । अथवा उसे घसीटो ।” इस
पर वह सैनिक साधु की वाहें पकड़कर खींचने या घसीटने लगे,
उस समय साधु अपने मन में न हर्षित हो न रुष्ट हो और वह
मन में किसी प्रकार ऊँचा-नीचा संकल्प विकल्प न करे और न
उन अज्ञानी-जनों को मारने-पीटने के लिए उद्यत हो । वह उनसे

१ नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा,
वेरज्ज-विरुद्धरज्जंसि—सज्जं गमणं, सज्जं आगमणं, सज्जं गमणागमणं करित्ताए ।
जो खलु निग्गंथो वा निग्गंथी वा,
वेरज्ज-विरुद्धरज्जंसि—सज्जं गमणं सज्जं आगमणं सज्जं गमणागमणं करेइ, करेतं वा साइज्जइ, से दुहओ वि अइक्कममाणे,
आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।

अप्पुरसुए-जाव-समाहिए । ततो संजयामेव गामाणुगामं
दूइज्जेज्जा ।

—मा० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ५००-५०१

सेण्ण सण्णिविट्ठे खेत्ते रयणीवसमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

७८०. से गामस्त वा-जाव-राण्हाणीए वा वहिया सेण्णं सधिविट्ठं
पेहाए कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तद्धिवसं भिक्खा-
यरियाए गंतूण पटिनियत्तए । नो से कप्पइ तं रयणि तत्येव
उवाइणावेत्तए ।

जो खलु निग्गंथो वा निग्गंथी वा तं रयणि तत्येव उवाइणा-
वेइ, उवाइणेतं वा साइज्जइ ।

से बुह्थो वि अइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परि-
हारट्ठणं अणुग्घाइयं । कप्प० उ० ३, सु० ३३

पाणाइ आइण्णेण मग्गेण गमणविहिण्णिसेहो—

७८१. से निक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे, अंतरा
से पाणाणि वा, वीयाणि वा, हरियाणि वा, उदए वा, मट्टिया
वा अविद्धत्या सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा णो
उज्जुयं गच्छेज्जा ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७०

महाणई पारगमणविहि-ण्णिसेहो अववाये पंचठाणाइं—

७८२. णो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओऽउट्ठिठ्ठाओ
गणियाओ वियंजियाओ पंच महण्णवाओ महाणदीओ अंतो-
मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए
वा, तं जहा—१. गंगा, २. जउणा, ३. सररु, ४. ऐरावती,
५. मही ।^१

पंचहिं ठाणेहिं कप्पति,

तं जहा—१. मयंसि वा,

२. दुब्भिमक्खंसि वा,

३. पक्खहेज्ज वा णं फोई,

४. दओगंसि वा एज्जमाणंसि महता वा,

५. अणारिएसु । —ठाणं अ० ५, उ० २, सु० ४१२

किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने का विचार न करे।—यावत्—
समाधिभाव में स्थिर होकर यतनापूर्वक एक ग्राम से दूसरे ग्राम
विचरण करे ।

सेना के समीपवर्ती क्षेत्र में रात रहने का प्रायश्चित्त
सूत्र—

७८०. ग्राम—यावत्—राजधानी के बाहर शत्रु सेना का
स्कन्धावार देखकर निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को भिक्षाचर्या से
उसी दिन लौटकर आना कल्पता है । उन्हें बाहर रात रहना नहीं
कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी (ग्राम—यावत्—राजधानी के
बाहर) रात रहते हैं या रात रहने वाले का अनुमोदन करते हैं
तो वे जिनाज्जा और राजाज्जा का अतिक्रमण करते हुए चातु-
र्मासिक अनुदघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) को प्राप्त होते हैं ।
प्राणी आदि युक्त मार्ग से जाने के विधि-निषेध—

७८१. साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यह जाने
कि मार्ग में बहुत से त्रस प्राणी हैं, बीज विखरे हैं, हरियाली है,
सचित्त पानी है या सचित्त मिट्टी है, जिसकी योनि विध्वस्त नहीं
हुई है, ऐसी स्थिति में दूसरा निर्दोष मार्ग हो तो साधु-साध्वी
उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाएँ किन्तु उस (जीव-जन्तु आदि से
युक्त) सरल (सीधे) मार्ग से न जाए । जीव-जन्तु, रहित मार्ग से
यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

महानदी पार गमन विधि-निषेध के पाँच कारण—

७८२ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को, इन उट्टिठ्ठ—(आगे बताई
जाने वाली) गिनती की गई, अति प्रसिद्ध तथा बहुत जल वाली
पाँच महानदियाँ एक मास के भीतर दो बार या तीन बार से
अधिक उतरना या नौका से पार करना नहीं कल्पता है । जैसे—
१. गंगा, २. यमुना, ३. सरयू, ४. ऐरावती, ५. मही ।

किन्तु पाँच कारणों से इन महानदियों को तैर कर पार
करना या नौका से पार करना कल्पता है ।

जैसे—१. शरीर, उपकरण आदि के अपहरण का भय
होने पर ।

२. दुर्भिक्ष होने पर ।

३. किसी के द्वारा व्यथित किये जाने पर ।

४. बड़े वेग से जलप्रवाह अर्थात् बाढ़ आ जाने पर ।

५. अनायं पुरुषों द्वारा उपद्रव किये जाने पर ।

अह पुण एवं जाणेज्जा एरावई कुणालाए जत्थ चक्किया एगं पायं जले किच्चा, एगं पायं थले किच्चा एवं णं कप्पइ अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा, तिक्खुत्तो वा, उत्तरित्तए वा, संतरित्तए वा ।^१

जत्थ एवं नो चक्किया एवं नो कप्पइ अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ।

—कप्प० उ० ४, सु० ३५

पाँच महानदी उत्तरण-पायच्छित्त सूत्र—

७८३. जे भिक्खू पंचिमाओ महणवाओ महाणईओ उद्दिठाओ— गणियओ वंजियाओ अंतोमासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरइ वा संतरइ वा उत्तरंतं वा संतरंतं वा साइज्जइ ।

तं जहा—१. गंगं, २. जउणं, ३. सउणं, ४. एरावइं, ५. मही ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि० उ० १२, सु० ४२

णावाविहारस्स विहि-णिसेहो—

७८४. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से णावा संतारिमे उदए सिया, सेज्जं पुण णावं जाणेज्जा-असंजते भिक्खूपडियाए किणेज्ज वा, पामिच्चेज्ज वा णावाए वा णावपरिणामं कट्ठु थलातो वा णावं जलंसि ओगाहेज्जा, जलातो वा णावं थलंसि उक्कसेज्जा पुण्णं वा णावं उस्सि-च्चेज्जा, सण्णं वा णावं उप्पीलावेज्जा, तहप्पगारं णावं उड्ढ-गामिणिं वा अहेगामिणिं वा तिरियगामिणिं वा परं जोयण-मेराए अद्धजोयणमेराए वा अप्पतरे वा भुज्जतरे वा णो दुरुहेज्जा गमणाए ।

यदि यह ज्ञात हो जाए कि कुणाला नगरी के समीप एरावती नदी एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखते हुए पार की जा सकती है तो एक मास में दो या तीन बार उतरना या नाव से पार करना कल्पता है ।

यदि उक्त प्रकार से पार न की जा सके तो उस नदी को एक मास में दो या तीन बार उतरना या नाव से पार करना नहीं कल्पता है ।

पाँच महानदी पार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

७८३. जो भिक्षु इन बारह मास बहने वाली इन पाँचों गहनदियों को जो कही गई हैं, गिनाई गई हैं, प्रसिद्ध हैं उन्हें एक मास में दो बार या तीन बार उतरकर या तैरकर पार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

यथा—१ गंगा, २. यमुना, ३. सरयु, ४. एरावती और ५. मही ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

नौका विहार के विधि निषेध—

७८४. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि मार्ग में नौका द्वारा पार कर सकने योग्य जल (जल मार्ग) है, (तो वह नौका द्वारा उस जल मार्ग को पार कर सकता है ।) परन्तु यदि वह यह जाने कि असंयत—गृहस्थ साधु के निमित्त मूल्य देकर (किराये से) नौका खरीद रहा है, या उधार ले रहा है या अपनी नौका की अन्य की नौका से बदला-बदली कर रहा है, या नाविक नौका को स्थल से जल में लाता है अथवा जल से स्थल में खींच कर पानी से भरी हुई नौका से पानी उलीचकर खाली करता है अथवा कीचड़ में फँसी हुई को बाहर निकालकर साधु के लिए तैयार करके साधु को उस पर चढ़ने की प्रार्थना करता है, तो इस प्रकार की नौका चाहे वह ऊर्ध्वगामिनी हो, अधो-गामिनी हो या तिर्यग्गामिनी, जो उत्कृष्ट एक योजनप्रमाण क्षेत्र में चलती है या अर्द्ध योजनप्रमाण क्षेत्र में चलती है, एक बार या बहुत बार गमन करने के लिए उस नौका पर साधु सवार न हो तो ऐसी नौका में बैठकर साधु जल मार्ग पार न करे ।

१ यहाँ “उत्तरित्तए” के वाद में “संतरित्तए” पाठ अनावश्यक है । क्योंकि उत्तरित्तए का अर्थ जंघा या वाहु द्वारा तिरकर पार करना है । अथवा एक पैर जल में और एक पैर स्थल में अर्थात् एक पैर जल से ऊपर उठाकर उसे अधर आकाश में कुछ देर रखे, पैर का पानी नितारे वाद में नितरा हुआ पैर पानी में रखे इस क्रम से एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखता हुआ नदी का पानी पार करे ।

एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखते हुए नदी पारकर इस तीर के ग्राम से सामने की तीर के ग्राम में कारणवश श्रमण गया हो पीछे लौटते समय नदी में अधिक पानी आ जाय तो उसे नाव द्वारा पार करके पुनः जिस ग्राम से गया उसी में आ जावे । “संतरित्तए” का अर्थ है नाव से पार करना ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा पुव्वामेव तिरिच्छसंपातिमं णावं जाणेज्जा, जाणित्ता से त्तायाए एगंत्तमवक्कमेज्जा, एगंत्तमवक्कमित्ता भंडगं पटिलेहेज्जा पडिलेहित्ता एगाभोयं भंडगं करेज्जा, परित्ता ससीतोवरियं कायं पाए पमज्जेज्जा पमेज्जित्ता सागारं भूतं पच्चपलाएज्जा पच्चक्खात्ता एगं पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा ततो संजयामेव णावं दुरुहेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा णावं दुरुहमाणे णो णावातो पुरतो दुरुहेज्जा, णो णावाओ मग्गतो दुरुहेज्जा, णो णावातो मज्जतो दुरुहेज्जा, णो वाहाओ पगिज्झय पगिज्झय अंगुत्थियाए उद्दिसिय उद्दिसिय ओणमिय ओणमिय उण्णमिय उण्णमिय णिज्झएज्जा ।

से णं परो णावागतो णावागयं वदेज्जा—“आउसंतो समणा ! एते तां तुमं णावं उक्कत्ताहि वा, वोक्कत्ताहि वा खिवाहि वा, रज्जुए वा, गहाय आकत्ताहि ।” णो से तं परिणं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा ।

से णं परो णावागतो णावागतं वदेज्जा “आउसंतो समणा ! णो संचाएत्ति तुमं णावं उक्कत्तिए वा, वोक्कत्तिए वा, खिवत्तिए वा, रज्जुए वा, गहाय आकत्तिए” आहर एयं णावाए रज्जुयं, हयं चवं णं वरं णावं उक्कत्तिस्साओ वा-जाव-रज्जुए वा गहाय आकत्तिस्साओ । णो से तं परिणं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा ।

से णं परो णावागतो णावागयं वदेज्जा—“आउसंतो समणा ! एतं तां तुमं णावं अलित्तेण वा, पिट्टेण वा, वसेणं वा, दलएण वा, अवल्लएण वा वाहेहि ।” णो से तं परिणं परिजाणेज्जा । तुसिणीओ उवेहेज्जा ।

से णं परो णावागतो णावागयं वदेज्जा—“आउसंतो समणा ! एतं तां तुमं णावाए उदयं हत्थेण वा, पाएण वा, मत्तेण वा, पडिगहेण वा, णावाउत्तिसचणएण वा

(कारणवश नौका में बैठना पड़े तो) साधु या साध्वी सर्व-प्रथम तिर्यग्गामिनी नौका को जाने देख ले । यह जानकर व गृहस्थ की आज्ञा लेकर एकान्त में चला जाए । वहाँ जाकर भण्डोपकरण का प्रतिलेखन करे, तत्पश्चात् सभी उपकरणों को इकट्ठे करके बाँध ले फिर सिर से लेकर पैर तक शरीर का प्रमार्जन करे । तदनन्तर आगार-सहित आहार का प्रत्याख्यान (त्याग) करे । यह सब करके एक पैर जल में और एक स्थल में रखकर यतनापूर्वक उस नौका पर चढ़े ।

साधु या साध्वी नौका पर चढ़ते हुए न नौका के अगले भाग में बैठे, न पिछले भाग में बैठे और न मध्य भाग में । तथा नौका के बाजुओं को पकड़-पकड़ कर या अँगुली से बत-बताकर (संकेत करके) या उसे ऊँची या नीची करके एकटक जल को न देखे ।

यदि नाविक नौका में चढ़े हुए साधु से कहे कि “आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस नौका को ऊपर की ओर खींचो अथवा नौका को नीचे की ओर खींचो या रस्सी को पकड़ कर नौका को अच्छी तरह से बाँध दो, अथवा रस्सी से इसे जोर से कस दो ।” नाविक के इस प्रकार के (साधु प्रवृत्त्यात्मक) वचनों को स्वीकार न करे, किन्तु मौन धारण कर बैठा रहे ।

यदि नौकाखंड साधु को नाविक यह कहे कि—“आयुष्मन् श्रमण ! यदि तुम नौका को ऊपर या नीचे की ओर खींच नहीं सकते या रस्सी पकड़ कर नौका को भली-भाँति बाँध नहीं सकते या जोर से कस नहीं सकते तो नाव पर रखी हुई रस्सी को लाकर दो । हम रथ नौका को ऊपर की ओर खींच लेंगे, —यावत्—रस्सी से इसे जोर से कस देंगे ।” इस पर भी साधु नाविक के इस वचन को स्वीकार न करे, चुपचाप उपेक्षा भाव से बैठा रहे ।

यदि नौका में बैठे हुए साधु से नाविक कहे कि—“आयुष्मन् श्रमण ! जरा इस नौका को तुम डांड (चप्पू) से, पीठ से, बड़े बाँस से, बल्ली से या अबल्लक से (बाँस विशेष) तो चलाओ ।” इस पर भी साधु नाविक के इस प्रकार के वचन को स्वीकार न करे, बल्कि उदासीन भाव से मौन होकर बैठा रहे ।

नौका में बैठे हुए साधु से अगर नाविक यह कहे कि—“आयुष्मन् श्रमण ! इस नौका में भरे हुए पानी को तुम हाथ से, पैर से, भाजन से या पात्र से नौका से उलीच कर पानी को

१ इस सूत्र में नाव के अग्रभाग, मध्यभाग और अन्तिम भाग पर बैठने का निषेध किया है किन्तु कहाँ बैठना ? यह नहीं कहा है ।

चूर्णीकार ने इस निषेध के कारण और कहाँ बैठने का समाधान इस प्रकार किया है—

नाव का अग्रभाग देवता का स्थान है । मध्यभाग की संज्ञा कूपक है वह बैठने वालों के आने-जाने का स्थान है, अन्तिम भाग नौका के नियामक का स्थान है अतः मध्यभाग और अन्तिम भाग के मध्य में अथवा मध्यभाग और अग्रिम भाग के मध्य में बैठे ।

उत्सिचाहि ।” णो से तं परिणं परिजाणेज्जा । तुसिणीओ उवेहेज्जा ।—आ० सु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४७४-४८० से णं परो णावागतो णावागयं वएज्जा—“आउसंतो समणा ! एतं ता तुमं णावाए उत्तिगं हत्येण वा, पाएण वा, वाहुणा वा, उरूणा वा, उदरेण वा, सीसेण वा, काएण वा, णावाउत्सिचणएण वा, चलेण वा, मट्टियाए वा, कुसपत्तएण वा, कुविदेण वा पिहेहि ।” णो से तं परिणं परिजाणेज्जा । तुसिणीओ उवेहेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा णावाए उत्तिगेण उदय आसव-माणं पेहाए, उवरुवरिं णावं कज्जलावेमाणं पेहाए, णो परं उवसंकमित्तु एवं बूया—“आउसंतो गाहावति ! एतं ते णावाए उदयं उत्तिगेणं आसवति, उवरुवरिं वा णावा कज्जलावेति । एतप्पगारं मणं वा वायं वा णो पुरतो फट्टु विहरेज्जा ।” अप्पुत्सुए-जाव-समाधीए ।

ततो संजयामेव णावासंतारिमे उदए आहारियं गेएज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ४८१-४८२

से णं परो णावागतो णावागयं वदेज्जा—“आउसंतो समणा ! एतं ता तुमं छत्तणं वा-जाव-चम्मछेदणं वा गेण्हाहि, एताणि ता तुमं विरुवरुवाणि सत्थजायाणि धारेहि, एयं ता तुमं दारणं वा दारिणं वा पज्जेहि”, णो से तं परिणं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा ।

से णं परो णावागते णावागतं वदेज्जा—“आउसंतो ! एस णं समणे णावाए भंडमारिए भवति, से णं वाहाए गहाय णावाओ उदगंसि पक्खिवेज्जा ।” एतप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्मा से य चीवरधारी सिया खिप्पामेव चीवराणि उव्वे-देज्ज वा, गिण्वेदेज्ज वा उप्फेसं वा करेज्जा ।

अह पुणेवं जावेज्जा—अभिकंतकूरकम्मा खलु बाला बाहाहिं गहाय णावाओ उदगंसि पक्खिवेज्जा । से पुव्वामेव वदेज्जा—“आउसंतो गाहावती ! मा मेत्तो वाहाए गहाय णावातो उदगंसि पक्खिवेह, सयं चैव णं अहं णावातो उदगंसि ओगाहिस्तामि ।”

वाहर निकाल दो” परन्तु साधु नाविक के इस वचन को स्वीकार न करे, वह मौन होकर बैठा रहे ।

यदि नाविक नौकारूढ़ श्रमण से यह कहे कि—“आयुष्मन् श्रमण ! नाव में हुए इस छिद्र को तुम अपने हाथ से, पैर से, भुजा से, जंघा से, पेट से, सिर से, या शरीर से अथवा नौका के जल निकालने वाले उपकरणों से, वस्त्र से, मिट्टी से, कुशपत्र से, कुरूविन्द नामक तृण विशेष से वन्द कर दो, रोक दो ।” साधु नाविक के इस कथन को स्वीकार न करके मौन धारण करके बैठा रहे ।

वह साधु या साध्वी नौका में छिद्र से पानी आता हुआ देखकर नौका को उत्तरोत्तर जल से परिपूर्ण होती देखकर, नाविक के पास जाकर यों न कहे कि “आयुष्मन् गृहपते ! तुम्हारी इस नौका में छिद्र के द्वारा पानी आ रहा है, उत्तरोत्तर नौका जल से परिपूर्ण हो रही है ।” इस प्रकार से मन एवं वचन को आगे पीछे न करके साधु-विचरण करे ।

वह शरीर और उपकरणादि पर मूर्च्छा न करके—यावत्—समाधि में स्थित रहे ।

इस प्रकार नौका के द्वारा पार करने योग्य जल को पार करने के बाद जिस प्रकार तीर्थकरों ने विधि बताई है उस प्रकार उसका पालन करता हुआ विचरण करे ।

नौका में बैठे हुए गृहस्थ आदि यदि नौकारूढ़ मुनि से यह कहें कि “आयुष्मन् श्रमण ! तुम जरा हमारे छत्र—यावत्—चर्म-छेदनक को पकड़े रखो, इन विविध शस्त्रों को तो धारण करो, अथवा इस बालक या बालिका को पानी पिला दो”, तो वह साधु उसके उक्त वचन को सुनकर स्वीकार न करे किन्तु मौन धारण करके बैठा रहे ।

यदि कोई नौकारूढ़ व्यक्ति नौका पर बैठे हुए किसी अन्य गृहस्थ से इस प्रकार कहे—“आयुष्मन् गृहस्थ ! यह श्रमण जड़ वस्तुओं की तरह नौका पर केवल भारभूत है, अतः इसकी बाहें पकड़ कर नौका से बाहर जल में फेंक दो ।” इस प्रकार की बात सुनकर और हृदय में धारण करके यदि वह मुनि वस्त्रधारी है तो वस्त्रों को अलग कर दे या शरीर पर लपेट ले तथा शिर पर लपेट लें ।

यदि वह साधु यह जाने कि ये अत्यन्त क्रूर कर्माज्ञानीजन अवश्य ही मुझे बाहें पकड़कर नाव से बाहर पानी में फेंकेंगे । तब वह फेंके जाने से पूर्व ही उन गृहस्थों को सम्बोधित करके कहे—“आयुष्मन् गृहस्थो ! आप लोग मुझे बाहें पकड़कर नौका से बाहर जल में मत फेंको, मैं स्वयं ही इस नौका से बाहर होकर जल में प्रवेश कर जाऊँगा ।”

से णेवं वदंतं परो सहसा वलसा वाहाहिं गहाय णावातो उदगंसि पक्खिवेज्जा, तं णो सुमणे सिया-जाव-समाहीए । ततो संजयामेव उदगंसि पवज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उदगंसि पवमाणे णो हत्थेण हत्थं पादेण पादं काएण कायं आसादेज्जा । से अणासादेए अणासायमाणे ततो संजयामेव उदगंसि पवज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उदगंसि पवमाणे णो उम्मुग्ग-णिमुगियं करेज्जा, मा मेयं उदयं कण्णेषु वा, अच्छीसु वा, णक्कंसि वा, मुहंसि वा परियावज्जेज्जा, ततो संजयामेव उदगंसि पवेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उदगंसि पवमाणे दोव्वलियं पाउणेज्जा, खिप्पामेव उवाधि विगिचेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, णो चेव णं सातिज्जेज्जा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा पारए सिया उदगाओ तीरं पाउ-णित्तए । ततो संजयामेव उदउल्लेण वा, ससणिद्धेण वा काएण दगतीरए चिट्ठेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा, उदउल्लं वा, ससणिद्धं वा, कायं णो आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, संलिहेज्ज वा, णिल्लिहेज्ज वा, उद्वलेज्ज वा, उद्वट्टेज्ज वा, आतावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा—विगतोदए से काए छिण्णसिणेहे । तहप्पगारं कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा-जाव-आया-वेज्ज वा पयावेज्ज वा । ततो संजयामेव गामाणुगामं द्दइज्जेज्जा ।—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ४८३-४९१

जंघासंतरिम उदगपार-गमणविधि—

७८५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं द्दइज्जेज्जा, अंतरा

साधु के द्वारा यों कहते-कहते कोई अजानी नाविक सहसा बलपूर्वक साधु को बाँहें पकड़कर नौका से बाहर जल में फेंक दे तो (जल में गिरा हुआ) साधु मन में न हर्ष से युक्त हो—यावत्—आत्म-समाधि में स्थिर हो जाए । फिर वह यतनापूर्वक जल में प्रवेश कर जाए ।

जल में डूबते समय साधु या साध्वी (अपकाय के जीवों की रक्षा की दृष्टि से) अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का, एक पैर से दूसरे पैर का तथा शरीर के अन्य अंगोपांग का परस्पर स्पर्श न करे । वह (जलकायिक जीवों को पीड़ा न पहुँचाने की दृष्टि से) परस्पर स्पर्श न करता हुआ इसी तरह यतनापूर्वक जल में बहता हुआ चला जाए ।

साधु या साध्वी जल में बहते समय उन्मज्जन-निमज्जन (डुबकी लगाना और बाहर निकलना) भी न करें, और न इस बात का विचार करें कि यह पानी मेरे कानों में, आँखों में, नाक में या मुँह में न प्रवेश कर जाए । बल्कि वह यतनापूर्वक जल में (समभाव के साथ) बहता जाए ।

यदि साधु या साध्वी जल में बहते हुए दुर्बलता का अनुभव करे तो शीघ्र ही थोड़ी या समस्त उपधि (उपकरण) का त्याग कर दे, वह शरीरादि पर से भी ममत्व छोड़ दे, उन पर किसी प्रकार की आसक्ति न रखे ।

साधु या साध्वी जल में बहते हुए यदि यह जाने कि मैं उपधि सहित ही इस जल से पार होकर किनारे पर पहुँच जाऊँगा, तो जब तक शरीर से जल टपकता रहे तथा शरीर गीला रहे, तब तक वह नदी के किनारे पर ही खड़ा रहे ।

साधु या साध्वी टपकते हुए या जल से भीगे हुए शरीर को एक बार या बार-बार हाथ से स्पर्श न करे न उसे एक या अधिक बार सहलाए, न उसे एक या अधिक बार धिसे, न उस पर मालिश करे और न ही उबटन की तरह शरीर से मँल उतारे । वह भीगे हुए शरीर और उपधि को सुखाने के लिए धूप से थोड़ा या अधिक गर्म भी न करे ।

जब वह यह जान ले कि अब मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जल की बूँद या जल का लेप भी नहीं रहा है, तभी अपने हाथ से उस सूखे हुए शरीर का स्पर्श करे, उसे सहलाए—यावत्—धूप में खड़ा रहकर उसे थोड़ा या अधिक भी तपावे । तदनन्तर संयमी साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

जंघाप्रमाण-जल-पारकरण विधि—

७८५. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में

से जंघासंतारिमे उदगे सिया, से पुव्वामेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमज्जेज्जा, से पुव्वामेव एगं पादं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा ततो संजयामेव जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रीएज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी या जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रोयमाणे णो हत्थेण हत्थं वा-जाव-अणासायमाणे ततो संजयामेव जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रीएज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा जंघासंतारिमे उदए अहारियं रोयमाणे णो सायपडियाए, णो परिदाहपडियाए महत्तिमहा-लयति उदगंसि कायं चिओसेज्जा । ततो संजयामेव जंघा-संतारिमेव उदए अहारियं रीएज्जा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा—पारए सिया उदगाओ तीरं पाउ-णित्तए । ततो संजयामेव उदउल्लेण वा, ससणिद्धेण वा काएण दगतीरए चिट्ठेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उदउल्लं वा कायं ससणिद्धं वा कायं णो आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा-जाव-आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा—विगतोदए मे काए छिण्णसिणेहे । तहप्पयारं कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा-जाव-आया-वेज्ज वा पयावेज्ज वा । ततो संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० २, सु० ४९३-४९७

नावाविहार-विसयाणो पायच्छित्त सुत्ताणि—

७८६. जे भिक्खू अणट्ठाए णावं दुरूहइ दुरूहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णावं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्टु देज्जमाणं दुरूहइ दुरूहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णावं पामिच्चइ पामिच्चावेइ पामिच्चं आहट्टु देज्जमाणं दुरूहइ, दुरूहंतं ता साइज्जइ ।

जंघा-प्रमाण (जंघा से पार करने योग्य) जल (जलाशय या नदी) पड़ता हो तो उसे पार करने के लिए पहले सिर सहित शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैर तक प्रमार्जन करके वह एक पैर को जल में और एक पैर को स्थल में रखकर यतनापूर्वक जंघा से तरणीय जल को भगवान के द्वारा कथित विधि के अनुसार पार करे ।

साधु या साध्वी जंघा से तरणीय जल को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पार करते हुए हाथ से हाथ का—यावत्—(जिनाज्ञा की) अशातना न करते हुए भगवान् द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार यतनापूर्वक उस जंघा-तरणीय जल को पार करे ।

साधु या साध्वी जंघा-प्रमाण जल में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चलते हुए शारीरिक सुख-शान्ति की अपेक्षा से दाह उपशान्त करने के लिए गहरे और विस्तृत जल में प्रवेश न करे और जब उसे यह अनुभव होने लगे कि मैं उपकरणादि सहित जल से पार नहीं हो सकता, तो वह उनका त्याग कर दे । उसके पश्चात् वह यतनापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से उस जंघा-प्रमाण जल को पार करे ।

साधु या साध्वी यह जाने कि मैं उपधि सहित ही जल से पार हो सकता हूँ तो वह उपकरण-सहित पार हो जाए । परन्तु किनारे पर आने के बाद जब तक उसके शरीर से पानी की बूंद टपकती हो, जब तक उसका शरीर जरा सा भी भीगा रहे, तब तक वह जल (नदी) के किनारे ही खड़ा रहे ।

साधु या साध्वी जल टपकते हुए या जल से भीगे हुए शरीर को एक वार या वार-वार हाथ से स्पर्श न करे, न उसे एक वार या अधिक वार घिसे—यावत्—भीगे हुए शरीर और उपधि को सुखाने के लिए धूप से थोड़ा या अधिक न तपावे ।

जब वह यह जान ले कि अब मेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जल की बूंद या जल का लेप भी नहीं रहा है, तभी अपने हाथ से उस शरीर का स्पर्श करे,—यावत्—धूप में खड़ा रहकर उसे थोड़ा या अधिक तपावे । बाद में वह संयमी साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

नौका विहार के प्रायश्चित्त सूत्र—

७८६. जो भिक्षु विना प्रयोजन नाव पर बैठता है, बैठने के लिए कहता है, बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव खरीदता है, खरीदवाता है या खरीदी हुई नाव दे तो उस पर बैठता है, बैठने के लिए कहता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव उधार लेता है, उधार लिवाता है या उधार ली हुई नाव दे तो उस पर बैठता है, बैठने के लिए कहता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू णावं परियट्टेइ परियट्टावेइ परियट्टं आहट्टु
देज्जमाणं दुरुहइ दुरुहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावं अच्छेज्जं अणिसिट्ठं अभिहं आहट्टु
हेज्जमाणं दुरुहइ दुरुहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू थलाओ णावं जले उक्कसावेइ उक्कसावेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू जलाओ णावं थले उक्कसावेइ उक्कसावेतं
साइज्जइ ।

जे भिक्षू पुण्णं णावं उस्सिचइ उस्सिचचेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू सण्णं णावं उप्पिलावेइ उप्पिलावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू उवट्ठियं णावं उत्तिगं वा उदगं वा आसिचमाणं
वा उवहवरि वा कज्जलावेमाणं पेहाए हस्सेण वा पाएण
वा असिपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मट्टियाए वा च्छेलेण वा
पडिपिहेइ पडिपिहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू पडिणावियं कट्टु णावाए दुरुहइ दुरुहंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू उट्ठगामिणिं वा नावं अधोगामिणिं वा नावं
दुरुहइ दुरुहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू जोयणवेलागामिणिं वा अट्ठजोयणवेलागामिणिं वा
नावं दुरुहइ दुरुहंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नावं आकसेइ आकसावेइ, आकसावेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू नावं खेवेइ खेवावेइ खेवावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावं रज्जुणा वा कट्ठेण वा कट्ठइ कट्ठंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावं अलित्तएण वा पण्डिणएण वा वंसेण वा
पत्तेण वा वाहेइ वाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नावाओ उदगं भायणेण वा पडिगहणेण वा मत्तेण
वा नावा उस्सिचणेण वा उस्सिचइ उस्सिचंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु नाव को अदल-वदल करता है, करवाता है और
अदल-वदल की हुई नाव दे तो उस पर बैठता है, बैठने के लिए
कहता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु छीनकर ली हुई, थोड़े समय के लिए लाकर दी
हुई नाव पर बैठता है, बैठने के लिए कहता है या बैठने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्थल से नाव को जल में उतरवाता है या उतर-
वाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु जल से नाव को स्थल पर रखवाता है या रखवाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पानी से पूर्ण भरी नाव को खाली करवाता है,
खाली करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कीचड़ में फंसी नाव को निकलवाता है, निकलवाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु बँधी हुई नाव में छिद्र से पानी आता हुआ देखकर
अथवा जनैः जनैः डूवती हुई देखकर (छिद्र को) हाथ से, पैर से,
असीपत्र से, कुसपत्र से, मिट्टी से या वस्त्र से वन्द करवाता है,
वन्द करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाविक बदल करके नाव पर बैठता है, बैठने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु उर्ध्वगामिनी नाव पर या अधोगामिनी नाव पर
बैठता है या बैठने का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु एक योजन तक प्रवाह के सन्मुख जाने वाली
अथवा अर्धयोजन तक प्रवाह में नीचे की ओर जाने वाली नाव
पर बैठता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव को खींचता है, खिंचवाता है और खींचने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव को खेता है, खिंचवाता है और खेने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव को रज्जु से या काष्ठ से निकालता है,
निकलवाता है या निकालने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (नाव को) नौका दंड से, नौका चलाने के उपकरण
से, बाँस से या वल्ले से चलाता है, चलाने को कहता है, चलाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव में से भाजन द्वारा, पात्र द्वारा या वर्तन द्वारा
पानी निकालता है, निकलवाता है या निकालने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जे भिक्षू नावं उर्त्तिगेण उदगं आसवमाणं उवरूवरिं कज्जल-
माणं पलोय हत्थेण वा पाएण वा आसत्थपत्तेण वा कुसपत्तेण
वा मट्टियाए वा चेलकण्णेण वा पडिपेहेइ पडिपेहेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावागओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावागओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावागओ पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णावागओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

[जे भिक्षू जलगओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू जलगओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू जलगओ पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू जलगओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।]

[जे भिक्षू पंकगओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू पंकगओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू पंकगओ, पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ति, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु नाव के छिद्र में से पानी आने पर नाव को डूवती
हुई देखकर हाथ से, पैर से, असीपत्र के पत्ते से, कुस के पत्ते से,
मिट्टी से और बस्त्र खण्ड से (छेद को) वन्द करता है, करवाता
है, करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव में बैठा है और नाव में ही बैठने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव में बैठा है और जल में खड़े रहने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव में बैठा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु नाव में बैठा है और जमीन पर खड़े रहने वाले
से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का
अनुमोदन करता है ।

(जो भिक्षु जल में खड़ा है और नाव में ही बैठने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु जल में खड़ा है और जल में खड़े रहने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु जल में खड़ा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु जल में खड़ा है और जमीन पर खड़े रहने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।)

(जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और नाव में ही बैठने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और जल में खड़े रहने वाले से
अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले
से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु पंकगओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।]

जो भिक्षु कीचड़ में खड़ा है और जमीन पर खड़े रहने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।)

[जे भिक्षु थलगओ णावागयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

(जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और नाव में बैठने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु थलगओ जलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और जल में खड़े रहने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु थलगओ पंकगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और कीचड़ में खड़े रहने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु थलगओ थलगयस्स असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।]

जो भिक्षु स्थल पर खड़ा है और स्थल पर खड़े रहने वाले से अणन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लेने के लिए कहता है लेने वाले का अनुमोदन करता है ।)

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि० उ० १८, सु० १-२३

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

॥ ईर्यासमिति प्रकरण समाप्त ॥



भाषासमिति

विधिकल्प-१

तिकालिय तित्थयरेह चत्तारि भासा परुविया—

७८७. अह भिक्खू जाणेज्जा चत्तारि भासज्जायाइं, तं जहा—
सच्चमेगं पढमं भासजातं, वीयं मोसं, ततियं सच्चामोसं,
जं णेव सच्चं णेव मोसं, णेव सच्चामोसं, असच्चामोसं
णामं तं चउत्थं भासज्जातं ।^१

से बेमि—जे य अतीता, जे य पडुप्पणा, जे य अणागया
अरहंता भगवंतो सव्वे ते एताणि चेव चत्तारि भासज्जाताइं
भासिसु वा, भासिति वा, भासिस्संति वा, पण्णवेत्ति वा,
पण्णविस्संति वा ।

सब्बाइं च णं एयाणि अचित्ताणि वण्णमंताणि, गंधमंताणि,
रसमंताणि, फासमंताणि चयोवचइयाइं विप्परिणामधम्मइं
भवन्ति ति अक्खाताइं ।

—आ० सु० २, अ० ४, उ० १, सु० ५२२

विवेगेण भासमाणो आराहगो, अविवेगेण भासमाणो
विराहगो—

७८८. स वक्कसुद्धिं समुपेहिया मुणी,
गिरं च दुट्ठं परिवज्जए सया ।
मियं अदुट्ठं अणुवीईं भासए,
सयाणमज्जे लहईं पसंसणं ॥

भासाए दोसे य गुणे य जाणिया,
तोसे य दुट्ठे परिवज्जए सया ।
छसु संजए सामणिए सया जए,
वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥

परिवलभासी सुसमाहिइंदिए,
चउक्कसायावगए अणिस्सिए ।
स निदुणे धुल्लमलं पुरेकडं,
आराहए लोगमिणं तहा परं ॥

—दस. अ. ७, गा. ५५-५७

१ (क) चत्तारि भासाजाता पत्तत्ता, तं जहा—सच्चमेगं भासज्जातं तित्थियं मोसं ततियं सच्चामोसं, चउत्थं असच्चामोसं ।

(ख) पण्ण. प. ११, सु. ८७० ।

(ग) पण्ण. प. ११, सु. ८६८ ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २३७

त्रैकालिक तीर्थकरों ने चार प्रकार की भाषा प्ररूपी है—

७८७. साधु को भाषा के चार प्रकार जान लेने चाहिए । वे इस प्रकार हैं—१. सत्या, २. मृपा, ३. सत्यामृपा और जो न सत्या है, न असत्या है और न ही सत्यामृपा है वह, ४. असत्यामृपा (व्यवहार भाषा) नाम का चौथा भाषाजात है ।

जो मैं यह कहता हूँ उसे भूतकाल में जितने भी तीर्थकर भगवान् हो चुके हैं, वर्तमान में भी तीर्थकर भगवान् हैं और भविष्य में जो भी तीर्थकर भगवान् होंगे, उन सबने इन्हीं चार प्रकार की भाषाओं का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन करते हैं और प्रतिपादन करेंगे अथवा उन्होंने प्ररूपण किया है, प्ररूपण करते हैं और प्ररूपण करेंगे ।

तथा यह भी उन्होंने प्रतिपादन किया है कि ये सब भाषा द्रव्य (भाषा के पुद्गल) अचित्त हैं, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले हैं तथा चय-उपचय (वृद्धि ह्रास अथवा मिलने-विच्छेदने) वाले एवं विविध प्रकार के परिणमन धर्म वाले हैं ।

विवेक पूर्वक बोलने वाला आराधक, अविवेक से बोलने वाला विराधक—

७८८. वह मुनि वाक्य-शुद्धि को भली-भाँति समझ कर दोषयुक्त वाणी का प्रयोग न करे । सोच विचार कर मित्त और दोषरहित वाणी बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है ।

भाषा के दोषों और गुणों को जानकर दोषपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला, छह जीवनिकाय के प्रति संयत्त, श्रामण्य में सदा सावधान रहने वाला प्रबुद्ध भिक्षु हित और मौलिक वचन बोले ।

गुण-दोष को परख कर बोलने वाला, सुसमाहित-इन्द्रिय वाला, चार कषायों से रहित, अनिश्रित (तटस्थ) भिक्षु पूर्वकृत पाप-मल को नष्ट कर वर्तमान तथा भावी लोक की आराधना करता है ।

प०—इच्छेयाइं भंते ! चत्तारि भासाज्जायाइं भासमाणे किं आराहए विराहए ?

उ०—गोयमा ! इच्छेयाइं चत्तारि भासज्जायाइं आउत्तं भासमाणे आराहए, णो विराहए ।

तेणं परं अस्संजयाऽविरयाऽपडिहयाऽपच्चक्खाय पाव-
कम्मे सच्चं वा भासं भासंतो मोसं वा सच्चामोसं
वा असच्चामोसं वा भासं भासमाणे णो आराहए,
विराहए । —पण्ण. प. ११, सु. ८६६

भासाए भेयप्पभेया—

७८९. प०—कतिविहा णं भंते ! भासा पण्णत्ता ?

उ०—गोयमा ! दुविहा भासा पण्णत्ता ।

तं जहा—पज्जत्तिया य, अपज्जत्तिया य ।

प०—पज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णत्ता ?

उ०—गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता ।

तं जहा—सच्चा य, मोसा य ।

प०—सच्चा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ?

उ०—गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा—

१. जणवयसच्चा, २. सम्मतसच्चा, ३. ठवणासच्चा,
४. णामसच्चा, ५. रूवसच्चा, ६. पडुच्चसच्चा,
७. ववहारसच्चा, ८. भावसच्चा, ९. जोगसच्चा,
१०. ओवम्मसच्चा ।^१

प०—मोसा णं भंते ! भासा पज्जत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ?

उ०—गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तं जहा—

१. कोहणिससिया, २. भाणणिससिया, ३. माया-
णिससिया, ४. लोभणिससिया, ५. पेज्जणिससिया,
६. दोसणिससिया, ७. हासणिससिया, ८. भयणिससिया
९. अक्खाइयाणिससिया, १०. उवघायणिससिया ।^२

प०—अपज्जत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णत्ता ?

प्र०—भगवन् ! इन चारों भाषा-प्रकारों को बोलता हुआ (जीव) आराधक होता है अथवा विराधक ?

उ०—गौतम ! इन चारों प्रकार की भाषाओं को उपयोग-पूर्वक बोलने वाला आराधक होता है, विराधक नहीं ।

उससे पर (अर्थात् विना उपयोग के बोलने वाला) जो असंयत, अविरत, पापकर्म का प्रतिघात और प्रत्याख्यान न करने वाला सत्यभाषा, मृषाभाषा, सत्यामृषा और असत्यामृषा भाषा बोलता हुआ (व्यक्ति) आराधक नहीं है, विराधक है ।

भाषा के भेद-प्रभेद—

७८९. प्र०—भगवन् ! भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! भाषा दो प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—पर्याप्तिका और अपर्याप्तिका ।

प्र०—भगवन् ! पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! पर्याप्तिका भाषा दो प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

सत्या और मृषा ।

प्र०—भगवन् ! सत्या-पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! वह दस प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

१. जनपदसत्या, २. सम्मतसत्या, ३. स्थापनासत्या,
४. नामसत्या, ५. रूपसत्या, ६. प्रतीत्यसत्या, ७. व्यवहारसत्या,
८. भावसत्या, ९. योगसत्या और १०. औपम्यसत्या ।

प्र०—भगवन् ! मृषा-पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! (वह) दस प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

१. क्रोधनिःसृता, २. माननिःसृता, ३. मायानिःसृता,
४. लोभनिःसृता, ५. प्रेयनिःसृता (रागनिःसृता), ६. द्वेष
निःसृता, ७. हास्य निःसृता, ८. भय निःसृता, ९. आख्यायिका
निःसृता और १०. उपघात निःसृता ।

प्र०—भगवन् ! अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गोयमा ! दुविहा पणत्ता । तं जहा—

सच्चामोसा य, असच्चामोसा य ।

प०—सच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जत्तिया कत्तिविहा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! दसविहा पणत्ता । तं जहा—

१. उत्पणमिस्सिया, २. विगयमिस्सिया, ३. उत्पण-
विगयमिस्सिया, ४. जीवमिस्सिया, ५. अजीवमिस्सिया
६. जीवाजीवमिस्सिया, ७. अणंतमिस्सिया, ८. परित्त-
मिस्सिया, ९. अद्धमिस्सिया, १०. अद्धमिस्सिया ।^१

प०—असच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जत्तिया कत्तिविहा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! दुवालसविहा पणत्ता, तं जहा—

१. आमंतणि, २. याऽऽणमणि, ३. जायणि, ४. तह
पुच्छणि, ५. य पणवणी । ६. पच्चक्खाणी भासा,
७. भासा इच्छाणुलोमा य, ८. अणभिग्गहिया भासा,
९. भासा य अभिग्गहम्मि बोद्धच्चा । १०. संसय-
करणी भासा, ११. वीयडा, १२. अब्बोयडा चैव ॥

—पण. प. ११, सु. ८६०-८६६

उ०—गौतम ! (वह) दो प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

सत्यामृपा और असत्यामृपा ।

प्र०—भगवन् ! सत्यामृपा-अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! वह दस प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

१. उत्पन्नमिश्रिता, २. विगतमिश्रिता, ३. उत्पन्न-विगत-
मिश्रिता, ४. जीवमिश्रिता, ५. अजीवमिश्रिता, ६. जीवाजीव-
मिश्रिता, ७. अनन्तमिश्रिता, ८. परित्त (प्रत्येक) मिश्रिता,
९. अद्धमिश्रिता और १०. अद्धमिश्रिता ।

प्र०—भगवन् ! असत्यामृपा-अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! (वह) बारह प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार है—

१. आमंत्रणी भाषा, २. आज्ञापनी भाषा, ३. याचनी भाषा,
४. पृच्छनी भाषा, ५. प्रज्ञापनी भाषा, ६. प्रत्याख्यानी भाषा,
७. इच्छानुलोमा भाषा, ८. अनभिगृहीता भाषा, ९. अभिगृहीता
भाषा, १०. संशयकरणी भाषा, ११. व्याकृता भाषा और
१२. अव्याकृता भाषा ।



विधिकल्प—२

एगवयणविवक्षा—

७९०. प०—अह भंते ! मणुस्से, महिस्से, आसे, हत्थी, सीहे, वग्घे,
वगे, दीविए, अच्छे, तरच्छे, परस्सरे, रासभे, सियाले,
विराले, सुणए, कोलसुणए, कोक्कंतिए, ससए, चित्तए,
चिल्ललए, जे यावऽण्णे तहप्पगारा सच्चा सा एगवयू ?

उ०—हंता गोयमा ! मणुस्से-जाव-चिल्ललगा जे यावऽण्णे
तहप्पगारा सच्चा सा एगवयू ।

—पण. प. ११, सु. ८४६

एकवचन विवक्षा—

७९०. प्र०—भगवन् ! मनुष्य, महिष (भैंसा), अश्व, हाथी,
सिंह, व्याघ्र, वृक (भेड़िया), द्वीपिक (दीपड़ा), ऋक्ष (रीछ=
भालू), तरक्ष, पाराशर (गैंडा), रासभ (गधा), सियार, विडाल
(विलाव), शुनक (कुत्ता=श्वान), कोलशुनक (शिकारी कुत्ता)
कोकन्तिक (लोमड़ी), शशक (खरगोश), चीता और चिल्ललक
(वन्य हिंस्र पशु) ये और इसी प्रकार के जो (जितने) भी अन्य
जीव हैं, क्या वे सब एकवचन हैं ?

उ०—हाँ, गौतम ! मनुष्य—यावत्—चिल्ललक तथा ये
और अन्य जितने भी इसी प्रकार के प्राणी हैं, वे सब
एकवचन हैं ।

बहुवचनविवक्षा—

७६१. प०—अहं भन्ते ! मणुस्सा-जाव-चिल्ललगा जे यावज्जणे तहप्पगारा सव्या सा बहुवच्यु ?

उ०—हंता गोयमा ! मणुस्सा-जाव-चिल्ललगा सव्या सा बहुवच्यु ।
—गण. प. ११, सु. ८५०

इत्थिल्लिगसद्दा—

७६२. द०—अहं भन्ते ! मणुस्सो, महिसी, चलया, हत्थिणिया, सीही, चण्घी, यगो, दीविया, अच्छी, तरच्छी, परस्सारी, रात्तणी, सिवाल्लो, विराली, सुणिया, फोल-सुणिया, पोषकंठिया, ससिया, चित्तिया, चिल्लि-लिया, जा यावज्जणा तहप्पगारा सव्या सा इत्थिवच्यु ?

उ०—हंता गोयमा ! मणुस्सो-जाव-चिल्ललिया जा यावज्जणा तहप्पगारा सव्या सा इत्थिवच्यु ।
—गण. प. ११, सु. ८५१

पुल्लिगसद्दा—

७६३. प०—अहं भन्ते ! मणुस्सो-जाव-चिल्ललगा जे यावज्जणे तहप्प-गारा सव्या सा पुमवच्यु ?

उ०—हंता गोयमा ! मणुस्सो-जाव-चिल्ललगा जे यावज्जणे तहप्पगारा सव्या सा पुमवच्यु ।
—गण. प. ११, सु. ८५२

णपुंसगल्लिगसद्दा—

७६४. प०—अहं भन्ते ! कंसं कंसोयं परिमंडलं सेलं यूनं जालं चानं तारं च्यं अच्चि पव्यं कुटं पडमं दुद्धं दहियं णयणीयं आमणं सयणं भवणं विमाणं छत्तं चामरं भिगारं अंगणं निरंगणं आमरणं रयणं जे यावज्जणे तहप्पगारा सव्यं तं णपुंसगवच्यु ?

उ०—हंता गोयमा ! कंसं-जाव-रयणं जे यावज्जणे तहप्प-गारा सव्यं तं णपुंसगवच्यु ।
—गण० प० ११, सु० ८५३

आराधनी भाषा—

७६५. प०—अहं भन्ते ! पृथ्वीति हत्थीवच्यु आउ त्ति पुमवच्यु धण्णे

बहुवचन विवक्षा—

७६१. भगवन् ! मनुष्यों (बहुत से मनुष्य) से (लेकर)—यावत्—बहुत चिल्ललक तथा ये और इसी प्रकार के जो अन्य प्राणी हैं वे सब क्या बहुवचन हैं ?

उ०—हाँ गौतम ! मनुष्यों (बहुत से मनुष्य) से लेकर -- यावत्—बहुत चिल्ललक तक तथा अन्य इसी प्रकार के प्राणी ये सब बहुवचन हैं ।

स्त्रीलिंग शब्द—

७६२. प्र०—भगवन् ! मानुषी (स्त्री), महिषी (भैंस), बडवा (घोड़ी), हस्तिनी (हथिनी), सिही (सिंहनी), व्याघ्री, वृकी (भेड़नी), द्वीपिनी, रोछनी, तरक्षी, पराशरा (गैंडी), रासभी (गधी), शृगाली (सियारनी), विल्ली, कुत्ती, शिकारी कुत्ती, कोकन्तिका (लोमड़ी), शशकी (खरगोजनी), चित्रकी (चित्ती), चिल्ललिका ये और अन्य इसी प्रकार के (स्त्रीजाति विशिष्ट) जो भी (जीव) हैं, क्या वे सब स्त्रीवचन हैं ?

उ०—हाँ, गौतम ! मानुषी से (लेकर)—यावत्—चिल्ल-लिका तक तथा ये और अन्य इसी प्रकार के जो भी (जीव) हैं, वे सब स्त्रीवचन हैं ।

पुल्लिग शब्द—

७६३. प्र०—भगवन् ! मनुष्य से लेकर—यावत्—चिल्ललक तक तथा जो अन्य भी इसी प्रकार के प्राणी नर जीव हैं, क्या वे सब पुंमवचन (पुल्लिग) हैं ?

उ०—हाँ गौतम ! मनुष्य से लेकर—यावत्—चिल्ललक तक तथा जो अन्य भी इसी प्रकार के प्राणी नर-जीव हैं, वे सब पुंमवचन (पुल्लिग) हैं ।

नपुंसकलिंग शब्द—

७६४ प्र०—भगवन् ! कास्य (कांसा), कंसोल (कसोल), परि-मण्डल, शैल, स्तूप, जाल, स्थाल, तार, रूप, नेत्र, पर्व (पोर), कुण्ड, पद्म, दूध, दही, मक्खन, आसन, शयन, भवन, विमान, छत्र, चामर, भृंगार, आंगन, निरंगन (निरंजन), आभूषण और रत्न ये और इसी प्रकार के अन्य जितने भी शब्द हैं, वे सब क्या (प्राकृत भाषानुसार) नपुंसक वचन (नपुंसक लिंग) हैं ?

उ०—हाँ, गौतम ! कांस्य—यावत्—रत्न तथा इसी प्रकार के अन्य जितने भी शब्द हैं, वे सब नपुंसक वचन हैं ।

आराधनी भाषा—

७६५. प्र०—भगवन् ! पृथ्वी यह शब्द स्त्रीवचन हैं, पानी यह

त्ति णपुंसगवयू, पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! पुढ्वी त्ति इत्थिवयू, आउ त्ति पुमवयू, धण्णे त्ति णपुंसगवयू, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अह भंते ! पुढ्वीति इत्थिआणमणी, आउ त्ति पुम-आणमणी, धण्णे त्ति नपुंसगआणमणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! पुढ्वी त्ति इत्थिआणमणी, आउ त्ति पुमआणमणी, धण्णे त्ति णपुंसगआणमणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अह भंते ! पुढ्वीति इत्थिपणवणी, आउ त्ति पुमपणवणी, धण्णे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा भासा ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! पुढ्वीति इत्थिपणवणी, आउ त्ति पुम-पणवणी, धण्णे त्ति णपुंसगपणवणी आराहणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—इच्छेवं भंते ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा, णपुंसग-वयणं वा वयमाणे पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! इत्थिवयणं वा, पुमवयणं वा, णपुंसग-वयणं वा वयमाणे पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । —पण्ण० प० ११, सु० ८५४-८५७

ओहारिणी भासा—

७६६. प०—से णूणं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा ?

चित्तेमीति ओहारिणी भासा ?

अह मण्णामीति ओहारिणी भासा ?

अह चित्तेमीति ओहारिणी भासा ?

तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ?

तह चित्तेमीति ओहारिणी भासा ?

शब्द पुरुष वचन है और धान्य, यह शब्द नपुंसक वचन है, क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हाँ, गौतम ! पृथ्वी, यह शब्द स्त्रीवचन है, पानी, यह (प्राकृत में) पुरुषवचन है और धान्य, यह शब्द नपुंसकवचन है । य. भाषा प्रज्ञापनी है, यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! पृथ्वी, यह भाषा स्त्री-आज्ञापनी है, अप्, यह भाषा पुरुष-आज्ञापनी है और धान्य, यह भाषा नपुंसक-आज्ञापनी है, क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हाँ, गौतम ! पृथ्वी, यह स्त्री-आज्ञापनी भाषा है, अप्, यह पुरुष-आज्ञापनी भाषा है और धान्य, यह नपुंसक-आज्ञापनी भाषा है, यह भाषा प्रज्ञापनी है, यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! पृथ्वी, यह स्त्री-प्रज्ञापनी भाषा है, अप्, यह पुरुष-प्रज्ञापनी भाषा है और धान्य, यह नपुंसक-प्रज्ञापनी भाषा है, क्या यह भाषा आराधनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हाँ, गौतम ! पृथ्वी, यह स्त्री-प्रज्ञापनी (भाषा) है, अप्, यह पुरुष-प्रज्ञापनी (भाषा) है और धान्य, यह नपुंसक-प्रज्ञापनी भाषा है, यह भाषा आराधनी है । यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! इसी प्रकार स्त्रीवचन या पुरुषवचन अथवा नपुंसकवचन बोलते हुए (व्यक्ति की) क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? क्या यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हाँ, गौतम ! स्त्रीवचन, पुरुषवचन अथवा नपुंसक-वचन बोलते हुए (व्यक्ति की) यह भाषा प्रज्ञापनी है. यह भाषा मृषा नहीं है ।

अवधारिणी भाषा—

७६६. प्र०—भगवन् ! क्या मैं ऐसा मानूँ कि भाषा अवधारिणी (पदार्थ का अवधारण-अवबोध कराने वाली) है ?

क्या मैं (युक्ति से) ऐसा चिन्तन करूँ कि भाषा अवधारिणी है ?

(भगवन्) क्या मैं ऐसा मानूँ कि भाषा अवधारिणी है ?

क्या मैं (युक्ति द्वारा) ऐसा चिन्तन करूँ कि भाषा अवधारिणी है ?

(भगवन् पहले मैं जिस प्रकार मानता था) उसी प्रकार (अब भी) ऐसा मानूँ कि भाषा अवधारिणी है ?

तथा उसी प्रकार मैं (युक्ति से) ऐसा निश्चय करूँ कि भाषा अवधारिणी है ?

उ०—हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा,

चित्तेमीति ओहारिणी भासा,

अह मण्णामीति ओहारिणी भासा,
अह चित्तेमीति ओहारिणी भासा,

तह मण्णामीति ओहारिणी भासा,
तह चित्तेमीति ओहारिणी भासा ।

प०—ओहारिणी णं भंते ! भासा किं सच्चा, मोसा,
सच्चा मोसा, असच्चा मोसा ?

उ०—गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चा मोसा,
सिय असच्चा मोसा ।

प०—से कण्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति—“ओहारिणी णं
भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चा मोसा,
सिय असच्चा मोसा ?”

उ०—गोयमा ! (१) आराहणी सच्चा, (२) विराहणी
मोसा, (३) आराहणविराहणी सच्चा मोसा, (४) जा
णेव आराहणी णेव विराहणी णेव आराहणविराहणी
असच्चा मोसा णाम सा चउत्थी भासा ।

से तेण्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—“ओहारिणी णं
भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चा मोसा,
सिय असच्चा मोसा ।”

—पन्न० प० ११, सु० ८३०-८३१

पणवणी भासा—

७६७. प०—अह भंते ! गाओ मिया पसू पक्खी पणवणी णं
एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! गाओ मिया पसू पक्खी पणवणी णं
एसा भासा ण एसा भासा मोसा ।

प०—अह भंते ! जा य इत्थिवयू, जा य पुमवयू, जा य
णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा
मोसा ?

उ०—हाँ, गौतम ! (तुम्हारा मनन-चिन्तन सत्य है ।) तुम
मानते हो कि भाषा अवधारिणी है ।

तुम (शुक्ति से) चिन्तन करते (सोचते) हो कि भाषा अव-
धारिणी है ।

इसके पश्चात् भी तुम मानो कि भाषा अवधारिणी है,
अब तुम (निःसन्देह होकर) चिन्तन करो कि भाषा अव-
धारिणी है,

तुम्हारा जानना और सोचना यथार्थ और निर्दोष है ।

(अतएव) तुम उसी प्रकार (पूर्वमनवत्) मानो कि भाषा
अवधारिणी है तथा उसी प्रकार (पूर्वचिन्तनवत्) सोचो कि भाषा
अवधारिणी है ।

प्र०—भगवन् ! अवधारिणी भाषा क्या सत्य है, मृषा
(असत्य) है, सत्यामृषा (मिश्र) है, अथवा असत्यामृषा (न सत्य,
न असत्य) है ?

उ०—गौतम ! वह (अवधारिणी भाषा) कदाचित् सत्य
होती है, कदाचित् मृषा होती है, कदाचित् सत्यामृषा होती है
और कदाचित् असत्यामृषा (भी) होती है” ।

प्र०—भगवन् ! किस हेतु से ऐसा कहते हैं कि अवधारिणी
भाषा कदाचित् सत्य, कदाचित् मृषा, कदाचित् सत्यामृषा और
कदाचित् असत्यामृषा (भी) होती है ?

उ०—गौतम ! जो १. आराधनी भाषा है, वह सत्य है, जो
२. विराधनी भाषा है, वह मृषा है, जो ३. आराधनी-विराधनी
(उभयारूप भाषा है, वह) सत्यामृषा है और जो ४. न तो
आराधनी भाषा है, न विराधनी है और न ही आराधनी-
विराधनी है, वह चौथी असत्यामृषा नाम की भाषा है ।

हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि अवधारिणी
भाषा कदाचित् सत्य, कदाचित् मृषा, कदाचित् सत्यामृषा और
कदाचित् असत्यामृषा होती है ।

प्रज्ञापनी भाषा—

७६७. प्र०—भगवन् ! अब यह बसाइए कि गायें मृग पशु और
पक्षी क्या यह भाषा प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा तो
नहीं है ?

उ०—हाँ, गौतम ! गायें मृग पशु और पक्षी यह इस
प्रकार की भाषा प्रज्ञापनी है । यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! इसके पश्चात् यह प्रश्न है कि यह जो
स्त्रीवचन है और जो पुरुषवचन है अथवा जो नपुंसकवचन है,
क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा तो नहीं है ?

उ०—हंता गोयमा ! जा य इत्थिवयू, जा य पुमवयू, जा य णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अहं भंते ! जा य इत्थिआणमणी, जा य पुमआणमणी जा य णपुंसगआणमणी पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! जा य इत्थिआणमणी, जा य पुम-आणमणी, जा य णपुंसगआणमणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अहे भंते ! जा य इत्थिपणवणी, जा य पुमपणवणी, जा य णपुंसगपणवणी, पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! जा य इत्थिपणवणी, जा य पुमपण-वणी, जा य पणवणी णपुंसगपणवणी, णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अहं भंते ! जा जातीति इत्थिवयू जाईति पुमवयू जातीति णपुंसगवयू पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! जातीति इत्थिवयू, जातीति पुमवयू, जातीति णपुंसगवयू, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अहं भंते ! जाईति इत्थिआणमणी, जाईति पुमआण-मणी, जाईति णपुंसगआणमणी, पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! जातीति इत्थिआणमणी, जातीति पुमआणमणी, जातीति णपुंसगआणमणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

प०—अहं भंते ! जातीति इत्थिपणवणी, जातीति पुमपण-वणी, जातीति णपुंसगपणवणी, पणवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हंता गोयमा ! जातीति इत्थिपणवणी, जातीति पुम-पणवणी, जातीति णपुंसगपणवणी, पणवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

—पण्ण० प० ११, सु० ८३२ से ८३८

उ०—हां, गौतम ! यह जो स्त्रीवचन है और जो पुरुषवचन है अथवा जो नपुंसकवचन है, यह भाषा प्रज्ञापनी है और यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! यह जो स्त्री-आज्ञापनी है और जो पुरुष-आज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-आज्ञापनी है, क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हां, गौतम ! यह जो स्त्री-आज्ञापनी है और जो पुरुष-आज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-आज्ञापनी है, यह भाषा प्रज्ञापनी है । यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! यह जो स्त्री-प्रज्ञापनी है और जो पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-प्रज्ञापनी है, क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हां, गौतम ! यह जो स्त्री-प्रज्ञापनी है और जो पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जो नपुंसक-प्रज्ञापनी है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! जो जाति में स्त्रीवचन है, जाति में पुरुषवचन है और जाति में नपुंसकवचन है क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हां, गौतम ! जो जाति में स्त्रीवचन, जाति में पुरुष-वचन है अथवा जाति में नपुंसकवचन है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! अब प्रश्न यह है कि जाति में जो स्त्री-आज्ञापनी है, जाति में जो पुरुष-आज्ञापनी है अथवा जाति में नपुंसक-आज्ञापनी है, क्या यह प्रज्ञापनी भाषा है ? यह भाषा मृषा नहीं है ?

उ०—हां गौतम ! जाति में जो स्त्री-आज्ञापनी है, जाति में जो पुरुष-आज्ञापनी है या जाति में जो नपुंसक-आज्ञापनी है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा (असत्य) नहीं है ।

प्र०—भगवन् ! इसके अनन्तर प्रश्न है—जो जाति में स्त्री-प्रज्ञापनी है, जाति में पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जाति में नपुंसक-प्रज्ञापनी है, क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है ? यह भाषा मृषा तो नहीं है ?

उ०—हां गौतम ! जो जाति में स्त्री-प्रज्ञापनी है, जाति में पुरुष-प्रज्ञापनी है अथवा जाति में नपुंसक-प्रज्ञापनी है, यह प्रज्ञापनी भाषा है और यह भाषा मृषा नहीं है ।

मन्दकुमाराईणं भासावोहो—

७६८. प०—अहं भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ
बुयमाणे—“अहमेसे बुयामि, अहमेसे बुयामीति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति
आहारमाहारेमाणे—“अहमेसे आहारमाहारेमि, अह-
मेसे आहारमाहारेमि ति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा
जाणति—“अयं मे अम्मापियरो अयं मे अम्मा-
पियरो ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा
जाणति—“अयं मे अतिराउले अयं मे अतिराउले
त्ति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति—
“अयं मे भट्टिदारए अयं मे भट्टिदारए ति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! उट्ठे, गोणे, खरे, घोडए, अए, एलए
जाणति बुयमाणे—“अहमेसे बुयामि अहमेसे बुयामि
त्ति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! उट्ठे—जाव-एलए जाणति आहारेमाणे—
“अहमेसे आहारेमि अहमेसे आहारेमि ति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! उट्ठे—जाव-एलए जाणति “अयं मे अम्मा-
पियरो अयं मे अम्मापियरो” ति ?

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

प०—अहं भंते ! उट्ठे—जाव-एलए जाणति “अयं मे अत्ति
राउले अयं मे अतिराउले ति ?”

उ०—गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णिणो ।

मन्दकुमारादि की भाषा आदि का बोध—

७६८. भगवन् ! अब प्रश्न यह है कि क्या मन्दकुमार (अबोध, जिगु) अथवा मन्दकुमारिका (अबोध बालिका) बोलती हुई ऐसा जाती है कि मैं बोल रही हूँ ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी (अवधिजानी, जातिस्मरण वाले) के ।

प्र०—भगवन् ! क्या मन्दकुमार अथवा मन्दकुमारिका आहार करती हुई जानती है कि मैं इस आहार को करती हूँ ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०—भगवन् ! क्या मन्दकुमार अथवा मन्दकुमारिका यह जानती है कि ये मेरे माता-पिता हैं ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०—भगवन् ! मन्दकुमार अथवा मन्दकुमारिका क्या यह जानती है कि यह मेरे स्वामी (अधिराज) का घर (कुल) है ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०—भगवन् ! क्या मन्दकुमार या मन्दकुमारिका यह जानती है कि यह मेरे भर्ता का पुत्र है ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, संज्ञी को छोड़कर ।

प्र०—भगवन् ! इसके पश्चात् प्रश्न है कि ऊंट, बिल, गधा, घोड़ा, बकरा और एलक (भेड़) (इनमें से प्रत्येक) क्या बोलता हुआ यह जानता है कि मैं यह बोल रहा हूँ ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०—भगवन् ! ऊंट—यावत्—भेड़ तक (इनमें से प्रत्येक) आहार करता हुआ यह जानता है कि मैं यह आहार कर रहा हूँ ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०—भगवन् ! ऊंट—यावत्—भेड़ क्या यह जानता है कि ये मेरे माता-पिता हैं ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, सिवाय संज्ञी के ।

प्र०—भगवन् ! ऊंट—यावत्—भेड़ क्या यह जानता है कि यह मेरे स्वामी का घर है ?

उ०—गौतम ! संज्ञी को छोड़कर, यह अर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है ।

प०—अह भंते ! उट्टे-जाव-एलए जाणति “अयं मे भट्टि-
दारए अयं मे भट्टिदारए” त्ति ?

उ०—गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णऽण्णत्थ सण्णणो ।
—पन्न० प० ११, सु० ८३६ से ८४८

सोडस वयण विवेगो—

७६६. अणुवीयि णिट्ठाभासी समिताए संजते भासं भासेज्जा,
तं जहा—

(१) एगवयणं, (२) दुयवयणं, (३) बहुवयणं, (४) इत्थी-
वयणं, (५) पुंसवयणं, (६) णपुंसवयणं, (७) अज्झत्थ-
वयणं, (८) उवणीयवयणं, (९) अवणीयवयणं, (१०) उव-
णीतववयणं, (११) अवणीतववयणं, (१२) उव-
णीतववयणं, (१३) पडुप्पणवयणं, (१४) अणागयवयणं,
(१५) पच्चक्खवयणं, (१६) परोक्खवयणं ।^१

से एगवयणं वदिस्सामिति एगवयणं वदेज्जा-जाव-परोक्ख-
वयणं वदिस्सामिति परोक्खवयणं वदेज्जा । इत्थी वेस, पुमं
वेस, णपुंसं वेस^२ एवं वा चेयं, अण्णं वा चेयं अणुवीयि
णिट्ठाभासी समियाए संजते भासं भासेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ४, उ० १, सु० ५२१

असावज्जा असच्चा मोसा भासा भासियव्वा—

८००. से भिवखू वा भिवखूणी वा जा य भासा सच्चा सुहुमा, जा
य भासा असच्चा मोसा तहप्पगारं भासं असावज्जं अकिरियं
अकक्कसं अकड्डुयं अनिट्ठुरं अफरुसं-अण्हयकरिं अछेयकरिं
अभेयणकरिं अपरितावणकरिं अणुह्वणकरिं अभूतोवघातियं
अभिकंख भासेज्जा ।^३

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५५१

१ प०—कतिविहे णं भंते ! वयणे पण्णत्ते ?

उ०—गोयमा ! सोलहविहे वयणे पण्णत्ते । तं जहा—१. एगवयणे, २. दुयवयणे, ३. बहुवयणे, ४. इत्थिवयणे, ५. पुमवयणे,
६. णपुंसवयणे, ७. अज्झत्थवयणे, ८. उवणीयवयणे, ९. अवणीयवयणे, १०. उवणीयावणीयवयणे, ११. अवणीयउवणीय-
वयणे, १२. तीतवयणे, १३. पडुप्पणवयणे, १४. अणागयवयणे, १५. पच्चक्खवयणे, १६. परोक्खवयणे ।

प०—इच्चेयं भंते ! एगवयणं वा-जाव-परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ?

उ०—हुंता गोयमा ! इच्चेयं एगवयणं वा-जाव-परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ।

—पण्ण० प० ११, ८६६-८६७

२ पंचिदियाणि पाणाणं एस इत्थी अयं पुमं । जाव णं न विजाणेज्जा ताव जाइ त्ति आलवे ॥

—दस० अ० ७, गा० २१

३ (क) असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमकक्कसं । समुप्पेहमसदिद्धं, गिरं भासेज्ज पन्नवं ॥

—दस० अ० ७, गा० ३

(ख) अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पेज्ज वा परो । सव्वसो तं न भासेज्जा, भासं अहियगामिणी ।

दिट्ठं मियं असंदिद्धं, पडिपुन्नं वियं जियं । अयंपिरमणुच्चिग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥ —दस० ८, अ० गा० ४७-४८

प्र०—भगवन् ! ऊट्ट—यावत्—भेड़ क्या यह जानता है कि
यह मेरे स्वामी का पुत्र है ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ (वात) समर्थ नहीं है, सिवाय
संज्ञी के ।

सोलह प्रकार के वचनों का विवेक—

७६६. संयमी साधु या साध्वी भाषा समिति से युक्त होकर
विचारपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक भाषा का प्रयोग करे ।

जैसे कि (ये १६ प्रकार के वचन हैं)—

(१) एकवचन, (२) द्विवचन, (३) बहुवचन, (४) स्त्रीलिंग
कथन, (५) पुल्लिंग-कथन, (६) नपुंसकलिंग-कथन, (७) अध्यात्म-
कथन, (८) उपनीत-प्रशंसात्मक-कथन, (९) अपनीत-निन्दात्मक-
कथन, (१०) उपनीत-अपनीत-कथन, (११) अपनीतोपनीत-कथन,
(१२) अतीत-वचन, (१३) वर्तमान-वचन, (१४) अनागत
(भविष्यत्) वचन, (१५) प्रत्यक्षवचन और (१६) परोक्ष वचन ।

यदि उसे “एकवचन” बोलना हो तो वह एकवचन ही
बोले—यावत्—परोक्षवचन पर्यन्त जिस किसी वचन को बोलना
हो, तो उसी वचन का प्रयोग करे । जैसे—यह स्त्री है, यह
पुरुष है, यह नपुंसक है, यह वही है या यह कोई अन्य है, इस
प्रकार जब निश्चय हो जाए, तभी भाषा-समिति से युक्त होकर
विचारपूर्वक एवं एकाग्रतापूर्वक संयत भाषा में बोले ।

असावद्य असत्यामृषा भाषा बोलना चाहिए—

८००. जो भाषा सूक्ष्म सत्य सिद्ध हो, तथा जो असत्यामृषा
भाषा है—साथ ही ऐसी दोनों भाषाएँ असावद्य अक्रिय, अकर्कश
(मधुर), अकटुक (प्रिय), अनिष्ठुर, अफरुस (मृदु), संवरकारिणी,
प्रीतिकारिणी, अभेदकारिणी, अपरितापकारिणी, अनुपद्रवकारिणी,
प्राणियों का घात नहीं करने वाली हो तो साधु साध्वी पहले
मन से पर्यालोचन करके उक्त दोनों भाषाओं का प्रयोग करें ।

कसायं परिवज्ज भासियव्वं—

५०१. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा वंता कोहं च, माणं च, मायं च, लोभं च, अणुवीथि^१ णिट्ठभासी निसम्मभासी अतुरियभासी विवेगभासी समियाए संजते भासं भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५५१

आमंतणे असावज्ज भासा विही—

५०२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा पुमं आमंतमाणे आमंतिते अपडिसुणेमाणे एवं वदेज्जा—“अमुगे ति वा, आउसो ति वा, सावगे ति वा, उवासगे ति वा । धम्मिए ति वा, धम्मपिए ति वा । एत्तप्पगारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।”^२

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५२७

जे भिक्खू वा भिक्खूणी वा इत्थी आमंतमाणे आमंतिते य अपडिसुणेमाणी एवं वदेज्जा—“आउसो ति वा, भगिणी ति वा, भगवती ति वा, साविगे ति वा, उवासिए ति वा, धम्मिए ति वा, धम्मपिए ति वा । एत्तप्पगारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।”^३

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५२६

अंतरिक्ख विसए भासा विही—

५०३. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अंतलिक्खे ति वा, गुञ्जाणुचरिते ति वा, समुच्छिते वा, णिवइए वा, पओय वदेज्ज वा वुट्ठ-यलाहगे ति ।^४

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५३१

रूवाइसु असावज्ज भासाविही—

५०४. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा जहा वेगतियाइं रूवाइं पासेज्जा तहा वि ताइं एवं वदेज्जा, तं जहा—ओयंसी-ओयंसी ति वा, तेयंसी-तेयंसी ति वा, वच्चंसी-वच्चंसी ति वा, जसंसी-जसंसी ति वा, अभिरुव्वं-अभिरुवे ति वा, पडिरुव्वं-पडिरुवे ति वा, पासादियं-पासादिए ति वा, दरिसणिज्जं-दरिसणीए ति वा ।

कषाय का परित्याग कर बोलना चाहिए—

५०१. साधु या साध्वी क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन (परित्याग) करके निष्ठाभापी विचारपूर्वक बोलने वाला हो, सुनकर-समझकर बोलने वाला हो, जल्दी-जल्दी बोलने वाला न हो एवं विवेकपूर्वक बोलने वाला हो और भाषा समिति से युक्त संयत भाषा का प्रयोग करे ।

आमन्त्रण के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

५०२. संयमशील साधु या साध्वी किसी पुरुष को आमंत्रित कर रहे हों और आमंत्रित करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे—हे अमुक भाई ! हे आयुष्मान् ! ओ श्रावक जी ! हे उपासक ! हे धार्मिक ! या हे धर्मप्रिय ! इस प्रकार की निरवद्य—यावत्—जीवोपघातरहित भाषा विचार पूर्वक बोले ।

साधु या साध्वी किसी महिला को आमंत्रित कर रहे हों तो बहुत बुलाने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे—आयुष्मती ! वहन ! भगवती ! श्राविके ! उपासिके ! धार्मिके ! धर्मप्रिये ! इस प्रकार की निरवद्य—यावत्—जीवोपघात-रहित भाषा विचार पूर्वक बोले ।

अन्तरिक्ष के विषय में भाषा विधि—

५०३. साधु या साध्वी को प्राकृतिक दृश्यों के सम्बन्ध में कहने का प्रसंग उपस्थित हो तो आकाश को गुह्यानुचरित-अन्तरिक्ष (आकाश) कहे या देवों के गमनागमन करने का मार्ग कहे । यह पयोधर (मेघ) जल देने वाला है, सम्पूर्णच्छिम जल वरसता है, या यह मेघ वरसता है, या वादल वरस चुका है, इस प्रकार की भाषा बोले ।

रूपों को देखने पर असावद्य भाषा विधि—

५०४. साधु या साध्वी यद्यपि कितने ही रूपों को देखते हैं तथापि वे उनके विषय में (संयमी भाषा में) इस प्रकार कहें—जैसे कि—ओजस्वी को “ओजस्वी” तेजस्वी को “तेजस्वी” वर्चस्वी (दीप्तिमान, उपादेयवचनी या लब्धियुक्त) को “वर्चस्वी” यशस्वी को “यशस्वी” अभिरूप को (जो रूपवान् हो उसे) “अभिरूप”, प्रतिरूप को (जो समान रूप वाला हो उसे) “प्रतिरूप” प्रासाद गुण (प्रसन्नता) युक्त हो, उसे “प्रासादीय” जो देखने योग्य हो उसे “दर्शनीय” कहकर सम्बोधित करे ।

१ दस० अ० ७, गा० ५५ ।

२ नामधेज्जेण णं वूया, पुरिसगोत्तेण वा पुणो । जहारिहमभिगिज्ज, आलवेज्ज लवेज्ज वा ।

३ नामधेज्जेण णं वूया, इत्थीगोत्तेण या पुणो । जहारिहमभिगिज्ज, आलवेज्ज लवेज्ज वा ॥

४ अंतलिक्खे ति णं वूया, “गुञ्जाणुचरियं” ति य ।

—दस० अ० ७, गा० २०

—दस० अ० ७, गा० १७

—दस० अ० ७, गा० ५३

जे यावज्जणे तहप्पगारा एयप्पगाराहिं भासाहिं बूइया बूइया
णो कुप्पंति माणवा ते यावि तहप्पगारा एतप्पगाराहिं
भासाहिं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३४

दरिसणिज्जे वप्पाइए असावज्ज भासाविही—

८०५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा वेगतियाइं रुवाइं पासेज्जा तं
जहा—वप्पाणि वा-जाव-गिहाणि वा तहा वि ताइं एवं
वदेज्जा, तं जहा—आरंभकडे ति वा, सावज्जकडे ति वा,
पयत्तकडे ति वा,
पासादियं पासादिए ति वा, दरिसणीयं दरिसणीए ति वा,
अभिरुवं अभिरुवे ति वा, पडिरुवं पडिरुवे ति वा । एतप्प-
गारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख
भासेज्जा । —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३६

उवक्खडिए असणाइए असावज्ज भासाविही—

८०६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा असणं वा-जाव-साइमं वा उक्ख-
डियं पेहाए एवं वदेज्जा, तं जहा—आरंभकडे ति वा,
सावज्जकडे ति वा, पयत्तकडे ति वा, भद्दयं-भद्दए ति वा,
ऊसडं-ऊसडे ति वा, रसियं-रसिए ति वा, मणुण्णं-मणुण्णे
ति वा एतप्पगारं भासं असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं
अभिकंख भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३८

पयत्तपक्के त्ति व पक्कमालवे,

पयत्तच्छिन्न त्ति व छिन्नमालवे ।

पयत्तलट्ठे त्ति व कम्महेउर्यं,

पहारगाढ त्ति व गाढमालवे ॥

—दस. अ. ७, गा. ४२

परिवुड्ढकाए माणुस्साइए असावज्ज भासाविही—

८०७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा माणुस्सं वा, गोणं वा, महिसं
वा, मिगं वा, पसुं वा, पक्खिं वा, सरोसिवं वा, जलयरं वा,
सत्तं परिवुड्ढकायं पेहाए एवं वदेज्जा—परिवुड्ढकाए ति
वा, उवचितकाए ति वा, थिरसंघयणे ति वा, चित्तमंस-
सोणिते ति वा, बहुपडिपुण्णइंदिए ति वा । एतप्पगारं भासं
असावज्जं-जाव-अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।^१

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३६

अन्य जितने भी ऐसे व्यक्ति हों, वे इस प्रकार की भाषाओं
से सम्बोधित करने पर क्रुपित नहीं होते अतः ऐसी असावद्य
—यावत्—जीवोपघात रहित भाषा विचारपूर्वक वोलें ।

दर्शनीय प्राकार आदि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा
विधि—

८०५. साधु या साध्वी यद्यपि कई रूपों को देखते हैं, यथा—
प्राकार—यावत्—भवनगृह को (कहने का प्रयोजन हो तो) उनके
सम्बन्ध में इस प्रकार कहे—यह प्राकार आरम्भ से बना है,
सावद्यकृत है, या यह प्रयत्न-साध्य है ।

इसी प्रकार जो प्रासादगुण युक्त हो उसे प्रासादीय, जो
देखने योग्य हो उसे दर्शनीय, जो रूपवान् हो उसे अभिरूप, जो
समान रूप हो उसे प्रतिरूप कहे । इस प्रकार विचारपूर्वक
असावद्य—यावत्—जीवोपघात से रहित भाषा का विचारपूर्वक
प्रयोग करे ।

उपस्कृत अशनादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

८०६. साधु या साध्वी अशन—यावत्—स्त्रादिम (असालों आदि
से तैयार किये हुए) सुसंस्कृत आहार देखकर इस प्रकार कह
सकते हैं, जैसे कि यह आहारादि पदार्थ आरम्भ से बना है,
सावद्यकृत है, प्रयत्नसाध्य है या भद्र कल्याणकर आहार है उसे
कल्याणकर आहार कहे । उत्कृष्ट आहार है उसे उत्कृष्ट आहार
कहे । सरस आहार है उसे सरस आहार कहे । मनोज्ञ आहार है
उसे मनोज्ञ आहार कहे । इस प्रकार की असावद्य—यावत्—
जीवोपघात से रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे ।

(प्रयोजनवश कहना हो तो) सुपक्व को प्रयत्न-पक्व कहा
जा सकता है । सुच्छिन्न को प्रयत्नच्छिन्न कहा जा सकता है, कर्म
हेतुक (शिक्षापूर्वक किए हुए) को प्रयत्नलब्ध कहा जा सकता
है । गाढ़ (गहरे घाव वाले) को गाढ़ प्रहार कहा जा सकता है ।

पुष्ट शरीर वाले मनुष्यादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा
विधि—

८०७. संयमशील साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर वाले किसी
मनुष्य, बैल, भैंसा, मृग, पशु, पक्षी, सरिसृप, जलचर आदि
किसी भी विशालकाय प्राणी को देखकर ऐसे कह सकता है कि
यह पुष्ट शरीर वाला है, उपचितकाय है, दृढ़ संहनन वाला है,
या इसके शरीर में रक्त-मांस संचित हो गया है, इसकी सभी
इन्द्रियाँ परिपूर्ण हैं । इस प्रकार की असावद्य—यावत्—जीवोपघात
रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे ।

१ परिवुड्ढे त्ति णं बूया, बूया उवचिए त्ति य । संजाए पीणिए वा वि, महाकाए त्ति आलवे ॥

—दस. अ. ७, गा. २३

विधि निषेध-कल्प—२

गो आइसु असावज्ज भासा विही—

८०८. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा विरूवरूवाओ गाओ पेहाए एवं वदेज्जा तं जहा जुवंगवे ति वा, धेणु ति वा, रसवती ति वा, हस्से इ वा, महल्ल इ वा, महन्वए ति वा, संवहणे ति वा^१ । एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख णो, भासेज्जा । —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४२

उज्जाणाइसु असावज्ज भासा विही—

८०९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा तहेव गंतुमुज्जाणाइं पव्वताणि वणाणि य रूक्खा महल्ल पेहाए एवं वदेज्जा—तं जहा—जातिमंता ति वा, दीहवट्टा ति वा, महालया ति वा, पयातसाला ति वा, विडिमसाला ति वा, पासादिया ति वा, दरिसणीया ति वा^२ अभिरूवा ति वा, पडिरूवा ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा । —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४४

वणफलेसु असावज्ज भासा विही—

८१०. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा बहुसंभूया वणफला पेहाए एवं वदेज्जा तं जहा—असंथडा ति वा बहुणिवट्टिमफला ति वा, बहुसंभूया ति वा, भूतरूवा ति वा^३ एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा । —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४६

ओसहिसु असावज्ज भासा विही—

८११. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा बहुसंभूताओ ओसहीओ पेहाए तहा वि एवं वदेज्जा, तं जहा—रूढा ति वा, बहुसंभूया ति वा, थिरा ति वा ऊसडा ति वा, गब्भिया ति वा, पसूया ति वा, ससारा ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।^४ —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४८

गो आदि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

८०८. साधु या साध्वी नाना प्रकार की गायों तथा गो जाति के पशुओं को देखकर इस प्रकार कह सकता है, जैसे कि—यह गाय युवा है, प्रौढ़ है, या दुधार है, यह बिल छोटा है या बड़ा है, बहुमूल्य है या भारवहन करने में समर्थ है इस प्रकार की असावद्य—यावत्—जीवोपघात से रहित भाषा का प्रयोग करे ।

उद्यानादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

८०९. साधु या साध्वी किसी प्रयोजनवश उद्यानों, पर्वतों या वनों में जाए, वहाँ विशाल वृक्षों को देखकर इस प्रकार कहे कि ये वृक्ष उत्तम जाति के हैं, दीर्घ (लम्बे) हैं, वृत्त (गोल) हैं, महालय हैं, इनकी शाखाएँ फट गई हैं, इनकी प्रशाखाएँ दूर तक फैली हुई हैं, ये वृक्ष मन को प्रसन्न करने वाले हैं, दर्शनीय हैं, अभिरूप हैं, प्रतिरूप हैं । इस प्रकार की असावद्य—यावत्—जीवोपघात-रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे ।

वन फलों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

८१०. साधु या साध्वी अतिमात्रा में लगे हुए वन फलों को देखकर इस प्रकार कह सकता है, जैसे कि ये फल वाले वृक्ष-असंतृत-फलों के भार से नम्र या धारण करने में असमर्थ है इनके फल प्रायः निष्पन्न हो चुके हैं, ये वृक्ष एक साथ बहुत-सी फलोत्पत्ति वाले हैं, या ये भूतरूप-कोमल फल हैं । इस प्रकार की असावद्य—यावत्—जीवोपघात रहित भाषा का विचारपूर्वक प्रयोग करे । औषधियों के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

८११. साधु या साध्वी बहुत मात्रा में पैदा हुई औषधियों को देखकर (प्रयोजनवश) इस प्रकार कह सकता है जैसे कि इनमें बीज अंकुरित हो गये हैं, ये अब जम गई हैं, सुविकसित या निष्पन्नप्रायः हो गई हैं या अब ये स्थिर (उपघातादि से मुक्त) हो गई हैं, ये ऊपर उठ गई हैं, ये भुट्टों, सिरों या वालियों से रहित हैं, अब ये भुट्टों आदि से युक्त है, या धान्यकण युक्त हैं । इस प्रकार की निरवद्य—यावत्—जीवोपघात से रहित भाषा विचारपूर्वक बोले ।

१ जुवंगवे त्ति णं वूया, धेणुं रसदय त्ति य । रहस्से महल्लए वा वि, वए संवहणे त्ति य ॥

२ तहेव गंतुमुज्जाणं पव्वयाणि वणाणि य । रूक्खा महल्ल पेहाए एवं भासेज्ज पण्णवं ॥

जाइमंता इमे रूक्खा दीहवट्टा महालया । पयायसाला विडिमा वए दरिसणि त्ति य ॥

३ असंथडा इमे अंवा बहुनिव्वट्टिमाफला । वएज्ज बहुसंभूया भूयरूव त्ति वा पुणो ॥

४ विरूढा बहुसंभूया थिरा ऊसडा वि य । गब्भियाओ पसूयाओ ससाराओ त्ति आलवे ॥

—दस. अ. ७, गा. २५

—दस. अ. ७, गा. ३०-३१

—दस. अ. ७, गा. ३३

—दस. अ. ७, गा. ३३

सद्-रूढ-गंध-रस-फासेसु असावज्ज भासा विही—

८१२. से भिक्खू वा भिक्खूणी या जहा वेगतिगाइं सद्दाइं सुणेज्जा तहा वि ताइं एवं वदेज्जा—तं जहा—

सुसद्दं सुसद्दे ति वा, दुसद्दं दुसद्दे ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं—जाव—अभूतोवघातियं अभिकंख भासेज्जा ।

रूवाइं—१. किण्हे ति वा, २. णीले ति वा, ३. लोहिए ति वा, ४. हल्लिद्दे ति वा, ५. सुक्किले ति वा—

गंधाइं—१. सुब्धिगंधे ति वा, २. दुब्धिगंधे ति वा

रसाइं—१. तित्ताणि वा, २. कडुआणि वा, ३. कसायाणि वा, ४. अंबिलाणी वा, ५. महुराणि वा

फासाइं—१. कक्खडाणि वा, २. मडयाणि वा, ३. गरूयाणि वा, ४. लहूयाणि वा, ५. सीयाणि वा, ६. उण्हाणि वा, ७. णिद्धाणि वा, ८. लुक्खाणि वा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५५०

एगंत ओहारिणी भासा णिसेहो—

८१३. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा इमाइं वइ-आयाराइं-सोच्चा णिसम्मा इमाइं अणायाराइं अणायरियपुब्बाइं जाणेज्जा—

जे कोहा वा वायं विउंजंति,
जे माणा वा वायं विउंजंति,
जे मायाए वा वायं विउंजंति,
जे लोभा वा वायं विउंजंति,
जाणतो वा फरुसं वदंति,

अजाणतो वा फरुसं वर्यंति । सव्वं चयेयं सावज्जं वज्जेज्जा विवेगमायाए-धुवं चयेयं जाणेज्जा, अधुयं चयेयं जाणेज्जा

असणं वा—जाव—साइमं वा लभिय, णो लभिय, भुंजिय, णो भुंजिय ।

शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्शादि के सम्बन्ध में असावद्य भाषा विधि—

८१२. साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, तथापि उनके सम्बन्ध में कभी बोलना हो तो इस प्रकार कह सकता है जैसे कि (राग द्वेष से रहित होकर)

सुशब्द को “यह सुशब्द है” और दुःशब्द को “यह दुःशब्द है” इस प्रकार की निरवद्य—यावत्—जीवोपघात रहित भाषा विचारपूर्वक बोले ।

इस प्रकार रूपों के विषय में—

(१) काले को काला कहे, (२) नीले को नीला, (३) लाल को लाल, (४) पीले को पीला, (५) श्वेत को श्वेत कहे ।

गन्धों के विषय में (कहने का प्रसंग आये तो)

(१) सुगन्ध को सुगन्ध और (२) दुर्गन्ध को दुर्गन्ध कहे, रसों के विषय में कहना हो तो—

(१) तिक्त को तिक्त, (२) कडुए को कडुवा, (३) कसैले को कसैला, (४) खट्टे को खट्टा और (५) मधुर को मधुर कहे ।

इसी प्रकार स्पर्शों के विषय में कहना हो तो—

(१) कर्कश को कर्कश, (२) मृदु (कोमल) को मृदु, (३) गुरु (भारी) को गुरु, (४) लघु (हल्का) को लघु, (५) ठण्डे को ठण्डा, (६) गर्म को गर्म, (७) चिकने को चिकना और (८) रूखे को रूखा कहे ।

एकान्त निश्चयात्मक भाषा का निषेध—

८१३. साधु या साध्वी इन वचन (भाषा) के आचारों को सुनकर, हृदयंगम करके, पूर्व-मुनियों द्वारा अनाचरित भाषा-सम्बन्धो अनाचारों को जाने ।

यथा—जो क्रोध से वाणी का प्रयोग करते हैं ।

जो अभिमानपूर्वक वाणी का प्रयोग करते हैं,

जो छल कपट सहित बोलते हैं,

जो लोभ से प्रेरित हो बोलते हैं,

जो जानबूझ कर कठोर वचन बोलते हैं,

या अनजाने में कठोर वचन बोलते हैं, ये सब भाषाएँ सावद्य (स-पाप) हैं, साधु के लिए वर्जनीय है । विवेक अपनाकर साधु इस प्रकार की सावद्य एवं अनाचरणीय भाषाओं का त्याग करे । वह साधु या साध्वी ध्रुव (भविष्यत्कालीन वृष्टि आदि के विषय में निश्चयात्मक) भाषा को जानकर उसका त्याग करे । अध्रुव (अनिश्चयात्मक) भाषा को भी जानकर उसका त्याग करे ।

वह अशन—यावत्—स्वादिम आहार लेकर ही आएगा, या आहार लिए बिना ही आएगा ।

अदुवा आगतो, अदुवा णो आगतो,

अदुवा एति, अदुवा णो एति,
अदुवा एहिति, अदुवा णो एहिति,
एत्य वि आगते, एत्य वि णो आगते,
एत्य वि एति, एत्य वि णो एति,
एत्य वि एहिति, एत्य वि णो एहिति ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५२०

तम्हा गच्छामो वक्खामो, अमुगं वा णे भविस्सई ।
अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करिस्सई ॥
एवमाई उ जा भासा, एसकालम्मि संकिया ।
संपयाईयमट्टे वा, तं पि धीरो विवज्जए ॥

अईयम्मि य कालम्मी, पच्चुप्पन्नमणागए ।
जमट्टं तु न जाणेज्जा, एवमेयं ति नो वए ॥
अईयम्मि य कालम्मी, पच्चुप्पन्नमणागए ।
जत्य संका भवे तं तु, एवमेयं ति नो वए ॥
अईयम्मि य कालम्मी, पच्चुप्पन्नमणागए ।
निस्संकियं भवे जं तु, एवमेयं ति निद्दिसे ॥

—दस. अ. ७, गा. ६-१०

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।
से कोह लोह भयसा व माणवो
न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥

—दस. अ. ७, गा. ५४

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा णो एवं वदेज्जा—“णमदेवे ति
वा, गज्जदेवे ति वा, विज्जुदेवे ति वा, पवुट्टुदेवे ति वा,
णिबुट्टुदेवे ति वा, पडतु वा वासं, मा वा पडतु, णिप्पज्जतु
वा सासं, मा वा णिप्पज्जतु, विभातु वा रयणी, मा वा
विभातु उदेउ वा सूरिए, मा वा उदेउ, सो वा राया जयतु
मा वा जयतु ।” णो एयप्पगारं भासं भासेज्जा पण्णवं ।’

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५३०

वह आहार करके ही आएगा, या आहार किये बिना ही
आ जाएगा ।

अथवा वह अवश्य आया था या नहीं आया था,
अथवा वह आता है या नहीं आता है,
वह अवश्य आएगा, अथवा नहीं आएगा,
वह यहाँ आया था, वह यहाँ नहीं आया था,
वह यहाँ आता है, वह यहाँ नहीं आता है,

वह यहाँ आएगा, वह यहाँ नहीं आयेगा (इस प्रकार की
एकान्त निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग साधु-साध्वी न करे) ।

इसलिए—इम जाएँगे, कहेंगे, हमारा अमुक कार्य हो जाएगा,
में यह करूँगा अथवा यह (व्यक्ति) यह (कार्य) अवश्य करेगा—
यह और इस प्रकार की दूसरी भाषा को भविष्य-सम्बन्धी होने
के कारण (सफलता की दृष्टि से) शंकित हो अथवा वर्तमान और
अतीत काल-सम्बन्धी अर्थ के वारे में शंकित हो, उसे भी धीर
पुरुष न बोले ।

अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी जिस अर्थ को
न जाने, उसे यह “इस प्रकार ही है” ऐसा न कहे ।

अतीत, वर्तमान और अनागत काल—सम्बन्धी जिस अर्थ में
शंका हो, उसे “यह इस प्रकार ही है”—ऐसा न कहे ।

अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ
निःशंकित हो (उसके वारे में) “यह इस प्रकार ही है” ऐसा
कहे ।

इसी प्रकार मुनि सावध का अनुमोदन करने वाली अव-
धारिणी (संदिग्ध अर्थ के विषय में असंदिग्ध) और पर उपघात-
कारिणी भाषा, क्रोध, लोभ, भय, मान या हास्यवश न बोले ।

साधु या साध्वी इस प्रकार न कहे कि “नभोदेव (आकाश
देव) है, गर्ज (मेघ) देव है, विद्युत्तदेव है, प्रवृष्ट (वरसता रहने
वाला) देव है, या निवृष्ट (निरन्तर बरसने वाला) देव है, वर्षा
बरसे तो अच्छा या न बरसे तो अच्छा, धान्य उत्पन्न हो या न
हो, रात्रि सुशोभित हो या न हो, सूर्य उदय हो या न हो, वह
राजा जीते या न जीते ।’ प्रज्ञावान् साधु इस प्रकार की भाषा
न बोले ।

१ (क) वाओ वुट्ठं व सीउण्हं, खेमं धायं सियं ति वा । कथाणु होज्जा एयाणि ? मा वा होउ ति नो वए ॥

(ख) तहेव मेहं व नहं वा माणवं न देवदेव ति गिरं वएज्जा । समुच्छिए उन्नए वा पओए वएज्ज वा ‘वुट्ठे’ बलाहए ति ॥

—दस. अ. ७, गा. ५१-५२

देवाणं मणुआणं च तिरिआणं च वुग्गहे ।
अमुगाणं जओ होउ मा वा होउत्ति नो वए ॥

—दस. अ. ७, गा. ५०

छ णिसिद्धवयणाईं—

८१४. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा

इमाईं छः अवयणाईं वइत्तए, तं जहा—

१. अलियवयणें २. हीलियवयणे

३. खिसियवयणे ४. फरुसवयणे

५. गारत्थियवयणे ६. विओसवियं वा पुणो उदीरित्तए ।

—कप्प. उ. ६, सु. १

अट्टणिसिद्धठाणाईं—

८१५. कोहे माणे या मायाए लोभे य उवउत्तया ।

हासे भए मोहरिए विगहामु तहेव च ॥

एयाईं अट्टाणाईं परिवज्जित्तु संजए ।

असावज्जं मियं काले भासं भासेज्ज पन्नवं ॥

—उत्त. अ. २४, गा. ६-१०

चउच्चिह सावज्जभासा णिसेहो—

८१६. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जा य १. भासा सच्चा, २. जा य भासा मोसा, ३. जाय भासा सच्चामोसा, ४. जा य भासा असच्चामोसा तहप्पगारं भासं सावज्जं सकिरियं कक्कसं कडुयं निट्ठुरं फरुसं अण्हयकरिं छेयणकरिं भेयणकरिं परितावणकरिं उद्दवणकरिं भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।^१

—आ. सु. २, अ. ४, उ. १, सु. ५२४

मुसाई भासाणं णिसेहो—

८१७. मुसं परिहरे भिक्खू न य ओहारिणिं वए ।

भासादोसं परिहरे मायं च वज्जए सया ॥

न लवेज्ज पुट्टो सावज्जं न निरट्टं न मम्मयं ।

अप्पणट्टा परट्टा वा उभयस्संतरेण वा ॥

—उत्त. अ. १, गा. २४-२५

सच्चामोसा भासा णिसेहो—

८१८. भासमाणो न भासेज्जा, णेय वंकेज्ज मम्मयं ।

मात्तिट्ठाणं विवज्जेज्जा, अणुवीथि वियागरे ॥

देवता, मनुष्यों और पशुओं के परस्पर युद्ध होने पर 'अमुक की जीत हो और अमुक की हार हो' ऐसा साधु को अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए ।

छः निषिद्ध वचन—

८१४. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को ये छह कुवचन बोलना नहीं कल्पता है ।

यथा—(१) अलीक वचन, (२) हीलित वचन,

(३) खिसित वचन, (४) परुप वचन,

(५) गार्हस्थ्य वचन, (६) व्युपशमित वचन पुनः कहना ।

आठ निषिद्ध स्थान—

८१५. (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ,

(५) हास्य, (६) भय, (७) वाचालता और (८) विक्रिया के प्रति

सावधान रहे—इनका प्रयोग न करे ।

प्रज्ञावान मुनि इन आठ स्थानों का वर्जन कर यथासमय निरवद्य और परिमित वचन बोले ।

चार प्रकार की सावद्य भाषाओं का निषेध—

८१६. जो (१) भाषा सत्या है, जो (२) भाषा मृषा है, जो (३) भाषा सत्यामृषा है, अथवा (४) जो भाषा असत्यामृषा है, उसमें भी यदि सत्यभाषा सावद्य (पाप सहित) अनर्थदण्डक्रिया युक्त, कर्कश, कटुक, निष्ठुर (निर्दय), कठोर (स्नेह रहित) कर्मों की आश्रवकारिणी तथा छेदनकारी (प्रीतिछेद करने वाली) भेदनकारी (फूट डालने वाली, परितापकारिणी, उपद्रवकारिणी) एवं प्राणियों का विघात करने वाली हो तो साधु या साध्वी ऐसी सत्यभाषा का भी प्रयोग न करे ।

मृषा आदि भाषाओं का निषेध—

८१७. भिक्षु मृषाभाषा का परिहार करे, अवधारिणी (निश्चयकारिणी) भाषा न बोले, भाषा के दोष का परिहार करे और सदा माया का त्याग करे ।

पूछने पर भी भिक्षु अपने लिए, पर के लिए या उभय के लिए सावद्य भाषा, निरर्थक और मर्म प्रगट करने वाली भाषा न बोले ।

सत्यामृषा (मिश्र) भाषा आदि भाषाओं का निषेध—

८१८. साधु धर्म सम्बन्धी भाषण करता हुआ भी भाषण न करने वाले (मौनी) के समान है। वह मर्मस्पर्शी भाषा न बोले व मातृ स्थान—माया (कपट) प्रधान वचन का त्याग करे। जो कुछ भी बोले, पहले उस सम्बन्ध में सोच विचार कर बोले ।

१ तहेव फरुसा भासा गुरुभूओवघाइणी । सच्चा वि सा न वत्तच्चा, जओ पावस्स आगमो ॥

तत्थिमा ततिया भासा, जं वदित्ताऽणुत्तप्पती ।
जं छन्नं तं न वत्तं, एसा आणा निर्यंठिया ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, गा. २५-२६

एवं च अट्टमन्नं वा, जं तु नामेइ सासयं ।
स भासं सच्चमोसं च, तं पि धीरो विवज्जए ॥

वित्त्वं पि तहामुत्ति, जं गिरं भासए नरो ।
तम्हा सो पुट्ठो 'पावेणं, किं पुण जो मुसं वए ॥

—दस. अ. ७, गा. ४-५

अवण्णवायाइयस्स णिसेहो—

८१६. अवण्णवायं च परम्महुस्स पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च

भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥

—दस. अ. ६, उ. ३, गा. ६

सावज्ज वयण णिसेहो—

८२०. तेहेव सावज्जं जोगं परस्सऽट्ठाए निट्ठियं ।
कीरमाणं ति वा नच्चा सावज्जं नाज्जवे मुणी ॥

—दस. अ. ७, गा. ४०

गिहत्थस्स सक्काराइ णिसेहो—

८२१. तहेवाऽसंजयं धीरो, आस एहि करेहि वा ।
सय चिट्ठ वयाहि ति, नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥

—दस. अ. ७, गा. ४७

पाडिपहियाण सावज्ज पण्हाणमुत्तरदाण णिसेहो—

८२२. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
से पाडिपहिया आगच्छेज्जा, ते णं पाडिपहिया एवं वंदेज्जा—

“आउसंतो समणा ! अवियाइं एत्तो पडिपहे पासह मणुस्सं
वा, गोणं वा, महिसं वा, पसुं वा, पक्खिं वा, सरीसवं वा,
जलचरं वा,

से त्तं मे आइक्खह, दंसेह ।”

त्तं णो आइक्खेज्जा, णो दंसेज्जा, णो तस्स तं परिजाणेज्जा,
तुसिणीए उबेहेज्जा, जाणं वा णो जाणं ति वदेज्जा । ततो
संजयामेव गामाणुगामं दूइजेज्जा ।

चार प्रकार की भाषाओं में जो तृतीय भाषा (सत्या-मृषा) है, उसे साधु न बोले क्योंकि ऐसी भाषा बोलने के बाद पश्चात्ताप करना पड़ता है जिस बात को सब लोग छिपाते (गुप्त रखते) हैं अथवा जो छन्न (हिंसा) प्रधान भाषा है ऐसी भाषा भी न बोले । यह निर्ग्रन्थ (भगवान) की आज्ञा है ।

विचारशील साधु, सावद्य और कर्कश भाषाओं का तथा इसी प्रकार की अन्य भाषाओं का भी 'जो बोली हुई पुरुषार्थ मोक्ष की विघातक होती है' चाहे फिर वे मिथ्यभाषा हों या केवल सत्य-भाषा हों, विशेष रूप से परित्याग करे ।

जो मनुष्य सत्य पदार्थ की आकृति के समान आकृति वाले असत्य पदार्थ को भी सत्य पदार्थ कहता है, वह भी जब पाप कर्म का बंध करता है, तो फिर जो केवल असत्य ही बोलते हैं, उनके विषय में कहना ही क्या है ?

अवर्णवाद आदि का निषेध—

८१६. जो पीछे से अवर्णवाद (निन्दा वचन) नहीं बोलता जो सामने विरोधी वचन नहीं कहता, जो निश्चयकारिणी और अप्रियकारिणी भाषा नहीं बोलता वह पूज्य है ।

सावद्य वचन का निषेध—

८२०. दूसरे के लिए किए गए या किए जा रहे सावद्य व्यापार को जानकर मुनि सावद्य वचन न बोले ।

गृहस्थ के सत्कारादि का निषेध—

८२१ इसी प्रकार धीर और प्रजावान मुनि असंयति (गृहस्थ) को बैठ, इधर आ, अमुक कार्य कर, सो, ठहर या खड़ा हो जा, चला जा - इस प्रकार न कहे ।

पथिकों के सावद्य प्रश्नों के उत्तर देने का निषेध—

८२२. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी के मार्ग में कुछ पथिक सामने आ जाएँ और वे यों पूछे कि—

आयुष्मन् श्रमण ! क्या आपने मार्ग में किसी मनुष्य को, मृग को, भैंसे को, पशु या पक्षी को, सर्प को या किसी जलचर जन्तु को जाते हुए देखा है ?

यदि देखा हो तो हमें बताओ कि वे किस ओर गए हैं, हमें दिखाओ ।

ऐसा कहने पर साधु न तो उन्हें बताए न मार्ग-दर्शन करे, न उनकी बात को स्वीकार करे, बल्कि कोई उत्तर न देकर मौन रहे । अथवा जानता हुआ भी (उपेक्षा भाव से) 'मैं नहीं जानता' ऐसा कहे । फिर यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—
“आउसंतो समणा । अवियाइं एत्तो पडिपहे पासह उदग-
पसूताणि कंदाणि वा, मूलाणि वा, तथाणि वा, पत्ताणि वा,
पुप्फाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा, हरित्ताणि वा, उदयं
वा, संणिहिं अगणिं वा संणिविखत्तं, से तं मे आइक्खह
दंसेह ।”

तं णो आइक्खेज्जा-जाव-गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—
“आउसंतो समणा ! अवियाइं एत्तो पडिपहे पासह जवसाणि
वा, सगडाणि वा, रहाणि वा, सच्चकाणि वा, परच्चकाणि
वा, सेणं वा, विरुवरूचं संणिविट्ठं, से तं मे आइक्खह
दंसेह ?”

तं णो आइक्खेज्जा-जाव-गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—
“आउसंतो समणा ! केवतिए एत्तो गामे वा-जाव-रायहाणी
वा, से तं मे आइक्खह दंसेह ?”

तं णो आइक्खेज्जा-जाव-गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेज्जा ते णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा—
“आउसंतो समणा ! केवइए एत्तो गामस्स वा-जाव-
रायहाणीए वा मग्गे ? से तं मे आइक्खह दंसेह ?”

तं णो आइक्खेज्जा-जाव-गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. ३, सु. ५१०-५१४

आमंतणे सावज्ज भासा णिसेहो—

८२३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा पुमं आमंतमाणे आमंतित्ते वा अपडिसुणमाणे णो एवं वदेज्जा—

होले ति वा, गोले ति वा, वसूले ति वा, कुपक्खे ति वा,
धडदासे ति वा, साणे ति वा, तेणे ति वा चारिए ति वा,

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में सामने से कुछ पथिक निकट आ जाएँ और वे साधु से यों पूछे—

“आयुष्मन् श्रमण ! क्या आपने इस मार्ग में जल में पैदा होने वाले कन्द या मूल, अथवा छाल, पत्ते, फूल, फल, बीज रहित अथवा संग्रह किया हुआ पेयजल या निकटवर्ती जल का स्थान, अथवा एक जगह रखी हुई अग्नि देखी है ? अगर देखी हो तो हमें बताओ ?”

इस पर साधु उन्हें कुछ न बताये—यावत्—ग्रामानुग्राम विहार करे ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में कुछ पथिक निकट आकर पूछें कि—

“आयुष्मन् श्रमण ! क्या आपने इस मार्ग में जो (आदि धान्यों का ढेर) बैलगाड़ियाँ, रथ, या स्वचक्र या परचक्र के शासक के (सैन्य के) या नाना प्रकार के पड़ाव देखे हैं ? यदि देखे हों तो हमें बताओ ।”

ऐसा सुनकर साधु उन्हें कुछ न बताये,—यावत्—ग्रामानुग्राम विहार करे ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में कुछ पथिक निकट आकर पूछें कि—

“आयुष्मन् श्रमण ! यह गाँव कैसा है, या कितना बड़ा है ? —यावत्—राजधानी कैसी है या कितनी बड़ी है ? यदि देखी हो तो हमें बताओ ?”

ऐसा सुनकर साधु उन्हें कुछ न बताए—यावत्—ग्रामानुग्राम विहार करे ।

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु या साध्वी को मार्ग में कुछ पथिक निकट आकर पूछें कि—

“आयुष्मन् श्रमण ! यहाँ से ग्राम—यावत्—राजधानी कितनी दूर है ? या यहाँ से ग्राम—यावत् राजधानी का मार्ग अब कितना शेष रहा है ? जानते हो तो हमें बताओ ।”

ऐसा सुनकर साधु उन्हें कुछ भी न कहे—यावत्—यतना पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे ।

आमन्त्रण में सावद्य भाषा का निषेध—

८२३. साधु या साध्वी किसी पुरुष को आमन्त्रित (सम्बोधित) कर रहे हों, और आमन्त्रित करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार न कहे—

अरे होले (मूर्ख) रे गोले ! (या हे गोले ! या हे गोला !)
अय वृषल (शूद्र) हे कुपक्ष (दास या निन्द्यकुलीन) अरे भटदास

१ होलावायं, सहीवायं, गोतावायं च नो वदे । तुमं तुमं ति अमणुणं, सव्वसो तं ण वत्तए ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, गा. २७

मायी ति वा, मुसावारी ति वा इतियाइं तुमं, इतियाइं ते जलगा वा ।" एतत्पणारं भासं सावज्जं सकिरियं-जाव-भूतोपघातियं अभिरुंग णो भासेज्जा ।

—आ. सु. २. अ. ४, उ. १, सु. ५२६

अन्नए पण्णाए वा पि अण्णे च्छन्नपिउ त्ति य ।
भाउना भाइणेज्ज त्ति पुत्ते ननुत्तिय त्ति य ॥

—दस. अ. ७, गा. १८

मे निरुण्ण वा निरुण्णो वा इत्थो आमंतेमाणे आमंतिते य अपट्ठिमुणेमाणी णो एयं वदेज्जा—'होनी ति वा, गोली ति वा, बगुले ति वा, कुपले ति वा, घट्टदामी ति वा, साणे ति वा, सेणे ति वा, शारिए ति वा, माई ति वा, मुनायार्ई ति वा, इत्थंघाईं तुमं एनाइं ते जलगां वा एतत्पणारं भासं सावज्जं-जाव-णो भासेज्जा ।'

—आ. सु. २. अ. ४, उ. १, सु. ५२८

अज्जिणए पज्जिणए वा पि अण्णे भाउत्तिय त्ति वा ।
पिउत्तियए भाइणेज्ज त्ति, पुणं ननुत्तियए त्ति य ॥

—दस. अ. ७, गा. १४

अज्ञाइमु सावज्ज भाणा निमेहो—

८२४. मे निरुण्ण वा निरुण्णो वा जहा येणत्तियाइं अयाइं-पामेज्जा
त्ता वि ताइं णो एयं वदेज्जा,
तं जहा—'१. गंडो गंडो ति वा,

२. कुट्टो कुट्टो ति वा,
३. राचंनि राचंमो ति वा,
४. अबमारियं, अबमारिणं ति वा,
५. काणियं काणिए ति वा,
६. तिणियं तिणिए ति वा,
७. कुणियं कुणिए ति वा,
८. पुत्तियं पुत्तिए ति वा,
९. उदरो उदरीए ति वा,
१०. मुट्टं मुट्टं ति वा,
११. मुत्तियं मुत्तिए ति वा,

१ (ग) गंडेण होने गोले ति माणे वा बगुले ति य । दमए कुट्टए वा पि न तं भासेज्ज पण्णं ॥

—दस. अ. ७, गा. १४

(घ) हे हो हने ति अण्णे ति भट्टे माणिणं गोमिणं । होने गोलं बगुले त्ति पुरिसं नेवमानवे ॥

—दस. अ. ७, गा. १६

२ हने हने ति अण्णे त्ति भट्टे माणिणं गोमिणं । होने गोले बगुले त्ति इत्थियं नेवमानवे ॥

—दस. अ. ७, गा. १६

(दासीपुत्र) वा ओ कुत्ते ! ओ चोर ! अरे गुप्तचर ! अरे झूठे ! ऐसे (पूर्वोक्त प्रकार के) ही तुम हो, ऐसे (पूर्वोक्त प्रकार के) ही तुम्हारे माता-पिता हैं ।" विचारशील साधु इस प्रकार की सावध —यावत्—जीवोपघातिनी भाषा विचारकर न बोले ।

हे आर्यक ! (हे दादा, हे नाना !) हे प्रार्यक ! (हे परदादा ! हे परनाना !) हे पिता ! (हे चाचा !) हे मामा ! (हे भानजा ! , हे पुत्र, ! हे पोते ! ।

इस प्रकार पुरुष को आमन्त्रित न करे ।

साधु या साध्वी किसी महिना को बुला रहे हों, बहुत आवाज देने पर भी वह न मुने तो उसे ऐसे नीच सम्बोधनों से सम्बोधित न करे—

"अरी होनी ! (अरी गोली) अरी बृपली (धुद्रे) ! हे कुपक्षे ! अरी घट्टदामी ! ए कुत्ती ! अरी चौरटी ! हे गुप्तचरी ! अरी मायाविनी ! अरी झूठी ! ऐसी ही तू है और ऐसे ही तेरे माता-पिता हैं ।" विचारशील साधु-साध्वी इस प्रकार की सावध —यावत्—जीवोपघातिनी भाषा विचारकर न बोले ।

हे आर्यके ! (हे दादी !, हे नानी !) हे प्रार्थिके ! (हे परदादी ! हे परनानी ! हे अम्ब !, हे मां !), हे मौसी !, हे बुआ !, हे भानजी !, हे पुत्री !, हे पोती ! ,

इस प्रकार स्त्रियों को आमन्त्रित न करे ।

रोग आदि के सम्बन्ध में सावध भाषा का निषेध—

८२४. नाहु वा माध्वी यद्यपि अनेक रूपों को देखते हैं उन्हें देख-कर इस प्रकार (ज्यों के त्यों) न कहे ।

जैसे कि—(१) गण्टी (गण्ड-कण्ठमाला रोग से ग्रस्त या जिनका पैर सूज गया हो, को गण्टी)

- (२) कुण्ड-रोग से पीड़ित को कोढियां,
- (३) राजयक्ष्मा वाले को राजयक्ष्मावाला,
- (४) मृगी रोग वाले को मृगी,
- (५) एकाक्षी को काना,
- (६) जड़ता वाले को जड़ता वाला,
- (७) टूटे हुए हाथ वाले को टूटा,
- (८) कुबड़े को कुबड़ा,
- (९) उदर रोग वाले को, उदर रोगी,
- (१०) मूक रोग वाले को मूक,
- (११) शोथ रोग वाले को शोथ रोगी,

१ (ग) गंडेण होने गोले ति माणे वा बगुले ति य । दमए कुट्टए वा पि न तं भासेज्ज पण्णं ॥

—दस. अ. ७, गा. १४

(घ) हे हो हने ति अण्णे ति भट्टे माणिणं गोमिणं । होने गोलं बगुले त्ति पुरिसं नेवमानवे ॥

—दस. अ. ७, गा. १६

२ हने हने ति अण्णे त्ति भट्टे माणिणं गोमिणं । होने गोले बगुले त्ति इत्थियं नेवमानवे ॥

—दस. अ. ७, गा. १६

१२. "गिलासिणी गिलासिणी" ति वा,
 १३. वेवइं वेवइं ति वा,
 १४. पीढ सप्पी पीढ सप्पी ति वा,
 १५. सिलिवयं सिलिवए ति वा,
 १६. मधुमेहणी मधुमेहणी ति वा, हृत्यच्छिण्णं हृत्यच्छिण्णे
 ति वा, एवं पादच्छिण्णे ति वा, कण्णच्छिण्णे ति वा, नक्क-
 च्छिण्णे ति वा, उट्टच्छिण्णे ति वा ।^१

जे यावज्जणे तहप्पगाराहिं भासाहिं बुइया बुइया कुप्पंति
 माणवा ते यावि तहप्पगारा तहप्पगाराहिं भासाहिं अभिकंख
 णो भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३३

तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा ।
 वाहियं वा वि "रोगि" त्ति, तेणं "चोरे" त्ति नो वए ॥
 एएणज्जेण अट्टेण, परो जेणुवहम्मई ।
 आयारभावाडोसन्नु, न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

—दस. अ. ७, गा. १२-१३

वप्पाइसु सावज्ज भासा णिसेहो—

८२५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा जहा वेगितियाइं रूवाइं
 पासेज्जा, तं जहा-वप्पाणि वा-जाव-गिहाणि वा तथा वि
 ताइं णो एवं वदेज्जा, तं जहा—'सुकडे ति वा, सुट्टुकडे
 ति वा, साहुकडे ति वा, कल्लाणं ति वा, करणज्जे ति
 वा ।' एयप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख
 णो भासेज्जा । —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३५

उवक्खडे असणाइए सावज्ज भासा णिसेहो—

८२६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा असणं वा-जाव-साइमं वा
 उवक्खडियं पेहाए तथा वि तं णो एवं वदेज्जा, तं जहा—
 "सुकडे ति वा, सुट्टुकडे ति वा, साहुकडे ति वा, कल्लाणे
 ति वा, करणज्जे ति वा ।" एतप्पगारं भासं सावज्जं
 -जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।^१

—अ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३७

परिवुड्ढकाइए माणुस्साइए सावज्ज भासा णिसेहो—

८२७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा मणुस्सं वा गोणं वा महिसं वा
 मियं वा पसुं वा पक्खि वा सरीसि वा जलयरं वा सत्तं

(१२) भस्मकरोग वालों को भस्मक रोगी,
 (१३) कम्पनवात वाले को वाती,
 (१४) पीठसर्पी-पंगु को पीठसर्पी,
 (१५) श्लीपदरोग वाले को हाथीपगा,
 (१६) मधुमेह वाले को मधुमेही, कहकर पुकारना, अथवा
 जिसका हाथ कटा है उसको हाथकटा, पैर कटे को पैरकटा,
 नाक कटा हुआ हो तो नकटा, कान कट गया हो उसे कनकटा
 और ओठ कटा हुआ हो उसे ओठकटा कहना ।

ये और अन्य जितने भी प्रकार के हों, उन्हें इस प्रकार की
 (आघातजनक) भाषाओं से सम्बोधित करने पर वे व्यक्ति दुःखी
 या कुपित हो जाते हैं । अतः ऐसा विचार करके उन लोगों को
 (जैसे वे हों उन्हें वैसी) भाषा से सम्बोधित न करे ।

इसी प्रकार काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को
 रोगी और चोर को चोर न कहे ।

आचार (वचन-नियमन) सम्बन्धी भाव-दोष (चित्त के प्रद्वेश
 या प्रमाद) को जानने वाला प्रज्ञावान् पुरुष पूर्व श्लोकोक्त अथवा
 इसी कोटि की दूसरी भाषा, जो दूसरे को अग्रिय लगे, न बोले ।

प्राकार आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

८२५. साधु या साध्वी यद्यपि कई रूपों को देखते हैं, जैसे कि
 प्राकार—यावत्—भवन आदि, इनके विषय में ऐसा न कहें,
 जैसे कि—“यह अच्छा बना है, भली भाँति तैयार किया गया है,
 सुन्दर बना है, यह कल्याणकारी है, यह करने योग्य है” इस
 प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातक भाषा न बोलें ।

उपस्कृत अशनादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का
 निषेध—

८२६. साधु या साध्वी अशन—यावत्—स्वादिम आहार को
 देखकर इस प्रकार न कहे, जैसे कि—“यह आहारादि पदार्थ
 अच्छा बना है, या सुन्दर बना है, अच्छी तरह तैयार किया गया
 है, या कल्याणकारी है और अवश्य करने (खाने) योग्य है ।”
 इस प्रकार की भाषा साधु या साध्वी सावद्य—यावत्—जीवोप-
 घातक भाषा जानकर न बोले ।

पुष्ट शरीर वाले मनुष्य आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा
 का निषेध—

८२७. साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर वाले किसी मनुष्य, सांड,
 भैंसे, मृग या पशु, पक्षी, सर्प या जलचर अथवा किसी प्राणी को

१ सुकडे त्ति सुपक्के त्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मडे । सुनिट्ठिए सुलट्ठे त्ति, सांवज्जं वज्जए मुणी ॥

परिवृद्धकायं पेहाए णो एवं वदेज्जा—“थुल्ले ति वा, पमेतिले ति वा, वट्टे ति वा, वज्जे ति वा, पाइमे ति वा ।” एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।^१ —आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५३६

गो आइसु सावज्ज भासा णिसेहो—

८२८. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा विणवह्वाओ गाओ पेहाए णो एवं वदेज्जा, तं जहा—“गाओ दोज्जा ति वा, दम्मा ति वा, गोरहगा ति वा, वाहिमा ति वा, रहजोग्गा ति वा”^२ एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४१

उज्जाणाइसु सावज्ज भासा णिसेहो—

८२९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा तहेव गंतुमुज्जाणाइं पव्वयाइं वणाणि वा रुक्खा महल्ला पेहाए णो एवं वदेज्जा, तं जहा—“पासायजोग्गा ति वा, तोरणजोग्गा ति वा, गिह-जोग्गा ति वा, फलितजोग्गा ति वा, अगलजोग्गा ति वा, नावाजोग्गा ति वा, उदगदोणिजोग्गा ति वा, पीढ-चंगेवर-गंगल-कुलिय-जंतलट्टी-णाभि-गंडी-आसणजोग्गा ति वा, सयण-जाण-उवस्सयजोग्गा ति वा ।” एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।^३

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४३

वणफलेसु सावज्ज भासा णिसेहो—

८३०. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा बहुसंभूता वणफला पेहाए तहा वि ते णो एवं वदेज्जा, तं जहा—“पक्काइं वा, पायखज्जाइं वा, वेलोतियाइं वा, टालाइं वा, वेहियाइं वा ।”^४ एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४५

देखकर ऐसा न कहे कि यह स्थूल (मोटा) है, इसके शरीर में बहुत चर्बी-मेद है, यह गोलमटोल है, यह वध या वहन करने (बोझा ढोने) योग्य है, यह पकाने योग्य है। इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातक भाषा जानकर प्रयोग न करे।

गाय आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

८२८. साधु या साध्वी नाना प्रकार की गायों तथा गौजाति के पशुओं को देखकर ऐसा न कहे—कि ये गायें दूहने योग्य हैं, अथवा इनको दूहने का समय हो रहा है, तथा यह बिल दमन करने योग्य है, यह वृषभ छोटा है, या यह वहन करने योग्य है, यह रथ में जोतने योग्य है, इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातक भाषा जानकर प्रयोग न करे।

उद्यान आदि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

८२९. साधु या साध्वी किसी प्रयोजनवश किन्हीं वगीचों में, पर्वतों पर या वनों में जाकर वहाँ बड़े-बड़े वृक्षों को देखकर ऐसे न कहे, कि—“यह वृक्ष (काटकर) मकान आदि में लगाने योग्य है, यह तोरण—नगर का मुख्य द्वार बनाने योग्य है, यह घर बनाने योग्य है, यह फलक (तख्त) बनाने योग्य है, इसकी अर्गला बन सकती है, या नाव बन सकती है, पानी की बड़ी कुंडी अथवा छोटी नौका बन सकती है, अथवा यह वृक्ष-नौकी (पीठ) काष्ठ-मयी पात्री, हल, कुलिक, यंत्रयण्टी (कोल्हू) नाभि काष्ठमय अहरन, काष्ठ का आसन बनाने के योग्य है अथवा काष्ठशय्या (पलंग) रथ आदि यान उपाश्रय आदि के निर्माण के योग्य है। इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातिनी भाषा जानकर साधु न बोले।

वन-फलों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

८३०. साधु या साध्वी प्रचुर मात्रा में लगे हुए वन फलों को देखकर इस प्रकार न कहे जैसे कि—“ये फल पक गये हैं, या पराल आदि में पकाकर खाने योग्य हैं, ये पक जाने से ग्रहण कालोचित फल हैं, अभी ये फल बहुत कोमल हैं, क्योंकि इनमें अभी गुठली नहीं पड़ी है, ये फल तोड़ने योग्य हैं या दो टुकड़े करने योग्य हैं।” इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातिनी भाषा जानकर न बोले।

१ तह्वेव मणुमं पसुं, पक्खि वा वि, सरीसिवं । थूल्ले पमेइले वज्जे, पाइमे ति य नो वए ॥

—दस. अ. ७, गा. २२

२ तह्वेव गाओ दुज्जाओ दम्मा गोरहगा ति य । वाहिमा रहजोग्गा ति नेवं भासेज्ज पण्णवं ॥

—दस. अ. ७, गा. २४

३ तह्वेव गंतुमुज्जाणं पव्वयाणि वणाणि य । रुक्खा महल्ला पेहाए, नेवं भासेज्ज पण्णवं ॥

अलं पासायवंधाणं तोरणण गिहाण य । फलिहज्जगल-नावाणं अलं उदगदोणिणं ॥

पीढाणं चंगेवरे य नंगने मडयं मिया । जंतलट्टी व नाभी वा गंडिया व अलं सिया ॥

आसणं सयणं जाणं होज्जा वा किचुवस्सए । भूओवघाडिणि भासं नेवं भासेज्ज पण्णवं ॥

—दस. अ. ७, गा. २६-२६

४ तहा फलाइं पक्काइं पायखज्जाइं नो वए । वेलोइयाइं टालाइं वेहियाइं ति नो वए ॥

—दस. अ. ७, गा. ३२

ओसहिसु सावज्ज भासा णिसेहो—

२३१. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा बहुसंभूताओ ओसहीए पेहाए तहा वि ताओ णो एवं वदेज्जा—तं जहा—“पक्का ति वा, णीतिया ति वा, छबीया ति वा, लाइमा ति वा, भज्जिमा ति वा, बहुखज्जा ति वा ।” एतप्पगारं भासं सावज्जं -जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।¹

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४७

सद्दाइसु सावज्ज भासा णिसेहो—

२३२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा जहा वेगतियाइं सद्दाइं सुणेज्जा तहा वि ताइं णो एवं वदेज्जा—तं जहा—“सुसद्दे ति वा, दुसद्दे ति वा ।” एतप्पगारं भासं सावज्जं-जाव-भूतोवघातियं अभिकंख णो भासेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ४, उ. २, सु. ५४६

विधि-निषेध-कल्प—३

वत्तव्वा अवत्तव्वा य भासा—

२३३. चउण्हं खलु भासाणं, परिसंखाय पण्णवं ।
दोण्हं तु विणयं सिक्खे दो न भासेज्ज सव्वसो ॥

जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चाओसा य जा मुसा ।

जा य बुद्धेहिण्णाइण्णा, न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

—दस. अ. ७, गा. १-२

दाणदिसाए भासा विवेगो—

२३४. तहागिरं संमारंभ अत्थि [पुण्णं ति णो वदे ।
अहवा णत्थि पुण्णं ति, एवमेयं महव्वंभयं ॥

दाणदुयाए जे पाणा, हम्मंति तस-थावरा ।

तेसि सारक्खणद्दाए, तम्हा [अत्थि ति णो वए ॥

जेसि तं उवकप्पेति, अण्ण-पाणं तहाविहं ।

तेसि लाभंतरायं ति, तम्हा णत्थि ति, णो वदे ॥

औषधियों के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

२३१. साधु या साध्वी बहुत मात्रा में पैदा हुई औषधियों (गहूँ, चावल आदि के लहलहाते पीधों) को देखकर यों न कहे, जैसे कि—ये पक गई है, या ये अभी कच्ची या हरी हैं, ये छवि (फली) वाली हैं, ये अब काटने योग्य हैं, ये भूनने या सेकने योग्य हैं, इनमें बहुत-सी खाने योग्य हैं; या चिवड़ा बनाकर खाने योग्य हैं । इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातिनी भाषा जानकर न बोलें ।

शब्दादि के सम्बन्ध में सावद्य भाषा का निषेध—

२३२. साधु या साध्वी यद्यपि कई शब्दों को सुनते हैं, तथापि उनके विषय में (राग-द्वेष युक्त भाव में) यों न कहे, जैसे कि—यह मांगलिक शब्द है, या यह अमांगलिक शब्द है । इस प्रकार की सावद्य—यावत्—जीवोपघातक भाषा जानकर न बोलें ।

कहने योग्य और नहीं कहने योग्य भाषा—

२३३. प्रजावान साधु (या साध्वी) (सत्या आदि) चारों ही भाषाओं को सभी प्रकार से जानकर (दो उत्तम) भाषाओं का शुद्ध प्रयोग (विनय) करना सीखे और (शेष) दो (अधम) भाषाओं को सर्वथा न बोलें ।

तथा जो भाषा सत्य है, किन्तु (सावद्य या हिंसाजनक होने से) अवक्तव्य (बोलने योग्य नहीं) है, जो सत्या-मृषा (मिश्र) है, तथा मृषा है एवं जो (सावद्य) असत्यामृषा (व्यवहार भाषा) है, (किन्तु) तीर्थकरदेवों (बुद्धों) के द्वारा अनाचीर्ण है उसे भी प्रजावान साधु न बोलें ।

दान सम्बन्धी भाषा-विवेक—

२३४. (सचित्त अन्न या जल देने पर पुण्य होता है या नहीं) ऐसे प्रश्न को सुनकर उत्तर देते हुए पुण्य होता ही है, ऐसा श्रमण न कहे, अथवा पुण्य होता ही नहीं है), ऐसा कहना भी श्रमण के लिए महाभयदायक है ।

क्योंकि सचित्त अन्न या जल देने में जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं, अतः उनकी रक्षा के लिए पुण्य होता ही है, ऐसा भी श्रमण न कहे ।

जिन प्राणियों को सचित्त अन्न-पानी दिया जा रहा है उनके लाभ में अन्तराय न हो इसलिए पुण्य होता ही नहीं है, यह भी साधु न कहे ।

१ तहोसहीओ पक्काओ नीलियाओ छवी इ य । लाइमा भज्जिमाओ ति पिहुखज्ज ति नो वए ॥

जे य दाणं पसंसंति, वहमिच्छंति पाणिणं ।
जे य णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करंति ते ॥

दुहओ वि ते ण भासंति, अदिय वा नत्तिय वा पुणो ।
अयं रयस्स हेच्चाणं, णिव्वाणं पाउणंति ते ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १७-२१

अहियगारिणी भासा विवेगो—

८३५. अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा ।
पिट्ठिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जेण ॥

अप्पत्तियं जेण सिया, आसु कुप्पेज्ज वा परो ।
सव्वसो तं न भासेज्जा, भासं अहियगामिणिं ॥

दिट्ठं मियं असंदिट्ठं पट्ठिपुण्णं वियं जियं ।
अयंपिरमणुच्चिग्गं, भासं नित्तिर अत्तव्वं ॥

आयारपण्णत्तिघरं, दिट्ठिवायमहिज्जगं ।
वड्ढिव्वत्तियं णच्चा, न तं उवहसे मुणो ॥

—रस. अ. ८, गा. ४६-४६

साहुविसए भासाविवेगो—

८३६. बह्वे इमे असाहु, लोए चुच्चंति साहुणो ।
न लवे असाहुं साहुं ति, साहुं साहुं ति आलवे ॥
नाणदंसणसंपन्नं, संजमे य तये रयं ।
एवं गुणसमाउत्तं, संजयं साहुमालवे ॥

—दस. अ. ७, गा. ४८-४६

संखडि आइसु भासा विवेगो—

८३७. तहेव संखडि नच्चा, किच्चं णज्जं ति नो वए ।
तेणगं वा वि वज्जे ति, सुत्तित्थे ति य आवगा ॥

संखडि संखडि बूया, पणियट्ठंति तेणगं ।
बहुसमाणि तित्थाणि, आवगाणं वियागरे ॥

—दस. अ. ७, गा. ३६-३७

णईसु भासा विवेगो—

८३८. तहा नईओ पुण्णाओ, कायत्तिज्ज ति नो वए ।
नावाहि तारिमाओ ति, पाणिपेज्ज ति नो सए ॥

जो दान (सचित्त पदार्थों के आरम्भ से जन्य वस्तुओं के दान) की प्रशंसा करते हैं वे प्राणिवध की इच्छा करते हैं, जो दान का निषेध करते हैं, वे अनेक जीवों की वृत्ति का छेदन (जीविका भंग) करते हैं ।

साधु उक्त (सचित्त पदार्थों के आरम्भ से जन्य वस्तुओं के) दान में पुण्य होता है या नहीं होता है, ये दोनों बातें नहीं कहते हैं । इस प्रकार कर्मों के आगमन (आम्रव) को त्याग कर वे साधु निर्वाण-मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

अहितकारी भाषा विवेक—

८३५. संयमी साधक बिना पूछे उत्तर न दे, दूसरों के बोलने के बीच में बात काट कर न बोले, पीठ पीछे किसी की निन्दा न करे तथा बोलने में मायाचार एवं असत्य को विलकुल न आने दे ।

जिस भाषा के बोलने से दूसरे को अविश्वास पैदा हो अथवा दूसरे जन क्रुद्ध हो जायें, जिससे किसी का अहित होता हो ऐसी भाषा साधु न बोले ।

आत्मार्थी साधक, जिस वस्तु को जैसी देखी हो वैसी ही परिमित, संदेहरहित, पूर्ण, स्पष्ट एवं अनुभवयुक्त वाणी में बोले । यह वाणी भी वाचालता एवं परदुःखकारी भाव से रहित होनी चाहिये ।

आचार प्रज्ञप्ति को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला मुनि भी यदि प्रमादवश बोलने में स्वलित हो जाए तो यह जानकर मुनि उपहास न करे ।

साधु के सम्बन्ध में भाषा विवेक—

८३६. ये अनेक असाधु जन-साधारण में साधु कहलाते हैं । मुनि असाधु को साधु न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे ।

ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, संयम और तप में रत—इस प्रकार गुण-समायुक्त संयमी को ही साधु कहे ।

संखडि आदि के सम्बन्ध में भाषा विवेक—

८३७. (इसी प्रकार) दयालु साधु संखडि (जीमनवार) और कृत्य-मृतभोज को जानकर—ये करणीय हैं, चोर मारने योग्य है, और नदी अच्छी तरह से तैरने योग्य अथवा अच्छे घाट वाली है—इस प्रकार न कहे ।

(प्रयोजनवश कहना हो तो) संखडि को संखडि, चोर को पणितार्थ (घन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला) और “नदी के घाट प्रायः सम हैं”—इस प्रकार कहा जा सकता है ।

नदियों के सम्बन्ध में भाषा-विवेक—

८३८. तथा नदियां जल से भरी हुई हैं, शरीर से तिरकर पार करने योग्य हैं, नौका के द्वारा पार करने योग्य हैं और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं—इस प्रकार न कहे ।

बहुवाहडा अगाहा, बहुसलिलुप्पिलोदंगा ।
बहुवित्थडोदगा यावि, एवं भासेज्ज पन्नवं ॥

—दस. ख ७, गा. ३८-३९

कयविक्रए भासा विवेगो—

८३९. सन्वुक्कसं परगधं वा, अउलं नत्थि एरिसं ।
अचविक्रयमवत्तव्वयं, अचित्तं चैव नो वए ॥

सन्वमेयं वइस्सामि, सव्वमेयं ति नो वए ।
अणुवीइ सव्वं सव्वत्थ, एवं भासेज्ज पन्नवं ॥

सुवकीयं वा सुविककीयं. अकेज्जं केज्जमेव वा ।
इमं गेण्ह इमं मुंच, पणियं नो वियागरे ॥

अपग्घे वा महग्घे वा, कए वा विक्कए वि वा ।
पणियट्ठे समुप्पन्ने, अणवज्जं वियागरे ॥

—दस. अ. ७, गा. ४३-४६

भाषा समिति के प्रायश्चित्त—४

अप्यफरुसदयणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

८४०. जे भिक्खू लहुसगं फरुसं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. २, सु. १८

आगाढाइवयणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

८४१. जे भिक्खू भिक्खू आगाढं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भिक्खू फरुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू भिक्खू आगाढ-फरुसं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. १-३

(प्रयोजनवश कहना हो तो) (नदियाँ) जल से प्रायः भरी हुई हैं, प्रायः अगाध हैं, बहु-सलिला हैं, दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है। बहुत विस्तीर्ण जल वाली है—प्रजावान् भिक्षु इस प्रकार कहे।

क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में भाषा विवेक—

८३९. (क्रय-विक्रय के प्रसंग में) यह वस्तु नवोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है, यह तुलनारहित है, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसका मोल करना शक्य नहीं है इसकी विधेयता नहीं कही जा सकती है, यह अचिन्त्य है—इस प्रकार न कहे।

(कोई सन्देश कहलाए तब) 'मैं यह सब कह दूँगा', (किन्ती को सन्देश देता हुआ (यह पूर्ण है) अविकल या ज्यों का त्यों है), इस प्रकार न कहे। सब प्रसंगों में पूर्वोक्त सब वचन-विधियों का अनुचिन्तन कर प्रजावान् मुनि वैसे बोलें (जैसे कर्मवन्ध न हो)।

विक्रयार्थ रखी हुई वस्तु के बारे में (यह मान) अच्छा खरीदा (बहुत सस्ता आया) (यह माल), अच्छा बेचा (बहुत नफा हुआ), यह बेचने योग्य नहीं है, यह बेचने योग्य है, इस माल को ले (यह मंहगा होने वाला है), इस माल को बेच डाल (यह सस्ता होने वाला है)—इस प्रकार न कहे।

अल्पमूल्य या बहुमूल्य माल के लेने या बेचने के प्रसंग में मुनि अनवद्य वचन बोलें—क्रय-विक्रय से विरत मुनियों का इस विषय में कोई अधिकारी नहीं है, इस प्रकार कहे।

अल्प कठोर वचन कहने का प्रायश्चित्त सूत्र—

८४०. जो भिक्षु अल्प कठोर वचन कहता है, कहलवाता है, या कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

आगाढादि वचनों के प्रायश्चित्त सूत्र—

८४१. जो भिक्षु भिक्षु को अपशब्द कहता है, कहलवाता है, कहने के लिए अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु भिक्षु को कठोर शब्द कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

जो भिक्षु भिक्षु को अपशब्द और कठोर शब्द कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है।

एषणा समिति-१

एषणा समिद्धि—

८४२. पिंडं सेज्जं च वत्यं च, चउत्त्यं पायमेव य ।
अकप्पियं न इच्छेज्जा, पडिग्गाहेज्ज कप्पियं ॥

—दस. अ. ६, गा. ४७

एषणा समिति —

८४२. साधु या साध्वी अकल्पनीय पिण्ड (आहार) शय्या (वसति, उपाश्रय या धर्मस्थानक) वस्त्र (इन तीन) और चौथे पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे, ये कल्पनीय हो तो ग्रहण करे ।

पिंडेषणा—स्वरूप एवं प्रकार—२

सत्वदोषविष्यमुषकआहारस्वरूपं—

८४३. प०—अह भते ! सत्यातीतस्स सत्यपरिणामितस्स एसियस्स वेमियस्स सामुदानियस्स पाणभोयणस्स के अट्टे पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! जे णं णिग्गंथे वा णिग्गंथी वा निखित्त सत्यमुसले ववगतमाला वण्णगविलेवणे ववगत-चुय-चइय-चत्तदेहं जीवविष्यजदं अकयमकारियमसंकप्पियमणाहूत-मकीतकटमणुदिट्ठं नवकोडीपरिसुद्धं^१ दसदोसविष्यमुषकं^२ उग्ग-मउप्पायणेसणामु परिसुद्धं^३ वीतिगालं वीतधूमं संजोयणादोस-विष्यमुषकं^४ असुरमुरं अचवचवं अट्टतमविलंबितं अपरिसाटि अक्खोवज्जण-वणाणुलेवणभूतं संयमजातामायावत्तियं संजममार-वहणट्टयाए विलमिच पत्तगभूएणं अप्पाणेणं आहारमाहारेति ।

एस णं गोयमा ! सत्यातीतस्स सत्यपरिणामितस्स-जाव-पाण-भोयणस्स अट्टे पणत्ते ।^५

—वि. म. ७, उ. १, सु. २०

सर्वदोषमुक्त आहार का स्वरूप—

८४३. प्र०—भगवन् ! शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित, एषित, वेपित तथा सामुदानिक भिक्षारूप पान-भोजन का क्या अर्थ कहा गया है ?

उ०—गौतम ! जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी शस्त्र और मूसलादि का त्याग किये हुए हैं, पुष्पमाला, वर्णक और विलेपन के त्यागी हैं, देय वस्तु आगंतुक जीवों से रहित है, स्वतः परतः च्यवन और देह त्यागने से जीव रहित है, अर्थात् अचित्त है तथा जो साधु के लिए न बनाये हुए, न बनवाये हुए, असंकल्पित, अनिमंत्रित, साधु के लिए न खरीदे हुए, न बनाये हुए, नव कोटि विणुद्ध, दस प्रकार के दोषों से रहित उद्गम उत्पादन एवं एषणा सम्बन्धी दोषों से सर्वथा रहित, अंगार, धूम, संयोजना दोष रहित, सुड-मुड न करते हुए, चप्चप् न करते हुए, न जल्दी-जल्दी, न बहुत धीरे-धीरे, इधर-उधर न विखेरते हुए गाड़ी की धुरी के अंजन अथवा घाव पर लेपन करने के समान, केवल संयम यात्रा के निर्वाह के लिए मर्यादा युक्त संयम के भार को वहन करने के लिए, जैसे सांप सीधा विल में प्रवेश करता है उसी प्रकार सीधा गले के भीतर उतारते हुए आहार करता है ।

गौतम ! यही शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित—यावत्—पान भोजन का अर्थ कहा गया है ।

१ ठाणं अ. ६, सु. ६५१

२ १. संकिय, २. मदिग्गय, ३. निखित्त, ४. पिहय, ५. साहरिय, ६-७. दायगुम्मीसे, ८. अपरिणय, ९. लित्त, १०. छडिडय, एषण दोसा दस हवति ॥

३ तिविहा विसोही पणत्ता तं जहा—१. उग्गमविसोही, २. उप्पायणविसोही, ३. एषणाविसोही ।—ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. १६८

४ वि. स. ७, उ. १, सु. १८

५ (क) अकयमकारियमणा ह्यमणुदिट्ठं अकीयकडं णवहि य कोडिहि सुपरिसुद्धं । दसहि य दोसेहि—विष्यमुषकं, उग्गम-उप्पायणे-मणामुद्धं, ववगयचुयचावियचत्तदेहं च फामुयं ।

प्र० अहं केरिसयं पुणाइ कप्पइ ?

—प. सु. २, अ. १, सु. ५
(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

आहाराद् गिष्फज्जण कारणा-ग्रहण-भुञ्जण विहि य—

८४४. से भिक्खू अह पुणेवं जाणेज्जा, तं जहा—विज्जति तेसि परक्कमे जस्सट्ठते चेतियं सिया, तं जहा—
अप्पणो से पुत्ताणं, धूयाणं, ण्हाणं, धाईणं, णाईणं, राईणं,
दासाणं, दासीणं, कम्मकराणं, कम्मकरीणं, आदेसाए, पुढो
पहेणाए सामासाए, पातरासाए, सण्णिसंणियए, कज्जति
इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए ।

तत्थ भिक्खू परक्कड-परणिद्धितं उग्गमुप्पायणेसणासुद्धं सत्था-
तीतं सत्थपरिणामितं अविहिंसितं एसियं वेसियं सामुदाणियं
पणमसणं कारणट्ठा पमाणजुत्तं अक्खोवंजण-वणलेवणभूयं
संजमजातामायावुत्तियं विलमिव पन्नगभूतेणं अप्पाणेणं
आहारं आहारेज्जा, तं जहा—अन्नं अन्नकाले, पाणं पाण-
काले, वत्थं वत्थकाले, लेणं लेणकाले, सयणं सयणकाले ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८८

गंधासत्तिणिसेहो—

८४५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावड्कुलं पिण्डवायपडियाए
अणुपविट्ठे समणे से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा,
गाहावतिकुलेसु वा, परियावसहेसु वा, अण्णगंधाणि वा,
पाणगंधाणि वा, सुरभिगंधाणि वा, आघाय आघाय से तत्थ
आसायपडियाए मुच्छिण्णं गिद्धे गिद्धे अज्झोववण्णे “अहो
गंधो, अहो गंधो” णो गंधमाघाएज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७४

माहुकरी वित्ती—

८४६. जहा डुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियई रसं ।
न य पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥

(पिछले पृष्ठ का शेष)

उ० जं तं एक्कारस-पिण्डवायसुद्धं । (आ. सु. २, अ. १, उ. १-११) किण्ण हणण-पयण-कय-कारियाणुभोयण-नवकोडीहि
सुपरिसुद्धं दसहि य दोसेहि विप्पमुक्कं । उग्गमउप्पायणेसणाए सुद्धं ववगय-चुयचवियं-वत्त-देहं च फासुयं ववगय-संजोगमणिगालं
विगयधूमं । छट्ठाणं निमित्तं छक्काय-परिरक्खणट्ठा हणिं हणिं फासुएण भिक्खेणं वट्ठियच्चं ।

—प. सु. २, अ. ५, सु. ६

आहार निष्पादन के कारण व उसे ग्रहण करने तथा खाने की विधि—

८४४. भिक्षु यह जाने कि आहार बनाना गृहस्थों का कार्य है, वे
जिनके लिये आहार बनाते हैं वे इस प्रकार हैं—

अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिये, पुत्रवधुओं के लिए,
धाय के लिए, ज्ञातिजनों के लिए, राजन्यों, दास, दासी, कर्मकर
कर्मकरी के लिए तथा अतिथि के लिए या किसी दूसरे स्थान
पर भेजने के लिए सायंकाल में खाने के लिए अथवा प्रातः नाश्ते
के लिए तथा इन मनुष्यों के भोजन के लिये सन्निधि संचय
किया जाता है ।

ऐसी स्थिति में साधु दूसरे के द्वारा दूसरों के लिए बनाये
हुए तथा उद्गम, उत्पादन और एपणा दोष से रहित होने से
शुद्ध एवं अग्नि आदि शस्त्र द्वारा परिणत होने से प्रासुक बने
हुए, एवं अग्नि आदि शस्त्रों द्वारा निर्जीव किये हुए, हिंसादोष
से रहित तथा एपणा से प्राप्त, तथा साधु के वेप से प्राप्त
सामुदानिक भिक्षा से प्राप्त, प्राज्ञ—गीतार्य के द्वारा लाया हुआ,
छह कारणों से युक्त, प्रमाणोपेत, एवं गाड़ी की धुरी में दिये
जाने वाले तेल तथा घाव पर लगाये गए लेप के समान, केवल
संयम यात्रा के निर्वाहार्थ, विल में प्रवेश करते हुए सांप के
समान स्वाद लिये बिना ही सेवन करे । जैसे कि भिक्षु अन्नकाल
में अन्न को, पानकाल में पान को, वस्त्र काल में वस्त्र को,
मकान में निवास के समय में मकान को, शयनकाल में शय्या
को ग्रहण करे ।

गन्ध में आसक्ति का निषेध—

८४५. भिक्षु या भिक्षुणी आहार प्राप्ति के लिए जाते समय
धर्मशालाओं में, उद्यानगृहों में, गृहस्थों के घरों में, परिव्राजक
के मठों में आहार की सुगन्ध, पेय पदार्थ की सुगन्ध तथा कस्तूरी
इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों की सौरभ को सूँघ सूँघ कर उस
सुगन्ध के आस्वादन की कामना से उसमें मूर्च्छित, गूढ़, शस्त
एवं आसक्त होकर “वाह ! क्या ही अच्छी सुगन्ध है ।” इस
प्रकार कहता हुआ या मन में सोचता हुआ उस गन्ध की सुवास
न ले ।

मधुकरी वृत्ति—

८४६. जिस प्रकार भ्रमर द्रुप-पुष्पों से थोड़ा-थोड़ा रस पीता
है, किसी भी पुष्प को म्लान नहीं करता और अपने को भी तृप्त
कर लेता है—

एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहूणो ।
विहंगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥

वयं च विंति लव्भामो, न य कोइ उवहम्मई ।
अहागडेसु रीयंति, पुप्फेसु भमरो जहा ॥

महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया ।
नाणापिडरया दंता, तेण वुच्चंति साहूणो ॥

—दस. अ. १, गा. २-५

मिगचरियावित्ती—

८४७. जहा मिगे एग अणेगचारी,
अणेगवासे धुवयोपरे य ।

एवं मुणी गोयरियं पविट्ठे,
वो हीलए नो वि य खिसएज्जा ।

—उत्त. अ. १६, गा. ८४

कावोयावित्ती—

८४८. कावोया जा इमा वित्ती^१, केसलोओ य दारुणो ।
डुक्खं वंभवयं घोरं धारेडं अ महप्पणो ॥

—उत्त. अ. १६, गा. ३४

अदीणवित्ती—

८४९. अदीणी वित्तिमेसेज्जा, न विसीएज्ज पंडिए ।
अमुच्छिओ भोयणम्मि, मायन्ते एसणारए ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २६

भिक्षुस्स आहारेण घुणोवमा—

८५०. चत्तारि घुणा पणत्ता, तं जहा—

१. तयक्खाए,
२. छल्लिक्खाए,
३. कट्टक्खाए,
४. सारक्खाए ।

एवाभेव चत्तारि भिक्षाणा पणत्ता, तं जहा—

उसी प्रकार लोक में जो मुक्त (अपरिग्रही) श्रमण साधु है वे दाता द्वारा दिये जाने वाले निर्दोष आहार की एषणा में रत रहते हैं, जैसे—भ्रमर पुष्पों में ।

“हम इस तरह से भिक्षा वृत्ति करेंगे कि किसी जीव का हनन न हो ।” क्यों कि श्रमण यथाकृत (सहज रूप से बना) आहार लेते हैं, जैसे—“भ्रमर पुष्पों से रस ।”

जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्चित हैं अर्थात् किसी एक पर आश्रित नहीं है, अनेक घरों से प्राप्त आहार में रत रहते हैं और जो दान्त हैं वे इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं ॥

मृगचर्या वृत्ति—

८४७. जिस प्रकार हरिण अकेला अनेक स्थानों से भक्त-पान लेने वाला, अनेक स्थानों में रहने वाला और सदा गोचरचर्या से ही जीवन-यापन करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरचर्या के लिए प्रविष्ट मुनि जब भिक्षा के लिए जाता है तब किसी की अवज्ञा और निन्दा नहीं करता है ।

कापोति वृत्ति—

८४८. यह जो कापोती-वृत्ति (कवूतरों के समान दोप-भीरुवृत्ति) दारुण केश-लोच और घोर ब्रह्मचर्य को धारण करता है, वह महान् आत्माओं के लिए भी दुष्कर है ।

अदीन वृत्ति—

८४९. भोजन में अमूर्च्छित, मात्रा को जानने वाला, एषणारत, पण्डित मुनि, अदीन भाव से वृत्ति (भिक्षा की एषणा) करे । भिक्षा न मिलने पर विपाद न करे । आहार निमित्त से भिक्षु को घुन^१ की उपमा—

८५०. घुण (काष्ठ-भक्षक कीड़े) चार प्रकार के कहे गये हैं जैसे—

- (१) त्वक्-खाद—वृक्ष की ऊपरी छाल को खाने वाला ।
- (२) छल्ली-खाद—छाल के भीतरी भाग को खाने वाला ।
- (३) काष्ठ-खाद—काठ को खाने वाला ।
- (४) सार-खाद—काठ के मध्यवर्ती सार को खाने वाला ।

इसी प्रकार भिक्षु चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

१ (क) कापोती-वृत्ति (कावोया जा इमा वित्ती—उत्त. अ. १६, गा. ३४) यहाँ साधु की भिक्षा-वृत्ति को “कापोत-वृत्ति” कहा गया है । जिस प्रकार कवूतर कण आदि को ग्रहण करते समय सदा सशंकित रहते हैं उसी प्रकार साधु की भिक्षाचर्या में सदा एषणादि—दोषों से सशंकित रहते हैं ।

(ख) उत्त. अ. १६, गा. ८४ में मृगचर्या का वर्णन भी है इस प्रकार १. मधुकरी वृत्ति, २. मृगचर्या वृत्ति, ३. कापोती वृत्ति, ४. रसवृत्ति, ५. अदीनवृत्ति आदि कई प्रकार की भिक्षाचर्या है ।

१. तयक्खायसमाणे,

२. छल्लिक्खायसमाणे,

३. कट्टक्खायसमाणे,

४. सारक्खायसमाणे ।

१. तयक्खायसमाणस्स णं भिक्खागस्स सारक्खायसमाणे तवे पण्णत्ते ।

२. सारक्खायसमाणस्स णं भिक्खागस्स तयक्खायसमाणे तवे पण्णत्ते ।

३. छल्लिक्खायसमाणस्स णं भिक्खागस्स कट्टक्खायसमाणे तवे पण्णत्ते ।

४. कट्टक्खायसमाणस्स णं भिक्खागस्स छल्लिक्खायसमाणे तवे पण्णत्ते ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २४३

भिक्षावृत्तिणा भिक्षुस्स मच्छोवमा—

८५१. चत्तारि मच्छा पण्णत्ता, तं जहा—

१. अणुसोयचारी,

२. पडिसोयचारी,

३. अंतचारी,

४. मज्झचारीः।

एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता, तं जहा—

१. अणुसोयचारी,

२. पडिसोयचारी

३. अंतचारी,

४. मज्झचारी ।

—ठा. अ. ४, उ. ४, सु. ३५०

भिक्षावृत्तिणा भिक्षुस्स विहगोवमा—

८५२. चत्तारी पक्खी पण्णत्ता, तं जहा—

१. णिवत्तिता णामनेगे णो परिवइत्ता,

(१) त्वक्-खाद—समान—नीरस, रुक्ष, अन्त-प्रान्त आहार भोजी साधु ।

(२) छल्ली-खाद—समान—अलेप, आहार भोजी साधु ।

(३) काष्ठ-खाद—समान—दूध, दही, घृतादि से रहित (विगयरहित) आहार भोजी साधु ।

(४) सार-खाद—समान—दूध, दही, घृतादि से परिपूर्ण आहार भोजी साधु ।

(१) त्वक्-खाद—समान—भिक्षुक का तप सार—खाद-घुण के समान कहा गया है ।

(२) सार-खाद—समान—भिक्षुक का तप त्वक्-खाद-घुण के समान कहा गया है ।

(३) छल्ली-खाद—समान—भिक्षुक का तप काष्ठ-खाद-घुण के समान कहा गया है ।

(४) काष्ठ-खाद—समान—भिक्षुक का तप छल्ली-खाद-घुण के समान कहा गया है ।

भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को मत्स्य की उपमा—

८५१. मत्स्य चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

(१) अनुस्रोतचारी—जल प्रवाह के अनुकूल चलने वाला मत्स्य—

(२) प्रदिस्रोतचारी—जल प्रवाह के प्रतिकूल चलने वाला मत्स्य ।

(३) अन्तचारी—जल प्रवाह के किनारे किनारे चलने वाला मत्स्य ।

(४) मध्यचारी—जलप्रवाह के मध्य में चलने वाला मत्स्य ।

इसी प्रकार भिक्षु भी चार प्रकार के कहे गये हैं जैसे—

अनुस्रोतचारी—उपाश्रय से लगाकर सीधी गली में स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला ।

(२) प्रदिस्रोतचारी—गली के अन्त से लगाकर उपाश्रय तक स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला ।

(३) अन्तचारी—नगर ग्रामादि के अन्त भाग में स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला ।

(४) मध्यचारी—नगर-ग्रामादि के मध्य में स्थित घरों से भिक्षा लेने वाला ।

भिक्षावृत्ति के निमित्त से भिक्षु को पक्षी की उपमा—

८५२. पक्षी चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

(१) निपतिता, न परिव्रजिता—कोई पक्षी अपने घोंसले से नीचे उतर सकता है, किन्तु (वच्चा होने से) उड़ नहीं सकता ।

२. परिव्रजितां णाममेगे णो णिवत्तिता,

३. एगे णिवत्तिता वि परिव्रजितावि,

४. एगे णो णिवत्तिता णो परिव्रजिता,

एवामेय चत्तारि भिक्षाणा पण्णत्ता, तं जहा—

१. णिवत्तिता णाममेगे णो परिव्रजिता,

२. परिव्रजिता णाममेगे णो णिवत्तिता,

३. एगे णिवत्तिता वि परिव्रजिता वि,

४. एगे णो णिवत्तिता णो परिव्रजिता ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३५२

चउव्विहो आहारो—

८५३. मणुस्साणं चउव्विहे आहारे पन्नत्ते, तं जहा—

- | | |
|-------------------------|----------|
| १. असणे, | २. पाणे, |
| ३. खाइमे, | |
| ४. साइमे । ^१ | |

चउव्विहे आहारे पन्नत्ते, तं जहा—

१. उवक्खरसंपन्ने,
२. उवक्खडसंपन्ने,
३. समावसंपन्ने,
४. परिजुसितसंपन्ने ।

—ठाणं. अ. ४, उ. २, सु. २६५

तिविहो आहारो—

८५४. तिविहे उवहडे पण्णत्ते, तं जहा—

१ ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३५०

(२) परिव्रजिता, न निपत्तिता—कोई पक्षी अपने घोंसले से उड़ सकता है, किन्तु (भीरु होने से) नीचे नहीं उतर सकता ।

(३) निपत्तिता भी, परिव्रजिता भी—कोई समर्थ पक्षी अपने घोंसले से नीचे भी उड़ सकता है और ऊपर भी उड़ सकता है ।

(४) न निपत्तिता, न परिव्रजिता—कोई पक्षी (अतीव वाल्यावस्था होने के कारण) अपने घोंसले से न नीचे उतर सकता है और न ऊपर ही उड़ सकता है ।

इसी प्रकार भिक्षु भी चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

(१) निपत्तिता, न परिव्रजिता—कोई भिक्षु भिक्षा के लिए निकलता है, किन्तु रुग्ण आदि होने के कारण अधिक घूम नहीं सकता ।

(२) परिव्रजिता, न निपत्तिता—कोई भिक्षु भिक्षा के लिए घूम सकता है, किन्तु स्वाध्यायादि में संलग्न रहने से भिक्षा के लिए निकल नहीं सकता ।

(३) निपत्तिता भी, परिव्रजिता भी—कोई समर्थ भिक्षुक भिक्षा के लिए निकलता भी है और घूमता भी है ।

(४) न निपत्तिता, न परिव्रजिता -- कोई नवदीक्षित अल्प-वयस्क भिक्षुक न भिक्षा के लिए निकलता है और न घूमता ही है ।

चार प्रकार के आहार—

८५३. मनुष्यों का आहार चार प्रकार का होता है—

- (१) अशन-अन्न आदि, (२) पान-पानी,
- (३) खादिम-फल, मेवा आदि,
- (४) स्वादिम-ताम्बूल, लवंग इलायची आदि ।

आहार चार प्रकार का कहा गया है, जैसे—

(१) उपस्कार-सम्पन्न—वधार से युक्त मसाले डालकर छोंका हुआ,

(२) उपस्कृत-सम्पन्न—पकाया हुआ भात आदि,

(३) स्वभाव-सम्पन्न—स्वभाव से पका हुआ फल आदि,

(४) पर्युपित-सम्पन्न—रातवासी रखने से जो तैयार हो ।

तीन प्रकार का आहार—

८५४. उपहृत (खाने के लिए लाया गया) आहार तीन प्रकार का माना गया है, यथा—

१. फलिओवहडे,

(१) फलितोपहृत—अनेक प्रकार के व्यंजनों से या खाद्य पदार्थों से मिश्रित आहार ।

२. सुद्धोवहडे,

(२) शुद्धोपहृत—व्यंजन रहित शुद्ध आहार अथवा कांजी या पानी के अल्पलेप से लिप्त आहार ।

३. संसृष्टोवहडे ।^१

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १७८

(३) संसृष्टोपहृत—गृहस्थ ने खाने की इच्छा से आहार हाथ में लिया है किन्तु मुँह में नहीं रखा है—ऐसा आहार ।

ओग्गहियआहारप्पयारा—

८५५. त्तिविहे ओग्गहिए पणत्ते, तं जहा—

१. जं च ओग्गिण्हइ,

२. जं च साहरइ,

३. जं च आसंगंसि पक्खिवइ ।^२ एगे एवमाहंसु ।

अवगृहीत आहार के प्रकार—

८५५. अवगृहीत (परोसने के लिए रसोईघर या कोठार से निकाला हुआ) आहार तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) परोसने के लिए ग्रहण किया हुआ ।

(२) परोसने के लिए ले जाता हुआ ।

(३) बर्तन के मुख में डाला जाता हुआ । कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं ।

एगे पुण एवमाहंसु ।

दुविहे ओग्गहिए पणत्ते, तं जहा—

१. जं च ओग्गिण्हइ,

२. जं च आसंगंसि पक्खिवइ ।

परन्तु कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं—

अवगृहीत आहार दो प्रकार का है, यथा—

(१) परोसने के लिए ग्रहण किया जाता हुआ ।

(२) पुनः बर्तन के मुख में डाला जाता हुआ ।

—वव. उ. ६, सु. ४६

णवविगईओ—

८५६. णव विगतीतो पन्नत्ताओ, तं जहा—

१. खीरं, २. दधि, ३. णवणीतं, ४. सप्पिं, ५. तेल्लं,
६. गुल्लो, ७. महुं, ८. मज्जं, ९. मंसं ।

—ठाणं. अ. ६, सु. ६७४

विगय विकृति के नौ प्रकार—

८५६. नौ विकृतियाँ कही गई हैं—

(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत (मक्खन), (४) घी,
(५) तेल, (६) गुड़, (७) मधु, (८) मद्य, (९) मांस ।

अण्णायविगईणप्पयारा—

८५७. चत्तारि गोरसविगतीओ पन्नत्ताओ, तं जहा—

खीरं, दधि, सप्पिं, णवणीतं ।

चत्तारि सिणेहविगतीओ पन्नत्ताओ, तं जहा—

तेल्लं, घयं, वसा, णवणीतं ।

चत्तारि महाविगतीओ पन्नत्ताओ, तं जहा—

महुं, मंसं, मज्जं, णवणीतं ।

—ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २७४

विगय के अन्य प्रकार—

८५७. गोरसमय विकृतियाँ चार हैं—

(१) दूध, (२) दही, (३) घृत, (४) नवनीत ।

स्नेह (चिकनाई) मय विकृतियाँ चार हैं—

(१) तैल, (२) घृत (३) वसा, (४) नवनीत ।

महाविकृतियाँ चार हैं—

(१) मधु, (२) मांस, (३) मद्य, (४) नवनीत ।

त्तिविहा एसणा—

८५८. गवेसणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहि सेज्जाए, एए त्तिन्नि विसोहए ॥

तीन प्रकार की एषणा—

८५८. आहार, उपधि और शय्या के विषय में गवेषणा, ग्रहणे-
पणा और परिभोगेषणा इन तीनों का विशोधन करे ।

१ वव. उ. ६, सु. ४५

२ ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८८

उग्गमुप्पयाणं पढमे, बीए सोहेज्ज एसणं ।
परिभोयंमि चउक्कं, विसोहेज्ज जयं जई ॥

—उत्त. अ. २४, गा. ११-१२

नवविहा सुद्धभिक्षा—

८५९. समणेणं भगवता महावीरेणं समणाणं निग्गंथाणं णवकोडि-
परिसुद्धे भिक्षे पणत्ते, तं जहा—

१. न हणइ,
२. न हणावइ,
३. हणंतं नाणुजाणइ ।
४. न पयइ,
५. न पयावेइ,
६. पयंतं नाणुजाणइ ।
७. न किणइ,
८. न किणावेइ,
९. किणंतं नाणुजाणइ ।^१

—ठाणं. अ. ९, सु. ६८१

आहारपायणणिसेहो—

८६०. तहेव भत्त-पाणेसु, पयणे पयावणेसु य ।
पाण-भूयदयट्टाए, न पये न पयावए ॥

जल-धत्तनिस्सया जीवा, पुढवी-फट्टनिस्सया ।
हम्मन्ति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्षू न पयावए ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. १०-११

छट्ठिहा गोयरिया—

८६१. छट्ठिहा गोयररिया पणत्ता, तं जहा—

१. पेडा,
२. अद्धपेडा,
३. गोमुत्तिया,
४. पतंगविहिया,
५. संबुक्कवट्टा,

यतनाशील भिक्षु एषणा में सर्वप्रथम उद्गम और उत्पादन
दोनों के १६-१६ दोषों का शोधन करे ।

दूसरे में एषणा के १० दोषों का शोधन करे ।

फिर परिभोगेपणा के दोष-चतुष्क (संयोजना, अप्रमाण,
अंगारधूम और कारण) का शोधन कर आहार करे ।

नौ प्रकार की शुद्ध भिक्षा—

८५९. श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए नौ
कोटि परिशुद्ध भिक्षा का निरूपण किया है । जैसे—

- (१) हिंसा नहीं करता है,
- (२) हिंसा नहीं करवाता है,
- (३) हिंसा करने वाले का अनुमोदन नहीं करता है ।
- (४) पकाता नहीं है,
- (५) पकवाता नहीं है,
- (६) पकाने वाले का अनुमोदन नहीं करता है ।
- (७) खरीदता नहीं है,
- (८) खरीदवाता नहीं है,
- (९) खरीदने वाले का अनुमोदन नहीं करता है ।

आहार-पाचन का निषेध—

८६०. भक्त-पान के पकाने और पकवाने में हिंसा होती है, अतः
प्राण, भूत, जीव और सत्व की दया के लिए भिक्षु न पकाए
और न पकवाए ।

भक्त और पान के पकाने और पकवाने में जल और धान्य
के आश्रित तथा पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित जीवों का हनन
होता है, इसलिए भिक्षु न पकाए न पकवाए ।

छह प्रकार की गोचरी —

८६१. छह प्रकार की गोचरचर्या कही गई है, यथा—

- (१) पेडा—चोकोर पेटिका के आकार से घूमते हुए दिशाओं
में भिक्षाचर्या करना ।
- (२) अर्धपेडा—अर्द्ध पेटिका के आकार के दो दिशाओं में
भिक्षाचर्या करना ।
- (३) गोमूत्रिका—बैल के मूत्रोत्सर्ग के समान एक इस पंक्ति
के घर में और एक सामने वाली पंक्ति के घर में इस क्रम से
भिक्षाचर्या करना ।
- (४) पतंगवीथिका—पतंगिये के फुदकने के समान बिना
किसी क्रम के भिक्षाचर्या करना ।
- (५) शंबुकावर्ता—शंख के आवर्तों की तरह घूमते हुये
भिक्षाचर्या करना ।

६. गंतुं पञ्चागता ।^१

(६) गत्वाप्रत्यागता—एक गृहपंक्ति के अन्तिम घर तक
—ठाणं. अ. ६, सु. ५१४ जाकर वापिस आते हुए ही भिक्षाचर्या करना ।

□□

गवेषणा—३

शुद्ध आहारस्स गवेषणाए-परिभोगेसणाए य उवएसो—

८६२. एसणा समिओ लज्जू, गामे अणियओ चरे ।

अप्पमत्तो पमत्तेहि, पिडवायं गवेषए ॥

—उत्त. अ. ६, गा. १६

सुद्धेसणाओ नच्चाणं, तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणं ।

जायाए घासमेसेज्जा, रसगिद्धे न सिया भिक्खाए ॥

पन्ताणि चेत्र सेवेज्जा, सीयपिण्डं पुराणकुम्मासं ।

अदु बुक्कसं पुलागं वा, जवणट्टाए निसेवए मंथु ॥

—उत्त. अ. ८, गा. ११-१२

परिवाडीए न चिट्ठेज्जा, भिक्खू दत्तेसणं चरे ।

पडिक्खेण एसित्ता, मियं कालेण भक्खए ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३२

भिक्खू मुयच्चा तह दिट्ठुधम्मे,

गामं च णगरं च अणुप्पविस्स ।

मे एसणं जाणमणेसणं च,

अणस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे ॥

—सूय. सु. १, अ. १३, गा. १७

कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे ।

अगिद्धे विप्पमुक्को य, ओमाणं परिवज्जए ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. ४, गा. ४

संबुडे से महापण्णे, धीरे दत्तेसणं चरे ।

एसणासमिए णिच्चं, वज्जयंते अणेसणं ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १३

शुद्ध आहार की गवेषणा और उपभोग का उपदेश—

८६२. एषणा समिति के उपयोग में तत्पर लज्जावान् साधु गांवों आदि में नियत निवास रहित होकर विचरण करे। अग्रमादी रहकर वह गृहस्थों से आहार आदि की गवेषणा करे।

भिक्षु शुद्ध एषणाओं को जानकर अपने आप को उनमें स्थापित करे—अर्थात् उनके अनुसार प्रवृत्ति करे तथा संयम यात्रा के लिए आहार की गवेषणा करे किन्तु रसों में मूर्च्छित न बने।

भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्रायः रसहीन, शीतल आहार, पुराने उड़द के दाकले, सारहीन, रूखा आहार और वेर का चूर्ण आदि पदार्थों का सेवन करे।

भिक्षु गृहस्थ के घर (पंक्ति) में खड़ा न रहे, गृहस्थ के द्वारा दिए हुए आहार की एषणा करे, मुनि के वेप में एषणा कर यथा-समय परिमित आहार करे।

मृत के समान सर्वथा उपशान्त, आत्मधर्मदर्शी भिक्षु ग्राम या नगर में प्रवेश करके एषणीय-अनेषणीय को जानता हुआ अशन पान में आसक्त न हो।

विद्वान् भिक्षु गृहस्थों द्वारा अपने लिए कृत आहार की याचना करे और प्रदत्त आहार का भोजन करे। वह आहार में अनासक्त और रागद्वेष रहित होकर अन्य का अवमान (तिरस्कार) करने का वर्जन करे।

वह साधु महान् प्राज्ञ, अत्यन्त धीर और संवृत है, जो गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ एषणीय आहारादि पदार्थ ग्रहण करता है तथा जो अनेषणीय आहारादि को वर्जित करता हुआ सदा एषणा समिति से युक्त रहता है।

१ (क) दसा. द. ७, सु. ६१

(ख) अट्टविह गोयरगंतु—उत्त. अ. ३०, गा. २५। इस गाथा की टीका में पांचवे भेद के दो उपभेद कहे गये हैं—ब्राह्म संबुकावर्त और आभ्यंतर शम्बुकावर्त। इस प्रकार सात भेद हो जाते हैं और आठवाँ ऋजुगति कहा गया है। ये आठ गोचराग्र के प्रकार गिनाये गये हैं।

सिक्खरुण भिक्खेसणसोहि संजयाण बुद्धाणं सगासे ।
तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिदिए, तिच्चलज्ज गुणवं विहरेज्जासि ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. ५०

लामो त्ति ण मज्जेज्जा, अलामो त्ति ण सोएज्जा,
बहुं पि लद्धं ण णिहे ।

—आ० सु० १, अ० २, उ० ५, सु० ८६ (क)

सामुदाणिगी भिक्खा विहाणं—

८६३. समुयाणं चरे भिक्खू, कुलं उच्चावयं सया ।

नीयं कुलमइकम्म, ऊसदं नाभिधारए ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २५

अग्नायउंछं चरेई विसुद्धं, जवणट्टया समुयाणं च निच्चं ।
अलध्दुयं नो परिदेवएज्जा लद्धुं न विकत्थयई स पुज्जो ॥

—दस. अ. ६, उ. ३, गा. ४

समुयाणं उंछमेसिज्जा, जहामुत्तर्माणदियं ।

लामालाभम्मि संतुट्ठे, पिण्डवायं चरे मुणी ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. १६

एसणा कुसलो भिक्खू—

८६४. जे संणिघाणसत्यस्स खेत्तण्णे,

से भिक्खू कालण्णे,

बलण्णे,

मातण्णे,

खेयण्णे,

खणयण्णे,

विणयण्णे,

ससमय-परसमयण्णे,

भावण्णे,

परिग्रहं अममायमाणे,

कालेणुट्ठाई,

अपडिण्णे दुहतो छित्तां णियात्ति ।^१

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २१०

भिक्खुस्स गवेसणाविही—

८६५. जमिणं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं लोगस्स कम्मसमारंभा कज्जंति,

तं जहा—

तीर्थंकर या साधुओं से भिक्षा की एपणा शुद्धि को जानकर
भिक्षु सभी इन्द्रियों से उपयुक्त होकर उत्कृष्ट संयम गुणों को
धारण करके विचरे ।

इच्छित आहारादि प्राप्त होने पर उसका मद न करे । यदि
प्राप्त न हो तो खेद न करे । यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो
उसका संग्रह न करे ।

सामुदानिकी भिक्षा का विधान—

८६३. भिक्षु सदा उच्च और नीच सभी कुलसमुदाय में भिक्षा
लेने जाए, नीचे कुल को छोड़कर उच्च कुल में न जाए ।

जो जीवन-यापन के लिए विशुद्ध सामुदायिक अज्ञात-कुलों
से भिक्षाचर्या करता है, जो भिक्षा न मिलने पर खिन्न नहीं होता
है, मिलने पर श्लाघा नहीं करता है, वह पूज्य है ।

मुनि सूत्रानुसार अनिन्दित और उंछ—अज्ञात कुलसमुदाय से
एपणा करे व लाभ और अलाभ में सन्तुष्ट रहकर आहार
आदि की गवेपणा करे ।

एपणा कुशल भिक्षु—

८६४. जो सम्यग् संयम विधि का ज्ञाता है । वह भिक्षु—

काल—करणीयकृत्य के काल को जानने वाला,

बलज्ञ—आत्मबल को जानने वाला,

मात्रज्ञ—ग्राह्य वस्तु की मात्रा को जानने वाला,

खेदज्ञ—जन्म-जरा-रोगादि से होने वाली खिन्नता को जानने
वाला,

क्षणज्ञ—भिक्षाचर्या के अवसर को जानने वाला,

विनयज्ञ—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के स्वरूप को जानने वाला,

स्वसमय-परसमयज्ञ—स्व-पर सिद्धान्त को जानने वाला,

भावज्ञ—भिक्षा देने वाले के मनोभाव को जानने वाला,

परिग्रह पर ममत्व नहीं करने वाला, उचित समय पर
अनुष्ठान करने वाला और अश्रुतिज्ञ (भोजन के प्रति संकल्प
रहित) हो—वह दोनों बन्धनों (राग और द्वेष) को छेदन
करके संयम जीवन से जीता है ।

भिक्षु की गवेपणा विधि—

८६५. असंयमी पुरुष अनेक प्रकार के शस्त्रों से लोक के लिए
(अपने एवं दूसरों के लिए) कर्म समारम्भ (पचन-पाचन आदि
क्रियाएँ) करते हैं । जैसे—

अप्पणो से पुत्ताणं, धूयाणं, सुण्हाणं, णातीणं, धातीणं, राईणं, दासाणं, दासीणं, कम्मकराणं, कम्मकरीणं आदेसाए पुढो पहेणाए सामासाए; पातरासाए संणिहि-संणिचयो कज्जति, इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए ।

समुद्धिते अणगारे आरिए आरियपण्णे आरियदंसी अयं संधी त्ति अदक्खु ।

से णाइए, णाइआवए, न समणुजाणए ।

सव्वामगंधं परिण्णाय गिरामगंधे परिच्चवए ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८७-८८

आहार-उद्गम-गवेषणा—

८६६. उद्गमं से य पुच्छिज्जा, कस्सऽट्ठा ? केण वा कडं ? ।

सोच्चा निस्संकिंयं सुद्धं, पडिगाहेज्ज संजए ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ७१

सयण-परिजण गिहे गमण विहि णिसेहो—

८६७. भिक्खू य इच्छेज्जा नायविहि एत्तए,

नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छिता नायविहि एत्तए ।

कप्पइ से थेरे आपुच्छिता नायविहि एत्तए ।

थेरा य से वियरेज्जा-एवं से कप्पइ नायविहि एत्तए ।

थेरा य से नो वियरेज्जा-एवं से नो कप्पइ नायविहि एत्तए ।

जे तत्थ थेरेहि अविइण्णे नायविहि एइ, से संतरा छेए वा, परिहारे वा ।

नो से कप्पइ अप्पसुयस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविहि एत्तए ।

कप्पइ से जे तत्थ बहुस्सुए बहवागमे तेण सद्धिं नायविहि एत्तए ।

—वव. उ. ६, सु. १-३

सजण गिहे आहार ग्रहण विहि णिसेहो—

८६८. तत्थ से पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिल्लिगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए ।

तत्थ से पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते भिल्लिगसूवे, पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से भिल्लिगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिगाहित्तए ।

अपने लिए पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधू, ज्ञातिजन, धाय, राजा, दास, दासी, कर्म करने वाले एवं कर्म करने वाली के लिए, पाहुने आदि के लिए तथा विविध लोगों को देने के लिए एवं सायंकालीन एवं प्रातःकालीन भोजन के लिए इस प्रकार वे कुछ मनुष्यों के भोजन के लिए (दूध, दही आदि पदार्थों का संग्रह) और सन्निचय (चीनी, घृत आदि पदार्थों का संग्रह) करते रहते हैं ।

संयम-साधना में तत्पर आर्य, आर्यप्रज और आर्यदर्शी अनगार भिक्षा आदि प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करता है ।

वह सदोप आहार को स्वयं ग्रहण न करे, दूसरों से ग्रहण न करवाए तथा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करे ।

वह अनगार सब प्रकार के आमगंध (अकल्पनीय आहार) का परिवर्जन करता हुआ निर्दोष आहार के लिए गमन करे ।

आहार-उद्गम-गवेषणा—

८६६. आहार किसके लिए बनाया है ? किसने बनाया है ? संयत इस प्रकार आहार का उद्गम पूछे । दाता से प्रश्न का उत्तर सुनकर और निःशंकित होकर शुद्ध आहार ले ।

स्वजन-परिजन-गृह में जाने के विधि-निषेध—

८६७. भिक्षु या भिक्षुणी यदि स्वजनों के घर जाना चाहे तो—
स्थविरो को पूछे विना स्वजनों के घर जाना नहीं कल्पता है ।

स्थविरो को पूछकर स्वजनों के घर जाना कल्पता है ।

स्थविर यदि आज्ञा दे तो स्वजनों के घर जाना कल्पता है ।

स्थविर यदि आज्ञा न दें तो स्वजनों के घर पर जाना नहीं कल्पता है ।

स्थविरो की आज्ञा के विना यदि स्वजनों के घर जावें तो वे दीक्षाच्छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं ।

अल्पश्रुत और अल्पआगमज्ञ अकेले भिक्षु और अकेली भिक्षुणी को स्वजनों के घर जाना नहीं कल्पता है । किन्तु समुदाय में जो बहुश्रुत और बहु-आगमज्ञ भिक्षु या भिक्षुणी हो उनके साथ स्वजनों के घर जाना कल्पता है ।

स्वजन के घर से आहार ग्रहण का विधि-निषेध—

८६८. गृहस्थ के घर में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के आगमन से पूर्व चावल रंधे हुए हो और दाल पीछे से रंधे तो चावल लेना कल्पता है, किन्तु दाल लेना नहीं कल्पता है ।

आगमन से पूर्व दाल रंधी हुई हो और चावल पीछे से रंधे तो दाल लेना कल्पता है किन्तु चावल लेना नहीं कल्पता है ।

तत्य से पुव्वागमणेण दो वि पुव्वाउत्ताइं, कप्पंति ते दोऽवि पडिगाहित्तए ।

तत्य से पुव्वागमणेणं दो वि पच्छाउत्ताइं, एवं नो से कप्पंति दोऽवि पडिगाहित्तए ।

जे से तत्य पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते से कप्पइ पडिगाहित्तए ।
जे से तत्य पुव्वागमणेणं पच्छाउत्ते नो से कप्पइ पडिगा-
हित्तए ।^१

—वव. उ. ६, सु. ४-६

सयणकुले अकाले गमणणिसेहो—

८६६. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, समाणे वा, वसमाणे वा, गामाणुगामं इइज्जमाणे वा, से ज्जं पुण जाणेज्जा—गामं वा-जाव-रायहाणि वा ।

इमंस्स एतु गामंस्सि वा-जाव-रायहाणिसि संतेगतियस्स भिक्खुस्स पुरेसंयुया वा, पच्छासंयुया वा परिवसंति, तं जहा—गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, तहप्पगाराइं कुलाइं णो पुव्वामेव मत्ताए वा, पाणाए वा णिकल्पमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

पुरा पेहाए तस्स अट्ठाए परो असणं वा-जाव-साइमं वा, उयकरेज्ज वा, उववसट्ठेज्ज वा ।

अह भिक्खू पुव्वोवदिट्ठा एम पतिण्णा, एस हेतु, एस उवएसे, जं णो तहप्पगाराइं कुलाइं पुव्वामेव मत्ताए वा, पाणाए वा, णिकल्पमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

सेत्तमायाए णंतमवक्कमेज्जा, एणंतमवक्कमित्ता-अणावाय-मसंलोए चिट्ठेज्जा ।

से तत्य कालेणं अणुपविसेज्जा, अणुपविसित्ता-तत्थितरा-तरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिडवायं एसित्ता आहारं आहारेज्जा ।

—आ. नु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६१

सजण-परिजण-गिहे अकाले गमणणायच्छित्त सुत्तं—

८७०. जे भिक्खू समाणे वा, वसमाणे वा, गामाणुगामं इइज्जमाणे वा, पुरे संयुइयाणि वा, पच्छा संयुइयाणि वा कुलाइं पुव्वामेव भिक्खवायारियाए अणुपविसइ, अणुपविसंतं वा साइज्जइ ।

आगमन से पूर्व दाल और चावल दोनों रंधे हुए हो तो दोनों लेने कल्पते हैं ।

किन्तु वाद में रंधे हो तो दोनों लेने नहीं कल्पते हैं ।

(तात्पर्य यह है कि) आगमन से पूर्व जो आहार अग्नि आदि से दूर रखा हुआ हो वह लेना कल्पता है और जो आगमन के वाद में अग्नि आदि से दूर रखा गया हो वह लेना नहीं कल्पता है ।

स्वजन के घर पर अकाल में जाने का निषेध—

८६६. भिक्षु या भिक्षुणी स्थिरवास रहे हों, मासकल्प आदि रहे हों या ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पहुँचे हो वे उस ग्राम—यावत्—राजधानी के सम्बन्ध में जाने कि—

इस गांव में—यावत्—राजधानी में किसी एक भिक्षु के पूर्व-परिचित (माता-पिता आदि) या पश्चात् परिचित (सासु-ससुर आदि) गृहस्वामी—यावत्—नौकर-नौकरानियाँ आदि श्रद्धालुजन रहते हैं तो इस प्रकार के घरों में भिक्षाकाल से पूर्व आहार-पानी के लिए निष्क्रमण—प्रवेश न करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—“यह कर्मों के आने का कारण है ।”

क्योंकि समय से पूर्व अपने घर में साधु या साध्वी को आए देखकर वह उसके लिए अशन—यावत्—स्वादिम बनाने के लिए सभी साधन जुटाएगा, अथवा आहार तैयार करेगा ।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थंकरों द्वारा पूर्वोपदिष्ट यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह उपदेश है कि वह इस प्रकार के घरों में आहार-पानी के लिए भिक्षाकाल से पूर्व निष्क्रमण प्रवेश न करे ।

वह परिचित घरों को जानकर एकान्त स्थान में चला जाए, वहाँ जाकर जहाँ कोई आता-जाता और देखता न हो, ऐसे एकान्त स्थल में खड़ा हो जाए ऐसे स्वजनादि के ग्राम आदि में भिक्षा के समय पर ही प्रवेश करे और अन्य-अन्य घरों से सामु-दानिक एषणीय तथा साधु के वेप से प्राप्त निर्दोष आहार प्राप्त करके उसका उपभोग करे ।

स्वजन परिजन के घर असमय में जाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

८७०. जो भिक्षु स्थिरवास रहा हो मासकल्प आदि रहा हो या ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पहुँचा हो वहाँ मातृकुलों में या श्वसुर कुलों में भिक्षा-काल के पूर्व ही प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ३६

गवेषणाकाले गमणविही—

८७१. संपत्ते भिक्खकालम्मि, असंभंतो अमुच्छिओ ।
इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गवेसाए ॥

से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गओ मुणी ।
चरे मंदमणुव्विग्गो, अब्बक्खित्तेण चयेसा ॥
पुरओ जुगमायाए, पेहगाणो म्हि चरे ।
वज्जंतो वीय-हरियाइं, पाणे य दग्ग-मट्टियं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा १-३

गवेषणाकाले आयरणीय-किच्चाइं—

८७२. पविसित्तु परागारं, पाणट्टा भोयणरस वा ।
जयं चिट्ठे मियं भासे, ण य ह्वेसु मणं करे ॥

बहुं सुणेइं कण्णेहिं, बहुं अच्छीहिं पेच्छइ ।
न य दिट्ठं सुयं सव्वं, भिक्खू अक्खाउमरिहइ ॥

सुयं वा जइ वा दिट्ठं, न लवेज्जोवघाइयं ।
न य केणइ उवाएणं, गिहिजोगं समायरे ॥

—दस. अ. ८, गा. १६-२१

कणसोक्खेहिं सद्देहिं, पेसं नाभिनिवेसाए ।
दारुणं कक्कसं फासं, काएणं अहियासाए ॥

—दस. अ. ८, गा. २६

अत्तिणिणे अचवले अप्पभासी मियासणे ।
हवेज्ज उयरे दंते, थोवं लद्धुं न खिसए ॥

—दस. अ. ८, गा. २६

भिक्खाकाले एव गमणविहाणं—

८७३. कालेण निक्खमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे ।
अकालं च विवज्जेत्ता, काले कालं समायरे ॥

अकाले चरसि भिक्खू,^१ कालं न पडिलेहसि ।
अप्पाणं च किलामेसि, सन्निवेशं च गरिहसि ॥

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गवेषणाकाल में जाने की विधि—

८७१. भिक्षा का काल प्राप्त होने पर मुनि उतावल न करते हुए, मूर्च्छा रहित होकर इस—आगे कहे जाने वाले, क्रम—योग से भक्त पान की गवेषणा करे ।

गाँव या नगर में गोचरी के लिए निकला हुआ मुनि उद्वेग रहित होकर एकाग्र चित्त से धीमे-धीमे चले ।

आगे युग-प्रमाण भूमि को देखता हुआ और वीज, हरियाली प्राणी, जल तथा सजीव-मिट्टी को टालता हुआ चले ।

गवेषणाकाल में आचरणीय कृत्य—

८७२. मुनि गृहस्थ के घर में प्रवेश करके आहार या पानी लेने के लिए यतनापूर्वक खड़ा रहे, परिमित बोले और रूप देखने का भी मन न करे ।

भिक्षु कानों से बहुत सुनता है, आँखों से बहुत देखता है, किन्तु सब देखा और सुना अन्य किसी को कहना उचित नहीं होता है ।

सुनी हुई या देखी हुई घटना के बारे में साधु आघात-लगने वाले वचन न कहे और किसी भी प्रकार गृहस्थों जैसा आचरण न करे ।

कानों के लिए सुखकर शब्दों में ब्रेम स्थापन न करे, दारुण और कर्कश स्पर्श को काया से (समभावपूर्वक) सहन करे ।

(साधु आहार न मिलने या नीरस आहार मिलने पर गुस्से में आकर) तनतनाहट (प्रलाप) न करे, चपलता न करे, अल्प-भाषी, मितभोजी और उदर का दमन करने वाला हो । (आहारादि पदार्थ) थोड़ा पाकर (दाता की) निन्दा न करे ।

भिक्षाकाल में ही जाने का विधान—

८७३. भिक्षु भिक्षा लाने के समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर ही लौट आये । अकाल को वर्जकर जो कार्य जिस समय करने का हो, उसे उसी समय करे ।

भिक्षो ! तुम अकाल में जावोगे और काल की प्रतिलेखना ज़हीं करोगे तो तुम अपने-आप को क्लान्त (खिन्न) करोगे और सन्निवेश (ग्राम आदि) की निन्दा करोगे ।

१ (कं) तइयाए पोरिसिए, भत्तपाणं गवेसाए—

(ख) प्राचीन काल में भोजन का समय प्रायः अपरान्ह ही था, ऐसा कई कहते हैं किन्तु आगमों में प्रातःकाल के भोजन के उल्लेख मिलते हैं, यथा—

—उत्त. अ. २६, गा. ३२

(शेष. टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

सइ काले चरे भिक्खू, कुज्जा पुरिसकारियं ।
अलाभो त्ति न सोएज्जा, तवो त्ति अहियांसए ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. ४-६

गवेषणाकाले चिट्ठणाईं विही—

८७४. असंसत्तं पलोएज्जा, नाइद्वारावलोयए ।
उप्फुल्लं न विणिज्जाए, नियट्टेज्ज अयंपिरो ॥

अइभूमिं न गच्छेज्जा, गोयरग्गओ मुणी ।
कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे ॥
तत्येव पडिलेहेज्जा, भूमिभागं वियक्खणो ।
सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए ॥

दगमट्टियआयाणे, वीयाणि हरियाणि य ।
परिवज्जेतो चिट्ठेज्जा, सत्त्वदियसमाहिए ॥
तत्य से चिट्ठमाणस्स, आहरे पाण-भोयणं ।
अकप्पियं न गेणहेज्जा, पडिगाहेज्ज कप्पियं ॥

—दस अ. ५, उ. १, गा. २३-२७

समणाइं पेहाए चिट्ठण-पवेषणविही—

८७५. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—
समणं वा, माहणं वा, गामपिडोलगं वा, अतिहि वा,
पुव्वपविट्ठं पेहाए णोते उवातिकम्म पविसेज्ज वा, ओभा-
सेज्ज वा ।
से त्तामादाए एगंतमवक्कमेज्जा एगंतमवक्कमित्ता आणावाय-
मसंलोए चिट्ठेज्जा ।^१

भिक्षु भिक्षा लाने का समय होने पर भिक्षा के लिए जाए
और पुरुषार्थ करे, भिक्षा न मिलने पर खेद न करे, “आज
सहज तप ही सही”—यों मानकर भूख को सहन करे ।

गवेषणाकाल में खड़े रहने आदि की विधि—

८७४. गोचरी में प्रविष्ट मुनि अनासक्त दृष्टि से देखे । अति दूर
न देखे, उत्फुल्ल दृष्टि से न देखे । भिक्षा का निषेध करने पर
विना कुछ कहे वापस चला जाये ।

गोचरी के लिए घर में प्रविष्ट मुनि अति-भूमि में न जाये,
कुल-भूमि को जानकर मित-भूमि में प्रवेश करे ।

विचक्षण मुनि मित-भूमि में ही उचित भू-भाग का प्रति-
लेखन करे । जहाँ से स्नान और शौच का स्थान दिखाई पड़े
उम भूमि-भाग का परिवर्जन करे ।

सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि उदक और मिट्टी लाने के मार्ग
तथा वीज और हरियाली को वर्जकर खड़ा रहे ।

वहाँ खड़े हुए उस साधु को देने के लिए आहार-पानी लाए
तो उसमें से अकल्पनीय को ग्रहण करने की इच्छा न करे,
कल्पनीय ही ग्रहण करे ।

श्रमण आदि को देखकर खड़े रहने की और प्रवेश की
विधि—

८७५. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश
करे उस समय यदि यह जाने कि—

बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, दरिद्र, अतिथि और
याचक आदि उस गृहस्थ के यहाँ पहले से ही प्रवेश किये हुए हैं,
तो उन्हें लांघकर न प्रवेश करे और न आहार की याचना करे ।

वह (उन श्रमणादि को भिक्षार्थ उपस्थित) जानकर एकान्त
स्थान में चला जाये, वहाँ जाकर कोई आता-जाता न हो और
देखता न हो, इस प्रकार खड़ा रहे ।

(ग) श्रमणों की भिक्षाचर्या का काल दिन का तृतीय प्रहर है—इसलिए प्राचीन काल में सर्वत्र सभी अपरान्हभोजी ही थे—
यह कई विचारकों का मत है; किन्तु जैनगमों में गृहस्थों के लिए भी प्रातराशन—प्रातःकाल का भोजन तथा श्यामाशन—
सायंकाल का भोजन का उल्लेख मिलता है । यथा—सामासाए पातरासाए— —आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८७
—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८८

(घ) एक दिन में दो बार भोजन भरत चक्रवर्ती के समय में भी किया जाता था, क्योंकि—स्वयं भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय
यात्रा में “अष्टम भक्त” तप किए थे । देखिए—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वक्ष. ३ टीका—ऐकैकस्मिन् दिने द्विवार भोजनोचित्येन

दिनत्रयस्य षण्णं भक्तानामुत्तर-पारंणकदिनयोरेकैकस्य भक्तस्य च त्यागेनाष्टमभक्तं त्याज्यम् ।

१ (क) समणं माहणं वा, वि किविणं वा वणीमगं । उवसंकरमंतं भत्तट्ठा, पाणट्ठाए व संजए ॥
तं अइक्कमित्तु न पविसे, न चिट्ठे चक्खु-गोयरे । एगंतमवक्कमित्ता, तत्य चिट्ठेज्ज संजए ॥
वणीमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । अप्पत्तियं सिया होज्जा, लहुत्तं पवयणस्स वा ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. १०-१२

(ख) नाइद्वारमणासन्ने, नन्नेसिचक्खु-फासओ । एगो चिट्ठेज्ज भत्तट्ठा, लंघित्ता तं नाइक्कमे ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३३

अह पुणेवं जाणेज्जा-पडिसेहिए व दिन्ने वा, तओ तम्मि
णिवट्टिते संजयामेव पविसेज्ज वा, ओभासेज्ज वा ।^१

—आ. सु. २, अ. १, उ. ५, सु. ३५७

गाहावईकुले णिसिद्धकिच्चाइं—

८७६. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिंडवायं पडियाए
अणुपविट्ठे समाणे—

नो गाहावइकुलस्स वा द्वारसाहं अवलंबिय अवलंबिय
चिट्ठेज्जा ।^२

नो गाहावइकुलस्स वा दगच्छडणमेत्तए चिट्ठेज्जा,

नो गाहावइकुलस्स चंदणियए चिट्ठेज्जा,

नो गाहावइकुलस्स सिणाणस्स वा, वच्चस्स वा संतोए
सपडिद्वारे चिट्ठेज्जा^३,

नो गाहावइकुलस्स आलोयं वा, थिग्गलं वा, संघि वा,
दगभवणं वा, बाहाओ पणिज्झिय पणिज्झिय, अंगुलियाए वा
उट्ठिसिय उट्ठिसिय, उण्णमिय उण्णमिय, अवनमिय
अवनमिय निष्साइज्जा ।^४

नो गाहावइं अंगुलियाए उट्ठिसिय उट्ठिसिय जाइज्जा,

नो गाहावइं अंगुलियाए चालिय चालिय जाइज्जा,

नो गाहावइं अंगुलियाए तज्जिय तज्जिय जाइज्जा,

नो गाहावइं अंगुलियाए उक्खुलंपिय उक्खुलंपिय जाइज्जा,

नो गाहावइं वंदिय वंदिय जाइज्जा,

नो य णं फसं वदेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६०

संकिलेसठाणणिसेहो—

८७७. रओ गिहवईणं च, रहस्साऽऽरक्खियाण य ।

संकिलेसवरं ठाणं, द्वारओ परिवज्जए ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १६

भिक्षागमण काले पायपडिलेहण विहाणं—

८७८. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिंडवाय पडियाए
पविसमाणे पुट्ठामेव पेहाए पडिग्गहं अवहट्ठ पाणे, पमज्जिय

१ पडिसेहिए व दिन्ने वा, तओ तम्मि नियत्तिए । उवसंकेज्ज भत्तट्ठा, पाणट्ठाए व संजए ॥

२ अग्गलं फलिहं दारं, कवाडं वा वि संजए । अवलंबिया न चिट्ठेज्जा, गोयरगगओ मुणी ॥

३ सिणाणस्स य वच्चस्स, संतोणं परिवज्जए ॥

४ आलोयं थिग्गलं दारं संघि दगभवणाणि य । चरंतो न विणिज्जाए, संकट्टाणं विवज्जए ॥

जव वह यह जान ले कि—गृहस्थ ने श्रमणादि को आहार देने से इन्कार कर दिया है, अथवा उन्हें दे दिया है और वे उस घर से निपटा दिये गये हैं, तब वह संयमी साधु स्वयं उस गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, अथवा आहारादि की याचना करे ।

गृहस्थ के घर में नहीं करने के कार्य—

८७६. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थों के घरों में आहार के लिए प्रवेश करके—

गृहस्थ के द्वार की शाला को पकड़-पकड़कर खड़ा न रहे ।

गृहस्थ के पात्र प्रक्षालित पानी डालने के स्थान पर खड़ा न रहे ।

गृहस्थ के हाथ मुंह धोने के स्थान पर खड़ा न रहे ।

गृहस्थ के स्नानघर के या शौचालय के द्वार पर नजर पड़े—ऐसे स्थान पर खड़ा न रहे ।

गृहस्थ के घर के गवाक्ष को, घर के सुघारे हुए भाग को, घर के संघिस्थान को, जलगृह को हाथ लम्बा कर करके अंगुली से संकेत कर कर, गरदन ऊँची उठा उठाकर, या झुका झुकाकर न देखे, न दिखाए ।

तथा गृहस्थ को अंगुली से संकेत कर करके याचना न करे ।

गृहस्थ को अंगुली चला चलाकर (वस्तु का निर्देश करते हुए) याचना न करे ।

गृहस्थ को अंगुली से तर्जन ताडन कर करके याचना न करे ।

गृहस्थ को अंगुली से स्पर्श (घुसेड) कर करके याचना न करे ।

गृहस्थ को वन्दन कर करके याचना न करे ।

(तथा न देने पर गृहस्थ को) कठोर वचन न कहे ।

संकलेश स्थान निषेध—

८७७. राजा, गृहपति, अन्तःपुर और आरक्षकों के स्थानों को मुनि द्वार से ही त्याग दे—क्योंकि ये स्थान क्लेशवर्धक होते हैं ।

भिक्षार्थ जाने के समय पात्र प्रतिलेखन की विधि—

८७८. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार-पानी के लिए, प्रवेश करने से पूर्व ही भिक्षा पात्र को भलीभाँति देखे, उसमें कोई

—दस. अ. ५, उ. २, गा. १३

—दस. अ. ५, उ. २, गा. ६

—दस. अ. ५, उ. १, गा. २५

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १५

रयं, ततो संजयामेव गाहावत्कुलं पिंडवायपडियाए णिकख-
मेज्ज वा पविसेज्ज वा ।

केवली दूया—आयाणमेयं ।

अंतो पडिगहगंसि पाणे वा, वीए वा, रए वा परिया-
वज्जेज्जा,

अह भिक्खूणं पुब्बोवदिट्ठा एस पइण्णा-जाव-एस उवएसे जं
पुब्बामेव पेहाए पडिगहं अवहद्दु पाणे वा, पमज्जिय रयं-
ततो संजयामेव गाहावत्कुलं पिंडवायपडियाए णिकखमेज्ज
वा, पविसेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०२

असमये पवेशणस्स विहि-णिसेहो—

८७६. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावत्कुलंसि पिंडवायपडि-
याए पविसित्तुकामे सेज्जं पुण जाणेज्जा,
खीरिणीओ गावीओ खीरिज्जभाणीओ पेहाए,
असणं वा-जाव-साइमं वा उववखडिज्जमाणं पेहाए पुरा
अप्पजूहिए ।

सेवं णच्चा णो गाहावत्कुलं पिंडवायपडियाए णिकखमेज्ज
वा, पविसेज्ज वा ।

से त्तमायाए एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अणावा-
यमसंलोए चिट्ठेज्जा

अह पुण एवं जाणेज्जा—

खीरिणीओ गावीओ खीरियाओ पेहाए,
असणं वा-जाव-साइमं वा उववखडित्तं पेहाए पुरा पजूहिते ।
सेवं णच्चा ततो संजयामेव गाहावत्कुलं पिंडवायपडियाए
णिकखमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ४, सु. ३४६

एसणाखेत्तपमाणं—

८८०. अवसेसं भण्डगं गिज्झा, चक्खुसा पडिलेहए ।

परमद्धजोयणाओ विहारं विहरए मुणी ॥

—उत्त. अ. २६, गा. ३५

भुंजमाणं पाणाणं मग्गे आवागमण णिसेहो—

८८१. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावत्कुलं पिंडवायपडियाए

प्राणी हो तो उन्हें निकाल कर और रज हो तो उसका प्रमार्जन
कर बाद में यतनापूर्वक आहार-पानी लेने के लिए निकले या
प्रवेश करे ।

केवली भगवान् कहते हैं—'ऐसा न करना कर्मबन्ध का
कारण है ।'

क्योंकि पात्र के अन्दर द्वीन्द्रिय आदि प्राणी, बीज या रज
आदि रह सकते हैं ।

इसलिए तीर्थंकर आदि आप्तपुरुषों ने साधुओं के लिए पहले
से ही इस प्रकार की प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि
आहार-पानी के लिए जाने से पूर्व पात्र का सम्यक् निरीक्षण
करके कोई प्राणी हो तो उसे निकालकर, रज हो तो उसका
प्रमार्जन कर, बाद में यतनापूर्वक आहार पानी के लिए निकले
या प्रवेश करे ।

असमय में प्रवेश के विधि निषेध—

८७६. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश
करना चाहें, उस समय यदि यह जाने कि,
अभी दुधार गायों को दुहा जा रहा है,

अशन—यावत्—स्वादिम आहार अभी तैयार किया जा
रहा है या हो रहा है,

अभी तक उसमें से किसी दूसरे को जितना देय है उतना
दिया नहीं गया है, ऐसा जानकर वह आहार प्राप्ति की दृष्टि से
निष्क्रमण प्रवेश न करे ।

किन्तु ऐसा जानकर वह भिक्षु एकान्त में चला जाये और
जहाँ कोई आता जाता न हो और देखता न हो वहाँ ठहर जाए ।

जब वह यह जान ले कि—

दुधार गायें दुही जा चुकी हैं,

अशन—यावत्—स्वादिम आहार भी अब तैयार हो गया
है, उसमें से दूसरों को जितना देय है उतना दे दिया गया है,
तब वह संयमी साधु आहार प्राप्ति के लिए निष्क्रमण प्रवेश करे ।

एषणा क्षेत्र का प्रमाण—

८८०. भिक्षु सब भण्डोपकरणों को ग्रहण कर चक्षु से उनकी
प्रतिलेखना करे और उत्कृष्ट अर्घ-योजन तक भिक्षा के लिये
जाए ।

आहार करते हुए प्राणियों के मार्ग में आने जाने का
निषेध—

८८१. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश

पविसित्तुकामे अंतरा से रसेसिणो बह्वे पाणा घासेसणाए
संथडे संनिवाइए पेहाए,

तं जहा—कुक्कुडजाइयं वा, सूयरजाइयं वा, अग्गपिंडंसि वा
वायसा संथडा संनिवाइया पेहाए,

सइ परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा नो उज्जुयं गच्छेज्जा^१ ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३५६

भिक्षाकाले उन्मत्तगोणाइं पेहाए गमणविहि णिसेहो—

८८२. से भिक्खू वा भिक्खुणी गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
पविसित्तुकामे गोणं वियालं पडिपहे पेहाए, महिसं वियालं
पडिपहे पेहाए,

एवं मणुस्सं, आसं, हत्थि, सीहं, वग्घं, विगं, दीवियं, अच्छं,
तरच्छं, परिसरं, सिथालं, विरालं, सुणयं, कोलसुणयं,
कोकतियं, चित्ताचेल्लडयं वियालं पडिपहे पेहाए,
सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं
गच्छेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ५, सु. ३५४

साणं सूइयं गावि, वित्तं गोणं हयं गयं ।

संडिभं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १२

खड्डाइजुत्तपहे गमण णिसेहो—

८८३. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
पविसित्तुकामे अंतरा से ओवाए खाणुं वा, कंटए वा, घसी
वा, भिलुगा वा, विसमे वा, विज्जले वा परियावज्जेज्जा ।
सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा णो उज्जुयं
गच्छेज्जा ।^२ —आ. सु. २, अ. १, उ. ५, सु. ३५५

अदुगुंछियकुलेसु भिक्षागमणविहाणं—

८८४. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे सेज्जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा, तं जहा—

१. उग्गकुलाणि वा,

२. भोगकुलाणि वा,

(१) उग्रकुल,

(२) भोगकुल,

१ (क) तहेवुच्चावया पाणा, भत्तट्टाए समागया । तं उज्जुयं न गच्छेज्जा, जयमेव परक्कमे ॥ —दस. अ. ५, उ. २, गा. ७

(ख) दशवैकालिक अ. ५, उ. १, गाथा ६-११ में देश्याओं के आवासों की ओर जाने वाले मार्ग से भिक्षा के लिए जाने का
निषेध है अतः वे गाथायें ब्रह्मचर्य महाव्रत को विभाग में दी गई हैं ।

२ ओवायं विसमं स्याणुं, विज्जलं परिवज्जए । संकमेण न गच्छेज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ।

तम्हा तेण न गच्छेज्जा, संजए सुसमाहिए । सइ अन्नेण मग्गेण जयमेव परक्कमे ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ४-६

करना चाहें, उस समय मार्ग के बीच में यदि आहार के इच्छुक
अनेक पशु-पक्षी आहार के लिए एकत्रित होकर आये हुए
दिखाई दें—

यथा—कुक्कुट, सूकर आदि अनेक प्राणी या अग्रपिण्ड नाने
के लिए कौवों आदि को एकत्रित होकर आता हुआ देख कर,

यदि अन्य मार्ग हो तो संयत यतनापूर्वक उसी मार्ग से जावे,
किन्तु उस (पशु-पक्षी वाले) सीधे मार्ग से न जावे ।

भिक्षा के समय उन्मत्त साण्ड आदि को देखकर गमन का
विधि निषेध—

८८२. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थों के घरों में प्रवेश
करना चाहें, उस समय मार्ग में मदोन्मत्त मांड या मतवाला
भैसे को देखकर,

तथा दुष्ट मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, भेड़िया, चित्ता,
रीछ, व्याघ्र विशेष अष्टापद, शियाल, वन विलाव, कुत्ता,
महाशूकर, लोमड़ी, चिल्लक आदि विकराल प्राणियों को मार्ग
में देखकर यदि दूसरा मार्ग हो तो उसी मार्ग से जाए, किन्तु
उस सीधे मार्ग से न जाए ।

(गोचरी में प्रविष्ट भिक्षु) कुत्ता व नव प्रसूता गाय तथा
मदोन्मत्त बैल, घोड़ा व हाथी और वच्चों का क्रीड़ा स्थल, क्लेश
व युद्ध के स्थानों को दूर से ही वर्जन करे ।

खड्डा आदि से युक्त मार्ग में जाने का निषेध—

८८३. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थों के घरों में प्रवेश
करना चाहें उस समय मार्ग के बीच में यदि गड्ढा हो, खूँटा हो
या ठूँठ पड़ा हो, कांटे बिखरे हों, अन्दर घसी हुई भूमि हो,
फटी हुई कालीभूमि हो, ऊँची-नीची भूमि हो या कीचड़ हो ऐसी
स्थिति में दूसरा मार्ग हो तो उसी मार्ग से जावे, किन्तु सीधे
मार्ग से न जावे ।

अघृणित कुलों में गोचरी जाने का विधान—

८८४. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार प्राप्ति के लिए
प्रविष्ट होने पर (आहार ग्रहण योग्य) जिन कुलों को जाने, वे
इस प्रकार हैं—

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| ३. राइणकुलाणि वा, | ४. खत्तियकुलाणि वा, | (३) राजन्यकुल, | (४) अत्रियकुल, |
| ५. इक्खागकुलाणि वा, | ६. हरिवंसकुलाणि वा, | (५) इध्वाकुल, | (६) हरिवंसकुल. |
| ७. एसियकुलाणि वा, | ८. वेसियकुलाणि वा, | (७) गोपालकुल. | (८) वैश्यकुल. |
| ९. गंडागकुलाणि वा, | १०. कोट्टागकुलाणि वा, | (९) नापितकुल, | (१०) वट्टिकुल, |
| ११. गामरक्खकुलाणि वा, | १२. वोक्कसालियकुलाणि वा, | (११) ग्रामरक्खकुल, | (१२) तन्तुवायकुल |
- अणत्तरेसु वा तहप्पगारेसु अद्दुग्गुच्छिएसु अगारहियेसु असणं वा-जाव-साइमं वा फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. २, सु. ३३६

दुग्गुच्छियकुलेसु भिक्खागमण पायश्चित्त सुत्तं —

८८५. जे भिक्खू दुग्गुच्छियकुलेसु असणं वा-जाव-साइमं वा पडिगाहेइ, पडिगाहेइतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १६, सु. २७

अगवेसणीयकुलाइं—

८८६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा, तं जहा—खत्तियाण वा, राईण वा, कुराईण वा, रायपे-सियाण वा, रायवंसट्टियाण वा, अंतो वा, वाहि वा, गच्छं-ताण वा, संणिविट्ठाण वा, णिमंतेमाणण वा, अणिमंतेमा-णाण वा, असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णी पडिगाहेज्जा । —आ० सु० २, अ० १, उ० ३, सु० ३४६

णिसिद्ध कुलेसु गवेसणा णिसेहो—

८८७. पडिकुट्टकुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए ।
अचियत्तकुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥
—दस. अ. ५, उ. १, गा. १७

णिसिद्धिगिहेभिक्खागमणपायश्चित्त सुत्तं—

८८८. जे भिक्खू गाहावइ कुलं पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठे पडियाइखित्ते समाणे दोच्चंपि—तमेव कुलं अणुप्पविसइ, अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आयज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. १३

भिक्खायरियाए उच्चार पासवग परिट्ठावण विही—

८८९. गोयरगपविट्ठो उ, वच्चमुत्तं न धारए ।
ओगासं फासुयं नच्चा, अणुस्रविय वोसिरे ॥
—दस. अ. ५, उ. १, गा. १९

ये और उमी प्रकार के और भी कुल, जो अनिन्दित और अग्रहित हों, उन कुलों (घरों) से अग्न—यावत्—स्वादिस प्रामुक और एषणीय मानकर मिलने पर ग्रहण करें ।

धृणित कुलों में भिक्षा गमन का प्रायश्चित्त सूत्र—

८८५. जो भिक्षु धृणित कुलों में जाकर अग्न—यावत्—स्वादिस लेना है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।
उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आना है ।

अगवेसणीयकुल—

८८६. भिक्षु एवं भिक्षुणी इन कुलों को जाने—

यथा—अत्रियों के कुल, राजाओं के कुल, कुत्सित राजाओं के कुल, राज-भृत्य, राजा के सम्बन्धियों के कुल, इन कुलों के घरों में या घरों से बाहर जाते हुए, खड़े हुए या बैठे हुए, निमन्त्रण किये जाने पर या न किए जाने पर अग्न—यावत्—स्वादिस अप्रामुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

निपिद्ध कुलों में गवेसणा-निषेध—

८८७. मुनि निन्दित कुल में प्रवेश न करे । गृह-स्वामी द्वारा निपिद्ध कुल में प्रवेश न करे जहाँ प्रवेश करने पर भाव के प्रति द्वेष भाव प्रगट करे वहाँ न जावे । किन्तु प्रीतिकर कुल में ही प्रवेश करे ।

निपिद्ध घर में भिक्षा लेने जाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

८८८. जो भिक्षु गाथापति कुल में आहार के लिए प्रवेश करने पर गृहस्थ के मना करने के बाद भी दूसरी बार उमी कुल में प्रवेश करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आना है ।

भिक्षाचर्या में मल-मूत्रादि परठने की विधि—

८८९. गोचरी के लिए गया हुआ मुनि मल-मूत्र की बाधा को न रोके और प्रामुक-स्थान देव, उसके स्वामी की अनुमति लेकर वहाँ मल-मूत्र का उत्सर्ग करे ।

१ (क) निपिद्ध कुलों में नित्यादि पिंड देने वाले कुलों का भी निषेध है—देविये नित्यपिंड दोष ।

(ख) अप्रीतिकर कुल से भक्त-पान आदि के ग्रहण का निषेध—देविये प्रश्नव्याकरण—तृतीय संवरद्वार सूत्र-५

पिहियदुवारउग्घाडणविहिण्णिसेहो—

८६०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावतिकुलस्स दुवारवाहं कंठगबोदियाए पडिपिहितं पेहाए तेसि पुव्वामेव उग्घं अणुणविय, अपडिलेहिय, अप्पमज्जिय णो अवंगुणेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

तेसि पुव्वामेव उग्घं अणुणविय पडिलेहिय पमज्जिय ततो संजयामेव अवंगुणेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ५, मु० ३५६

साणीपावारपिहियं, अप्पणानावपंगुरे ।
कवारं नो पणोलेज्जा, ओग्घं से अजाइया ॥

—दण. अ. २, उ. १, गा. १८

भिक्षायायरियाए श्यायाकरणणिसेहो—

८६१. भिक्षाया गामेगे एवमाहंसु-सभाणा वा, वसमाणा वा, गामाणुगामं दूइज्जमाणे खुड्ढाए खलु अयं गामे, संणिरुद्धाए, णो महालए, से हंता भयंतारो वाहिरगाणि गामाणि भिक्षायायरियाए वयह ।

संति तत्थेगतियस्स भिक्खुस्स पुरेसंथुया वा, पच्छासंथुया वा परिवसंति, तं जहा-गाहावती वा-जाव-कम्मकरोओ वा, तहप्पगाराइं कुलाई पुरेसंथुयाणि वा, पच्छासंथुयाणि वा पुव्वामेव भिक्षायायरियाए अणुपविसिस्सामि, अविद्य इत्थ लभिसिस्सामि सांलि वा, ओयणं वा, खीरं वा, दहि वा, णवणीतं वा, घयं वा, गुलं वा, तेल्लं वा, संकुलि वा, फाणितं वा, पूयं वा, सिहरिणि वा तं पुव्वामेव भोच्चा पिच्चा पडिग्घं संलिहियं संमज्जिय ततो पच्छा भिक्खूहि सद्धिं गाहावतिकुलं पिडवातपडियाए पवित्तामि ।

माइट्ठाणं संफासे, णो एवं करेज्जा ।

से तत्थ भिक्खूहि सद्धिं कालेण अणुपविसिस्सा तत्थितरात्थिय-रेहि कुलेहिं सामुदाणियं एसित्तं वेत्तित्तं पिडवातं पडिगाहेत्ता आहारं आहारेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ४, सु. ३५०

अभिनिचारिका गमणविहि णिसेहो—

८६२. वहवे साहम्मिया इच्छेज्जा एगयओ अभिनिचारियं चारए, नो णं कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिनिचारियं चारए ।

ढके हुए द्वार को खोलने का विधि निषेध—

८६०. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के गृहद्वार को कांटों की टाटी से ढका हुआ देखे तो पहले गृहस्वामी की आज्ञा लिए बिना, प्रतिलेखन किए बिना, और प्रमार्जन किये बिना गृहद्वार न खोले और न उसमें प्रवेश करे ।

पहले ही गृहस्वामी की आज्ञा लेकर प्रतिलेखन कर और प्रमार्जन कर यतनापूर्वक गृहद्वार खोले और प्रवेश करे ।

मुनि गृहपति की आज्ञा लिए बिना मन या वचन के पदों से ढंका द्वार न खोले और किवाड़ भी न खोले ।

भिक्षाचरी में माया करने का निषेध—

८६१. स्थिरवान रहने वाला अथवा मानस्य आदि रहने वाला या ग्रामानुग्राम विहार करके कहीं पहुँचने वाला कोई भिक्षु अन्य साधुओं से कहे “पूज्यवरी ! यह गाँव बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, उसमें भी कुछ घर सूतक आदि के कारण रूके हुए हैं । इसलिए आप भिक्षाचरी के लिए बाहर (दूपरे) गाँवों में पधारें ।”

उस गाँव में उस भेजने वाले मुनि के पूर्व-परिचित अथवा पश्चात्परिचित गृहपति —यावत्—नीकरानियाँ रहते हैं ।

वह साधु यह सोचे कि इन पूर्व-परिचित और पश्चात्-परिचित घरों में पहले ही भिक्षार्थ प्रवेश करके और अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लूँगा जैसे कि—शाली, औदन आदि स्वादिष्ट आहार, दूध, दही, नवनीत, घृत, गुड़, तेल, पुडी, मानपुए, जिखरिणी आदि और उस आहार को मैं पहले ही जा पीकर पात्रों को धो-पोंछकर साफ कर लूँगा । इसके बाद आगन्तुक भिक्षुओं के साथ आहार-प्राप्ति के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करूँगा ।

इस प्रकार का व्यवहार करने वाला भिक्षु कपट का सेवन करता है । अतः भिक्षु ऐसा नहीं करे ।

साधु को वहाँ पर भिक्षुओं के साथ भिक्षा के समय में ही भिक्षा के लिये प्रवेश कर विभिन्न कुलों से सामुदानिक, एपणीय व साधु के वेश से प्राप्त निर्दोष भिक्षा ग्रहण करके आहार करना चाहिये ।

अभिनिचारिका में जाने के विधि-निषेध—

८६२. अनेक साधमिक साधु एक साथ “अभिनिचारिका” करना चाहें तो—स्थविर साधुओं को पूछे बिना उन्हें एक साथ “अभिनिचारिका” करना नहीं कल्पता है ।

कप्पइ णं थेरे आमुच्छिता एगयओ अभिनिचारियं चारए ।

थेरा य से वियरेज्जा-एवं णं कप्पइ एगयओ अभिनिचारियं चारए ।

थेरा य से नो वियरेज्जा—एवं णं नो कप्पइ एगयओ अभिनिचारियं चारए ।

जे तत्थ थेरेहिं अविइण्णे एगयओ अभिनिचारियं चरंति से सन्तरा छेए वा परिहारे वा । —वव. उ. ४, सु. १९

चारिया पविट्ट भिक्खुस्स किच्चाई—

८६३. चरियापविट्ट भिक्खु-जाव-चउराय पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, सच्चेव आलोयणा, सच्चेव पडिक्कमणा । सच्चेव ओग्गहस्स पुच्चाणुन्नवणा चिट्ठइ । अहालंदमवि ओग्गहे ।

चरियापविट्टे भिक्खू परं चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्टाएज्जा ।

भिक्खूभावस्स अट्टाए दोच्चं पि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे तिया ।

कप्पइ से एवं वदित्तए

“अणुजाणह भंते ! मिओग्गहं अहालंदं धुवं नितियं निच्छइयं वेउट्ठियं ।”

तओ पच्छा काय-संफासं । —वव. उ. ४, सु. २०-२१

चरियानियट्टे भिक्खुस्स किच्चाई—

८६४. चरियानियट्टे भिक्खु-जाव-चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, सच्चेव आलोयणा, सच्चेव पडिक्कमणा, सच्चेव ओग्गहस्स पुच्चाणुन्नवणा चिट्ठइ अहालंदमवि ओग्गहे ।

चरियानियट्टे भिक्खू परं चउराय-पंचरायाओ थेरे पासेज्जा, पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्टाएज्जा ।

भिक्खू भावस्स अट्टाए दोच्चं पि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे तिया ।

कप्पइ से एवं वदित्तए—

“अणुजाणह भंते ! मिओग्गहं अहालंदं धुवं नितियं निच्छइयं वेउट्ठियं ।”

तओ पच्छा काय-संफासं । —वव. उ. ४, सु. २२-२३

किन्तु स्थविर साधुओं को पूछ लेने पर उन्हें एक साथ “अभिनिचरिका” करना कल्पता है ।

यदि स्थविर साधु आज्ञा दें तो उन्हें “अभिनिचरिका” करना कल्पता है ।

यदि स्थविर साधु आज्ञा न दें तो उन्हें “अभिनिचरिका” करना नहीं कल्पता है ।

यदि वे स्थविरों से आज्ञा प्राप्त किये बिना “अभिनिचरिका” करें तो वे दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं ।

चर्या प्रविष्ट भिक्षु के कर्तव्य—

८६३. चर्या में प्रविष्ट भिक्षु यदि चार पाँच रात की अवधि में स्थविरों को देखे (मिले) तो—उन भिक्षुओं को वही आलोचना, वहीं प्रतिक्रमण और कल्प पर्यन्त रहने के लिए वहीं अवग्रह की पूर्वानुज्ञा है ।

चर्या में प्रविष्ट भिक्षु यदि चार-पाँच रात के बाद स्थविरों को देखे (मिले) तो वह पुनः आलोचना, प्रतिक्रमण और दीक्षा-च्छेद या परिहार प्रायश्चित्त में उपस्थित होवे ।

भिक्खुभाव (संयम की सुरक्षा) के लिए उसे दूसरी बार अवग्रह की अनुमति लेनी चाहिए ।

वह इस प्रकार प्रार्थना करे कि—

“हे भदन्त ! मित-अवग्रह में त्रिचरने के लिए कल्प अनुसार रहने के लिए ध्रुव नियमों के लिए, दैनिक क्रियायें करने के लिए, निश्चय पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए आज्ञा दें तथा पुनः आने की या दोषों से निवृत्त होने की अनुज्ञा दीजिए ।

इस प्रकार कहकर वह उनके चरण का स्पर्श करे ।

चर्या निवृत्त भिक्षु के कर्तव्य—

८६४. कोई भिक्षु चर्या से निवृत्त होने पर चार, पाँच रात की अवधि में स्थविरों को देखे (मिले) तो उसे वही आलोचना, वहीं प्रतिक्रमण और कल्प पर्यन्त रहने के लिए वहीं अवग्रह की पूर्वानुज्ञापना है,

यदि कोई भिक्षु अभिनिचरिका से निवृत्त होने पर चार-पाँच रात के बाद स्थविरों से मिले तो वह पुनः आलोचना, प्रतिक्रमण और दीक्षा-च्छेद या परिहार प्रायश्चित्त में उपस्थित होवे ।

भिक्खुभाव (संयम) की सुरक्षा के लिए उसे दूसरी बार अवग्रह की अनुमति लेनी चाहिए ।

वह इस प्रकार से प्रार्थना करे कि—

“हे भदन्त ! मुझे मित-अवग्रह, यथालन्द ध्रुव, नित्य, नैश्चयिक और व्युत्थित होने की अनुमति दीजिए ।” इस प्रकार कहकर वह उनके चरणों का स्पर्श करे ।

नवनिर्मितग्रामादि आहार ग्रहणस्स प्रायश्चित्त सूत्रं—

८६५. जे भिक्षू णवग-णिवेसंसि गामंसि वा-जाव-सणिवेसंसि वा अणुप्पविसित्ता असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ३४

णव अयागराइसु आहार ग्रहणस्स प्रायश्चित्त सूत्रं—

८६६ जे भिक्षू णवग-णिवेसंसि

- | | |
|---------------------|---------------------|
| १. अयागरंसि गा, | २. तंवागरंसि वा, |
| ३. तउआगरंसि वा, | ४. सीसागरंसि वा, |
| ५. हिरण्णागरंसि वा, | ६. सुवण्णागरंसि वा, |
| ७. रयणागरंसि वा, | ८. वइरागरंसि वा, |

अणुप्पविसित्ता असणं पा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ३५

नवनिर्मितग्रामादि में आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

८६५. जो भिक्षु नये निवास किये हुए गाँव में—यावत्—सन्निवेश में प्रवेश करके अशन—यावत्—स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

नई लोहे आदि की खानों में आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

८६६, जो भिक्षु नयी निवास की हुई—

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (१) लोहे की, | (२) ताँबे की, |
| (३) त्रपु की, | (४) ग्रीशे की, |
| (५) हिरण्य की | (६) सोने की, |
| (७) रत्नों की, | (८) हीरों की खदानों में, |

प्रवेश करके अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



उद्गम-दोष

प्राक्कथन

आहार दोष—

आहार शुद्धि से भाव शुद्धि और उससे संयम-साधना का निर्विघ्न सम्पन्न होना—यह एक सिद्धान्त-सम्मत तथ्य है। अतः उद्गम, उत्पादनादि दोषों से रहित आहार ही प्रासुक, एषणीय तथा उपभोग योग्य माना गया है।

आहार के दोषों का यह संकलन दो भागों में विभक्त है।

(१) एक सूत्र में एक दोष का प्ररूपण।

(२) एक सूत्र में अनेक दोषों का प्ररूपण।

इस संकलन में कुछ सूत्र विधि-निषेध के प्ररूपक हैं और कुछ सूत्र केवल निषेध के प्ररूपक हैं।

जिन सूत्रों में एक साथ अनेक दोषों का प्ररूपण है उनमें से कुछ दोष उद्गम के हैं, कुछ दोष उत्पादन के हैं और कुछ दोष एषणा के हैं।

इन सूत्रों में कुछ दोष ऐसे भी प्ररूपित हैं जिनके नाम भिन्न हैं किन्तु भाव भिन्न नहीं हैं। किन्तु ऐसे भी दोष हैं जिनका नामकरण कहीं नहीं मिलता फिर भी वे दोष ही हैं, क्योंकि कुछ सूत्रों में अग्राह्य पदार्थों के निषेध हैं अतः वे दोष ही हैं, कुछ दोषों के केवल प्रायश्चित्त सूत्र मिलते हैं किन्तु दोषों के सूत्र नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ दोषों के सूत्र मिलते हैं किन्तु उनके प्रायश्चित्त सूत्र नहीं मिलते हैं।

आगमों में “उद्गमउत्पायणसणासुद्धं” आहार-शुद्धि का सूचक वह वाक्य अनेक स्थलों में उपलब्ध है किन्तु उद्गम और उत्पादन के दोषों की निश्चित संख्या कहीं उपलब्ध नहीं है।

सभी उद्गम दोषों में प्रमुख दोष एक औद्देशिक है, अन्य सभी उसके अवान्तर भेद हैं।

प्रश्नव्याकरण सौवर द्वार ५ सूत्र ६ में “एककारसंपिडवायसुद्धं” यह वाक्य है—इसका तात्पर्य है—आचारांग द्वितीय श्रुतस्कंध प्रथम पिण्डपणा अध्ययन के ग्यारह उद्देशकों में जितने दोष हैं उन सबसे रहित आहार शुद्ध माना गया है।

उद्गम-उत्पादन के दोषों की संख्या यदि निश्चित होती तो इस आगम में संख्या का उल्लेख अवश्य होता।

एषणा के दस दोषों की संख्या निश्चित हो गई थी अतः “दसहि य दोसेहि विष्पमुक्कं” इस वाक्य में संख्या का उल्लेख है किन्तु आगमों में इन दस दोषों के अतिरिक्त अन्य अनेक एषणा दोष उपलब्ध हैं।

पिण्डनिर्युक्ति आदि में उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोषों की संख्या निश्चित है। संभव है नवदीक्षितों को कण्ठस्थ कराने के लिए किसी स्यविर ने प्रमुख दोषों की संख्या निश्चित करके गाथावद्ध किये होंगे।

आगमों में कुछ ऐसे दोष भी प्ररूपित हैं जो वयालीस दोषों से सर्वथा भिन्न हैं।

परिभोगपणा के दोषों का प्ररूपण भगवती सूत्र में प्रतिपादित है।

प्रस्तुत संकलन में दोषों का क्रम इस प्रकार संकलित किया गया है—

(१) एक सूत्र में अनेक दोषों का कथन है उसे प्रकीर्णक दोष से सूचित किया गया है।

(२) एक सूत्र में एक दोष का कथन है उसे उद्गम, उत्पादन और एषणा दोष के क्रम से रखा है।

(३) ४२ दोष के सिवाय दोषों को—संज्ञाही प्रकरण, शय्यातर पिड व एषणा विवेक शीर्षक से संकलित किया गया

सोलह उद्गम दोष—

- आहाकम्मुद्देश्यं पूडकम्मे ग भीसजाए य । ठवणा पाहुडियाए पाओयर कीय पामिच्चे ॥
 पडियट्टिए अभिहडे उब्भिन्न मालोहडे इ य । अच्चिज्जे अणिसिट्ठे अण्णोयरए य सोलसमे ॥ —पिण्ड० नि० गा० ३-४
- (१) आघाकर्म—किसी एक विशेष साधु साध्वी के उद्देश्य से आहारादि का निष्पन्न करना ।
 (२) औद्देशिक—एक या अनेक श्रमण ब्राह्मणादि के उद्देश्य से आहारादि का निष्पन्न करना ।
 (३) पूतिकर्म—प्रासुक एवं एषणीय आहार में आघाकर्म आहार का अत्यल्प या अधिक मिश्रण करना ।
 (४) मिश्रजात—अपने लिए और साधु-साध्वी के लिए एक साथ आहारादि बनाना ।
 (५) स्थापना—साधु-साध्वियों को देने के लिए आहारादि अलग स्थापित कर रखना ।
 (६) प्रामृत्तिका—समीप के गाँव से साधु या साध्वी आज ही अभी पधारने वाले हैं यह जानकर पाहुणों के जीमण का समय परिवर्तन करना ।
 (७) प्रादुष्करण—अन्धकार युक्त स्थानों में दीपक आदि से प्रकाश करके आहारादि देना ।
 (८) क्रीत—साधु साध्वी के लिए आहारादि खरीद कर देना ।
 (९) प्रामित्य—साधु साध्वी के लिए आहारादि उधार लाकर देना ।
 (१०) परिवर्तित—अपने घर में बना हुआ आहार किसी अन्य को देकर साधु-साध्वियों को उनका अभिलषित आहार लाकर देना ।
 (११) अभिहृत—साधु साध्वी को उनके स्थान पर आहारादि लाकर देना ।
 (१२) उद्भिन्न—किसी विशेष लेप से बन्द किए हुए पात्र के मुँह को खोलकर साधु साध्वी को लिए खाद्यादि पदार्थ देना ।
 (१३) मालापहृत—मंच या टाँड आदि ऊँची जगह पर रखे हुए खाद्य पदार्थों को निसरणी आदि से उतारकर देना ।
 (१४) आच्छेद्य—किसी दुर्बल व्यक्ति से छीनकर आहारादि देना ।
 (१५) अनिसृष्ट—भागीदार के पदार्थ उसकी आज्ञा लिए बिना देना ।
 (१६) अध्यवपूरक—साधु या साध्वियाँ गाँव में आये हैं ऐसा सुनकर अपने लिए वन रहे भोजन में कुछ अधिक बढ़ाकर भोजन बनाना ।

ये सभी दोष गृहस्थ अपने अविवेक से लगाता है । अतः साधु गृहस्थ से विवेकपूर्वक प्रश्न करके आहारादि के उद्गम दोष जानकर शुद्ध आहारादि ले ।

इनमें से कुछ दोष भोजन बनाने से पूर्व, कुछ भोजन बनाते समय, कुछ भोजन बनाने के बाद और कुछ साधु-साध्वी को आहार देते समय लगाये जाते हैं ।

उद्गम दोष—४

(१) आहाकम्म दोसं—

आहाकम्मिय आहार गहण णिसेहो—

८६७. अहाकडं^१ वा ण णिकामएज्जा, णिकामयंते ण य संथवेज्जा ।

घुणे उरालं अणुवेहमाणे, चेच्चाण सोयं अणपेक्खमाणे ॥

—सूय. सु. १, अ. १०, गा. ११

(१) आघाकर्मदोष—

आघाकर्मी आहार ग्रहण का निषेध—

८६७. साधु आघाकर्मी आहार की कामना न करे और कामना करने वाले की प्रशंसा व समर्थन न करे । स्थूल शरीर की अपेक्षा न रखता हुआ, अनुप्रेक्षापूर्वक असमाधि को छोड़कर स्थूल शरीर को कृश करे ।

इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सड्ढा भवन्ति गाहावती वा-जाव-कम्मकरी वा । तेसि च णं एवं वुत्तपुव्वं भवति—

“जे इमे भवन्ति समणा भगवन्तो सीलमन्ता, वयमन्ता, गुण-मन्ता, संजता, संवुडा, वंभचारी, उवरया मेह्णतातो कम्मातो णो खलु एतोसि कप्पति आधाकम्मिए असणं वा-जाव- साइमं वा भोत्तए वा, पायए वा ।

से ज्जं पुण इमं अम्हं अप्पणो अट्ठाए णिट्ठितं,

तं जहा—असणं वा-जाव-साइमं वा, सव्वमेयं समणाणं णिसिरामो, अविद्याइं वयं पच्छा वि अप्पणो अयट्ठाए असणं वा-जाव-साइमं वा चेत्तिस्सामो ।”

एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म तहप्पगारं असणं वा -जाव-साइमं वा अफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लामे वि संते णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६०

सिया से परो कालेण अणुपविट्ठस्स आधाकम्मियं असणं वा -जाव-साइमं वा उवकरेज्ज वा उवक्खडेज्ज वा । तं चैग-तिओ तुसिणीओ उवेहेज्जा “आहडमेयं पच्चाइक्खिस्सामि ।” मात्तिट्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा णो खलु मे कप्पति आहाकम्मियं असणं वा-जाव-साइमं वा भोत्तए वा पायए वा, मा उवकरेहि मा उवक्खडेहि”

से सेवं वदन्तस्स परो आहाकम्मियं असणं वा-जाव-साइमं वा उवक्खडेत्ता आहट्टु दलएज्जा । तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—अ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६२

आहाकम्म आहारेण कम्मबंधस्स एगंतकहण णित्सेहो—

८६८. आहाकम्माणि भुंजन्ति, अण्णमण्णे, सकम्मुणा ।
उवलित्ते ति जाणेज्जा, अणुवलित्ते ति वा पुणो ॥

यहाँ (जगत् में) पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु गाथापति—यावत्—नीकरानियाँ होते हैं, वे पहले से ही श्रमण की आचार मर्यादा के ज्ञाता होते हैं ।

“ये श्रमण भगवन्त शीलवान्, व्रतनिष्ठ, गुणवान्, संयत, संवृत (आन्त्रवों के निरोधक) ब्रह्मचारी एवं मैथुन कर्म से निवृत्त होते हैं । इन्हें आधाकर्मिक अशन—यावत्—स्वादिम आहार खाना या पीना कल्पनीय नहीं है ।

अतः हमने अपने लिए जो आहार बनाया है,

वह सब अशन—यावत्—स्वादिम आहार हम इन श्रमणों को दे देंगे और हम अपने लिए वाद में नया अशन—यावत्—स्वादिम आहार बना लेंगे ।

उनके इस प्रकार के वचन सुनकर, समझकर (साधु या साध्वी) इस प्रकार के (दोपयुक्त) अशन—यावत्—स्वादिम आहार को अप्रासुक और अनेपणीय मानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

कदाचित् भिक्षा के समय प्रवेश करने पर भी गृहस्थ आधा-कर्मिक अशन—यावत्—स्वादिम बनाने के साधन जुटाने लगे या आहार बनाने लगे उसे देखकर साधु इस अभिप्राय से चुपचाप देखता रहे कि “जब यह आहार लेकर आयेगा, तभी उसे लेने से इन्कार कर दूँगा” यह सोचना माया स्थान का सेवन करना है । साधु ऐसा न करे ।

वह पहले से ही उन्हें कहे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! या वहन ! आधाकर्मिक अशन—यावत्—स्वादिम खाना या पीना मुझे नहीं कल्पता है अतः मेरे लिए न तो (अशनादि बनाने के) साधन एकत्रित करो और न बनाओ ।”

उस साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ आधाकर्मिक अशन—यावत्—स्वादिम आहार बनाकर लाए और साधु को देने लगे तो वह साधु उस अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

आधाकर्मी आहार करने से कर्मबन्ध का एकांत कथन निषेध—

८६८. आधाकर्म दोप युक्त आहारादि का जो साधु उपभोग करते हैं, वे (आधाकर्म दोपयुक्त आहारादि का दाता तथा उपभोक्ता) दोनों तत्संबन्धी कर्म से उपलिप्त हुए हैं, अथवा उपलिप्त नहीं हुए हैं,

एएहि दोहि ठाणेहि, ववहारो न विज्जती ।
एएहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥^१

—सूय. सु. २, अ. ५, गा. ८-६

कप्पाकप्पट्टियाण णिमित्त आहारस्स गहण विणिच्छओ—

८६६. जे कडे कप्पट्टियाणं, कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ-
कप्पट्टियाणं ।

जे कडे अकप्पट्टियाणं णो से कप्पइ कप्पट्टियाणं, कप्पइ
से अकप्पट्टियाणं

कप्पे ठिया कप्पट्टिया,

अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया ।^२ —कप्प. उ. ४, सु. १६

इन दोनों प्रकार के निश्चय कथन से व्यवहार नहीं चलता है, इन दोनों प्रकार के निश्चय कथन को अनाचार जानना चाहिए ।

कल्पस्थित अकल्पस्थित के निमित्त बने आहार के ग्रहण का निर्णय—

८६६. जो (अशन—यावत्—स्वादिम) कल्पस्थितों के लिए बनाया गया है वह अकल्पस्थितों को कल्पता है, कल्पस्थितों को नहीं कल्पता है ।

जो अकल्पस्थितों के लिए बनाया गया है, वह कल्पस्थितों को नहीं कल्पता है (अन्य) अकल्पस्थितों को कल्पता है ।

जो कल्प में स्थित हैं वे कल्पस्थित हैं ।

जो अकल्प में स्थित हैं वे अकल्पस्थित हैं ।

१ टीकाकार ने आधाकर्मी आहार करने से कर्मबन्ध होने के विषय में इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है—

साधु प्रधानकारणमाधाय-आश्रित्य कर्माण्याधाकर्माणि, तानि च वस्त्र-भोजन-वसत्यादीन्युच्यन्ते, एतान्याधाकर्माणि ये भुञ्जन्ते-एते रूपभोगे ये कुर्वन्ति “अन्योऽन्यं” परस्परं तान् स्वकीयेन कर्मणोपलिप्तवान् विजानीयादित्येवं नो वदेत्-तथाऽनुपलिप्तवानपि नो वदेत् ।

एतदुक्तं भवति—आधाकर्मापि श्रुतोपदेशेन शुद्धमिति कृत्वा भुञ्जान; कर्मणा नोपलिप्यते । तदाधाकर्मापभोगेनावश्यतया कर्मबन्धो भवतीत्येवं नो वदेत् ।

तथा श्रुतोपदेशमन्तरेणाहारगृह्याऽऽधाकर्मभुञ्जानस्य तन्निमित्त कर्मबन्ध सद्भावात् अतोऽनुपलिप्तवानपि नो वदेत् ।

यथावस्थितमौनीन्द्रागमज्ञस्यत्वेवं युज्यते वक्तुम् “आधाकर्मापभोगेन स्यात्कर्म बन्धः स्यान्नेति ।”

यत उक्तम्—किञ्चिच्छुद्धं कल्प्यमकल्प्यमपि कल्प्यम् । पिण्डःशय्या, वस्त्रं, पात्रं वा भेषजाद्यं वा ।

तथाऽन्येरप्यभिहितम्—उत्पद्येत हि साऽवस्था, देश कालामयान्प्रति । यस्यामकार्यं कार्यस्यात्, कर्मकार्यं च वर्जयेत् ॥ इत्यादि ।

किमित्येवं स्याद्वादः प्रतिपाद्यत इत्याह— “आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामाश्रिताभ्यान्योर्वा स्थानयोराधाकर्मापभोगेन कर्मबन्धभावाभावभूतयोर्न्यवहारो न विद्यते ।

तथाहि—यद्यवश्यमाधाकर्मापभोगेनैकान्तेन कर्मबन्धोऽभ्युपगम्येत-एवं चाहाराभावेनापि क्वचित्सुतरामनर्थोदयः स्यात् ।

तथाहि—क्षुत्प्रपीडितो न सम्यगीयपथं शोधयेत् । ततश्च व्रजन् प्राप्युपमद्दमपि कुर्यात् ।

मूर्च्छादिसदभावतया च देहपाते सत्यवश्यंभावी त्रसादि व्याघातोऽकालमरणे चाविरतिरङ्गीकृता भवत्यार्तध्यानापत्तो च तिर्यग्गतिरिति ।

आगमश्च—“सव्वत्थ संजमं संजमाओ अप्पाणमेव कंखेज्जा” इत्यादिनाऽपि सदुपभोगे कर्मबन्धाभाव इति ।

तथाहि—आधाकर्मण्यपि निष्पद्यमाने षड्जीवनिकायवधस्तद्वधे च प्रतीतः कर्मबन्ध इत्यतोनयोः स्थानयोरेकान्तेनाश्रीयमाणयोर्व्यवहरणं व्यवहारो न युज्यते ।

तथाऽऽभ्यामेव स्थानाभ्यां समाश्रिताभ्यां सर्वमनाचारं विजानीयादिति स्थितम् ।

—सूय. सु. २, अ. ५, गा. ८-६ की टीका पृ. ३७४

इस प्रकार टीकाकार ने दोनों एकान्त कथनों को अनाचार कहा है ।

२ कल्पस्थित—आचेलक्य आदि दस प्रकार के कल्पों के अनुसार आचरण करने वाला तथा पंचमहाव्रतधारक कल्पस्थित कहा जाता है । भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर के अनुयायी श्रमण कल्पस्थित कहे जाते हैं ।

अकल्पस्थित—चार मह.व्रत धारक अकल्पस्थित कहा जाता है ।

भगवान् अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ पर्यन्त के अनुयायी श्रमण अकल्पस्थित कहे जाते हैं ।

आसक्तिपूर्वक आहाकम्माहारस्स फलं—

६००. प०—आहाकम्मं णं भंते ! भुंजमाणे समणे णिग्गंथे, १. किं बंधति ?, २. किं पकरेति ?, ३. किं चिणाति ?, ४. किं उवचिणाति ?

उ०—गोयमा ! आहाकम्मं णं भुंजमाणे आउयवज्जाओ सत्त-कम्मपगढीओ बंधइ

आउयं च णं कम्मं सियं बंधइ, सियं नो बंधइ ।
सिद्धिलबंधणं बद्धाओ घणियबंधणवद्धाओ पकरेइ,

हस्सकालठित्तियाओ दीहकालठित्तियाओ पकरेइ,

मंदाणुभावाओ तिव्वाणुभावाओ पकरेइ,
अप्पपएसग्गाओ बहुपएसग्गाओ पकरेइ,

असायावेयणिज्जं च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो चिणाइ,
उवचिणाइ,
अणाइयं च णं अणवयगं दीहमद्धं चाउरंत-संसार-कंतारं
अणुपरियट्टइ,

प०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

आहाकम्मं च णं भुंजमाणे आउयवज्जाओ सत्त कम्मपग-
ढीओ बंधइ, -जाव-अणाइयं च णं अणवयगं दीहमद्धं चाउ-
रंत संसार कंतारं अणुपरियट्टइ ?

उ०—गोयमा ! आहाकम्मं च णं भुंजमाणे आयाए धम्मं
अइक्कमइ,
आयाए धम्मं अतिकम्ममाणे पुढविकायं णावकंखति-जाव-
तसकायं णावकंखति,

जेसि पि यं जीवाणं सरीराइं आहारमाहरेइ ते वि जीवे
णावकंखति,

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—

‘आहाकम्मं च णं भुंजमाणे आउयवज्जाओ सत्तकम्मपग-
ढीओ बंधइ-जाव-अणाइयं च णं अणवयगं दीहमद्धं चाउ-
रंतसंसारकंतारं अणुपरियट्टइ ।’

—वि, स. १, उ. ६, सु. २६

आसक्तिपूर्वक आधाकर्म आहार करने का फल—

६००. प्र०—भगवन् ! आधाकर्मदोषयुक्त आहारादि का उप-
भोग करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ (१) क्या वांछता है ? (२) क्या
करता है ? (३) किसका चय (वृद्धि) करता है और (४)
किसका उपचय करता है ?

उ०—गौतम ! आधाकर्म दोषयुक्त आहारादि का उपभोग
करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ आयुर्कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म
प्रकृतियों को वांछता है ।

आयुर्कर्म कभी वांछता है, कभी नहीं वांछता है ।

शिशिल वन्धन से बंधी हुई सात कर्मप्रकृतियों को हृदयवन्धन
से बंधी हुई बना लेता है ।

अल्पकाल वाली कर्मप्रकृतियों की स्थिति की दीर्घकाल वाली
स्थिति करता है ।

मन्द रस वाली कर्मप्रकृतियों को तीव्र रस वाली करता है ।

अल्पप्रदेश वाली कर्मप्रकृतियों को बहुत प्रदेश वाली
करता है ।

असातावेदनीय कर्म का पुनः पुनः चयन (संचय) उपचयन
(वृद्धि) करता है ।

अनादि अनन्त दीर्घकाल पर्यन्त चतुर्गतिमय संसार रूप
अटवी में परिभ्रमण करता है !

प्र०—भगवन् ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

आधाकर्मदोषयुक्त आहारादि का उपभोग करता हुआ
श्रमण निर्ग्रन्थ आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म प्रकृतियों को
वांछता है—यावत्—अनादि अनन्त दीर्घकाल पर्यन्त चतुर्गतिमय
संसार रूप अटवी में परिभ्रमण करता है ?

उ०—गौतम ! आधाकर्मी आहारादि का उपभोग करता
हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ अपने आत्मधर्म का अतिक्रमण करता है ।

अपने आत्मधर्म का अतिक्रमण करता हुआ (साधक) पृथ्वी-
काय के जीवों की परवाह नहीं करता है—यावत्—त्रसकाय के
जीवों की परवाह नहीं करता है ।

जिन जीवों के शरीरों का वह आहार करता है, उन जीवों
की भी चिन्ता नहीं करता ।

हे गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

‘आधाकर्म दोषयुक्त आहारादि का उपभोग करता हुआ
श्रमण निर्ग्रन्थ आयुर्कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म प्रकृतियों को
वांछता है—यावत्—अनादि अनन्त दीर्घकाल पर्यन्त चतुर्गतिमय
संसार रूप अटवी में परिभ्रमण करता है ।’

आहाकम्माहारग्रहणपायश्चित्त सुत्तं—

६०१. जे भिक्खू आहाकम्मं भुंजइ, भुंजतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुघाडयं । —नि. उ. १०, सु. ६

(२) उद्देशिय दोसं—

उद्देशिय आहार ग्रहण णिसेहो—

६०२. भूयाइं च समारम्भ, समुद्दिस्स य जं कडं ।
तारिसं तु न गिण्हेज्जा, अन्नं पाणं सुसंजए ॥^१

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १४

दाणट्ठविय आहारग्रहण णिसेहो—

६०३. असणं वा पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ॥
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, दाणट्ठा पगडं इमं ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
द्वैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ६२-६३

पुण्यट्ठविय आहार ग्रहण णिसेहो—

६०४. असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, पुण्यट्ठा पगडं इमं ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
द्वैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ६४-६५

वणिमग्गट्ठविय आहार ग्रहण णिसेहो—

६०५. असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, वणिमट्ठा पगडं इमं ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
द्वैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ६६-६७

समणट्ठविय आहार ग्रहण णिसेहो—

६०६. असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा, समणट्ठा पगडं इमं ॥

- १ (क) आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३३१
(ख) आ. सु. १, अ. ८, सु. २०४-२०५
(ग) सूय. सु. २, अ. १, सु. ६८७-६८८
(घ) आ. सु. २, अ. १, उ. १०, सु. ३६७

आधाकर्म आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६०१. जो भिक्षु आधाकर्म आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

(२) औद्देशिक दोष—

औद्देशिक आहार ग्रहण करने का निषेध—

६०२. जो आहार-पानी प्राणियों का समारम्भ करके साधुओं को देने के उद्देश्य से बनाया गया है, वैसे आहार और पानी को सुसंयमी साधु ग्रहण न करे ।

दानार्थ स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६०३. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के विषय में मुनि यह जाने या सुने कि यह दानार्थ तैयार किया गया है ।

वह भक्त पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि—“इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है ।”

पुण्यार्थ स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६०४. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के विषय में मुनि यह जाने या सुने कि यह पुण्यार्थ तैयार किया गया है ।

वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि “इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है ।”

भिखारियों के लिए स्थापित आहार-ग्रहण करने का निषेध—

६०५. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को विषय में मुनि यह जाने या सुने कि यह भिखारियों के लिए तैयार किया गया है ।

वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि “इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है ।”

श्रमणार्थ स्थापित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६०६. अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के विषय में मुनि यह जाने या सुने कि यह श्रमणों के लिए तैयार किया गया है ।

तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकल्पियं ।
द्वैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ६८-६९

(३) पूइकम्म दोसं—

पूइकम्मदोसजुत्तआहारस्स णिसेहो—

६०७. पूतिकम्मं णं सेवेज्जा, एस धम्मे चुसीमतो ।

जं किंचि अभिकंखेज्जा, सच्चसो तं ण कप्पते ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १५

पूइकम्मदोसजुत्तआहार ग्रहण परिणामो—

६०८. जं किंचि वि पूतिकडं सड्ढीमागंतुमीहियं ।

सहस्संतरियं भुंजे, दुपक्खं चेव सेवती ॥

तमेव अविजाणंता, विसमंमि अकोविया ।
मच्छा वेसालिया चेव, उदगस्सअभियागमे ॥

उदगस्सप्पभावेणं, सुक्कंमि घातंमिति उ ।

ढंकेहि य कंकेहि य, आमिसत्थेहि ते दुही ॥

एवं तु समणा एगे, वट्टमाणसुहेसिणो ।

मच्छा वेसालिया चेव, घातमेसणंतसो ॥

—सूय. सु. १, अ. १, उ. ३, गा. १-४

पूइकम्मदोस जुत्त आहारं भुंजमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६०९. जे भिक्खू पूइकम्मं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. ५८

(४) ठवणा दोसं—

ठवणा दोसस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६१०. जे भिक्खू ठवणाकुलाइं अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय
पुब्भामेव पिण्डवायपडियाए अणुप्पविसइ, अणुप्पविसंतं वा
साइज्जइ ।

ते सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. २२

(५) कीय दोसं—

कीय आहार ग्रहण णिसेहो—

६११. किणंतो कइओ होइ, विक्कणंतो य वाणिओ ।

कयं विक्कयम्मि वट्टन्तो, भिक्खू न भवइ तारिसो ॥

वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को मना करे कि “इस प्रकार का आहार मुझे नहीं कल्पता है ।”

(३) पूतिकर्म दोष—

पूतिकर्म दोषयुक्त आहार का निषेध—

६०७. पूतिकर्मयुक्त आहार का सेवन न करे यही संयमी का धर्म है । जो अशनादि किंचित् भी शंकित हो, उसका सर्वथा उपभोग न करे ।

पूतिकर्म दोषयुक्त आहार ग्रहण करने का परिणाम—

६०८ श्रद्धालु गृहस्थ द्वारा आगन्तुक भिक्षुओं के लिए बनाये आहार से अन्य शुद्ध आहार किंचित् भी पूतिकृत (मिश्रित) हो गया, उस आहार को जो साधक हजार घर का अन्तर होने पर भी खाते हैं वे साधक (गृहस्थ और साधु) दोनों पक्षों का सेवन करते हैं ।

वे पूतिकर्म सेवन से उत्पन्न दोष को नहीं जानते तथा कर्म बन्ध के प्रकारों को भी नहीं जानते । वे उसी प्रकार दुःखी होते हैं, जैसे वैशालिक जाति के मत्स्य जल की बाढ़ आने पर ।

बाढ़ के जल के प्रभाव से सूखे स्थान में पहुँचे हुए वैशालिक मत्स्य जैसे मांसार्थी ढंक और कंक पक्षियों द्वारा सताये जाते हैं ।

इसी प्रकार वर्तमान सुख के अभिलाषी कई श्रमण वैशालिक मत्स्य के समान अनन्त वार विनाश को प्राप्त करते हैं ।

पूतिकर्म दोषयुक्त आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६०९. जो भिक्षु पूतिकर्म दोषयुक्त आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुदघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

(४) स्थापना दोष—

स्थापना दोष का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१०. जो भिक्षु स्थापित कुलों को जानने पूछने या गवेषणा करने के पहले ही आहार के लिए प्रवेश करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उदघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

(५) क्रीत दोष—

क्रीत आहार ग्रहण करने का निषेध—

६११. वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक (खरीददार) होता है और बेचने वाला वणिक (विक्रेता) होता है । क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति करने वाला उत्तम भिक्षु नहीं होता है ।

भिक्षुव्यव्वं न केयव्वं, भिक्षुणा भिक्षवन्तिणा ।
कय विककओ महादोसो, भिक्षावित्ती सुहावहा ॥^१

—उत्त. अ. ३५, गा. १४-१५

(६) अभिहृददोसं—

अभिहृद आहार ग्रहण णिसेहो—

६१२. जस्स णं भिक्षुस्स एवं भवति—पुट्ठो अवलो अहमंसि,
णालमहमंसि गिहंतरसंकमणं भिक्षायरियं गमणाए^१,

से सेवं वदंतस्स परो अभिहृद असणं वा-जाव-साइमं वा
आहट्टुदलएज्जा,
से पुव्वामेव आलोएज्जा—‘आउसंतो गाहावती णो खलु मे
कप्पति अभिहृदं असणं वा-जाव-साइमं वा भोत्तए वा
पात्तए वा अण्णे वा एत्तप्पगारे’^२ ।

—आ० सु० १, अ० ८, उ० ५, सु० २१८

अभिहृद दोसस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६१३. जे भिक्षू गाहावइ-कुलं पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठे
समाणे परं ति—घरंतराओ असणं वा-जाव-साइमं वा
अभिहृदं आहट्टु दिज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ, ३, सु. १५

(७) उद्विभण्णदोसं—

उद्विभण्ण आहार ग्रहण णिसेहो—

६१४. से भिक्षू वा भिक्षुणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं वा-जाव-
साइमं वा मट्ठिओलित्तं । तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं
वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

भिक्षा-वृत्ति वाले भिक्षु को भिक्षा ही करनी चाहिए किन्तु
खरीदना नहीं चाहिए । क्रय विक्रय महान् दोष है । भिक्षा-वृत्ति
सुख को देने वाली है ।

(६) अभिहृद दोष—

अभिहृत आहार ग्रहण करने का निषेध—

६१२. जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होने लगे कि “मैं रोगग्रस्त
होने से दुर्बल हो गया हूँ । अतः मैं भिक्षा लाने के लिए एक घर
से दूसरे घर जाने में समर्थ नहीं हूँ ।”

उसे इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई गृहस्थ अपने घर
से अशन—यावत्—स्वादिम सामने लाकर दे तो,

वह भिक्षु उसे पहले ही कहे “आयुष्मन् गृहपति ! यह घर
से सामने लाया हुआ अशन—यावत्—स्वादिम मेरे लिए सेवनीय
नहीं है । इसी प्रकार सामने लाये हुए दूसरे पदार्थ भी मेरे लिए
ग्रहणीय नहीं है ।”

अभिहृद दोष का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१३. जो भिक्षु गायपति के कुल में आहार के लिए प्रवेश
करके तीन घर के उपरान्त से अशन—यावत्—स्वाद्य सामने
लाकर देने पर ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

(७) उद्विभण्ण दोष—

उद्विभण्ण आहार ग्रहण करने का निषेध—

६१४. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश
करने पर यह जाने कि वहाँ अशन—यावत्—स्वादिम आहार
मिट्टी के लिपे हुए मुख वाले बर्तन में रखा हुआ है तो इस प्रकार
का अशन—यावत्—स्वादिम अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण
न करे ।

१ दसा. द. २, सु. २

२ गच्छत्यागी श्रमण जरा से जीर्ण देहवाला होने पर या किसी महारोग से अशक्त असमर्थ होने पर अपने लिए आहारादि न ला
सके तो भी वह किसी गृहस्थ द्वारा लाया हुआ आहारादि न ले ।

यदि वह अभिग्रहधारी हो और आचारांग सु. १, अ. ८, उ. ५, गा ७ के अनुसार उसके अभिग्रह में दूसरे श्रमण द्वारा लाया
हुआ आहार लेने का आगार हो तो उस से लाया हुआ आहार ले सकता है ।

अथवा उत्त. अ. १६ में उक्त मृगचर्या में रत रहकर संथारा संलेहणा करके पण्डित मरण प्राप्त हो किन्तु अभ्याहृत दोष युक्त
आहार न ले ।

गच्छवासी अशक्त असमर्थ श्रमण की वैयावृत्य करने वाले तो अन्य श्रमण होते ही हैं—अतः उसके लिए अभ्याहृत दोष युक्त
आहार लेने का विकल्प सम्भव नहीं है ।

केवली ब्रूया-आयाणमेयं ।

अस्संजए भिक्खुपडियाए मट्टिओलित्तं असणं वा-जाव-साइमं वा उन्निवमाणे पुढवीकायं समारंभेज्जा, तह तेउ-वाउ-वणस्सति-तसकायं समारंभेज्जा पुणरवि ओलिपमाणे इच्छाकम्मं करेज्जा ।

अह भिक्खूणं पुक्वोचदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारं मट्टिओलित्तं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६७

दगवारएण पिहियं, नीसाए पीढएण वा ।
लोढेण वा वि लेवेण, सिलेसेण व केणइ ॥

तं च उन्निवदिया देज्जा, समणट्ठाए व दायए ।
दंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १ गा. ६०-६१

उद्भिन्नआहारग्रहणप्रायश्चित्त सूत्रं—

६१५. जे भिक्खू मट्टिओलित्तं असणं वा-जाव-साइमं वा उन्निवदिय निन्निवदिय देज्जमाणं पडिगाहेइ पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १२५

(द) मालोहडदोसं—

मालोहड आहारग्रहण णिसेहो—

६१६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा खंधंसि वा, मंचंसि वा, मालंसि वा, पासादंसि वा, हम्मियतलंसि वा, अणयरंसि वा, तहप्पगारंसि अंत-लिकख जायंसि उवणिकखित्ते सिया ।

तहप्पगारं मालोहडं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

अस्संजए भिक्खुपडियाए पीढं वा, फलगं वा, णिस्सेणि वा, उदूहलं वा, अवहट्टु उस्तविय डुरूहेज्जा ।

से तस्य डुरूहमाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा ।

केवली भगवान् कहते हैं—यह कर्म आने का कारण है—

क्योंकि असंयत गृहस्थ साधु को अशन—यावत्—स्वादिम देने के लिए मिट्टी के लिपे हुए वर्तन का मुंह उद्भेदन करता (खोलता) हुआ पृथ्वीकाय का समारम्भ करेगा, तथा अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय का समारम्भ करेगा । शेष आहार की सुरक्षा के लिए फिर वर्तन को लिप्ट करके वह पश्चात् कर्म करेगा ।

इसीलिए तीर्थंकर भगवान ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा — यावत्—उपदेश दिया है कि मिट्टी से लिप्ट वर्तन को खोलकर दिये जाने वाले अशन—यावत्—स्वादिम आहार को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

अशनादि का पात्र जल के छोटे घड़े से, पीसने की शिला से, पीढे से या पीसने के पत्थर (लोढी) से अथवा लाख आदि से मुंह बन्द किया हुआ हो,

उसे श्रमण के लिये खोलकर देवे तो मुनि देने वाली स्त्री से कहे कि "इस प्रकार का आहार लेना मुझे नहीं कल्पता है ।"

उद्भिन्न आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१५. जो भिक्षु मिट्टी से लिप्ट अशन—यावत् स्वादिम को लेप तोड़कर देने पर ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

(द) मालोपहत दोष—

मालोपहत आहार ग्रहण करने का निषेध—

६१६. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यह जाने कि—अशन - यावत्—स्वाद्य स्तम्भ पर, मंच पर, माले पर, प्रासाद पर और महल की छत पर या अन्य भी ऐसे आकाशीय स्थान पर रखा हुआ है ।

ऐसा मालोपहत अशन—यावत्—स्वाद्य अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

केवली भगवान् ने कहा है—उक्त प्रकार का आहार लेना कर्मबन्ध का कारण है ।

भिक्षु के लिए गृहस्थ पीढा, पाटिया, निसेणी या ऊखल लाकर व खड़ा रखकर ऊपर चढ़े ।

चढ़ते हुए उसका पैर फिसल जाय या वह गिर पड़े,

से तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्थं वा, पायं वा, बाहुं वा, उरुं वा, उदरं वा, सीसं वा, अण्णतरं वा कायंसि वा इन्द्रियजायं लूसेज्ज वा,

पाणाणि वा-जाव-सत्ताणि वा अभिङ्गणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, लेसेज्ज वा, संघसेज्ज वा, संघट्टेज्ज वा, परियावेज्ज वा, किलामेज्ज वा, उद्वेज्ज वा, ठाणाओ ठाणं संकामेज्ज वा, जीवियाओ ववरोवेज्ज वा,

अह भिक्खूणं पुब्बोवदिट्ठा एस पइण्णा-जाव-उवएसे जं तह-प्पगारं मालोहडं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^१ —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६५

मालोहडआहारगहणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६१७. जे भिक्खू मालोहडं असणं वा-जाव-साइमं वा, देज्जमाणं पडिगाहेइ पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १२३

कोट्टाउत्त आहार गहण णिसेहो—

६१८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुजं पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा कोट्ठिगातो वा कोलेज्जात्तो वा अस्संजए भिक्खू-पडियाए उक्कुज्जिय अवउज्जिय ओहरिय आहट्ठु दलएज्जा ।

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा मालोहडं ति णच्चा लाभे संते णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६६

नाइउच्चे व नीए वा, नासन्ने नाइदूराओ ।

फांसुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३४

कोट्टाउत्त आहार गहणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६१९. जे भिक्खू कोट्ठियाउत्तं असणं वा-जाव-साइमं व उक्कु-ज्जिय निक्कुज्जिय ओहरिय देज्जमाणं पडिगाहेइ पडिगा-हेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १२४

पैर फिसलने पर या गिर पड़ने पर उसके हाथ, पैर, बाहु, उरु, उदर, सिर या अन्य शरीर की इन्द्रियाँ क्षत-विक्षत हो जाए ।

अथवा उसके गिरने पर प्राणी—यावत्—सत्वों का हनन हो जावे, वे नीचे दब जावें, संकुचित हो जावें, कुचले जावें, परस्पर टकरावें, पीड़ित हों, संतप्त हों, त्रस्त हों, उनका स्या-नान्तरण हो या वे मृत्यु को प्राप्त हों ।

अतः भिक्षु को पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया गया है कि इस प्रकार अशन—यावत्—स्वाद्य अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

मालोपहृत आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१७. जो भिक्षु मालोपहृत अशन—यावत्—स्वादिम देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहार स्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

कोठे में रखे हुए आहार को लेने का निषेध—

६१८. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ साधु के लिए अशन—यावत्—स्वाद्य आहार मिट्टी आदि की बड़ी कोठी में से या ऊपर से संकड़ी और नीचे से चौड़ी लम्बी कोठी में से ऊँचा होकर, नीचे झुककर निकालकर देना चाहता है ।

ऐसे अशन—यावत्—स्वाद्य आहार को मालोपहृत (दोप से युक्त) जानकर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे ।

संयमी मुनि गृहस्थ के लिए बना हुआ प्रासुक आहार ग्रहण करे, किन्तु अति ऊँचे या अति नीचे स्थान से दिया जाता हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ प्रासुक आहार भी न ले ।

कोठे में रखा हुआ आहार लेने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१९. जो भिक्षु कोठे में रखे हुए अशन—यावत्—स्वाद्य को ऊँचा होकर, नीचे झुककर, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

१ निस्सेणि फलगं पीढं, उस्सवित्ताणमारुहे । मंचं कीलं च पासायं, समणट्ठाए व दावए ॥

दुरुहमाणी पवडेज्जा, हत्थं पायं व लूसए । पुढविजीवे विहिंसेज्जा, जे य तन्निसिया जगा ॥

एयारिसे महादोसे, जाणिरुण महेसिणी । तम्हा मालोहडं भिक्खं न पडिभेण्हंति संजया ॥ —दस. अ. ५, उ. १, गा. ६८-१००

(६) अणिसिद्ध दोस—

अणिसिद्ध आहार ग्रहण विधि निषेध—

६२०. से भिक्षु वा, भिक्षुणी वा ग्राह्यकुलं पिडवाय पडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-
साइमं वा परं समुद्दिस्स वहिया णीहडं तं परेहि असमणु-
ण्णातं अणिसिद्धं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

तं परेहि समणुण्णातं सम्माणिसिद्धं फासुयं-जाव-पडिगा-
हेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६७ (१)

दोण्हं तु भुंजमाणानं, एगो तत्थ निमंतए ।

विज्जमाणं न इच्छेज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥

दोण्हं तु भुंजमाणानं, दोवि तत्थ निमंतए ।

विज्जमाणं पडिच्छेज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥^१

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ५२-५३

(६) अनिसृष्ट दोष—

अनिसृष्ट आहार ग्रहण करने का विधि निषेध—

६२०. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश
करने पर यह जाने कि—अशन—यावत्—स्वादिम अन्य किसी
को देने के लिए निकाला है, वह आहार उनकी आज्ञा के बिना
या उनके दिये बिना अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

वह आहार उनकी आज्ञा मिलने पर या उनके द्वारा दिये
जाने पर प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे ।

दो स्वामी या भोक्ता हों और उनमें से एक निमन्त्रित करे
तो मुनि वह दिया जाने वाला आहार न ले । दूसरे के अभिप्राय
को देखे—उसे देना अप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय लगता
हो तो ले ले ।

दो स्वामी या भोक्ता हों और दोनों ही निमन्त्रित करें तो
मुनि उस दीयमान आहार को यदि वह एषणीय हो तो ले ले ।

उत्पादन दोष—५

[प्राक्कथन]

सोलह उत्पादन दोष—

घाईं दूईं निमित्ते, आजीव वणीमगे तिगिच्छा य । कोहे माणे माया, लोभे य हवंति दस एए ॥ १ ॥

पुच्चिं पच्छा संथवं, विज्जा मंते य चुण्ण जोगे य । उप्पायणाइ दोसा, सोलसमे मूलकम्मे य ॥ २ ॥

—पिण्ड. नि. गा. ४०८-४०९

(१) घात्री—घाय के समान बालक बालिकाओं को खिला-पिलाकर या हंसा रमाकर आहारादि लेना ।

(२) दूती—दूती के समान इधर-उधर की बातें एक दूसरे को कहकर अथवा स्वजन सम्बन्धियों के समाचारों का आदान-
प्रदान करके आहारादि लेना ।

(३) निमित्त—ज्योतिष आदि निमित्त शास्त्रों के अनुसार किसी का शुभाशुभ बताकर आहारादि लेना ।

(४) आजीव—आहारादि की प्राप्ति के लिए दीक्षित होने से पूर्व के जाति कुल बताना, दीक्षित होने के बाद का गण
बताना तथा गृहस्थ जीवन में जिस कर्म या शिल्प में निपुणता प्राप्त की हो उस कर्म या शिल्प के प्रयोग किसी को आजीविका के
लिए बताना ।

(५) वनीपक—दान का महत्व बताकर या दाता की प्रशंसा करके आहारादि लेना ।

(६) चिकित्सा—रोगादि निवारण के प्रयोग बताकर आहारादि लेना ।

(७) क्रोध—कुपित होकर आहारादि लेना या आहारादि न देने पर श्राप देने का भय दिखाकर आहारादि लेना ।

(८) मान—अपने जाति कुल आदि का गौरव बताकर आहारादि लेना ।

(९) माया—छल का प्रयोग करके आहारादि लेना ।

(१०) लोभ—सरस आहार के लिए अधिक घर घूमना ।

१ (क) दसा. द. २, सु. २

(ख) मुनि को वस्तु के दूसरे स्वामी का अभिप्राय नेत्र और मुखाकृति के चढ़ाव उतार से जानना चाहिए ।

(११) पूर्व-पश्चात्संस्तव—आहार ग्रहण करने के पहले या पीछे दाता की या अपनी प्रशंसा करना ।

(१२) विद्या—किसी विद्या के प्रयोग से आहारादि लेना अथवा किसी विद्या की सिद्धि का प्रयोग बताकर आहारादि लेना ।

(१३) मन्त्र—किसी मन्त्र प्रयोग से आहारादि लेना अथवा किसी मन्त्र की सिद्धि की विधि बताकर आहारादि लेना ।

(१४) वूर्ण—वशीकरण का प्रयोग करके आहारादि लेना अथवा वशीकरण का प्रयोग बताकर आहारादि लेना ।

(१५) योग—योग विद्या के प्रयोग दिखाकर आहारादि लेना, अथवा योग विद्या के प्रयोग सिखाकर आहारादि लेना ।

(१६) मूलकर्म—गर्भपात के प्रयोग बताकर आहारादि लेना ।

अन्तर्धान पिण्ड—अदृष्ट विद्या आदि के प्रयोग से अदृष्ट रहकर आहारादि लेना ।

निशीथ उद्देशक १३ में धात्री आदि उत्पादन दोषों के प्रायश्चित्तों का विधान है । पिण्डनियुक्ति में प्रतिपादित उत्पादन दोषों में तथा निशीथ प्रतिपादित उत्पादन दोषों में क्रम भेद, संख्या भेद और पाठ भेद है ।

पिण्डनियुक्ति में १६ भेद हैं और निशीथ में १५ भेद हैं ।

पिण्डनियुक्ति में अन्तर्धानपिण्ड नहीं है, निशीथ में है ।

पिण्डनियुक्ति में मूलकर्म है, निशीथ में नहीं है ।

पिण्डनियुक्ति में पूर्व पश्चात् संस्तव है, निशीथ में नहीं है ।

❌

(१) कोपपिण्ड दोष—

असणाइ अलाभे कोव-णिसेहो—

६२१. एस वीरे पसंसिते जे ण णिव्विज्जति आदाणाए,

ण मे देति ण कुप्पेज्जा,

थोवं लद्धुं ण खिसए ।

पडिसेहितो परिणमेज्जा ।

एतं मोणं समणुवासेज्जासि ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ४, सु. ८६

बहुं परधरे अत्थि, विविहं खाइमं-साइमं ।

न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा देज्ज परो न वा ॥

सयणासणवत्थं वा, भत्त-पाणं व संजए ।

अदत्तस्स न कुप्पेज्जा, पच्चवखे वि थ वीसओ ॥^१

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २७-२८

लूहवित्ति सुसंतुट्ठे, अप्पिच्छे सुहरे सिया ।

आसुरत्तं न गच्छेज्जा, सोच्चा णं जिणसासणं ॥^२

—दस. अ. ८, गा. २५

(१) कोपपिण्ड दोष—

अशनादि के न मिलने पर क्रोध करने का निषेध—

६२१. वह वीर प्रशंसनीय है जो भिक्षा अप्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता है ।

“यह मुझे भिक्षा नहीं देता” ऐसा सोचकर कुपित नहीं होता है ।

थोड़ी भिक्षा मिलने पर दाता की निन्दा नहीं करता है ।

दाता द्वारा प्रतिषेध करने पर वापस लौट जाता है ।

मुनि इस मौन (मुनि धर्म) का भली भाँति पालन करे ।

गृहस्थ के घर में नाना प्रकार का प्रचुर खाद्य-स्वाद्य होता है, (किन्तु न देने पर) पण्डित मुनि कोप न करे । (यों चिन्तन करे कि) “इसकी अपनी इच्छा है, दे या न दे ।”

संयमी मुनि सामने दीख रहे शयन, वस्त्र, भोजन या पानी आदि न देने वाले पर भी कोप न करे ।

मुनि रूक्षवृत्ति, सुसंतुष्ट, अल्प इच्छा वाला और अल्प आहार से तृप्त होने वाला हो । वह जिन शासन को सुनकर/समझकर (अलाभ होने पर) क्रोध न करे ।

तुलना के लिए देखिए—

१ सयणासण-पाण-भोयणं, विविहं खाइमं साइमं परेसि । अदए पडिसेहिए नियंठे, जं तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥

—उत्त. अ. १५, गा. ११

२ इन गाथाओं में आहार न मिलने पर क्रोध न करने का विधान है वास्तव में क्रोधपिण्ड की व्याख्या निशीथचूर्णि और पिण्ड-नियुक्ति में ही दी गई है ।

क्रोध-पिण्ड के प्रकार और उदाहरण आदि देखिए—

—नि. चूर्णि गा. ४४३६-४४४३

—पिण्डनियुक्ति गाथा ४६१-४६४

(२) मानपिंड दोष—

६२२. जे माहणे खत्तिय जायए वा, तहुग्गपुत्ते तह लेच्छइ वा ।
जे पव्वइए परदत्तभोई, गोत्तेण जे थब्भइ माणवद्धे ॥
—सूय. सु. १, अ. १३, गा. १०

णिक्खिं चणे भिक्खू सुलूहजीवी, जे गारवं होइ सिलोयगामी ।
आजीवमेयं तु अबुज्जमाणे, पुणो-पुणो विप्परियासुवेति ॥^१
—सूय. सु. १, अ. १३, गा. १२

(३) लोभपिंडदोष—

६२३. सिया एगइओ लद्धुं, लोभेण विणिगूहई ।
मा मेयं दाइयं संतं, ददुणं सयमायए ॥
अत्तदुणुओ लुद्धो, वहं पावं पकुच्चई ।
दुत्तोसओ य से होइ, निव्वानं च न गच्छई ॥
—दस. अ. ५, उ. २, गा. ३१-३२

संथार सेज्जाऽऽसण-भत्त-पाणे अप्पिच्छया अइलाभे वि संते ।
जो एवमप्पाणऽभितोसएज्जा संतोसपाहन्नरए स पुज्जो ॥
—दस. अ. ६, उ. ३, गा. ५

पुव्व-पच्छा संथव दोस—

६२४. निक्खम्म दीणे परभोयणंमि, मुहमंगलिओवरियाणुगिद्धे ।
निवारगिद्धे च महावराहे, अद्वरएवेहति घातमेव ॥

अन्नस्स पाणस्सिह्लोइयस्स, अणुप्पियं भासइ सेवमाणे ।
पासत्थयं चैव कुसीलयं च निस्सारए होइ जहा पुलाए ॥^२
—सूय. सु. १, अ. ७, गा. २५-२६

पुव्वपच्छासंथवदोसस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६२५. जे भिक्खू पुरेसंथवं वा पच्छासंथवं वा करेइ, करंतं वा
साइज्जइ ।^३
तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठानं उग्घाइयं ।
—नि. उ. २, सु. ३८

(२) मानपिंड दोष—

६२२. जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र अथवा लिच्छवी जाति वाला है, प्रव्रजित होकर गृहस्थों से दिया हुआ आहार खाता है और अपने उच्च गोत्र का अभिमान नहीं करता है वही पुरुष सर्वज्ञ के मार्ग का अनुयायी है ।

जो भिक्षु अकिंचन है और रूक्ष आहार से जीवन निर्वाह करता है किन्तु गर्व करता है एवं प्रशंसा चाहता है तो वह अज्ञानी केवल आजीविका करता हुआ पुनः भव-भ्रमण करता है ।

(३) लोभ-पिंड दोष—

६२३. कदाचित् कोई एक मुनि सरस आहार पाकर उसे इस लोभ से छिपा लेता है कि आचार्य आदि को दिखाने पर वह स्वयं ले लें वे मुझे न दें, वह अपने स्वार्थ को प्रमुखता देने वाला और रस-लोलुप मुनि बहुत पाप करता है, वह जिस किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता और (ऐसा साधु) निर्वाण को नहीं पाता ।

संस्तारक, शय्या, आसन, भक्त और पानी का अधिक लाभ होने पर भी जो अल्पेच्छ होता है जो इस तरह अपने आप को संतुष्ट रखता है और जो संतोषप्रधान जीवन में रत है, वह पूज्य है ।

(४) पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष—

६२४. जो श्रमण स्वगृह त्याग कर दूसरे से भोजन पाने के लिए दीनता करता है तथा भोजन में आसक्त होकर गृहस्थ की प्रशंसा करता है, वह चावल के दानों में आसक्त महाशूकर के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है ।

जो इहलौकिक पदार्थ अन्न, पानी आदि के लिए प्रिय भाषण करता है, वह पार्श्वस्थ भाव तथा कुशील-भाव का सेवन करता हुआ पुत्राल के समान निस्सार हो जाता है ।

पूर्व-पश्चात् संस्तव दोष का प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु (दान देने के) पहले या पीछे स्तुति करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

१ (क) सूत्रकृतांग सूत्र में भिक्षु के लिए मान करने का निषेध है किन्तु निशीथ चूर्णि और पिण्डनियुक्ति में मानपिंड की यथार्थ व्याख्या की गई है ।

(ख) मानपिंड दोष की उदाहरण पूर्वक व्याख्या देखिये—

—नि. चूर्णि गा. ४४४४-४४५४

(१) व्याख्या इस प्रकार है—

ओच्छाहिओ परेण वा, लद्धि-पसंसाहि वासमुइत्तो । अवमाणो परेण य, जो एसइ माणपिण्डो सो ॥ — पिण्ड. गा. ४६५

२ (क) मोहरंति मौखेर्यण पूर्व संस्तव-पश्चात्संस्तवादिना बहुभाषितेन यल्लभ्यते तन्मीखर्यमुत्पादना दोष—

—पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. २६ की टीका

(ख) पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. ५ में पूर्वपश्चात्संस्तव दोष का मौखर्य नाम है ।

३ संस्तव के भेद, संस्तव के दोष आदि के लिए देखिए—

—पिण्ड नि. गा. ४८४-४९३

उत्पायणा दोस वज्जण सुद्ध आहार ग्रहणस्स य उवएसो—

६२६. न निसज्ज-कहा-पओयणक्खा ओवणियं ति ।

न तिगिच्छा-मंत-मूल - भेसज्जकज्जहेउं ।

न लक्खणुप्पाय सुमिण-जोइस-निमित्तकह-कप्पउत्तं ।

नवि डंभणाए, नवि रक्खणाए, नवि सासणाए ।

नवि डंभण-रक्खण-सासणाए भिक्खं गवेसियव्वं ।

नवि वंदणाए, नवि माणणाए, नवि पूयणाए ।

नवि वंदण-माणण-पूयणाए भिक्खं गवेसियव्वं ।

नवि हीलणाए नवि निदणाए नवि गरहणाए ।

नवि हीलणं-निदण-गरहणाए भिक्खं गवेसियव्वं ।

नवि भेसणाए नवि तज्जणाए नवि तालणाए ।

नवि भेषण-तज्जण-तालणाए भिक्खं गवेसियव्वं ।

नवि गारवेणं नवि कुहणयाए नवि वणीमयाए ।

नवि गारव-कुहण-वणीमयाए भिक्खं गवेसियव्वं ।

नवि मित्तयाए नवि पत्थणाए नवि सेवणाए ।

नवि मित्त-पत्थण-सेवणाए भिक्खं गवेसियव्वं ।

अस्साए, अगडिंए, अदुहं, अदीणे, अविमणे, अकलुणे, अवि-
साती, अपरित्तंतजोगी जयण-घडण-करण-चरिय-विणयगुण-
जोगसंपउत्ते भिक्खू भिक्खेसणाए निरते ।

—पण्ह. सु. २, अ. १, सु. ५

धाइ पिंडाइ भुंजमाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

६२७. १. जे भिक्खू धाई-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

२. जे भिक्खू द्वई-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

३. जे भिक्खू णिमित्त-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

४. जे भिक्खू आजीविय-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

उत्पादन दोषों का वर्जन और शुद्ध आहार ग्रहण का उपदेश—

६२६. गृहस्थ के घर में बैठकर धर्मकथा निमित्त कहानियाँ कहकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

चिकित्सा, मन्त्र, जड़ीबूटी, औषध निर्माण आदि के प्रयोग बताकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

शुभाशुभ लक्षण, उत्पात, भूकम्पादि, स्वप्न फल, ज्योतिष-मुहूर्त कथन, निमित्तकथन, भविष्यकथन, कौतुक-जादू के प्रयोग बताकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए,

दम्भ करके, आत्मरक्षा के प्रयोग की शिक्षा देकर, अनुशासन करने का शिक्षण देकर भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

चन्दन करके, सन्मान करके, पूजा करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

अपमान करके, निन्दा करके, अपकीर्ति करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

भय दिखा करके, तर्जना करके, ताडना करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

गर्व करके, क्रोध करके, दीनता प्रकट करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

भित्रता करके, प्रार्थना करके, सेवा करके भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

अज्ञात कुल से भिक्षा ग्रहण करने वाला, सरस आहार करने में अनासक्त, नीरस आहार दाता से अद्वेष भाव वाला, आहार न मिलने पर भी अदीन, आहार नहीं मिलने पर भी अग्लान मन वाला, दयनीय भाव रहित, विपाद रहित, अशुभयोग रहित प्राप्त संयम साधना में प्रयत्नशील, सूत्रानुसार अर्थ घटाने में उपयुक्त, करण चरण एवं विनय गुणयुक्त भिक्षु भिक्षा की एषणा में तत्पर रहे ।

घातृपिंडादि दोषयुक्त आहार करने वाले के प्रायश्चित्त सूत्र—

६२७. (१) जो भिक्षु घातृपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(२) जो भिक्षु द्वर्तिपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(३) जो भिक्षु त्रैकालिक निमित्त कहकर आहार भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(४) जो भिक्षु आजीविक (आजीविक के प्रयोग बताकर लिया हुआ आहार) पिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जे भिक्खू वणीमग-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

६. जे भिक्खू तिगिच्छा-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

७. जे भिक्खू कोह-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

८. जे भिक्खू माण-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

९. जे भिक्खू माया-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१०. जे भिक्खू लोभ-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

११. जे भिक्खू विज्जा-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१२. जे भिक्खू मंत-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१३. जे भिक्खू चुण्णय-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१४. जे भिक्खू जोग-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

१५. जे भिक्खू अंतद्वाग-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, सु. ६४-७८

(५) जो भिक्षु भिखारी के निमित्त निकाला हुआ आहार भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(६) जो भिक्षु त्रिकित्सा पिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(७) जो भिक्षु कोपपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(८) जो भिक्षु मानपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(९) जो भिक्षु मायापिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(१०) जो भिक्षु लोभपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(११) जो भिक्षु विद्यापिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(१२) जो भिक्षु मन्त्रपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(१३) जो भिक्षु चूर्णपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(१४) जो भिक्षु योगपिंड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

(१५) जो भिक्षु अंतर्घनिपिंड (अदृष्ट रहकर ग्रहण किया हुआ आहार को) भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

एषणा दोष—६

[प्राक्कथन]

दस दोष ग्रहणेषणा के—

संकियमक्खिय, णिक्खित्त, पिहिय, साहरिय दायगुम्मीसे । अपरिणय लित्त छड्ढियं, एषण दोसा दस हवन्ति ॥

—पिण्डनिर्युक्ति गा. ५२०

(१) शंकित—किसी एक उद्गम आदि दोष की आशंका होने पर भी आहारादि लेना,

(२) अक्षित—किसी सचित्त पदार्थ से आहारादि का स्पर्श होते हुए भी ले लेना ।

(३) निक्षिप्त—किसी सचित्त पदार्थ पर रखा हुआ आहारादि लेना ।

(४) पिहित—किसी सचित्त पदार्थ युक्त पात्र आदि से ढके हुए आहारादि लेना ।

(५) संहृत—जिस पात्र आदि में सचित्त पदार्थ रखे हुए हों उन्हें खाली करके उसी पात्र आदि से आहारादि देने पर लेना ।

(६) दायक—अग्ने से, कम्पन वात वाले से, कुष्ठरोग वाले से, गर्भिणी तथा जीव विराधना करके देने वाले से आहारादि लेना ।

(७) उन्मिश्र—किसी भी सचित्त पदार्थ से मिश्रित आहारादि लेना ।

(८) अपरिणत—सर्वथा अचित्त हुए बिना अर्थात् सचित्त या मिश्र आहारादि लेना ।

(९) लिप्त—हाथ पात्र आदि सचित्त पदार्थों से संसृष्ट (खरडे हुए) हों, उनसे भिक्षा ग्रहण करना ।

(१०) छद्मित—यदि कोई कुछ गिराते हुए आहारादि दे उससे लेना ।

ये दोष गृहस्थ अविवेक से और साधु साध्वी आसक्ति आदि से लगाते हैं ।

*

(१) संकियदोसं—

शंकाए वदृमाणस्स आहार ग्रहण णिसेहो—

६२८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

असणं वा-जाव-साइमं वा एसणिज्जे सिया, अणेसणिज्जे सिया वित्तिगिच्छ समावण्णेणं अप्पाणेणं असमाहडाए लेस्साए

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^१ —आ. सु. २, अ. १, उ. ३, सु. ३४३

(२) निक्खित्तदोसं—

पुढवीकायपइट्ठिय आहार ग्रहण णिसेहो—

६२९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा, गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुणं जाणेज्जा—

असणं वा-जाव-साइमं वा पुढविकायपतिट्ठित्तं,

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ७, सु० ३६८ (क)

आउकाय पइट्ठिय आहार ग्रहण णिसेहो—

६३०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

असणं वा-जाव-साइमं वा आउकायपतिट्ठित्तं,

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^२

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६८ (ख)

तेउकाय पइट्ठिय आहार ग्रहण णिसेहो—

६३१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुले पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

(१) शंकित दोष—

शंका के रहते हुए आहार ग्रहण करने का निषेध—

६२८. गृहस्थ के घर में भिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

‘अशन - यावत्—स्वादिम एषणीयं हं वा अनेपणीयं’ इस तरह उसका चित्त आशंका से युक्त हो और उसकी असमाधित अवस्था रहे ।

इस प्रकार के अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रामाणिक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

(२) निक्षिप्त दोष—

पृथ्वीकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६२९. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

अशन—यावत्—स्वादिम आहार पृथ्वीकाय पर रखा हुआ है,

इस प्रकार के अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रामाणिक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

अपकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६३०. गृहस्थ के घर में भिक्षा प्राप्ति के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

अशन—यावत्—स्वादिम अपकाय पर रखा हुआ है,

इस प्रकार के अशन—यावत्—स्वादिम आहार को अप्रामाणिक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

अग्निकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६३१. गृहस्थ के घर में आहारार्थ प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि,

१ (क) जं भवे भत्तपाणं तु, कप्पाकप्पम्मि संकियं । दैतियं पडियाइक्खे; न मे कप्पइ तारिसं ॥ —दस. अ. ५, उ. १, गा. ५६

२ (ख) असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । उदगम्मि होज्ज निक्खित्तं, उत्तिग-पणगेसुं वा ॥

तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥ —दस. अ. ५, उ. १, गा. ७४-७५

असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिणिक्लित्तं,

तहृप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

अस्तंजए भिक्खूपडियाए उस्सिंचमाणे वा, निस्सिचमाणे वा, आमज्जमाणे वा, पमज्जमाणे वा, उत्तरेमाणे वा, उयत्तमाणे वा, अगणिजीवे हिंसेज्जा ।

अह भिक्खूणं पुव्वोवदिट्ठा एस पइण्णा-जाव-एस उवएसे जं तहृप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिणिक्लित्तं अफा-सुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६३

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिकायपतिट्ठित्तं, तहृप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

अस्तंजए भिक्खुपडियाए अगणि उस्सविकयं, णिस्सविकयं, ओहरियआहट्टु दलएज्जा ।

जं तहृप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अगणिकाय-पइट्ठियं । अह भिक्खूणं पुव्वोवदिट्ठा एस पइण्णा-जाव-एस उवएसे अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६८ (ग)

असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च संघट्टिया दए ॥ तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं । देतियं पडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिसं ॥ असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तथा । अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च उस्सविकया दए ॥ तं भवे भत्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं । देतियं पडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिसं ॥ असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा । अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च ओसविकया दए ॥

अशन—यावत्—स्वादिम आहार अग्नि (अंगारों) पर रखा हुआ है,

उस अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे ।

केवली भगवान कहते हैं—यह कर्मों के उपादान का कारण है ।

क्योंकि असंयमी गृहस्थ भिक्षु के उद्देश्य से अग्नि पर रखे हुए वर्तन में से आहार को निकालता हुआ, देने के बाद शेष आहार को चापिस डालता हुआ, उसे हाथ आदि से प्रमार्जन या शोधन करता हुआ, आग पर से उतारता हुआ या अग्नि पर ही वर्तन को टेढ़ा करता हुआ अग्निकायिक जीवों की हिंसा करेगा ।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थंकर भगवान् ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि वह अग्नि अर्थात् (अंगारों) पर रखे हुए अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में आहारार्थं प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

अशन—यावत्—स्वादिम अग्निकाय (चूल्हे) पर रखा हुआ है, ऐसे अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे ।

केवली भगवान् कहते हैं—यह कर्मों के उपादान का कारण है ।

क्योंकि असंयत गृहस्थ साधु के उद्देश्य से अग्नि में ईंधन डालकर अथवा निकालकर या वर्तन को उतार कर आहार लाकर देगा ।

इसलिए तीर्थंकर भगवान् ने भिक्षुओं के लिए पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि वह चूल्हे पर रखे हुए अशन—यावत्—स्वादिम को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि का स्पर्श करके दे तो भिक्षु उसे कहे— “ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि में ईंधन देकर दे तो भिक्षु उसे कहे— “ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि में से ईंधन निकालकर दे तो भिक्षु उसे

तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च उज्जालिया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च पज्जालिया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च निव्वाविया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च उस्सिंचिया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च निस्सिंचिया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च ओवत्तिया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 असणं पाणगं वा वि, खाइमं साइमं तथा ।
 अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च ओयारिया दए ॥
 तं भवे भक्त-पाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
 दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ७६-९५

वणस्सईकायपडिद्वियआहारग्रहणणिसेहो—

६३२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं विडवायपडियाए
 अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा —
 असणं वा-जाव-साइमं वा वणस्सतिकायपत्तिदिठयं ।

तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुर्यं-जाव-णो
 पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६५ (घ)

कहे —“ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि जलाकर के दे तो भिक्षु उसे ऐसा कहे—
 “ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि प्रज्वलित करके दे तो भिक्षु उसे कहे—
 “ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि ब्रुझाकर के दे तो भिक्षु उसे कहे—“ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे हुए पात्र से निकालकर दे तो भिक्षु उसे कहे—“ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे पात्र में पुनः डालकर दे तो भिक्षु उसे कहे—“ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे हुए पात्र को टेढ़ा करके दे तो भिक्षु उसे कहे—“ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

अशन पान खाद्य स्वाद्य अग्नि पर रखा हुआ हो उसे देती हुई स्त्री यदि अग्नि पर रखे हुए पात्र को उतार करके दे तो भिक्षु उसे कहे—“ऐसा भक्त-पान संयतों के लिए नहीं कल्पता है, अतः मुझे लेना नहीं कल्पता है ।”

वनस्पतिकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६३२. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

यह अशन—यावत्—स्वादिम आहार वनस्पतिकाय (हरी सब्जी पत्ते आदि) पर रखा हुआ है,

उस प्रकार के वनस्पतिकाय प्रतिष्ठित अशन—यावत्—स्वादिम आहार को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

तसकायपइद्विआहारग्रहणणिसेहो—

६३३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—
असणं वा-जाव-साइमं वा तसकायपतिट्ठितं ।
तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो
पडिगाहेज्जा । - आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६८ (च)

निखित्तदोसजुत्तआहारग्रहणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

६३४. जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा पुढवि-पइट्ठियं,
पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा आउ-पइट्ठियं,
पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा तेउ-पइट्ठियं,
पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा पणप्फइ-पइट्ठियं,
पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १२६-१२९

(३) दायग दोसं—

गुव्विणीहत्थेण आहार ग्रहण गिसेहो—

६३५. सिया य समणट्ठाए, गुव्विणीकालमासिणी ।
उट्ठिया वा नित्तीएज्जा, निसक्खा वा पुणुट्ठाए ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
वेत्तियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
—दस. अ. ५, उ. १, गा. ५५-५६

थणपेज्जमाणिहत्थेण आहारग्रहणणिसेहो—

६३६. थणगं पेज्जमाणी, दारगं वा कुमारियं ।
तं निखित्तवित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयणं ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
वेत्तियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
—दस. अ. ५, उ. १, गा. ५७-५९

पुरेकम्म जुत्त लोणस्स ग्रहणणिसेहो—

६३७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

त्रसकाय प्रतिष्ठित आहार ग्रहण करने का निषेध—

६३३. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी
यह जाने कि—

अशन—यावत्—स्वादिम आहार त्रसकाय पर रखा हुआ है,
उस प्रकार के त्रसकाय प्रतिष्ठित अशन—यावत्—स्वादिम
को अप्राप्तुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

निक्षिप्त दोष युक्त आहार ग्रहण करने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

६३४. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर स्थित अशन—यावत्—स्वादिम
आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु सचित्त जल पर स्थित अशन—यावत्—स्वादिम
आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त अग्नि पर स्थित अशन—यावत्—स्वा-
दिम आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु सचित्त वनस्पति पर स्थित अशन—यावत्—
स्वादिम आहार को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

(३) दायग दोष—

गर्भवती के हाथ से आहार ग्रहण का निषेध—

६३५. प्रसव काल के महिने को प्राप्त गर्भवती स्त्री खड़ी हो
और श्रमण को भिक्षा देने के लिए कदाचित् बैठ जाये अथवा
बैठी हो तो खड़ी हो जाये उसके द्वारा दिया जाने वाला भक्त-
पान संयमियों के लिए अकल्प्य होता है । अतः मुनि देती हुई
स्त्री को कहे “इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।”

स्तनपान कराती हुई स्त्री के हाथ से आहार ग्रहण का
निषेध—

६३६. बालक या बालिका को स्तनपान कराती हुई स्त्री उसे
रोते हुए छोड़कर भक्त-पान लाये तो वह भक्त-पान संयति के
लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को कहे
“इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।”

पूर्वकर्म युक्त (अचित्त) नमक के ग्रहण का निषेध—

६३७. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश
करने पर यह जाने कि—

विलं वा लोणं, उन्मियं वा लोणं अस्संजए भिक्खुपडियाए, चित्तमंताए सिलाए, चित्तमंताए लेलुए, कोलवासंसि वा, दारुए, जीव पडिट्टिए, सअंडे-जाव-मक्कडासंताणए, भिदिंसु वा, भिदित्त वा, भिदिस्संति वा, रच्चिसु वा, रच्चित्त वा, रच्चिस्संति वा ।

विडं वा लोणं, उन्मियं वा लोणं अफासुयं-जाव-णो पडि-गाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६२

पुरेकम्म जुत्त पिह्याई गहणणिसेहो—

६३८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

पिह्यं वा, बहुरयं वा, भुंजियं वा, मंथुं वा, चाउलं वा, चाउलपलवं वा अस्संजए भिक्खू पडियाए चित्तमंताए सिलाए, चित्तमंताए लेलुए, कोलवासंसि वा दारुए जीव-पतिट्टित्ते सअंडे-जाव-मक्कडासंताणए, कोट्टिसु वा, कोट्टित्ति वा, कोट्टिस्संति वा, उप्फणिसु वा, उप्फणंति वा उप्फणि-स्संति वा,

तहप्पगारं पिह्यं वा-जाव-चाउलपलवं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६१

पुराकम्मकडेण हत्थाइणा आहारगहणस्स णिसेहो—

६३९ से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे तत्थ कंचि भुंजमाणं पेहाए, तं जहा—गाहावइं वा-जाव-कम्मकरी वा से पुव्वामेव आलोएज्जा—आउसो त्ति वा ! भगिणी ! त्ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्ण-यरं भोयणं जायं

से सेवं वदंतस्स परो हत्थं वा, मत्तं वा दव्विं वा, भायणं वा, सीतोदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा,

से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! त्ति वा भगिणी ! त्ति वा मा एयं तुमं हत्थं वा-जाव-भायणं वा सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेहि वा, पधोवेहि वा अभिकंखसि मे दाउं एमेव दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो हत्थं वा-जाव-भायणं वा सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ता वा पधोएत्ता वा आहट्ठु दलएज्जा,

गृहस्थ ने साधु के लिए सचित्त शिला पर, सचित्त शिला खण्ड पर; दीमक लगे जीवयुक्त काष्ठ पर तथा अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर विड लवण (जलाया हुआ नमक) या उद्भिज लवण (अन्य प्रकार से अचित्त बना नमक) का भेदन किया है (टुकड़े किये हैं) भेदन करता है, या भेदन करेगा तथा लवण को सूक्ष्म करने के लिए पीसा है, पीसता है या पीसेगा ।

ऐसे विड व उद्भिज लवण को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

पूर्वकर्म युक्त (अचित्त) सिद्धे आदि के ग्रहण का निषेध—

६३८. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

गेहूँ आदि के सिद्धे, जवार जौ आदि के सिद्धे—अग्नि में अर्द्धपक्व या टुकड़े तथा शालीग्रीहि आदि या उनके टुकड़े, इन्हें गृहस्थ ने भिक्षु के लिए सचित्त शिला पर, सचित्त शिला खंड पर या दीमक लगे हुए जीवाधिष्ठित काष्ठ पर तथा अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर उन्हें कूट चुका है, कूट रहा है या कूटेगा या उफन चुका है, उफन रहा है या उफनेगा,

इस प्रकार के गेहूँ आदि के सिद्धे—यावत्—शालि आदि के टुकड़ों को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

पूर्व कर्मकृत हाथ आदि से आहार ग्रहण का निषेध—

६३९. भिक्षु या भिक्षुणी गाथापतियों के घरों में आहार के लिए प्रवेश करने पर वहाँ किसी गाथापति—यावत्—नौकरानी को भोजन करते हुए देखे तो उन्हें आहार लेने से पहले ही कहे—

“आयुष्मान् गृहस्थ ! या वहिन ! इनमें से किसी एक प्रकार का भोजन मुझे दोगे ?”

उनके ऐसा कहने पर गृहस्थ हाथ, लघुपात्र, चम्मच या भोजन को अचित्त शीत या उष्ण जल में धोए तो—

भिक्षु उन्हें पहले ही कहे—

“हे आयुष्मान् गृहस्थ ! या वहिन ! तुम हाथ—यावत्—भाजन को अचित्त शीत या उष्ण जल से मत धोओ मुझे देना चाहते हो तो हाथ आदि के धोए बिना ही दे दो ।” ।

ऐसा कहने पर भी गृहस्थ हाथ—यावत्—भाजन को अचित्त शीत या उष्ण जल से धोकर दे तो—

तहृप्पगारेणं पुराकम्मकडेण हत्येण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^१

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६० (२)

पुराकम्मकडेण हत्थाइणा असणाइं गिण्हमाणस्स पाय-
च्छित्तं सुत्तं—

६४०. से भिक्खू पुरेकम्मकडेण हत्येण वा-जाव-भायणेण वा असणं
वा-जाव-साइमं वा पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. १४

वाउकायविराहगेण भिक्खागहणणिसेहो पायच्छित्तं च—

६४१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—असणं वा-जाव-
साइमं वा अच्चुसिणं अस्संजए भिक्खू पडियाए सूवेण वा,
विट्ठयणेण वा, तालियंटेण वा, भत्तेण वा, पत्तमंगेण वा,
साहाए वा, साहामंगेण वा, पिट्ठणेण वा, पिट्ठणहत्येण वा,
चैलेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्येण वा, मुहेण वा, फुम्मेज्ज
वा, वीएज्ज वा ।^२

से पुव्वामेव आलोएज्जा—“आउसो ! त्ति वा भगिणि ! त्ति
वा मा एतं तुम असणं वा-जाव-साइमं वा अच्चुसिणं वा,
सूवेण वा-जाव-वीयाहि वा अभिकंखसि मे दाउं एमेव
दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो सूवेण वा-जाव-वीइत्ता वा आहट्टु
दलएज्जा, तहृप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अफासुयं
-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६८ (घ)

जे भिक्खू अच्चुसिणं असणं वा-जाव-साइमं वा ।

१. सुप्पेण वा, २. विट्ठणेण वा, ३. तालियंटेण वा,
४. पत्तेण वा, ५. पत्तमंगेण वा, ६. साहाए वा,
७. साहामंगेण वा, ८. पिट्ठणेण वा, ९. पिट्ठणहत्येण वा,
१०. चैलेण वा ११. चेलकण्णेण वा, १२. हत्येण वा,
१३. मुहेण वा, फूमित्ता वीइत्ता आहट्टु देज्जमाणं पडिगा-
हेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वारं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १३०

ऐसे पूर्वकर्मकृत हाथ—यावत्—भाजन से अशन—यावत्—
स्वाद्य को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

पूर्वकर्मकृत हाथ आदि से आहार लेने का प्रायश्चित्त
सूत्र—

६४०. जो भिक्षु पूर्वकर्मकृत हाथ से—यावत्—भाजन से अशन
—यावत्—स्वादिम ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

वायुकाय के विराधक से भिक्षा लेने का निषेध व
प्रायश्चित्त—

६४१. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिये
प्रविष्ट होने पर यह जाने कि साधु को देने के लिए यह अत्यन्त
उष्ण अशन—यावत्—स्वादिम असंयत गृहस्थ सूप (छाजले) से,
पंखे से, ताड़ पत्र से, पत्ते से, पत्र-खंड से, शाखा से, शाखा-
खंड से, मोर के पंख से, मोरपींछी से, वस्त्र से, वस्त्रखंड से,
हाथ से या मुंह से, फूंक देकर या पंखे आदि से हवा करके देने
वाला हो तो साधु पहले ही गृहस्थ से कहे—

“हे आयुष्मान् गृहस्थ ! या वहिन ! तुम इस अत्यन्त गर्म
अशन—यावत्—स्वादिम को सूप से—यावत्—पंखे आदि से
हवा करके ठंडा मत रो । अगर मुझे देना चाहते हो तो ऐसे ही
दे दो ।”

साधु के ऐसा कहने पर भी गृहस्थ सूप से—यावत्—पंखे
आदि से हवा करके देने लगे तो उस अशन—यावत्—स्व दिम
को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

जो भिक्षु अत्यन्त उष्ण—यावत्—स्वाद्य पदार्थ को—

(१) सूप से, (२) पंखे से, (३) ताड़पत्र से,
(४) पत्ते से, (५) पत्रखंड से, (६) शाखा से,
(७) शाखाखंड से, (८) मोरपंख से, (९) मोरपींछी से,
(१०) वस्त्र से, (११) वस्त्रखंड से, (१२) हाथ से,
(१३) मुंह से, फूंक देकर या पंखे आदि से हवा करके ला

देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (५) आता है ।

१ पुरेकम्मेण हत्येण, दव्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे न मे कम्पइ तारिसं ॥

२ (क) दस. अ. ४, सु. २२

(ख) दस. अ. ८, गा. ६

—दस. अ. ५, उ. १, गा.

वणस्सईकाय विराहगेण भिक्खागहण णिसेहो—

९४२. उप्पलं पउमं वा वि, कुमुयं वा मगदंतियं ।
अन्नं वा पुप्फ सच्चित्तं, तं च संलुच्चिया दए ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
दंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
उप्पलं पउमं वा वि, कुमुयं वा मगदंतियं ।
अन्नं वा पुप्फ सच्चित्तं, तं च सम्मद्विया दए ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
दंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. १४-१७

विविहकाय विराहगेण आहारगहणणिसेहो—

९४३. सम्मद्दमाणी पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य ।
असंजमकारिं नच्चा, तारिसं परिवज्जए ॥

साहट्ट, निक्खवित्ताणं, सच्चित्तं घट्टियाण य ।
तहेव समणट्टाए, उदगं संपणोल्लिया ॥
ओगाहइत्ता चलइत्ता, आहारे पाणभोयणं ।
दंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. २५-३१

(४) उम्मिस्सदोसं—

पाणाइसंसत्त आहारगहणणिसेहो गहियस्स य परिट्ठ-
वणविही—

९४४. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावतिकुलं पिडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा —

असणं वा-जाव-साइमं वा, पाणेहिं वा, पणएहिं वा, बीएहिं
वा, हरिएहिं वा, संसत्तं, उम्मिस्सं, सीओदएण वा ओसित्तं,
रयसा वा यरिघासियं,
तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा परहत्थंसि वा, पर-
पायंसि वा, अफासुयं अणेसणिज्जं त्ति मण्णमाणे लाभे वि
संते णो पडिगाहेज्जा ।^१

से य आहच्च पडिगाहए सिया, से त्तमादाय एगंतमवक्क-
मेज्जा, एगंतमक्कमित्ता अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि
वा, अप्पंडे, अप्पपाणे, अप्पबीए, अप्पहरिते, अप्पोसे,
अप्पुत्तिग-पणग-दगमट्टिय-मक्कडासंताणए विगिच्चिय-विगि-

वनस्पतिकाय के विराधक से आहार लेने का निषेध—

९४२. कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सचित्त
पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे वह भक्त-पान संयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—“इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।”

कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सचित्त
पुष्प को कुचल कर भिक्षा दे, वह भक्त-पान संयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—“इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।”

विविध काय विराधक से भिक्षा लेने का निषेध—

९४३. प्राणी (द्वीन्द्रियादि) बीज और हरियाली को कुचलती
हुई स्त्री को असंयमकारी जानकर मुनि उसके पास से भक्त-
पान न ले ।

एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकालकर, सचित्त वस्तु
पर रखकर, सचित्त वस्तु का स्पर्शकर इसी प्रकार पात्रस्थ सचित्त
जल को उलीच (गिरा) कर, सचित्त जल में अवगाहन अर्थात्
चलकर चलाकर या हिलाकर श्रमण के लिये आहार-पानी लाए
तो मुनि उस देती हुई स्त्री को कहे—“इस प्रकार का आहार
मैं नहीं ले सकता ।”

(४) उन्मिश्रदोष—

प्राणी आदि से युक्त आहार ग्रहण का निषेध और गृहीत
आहार के परठने की विधि—

९४४. भिक्षु या भिक्षुणी आहार-प्राप्ति के उद्देश्य से गृहस्थ के
घर में प्रविष्ट होकर यह जाने कि—

अशन—यावत्—स्वाद्य रसज प्राणियों से, फफूंदी-फूलण
से, गेहूँ आदि के बीजों से, हरे अंकुर आदि से संसक्त है, मिश्रित
है, सचित्त जल से गीला है तथा सचित्त रज से युक्त है,

इस प्रकार का अशन यावत्—स्वाद्य दाता के हाथ में
हो, पात्र में हो तो उसे अप्रासुक और अनेपणीय जानकर प्राप्त
होने पर भी ग्रहण न करे ।

कदाचित् दाता या ग्रहणकर्ता की भूल से वैसा संसक्त या
मिश्रित आहार ग्रहण कर लिया गया हो तो उस आहार को
लेकर एकान्त स्थान उद्यान या उपाश्रय में चला जाए और वहाँ
जाकर जहाँ कि प्राणियों के अंडे, जीव जन्तु, बीज, हरियाली,
ओस के कण, सचित्त जल तथा चीटियाँ, लीलन-फूलन, गीली

१ असणं पाणं वा वि, खाइमं साइमं तथा । पुप्फेसु होज्ज उम्मीसं, बीएसु हरिएसु वा ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

चिय, उम्मिस्सं विसोहिय-विसोहियं, ततो संजयामेव भुंजेज्ज वा, पीएज्ज वा ।

जं च णो संचाएज्जा भोत्तए वा, पात्तए वा से त्तमादाय एगंतमवक्कमेज्जा-एगंतमवक्कमित्ता, अहे क्षामयंडिलंसि वा, अट्टिरासिसि वा, किट्टिरासिसि वा, तुसरसिसि वा, गोम-यरासिसि वा, अण्णयरंसि वा, तहप्पगारंसि थंडिलंसि पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय, ततो संजयामेव परिट्टवेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३२४

अणंतकाय संयुक्तआहारकरणस्त प्रायश्चित्त सूत्रं—

६४५. जे भिक्खू अणंतकाय-संयुक्तं आहारं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. १०, सु. ५

परित्तकाय संयुक्तआहारकरणस्त प्रायश्चित्त सूत्रं—

६४६. जे भिक्खू परित्तकाय संयुक्ते आहारं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १२, सु. ४

(५) अपरिणय दोषं—

असत्थपरिणयाणं सालुयाईणं ग्रहणणिसेहो—

६४७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा तं जहा —

१. सालुयं वा, २. विरालियं वा, ३. सासवणालियं वा अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणतं अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^१

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७५

असत्थपरिणयाणं पिप्पलिआईणं ग्रहणणिसेहो—

६४८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

तं जहा—१. पिप्पलि वा, २. पिप्पलिचुण्णं वा, ३. मिरियं वा, ४. मिरियचुण्णं वा, ५. सिगवेरं वा, ६. सिगवेरचुण्णं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणयं अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^२

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७६

मिट्ठी, मकड़ी के जाले आदि न हों, वहाँ उस संसक्त आहार से उन जीवों को पृथक करके उस मिश्रित आहार को शोध-शोध-कर यतनापूर्वक खावे या पीवे ।

यदि उस आहार का शोधनकर खाना-पीना अशक्य हो तो उसे लेकर एकान्त स्थान में चला जाये । वहाँ जाकर दग्ध (जली हुई) स्थंडिल भूमि पर, हड्डियों के ढेर पर, लोह कीट के ढेर पर, तुप (भूसे) के ढेर पर, सूखे गोबर के ढेर पर या अन्य भी इसी प्रकार की स्थंडिल भूमि पर भलीभाँति प्रतिलेखन करके प्रमार्जन करके, यतनापूर्वक परठ दे ।

अनन्तकाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र—

६४५. जो भिक्षु अनन्तकाय युक्त (फूलन आदि) आहार करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

प्रत्येककाय संयुक्त आहारकरण प्रायश्चित्त सूत्र—

६४६. जो भिक्षु प्रत्येककाय नमक बीज आदि युक्त आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

(५) अपरिणत दोष—

अशस्त्रपरिणत कमल कंद आदि के ग्रहण करने का निषेध—

६४७. गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

(१) कमलकन्द, (२) पलाशकन्द, (३) सरसों की नाल (कन्द) तथा अन्य भी इसी प्रकार के कन्द जो कच्चे (सचित्त) और अशस्त्र परिणत नहीं हुए हों, तो अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

अशस्त्र परिणत पिपल्यादि के ग्रहण का निषेध—^३

६४८. गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

(१) पिप्पली, (२) पिप्पल का चूर्ण, (३) मिर्च, (४) मिर्च का चूर्ण, (५) अदरक, (६) अदरक का चूर्ण अथवा अन्य भी इसी प्रकार के पदार्थ जो कच्चे (सचित्त) और अशस्त्र-परिणत हों, उसे अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

१ सालुयं वा विरालियं, कुमुयं उप्पलनालियं । मुणालियं सामवनालियं, उच्छुक्खंडं अनिव्वुडं ॥ —दस. अ. ५, उ. २, गा. १८

२ कंदं मूलं पलवं वा, आमं छिन्नं च सन्निरं । तुंवागं सिगवेरं च, आमगं परिवज्जए ॥

—दस. अ. ५ उ. १, गा. १०१

असत्थपरिणयाणं पलंबाणं गृहणणिसेहो—

९४९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण पलंबजातं जाणेज्जा—

तं जहा—१. अंबपलंबं वा, २. अंबाडगपलंबं वा, ३. ताल-पलंबं वा, ४. क्षिञ्जिरिपलंबं वा, ५. सुरभिपलंबं वा, ६. सल्लइपलंबं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं पलंबजातं आमं असत्थपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^१

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७७

असत्थपरिणयाणं गृहणणिसेहो—

९५०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण पवालजातं जाणेज्जा—

तं जहा—१. आसोत्थपवालं वा, २. णग्गोहपवालं वा, ३. पिलंखुपवालं वा, ४. णिपूरपवालं वा, ५. सल्लइपवालं वा, ६. अण्णतरं वा, तहप्पगारं पवालजातं आमं असत्थ-परिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^२

—आ० सु० २, अ० १, उ० ८, सु० ३७८

असत्थपरिणयाणं सरडुयाणं गृहण णिसेहो—

९५१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं सरडुयजायं जाणेज्जा, तं जहा—

१. अंबसरडुयं वा, २. कविट्ठसरडुयं वा,^१ ३. दालिमसरडुयं वा, ४. विल्लसरडुयं वा, ५. अण्णतरं वा, तहप्पगारं सरडुयजातं आमं असत्थपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७९

असत्थपरिणयाणं उच्छुमेरगाईणं गृहणणिसेहो—

९५२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, तं जहा—

१. उच्छुमेरगं वा, २. अंककरेलुयं वा, ३. णिक्खारगं वा, ४. कसेरुं वा, ५. सिंघाडगं वा, ६. पूतिआलुगं वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८२

अशस्त्र-परिणत प्रलंबों के ग्रहण का निषेध—

९४९. गृहस्थ के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी प्रलम्ब (फल) के विषय में यह जाने कि—

(१) आम्र फल, (२) अम्बाडग फल, (३) ताल फल, (४) लता फल, (५) सुरिभ फल, (६) शल्यकी फल, तथा इसी प्रकार के अन्य फल जो कच्चे (सचित्त) और अशस्त्र परिणत हों तो अप्रासुक समझ कर-यावत्-ग्रहण न करे ।

अशस्त्र परिणत प्रवालों के ग्रहण का निषेध—

९५०. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी प्रवालों (पत्तों) के विषय में यह जाने कि—

(१) पीपल वृक्ष का प्रवाल, (२) वड़ वृक्ष का प्रवाल, (३) प्लक्ष वृक्ष का प्रवाल, (४) नन्दी वृक्ष का प्रवाल, (५) शल्यकी वृक्ष का प्रवाल या अन्य भी इसी प्रकार के प्रवाल जो कच्चे (सचित्त) और अशस्त्र परिणत हों, तो अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

अशस्त्र परिणत कोमल फलों के ग्रहण का निषेध—

९५१. गृहस्थ के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी (जिसमें गुठली नहीं पड़ी हो ऐसे) कोमल फल के संबंध में यह जाने कि—

(१) आम्र वृक्ष का कोमल फल, (२) कवीठ वृक्ष का कोमल फल, (३) अनार का कोमल फल, (४) विल्व का कोमल फल, अथवा अन्य भी इसी प्रकार का कोमल फल, जो कि कच्चा (सचित्त) और अशस्त्र-परिणत है तो अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

अशस्त्र-परिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध—

९५२. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

(१) इक्षु खण्ड-गंडेरी, (२) अंककरेलु, (३) निक्खारक, (४) कसेरु, (५) सिंघाडा एवं, (६) पूति आलुक नामक वनस्पति है अथवा अन्य भी इसी प्रकार की वनस्पति विशेष है, जो कि कच्ची (सचित्त) तथा अशस्त्र-परिणत हो तो अप्रासुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

१ कप्प. उ. १, सु. १

२ तरुणं वा पवालं, रुक्वस्स तणगस्स वा । अन्नस्स वा वि हरियस्स आमगं परिवज्जए ॥

३ कविट्ठं मार्जालिग च, मूलगं मूलगत्तियं । आमं असत्थपरिणयं, मणसा वि न पत्थए ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. १९

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २३

असत्यपरिणयाणं उत्पलाईणं ग्रहणणिसेहो—

६५३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावड्कुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, तं जहा—

१. उत्पलं वा, २. उत्पलणालं वा, ३. भिसं वा,
४. भिसमुणालं वा, ५. पोक्खलं वा, ६. पोक्खलत्थिभगं
वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं
-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८३

असत्यपरिणयाणं अग्गवीयाईणं ग्रहण णिसेहो—

६५४. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावड्कुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—तं जहा—

१. अग्गवीयाणि वा, २. मूलवीयाणि वा, ३. खंघवीयाणि वा,
४. पोरवीयाणि वा, ५. अग्गजायाणि वा, ६. मूलजायाणि
वा, ७. खंघजायाणि वा, ८. पोरजायाणि वा, णणत्थ—

१. तक्कलिमत्थएण वा, २. तक्कलिसीसेण वा, ३. णालि-
एरिमत्थएण वा, ४. खज्जूरिमत्थएण वा, ५. तालमत्थएण
वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं
-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ८, सु० ३८४

असत्यपरिणयाणं उच्छूआईणं ग्रहणणिसेहो—

६५५. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावड्कुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

१. उच्छूं वा काणं, २. अंगारियं, ३. समिस्सं
४. विगद्धमियं, ५. वेत्तगं वा, ६. कंदलिकसगं वा,
अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-
णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८५

असत्यपरिणयाणं लसुणाईणं ग्रहणणिसेहो—

६५६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावड्कुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

१. लसुणं वा, २. लसुणपत्तं वा, ३. लसुणणालं वा,
४. लसुणकंदं वा, ५. लसुणचोयगं वा, अण्णतरं वा तहप्प-
गारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८६

अशस्त्रपरिणत उत्पलादि के ग्रहण का निषेध—

६५३. गृहस्थ के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

- (१) नीलकमल है, (२) कमल की नाल है, (३) पद्म कन्दमूल है, (४) पद्म कन्द के ऊपर की लता है, (५) पद्म केसर है या, (६) पद्मकन्द है, तथा इसी प्रकार अन्य कन्द है जो कच्चा (सचित्त) है वह अशस्त्रपरिणत नहीं है, तो उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

अशस्त्रपरिणत अग्रवीजादि के ग्रहण का निषेध—

६५४. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

- (१) अग्रवीज वाली, (२) मूल वीज वाली, (३) स्कन्ध वीज वाली, (४) पर्ववीज वाली वनस्पति है, (५) अग्रजात, (६) मूलजात, (७) स्कन्धजात तथा (८) पर्वजात वनस्पति है तथा—

- (१) कन्दली का गूदा, (२) कन्दली का स्तवक, (३) नारियल का गूदा, (४) खजूर का गूदा, (५) ताड़ का गूदा के सिवाय अन्य इस प्रकार के फल आदि कच्चे (सचित्त) और अशस्त्रपरिणत है उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

अशस्त्रपरिणत इक्षु आदि के ग्रहण का निषेध—

६५५. गृहस्थ के यहाँ आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

- (१) इक्षु काणा (छेद वाला) है, (२) विवर्ण हो गया है, (३) फटी हुई- छाल वाला है, (४) सियार का खाया हुआ है तथा (५) वैत का अग्रभाग या, (६) कदली का मध्य भाग है अथवा अन्य भी ऐसी कच्ची (सचित्त) और अशस्त्र परिणत वनस्पतियाँ हैं, तो उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

अशस्त्रपरिणत लसुण आदि के ग्रहण का निषेध—

६५६. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

- (१) लहसुन, (२) लहसुन का पत्ता, (३) लहसुन की नाल, (४) लहसुन का कन्द, (५) लहसुन के बाहर की छाल या अन्य भी इसी प्रकार की वनस्पति जो कि कच्ची (सचित्त) और अशस्त्रपरिणत है, तो उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

असत्यपरिणय-जीव-जुक्त-पोराणस्स आहारस्स ग्रहण-
णिसेहो—

६५७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

१. आमडागं वा, २. पूतिपिण्णागं वा, ३. सप्पि वा
पुराणं एत्थ पाणा अणुप्पसूया, एत्थ पाणाजाया, एत्थ पाणा
संबुद्धा, एत्थ पाणा अबुक्कंता एत्थ पाणा अपरिणता, एत्थ
पाणा अविद्धत्था अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८१

अपरिणय-मीस-वणस्सईणं ग्रहणणिसेहो—

६५८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण मंथुजातं^१ जाणेज्जा, तं जहा—

१. उंवरमंथुं वा, २. णगोहमंथुं वा, ३. पिलंखुमंथु वा,
४. आसोत्थमंथुं वा, अणत्तरं वा तहप्पगारं मंथुजातं आमयं
दुरुक्कं साणुवीयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८०

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

१. अत्थियं वा, २. कुंभिवक्कं, ३. तेंडुगं^२ वा,
३. वेलुगं वा, ४. कासवणालियं^३ वा अणत्तरं वा
तहप्पगारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-
हेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३८७

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

१. कणं वा, २. कणकुंडगं वा, ३. कणपूर्वाल वा,
४. चाउलं वा, ५. चाउलपिट्ठं वा, ६. तिलं वा,
७. तिलपिट्ठं^४ वा, ८. तिलपप्पडगं^५ वा, अणत्तरं वा तहप्प-
गारं आमं असत्यपरिणयं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १ उ. ८, सु. ३८८

अशस्त्रपरिणत जीव युक्त पुराने आहार के ग्रहण का
निषेध—

६५७. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश
करने पर यह जाने कि—

(१) भाजी अपक्व और अर्धपक्व है, (२) खल पुराणा है या,
(३) घृत पुराणा है, और उनमें प्राणी पुनः पुनः उत्पन्न होने लगे
हैं, उत्पन्न हो गये हैं व बढ़ गये हैं। इनमें से प्राणियों का
व्युत्क्रमण (च्यवन) नहीं हुआ है, वे शस्त्र-परिणत नहीं हुए हैं और
वे पूर्ण अचित्त नहीं हुए हैं अतः उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—
ग्रहण न करे।

अपरिणत मिश्र वनस्पतियों के ग्रहण का निषेध—

६५८. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी
वनस्पति चूर्ण के सम्बन्ध में यह जाने कि—

(१) उदुम्बर (गुल्लर) का चूर्ण, (२) वड के फलों का चूर्ण,
(३) प्लक्ष फल का चूर्ण, (४) पीपल का चूर्ण, अथवा अन्य भी
इसी प्रकार का चूर्ण है जो कि अभी कच्चा (सचित्त) है, थोड़ा
पिसा हुआ है और वीज युक्त है उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—
ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी
यदि यह जाने कि—

(१) अस्थिक वृक्ष के फल, (२) तिन्दुक का फल, (३) विल्व
फल, (४) श्रीपर्णी का फल जो कि खड्डे आदि में धुएँ आदि
से पकाये गये हों अथवा अन्य इसी प्रकार के फल जो कच्चे
(सचित्त) और शस्त्र-परिणत नहीं हैं, ऐसे फलों को अप्रासुक
जानकर—यावत्—ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी
यदि यह जाने कि—

(१) कच्चे गेहूँ, (२) गेहूँ का कूटा, (३) गेहूँ अर्धपक्व
(रोटी आदि), (४) कच्चे चावल, (५) चावल का कूटा,
(६) कच्चे तिल, (७) तिल का कूटा, (८) तिलों की अर्ध पक्व
पपड़ी आदि तथा अन्य भी इसी प्रकार के पदार्थ जो कि कच्चे
(सचित्त) और शस्त्रपरिणत नहीं हैं तो अप्रासुक जानकर
—यावत्—ग्रहण न करे।

१ तहेव फलमंथूणि, वीयमंथूणि जाणिया । विहेलगं पियालं च, आमगं परिवज्जए ॥

२ दस. अ. ५, उ. १, गा. १०४

३ तहा कोलमणुस्सिन्नं, वेलुयं कासवणालियं । तिलपप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जए ॥

४ तहेव चाउलं पिट्ठं वियडं वा तत्तन्निव्वुडं । तिलपिट्ठं पूइपिन्नागं, आमगं परिवज्जए ॥

५ तिलपप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जए ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २४

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २१

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २२

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २१

अपरिणय-परिणय-ओसहीणं गृहण-विहि-णित्सेहो—

६५६. से भिक्षू वा, भिक्षुणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समणे से ज्जाओ पुण ओसहीओ^१ जाणेज्जा— कसिणाओ, सासियाओ, अविदलकडाओ, अतिरिच्छच्छिण्णाओ, अच्चोच्छिण्णाओ, तरुणियं, छिवाडिं, अणभिवकंतभज्जियं पेहाए, अफामुपं-जाव-णो पडिगाहेज्जा,

से भिक्षू वा भिक्षुणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समणे से ज्जाओ पुण ओसहीओ जाणेज्जा-अक-सिणाओ असासियाओ, विदलकडाओ, तिरिच्छच्छिण्णाओ, वोच्छिण्णाओ, तरुणियं वा छिवाडिं, अभिवकंत भज्जियं^२ पेहाए, फामुपं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. नु. २, अ. १, उ. १, सु. ३२५

कसिण-ओसहि-भुंजण-पायच्छित्तमुत्तं—

६६०. जे भिक्षू कसिणाओ^३ ओसहीओ आहारेइ, आहारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उघाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. १६

भंज्जिय-पिहुयाईणं-गृहण-विहि-णित्सेहो—

६६१. से भिक्षू वा, भिक्षुणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

पिहुयं वा—जाव—चाउलपलंत्रं वा सइं भज्जियं अफामुपं—जाव—णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्षू वा भिक्षुणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

अपरिणत-परिणत धान्यों के ग्रहण का विधि-निषेध—

६५६. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट होकर धान्यों के विषय में यह जाने कि—ये अन्नण्ड हैं इनकी योनि नष्ट नहीं हुई है, दो टुकड़े नहीं किये गये हैं, अनेक टुकड़े नहीं किये गये हैं, अचित्त नहीं हुई है तथा कच्ची मूंगफलियाँ आदि अशूरी भुनी हुई हैं, ऐसा देखकर अप्राप्तुक जानकर-यावत्-ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट होकर औपधियों के विषय में यह जाने कि—ये अन्नण्ड नहीं हैं, इनकी योनि नष्ट हो चुकी है, ये द्विदल कर दी गई है, अनेक टुकड़े कर दिये गये हैं, अचित्त हो चुकी है, तथा कच्ची मूंग-फलियाँ आदि पूर्ण भुनी हुई हैं ऐसा देखकर उन्हें प्राप्तुक समझ कर—यावत्—ग्रहण करे ।

कृत्स्न धान्य भक्षण का प्रायश्चित्त सूत्र—

६६०. जो भिक्षु अन्नण्ड सचित्त धान्यों का आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

भुने हुए सिट्टे आदि के ग्रहण का विधि निषेध—

६६१. गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त गया हुआ भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

नेहूँ आदि के सिट्टे—यावत्—शाली आदि के टुकड़े एक त्रार भुने हुए हैं तो उन्हें अप्राप्तुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त गया हुआ भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

१ (क) इस सूत्र के टीकाकार "औपधी" शब्द का अर्थ "शालिवीज आदि" सूचित करते हैं । यथा—

औपधी शालिवीजादिका एत्रं जानीयात् । औपधो जातिमात्रेस्युः अजातो सर्वमौपधम् ॥ —अमरकोप काण्ड २, वर्ग ४
जातिमात्रविवधायाम् औपधीः शब्द प्रयोगः । सर्वम् इत्यनेन धृत तैलादिकमप्यौपधशब्दवाच्यम् ॥

औपधिः फलपाकान्ता एकं श्रीहि यत्रादेः ।

—अमरकोप काण्ड २, वर्ग ४

मभी प्रकार के पके धान्यों को "औपधी" कहा गया है । वर्तमान में औपधी शब्द केवल जड़ी बूटी आदि दवाइयों में रूढ हो गया है । उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है ।

(ख). वव. उ. ६, सु. ३३-३४

२ तरुणियं वा छेवाडिं, आमियं भज्जियं सइं । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कण्णइ तारिसं ॥ —दस. अ. ५, उ. २, गा २०

३ कृत्स्न शब्द का यद्यपि अन्नण्ड अर्थ होता है फिर भी यहाँ द्रव्यकृत्स्न न समझकर भावकृत्स्न समझना चाहिए । इसका फलितार्थ यह है कि जो अन्नण्ड धान्य शस्त्रपरिणत न होने से सचित्त है उसके खाने का यह प्रायश्चित्त विधान है । क्योंकि अन्नण्ड शस्त्रपरिणत अचित्त धान्य के परिभोग का आचारांग सु. २, अ. १, उ. १ में विधान है ।

निशेधभाष्य में सचित्त या अचित्त अन्नण्ड धान्य खाने से होने वाली हानियों का विस्तृत वर्णन है ।

पिह्यं वा—जाव—चाउलपलंबं वा असइं भज्जियं, दुक्खुत्तो वा भज्जियं, तिक्खुत्तो वा, भज्जियं, फासुयं—जाव—पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३२६

अपरिणय-परिणय-तालपलंबस्स ग्रहण-विहि-णिसेहो—

६६२. नो कप्पइ णिगंथाण वा, णिगंथीण वा आमे तालपलंबे^१ अभिन्ने पडिगाहित्तए ।

कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा आमे ताल-पलम्बे भिन्ने पडिगाहित्तए ।

कप्पइ निगंथाणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने वा, अभिन्ने वा पडिगाहित्तए ।

नो कप्पइ निगंथीणं पक्के-ताल-पलम्बे अभिन्ने पडिगाहित्तए ।

कप्पइ निगंथीणं पक्के ताल-पलम्बे भिन्ने पडिगाहित्तए ।

से वि य विहिभिन्ने, नो चेव णं अविहिभिन्ने ।

—कप्प. उ. १, सु. १-५

अपरिणय-परिणय-अंब-ग्रहणस्स विहि-णिसेहो—

६६३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिक्खेज्जा अंबवणं उवा-गच्छित्तए, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिट्ठाए, ते ओग्गहं अणुणवेज्जा ।

“कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिणायं वसामो—जाव—आउसो—जाव—आउसंतस्स ओग्गहो—जाव—साहम्मिया एत्ता वा-त्ताव ओग्गहं ओग्गिहस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ।”

प०—से किं पुण तत्थ ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

उ०—अह भिक्खू इच्छेज्जा अंबं भोत्तए से ज्जं पुण अंबं जाणेज्जा—

सअंडं—जाव—मक्कडासंताणं, तहप्पगारं अंबं-अफासुयं—जाव—णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण अंबं जाणेज्जा—अप्यंडं—जाव—मक्कडासंताणं, अतिरिच्छिन्नं अवाच्छिन्नं अफासुयं—जाव—णो पडिगाहेज्जा !

गेहूँ आदि के सिट्टे—यावत्—शालि आदि के टुकड़े अनेक वार अर्थात् दो वार या तीन वार भुने हुए हैं तो उन्हें प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे ।

अपरिणत-परिणत ताल प्रलंब के ग्रहण का विधि निषेध—

६६२. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को अभिन्न (अशस्त्रपरिणत) कच्चा ताल फल ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को भिन्न (शस्त्रपरिणत) कच्चा ताल फल ग्रहण करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को भिन्न (खण्ड-खण्ड) किया हुआ या अभिन्न (अखण्ड) पक्व (अचित्त) ताल फल ग्रहण करना कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थियों को अभिन्न (अखण्ड) पक्व (अचित्त) ताल फल ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों को भिन्न (खण्ड-खण्ड) किया हुआ पक्व (अचित्त) ताल फल ग्रहण करना कल्पता है ।

वह भी विधिपूर्वक भिन्न अर्थात् अत्यन्त छोटे-छोटे खण्ड किये हों तो ग्रहण करना कल्पता है अविधि-भिन्न ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

अपरिणत परिणत आम ग्रहण का विधि निषेध—

६६३. भिक्षु या भिक्षुणी (विहार करते हुए आवें और) आम्रवन के समीप यदि ठहरना चाहें तो उस स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करें ।

“हे आयुष्मन् ! आप जितने स्थान में जितने समय तक ठहरने की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मों उतने ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे वाद में विहार कर देंगे ।”

प्र०—वे भिक्षु या भिक्षुणी (आम खाना चाहें तो आम की एषणा) किस प्रकार करें ।

उ०—यदि वे आम खाना चाहें तो वे यह जानें कि—

आम, अण्डे यावत् मकड़ी के जालों से युक्त है तो—

ऐसे आम को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

आम, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु

तिरछा कटा हुआ नहीं है तथा जीव रहित नहीं हुआ है,

अतः ऐसे आम को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

१ ताल प्रलंब शब्द का अर्थ भाष्य में—फल, मूल, कंद आदि सभी प्रकार की वनस्पतिपरक किया गया है । विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखें बृहत्कल्पभाष्य गाथा—८४७ से ८५७ ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण अंबं
जाणेज्जा—

अप्पंडं—जाव—मक्कडासंताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं
वोच्छिन्नं

फासुर्यं—जाव—पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा—

१. अंबमित्तगं वा, २. अंबपेसियं वा, ३. अंबचोयगं
वा, ४. अंबसालगं वा, ५. अंबडगलं वा भोत्तए वा,
पायए वा ।

से ज्जं पुण जाणेज्जा—अंबमित्तगं वा—जाव—
अंबडगलं वा सअंडं—जाव—मक्कडा संताणगं
अफासुर्यं—जाव—णो पडिगाहेज्जा—

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा—
अंबमित्तगं वा—जाव—अंबडगलं वा अप्पंडं—जाव
—मक्कडा संताणगं अतिरिच्छच्छिन्नं अवोच्छिन्नं ।

अफासुर्यं—जाव—णो पडिगाहेज्जा—

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा—
अंबमित्तगं वा—जाव—अंबडगलं वा अप्पंडं—जाव—
मक्कडा संताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं फासुर्यं
—जाव—पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. २, सु. ६२३-६२८

सचित्तं अंबं भुंजमाणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६६४. जे भिक्खू सचित्तं अंबं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तं अंबं विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्त-पइट्टियं अंबं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्त-पइट्टियं अंबं विडसइ, विडसंतं वा साइ-
ज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तं,

१. अंबं वा, २. अंब-पेसि वा, ३. अंब-मित्तं वा, ४. अंब-
सालगं वा, ५. अंब-डगलं वा, ६. अंब-चोयगं वा, भुंजइ,
भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तं अंबं वा—जाव—अंबचोयगं वा विडसइ
विडसंतं वा साइज्जइ ।

भिक्खू या भिक्खूणी यदि यह जाने कि—

यह आम, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है
और तिरछा कटा हुआ है एवं जीव रहित हो गया है ।

ऐसे आम को प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करें ।

भिक्खू या भिक्खूणी—

(१) आम की मोटी फांके, (२) लम्बी फांके, (३) आम
का छुंदा, (४) आम की छाल या, (५) आम के टुकड़े खाना
चाहें या उसका रस पीना चाहें,

तो यह जाने कि आम की मोटी फांके—यावत्—टुकड़े
अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हैं—

अतः उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

भिक्खू या भिक्खूणी यदि यह जाने कि—

आम की मोटी फांके—यावत्—आम के टुकड़े अण्डे
—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु तिरछे कटे हुए
नहीं हैं तथा जीव रहित हुए नहीं हैं ।

अतः उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

भिक्खू या भिक्खूणी यदि यह जाने कि—

आम की मोटी फांके—यावत्—आम के टुकड़े अण्डे
—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हैं वे तिरछे कटे हुए हैं
और जीव रहित हो गये हैं तो प्रासुक जानकर—यावत्—
ग्रहण करें ।

सचित्तं अंब उपभोग के प्रायश्चित्त सूत्र—

६६४. जो भिक्खू सचित्त आम खाता है, खिलाता है, खाने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्खू सचित्त आम चूसता है, चूसवाता है, चूसने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्खू सचित्तप्रतिष्ठित आम को खाता है, खिलाता है,
खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्खू सचित्तप्रतिष्ठित आम को चूसता है, चूसवाता
है, चूसने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्खू सचित्त—

(१) आम को, (२) आम की फांक को, (३) आम के अर्द्ध
भाग को, (४) आम की छाल को, (५) आम के गोल टुकड़े को,
(६) आम के छोटे-छोटे टुकड़ों को खाता है, खिलाता है, खाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्खू सचित्त आम को—यावत्—आम को छोटे-छोटे
टुकड़ों को चूसता है, चूसवाता है, चूसने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जे भिक्षू सचित्त-पइद्वियं अवं वा—जाव—अवंचोयगं वा भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू सचित्त-पइद्वियं अवं वा—जाव—अवंचोयगं वा विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारह्वाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १५, सु. ५-१२

अपरिणय-परिणय-उच्छुं-गहणस्स विहि-णिसेहो—

६६५. से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा अभिकंखेज्जा उच्छुवणं उवा-गच्छत्तए, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिद्वाए, ते ओग्गहं अणुणवेज्जा ।

“कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिणायं वसामो-जाव-आउसो-जाव-आउसंतस्स ओग्गहो-जाव-साहम्मिया एत्ता व ताव ओग्गहं ओग्गिहस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ।”

प०—से किं पुण तत्थ ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

उ०—अह भिक्षू इच्छेज्जा उच्छुं भोत्तए वा, से ज्जं उच्छुं जाणेज्जा—

सअंडं-जाव-मक्कडा संताणगं,
तहप्पगारं उच्छुं अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।
से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा से ज्जं पुण उच्छुं जाणेज्जा—

अप्पंडं-जाव-मक्कडा संताणगं, अतिरिच्छच्छिन्नं,
अवोच्छिन्नं—
अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्षू वा भिक्षूणी वा से ज्जं पुण उच्छुं जाणेज्जा—

अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं
वोच्छिन्नं—

फामुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा अभिकंखेज्जा—

१. अंतरुच्छुयं वा, २. उच्छुगंडियं वा, ३. उच्छु-
चोयगं वा, ४. उच्छुतायगं वा, ५. उच्छुडगलं वा,
भोत्तए वा, पायए वा ।

से ज्जं पुण जाणेज्जा-अंतरुच्छुयं वा-जाव-उच्छुडगलं
वा सअंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं
अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित आम को—यावत्—आम के छोटे-छोटे टुकड़ों को खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनु-मोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित आम को—यावत्—आम के छोटे-छोटे टुकड़ों को चूसता है, चूसवाता है, चूसने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अपरिणत-परिणत इक्षु ग्रहण का विधि-निषेध—

६६५. भिक्षु या भिक्षुणी (विहार करते हुए आवें और) इक्षु वन के समीप यदि ठहरना चाहें तो उम स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करें ।

“आयुष्मन् ! आप जितने स्थान में जितने समय तक ठहरने की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मी उतने ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे—वाद में विहार कर देंगे ।”

प्र०—वे भिक्षु या भिक्षुणी (इक्षु खाना चाहें तो इक्षु की एषणा) किस प्रकार करें ?

उ०—यदि वे इक्षु खाना चाहें तो वे यह जानें कि—

इक्षु अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है,
ऐसे इक्षु को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।
भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

इक्षु, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु
तिरछा कटा हुआ नहीं है तथा जीव रहित हुआ नहीं है,
अतः ऐसे इक्षु को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

यह इक्षु, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है
और तिरछा कटा हुआ है एवं जीव रहित हो गया है—

ऐसे इक्षु को प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी—

(१) इक्षु के अन्दर का भाग, (२) इक्षु की पेलियाँ,
(३) इक्षु की वारीक कतली, (४) इक्षु का छिलका या,
(५) इक्षु के टुकड़े खाना चाहे तथा उनका रस पीना चाहे,

तो यह जाने कि इक्षु की मोटी फांके—यावत्—इक्षु के टुकड़े अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है—

उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा —
अंतरूच्छुर्यं वा-जाव-उच्छुडगलं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-
डासंताणगं, अतिरिच्छच्छिन्नं अवोच्छिन्नं

अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा —
अंतरूच्छुर्यं वा-जाव-उच्छुडगलं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-
डासंताणगं तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं-फामुयं-जाव-
पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. २, सु. ६२९-६३१

सचित्तं उच्छुं भुंजमाणस्स पायच्छित्तमुत्ताइं—

२६६. जे भिक्खू सचित्तं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तपइद्वियं उच्छुं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तपइद्वियं उच्छुं विडसइ, विडसंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तं,

१. अंतरूच्छुर्यं वा, २. उच्छुखंडियं वा,

३. उच्छुचोयगं वा, ४. उच्छुमेरगं वा,

५. उच्छुसालगं वा, ६. उच्छुडगलं वा,

भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तं अंतरूच्छुर्यं वा-जाव-उच्छुडगलं वा विडसइ
विडसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तपइद्वियं अंतरूच्छुर्यं वा-जाव-उच्छुडगलं वा
भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचित्तपइद्वियं अंतरूच्छुर्यं वा-जाव-उच्छुडगलं वा
विडसइ, विडसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. ४-११

अपरिणय-परिणय-लहसुण-ग्रहणस्स विहि-णिसेहो—

२६७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिक्खवेज्जा लहसुणवणं उवा-
गच्छित्तए,

जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिट्ठाए, ते ओग्गहं अणुणवेज्जा ।

भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

इक्षु की मोटी फाँके—यावत्—इक्षु के टुकड़े, अण्डे—यावत्
—मकड़ी के जालों से रहित हैं किन्तु तिरछे कटे हुए नहीं हैं
तथा जीव रहित हुए नहीं हैं ।

अतः उन्हें अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

इक्षु की मोटी फाँके—यावत्—इक्षु के टुकड़े, अण्डे—यावत्
—मकड़ी के जालों से रहित हैं, वे तिरछे कटे हुए हैं और जीव
रहित हो गये हैं तो अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण करें ।

सचित्त इक्षु खाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६६. जो भिक्षु सचित्त ईख खाता है, खिलाता है, खाने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त ईख को चूसता है, चूसवाता है चूसने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित ईख को खाता है, खिलाता है,
खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित ईख को चूसता है, चूसवाता है,
चूसने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त—

(१) ईख का मध्य भाग, (२) ईख के खण्ड,

(३) ईख के छिलके सहित टुकड़े, (४) ईख का अग्र भाग,

(५) ईख की शाखा (६) ईख के गोल टुकड़े

खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त ईख का मध्य भाग—यावत्—ईख के गोल
टुकड़े चूसता है, चूसवाता है, चूसने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित ईख का मध्य भाग—यावत्—
ईख के गोल टुकड़े खाता है, खिलाता है, खाने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्तप्रतिष्ठित ईख का मध्य भाग—यावत्—
ईख के गोल टुकड़े चूसता है, चूसवाता है, चूसने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अपरिणत-परिणत लहसुण ग्रहण का विधि निषेध—

२६७. भिक्षु या भिक्षुणी (विहार करते हुए आँवें और) लसुणवन
के समीप यदि ठहरना चाहे तो उस स्थान के स्वामी की या
संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करे ।

“कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिणायं वसामो-जाव-
आउसो-जाव-आउसंतस्स ओग्गहो-जाव-साहम्मिया एत्ता,
ताव ओग्गहं ओग्गिण्हस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ।”

प०—से किं पुण तत्थ ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

उ०—अह भिक्खू इच्छेज्जा लहसुणं भोत्तए वा से ज्जं पुण
लहसुणं जाणेज्जा,

सअंडं-जाव-मक्कडासंताणगं,
तहप्पगारं लहसुणं अफासुयं-भाव-णो पडिगाहेज्जा ।
से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण लहसुणं
जाणेज्जा—

अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं अतिरिच्छच्छिन्नं
अवोच्छिन्नं—
अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा सेज्जं पुण लहसुणं
जाणेज्जा—

अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं,
वोच्छिन्नं—
फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा—

१. लहसुणं वा, २. लहसुणं-कंदं वा, ३. लहसुण-चोयगं,
४. लहसुण-णालगं वा भोत्तए ।

से ज्जं पुण जाणेज्जा-लहसुणं वा-जाव-लहसुण-णालगं
वा सअंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं-
अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा सेज्जं पुण जाणेज्जा—
लहसुणं वा-जाव-लहसुण-णालगं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-
डासंताणगं, अतिरिच्छच्छिन्नं, अवोच्छिन्नं ।

अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा—
लहसुणं वा-जाव-लहसुण-णालगं वा अप्पंडं-जाव-मक्क-
डासंताणगं, तिरिच्छच्छिन्नं, वोच्छिन्नं-फासुयं-जाव-
पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. २, सु. ६३२

“आयुष्मन् ! आप जितने स्थान में जितने समय तक ठहरने
की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मी उतने ही स्थान
में उतने ही समय तक ठहरेंगे बाद में विहार कर देंगे ।”

प्र०—वे भिक्षु या भिक्षुणी (लसुन खाना चाहें तो लसुन
की एषणा) किस प्रकार करें ?

उ०—यदि वे लसुण खाना चाहें तो वे यह जानें कि—

लसुन, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हैं,
ऐसे लसुन को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।
भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

लसुन, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है किन्तु
तिरछा कटा हुआ नहीं है तथा जीव रहित नहीं हुआ है ।
अतः ऐसे लसुन को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण
न करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

यह लसुन, अण्डे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है
और तिरछा कटा हुआ है एवं जीव रहित हो गया है ।
ऐसे लसुन को प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी—

(१) लसुन, (२) लसुन का कंद, (३) लसुन की कतली,
(४) लसुन की नाल खाना चाहें तो,

यह जाने कि लसुन—यावत्—लसुन की नाल, अण्डे
—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हैं ।

उन्हें अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

लसुन—यावत्—लसुन की नाल अण्डे—यावत्—मकड़ी के
जालों से रहित है किन्तु तिरछे कटे हुए नहीं हैं तथा जीव रहित
हुए नहीं हैं ।

अतः उन्हें अप्रासुक जानकर ग्रहण न करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—

लसुन—यावत्—लसुन की नाल, अण्डे—यावत्—मकड़ी
के जालों से रहित हैं, वे तिरछे कटे हुए हैं और जीव रहित हो
गये हैं ।

तो उन्हें प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करें ।

६. लित्तदोषं—

संसृष्ट-हत्याइणा आहार-ग्रहण-विहि-णिसेहो—

६६८. १. अह पुण एवं जाणेज्जा-णो पुरेकम्मकडे, उदउल्ले ।

तहप्पगारेण उदउल्लेण हत्थेण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा,

२. अह पुण एवं जाणेज्जा-णो उदउल्ले, ससिण्णद्वे ।

तहप्पगारेण ससिण्णद्वेण हत्थेण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा, अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा, एवं

३. ससरक्खे,	४. मट्ठिया,	५. उसे,
६. हरियाले,	७. हिगुलुए,	८. मणोसिला,
९. अंजणे,	१०. लोणे,	११. गेहए,
१२. वणिणय,	१३. सेडिय,	१४. सोरट्टिय,
१५. पिट्ट,	१६. कुक्कुत्त,	१७. उक्कट्ठे,

-संसट्ठे ।

तहप्पगारेण हत्थेण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा, अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा,

१८. अह पुण एवं जाणेज्जा णो उक्कुट्ठे संसट्ठे, असंसट्ठे ।

तहप्पगारेण हत्थेण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा अफामुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

१९. अह पुण एवं जाणेज्जा-णो असंसट्ठे संसट्ठे ।

तहप्पगारेण संसट्ठेण हत्थेण वा-जाव-भायणेण वा असणं वा-जाव-साइमं वा फामुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।^१

—आ. मु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६० (३)

(६) लिप्तदोष—

संमृष्ट हाथ आदि से आहार ग्रहण के विधि-निषेध—

६६८. (१) भिक्षु यदि यह जाने कि (हाथ—यावत्—भाजन) पूर्वकर्मकृत नहीं है किन्तु पानी से गीले हैं ।

ऐसे गीले हाथ—यावत्—भाजन से दिये जाने वाले अशन—यावत्—स्वाद्य को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

(२) भिक्षु यदि यह जाने कि (हाथ—यावत्—भाजन) गीले नहीं हैं किन्तु स्निग्ध हैं ।

ऐसे स्निग्ध हाथ—यावत्—भाजन से दिये जाने वाले अशन—यावत्—स्वाद्य को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

इसी प्रकार (हाथ—यावत्—भाजन)

(३) सचित्त रज, (४) सचित्त मिट्टी, (५) खारी मिट्टी, (६) हस्ताल, (७) हिगलु, (८) मेनसिल, (९) अंजन, (१०) लवण, (११) गेरू, (१२) पीली मिट्टी, (१३) खड़िया (१४) फिटकरी, (१५) तन्दुल चूर्ण, (१६) चौकर या (१७) हरी वनस्पति के चूर्ण से संमृष्ट हैं ।

ऐसे हाथ—यावत्—भाजन से दिये जाने वाले अशन—यावत्—स्वाद्य को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

१८. यदि यह जाने कि (हाथ—यावत्—भाजन) वनस्पति चूर्ण से लिप्त नहीं है, किन्तु पूर्ण अलिप्त है ।

ऐसे हाथ—यावत्—भाजन से दिया जाने वाले अशन—यावत्—स्वाद्य को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

१९. भिक्षु यदि यह जाने कि (हाथ—यावत्—भाजन) पूर्ण अलिप्त नहीं है किन्तु (अचित्त वस्तु से) संमृष्ट (लिप्त) है ।

ऐसे संमृष्ट हाथ—यावत्—भाजन से दिये जाने वाले अशन—यावत्—स्वाद्य को प्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण करे ।

- १ उदओल्लेण हत्थेण, दक्खीए भोयणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- २ ममिण्णद्वेण हत्थेण, दक्खीए भोयणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- ३ ससरक्खेण हत्थेण, दक्खीए भोयणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- ४ मट्ठियागतेण हत्थेण, दक्खीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- ५ ऊमगतेण हत्थेण, दक्खीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- ६ हरियालगततेण हत्थेण, दक्खीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- ७ हिगुलुयगततेण हत्थेण, दक्खीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
- ८ मणोसिलागततेण हत्थेण, दक्खीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

सचित्तदन्वेण संसद्गृहत्याइणा आहार-ग्रहण-प्रायश्चित्त
सूत्राई—

६६६. से भिक्खू—१. उदत्तेण वा, २. सत्तिणिट्ठेण वा, हत्थेण
वा, मत्तेण दन्वीएण वा, भायणेण वा, असणं वा-जाव-साइमं
वा पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू—

३. ससरक्खेण वा, ४. मट्ठिया संसद्देण वा, ५. ऊत्ता
संसद्देण वा, ६. लोणिय संसद्देण वा, ७. हरियाल संसद्देण
वा, ८. मणोसिला संसद्देण वा, ९. वणिय संसद्देण वा,
१०. गेह्य संसद्देण वा, ११. सेडिय संसद्देण वा, १२.
सोरट्ठिय संसद्देण वा, १३. हिगुलय संसद्देण वा, १४. अंजण
संसद्देण वा, १५. लोद्ध संसद्देण वा, १६. कुक्कुसंसद्देण
वा, १७. पिट्ठ संसद्देण वा, १८. कंतव संसद्देण वा, १९.
कंदमूल संसद्देण वा, २०. सिगवेर संसद्देण वा, २१. पुष्फय
संसद्देण वा, २२. उक्कुट्ट संसद्देण वा,
असंसद्देण वा, हत्थेण वा, मत्तेण दन्वीए वा, भायणेण वा
असणं वा-जाव-साइमं वा पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. ३८-३९

जे भिक्खु अण्णउत्थियाणं वा, गिहत्थाणं वा ।

सीओदग-परिभोगेण हत्थेण वा, मत्तेण वा, दन्वीएण वा,
भायणेण वा, असणं वा-जाव-साइमं वा पडिगाहेइ, पडिगा-
हेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. १५

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- ६ अंजगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१० लोणगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
११ गेह्यगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१२ वणियगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१३ सेडियगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१४ सोरट्ठियगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१५ पिट्ठगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१६ कुक्कुसगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१७ उक्कुट्टगतेण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दैतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
१८ असंसद्देण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दिज्जमाणं न इच्छेज्जा, पच्छाकम्मं जहिं भवे ॥
१९ संसद्देण हत्थेण, दन्वीए भायणेण वा । दिज्जमाणं पडिच्छेज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥

१ इन प्रायश्चित्त सूत्रों में संसृष्ट हाथ आदि २२ प्रकार के कहे हैं । दस. अ. ५, उ. १ गा. ३३-५१
उ. ६, सु. ३६० में कुछ कम कहे गये हैं, साथ ही इनमें क्रमभेद भी है ।

सचित्त द्रव्य से लिप्त हस्तादि से आहार ग्रहण के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

६६६. जो भिक्षु—(१) गीले या, (२) लिप्त हाथ से, पात्र से,
चम्मचे से या भाजन से अशन—यावत्—त्वाद्य ग्रहण करता है,
करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

इसी प्रकार जो भिक्षु—

(३) सचित्त रज, (४) सचित्त मिट्टी, (५) सचित्त ऊत्त,
(६) सचित्त नमक, (७) सचित्त हरिताल, (८) सचित्त मनगिला,
(९) सचित्त पीली मिट्टी, (१०) सचित्त गेरू, (११) सचित्त
श्वेतिका, (१२) सचित्त फिट्करी, (१३) सचित्त हिगलु, (१४)
सचित्त अंजन, (१५) सचित्त लोध, (१६) सचित्त तुप, (१७)
सचित्त पिट्ट, (१८) सचित्त कंतव, (१९) सचित्त कंद मूल,
(२०) सचित्त अदरक, (२१) सचित्त पुष्प या (२२) सचित्त
वनस्पति चूर्ण (चटनी) से संसृष्ट अथवा

असंसृष्ट हाथ से, पात्र से, चम्मच से, भाजन से अशन
—यावत्—त्वाद्य को ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के,

शीतोदक से भीगे हुए हाथ से, गीले पात्र से, चम्मचे से,
भाजन से अशन—यावत्—त्वाद्य पदार्थ दिया हुआ लेता है,
लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

छडिडय दोसं—

६७०. आहारंती सिया तत्य, परिसाटेज्ज नोयणं ।

देंतियं पडियाडक्खे, न मे कप्पड तारित्तं ॥

—दम. ५, अ. १, गा. २८

छदित दोष—

६७०. भिक्षा लाती हुई स्त्री यदि मार्ग में जगह-जगह आहार गिराये तो भिक्षु उस भिक्षा देने वाली को कहे—(तू आहार गिराते हुए ला रही है अतः) “ऐसा आहार मुझे लेना नहीं कल्पता है।”



एषणा विवेक—७

१. गर्भवती निमित्त निमित्त आहार—गर्भवती की दोहद पूर्ति के लिए बना हुआ आहार ।
२. अदृष्ट स्थान—जहाँ अंधकार हो वहाँ से आहार लेने का निषेध ।
३. रजयुक्त आहार—विषय के लिए रखे हुए रजयुक्त खाद्य पदार्थ ।
४. संघट्टण—पुष्पादि जहाँ विगरे हुए हों वहाँ से आहारादि लेना ।
५. उत्लंघन—मार्ग में बँटे हुए या द्वार के मध्य में बँटे हुए बानक, बछड़ा तथा श्वान आदि को लाँघकर आहारादि दिए जाने पर लेना अथवा उक्त प्राणियों को हटाकर आहारादि लेना ।
६. बह्वज्जित घमिक—कांटे गुठली आदि फँकना पड़े ऐसे खाद्य पदार्थ लेना ।
७. अप्रपिण्ड—भिक्षाचरों को देने के लिए बनाया हुआ आहार लेना ।
८. नित्यपिण्ड—जिन गृहस्थ के यहाँ प्रतिदिन आहारादि का निश्चित भाग दिया जाता है उस घर से आहारादि लेना ।
९. आरण्यक—अटवी पार करने वाले यात्रियों से आहारादि लेना ।
१०. नंबेद्य—देवताओं के अर्घ्य के लिए अर्पित किये हुए आहारादि में से कुछ भाग लेना ।
११. अत्युष्ण आहार—अत्यन्त गर्म आहार ग्रहण करना दाता को काष्ठ हो या पात्र फूट जाय इत्यादि कारण से अग्राह्य होता है ।
१२. राजपिण्ड—राजा या राज परिवार या राज कर्मचारियों के निमित्त बने हुए आहारादि लेना ।

गुच्चिणी निमित्त-णिम्मिय-आहारस्स विहि-णिसेहो—

६७१. गुच्चिणीए उवन्नत्यं, विचिहं पाणभोयणं ।

भुज्जमाणं विचज्जेज्जा, भुत्तसेसं पटिच्छए ॥^१

—दम. अ. ५, उ. १, गा. ५४

अदिट्टट्टाणे गमण-णिसेहो—

६७२. नीयदुवारं तमसं, कोट्टगं परिचज्जए ।

अच्चक्खुविसओ जत्थ, पाणा दुप्पटिलेहगा ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. २०

रजजुत्त-आहारस्स गहण-णिसेहो—

६७३. तहेव सत्तुच्चुण्णाइं, कोलुच्चुण्णाइं आवणे ।

सवकुलिं फालियं पूयं, अन्नं वा वि तहाचिहं ॥

गर्भवती निमित्त निमित्त आहार का विधि निषेध—

६७१. गर्भवती के लिए बनाया हुआ विविध प्रकार का भक्त-पान वह खा रही हो तो मुनि उसको ग्रहण न करे, खाने के बाद बचा हो वह ग्रहण कर सकता है ।

अदृष्ट स्थान में जाने का निषेध—

६७२. जहाँ चक्षु का विषय न होने के कारण प्राणी भलीभाँति न देने जा सकें वैसे नीचे द्वार वाले अन्धकार युक्त स्थान में आहार आदि के लिए न जावे ।

रजयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध—

६७३. सत्तू, बेर का चूर्ण, तिलपपड़ी, गीला गुड़, पूआ इस तरह के अन्य भी खाद्य पदार्थ जो बेचने के लिए दूकान में रखे

१ गर्भिणी से आहार लेने का निषेध और स्तनपान कराती हुई स्त्री से आहार लेने का निषेध देखिए—दायक दोष में ।

विक्कायमाणं पसदं, रएण परिफासियं ।
दैंतियं पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १०२-१०३

पुष्पाई विप्पइण्ण-ठाणे पवेसं-णिसेही—

६७४. जत्थ पुष्पाइं वीयाइं, विप्पइण्णाइं कोट्टए ।

अहुणोवलित्तं उल्लं, दट्ठुणं परिवज्जए ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. २१

दारगाईणं उल्लंघण-णिसेहो—

६७५. एलगं दारगं साणं, वच्छणं वावि कोट्टए ।

उल्लंघिया न पविसे, विउहित्ताण व संजए ॥

—दस अ. ५, उ. १, गा. २२

बहुउज्झियधम्मिय-आहार-गहण-णिसेहो—

६७६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—

१. अंतरुच्छुयं वा,

२. उच्छुगंडियं वा,

३. उच्छुचोयगं वा,

४. उच्छुमेरगं वा,

५. उच्छुसालगं वा,

६. उच्छुडालगं वा,

७. सिबलि वा, ८. सिबलित्थालगं वा अत्तिस्स खलु पडिग्गा-
हियंसि अप्पे सिया भोयणजाते बहुउज्झियधम्मिए—

तहप्पगारं अंतरुच्छुयं वा-जाव-सिबलित्थालगं वा अफासुयं
-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^१

—आ. सु. २, अ १, उ. १०, सु. ४०२

अग्रपिंडस्स गहण-णिसेहो—

६७७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे-से ज्जं पुण जाणिज्जा—

१. अग्रपिंड उक्खिप्पमाणं पेहाए,

२. अग्रपिंड निक्खिप्पमाणं पेहाए,

३. अग्रपिंडं हीरमाणं पेहाए,

४. अग्रपिंडं परिभाइज्जमाणं पेहाए,

५. अग्रपिंडं परिभुज्जमाणं पेहाए,

हुए हों और वे रजयुक्त हों तो मुनि देती हुई स्त्री को कहे कि
“इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।”

पुष्प आदि बिखरे हुए स्थान में प्रवेश का निषेध—

६७४. जिस घर आदि में (या द्वार पर) पुष्प बीजादि बिखरे
हों तथा भूमि तत्काल की लीपी हुई और गीली हो वहाँ उन्हें
देखकर मुनि आहार के लिए व जाये ।

वच्चे आदि के उल्लंघन का निषेध—

६७५. संयमी मुनि भेड़, वच्चे, कुत्ते और बछड़े को लांघकर या
हटाकर घर आदि में (आहार के लिए) प्रवेश न करे ।

अधिक त्याज्य भाग वाले आहार ग्रहण का निषेध—

६७६. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट भिक्षु या
भिक्षुणी यह जाने कि—

(१) इक्षु की दो पेलियों का मध्य भाग,

(२) इक्षु के चक्रिकाकार कटे हुए छोटे-छोटे खण्ड,

(३) इक्षु के छिलके सहित खण्ड,

(४) इक्षु का अग्रभाग,

(५) इक्षु की शाखाएं,

(६) इक्षु के गोल टुकड़े,

(७) सेकी हुई मूंगफलियाँ तथा उबली हुई सरगवा की
फलियाँ जिनके ग्रहण करने पर खाने लायक अल्प और फेंकने
लायक अधिक प्रतीत हो—

ऐसे इक्षु की दो पेलियों के मध्य भागों को—यावत्—
उबली हुई सरगवा की फलियों को अप्रासुक जानकर—यावत्—
ग्रहण न करे ।

अग्रपिंड के ग्रहण का निषेध—

६७७. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में
प्रवेश करते हुए यह जाने कि—

(१) अग्रपिंड निकाला जा रहा है ।

(२) अग्रपिंड अन्य स्थान पर रखा जा रहा है ।

(३) अग्रपिंड अन्यत्र ले जाया जा रहा है ।

(४) अग्रपिंड वाँटा जा रहा है ।

(५) अग्रपिंड खाया जा रहा है ।

१ बहु-अट्टियपुगलं, अणिमिसं वा बहु-कंटयं । अत्थियं त्तिदुयं बिल्लं, उच्छुखंडं च सिबलि ॥
अप्पे सिया भोयणजाए, बहु-उज्झिय-धम्मिए । दैंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १०४-१०५.

६. अर्गापिटं परिवृविज्जमाणं पेहाए ।

पुरा असिणाइ वा, अवहराइ वा, पुरा जत्थण्णे समण-जाव-
वणीमगा खद्धं खद्धं उवसंकरमंति-से हंता अहमवि खद्धं खद्धं
उवसंकरमामि, माइट्टाणं संकामे, णो एवं करेज्जा—

—आ. सु. २, अ. १, उ. ४, सु. ३५२

णिच्चदाण-पिण्ड-गहण-णिसेहो—

६७८. से भिक्षू वा भिक्षुणी वा गाहावइकुलं पिठवाय-पडियाए
पविसिउकामे सेज्जाइं पुण कुलाइं जाणेज्जा-इमेसु खलु
कुलेसु ।

१. णित्तिए अर्गापिडे दिज्जइ ।^१

२. णित्तिए पिटे दिज्जइ ।

३. णित्तिए अवद्ध भागे दिज्जइ ।

४. णित्तिए भाए दिज्जइ ।

५. णित्तिए उवद्धभाए दिज्जइ ।

तहूप्पगाराइं कुलाइं नित्तियाइं नित्तिउमाणाइं नो भत्ताए वा,
पाणाए वा णिक्खमेज्ज वा, पविसिज्ज वा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० १, सु० ३३३

णिच्च दाण पिडाइ भुंजमाणस्स पायच्छित्तमुत्ताइं—

६७९. जे भिक्षू नित्तियं अर्गापिटं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नित्तियं पिटं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नित्तियं अवद्ध-भागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नित्तियं भागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू नित्तियं उवद्धभागं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।^२

तं सेवमाणे आचज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ३२-३६

(६) अर्गापिड इधर डाला जा रहा है, या फेंका जा रहा है ।

तथा श्रमण आदि अर्गापिड ग्राहक चले गये हैं या लेकर चले
गये हैं, अथवा जहाँ अन्य श्रमण—यावत्—भिक्षुक जल्दी जल्दी
जा रहे हैं अतः मैं भी जाऊँ (और अर्गापिड प्राप्त करूँ) ऐसा
विचार करे तो वह माया का सेवन करता है इसलिए ऐसा
न करे ।

नित्य दान में दिये जाने वाले घरों से आहार लेने का
निषेध—

६७८. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में
प्रवेश करना चाहे तो इन कुलों को जाने—

(१) जिनमें नित्य अर्गापिड दिया जाता है ।

(२) जिनमें नित्य पिड दिया जाता है ।

(३) जिनमें नित्य आधा भाग दिया जाता है ।

(४) जिनमें नित्य तीसरा चौथा भाग दिया जाता है ।

(५) जिनमें नित्य छठा-आठवाँ भाग दिया जाता है ।

नित्य दान दिये जाने वाले और श्रमण आदि जहाँ निरन्तर
प्रवेश करते रहते हैं—ऐसे कुलों में भिक्षु भात-पानी के लिए
निष्क्रमण प्रवेश न करे ।

नित्यदान पिडादि खाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६७९. जो भिक्षु नित्य अर्गापिड भोगता है, भोगवाता है, भोगने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नित्य पिड भोगता है, भोगवाता है, भोगने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नित्य पिड का आधा भाग भोगता है, भोगवाता
है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नित्य पिड का तीसरा चौथा भाग भोगता है,
भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नित्य पिड वा छठा, आठवाँ भाग भोगता है,
भोगवाता है, भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

१ किसी एक घर से नित्य आमंत्रित भिक्षा लेना तीसरा अनाचार है । देखिए—दस. अ. ३, गा. २ की चूर्णी व टीका तथा अ.
६, गा. ४८ तथा नि. भाष्य गा. ६६६ । अनेक स्थलों के उद्धरण सहित संग्रह के लिए देखें मुनि नथमलजी संपादित दशवै. अ.
३ का टिप्पण ।

२ पिटो मनु भत्तट्टो, अवद्ध पिटो उ तस्स जं अद्धं । भागो तिभागमादी, तस्सद्धमुवद्धभागो य । —नि. भाष्य. गा. १००९
उम गाथा में ४ सूत्रों के अर्थ का संग्रह क्रम से हुआ है । तथा नित्य अर्गापिड सूत्र की व्याख्या इसके पूर्व हुई है । तद-
नुसार आचारांग व निशीथ सूत्र के इन सूत्रों का क्रम व्यवस्थित किया गया है ।

आरण्यगाईर्णं आहारग्रहण-पायश्चित्त सुत्ताइं—

६८०. जे भिक्खू आरण्यगाणं वणंधाणं अडविजत्ता संपट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आरण्यगाणं वणंधाणं अडविजत्ताओ पडिणियत्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १६, सु. १२-१३

णिवेयणापिंड-भुंजमाणस्स पायश्चित्तसुत्तं—

६८१. जे भिक्खू निवेयणापिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ८१

अच्चुसिणं-आहार-ग्रहणस्स पायश्चित्त सुत्तं—

६८२. जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा उसिणुसिणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।
—नि. उ. १७, सु. १३१

रायपिंडग्रहणस्स भुंजणस्स य पायश्चित्त सुत्ताइं—

६८३. जे भिक्खू रायपिंडं गेण्हइ, गेण्हंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रायपिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ६, सु. १-२

अंतैउर पवेसणस्स भिक्खाग्रहणस्स य पायश्चित्तसुत्ताइं—

६८४. जे भिक्खू रायतेपुरं पविसइ, पविसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रायतेपुरियं वएज्जा—

“आउसो रायतेपुरिए ! णो खलु अम्हं कप्पइ रायतेपुरे णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ।

इमण्हं तुमं पडिग्गाहं गहाय रायतेपुराओ असणं वा-जाव-साइमं वा अभिहंडं आहट्टु दलयाहि”

जो तं एवं वयइ, वयंतं वा साइज्जइ ।

आरण्यकादिकों का आहारादि ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६८०. जो भिक्षु अरण्य में जाने वालों का, वन में जाने वालों का, अटवी की यात्रा में प्रस्थान करने वालों का अशन—यावत्—स्वादिस पदार्थ लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अरण्य से, वन से या अटवी की यात्रा से लौटने वालों का अशन—यावत्—स्वादिस पदार्थ लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

नैवेद्यपिंड भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८१. जो भिक्षु नैवेद्य का आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अत्युष्ण आहार लेने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८२. जो भिक्षु गर्मागम अशन—यावत्—स्वाद्य पदार्थ लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

राजपिण्ड ग्रहण करने और भोगने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६८३. जो भिक्षु राजपिंड को ग्रहण करता है, करवाता है; करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु राजपिंड का उपभोग करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अन्तःपुर में प्रवेश व भिक्षा ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र—

६८४. जो भिक्षु राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु राजा के अन्तःपुर की दासी को ऐसा कहे—

“हे आयुष्मति ! राजान्तःपुर रक्षिके ! हम साधुओं को राजा के अन्तःपुर में निष्क्रमण या प्रवेश करना नहीं कल्पता है, तुम इस पात्र को ग्रहण कर राजा के अन्तःपुर से अशन—यावत्—स्वाद्य लाकर मुझे दो ।”

जो उससे इस प्रकार कहता है, कहलवाता है, कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

भिक्षुं च णं रायंतेपुरिया वएज्जा—

“आउसंतो समणा ! णो खलु तुज्झं कप्पइ रायंतेपुरं णिक्ख-
मित्तए वा, पविसित्तए वा ।

आहरेयं पटिग्गहं जाए अहं रायंतेउराओ वसणं वा-जाव-
साइमं वा अभिहंटां आहट्टु दत्तयामि”—

जो तं एवं वयंतो पटिमुणेइ, पटिमुणंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुग्घाइयं । — नि. उ. ६, सु. ३-५

मुद्धानिसित्तरायाणं विविहोपिडगहणस्स पायच्छित्त-
सुत्ताइं—

६८५. जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धानिसित्ताणं ।

१. दुवारियमत्तं वा,

२. पशु-मत्तं वा,

३. भयग-मत्तं वा,

४. बल-मत्तं वा,

५. कयग-मत्तं वा,

६. हय-मत्तं वा,

७. गय मत्तं वा,

८. कंतार-मत्तं वा,

९. दुम्भिकख-मत्तं वा,

१०. दमग-मत्तं वा,

११. गिन्नाण-मत्तं वा,

१२. बहन्निया-मत्तं वा,

१३. पाहण-मत्तं वा, पटिग्गाहेइ पटिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुग्घाइयं । — नि. उ. ६, सु. ६

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धानिसित्ताणं ।

१. उस्सट्ट-पिटं वा, २. संसट्ट-पिटं वा, ३. अणाह
पिटं वा, ४. किविण-पिटं वा,

५. वणिमग-पिटं वा पटिग्गाहेइ, पटिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
— नि. उ. ८, सु. १८

मुद्धानिसित्तं रायाणं छ दोसायतणाइं अजाणिय भिक्ष्वा-
गमण-पायच्छित्त सुत्तं—

६८६. जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धानिसित्ताणं इमाइं
छट्ठोसायणाइं अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय परं चउराय-

यदि भिक्षु को अन्तःपुर की दासी ऐसा कहे—

“हे आयुष्मन् श्रमण ! तुम्हें राजा के अन्तःपुर में निष्क्रमण
या प्रवेश करना नहीं कल्पता है ।

अतः यह पात्र मुझे दो जिससे मैं अन्तःपुर से अणन-यावत्-
स्वाद्य तुम्हें लाकर दूं ।”

जो उसके इस प्रकार के कथन को स्वीकार करता है, कर-
वाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मूर्धाभिषिक्त राजा के अनेक प्रकार के आहार ग्रहण का
प्रायश्चित्त सूत्र—

६८५. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के—

(१) द्वारपालक के निमित्त किया हुआ भोजन,

(२) पशुओं के निमित्त किया हुआ भोजन,

(३) नौकरों के निमित्त किया हुआ भोजन,

(४) सैनिकों के निमित्त किया हुआ भोजन,

(५) काम करने वालों के निमित्त किया हुआ भोजन,

(६) धोड़ों के निमित्त किया हुआ भोजन,

(७) हाथियों के निमित्त किया हुआ भोजन,

(८) अटर्धी के यात्रियों के निमित्त किया हुआ भोजन,

(९) दुम्भिक में देने के लिए किया हुआ भोजन,

(१०) दीन जनों के लिए देने योग्य भोजन,

(११) रोगियों के लिए देने योग्य भोजन,

(१२) वर्षा से पीड़ित जनों को देने योग्य भोजन,

(१३) मेहमानों के लिए बनाया हुआ भोजन, लेता है,
निवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का—

(१) त्यक्त भोजन, (२) वचा हुआ भोजन, (३) अनाथों के
निमित्त निकाला हुआ भोजन, (४) गरीबों के लिए निकाला
हुआ भोजन, (५) भिक्षारियों के लिए निकाला हुआ भोजन
लेता है, निवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मूर्धाभिषिक्त राजा के छः दोषायतन जाने विना गोचरी
जाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८६. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त राजा के छः दोषायतनों
को जाने विना, पूछे विना, गवेपणा किये विना चार पाँच रात

पंचरायाओ गहावइकुलं पिंडवाय-पडिघाए णिकखमइ वा,
पविसइ वा, णिकखमंतं वा, पविसंतं वा साइज्जइ । तं
जहा—

१. कोट्टागार-सालाणि वा, २. भंडागार-सालाणि वा,
३. पाण-सालाणि वा, ४. खीर-सालाणि वा,
५. गंज-सालाणि वा, ६. महाणस-सालाणि वा ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. ७

मुद्धाभिसित्तरायाणं जत्तागयाणं आहार-ग्रहणस्स
पायच्छित्त सुत्ताइं—

६८७. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं वहिया
जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ,
पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं वहिया
जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ,
पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं ण-
जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडि-
ग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं ण-
जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ,
पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-
जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडि-
ग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरि-
जत्ता-पट्टियाणं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ,
पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ६, सु. १२-१७

मुद्धाभिसित्तरायाणं णीहड-आहार-ग्रहणस्स पायच्छित्त-
सुत्ताइं—

६८८. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं
वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा
साइज्जइ । तं जहा—

१. खत्तियाण वा, २. राईण वा, ३. कुराईण वा,
४. राय-वंसट्टियाण वा, ५. राय-पेसियाण वा ।

के बाद भी गथापति कुल में आहार के लिए प्रवेश करता है या
निकलता है, प्रवेश करवाता है या निकलवाता है, प्रवेश करने
वाले का या निकलने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

(१) कोष्ठागारशाला, (२) भाण्डागारशाला,
(३) पानशाला, (४) क्षीर शाला,
(५) गंजशाला, (६) महानसशाला (रसोई)

उसे चातुर्मासिक अनुदधातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

यात्रागत राजा का आहार ग्रहण करने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

६८७. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा यात्रा के
लिए बाहर जा रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्—
स्वाद्य आहार ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा यात्रा से
लौट कर आ रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्—स्वाद्य
लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नदी यात्रा
के लिए जा रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्—स्वाद्य
ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नदी यात्रा
से लौटकर आ रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्—
स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा पर्वत यात्रा
के लिए जा रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्—स्वाद्य
ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा पर्वत यात्रा
से लौटकर आ रहे हों उस समय उनका अशन—यावत्—
स्वाद्य ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदधातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मूर्धाभिषिक्त राजा के निकाले हुए आहार लेने के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

६८८. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों
को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अशन—यावत्—स्वाद्य
लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

(१) क्षत्रियों को, (२) राजाओं को, (३) कुराजाओं को,
(४) राजा के सम्बन्धियों को, (५) राजा के भृत्यों को,

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

- | | |
|-----------------|---------------------|
| १. णडाण वा, | २. णट्टाण वा, |
| ३. कच्छुयाण वा, | ४. जल्लाण वा, |
| ५. मल्लाण वा, | ६. मुद्दियाण वा, |
| ७. वेलंबगाण वा, | ८. कहगाण वा, |
| ९. पवगाण वा, | |
| १०. लासगाण वा, | |
| ११. खेलयाण वा, | १२. छत्ताणुयाण वा । |

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

- | | |
|------------------------|------------------------|
| १. आस-पोसयाण वा, | २. हत्थि-पोसयाण वा, |
| ३. महिस-पोसयाण वा, | ४. वसह-पोसयाण वा, |
| ५. सीह-पोसयाण वा, | ६. वग्घ-पोसयाण वा, |
| ७. अय-पोसवाण वा, | ८. पोय-पोसवाण वा, |
| ९. मिग-पोसयाण वा, | १०. सुणह-पोसयाण वा, |
| ११. सुयर-पोसयाण वा, | १२. मेंढ-पोसयाण वा, |
| १३. कुक्कुड-पोसयाण वा, | १४. तित्तिर-पोसयाण वा, |
| १५. वट्टय-पोसयाण वा, | १६. लावय-पोसयाण वा, |
| १७. चीरल्ल-पोसयाण वा, | १८. हंस-पोसयाण वा, |
| १९. मयूर-पोसयाण वा, | २०. सुय-पोसयाण वा । |

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

१. आस-दमगाण वा,
२. हत्थि-दमगाण वा ।

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

१. आसरोहाण वा,
२. हत्थि-रोहाण वा ।

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

१. आस-मिठाण वा,
२. हत्थि-मिठाण वा ।

जे भिक्षू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का अशन — यावत्—स्वाद्य जो दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला है उसे लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

- | | |
|---|--------------------------|
| (१) नाटक करने वालों को, | (२) नृत्य करने वालों को, |
| (३) डोरी पर नृत्य करने वालों को, | (४) स्तोत्र पाठकों को |
| (५) मल्लों को, | (६) मुठिकों को, |
| (७) भांड-चेष्टा करने वालों को, | (८) कथा करने वालों को, |
| (९) नदी आदि में तैरने वालों को. | |
| (१०) जयजयकार बोलने वालों को, | |
| (११) खेल करने वालों को और (१२) छत्र लेने वालों को । | |

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (१) अश्व पोषक, | (२) हस्ति पोषक, |
| (३) महिष पोषक, | (४) ऋपभ पोषक, |
| (५) सिंह पोषक, | (६) व्याघ्र पोषक, |
| (७) अजा पोषक, | (८) कपोत पोषक, |
| (९) मृग पोषक, | (१०) श्वान पोषक, |
| (११) सूकर पोषक, | (१२) मिढा पोषक, |
| (१३) कुक्कुट पोषक, | (१४) तीतर पोषक, |
| (१५) वतक पोषक, | (१६) लावक पोषक |
| (१७) चील पोषक, | (१८) हंस पोषक, |
| (१९) मयूर पोषक और | (२०) शुक पोषक । |

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

- (१) घोड़े का दमन करने वाले को,
- (२) हाथी का दमन करने वाले को ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का जो दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

- (१) घोड़े पर चढ़ने वालों को,
- (२) हाथी पर चढ़ने वालों को,

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

- (१) अश्वरक्षकों को,
- (२) गजूरक्षकों को ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को

वा-जाव-साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

- | | |
|----------------------|---------------------|
| १. सत्थवाहाण वा, | २. संवाहावयाण वा, |
| २. अन्नंगवयाण वा, | ४. उव्वट्टावयाण वा, |
| ५. मज्जावयाण वा, | ६. मंडावयाण वा, |
| ७. छत्तगहाण वा, | ८. चामरगहाणं वा, |
| ९. हडप्प-गहाण वा, | |
| १०. परियट्ट-गहाण वा, | |
| ११. दोविय-गहाणं वा, | |
| १२. असि-गहाण वा, | |
| १३. धणु-गहाण वा, | |
| १४. सत्ति-गहाण वा, | |
| १५. कौत-गहाण वा । | |

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्दाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

१. वरिस-धराण वा,
२. कंचुइज्जाण वा,
३. दोवारियाण वा;
४. दंडारक्खियाण वा ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्दाभिसित्ताणं असणं वा-जाव-साइमं वा परस्स णोहडं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ । तं जहा—

१. खुज्जाण वा,
२. चिलाइयाण वा,
३. वामणीण वा,
४. पडभीण वा,
५. बव्वरीण वा,
६. बजसीण वा,
७. जोणियाण वा,
८. पल्हवियाण वा,
९. ईसणीण वा,
१०. धोरुगिणीण वा,
११. लउसीण वा,
१२. लासीण वा,
१३. सिंहलीणं वा,
१४. दमलीण वा,
१५. आरबीण वा,
१६. पुल्लिदीण वा,
१७. पक्कणीण वा,
१८. बहलीण वा,

देने के लिए बाहर निकाला हुआ अग्न—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| १. संदेशवाहक को | २. मर्दन करने वालों को, |
| ३. मालिश करने वालों को | ४. उवटन करने वालों को, |
| ५. स्नान कराने वालों को, | ६. मुकुट पहनाने वालों को, |
| ७. छत्र ग्रहण करने वालों को, | ८. चामर ग्रहण करने वालों को |
| ९. आभरण पहनाने वालों को, | |
| १०. वस्त्र पहनाने वालों को, | |
| ११. दीपक ग्रहण करने वालों को, | |
| १२. तलवार ग्रहण करने वालों को, | |
| १३. धनुष ग्रहण करने वालों को, | |
| १४. त्रिशूल ग्रहण करने वालों को, | |
| १५. भाला ग्रहण करने वालों को । | |

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अग्न—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

१. अंतःपुर रक्षक (कृत नपुंसक) को,
२. कंचुकियों (जन्म से नपुंसक को)
३. अंतःपुर के द्वारपाल को और,
४. दण्डरक्षकों (अंतःपुर का प्रहरी) को ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का दूसरों को देने के लिए बाहर निकाला हुआ अग्न—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है । यथा—

१. कुब्जा दासियों को,
२. किरात देशोत्पन्न दासियों को,
३. वामन दासियों को,
४. वक्र शरीर वाली दासियों को,
५. वव्वर देशोत्पन्न दासियों को,
६. वकुस देशोत्पन्न दासियों को,
७. यवन देशोत्पन्न दासियों को,
८. पल्हव देशोत्पन्न दासियों को,
९. इसीनिका देशोत्पन्न दासियों को,
१०. थोरूप देशोत्पन्न दासियों को,
११. लकुश देशोत्पन्न दासियों को,
१२. लाट देशोत्पन्न दासियों को,
१३. सिंहल देशोत्पन्न दासियों को,
१४. द्रविड़ देशोत्पन्न दासियों को,
१५. अरब देशोत्पन्न दासियों को,
१६. पुलिन्द देशोत्पन्न दासियों को,
१७. पक्कण देशोत्पन्न दासियों को,
१८. बहल देशोत्पन्न दासियों को,

१९. मरुंडीण वा,
२०. सबरीण वा,
२१. पारसीण वा ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं
अणुग्घाइयं ।

विविध ठाणे रायपिंड गहणस्स पायच्छित्तसुत्ताइ—

६८६. जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं-मुद्दियाणं-मुद्दाभिसित्ताणं समवा-
एसु वा पिंडनियरेसु वा—

१. इंद-महेसु वा, २. खंद-महेसु वा, ३. रुद-महेसु वा
४. मुकुंद-महेसु वा, ५. भूत-महेसु वा, ६. जख-महेसु वा,
७. णाग-महेसु वा, ८. थूम-महेसु वा, ९. च्चैअ-महेसु वा,
१०. रुक्ख-महेसु वा, ११. गिरि-महेसु वा, १२. दरि-महेसु वा
१३. अगड-महेसु वा, १४. तडाग-महेसु वा, १५. दह-महेसु वा
१६. णइ-महेसु वा, १७. सर-महेसु वा, १८. सागर-महेसु वा,
१९. आगर-महेसु वा, अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु विरुवह्वेसु
महामहेसु असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्दाभिसित्ताणं उत्तर-
सालंसि वा, उत्तर-गिहंसि वा, रीयमाणणं असणं वा-जाव-
साइमं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो-खत्तियाणं-मुद्दियाणं-मुद्दाभिसित्ताणं

१. हय-सालगयाण वा, २. गय-सालगयाण वा,
३. भंत-सालगयाण वा, ४. गुज्ज-सालगयाण वा,
५. रहस्स-सालगयाण वा, ६. मेह्ण-सालगयाण वा,
असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू रण्णो-खत्तियाणं-मुद्दियाणं-मुद्दाभिसित्ताणं संनिहि
संनिचयाओ खीरं वा-जाव-मच्छंडियं वा अण्णयरं वा
भोयणजायं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ८, सु. १४ से १७

१९. मुरुंड देशोत्पन्न दासियों को,
२०. शबर देशोत्पन्न दासियों को,
२१. पारस देशोत्पन्न दासियों को ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

विविध स्थानों में राजपिंड लेने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६८६. जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के मेले
आदि में पितृ पिंड-निमित्तक भोजन में, यथा—

- | | | |
|-------------|------------|------------|
| १. इन्द्र, | २. स्कन्द, | ३. रुद्र, |
| ४. मुकुन्द, | ५. भूत, | ६. यक्ष, |
| ७. नाग, | ८. स्तूप, | ९. चैत्य, |
| १०. वृक्ष, | ११. पर्वत, | १२. कंदरा, |
| १३. कूप, | १४. तालाव, | १५. द्रह, |
| १६. नदी, | १७. सर, | १८. सागर, |

१९. आगर, महोत्सव में तथा, अन्य भी ऐसे अनेक प्रकार के
महोत्सवों में से अशन-यावत्-स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा उत्तरशाला
में या उत्तरघर में हों वहाँ बने हुए अशन-यावत्-स्वाद्य को
लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा का

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| १. अश्वशाला, | २. गजशाला, |
| ३. मंत्रणाशाला, | ४. गुप्तशाला, |
| ५. रहस्यशाला, | ६. मैथुनशाला, में गये हुए |

राजा का अशन-यावत्-स्वाद्य लेता है, लिवाता है, लेने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्धवंशीय मूर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा के संग्रह स्थान
से दूध-यावत्-मिथ्री या अन्य भी ऐसे कोई खाद्य पदार्थ को
लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

प्रकीर्णक-दोष—८

उद्देशियाइ आहार ग्रहणस्स विहि णिसेहो—

६६० से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स-पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारंभं समुद्दिस्स कीतं पामिच्चं अच्छेज्जं अणिसट्ठं अभिहडं आहट्ठु चेतैति ।^१

तं तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा,
पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा,
बहिया णीहडं वा, अणीहडं वा,
अत्तट्ठियं वा, अणत्तट्ठियं वा,
परिभुत्तं वा, अपरिभुत्तं वा,
आसेवितं वा, अणासेवितं वा,
अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।^२

एवं बहवे साहम्मिया, एगं साहम्मिणिं, बहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स चत्तारि आलावगा भाणियन्वा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३३१

से भिक्खू वा, भिक्खूणी या गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा बहवे समणं माहण-अत्तिहि-किवण वणीमए^३ पगणिय पगणिय समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारंभ-जाव-आसेवियं वा अणासेवियं वा अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

औद्देशिकादि आहार ग्रहण करने के विधि निषेध—

६६०. गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—अशन—यावत्—स्वादिम दाता ने अपने लिये नहीं बनाया किन्तु एक साधमिक साधु के लिए प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके साधु के निमित्त से आहार बनाया है, मोल लिया है, उधार लिया है, किसी से जवरन छीनकर लाया गया है, उसके स्वामी की अनुमति के बिना लाया हुआ है तथा अन्य स्थान से लाया हुआ है ।

इसी प्रकार का अशन—यावत्—स्वादिम, अन्य पुरुष को दिया हो, या नहीं दिया हो, बाहर निकाला हो, या न निकाला हो, स्वीकार किया हो, या न किया हो, खाया हो, या न खाया हो, आसेवन किया हो, या न किया हो,

उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

इसी प्रकार अनेक साधमिक साधु, एक साधमिक साध्वी और अनेक साधमिक साध्वियों के लिए इस प्रकार कुल चार आलापक का कथन कर लेना चाहिये ।

वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करने पर यह जाने कि—यह अशन—यावत्—स्वाद्य बहुत से श्रमणों, ब्राह्मणों, अतिथियों, दरिद्रियों, भिखारियों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्वों का समारम्भ करके बनाया हुआ है—यावत्—वह आसेवन किया गया हो, या न किया गया हो तो उस आहार को अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

- १ (क) उद्देशियं कीयगडं, पामिच्चं चैव आहडं । पूर्ति अणेसणिज्जं च, तं विज्जं परिजाणिया । —सूय. सु. १, अ. ६, गा. १४
(ख) से जहाणामए अज्जो ! मए समणाणं निगंथाणं आधाकम्मिएइ वा, उद्देशिएइ वा, मीसज्जाए वा, अज्झोयरइ वा, पूइए, कीए, पामिच्चे, अच्छेज्जे, अणिसिट्ठे, अभिहडे वा, —ठाणं. अ. ६, सु. ६६३
(ग) नो खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निगंथाणं आहाकम्मिए इ वा, उद्देशिए इ वा, मिस्सजाए इ वा, अज्झोयरए इ वा, पूइए इ वा, कीए इ वा, पामिच्चे इ वा, अच्छेज्जे इ वा, अणिसिट्ठे इ वा, अभिहडे इ वा, कंतारभत्ते इ वा, दुब्भिक्खभत्ते इ वा, गिलाणभत्ते इ वा, बहलिया भत्ते इ वा, पाहुणगभत्ते इ वा, सेज्जायरपिडे^१ इ वा, राय्यपिडे^२ इ वा, मूलभोयणे^३ इ वा, कंदभोयणे^४ इ वा, फलभोयणे^५ इ वा, वीथभोयणे^६ इ वा, हरियभोयणे^७ इ वा, भुतए वा पायए वा । —वि. स. ६, उ. ३३, सु. ४३
(घ) उद्देशियं कीयगडं नियागं अभिहडाणि य । ॥ —दस. अ. ३, गा. २
(ङ) दस. अ. ५, उ. १, गा ७० (च) दस. अ. ६, गा. ४८-४९ (छ) दस. अ. ८, गा. २३
(ज) दस. अ. १०, गा. १६ (झ) दसा. द. २, सु. २ ।
- २ उपरोक्त दशयि गये दोषादि आवश्यक सूत्र में भी हैं, जो आवश्यक में भी लिए हैं । —आ. अ. ४, सु. १८
३ दस. अ. ५, उ. १, गा. ६८-६९ ४ दस. अ. ५, उ. १, गा. ६६-६७ ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए समुद्धिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं-जाव-आहट्टु चेतैति तं तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अपुरिसंतरकडं, अवहिया णीहडं, अणत्तद्वियं, अपरिभुत्तं, अणासेवितं, अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडं, वहिया णीहडं, अत्तद्वियं, परिभुत्तं, आसेवितं, फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० १, सु० ३३२

णिमंतणानंतर दोस जुत्त आहाराइ गहण णिसेहो—

६६१. से भिक्खू परक्कमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयट्ठेज्ज वा, सुसाणंसि वा, सुण्णागारंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, गिरिगुहंसि वा, कुंभारायतणंसि वा, हुरत्या वा, कंहिचि विहरमाणं तं भिक्खुं उवसंकमित्तु गाहावती वूया— “आउसंतो समणा ! अहं खलु तव अट्टाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्थं वा, पडिगहं वा, कंवलं वा. पायपुंछणं वा, पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारम्भ समुद्धिस्स, कीयं, पामिच्चं, अच्चेज्जं, अणिसिट्ठं, अभिहडं, आहट्टु चेतैमि आवसहं वा समुत्तिणामि, से भुंजह, वसह आउसंतो समणा ।”

भिक्खू तं गाहावती समणसं सवयसं पडियाइक्खे—

“आउसंतो गाहावती ! णो खलु ते वयणं आढामि, णो खलु ते वयणं परिजाणामि, जो तुमं मम अट्टाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्थं वा-जाव-पायपुंछणं वा पाणाइं वा-जाव-सत्ताइं वा समारंभ-जाव-अभिहडं आहट्टु चेतैमि आवसहं वा समुत्तिणामि, से विरतो आउसो गाहावती ! एतस्स अकरणयाए ।”

से भिक्खू परक्कमेज्ज वा-जाव-तुयट्ठेज्ज वा, सुसाणंसि वा-जाव-हुरत्या वा कंहिचि विहरमाणं, तं भिक्खुं उवसंकमित्तु गाहावती आयगयाए पेहाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्थं वा-जाव-पायपुंछणं वा पाणाइं वा-जाव-सत्ताइं वा, समारंभ-जाव-अभिहडं आहट्टु चेतैमि आवसहं वा समुत्तिणामि तं भिक्खुं परिघासेत्तुं ।

भिक्खु या भिक्खुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट होने पर यह जाने कि—यह अशन—यावत्—स्वादिम आहार बहुत से श्रमणों, माहनों, अतिथियों, दरिद्रियों और याचकों के उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके—यावत्—अन्य स्थान से लाया गया है, इस प्रकार के (दोषयुक्त) अशन—यावत्—स्वादिम जो अन्य पुरुष को नहीं दिया गया है, बाहर नहीं निकाला गया है, स्वीकृत नहीं किया गया है, उपभुक्त न हो, अनासेवित हो, उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

यदि वह इस प्रकार जाने कि—यह आहार अन्य पुरुष को दे दिया गया है, बाहर निकाला गया है, दाता द्वारा स्वीकृत हो, उपभुक्त हो तथा आसेवित हो तो ऐसे आहार को प्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण कर ले ।

निर्मंत्रण करने पर भी दोषयुक्त आहारादि लेने का निषेध—

६६१. (सावद्य कार्यों से निवृत्त) भिक्षु श्मशान में, सूने मकान में, वृक्ष के नीचे, पर्वत की गुफा में, कुम्भकारशाला आदि में कहीं रह रहा हो, खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हुआ हो उस समय कोई गृहपति उस भिक्षु के पास आकर कहे—

“आयुष्मन् श्रमण ! मैं आपके लिए अशन—यावत्—स्वाद्य वस्त्र, पात्र, कम्बल, या पादप्रोच्छन प्राणियों—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बना रहा हूँ या खरीद कर, उधार लेकर, किसी से छीनकर, दूसरे की वस्तु को उसकी विना अनुमति से लाकर या घर से लाकर आपको देता हूँ अथवा आपके लिए उपाश्रय बनवा देता हूँ । हे आयुष्मन् श्रमण ! आप उस अशनादि का उपभोग करो और उपाश्रय में रहो ।”

भिक्खु उस सुमनस् (भद्र हृदय) एवं सुवयस् (भद्र वचन वाले) गृहपति को कहे—

“हे आयुष्मन् गृहपति ! मैं तुम्हारे इस वचन को आदर नहीं देता, न ही तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ । जो तुम मेरे लिए अशन—यावत्—स्वादिम, वस्त्र—यावत्—पादप्रोच्छन, प्राणियों—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके—यावत्—अपने घर से यहाँ लाकर मुझे देना चाहते हो, मेरे लिए उपाश्रय बनवाना चाहते हो । हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं विरत हो चुका हूँ । यह अकरणीय होने से (मैं स्वीकार नहीं कर सकता) ।”

भिक्खु कहीं रह रहा हो—यावत्—लेटा हुआ हो, श्मशान में—यावत्—अन्य कहीं भी रहे हुए उस भिक्षु के पास आकर कोई गृहपति अपने आत्मगत भावों को प्रकट किए बिना अशन—यावत्—स्वाद्य, वस्त्र—यावत्—पादप्रोच्छन, प्राणियों—यावत्—सत्त्वों के समारम्भपूर्वक—यावत्—अपने घर से लाकर देता है तथा उस भिक्षु के रहने के लिए उपाश्रय का निर्माण या जीर्णोद्धार कराता है ।

तं च भिक्षु जाणेज्जा सहसम्भुतियाए परवागरणेणं अण्णेत्ति वा सोच्चा अयं खलु गाहावती मम अट्टाए असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्थं वा-जाव-पायपुंछणं वा, पाणाइं वा-जाव-सत्ताइं वा, समारंभ-जाव-अभिहडं आहट्टु चेतैति, आवसहं वा समुत्तिणाति ।

तं च भिक्षु पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए ।
—आ. सु. १, अ. ८, उ. २, सु. २०४-२०५

सावज्ज-संजुत्त-आहार-ग्रहणस्स णिसेहो—

६६२. जं पि य उद्विद्ध-ठविय-रचियाण-पज्जवजातं, पकिण्णं-पाउ-करणं पामिच्चं, सीसकजायं, कीयकड-पाहुडं च, दाणट्टु-पुन्नट्टु-पगडं, समण-वणिमगट्टयाए वा कयं, पच्छाकम्मं^१, पुरेकम्मं, नितिकम्मं, भक्खियं, अतिरित्तं मोहरं चैव सयग्गा-हमाहडं, भट्टिउवलित्तं, अच्छेज्जं चैव अणिसिट्टं, जं तं तिहीसु जन्नेसु उसवेसु य अंतो वा बहिं वा होज्ज समणट्टयाए ठवियं, हिंसा-सावज्जसंपउत्तं न कप्पति संपिय परिघेत्तुं ।

—पण्ह. सु. २, अ ५, सु. ५

जे नियगं ममायंति, कीयमुद्देसियाहडं ।

वहं ते समणुजाणंति, इइ वुत्तं महेसिणा ॥

—दस. अ. ६, गा. ४८

आहारासत्ति णिसेहो—

६६३. न य भोयणम्मि गिट्ठो, चरे उंछं अयंपिरो ।

अफासुयं न भुंजेज्जा, कीयमुद्देसियाहडं ॥

—उत्त. अ. ८, गा. २३

(साधु के लिए किए गए) उस आरम्भ को वह भिक्षु अपनी सद्वृद्धि से, जानी या परिजनादि से मुनकर यह जान जाए कि यह गृहपति मेरे लिए अन्न—यावत्—स्वाद्य, वस्त्र—यावत्—पादप्रोच्छन, प्राणियों—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके देता है—यावत्—सामने लाकर देता है तथा उपाश्रय व्रतवाता है ।

भिक्षु उसकी सम्यक् प्रकार से पर्यालोचना करके, आगम में कथित आज्ञा को ध्यान में रखकर गृहस्थ से कहे कि “ये सब पदार्थ मेरे लिए सेवन करने योग्य नहीं हैं ।”

सावद्य संयुक्त आहार ग्रहण करने का निषेध—

६६२. इसके अतिरिक्त जो आहार साधु के निमित्त बनाया हो, अलग रखा हो, पुनः अग्नि से संस्कारित किया हो, खाद्य पदार्थों को संयुक्त किया हो, साफ किया हो, पीसना आदि किया हो, मार्ग में विलेखित हुए लाया हो, दीपक जलाया हो, उधार लाया हो, गृहस्थ और साधु के उद्देश्य से बनाया हो, खरीदा गया हो, समय परिवर्तन कर बनाया हो, जो दान के लिए या पुण्य के लिए बनाया गया हो, श्रमणों अथवा मित्रारियों को देने के लिए तैयार किया गया हो, जो पश्चात्कर्म अथवा पुरःकर्म दोष से दूषित हो, जो नित्यकर्म दूषित हो, (निमंत्रण पूर्वक सदा एक स्थान से लिया गया हो) जो जल से गीले हाथ आदि से दिया गया हो, मर्यादा से अधिक हो, पूर्व पश्चात् संस्तव दोष युक्त हो, स्वयं (साधु) को ग्रहण करना पड़ता हो, संमुच लाया गया हो, मिट्टी आदि से बन्द किये वर्तन का मुख खोलकर दिया हो, छीन कर दिया गया हो, स्वामी की आज्ञा बिना दिया हो अथवा जो आहार विशिष्ट तिथियों यज्ञों और महोत्सवों के लिए बना हो, घर के भीतर या बाहर साधुओं को देने की भावना से या इन्त-जार के लिए रखा हो, जो हिंसा रूप सावद्य कर्म से युक्त हो, ऐसा भी आहार साधु को लेना नहीं कल्पता है ।

जो साधु-साध्वी नित्य आदरपूर्वक निमंत्रित कर दिया जाने वाला, साधु के निमित्त खरीदा हुआ, साधु के निमित्त बनाया हुआ, निर्ग्रन्थ के निमित्त दूर से सन्मुख लाया हुआ आहार ग्रहण करते हैं, वे प्राणियों के वध का अनुमोदन करते हैं ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।

आहार की आसक्ति करने का निषेध—

६६३. भिक्षु भोजन में गृह्य न होता हुआ व ज्यादा न बोलता हुआ अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार ले तथा क्रीत, औद्देशिक और अभिहित आदि दोष युक्त अकल्पनीय आहार न खाए ।

१ (क) । दिज्जमाणं न अच्छेज्जा, पच्छाकम्मं जहिं भवे ॥

(ख) दसा. द. २, सु. २ ।

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ५०

सन्निहिकरण-णिसेहो—

६६४. सन्निहिं च न कुव्वेज्जा, अणुमायं पि संजए ।

मुहाजीवी असंबद्धे, हवेज्ज जगनिरिसए ॥

—दस. अ. ८, गा. २४

संखडी वज्जणं आहारगहण-विहाणं—

६६५. आइण्ण ओमाण विवज्जणा य, उत्सन्नदिट्ठाहड भत्तपाणे ।

संसट्ठकप्पेण चरेज्ज भिक्खू, तज्जायसंसट्ठ जई जएज्जा ॥

—दस. चू. २, गा. ६

दोसमुक्क आहार गहण तप्परिणामं च—

६६६. से भिक्खू जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं अत्तिपडि-
याए एणंसाहम्मियं समुट्ठिस्स, पाणाइं, भूयाइं, जीवाइं,
सत्ताइं, समारंभ, समुट्ठिस्स कीतं, पामिच्चं, अच्छेज्जं, अणि-
सट्ठं, अभिहडं आहट्ठु उट्ठेसियचेतियं, सिया, तं णो सयं
भुंजइ, णो अन्नेणं भुंजावेति, अन्नं पि भुंजंतं णं समणुजाणइ,
इति से महता आदाणातो उवसंते उवट्ठिते पट्टिविरते से ।

—सूय, सु. २, अ. १, सु. ६८७

प०—फालुएसणिज्जं णं भंते ! भुंजमाणे समणे निग्गंथे किं
वंधइ ? किं पकरेति ? किं चिणाति ? किं उवचि-
णाति ?

उ०—गोयना ! फालुएसणिज्जं णं भुंजमाणे समणे निग्गंथे
आउयवज्जाओ सत्त कम्मपयडीओ घणियवंधणवट्ठाओ
सिद्धिलवंधणवट्ठाओ पकरेइ,

दीहकालट्ठितीयाओ हस्सकालट्ठितीयाओ पकरेइ,

त्तिव्वाणुभागाओ मंदाणुभागाओ पकरेइ,

वट्ठुपएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ,

आउयं च णं कम्मं सिय वंधइ, सिय नो वंधइ,

असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो, भुज्जो

उवचिणाति,

अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसार-
कंतारं वीतीवयति ।

प०—से केणट्ठेणं भंते एवं वुच्चइ—

फालुएसणिज्जं णं भुंजमाणे समणे निग्गंथे आउय-

वज्जाओ सत्तकम्म-पयडीओ घणियवंधणवट्ठाओ

सिद्धिलवंधणवट्ठाओ पकरेइ-जाव-चाउरंतसंसारकंतारं

वीतीवयति ?

संग्रह करने का निषेध—

६६४. संयमी अणुमात्र भी सन्निधि संग्रह न करे । वह सदैव मुघा-
जीवी = निस्पृह भाव से जीवन निर्वाह करने वाला रहे आहारादि
में अलिप्त रहे तथा सब जीवों की रक्षा करने वाला होवे ।

संखडी निषेध और शुद्ध आहार का विधान—

६६५. “आकीर्ण और अवमान” नामक भोज का विवर्जन और
समीप के दृष्ट स्थान से लाए हुए भक्त-पान के ग्रहण का विधान
है । दाता जो वस्तु दे रहा है उसी से संसृष्ट हाथ और पात्र से
यति भिक्षु लेने का यत्न करे ।

दोष रहित आहार का ग्रहण और उसका परिणाम—

६६६. यदि भिक्षु यह जाने कि अशन—यावत्—स्वादिम अमुक
श्रावक ने किसी एक निष्परिग्रही साधर्मिक साधु को दान देने के
उद्देश्य से प्राणों, भूतों, जीवों और सत्वों का आरम्भ करके
आहार बनाया है, अथवा खरीदा है, किसी से उधार लिया है,
बलात् छीन कर लिया है, उसके स्वामी से पूछे बिना ही ले लिया
है, अथवा साधु के सम्मुख लाया हुआ है तो ऐसा सदोष आहार
न स्वयं खाये कदाचित् भूल से ऐसा सदोष आहार ले लिया हो
तो दूसरे साधुओं को भी वह आहार न खिलाए और न ऐसा
सदोष आहार सेवन करने वाले को अच्छा समझे वह महान् कर्मों
के बन्धन से दूर रहता है, वह शुद्ध संयम पालन में उद्यत और
पाप कर्मों से विरत रहता है ।

प्र०—हे भदन्त ! प्रासुक एषणीय आहार का सेवन करने
वाला श्रमण निर्ग्रन्थ क्या करता है ? क्या वाँधता है ? क्या चय
करता है ? क्या उपचय करता है ?

उ०—गीतम ! प्रासुक एवं एषणीय आहार करने वाला
श्रमण-निर्ग्रन्थ आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म की प्रकृतियों
को दृढ़ बंधन वाली से शिथिल बंधन वाली करता है ।

दीर्घकाल स्थिति वाली से ह्रस्वकाल की स्थिति वाली करता है,
तीव्ररस वाली से मंद रस वाली करता है,

बहुप्रदेण वाली से अल्पप्रदेण वाली करता है,

आयु कर्म को कदाचित् वाँधता है, कदाचित् नहीं वाँधता है,

असातावेदनीय कर्म को वार-वार नहीं वाँधता है,

अनादि-अनन्त दीर्घ मार्ग वाले चातुर्गतिक संसार रूप अरण्य
को पार करता है ।

प्र०—हे भदन्त ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—

प्रासुक-एषणीय आहार का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ
आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की प्रकृतियों को दृढ़ बंधन
वाली से शिथिल बंधन वाली करता है—यावत्—संसार रूप

अरण्य को पार करता है ।

उ०—गोयमा ! फासुएसणिज्जं भुंजमाणे समणे निग्गंथे आयाए धम्मं नाइकम्मति, आयाए धम्मं अणति-कम्ममाणे पुढविकायं अवकंखति-जाव-सत्तकायं अव-कंखति, जे सिं पि य णं जीवाणं सरीराइं आहारेति ते वि जीवे अवकंखति ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—
“फासुएसणिज्जं णं भुंजमाणे समणे निग्गंथे आउय-वज्जाओ सत्तकम्मपयडीओ-घणियवंघणवद्धाओ पकरेइ-जाव-चाउरंतं संसारकंतरं वीतीवयति ।”

—वि. सु. १, उ. ६, सु. २७

णिदोष आहार गवेषगस्स दायगस्स य सुगई—

६६७. दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहादाई मुहाजीवी,^१ दो वि गच्छंति सोगइं ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. १३६

उ०—गौतम ! प्रासुक एपणीय आहार को सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ आत्मधर्म का अतिक्रमण नहीं करता है, आत्मधर्म का अतिक्रमण न करता हुआ वह श्रमण निर्ग्रन्थ पृथ्वी-काय के जीवों की चिन्ता करता है—यावत्—त्रसकाय के जीवों की चिन्ता करता है, जिन जीवों के शरीर का उपभोग करता है, उनका भी जीवन चाहता है ।

इस कारण से गौतम ! ऐसा कहा जाता है—

“प्रासुक एवं एपणीय आहार का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म की प्रकृतियों को दृढ बन्धन वाली से शिथिल बन्धन वाली करता है—यावत्—चातुर्गतिक रूप संसार अरण्य को पार करता है ।”

निर्दोष आहार गवेषक की और देने वाले की सुगति—

६६७. दुधादायी दुलंभ है और मुघाजीवी भी दुलंभ है ।

मुघादायी और मुघाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।

परिभोगेषणा—६

आहार करणस्स उद्देशं—

६६८. विविच्च कम्मणो हेउं, कालकंखी परिव्वए ।
मायं पिडस्स पाणस्स कडं लद्धूण भक्खए ॥

—उत्त. अ. ६, गा. १४

आहार परिभोगणट्ठाए ठाण णिद्देशो—

६६९. अप्पपाणेऽप्पवीर्यंमि, पडिच्छन्नंमि संवुडे ।
समयं संजए भुंजे, जयं अपरिसाडियं ॥

—उत्त. अ. १, गा. ३५

गोयरग्ग-पविट्ठ-भिक्षुस्स-आहार करण विहि—

१०००. सिया य गोयरग्गओ, इच्छेज्जा परिभोत्तुयं ।
कोट्ठगं भित्तिमूलं वा, पडिलेहित्ताण फासुयं ॥
अणुन्नवेत्तु मेहावी, पडिच्छन्नम्मि संवुडे ।
हत्थगं संपमज्जित्ता^२ तत्थ भुंजेज्ज संजए ॥

आहार करने का उद्देश्य—

६६८. कर्मबन्ध के हेतुओं को दूर करके समयज्ञ होकर विचरे । संयमी जीवन के लिए गृहस्थ के घर में सहज निष्पन्न आहार पानी की जितनी मात्रा आवश्यक हो उतनी प्राप्त करके सेवन करे ।

आहार करने के स्थान का निर्देश —

६६९. संयमी मुनि प्राणी और वीज रहित, ऊपर से ढके हुए और चारों तरफ भित्ति आदि से घिरे हुए स्थान में अपने सह-धर्मी मुनियों के साथ भूमि पर न गिराता हुआ यतनापूर्वक आहार करे ।

गोचरी में प्रविष्ट भिक्षु के आहार करने की विधि—

१०००. गोचरी के लिए गया हुआ मेधावी मुनि कदाचित आहार करना चाहे तो प्रासुक गृह या दिवाल के पास प्रतिलेखन कर उसके स्वामी की अनुज्ञा लेकर, छाये हुए एवं संवृत स्थान में बैठे और हाथ का प्रमार्जन करके उपयोग पूर्वक आहार करे ।

१ निस्वार्थ भाव से देने वाला मुहादाई कहा जाता है । निस्पृह भाव से लेने वाला मुहाजीवी कहा जाता है ।

२ “हत्थगं संपमज्जित्ता” का प्रसंगसंगत अर्थ है—हाथ का प्रमार्जन करके आहार करे । आहार हाथ से किया जाता है इसलिए हाथ का प्रमार्जन करना उचित होने के साथ-साथ आगमसम्मत भी है । क्योंकि प्रश्नव्याकरण प्रथम संवरद्वार चौथी भावना (शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

तत्थ से भुंजमाणस्स, अट्ठियं कंटओ सिया ।
तण कट्ठ-सक्करं वा वि, अन्नं वा वि तथाविहं ॥
तं उक्खिवित्तु न निक्खिक्खे आसएण न छट्टए ।
हत्थेण तं गहेऊण, एगंतमवक्कमे ॥
एगंतमवक्कमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया ।
जयं परिट्टवेज्जा, परिट्टप्प पडिक्कमे ॥

—दस. अ. ५, उ. १, गा. ११३-११७

सेज्जामागम्म आहार करणस्स विहि —

*१. सिया य भिक्खू इच्छेज्जा, सेज्जामागम्म भोत्तुयं ।
सपिडपायमागम्म, उट्ठुयं पडिलेहिया ॥
विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी ।
इरियावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥
आभोएत्ताण नीसेसं, अट्ठयारं जहक्कमं ।
गमणाऽऽगमणे चैव, भत्त-पाणे व संजए ॥
उज्जुप्पन्नो अणुव्विगो, अक्खिक्खित्तेण चैयसा ।
आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे ॥

न सम्ममालोइयं होज्जा, पुट्ठि पच्छा व जं कडं ।
पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसट्ठो चितए इमं ॥

अहो जिणेहिं असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया ।
मोक्खसाहणहेउस्स, साह्वेहस्स धारणा ॥

नमोक्कारेण पारेत्ता, करेत्ता जिणसंथवं ।
सज्जायं पट्टवेत्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥

वीसमंतो इमं चित्ते हियमट्ठं लाभमट्ठिओ ।
“जइ मे अणुगहं कुज्जा साहू, होज्जामि तारिओ ॥”

साहवो तो चियत्तेणं, निमंतेज्ज जहक्कमं ।
जइ तत्थ केइ इच्छेज्जा, तेहिं सट्ठि तु भुंजए ॥^१

(शेष पिछले पृष्ठ का)

में “संपमज्जिऊण ससीसं कायं तथा करतलं” ऐसा पाठ है। इसमें भी करतल का स्पष्ट कथन है। दणवैकालिक की अगस्त्यसिंह कृत चूर्णी में भी “ससीसोवरियं हस्तं तं” सूचित करके प्रश्नव्याकरण के पाठ का ही अनुसरण किया है।

अतः यहाँ “मुखवस्त्रिका से शरीर का प्रमार्जन करके आहार करना” ऐसे अर्थ की कल्पना करना प्रश्नव्याकरण सूत्र के मूल पाठ से विपरीत है अतः उचित नहीं कहा जा सकता। प्रमार्जन के लिये प्रमार्जनिका (गोच्छग) व रजोहरण ये दो उपकरण हैं। मुखवस्त्रिका नहीं है।

* यहाँ से सूत्र संख्या १००१ क्रमानुसार समझें। प्रेस की सुविधा के कारण १००० सूत्र के बाद १ क्रमांक दिया है।—सम्पादक
१ दस. अ. १०, गा. ६।

उपाश्रय में आकर आहार करने की विधि—

१. कदाचित् भिक्षु उपाश्रय में आकर भोजन करना चाहे तो भिक्षा सहित वहाँ आकर स्थान की प्रतिलेखना करे।

उसके पश्चात् मुनि विनयपूर्वक गुरु के समीप उपस्थित होकर “ईर्यापयिकी भूत्र” को पढ़कर प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करे।

आने-जाने में और भक्त-पान लेने में लगे समस्त अतिचारों को यथाक्रम में याद करे।

सरल, बुद्धिमान और उद्वेग रहित मुनि एकाग्रचित्त से जिस प्रकार भिक्षा ग्रहण की हो वैसे ही गुरु के समीप आलोचना करे।

पूर्व कर्म, पश्चात् कर्म आदि अतिचारों की यदि सम्यक् प्रकार से आलोचना न हुई हो तो उसका फिर प्रतिक्रमण करे तथा कायोत्सर्ग करके यह चिन्तन करे—

“अहो—जिनेन्द्र भगवंतों ने मोक्ष-साधना के हेतु-भूत शरीर को धारण करने के लिए साधुओं को निरवद्य (भिक्षा) वृत्ति का उपदेश दिया है।”

(इस चिन्तनमय कायोत्सर्ग को) नमस्कार मन्त्र के द्वारा पूर्ण कर चतुर्विंशतिस्तव (लोगस्स) का पाठ बोले, फिर स्वाध्याय करे, उसके बाद, कुछ विश्राम ले।

विश्राम करता हुआ लाभार्थी मुनि अपने हित के लिए इस प्रकार चिन्तन करे कि—“यदि कोई साधु मुझ पर अनुग्रह करे तो मैं तिर जाऊँ।”

वह प्रेम पूर्वक साधुओं को यथाक्रम से निमन्त्रण दे। उन निमन्त्रित साधुओं में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो उनके साथ आहार करे।

अह कोई न इच्छेज्जा, तओ भुंजेज्जा एवकओ ।
आलोए भायणे साहू, जयं अपरिसाडियं ॥

तित्तगं व कडुयं व कसायं, अंबिलं व महुरं लवणं वा ।
एय लद्धमन्नट्ठ-पउत्तं, महुघयं व भुंजेज्ज संजए ॥

अरसं विरसं वा वि, सूइयं वा असूइयं ।
उल्लं वा जइ वा सुवकं, मन्थु कुम्मासभोयणं ॥
उप्पणं नाइ हीलेज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं ।
मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजेज्जा दोसवज्जियं ॥

—दस. अ. ५, गा. ११८-१३०

मुणी मायणो हवेज्ज—

२. लद्धे आहारे अणगारो मायं जाणेज्जा । से जहेयं भगवता
पवेदितं । —आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८६ (ख)

सलेव असेस आहार करण निद्देसो—

३. पडिग्गहं संलिहित्ताणं, लेव-मायाए संजए ।
डुग्गं वा सुग्गं वा, सव्वं भुंजे न छडुए ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. १

रसगिद्धिणिसेहो—

४. अलोले न रसे गिद्धे, जिन्नादन्ते अमुच्छिए ।
न रसट्ठाए भुंजिज्जा, जवणट्ठाए महामुणी ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. १७

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा असणं वा-जाव-साइमं वा
आहारेमाणे-णो वामातो हणुयातो, दाहिणं हणुयं संचारेज्जा
आसाएमाणे, दाहिणातो वा हणुयातो वामं हणुयं णो संचा-
रेज्जा आसाएमाणे ।

से अणासादमाणे लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णा-
गते भवति ।

जहेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वयाए
सम्मत्तमेव समभिजाणिज्जा ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ६, सु. २२३

आगंतुगसमण णिमंतणविही—

५. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसं वा अणुवीइ जाएज्जा,
जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिट्ठाए ते उग्गहं अणुण-
वेज्जा—

“कामं खलु आउसो ! अहालद्धं अहापरिणायं वसामो-जाव-
आउसो-जाव-आउसंतस्स उग्गहे-जाव-साहम्मिया एत्ताव ताव
उग्गहं ओगिणिहत्तामो, तेण परं विहरिस्सामो ।

यदि कोई भी साधु साथ में बैठकर आहार न करना चाहे
तो अकेला ही यतनापूर्वक नीचे नहीं गिराता हुआ चौड़े मुख
वाले पात्र में आहार करे ।

गृहस्थ के लिए बना हुआ तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा,
मीठा या खारा जो भी आहार उपलब्ध हो उसे संयमी मुनि
मधुघृत की भांति खाये ।

मुघाजीवी मुनि मुघालब्ध अरस या विरस, व्यंजन सहित
या व्यंजन रहित, आर्द्र या शुष्क, मन्थु और कुल्माप इत्यादि
प्राप्त आहार की निन्दा न करे, वह आहार अल्प हो या पूर्ण हो
दोषों का वर्जन करता हुआ खावे ।

मुनि आहार की मात्रा का ज्ञाता हो—

२. आहार प्राप्त होने पर अनगार को उसकी मात्रा का ज्ञान
होना चाहिए । जिसका कि भगवान् ने निर्देश किया है ।

लेप सहित पूर्ण आहार करने का निर्देश—

३. संयमी मुनि पात्र के लगे लेप मात्र को भी पोंछकर सब
खा ले, शेष न छोड़े, भले फिर वह मन से प्रतिकूल हो या
अनुकूल ।

रसगृद्धि का निषेध—

४. अलोलुप, रस में अगृद्ध, जीभ का दमन करने वाला और
अमूर्च्छित महामुनि रस (स्वाद) के लिए न खाये, किन्तु जीवन
निर्वाह के लिए खाये ।

भिक्षु या भिक्षुणी अशन—यावत्—स्वाद्य का आहार करते
समय स्वाद लेते हुए वांए जवड़े से दाहिने जवड़े में न ले जाये
और स्वाद लेते हुए दाहिने जवड़े से वांये जवड़े में न ले जाये ।

वह अनास्वाद वृत्ति से लाघवता को प्राप्त होते हुए तप का
सहज लाभ प्राप्त कर लेता है ।

भगवान् ने जिस रूप में अस्वाद वृत्ति का प्रतिपादन किया
है, उसे उसी रूप में जानकर सभी प्रकार से सर्वात्मना भली
भाँति आचरण करे ।

आगंतुक श्रमणों को निमन्त्रित करने की विधि—

५. साधु पथिकशालाओं—यावत्-परिव्राजकों के आवासों में
उस स्थान के स्वामी की या संरक्षक की आज्ञा प्राप्त करे ।

“हे आयुष्मन् ! आप जितने स्थान में जितने समय तक
ठहरने की आज्ञा देंगे हम और हमारे आने वाले स्वधर्मी उतने
ही स्थान में उतने ही समय तक ठहरेंगे बाद में विहार कर
देंगे ।”

से कि पुण तत्थोग्गहंसि एवोग्गहियंसि ?

जे तत्थ साहम्मिया संभोइया समणुण्णा उवागच्छेज्जा । जे तेण सयमेसिए असणे वा-जाव-साइमे वा तेण ते साहम्मिया संभोइया समणुण्णा उवणिमंतेज्जा ।

णो चेव णं परिपडियाए ओगिज्झिय-ओगिज्झिय उवणि-मंतेज्जा । —अ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६०८-६०९

विगईभोई भिक्षु—

६. दुद्धदहीविगईओ, आहारेइ अभिक्षणं ।

अरण य तवोकम्भे, पावसमणे ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. १५

आयरिय-अदत्त-विगई-भुंजमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

७. जे भिक्षु आयरिय-उवज्जाएहि अविदिणं विगई आहारेइ, आहारंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. २१

पुणो भिक्षुट्ठा गमण विहाणो—

८. सेज्जा निसीहियाए समावन्नो य गोयरे ।

अयावयट्ठा भोच्चा णं, जइ तेणं न संथरे ॥

तथो कारणमुप्पन्ने, भत्तपारणं गवेसए ।

विहिणा पुच्च-उत्तरेण, इमेणं उत्तरेण य ॥

—दस. अ. ५, उ. २, गा. २-३

पुलागमत्ते पडिगाहिए भिक्षु-गमण विहि-णिसेहो—

९. निग्गंथोए य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठाए अन्नयरे पुलागमत्ते^१ पडिगाहिए सिया,

सा य संथरेज्जा, कप्पइ से तदियसं तेणेव भत्तट्ठेणं पज्जो-सवेत्तए, नो से कप्पइ दोच्चं पि गाहावइकुलं पिण्डवाय-पडियाए पविसित्ताए,

अवग्रह से अनुजापूर्वक ग्रहण कर लेने पर फिर वह साधु क्या करे ?

वहाँ (निवासित साधु के पास) कोई साधर्मिक, साम्भोगिक एवं समनोज साधु अतिथि के रूप में आ जाये तो वह साधु स्वयं अपने द्वारा गवेपणा करके लाये हुए अशन—यावत्—स्वाद्य आहार को उन साधर्मिक साम्भोगिक एवं समनोज साधुओं को उपनिमन्त्रित करे ।

किन्तु अन्य साधु द्वारा या अन्य रुग्णादि साधु के लिए लाये हुए आहारादि को लेकर उन्हें निमन्त्रित न करे ।

विगयभोक्ता भिक्षु—

६. जो दूध, दही आदि विकृतियों (विगयों) का वार-वार आहार करता है और तपस्या में रत नहीं रहता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

आचार्य के दिये विना विकृति भक्षण का प्रायश्चित्त सूत्र—

७. जो भिक्षु आचार्य, उपाध्याय के दिये विना विगई का आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पुनः भिक्षार्थ जाने का विधान—

८. मुनि उपाश्रय में या अन्य बैठने के स्थान में बैठकर गोचरी से प्राप्त आहार खाने पर भी उदरपूर्ति न होने पर अथवा अन्य कारण उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त विधि से या आगे कही जाने वाली विधि से पुनः आहार पानी की गवेपणा करे ।

पुलाक भक्त ग्रहण हो जाने पर गोचरी जाने का विधि निषेध—

९. निर्ग्रन्थी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेण करे और वहाँ यदि पुलाक भक्त (अत्यन्त सरस आहार) ग्रहण हो जाये ।

यदि उस गृहीत आहार से निर्वाह हो जाये तो उस दिन उसी आहार से रहे (निर्वाह करे) किन्तु दूसरी बार आहार के लिए गृहस्थ के घर में न जावे ।

१ पुलाक भक्त :—

विविहं होइ पुलागं, धण्णे गंधे य रसपुलाए य । ॥ ६०४८ ॥

निष्कावाइ धन्ना, गंधे वाड्ढं पलंडु लसुणाई । खीरं तु रस पुलाओ, चिचिणि दक्खारसाईया ॥ ६०४९ ॥

आदि शब्दात् अपरमपि यद् भुक्त अतिमारयति तत् सर्वमपि रस पुलाकम् ।

उपरोक्त सूत्र में रस पुलाक की अपेक्षा से अर्थ समझना चाहिए ।

सा य नो संशरेज्जा, एवं से कप्पइ दोच्चं पि गाहावइकुलं
पिण्डवायपडियाए पविसित्तए । —कप्प. उ. ५, सु. ५२

साधारण आहारस्स अणुणविय परिभायण विहि—

१०. से एगतिओ साहारणं वा पिण्डवातं पडिगाहेत्ता से साहम्मिए
अणापुच्छित्ता जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खट्ठं दलाति ।
मात्तिट्ठाणं संफाप्ते । णो एवं करेज्जा ।

से त्तमायाए तत्य गच्छेज्जा गच्छित्ता पुव्वामेव एवं
वदेज्जा—

प०—“आउसंतो समणा ! संति मन पुरेसंयुया वा पच्छा-
संयुया वा, तं जहा—“आयरिए वा, उवज्जाए वा,
पवत्तो वा, धेरे वा, गणी वा, गणधरे वा, गणावच्छेए
वा, अवियाइं एतेसि खट्ठं खट्ठं दाहामि ?” से णेवं
वदंतं परो वदेज्जा—

उ०—“कामं खलु आउसो ! अहापज्जत्तं निसिराहि
जावइयं जावइयं परो वदेज्जा तावइयं तावइयं
णिसिरेज्जा । सव्वमेतं परो वदेज्जा सव्वमेयं णिसि-
रेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. १०, सु. ३६६

समण माहणाईणं अट्ठाए गहिय आहारस्स परिभायण
भुंजण विहि—

११. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए
अणुपविट्ठे समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-समणं वा, माहणं
वा, गामपिंडोलगं वा, अतिहि वा, पुव्वपविट्ठं पेहाए णो
तेसि संलोए सपडिडुवारे चिट्ठेज्जा ।

केवली बूया—आयाणमेयं ।

पुरा पेहाए तस्सज्जाए परो असणं वा-जाव-साइमं वा आहट्ठ
दलएज्जा ।

अह भिक्खूणं पुव्वोवट्ठिहा एस पत्तिण्णा-जाव-एस उवएसे जं
णो तेसि संलोए सपडिडुवारे चिट्ठिज्जा ।

से त्तमादाए एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अणावाय-
मसंलोए चिट्ठेज्जा,

से परो अणावातमसंलोए चिट्ठमाणस्स असणं वा-जाव-साइमं
वा आहट्ठ दलएज्जा, से सेवं वदेज्जा—

यदि उस गृहीत आहार से निर्वाह न हो सके तो दूसरी बार
आहार के लिए जाना कल्पता है ।

साधारण आहार को आज्ञा लेकर वांटने की विधि—

१०. कोई एक भिक्षु मास्रमिक साधुओं के लिए सम्मिन्त आहार
लेकर आता है और उन मास्रमिक साधुओं से बिना पूछे ही जिस
जिम को देना चाहता है, उसे अच्छा अच्छा (अनुकूल) आहार
देता है, तो वह माया स्थान का न्यर्ग करना है। उसे ऐसा नहीं
करना चाहिए ।

उस साधारण आहार को लेकर स्थान पर जावे, वहाँ
साधुओं को पहले ही पूछे कि—

प्र०—“आयुष्मान् श्रमणो ! यहाँ मेरे पूर्व परिचित (जिनमें
दीक्षा अंगीकार की है) तथा पश्चात्-परिचित (जिनसे श्रुताभ्यास
किया है) जैसे कि आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्वविर, गणी,
गणधर या गणावच्छेदक हैं। क्या मैं इन्हें पर्याप्त (अनुकूल) आहार
दूँ ?” उनके इन प्रकार कहने पर यदि वे कहें—

उ०—“आयुष्मान् श्रमण ! तुम अपनी इच्छानुसार इन्हें
अनुकूल आहार दे दो ।” ऐसी स्थिति में जितना-जितना वे कहें,
उतना-उतना आहार उन्हें दे दे । यदि वे कहें कि (अनुक) द्वारा
अनुकूल आहार दे दो तो मारा का मारा दे दे ।

श्रमण ब्राह्मण आदि के लिये गृहीत आहार के वांटने
खाने की विधि—

११. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश
करते समय यदि वह जाने की श्रमण, ब्राह्मण, ग्राम पिण्डोलक
(ग्राम्य भिक्षोपजीवी) और अनियत तिथि से भिक्षा ग्रहण करने
वाले पहले से ही प्रवेश किये हुए हैं, तो उन्हें देखकर उनके दृष्टि
पथ में या उनके मार्ग में रुड़ा न होवे ।

केवली भगवान् ने कहा है—यह कर्मबन्ध का कारण है ।

मानने रुड़ा देखकर गृहस्थ उस साधु के लिए अन्न
—यावत्—स्वाद्य वहाँ लाकर देगा ।

अतः भिक्षुओं के लिए पहले से यह प्रतिज्ञा—यावत्—
उपदेश है कि भिक्षु उनके दृष्टि पथ में या मार्ग में रुड़ा न
होवे ।

किन्तु एकान्त स्थान में चला जाये, वहाँ जाकर कोई आता-
जाता न हो और देखता न हो, इस प्रकार से रुड़ा रहे ।

भिक्षु को अनापात और असंलोक स्थान में रुड़ा देखकर
गृहस्थ अन्न—यावत्—स्वाद्य लाकर दे, साथ ही वह यों
कहे—

“आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा-जाव-साइमे वा सच्च-जणाए णिसट्ठे, तं भुजह व णं, परिभाएइ व णं ।”

तं चेतित्थो पडिगाहेत्ता, तुसिणीओ उवेहेज्जा-सवियाइं “एयं ममामेव सिया” माइट्ठणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

से त्तमायाए त्तय गच्छेज्जा, गच्छित्ता से पुव्वामेव आलो-एज्जा—

“आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा-जाव-साइमे वा सच्चजणाए णिसट्ठे, तं भुजह व णं परिभाएइ व णं ।”

से णं मेवं वदंतं परो वदेज्जा—“आउसंतो समणा ! तुमं चेव णं परिभाएहि ।”

से त्तय परिभाएमाणे णो अप्पणो खट्ठं खट्ठं डायं डायं, उसट्ठं उसट्ठं, रसियं-रसियं, मणुणं-मणुणं, पिट्ठं-णिट्ठं, लुक्खं-लुक्खं । से त्तय अमुच्छिए, अगिट्ठे, अगट्ठिए, अणज्झोववण्णे वट्ठसममेव परिभाएज्जा ।

से णं परिभाएमाणं परोवदेज्जा—“आउसंतो समणा ! मा णं तुमं परिभाएहि, सत्त्वे वेगत्तिया भोक्खामो वा पाहामो वा ।”

से त्तय भुंजमाणे णो अप्पणो खट्ठं खट्ठं-जाव-अमुच्छिए-जाव-अणज्झोववण्णे वट्ठसममेव भुंजेज्ज वा पाएज्ज वा ।

—आ मु. २, अ. १, उ. ५, मु. ३५७ (क)

थविर संयुक्त गृहीत आहार के परिभोग-परिठावणविही य—

१२. निगंथं च णं गाहावइकुलं पिट्ठवायपडियाए अणुपविट्ठं केइ दोहिं पिट्ठेहि उवनिमंतेज्जा—

“एणं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, एणं थेराणं दलयाहि, से य तं पिट्ठं पडिगाहेज्जा, थेरा य ते अणुगवेसियन्ना सिया, जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेवअणुपदायव्वे सिया नो चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, नो अग्गसि दावाए, एणंते अणावाए अचित्ते वट्ठ-फामुए थंढिले पडिलेहेत्ता, पमज्जिता परिट्ठोवेव्वे सिया ।

निगंथं च णं गाहावइकुलं पिट्ठवायपडियाए अणुपविट्ठं केइ तिहिं पिट्ठेहि उवनिमंतेज्जा—

“आयुप्मान् श्रमण ! यह अशन—यावत्—स्वाद्य आहार में आप सत्र जनों के लिए दे रहा हूँ । आप इस आहार का उपभोग करें या परस्पर वांट लें ।”

इस पर यदि कोई साधु उस आहार को चुपचाप लेकर यह विचार करे कि “यह आहार मुझे दिया है, इसलिए मेरा ही है” ऐसा सोचना मायास्थान का सेवन करना है । भिक्षु को ऐसा नहीं करना चाहिए ।

साधु उस आहार को लेकर श्रमण आदि के पास जाये और वहाँ जाकर पहले से ही उन्हें कहे—

“हे आयुप्मान् श्रमणा ! यह अशन—यावत्—स्वाद्य गृहस्थ ने हम सबके लिए दिया है, अतः इसका उपभोग करें या विभाजन कर लें ?”

साधु के ऐसा कहने पर वे अन्य भिक्षु उसे कहें कि—

“आयुप्मान् श्रमण ! आप ही वांट दें” । तो उस आहार का विभाजन करना हुआ वह साधु अपने लिए अनुकूल, अच्छा, बहुमूल्य, स्वादिष्ट, मनोज्ञ, स्निग्ध व रुच्य आहार अलग न रखे किन्तु उस आहार में अमूर्च्छित, अगूढ़, निरपेक्ष एवं अनासक्त होकर सबके लिए समान विभाग करे ।

यदि विभाग करते समय श्रमणादि कहें—“हे आयुप्मन् श्रमण ! आप विभाजन न करें । आप और हम एकत्रित होकर यह आहार खा पी लें ।

तब वह साधु उनके साथ आहार करता हुआ सरस-सरस स्वयं न खावे—यावत्—अमूर्च्छित—यावत्—अनासक्त भाव से समान ही खावे या पीवे ।

स्थविरों के लिए संयुक्त गृहीत आहार के परिभोग और परठने की विधि --

१२. (गृहस्थ के घर में आहार ग्रहण करने के लिए) प्रविष्ट निग्रन्थ को कोई दो पिण्ड (खाद्य पदार्थ) ग्रहण करने के लिए उपनिमन्त्रण करे—

“आयुप्मन् श्रमण ! एक पिण्ड आप स्वयं खाना और दूसरा पिण्ड स्थविर मुनियों को देना ।” निग्रन्थ उन दोनों पिण्डों को ग्रहण कर ले और स्थविरों की गवेपणा करे, गवेपणा करने पर उन स्थविर मुनियों को जहाँ देखे, वहीं वह पिण्ड उन्हें दे दे । यदि गवेपणा करने पर भी स्थविर मुनि कहीं न दिखाई दे तो वह पिण्ड न खाये और न ही किसी दूसरे श्रमण को दे, किन्तु एकान्त, अनापात (जहाँ आवागमन न हो) अचित्त और प्रासुकं स्थण्डिल भूमि का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके परठ दे ।

गृहस्थ के घर में आहार ग्रहण करने के विचार से प्रविष्ट निग्रन्थ को कोई तीन पिण्ड ग्रहण करने के लिए उपनिमन्त्रण करे—

“एगं आउसो ! अप्पणा भुंजहि, दो थेराणं दलयाहि”, से य ते पडिगाहेज्जा, थेरा य से अणुगवेसेयच्चा सेसं तं चेव-जाव-परिट्ठावेयच्चे सिया ।

एवं-जाव-दसहिं पिडेहि उवनिमंतेज्जा, एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, नव थेराणं दलयाहि सेसं तं चेव-जाव-परिट्ठावेयच्चे सिया । — वि स. ८, उ. ६, सु. ४

बहुपरियावण-आहारस्स विही—

१३. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा बहुपरियावणं भोयणजायं पडिगाहेत्ता साहम्मिया तत्थ वसंति संभोइया समणुण्णा अपरिहारिया अदूरगया । तेसि अणालोइया अणामंतिया परिट्ठवेति । माइट्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

से त्तमादाए तत्थ गच्छेज्जा गच्छित्ता से पुच्चामेव आलो-एज्जा—

“आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा-जाव-साइमे वा बहु-परियावण्णे तं भुंजह व णं, परिभाएह व णं, से सेवं वदंतं परोवदेज्जा—

“आउसंतो समणा ! आहारमेतं असणं वा-जाव-साइमं वा जावतियं जावतियं परिसडइ तावतियं तावतियं भोक्खामो वा पाहामो वा । सव्वमेयं परिसडति सव्वमेयं भोक्खामो वा पाहामो वा । — आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६६

संभोइयाणं अणिमंतिय परिट्ठवंतस्स पायच्छित्त सुत्तं—

१४. जे भिक्खू मणुण्णं भोयणजायं पडिगाहिता बहुपरियावणं सिया अदूरे तत्थ साहम्मिया, संभोइया, समणुण्णा, अपरि-हारिया संता परिवसंति ते अणापुच्छिय अनिमंतिय परिट्ठ-वेई, परिट्ठवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारदूठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४५

गहियआहारे मायाकरण-णिसेहो—

१५. से एगइओ मणुण्णं भोयणजातं पडिगाहेत्ता पंतेण भोयणेण पलिच्छाएति ‘मामेत्तं दाइयं संतं दट्ठूणं सयमादिए, तं (जहा) आयरिए वा-जाव-गणावच्छेइए वा । णो खलु मे कस्सइ किचि वि दातव्वं सिया ।’ माइट्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

“आयुप्पन् श्रमण ! एक पिण्ड आप स्वयं खाना और दो पिण्ड श्रमणों को देना ।” निग्रन्थ उन तीनों पिण्डों को ग्रहण कर ले और स्थविरों की गवेपणा करे । शेष वर्णन पूर्ववत् कहना चाहिए,— यावत्—परठ दे ।

इसी प्रकार—यावत्—दस पिण्डों को ग्रहण करने के लिए कोई गृहस्थ उपनिमन्त्रण दे—“आयुप्पन् श्रमण ! इनमें से एक पिण्ड आप स्वयं खाना और शेष तीनों पिण्ड स्थविरों को देना” इत्यादि शेष वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए—यावत्—परठ दे ।

बढ़े हुए आहार सम्बन्धी विधि—

१३. भिक्षु या भिक्षुणी खाने के बाद बचे हुए अधिक आहार को लेकर साधर्मिक, सांभोगिक, समनोज तथा अपारिहारिक साधु साध्वी जो कि निकटवर्ती रहते हों, उन्हें दिव्याए बिना एवं निमन्त्रित किये बिना जो उस आहार को परठ दे, वे मायास्थान का स्पर्श करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ।

साधु बचे हुए आहार को लेकर उन साधुओं के पास जाये । वहाँ जाकर इस प्रकार कहे—

“आयुप्पन् श्रमणो ! यह अन्न—यावत्—स्वाद्य आहार हमारे बढ़ गया है अतः इसका उपभोग करें और अन्यान्य भिक्षुओं को वितरित कर दें । इस प्रकार कहने पर कोई भिक्षु यों कहे कि—

“आयुप्पन् श्रमण ! यह अन्न—यावत्—स्वाद्य लाभो हमें दो इसमें से जितना खा पी सकेंगे उतना खा पी लेंगे अगर सारा का सारा उपभोग कर सकेंगे तो सारा खा पी लेंगे ।”

साम्भोगिकों को निमन्त्रित किये बिना परठने का प्राय-श्चित्त सूत्र—

१४. जो भिक्षु मनोज्ञ आहार ग्रहण करके खाने के बाद बचे हुए को वहाँ समीप में साधर्मिक, सांभोगिक, समनोज, अपारिहारिक भिक्षुक हों, उन्हें पूछे बिना, निमन्त्रण दिये बिना परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गृहीत आहार में माया करने का निषेध—

१५. कोई एक भिक्षु सरस स्वादिष्ट आहार प्राप्त करके उसे नीरस तुच्छ आहार से ढक कर छिपा देता है, इस भावना से कि “आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक मेरे इस आहार को दिखाने पर स्वयं ही लेंगे । किन्तु मुझे इसमें से किसी को कुछ भी नहीं देना है ।” ऐसा करने वाला साधु—मायास्थान का स्पर्श करता है । साधु को ऐसा छल-कपट नहीं करना चाहिए ।

से त्तमायाए तत्य गच्छेज्जा, गच्छित्ता पुव्वामेव उत्ताणए
हत्ये पडिग्गहं कट्ठु 'इमं खलु इमं खलु' त्ति आलोएज्जा ।
णो किञ्चि वि णिगूहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. १०, सु. ४००

आहार उपभोगे मायाकरण णिसेहो—

१६. सिया एगइओ लद्धं, विविह पाण भोयणं ।
भद्दं भद्दं भोच्चा, विवणं विरसमाहरे ॥^१

जाणंतु ता इमे समणा, आययट्ठी अयं मुणी ।
संतुट्ठी सेवई पंतं ल्हवित्ती सुतोसओ ॥

पूयणट्ठा जसोकामो, माणसम्माणकामए ।
वहं पसवई पावं, मायासत्तं च कुव्वइ ॥

—दम. अ. ५, उ. २, गा. ३३-३५

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए
अणुपविट्ठे अण्णयरं भोयणजायं पडिग्गाहेत्ता सुट्ठिम सुट्ठिम
भोच्चा, दुट्ठिम दुट्ठिम परिट्ठवेत्ति । मात्तिट्ठाणं संफासे । णो
एवं करेज्जा । सुट्ठिम वा, दुट्ठिम वा, सत्तं भुंजे ण छट्ठए ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६४

णीरस-आहार-परिट्ठवण-पायच्छित्तसुत्तां—

१७. जे भिक्खू अण्णयरं भोयणजायं पडिग्गाहित्ता सुट्ठिम सुट्ठिम
भुंजइ, दुट्ठिम दुट्ठिम परिट्ठवेइ, परिट्ठवेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४४

गहिय लोणस्स परिभोगण-परिट्ठवण-विही—

१८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे—सिया से परो अभिहट्ठु अंतो
पडिग्गाहे विलं वा लोणं^२ उट्ठिमयं वा लोणं परिभाइत्ता
नीहट्ठु दत्तइज्जा । तहप्पगारं पडिग्गहं परहत्थंसि वा,
परपायंसि वा, अकागुयं-जाय-णो पडिग्गाहेज्जा ।
से य आहच्च पडिग्गाहिए सिया तं च नाइद्वरगए जाणिज्जा,
से त्तमायाय तत्य गच्छेज्जा, गच्छित्ता पुव्वामेव
आलोइज्जा ।

१ से एगइओ अण्णयरं भोयणजायं पडिग्गाहेत्ता भद्दं भद्दं भोच्चा विवणं विरसमाहरेइ, मात्तिट्ठाणं संफासे, णो एवं करेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. १०, सु. ४०१

२ दम. अ. ६, गा. १७ ।

वह साधु उस आहार को लेकर आचार्य के पास जाये और
वहाँ जाकर पहले से ही पात्र को करतल में लेकर "यह अमुक
वस्तु है, यह अमुक वस्तु है" इस प्रकार एक-एक पदार्थ उन्हें
वता दे । किन्तु कोई भी पदार्थ न छिपाये ।

आहार का उपभोग करने में माया करने का निषेध—

१६. कदाचित् कोई एक मुनि विविध प्रकार के पान और भोजन
पाकर कहीं एकान्त में बैठ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ खा लेता है, विवर्ण और
विरस को स्थान पर लाता है (इस विचार से कि)

"ये श्रमण मुझे यों जाने कि यह मुनि बड़ा आत्मार्थी है,
लाभालाभ में समभाव रखने वाला है, सारहीन आहार का सेवन
करता है, रुक्ष आहार करने वाला है, और जिस किसी भी वस्तु
से सन्तुष्ट होने वाला है ।"

वह पूजा का अर्थी, यश का कामी और मान सम्मान की
कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और
माया शल्य का आचरण करता है ।

जो भिक्षु या भिक्षुणी भोजन को ग्रहण करके मन के अनु-
कूल खा लेता है और मन के प्रतिकूल परठ देता है, वह माया
स्थान का स्पर्श करता है । उसे ऐंसा नहीं करना चाहिये । मन
के अनुकूल या प्रतिकूल जैसा भी आहार प्राप्त हो, साधु उसका
समभावपूर्वक उपभोग करे, उसमें से किञ्चित् भी नहीं परठे ।

नीरस आहार परठने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१७. जो भिक्षु गृहस्थ के घर से विविध प्रकार का आहार लाकर
उनमें से मन के अनुकूल आहार को खाता है और मन के प्रति-
कूल आहार को परठता है, परठवाता है, या परठने वाले का
अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

गृहीत लवण के परिभोग और परिष्ठापन की विधि—

१८. भिक्षु या भिक्षुणी आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश
करे, वहाँ कदाचित् गृहस्थ पात्र में जलाया हुआ नमक या अन्य
अचित्त नमक लाकर दे उस नमक के वर्तन को गृहस्थ के हाथ
में या पात्र में देखकर अत्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

कदाचित् उक्त प्रकार का नमक बिना जाने ले लिया हो
और अधिक दूर जाने के पहले ही मालुम पड़ जाये तो उस
लवण को लेकर गृहस्थ के वहाँ जाकर पूछे—

आउसोत्ति वा ! भइणित्ति वा ! इमं किं ते जाणया दिन्नं,
उयाहु अजायणा ?

‘सि य भणिज्जा’—नो खलु मे जाणया दिन्नं; अजायणा
दिन्नं ।

कामं खलु आउसो ! इयाणि निसिरामि तं भुंजह वा णं,
परिभाएह वा णं तं परेहि समणुण्णायं, समणुसट्ठं तओ
संजयामेव भुंजिज्जा वा, पीएज्ज वा ।

जं च नो संचाएइ भोत्तए वा, पायए वा साहम्मिया तत्थ
वसंति, संभोइया समणुण्णा, अपरिहारिया—अदूरगया तेसि
अणुप्पदायव्वं सिया ।

नो जत्थ साहम्मिया जहेव बहुपरियावण्णे कीरइ तहेव
कायव्वं सिवा । —आ. सु. २, अ. १, उ. १०, सु. ४०५

पाणाइ संसत्ता आहारस्स परिभोयण-परिट्ठवण विही—

१९. निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुप्पविट्ठस्स,
अंतो पडिगहंसि पाणाणि वा, वीयाणि वा, रए वा परिया-
वज्जेज्जा, तं च संचाएइ विंगिचित्तए वा, विसोहित्तए वा,
तं पुंवामेव विंगिचिय विसोहिय, तओ संजयामेव भुंजेज्ज
वा, पीएज्ज वा ।

तं च नो संचाएइ विंगिचित्तए वा, विसोहित्तए वा, तं नो
अप्पणा भुंजेज्जा, नो अन्नेसि दावए एगंते बहुफासुए थंडिले
पडिलेहित्ता पमज्जिता परिट्ठवेयव्वे सिया ।

—कप्प. उ. ५, सु. ११

उदगाइ-संसत्ता-भोयणस्स परिभोयण-परिट्ठवण-विहि—

२०. निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुप्पविट्ठस्स
अंतो पडिगहंसि दए वा, दगरए वा, दगफुसिए वा, परिया-
वज्जेज्जा से य उसिणभोयणजाएं परिभोत्तव्वे सिया ।

से य सीयभोयणजाए, तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, नो अन्नेसि
दावए एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहित्ता पमज्जिता, परिट्ठ-
वेयव्वे सिया ।

—कप्प. उ. ५, सु. १२

अचित्त अणेसणिज्ज-आहारस्स परिट्ठवण-विही —

२१. निग्गंथेण य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविट्ठेण
अन्नयरे अचित्ते अणेसणिज्जे पाणभोयणे पडिगाहिए सिया-
अत्थि य इत्थ केइ सेहतराए अणुवट्ठावियए, कप्पइ से तस्स
दाउं वा, अणुप्पदाउं वा ।

नत्थि य इत्थ केइ सेहतराए अणुवट्ठावियए, तं नो अप्पणा
भुंजेज्जा, नो अन्नेसि दावए, एगन्ते बहुफासुए एसे पडि-
लेहित्ता पमज्जिता परिट्ठवेयव्वे सिया ।—कप्प. उ. ४, सु. १८

‘हे आयुप्पमन् ! या हे भगिनी ! क्या यह लवण जानते हुए
दिया है या अनजाने में दिया है ?’

वह गृहस्थ कहे कि—‘मैंने जानते हुए नहीं दिया है किन्तु
अनजाने में दिया गया है ।’

‘हे आयुप्पमन् श्रमण ! अब मैं यह आपको देता हूँ आप
अब स्वेच्छानुसार खायें या आपस में बाँट लें ।’ इस प्रकार
गृहस्थ से आज्ञा प्राप्त होने पर यतनापूर्वक खाए पीए ।

यदि वह सम्पूर्ण लवण खाया पीया न जा सके तो वहाँ
समीप में ही जो साधर्मिक सांभोगिक (समनोज) अपारिहारिक
श्रमण हो तो उन्हें दे देवे ।

जहाँ साधर्मिक साधु समीप न हो तो, आहार बढ़ने पर जिस
प्रकार आगम में परठने की विधि कही गई है उसी के अनुसार
परठ दे ।

प्राणियों से युक्त आहार के परिभोग और परिष्ठापन की
विधि—

१९. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट हुए साधु के पात्र
में कोई प्राणी, बीज या सचित्त रज पड़ जाय, यदि उसे पृथक्
किया जा सके तो और विशोधन किया जा सके तो उसे पहले ही
पृथक् करके विशोधन करके यतनापूर्वक खावे या पीवे ।

यदि उसे पृथक् करना और आहार का विशोधन करना
सम्भव न हो तो उसका न स्वयं उपभोग करे और न दूसरों को
दे, किन्तु एकान्त और अत्यन्त प्रासुक स्थंडिल भूमि में प्रतिलेखन
प्रमार्जन करके परठ दे ।

उदकादि से युक्त आहार के परिभोग और परिष्ठापन की
विधि—

२०. गृहस्थ के घर में आहार पानी के लिये प्रविष्ट साधु के पात्र
में यदि सचित्त जल, जलविन्दु, जलकण गिर पड़े और आहार
उष्ण हो तो उसे खा लेना चाहिए ।

वह आहार यदि शीतल हो तो न खुद खावे न, दूसरों को दे
किन्तु एकान्त और अत्यन्त प्रासुक स्थंडिल भूमि में परठ देना
चाहिए ।

अचित्त अनेषणीय आहार के परठने की विधि—

२१. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्ग्रन्थ के द्वारा
अचित्त और अनेषणीय आहार ग्रहण हो जाय तो, यदि वहाँ जिसकी
बड़ी दीक्षा नहीं हुई ऐसा नवदीक्षित साधु हो तो उसे वह आहार
देना कल्पता है ।

यदि अनुपस्थापित शिष्य न हो तो न स्वयं खाना चाहिए
और न अन्य को देना चाहिए किन्तु एकान्त और अचित्त स्थंडिल
भूमि का प्रतिलेखन और प्रमार्जन कर परठ देना चाहिए ।

आयरिय अदत्त आहार परिभुंजणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

२२. जे भिक्खू आयरिएहि अदिण्णं आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. २०

पत्तारणं आहार-करमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं —

२३. जे भिक्खू पिउमंद-पलासयं वा, पडोल-पलासयं वा, धिल्ल-पलासियं वा, सीओदग-वियट्ठेण वा, उत्तिणोदग-वियट्ठेण वा, संफाणिय-संफाणिय आहारेइ, आहारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. १४

गिहिमत्ते भुंजमाणस्म पायच्छित्त सुत्तं —

२४. जे भिक्खू गिहिमत्ते भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. १०

पुढवी आइए असणाइ णिक्खवणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं —

२५. जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा पुढवीए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा संयारए णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू असणं वा-जाव-साइमं वा वेहासे णिक्खिवइ, णिक्खिवंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. ३४-३६

आचार्य के दिए विना आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२२. जो भिक्षु आचार्य के द्वारा दिये विना आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पत्रों का आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२३. जो भिक्षु नीम्ब-पत्र, पटल-पत्र, व्रीह्व-पत्र को अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से धो-धोकर आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गृहस्थ के पात्र में आहार भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र -

२४. जो भिक्षु गृहस्थ के पात्र में आहार करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पृथ्वी आदि पर अशनादि रखने के प्रायश्चित्त सूत्र --

२५. जो भिक्षु अशन—यावत्—स्वाद्य पदार्थ भूमि पर रखता है, रखवाता है, या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अशन—यावत् स्वाद्य पदार्थ संयारे पर रखता है, रखवाता है, या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अशन—यावत्—स्वाद्य पदार्थ छींके आदि ऊँची जगह पर रखता है, रखवाता है, या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



परिभोगेषणा के दोष—१०

पाँच दोष परिभोगेषणा के—

संजोयणा पमाणे इंगाले धूम कारणा पढमा । वसहि बहिरंतरे वा रसहेउं दव्व संजोगा ॥

पिड. नि. गा. ६४

१. संयोजना—स्वाद बढ़ाने के लिए दो प्रकार के पदार्थों का संयोग मिलाना ।

२. अप्रमाण—प्रमाण से अधिक आहारादि लाना या खाना ।

३. इंगाल—सरस आहार की सराहना करते हुए खाना ।

४. धूम—निरस आहार की निन्दा करते हुए खाना ।

५. कारण—ठाणांग अ. ६, सु. ५०० में तथा उत्तराध्ययन अ. २६, गा. ३१-३४ में आहार करने के ६ कारण और न करने के ६ कारण प्ररूपित हैं ।

इंगालाद् दोसाणं सरूवं—

२६. प०—अह भंते ! सङ्गालस्त सधूमस्त, संजोयणा दोसदुदुस्त^१ पाणभोयणस्त के अट्ठे पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएस-णिज्जं असणं-जाव-साइमं पडिग्गाहेत्ता मुच्छिए गिद्धे गढिय अज्झोववन्ने आहारं आहारेइ एस णं गोयमा ! सङ्गाले पाणभोयणे ।

जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असणं वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता महयाअप्पत्तिर्यं कोह-किलामं करेमाणे आहारं आहारेइ । एस णं गोयमा ! सधूमे पाणभोयणे ।

जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं असणं-जाव-साइमं पडिग्गाहेत्ता गुणुप्पायणं हेउं-अन्न-द्वेण सद्धिं संजोएत्ता आहारं आहारेइ एस णं गोयमा ! संजोयणादोसदुदुत्ते पाण-भोयणे ।

एस णं गोयमा ! सङ्गालस्त सधूमस्त संजोयणा दोसदुदुस्त पाणभोयणस्त अट्ठे पणत्ते ।

—वि. स. ७, उ. १, सु. १७

इंगालाद् दोस रहियं आहारस्त सरूवं—

२७. प०—अह भंते ! वीत्तिगालस्त वीयधूमस्त संजोयणा—दोस-विप्पमुक्कस्त पाणभोयणस्त के अट्ठे पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा-जाव-पडिग्गाहेत्ता, अमुच्छिए-जाव-आहारेइ ।

एस णं गोयमा ! वीत्तिगाले पाण-भोयणे ।

जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा-जाव-पडिग्गाहेत्ता नो महया अप्पत्तिर्यं-जाव-आहारेइ । एस णं गोयमा ! वीयधूमे पाण-भोयणे ।

जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा-जाव-पडिग्गाहेत्ता जहा लद्धं तथा आहारं आहारेइ । एस णं गोयमा संजोय-णादोस विप्पमुक्के पाण-भोयणे ।

एस णं गोयमा ! वीत्तिगालस्त वीयधूमस्त संजोयणा दोसविप्पमुक्कस्त पाण-भोयणस्त अट्ठे पणत्ते ।

—वि. स. ७, उ. १, सु. १८

इंगालादि दोष का स्वरूप—

२६. प्र०—हे भगवन् ! अंगारदोष सहित, धूम दोष सहित और संयोजना दोष से दूषित पान-भोजन का क्या अभिप्राय है ?

उ०—हे गौतम ! निग्रन्थ या निग्रन्थी प्रासुक एवं एपणीय अन्न-यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण कर मूर्च्छित, गूढ़, ग्रथित एवं आनक्त होकर यदि आहार करे तो हे गौतम ! यह अंगार दोष सहित पान-भोजन कहा जाता है ।

निग्रन्थ या निग्रन्थी प्रासुक एवं एपणीय अन्न—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण कर अत्यन्त अश्रीतिपूर्वक व क्रोध से खिन्न होकर यदि आहार करे तो हे गौतम ! यह धूम दोष सहित पान-भोजन कहा जाता है ।

निग्रन्थ या निग्रन्थी प्रासुक एवं एपणीय अन्न—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण कर स्वाद उत्पन्न करने के लिए दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके यदि आहार करे तो हे गौतम ! यह संयोजना दोष से दूषित पान-भोजन कहा जाता है ।

हे गौतम ! इस प्रकार अंगार दोष, धूमदोष, संयोजना दोष से दूषित पान भोजन का यह अभिप्राय है ।

इंगालादि दोष रहित आहार का स्वरूप—

२७. प्र०—हे भगवन् ! अंगारदोषरहित, धूमदोषरहित और संयोजनादोष रहित भोजन का क्या अर्थ कहा गया है ?

उ०—हे गौतम ! निग्रन्थ या निग्रन्थी—यावत्—आहार ग्रहण करके मूर्च्छा रहित होकर—यावत्—आहार करे तो हे गौतम ! यह अंगार दोष रहित पान-भोजन कहा जाता है ।

निग्रन्थ या निग्रन्थी—यावत्—आहार ग्रहण करके अत्यन्त अश्रीतिपूर्वक—यावत्—आहार न करे तो हे गौतम ! वह धूम-दोष रहित पान-भोजन कहा जाता है ।

निग्रन्थ या निग्रन्थी—यावत्—आहार ग्रहण करके जैसा आहार प्राप्त हुआ है, वैसा ही आहार करे (किन्तु स्वाद के लिए अन्य पदार्थ के साथ संयोग न करे) तो हे गौतम ! यह संयोजना दोष रहित पान-भोजन कहा जाता है ।

हे गौतम ! इस प्रकार अंगारदोष रहित, धूमदोष रहित और संयोजना दोष रहित पान-भोजन का यह अर्थ कहा गया है ।

१ अंगार दोष और धूम दोष की व्याख्या देखिए—पिण्डनिर्युक्ति गाथा ६५५-६६० ।

२ संयोजना दोष का उदाहरण, व्याख्या और भेद—देखिए पिण्डनिर्युक्ति गाथा ६२६-६४२ ।

खेत्ताइककंतादिदोषाणं सरूवं—

२८. प०—अहं भन्ते ! खेत्तातिवकंतस्स कालातिवकंतस्स, मग्गातिवकंतस्स, पमाणातिवकंतस्स पाणभोयणस्स के अट्ठे पण्णत्ते ?

उ०—गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं-जाव-साइमं अणुग्गते सूरिए पडिग्गाहिन्ता, उग्गते सूरिए आहारं आहारेति ।

एसं णं गोयमा ! खेत्तातिवकंते पाण-भोयणे ।^१

जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं-जाव-साइमं पढमाए पोरिसीए पडिगाहेत्ता, पच्छिमं पोरिसं उवायणावेत्ता आहारं आहारेति ।

एसं णं गोयमा ! कालातिवकंते पाण-भोयणे ।

जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं-जाव-साइमं पडिगाहिन्ता परं अट्ठजोयणमेराए वीतिवकमावेत्ता आहारमाहारेति ।

एसं णं गोयमा ! मग्गातिवकंते पाण-भोयणे ।

१. जे णं निग्गंथे वा, निग्गंथी वा फासुएसणिज्जं असणं-जाव-साइमं पडिगाहेत्ता परं वत्तीसाए कुक्कुटि^२अंडगप्पमाणमेत्ताणं कवलणं आहारं आहारेइ ।

एसं णं गोयमा ! पमाणाइककंते पाण-भोयणे ।

२. अट्ठ कुक्कुटि अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे अप्पाहारे ।

३. बुवालस कुक्कुटि अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे अवट्ठमोयरिया ।

४. सोत्तस कुक्कुटि अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे दुमागपत्ते अट्ठोमोयरिया ।

५. च्चट्ठवीसं कुक्कुटि अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं आहारेमाणे तिमाग पत्ते, अंसिया ओमोयरिया ।

क्षेत्रातिक्रान्त आदि दोष का स्वरूप—

२८. प्र०—भगवान् ! क्षेत्रातिक्रान्त, कालातिक्रान्त, मार्गातिक्रान्त और प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन का क्या अर्थ कहा गया है ?

उ०—हे गौतम ! जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक और एषणीय अशन—यावत्—स्वादिम को सूर्योदय से पूर्व ग्रहण करके सूर्योदय के पश्चात् उस आहार को करते हैं तो हे गौतम ! यह क्षेत्रातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है ।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक एवं एषणीय अशन—यावत्—स्वादिम आहार को प्रथम प्रहर (पौरुषी) में ग्रहण करके चतुर्थ प्रहर तक रखकर सेवन करते हैं, तो

हे गौतम ! यह कालातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है ।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक एवं एषणीय अशन—यावत्—स्वादिम आहार को ग्रहण करके आधे योजन-दो कोस (की मर्यादा) का उल्लंघन करके खाते हैं ।

हे गौतम ! यह मार्गातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है ।

(१) जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी प्रासुक एवं एषणीय अशन—यावत्—स्वादिम आहार ग्रहण करके अपने मुखप्रमाण वत्तीस कवल से अधिक आहार करता है ।

हे गौतम ! यह प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन कहा जाता है ।

(२) अपने मुखप्रमाण आठ कवल आहार करने से अल्पाहार कहा जाता है ।

(३) अपने मुखप्रमाण चारह कवल आहार करने से कुछ कम अर्थ ऊनोदरिका कही जाती है ।

(४) अपने मुखप्रमाण सोलह कवल आहार करने से द्विभाग प्राप्त आहार और अर्द्ध ऊनोदरी कही जाती हैं ।

(५) अपने मुखप्रमाण चौबीस कवल आहार करने से त्रिभाग प्राप्त आहार और एक भाग ऊनोदरिका कही जाती है ।

१ क्षेत्रातिक्रान्त—२. यहां क्षेत्र शब्द का अर्थ है—सूर्य का ताप क्षेत्र, उसका अतिक्रमण करना क्षेत्रातिक्रान्त है । तात्पर्य यह है कि—जहां साधु-साध्वी रहते हैं वहां सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद याने रात्रि में आहार करना क्षेत्रातिक्रान्त दोष है । सूर्योदय बाद और सूर्यास्त पूर्व आहार करना क्षेत्रातिक्रान्त दोष नहीं है ।

२ “कुक्कुटि अंडग” शब्द की टीका में अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है । यथा—

(I) निजकस्याहारस्य सदा यो द्वात्रिंशत्तमो भागो तत् कुक्कुटी प्रमाणे ।

(II) कुत्सिता कुटी कुक्कुटी शरीरमित्यर्थः । तस्या. शरीर रूपायाः कुक्कुट्या अंडकमिव अंडकं—मुखं ।

(III) यावत् प्रमाणमात्रेण कवलेन मुखे प्रक्षिप्यमाणेन मुखं न विकृतं भवति तत्स्थल कुक्कुटांडकप्रमाणम् ।

(IV) अयमन्यः विकल्पः कुक्कुटांडकप्रमाणे कवले ।

(V) अयमन्योऽर्थः—“कुक्कुटांडक” प्रमाणमात्र शब्दस्येत्यर्थः—एतेन कवलमात्रेणादिना संख्या दृष्टव्याः ।

—अभि. रा. कोष ऊणोयरिया-प. १०८२ ।

६. एगतीसं कुक्कुडो अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं
आहारेमाणे किच्चूणोमोयरिया ।

७. वत्तीसं कुक्कुडि अंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं
आहारेमाणे पमाणपत्ते,

एत्तो एकेण वि कवलेण ऊणगं आहारं आहारेमाणे
समणे निग्गंथे नो पकामभोईत्ति वत्तव्वं सिया ।

एसं णं गोयमा ! खेत्ताइक्कंतस्स, कालाइक्कंतस्स,
मग्गाइक्कंतस्स, पमाणाइक्कंतस्स पाण-भोयणस्स
अट्ठे पण्णत्ते ।^१ —वि. स. ७, उ. १, सु. १६

आहारकरण कारण—

२६. छहिं ठाणेहिं समणे निग्गंथे आहारमाहारेमाणे णातिक्कमत्ति,
तं जहा—

वेयण वेयावच्चे, इरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुण धम्मच्चित्ताए ॥^२

—ठाणं. अ. ६, सु. ५००

आहार अकरण कारण—

३०. छहिं ठाणेहिं समणे निग्गंथे आहारं वोच्छिदमाणे णातिक्क-
मत्ति, तं जहा—

आतंके उवसग्गे, तित्तिक्खणे बंभचेरगुत्तीए ।

पाणिदया-तवहेउं, सरीरवुच्छेयणट्ठाए ॥^१

—ठाणं. अ. ६, सु. ५००

कालाइक्कंत-आहार-रक्खण-भुंजण-णिसेहो पायच्चित्तं
च—

३१. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा असणं वा-जाव-
साइमं वा, पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहेत्ता, पच्छिमं पोरिसिं
उवाइणावेत्तए ।

से य आहच्च उवाइणावए सिया तं नो अप्पणा भुंजेज्जा,
नो अन्नेसि अणुपदेज्जा ।

एगन्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहित्ता पमज्जिता परिदुयथे
सिया ।

(६) अपने मुखप्रमाण एकतीस कवल आहार करने से
किंचित् ऊणोदरिका कही जाती है ।

(७) अपने मुखप्रमाण वत्तीस कवल आहार करने से प्रमाण
प्राप्त आहार कहा जाता है ।

इससे एक भी कवल कम आहार करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ
प्रकामभोजी नहीं कहा जा सकता है ।

हे गौतम ! इस प्रकार क्षेत्रातिक्रान्त, कालातिक्रान्त, मार्गा-
तिक्रान्त और प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन का यह अर्थ कहा
गया है ।

आहार लेने के कारण—

२६. छह कारणों से श्रमण निर्ग्रन्थ आहार को ग्रहण करता हुआ
भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । जैसे—

(१) वेदना—भूख को पीड़ा दूर करने के लिए ।

(२) गुरुजनों की वैयावृत्त्य करने के लिए ।

(३) ईर्यासिमिति का पालन करने के लिए ।

(४) संयम की रक्षा के लिए ।

(५) प्राण-धारण करने के लिए ।

(६) धर्म का चिन्तन करने के लिए ।

आहार त्यागने के कारण—

३०. छह कारणों से श्रमण निर्ग्रन्थ आहार का परित्याग करता
हुआ भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । जैसे—

(१) आतंक—ज्वर आदि आकस्मिक रोग हो जाने पर ।

(२) उपसर्ग—देव, मनुष्य, तिर्यंचकृत उपद्रव होने पर ।

(३) तितिक्षा—ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए ।

(४) प्राणियों की दया करने के लिए ।

(५) तप की वृद्धि के लिए ।

(६) शरीर व्युत्सर्ग (संधारा) करने के लिए ।

कालातिक्रान्त आहार रखने व खाने का निषेध व
प्रायश्चित्त—

३१. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को प्रथम पीरूपी में ग्रहण किए
हुए अशन—यावत्—स्वादिम को अन्तिम पीरूपी तक अपने पास
रखना नहीं कल्पता है ।

कदाचित् वह आहार रह जाय तो उसे स्वयं न खावे और
न अन्य को दे ।

किन्तु एकान्त और सर्वथा अचित्त स्थंडिल भूमि का प्रति-
लेखन एवं प्रमार्जन कर उस आहार को परठ देना चाहिए ।

१ व्यव. सूत्र-३०४ सू. १७ में अट्ट कुक्कुडी वत्तव्वं सिया तक पाठ है ।

२ उक्त. अ. २६, गा. ३२ ।

—व्यव. भाष्य. गा. २६६ से ३०१ की टीका

२ उक्त. अ. २६, गा. ३४ ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अन्नेसि वा दलमाणे,
आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं^१ ॥

—कप्प. उ. ४, सु. १६

जे भिक्खू पट्टमाए पोरिसीए असणं वा-जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेत्ता पच्छिमं पोरिसि उवाइणावेइ, उवाणावेत्तं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ३०

मार्गातिक्रान्त आहार रक्खण भुंजण णिसेहो पायच्छित्तं
च—

३२. नो कप्पड निग्गंवाण वा, निग्गंथीण वा असणं वा-जाव-
साइमं वा, परं अट्ठजोयणमेराए उवाइणावेत्तए^२ ।

से य आहञ्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भुंजेज्जा,
नो अन्नेसि अणुपदेज्जा ।

एगन्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिता पमज्जित्ता परिट्ठुवेयव्वे
सिया ।

तं अप्पणा भुंजमाणे, अन्नेसि वा दलमाणे, आवज्जइ
चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—कप्प. उ. ४, सु. १७

जे भिक्खू परं अट्ठजोयण मेराओ असणं वा-जाव-साइमं वा
उवाइणावेइ, उवाणावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ३१

आहारस्स वण्णं अवण्णं ण णिहिसे—

३३. निट्ठणं रसनिज्जूढं, भट्ठणं पावगंति वा ।

पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा, लामालामं न निहिसे ॥

—दस. अ. ८, गा. २२

उस आहार को स्वयं खावे या अन्य को दे तो वह उद्घातिक
चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

जो भिक्षु प्रथम पोरिपी में अशन—यावत्—स्वाद्य ग्रहण
करके अन्तिम पोरिपी तक रखता है, रखवाता है या रखने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मार्गातिक्रान्त आहार रखने व खाने का निषेध व
प्रायश्चित्त—

३२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अशन—यावत्—स्वादिम
आहार अर्धयोजन की मर्यादा से आगे अपने पास रखना नहीं
कल्पता है ।

कदाचित् वह आहार रह जाय तो उस आहार को स्वयं न
खावे और न अन्य को दे ।

किन्तु एकान्त और सर्वथा अचित्त स्थंडिल भूमि का प्रति-
लेखन एवं प्रमार्जन कर उस आहार को परठ देना चाहिए ।

यदि उस आहार को स्वयं खावे या अन्य को दे तो वह उद्-
घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है ।

जो भिक्षु अर्ध योजन के उपरान्त अशन—यावत्—स्वाद्य
रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

आहार को प्रशंसा और निन्दा का निषेध—

३३. किन्ती के पूछने पर या बिना पूछे सर्व गुण सम्पन्न आहार
के लिए यह बहुत बढ़िया है और खट्टा नारा आदि के लिए यह
खराब है ऐसा न कहे तथा इनकी प्राप्ति या अप्राप्ति के सम्बन्ध
में कुछ नहीं कहे ।



१ कालातिक्रान्त और मार्गातिक्रान्त आहार के खाने का निषेध और परठने का विधान का तात्पर्य यह है कि—उक्त दोनों प्रकार
के आहारों में चौथे प्रहर के बाद तथा आधा योजन जाने के बाद संग्रह वृत्ति और जीव-संयुक्तता आदि की सम्भावना रहती है ।

—बृहत्कल्प भाष्य सू. १७ की टीका पृ. १४००

२ वर्षावास में यदि मार्ग के बीच में नदी बहती हो तो अर्ध योजन जाना भी नहीं कल्पता है । स्पष्टीकरण हेतु देखिए—वर्षावास
समाचारी ।

—दसा. द. ८, सु. १०-११

संखंडी-गमन—११

परमद्वजोयण मेराए संखंडीए य गमणणिसेहो—

३४. से भिक्खु वा भिक्खुणी वा परं अद्वजोयणमेराए संखंडि संखंडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खु वा भिक्खुणी वा—

१. पाईणं संखंडि णच्चा पडोणं गच्छे अणाढायमाणे,

२. पडोणंसंखंडि णच्चा पाईणं गच्छे अणाढायमाणे,

३. दाहिणं संखंडि णच्चा उदीणं गच्छे अणाढायमाणे,

४. उदीणं संखंडि णच्चा दाहिणं गच्छे अणाढायमाणे ।

जत्येव सा संखंडी सिया, तं जहा—

गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा संखंडि संखंडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

केवली बूया—आयाणमेयं ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. २, सु. ३३८

संखंडीगमणे उप्पण्णदोसाइं—

३५. संखंडि संखंडिपडियाए अभिसंधारेमाणे आहाकम्मियं वा, उद्देसियं वा भीसजायं वा, कीयगडं वा, पामिच्चं वा, अच्छेज्जं वा, अणिसिट्ठं वा अभिहडं वा आहट्टु दिज्जमाणं भुंजेज्जा,

अस्संजते भिक्खुपडियाए—

१. खुड्डियदुवारियाओ महल्लियाओ कुज्जा,

२. महल्लियदुवारियाओ खुड्डियाओ कुज्जा,

३. समाओ सेज्जाओ विसमाओ कुज्जा,

४. विसमाओ सेज्जाओ समाओ कुज्जा,

५. पवाताओ सेज्जाओ णिवायाओ कुज्जा,

६. णिवायाओ सेज्जाओ पवाताओ कुज्जा,

७. अंतो वा, वहिं वा उवस्सयस्स हरियाणी छिदिय छिदिय दालियं दालियं संथारणं संथारेज्जा, एस विलुंगयामो सिज्जाए ।

आधा योजन उपरान्त संखंडी में जाने का निषेध—

३४. भिक्षु या भिक्षुणी अर्द्ध योजन की सीमा से आगे संखंडि (बड़ा जीमनवार) ही यह जानकर संखंडि में निष्पन्न आहार लेने के निमित्त से जाने का विचार न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी—

(१) पूर्वदिशा में संखंडि जाने तो वह उसके प्रति अनादर भाव रखते हुए पश्चिम दिशा में जाए ।

(२) पश्चिम दिशा में संखंडि जाने तो उसके प्रति अनादर भाव रखते हुए पूर्व दिशा में चला जाए ।

(३) दक्षिण दिशा में संखंडि जाने तो उसके प्रति अनादर भाव रखकर उत्तर दिशा में चला जाए ।

(४) उत्तर दिशा में संखंडि जाने तो उसके प्रति अनादर भाव रखकर दक्षिण दिशा में चला जाए ।

संखंडि जहाँ भी हो, जैसे कि—

गाँव में हो—यावत्—राजधानी में हो, उस संखंडि में संखंडि के निमित्त से न जाए ।

केवलज्ञानी भगवान् कहते हैं—यह कर्मवन्धन का कारण है ।

संखंडी में जाने से होने वाले दोष—

३५. संखंडि में बढ़िया भोजन लाने के संकल्प से जाने वाला भिक्षु आधाकर्मिक, औद्देशिक, मिश्रजात, क्रीत, प्रामित्य, बलात् छीना हुआ, दूसरे के स्वामित्व का पदार्थ उसकी अनुमति के बिना लिया हुआ या सम्मुख लाकर दिया हुआ आहार चायेगा ।

तथा कोई गृहस्थ भिक्षु के संखंडि में पधारने की सम्भावना से—

(१) छोटे द्वार को बड़ा बनाएगा,

(२) बड़े द्वार को छोटा बनाएगा ।

(३) समस्थान को विपम बनाएगा,

(४) विपम स्थान को सम बनाएगा ।

(५) वातयुक्त स्थान को निर्वात बनाएगा,

(६) निर्वात स्थान को हवादार बनाएगा,

(७) उपाश्रय के अन्दर और बाहर (उगी हुई) हरियाली को काटेगा, उसे जड़ से उखाड़कर वहाँ आसन बिछाएगा । इस विचार से कि ये निर्ग्रन्थ मकान का कोई सुधार करने वाले नहीं हैं ।

तम्हा से संजते णियंठे तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा, पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. २, सु. ३३८ (ख)

संखडीभोजने उत्पन्नदोसाइं—

३६. से एगतिओ अण्णतरं संखडिं आसित्ता पिचित्ता छड्ढेज्ज वा, वमेज्ज वा, भुत्ते वा से णो सम्मं परिणमेज्जा, अण्णतरे वा से दुक्खे रोगातंके समुप्पजेज्जा ।

केवली ब्रूया—आयाणमेयं ।

इह खलु भिक्खू गाहावतीहिं वा, गाहावतीणी वा परिवाय-एहिं वा परिवाइयाहिं वा एगज्जं सड्ढिं सोडं पाउं भो वति-मिस्सं हरत्था वा उवस्सयं पडिलेहमाणे णो लभेज्जा तमेव उवस्सयं सम्मिस्सोभावमावजेज्जा, अण्णमणे वा से भत्ते विप्परियासियमूते इत्थिविग्गहे वा, फिलीवे वा, तं भिक्खुं उवसं कमित्तु ब्रूया—

“आउसंतो समणा ! अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, रातो वा, वियाले वा गामधम्मनिधंतिथं कट्टु रहस्सियं भेह्णुणधम्मपरियारणाए आउट्टामो ।” तं चेगइओ सातिज्जेज्जा ।

अकरणिज्जं चेत्तं संखाए, एते आयाणा संति संचिज्जमाणा पच्चवाया भवंति ।

तम्हा से संजए णियंठे तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा, पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ३, सु. ३४०

आइण्णसंखडीए गमणणिसेहो तद्दोसाइं च—

३७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा गामं वा -जाव-रायहाणिं वा, इमंसि खलु गामंसि वा-जाव-रायहा-णिंसि वा संखडिं सिया, तं पि याइं गामं वा-जाव-रायहाणिं वा संखडिं संखडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।
केवली ब्रूया आयाणमेयं ।

आइण्णोमाणं संखडिं अणुपविस्समाणस्स—

१. पाएण वा पाए अककंतपुट्ठे भवति,

२. हत्थेण वा हत्थे संचालियपुट्ठे भवति,

इसलिए संयमी निर्ग्रन्थ इस प्रकार की (नामकरण, विवाह आदि के उपलक्ष्य में होने वाली, पूर्वसंखडि (प्रीतिभोज) पश्चात् संखडि (मृतक भोज) में संखडि की दृष्टि से जाने का मन में संकल्प न करें ।

संखडी में भोजन करने से उत्पन्न दोष—

३६. कोई एक भिक्षु को किसी संखडी में अधिक सरस आहार खाने-पीने से दस्तें लग सकती हैं या वमन हो सकते हैं अथवा खाये गये आहार का सम्यग् परिणमन नहीं होने से कोई दर्द या रोगातंक पैदा हो सकता है ।

इसलिए केवली भगवान् ने कहा है—यह कर्मबंध का कारण है ।

संखडी में भिक्षु गृहस्थ, गृहस्थ पत्नियाँ, परिव्राजक, परिव्राजिकाएँ सब एक साथ एकत्रित होकर मद्य पीकर गवेपणा करने पर भी कदाचित् अलग-अलग स्थान न मिलने पर एक ही स्थान में मिश्रित रूप से ठहरने का प्रसंग प्राप्त होगा । वहाँ से गृहस्थ, गृहस्थपत्नियाँ आदि नशे में मत्त एवं अन्यमनस्क होकर अपने आप को भूल जाएँगे और स्त्रियाँ या नपुंसक उस भिक्षु के पास आकर कहेंगे—

“आयुष्मन् श्रमण ! किसी वगीचे या उपाश्रय में रात्रि में या विकाल में इन्द्रिय विषयों की पूर्ति के लिए एकान्त स्थान में हम मैथुन-सेवन करेंगे ।” उस प्रार्थना को कोई एक साधु स्वीकार भी कर सकता है ।

किन्तु यह साधु के लिए सर्वथा अकरणीय है, यह जानकर संखडी में न जाए क्योंकि संखडी में जाना कर्मों के आस्रव का कारण है । इसमें जाने से कर्मों का संचय बढ़ता है तथा पूर्वोक्त दोष उत्पन्न होते हैं ।

इसलिए संयमी निर्ग्रन्थ पूर्व संखडी या पश्चात् संखडी में जाने का विचार भी न करें ।

आकीर्ण संखडी में जाने का निषेध व उसके दोष—

३७. भिक्षु या भिक्षुणी गाँव—यावत्—राजधानी के विषय में जाने कि इस गाँव—यावत्—राजधानी में संखडी है तो उस गाँव—यावत्—राजधानी में संखडी की प्रतिज्ञा से जाने का विचार भी न करे ।

केवली भगवान् कहते हैं कि—यह अशुभ कर्मों के बन्ध का कारण है ।

आकीर्ण और अवमान संखडी में प्रविष्ट होने से—

(१) पैर से पैर टकरायेंगे ।

(२) हाथ से हाथ संचालित होंगे ।

३. पाएणं वा पाए आवडियपुन्वे भवति,
४. सीसेणं वा सीसे संघट्टियपुन्वे भवति,
५. काएण वा काए, संखोभितपुन्वे भवति,
६. दंडेण वा, अट्टीण वा, मुट्टीण वा, लेलुणा वा, कवालेण वा, अभिहत पुन्वे भवति,
७. सीतोदएण वा ओसित्तपुन्वे भवति,
८. रयसा वा परिघासित्तपुन्वे भवति,
९. अणेसणिज्जे वा परिभुत्तपुन्वे भवति,
१०. अणोसिं वा दिज्जमाणे पडिगाहितपुन्वे भवति ।

तन्हा से संजते णियंठे तहप्पगारं आइण्णोमाणं संखडि संखडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ३, सु. ३४२

उत्सवेषु आहारस्स ग्रहण विही णिसेहो—

३८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठे समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा—असणं वा-जाव-साइमं वा अट्टमीपोसहिएसु वा, अट्टमासिएसु वा, मासिएसु वा, दोमासिएसु वा, तेमासिएसु वा, चाउमासिएसु वा, पंचमासिएसु वा, छम्मासिएसु वा ।
- उऊसु वा, उदुगंधीसु वा, उदुपरियट्ठेसु वा, वहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगे—

एगातो उक्खातो परिएसिज्जमाणे पेहाए,
दोहि उक्खाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए,
तिहि उक्खाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए,
चडहि उक्खाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए,
कुंभीमुहातो वा कलोवातितो वा, संणिहीसंणिचयातो वा,
परिएसिज्जमाणे पेहाए,
तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अपुरिसंतरकडं-जाव-अणासेवितं अफासुयं-जाव णो पडिगाहेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडं-जाव-आसेवितं फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ३३५

महामहेसु आहारस्स ग्रहण विहि णिसेहो—

३९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठे समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-असणं वा-जाव-साइमं वा समवाएसु वा, पिंडणिघरेसु वा, इंदमहेसु वा, खंदमहेसु वा, रुदमहेसु वा, मुगुंदमहेसु वा, भूतमहेसु वा,

- (३) पात्र से पात्र रगड़ खाएगा ।
- (४) सिर से सिर का स्पर्श होकर टकराएगा ।
- (५) शरीर से शरीर का संघर्षण होगा ।
- (६) डण्डे, हड्डी, मुट्टी, डेला-पत्थर या चप्पर से एक दूसरे पर प्रहार होना भी सम्भव है ।
- (७) (इसके अतिरिक्त) पानी के छंटे लग सकते हैं ।
- (८) रज-धूल आदि से भर सकता है ।
- (९) अनैषणीक आहार का उपभोग करना पड़ सकता है ।
- (१०) अन्य को दिया जाने वाला आहार ग्रहण किया जा सकता है ।

अतः वह संयमी निग्रन्थ इस प्रकार की जनाधीणं एवं अल्प आहार वाली संवडी में संवडी के संकल्प से जाने का विचार न करे ।

उत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि निषेध—

३८. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार प्राप्ति के निमित्त प्रविष्ट होने पर अशन—यावत्—स्वाद्य के विषय में यह जाने कि यह आहार अष्टमी पीपघ व्रत के उपलक्ष्य में तथा अट्ट-मासिक (पाक्षिक), मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक और षण्मासिक उत्सवों के उपलक्ष्य में, तथा ऋतुओं, ऋतुसन्धियों एवं ऋतु-परिवर्तनों के उत्सवों के उपलक्ष्य में बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्री एवं भिक्वारियों को,

एक मुत्र वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर,
दो मुत्र वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर,
तीन मुत्र वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर,
एवं चार मुत्र वाले वर्तनों से परोसते हुए देखकर,
तथा सैंकड़े मुंह वाली कुम्भी और वांस की टोकरी एवं सन्निधि संचय के स्थान से लेकर परोसते हुए देखकर
इसी प्रकार के अशन—यावत्—स्वादिम जो कि पुरुषान्तर-कृत नहीं है अनासेवित है तो उस आहार को अप्रासुक जानकर —यावत्—ग्रहण न करे ।

यदि ऐसा जाने कि यह आहार पुरुषान्तरकृत है—यावत्—आसेवित है तो उस आहार को प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे ।

महामहोत्सवों में आहार के ग्रहण का विधि निषेध—

३९. भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होते समय अशन—यावत्—स्वाद्य के विषय में यह जाने कि—मेला, पितृपिण्ड के निमित्त भोज तथा इन्द्र महोत्सव, स्कन्द महोत्सव, रुद्रमहोत्सव, मुकुन्द-महोत्सव, भूत-महोत्सव, यक्ष-

जक्षमहेसु वा, नागमहेसु वा, यूभमहेसु वा, चैतियमहेसु वा, रुक्षमहेसु वा, गिरिमहेसु वा, दरिमहेसु वा, अगडमहेसु वा, तलायमहेसु वा, दहमहेसु वा, णदिमहेसु वा, सरमहेसु वा, सागरमहेसु वा, आगरमहेसु वा, अण्णतरेसु वा, तहप्पगारेसु वा, विरुद्धवेसु वा, महामहेसु वट्टमाणेसु,

बहवे समण-जाव-वणीमए एगतो उवखातो परिएत्तिज्जमाणे पेहाए-जाव-संणिहिंसंणिचित्ताओ वा परिएत्तिज्जमाणे पेहाए, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा अपुरिसंतरकडं-जाव-अणासेवितं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

अहं पुण एवं जाणेज्जा—दिणं तं तेतिं दायव्वं, अहं तत्थ भुंजमाणे पेहाए गाहावतिमारियं वा, गाहावति-मगिणि वा, गाहावतिपुत्तं वा, गाहावतिघूर्यं वा, सुण्हं वा, धातिं वा, दासं वा, दासिं वा, कम्मकरं वा, कम्मकरिं वा से पुच्चावेव आलोएज्जा—

प०—“आउसो ! त्ति वा, भगिणि ! त्ति वा, दाहिसि मे एत्तो अण्णयरं भोजणजायं ?

उ०—से सेवं वदंतस्स परो असणं वा-जाव-साइमं वा आहट्टं दलएज्जा, तहप्पगारं असणं वा-जाव-साइमं वा सयं वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. नु. २, अ. १, उ. २, नु. ३३७

आइण्ण अणाइण्ण संखडीए गमण विहि-णिसेहो—

४०. से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपट्टिठे समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा-आहेणं वा, पहेणं वा, हिगोलं वा, संभेलं वा, हीरमाणं पेहाए ।

१. अंतरा से मग्गा बहुपाणा-जाव-मक्कडा संताणगा ।

२. बहवे तत्थ समण-जाव-वणीमगा उवागता उवा-गमिस्संति ।

३. अच्चाइणा चित्ति ।

४. णो पण्णस्स णिक्खमणपवेसाए ।

५. णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्टणाऽणुप्पेह-धम्माणुयोग-चित्ताए ।

महोत्सव, नाग-महोत्सव, स्तूप-महोत्सव, चैत्य-महोत्सव वृक्ष-महोत्सव, पर्वत-महोत्सव, गुफा-महोत्सव, कूप-महोत्सव, तालाव-महोत्सव, द्रह-महोत्सव, नदी-महोत्सव, सरोवर-महोत्सव, सागर-महोत्सव या आकर-महोत्सव, एवं अन्य भी इसी प्रकार के विभिन्न महोत्सव हो रहे हों,

उसमें बहुत से श्रमण—यावत्—याचकों को एक मुख वाले वर्तन से परोसते हुए देखकर—यावत्—सन्निधि संचय के स्थान से लेकर परोसते हुए देखकर इसी प्रकार के अणन—यावत्—स्वाद्य जो कि अपुरुपान्तरकृत—यावत्—अनासेवित है तो उस आहार को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

यदि वह यह जाने कि जिनको देना था उनको दिया जा चुका है, अब वहाँ गृहस्वामी की पत्नी, वहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, धायमाता, दास, दासी, नौकर या नौकरानी को भोज करते हुए देखकर पूछे कि—

प्र०—“हे अणुप्पमन् गृहस्य या वहन ! क्या मुझे इस भोजन में से कुछ दोगी ?”

उ०—ऐसा कहने पर वह गृहस्य अणन—यावत्—स्वाद्य आहार लाकर साधु को दे तो इस प्रकार के अणन—यावत्—स्वाद्य की स्वयं याचना करे या वह गृहस्य स्वयं दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे ।

आकीर्ण या अनाकीर्ण संखडी में जाने का विधि-निषेध—

४०. गृहस्य के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करते समय भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि—वर के घर का भोजन, वधु के घर का भोजन, मृत व्यक्ति की स्मृति में बनाया गया भोजन, गोठ, पुत्र जन्म आदि के लिए बनाया गया भोजन, अन्यत्र ले जाया जा रहा है तथा—

(१) मार्ग में बहुत से प्राणी—यावत्—मकड़ी के जाले हैं ।

(२) वहाँ बहुत से शाक्यादि-श्रमण—यावत्—भिक्षारी आदि आये हुए हैं और आयेंगे ।

(३) संखडीस्थल जनता की भीड़ से अत्यन्त घिरा हुआ है ।

(४) वहाँ प्राज्ञ साधु का निर्गमन प्रवेश का व्यवहार उचित नहीं है ।

(५) वहाँ प्राज्ञ भिक्षु की वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, और धर्मकथारूप स्वाध्याय प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ।

से एवं णच्चा तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडिं पडियाएणो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिंडवाय-पडियाए अणुपविट्ठे समाणे से उजं पुण जाणेज्जा—आहेणं वा-जाव-संमेलं वा हीरमार्णं पेहाए ।

१. अंतरा से मग्गा अप्पंडा-जाव-संताणगा,

२. णो जत्थ वहवे समण-जाव-वणीमगा उवागता; उवाग-मिस्संति,

३. अप्पाइण्णा वित्ती,

४. पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए,

५. पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्ठणाऽणुप्पेह धम्माणुओग-चित्ताए ।

सेवं णच्चा तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा, पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडिं पडियाए अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

—आ० सु० २, अ० १, उ० ४, सु० ३४८

संखडीगमणाए साइट्ठाणंसेवणणिसेहो—

४१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अण्णतरं संखडिं सोच्चा णिसम्मं संपहावति उत्सुयभूतेणं अप्पाणेणं, धुवा संखडी । णो संचा-एति तत्थ इतराइत्तरेह कुलेहं सामुदाणिं एसियं वेसियं पिण्डवातं पडिगाहेत्ता आहारं आहारेत्तए । साइट्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

से तत्थ कालेण अणुपविसित्ता तत्थितराइत्तरेह कुलेहं सामुदाणिं एसियं वेसियं पिण्डवातं पडिगाहेत्ता आहारं आहारेज्जा । —आ. सु. २, अ. १, उ. ३, सु. ३४१

रात्ति संखडिपडियाए गमणणिसेहो—

४२. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, रामो वा; वियाले वा संखडिं वा संखडिपडियाए एत्तए ।

—कप्प. उ. १, सु. ४७

संखडिपडियाए गमणस्स पायच्छित्तमुत्ताइं—

४३. जे भिक्खू संखडिपलोयणाए असणं वा-जाव-साइमं वा पडिगाहेइ पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. १४

अतः यह जानकर भिक्षु इस प्रकार की पूर्व-संखडी या पश्चात् संखडी में संखडी की प्रतिज्ञा से जाने का मन में संकल्प न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करते समय यह जाने कि वर के घर का भोजन—यावत्—गोठ, पुत्र जन्म आदि का भोजन अन्यत्र ले जाया जा रहा है तथा—

(१) मार्ग में बहुत से प्राणी—यावत्—मकड़ी के जाले भी नहीं हैं ।

(२) बहुत से श्रमण—यावत्—भिक्षावर अभी नहीं आये हैं और न आयेंगे ।

(३) लोगों की भीड़ भी बहुत कम है ।

(४) प्राज्ञ निर्गमन-प्रवेश कर सकता है ।

(५) वहाँ प्राज्ञ साधु का वाचना पृच्छना आदि धर्मानुयोग चिन्तन हो सकता है ।

ऐसा जान लेने पर उस प्रकार की पूर्व संखडी या पश्चात् संखडी में संखडी की प्रतिज्ञा से जाने का विचार कर सकता है ।

संखडी में जाने के लिए मायास्थान सेवन का निषेध—

४१. भिक्षु या भिक्षुणी संखडी के विषय में सुनकर मन में विचार करके उत्सुक भावों से संखडी में जाने के लिए भिक्षा के असमय में जल्दी-जल्दी जाता है तो वह अन्यान्य घरों में सामुदानिक एषणीय व साधु के वेश से प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर आहार नहीं कर सकेगा । ऐसा करना मायास्थान का सेवन करना है, अतः साधु ऐसा न करे ।

भिक्षु को वहाँ समय पर ही भिक्षा के लिए प्रवेश कर विभिन्न कुलों से सामुदानिक एषणीय व वेप से प्राप्त निर्दोष भिक्षा ग्रहण कर आहार करना चाहिए ।

रात्रि में संखडी के लिए जाने का निषेध—

४२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को संखडी में संखडी के लिए भी रात्रि में या विकाल में जाना नहीं कल्पता है ।

संखडी के लिए जाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४३. जो भिक्षु संखडी में खाद्य सामग्री को देखते हुए अशन—यावत्—खाद्य आहार को ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है, ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जे-भिक्षू आहेणं वा-जाव-संमेलं वा अन्नपरं वा तहस्पगारं
विह्वह्वचं हीरमाणं पेहाए ताए आसाए, ताए पिवासाए-तं
रयणि अण्णत्य उवाइणावेइ, उवाइणावतं साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घा-
इयं । —नि. उ. ११, सु. ८०

जो भिक्षु वर के घर का भोजन—यावत्—गोठ आदि का
भोजन तथा अन्य भी ऐसे त्रिविध प्रकार के भोजन को ले जाते
हुए देखकर उनकी आशा से, अभिलाषा से जहाँ ठहरा है, वहाँ
से दूसरी जगह रात्रि विश्राम करता है, करवाता है, करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



सागारिक—१२

सागारियस्स असणाइ गहणणिसेहो—

४४. से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा जस्सुवस्सए संवसेज्जा तस्स
पुट्ठामेव गामगोत्तं जाणेज्जा, तओ पच्छा तस्स गिहे
णिमंतेमाणस्स वा, अणिमंतेमाणस्स वा असणं वा-जाव-
साइमं वा अकासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ० सु० २, अ० २, उ० ३, सु० ४४६

परिहारिय सागारियस्स णिच्छओ—

४५. सागारिए उवस्सयं वक्कएणं पउजेज्जा, से य वक्कइयं
वएज्जा—“इमम्मि इमम्मि य ओवासे समणा निग्गंथा
परिवसंति”

से सागारिए पारिहारिए ।

से य नो वएज्जा, वक्कइए वएज्जा, से सागारिए पारिहा-
रिए ।

दो वि ते वएज्जा, दो वि सागारिया पारिहारिया ।

सागारिए उवस्सयं विक्किणेज्जा, से य कइयं वएज्जा—
“इमम्मि य इमम्मि य ओवासे समणा निग्गंथा परिवसंति”
से सागारिए पारिहारिए ।

से य नो वएज्जा, कइए वएज्जा, से सागारिए पारिहारिए ।

दो वि ते वएज्जा, दो वि सागारिया पारिहारिया ।

—वव. उ. ७, सु. २२-२३

एणे सागारिए पारिहारिए ।

दो, तिण्णि, चत्तारि, पंच सागारिया पारिहारिया ।

सागारिक के अशनादि-ग्रहण का निषेध—

४४. भिक्षु या भिक्षुणी जिसके उपाश्रय में निवास करे, उसका
नाम और गोत्र पहले से जान लें । उसके पश्चात् उसके घर में
निमंत्रित करने या न करने पर भी अशन—यावत्—स्वाद्य
आहार अप्राप्तुक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

परिहरणीय शय्यातर का निर्णय—

४५. यदि उपाश्रय किराये पर दे और किराये पर लेने वाले को
यह कहें कि—“इतने-इतने स्थान में श्रमण निर्ग्रन्थ रह रहे हैं—

इस प्रकार कहने वाला गृहस्वामी सागारिक है, अतः उसके
घर आहारादि लेना नहीं कल्पता है ।

यदि शय्यातर कुछ न कहे—किन्तु किराये पर लेने वाला
कहे तो—वह सागारिक है, अतः परिहार्य है ।

यदि किराये पर देने वाला और लेने वाला दोनों कहें तो
दोनों सागारिक हैं, अतः दोनों परिहार्य हैं ।

सागारिक यदि उपाश्रय बेचे और खरीदने वाले को यह कहे
कि—“इतने-इतने स्थान में श्रमण निर्ग्रन्थ रहते हैं ।”

तो वह सागारिक है, अतः वह परिहार्य है ।

यदि उपाश्रय का विक्रेता कुछ न कहे किन्तु खरीदने वाला
कहे तो वह सागारिक है, अतः वह परिहार्य है ।

यदि विक्रेता और क्रेता दोनों कहें तो दोनों सागारिक हैं,
अतः दोनों परिहार्य हैं ।

जिस उपाश्रय का एक स्वामी हो वह एक सागारिक पारि-
हारिक है ।

जिस उपाश्रय के दो, तीन, चार या पांच स्वामी हों, वे सब
सागारिक पारिहारिक हैं ।

एवं तस्य कप्पागं ठवइत्ता अंवसेसे निव्विसेज्जा ।

—कप्प. उ. २, सु. १३

संसट्ट-असंसट्ट सागारिय-पिंडग्रहणस्स विहि-णिसेहो—

४६. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, सागारियपिण्डं वहिया अनीहडं, असंसट्ठं वा, संसट्ठं वा पडिग्गाहित्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—सागारियपिण्डं वहिया नीहडं असंसट्ठं पडिग्गाहित्तए ।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—सागारियपिण्डं वहिया नीहडं संसट्ठं पडिग्गाहित्तए ।

—कप्प. उ. २, सु. १४-१६

सागारिय असंसट्टपिंडस्स संसट्टकरावण णिसेहो पायच्छित्तं च—

४७. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—सागारियपिण्डं वहिया नीहडं असंसट्ठं संसट्ठं करित्तए ।

जो खलु निग्गंथो वा, निग्गंथी वा—सागारियपिण्डं वहिया नीहडं असंसट्ठं संसट्ठं करेइ करंतं वा साइज्जइ ।

से इहो विइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—कप्प. उ. २, सु. १७-१८

सागारिय आहडिया गहणस्स विहि-णिसेहो—

४८. सागारियस्स आहडिया सागारिएणं पडिग्गहिया, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स आहडिया सागारिएणं अपडिग्गहिया, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

—कप्प. उ. २, सु. १९-२०

सागारिय णीहडिया गहणस्स विहि-णिसेहो—

४९. सागारियस्स नीहडिया परेण अपडिग्गहिया, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

सागारियस्स नीहडिया परेण पडिग्गहिया, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

—कप्प. उ. २, सु. २१-२२

वहाँ एक को कल्पाक-सागारिक स्थापित करके उसे पारि-हारिक मानना चाहिए और शेष घरों में आहारादि लेने के लिए जावे ।

संसृष्ट असंसृष्ट शय्यातर पिंड के ग्रहण का विधि-निषेध—

४६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक-पिण्ड जो बाहर नहीं निकाला गया है, चाहे वह अन्य किसी ने स्वीकार किया है या नहीं किया है तो लेना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक-पिण्ड जो बाहर तो निकाला गया है, किन्तु अन्य ने स्वीकार नहीं किया है तो लेना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक पिण्ड जो घर से बाहर भी ले जाया गया है और अन्य ने स्वीकार भी कर लिया है तो ग्रहण करना कल्पता है ।

शय्यातर के असंसृष्ट पिंड के संसृष्ट कराने का निषेध व प्रायश्चित्त—

४७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को घर से बाहर ले जाया गया सागारिक-पिण्ड जो अन्य ने स्वीकार नहीं किया है, उसे स्वीकृत कराना नहीं कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी घर के बाहर ले जाये गये सागारिक-पिण्ड जो अन्य से स्वीकृत नहीं है उसे स्वीकृत करता है, कराता है या कराने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह लौकिक और लोकोत्तर दोनों मर्यादा का अतिक्रमण करता हुआ चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) का पात्र होता है ।

शय्यातर के घर आये आहार के ग्रहण का विधि-निषेध—

४८. अन्य घर से आये हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण कर लिया है और वह उसमें से साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है ।

किन्तु अन्य घर से लाये हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण नहीं किया है । यदि आहार लाने वाला उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है ।

शय्यातर के अन्यत्र भेजे गये आहार को ग्रहण करने का विधि-निषेध—

४९. सागारिक के घर से अन्य घर पर ले जाये गये आहार को उस गृहस्वामी ने स्वीकार नहीं किया है । उस आहार में से साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता है ।

किन्तु सागारिक के घर से अन्य घर पर ले जाये गये आहार को उस गृहस्वामी ने स्वीकार कर लिया है । यदि वह उस आहार में से साधु को दे तो लेना कल्पता है ।

सागारिय अंसजुक्त आहारग्रहणस्स विहि-णिसेहो—

५० सागारियस्स अंसियाओ—

१. अविमत्ताओ,
२. अव्वोच्छिन्नाओ,
३. अव्वोगडाओ,
४. अनिज्जूढाओ ।

तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ।

सागारियस्स अंसियाओ विमत्ताओ, वोच्छिन्नाओ, वोगडाओ,
निज्जूढाओ,

तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

—कप्प. उ. २, सु. २३-२४

पूयाभत्तस्स ग्रहणस्स विहि-णिसेहो—

५१. सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए, चेइए, पाहुडियाए,
सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए, निसट्ठे, पाडिहारिए,तं सागारियो देज्जा, सागारियस्स परिजणो देज्जा, तम्हा
दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए, चेइए, पाहुडियाए, सागारि-
यस्स उवगरणजाए निट्टिए, निसट्ठे पाडिहारिए ।तं नो सागारियो देज्जा, नो सागारियस्स परिजणो देज्जा,
सागारियस्स पूया देज्जा, तम्हा दावए, नो से कप्पइ
पडिग्गाहित्तए ।सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए, चेइए पाहुडियाए,
सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए निसट्ठे अपाडिहारिए ।तं सागारियो देइ, सागारियस्स परिजणो देइ । तम्हा दावए,
नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ।सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए-चेइए पाहुडियाए,
सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए, निसट्ठे, अपाडिहारिए ।तं नो सागारियो देइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ, सागा-
रियस्स पूया देइ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

—कप्प, उ. २, सु. २५-२८

शय्यातर के अंशयुक्त आहार ग्रहण का विधि-निषेध—

५०. (सागारिक तथा अन्य व्यक्तियों के लिए संयुक्त निष्पन्न
भोजन में से) सागारिक का अंश (विभाग) यदि—

- (१) अविभक्त—(विभाग निश्चित नहीं किया गया हो ।)
- (२) अव्यवच्छिन्न—(विभाग न किया गया हो ।)
- (३) अव्याकृत—(निर्धारित कर अलग न किया गया हो ।)
- (४) अनिर्युद्ध—(विभाग बाहर न निकाला गया हो)

ऐसे आहार में से साधु को कोई दे तो लेना नहीं कल्पता है ।

किन्तु सागारिक के अंश युक्त आहारादि का यदि—

- (१) विभाग निश्चित हो, (२) विभाग कर दिया हो,
- (३) उसे अलग कर दिया हो,
- (४) विभाग बाहर निकाला गया हो,

शेष आहार में से साधु को कोई दे तो लेना कल्पता है ।

पूज्य पुरुषों के आहार के ग्रहण करने के विधि-निषेध—

५१. सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के उद्देश्य से
जो आहार अपने उपकरणों में बनाया है और उन्हें प्रातिहारिक
दिया है ।उस आहार में से यदि सागारिक या उसके परिजन दें तो
साधु को लेना नहीं कल्पता है ।सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के उद्देश्य से
जो आहार अपने उपकरणों में बनाया है और उन्हें प्रातिहारिक
दिया है ।उस आहार में से न सागारिक दे और न सागारिक के परि-
जन दें किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुष दें तो भी साधु को लेना
नहीं कल्पता है ।सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के उद्देश्य से
जो आहार अपने उपकरणों में बनाया है और उन्हें अप्रातिहारिक
दिया है ।यदि उस आहार में से सागारिक या उसके परिजन दें तो
साधु को लेना नहीं कल्पता है ।सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों को भेंट देने के लिए जो
आहार अपने उपकरणों में बनाया है और उन्हें अप्रातिहारिक
दिया है ।उस आहार में से न सागारिक दे और न सागारिक के
परिजन दें किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुष दें तो लेना कल्पता है ।

सागारिय-आगंतुक-निमित्त-आहार-ग्रहणस्स
णिसेहो—

५२. सागारियस्स आएसे अंतोवगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे,
पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स आएसे अंतोवगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे
अपाडिहारिए तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स आएसे बाहिं वगडाए भुंजइ निट्टिए, निसट्ठे
पाडिहारिए तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स आएसे बाहिं वगडाए भुंजइ निट्टिए, निसट्ठे
अपाडिहारिए तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

—वव. उ. ६, सु. १-४

सागारिय-दासाइ-निमित्त-आहार-ग्रहणस्स
णिसेहो—

५३. सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइन्नए वा अंतो
वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, पाडिहारिए, तम्हा दावए,
नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइन्नए वा अंतो
वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, अपाडिहारिए, तम्हा
दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइन्नए वा बाहिं
वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, पाडिहारिए, तम्हा दावए,
नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स दासे वा, पेसे वा, भयए वा, भइन्नए वा बाहिं
वगडाए भुंजइ, निट्टिए, निसट्ठे, अपाडिहारिए, तम्हा
दावए एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

—वव. उ. ६, सु. ५-८

सागारियोपजीवी-णायगाणं आहार ग्रहणस्स णिसेहो—

५४. सागारियस्स नायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो
एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ

विहि-

शय्यातर के आगन्तुक निमित्तक आहार के ग्रहण का
विधि-निषेध—

५२. शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के भीतरी
विभाग में आहार बनाया गया है उन्हें खाने के लिए प्रातिहारिक
रूप से दिया गया है । उस आहार में से वे आगन्तुक दें तो साधु
को लेना नहीं कल्पता है ।

शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के भीतरी
विभाग में आहार बनाया गया है उन्हें खाने के लिये अप्राति-
हारिक रूप से दिया गया है उस आहार में से वे आगन्तुक दें
तो साधु को लेना कल्पता है ।

शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के बाह्य भाग
में आहार बनाया गया है व उन्हें खाने के लिए प्रातिहारिक रूप
से दिया गया है उस आहार में से वे आगन्तुक को दें तो साधु
को लेना नहीं कल्पता है ।

शय्यातर के यहाँ कोई आगन्तुक के लिये घर के बाह्य भाग
में आहार बनाया गया है व उन्हें खाने के लिए अप्रातिहारिक
रूप से दिया गया है, उस आहार में से वे आगन्तुक दें तो साधु
को लेना कल्पता है ।

विहि-

शय्यातर के दासादि निमित्तक आहार के ग्रहण का
विधि-निषेध—

५३. सागारिक के दास, प्रेष्य, भूतक और नौकर के लिए आहार
बना है व उसे प्रातिहारिक दिया है वह उसके घर के भीतरी
भाग में जीमता है उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को दे
तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है ।

सागारिक के दास, प्रेष्य, भूतक और नौकर के लिए आहार
बना है व उसे अप्रातिहारिक दे दिया है । वह घर के भीतरी
भाग में जीमता है, उस आहार में से दे तो साधु को लेना
कल्पता है ।

सागारिक के दास, प्रेष्य, भूतक और नौकर के लिए आहार
बना है व उसे प्रातिहारिक दे दिया है । वह घर के बाह्य भाग
में जीमता है । उस आहार में से निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को दे तो
उन्हें लेना नहीं कल्पता है ।

सागारिक के दास, प्रेष्य, भूतक और नौकर के लिए
सागारिक के घर पर आहार बना है व उसे अप्रातिहारिक दे दिया
है । वह घर के बाह्य भाग में जीमता है । उस आहार में से दे
तो साधु को लेना कल्पता है ।

शय्यातर के उपजीवी ज्ञातिजन निमित्तक आहार के
ग्रहण का निषेध—

५४. सागारिक का स्वजन यदि सागारिक के घर में सागारिक
के एक ही चूल्हे पर सागारिक की ही सामग्री से आहार निष्पन्न

सागारियस्स गंधियसाला निस्साहारण वक्कयपत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

—वव. उ. ६, सु. १७-३०

सागारिय साहारण ओसहि गहणस्स विहि-णिसेहो—

५६. सागारियस्स ओसहीओ संयडाओ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स ओसहीओ असंयडाओ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

—वव. उ. ६, सु. ३३-३४

सागारिय साहारण अंब-फल गहणस्स विहि-णिसेहो—

५७. सागारियस्स अम्बफला संयडाओ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

सागारियस्स अम्बफला असंयडा, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ।

—वव. उ. ६, सु. ३५-३६

सागारियपिंड भुंजमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५८. जे भिक्खू सागारिय-पिंडं भुंजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४६

सागारियपिंड गिण्हमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

५९. जे भिक्खू सागारिय-पिण्डं गिण्हइ, गिण्हंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४७

सागारियकुलं अजाणिय भिक्खा-गमणपायच्छित्त सुत्तं—

६०. जे भिक्खू सागारिय-कुलं अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय, पुट्टामेव पिण्डवायपडियाए अणुपविसइ, अणुपविसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४८

सागारियणिस्साए असणाइ जायमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

६१. जे भिक्खू सागारिय णिस्साए असणं वा पाणं वा खाइमं वा

सागारिक के सीर वाली गन्धियशाला में से सागारिक का साझीदार सागारिक के बिना सीर का सुगन्धित-प्रदार्थ देता है, तो साधु को लेना कल्पता है ।

शय्यातर के सीरवाली भोजन सामग्री के ग्रहण का विधि-निषेध—

५६. सागारिक के सीर वाली औषधियों (खाद्य सामग्री) में से यदि कोई निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो लेना नहीं कल्पता है ।

सागारिक से बंटवारे में प्राप्त खाद्य सामग्री में से कोई देता है तो साधु को लेना कल्पता है ।

शय्यातर के सीरवाली के आम्र फल ग्रहण करने का विधि-निषेध—

५७. सागारिक के सीरवाली आम्र आदि फलों में से यदि कोई निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना नहीं कल्पता है ।

सागारिक से बंटवारे में प्राप्त आम्र आदि फल यदि कोई निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को देता है तो उन्हें लेना कल्पता है ।

सागारिक का आहार भोगने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५८. जो भिक्षु सागारिक के पिण्ड को भोगता है, भोगवाता है या भोगने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सागारिक का आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५९. जो भिक्षु शय्यातर के आहार को ग्रहण करता है, करवाता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

शय्यातर का घर जाने बिना भिक्षा गमन का प्रायश्चित्त सूत्र—

६०. जो भिक्षु सागारिक के गृह को जाने बिना, पूछे बिना और गवेपणा किये बिना आहार के लिए प्रवेश करता है, प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सागारिक की निश्रा में अशनादि की याचना का प्रायश्चित्त सूत्र—

६१. जो भिक्षु सागारिक की निश्रा में (दूसरे घर से) अशन,

साइमं वा ओभासिय ओभासिय जायइ, जायंतं वा पान, खादिम, स्वादिम आहार की याचना करता है, करवाता साइज्जइ । है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं । उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

—नि. उ. २, सु. ४६

पाणैषणा—२

प्राक्कथन—

आगमों में अनेक प्रकार के अचित्त एवं एषणीय पानी लेने के विधान हैं ।

सचित्त एवं अनेषणीय पानी लेने का निषेध है ।

पानी दो प्रकार के होते हैं—(१) लेने योग्य पानी, (२) न लेने योग्य पानी ।

(१) लेने योग्य पानी के १० नाम हैं— —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६६-३७०; दश. अ. ५, उ. १, गा. १०६

(२) न लेने योग्य पानी के १२ नाम हैं— —आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७३

लेने योग्य पानी के आगम पाठ में और न लेने योग्य पानी के आगम पाठ में निश्चित संख्या सूचित नहीं है ।

लेने योग्य पानी के आगम पाठ में अन्य भी ऐसे लेने योग्य पानी लेने का विधान है ।

इसी प्रकार न लेने योग्य पानी के आगम पाठ में अन्य भी ऐसे न लेने योग्य पानी लेने का निषेध है ।

पानी शस्त्र परिणत होने पर भी तत्काल अचित्त नहीं होता है, अतः वह लेने योग्य नहीं है । वही पानी कुछ समय बाद अचित्त होने पर लेने योग्य हो जाता है ।

फल आदि धोये हुए अचित्त पानी में यदि बीज गुठली आदि हों तो ऐसा पानी छान करके दे तो भी वह लेने योग्य नहीं है ।

धोवणपाणी सूचक आगम पाठ—

(१) दशवैकालिक अ. ५, उ. १, गा. १०६ में तीन प्रकार के धोवन पानी लेने योग्य कहे हैं । इनमें दो धोवन पानी आचारांग सु. २, अ. १, उ. ७, सू. ३६६ के अनुसार कहे गये हैं और एक, “वार धोयणं” अधिक है ।

(२) उत्तराध्ययन अ. १५, गा. १३ में तीन प्रकार के धोवन कहे गये हैं । इन तीनों का कथन आ. सु. २, अ. १, उ. ७ सू. ३६६-३७० में है ।

(३) आचारांग सु. २, अ. १, उ. ७, सू. ३७० में अल्पकाल का धोवन लेने का निषेध है, अधिक काल का बना हुआ धोवन लेने का विधान है । तथा गृहस्थ के कहने पर स्वतः लेने का विधान है ।

(४) आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७३ में अनेक प्रकार के धोवन पानी का कथन है । इनमें बीज, गुठली आदि हो तो ऐसे पानी को छान करके देने पर भी लेने का निषेध है ।

(५) निशीथ उ. १७, सू. १३२ में अल्पकाल का धोवन लेने पर प्रायश्चित्त विधान है । अधिक काल का धोवन लेने पर प्रायश्चित्त नहीं है । यहाँ ग्यारह ग्राह्य पानी के नाम हैं ।

(६) ठाणं. अ. ३, उ. ३, सू. १८८ में चउत्थ, छट्ठ, अट्ठम तप में ३-३ प्रकार के ग्राह्य पानी का विधान है । इन नव का कथन आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सू. ३६६-७० में है ।

(७) दशवैकालिक अ. ८, गा. ६ में उष्णोदक ग्रहण करने का विधान है ।

आचारांग व निगीय में वर्णित "शुद्ध वियड" इससे भिन्न है क्योंकि तत्काल बने शुद्ध वियड ग्रहण करने का प्रायश्चित्त कहा गया है अतः उसे अचित्त शीतल जल ही समझना चाहिये ।

आगमों में वर्णित ग्राह्य अग्राह्य धोवन पानी के संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार हैं—

११ प्रकार के ग्राह्य धोवन पानी -

- (१) उत्सेदिम—आटे से लिप्त हाथ या वर्तन का धोवन ।
- (२) संस्वेदिम—उवाले हुए तिल, पत्र-शाक आदि का धोया हुआ जल ।
- (३) तन्दुलोदक—चावलों का धोवन ।
- (४) तिलोदक—तिलों का धोवन ।
- (५) तुषोदक—भूसी का धोवन ।
- (६) जवोदक—जौ का धोवन ।
- (७) आयाम—अवश्रावण—उवाले हुए चावलों का पानी—मांड आदि ।
- (८) सौवीर—कांजी का जल ।
- (९) शुद्ध विकट—हरड वहेडा आदि से प्रासुक बनाया जल ।
- (१०) वारोदक—गुड़ आदि के घड़े आदि का धोया जल ।
- (११) आम्ल कांजिक—खट्टे पदार्थों का धोवन ।

१२ प्रकार के अग्राह्य धोवन पानी—

- (१) आम्रोदक—आम्र धोया हुआ पानी ।
- (२) अम्बाडोदक—आम्रातक (फल विशेष) धोया हुआ पानी ।
- (३) कपित्थोदक—कैथ या कविठ का धोवन ।
- (४) बीजपूरोदक—विजोरे का धोया हुआ पानी ।
- (५) द्राक्षोदक—दाख का धोवन ।
- (६) दाडिमोदक—अनार का धोया हुआ पानी ।
- (७) खजूरोदक—खजूर का धोया हुआ पानी ।
- (८) नालिकेरोदक—नारियल का धोया हुआ पानी ।
- (९) करीरोदक—कैर का धोया हुआ पानी ।
- (१०) बदिरुदक—बेरों का धोवन पानी ।
- (११) आमलोदक—आंवले का धोया जल ।
- (१२) चिचोदक—इमली का धोया जल ।

इनके सिवाय गर्म जल भी ग्राह्य कहा गया है ।

फासुग पाणग गहणविही—

६२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए भणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा, तं जहा—

अचित्त जल ग्रहण विधि—

६२. गृहस्थ के यहाँ गोचरी के लिए प्रविष्ट मिश्र या मिश्रणों अगर इस प्रकार का पानी जाने, जैसे कि—

१. तिलोदगं वा, २. तुसोदगं वा,
३. जवोदगं वा,^१ ४. आयामं वा,
५. सोवीरं वा, ६. सुद्धवियडं वा,^२
अण्णतरं वा, तहप्पगारं पाणगजायं पुच्वामेव आलोएज्जा—

(१) तिलों का (धोया हुआ) पानी, (२) तुपोदक, (३) यवो-
दक, (४) उबले हुए चावलों का ओसामण (माँड), (५) काँजी
का जल, (६) प्रासुक शीतल जल अथवा अन्य भी इसी प्रकार
का धोया हुआ पानी (धोवन) है, उसे देखकर पहले ही साधु
गृहस्थ से कहे —

प०—“आउसो त्ति वा ! भगिणि त्ति वा ! दाहिसि मे
एतो अण्णतरं पाणगजायं ?”

प्र०—“आयुप्मान् ! गृहस्थ या वहन ! क्या मुझे इन जलों
(धोवन पानी) में से कोई जल दोगे ?”

से सेवं वदंतं परो वदेज्जा—

साधु के इस प्रकार कहने पर वह गृहस्थ यदि कहे कि—

उ०—“आउसंतो समणा ! तुमं च्चेवेदं पाणगजायं पडिग्ग-
हेण वा, उस्सिचियाणं ओयत्तियाणं वा गिण्हाहि !”
तहप्पगारं पाणगजायं सयं वा गेण्हेज्जा,

उ०—“आयुप्मन् श्रमण ! जल पात्र में रखे हुए पानी को
आप स्वयं अपने पात्र से भरकर या जल के वर्तन को टेढ़ा कर
ले लीजिए ।” गृहस्थ के इस प्रकार कहने पर साधु उस पानी
को स्वयं ले ले ।

परो वा से देज्जा, फासुर्यं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

अथवा गृहस्थ स्वयं देता हो तो उसे प्रासुक जान कर
—यावत्—ग्रहण कर ले ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३७०

गिलाण णियंठस्स कप्पणिओ वियडदत्तीओ—

ग्लान निर्ग्रन्थ के लिए कल्पनीय विकट दत्तियाँ—

६३. गिग्गंथस्स णं गिलायमाणस्स कप्पंति तओ वियडदत्तीओ
पडिग्गाहित्तए, तं जहा—

६३. ग्लान (रुग्णं) निर्ग्रन्थ साधु को तीन प्रकार की दत्तियाँ
लेनी कल्पती हैं—

उक्कोसा,

(१) उत्कृष्ट दत्ति—पर्याप्त जल या कल्मी चावल की
काँजी ।

मज्झिमा,

(२) मध्यम दत्ति—अनेक वार किन्तु अपर्याप्त जल और
साठी चावल की काँजी ।

जहण्णा ।

(३) जघन्य दत्ति—एक वार पी सके उतना जल, वृण धान्य
की काँजी या उष्ण जल ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८०

१ (क) यहाँ ये तीन प्रकार के पानी लेने का सामान्य विधान है ।

(ख) छट्ठभत्तितस्स णं भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिग्गाहित्तए तं जहा—तिलोदए, तुसोदए, जवोदए ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८८

आचारांग की अपेक्षा यह विशेष सूत्र है ।

(ग) वासावासं पज्जोसवियस्स छट्ठभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिग्गाहित्तए तं जहा—तिलोदगं, तुसोदगं,
जवोदगं ।

—दसा. द. ८, सु. ३२

स्थानांग की अपेक्षा यह विशेष सूत्र है ।

२ (क) यहाँ ये तीन प्रकार के पानी लेने का सामान्य विधान है ।

(ख) अट्ठमभत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिग्गाहित्तए, तं जहा—आयामए, सोवीरए, सुद्धवियडं ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८८

आचारांग की अपेक्षा यह विशेष विधान है ।

(ग) वासावासं पज्जोसवियस्स अट्ठमभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं पडिग्गाहित्तए तं जहा—आयामं, सोवीरं,
सुद्धवियडं ।

—दसा. द. ८, सु. ३२

अफासुग पाणग गृहण गिसेहो—

६४. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा—अणंतरहियाए पुढवीए-जाव-मक्कडा-संताणए ओहट्टु णिविखत्ते सिया ।

अस्संजते भिक्खुपडियाए उदउल्लेण वा, ससणिद्वेण वा, सकसाएण वा मत्तेण, सीतोदएण वा संभोएत्ता, आहट्टु दलएज्जा । तहप्पगारं पाणगजायं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा । —आ० सु० २, अ० १, उ० ७, सु० ३७१

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा, तं जहा—

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ७. अंबपाणगं वा, | ८. अंबाडगपाणगं वा, |
| ९. कविट्ठपाणगं वा, | १०. मारुलिंगपाणगं वा, |
| ११. मुट्ठियापाणगं वा, | १२. दालिमपाणगं वा, |
| १३. खज्जरपाणगं वा, | १४. णालिएरपाणगं वा, |
| १५. करीरपाणगं वा, | १६. कोलपाणगं वा, |
| १७. आमलगपाणगं वा, | १८. चिचापाणगं वा, |

अणतरं वा तहप्पगारं पाणगजायं सवट्ठियं, सकणुयं, सवीयगं, अस्संजए भिक्खुपडियाए छव्वेण वा, दूसेण वा, वालगेण वा, आवीलियाण वा परिपीलियाण वा, परिस्साइ-याण वा, आहट्टु दलएज्जा । तहप्पगारं पाणगजायं अफा-सुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ८, सु. ३७३

सहसा दत्त सच्चित्तोदग परिट्ठवण विही—

६५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे—सिया से परो आहट्टु अंतो पडिगहंसि सीओदगं परिभाएत्ता णीहट्टु दलएज्जा, तहप्पगारं पडिगहं परहत्थंसि वा, परपायंसि वा अफासुयं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा ।

से य आहच्च पडिगाहिए सिया, खिप्पामेव उदगंसि साह-रेज्जा, सपडिगहमायाए वा, पाणं परिट्ठवेज्जा, ससणिद्वेण वा भूमिए णियमेज्जा ।

अप्रासुक पानी लेने का निषेध—

६६. गृहस्य के यहाँ गोचरी के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि पानी के विषय में यह जाने कि—गृहस्थ ने प्रासुक जल को सचित्त पृथ्वी के निकट—यावत्—मकड़ी के जानों से युक्त स्थान पर रखा है ।

अथवा असंयत गृहस्थ भिक्षु को देने के उद्देश्य से सचित्त जल से भीला अथवा स्निग्ध या सचित्त पृथ्वी आदि से युक्त वर्तन से लाए या प्रासुक जल के साथ सचित्त उदक मिलाकर लाकर दे तो उस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में गोचरी के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदि इस प्रकार का पानी जाने, जैसे कि—

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (७) आम्रफल का पानी, | (८) अम्बाहुड फल का पानी, |
| (९) कपित्थ फल का पानी, | (१०) विजौरे का पानी, |
| (११) ब्राक्ष का पानी, | (१२) दाडिम का पानी, |
| (१३) खजूर का पानी, | (१४) नारियल का पानी, |
| (१५) करीर (कैर) का पानी, | (१६) वेर का पानी, |
| (१७) आँवले के फल का पानी, | (१८) इमली का पानी, |

इसी प्रकार का अन्य पानी, जो कि गुठली सहित छिलके आदि अवयव सहित या बीज सहित है और गृहस्थ साधु के निमित्त बाँस की छवड़ी से वस्त्र से छलनी से एक बार या बार-बार छानकर या नितारकर (उसमें रहे हुए बीज, गुठली आदि अवयव को अलग करके) लाकर देने लगे तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

असावधानी से दिए हुए सचित्त जल के परठने की विधि—

६५. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के यहाँ गोचरी के लिए गये हों और गृहस्थ घर के भीतर से अपने पात्र में अन्य वर्तन से सचित्त जल निकाल कर लावे और देने लगे तो साधु उस प्रकार के पर-हस्तगत एवं पर-पात्रगत सचित्त जल को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

कदाचित् असावधानी से वह जल ले लिया हो तो शीघ्र दाता के जल-पात्र में उडेल दे यदि गृहस्थ उस पानी को वापस न ले तो जलयुक्त पात्र को लेकर परठ दे या किमी गौली भूमि में उस जल को विधिपूर्वक परिष्ठापन कर दे । (उस जल के गौले पात्र को एकान्त निर्दोष स्थान में रख दे ।)

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा उद्वल्लं वा ससंगिद्धं वा पडिगहं णो आमज्जेज्ज वा-जाव-पयावेज्ज वा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—विगदोदए मे पडिगहे छिण्ण-सिणेहे मे पडिगहे, तहप्पगारं पडिगहं ततो संजयामेव आमज्जेज्ज वा-जाव-पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०३, ६०४

सरस गिरस पाणोसु समभाव विहाणं—

६६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे—अण्णतरं वा पाणगजायं पडिगाहेत्ता पुप्फं-पुप्फं आविइत्ता कसायं-कसायं परिट्ठवेइ माइट्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्जा ।

पुप्फं-पुप्फे त्ति वा, कसायं कसाए त्ति वा सन्वमेयं पीवेज्जा, णो किंचि वा परिट्ठवेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ६, सु. ३६५

पाणगस्स गहण विहाणं णिसेहं च—

६७. सीओदगं न सेवेज्जा, सिलावुट्ठं हिमाणि य ।
उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिगाहेज्ज संजए ॥

—दस. अ. ८, गा. ६

तहेवुच्चावयं पाणं, अडुवा वारधोयणं ।
संसेइमं चाउलोदगं, अट्टणाधोयं विवज्जए ॥

जं जाणेज्ज चिराधोयं, मईए दंसणेण वा ।
पडिपुच्छिऊणं सोच्चा वा, जं च निस्संकिंयं भवे ॥

अजीवं परिणयं णच्चा, पडिगाहेज्ज संजए ।
अह संकिंयं भवेज्जा, आसाइत्ताण रोयए ॥

थोवभासायणट्टाए, हत्थगम्मि दलाहि मे ।
मा मे अच्चंबिलं पूइं, नालं तण्हं विणित्तए ॥

तं च अच्चंबिलं पूइं, नालं तण्हं विणित्तए ।
देंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

तं च होज्ज अकामेणं, विमणेण पडिच्छियं ।
तं अप्पणा न पिबे, नो वि अन्नस्स दावए ॥

एगंतमवक्कमित्ता, अचित्तं पडिलेहिया ।
जयं परिट्ठवेज्जा, परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥

—दस. अ ५, उ. १, गा. १०६-११२

भिक्षु या भिक्षुणी जल से आर्द्र और स्निग्ध पात्र को न तो एक बार साफ करे—यावत् - न ही धूप में सुखाए ।

किन्तु जब यह जान ले कि मेरा पात्र अब जल रहित हो गया है और स्नेह रहित हो गया है, तब उस प्रकार के पात्र को यतनापूर्वक साफ कर सकता है—यावत्—धूप में सुखा सकता है ।

सरस निरस पानी में समभाव का विधान—

६६. गृहस्थ के यहाँ गोचरी के लिए गये हुए भिक्षु या भिक्षुणी यथाप्राप्त जल लेकर मधुर पानी को पीकर और कसैला पानी को परठ दे तो वे मायास्थान का स्पर्श करते हैं । ऐसा नहीं करना चाहिए ।

वर्णं गन्धयुक्त अच्छा, या कसैला जैसा भी जल प्राप्त हुआ हो उसे समभाव से पी लेना चाहिए, उसमें से जरा-सा भी बाहर नहीं डालना चाहिए ।

पानी ग्रहण करने के विधान और निषेध—

६७. संयमी शीतोदक, ओले, वरसात के जल और हिम का सेवन न करे । तप्त गर्म जल प्रासुक हो गया हो वैसा ही जल ले ।

इसी प्रकार श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ अचित्त जल, गुड आदि के घड़े का धोवन, आटे का धोवन, चावल का धोवन, जो तत्काल बनाया हुआ हो, उसे मुनि न ले ।

अपनी मति से या देखने से तथा पूछकर उसका उत्तर सुनकर जान ले कि “यह धोवन चिरकाल का है” और शंका रहित हो गया है ।

भिक्षु उस जल को जीव रहित और परिणत जानकर ग्रहण करे । किन्तु उसके उपयोगी होने में सन्देह हो तो चख कर निर्णय करे ।

दाता से कहे—“चखने के लिए थोड़ा-सा जल मेरे हाथ में दें दो क्योंकि बहुत खट्टा व दुर्गन्ध युक्त जल मेरी प्यास बुझाने में भी उपयोगी न होगा ।”

चखने पर बहुत खट्टा, दुर्गन्ध युक्त और प्यास बुझाने में अनुपयोगी हो तो देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे कि—इस प्रकार का जल मैं नहीं ले सकता ।

यदि वह पानी अनिच्छा या असावधानी से ले लिया गया हो तो उसे न स्वयं पीए और न दूसरे साधुओं को दे ।

परन्तु एकान्त में जाकर अचित्त भूमि को देखकर यतना-पूर्वक उसे परठ दे । परठने के बाद स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गाहावडकुलं पिठवायपडियाए
अणुपविट्ठे समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा—

१९. उस्सेइमं वा^१, २०. संसेइमं वा,^२ २१. चाउलोदगं
वा^३ अणुणयरं वा तहप्पगारं पाणगजायं अट्टणाधोर्यं, अणंविंलं,
अवुक्कंतं, अपरिणयं, अविद्धदत्तं, अफासुर्यं-जाव-णो
पडिगाहेजा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—चिराधोर्यं, अंविंलं, वुक्कंतं,
परिणयं, विद्धदत्तं, फासुर्यं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ३६६

गृहस्थ के घर में पानी के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी
पानी के इन प्रकारों को जाने जैसे कि—

(१९) आटे का हाथ या वर्तन धोया हुआ पानी, (२०)
उबले हुए तिल भाजी आदि धोया हुआ पानी, (२१) चावल
धोया हुआ पानी अथवा अन्य भी इसी प्रकार का पानी जो कि
तत्काल धोया हुआ हो, जिसका स्वाद परिवर्तित न हुआ हो,
जिसमें जीव अतिक्रान्त न हुए हों, जो शस्त्र न परिणत हुआ हो,
और सर्वथा जीव रहित नहीं हुआ हो तो ऐसे पानी को
अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

किन्तु यदि यह जाने कि बहुत देर का धोया हुआ धोवन है,
इसका स्वाद बदल गया है, जीवों का अतिक्रमण हो गया है, शस्त्र
परिणत हो गया है और सर्वथा जीव रहित हो गया है तो उस
जल को प्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण करे ।

१ उस्सेइमं जल के सम्बन्ध में टीकाकारों के विभिन्न मत इस प्रकार हैं—

- (क) उस्सेइमं निर्वृतमुस्सेइमं - येन श्रीह्यादि पिष्टं सुराद्यर्थं उस्सेइयते । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८२ की टीका
(ख) उस्सेइमं वे ति—पिष्टोत्स्वेदनायमुदकम् । —आ. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ४२ की टीका पृ. २३१
(ग) उस्सेइमे ति—पिष्टभृतहस्तादिशालनजले । —दसा. द. ८, सु. ३० की टीका
(घ) उस्सेइमं णाम जहा पिट्ठं पुट्टविकायभायणं आउक्कायस्स भरेत्ता मीसए अट्टहिज्जति सुहं से वत्थेणं उहाडिज्जति ताहे
पिट्ठपयणयं रोट्टस्स भरेत्ता ताहे तीसे थालीए जलभरियाए उवरि ठविज्जति ताहे आहे छिद्देणं तं पि ओसिज्जति हेट्टा हुतं
वा ठविज्जइ, तत्थं जं आमं तं उस्सेतिमामं भणति । —नि. उ. १५, सु. १२, भा. गा. ४७०६ की चूर्णि पृ. ४८४

२ संसेइमं जल के सम्बन्ध में व्याख्याकारों के मत इस प्रकार हैं—

- (क) संसेकन निर्वृत्तमिति संसेकिमम् ।
अरणिकादि पत्रशाकमुत्काल्य येन शीतलजलेन संसिच्यते तदिति । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८२ की टीका पत्र १४७
(ख) संसेइमं वे ति—तिलघावनोदकम् ।
यदिवा—आरणिकादि संस्विन्नघावनोदकम् । —आचा. सु. २, अ. १, उ. ७, सु. ४१ की टीका पृष्ठ १४७
(ग) संसेइमे—पिष्टोदके । —दस. अ. ५, उ. १, गा. १०६ की टीका
(घ) उस्सिणं (उष्ण पदार्थ) सीतोदगे छुट्ठमिति तं जं पुण उस्सिणं चैव उवरि सीतोदगं चैव तं संसेइमं । अहवा संसेइमं—तिलं
उण्हं पाणिणं सिण्णा जति सीतोदगेण धोवेति तं संसेतिमं भणति । —नि. उ. १७, सु. १३२, भा. गा. ५६६६ पृ. १५५
(ङ) संसेइमे—अरणिकामंस्विन्नघावनोदके । —दसा द. ८, सु. ३०

३ (क) यहाँ तीन प्रकार के पानी लेने का सामान्य विधान है ।

- (ख) चउत्थभत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पति तवो पाणगाइं पडिगाहित्ते, तं जहा—उस्सेइमं, संसेइमे, चाउलोदगे (चाउल-
घोवणे) । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८८

चतुर्थं भक्त करने वाले श्रमण को ये तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं, अतः यह विशेष विधान है ।

- (ग) वासावासं पज्जोमवियस्स चउत्थभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पति तवो पाणगाइं पडिगाहित्ते, तं जहा—उस्सेइमं, संसेइमं,
चाउलोदगं । —दसा. द. ८, सु. ३०

वर्षावास में रहे हुए श्रमण को ये तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं अतः यह भी विशेष विधान है ।

अमणुष्ण पाणग परिद्वेषण पायच्छित्त सुत्तं—

६८. जे भिक्षू अणुष्णयं पाणगजायं पडिग्गाहिता पुप्फगं-पुप्फगं
आइयइ, कसायं-कसायं परिद्वेषेइ परिद्वेषेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४३

अहुणाधोयं पाणगं गहणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

६९. जे भिक्षू—

- | | |
|-----------------|-------------------|
| १. उस्सेइमं वा, | २. संसेइमं वा, |
| ३. चाउलोदगं वा, | ४. वारोदगं वा, |
| ५. तिलोदगं वा, | ६. तुसोदगं वा, |
| ७. जवोदगं वा, | ८. आयामं वा, |
| ९. सोवीरं वा, | १०. अंबकंजियं वा, |

११. सुद्धवियडं वा—

१. अहुणाधोयं,
२. अणंबिलं,
३. अपरिणयं,
४. अवुक्कंतं,
५. अविद्धत्थं,

पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १३२

अनमोज्ञ जल परिष्ठापन का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८. जो भिक्षु अनेक प्रकार के पानकों को गृहस्थ के घर से लाकर उनमें से मनोज्ञ जल पी लेता है और अनमोज्ञ जल को परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

तत्काल धोये पानी को ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६९. जो भिक्षु—

- | | |
|-----------------|------------------|
| (१) उत्स्वेदिम, | (२) संस्वेदिम, |
| (३) चावलोदक, | (४) वारोदक, |
| (५) तिलोदक, | (६) तुपोदक, |
| (७) यवोदक, | (८) ओसामण, |
| (९) कांजी, | (१०) आम्लकांजिक, |

(११) शुद्ध प्रासुक जल को,

- (१) जो तत्काल का धोया हो,
- (२) जिसका रस बदला न हो,
- (३) शस्त्रपरिणत न हो,
- (४) जीवों का अतिक्रमण न हुआ हो या,
- (५) पूर्ण रूप से अचित्त न हुआ हो,

ऐसे जल को ग्रहण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

शय्यैषणा-विधि—१

समणवसइ जोग्ग ठाणाइं—

७०. सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एककओ ।

पइरिवके परकंडे वा, वासं तत्थअभिरोयए ॥

फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहि अणमिद्दुए ।

तत्थ संकप्पए वासं, भिक्षू परमसंजए ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. ६-७

उवसयस्स जायणा—

७१. से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावतिकुलेसु वा,

परियावसहेसु वा, अणुवीइ उवस्सयं जाएज्जा । जे तत्थ

ईसरे, जे तत्थ समहिद्दाए, ते उवस्सयं अणुणवेज्जा ।

श्रमण के ठहरने योग्य स्थान—

७०. भिक्षु श्रमण में, शून्य गृह में, वृक्ष के मूल में अथवा परकृत एकान्त स्थान में रहने की इच्छा करे ।

परम संयत भिक्षु प्रासुक, अनावध और स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने का संकल्प करे ।

उपाश्रय की याचना—

७१. साधु पथिकशालाओं, आरामगृहों, गृहपति के घरों, पति-व्राजकों के मठों आदि को देख-जानकर और विचार करके फिर उपाश्रय की याचना करे । उस उपाश्रय के स्वामी की या समधिष्ठाता की आज्ञा मांगे और कहे—

“कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिणायं वसिस्सामो,
-जाव-आउसंतो, -जाव-आउसंतस्स उवस्सए, -जाव-साहम्मिया,
एत्ता जाव उवस्सयं गिण्हस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो ।

— आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४४५

उवस्सए पविस-णिक्खमण विही—

७२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-
खुड्डियाओ, खुड्डुबारियाओ, नीयाओ, संणिरुद्धाओ
मवति, तहप्पगारे उवस्सए राओ वा, वियाले वा, णिक्ख-
ममाणे वा, पविसमाणे वा पुरा हत्येण पच्छा पाएण ततो
संजयामेव णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ।

केवली बूया आयाणमेयं ।

जे तत्य समणाण वा, माहणाण वा, छत्तए वा, मत्तए वा,
डंडए वा, लट्ठिया वा, भिसिया वा, णालिया वा, चेले वा,
चिलिमिली वा, चम्मए वा, चम्मफोसए वा, चम्मच्छेइणए
वा बुबद्धे दुणिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ।

भिक्खू य रातो वा, वियाले वा, णिक्खममाणे वा, पविस-
माणे वा, पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा ।

से तत्य पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्यं वा, पायं वा,
बाहुं वा, ऊरुं वा, उदरं वा, सीसं वा, अण्णयरं वा कार्यंसि
इंदियजातं लूसेज्ज वा,

पाणाणि वा-जाव-सत्ताणि वा अभिहणेज्ज वा-जाव-ववरो-
वेज्ज वा ।

अह भिक्खू णं पुच्चोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे
उवस्सए पुराहत्येण पच्छा पादेण ततो संजयामेव णिक्खमेज्ज
वा, पविसेज्ज वा ।

— आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४४५

“आयुष्मन् ! आपकी इच्छानुसार जितने काल तक निवास
करने की तुम आज्ञा दोगे उतने समय तक हम निवास करेंगे ।
यहाँ जितने समय तक आप आयुष्मन् की अनुज्ञा है उतनी अवधि
तक जितने भी अन्य साधर्मिक साधु आयेंगे, उनके लिए भी उतने
क्षेत्र-काल की अवग्रह अनुज्ञा ग्रहण करेंगे । वे भी उतने ही समय
तक उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे । उसके पश्चात् वे और हम विहार
कर देंगे ।

उपाश्रय में प्रवेश-निष्क्रमण की विधि—

७२. वह भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने, जो छोटा
है या छोटे द्वारों वाला है तथा नीचा है तथा अन्य श्रमण ब्राह्मण
आदि से अवरुद्ध है । इस प्रकार के उपाश्रय में (कदाचित् किसी
कारणवश साधु को ठहरना पड़े तो) वह रात्रि में या विकाल में
भीतर से बाहर निकलता हुआ या बाहर से भीतर प्रवेश करता
हुआ पहले हाथ से टटोल ले, फिर पैर से यतनापूर्वक निकले या
प्रवेश करे ।

केवली भगवान कहते हैं—(अन्यथा) यह कर्मवन्ध का
कारण है ।

क्योंकि वहाँ पर शाक्य आदि श्रमणों के या ब्राह्मणों के जो
छत्र, पात्र, दण्ड, लाठी, ऋषि-आसन (वृषिका) नालिका (एक
प्रकार की लम्बी लाठी या घटिका) वस्त्र, चिलिमिलि (यवनिका,
पर्दा या मच्छरदानी) मृगचर्म, चर्मकोश या चर्म-छेदनक हों, वे
अच्छी तरह से बँधे हुए नहीं हों, अस्तव्यस्त रखे हुए हों, अस्थिर
हों, चलाचल हों (उनकी हानि होने का डर है) ।

भिक्षु रात्रि में या विकाल में अन्दर से बाहर या बाहर से
अन्दर (अथतना से) निकलता-घुसता हुआ यदि फिसले या गिर
पड़े तो (उनके उक्त उपकरण टूट जायेंगे)

(अथवा उसके फिसलने या गिर पड़ने से) उसके हाथ, पैर,
भुजा, छाती, पेट, सिर, शरीर के कोई अंग या इन्द्रियों (अंगो-
पांगों) को चोट लग सकती है या वे टूट सकते हैं ।

अथवा प्राणी—यावत्—सत्वों का हनन हो जाएगा—यावत्—
वे जीवन से भी रहित हो जायेंगे ।

इसलिए तीर्थंकर भगवान् ने पहले से ही यह प्रतिज्ञा
—यावत्—उपदेश दिया है कि इस प्रकार से (संकड़े छोटे और
अन्धकारयुक्त) उपाश्रय में (रात को या विकाल में) पहले हाथ से
टटोल कर फिर पैर रखते हुए यतनापूर्वक भीतर से बाहर, बाहर
से भीतर गमनागमन करना चाहिए ।

हेमन्त-गिम्हासु णिगंथाणं वसइ वासमेरा—

७३. से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा सपरिक्षेवंसि अवाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमन्त-गिम्हासु एगं मासं वत्थए ।

से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, सपरिक्षेवंसि सवाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमन्त-गिम्हासु दो मासे वत्थए ।

अन्तो एगं मासं, वाहिं एगं मासं ।

अन्तो वसमाणणं अन्तो भिक्षायरिया,

वाहिं वसमाणणं, वाहिं भिक्षायरिया ।

कप्प. उ. १, सु. ६-७

णिगंथाणं कप्पणिज्जा उवस्सया—

७४. कप्पइ निगंथाणं, आवगणिहंसि वा-जाव-अन्तरावणंसि वा वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. १३

कप्पइ निगंथाणं, अवंगुयडुवारिए उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. १६

कप्पइ निगंथाणं, सागारिय-निस्साए वा, अनिस्साए वा वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २५

कप्पइ निगंथाणं, पुरिस-सागारिए उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २६

कप्पइ निगंथाणं अहे आगमणगिहंसि वा, वियडगिहंसि वा, वंसीमूलंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, अन्नावगसियंसि वा वत्थए ।

—कप्प. उ. २, सु. १२

हेमन्त-गिम्हासु णिगंथाणं वसइवासमेरा—

७५. से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, सपरिक्षेवंसि अवाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमन्त-गिम्हासु दो मासे वत्थए ।

से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, सपरिक्षेवंसि सवाहिरियंसि, कप्पइ निगंथाणं हेमन्त-गिम्हासु चत्तारि मासे वत्थए ।

हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में निर्ग्रन्थों की वसतिवास मर्यादा—

७३. निर्ग्रन्थों को सपरिक्षेप (प्राकार या वाङ्युक्त) और अवाहिरिक (प्राकार के बाहर की वस्तिरहित) ग्राम—यावत् - राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में एक मास तक वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को सपरिक्षेप और सवाहिरिक ग्राम—यावत्—राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक वसना कल्पता है ।

एक मास ग्राम आदि के अन्दर और एक मास ग्रामादि के बाहर ।

ग्राम आदि के अन्दर वसने वाले निर्ग्रन्थों को ग्राम आदि के अन्दर वसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है ।

ग्राम आदि के बाहर वसने वाले निर्ग्रन्थों को ग्राम आदि के बाहर वसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों के कल्प्य उपाश्रय—

७४. निर्ग्रन्थों को आपणगृह—यावत्—अन्तरापण में वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को अपावृतद्वार (खुले द्वार) वाले उपाश्रय में वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को सागारिक की निश्चा या अनिश्चा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हो या न हो) उपाश्रय में वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को पुरुष-सागारिक (केवल पुरुष निवास वाले) उपाश्रय में वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को आगमन गृह में, चारों ओर से खुले घर में, छप्पर के नीचे अथवा वाँस की जाली युक्त घर में, वृक्ष के नीचे या आकाश के नीचे वसना कल्पता है ।

हेमन्त और ग्रीष्म में निर्ग्रन्थियों की वसतिवास मर्यादा—

७५. निर्ग्रन्थियों को सपरिक्षेप और अवाहिरिक ग्राम—यावत्—राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों को सपरिक्षेप और सवाहिरिक ग्राम—यावत्—राजधानी में हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में चार मास तक वसना कल्पता है ।

अन्तो दो मासे, बाहि दो मासे ।

अन्तो वसमाणीणं, अन्तो भिक्षायरिया ।

बाहि वसमाणीणं, बाहि भिक्षायरिया ।

—कप्प. उ. १, सु. ८-९

निर्ग्रन्थीणं कप्पणिज्ज वसहिओ —

७६. कप्पइ निर्ग्रन्थीणं, सागारिय-निस्साए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २४

कप्पइ निर्ग्रन्थीणं, इत्थि-सागारिए उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३१

कप्पइ निर्ग्रन्थीणं, पडिबद्ध-सेज्जाए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३३

कप्पइ निर्ग्रन्थीणं, गाहावइ-कुलस्स मज्झं मज्झेण गंतुं वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३५

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीणं कप्पणिज्जा उवस्सया —

७७. कप्पइ निर्ग्रन्थाण वा निर्ग्रन्थीण वा अप्पसागारिए उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २७

कप्पइ निर्ग्रन्थाण वा निर्ग्रन्थीण वा अचित्तकम्मे उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २२

गामाइसु निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीणं वसणविहि —

७८. से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, अभिनिच्चडाए, अभि-निद्वुवाराए अभिनिचलमणपवेसाए, कप्पइ निर्ग्रन्थाण य निर्ग्रन्थीण य एगयओ वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ११

अभिवकंत किरिया कप्पणिज्जा वसही —

७९. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सद्धा भवति,

तं जहा — गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, तेसि च णं आयागोयरे णो सुणिसंते भवति, तं सद्धमाणेहि, तं पत्ति-यमाणेहि, तं रोयमाणेहि, वहवे समण-माहण-अतिहि किवण वणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराइं, चेतिताइं भवति, तं जहा — आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा ।

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा तेहि ओवतमाणेहि ओवतंति अयंमाउसो ! अभिवकंत-किरिया या वि भवति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३५

दो मास ग्राम आदि के अन्दर और दो मास ग्राम आदि के बाहर ।

ग्राम आदि के अन्दर बसने वाली निर्ग्रन्थियों को ग्राम आदि के अन्दर बसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है ।

ग्राम आदि के बाहर बसने वाली निर्ग्रन्थियों को ग्राम आदि के बाहर बसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों के कल्प्य उपाश्रय —

७६. निर्ग्रन्थियों को सागारिक की निश्चा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होने पर) उपाश्रय में बसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों को स्त्री-सागारिक (केवल स्त्रियों के निवास वाले) उपाश्रय में बसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों का प्रतिवद्ध (उपाश्रय की भित्ति से संलग्न) शय्या में बसना कल्पता है ।

गृह के मध्य में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का मार्ग हो उस उपाश्रय में निर्ग्रन्थियों को बसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के कल्प्य उपाश्रय —

७७. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों का अल्प-सागारिक (गृहस्थ निवास रहित) उपाश्रय में बसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चित्र-रहित उपाश्रय में बसना कल्पता है ।

ग्रामादि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने की विधि —

७८. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अनेक वगडा, अनेक द्वार और अनेक निष्क्रमण-प्रवेण वाले ग्राम — यावत् — राजधानी में समकाल बसना कल्पता है ।

अभिक्रान्त क्रिया कल्पनीय शय्या —

७९. हे आयुष्मन् ! इस संसार में पूर्व यावत् उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं —

जैसे कि — गृहस्वामी यावत् नौकर-नौकरानियां आदि उन्होंने निर्ग्रन्थ साधुओं के आचार-व्यवहार के विषय में तो सम्यक्तया नहीं सुना है, किन्तु श्रद्धा प्रतीति एवं अभिर्चि रखते हुए उन गृहस्थों ने (अपने-अपने ग्राम या नगर में) ब्रह्म से शाक्यादि श्रमणों, ब्राह्मणों, अतिथि, दरिद्रों और भिक्षारियों आदि के उद्देश्य से गृहस्थों ने जगह-जगह मकान बनवा दिये हैं जैसे लुहारशाला यावत् भूमि गृह आदि ।

जो श्रमण भगवन्त इस प्रकार के लोहकारशाला यावत् भूमिगृह आदि आवास स्थानों में, जहाँ शाक्यादि श्रमण ब्राह्मण आदि पहले ठहर गए हैं, उन्हीं में वाद में आकर ठहरते हैं तो वह शय्या अभिक्रान्त क्रिया वाली (निर्दोष) हो जाती है ।

अप्पसावज्जकिरिया कप्पणिज्जा वसही—

८०. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सड्ढा भवन्ति
-जाव-तं रोयमाणेहिं अप्पणो सयट्ठाए तत्थ तत्थ अगारीहिं
अगाराइं चेतियाइं भवन्ति,

तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवनगिहाणि वा,

महता पुढविकायसमारंभेणं,

महता आउकायसमारंभेणं,

महता तेउकायसमारंभेणं,

महता वाउकायसमारंभेणं,

महता वणस्सइकायसमारंभेणं,

महता तसकायसमारंभेणं महया संरंभेणं, महया समारंभेणं,
महया आरंभेणं,

महता विरुवरुवेहिं पावकम्मकिच्चेहिं,

तं जहा—छावणतो, लेवणतो, संथार-डुवार-पिहणतो,
सीतोदए वा परिट्टविय पुव्वे भवति, अगणिकाए वा उज्जा-
लियपुव्वे भवति,

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवन-गिहाणि
वा उवागच्छंति, उवागच्छत्ता इतराइतरेहिं पाहुडोहिं चट्टंति
एगपक्खं ते कम्मं सेवन्ति, अयमाउसो ! अप्पसावज्जकिरिया
यावि भवति । —आ सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४४१

अल्प सावद्य क्रिया-कल्पनीय शय्या—

८०. इस संसार में पूर्व यावत् उत्तर दिशा में, कई श्रद्धालु व्यक्ति
होते हैं यावत् वे अभिरुचि से प्रेरित होकर उन्होंने अपने निजी
प्रयोजन के लिए यत्र-अत्र मकान बनवाए हैं,

जैसे कि— लोहकारशाला यावत् भूमिगृह आदि ।

उनका निर्माण पृथ्वीकाय के महान समारंभ से,

अपकाय के महान् समारंभ से,

तेउकाय के महान् समारंभ से,

वाउकाय के महान् समारंभ से,

वनस्पतिकाय के महान् समारंभ से,

त्रसकाय के महान् समारंभ से इस प्रकार महान् संरंभ,
समारंभ एवं आरंभ से,

तथा नाना प्रकार के पापकर्मजनक कृत्यों से हुआ है,

जैसे— छत डालने, लीपने, संस्तारक कक्ष सम करने तथा
द्वार का दरवाजा बनाने से हुआ है तथा वहां सचित्त पानी
डाला गया है, अग्नि भी प्रज्वलित की गई है ।

जो पूज्य निर्ग्रन्थ श्रमण इस प्रकार के (गृहस्थ द्वारा अपने
लिए निर्मित) लोहकारशाला यावत् भूमिगृह आदि वासस्थानों
में आकर रहते हैं, अन्यान्य सावद्य कर्म निष्पन्न स्थानों का उप-
योग करते हैं वे एकपक्ष (भाव से साधुरूप) कर्म का सेवन करते
हैं । हे आयुष्मन् ! उन श्रमणों के लिए वह शय्या अल्प सावद्य
क्रिया (निर्दोष) रूप होती है ।



शय्येषणा-निषेध—२

गिहारंभकरण णिसेहो—

८१. न सयं गिहाइं कुव्वेज्जा, णेव अन्नेहिं कारण ।

गिहकम्म समारम्भे भूयाणं दीसई व्हो ॥

तसाणं थावराणं च सुहुमाणं बायराण य ।

तम्हा गिहसमारम्भं संजओ परिवज्जए ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. ८-९

हणंतं णाणुजाणेज्जा, आयगुत्ते जिइंदिए ।

ठाणाइं संति सड्ढीणं, गामेसु नगरेसु वा ॥

—सूय. सु. १, अ. ११, गा. १६

गृह-निर्माण—निषेध—

८१. भिक्षु न स्वयं घर बनाए और न दूसरों से बनवाए । गृह
निर्माण के समारंभ (प्रवृत्ति) में त्रस और स्थावर, सूक्ष्म और
बादर जीवों का वध देखा जाता है । इसलिए संयत भिक्षु गृह-
समारंभ का परित्याग करे ।

ग्रामों में या नगरों में श्रद्धालुओं के कुछ आश्रय स्थान होते
हैं, उनके निर्माण में होने वाली हिंसा का आत्मगुप्त जितेन्द्रिय
मुनि अनुमोदन नहीं करते हैं ।

निर्ग्रन्थानां अकल्पणिज्जा उवस्सया—

८२. नो कप्पइ निर्ग्रन्थानं, इत्थि-सागारिए उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २८

नो कप्पइ निर्ग्रन्थानं, पडिबद्ध^१-सेज्जाए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३२

नो कप्पइ निर्ग्रन्थानं, गाहावद्ध-कुलस्स मज्झं मज्झेणं गंतुं वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३४

निर्ग्रन्थीणं अकल्पणिज्ज उवस्सया —

८३. नो कप्पइ निर्ग्रन्थीणं, पुरिस-सागारिए उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३०

नो कप्पइ निर्ग्रन्थीणं, आवणगिहंसि वा, रत्थामुहंसि वा, सिघाडगंसि वा, तियंसि वा, चउक्कंसि वा, चच्चरंसि वा, अन्तरावणंसि वा वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. १२

नो कप्पइ निर्ग्रन्थीणं सागारिय अणिस्साए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २३

नो कप्पइ निर्ग्रन्थीणं-अहे आगमणगिहंसि वा, वियडगिहंसि वा, बंसीमूलंसि वा, रुक्खमूलंसि वा, अब्भावगासियंसि वा वत्थए ।

—कप्प. उ. २, सु. ११

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीणं अकल्पणिज्जा उवस्सया—

८४. नो कप्पइ निर्ग्रन्थान वा निर्ग्रन्थीण वा, सागारिय उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २६

नो कप्पइ निर्ग्रन्थान वा निर्ग्रन्थीण वा, सच्चित्तकम्मे उवस्सए वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. २१

से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा—अस्सिपंडियाए एणं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाइ-जाव-सत्ताइं समारम्भं समुद्दिस्स,

निर्ग्रन्थों के अकल्प्य उपाश्रय—

८२. निर्ग्रन्थों को स्त्री-सागारिक (स्त्रियों के निवास वाले) उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों को प्रतिबद्ध (गृहस्थ के घर से संलग्न छत वाली) शय्या में बसना नहीं कल्पता है ।

गृह के मध्य में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का मार्ग हो उस उपाश्रय में निर्ग्रन्थों को बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों के लिए अकल्प्य उपाश्रय—

८३. निर्ग्रन्थियों को पुरुष-सागारिक (केवल पुरुष निवास वाले) उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों को दुकान युक्त गृह में, गली के प्रारंभ में, शृंगाटकाकार स्थान में, तिराहे में, चौराहे में, अनेक मार्ग मिलने के स्थान में (बने हुए गृहों में) या दुकान में बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों को सागारिक की अनिश्रा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुए बिना) उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियों को आगमन गृह में, चारों ओर से खुले घर में, छप्पर के नीचे (या बांस की जाली युक्त गृह में), वृक्ष के नीचे या आकाश के नीचे बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए अकल्प्य उपाश्रय—

८४. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सागारिक (गृहस्थ के निवास वाले) उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को सचित्र उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है ।

यदि साधु ऐसा उपाश्रय जाने, जो कि (भावुक गृहस्थ द्वारा) इसी प्रतिज्ञा से अर्थात् किसी एक साधमिक साधु के उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया गया है,

१ 'प्रतिबद्ध शय्या'—द्रव्यतः भावतश्च प्रतिबद्ध उपाश्रयः ।

द्रव्यतः पुनरयम्—'पृष्ठबंधः'—वलहरणं, स यत्रोपाश्रये गृहस्थगृहेण सह संबद्धः स द्रव्य प्रतिबद्ध उच्यते । प्रस्रवणे-स्थाने रूपे शब्दे चेति चत्वारो भेदा भाव प्रतिबद्धे भवन्ति ।

—कल्पभाष्य उ. १ सू. ३०

भावायं—(१) द्रव्य प्रतिबद्ध—उपाश्रय और गृहस्थ गृह की छत एक ही वलधारण आधार पर हो ।

(२) भाव प्रतिबद्ध उपाश्रय ४ प्रकार का होता है यथा—(१) स्त्रियों की व साधु की प्रस्रवण भूमि एक हो । (२) हवा प्रकाश आदि के लिये अन्यत्र खड़े रहने बैठने का स्थान साधु का व स्त्रियों का एक हो । (३) जिस उपाश्रय में बैठे-बैठे ही स्त्रियों के रूप दिखते हों । (४) जिस उपाश्रय में स्त्रियों के अनेक प्रकार के शब्द सुनाई देते हों । इस प्रकार के द्रव्य और भाव प्रतिबद्ध उपाश्रय में रहना साधु को नहीं कल्पता है ।

कीर्यं, पामिच्चं, अच्छेज्जं, अणिसट्ठं, अभिहडं आहट्ठं चेतैति ।

तहप्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकडे वा, अपुरिसंतरकडे वा वहियाणीहडे वा, अणीहडे वा, अत्तट्टिए वा, अणत्तट्टिए वा, परिभुत्ते वा, अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा, अणासेविते वा, णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चैतेज्जा ।

एवं वहवे साहम्मिया, एगं साहम्मिणि, वहवे साहम्मिणीओ ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१३

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-वहवे समण-जाव-वणीमए पगणिय-पगणिय समुद्दिस्स पाणाइं -जाव-सत्ताइं समारम्भ-जाव-अभिहडं आहट्ठं चेतैति, तहप्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकडे वा, अपुरिसंतर कडे वा -जाव-अणासेविते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा, चैतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १, उ. १, सु. ४१४

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा—सइत्थियं, सखुड्डं, सपसुभत्तपाणं । तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा, चैतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२०

आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतिकुलेण सद्धि संवसमाणस्स,

अलसणे वा, विसूइया वा, छड्डी वा णं उव्वाहेज्जा,

अण्णतरे वा से दुक्खे रोगातंके समुप्पजेज्जा ।

अस्संजते कलुणपंडियाए तं भिक्खुस्स गातं तेत्तेलेण वा, घएण वा, बसाए वा, णवणीएण वा, अब्भंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा, सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेण वा, आधंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा, उवट्टेज्ज वा, सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छेलेज्ज वा, पहोएज्ज वा, सिणावेज्ज वा, सिचैज्ज वा, दाहणा वा, दाहपरिणामं कट्ठं अगणिकायं उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा. उज्जालेत्ता, पज्जालेत्ता, कायं आतावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

खरीदा गया है, उधार लिया गया है, छीना गया है, स्वांमी की अनुमति के बिना लिया गया है या अन्य स्थान से लाया गया है ।

ऐसा उपाश्रय चाहे वह अन्य पुरुष को दिया हो या न दिया हो, बाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, परिभुक्त हो या अपरिभुक्त अथवा आसेवित हो या अनासेवित हो उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

जैसे एक साधर्मिक साधु का कहा वैसे ही बहुत से गार्धर्मिक साधुओं एक साधर्मिणी साध्वी, बहुत-सी साधर्मिणी साध्वियों का भी समझना चाहिए ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उपाश्रय जाने, जो बहुत-से श्रमणों—यावत्—भिखारियों को गिन-गिन कर उनके उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके—यावत्—अन्य स्थान से लाकर दे तो ऐसा (उपाश्रय) पुरुषांतरकृत हो अथवा पुरुषान्तरकृत न हो—यावत्—अनासेवित हो तो उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि — जो स्त्रियों से, बालकों से, पशुओं से तथा खाने पीने योग्य पदार्थों से युक्त हो ऐसे सागारिक के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

साधु का गृहपतिकुल के साथ (एक ही मकान में) निवास कर्मबन्ध का उपादान कारण है ।

गृहस्थ परिवार के साथ निवास करते हुए साधु के हाथ, पैर, आदि का कदाचित् स्तम्भन हो जाए अथवा सूजन हो जाए, विशूचिका या वमन की व्याधि हो जाए,

अथवा अन्य कोई दुख या रोगातंक पैदा हो जाए ।

ऐसी स्थिति में वह गृहस्थ करुणा भाव से प्रेरित होकर उस भिक्षु के शरीर पर तेल, घी, बसा अथवा नवनीत से मालिश करेगा अथवा सिणाण = सुगंधित द्रव्य समुदाय, कल्क, लोघ, वर्णक, चूर्ण, या पद्म से एक बार घिसेगा, जोर से घिसेगा, शरीर पर लेप करेगा, अथवा शरीर का मैल दूर करने के लिए उबटन करेगा । अथवा प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से एक बार धोएगा या बार-बार धोएगा, मल-मलकर नहलाएगा, अथवा मस्तक आदि पर पानी छीटेगा, अथवा अरणी की लकड़ी को परस्पर रगड़ कर अग्नि उज्वलित-प्रज्वलित करेगा । अग्नि की सुलगाकर और अधिक प्रज्वलित करके साधु के शरीर को थोड़ा या अधिक तपाएगा ।

अह भिक्षू णं पुत्रोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।
—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२१

आयाणमेयं भिक्षुस्स गाहावतिणा सद्धिं संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावइस्स अप्पणो सयट्ठाए विरुवरुवाइं भिण्ण-पुत्वाइं भवति ।

अह पच्छा भिक्षूपडियाए विरुवरुवाइं दाश्याइं भिदेज्ज वा किणेज्ज वा, पामिच्चेज्ज वा दाश्या वा दाशपरिणामं कट्टु अगणिकायं उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा,

तस्य भिक्षू अमिक्खेज्जा आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, वियट्ठित्तए वा ।

अह भिक्षूणं पुत्रोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४२६

आयाणमेयं भिक्षुस्स सागारिए उवस्सए संबसमाणस्स ।

इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा अप्पणमण्णं अक्कोसंति वा, वहंति वा, रुमंति वा, उट्ठेवेंति वा ।

अह भिक्षू उच्चावयं मणं णियच्छेज्जा-एते खलु अप्पणमण्णं अक्कोसंतु वा, मा वा अक्कोसंतु-जाव-मा वा उट्ठेवेंतु ।

अह भिक्षूणं पुत्रोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा णिसीहियं वा, चेतैज्जा ।
—आ. सु. २, अ. २, उ. १ सु. ४२२

से भिक्षू वा भिक्षूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, अप्पणमण्णं अक्कोसंति वा-जाव-उट्ठेवेंति वा, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए । से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४४६

(इस तरह गृहस्थकुल के साथ उसके घर में ठहरने से अनेक दोषों की संभावना देखकर) तीर्थंकर प्रभु ने भिक्षु के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा बताई है—यावत्—उपदेश दिया है कि वह ऐसे गृहस्थ संसक्त मकान में कायोत्सर्ग, शय्या और स्वाध्याय न करे ।

गृहस्थ के साथ ठहरने वाले साधु के लिए वह कर्मबंध का कारण है ।

क्योंकि वहाँ गृहस्थ के अपने स्वयं के लिए पहले नाना प्रकार के काष्ठ (लकड़ियाँ) काट कर रखी हुई होती हैं,

उसके पश्चात् वह साधु के लिए भी विभिन्न प्रकार के काष्ठ को काटेगा, खरीदेगा या किसी से उधार लेगा और काष्ठ से काष्ठ का घर्षण करके अग्निकाय को उज्वलित एवं प्रज्वलित करेगा ।

ऐसी स्थिति में सम्भव है वह साधु भी गृहस्थ की तरह शीत निवारणार्थ आताप और प्रताप लेना चाहेगा । तथा उसमें आसक्त होकर वहीं रहना चाहेगा ।

इसलिए तीर्थंकरों ने भिक्षुओं के लिए ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है, कि साधु ऐसे उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

साधु के लिए गृहस्थ-संसर्ग युक्त उपाश्रय में निवास करना अनेक दोषों का कारण है,

क्योंकि उससे गृहस्वामी—यावत्—नौकरानियाँ कदाचित् परस्पर एक-दूसरे को कटु वचन कहें, मारें-पीटें, बंद करे या उपद्रव करें ।

उन्हें ऐसा करते देख भिक्षु के मन में ऊँचे-नीचे भाव आ सकते हैं कि ये परस्पर एक-दूसरे को भला-बुरा कहें अथवा नहीं कहें—यावत्—उपद्रव करें या नहीं करें ।

इसलिए तीर्थंकरों ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा बताई है—यावत्—उपदेश दिया है कि वह गृहस्थयुक्त उपाश्रय में कायोत्सर्ग, शय्या और स्वाध्याय न करे ।

यदि भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे उपाश्रय को जाने कि—इम उपाश्रय में गृहस्वामी—यावत्—कर्म करने वाली परस्पर एक-दूसरे को कोसती है,—यावत्—उपद्रव करती है, प्रज्ञावान् साधु को इस प्रकार के उपाश्रय में निर्गमन प्रवेश करना—यावत्—धर्मचिन्तन करना उचित नहीं है । यह जानकर साधु उस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतीहिं सद्धिं संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावती अप्पणां सअट्ठाए अगणिकायं उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा विज्जावेज्ज वा ।

अह भिक्खू उच्चावयं मणं णियच्छेज्जा—

“एते खलु अगणिकायं उज्जालेतु वा, मा वा उज्जालेतु, पज्जालेतु वा, मा वा पज्जालेतु, विज्जावेतु वा, मा वा विज्जावेतु ।”

अह भिक्खूणं पुब्बोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतोज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२३

आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतीहिं सद्धिं संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावतिस्स कुंडले वा, गुणे वा, मणी वा, मोत्तिए वा, हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, कडगाणि वा, तुडियाणि वा, तिसरगाणि वा, पालंवाणि वा, हारे वा, अद्धहारे वा, एगावली वा, मुत्तावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, तरुणियं वा, कुमारिं अलंकियविभूसियं पेहाए ।

अह भिक्खू उच्चावयं मणं णियच्छेज्जा,
“एरिसिया वा सा, णो वा एरिसिया” इति वा णं बूया,
इति वा णं मणं साएज्जा ।

अह भिक्खूणं पुब्बोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतोज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२४

आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतीहिं सद्धिं संवसमाणस्स ।

इह खलु गाहावतिणीओ वा गाहावतिधूयाओ वा, गाहावति-सुण्हाओ वा, गाहावतिधातीओ वा, गाहावतिदासीओ वा, गाहावतिकम्मकरीओ वा, तासिं च णं एवं चत्तपुब्बं भवति—

“जे इमे भवंति समणा भगवंतो सीलमंता, वयमंता, गुणमंता, संजता, संबुडा, बंभयारी, उवरता मेहुणातो धम्मातो णो खलु एतेसि कप्पति मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टिए ।

गृहस्थों के साथ एक मकान में साधु का निवास करना इस लिए कर्मबन्ध का कारण है कि,

उसमें गृहस्वामी अपने प्रयोजन के लिए अग्निकाय को उज्वलित-प्रज्वलित करेगा, प्रज्वलित अग्नि को बुझाएगा ।

वहाँ रहते हुए भिक्षु के मन में कदाचित् ऊँचे-नीचे परिणाम आ सकते हैं—

ये गृहस्थ अग्नि को उज्वलित करे, अथवा उज्वलित न करे तथा ये अग्नि को प्रज्वलित करे अथवा न करे, अग्नि को बुझा दे अथवा न बुझा दे ।’

इसलिए तीर्थकरों ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी प्रतिज्ञा बताई है—यावत्—उपदेश दिया है कि वह गृहस्थसंसक्त उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

गृहस्थों के साथ एक जगह निवास करना साधु के लिए कर्मबन्ध का कारण है (उसमें निम्नोक्त कारणों से राग-द्वेष के भाव उत्पन्न हो सकते हैं ।)

जैसे कि उस मकान में गृहस्थ के कुण्डल, करधनी, मणि, मुक्ता, चाँदी, सोना या सोने के कड़े, वाजूबंद, तीनलडा हार, लम्बीमाला, अठारह लड़ी का हार, नौ लड़ी का हार, एकावली हार, मुक्तावली हार, कनकावली हार, रत्नावली हार, अथवा वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत और विभूषित युवति या कुमारी कन्या को देखकर,

भिक्षु के मन में ऊँचे-नीचे संकल्प विकल्प आ सकते हैं कि,

“ये आभूषण आदि मेरे घर में भी थे, एवं मेरी कन्या भी इसी प्रकार की थी, या ऐसी नहीं थी ।” वह इस प्रकार के उद्गार भी निकाल सकता है, अथवा मन ही मन उनका अनुमोदन भी कर सकता है ।

अतः तीर्थकर प्रभु ने पहले से ही साधुओं के लिए ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि—साधु ऐसे उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

गृहस्थों के साथ एक जगह निवास करना साधु के लिए कर्मबन्ध का कारण है,

क्योंकि उसमें गृहपत्नियाँ, गृहस्थ की पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, धायमाताएँ, दासियाँ या नौकरानियाँ भी रहती हैं । उनमें कभी परस्पर ऐसा वार्तालाप भी होना सम्भव है कि—

“ये जो श्रमण भगवान् होते हैं, वे शीलवान्, व्रतनिष्ठ, गुणवान्, संयमी, आस्रवों के निरोधक, ब्रह्मचारी एवं मैथुन धर्म से सदा उपरत होते हैं । अतः मैथुन सेवन इनके लिए कल्पनीय नहीं है ।

जा धं खलु एतेसि सद्धिं मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टेज्जा पुत्तं खलु सा लभेज्जा ओयस्सि, तेयस्सि, वच्चस्सि, जसस्सि, संपरायियं, आलोयदरिसिणिज्जं ।”

एय्यगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म तासि च णं अण्णतरी सद्धी तं तवस्सि भिक्खुं मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टा-वेज्जा ।

अहं भिक्खू णं पुच्चोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४२५

आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतीहिं सद्धिं संवसमाणस्स ।

इहं खलु गाहावडस्स अप्पणो सयट्ठाए विरुवस्से भोयणजाते उवक्खटित्ते सिया, अहं पच्छा भिक्खुपटियाए असणं वा -जाव-भाइमं वा उवक्खटैज्जं वा, उवकरैज्जं वा ।

तं च भिक्खू अभिकंखेज्जा भोत्तए वा, पायए वा, विरिट्ठए वा ।

अहं भिक्खू णं पुच्चोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४२८

गाहावती नामेगे सुइत्तमायारा भवंति, भिक्खू य असिणाणए मोयसमायारे से तग्गंधे दुग्गंधे पडिकूले पडिलोमे यावि भवति,

जं पुच्चकम्मं तं पच्छाकम्मं, जं पच्छाकम्मं तं पुच्चकम्मं,

ते भिक्खुपटियाए चट्टमाणा करेज्जा वा णो वा करेज्जा ।

अहं भिक्खू णं पुच्चोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे जं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४२७

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इहं खलु गाहावती चा-जाव-कम्मकरीओ वा, अण्णमण्णस्स गातं तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, अहंमेति वा

परन्तु जो स्त्री इनके साथ मैथुन-क्रीड़ा में प्रवृत्त होती है, उसे ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली—(रूपवान्), यगस्वी, संग्राम में शूरवीर, चमक-दमक वाले एवं दर्शनीय पुत्र की प्राप्ति होती है ।”

इस प्रकार की बातें सुनकर, मन में विचार करके उनमें से पुत्र-प्राप्ति की इच्छुक कोई स्त्री उस तपस्वी भिक्षु को मैथुन-सेवन के लिए अभिमुख कर ले, ऐसा सम्भव है ।

इसलिए तीर्थंकरों ने साधुओं के लिए पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु उस प्रकार के गृहस्थों से संसक्त उपाश्रय में स्थान, शय्या और स्वाध्याय न करे ।

गृहस्थों के साथ निवास वाले साधु के लिए वह कर्मबन्ध का कारण है,

क्योंकि वहाँ गृहस्थ ने अपने लिए नाना प्रकार के भोजन तैयार किये हुए होते हैं उसके पश्चात् वह साधुओं के लिए अन्न—यावत्—स्वाद्य आहार तैयार करेगा, उसकी सामग्री जुटाएगा ।

उस आहार को साधु खाना या पीना चाहेगा या उस आहार में आसक्त होकर वहीं रहना चाहेगा ।

इसलिए भिक्षुओं के लिए तीर्थंकरों ने यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि वह इस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

कोई गृहस्थ शोचाचार-परायण होते हैं और भिक्षु स्नान न करने वाले तथा मौकाचारी होते हैं । इस कारण उनके शरीर या वस्त्रों से आने वाली दुर्गन्ध उस गृहस्थ के लिए प्रतिकूल और अप्रिय भी हो सकती है ।

इसके अतिरिक्त वे गृहस्थ (म्नानादि) जो कार्य पहले करते थे अब भिक्षुओं की अपेक्षा से वाद में करेंगे और जो कार्य वाद में करते थे, वे पहले करेंगे,

अथवा भिक्षुओं के कारण वे असमय में भोजनादि क्रियाएँ करेंगे या नहीं भी करेंगे ।

इसलिए तीर्थंकरों ने भिक्षुओं के लिए पहले से ही प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु ऐसे उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी अगर ऐसे उपाश्रय को जाने कि वहाँ गृह-स्वामी—यावत्—नौकरानियाँ एक दूसरे के शरीर पर तेल, —यावत्—नवनीत से मर्दन करती है या चुपड़ती है, तो प्राज्ञ

मक्खेति वा, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५०

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा अणमणस्स गायं सिणाणेण वा, कक्केण वा-जाव-पउमेण वा, आधंसंति वा, पधंसंति वा, उव्वल्लेति वा, उवट्ठेति वा, णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४५१

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-ससागारियं, सागणियं, सउदयं, णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियट्ठणाऽणुप्पेह-धम्मा-णुयोगचित्ताए । से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४५७

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-गाहावतिकुलस्स मज्झमज्झेणं गंतुं वत्थए, पडिबद्धं वा, णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए, से एवं तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा, चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५८

भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा अणमणस्स गायं, सीतोदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छोल्लेति वा, पघोवेति वा, सिंचंति वा, सिणावेति वा, णो पण्णस्स निक्खमण पवेसाए-जाव-चित्ताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५२

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा — इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, णिगिणा ठिता, णिगिणा उवल्लीणा, भेहुणधम्मं विण्णवेति, रहस्सियं वा मंतं मंतंति, णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५३

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-आइण्णं-संलिक्खं णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए, से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा,

साधु का वहाँ आना-जाना—यावत्—धर्मचिंतन करना उचित नहीं है, यह जानकर साधु उस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने, कि वहाँ गृह स्वामी—यावत्—नौकरानियाँ परस्पर एक दूसरे के शरीर को स्नान (सुगंधित द्रव्य समुदाय) से, कल्क से, — यावत्—पद्मचूर्ण से मलती है, रगड़ती है, मँल उतारती है, उवटन करती है, वहाँ प्राज्ञ साधु का निकलना या प्रवेश करना—यावत्—धर्मचिन्तन करना उपयुक्त नहीं है । यह जानकर ऐसे उपाश्रय में साधु स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि जो गृहस्थों से संसक्त हो, अग्नि से युक्त हो, जल से युक्त हो तो बुद्धिमान् साधु को निर्गमन-प्रवेश करना उचित नहीं है और न ही ऐसा उपाश्रय वाचना, पृच्छा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोग चिन्तन के लिए उपयुक्त है । यह जानकर साधु ऐसे उपाश्रय में कायोत्सर्ग, शय्या और स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि जिसमें निवास करने पर गृहस्थ के घर में से होकर जाना आना पड़ता हो, अथवा जो उपाश्रय गृहस्थ घर से प्रतिवद्ध (संलग्न) है, वहाँ प्राज्ञ साधु का आना-जाना—यावत्—चिन्तन करना उचित नहीं है यह जानकर ऐसे उपाश्रय में साधु स्थान, शय्या और स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि वहाँ गृह-स्वामी—यावत्—नौकरानियाँ परस्पर एक दूसरे के शरीर को प्रासुक शीतल जल या उष्ण जल से धोती है, बार बार धोती है, सींचती है या स्नान कराती है, तो ऐसा स्थान बुद्धिमान् साधु के जाने-आने—यावत्—धर्मचिन्तन के लिए उपयुक्त नहीं है । यह जानकर इस प्रकार के उपाश्रय में साधु स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि वहाँ गृह-पति—यावत्—नौकरानियाँ आदि नग्न खड़ी रहती हैं या वैठी रहती हैं और नग्न होकर मैथुन-धर्म विषयक परस्पर प्रार्थना करती है, अथवा किसी रहस्यमय अकार्य के सम्बन्ध में गुप्त-मंत्रणा करती है, तो प्राज्ञ साधु का निर्गमन-प्रवेश—यावत्—धर्म चिन्तन करना उचित नहीं है । यह जानकर इस प्रकार के उपाश्रय में साधु स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने कि वह स्त्री-पुरुषों आदि के चित्रों से सुसज्जित है तो ऐसे उपाश्रय में प्राज्ञ साधु को निर्गमन-प्रवेश करना—यावत्—धर्मचिन्तन करना

सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५४

गृहस्थ पडिबद्ध उवस्सयस्स दोसाइं—

८५. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उच्चारपासवणेणं उव्वाहिज्ज-
माणे रातो वा वियाले वा गाहावतिकुलस्स दुवारवाहं अव-
गुणेज्जा, तेणो य तस्संघिचारी अणुपविसेज्जा, तस्स
भिक्खुस्स णो कप्पति एवं वदित्तए—

“अयं तेणे पविसति वा णो वा पविसति, उवल्लियति वा
णो वा उवल्लियति, आपतति वा णो वा आपतति, वयइ वा
णो वा वयइ,

तेण हडं, अण्णेण हडं,

तस्स हडं, अण्णस्स हडं

अयं तेणे, अयं उवचरए,

अयं हंता, अयं एत्थमकासी ।”

तं तवस्सि भिक्खुं अतेणं तेणमिति संकति ।

अह भिक्खूणं पुव्वोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे तं तहप्पगारे
उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतैज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३०

शुद्ध उवस्सयस्स परूवणा—

८६. से य णो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो य खलु सुद्धे
इमेहि पाहुडेहि, तं जहा—छावणतो लेवणतो संथार-दुवार
पिहाणतो पिडवातेसणाओ ।

से य भिक्खू चरियारते, ठाणरते, णिसीहियारते, सेज्जा-
संथार-पिडवातेसणारते, संति भिक्खूणो एवमक्खाइणो
उज्जुकडा णियागपडिवण्णा अमायं कुव्वराणा वियाहिता ।

संतेगतिया पाहुडिया उक्खित्तपुव्वा भवति, एवं णिक्खित्त-
पुव्वा भवति, परिभाइयपुव्वा भवति, परिभुत्तपुव्वा भवति,
परिट्ठवियपुव्वा भवति ।

उचित नहीं है। यह जानकर इस प्रकार के उपाश्रय में साधु
स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

गृहस्थ प्रतिवद्ध उपाश्रय के दोष—

८५ वह भिक्षु या भिक्षुणी रात में या विकाल में मल-मूत्रादि
की वाधा होने पर गृहस्थ के घर का द्वारभाग खोलेगा, उस समय
भीका देखने वाला कोई चोर घर में प्रविष्ट हो जाएगा तो उस
समय साधु को ऐसे कहना कल्पनीय नहीं है कि—

“यह चोर प्रवेश कर रहा है या प्रवेश नहीं कर रहा है, यह
छिप रहा है या नहीं छिप रहा है, नीचे कूद रहा है या नहीं
कूदता है, जा रहा है या नहीं जा रहा है,

इसने चुराया है या किसी दूसरे ने चुराया है ।

उसका धन चुराया है अथवा दूसरे का धन चुराया है ।

यही चोर है, यह उसका उपचारक (साथी) है ।

यह घातक है, इसी ने यहाँ यह (चोरी का) कार्य किया है”
और कुछ भी न कहने पर जो वास्तव में चोर नहीं है उस
तपस्वी साधु पर चोर होने की शंका होती है ।

अतः तीर्थंकर भगवान् ने पहले से ही साधु के लिए ऐसी
प्रतिज्ञा बताई है—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु ऐसे उपा-
श्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

शुद्ध उपाश्रय की प्ररूपणा—

८६. प्रासुक, उंछ, एपणीय उपाश्रय सुलभ नहीं है और न ही
इन सावध कर्मों (पापयुक्त क्रियाओं) के कारण उपाश्रय शुद्ध
निर्दोष मिलता है, जैसे कि कहीं साधु के निमित्त उपाश्रय का
छप्पर छाने से या छत डालने से, कहीं उसे लीपने-पोतने से,
कहीं संस्तारक भूमि सम करने से, कहीं उसे बन्द करने के लिए
द्वार लगाने से, कहीं आहार की एपणा के कारण से ।

कई साधु विहार चर्या परायण होते हैं, कई कायोत्सर्ग करने
वाले होते हैं, कई स्वाध्यायरत होते हैं, कई साधु शय्या संस्तारक
एवं पिण्डपात (आहार पानी) की गवेपणा में रत रहते हैं ।
तथा भिक्षु सरल होते हैं, मोक्ष का पथ स्वीकार किये हुए होते
हैं, एवं निष्कपट साधु माया नहीं करने वाले होते हैं वे शय्या के
विषय में इस प्रकार कहते हैं—

“कई मकान गृहस्थ के खाली पड़े रहते हैं, कई मकान गृह-
स्थ के मेहमान आदि के लिये रखे हुये होते हैं, कई मकान वेंट-
वारे में प्राप्त हुए होते हैं, कई मकान गृहस्थ के समय समय पर
काम में लिये जाने वाले होते हैं, कोई मकान गृहस्थ के पूर्ण रूप
से अनुपयुक्त होते हैं या दान किये हुए होते हैं । (इस प्रकार के
मकान गृहस्थ के लिये बने हुए होने से साधु को कल्पनीय
होते हैं)

प०—एवं वियागरेमाणे समिया वियागरेइ ?

उ०—हंता भवति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४४३

अभिकक्षणं साहम्मिय आगमण वसहि णिसेहो—

८७. से आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा, गाहावतिकुलेसु वा, परियावसहेसु वा, अभिकक्षणं अभिकक्षणं साहम्मिएहि ओवय-माणेहि णो ओवतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३२

कालातिक्कंत किरिया सरूवं—

८८. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा जे भयंतारो उडु-वद्धियं वा, वासावासियं वा कप्पं उवातिणित्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो संवसंति अयमाउसो । कालातिक्कंतकिरिया वि भवति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३३

उवट्टाण किरिया सरूवं—

८९. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा जे भयंतारो उडु-वद्धियं वा वासावासियं वा कप्पं उवातिणावित्ता तं दुगुणा दुगुणेण अपरिहरित्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो संवसंति अय-माउसो ! उवट्टाणकिरिया यावि भवति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३४

भिक्षुस्स एग खेत्ते पुणरागमण कालमेरा—

९०. संवच्छरं वावि परं पमाणं, वीथं च वासं न त्तिह वसेज्जा । सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्षू, सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ ।

—दस. चू. २, गा. ११

अणभिककंत किरिया सरूवं—

९१. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सड्ढा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि बहवे समण-माहण अतिहि-किवण-वणीमए समुहिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराइं चेतित्ताइं भवंति, तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा ।

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा, तेहिं अणोवतमाणेहि ओवयति अयमाउसो ! अणभिककंत-किरिया यावि भवति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३६

प्र० गृहस्थों को इस तरह उपाश्रय संबंधी कथन करने वाला क्या सम्यक् कथन करता है ?

उ०—हाँ सम्यक् कथन करता है, अर्थात् इस तरह सही स्वरूप समझाना उचित है ।

बारंबार साधमिक के आगमन की शय्या का निषेध—

८७. पथिकशालाओं में, उद्यान में निर्मित विश्रामगृहों में, गृहस्थ के घरों में या तापसों के मठों में जहाँ साधमिक साधु बार-बार आते-जाते (ठहरते) हों, वहाँ निग्रन्थ साधु न ठहरे ।

कालातिक्रान्त क्रिया का स्वरूप—

८८. हे आयुष्मन् ! जिन पथिकशाला—यावत्—मठों में..श्रमण भगवन्तों ने ऋतुवद्ध मासकल्प (शेषकाल) या वर्षावास-कल्प (चातुर्मास) विताया है, उन्हीं स्थानों में अगर वे विना कारण निरन्तर निवास करते हों तो उनकी वह शय्या (वसति-स्थान) कालातिक्रान्त क्रिया दोष से युक्त हो जाती है ।

उपस्थान क्रिया का स्वरूप—

८९. हे आयुष्मन् ! जिन पथिकशाला—यावत्—मठों में, जिन साधु भगवन्तों ने ऋतुवद्ध मास कल्प या वर्षावास कल्प विताया है, उससे दुगुना-दुगुना काल (मासादि-कल्प का समय) अन्यत्र विताए विना पुनः उन्हीं स्थानों में ठहर जाते हैं तो उनकी वह शय्या उपस्थान क्रिया दोष से युक्त हो जाती है ।

भिक्षु के एक क्षेत्र में पुनः आने की काल-मर्यादा

९०. भिक्षु ने जहाँ वर्षावास किया है वहाँ उत्कृष्ट एक वर्ष तक पुनः आकर न रहे । किंतु (दुगुणा काल व्यतीत करना आदि) सूत्रोक्त विधि या सूत्र का अर्थ (भाव) जिस तरह आज्ञा दे उसी प्रकार आचरण करे ।

अनभिक्रान्त क्रिया का स्वरूप—

९१. हे आयुष्मन् ! इस संसार में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं,—यावत् - अभिरुचि से प्रेरित होकर बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, वनीपक आदि के उद्देश्य से गृहस्थों ने जगह-जगह मकान बनवाए हैं, जैसे कि—लोहकार-शाला—यावत्—भूमिगृह आदि ।

जो श्रमण भगवन्त ऐसे लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृहों में आकर पहले-पहल ठहरते हैं, तो वह शय्या अनभिक्रान्त क्रिया वाली है, (अतः कल्पनीय है ।)

वज्जकिरिया सरुवं—

६२. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगइया सड्ढा भवंति. तं जहा—गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, तेसि च पं एवं वुत्तपुव्वं भवति—

जे इमे भवंति समणा भगवंतो सीलमंता-जाव-उवरता मेहणाओ धम्माओ, णो खलु एतेसि भयंताराणं कप्पति आधाकम्मिए उवस्सए वत्थए, से ज्जाणिमाणि अन्हं अप्पणो सयट्ठाए चेतियाइं भवंति, तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा, सध्वाणि ताणि समणाणं णिसिरामो, अब्बिवाइं ययं पच्छावि अप्पणो सयट्ठाए चेतैत्सामो तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा ।

एतप्पगारं णिग्घोमं सोच्चा णिसम्म जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएमणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा उवागच्छंति इतरा-तितरेहि पाट्टुदेहि वट्ठंति, अयमाउसो । वज्जकिरिया यावि भवति ।

—आ. नु. २, अ. २, उ. २, मु. ४३७

महावज्जकिरिया सरुवं—

६३. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सड्ढा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि वहवे-समण माहण-जाव-पगणिय पगणिय समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराइं चेतियाइं भवंति, तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा,

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा उवागच्छंति उवागच्छत्ता इयराइयरेहि पाट्टुदेहि वट्ठंति अयमाउसो ! महावज्जकिरिया यावि भवति ।

—आ. नु. २, अ. २, उ. २, मु. ४३८

सावज्जकिरिया सरुवं—

६४. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा, संतेगतिया सड्ढा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि वहवे समणजाते समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराइं चेतियाइं भवंति, तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा,

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा जाव-भवणगिहाणि वा उवागच्छंति उवागच्छत्ता इतराइतरेहि पाट्टुदेहि वट्ठंति अयमाउसो ! सावज्जकिरिया यावि भवति ।

—आ. नु. २, अ. २, उ. २, मु. ४३९

महासावज्ज किरिया सरुवं—

६५. इह खलु पाईणं वा-जाव-उदीणं वा संतेगतिया सड्ढा भवंति -जाव-तं रोयमाणेहि एणं समणजातं समुद्दिस्स तत्थ तत्थ

वर्ज्य क्रिया का स्वरूप—

६२. इस संसार में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं जैसे कि गृहस्वामी—यावत्—नीकरानियाँ । उन्हें पहले से ही यह ज्ञात होता है कि—

“ये श्रमण भगवन्त शीलवान्—यावत्—मैथुनधर्म के त्यागी होते हैं, इन भगवन्तों के लिए आधाकर्मदोष से युक्त उपा-श्रय में निवास करना कल्पनीय नहीं है । अतः ये जो हमारे अपने लिए बनवाये हुए हैं जैसे कि लोहकारशाला—यावत्—भवनगृह । वे सब मकान हम इन श्रमणों को दे देंगे, और हम अपने प्रयोजन के लिए बाद में दूसरे लोहकारशाला—यावत्—भवनगृह आदि मकान बना लेंगे ।”

गृहस्थों का इस प्रकार का वार्तालाप सुनकर तथा समझकर भी जो निग्रन्थ श्रमण उक्त प्रकार के लोहकारशाला—यावत्—भवनगृह में आकर ठहरते हैं, वहाँ ठहर कर वे अन्यान्य छोटे बड़े घरों का उपयोग करते हैं, तो हे आयुष्मन् श्रमणो ! उनके लिये वह शय्या वर्ज्यक्रिया वाली होती है ।

महावर्ज्यक्रिया का स्वरूप—

६३. इस संसार में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं,—यावत्—अभिरुचि से प्रेरित होकर वे बहुत से श्रमण ब्राह्मण—यावत्—भिक्षाचरों को गिन-गिनकर उनके उद्देश्य से जहाँ-तहाँ लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृह बनवाते हैं ।

जो निग्रन्थ साधु उस प्रकार के लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृहों में आकर रहते हैं, वहाँ रहकर वे अन्यान्य छोटे-बड़े घरों का उपयोग करते हैं तो हे आयुष्मन् ! वह शय्या उनके लिए महावर्ज्य क्रिया से युक्त हो जाती है ।

सावद्य क्रिया का स्वरूप—

६४. इस संसार में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु होते हैं—यावत्—अभिरुचि से प्रेरित होकर वे अनेक प्रकार के श्रमणों के उद्देश्य से जहाँ तहाँ लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृह बनवाते हैं ।

जो निग्रन्थ साधु उस प्रकार के लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृह में आकर ठहरते हैं तथा अन्यान्य छोटे बड़े गृहों का उपयोग करते हैं, हे आयुष्मन् ! उनके लिए वह शय्या सावद्यक्रिया दोष से युक्त हो जाती है ।

महासावद्य क्रिया का स्वरूप—

६५. इस संसार में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु व्यक्ति हैं—यावत्—अभिरुचि से प्रेरित होकर उन्होंने एक ही

अगारीहि अगाराइं चेतताइं भवन्ति, तं जहा—आएसणाणि वा-जाव-भवणगिहाणि वा, महता पुढविकायसमारंभेणं-जाव-महता तसकायसमारंभेणं, महता संरंभेणं, महता समारंभेणं, महता आरंभेणं महता विरूवरुवेहि पावकम्मकिच्चेहि, तं जहा—छावणतो लेवणतो संथार-दुवार-पिहणतो, सीतोदए वा परिदुवियपुव्वे भवन्ति, अगणिकाए वा उज्जालियपुव्वे भवन्ति ।

जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा-जाव-भवण गिहाणि वा, उवागच्छति उवागच्छिता इतराइतरेहि पाहुडोहि वट्टंति दुपक्खं ते कम्मं सेवन्ति, अयमाउसो ! महासावज्ज-किरिया यावि भवन्ति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४४०

एगदुवारवंतेसु गामाइसु णिग्गंथ-णिग्गंथीणं णिसिद्ध वसणं—

६६. से गामंसि वा-जाव-रायहारिणसि वा, एगवगडाए, एगदुवार-राए, एगनिकखमणपवेसाए, नो कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य एगयओ वत्थए । — कप्प. उ. १, सु. १०

णिग्गंथ-णिग्गंथीणं दगतीरंसि णिसिद्ध किच्चंदाइं—

६७. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, दगतीरंसि चिट्ठत्तए वा, निसीइत्तए वा, तुयट्ठित्तए वा, निहाइत्तए वा, पयला-इत्तए वा, असणं वा-जाव-साइमं वा आहरित्तए वा, उच्चारं वा, पासवणं वा, खेलं वा सिघाणं वा परिदुवेत्तए, सज्जायं वा करित्तए, धम्मजागरियं वा जागरित्तए, काउसगं वा ठाणं ठाइत्तए । — कप्प उ. १, सु. २०

णिग्गंथी उवस्सए णिग्गंथाणं णिसिद्ध किच्चंदाइं—

६८. नो कप्पइ निग्गंथाणं निग्गंथीणं उवस्सयंसि—
१. चिट्ठत्तए वा, २. निसीइत्तए वा, ३. तुयट्ठित्तए वा,
४. निहाइत्तए वा, ५. पयलाइत्तए वा, ६-९. असणं वा
जाव-साइमं वा, आहारं आहारेत्तए,
१०. उच्चारं वा, ११. पासवणं वा, १२. खेलं वा,
१३. सिघाणं वा परिदुवेत्तए, १४. सज्जायं वा करेत्तए,
१५. ज्ञाणं वा ज्ञाइत्तए, १६. काउसगं वा करित्तए,
ठाणं वा ठाइत्तए । — कप्प. उ. ३, सु. १

प्रकार के निर्ग्रन्थ श्रमण वर्ग के उद्देश्य से लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृह आदि मकान जहाँ-तहाँ बनवाए हैं। उन मकानों का निर्माण पृथ्वीकाय के महान् समारम्भ से—यावत्—त्रसकाय के महान् समारंभ से, इस प्रकार महान् संरम्भ-समारम्भ और आरम्भ से तथा नाना प्रकार से महान् पापकर्मजनक कृत्यों से हुआ है जैसे कि छत आदि डाली गई है, उसे लीपा गया है संस्तारक कक्ष को सम बनाया गया है, द्वार के दरवाजा लगाया गया है, तथा वहाँ शीतल सचित्त पानी डाला गया है, अग्नि भी प्रज्वलित की गयी है।

जो निर्ग्रन्थ श्रमण उस प्रकार के लोहकारशाला—यावत्—भूमिगृह में आकर रहते हैं तथा अन्यान्य छोटे-बड़े गृहों में ठहरते हैं, वे द्विपक्ष (द्रव्य से साधुरूप और भाव से गृहस्वरूप) कर्म का सेवन करते हैं। हे आयुष्मन् ! उन श्रमणों के लिए यह शय्या महासावद्य क्रिया दोष से युक्त होती है।

ग्राम आदि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के रहने का निषेध—

६६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को एक वगडा, एक द्वार और एक निष्क्रमण प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—राजधानी में (भिन्न-भिन्न उपाश्रयों में भी) समकाल बसना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए पानी के किनारे पर निषिद्ध कार्य—

६७. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को दकतीर (जल के किनारे) पर खड़ा होना, बैठना, शयन करना, निद्रा लेना, ऊँघना, अशन—यावत्—स्वादिम आहार का खाना-पीना, मल-मूत्र, श्लेष्म, नासामल आदि का परित्याग करना—स्वाध्याय करना, धर्म जागरिका (रात्रि जागरण) करना तथा खड़े या बैठे कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में निर्ग्रन्थों के लिए निषिद्ध कार्य—

६८. निर्ग्रन्थों को निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में—
१. खड़े होना, २. बैठना, ३. लेटना,
४. निद्रा लेना, ५. ऊँघ लेना, ६-९. अशन—यावत्—
स्वादिम का आहार करना,
१०. मल, ११. मूत्र, १२. कफ और
१३. नाक का मूल त्यागना, १४. स्वाध्याय,
१५. ध्यान तथा १६. खड़े या बैठे कायोत्सर्ग करना
नहीं कल्पता है।

निर्ग्रन्थाणं उवस्सए निर्ग्रन्थीणं णिसिद्ध किञ्चाइं—

६६. नो कप्पइ निर्ग्रन्थीणं निर्ग्रन्थाणं उवस्सयंसि चिद्धित्तए वा
-जाव-ठाणं वा ठाइत्तए । - कप्प. उ. ३, सु. २

णिसीहियाए णिसिद्ध किञ्चाइं—

१००. जे तत्थ दुवग्गा वा, तिवग्गा वा, चउवग्गा वा, पंचवग्गा
वा, अमिसंधारेज्जा णिसीहियं गमणाए,
ते णो अण्णमण्णस्स कायं आल्लिगेज्ज वा, विल्लिगेज्ज वा,
चुंवेज्ज वा, दंतेहिं वा, अच्चिच्छेज्ज वा विच्छिच्छेज्ज वा,
—आ. सु. २, अ. ६, सु. ६४३

निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में निर्ग्रन्थियों के लिए निषिद्ध
कार्य—

६६. निर्ग्रन्थियों को निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में ठहरना—यावत्—
खड़े या बैठे कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है ।

स्वाध्यायभूमि में निषिद्ध कार्य—

१००. यदि स्वाध्यायभूमि में दो-दो तीन-तीन चार-चार या
पाँच-पाँच के समूह में एकत्रित होकर (साधु) जाना चाहे तो,
वहाँ एक-दूसरे के शरीर का परस्पर आलिंगन न करें, न
ही एक दूसरे से चिपटे, न वे परस्पर चुम्बन करें, न ही दांतों
और नखों से एक दूसरे का छेदन करें ।



शर्यषणा विधि-निषेध—३

अंतलिक्ख उवस्सयस्स विहि-णिसेहो—

१०१. पे भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा,
तं जहा - खंधसि वा-जाव हम्मियतलसि वा, अण्णतरंसि वा
तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि णण्णत्थ आगाढानाढेहिं कार-
णेहिं णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

से य आहच्च चेतिते सिया,
णो तत्थ सीतोदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
हत्थाणि वा, पादाणि वा, अच्छीणि वा, दंताणि वा, मुहं
वा, उच्छेलेज्ज वा, पघोएज्ज वा,
णो तत्थ उसडं पकरेज्जा, तं जहा—उच्चारं वा, पासवणं
वा, खेलं वा, सिघाणं वा, वंतं वा, पित्तं वा, पूतिं वा, सोणियं
वा, अण्णतरं वा सरीरावयवं ।

केवली बूया—आयाणमेयं ।

से तत्थ ऊसट्ठं पकरेमाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, से
तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्थ वा-जाव-सीसं वा
अण्णतरं वा कायंसि इंदियजातं लूसेज्ज वा, पाणाणि वा
-जाव-सत्ताणि वा जमिहणेज्ज वा-जाव ववरोवेज्ज वा ।

अह भिक्खूणं पुब्बोवदिट्ठा एस पइण्णा-जाव-एस उवएसे, जं
तहप्पगारे उवस्सए अंतलिक्खजाते णो ठाणं वा सेज्जं वा
णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४६६

अन्तरिक्ष उपाश्रय के विधि-निषेध—

१०१. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे उपाश्रय को जाने,

जो कि स्तम्भ पर बना है—यावत् - प्रासाद के तल पर
बना हुआ है, अथवा अन्य भी इसी प्रकार के अन्तरिक्षजात
स्थान है, तो किसी अत्यंत गह्र कारण के बिना उक्त प्रकार के
उपाश्रय में स्थान शय्या और स्वाध्याय न करे ।

कदाचित् कारणवश ऐसे उपाश्रय में ठहरना पड़े तो

वहाँ प्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से हाथ, पैर,
आँख, दाँत, या मुँह एक बार या बार-बार न धोए,

वहाँ पर किसी भी प्रकार का व्युत्सर्जन न करे, यथा उच्चार.
(मल) प्रस्रवण (मूत्र) मुख का मूत्र, नाक का मूत्र, वमन, पित्त,
मवाद, रक्त तथा शरीर के अन्य किसी भी अवयव के मल का
त्याग वहाँ न करे ।

क्योंकि केवलज्ञानी प्रभु ने इसे कर्मों के आने का कारण
बताया है ।

वह वहाँ पर मलोत्सर्ग आदि करता हुआ फिसल जाए या
गिर पड़े । ऊपर से फिसलने या गिरने पर उसके हाथ—यावत्—
शिर तथा शरीर के किसी भी भाग में या अन्य किसी इन्द्रिय
पर चोट लग सकती है, तथा प्राणी—यावत्—सत्त्व भी घायल
हो सकते हैं—यावत्—प्राणरहित हो सकते हैं ।

अतः भगवान् ने पहले से ही साधु के लिये ऐसी प्रतिज्ञा
बताई है—यावत्—उपदेश दिया है कि इस प्रकार के अन्तरिक्ष
जात उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

एसणिज्जा अणेसणिज्जा य उवस्सया—

१०२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा उवस्सयं एसित्तए से अणुपविसित्तागामं वा-जाव-रायहाणि वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-सअंडं-जाव-मक्कडा संताणयं ।

तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज्जं वा, णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणयं ।

तहप्पगारे उवस्सए पडिलेहित्ता पमज्जित्ता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१२ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा बहवे समण-जाव-वणीमए समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारम्भ-जाव-अभिहंडं आहट्टु च्चेतेति ।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेवित्ते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडे-जाव-आसेवित्ते, पडिले-हित्ता पमज्जित्ता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसी-हियं वा, च्चेतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१४

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्संजए भिक्खूपडियाए कडिए वा, उक्कंविए वा, छत्ते वा, लेत्ते वा, घट्ठे वा, मट्ठे वा, संमट्ठे वा संपघूविए वा ।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविए णो ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—पुरिसंतरकडे-जाव-आसेवित्ते, पडिले-हित्ता पमज्जित्ता ततो संजयामेव ठाणं वा सेज्जं वा णिसी-हियं वा च्चेतेज्जा । —आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१५

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा—अस्संजते भिक्खूपडियाए खुड्डियाओ दुवारियाओ महल्लियाओ कुज्जा-जाव-संथारगं संथरेज्जा वहिया वा णिणवखु ।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा च्चेतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडे-जाव-आसेवित्ते, पडिले-हित्ता पमज्जित्ता, ततो संजयामेव ठाणं वा, णिसीहियं वा च्चेतेज्जा । —आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१६

एषणीय और अनेषणीय उपाश्रय—

१०२ भिक्षु या भिक्षुणी उपाश्रय की गवेषणा करना चाहे तो ग्राम—यावत्—राजधानी में प्रवेश करके साधु के योग्य उपाश्रय का अन्वेषण करते हुए यदि यह जाने कि उपाश्रय अंडों से—यावत्—मकड़ी के जाले आदि से युक्त है तो,

ऐसे उपाश्रय में स्थान, शय्या और स्वाध्याय न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी जिस उपाश्रय को अंडों से—यावत्—मकड़ी जालों से रहित जाने तो,

ऐसे उपाश्रय का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके उसमें यतना पूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उपाश्रय जाने जो श्रमण—यावत्—भिखारी के उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बना है—यावत्—अन्य स्थान से लाकर दे तो

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुषान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

यदि यह जाने कि उपाश्रय पुरुषान्तरकृत—यावत्—आसेवित है तो प्रतिलेखन तथा प्रमार्जन करके उसमें यतनापूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसा उपाश्रय जाने जो कि गृहस्थ ने साधुओं के निमित्त काष्ठादि लगाकर संस्कारित किया है, बांस आदि से बाँधा है, घास आदि से आच्छादित किया है, गोबर आदि से लीपा है, सँवारा है, घिसा है या चिकना किया है, ऊबड़खावड़ स्थान को समतल बनाया है, दुर्गन्ध आदि को मिटाने के लिए धूप आदि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित किया है ।

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुषान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो उसमें स्थान शय्या और स्वाध्याय न करे ।

यदि यह जाने कि वह उपाश्रय पुरुषान्तरकृत—यावत्—आसेवित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि गृहस्थ ने साधुओं के लिए छोटे द्वार को बड़ा बनाया है—यावत्—संस्तारक विछाया है, अथवा कुछ सामान बाहर निकाला है ।

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुषान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो वहाँ स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

यदि यह जाने कि वह उपाश्रय पुरुषान्तरकृत—यावत्—आसेवित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा—
अस्संजए भिक्खुपडियाए उदकपसुयाणि कंदाणि वा, मूलाणि
वा, पत्ताणि वा, पुष्पाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा,
हरियाणि वा, ठाणाओ ठाणं साहरत्ति, बहिया वा गिण्णक्खु ।
तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविते णो ठाणं
वा, सेज्जं वा, गिसीहियं वा चैतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पडि-
लेहिता पमज्जिता ततो संजयामेव ठाणं वा सेज्जं वा
गिसीहियं वा चैतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४१७

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा—
अस्संजए भिक्खुपडियाए पीढं वा, फलगं वा, गिस्सेणि वा,
उदूखलं वा, ठाणाओ ठाणं साहरत्ति, बहिया वा गिण्णक्खु ।

तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे-जाव-अणासेविते णो ठाणं
वा, सेज्जं वा, गिसीहियं वा चैतेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा - पुरिसंतरकडे-जाव-आसेविते, पडि-
लेहिता पमज्जिता ततो संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा,
गिसीहियं वा चैतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. १, सु. ४१८

तण पराल गिम्मिय उवस्सय विहि-गिसेहो—

१०३. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा,
तं जहा - तणपुंजेसु वा, पलालपुंजेसु वा, सअंडे-जाव-मक्कडा
संताणए ।

तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, गिसीहियं वा
चैतेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा,
तं जहा - तणपुंजेसु वा पलालपुंजेसु वा अप्पंडे-जाव-मक्कडा
संताणए ।

तहप्पगारे उवस्सए पडिलेहिता पमज्जिता ततो संजयामेव
ठाणं वा, सेज्जं वा, गिसीहियं वा चैतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. २, सु. ४३१

से तणेसु वा, तणपुंजेसु वा, पलालेसु वा, पलालपुंजेसु वा,
अप्पंडेसु-जाव-मक्कडा संताणएसु, अहे सवणमायाए ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, तहप्पगारे उवस्सए
हेमंत-गिम्हासु वत्थए ।

से तणेसु वा-जाव-मक्कडासंताणएसु, उप्पिसवणमायाए ।

भिक्खु या भिक्खुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि गृहस्थ साधुओं के
निमित्त से, पानी से उत्पन्न हुए कन्द मूल, पत्र, फूल, फल, बीज
और हरी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है या भीतर से
कन्द आदि पदार्थों को बाहर निकालता है ।

ऐसा उपाश्रय यदि अपुरुषान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो
तो वहाँ स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

यदि यह जाने कि वह उपाश्रय पुरुषान्तरकृत—यावत्—
आसेवित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक स्थान,
शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

भिक्खु या भिक्खुणी ऐसा उपाश्रय जाने कि गृहस्थ साधुओं को
ठहराने की दृष्टि से (उसमें रखे हुए) चौकी, पाट, नीसरणी या
ऊल्ल आदि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता
है, अथवा अन्य सामान बाहर निकालता है ।

ऐसा उपाश्रय अपुरुषान्तरकृत—यावत्—अनासेवित हो तो
साधु उसमें स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न करे ।

यदि यह जाने कि उपाश्रय पुरुषान्तरकृत—यावत्—आसे-
वित है तो प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके यतनापूर्वक स्थान,
शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

तृण पराल निर्मित उपाश्रय का विधि-निषेध—

१०३. भिक्खु या भिक्खुणी उपाश्रय के सम्बन्ध में यह जाने कि तृण
पुंज से बना गृह या पुआल पुंज से बना गृह अंडे—यावत्—
मकड़ी के जालों से युक्त है ।

इस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय न
करे ।

भिक्खु या भिक्खुणी उपाश्रय के सम्बन्ध में यह जाने कि तृण-
पुंज से बना गृह या पुआल पुंज से बना गृह अंडों—यावत्—
मकड़ी के जालों से युक्त नहीं है ।

इस प्रकार के उपाश्रय में प्रतिलेखन प्रमार्जन करके यतना
पूर्वक स्थान, शय्या एवं स्वाध्याय करे ।

जो उपाश्रय तृण या तृण पुंज, पराल या परालपुंज से बना
हो और वह अंडे - यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हो तथा
उस उपाश्रय के छत की ऊँचाई कानों से नीची हो तो ।

ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को हेमन्त शीष्म
ऋतु में बसना नहीं कल्पता है ।

जो उपाश्रय तृण या तृणपुंज से बना हो—यावत्—मकड़ी
के जालों से रहित हो (साथ ही) उपाश्रय की छत की ऊँचाई
कानों से ऊँची हो तो,

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत-गिम्हासु वत्थए ।

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पलालेसु वा, पलालपुंजेसु वा, अप्पंडेसु-जाव-मक्कडासंताणएसु अहेरयणिमुक्कमउडेसु ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ।

से तणेसु वा-जाव-मक्कडा संताणएसु उप्प रयणिमुक्कमउडेसु ।

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए । —कप्प. उ. ४, सु. ३५-३८

अवंगुयदुवारिय उवस्सयस्स विहि-णिसेहो—

१०४. नो कप्पइ निग्गंथीणं, अवंगुयदुवारिए उवस्सए वत्थए ।

एगं पत्थारं अंतो विच्चा, एगं पत्थारं बाहि किच्चा, ओहाडिय चिलिमिलियागंसि एवं णं कप्पइ वत्थए ।

—कप्प. उ. १, सु. १४-१५

ओमहिज्जुत्त उवस्सयस्स विहि-णिसेहो—

१०५. उवस्सयस्स अंतोवगडाए सालीणि वा, वीहीणि वा, मुग्गाणि वा, मासाणि वा, तिलाणि वा, कुलत्थाणि वा, गोधूमाणि वा, जवाणि वा, जवजवाणि वा, उक्खित्ताणि वा, विक्खित्ताणि वा, विइकिण्णाणि वा, विप्पइण्णाणि वा ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, अहालंदमवि वत्थए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—नो उक्खित्ताइं, नो विक्खित्ताइं, नो विइ किण्णाइं, नो विप्पकिण्णाइं ।

रासिकडाणि वा, पुंजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलियाकडाणि वा, लंछियाणि वा, मुद्दियाणि वा, पिहियाणि वा । कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, हेमन्तु—गिम्हासु वत्थए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा नो रासिकडाइं, नो पुंजकडाइं, नो भित्तिकडाइं नो कुलियाकडाइं ।

कोट्टाउत्ताणि वा, पल्लाउत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, ओलित्ताणि वा, विलित्ताणि वा, पिहियाणि वा, लंछियाणि वा, मुद्दियाणि वा ।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा वासावासं वत्थए ।

—कप्प. उ. २, सु. १-३

ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को हेमन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में बसना कल्पता है ।

जो उपाश्रय तृण या तृणपुंज या पराल या परालपुंज से बना हो और वह अंडे—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हो किन्तु उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीधे दोनों हाथ जितनी ऊँचाई से नीची हो तो ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वर्षावास बसना नहीं कल्पता है ।

जो उपाश्रय तृण से बना हो—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हो और साथ ही उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीधे दोनों हाथ जितनी ऊँचाई से अधिक हो तो ऐसे उपाश्रय में निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को वर्षावास में बसना कल्पता है ।

कपाट रहित द्वार वाले उपाश्रय का विधि-निषेध

१०४. निर्ग्रन्थियों को खुले द्वार वाले उपाश्रय में बसना नहीं कल्पता है ।

किन्तु परिस्थितिवश ठहरना पड़े तो एक पर्दा द्वार के अन्दर करके और एक पर्दा द्वार के बाहर करके इस प्रकार चिलिमिलिका बाँध कर उसमें बसना कल्पता है ।

धान्य युक्त उपाश्रय के विधि-निषेध—

१०५. उपाश्रय के भीतर शालि, ब्रीहि, मूँग, उड़द, तिल, कुलत्थ, गेहूँ, जौ या जवार अव्यवस्थित पड़े हों या अनेक जगह पड़े हों या बिखरे हुए हों, या विशेष बिखरे हुए हों तो,

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ “यथालन्दकाल” तक भी बसना नहीं कल्पता है ।

यदि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ यह जान जाये कि (उपाश्रय के परिक्षेप या आँगन में शालि—यावत्—जवजव) उत्क्षिप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीर्ण और विप्रकीर्ण नहीं है,

किन्तु राशिकृत, पुंजकृत, भित्तिकृत, कुलिकाकृत तथा लांछित, मुद्रित या पिहित है तो,

उन्हें हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वहाँ बसना कल्पता है ।

यदि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ यह जाने कि (उपाश्रय के परिक्षेप या आँगन में शालि—यावत्—जवजव) राशिकृत, पुंजकृत, भित्तिकृत या कुलिकाकृत नहीं है,

किन्तु कोठे में या पत्य में भरे हुए हैं, मंच पर या माले पर सुरक्षित हैं, मिट्टी या गोवर से लिपे हुए हैं, ढके हुए, चिन्ह किये हुए या मुहर बगे हुए हैं तो उन्हें वहाँ वर्षावास में बसना कल्पता है ।

आहार जुक्त उवस्सयस्स विहि-णिसेहो—

१०६. उवस्सयस्स अंतोवगडाए—पिण्डए वा, लोयए वा, खीरं वा, दहिं वा, नवणीए वा, सप्पि वा, तेल्ले वा, फाणियं वा, पूवे वा, सक्कुली वा, सिहरिणी वा ।

उक्खित्ताणि वा, विक्खित्ताणि वा, विइगिण्णाणि वा, विप्प-इण्णाणि वा ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, अहालंदमवि वत्यए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—नो उक्खित्ताइं, नो विक्खित्ताइं, नो विइकिण्णाइं वा, नो विप्पइण्णाइं वा ।

रासिकडाणि वा, पुंजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलि-याकडाणि वा, लंछियाणि वा, मुहियाणि वा, पिहियाणि वा । कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा हेमंत—गिम्हासु वत्यए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—नो रासिकडाइं-जाव-नो कुलिया-कडाइं ।

कोट्टाउत्ताणि वा, पल्लाउत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, कुंभित्ताणि वा, करमि-उत्ताणि वा, औलित्ताणि वा, विलित्ताणि वा, पिहियाणि वा, लंछियाणि वा, मुहियाणि वा । कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा वासावासं वत्यए ।

—कप्प. उ. २, सु. ८-१०

ग्रामाइसु वासावास विहि-णिसेहो—

१०७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा-गामं वा -जाव-रायहाणि वा ।

इमंसि खलु गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा णो महती विहार भूमि, णो महती विहार भूमि ।

णो सुलभे पीठ फलक सेज्जा—संथारए ।

णो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे ।

बहवे जत्थ समण-जाव-वणीमगा उवागया उवागमिस्संति य अच्चाइण्णा विंती, णो पणस्स णिक्खमण पवेसाए-जाव-चित्ताए ।

सेवं णच्चा तहप्पगारं गाम वा-जाव-रायहाणि वा णो वासा-वासं उवसिएज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण जाणेज्जा—गामं वा -जाव-रायहाणि वा ।

आहार युक्त उपाश्रय के विधि-निषेध—

१०६. उपाश्रय की परिधि में पिण्डरूप खाद्य, लोचक-मात्रा आदि, दूध, दही, नवनीत, घृत, तेल, गुड़, मालपुए, पूड़ी और श्रीखण्ड (शिखरण)

उत्क्षिप्त विक्षिप्त व्यतिकीर्ण और विप्रकीर्ण हैं तो,

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ “यथालन्दकाल” वसना भी नहीं कल्पता है ।

यदि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ यह जाने कि (उपाश्रय की परिधि में या आँगन में पिण्डरूप खाद्य—यावत्—श्रीखण्ड) उत्क्षिप्त, विक्षिप्त, व्यतिकीर्ण या विप्रकीर्ण नहीं है,

किन्तु राशिकृत, पुंजकृत, भित्तिकृत, कुलिकाकृत तथा लांछित मुद्रित या पिहित है तो,

निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वसना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ यदि यह जाने कि (उपाश्रय के भीतर में पिण्डरूप खाद्य—यावत्—श्रीखण्ड) राशिकृत—यावत्—कुलिकाकृत नहीं है,

किन्तु कोठे में या पत्य में भरे हुए हैं, मंच पर या माले पर सुरक्षित है, कुंभी या बोधी में धरे हुए हैं, मिट्टी या गोबर से लिप्त हैं, ढके हुए, चिन्ह किये हुए या मुहर लगे हुए हैं तो उन्हें वहाँ वर्षावास करना कल्पता है ।

ग्रामादि में चातुर्मास करने का विधि-निषेध—

१०७. भिक्षु या भिक्षुणी ग्राम—यावत्—राजधानी के सम्बन्ध में यह जाने कि—

इस ग्राम—यावत्—राजधानी में स्वाध्याय योग्य विशाल भूमि नहीं है, मलमूत्र विसर्जन के लिए विशाल स्थंडिल भूमि नहीं है,

पीठ फलक शय्या संस्कारक भी सुलभ नहीं है,

प्रासुक निर्दोष एपणीय आहार पानी भी सुलभ नहीं है,

जहाँ बहुत से श्रमण—यावत्—भिक्षारी आये हुए हैं या आयेंगे, तथा मार्गों में जनता की भीड़ भी अधिक रहती है । प्रजावान् साधु को वहाँ निकलना प्रवेश करना—यावत्—धर्म चिन्तन करना उपयुक्त नहीं होता है, ऐसा जानकर इस प्रकार के ग्राम—यावत्—राजधानी में वर्षावास नहीं करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ग्राम—यावत्—राजधानी के सम्बन्ध में यह जाने कि,

इमंसि खलु गामंसि वा-जाव-रायहार्णिसि वा, महती
विहारभूमि, महती वियारभूमि ।
सुलभे जत्थ पीढ-फलक-सेज्जा-संथारए,
सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे,
णो जत्थ बहवे समण-जाव-वणीमगा उवागया उवागमिस्संति
य ।

अप्पाइण्णा वित्ती, पण्णस्स णिवखमण-पवेसाए-जाव-चित्ताए ।
सेवं णच्चा तहप्पगारं गामं वा-जाव-रायहार्णि वा तओ
संजयामेव वासावासं उवसिएज्जा ।

—आ० सु० २, अ० ३, उ० १, सु० ४६५-४६६

बहुसुयस्स वसइ वासाइं विहि-णिसेहो—

१०८. से गामंसि वा जाव सन्निवेसंसि वा अभिनिव्वगडाए, अभि-
निदुवाराए, अभिनिक्खमण-पवेसणाए नो कप्पइ बहुसुयस्स
बन्भागमस्स एगाणियरस भिक्खुस्स वत्थए किमंगपुण अप्प-
सुयस्स अप्पागमस्स ?

१०९. से गामंसि वा जाव सन्निवेसंसि वा एगवगडाए, एगदुवाराए,
एगनिक्खमण-पवेसाए कप्पइ बहुसुयस्स बन्भागमस्स एगा-
णियस्स भिक्खुस्स वत्थए दुहओ कालं भिक्खुभावं पडिजाग-
रमाणस्स ।

—ववहार. उ. ६, सु. १४-१५

काउसग्ग हेउ ठाणस्स विहि-णिसेहो—

११०. से भिक्खु वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा ठाणं ठाइत्तए ।
से अणुपविसेज्जा गामं वा-जाव-रायहार्णि वा ।
से अणुपविसित्ता गामं वा-जाव-रायहार्णि वा से ज्जं पुण
ठाणं जाणेज्जा-सअंडं-जाव-मक्कडासंताणयं ।

तहप्पगारं ठाणं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा,

एवं सेज्जा-गमेण नेयव्वं जाव उदयपसूयाइं ति ।^१

—आ. सु. २, अ. ८, उ. १, सु. ६३७

णिसीहियाए गमण विहि-णिसेहो—

१११. से भिक्खु वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा णिसीहियं
गमणाए ।

से ज्जं पुण णिसीहियं जाणंज्जा सअंडं-जाव-मक्कडासंताणयं,

इस ग्राम—यावत्—राजधानी में स्वाध्याय-योग्य विशाल
भूमि है, मल-मूत्र-विसर्जन के लिए विशाल स्थण्डिल भूमि है,
यहाँ पीठ, फलक, शय्या-संस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ है,
प्रासुक निर्दोष एवं एषणीय आहार पानी भी सुलभ है,
जहाँ बहुत-से श्रमण—यावत्—भिखारी आगे हुए नहीं हैं
और न आवेंगे

तथा यहाँ के मार्गों पर जनता की भीड़ भी कम है, जिसे
कि प्राज्ञ साधु का निकलना और प्रवेश करना—यावत्—धर्म
चिन्तन करना हो सकता है, अतः इस प्रकार जानकर साधु ऐसे
ग्राम—यावत्—राजधानी में यतनापूर्वक वर्षावास व्यतीत करे ।

बहुश्रुत वसति निवास-विधि-निषेध—

१०८. भिन्न-भिन्न वाड़, प्राकार या द्वारवाले और भिन्न-भिन्न
निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—सन्निवेश में अकेले बहुश्रुत
और बहुभागमज्ञ भिक्षु को भी वसना नहीं कल्पता है तो अल्पश्रुत
और अल्पागमज्ञ भिक्षु को (पूर्वोक्त ग्राम—यावत्—सन्निवेश में)
वसना कैसे कल्प सकता है ?

१०९. एक वाड़, प्राकार या द्वार वाले और एक निष्क्रमण-प्रवेश
वाले ग्राम—यावत्—सन्निवेश में अकेले बहुश्रुत और बहुभागमज्ञ
को वसना कल्पता है यदि वह भिक्षुभाव (संयमभाव) के प्रति
सतत जाग्रत हो तो ।

कायोत्सर्ग के लिए स्थान का विधि-निषेध—

११०. भिक्षु या भिक्षुणी यदि किसी स्थान में कायोत्सर्ग से रहना
चाहे तो वह पहले ग्राम—यावत्—राजधानी में पहुँचे,

वहाँ ग्राम—यावत्—राजधानी में पहुँच कर वह जिस
स्थान को जाने कि यह अंडों—यावत्—मकड़ी के जालों से
युक्त है, तो,

उस प्रकार के स्थान को अप्रासुक एवं अनेषणीय जानकर
मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

इसी प्रकार इससे आगे का स्थानेषणा सम्बन्धी वर्णन
शय्येषणा अध्ययन में निरूपित उदक प्रत कंदादि तक के वर्णन
के समान जान लेना चाहिए ।

स्वाध्यायभूमि में जाने के विधि-निषेध—

१११. भिक्षु या भिक्षुणी स्वाध्यायभूमि में जाना चाहे तो,

वह स्वाध्यायभूमि के सम्बन्ध में यह जाने कि जो अंडों,
—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त हो तो,

तहप्पगारं णिसीहियं अफासुयं-जाव-णो चेएज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा णिसीहियं गमणाए,
से उजं पुण निसीहियं जाणेज्जा-अप्पंडं-जाव-मक्कडासंताणयं ।
तहप्पगारं णिसीहियं फासुयं-जाव-चेएज्जा ।

एवं सेज्जागमेण णेयच्चं जाव उदयपसूयाणि त्ति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ६, सु. ६४१-६४२

अंतोगिहठाणाइ पगरणम्—

११२. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—अंतरगिहंसि
आसइत्तए वा, चिट्ठित्तए वा, निसीइत्तए वा, तुयट्ठित्तए वा,
निहाइत्तए वा, पयलाइत्तए वा, असणं वा, पाणं वा, खाइमं
वा, साइमं वा आहारमाहारेत्तए, उच्चारं वा पासवणं वा
खेलं वा सिघाणं वा परिट्ठवेत्तए, सज्जायं वा करित्तए, क्षाणं
वा, झाइत्तए, काउस्सगं वा करित्तए, ठाणं वा ठाइत्तए ।
अह पुण एवं जाणिज्जा—वाहिए, जराजुण्णे, तवस्सी,
दुय्यले, किलंते मुच्छेज्ज वा, पवडेज्ज वा एवं से कप्पइ
अंतरगिहंसि आसइत्तए वा जाव—ठाणं वा ठाइत्तए ।

—कप्प. उ. ३, सु. २१

उस प्रकार की स्वाध्यायभूमि को अप्रासुक समझ कर
—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी स्वाध्याय भूमि में जाना चाहे तो
वह स्वाध्याय भूमि के सम्बन्ध में ग्रह जाने कि जो अंडों
—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है उस प्रकार की स्वा-
ध्याय भूमि को प्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण करे ।

इसी प्रकार इससे आगे का स्वाध्यायभूमि सम्बन्धित वर्णन
शय्यपणा अध्ययन में निरूपित उदग प्रसूत कंदादि तक के वर्णन
के समान जान लेना चाहिए ।

अन्तर गृहस्थानादि प्रकरण—

११२. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को गृहस्थ के घर में या दो घरों
के मध्य में ठहरना, बैठना—यावत्—खड़े होकर कायोत्सर्ग करना
नहीं कल्पता है ।

यदि वह यह जाने कि—में व्याधि-ग्रस्त, जरा-जीर्ण, तपस्वी
या दुर्बल हैं ।

अथवा (भिक्षाटन से) क्लान्त होकर मूर्च्छित हो जाए या
गिर पड़े तो उसे गृहस्थ के घर में या दो घरों के मध्य में ठहरना
—यावत्—कायोत्सर्ग कर स्थित होना कल्पता है ।



अवग्रह ग्रहण विधि—४

पंचविहा उगगहा—

११३. सुयं मे आउसं तेषं भगवया एवमक्खायं—इह खलु थेरेहिं
भगवन्तेहिं पंचविहे उगगहे पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| १. देविदोगगहे, | २. राओगगहे, |
| ३. गाहावतिउगगहे, | ४. सागारिय उगगहे, |
| ५. साहम्मिय उगगहे । ^१ | |

—आ. सु. २, अ. ७, उ. २, सु. ६३५

उगगह गहण विहि—

११४. विहवधूया नायकुलवासिणी, सा वि यावि ओगगहं अणुन्न-
वेयव्वा किमंग पुण पिया वा भाया वा पुत्ते वा, से वि या
वि ओगगहे ओगेण्हियव्वे । पहे वि ओगगहो अणुन्नवेयव्वो ।

—व. उ. ७, सु. २४-२५

पाँच प्रकार के अवग्रह—

११३. हे आयुष्मन् शिष्य ! मैंने उन भगवान् से इस प्रकार सुना
है कि इस जिन-प्रवचन में स्थविर भगवन्तों ने पाँच प्रकार का
अवग्रह अर्थात् पाँच प्रकार की आज्ञा बताई है । जैसे कि—

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (१) देवेन्द्र-अवग्रह, | (२) राजावग्रह, |
| (३) गृहपति-अवग्रह, | (४) सागारिक-अवग्रह, और |
| (५) साधमिक-अवग्रह । | |

आज्ञा ग्रहण करने की विधि—

११४. पिता के घर पर जीवनयापन करने वाली विधवा लड़की
की भी आज्ञा ली जा सकती है अतः पिता, भाई, पुत्र का तो
कहना ही क्या ? उनकी भी आज्ञा ग्रहण की जा सकती है तथा
मार्ग में ठहरना हो तो उस स्थान की भी आज्ञा ग्रहण करनी
चाहिए ।

पुत्र गृहीत उग्रहस्त गृहण विधि—

११५. अथि या इत्थ केइ उवस्सयपरियावन्नए अचित्ते परिहरणा-
रिहे सच्चवे उग्रहस्त पुत्राणुन्नवणा चिट्ठइ अहालंदमवि
उग्रहे ।
से वत्थूसु—अव्वावडेसु अव्वोगडेसु अपरपरिगगहिएसु, अमर-
परिगगहीएसु सच्चवे उग्रहस्त पुत्राणुन्नवणा चिट्ठइ अहालंद-
यावि उग्रहे ।

से वत्थूसु वावडेसु परपरिगगहिएसु भिक्खुभावस्स अट्ठाए
दोच्चंपि उग्रहे अणुन्नवेयव्वे सिया अहालंदमवि उग्रहे ।

से अणुकुड्डेसु वा, सच्चवे उग्रहस्त पुत्राणुन्नवणा चिट्ठइ ।
अहालंदमवि उग्रहे । —कप्प. उ. ३, सु. २९-३२

उग्रह खेत्तपमाणं—

११६. से गामंसि वा-जाव-सन्निवेसंसि वा कप्पइ निगंथाण वा
निगंथीण वा सच्चवो समंता सक्कोसं जोयणं उग्रहं
ओगिण्हित्ताणं चिट्ठिए । —कप्प. उ. ३, सु. ३४

उग्रह गृहण वसण-विवेगां—

११७. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा, अणुवीइ उग्रहं
जाएज्जा, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिट्ठाए ते उग्रहं
अणुणवेज्जा—

कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णायं वसामो, जाव
आउसो, जाव आउसंतस्स उग्रहे, जाव साहम्मिया, एत्ता
ताव उग्रहं ओगिण्हिस्सामो तेण परं विहरिस्सामो ।^१

से कि पुण तत्थ उग्रहंसि एवोग्गहियंसि ?

जे तत्थ समणाणं वा, माहणाण वा, दंडए वा, छत्तए वा
-जव-चम्मछेदणाए वा, तं णो अंतोहितो वाहि णीणेज्जा,

पूर्व गृहीत अवग्रह के ग्रहण की विधि—

११५. कोई अचित्त उपयोग में आने योग्य वस्तु भी उपाश्रय में
हो उसका भी उसी पूर्व की (विहार करने वाले श्रमणों से गृहीत)
आज्ञा से जितने काल रहना हो उपयोग किया जा सकता है ।

जो घर, काम में न आ रहा हो, कुटुम्ब द्वारा विभाजित न
हो, जिस पर किसी अन्य का प्रभुत्व न हो अथवा किसी देव
द्वारा अधिकृत हो तो उसमें भी उसी पूर्व की (विहार करने वाले
श्रमणों द्वारा गृहीत) आज्ञा से जितने काल रहना हो ठहरा जा
सकता है ।

जो घर काम में आ रहा हो, कुटुम्ब द्वारा विभाजित हो
या (पूर्व रहे श्रमणों के विहार करने पर) अन्य से परिगृहीत हो
गया हो तो भिक्षु भाव के लिए जितने समय रहता हो उसकी
दूसरी बार आज्ञा लेनी चाहिये ।

मिट्टी आदि से निर्मित दिवाल के पास, ईंट आदि से निर्मित
दिवाल के पास, चरिका (कोट के पास का मार्ग) के पास, खाई
के पास, सामान्य पथ के पास, वाड या कोट के पास भी उसी
पूर्व की (विहार करने वाले श्रमणों द्वारा गृहीत) आज्ञा से जितने
काल रहना हो ठहरा जा सकता है ।

अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण—

११६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को ग्राम—यावत्—सन्निवेश में
चारों ओर से एक कोश सहित एक योजन का अवग्रह ग्रहण
करके रहना कल्पता है, अर्थात् एक दिशा में ढाई कोश क्षेत्र में
जाना आना कल्पता है ।

अवग्रह के ग्रहण करने का और उसमें रहने का विवेक—

११७. साधु पथिकशालाओं—यावत्—परिव्राजकों के आवासों
का विचार करके अवग्रह ग्रहण करे, उस उपाश्रय के स्वामी की
या जो अधिष्ठाता हो तो उसकी आज्ञा माँगे और कहे—

“हे आयुष्मन् ! आपकी इच्छानुसार जितनी अवधि तक
जितने काल तक की अनुज्ञा दोगे उतने समय तक हम निवास
करेंगे और जितनी अवधि तक आयुष्मन् की अनुज्ञा है उस
अवधि में यदि अन्य साधर्मिक जितने आएँगे वे भी उसी अवधि
तक उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे उसके बाद हम और वे विहार कर
देंगे ।”

उक्त स्थान में अवग्रह की अनुज्ञा प्राप्त हो जाने पर साधु
उसमें निवास करते समय क्या क्या विवेक रखे ?

वह यह ध्यान रखे कि—वहाँ पहले ठहरे हुए शाक्यादि
श्रमणों या ब्राह्मणों के दण्ड, छत्र—यावत्—चर्मच्छेदनक आदि

बहियालो वा णो अंतो पवेसेज्जा, णो सुत्तं वा णं पडिबो-
हेज्जा, णो तेसि किंचि वि अप्पत्तियं पडिणीयं करेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. २, सु. ६२१-६२२

उपकरण पड़े हों, उन्हें वह भीतर से बाहर न निकाले और न ही बाहर से अन्दर रखे, तथा किसी सोए हुए को न जगाए । उनके साथ किंचित् मात्र भी अप्रीतिजनक या प्रतिकूल व्यवहार न करे, (जिससे उनके हृदय को आघात पहुँचे ।)



अवग्रह ग्रहण निषेध—५

सचित्त पुढवी आईणं उग्गह णिसेहो—

११८. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा—
अणंतरहियाए पुढवीए-जाव-मक्कडासंताणए तहप्पगारं
उग्गहं णो ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१२

सचित्त पृथ्वी आदि का अवग्रह निषेध—

११८. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे अवग्रह स्थान को जानें, जो सचित्त पृथ्वी के निकट हो—यावत्—मकड़ी के जाले से युक्त हो, तो इस प्रकार के स्थान का अवग्रह—“आज्ञा” ग्रहण न करे ।

अंतलिकखजात उग्गहाणं णिसेहो—

११९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-
यूणंमि वा, गेहलुगंसि वा, उसुयालंसि वा, कामजंलंसि वा,
अण्णयरंसि वा, तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुच्चट्टे-जाव-
चलाचले, णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-
खंधंसि वा, भित्तिंसि वा सिजंसि वा, लेलुंमि वा, अण्णयरंसि
वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुच्चट्टे-जाव-चलाचले,
णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-
खंधंसि वा, मंचंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मि-
यतलंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि
दुच्चट्टे-जाव-चलाचले, णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज
वा । —आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१३-६१५

अन्तरिक्ष जात अवग्रहों का निषेध—

११९. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे अवग्रह को जानें, यथा—ठूठ, देहली, छत्रल, स्नान करने की चौकी तथा अन्य भी ऐसे अन्तरिक्ष जात “आकाशीय” स्थान जो कि दुर्वद—यावत्—चलाचल हो उनका अवग्रह ग्रहण नहीं करे ।

भिक्खु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह को जानें, जो घर की कच्ची पतली दीवार, ईंट आदि की पक्की दीवार, शिला या शिलाखंड पत्थर आदि अन्य भी ऐसे आकाशीय स्थान जो कि दुर्वद—यावत्—चलाचल हो उनका अवग्रह ग्रहण न करे ।

भिक्खु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह को जानें—जो स्तम्भ गृह, मंचान, ऊपर की मंजिल, प्रासाद, हवेली की छत तथा अन्य भी ऐसे आकाशीय स्थान जो कि दुर्वद—यावत्—चलाचल हो, उनका अवग्रह ग्रहण न करे ।

सागारिय संजुत्ता उवस्सयस्स उग्गह णिसेहो—

१२०. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-
ससागारियं, सागणियं, सउदयं, सइत्तियं, सखुड्डं, सपमु-
भत्तपाणं णो पण्णस्स णिकखमण पवेसाए-जाव-धम्मणुओग
चित्ताए.

सेवं णच्चा तहप्पगारे उवस्साए ससागारिए-जाव-सपमु-
भत्तपाणे, णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१६

गृहस्थ संयुक्त उपाश्रय का अवग्रह निषेध—

१२०. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह को जानें, जो गृहस्थों से संसक्त हो, अग्नि से युक्त हो और जल से युक्त हो तथा जो स्त्रियाँ, छोटे बच्चे, पशु और खाद्य सामग्री से युक्त हो प्रज्ञावान् साधु के लिए ऐसा आवास स्थान निर्गमन-प्रवेश—यावत्—धर्मानुयोग चिन्तन के योग्य नहीं है,

यह जानकर ऐसे गृहस्थ से संसक्त—यावत्—पशु और खाद्य सामग्री से युक्त उपाश्रय का अवग्रह ग्रहण न करे ।

पडिबद्ध उवसयस्स उग्गह्णिसेहो—

१२१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-गाहावतिकुलस्स मज्झंमज्झेणं गंतुं वत्थए, पडिबद्धं वा, णो पणस्स णिक्खमण पवेसाए-जाव-धम्माणुओग चिंताए,

से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा । —आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१७

अकप्पणिज्ज उवस्सयाण उग्गह्णिसेहो—

१२२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, अन्नमन्नं अक्कोसंति वा-जाव-उद्दवंति वा । तहेव तेलादि, सिणाणादि, सीओदगवियडादि, णिगिणाठित्ता जहा सेज्जाए आलावगा, णवरं उग्गह वत्तव्वता ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१८

सच्चित्त उवस्सयस्स उग्गह्णिसेहो—

१२३. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा-आइण्ण संलेखं, णो पणस्स णिक्खमण पवेसाए-जाव-धम्माणुओगचिंताए से एवं णच्चा, तहप्पगारे उवस्सए णो उग्गहं ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१९

गृहस्थ के घर से संलग्न उपाश्रय का अवग्रह निषेध—

१२१. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह स्थान को जाने कि जिसमें ठहरने पर गृहस्थ के घर में से होकर जाना-आना पड़ता हो अथवा जो गृहस्थ के घर से संलग्न हो वहाँ प्रजावान साधु को निकलना और प्रवेश करना—यावत्—धर्मानुयोग चिन्तन करना उचित नहीं है,

यह जानकर ऐसे उपाश्रय का अवग्रह ग्रहण न करे ।

अकल्पनीय उपाश्रयों का अवग्रह निषेध—

१२२. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह स्थान को जाने, जिसमें गृहस्थामी—यावत्—नौकरानियाँ परस्पर एक दूसरे पर आक्रोश करते हों—यावत्—उपद्रव करते हों इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे के शरीर पर तैल आदि लगाते हों, स्नानादि सुगन्धित द्रव्य लगाते हों, शीतल या उष्ण जल से गात्र सिंचन आदि करते हों या नग्न स्थित हो इत्यादि वर्णन शय्या अध्ययन के आलापकों की तरह यहाँ समक्ष लेना चाहिए इतना विशेष है कि यहाँ अवग्रह की वक्तव्यता कहनी चाहिए ।

सच्चित्र उपाश्रय का अवग्रह लेने का निषेध—

१२३. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे अवग्रह-स्थान को जाने कि जो स्त्री पुरुषों आदि के चित्रों से आकीर्ण हो, ऐसा उपाश्रय प्रजावान् साधु के निर्गमन-प्रवेश—यावत्—धर्मानुयोग चिन्तन के योग्य नहीं है। यह जानकर ऐसे उपाश्रय का अवग्रह ग्रहण न करे ।



संस्तारक ग्रहण विधि—६

आगंतुग समणाणं सेज्जा संथारगस्स विहि—

१२४. जह्विसं च णं समणा निग्गंथा सेज्जासंथारयं विप्पजहंति तह्विसं च णं अबरे समणा निग्गंथा हव्वमागच्छेज्जा सच्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिट्ठइ अहालंदमवि उग्गहे ।

—कप्प. उ. ३, सु. २८

सेज्जासंथारग ग्रहणं विहि—

१२५. गाहा उद्दु पज्जोसविंए । ताए गाहाए, ताए पएसाए, ताए उवासंतराए, जमिणं जमिणं सेज्जासंथारगं लभेज्जा, तमिणं तमिणं ममेव सिया ।

आगन्तुक श्रमणों के शय्या संस्तारक की विधि—

१२४. जिस दिन श्रमण-निर्ग्रन्थ शय्या-संस्तारक छोड़कर विहार कर रहे हों उसी दिन या उसी समय दूसरे श्रमण-निर्ग्रन्थ आ जावें तो उसी पूर्व गृहीत आज्ञा से जितने भी समय रहना हो शय्या-संस्तारक को ग्रहण करके रह सकते हैं ।

शय्या संस्तारक के ग्रहण की विधि—

१२५. हेमन्त ग्रीष्म या वर्षाकाल में किसी घर में ठहरने के लिए रहा हो उस घर के उन स्थानों में जो जो अनुकूल स्थान या संस्तारक मिले वे वे में ग्रहण करूँ ।

थेरा य से अणुजाणेज्जा, तस्सेव सिया । थेरा य से नो अणु-
जाणेज्जा नो तस्सेव सिया ।

एवं से कप्पइ अहाराइणियाए सेज्जासंथारगं पडिग्गाहित्तए ।।

—वव. उ. ८, सु. १

णिग्गंथाणं कप्पणिज्ज आसणाइं—

१२६. कप्पइ निग्गंथाणं सावस्सर्यसि आसणंसि आसइत्तए वा,
तुयट्ठित्तए वा ।

कप्पइ निग्गंथाणं सविसाणंसि पोढंसि वा, फलगंसि वा,
आसइत्तए वा, तुयट्ठित्तए वा । — कप्प. उ. ५, सु. ३७-३९

सेज्जासंथारग आणयण विहि—

१२७. से य अहालहुसगं सेज्जासंथारगं गवेसेज्जा, जं चक्किया
एणेणं हत्थेणं ओगिज्ज-जाव-एगाहं वा, दुयाइं वा, तियाहं वा
अट्ठाणं परिवहित्तए, एस मे हेमंत-गिम्हासु भविस्सइ ।

से य अहालहुसगं सेज्जासंथारगं गवेसेज्जा—जं चक्किया
एणेणं हत्थेणं ओगिज्ज-जाव-एगाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा
अट्ठाणं परिवहित्तए, एस मे वासावासासु भविस्सइ ।

से य अहालहुसगं सेज्जासंथारगं गवेसेज्जा जं चक्किया एणेणं
हत्थेणं ओगिज्ज-जाव-एगाहं वा, दुयाहं वा, तियाहं वा, चउ-
याहं वा, पंचाहं वा, दूरमवि अट्ठाणं परिवहित्तए, एम मे
वुट्ठावासासु भविस्सइ । —वव. उ. ८, सु. २-४

सेज्जा संथारगस्स पुणरवि अणुण्णा—

१२८. कप्पए निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पाडिहारियं वा सागा-
रियसंतियं वा सेज्जासंथारगं दोच्चंपि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता
वहिया नीहरित्तए ।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, पाडिहारियं वा, सागा-
रिय-संतियं वा सेज्जासंथारगं सव्वप्पणा अप्पिणित्ता दोच्चं
पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता अहिट्ठित्तए ।— वव. उ. ८, सु. ७-९

सेज्जा संथारग संथरण विही—

१२९. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, अभिकंखेज्जा सेज्जासंथारग-
भूमि पडिलेहित्तए णणत्थ आयरिएण वा, उवज्जाएण वा
पवत्तएणं वा, थेरेण वा, गणिणा वा, गणहरेण वा, गणा-

किन्तु स्थविर यदि उस स्थान के लिए आज्ञा दे तो वहाँ
शय्या संस्तारक करना कल्पता है । यदि स्थविर आज्ञा न दे तो
वहाँ शय्या-संस्तारक करना नहीं कल्पता है ।

स्थविर के आज्ञा न देने पर यथारत्नाधिक (दीक्षापर्याय से
ज्येष्ठ-कनिष्ठ) क्रम से शय्या संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थों के कल्प्य आसन—

१२६. निर्ग्रन्थ साधुओं को सावश्रय (अवलम्बनयुक्त) आसन पर
बैठना एवं शयन करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ साधुओं को सविपाण पीठ (वाजोट) पर या फलक
(शयन का पाट) पर बैठना एवं शयन करना कल्पता है ।

शय्या संस्तारक के लाने की विधि—

१२७. श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेपण करे ।
वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से ग्रहण करके लाया जा
सके तथा एक दो तीन दिन तक के मार्ग से लाया जा सकता है ।
इस प्रयोजन से कि “यह शय्या संस्तारक मेरे हेमन्त या ग्रीष्म
ऋतु में काम आएगा ।”

श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक का अन्वेपण करे ।
वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से ग्रहण करके लाया जा
सके तथा एक दो तीन दिन तक के मार्ग से लाया जा सकता है ।
इस प्रयोजन से कि “यह शय्या संस्तारक मेरे वर्षावास में काम
आएगा ।”

श्रमण यथासम्भव हल्के शय्या-संस्तारक की याचना करे ।
वह इतना हल्का हो कि उसे एक हाथ से उठाकर लाया जा सके
तथा एक, दो, तीन, चार, पाँच दिन में पहुँचे इतने दूर (दो कोश
उपरान्त) के मार्ग से भी लाया जा सकता है इस प्रयोजन से कि
“यह शय्या-संस्तारक मेरे वृद्धावास में काम आएगा ।”

शय्या संस्तारक की पुनः आज्ञा लेने की विधि—

१२८. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या
संस्तारक दूसरी बार आज्ञा लेकर ही वस्ति से बाहर ले जाना
कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या-
संस्तारक सर्वथा सौंप देने के बाद दूसरी बार आज्ञा लेकर ही
काम में लेना कल्पता है ।

शय्या संस्तारक के विछाने की विधि—

१२९. भिक्षु या भिक्षुणी शय्या-संस्तारक भूमि की प्रतिलेखना
करना चाहे तो वह आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी,
गणधर, गणावच्छेदक, बालक, वृद्ध, शैक्ष (नवदीक्षित) ग्लान एवं

वच्छेद्दण वा, वालेण वा, वुड्ढेण वा, सेहेण वा, गिलाणेण वा, आएसेण वा, अंतेण वा, मज्जेण वा, समेण वा, विसमेण वा, पवाएण वा, गिवातेण वा पडिलेहिय-पडिलेहिय पमज्जिय-पमज्जिय ततो संजयामेव बहुफासुयं सेज्जासंथारणं संथरेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४६०(१)

सेज्जासंथारे आरोहण सयण विधि—

१३०. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा बहुफासुयं सेज्जासंथारणं संथरित्ता अभिकंसेज्जा, बहुफासुए सेज्जासंथारए दुरुहत्तए ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा बहुफासुए सेज्जासंथारए दुरुहमाणे पुव्वामेव ससीसोवरियं कार्यं पाए य, पमज्जिय पमज्जिय ततो संजयामेव बहुफासुए सेसेज्जासंथारए दुरुहेज्जा, दुरुहत्ता ततो संजयामेव बहुफासुए सेज्जासंथारए सएज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा बहुफासुए सेज्जासंथारए सयमाणे णो अणमणस्स हत्थेण हत्थं, पादेण पादं, काएण कार्यं, आसाएज्जा । से अणासायए अणासायमाणे ततो संजयामेव बहुफासुए सेज्जासंथारए सएज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा ऊससमाणे वा, णीससमाणे वा, कासमाणे वा, छीयमाणे वा, जंभायमाणे वा, उड्ढोए वा, वातणिसग्गे वा करेमाणे, पुव्वामेव आसथं वा, पोसथं वा पाणिणा परिपिहेत्ता ततो संजयामेव ऊससेज्ज वा-जाव-वाय-णिसगं वा करेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४६०-४६१

अणसंभोइयाणं पीढाई णिमंतण विही —

१३१. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अणुवीइ उग्गहं जाएज्जा-जाव-से किं पुण तत्थोग्गहियंसि एवोग्गहंसि ?

जे तत्थ साहम्मिया अणसंभोइया, समणुण्णा उवागच्छेज्जा जे तेण सयमेसित्तए, पीढे वा फलए वा सेज्जासंथारए वा तेण ते साहम्मिए अणसंभोइए समणुण्णे उवणिमंतेज्जा, णो चेव णं परिपडियाए ओगिण्हिय ओगिण्हिय उवणिमंतेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६१०

सागारिय सेज्जा संथारगा पच्चपिणण विही—

१३२. कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा सागारिय संतिथं सेज्जा-संथारयं आयाए विगरणं कट्ठं संपव्वइत्तए ।

—कप्प. उ. ३, सु. २६

विप्पणट्ठ सेज्जासंथारगणं गवेसण विही—

१३३. इह खलु निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा—पाडिहारिए वा सागारियसंतिए वा सेज्जासंथारए विप्पणसेज्जा, से य अणु-गवेसियन्वे सिया ।

अतिथि साधु के लिये किनारे का स्थान मध्यस्थान या सम और विपम स्थान वातयुक्त या निर्वातस्थान को छोड़कर अन्य भूमि का बार-बार प्रतिनिधन एवं प्रमार्जन करके अपने लिए अत्यन्त प्रामुख शय्या-संस्तारक को यतनापूर्वक विद्याए ।

शय्या संस्तारक पर बैठने व शयन की विधि -

१३०. भिक्षु या भिक्षुणी अत्यन्त प्रामुख शय्या-संस्तारक विद्याकर उम अति प्रामुख शय्या-संस्तारक पर चढ़ना चाहे तो भिक्षु या भिक्षुणी उम अति-प्रामुख शय्या-संस्तारक पर चढ़ने से पूर्व मस्तक सहित शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैरों तक भ्रू-भ्रूति प्रमार्जन करके फिर यतनापूर्वक उस अतिप्रामुख शय्या संस्तारक पर आरूढ़ होवे और आरूढ़ होकर यतनापूर्वक उम पर शयन करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी उस अतिप्रामुख शय्या संस्तारक पर शयन करते हुए परस्पर एक दूसरे के हाथ से हाथ पैर से पैर और शरीर से शरीर की आगातना नहीं करे. इन प्रकार आगातना न करते हुए यतनापूर्वक अतिप्रामुख शय्या-संस्तारक पर सोवे ।

भिक्षु या भिक्षुणी (शय्या-संस्तारक पर सोते-बैठते हुए) श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, गान्ते हुए, छींकते हुए, उवासी लेते हुए, उकार लेते हुए या वायु निगमन करते हुए पहले ही मूंह या अपानद्वार को हाथ से ढाँक कर यतनापूर्वक श्वास लेवे—यावत्—वायुनिगमन करे ।

अन्य सांभोगिक को पीढ आदि के निमन्त्रण विधि—

१३१. साधु पथिकजालाओं यावत्—परिव्राजकों के आवामों में विचार कर अवग्रह ग्रहण करे—यावत्—वहाँ अवग्रह ग्रहण करने के वाद और क्या करे ?

यदि वहाँ साधमिक, अन्य सांभोगिक, समनोज्ञ साधु आ जाये तो स्वयं के लिए ग्रहण किये हुए पीढ, फलज व शय्या संस्तारक उन साधमिक अन्य सांभोगिक साधुओं को निमन्त्रण कर दे देवे । किन्तु उनके लिए अन्य ही लाकर देवे ऐसा न करे ।

सागारिक के शय्या संस्तारक की प्रत्यर्पण विधि—

१३२. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को सागारिक का ग्रहण किया हुआ शय्या संस्तारक व्यवस्थित करके विहार करना कल्पता है ।

खोए हुए शय्या संस्तारक के अन्वेपण की विधि—

१३३. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या सागारिक का शय्या संस्तारक यदि गुम हो जाये तो उसका अन्वेपण करना चाहिए ।

से य अणुगवेसमाणे लभेज्जा तस्सेव पडिदायन्वे सिया ।

से य अणुगवेसमाणे नो लभेज्जा एवं से कप्पइ दोच्चंपि उग्गहं अणुणवेत्ता परिहारं परिहरित्तए ।

—कप्प. उ. ३, सु. २७

अपडिलेहिए सेज्जासंथारए सुवमाणो पावसमणो—

१३४. ससरक्खपाए सुवई, सेज्जं न पडिलेहइ ।

संथारए अणाउत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ।।

—उत्त. अ. १७, गा. १४

अणुकूल पडिकूलाओ सेज्जाओ—

१३५. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा,
समा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
विसमा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
पवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा,
णिवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा,
ससरक्खा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
अप्पसरक्खा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
सदंस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
अप्पदंस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
सपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
अपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
सउवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
णिरुवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा,
तहप्पगाराइं सेज्जाहिं संविज्जमाणाहिं पग्गहियतरागं विहारं
विहरेज्जा । णो किंचि वि गिलाएज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४६२

अन्वेपण करने पर यदि मिल जाये तो उसी को दे देना चाहिए ।

अन्वेपण करने पर कदाचित् न मिले तो पुनः आज्ञा लेकर अन्य शय्या संस्तारक ग्रहण करके उपयोग में लेना कल्पता है ।

प्रतिलेखन किये बिना शय्या पर शयन करने वाला पाप-श्रमण होता है —

१३४. जो सचित्त रज से भरे हुए पैरों का प्रमार्जन किये बिना ही सो जाता है और सोने के स्थान का प्रतिलेखन नहीं करता —इस प्रकार विछौने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

अनुकूल और प्रतिकूल शय्यायें—

१३५. संयमशील भिक्षु या भिक्षुणी को,
कभी सम शय्या मिले,
कभी विषम शय्या मिले,
कभी वायु युक्त शय्या मिले,
कभी निर्वात् शय्या मिले,
कभी धूल युक्त शय्या मिले,
कभी धूल रहित शय्या मिले,
कभी डांस मच्छरों से युक्त शय्या मिले,
कभी डांस मच्छरों से रहित शय्या मिले,
कभी जीर्ण-शीर्ण शय्या मिले,
कभी सुदृढ़ शय्या मिले,
कभी उपसर्ग युक्त शय्या मिले,
कभी उपसर्ग रहित शय्या मिले ।

इन शय्याओं के प्राप्त होने पर उसमें समचित्त होकर संयम में रहे, किन्तु मन में जरा भी खेद या ग्लानि का अनुभव न करे ।



संस्तारक ग्रहण विधि निषेध—७

कप्पणिज्जा अकप्पणिज्जा सेज्जा संथारगा—

१३६. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा, अभिकंखेज्जा संथारगं एसित्तए ।
से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा-संअंड-जाव-मक्कडा-संताणगं,
तहप्पगारं संथारगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

कल्पनीय अकल्पनीय शय्या संस्तारक—

१३६. भिक्षु या भिक्षुणी संस्तारक की गवेपणा करना चाहे और यह जाने कि वह संस्तारक अण्डों से—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है तो ऐसे संस्तारक को अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा-
अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, गरुयं, तहप्पगारं संथारगं
अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा—
अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, लहुयं, अप्पडिहारियं, तहप्प-
गारं संथारगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा
अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणगं, लहुयं, पडिहारियं, णो अहा-
वद्धं, तहप्पगारं संथारगं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा संथारगं एसित्तए ।
से ज्जं पुण संथारगं-जाणेज्जा-अप्पंडं-जाव-मक्कडा-संताणयं,
लहुयं, पाडिहारियं, अहावद्धं । तहप्पगारं संथारगं फासुयं
एसणिज्जं त्ति मण्णसाणे लाभे संते पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५५ (५)

सेज्जासंथारगं गहणं विहि-णिसेहो—

१३७. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुच्चामेव ओग्गहं
ओगिण्हित्ता तओ पच्छा अणुन्नवेत्तए ।

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुच्चामेव ओग्गहं अणु-
वेत्ता तओ पच्छा ओगिण्हित्ताए ।

अहं पुण एवं जाणेज्जा—इहं खलु निग्गंथाण वा निग्गंथीण
वा नो सुलभे पाडिहारिए सेज्जा संथारए त्ति कट्टु एवं णं
कप्पइ पुच्चामेव ओग्गहं ओगिण्हित्ता तओ पच्छा अणुन्नवेत्तए ।

“मा बहउ अज्जो ! विइयं” त्ति वइ अणुलोमेणं अणुलोमे-
यब्बे सिधा ।

—वव. उ. ८, सु. १०-१२

संथारगस्स पच्चप्पण विहि-णिसेहो—

१३८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा संथारगं पच्चप्पि-
णित्तए । से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा-अप्पंडं-जाव-मक्कडा-
संताणगं, तहप्पगारं संथारगं णो पच्चप्पिणेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा संथारगं पच्चप्पि-
णित्तए । से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा—अप्पंडं-जाव-

भिक्खु या भिक्खुणी संस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि वह
अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से तो रहित है, किन्तु भारी
है, ऐसे संस्तारक को अप्राप्तिक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्खु या भिक्खुणी संस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि वह
अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है, हल्का भी है,
किन्तु अप्रातिहारिक है अर्थात् दाता वापस लेना नहीं चाहता ही
ऐसे संस्तारक को अप्राप्तिक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्खु या भिक्खुणी संस्तारक के सम्बन्ध में यह जाने कि वह
अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है, हल्का भी है,
प्रातिहारिक भी है, किन्तु ठीक से बंधा हुआ नहीं है तो ऐसे
संस्तारक को अप्राप्तिक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्खु या भिक्खुणी संस्तारक की गवेषणा करना चाहे और
यह जाने कि अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है,
हल्का है, पुनः लौटाने योग्य है और मुद्दू भी है तो ऐसे संस्ता-
रक को प्राप्तिक और एपणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे ।

शय्या संस्तारक ग्रहण का विधि-निषेध—

१३७. निग्रन्थ निग्रन्थियों को पहले शय्या-संस्तारक ग्रहण करना
और बाद में उनकी आज्ञा लेना नहीं कल्पता है ।

निग्रन्थ निग्रन्थियों को पहले आज्ञा लेना और बाद में शय्या
संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है ।

यदि यह जाने कि—निग्रन्थ निग्रन्थियों को गृही प्राति-
हारिक शय्या-संस्तारक सुलभ नहीं है तो पहले स्थान या शय्या
संस्तारक ग्रहण करना और बाद में आज्ञा लेना कल्पता है ।
(किन्तु ऐसा करने पर यदि संघर्षों के और शय्या-संस्तारक के
स्वामी के मध्य किसी प्रकार का कलह हो जाये तो आचार्य उन्हें
इस प्रकार कहे “हे आर्यो ! एक ओर तो तुमने इनकी वसति
ग्रहण की है दूसरी ओर इनसे कठोर वचन बोल रहे हो) हे
आर्यो ! इस प्रकार तुम्हें इनके साथ ऐसा दुहरा अपराधमय
व्यवहार नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार आचार्य को अनुकूल वचनों से उसे (वसति के
स्वामी को) अनुकूल करना चाहिए ।

संस्तारक प्रत्यर्पण विधि-निषेध—

१३८. भिक्खु या भिक्खुणी यदि संस्तारक वापस लौटाना चाहे तो
वह संस्तारक के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों—यावत्—मकड़ी के
जालों से युक्त है तो ऐसे संस्तारक को वापस न लौटाए ।

भिक्खु या भिक्खुणी यदि संस्तारक वापस सौंपना चाहे, उस
समय उस संस्तारक को अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से

मक्कडा-संताणगं, तहृप्पगारं संथारगं पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय, आताविय-आताविय, विणिट्ठणिय-विणिट्ठणिय, ततो संजयामेव पच्चप्पिणेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५८

रहित जाने तो ऐसे संस्तारक को बार-बार प्रतिलेखन तथा प्रमार्जन करके, मूर्य की धूप दे देकर एवं झाड़ झाड़कर यतना-पूर्वक वापस लौटावे ।



संस्तारक ग्रहण निषेध—८

निर्ग्रन्थीणं अकल्पणीय आसणाइं—

१३९. नो कप्पइ निग्गंथीणं तावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा, तुयट्ठित्तए वा ।
नो कप्पइ निग्गंथीणं सविसाणांसि पीढंसि वा, फलणंसि वा, आसइत्तए वा, तुयट्ठित्तए वा । —कप्प उ. ५, सु. ३६-३८
दोच्चं उग्गहं विणा सेज्जासंथारगं गहणं णिसेहो—

१४०. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं दोच्चंपि ओग्गहं अण्णुन्नवेत्ता बहिया नीहरित्तए ।
नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं सव्वप्पण्णा अप्पिणित्ता दोच्चंपि ओग्गहं अण्णुन्नवेत्ता अहिट्ठित्तए ।

—वव. उ. ८, सु. ६-८

सेज्जासंथारगं पच्चप्पणेण विणा विहारं णिसेहो—

१४१. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा पाडिहारियं सेज्जासंथारयं आयाए अपडिहट्ठु संपव्वइत्तए ।
नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा सागारियसंतियं सेज्जासंथारयं आयाए अविकरणं कट्ठु संपव्वइत्तए ।

—कप्प. उ. ३, सु. २४-२५

निर्ग्रन्थियों के अकल्पनीय आसन—

१३९. निर्ग्रन्थी-साध्वियों को सावश्रय (अवलम्बन युक्त) आसन पर बैठना एवं शयन करना नहीं कल्पता है ।
निर्ग्रन्थी-साध्वियों को सविपाण (छोटे-छोटे स्तम्भ युक्त) पीठ या फलक पर बैठना एवं शयन नहीं कल्पता है ।
दूसरी बार आज्ञा लिए विना शय्या संस्तारक ग्रहण का निषेध—

१४०. निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या संस्तारक दूसरी बार आज्ञा लिए विना वस्ती के बाहर ले जाना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या-संस्तारक सर्वथा सोंप देने के बाद दूसरी बार आज्ञा लिए विना काम में लेना नहीं कल्पता है ।

शय्या संस्तारक लौटाए विना विहार करने का निषेध—

१४१. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को प्रातिहारिक शय्या संस्तारक ग्रहण करके उसे लौटाये विना विहार करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को शय्यातर का शय्या संस्तारक ग्रहण करके उसे यथावस्थित किये विना विहार करना नहीं कल्पता है ।



संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त—६

सेज्जा संथारगणं पायच्छित्त सुत्ताइं—

१४२. जे भिक्खू उडुबद्धियं सेज्जा संथारगं परं पज्जोसवाओ उवा-
इणावेइ, उवाइणावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वासावासियं सेज्जा संथारगं परं दसरायकप्पाओ
उवाइणावेइ उवाइणावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उडुबद्धियं वा वासावासियं सेज्जा संथारगं उवरि-
सिज्जमाणं पेहाए न ओसारेइ न ओसारेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं सेज्जा संथारगं दोच्चंपि अणणुण्ण-
वित्ता वाहिं नीणेइ, नीणेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सागारियसंतियं सेज्जा संथारगं दोच्चंपि अणणुण्ण-
वित्ता वाहिं नीणेइ, नीणेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जासंथारगं
दोच्चंपि अणणुण्णवित्ता वाहिं नीणेइ, नीणेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं सेज्जा संथारगं आयाए अपडिहट्टु
संपव्वयइ संपव्वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सागारियसंतियं सेज्जा संथारगं आयाए अविगरणं
कट्टु अणपिणित्ता संपव्वयइ, संपव्वयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं वा, सागारियसंतियं वा सेज्जा
संथारगं विप्पणट्ठं न गवेसइ, न गवेसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ५०-५८

सागारिय सेज्जासंथारयं अणणुण्णविय गिण्हमाणस्स
पायच्छित्त सुत्तं—

१४३. जे भिक्खू पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्जा-
संथारयं पच्चपिणित्ता दोच्चं पि अणणुण्णविय अहिट्टेइ
अहिट्टेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. २३

शय्या-संस्तारक सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र—

१४२. जो भिक्षु शीत या ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण किये हुए शय्या
संस्तारक को पथुं पण (संवत्सरी) के वाद रखता है, रखवाता है
रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वर्षावास के लिए ग्रहण किये गए शय्या संस्तारक
को वर्षावास के वाद दस-रात से अधिक रखता है, रखवाता है,
रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शेष काल या वर्षावास के लिये ग्रहण किये गये
शय्या संस्तारक को वर्षा से भींगता हुआ देखकर भी नहीं हटाता
है, नहीं हटवाता है या नहीं हटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु प्रातिहारिक शय्या संस्तारक को दूसरी वार आज्ञा
लिए विना वाहर ले जाता है, वाहर ले जाने के लिए कहता है
और वाहर ले जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शय्यातर का शय्या संस्तारक को दूसरी वार
आज्ञा लिये विना वाहर ले जाता है, वाहर ले जाने के लिए
कहता है, वाहर ले जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु प्रातिहारिक या शय्यातर का शय्या संस्तारक
दूसरी वार आज्ञा लिए विना वाहर ले जाता है, वाहर ले जाने के
लिए कहता है और वाहर ले जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु प्रातिहारिक शय्या संस्तारक को ग्रहण करके
लौटाये विना विहार करता है, विहार करवाता है, विहार करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शय्यातर के शय्या-संस्तारक को लेकर व्यवस्थित
किये विना और लौटाये विना विहार करता है, विहार करवाता
है और विहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु प्रातिहारिक या शय्यातर को शय्या संस्तारक खो
जाने पर उसकी गवेषणा नहीं करता है, नहीं करवाता है, नहीं
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सागारिक का शय्या संस्तारक विना आज्ञा लेने का
प्रायश्चित्त सूत्र—

१४३. जो भिक्षु प्रातिहारिक या शय्यातर के शय्या-संस्तारक को
लौटा कर दूसरी वार आज्ञा लिए विना ही परिभोग करता है,
करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



शर्यपणा-विधि-निषेध-प्रायश्चित्त—१०

सुरायुक्त वसण उवस्सय विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च—

१४४. उवस्सयस्स अंतोवगडाए, सुरा वियड कुम्भे वा, सोविरक वियड कुम्भे वा, उवनिषत्ते सिया, नो कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा, अहालंदमवि वत्थए ।

हृत्त्या य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं वा वत्थए ।

जे तत्थ एगरायाओ वा, दुरायाओ वा परं वसइ से सन्तरा छेए वा, परिहारे वा । —कप्प. उ. २, सु. ४

सीओदजुत्त उवस्सय वसण विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च—

१४५. उवस्सयस्स अंतोवगडाए सीओद-वियडकुम्भे वा, उवनिषत्ते सिया, नो कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा, अहालंदमवि वत्थए ।

हृत्त्या य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं वा वत्थए ।

जे तत्थ एगरायाओ वा, दुरायाओ वा परं वसइ, से सन्तरा छेए वा, परिहारे वा । —कप्प. उ. २, सु. ५

जोई जुत्त उवस्सय वसण विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च—

१४६. उवस्सयस्स अंतोवगडाए, सव्वराइए जोई क्षियाएज्जा, नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा अहालंदमवि वत्थए ।

हृत्त्या य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए ।

जे तत्थ एगरायाओ वा, दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा छेए वा, परिहारे वा । —कप्प. उ. २, सु. ६

पईवजुत्त उवस्सय वसण विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च—

१४७. उवस्सयस्स अंतोवगडाए, सव्वराइए पईवे दिप्पेज्जा नो कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा अहालंदमवि वत्थए ।

हृत्त्या य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा, दुरायं वा वत्थए ।

सुरायुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध व प्रायश्चित्त—

१४४. उपाश्रय के भीतर सुरा और सौवीर से भरे कुम्भ रखे हुए हों तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ "यथालन्दकाल" भी वसना नहीं कल्पता है ।

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है ।

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

जल युक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त—

१४५. उपाश्रय के भीतर अचित्त जीत जल या उष्ण जल से भरे हुए कुम्भ रखे हों तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ "यथालन्दकाल" भी वसना नहीं कल्पता है ।

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है ।

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

ज्योतियुक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त—

१४६. उपाश्रय के भीतर मारी रात अग्नि जले तो निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को वहाँ "यथालन्दकाल" भी वसना नहीं कल्पता है ।

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है ।

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

दीपक युक्त उपाश्रय में रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त—

१४७. उपाश्रय के भीतर सारी रात दीपक जले तो निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को वहाँ "यथालन्दकाल" भी वसना नहीं कल्पता है ।

कदाचित् गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय में एक या दो रात वसना कल्पता है ।

जे तत्य एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ, से संतरा
छेए वा, परिहारे वा ।

—कप्प. उ. २, सु. ७

अगड सुयाणं वसणस्स विहि-णिसेहो पायच्छित्तं च—

१४८. से गामंसि वा-जाव-सन्निवेसंसि वा एगवगडाए एगदुवाराए,
एगनिक्खमण-पवेसाए नो कप्पइ वहुणं अगडसुयाणं एगयओ
वत्यए ।

अत्थि याइं णं केइ आयार-पकप्पघरे, नत्थि याइं णं केइ
छेए वा, परिहारे वा ।

नत्थि याइं णं केइ आयार-पकप्पघरे से संतरा छेए वा,
परिहारे वा ।

से गामंसि वा-जाव-सन्निवेसंसि वा अभिनिक्खगडाए, अभि-
निदुवाराए, अभिनिक्खमण-पवेसाए
नो कप्पइ वहुणं वि अगडसुयाणं एगयओ वत्यए ।

अत्थि याइं णं केइ आयार-पकप्पघरे जे तत्थियं रयणि संव-
सइ, नत्थि णं केइ छेए वा, परिहारे वा ।

नत्थि याइं णं केइ आयार-पकप्पघरे जे तत्थियं रयणि संव-
सइ, सर्व्वेसि तेसि तप्पत्थियं छेए वा, परिहारे वा ।

—वव. उ. ६, सु. १२-१३

नितियवासं वसमाणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

१४९. जे भिक्खू नितियं-वासं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ३७

उद्देसियाइसेज्जासु पवेसणस्स गायच्छित्त सुत्ताइं—

१५०. जे भिक्खू उद्देसियं सेज्जं अणुप्पविसइ, अणुप्पविसंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू सपाहुडियं सेज्जं अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू सपरिकम्मं सेज्जं अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ६०-६२

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह मर्यादा
उल्लंघन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त का पात्र
होता है ।

अल्पज्ञों के रहने का विधि-निषेध और प्रायश्चित्त—

१४८. एक प्राकार वाले, एक द्वार वाले और एक निष्क्रमण-प्रवेश
वाले ग्राम—यावत्—सन्निवेश में अनेक अकृतश्रुत (अल्पज्ञ)
भिक्षुओं को एक साथ वसना नहीं कल्पता है ।

यदि उनमें कोई आचार कल्पघर हो तो वे दीक्षाच्छेद या
परिहार प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं ।

यदि उनमें कोई आचार-कल्पघर न हो तो वे मर्यादा उल्लं-
घन के कारण दीक्षाच्छेद या तपरूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं ।

अनेक प्राकार वाले, अनेक द्वार वाले और अनेक निष्क्रमण-
प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—सन्निवेश में अनेक अकृतश्रुत
(अल्पज्ञ) भिक्षुओं को एक साथ वसना नहीं कल्पता है ।

यदि उनमें कोई आचार-कल्पघर हो तो वे दीक्षाच्छेद या
तपरूप प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं ।

यदि उनमें कोई आचार-कल्पघर न हो तो वे दीक्षाच्छेद या
तपरूप प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं ।

नित्य निवास का प्रायश्चित्त सूत्र—

१४९. जो भिक्षु नित्यवास अर्थात् कल्प मर्यादा से अधिक वसता
है, वसवाता है या वसने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

औद्देशिकादि शय्याओं में प्रवेश के प्रायश्चित्त सूत्र—

१५०. जो भिक्षु औद्देशिक शय्या में प्रवेश करता है, प्रवेश
करवाता है, या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सपाहुड (साधु के निमित्त निर्माण के समय को
परिवर्तन करके बनाई गई) शय्या में प्रवेश करता है, प्रवेश
करवाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु परिकर्म युक्त (साधु के निमित्त सुधार की हुई)
शय्या में प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है, या प्रवेश करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

द्रुगुच्छिद्य कुल पायश्चित्त सूत्रं—

१५१. जे भिक्खू द्रुगुच्छिद्यकुलेसु वसाहं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. ३०

णिग्गंथीणं उवस्सए अविहिं पवेसणस्स पायश्चित्त सूत्रं—

१५२. जे भिक्खू णिग्गंथीणं उवस्सयंसि अविहीए अणुप्पविसइ, अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. २३

णिग्गंथीणं आगमणपहे उवगरण-ठवणस्स पायश्चित्त सूत्रं—

१५३. जे भिक्खू णिग्गंथीणं आगमणपहंसि दंडगं वा, लट्ठियं वा, रयहरणं वा, मुहपोत्तियं वा अण्णयरं वा उवगरणजायं ठवेइ, ठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. २४

सरिसणिग्गंथस्स आवासे अदिण्णे पायश्चित्त सूत्रं—

१५४. जे णिग्गंथे णिग्गंथस्स सरिसगस्स अंते ओवासे संते, ओवासं ण देइ, ण देंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १२१

सरिसणिग्गंथीए आवास अदिण्णस्स पायश्चित्त सूत्रं—

१५५. जा णिग्गंथी णिग्गंथीए सरिसियाए अंते ओवासे संते, ओवासं ण देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १७, सु. १२२

उवस्सए णायगाईणं संवसावणस्स पायश्चित्त सूत्राई—

१५६. जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा अंतो उवस्सयस्स अट्ठं वा राइं, कसिणं वा राइं संवसावेइ, संवसावेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, अणुवासगं वा अंतो उवस्सयस्स अट्ठं वा राइं, कसिणं वा राइं संवसावेइ, तं

घृणित कुलों में रहने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५१. जो भिक्षु घृणित कुलों की शय्या में आश्रय स्थान लेता है, लिवाता है, या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५२. जो भिक्षु निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करता है, प्रवेश करवाता है या प्रवेश करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ में उपकरण रखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५३. जो भिक्षु निर्ग्रन्थियों के आगमन पथ में दंड लाठी, रजो-हरण या मुत्र-त्रस्तिका अथवा अन्य कोई उपकरण रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

स्वधर्मों निर्ग्रन्थ को आवास न देने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५४. जो निर्ग्रन्थ सट्ठग (आचार वाले) निर्ग्रन्थ को उपाश्रय में ठहरने के लिए स्थान होते हुए भी स्थान नहीं देता है, न दिवाता है, न देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

स्वधर्मों निर्ग्रन्थी को आवास न देने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५५. जो निर्ग्रन्थी सहस्र निर्ग्रन्थी को उपाश्रय में ठहरने के लिए स्थान होते हुए भी स्थान नहीं देती है, न दिवाती है या न देने वाली का अनुमोदन करती है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

स्वजन आदि को उपाश्रय में रखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५६. जो भिक्षु स्वजन या परजन, उपासक या अन्य कोई भी स्त्री को उपाश्रय में आधी रात या पूरी रात रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्वजन या परजन, उपासक या अन्य कोई स्त्री को आधी रात या पूरी रात रखकर उसके निमित्त उपाश्रय से

पडुच्च णिवत्तमई वा, पविसइ वा, णिवत्तमंतं वा, पविसंतं
वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुग्घाइयं । —नि. उ. ८, सु. १२-१३

राय समीचे विहरणाई पायच्छित्त सुत्तं—

१५७. अह पुण एवं जाणेज्जा 'इहज्ज रायत्तिए परिवुसिए' जे
भिक्षु ताए गिहाए ताए पएसाए ताए उवासंतराए, विहारं
वा करेइ, सज्जायं वा करेइ, असणं वा-जाव-साइमं वा
आहारेइ, उच्चारं वा, पासवणं वा परिट्ठवेइ, परिट्ठवेतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुग्घाइयं । —नि. उ. ९, सु. ११

निष्क्रमण-प्रवेश करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

राजा के समीप ठहरने आदि का प्रायश्चित्त सूत्र—

१५७. यदि यह ज्ञात हो जाये कि आज यहाँ क्षत्रिय राजा रहे
हुए हैं तब जो भिक्षु उस गृह में उस प्रदेश में उस अवकाशान्तर
में विहार करता है (ठहरता है), स्वाध्याय करता है, अशन
—यावत्—स्वाद्य का आहार करता है, मल-मूत्र का परित्याग
करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



वस्त्रैषणा :

वस्त्रैषणा का स्वरूप—१ [१]

णिगंथ-निगंथीणं वत्थेसणा सरूवं—

१५८. वत्थं पडिग्गहं कंवलं पादपुंछणं उग्गहं च कडासणं एतेसु
चेव जाणेज्जा ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८६ (क)

पडिलेहणाऽणंतरमेव वत्थ गहण विहाणं—

१५९. सिया से परो गेत्ता वत्थं निसिरेज्जा, से पुव्वामेव आलो-
एज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, तुमं चेव णं संतियं
वत्थं अंतो अंतेणं पडिलेहिस्सामि ।”

केवली बूया—“आयाणमेयं !

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों की वस्त्रैषणा का स्वरूप—

१५८. वह (संयमी) वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोष्ठन (पाँव पोंछने
का वस्त्र), अवग्रह-स्थान और कटासन आदि (जो गृहस्थ के लिए
निर्मित हो) उनकी याचना करे ।

वस्त्र का प्रतिलेखन करने के बाद वस्त्र ग्रहण का विधान—

१५९. यदि गृहस्वामी (साधु के द्वारा याचना करने पर) वस्त्र
(लाकर) साधु को दे, तो वह पहले ही उसे कहे—

‘आयुष्मन् गृहस्थ ! या वहन ! तुम्हारे वस्त्र को मैं अन्दर
और बाहर चारों ओर से भली-भाँति देखूँगा ।’

केवली भगवान ने कहा है—“प्रतिलेखन किए बिना वस्त्र
लेना कर्मवन्दन का कारण है ।”

१ अतीत में “पायपुंछणं”, कैसा उपकरण था—वह वर्तमान में समझना अति कठिन है क्योंकि कहीं “पायपुंछणं” रजोहरण माना गया है और कहीं “पायपुंछणं” तथा “रजोहरण” अलग-अलग कहे गये हैं ।

प्रश्नव्याकरण तथा दशवैकालिक सूत्र में “पायपुंछणं” का अर्थ ‘पैर पोंछने का वस्त्र’ किया गया है । इन दोनों स्थलों में दोनों उपकरणों का एक साथ कथन हुआ है । अतः दोनों ही भिन्न-भिन्न उपकरण होना सिद्ध होता है ।

आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४५ में मल-विसर्जन आवश्यक हो तो उस समय अपना “पायपुंछणं” हो तो उसका उपयोग करे, न हो तो साथी श्रमण से लेकर उसका उपयोग करे । इससे अनुमान होता है कि यहाँ पर मल विसर्जन के बाद मलद्वार को पोंछने के लिए प्रयुक्त जीर्ण-वस्त्र के खण्ड को “पायपुंछणं” माना है ।

इन विभिन्न मन्तव्यों के होते हुए भी यह निश्चित है कि अतीत में “पायपुंछणं” एक आवश्यक उपकरण था । इसलिए इसका अनेक जगह उल्लेख है ।

वत्यंते ओवद्धं सिया-कुंडले वा-जाव-रयणावली वा, पाणे वा, वीए वा, हरिए वा ।

अह भिक्षुणं पुत्रोवदिट्ठा-जाव-एस उवएसे, जं पुच्चासेव वत्यं अंतो अंतेणं पडिलेहेज्जा ।

—वा. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६८

हेमन्त-गिम्हासु वत्य गहण विहाणं—

१६०. कप्पइ निग्गंयाण वा, निग्गंथीण वा दोच्चसमोसरणुद्धे-सपत्ताइं चेलाइं पडिगाहेत्तए ।^१ —कप्प. उ. ३, सु. १७

पच्चज्जापरियाय कमेण वत्य गहण विहाणं—

१६१. कप्पइ निग्गंयाण वा, निग्गंथीण वा अहाराइणियाए चेलाइं पडिगाहेत्तए । —कप्प. उ. ३, सु. १८

कदाचित्त उस वस्त्र के सिरे पर कुछ बंधा हो, यथा—कुण्डल बंधा हो,—यावत्—रत्नों की माला बंधी हो, अथवा प्राणी, बीज या हरी वनस्पति बंधी हो ।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थंकर आदि आप्त पुरुषों ने पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु वस्त्र ग्रहण करने से पहले ही उस वस्त्र की अन्दर-बाहर चारों ओर से प्रतिलेखना करे ।

हेमन्त और ग्रीष्म में वस्त्र ग्रहण करने का विधान—

१६०. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को द्वितीय समवसरण (हेमन्त और ग्रीष्म) में वस्त्र ग्रहण करना कल्पता है ।

प्रव्रज्या पर्याय के क्रम से वस्त्र ग्रहण का विधान—

१६१. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चारित्र्य पर्याय के क्रम से वस्त्र ग्रहण करना कल्पता है ।



निर्ग्रन्थ की वस्त्रपणा-विधि-१ [२]

निग्गंयाणं वत्थाइ एसणा विही—

१६२. निग्गंयं च णं गाहावइकुलं पिडचायपडियाए अणुपविट्ठं केइ वत्येण वा. पडिगहेण वा, कंवल्लेण वा, पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय आयरियपायमूले ठवेत्ता, दोच्चं पि उग्गहं अणुणवित्ता परिहारं परिहरित्तए ।

निग्गंयं च णं वहिया वियारभूमिं वा, विहारभूमिं वा, निक्खंतं समाणं, केइ वत्येण वा, पडिगहेण वा, कंवल्लेण वा, पायपुंछणेण वा, उवनिमंतेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय आयरियपायमूले ठवित्ता दोच्चं पि उग्गहं अणुणवित्ता परिहारं परिहरित्तए । —कप्प. उ. १, सु. ४०-४१

निर्ग्रन्थों की वस्त्रपणा विधि—

१६२. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्ग्रन्थ को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोच्छन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को "सागारकृत" ग्रहण कर, उन्हें आचार्य के चरणों में रखकर तथा उसे ग्रहण करने के लिए आचार्य से दूसरी बार आज्ञा लेकर उसे अपने पास रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है ।

विचार भूमि (मल-मूत्र विसर्जन स्थान) या विहारभूमि (स्वाध्याय भूमि) के लिए (उपाश्रय से) बाहर निकले हुए निर्ग्रन्थ को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोच्छन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को "सागारकृत" ग्रहण करे, उसे आचार्य के चरणों में रखकर तथा उसे ग्रहण करने के लिए आचार्य से दूसरी बार आज्ञा लेकर अपने पास रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है ।



१ एक वर्ष के दो विभाग हैं एक वर्षावास काल और दूसरा ऋतुवद्ध काल ।

वर्षावास काल में भिक्षु-भिक्षुणियां चार मास तक विहार नहीं करते हैं । जहाँ वर्षावास करने का उनका संकल्प होता है वहीं रहते हैं ।

ऋतुवद्धकाल में अपने अपने कल्प के अनुसार भिक्षु-भिक्षुणियां विहार करते रहते हैं इसलिए वर्षावास को प्रथम समवसरण और ऋतुवद्धकाल को द्वितीय समवसरण कहा गया है ।

—बृहत्कल्प भाष्य गा. ४२४२ व ४२६७ ।

निर्ग्रन्थिनी की वस्त्रैषणा विधि—१ [३]

निर्ग्रन्थीए वस्त्रैषणा विधि—

१६३. निर्ग्रन्थीए य गाहावडकुलं पिडवायपडियाए अणुप्पविट्ठाए,
चेलट्टे समुप्पज्जेज्जा,
नो से कप्पइ अप्पणो निस्साए चेलं पडिग्गाहेत्तए ।

कप्पइ से पवत्तिणी-निस्साए चेलं पडिग्गाहेत्तए ।

नो य से तत्थ पवत्तिणी सामाणा सिया, जे से तत्थ सामाणे
आयरिए वा, उवज्जाए वा, पवत्तए वा, थेरे वा, गणी वा,
गणहरे वा, गणावच्छेइए वा, जं चडन्नं पुरओ कट्टु विहरति,
कप्पइ से तन्नीसाए चेलं पडिग्गाहेत्तए ।

—कप्प. उ. ३. सु. १३

निर्ग्रन्थीए वत्थुग्गह विधि—

१६४. निर्ग्रन्थि च णं गाहावडकुलं पिडवायपडियाए अणुपविट्ठं केइ
वत्थेण वा, पडिग्गहेण वा, कंबलेण वा, पायपुंछणेण वा
उवनिमंतेज्जा,
कप्पइ से सागारकडं गहाय पवत्तिणिपायमूले ठवेत्तां, दोच्चं
पि उग्गहं अणुण्वित्ता परिहारं परिहरित्तए ।

निर्ग्रन्थि च णं वहिया वियारभूमिं वा, विहारभूमिं वा,
णिक्खंति समाणि केइ वत्थेण वा, पडिग्गहेण वा, कंबलेण
वा, पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्जा, कप्पइ से सागारकडं
गहाय पवत्तिणिपायमूले ठवेत्ता, दोच्चं पि उग्गहं अणुण्वि-
त्ता परिहारं परिहरित्तए । —कप्प. उ. १. सु. ४२-४३

निर्ग्रन्थी की वस्त्रैषणा विधि—

१६३. गृहस्थ के घर में आहार के लिए गई हुई निर्ग्रन्थी को यदि
वस्त्र की आवश्यकता हो तो अपनी निश्चा ("यह वस्त्र मैं अपने
लिए ग्रहण कर रही हूँ"—इस संकल्प) से वस्त्र लेना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु प्रवर्तिनी की निश्चा (मैं यह वस्त्र प्रवर्तिनी के चरणों
में रख दूंगी वह जिसे देना चाहेगी दे देगी । यदि वह न रखेगी
तो मैं वापस तुम्हें लौटा दूंगी ऐसे संकल्प से) वस्त्र लेना
कल्पता है ।

यदि वहाँ प्रवर्तिनी विद्यमान न हो तो जो आचार्य, उपा-
ध्याय, प्रवर्तक, स्वविर, गणी, गणधर, गणावच्छेदक (आदि जो
गीतार्थ) वहाँ विद्यमान हो अथवा जिसे प्रमुख करके विचार रही
है उसकी निश्चा से वस्त्र लेना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी की वस्त्रावग्रह विधि—

१६४. गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्ग्रन्थी को यदि
कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोँछन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि
को "सागारकृत" ग्रहण कर उन्हें प्रवर्तिनी के चरणों में रखकर
तथा उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रवर्तिनी से दूसरी बार आज्ञा
लेकर उसे अपने पास रखना और उनका उपयोग करना
कल्पता है ।

विचार भूमि या स्वाध्याय भूमि के लिए (उपाध्यय से)
बाहर निकली हुई निर्ग्रन्थी को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल,
पादप्रोँछन लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को "सागारकृत" ग्रहण
कर, उसे प्रवर्तिनी के चरणों में रखकर तथा उसे ग्रहण करने के
लिए उनसे दूसरी बार आज्ञा लेकर अपने पास रखना और
उनका उपयोग करना कल्पता है ।



निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी की वस्त्रैषणा का निषेध—१ [४]

उद्देशियाइं वत्य ग्रहण णिसेहो—

१६५. से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा—
अस्मिपडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं
समारम्भं समुद्दिस्स, कीयं, पामिच्चं अच्छिज्जं, अभिहं
आहद्दु चेएइ ।

तं तहप्पगारं वत्यं पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा,
वहिया णीहं वा, अणोहं वा, अत्तट्ठियं वा, अणत्तट्ठियं
वा, परिभुत्तं वा, अपरिभुत्तं वा, आसेवियं वा, अणासेवियं
वा, अफामुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे तामे संते णो पडि-
ग्गाहेज्जा ।

से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा—
अस्मिपडियाए वहवे साहम्मिया समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-
सत्ताइं समारम्भं समुद्दिस्स-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा-
अस्मिपडियाए एगं साहम्मिणं समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं
समारम्भं समुद्दिस्स-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा—
अस्मिपडियाए वहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-
सत्ताइं समारम्भं समुद्दिस्स-जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५५ (क)

समणाइ पगणिय निम्मिय वत्यस्स णिसेहो—

१६६. से भिक्षू वा, भिक्षूणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा—
वहवे समण-माहण-अतिहि-किविणवणीमए, पगणिय-पगणिय-
समुद्दिस्स-जाव-आहद्दु चेएइ ।

तं तहप्पगारं वत्यं पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा
जाव-णो पडिग्गाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५५ (ख)

अद्ध जोयगमेराए परं वत्येसणाए गमण णिसेहो—

१६७. से भिक्षू वा भिक्षूणी वा परं अद्धजोयणमेराए वत्यपडि-
याए नो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५४

औद्देशिकादि वस्त्र के ग्रहण का निषेध—

१६५. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि दाता
ने अपने लिए नहीं बनाया है किन्तु एक नार्थमिक साधु के लिये
प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है, खरीदा है,
उधार लिया है, छीनकर लाया है, दो स्वामियों में से एक की
आजा के बिना लाया है और अन्य स्थान से यहाँ लाया है ।

इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न
दिया हो, बाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, स्वी-
कृत हो या अस्वीकृत हो, उपभुक्त हो या अनुपभुक्त हो, सेवित
हो या अनासेवित हो इस प्रकार के वस्त्र को अप्रासुक एवं अनैप-
णीय समझकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि—दाता
ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु अनेक नार्थमिक साधुओं के
लिए प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है
—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि—दाता
ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु एक नार्थमिक साधु की
लिये प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है
—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि—दाता
ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु अनेक नार्थमिक साधुओं के
लिये प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है
—यावत्—ग्रहण न करे ।

श्रमणादि की गणना करके बनाया गया वस्त्र लेने का
निषेध —

१६६. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि अनेक
श्रमण ब्राह्मण-अतिथि-कूपण-भिक्षारियों को गिन-गिन कर उनके
उद्देश्य से बनाया है—यावत्—अन्य स्थान से यहाँ लाया है ।

इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न
दिया हुआ हो—यावत्—ग्रहण न करे ।

अर्धयोजन से आगे वस्त्रैषणा के लिए जाने का निषेध—

१६७. भिक्षु या भिक्षुणी को वस्त्र ग्रहण करने के लिए आधे
योजन से आगे जाने का विचार नहीं करना चाहिए ।

महद्वणमोल्लाणं वत्थाणं गहण णिसेहो—

१६८. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जाइं पुण वत्थाइं जाणेज्जा विरूवरूवाइं महद्वणमोल्लाइं, तं जहा—

आईणगाणि वा,
सहिणाणि वा,

सहिणकल्लाणाणि वा,
आयाणि वा,

कायाणि वा,
खोमियाणि वा,
डुगुल्लाणि वा,
पट्टाणि वा,
मलयाणि वा,
पत्तुणाणि वा,
अंसुयाणि वा,
चीणंसुयाणि वा,
देसरागाणि वा,
अमिलाणि वा,
गज्जलाणि वा,

फालियाणि वा,

कोयवाणि वा, कंबलगाणि वा, पावाराणि वा, अण्णतराइं वा, तहप्पगाराइं वत्थाइं महद्वणमोल्लाइं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५७

मच्छ चम्मआई णिम्मिय वत्थाणं गहण-णिसेहो —

१६९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण आईणपाउरणाणि वत्थाणि जाणेज्जा, तं जहा—

उट्टाणि वा,

पेसाणि वा,

पेसलेसाणि वा,

किण्हमिगाईणगाणि वा, णीलमिगाईणगाणि वा, गोरमिगाईणगाणि वा,

कणगाणि वा, कणगकंताणि वा,

कणगपट्टाणि वा, कणगखडयाणि वा, कणगफुसियाणि वा,
वग्घाणि वा, विवग्घाणि वा, आभरणाणि वा, आभरण-

बहुमूल्य वस्त्रों के ग्रहण का निषेध -

१६८. भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि ये नाना प्रकार के वस्त्र महाधन से प्राप्त होने वाले (बहुमूल्य) हैं, जैसे कि—

आजिनक = चूहे आदि के चर्म से बने हुए,

श्लक्ष्ण = वर्ण और छवि आदि के कारण बहुत सूक्ष्म या मुलायम,

श्लक्ष्णकल्याण = सूक्ष्म और मंगलमय चिन्हों से अंकित,

आजक = किसी देश की सूक्ष्म रोएँ वाली बकरी के रोम से निष्पन्न,

कायक = इन्द्रनील वर्ण कपास से निर्मित,

क्षौमिक = सामान्य कपास से बनाया गया वस्त्र,

डुकूल = गोडदेश में उत्पन्न विशिष्ट कपास से बने हुए वस्त्र,

पट्टसूत्र = रेशम के वस्त्र,

मलयज = (चन्दन) के सूत से बने या मलयदेश में बने वस्त्र;

पतुण = बल्कल तन्तुओं से निर्मित वस्त्र,

अंशुक = वारीक वस्त्र,

चीनांशुक = चीन देश के बने अत्यन्त सूक्ष्म एवं कोमल वस्त्र,

देश = राग-एक प्रदेश से रंगे हुए,

अमिल = रोम देश में निर्मित,

गर्जल = पहनते समय विजली के समान कड़कड़ शब्द करने वाले वस्त्र,

स्फटिक के समान स्वच्छ वस्त्र,

कोयव = कोयव देश में उत्पन्न वस्त्र, विशेष प्रकार के पारसी कम्बल (मोटा कम्बल) तथा अन्य इसी प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होने पर भी उन्हें ग्रहण न करे ।

मत्स्य चर्मादि से निर्मित वस्त्रों के ग्रहण का निषेध—

१६९. साधु या साध्वी यदि चर्म से निष्पन्न ओढ़ने के वस्त्र जाने जैसे कि—

औद्र—सिंधु देश के मत्स्य के चर्म और सूक्ष्म रोम से निष्पन्न वस्त्र,

पेष—सिन्धु देश के सूक्ष्म चर्म वाले जानवरों से निष्पन्न वस्त्र,

पेषलेश—उसी के चर्म पर स्थित सूक्ष्म रोमों से बने हुए वस्त्र,

कृष्ण मृग के चर्म, नील मृग के चर्म, गौर मृग के चर्म से निर्मित वस्त्र,

सुनहरे सूत्रों से निर्मित वस्त्र, सोने की कांति वाले वस्त्र,

सुनहरे सूत्रों की पट्टियों से बने हुए वस्त्र, सोने के पुष्प गुच्छों से अंकित वस्त्र, सोने के तारों से जटित और स्वर्ण चन्द्र-

विचिताणि वा, अण्णतराणि वा, तहप्पगाराणि आईणपाउ-
रणाणि वत्थाणि लाभे संते णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५८

संगार वयणेण कालाणंतरं वत्थ गहण णिसेहो—

१७०. सिया णं एयाए एसणाए एसमाणं पासित्ता परो वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति
वा, पंचरातेण वा, सुते वा, सुततरे वा, तो ते वयं आउसो !
अण्णतरं वत्थं दासामो ।”

एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलो-
एज्जा ।

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति
एतप्पगारे संगार वयणे पडिसुणेत्तए अभिकंखसि मे दाउं
इयाणिमेव दलयाहि ।”

से णेवं वदंतं परो वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति
एतप्पगारे संगार वयणे पडिसुणेत्तए, अभिकंखसि मे दाउं
इयाणिमेव दलयाहि ।” से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति
एतप्पगारे संगार वयणे पडिसुणेत्तए, अभिकंखसि मे दाउं
इयाणिमेव दलयाहि ।”

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६१-५६२

अफासुय वत्थ गहण णिसेहो—

१७१. से सेवं वदंतं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, आहर एयं वत्थं
समणस्स दासामो, अविद्याइं वयं पच्छा वि अप्पणो सयट्ठाए
पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारद्वन-जाव-चेतेस्सामो ।” एतप्पगारं
णिग्घोसं सोच्चा निसम्म तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो
पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६३

परिकम्मकय वत्थ गहण-णिसेहो—

१७२. सिया णं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, आहर एयं वत्थं,
सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्वेण वा, वण्णेण वा; चुण्णेण
वा, पउमेण वा, आधंसित्ता वा पधंसित्ता वा समणस्स णं
दासामो ।”

एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलो-
एज्जा—

काओं से स्पृशित, व्याघ्रचर्म, चीते का चर्म, आभरणों से मण्डित,
आभरणों से चित्रित ये तथा अन्य इसी प्रकार के चर्म निष्पन्न
प्रावरण = वस्त्र प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे ।

संकेत वचन से वस्त्र ग्रहण का निषेध—

१७०. उक्त वस्त्र एषणाओं से वस्त्र की गवेपणा करने वाले साधु
को कोई गृहस्थ कहे कि—

“आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस समय जाओ, एक मास तथा
दस या पाँच रात के बाद अथवा कल या परसों आना, तब हम
तुम्हें किसी एक प्रकार का वस्त्र देंगे ।”

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर वह उसे पहले ही
कह दे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा वहन ! मुझे इस प्रकार के
अवधिसूचक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है यदि मुझे वस्त्र
देना चाहते हो तो अभी दे दो ।”

साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि गृहस्थ यों कहे कि—

“आयुष्मन् श्रमण ! अभी तुम जाओ । थोड़ी देर बाद आना,
हम तुम्हें कोई वस्त्र दे देंगे ।” ऐसा कहने पर वह पहले ही
उसे कहे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा वहन ! मेरे लिए इस प्रकार
के अवधि सूचक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है, यदि
मुझे देना चाहते हो तो अभी दे दो ।”

अप्रासुक वस्त्र ग्रहण करने का निषेध—

१७१. साधु के इस प्रकार कहने पर भी गृहस्थ घर के किसी
सदस्य (वहन आदि) को (बुला कर) यों कहे कि—

“आयुष्मन् भाई ! या वहन ! यह वस्त्र लाओ हम उसे
श्रमण को देंगे । हम तो अपने निजी प्रयोजन के लिए वाद में भी
प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके और उद्देश्य करके
—यावत्—अन्य वस्त्र बनवा लेंगे ।” इस प्रकार का कथन
सुनकर समझकर उस प्रकार के वस्त्र को अप्रासुक जानकर
—यावत्—ग्रहण न करे ।

परिकर्मकृत वस्त्र ग्रहण का निषेध—

१७२. गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि—

“आयुष्मन् भाई ! अथवा वहन ! यह वस्त्र लाओ हम उसे
स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से, कल्क से, लोध से, वर्ण से,
चूर्ण से या पद्म से एक बार या बार बार घिसकर श्रमण को
देंगे ।”

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर वह पहले से ही उसे
कह दे—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एतं तुमं वत्थं सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा आघंसाहि वा पघंसाहि वा, अभिकंखसि मे दातुं एमेव दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा आघंसित्ता वा पघंसित्ता वा दलएज्जा, तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६४

समणुद्देसिय पवखालिय वत्थस्स गहण-णिसेहो —

१७३. से णं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा, आहर एयं वत्थं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेत्ता वा, पघोवेत्ता वा समणस्स णं दासामो ।”

एयप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुच्चामेव आलो-एज्जा—“आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा मा एयं तुमं वत्थं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेहि वा, पघोवेहि वा अभिकंखसि मे दातुं एमेव दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेत्ता वा, पघोवेत्ता वा दलएज्जा, तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६५

कंदाइ विसोहिय वत्थस्स गहण-णिसेहो —

१७४. से णं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा, आहर एयं वत्थं कंदाणि वा-जाव-हरियाणी वा विसोहेत्ता समणस्स णं दासामो ।”

एयप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुच्चामेव आलो-एज्जा—

“आउसो ति वा, भइणी ! ति वा, मा एताणि तुमं कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसोहेहि, णो खलु मे कप्पति एयप्पगारे वत्थे पडिगाहित्तए ।”

से सेवं वदंतस्स परो कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसो-हेत्ता दलएज्जा । तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-हेज्जा । —आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६६-५६७

वासावासे वत्थ-गहण-णिसेहो—

१७५. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पढमसमोसरणुद्देस-पत्ताइं चेलाइं पडिगाहेत्तए । —कप्प. उ. ३, सु. १६

“आयुष्मन् गृहस्थ ! या आयुष्मती वहन ! तुम वस्त्र को स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से—यावत्—पद्मादि सुगन्धित द्रव्यों से घर्षण या प्रघर्षण मत करो । यदि मुझे देना चाहते हो तो ऐसा ही दे दो ।”

साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्थ स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से—यावत्—पद्मादि सुगन्धित द्रव्यों से एक बार या बार-बार घिसकर उस वस्त्र को देने लगे तो उस प्रकार के वस्त्र को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

श्रमण के निमित्त प्रक्षालित वस्त्र के ग्रहण का निषेध—

१७३. गृहपति घर के किसी सदस्य से कहे कि—

“आयुष्मन् भाई ! या वहन ! उन वस्त्र को लाओ, हम उसे प्रासुक शीतल जल से या प्रासुक उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोकर श्रमण को दे देंगे ।”

इस प्रकार सुनकर समझकर वह पहले ही उगे कह दे ।

“आयुष्मन् गृहस्थ ! या आयुष्मती वहन ! इन वस्त्र को तुम प्रासुक शीतल जल या उष्ण जल से एक बार या बार-बार मत धोओ । यदि मुझे देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो ।”

इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ उस वस्त्र को ठंडे पानी या गर्म पानी से एक बार या बार-बार धोकर साधु को देने लगे तो उसे अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

कंदादि निकालकर दिये जाने वाले वस्त्र के ग्रहण का निषेध—

१७४. गृहस्थ अपने घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि—

“आयुष्मन् भाई ! या वहन ! उस वस्त्र को लाओ हम उसमें से कन्द—यावत्—हरी (वनस्पति) को विशुद्ध कर (निकाल कर) साधु को देंगे ।”

इस प्रकार सुनकर समझकर वह पहले ही उसे कहे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! या वहन ! इस वस्त्र में से कन्द—यावत्—हरी मत निकालो मेरे लिए इस प्रकार का वस्त्र ग्रहण करना कल्पता नहीं है ।”

साधु के द्वारा इस प्रकार इन्कार करने पर भी वह गृहस्थ कन्द—यावत्—हरी वस्तु को विशुद्ध करके (निकाल करके) वस्त्र देने लगे तो इस प्रकार के वस्त्र को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

वर्षावास में वस्त्र ग्रहण का निषेध—

१७५. निग्रंथीं और निर्ग्रन्थियों को प्रथम समवसरण में वस्त्र ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।



निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी वस्त्रैषणा के विधि-निषेध—१ [५]

राईए वत्याए गहण विहि-णिसेहो—

१७६. नो कम्पइ निगंयाण वा, निगंथीण वा,
राओ वा, वियाले वा,
वत्यं वा, पडिगाहं वा, कम्बलं वा, पायपुंछणं वा पडिगा-
हेत्तए, नऽनत्थ एणाए हरियाहडियाए

सा वि य परिमुत्ता वा, घोया वा, रत्ता वा, घट्टा वा,
मट्टा वा, संपघूमिया वा । —कण. उ. १, सु. ४५

समणाइ उद्देसिय णिमिय वत्यस्स गहण विहि-णिसेहो—
१७७. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा—
वहवे समण-माहण-अतिहि-किविण-वणीमए समुद्धिस्स-जाव-
आहट्टु चोगइ ।

तं तहप्पगारं वत्यं अपुरिसंतरकडं अवहिया णीहडं,
अणत्तद्वियं, अपरिमुत्तं अणासेवियं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-
हेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडं वहिया णीहडं,
अत्तद्वियं, परिमुत्तं आसेवियं फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. नु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५५ (ग)

कीयाइ दोस जुत्त वत्य गहण विहि-णिसेहो—

१७८. से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा से ज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा—
अस्संजते भिक्खुपडिगाए कीतं वा, धोयं वा, रत्तं वा, घट्टं
वा, मट्टं वा, संमट्टं वा, संपघूमितं वा, तहप्पगारं वत्यं
अपुरिसंतरकडं-जाव अणासेवितं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-
हेज्जा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा—पुरिसंतरकडं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. नु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५६

कीयाइ दोस जुत्त वत्य गहण पायच्छित्त सुत्ताइं—

१७९. से भिक्खू वत्यं किणेइ, किणावेइ, कीयं आहट्टु देज्जमाणं
पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्यं पामिच्चेइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चाहट्टु
देज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्यं परियट्टेइ, परियट्टावेइ, परियट्टियमाहट्टु
देज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

रात्रि में वस्त्रादि ग्रहण का विधि-निषेध—

१७६. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को,

रात्रि में या विकाल में,

वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादत्रोछन लेना नहीं कल्पता है ।

केवल एक "हृताहृतिका" को छोड़कर (पहले चुराई गयी,
पीछे वापस लौटाई गई वस्तु 'हृताहृतिका' कही जाती है ।)

यदि वह परिमुक्त, धीत, रक्त, घृष्ट, मृष्ट या सम्प्रदूमित भी
किया गया हो (तो भी रात्रि में लेना कल्पता है ।)

श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र लेने के विधि-निषेध—

१७७. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में यह जाने कि अनेक
श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-भिक्षारियों के उद्देश्य से बनाया है
—यावत्—अन्य स्थान से यहाँ लाया है ।

इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुष को दिया हुआ नहीं हो, बाहर
निकाला नहीं हो, स्वीकृत न किया हो, उपभुक्त न हो, आसेवित
न हो, उसको अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

यदि यह जाने कि इस प्रकार का वस्त्र अन्य पुरुष को दिया
हुआ है, बाहर निकाला है, दाता द्वारा स्वीकृत है, उपभुक्त है,
आसेवित है, उसको प्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण करें ।

क्रीतादिदोष युक्त वस्त्र ग्रहण का विधि-निषेध—

१७८. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के विषय में यह जाने कि—ग्रहस्थ
ने साधु के निमित्त उसे खरीदा है, घोया है, रंगा है, घिस कर
साफ किया है, चिकना या मुलायम बनाया है, संस्कारित किया
है, धूप इत्रादि से सुवासित किया है ऐसा वह वस्त्र पुरुषान्तरकृत
—यावत्—किसी के द्वारा आसेवित नहीं हुआ है, ऐसे वस्त्र को
अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करें ।

यदि (साधु या साध्वी) यह जान जाए कि—वह वस्त्र
पुरुषान्तरकृत है—यावत्—ग्रहण कर सकता है ।

क्रीतादि दोषयुक्त वस्त्र ग्रहण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

१७९. जो भिक्षु वस्त्र को खरीदता है, खरीदवाता है, खरीदा
हुआ लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने-वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र को उधार लेता है, उधार लिवाता है, उधार
लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने-वाले का अनुमो-
दन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र को परिवर्तन करता है, परिवर्तन करवाता है
या परिवर्तन करके लाये हुए वस्त्र को लेता है, लिवाता है या
लेने-वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू वत्थं अच्छेज्जं, अणिसिद्धं, अभिहडमाहट्टु देज्ज-
माणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. २४-२७

अइरेग वत्थ वियरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

१८०. जे भिक्षू अइरेगं वत्थं गणं उद्दिसियं, गणं समुद्दिसियं, तं
गणं अणापुच्छिय, अणामंतिय, अणमणस्स वियरइ,
वियरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अइरेगं वत्थं खुडुगस्स वा, खुडुयाए वा, थेरगस्स
वा, थेरियाए वा (१) अहत्यच्छिण्णस्स, (२) अपायच्छि-
ण्णस्स, (३) अकण्णच्छिण्णस्स, (४) अणासच्छिण्णस्स,
(५) अणोद्दुच्छिण्णस्स सक्कस्स देइ, देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अइरेगं वत्थं खुडुगस्स वा, खुडुयाए वा, थेरगस्स
वा, थेरियाए वा (१) हत्यच्छिण्णस्स, (२) पायच्छिण्णस्स,
(३) कण्णच्छिण्णस्स, (४) णासच्छिण्णस्स, (५) ओद्दुच्छि-
ण्णस्स असक्कस्स न देइ, न देतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. २८-३०

जो भिक्षु आच्छेद्य, अनिसृष्ट और सामने लाये गये वस्त्र को
लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अतिरिक्त वस्त्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र—

१८०. जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र को गणी के उद्देश्य से या किसी
विशेष गणी के उद्देश्य से लाये गये वस्त्र को उस गणी से विना
पूछे, विना आमन्त्रण दिये यदि किसी अन्य को देता है, दिलवाता
है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र को—१. जिसके हाथ कटे हुए नहीं
हैं, २. पैर कटे हुए नहीं हैं, ३. कान, ४. नाक और ५. होठ कटे
हुए नहीं हैं ऐसे धुल्लक या धुल्लिका स्थविर या स्थविरा जो
सशक्त हैं उनके लिए देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र को जिसके १. हाथ, २. पैर,
३. कान, ४. नाक और ५. होठ कटे हैं ऐसे धुल्लक या धुल्लिका
के लिए स्थविर और स्थविरा के लिए जो अशक्त हैं उन्हें नहीं
देता है, नहीं दिलवाता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



वस्त्र धारण—२ [१]

वत्थ धारण कारणाइं—

१८१. तिहं ठाणेहं वत्थं धारेज्जा, तं जहा—

(१) हिरिवत्तियं,

(२) दुग्गुच्छावत्तियं,

(३) परीसहवत्तियं ।

—ठाण. अ. ३, उ. ३, सु. १७६

एसणिज्जाणि वत्थाणि—

१८२. से भिक्षू वा भिक्षुणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं एसित्तए ।

से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा, तं जहा—

(१) जंगियं वा,

(२) भंगियं वा,

(३) साणयं वा,

वस्त्र धारण के कारण—

१८१. (निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थिनियाँ) तीन कारणों से वस्त्र धारण
करें, यथा—

१. ह्रीप्रत्यय से (लज्जा-निवारण के लिए) ।

२. जुगुप्साप्रत्यय से (घृणा निवारण के लिए) ।

३. परीषहप्रत्यय से (शीतादि परीषह के निवारण के लिए) ।

एषणीय वस्त्र—

१८२. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र की गवेषणा करना चाहें तो वे
वस्त्रों के सम्बन्ध में जाने । वे वस्त्र इस प्रकार हैं—

१. जांगमिक—त्रसजीवों के अवयवों से निष्पन्न वस्त्र ।

२. भांगिक—अलसी की छाल से निष्पन्न वस्त्र ।

३. सानिक—सण से निष्पन्न वस्त्र ।

- (४) पोत्तगं वा,
(५) खोमियं वा,
(६) तूलकडं वा,

तहृप्पगारं वत्यं^१ जे णिगंथे तरुणे जुगवं वलवं अप्पायंके थिरसंघयणे, से एगं वत्यं धारेज्जा, णो विडये ।

—आ. सु. २. अ. ५, उ. १, सु. ५५३

अहेसणिज्जवत्थ धारण विहाणं—

१८३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अहेसणिज्जाइं वत्याइं जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइं वत्याइं धारेज्जा, णो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोत्तरत्ताइं वत्याइं धारेज्जा-अपलिउंचमाणे गामंतरेसु ओमचेलिए^२ ।

एतं खनु वत्यधारिस्स सामगियं ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५८१

४. पोत्रक—ताड़ आदि के पत्रों से निष्पन्न वस्त्र ।
५. क्षौमिक—कपास (रुई) से बने वस्त्र ।
६. तूलकृत—आक आदि की रुई से बने हुए वस्त्र ।

इन वस्त्रों में से जो निर्ग्रन्थ मुनि तरुण है, समय के उपद्रव (प्रभाव) से रहित है, बलवान है, रोग-रहित है और स्थिर संहनन (दृढ़ संहनन) वाला है वह एक ही (प्रकार के) वस्त्र धारण करे, दूसरा नहीं ।

एपणीय वस्त्र धारण का विधान—

१८३. भिक्षु या भिक्षुणी एपणीय वस्त्रों की याचना करे और जैसे वस्त्र लिए हों वैसे ही वस्त्रों का धारण करे, परन्तु (त्रिभूपा के लिए) न उन्हें धोए, न उन्हें रंगे और न धोए हुए तथा न रंगे हुए वस्त्रों को पहने उन (बिना धोए या रंगे) साधारण वस्त्रों को ग्रामान्तरों में न छिपाते हुए विचरण करे ।

यही वस्त्रधारी भिक्षु का आचार है ।



१ (क) कप्प. उ. २, सु. २६ ।

(ख) एवं तथाप्रकारमन्यदपि धारेयदित्युत्तरेण सम्बन्धः ।

—आ. टीका पृ. ३६२

(ग) कप्पइ णिगंथाण वा णिगंथीण वा पंच वत्याइं धारित्ते वा, परिहरेत्ते वा, तं जहा—१. जंगिए, २. भंगिए, ३. सणिए, ४. पोत्तिए, ५. तिरीडपट्टए णामं पंचमए ।

—ठाणं. अ. ५, उ. ३, सु. ४४६

(घ) कप्पति णिगंथाण वा णिगंथीण वा ततो वत्याइं धारित्ते वा परिहरेत्ते वा, तं जहा—१. जंगिते, २. भंगिते, ३. खोमिते ।

—ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १७८

(ङ) उपयुक्त कल्प्य वस्त्रों की संख्याओं में और नामों में भिन्नता है । ठाणांग सूत्र ठाणा तीन में तीन प्रकार के वस्त्र ग्राह्य कहे हैं और 'खोमिए' से सूती वस्त्र का कथन हुआ है ।

बृहत्कल्प सूत्र और ठाणांग सूत्र ठाणा ५ में पाँच प्रकार के वस्त्र कहे हैं । इन दोनों स्थलों में संख्या व नाम सदृश हैं । तथा यहाँ 'पोत्तिए' से सूती वस्त्र का कथन हुआ है ।

आचारांग सूत्र के प्रस्तुत सूत्र में 'पोत्तियं' और 'खोमियं' दोनों ही शब्दों का भिन्न अर्थ में प्रयोग हुआ है तथा 'तिरीडपट्ट' के स्थान पर 'तूलकड' का कथन हुआ है । इस प्रकार सर्व कल्प्य वर्णित वस्त्र संख्या सात होना फलित होता है ।

२ 'अवम' का अर्थ अल्प या साधारण होता है । "अवम" शब्द यहाँ संख्या, परिमाण (नाप) और मूल्य तीनों दृष्टियों से अल्पता या साधारणता का द्योतक है । कम से कम मूल्य के साधारण से और थोड़े से वस्त्र से निर्वाह करने वाला भिक्षु "अवमचेलक" कहलाता है ।

निर्ग्रन्थ के वस्त्र-धारण की विधि—२ [२]

एगवत्थधारी भिक्षु—

१८४. जे भिक्षु एगेण वत्थेण परिवुसिते पायवित्तिएण तस्स णो एवं भवति—वित्तिं वत्थं जाइस्सामि

से अहेसणिज्जं वत्थं जाएज्जा, अहापरिग्गहिं वत्थं धारेज्जा -जाव-एतं खु वत्थधारिस्स सामगियं ।

अह पुण एवं जाणेज्जा उवातिक्कंमे खलु हेमंते गिम्हे पडिवन्ते, अहा परिजुणं वत्थं परिदुवेज्जा अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले,

लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वयाए सम्मत्तमेव सममिजाणिया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ६, सु. २२०-२२१

दोवत्थधारी भिक्षु—

१८५. जे भिक्षु दोहिं वत्थेहिं परिवुसिते तस्स णं णो एवं भवति—
“तत्तिं वत्थं जाइस्सामि” ।

से अहेसणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा, अहापरिग्गहिं वत्थाइं धारेज्जा-जाव-एतं खु वत्थधारिस्स सामगियं ।

अह पुण एवं जाणेज्जा “उवातिक्कंते खलु हेमंते, गिम्हे पडिवण्णे” अहापरिजुण्णाइं वत्थाइं परिदुवेज्जा, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले,

लाघवियं आगममाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्व-
साए सम्मत्तमेव सममिजाणिया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ५, सु. २१६-२१७

एक वस्त्रधारी भिक्षु—

१८४. जो भिक्षु एक वस्त्र और दूसरा पात्र रखने की प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुका है, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता है कि ‘मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँ’ ।

वह यथा एपणीय वस्त्र की याचना करे और यथा गृहीत वस्त्र को धारण करे—यावत्—उस एक वस्त्रधारी मुनि की यही सामग्री (धर्मोपकरण समूह) है ।

जब भिक्षु यह जाने कि अब हेमन्त ऋतु बीत गई है ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तब वह जो जीर्ण वस्त्र हो गये हैं उनका परित्याग करे । यदि जीर्ण न हुआ हो तो वह एक शाटक (आच्छादन पट) में रहे, यदि जीर्ण हो गया हो तो उसे परठकर वह अचेल (वस्त्र रहित) हो जाए ।

इस प्रकार वस्त्र परित्याग से लाघवता प्राप्त करते हुए उस मुनि को सहज ही तप प्राप्त हो जाता है ।

भगवान ने जिस प्रकार से इसका निरूपण किया है, उसे उसी रूप में गहराईपूर्वक जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना भली-भांति आचरण में लाए ।

दो वस्त्रधारी भिक्षु—

१८५. जो भिक्षु दो वस्त्र और तीसरे पात्र रखने की प्रतिज्ञा में स्थित है, उसके मन में यह विकल्प नहीं उठता कि ‘मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूँ’ ।

वह अपनी कल्पमर्यादानुसार एपणीय वस्त्रों की याचना करे और गृहीत वस्त्रों को धारण करे—यावत्—द्विवस्त्रधारी भिक्षु की यही सामग्री है ।

जब भिक्षु यह जाने कि हेमन्त ऋतु बीत गई है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तब वह जो वस्त्र जीर्ण हो गए हैं, उनका परित्याग करे । यदि जीर्ण न हुये हों तो दो वस्त्र में ही रहे, यदि एक वस्त्र जीर्ण हुआ हो तो उसका परित्याग करके एक शाटक (आच्छादन पट) में रहे, यदि दोनों जीर्ण हो जायँ तो उनका परित्याग करके अचेल हो जाए ।

इस प्रकार वस्त्र परित्याग से लाघवता प्राप्त हुए उस मुनि को सहज ही तप प्राप्त हो जाता है ।

भगवान ने जिस प्रकार से इसका प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में गहराईपूर्वक जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक् प्रकार से जाने व क्रियान्वित करे ।

तिवत्थधारी भिक्षू—

१८६. जे भिक्षू तिहि वत्थेहि परिवुसिते पायचउत्थेहि तस्स णं
णो एवं भवति, “चउत्थं वत्थं जाइस्सामि।”

से अहेसणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइं
वत्थाइं धारेज्जा-जाव-एतं खु वत्थधारिस्स सामगियं ।

अह पुण एवं जाणेज्जा “उवात्तिकंते खलु हेमंते गिभ्हे
पडिवण्णे” अहापरिजुण्णाइं वत्थाइं परिदुवेज्जा, अदुवा
संतरुत्तरे, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले,

लाघवियं आसेमाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेतं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वताए
सम्मत्तमेव समञ्जिणिया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ४, सु. २१३-२१४

तीन वस्त्रधारी भिक्षू—

१८६. जो भिक्षु तीन वस्त्र और चौथे पात्र रखने की मर्यादा में
स्थित है, उसका मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता कि ‘मैं चौथे
वस्त्र की याचना करूँ ।’

वह यथा—एपणीय वस्त्रों की याचना करे और यथापरि-
गृहीत वस्त्रों को धारण करे—यावत्—उस तीन वस्त्रधारी मुनि
की यही सामग्री है ।

जब भिक्षु यह जान ले कि ‘हेमन्त ऋतु वीत गई है, ग्रीष्म
ऋतु आ गई है ।’ तब वह जिन-जिन वस्त्रों को जीर्ण जाने उनका
परित्याग कर दे । यदि जीर्ण न हुए हों तो तीन वस्त्र में ही रहे,
यदि एक जीर्ण हो गया तो उसका परित्याग करके दो वस्त्र में
रहे, यदि दो जीर्ण हो गये हों तो उनका परित्याग करके एक
शाटक (एक ही वस्त्र) वाला होकर रहे । अथवा तीनों वस्त्र जीर्ण
हो जाने पर अचेलक हो जाए ।

इस प्रकार वस्त्र परित्याग से लाघवता प्राप्त करते हुए उस
मुनि के तप (उपकरण-ऊनोदरी और कायक्लेश) सहज हो
जाता है ।

भगवान ने जिस प्रकार से इसका प्रतिपादन किया है, उसे
उसी रूप में गहराईपूर्वक जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक्
प्रकार से जाने व कार्यान्वित करे ।



निर्ग्रन्थी की वस्त्र-धारण की विधि—२ [३]

णिगगंथीणं संघाडीपमाणं—

१८७. जा णिगगंथी सा चत्तारि संघाडीओ धारेज्जा—एणं दूहत्थ-
वित्थारं, दो तिहत्थवित्थाराओ, एणं चउहत्थवित्थारं ।’

तहप्पगारेहि वत्थेहि असंविज्जमाणेहि अह पच्छा एगमेणं
संसीवेज्जा । आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५५३ (ख)

णिगगंथीए संघाडी सिवावण पायच्छित्त सुत्तं—

१८८. जे भिक्षू णिगगंथीए संघाडि अण्णउत्थिएण वा, नारत्थिएण
वा सिव्वावेद, सिव्वावेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ७

निर्ग्रन्थियों के चादरों का प्रमाण—

१८७. जो साध्वी है, वह चार संघाटिका (चादर) धारण करे—
उसमें एक दो हाथ प्रमाण विस्तृत, दो तीन हाथ प्रमाण विस्तृत
और एक चार हाथ प्रमाण विस्तृत (लम्बी) होनी चाहिए ।

इस प्रकार के विस्तार युक्त वस्त्रों के न मिलने पर वह एक
वस्त्र को दूसरे वस्त्र के साथ सीं ले ।

निर्ग्रन्थी की साड़ी सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१८८. जो भिक्षु किसी निर्ग्रन्थी की संघाटी (साड़ी आदि) को
अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से सिलवाता है या सिलवाने वाले का
अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी वस्त्र धारण के विधि-निषेध—२ [४]

वत्थस्स गहण विहि-णिसेहो—

१८६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा—
सब्बं-जाव-संताणगं तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो
पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा—
अप्पडं-जाव-संताणगं, अणलं, अथिरं, अधुवं, अधारणिज्जं,
रोइज्जंतं ण रुच्चति, तहप्पगारं वत्थं अफासुयं-जाव-णो
पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा—
अप्पडं-जाव-संताणगं, अलं, थिरं, धुवं, धारेणिज्जं रुच्चति,
तहप्पगारं वत्थं फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—भा. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५६६-५७१

धारणिज्ज अधारणिज्ज वत्थस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

१९०. जे भिक्खू वत्थं अणलं, अथिरं, अधुवं, अधारणिज्जं धरेइ,
धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्थं अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं न धरेइ, न
धरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ३१-३२

जे भिक्खू-वत्थं वा, कंबलं वा, पायपुंछणं वा,
अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं पलिच्छिदिय पलिच्छिदिय परिट्ठ-
वेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ६५

आकुंचणपट्टगस्स गहण विहि-णिसेहो—

१९१. नो कप्पइ निगंथीणं आकुंचणपट्टगं धारित्तए वा, परि-
हरित्तए वा ।

कप्पइ निगंथाणं आकुंचणपट्टगं धारित्तए वा, परिहरित्तए
वा ।

—कप्प. उ. ५, सु. ३४-३५

वस्त्र ग्रहण के विधि-निषेध—

१८६. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से
—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है, तो उस प्रकार के वस्त्र
को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से
—यावत्—मकड़ी के जालों से तो रहित है, किन्तु अभीष्ट कार्य
करने में असमर्थ है, अस्थिर है (अर्थात् टिकाऊ नहीं है, जीर्ण है)
अध्रुव (थोड़े समय के लिए दिया जाने वाला) है, धारण करने
के योग्य नहीं है अपनी रुचि के अनुकूल नहीं है तो ऐसे वस्त्र
को अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से
—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है, अभीष्ट कार्य करने में
समर्थ है, स्थिर है, ध्रुव है, धारण करने के योग्य है, अपनी
रुचि के अनुकूल है तो ऐसे वस्त्र को प्रासुक समझकर—यावत्—
ग्रहण कर सकता है ।

धारणीय-अधारणीय वस्त्र के प्रायश्चित्त सूत्र—

१९०. जो भिक्षु अयोग्य, अस्थिर, अध्रुव एवं अधारणीय वस्त्र
को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु योग्य, स्थिर, ध्रुव एवं धारणीय वस्त्र को धारण
नहीं करता है, नहीं करवाता है और नहीं धारण करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

जो भिक्षु वस्त्र को, कम्बल को, पादप्रोच्छन को, जो कि
योग्य, स्थिर, ध्रुव और धारणीय हैं उनके टुकड़े-टुकड़े करके
परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

आकुंचनपट्टग के ग्रहण का विधि निषेध—

१९१. निर्ग्रन्थी साध्वियों को आकुंचन पट्टक (चार अंगुल विस्तार
वाला पर्यस्तिका वस्त्र) रखना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थ साधुओं को आकुंचन पट्टक रखना या धारण
करना कल्पता है ।

१ आकुंचणपट्टं-पर्यस्तिकापट्टं स च पर्यस्तिकापट्ट किदृशः इत्याह—

गाहा—फलो अचित्तो अह आविओ वा, चउरंगुलं वित्थडो असंधिमो अ । विस्सामहेउं तु सरीरगस्सा दोसा अवट्टं भगया ण एव ॥

—वहकल्प भाष्य, भा. ५, गा. ५६६८ पृ. १५७४

उगग्रहणतगाईणं गहण विहि-णिसेहो—

१६२. नो कप्पइ निग्गंथाणं—

उगग्रहणन्तगं वा, उगग्रहपट्टगं वा, धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ।

कप्पइ निग्गंथीणं—

उगग्रहणन्तगं वा, उगग्रहपट्टगं वा धारित्तए वा, परिहरित्तए वा । —कप्प. उ. ३, सु. ११-१२

कसिणाकसिणवत्याणं विहि-णिसेहो—

१६३. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—कसिणाइं वत्याइं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा अकसिणाइं वत्याइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । —कप्प. उ. ३, सु. ७-८

कसिण वत्थ धरणपायच्छित्तसुत्तं—

१६४. जे भिक्खू कसिणाइं वत्याइं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २३

भिन्नाभिन्न वत्याणं विहि-णिसेहो -

१६५. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा -अभिन्नाइं वत्याइं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ।

कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा भिन्नाइं वत्याइं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा । —कप्प. उ. ३, सु. ६-१०

अभिन्न वत्थधरण पायच्छित्त सुत्तं—

१६६. जे भिक्खू अभिन्नाइं वत्याइं धरेइ धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २४

अवग्रहानन्तकादि के ग्रहण का विधि-निषेध—

१६२. निग्रन्थीं को—

(१) अवग्रहानन्तक (चोलपट्टक के अन्दर गुप्तांग को आवृत करने का वस्त्र) और (२) अवग्रहपट्टक (अवग्रहानन्तक को आवृत करने का वस्त्र) रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निग्रन्थियों को—

(१) अवग्रहानन्तक—साड़ी के अन्दर (गुप्तांग को आवृत करने का वस्त्र) और (२) अवग्रहपट्टक (कटिप्रदेश से जानुपर्यन्त पहना जाने वाला कच्छा-जांधिया) रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है ।

कृत्स्नाकृत्स्न वस्त्रों का विधि-निषेध—

१६३. निग्रन्थीं और निग्रन्थियों को कृत्स्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निग्रन्थीं और निग्रन्थियों को अकृत्स्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना कल्पता है ।

कृत्स्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१६४. जो भिक्षु कृत्स्न वस्त्र धारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

भिन्नाभिन्न वस्त्रों का विधि-निषेध—

१६५. निग्रन्थीं और निग्रन्थियों को अभिन्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

निग्रन्थीं और निग्रन्थियों को भिन्न वस्त्रों का रखना या उपयोग करना कल्पता है ।

अभिन्न वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१६६. जो भिक्षु अभिन्न वस्त्र धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



वस्त्र प्रक्षालन का निषेध—३

वत्याणं गंधिकरण धोवण-णिसेहो—

१६७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा “णो णवए मे वत्ये” त्ति कट्ठु णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा, आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा “णो णवए मे वत्ये” त्ति कट्ठु णो बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा “दुब्बिगंधे मे वत्ये” त्ति कट्ठु णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा, आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा “दुब्बिगंधे मे वत्ये त्ति कट्ठु णो बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५७२-५७४

वत्य-गंधिकरणस्स धोवणस्स य पायच्छित्तसुत्ताई—

१६८. जे भिक्खू “नो नवए मे वत्ये लद्धे” त्ति कट्ठु बहुदेसिएण^१ लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा आघंसेज्ज वा पघंसेज्ज वा आघंसंतं वा पघंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए मे वत्ये लद्धे” त्ति कट्ठु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ३६-३७

जे भिक्खू “नो नवए मे वत्ये लद्धे” त्ति कट्ठु बहुदेसिएण^२ लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, आघंसेज्ज वा, पघंसेज्ज वा आघंसंतं वा, पघंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए मे वत्ये लद्धे” त्ति कट्ठु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पघोएंतं वा साइज्जइ ।

वस्त्र सुगन्धित करने का और धोने का निषेध—

१६७. “मेरा वस्त्र नया नहीं है” ऐसा सोच कर भिक्षु या भिक्षुणी उसे (पुराने वस्त्र को) अल्प या बहुत सुगन्धित द्रव्य समुदाय से—यावत्—पद्म राग से आर्घपित प्रर्घपित न करे ।

“मेरा वस्त्र नया नहीं है” इस अभिप्राय से भिक्षु या भिक्षुणी उस मलीन वस्त्र को अल्प या बहुत शीतल या उष्ण प्रासुक जल से एक बार या बार-बार प्रक्षालन न करे ।

“मेरा वस्त्र दुर्गन्धित है” इस अभिप्राय से भिक्षु या भिक्षुणी अल्प या बहुत सुगन्धित द्रव्य समुदाय से—यावत्—पद्म राग से आर्घपित-प्रर्घपित न करे ।

“मेरा वस्त्र दुर्गन्धित है” इस अभिप्राय से भिक्षु या भिक्षुणी उस मलीन वस्त्र को अल्प या बहुत शीतल या उष्ण प्रासुक जल से एक बार या बार-बार न धोए ।

वस्त्र को सुगन्धित करने और धोने के प्रायश्चित्त सूत्र—

१६८ जो भिक्षु “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है” ऐसा सोच करके लोध से—यावत्—वर्ण से एक बार या बार-बार धिसे, धिसवावे, धिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है” ऐसा सोच करके अचित्त शीतल जल से या अचित्त उष्ण जल से धोये, धुलावे, धोने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है” ऐसा सोच करके पुराने लोध से—यावत्—वर्ण से एक बार या बार-बार धिसे, धिसवावे, धिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला है” ऐसा सोच करके पुराने अचित्त शीतल जल से या अचित्त उष्ण जल से धोये, धुलावे, धोने वाले का अनुमोदन करे ।

१ ‘बहुदेसिएण’ का अर्थ है अल्प या बहुत लेप्य पदार्थ से कार्य करना ।

२ ‘बहुदेसिएण’ के अनेक अर्थ हैं यथा—बहुत दिन के लेप्य पदार्थ, बहुत दिन तक अपने पास रखे हुए पदार्थ, बहुत दिन तक एक वस्त्र के लेप्य पदार्थ लगाना या धोना इत्यादि ।

अथवा यह भी संभव है कि ‘बहुदेसिएण’ शब्द से ही लिपि दोष से ‘बहुदेवसिएण’ का पाठ बन गया हो तथा भिन्न-भिन्न प्रतियों में विभिन्नता हो जाने से दोनों पाठ वृद्धि होकर प्रचलित हो गये हैं । क्योंकि ‘बहुदेसिएण’ के सूत्र का अर्थ जितना स्पष्ट और संगतियुक्त है उतना ‘बहुदेवसिएण’ का नहीं है । लोद्वादि अनेक दिन के होने में कोई दोष नहीं होता है तथा अचित्त जल अनेक दिन का होना या रखना सम्भव नहीं है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ३६-४०

जे भिक्खू “दुट्ठिभगंधे मे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, आघसेज्ज वा, पधसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “दुट्ठिभगंधे मे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ४२-४३

जे भिक्खू “दुट्ठिभगंधे मे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, आघसेज्ज वा, पधसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “दुट्ठिभगंधे मे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ४५-४६

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है” ऐसा सोच करके लोध से—यावत् वर्ण से एक बार या बार-बार धिसे, धिसवावे, धिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है” ऐसा सोच करके अचिन शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से धोये, धुलावे, धोने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है” ऐसा सोच करके पुराने लोध से—यावत्—वर्ण से एक बार या बार-बार धिसे, धिसवावे, धिसने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्धी वस्त्र मिला है” ऐसा सोच करके पुराने अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से धोये, धुलावे, धोने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



१ (क) निर्जीय भाष्य में निम्न सूत्र अधिक प्राप्त होते हैं ।

जे भिक्खू “नो नवए मे मुट्ठिभगंधे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा आघसेज्ज वा, पधसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए मे मुट्ठिभगंधे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छो-लेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

—नि० उ० १८, सु० ४८-४९

जे भिक्खू “नो नवए मे मुट्ठिभगंधे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा आघसेज्ज वा, पधसेज्ज वा, आघंसंतं वा, पधंसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए मे मुट्ठिभगंधे वत्थे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा साइज्जइ ।

—नि० उ० १८, सु० ५१-५२

(ख) जे भिक्खू मुट्ठिभगंधे पडिगहं लद्धे - त्ति कट्टु दुट्ठिभगंधे करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दुट्ठिभगंधे पडिगहं लद्धे—त्ति कट्टु मुट्ठिभगंधे करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म० तथा स्व० पूज्य श्री घासीलालजी म० सम्पादित प्रतियों में ये दो सूत्र अधिक उपलब्ध हैं ।

वस्त्र-आतापन—४

वत्थआयावण विहित ठाणाइं—

१६६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं आयावेत्तए वा पयावेत्तए वा, तहप्पयारं वत्थं से त्तादाए एगंतमवक्कमेज्जा एगंतमवक्कमित्ता अहे झामथंडिल्लंसि वा-जाव-गोम-यरांसिसि वा अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिल्लंसि पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय पमज्जिय ततो संजयामेव वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५७६

वत्थ आयावण णिसिद्ध ठाणाइं—

२००. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा—वत्थं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्थं णो अण्णतरहिताए पुढवीए-जाव-मक्कडासंताणए, आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्थं थूणंसि वा, गिहेलुगंसि वा, उसुयारंसि वा, कामजलंसि वा, अण्णघरे वा तहप्पगारे अंतलिकखजाते^१ दुब्बद्धे दुग्णिकित्ते अणिकपे चलाचले णो आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्थं कुलियंसि वा, भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि वा, अण्णतरे वा तहप्पगारे अंतलिकखजाते दुब्बद्धे-जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं वत्थं खंधंसि वा-जाव-हम्मिय-तलंसि वा अण्णतरे वा तहप्पगारे अंतलिकखजाते दुब्बद्धे-जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. १, सु. ५७५-५७८

णिसिद्ध ठाणेषु वत्थ आतावण-पायच्छित्त सुत्ताइं—

२०१. जे भिक्खू अण्णतरहियाए पुढवीए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

१ 'अंतरिक्ष जातं'— जो स्थल भूमि से ऊँचा हो और उसके पास में ही एक या अनेक दिशा में खुला आकाश हो जिससे व्यक्ति या वस्तु के गिरने का भय बना रहता हो उसे 'अंतरिक्ष जात' आकाशीय स्थल कहा जाता है । ऐसे स्थलों पर साधु को बैठना, आदि स्थिति का वर्णन है । आचा० श्रु० २, अ० २, उ. १ में ऐसे स्थल पर रहने से गिर जाने

विहित स्थानों पर वस्त्र सुखाने का विधान—

१६६. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को धूप में सुखाना चाहे तो उस वस्त्र को लेकर एकान्त में जाये, वहाँ जाकर देखे कि जो भूमि अग्नि से दग्ध हो—यावत्—गोबर के ढेर वाली हो या अन्य ऐसी कोई स्थंडिल भूमि हो उसका भलीभाँति प्रतिलेखन एवं रजोहरणादि से प्रमार्जन करके तत्पश्चात् यतनापूर्वक उस वस्त्र को धूप में सुखाए ।

निषिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुखाने का निषेध—

२००. भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को धूप में सुखाना चाहे तो ऐसे वस्त्र को सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर—यावत्—मकड़ी के जाले हों ऐसे स्थान में न सुखाए ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को धूप में सुखाना चाहे तो वह वैसे वस्त्र को ठूँठ पर, दरवाजे की देहली पर, उखल पर, स्नान करने की चौकी पर, अन्य इस प्रकार के और भी अन्तरिक्ष-आकाशीय स्थान पर जो भलीभाँति बंधा हुआ नहीं है, ठीक तरह से भूमि पर गड़ा हुआ या रखा हुआ नहीं है, निश्चल नहीं है, चलाचल है, वहाँ वस्त्र को न सुखाए ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि वस्त्र को धूप में सुखाना चाहे तो वह वैसे वस्त्र को ईंटों से निर्मित दीवार पर, मिट्टी से निर्मित दीवार पर, शिला पर, शिला खंड-पत्थर पर, या अन्य किसी इस प्रकार के अन्तरिक्ष (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभाँति स्थिर नहीं है—यावत्—चलाचल है, (वहाँ वस्त्र को) न सुखाए ।

भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को धूप में सुखाना चाहे तो उस वस्त्र को स्तम्भ पर—यावत्—महल की छत पर अथवा इध प्रकार के अन्य अन्तरिक्ष स्थानों पर जो कि, दुर्बद्ध—यावत्—चलाचल हो, वहाँ वस्त्र को न सुखाए ।

निषिद्ध स्थानों पर वस्त्र सुखाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२०१. जो भिक्षु वस्त्र को सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षू ससिणिद्धाए पुढवीए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ससरक्खाए पुढवीए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू मट्टियाकडाए पुढवीए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चित्तमंताए पुढवीए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चित्तमंताए सिलाए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चित्तमंताए लेलूए वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोलावासंसि वा दारए जीवपइट्टिए, सअंडे, सपाणे, सवीए, सहुरिए, सओसे, सउदए, सउत्तिग—पणगदगमट्टिय-भक्कडा-संताणगंसि वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू थूणंसि वा, गिहेलुगंसि वा, उसुयालंसि वा, कामजात्तंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुच्चद्वे-जाव-चलाचले वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कुलियंसि वा, भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुच्चद्वे-जाव-चलाचले वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू खंधंसि वा, मंचंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मियतलंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुच्चद्वे-जाव-चलाचले वत्थं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावंतं वा, पयावंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ५३-६३

जो भिक्षु स्निग्ध पृथ्वी पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सचित्त रज वाली पृथ्वी पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सचित्त मिट्टी विखरी हुई पृथ्वी पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सचित्त शिला पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु सचित्त शिला खंड आदि पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु दीमक आदि जीवों से युक्त काष्ठ पर, तथा अंडे, प्राणी, बीज, हरी वनस्पति, ओस, उदक, उत्तिग (कीड़ी आदि के घर) लीलन-फूलन, गीली मिट्टी और मकड़ी के जालों युक्त स्थान पर वस्त्र को सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु ठूँठ, देहली, ऊखल या स्नान करने की चौकी तथा अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान जो शिथिल—यावत्—अस्थिर हो उन पर वस्त्र सुखावे, सुखवावे सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु ईंट की दीवाल, मिट्टी आदि की दीवाल, शिला, शिलाखंड आदि तथा अन्य भी इसी प्रकार के अन्तरिक्षजात (आकाशीय) स्थान जो शिथिल—यावत्—अस्थिर हो उन पर वस्त्र सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु स्कन्ध पर, मंच पर, माल पर, प्रासाद पर, महल (हवेली) के छत पर तथा अन्य भी इस प्रकार के अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान जो शिथिल—यावत्—अस्थिर हों उन पर वस्त्र सुखावे, सुखवावे, सुखाने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



वस्त्र-प्रत्यर्पण का विधि-निषेध-५

प्रातिहारिक वस्त्रग्रहणे माया णिसेहो—

२०२. से एगइओ मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं वत्थं जाइत्ता एगा-
हेण वा-जाव-पंचाहेण वा विप्पवसिय विप्पवसिय उवा-
गच्छेज्जा, तहप्पगारं—(ससंधियं) वत्थं—नो अप्पणा
णेहेज्जा, नो अन्नमन्नस्स देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो
वत्थेण वत्थ-परिणामं करेज्जा,

नो परं उवसंकमित्ता एवं वदेज्जा—“आउसंतो समणा !
अभिकंखसि एयं वत्थं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?”
थिरं वा णं संतं नो पलिंछिदिय पलिंछिदिय परिट्ठवेज्जा

तहप्पगारं वत्थं ससंधियं तस्स चेव निसिरेज्जा । नो य णं
सात्तिज्जेज्जा ।

वहु वयणेण वि भाणियच्चं ।

से एगइओ एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म—से हंता
अहमवि मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं वत्थं जाइत्ता । एगाहेण
वा-जाव-पंचाहेण वा विप्पवसिय विप्पवसिय उवागच्छि-
स्तामि, अविद्याइं एयं ममेव सिया ।

“माइट्ठाणं संफासे नो एवं करेज्जा ।”

आ. सु. २, अ. ५, उ. २, सु. ५८३

अवहरण भएण वत्थस्स विवण्णकरण णिसेहो—

२०३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा णो वण्णमंताइं वत्थाइं विवण्णाइं
करेज्जा, णो विवण्णाइं वत्थाइं वण्णमंताइं करेज्जा,

अण्णं वा वत्थं लभिस्सामि ‘त्ति कट्ठु नो अण्णमण्णस्स
देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो वत्थेण वत्थपरिणामं करेज्जा,
नो परं उवसंकमित्तु एवं वदेज्जा—“आउसंतो समणा !
अभिकंखसि एयं वत्थं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?

थिरं वा णं संतं णो पलिंछिदिय पलिंछिदिय परिट्ठवेज्जा,
जहा मेयं वत्थं पावणं परो मण्णइ ।

प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण करने में माया करने का निषेध—

२०२. कोई एक भिक्षु किसी अन्य भिक्षु से अल्पकाल के लिए
प्रातिहारिक वस्त्र की याचना करके एक दिन—यावत्—पांच
दिन कहीं अन्यत्र रह रहकर वस्त्र देने आवे तो वस्त्रदाता भिक्षु
उस लाये हुए वस्त्र को क्षतविक्षत जानकर न स्वयं ग्रहण करे,
न दूसरे को दे, न किसी को उधार दे, न उस वस्त्र को किसी
वस्त्र के बदले में दे ।

न किसी दूसरे भिक्षु को इस प्रकार कहे “हे आयुष्मन्
श्रमण ! इस वस्त्र को रखना या उपयोग में लेना चाहते हो ?”
(तथा) उस दृढ़ वस्त्र के टुकड़े-टुकड़े कर के परिष्ठापन भी नहीं
करे—फेंके भी नहीं ।

बीच में से सांधे हुए उस वस्त्र को उसी ले जाने वाले भिक्षु
को दे दे किन्तु वस्त्रदाता उसे अपने पास न रखे ।

इसी प्रकार अनेक भिक्षुओं के सम्बन्ध में भी आलापक
कहना चाहिए ।

कोई एक भिक्षु इस प्रकार का संवाद सुनकर समझकर
सोचे—“मैं भी अल्पकाल के लिए किसी से प्रातिहारिक वस्त्र
की याचना करके एक दिन—यावत्—पांच दिन कहीं अन्यत्र
रहकर आऊंगा ।” इस प्रकार से वह वस्त्र मेरा हो जायेगा ।

(सर्वज्ञ भगवान् ने कहा) यह मायावी आचरण है, अतः इस
प्रकार नहीं करना चाहिए ।

अपहरण के भय से वस्त्र के विवर्ण करने का निषेध—

२०३. साधु या साध्वी सुन्दर वर्ण वाले वस्त्रों को विवर्ण (असुन्दर)
न करे तथा विवर्ण (असुन्दर) वस्त्रों को सुन्दर वर्ण वाले न करे ।

“मैं दूसरा नया (सुन्दर) वस्त्र प्राप्त कर लूंगा” इस अभि-
प्राय से अपना पुराना वस्त्र किसी दूसरे साधु को न दे और न
किसी से उधार वस्त्र ले और न ही वस्त्र की परस्पर बदला-
वदली करे और न दूसरे साधु के पास जाकर ऐसा कहे कि—“हे
आयुष्मन् श्रमण ! क्या तुम मेरे वस्त्र को धारण करना या पहनना
चाहते हो ?”

इसके अतिरिक्त उस सुदृढ़ वस्त्र को टुकड़े-टुकड़े करके परठे
भी नहीं, इस भावना से कि मेरे इस वस्त्र को लोग अच्छा नहीं
समझते ।

परं च णं अदत्तहारी पडिपहे पेहाए तस्स वत्थस्स णिदाणाए
णो तेसि भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव
गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. २, सु. ५८४

आमोसगमएण उम्मग्ग गमण णिसेहो—

२०४. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
से विहं सिया, से उजं पुण विहं जाणेज्जा—इमंस्सि खलु
विहंस्सि बह्वे आमोसगा वत्थपडियाए संपडियागच्छेज्जा, णो
तेसि भीओ उम्मग्गेण गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव गामा-
णुगामं दूइज्जेज्जा । —आ. सु. २, अ. ५, उ. २, सु. ५८५

आमोसगावहारियवत्थस्स जायणा विहि-णिसेहो—

२०५. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा
से आमोसगा संपडियागच्छेज्जा, ते णं आमोसगा एवं
वदेज्जा ।

“आउसंतो समणा ! आहरेतं वत्थं देहि, णिक्खिवाहि”

तं णो देज्जा, णिक्खिवेज्जा,

णो वंदिय-वंदिय जाएज्जा, णो अंजलिं कट्ठु जाएज्जा, णो
कलुणपडियाए जाएज्जा, धम्मियाए जायणाए जाएज्जा,
तुत्तिणीयभावेण वा उवहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ५, उ. २, सु. ५८६

वत्थस्स विवण्णकरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

२०६. जे भिक्खू वण्णमंतं वत्थं विवण्णं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू विवण्णं वत्थं वण्णमंतं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ३३-३४

तथा मार्ग में चोरों को सामने आता देखकर उस वस्त्र की
रक्षा हेतु चोरों से भयभीत होकर साधु उन्मार्ग से न जाए
—यावत्—समाधि भाव में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानुग्राम
विचरण करे ।

चोरों के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेध—

२०४. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग
में अटवी वाला लम्बा मार्ग हो और वह यह जाने कि—इस
अटवीवहल मार्ग में बहुत-से चोर वस्त्र छीनने के लिए आते हैं,
तो साधु उनसे भयभीत होकर उन्मार्ग से न जाए—यावत्—समाधि
भाव में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

चोरों से अपहरित वस्त्र के याचना का विधि-निषेध—

२०५. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग
में चोर वस्त्रहरण करने के लिए आ जाएँ और कहें कि—

“आयुष्मन् थमण ! यह वस्त्र लालो हमारे हाथ में दे दो या
हमारे सामने रख दो ।”

इस प्रकार कहने पर साधु उन्हें वे वस्त्र न दे, अगर वे बल-
पूर्वक लेने लगे तो उन्हें भूमि पर रख दे ।

पुनः लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशंसा) करके हाथ जोड़कर
या शीन-वचन कहकर याचना न करे अर्थात् उन्हें इस प्रकार से
बापस देने का न कहे । यदि माँगना हो तो उन्हें धर्मवचन कहकर
समझाकर माँगे, अथवा मौन भाव धारण करके उपेक्षा भाव से
रहे ।

वस्त्र के विवर्ण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२०६. जो भिक्षु वर्ण वाले वस्त्र को विवर्ण करता है, विवर्ण कर-
वाता है अथवा विवर्ण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विवर्ण वस्त्र को वर्णवाला करता है, वर्णवान्
कराता है अथवा वर्णवान् करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



चर्म सम्बन्धी विधि-निषेध—६

सलोम चम्म विहि-णिसेहो—

२०७. नो कप्पइ निग्गथीणं सलोमाइं चम्माइं अहिट्टित्तए ।

सलोम चर्म के विधि-निषेध—

२०७. निर्ग्रन्थियों को शयनासनादि कार्यों के लिए रोम-सहित चर्म
को उपयोग में लेना नहीं कल्पता है ।

कप्पइ निग्गंथाणं सलोमाइं चम्माइं अहिट्टित्तए,

से वि य परिभुत्ते, नो चेव णं अपरिभुत्ते,

से वि य पाडिहारिए, नो चेव णं अपाडिहारिए,

से वि य एगराइए, नो चेव णं अणेगराइए ।

—कप्प. उ. ३, सु. ३-४

सलोम चम्म अहिट्टाणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

२०८. जे भिक्खू सलोमाइं चम्माइं अहिट्टेइ, अहिट्टेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ५

कसिणाकसिण चम्म विहि णिसेहो—

२०९. नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा कसिणाइं चम्माइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा ।

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अकसिणाइं चम्माइं धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा । —कप्प. उ. ३, सु. ५-६

अखण्ड चम्म धारण पायच्छित्त सुत्तं—

२१०. जे भिक्खू कसिणाइं चम्माइं धरेइ धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २२

किन्तु निर्ग्रन्थों को शयनासनादि कार्यों के लिए रोम-सहित चर्म को उपयोग में लेना कल्पता है ।

वह भी परिभुक्त (काम में लिया हुआ) हो, अपरिभुक्त (नया) न हो ।

प्रातिहारिक (लौटाया जाने वाला) हो, अप्रातिहारिक (न लौटाया जाने वाला) न हो ।

केवल एक रात्रि में उपयोग करने के लिए लाया जावे, पर अनेक रात्रियों में उपयोग करने के लिए न लाया जावे ।

सरोम चर्म के उपयोग का प्रायश्चित्त सूत्र—

२०८. जो भिक्षु रोम सहित चर्म को उपयोग में लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

कृत्स्नाकृत्स्न चर्म का विधि-निषेध—

२०९. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को अखण्ड चर्म पास में रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चर्म खण्ड पास में रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है ।

अखण्ड चर्म धारण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१०. जो भिक्षु कृत्स्न (अखण्ड) चर्म को धारण करता है, धारण करवाता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



चिलमिली की विधि—७

चिलमिली धारण-परिहरण विहाणं—

२११. कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, चेलचिलिमिलियं^१ धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ।

—कप्प. उ. १, सु. १९

चिलमिली सयंकरण-पायच्छित्त सुत्तं—

२१२. जे भिक्खू सोत्तियं वा, रज्जुयं वा, चिलमिलं सयमेव करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

चिलमिली रखने का तथा उपयोग करने का विधान—

२११. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को चेल-चिलिमिलिका रखना और उसका उपयोग करना कल्पता है ।

चिलमिलिका के स्वयं निर्माण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१२. जो भिक्षु सूत की अथवा रस्सी की चिलमिली का निर्माण स्वयं करता है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ चिलिमिलिका यह देशी शब्द है, यह छोलदारी के आकार वाली एक प्रकार की वस्त्र-कुटी (मच्छरदानी) है तथा बृहत्कल्प सूत्र उ. १ में द्वार पर लगाये गये पर्दे को भी चिलिमिलिका कहा गया है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १३

चिलमिली कारावण पायच्छित्त सुत्तं—

२१३. जे भिक्खू सोत्तियं वा, रज्जुयं वा, चिलमिलं अण्णउत्तियएण वा गारत्तियएण वा कारेइ, फारेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १४

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

चिलमिलिका के निर्माण कराने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१३. जो भिक्षु सूत की अथवा रस्ती की चिलमिली का निर्माण अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



वस्त्रैषणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त—८

अण्णउत्तिययाईणं वत्थाइदाणस्म पायच्छित्त सुत्तं—

२१४. जे भिक्खू अण्ण-उत्तिययस्स वा, गारत्तिययस्स वा वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंवलं वा, पायपुंछणं वा देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ८७

अजाणियवत्थ गहणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

२१५. जे भिक्खू जायणावत्थं वा, निमंतणावत्थं वा अजाणिय, अपुच्छिय, अगवेसिय पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

से य वत्थे चउण्हं अण्णयरे सिया, तं जहा—

(१) णिच्च-णियंसिए,

(२) मज्जणिए,

(३) छण्णूसविए,

(४) रायदुवारिए ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ६६

दुगुंछियकुलाओ वत्थाइ गहणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

२१६. जे भिक्खू दुगुंछियकुलेसु वत्थं वा, पडिग्गहं वा, कंवलं वा, पायपुंछणं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. २६

अन्यतीर्थिकादिक को वस्त्रादि देने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१४. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक को या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोँछन देता है, दिलाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अज्ञात वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१५. जो भिक्षु याचित वस्त्र तथा निमन्त्रित वस्त्र को जाने बिना, पूछे बिना, गवेपणा किए बिना लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

वह वस्त्र चार प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक प्रकार का होता है, यथा—

१. नित्य काम में आने वाला,

२. स्नान के बाद पहना जाने वाला,

३. उत्सव में जाने के समय पहनने योग्य,

४. राजसभा में जाते समय पहनने योग्य ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

घृणित कुल से वस्त्रादि ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२१६. जो भिक्षु घृणित कुलों में वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोँछन लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

उगघोस जायणाए पायच्छित्त सुत्ताइं—

२१७. जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा, गामंतरंसि वा, गामपहंतरंसि वा, वत्थं ओभासिय ओभासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा, परिसामज्जाओ उदुवेत्ता वत्थे ओभासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उगघाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ७१-७२

वत्थणीसाए वसणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२१८. जे भिक्खू वत्थणीसाए उदुबद्धं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वत्थणीसाए वासावासं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उगघाइयं ।

—नि. उ. १८, सु. ७३-७४

सचेल अचेलसह वसणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२१९. जे भिक्खू सचले सचेलयाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सचले अचेलयाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अचले सचेलयाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अचले अचेलयाणं मज्जे संवसइ, संवसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुगघाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ८७-९०

गिहिवत्थोवओगकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

२२०. जे भिक्खू गिहिवत्थं परिहेइ, परिहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुगघाइयं ।

—नि. उ. १२, सु. ११

दीहसुत्तकरणपायच्छित्त सुत्ताइं—

२२१. जे भिक्खू अप्पणो संघाडीए दीहसुत्ताइं^१ करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

मार्गादि में वस्त्र की याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२१७. जो भिक्षु स्वजन से, परिजन से, उपासक से, अनुपासक से, ग्राम में या ग्राम पथ में, वस्त्र माँग-माँग कर याचना करता है, याचना करवाता है या याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्वजन को, परिजन को, उपासक को, अनुपासक को परिपद् में से उठाकर (उससे) माँग-माँगकर वस्त्र की याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वस्त्र के लिए रहने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२१८. जो भिक्षु वस्त्र के लिए ऋतुवद्ध काल (सर्दी या गर्मी) में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र के लिए वर्षावास में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सचेल अचेल के साथ रहने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२१९. जो सचेल भिक्षु सचेलिकाओं के बीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो सचेल भिक्षु अचेलिकाओं के बीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो अचेल भिक्षु सचेलिकाओं के बीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो अचेल भिक्षु अचेलिकाओं के बीच में रहता है, रहवाता है या रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गृहस्थ के वस्त्र उपयोग करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२२०. जो भिक्षु गृहस्थ के वस्त्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

दीर्घसूत्र बनाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२२१. जो भिक्षु अपनी संघाटि (चादर) के लम्बी डोरियाँ बाँधता है, बाँधवाता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ चदर को दीर्घ सूत्र करने का तात्पर्य यह है कि—शरीर पर बाँधने में छोटी होती है तो उसके किनारों पर बाँधने के लिए डोरी लगाई जा सकती है । वह बन्धन सूत्र (डोरी) ऐसे प्रमाण में हो कि बाँधने के बाद ४ अंगुल से अधिक डोरी शेष न रहे ।

अगले सूत्र में अनेक प्रकार के कपास (रुई) को दीर्घ सूत्र करने का तात्पर्य है कि उन-उन कपासों (रुईयों) को तकली चर्खा आदि से कातना । अतः इस सूत्र से सूत आदि कातने, कताने आदि का प्रायश्चित्त कहा गया है ।]

जे भिक्षू सण-कप्पासाओ वा, उण्ण-कप्पासाओ वा, पोंड-कप्पासाओ वा, अमिलकप्पासाओ वा, दीहसुत्ताइं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. १३, २४

भिक्षुस्स संघाडी सिवावण पायच्छित्त सुत्तं—

२२२. जे भिक्षू अप्पणो संघाडि अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा सिच्चावेइ, सिच्चावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. १२

वत्यपरिकम्म पायच्छित्त सुत्ताइं—

२२३. जे भिक्षू वत्यस्स एगं पडियाणियं देइ, देत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यस्स परं तिण्हं पडियाणियाणं देइ, देत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अविहीए वत्यं सिच्चइ, सिच्चेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यस्स एगं फालिय-गंठियं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यस्स परं तिण्हं फालिय-गंठियाणं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यस्स एगं फालियं गण्ठेइ, गण्ठेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यस्स परं तिण्हं फालियाणं गण्ठेइ, गण्ठेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यं अविहीए गण्ठेइ, गण्ठेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्यं अतज्जाएणं गहेइ, गहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अइरेग-गहियं वत्यं परं दिवड्ढाओ मासाओ धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. ४७-४६

जो भिक्षु सन, ऊन, पोण्ड (रुई) या अमिल के कपास को कातकर सूत बनाता है, बनवाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

भिक्षु की चादर सिलवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२२२. जो भिक्षु अपनी संघाटि (ओढ़ने की चादर) को अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ से सिलवाता है या सिलवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वस्त्र परिकर्म के प्रायश्चित्त सूत्र—

२२३. जो भिक्षु वस्त्र के एक थगली देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र के तीन थगलियों से अधिक थगली देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अविधि से (वस्त्र को) सीता है, सिलवाता है या सीने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु फटे हुए वस्त्र के एक गाँठ देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु फटे हुए वस्त्र को तीन से अधिक गाँठ देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु एक सिलाई करके वस्त्रों को जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु तीन से अधिक सिलाई करके वस्त्रों को जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वस्त्र को अविधि से जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विजातीय वस्त्रों को जोड़ता है, जुड़वाता है या जोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु तीन से अधिक सिलाई आदि किये हुए वस्त्र को डेढ़ मास से अधिक धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी के पात्रैषणा की विधि—१

एसणिज्ज पायाइं—

२२४. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं एसित्तए,
से जं पुण पायं जाणेज्जा, तं जहा—
लाउयपायं वा, दारुपायं वा,
मट्टियापायं वा^१
तहप्पगारं पायं जे णिग्गंथे तरुणे जुगवं बलवं अप्पायंके
थिर-संधयणे से एगं पायं धारेज्जा नो विइयं ।
—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५८८

पडिग्गह-पडिलेहणाणंतरमेव पडिग्गह-गहण-विहाणं—

२२५. सिया से परो णेत्ता पडिग्गहं णिसिरेज्जा, से पुव्वामेव
आलोएज्जा—
“आउसो ! ति वा भइणी ! ति वा, तुमं चं व णं संतियं
पडिग्गहं, अंतोअंतेणं पडिलेहिस्सामि ।
केवली बूया—आयाणमेयं,
अंतो पडिग्गहंसि पाणाणि वा, बीयाणि वा, हरियाणि वा,
अह भिक्खूणं पुव्वोवदिट्ठा-जाव-एस उंवएसे, जं पुव्वामेव
पडिग्गहं अंतो अंतेण पडिलेहेज्जा ।
—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५९९

थेरट्टुगहिय गडिग्गहाईणं विही—

२२६. निग्गंथं च णं गाहावइकुलं पडिग्गहंपडियाए अणुपविट्ठे
समाणे केइ दोहि पडिग्गहेहि उवनिमंतेज्जा—
एगं आउसो ! अप्पणा पडिभुंजाहि, एगं थेराणं दलयाहि,
“से य तं पडिगाहेज्जा, थेरा य से अणुगवेसियव्वा सिया ।
जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव अणुप्पदायव्वे
सिया, नो चं व णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा, तं नो
अप्पणा परिभुंजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, एगंते अणावाए

एषणीय पात्र—

२२४. भिक्षु या भिक्षुणी यदि पात्र की एषणा करना चाहे तो वह पात्रों के सम्बन्ध में जाने, वे पात्र इस प्रकार हैं—
(१) तुम्ब्रे का पात्र (२) लकड़ी का पात्र और
(३) मिट्टी का पात्र
इन पात्रों में से जो निर्ग्रन्थ मुनि तरुण है, समय के उपद्रव (प्रभाव) से रहित है, बलवान् है, रोग-रहित और स्थिर संहनन (दृढ़ संहनन) वाला है, वह एक ही प्रकार के पात्र धारण करे, दूसरे प्रकार के पात्र धारण न करे ।

पात्र प्रतिलेखन के बाद पात्र ग्रहण करने का विधान—

२२५. यदि ग्रहनायक पात्र (को सुसंस्कृत आदि किये विना ही) लाकर साधु को देने लगे तो साधु लेने से पहले उससे कहे—
“आयुष्मन् गृहस्थ ! या वहन ! मैं तुम्हारे इस पात्र को अन्दर बाहर—चारों ओर से भली-भाँति प्रतिलेखन करूँगा ।”
क्योंकि प्रतिलेखन किए विना पात्र ग्रहण करना केवली भगवान् ने कर्मवन्ध का कारण बताया है ।
सम्भव है उस पात्र में जीव जन्तु हों, बीज हो या हरी वनस्पति आदि हो ।

अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थकर आदि आप्त पुरुषों ने पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश दिया है कि साधु को पात्र ग्रहण करने से पूर्व ही उस पात्र का अन्दर बाहर चारों ओर से प्रतिलेखन कर लेना चाहिए ।

स्थविर के निमित्त लाये गये पात्रादि की विधि—

२२६. गृहस्थ के घर में पात्र ग्रहण करने की बुद्धि से प्रविष्ट निर्ग्रन्थ को कोई गृहस्थ दो पात्र ग्रहण करने के लिए उपनिमंत्रण करे—

“आयुष्मन् ! श्रमण इन दो पात्रों में से एक पात्र आप स्वयं रखना और दूसरा पात्र स्थविर मुनियों को देना ।”

(इस पर) वह निर्ग्रन्थ श्रमण उन दोनों पात्रों को ग्रहण कर ले और (स्थान पर आकर) स्थविरों की गवेषणा करे । गवेषणा करने पर उन स्थविर मुनियों को जहाँ देखे, वहीं पर पात्र उन्हें दे दे । यदि गवेषणा करने पर भी स्थविर मुनि कहीं न दिखाई दे तो उस पात्र का स्वयं भी उपभोग न करे और न ही दूसरे किसी श्रमण को दे, किन्तु एकान्त, अनापात (जहाँ आवागमन

१ कप्पइ णिग्गंथाण वा, णिग्गंथीण वा तज्जो पायाइं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा, तं जहा—लाउयपाए वा, दारुपाए वा, मट्टिया-पाए वा ।

अचित्ते बहुफामुए शंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिट्टा-
वेयव्वे सिया ।

एवं जाव दसहिं पडिग्गहेहिं :

जहा पडिग्गह वत्तव्वया भणिया एवं गोच्छग-रयहरण-चोल-
पट्टग-कंबल-लट्ठी-मंथारग वत्तव्वया य भणियव्वत्ता जाव
दसहिं संथारएहि उन्नमिंतेज्जा जाव परिट्टावेयव्वे सिया ।

—वि. स. ८, उ. ६, सु. ५-६

अइरेग-पडिग्गह-वियरण पायच्छित्त सुत्ताइं —

२२७. जे भिक्खू अइरेगं पडिग्गहं गणिं उद्दिसिय गणिं समुद्दिसिय
तं गणिं अणापुच्छिय अणामंतिय अणमण्णस्स वियरइ,
वियरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अइरेगं पडिग्गहं खुट्टगस्स वा, खुट्टडियाए वा,
थेरगस्स वा, थेरियाए वा, अ-हत्यच्छिण्णस्स, अ-पायच्छि-
ण्णस्स, अ-णासच्छिण्णस्स, अ-कण्णच्छिण्णस्स, अणोट्टच्छि-
ण्णस्स, सक्कस्स देइ, देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अइरेगं पडिग्गहं खुट्टगस्स वा, खुट्टडियाए वा,
थेरगस्स वा, थेरियाए वा, हत्यच्छिण्णस्स, पायच्छिण्णस्स,
णासच्छिण्णस्स, कण्णच्छिण्णस्स, ओट्टच्छिण्णस्स, असक्कस्स
न देइ, न देतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४ सु. ५-७

न हो ऐसी) अचित्त या बहुफामुक स्थण्डिल भूमि का प्रतिलेखन
एवं प्रमार्जन करके वहाँ (उस पात्र को) परिष्ठापन करे ।
(परठ दे) ।

इसी प्रकार तीन चार यावत् दस पात्र तक का कथन
पूर्वोक्त कथन के समान कहना चाहिए ।

जिस तरह पात्र की वक्तव्यता कही उसी प्रकार गोच्छग,
रजोहरण, चोलपट्टक, कंबल, लाठी, संस्तारक का वर्णन भी
कह देना चाहिये यावत् गृहस्थ दस संस्तारक का निमन्त्रण करे
यावत् स्यविर के नहीं मिलने पर परठ देना चाहिए ।

अतिरिक्त पात्र वितरण के प्रायश्चित्त सूत्र—

२२७. जो भिक्षु गणि के निमित्त अधिक पात्र लेता है, गणि को
पूछे बिना या निमन्त्रण किये बिना एक दूसरे को देता है, दिल-
वाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु, बाल साधु साध्वी के लिए, अथवा वृद्ध साधु
साध्वी के लिए जिनके कि हाथ, पैर, नाक, कान, होंठ, कटे हुए
नहीं हैं जो अशक्त हैं, अतिरिक्त पात्र रखने की अनुज्ञा देता है,
दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु बाल साधु साध्वी के लिए अथवा वृद्ध साधु
साध्वी के लिए जिनके कि हाथ, पैर, नाक, होंठ कटे हुए हैं, जो
अशक्त हैं, अतिरिक्त पात्र रखने की अनुज्ञा नहीं देता है न दिल-
वाता है या न देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



निग्रन्थ-निग्रन्थिनी के पात्रेषणा का निषेध—२

उद्देसियाइं पाय-गहण णिसेहो—

२२८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा—
अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस पाणाइं-जाव-सत्ताइं
समारम्म समुद्दिस, कीयं, पामिच्चं, अच्छिज्जं, अणिसिट्टं,
अमिहं आहट्टु चेएइ ।

तं तहप्पगारं पायं पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा,
बहिया णीहडं वा, अणीहडं वा, अत्तट्टियं वा, अणत्तट्टियं वा,
परिमुत्तं वा, अपरिमुत्तं वा, आसेविद्यं वा, अणासेविद्यं वा
अफामुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिग्गा-
हेज्जा ।

औद्देशिकादि पात्र के ग्रहण का निषेध —

२२८. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि दाता
ने अपने लिए नहीं बनाया है किन्तु एक साधर्मिक साधु के लिये
प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है, खरीदा
है, उधार लिया है, छीनकर लाया है, दो स्वामियों में से एक
की आज्ञा के बिना लाया है अथवा अन्य स्थान से यहाँ लाया है ।

इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न
दिया हो, बाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो,
स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, उपभुक्त हो या अनुपभुक्त हो,
सेवित हो या अनासेवित हो उस पात्र को अत्रासुक एवं अनैपणीय
समझकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा—
अस्सि पडियाए वहवे साहम्मिया समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-
सत्ताइं समारम्भ समुद्दिस्स-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा—
अस्सि पडियाए एगं साहम्मिणि समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-
सत्ताइं समारम्भ समुद्दिस्स-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा—
अस्सि पडियाए वहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-
सत्ताइं समारम्भ समुद्दिस्स-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६०(क)

समणाइ पगणिय निम्मिय पायस्स णिसेहो—

२२९. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा—
वहवे समण-माहण-अतिहि-किविण वणीमए पगणिय-पगणिय
समुद्दिस्स-जाव-आहट्टु चेएइ ।

तं तहप्पगारं पायं पुरिसंतरकडं वा अपुरिसंतरकडं वा-जाव-
णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६०(ख)

अद्ध जोयणमेराए परं पायपडियाए गमण णिसेहो—

२३०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा परं अद्धजोयणमेराए पायपडि-
याए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५८६

पायपडियाए अद्धजोयणमेरा लंघणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२३१. जे भिक्खू परं अद्धजोयणमेराओ पायपडियाए गच्छइ, गच्छंतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू परं अद्धजोयणमेराओ सपच्चवारयंसि पायं अभिहंडं
आहट्टु दिज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ७-८

महद्धणमोल्लाणं पडिगहाणं गहण-णिसेहो—

२३२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जाइं पुण पायाइं जाणेज्जा
विरुव्ववाइं महद्धणमोल्लाइं, तं जहा—

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि दाता
ने अपने लिए नहीं बनाया है किन्तु अनेक सार्धमिक साधुओं के
लिये प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है
—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि दाता
ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु एक सार्धमिणी साध्वी के
लिये प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है
—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि दाता
ने अपने लिये नहीं बनाया है किन्तु अनेक सार्धमिक साध्वियों के
लिये प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके बनाया है
—यावत्—ग्रहण न करे ।

श्रमणादि की गणना करके बनाया गया पात्र लेने का
निषेध—

२२९. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि
अनेक श्रमण-ब्राह्मण अतिथि-कृपण-भिक्षारियों को गिन-गिन कर
उनके उद्देश्य से बनाया है—यावत्—अन्य स्थान से यहाँ
लाया है ।

इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया हुआ हो या न
दिया हुआ हो—यावत्—ग्रहण न करे ।

आधे योजन की मर्यादा से आगे पात्र के लिए जाने का
निषेध—

२३०. भिक्षु या भिक्षुणी अर्धयोजन के उपरान्त पात्र लेने के
लिए जाने का विचार भी न करे ।

पात्र हेतु अर्ध योजन की मर्यादा भंग करने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

२३१. जो भिक्षु आधे योजन से आगे पात्र के लिए जाता है,
भेजता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विकट परिस्थिति में भी आधे योजन से अधिक
दूर से पात्र को सामने लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है
या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

बहुमूल्य वाले पात्र ग्रहण करने का निषेध—

२३२. गृहस्थ के घर में पात्र के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी
यह जाने कि नाना प्रकार के महामूल्यवान पात्र हैं, जैसे कि—

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (१) अयपायाणि वा, | (२) तडपायाणि वा, |
| (३) तंवपायाणि वा, | (४) सीसगपायाणि वा, |
| (५) हिरण्यपायाणि वा, | (६) सुवर्णपायाणि वा, |
| (७) रौरियपायाणि वा, | |
| (८) हारपुडपायाणि वा, | |
| (९) मणिपायाणि वा, | (१०) कायपायाणि वा, |
| (११) कंसपायाणि वा, | (१२) संखपायाणि वा, |
| (१३) सिंगपायाणि वा, | (१४) दंतपायाणि वा, |
| (१५) चेलपायाणि वा, | (१६) सेलपायाणि वा, |
| (१७) चम्मपायाणि वा, | |

अण्यराइं वा तहृप्पगाराइं विरुवरुवाइं महृद्धणमोल्लाइं पायाइं अफामुयाइं-जाव-नो पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जाइं पुण पायाइं जाणेज्जा विरुवरुवाइं महृद्धणवंधणाइं तं जहा—अयबंधणाणि वा -जाव-चम्मबंधणाणि वा अण्यराइं वा तहृप्पगाराइं विरुवरुवाइं महृद्धणबंधणाइं पायाइं अफामुयाइं-जाव-नो पडिगाहेज्जा । —आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६२-५६३

निषिद्ध पाय पायच्छित्त सुत्ताइं—

२३३. जे भिक्खू—

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (१) अय-पायाणि वा, | (२) तडय-पायाणि वा, |
| (३) तंव-पायाणि वा, | (४) सीसग-पायाणि वा, |
| (५) हिरण्य-पायाणि वा, | (६) सुवर्ण-पायाणि वा, |
| (७) रौरिय-पायाणि वा, | |
| (८) हारपुड-पायाणि वा, | |
| (९) मणि-पायाणि वा, | (१०) काय-पायाणि वा, |
| (११) कंस-पायाणि वा, | (१२) संख-पायाणि वा, |
| (१३) सिंग-पायाणि वा, | (१४) दंत-पायाणि वा, |
| (१५) चेल-पायाणि वा, | (१६) सेल-पायाणि वा, |
| (१७) चम्म-पायाणि वा, ^१ | |

अण्यराणि वा तहृप्पगाराणि पायाणि करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अय-पायाणि वा-जाव-अण्यराणि वा तहृप्पगाराणि पायाणि वा धरेइ, धरेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अय-बंधणाणि वा-जाव-बंधणाणि वा करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

- | | |
|---|----------------------|
| (१) लोहे के पात्र, | (२) रांगे के पात्र, |
| (३) तांबे के पात्र, | (४) सीसे के पात्र, |
| (५) चांदी के पात्र, | (६) मोने के पात्र, |
| (७) पीतल के पात्र, | |
| (८) हारपुट अर्थात् मणी रत्न जटित लोहादि के पात्र, | |
| (९) मणि के पात्र, | (१०) कांच के पात्र, |
| (११) कांसे के पात्र, | (१२) शंख के पात्र, |
| (१३) सींग के पात्र, | (१४) दांत के पात्र, |
| (१५) वस्त्र के पात्र, | (१६) पत्थर के पात्र, |
| (१७) चमड़े के पात्र, | |

अथवा दूसरे भी इसी तरह के नाना प्रकार के महामूल्यवान् पात्रों को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में पात्र के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी उन पात्रों को जाने जो नाना प्रकार के महामूल्यवान् बन्धन वाले हैं, जैसे कि—लोहे के बन्धन वाले—यावत्—चर्म के बन्धन वाले अथवा अन्य भी इसी तरह के नाना प्रकार के महामूल्यवान् बन्धन वाले पात्रों को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

निषिद्ध पात्र के प्रायश्चित्त सूत्र—

२३३. जो भिक्षु—

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| (१) लोहा के पात्र, | (२) रांगा के पात्र, |
| (३) तांबा के पात्र, | (४) सीसा के पात्र, |
| (५) चांदी के पात्र, | (६) सोना के पात्र, |
| (७) पीतल के पात्र, | |
| (८) मणी रत्न जटित लोहादि के पात्र, | |
| (९) मणि के पात्र, | (१०) कांच के पात्र, |
| (११) कांसा के पात्र, | (१२) शंख के पात्र, |
| (१३) सिंग के पात्र, | (१४) दांत के पात्र, |
| (१५) वस्त्र के पात्र | (१६) पत्थर के पात्र, |
| (१७) चर्म के पात्र तथा | |

अन्य भी इस प्रकार के पात्र करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु लोहे के पात्र—यावत्—अन्य भी इस प्रकार के पात्र रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र को लोहे के बन्धन—यावत्—अन्य भी इस प्रकार के बन्धन लगाता है, लगवाता है या लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ अंक पायाणि और वडर पायाणि दो पात्रवाचक शब्द निशीथ सूत्र की अनेक प्रतियों में अधिक मिलते हैं ।

जे भिक्खू अय-बंधणाणि वा-जाव-बंधणाणि वा धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।^१

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. १-२-४-५

संगार वयणेण पडिग्गह गहण णिसेहो—

२३४. से णं एताए एसणाए एसमाणं पासित्ता परो वदेज्जा—

“आउसंतो समणा ! एज्जाहि तुमं मासेण वा, दसरतेण वा, पंचरातेण वा, सुते वा, सुततरे वा, तो ते वयं आउसो ! अण्णतरं पायं दासामो ।”

एनप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति एतप्पगारे संगार वयणे पडिसुणेत्तए, अभिकंखसि मे दाउं इयाणिमेव दलयाहि ।”

से णेवं वदंतं परो वदेज्जा—

“आउसंतो समणा ! अणुगच्छाहि तो ते वयं अण्णतरं पायं दासामो ।”

से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति एयप्पगारे संगारवयणे पडिसुणेत्तए अभिकंखसि मे दाउं इयाणिमेव दलयाहि ।”

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६६ (क-ख)

अफामुय पडिग्गह गहण णिसेहो—

२३५. से सेवं वदंतं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति वा, आहरेतं पायं समणस्स दासामो अवियाइं वयं पच्छा वि अप्पणो सयट्ठाए पाणाइं -जाव-सत्ताइं समारम्भ-जाव-चेत्तेस्सामो ।”

एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म तहप्पगारं पायं अफामुयं -जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६६ (ग)

परिकम्मकय पडिग्गह गहण-णिसेहो—

२३६. से णं परो णेत्ता वएज्जा—

१ तीसरा और छठा सूत्र “परिभुंजइ” के हैं अतः ये दो सूत्र अधिक होने पर छह सूत्र हो जाते हैं ।

जो भिक्षु लोहे के बन्धन—यावत्—अन्य भी इस प्रकार के बन्धन वाले पात्र रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

संकेत वचन से पात्र ग्रहण का निषेध—

२३४. पात्र एपणाओं से पात्र की गवेपणा करने वाले साधु को कोई गृहस्थ कहे कि—

“आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस समय जाओ एक मास या दस या पाँच रात के बाद अथवा कल या परसों आना, तब हम तुम्हें कोई पात्र देंगे ।”

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर साधु उसे पहले ही कह दे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा वहन ! मुझे इस प्रकार का संकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है । अगर मुझे पात्र देना चाहते हो तो अभी दे दो ।”

साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ यों कहे कि—

‘आयुष्मन् श्रमण ! अभी तुम जाओ । थोड़ी देर बाद आना, हम तुम्हें कोई पात्र दे देंगे ।’

ऐसा कहने पर साधु उसे पहले ही कह दे,

“आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा वहन ! मुझे इस प्रकार से संकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता है । अगर मुझे देना चाहते हो तो अभी दे दो ।”

अप्रासुक पात्र-ग्रहण करने के निषेध—

२३५. साधु के इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्थ घर के किसी सदस्य (वहन आदि को बुलाकर) यों कहे कि—

“आयुष्मन् भाई या वहन ! वह पात्र लाओ, हम उसे श्रमण को देंगे । हम तो अपने निजी प्रयोजन के लिए बाद में भी प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके और उद्देश्य करके—यावत्—अन्य पात्र बनवा लेंगे ।

इस प्रकार का कथन सुनकर समझकर उस प्रकार के पात्र को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

परिकर्मकृत पात्र-ग्रहण का निषेध—

२३६. कदाचित् कोई गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कहे—

“आउसो ! ति वा, भइणि ! ति वा, आहरेयं पायं तेल्लेण वा, धएण वा, णवणीएण वा, वसाए वा अब्भंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा समणस्स णं दासामो ।”

एयप्पगारं निग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणि ! ति वा, मा एयं तुमं पायं तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा, अब्भंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा, अन्निकंखसि मे दाउं एमेव दलयाहि ।”

से सेयं वयंतस्स परो तेल्लेण वा-जाव-वसाए वा, अब्भंगेत्ता वा, मक्खेत्ता वा दलएज्जा तहप्पगारं पायं-अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

सिया णं परो गेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, आहर एयं पायं सिणा-णेण वा-जाव-पउमेण वा आर्घसित्ता वा पधंसित्ता वा सम-णस्स णं दासामो ।”

एतप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलो-एज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एतं तुमं पायं सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा आर्घसाहि वा पधंसाहि वा, अन्निकंखसि मे दातुं एमेव दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा, आर्घ-सित्ता वा, पधंसित्ता वा दलएज्जा तहप्पगारं पायं अफासुर्यं -जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६७ (क)

समणुद्देसिय-पक्खालिय-पडिग्गहस्स गहण णिसेहो —

२३७. से णं परो गेत्ता वदेज्जा—“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, आहर एयं पायं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेत्ता वा, पधोवेत्ता वा सम-णस्स णं दासामो”

एयप्पगारं निग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलो-एज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एयं तुमं पायं सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेहि वा, पधोवेहि वा । अन्निकंखसि मे दातुं एमेव दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगविय-डेण वा, उच्छोलेत्ता वा, पधोवेत्ता वा दलएज्जा । तहप्पगारं पायं अफासुर्यं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६७ (ख)

“आयुप्पन् भाई ! या वहन ! वह पात्र लाओ, हम उस पर तेल, घी, नवनीत या वसा अल्प या अधिक चुपड़कर साधु को देंगे ।”

इस प्रकार का कथन सुनकर एवं उस पर विचार करके वह साधु पहले से ही कह दे—

“आयुप्पन् गृहस्थ ! या आयुप्पति वहन ! तुम इस पात्र को तेल से—यावत्—चर्वी से अल्प या अधिक न चुपड़ो यदि मुझे पात्र देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो ।” साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्थ तेल से—यावत्—चर्वी से अल्प या अधिक चुपड़कर पात्र देने लगे तो उस प्रकार के पात्र को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

कदाचित् गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि “आयुप्पन् भाई अथवा वहन ! वह पात्र लाओ, हम उसे स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से—यावत्—पद्मादि सुगन्धित पदार्थ से एक बार या बार-बार घिसकर श्रमण को देंगे ।”

इस प्रकार का कथन सुनकर एवं समझकर वह साधु पहले से ही कह दे—

“आयुप्पन् ! गृहस्थ या वहन ! तुम इस पात्र को स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय) से—यावत्—पद्मादि सुगन्धित द्रव्यों से आघर्षण या प्रघर्षण मत करो । यदि मुझे वह पात्र देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो ।”

साधु के इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्थ स्नान (सुगन्धित द्रव्य समुदाय से)—यावत्—पद्मादि सुगन्धित द्रव्यों से एक बार या बार-बार घिसकर पात्र देने लगे तो उस प्रकार के पात्र को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

श्रमण के निमित्त प्रक्षालित पात्र के ग्रहण का निषेध—

२३७. कदाचित् गृहपति घर के किसी सदस्य से कहे कि “आयु-प्पन् भाई या वहन ! उस पात्र को लाओ, हम उसे प्रासुक शीतल जल से या प्रासुक उष्ण जल से एक बार या बार-बार धोकर श्रमण को देंगे ।”

इस प्रकार की बात सुनकर एवं समझकर वह पहले ही दाता से कह दे—

“आयुप्पन् गृहस्थ ! या वहन ! इस पात्र को तुम प्रासुक शीतल जल से या प्रासुक उष्ण जल से एक बार या बार-बार मत धोओ । यदि मुझे इसे देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो ।”

इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ उस पात्र को ठंडे पानी से या गरम पानी से एक बार या बार-बार धोकर साधु को देने लगे तो उसे अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

कंदाइ-विसोहिय-पडिगहस्स ग्रहण णिसेहो—

२३८. से णं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसो ! ति, वा भइणी ! ति, वा, आहर एवं पायं कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसोहेत्ता समणस्स णं दासामो”

एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा,
“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, मा एताणि तुमं कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा विसोहेहि, णो खलु मे कप्पति एयप्पगारे पाये पडिगाहित्तए ।

से सेवं वदंतस्स परो कंदाणि वा जाव-हरियाणि वा विसो-
हेत्ता दलएज्जा । तहप्पगारं पायं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-
हेज्जा । —आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६७ (ग)

उट्टेसिय पाण-भोयण सहिय पडिगह ग्रहण णिसेहो—

२३९. से णं परो णेत्ता वदेज्जा—

“आउसंतो सभणा ! मुहुत्तगं मुहुत्तगं अच्छाहि-जात्र-ताव अम्हे असणं वा-जाव-साइमं वा उवकरेसु वा, उवक्खड्डेसु वा, तो ते वयं आउसो ! समाणं समोयणं पडिगहं दासामो, तुच्छए पडिगहे दिण्णे समणस्स णो सुट्ठु, णो साहु भवति ।”

से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति आधाकम्मिए असणे वा-जाव-साइमे वा भोत्तए वा, पायए वा, मा उवकरेहि, मा उवक्खडेहि, अभिकंखसि मे दाउं प्रमेव दलयाहि ।”

से सेवं वदंतस्स परो असणं वा-जाव-साइमं वा, उवकरेत्ता,
उवक्खडेत्ता सभाणं समोयणं पडिगहं दलएज्जा, तहप्पगारं
पडिगहं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ५६८

कन्दादि निकालकर दिये जाने वाले पात्र के ग्रहण का निषेध—

२३८. यदि वह गृहस्थ अपने घर के किसी व्यक्ति से यों कहे कि—

“आयुष्मन् ! भाई या बहन ! उस पात्र को लाओ, हम उसमें से कन्द—यावत्—हरी वनस्पति (निकालकर) विशुद्ध करके साधु को देंगे ।”

इस प्रकार सुनकर समझकर वह पहले ही दाता से कह दे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! या बहन ! इस पात्र में से कन्द—यावत्—हरी वनस्पति (निकालकर) विशुद्ध मत करो मेरे लिए इस प्रकार का पात्र ग्रहण करना कल्पनीय नहीं है ।

साधु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह कन्द—यावत्—हरी वनस्पति को (निकालकर) विशुद्ध करके देने लगे तो उस प्रकार के पात्र को अप्राप्त्युक्त जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

औद्देशिक पान-भोजन सहित पात्र ग्रहण का निषेध—

२३९. (कदाचित्) कोई गृहनायक साधु से इस प्रकार कहे—

‘आयुष्मन् श्रमण ! आप मुहुर्तपर्यन्त (कुछ समय) ठहरिए । जब तक हम अशन—यावत्—स्वादिम आहार जुटा लें या तैयार कर लें, तब हम आप को पानी और भोजन से भरकर पात्र देंगे क्योंकि साधु को खाली पात्र देना अच्छा और उचित नहीं होता ।

इस पर साधु पहले ही उस गृहस्थ से कह दे—

“आयुष्मन् गृहस्थ ! या बहन ! मेरे लिए आधाकर्मी अशन—यावत्—स्वादिम खाना या पीना कल्पनीय नहीं है । अतः तुम आहार की सामग्री मत जुटाओ, आहार तैयार न करो । यदि मुझे पात्र देना चाहते हो तो ऐसा (खाली) ही दे दो ।”

साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि कोई गृहस्थ अशन—यावत्—स्वादिम आहार की सामग्री जुटाकर अथवा तैयार करके पानी और भोजन भरकर साधु को वह पात्र देने लगे, तो उस प्रकार के पात्र को अप्राप्त्युक्त समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।



निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी पात्रैषणा के विधि-निषेध—३

समणाइ उद्देशिय गिम्मिय पायस्स विहि-णिसेहो—

२४०. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से ज्जं 'पुण पायं' जाणेज्जा—
बहवे समण-माहण-अतिहि-किविण-वणीमए समुद्दिस्स-जाव-
आहट्टु चेएइ ।

तं तहप्पगारं पायं अपुरिसंतरकडं, अवहिया णोहडं, अणतट्टियं,
अपरिभुत्तं अणासेवियं अफासुयं-जाव-णो पडिगाहेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडं बहिया णोहडं, अत्तट्टियं,
परिभुत्तं आसेवियं फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. नु. २. अ. ६, उ. १, सु. ५६१ (क)

कीयाई दोस जुत्त पाय-गहण विहि णिसेहो—

२४१. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा—
असंजए भिक्खू पडियाए कीयं वा, घोयं वा, रत्तं वा, घट्टं
वा, मट्टं वा, समट्टं वा, संपघ्णवियं वा—तहप्पगारं पायं
अपुरिसंतरकडं-जाव-अणासेवियं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-
हेज्जा ।

अह पुण एवं जाणेज्जा—पुरिसंतरकडं-जाव-आसेवियं फासुयं
-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २. अ. ६, उ. १, सु. ५६१ (ख)

कीयाइ-दोससहिय-पाय-गहणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२४२. जे भिक्खू पडिगहं किणोइ, किणावेइ, कीयमाहट्टु दिज्ज-
माणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पडिगहं पामिच्चेइ, पामिच्चावेइ, पामिच्चमा-
हट्टु दिज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पडिगहं परियट्टेइ, परियट्टावेइ, परियट्टियमा-
हट्टु दिज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पडिगहं अच्छेज्जं अणिसिद्धं अभिहडमाहट्टु
दिज्जमाणं पडिगाहेइ, पडिगाहेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. १-४

श्रमणादि के उद्देश्य से निर्मित पात्र लेने के विधि-
निषेध—

२४०. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में यह जाने कि अनेक
श्रमण ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-भिक्षारियों के उद्देश्य से बनाया है
—यावत्—अन्य स्थान से यहाँ लाया है ।

इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया हुआ नहीं हो,
बाहर निकाला नहीं हो, स्वीकृत न किया हो, उपभुक्त न हो,
आसेवित न हो, उसको अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण
न करें ।

यदि यह जाने कि इस प्रकार का पात्र अन्य पुरुष को दिया
हुआ है, बाहर निकाला है, दाता द्वारा स्वीकृत है, उपभुक्त है,
आसेवित है, उसको प्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण करें ।
क्रीतादि दोष युक्त पात्र ग्रहण का विधि निषेध—

२४१. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के विषय में यह जाने कि गृहस्थ
ने साधु के निमित्त से उसे खरीदा है, धोया है, रंगा है, घिसकर
साफ किया है, चिकना या मुलायम बनाया है, संस्कारित किया
है, धूप इत्यादि से सुवासित किया है ऐसा वह पात्र पुरुषांतर्कृत
नहीं है—यावत्—किसी के द्वारा आसेवित नहीं हुआ है, ऐसे
पात्र को अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण नहीं करें ।

यदि (साधु या साध्वी) यह जान जाये कि यह पात्र पुरुषां-
तरकृत है—यावत्—आसेवित है तो प्रासुक समझकर—यावत्—
ग्रहण कर सकता है ।

क्रीतादि दोष युक्त पात्र ग्रहण के प्रायश्चित्त सूत्र—

२४२. जो भिक्षु पात्र खरीदता है, खरीदवाता है, खरीदा हुआ
लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र उधार लेता है, उधार लिवाता है या उधार
लाकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु पात्र को अन्य पात्र से बदलता है, बदलवाता है,
बदला हुआ लाकर देवे उसे लेता है, लिवाता है या लेने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु छीना हुआ, दो स्वामियों में से एक की इच्छा
बिना दिया हुआ, या सामने लाकर दिया हुआ पात्र लेता है,
लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पडिगहस्स गहण विहि-णिसेहो—

२४३. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा समंढं
-जाव-संताणगं तहप्पगारं पायं अफासुयं-जाव-णो पडिगा-
हेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा अप्पंढं
-जाव-संताणगं अणलं, अथिरं, अधुवं, अधारणिज्जं,
रोइज्जंतं ण रुच्चति, तहप्पगारं पायं अफासुयं-जाव-णो
पडिगाहेज्जा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण पायं जाणेज्जा अप्पंढं
-जाव-संताणगं, अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं, रोइज्जंतं
रुच्चति, तहप्पगारं पायं फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६०० (क)

धारणिज्ज-अधारणिज्ज-पडिगहस्स पायच्छित्तसुत्ताइं—

२४४. जे भिक्खू पडिगहं अणलं, अथिरं, अधुवं, अधारणिज्जं,
धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पडिगहं अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं न धरेइ न
धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. ८-९

जे भिक्खू लाउय-पायं वा दाऊ पायं वा मट्टिया-पायं वा,
अलं, थिरं, धुवं, धारणिज्जं परिमिदिय परिमिदिय परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ६४

अइरेग पडिगहदाणस्स विहि-णिसेहो—

२४५. कप्पइ निगंथाण वा, निगंथीण वा अइरेगपडिगहं अन्न-
मन्नस्स अट्टाए दूरमवि अट्टाणं परिवहित्तए,

“सो वा णं धारेस्सइ,
अहं वा णं धारेस्सामि,
अन्ने वा णं धारेस्सइ,”

पात्र के ग्रहण का विधि-निषेध—

२४३. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से
—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है, तो उस प्रकार के पात्र
को अप्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में जाने कि अण्डों से
—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है, किन्तु उपयोग में आने
योग्य नहीं है, अस्थिर है (टिकाऊ नहीं है, जीर्ण है) अध्रुव
(थोड़े समय के लिए दिया जाने वाला) है, धारण करने के योग्य
नहीं है, अपनी रुचि के अनुकूल नहीं है तो उस प्रकार के पात्र
को अप्रासुक समझकर—यावत्—ग्रहण न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र के सम्बन्ध में जाने कि यह पात्र
अण्डों से—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है. उपयोग में
आने योग्य है, स्थिर है, या ध्रुव है, धारण करने योग्य है,
अपनी रुचि के अनुकूल है तो उस प्रकार के पात्र को प्रासुक
समझकर—यावत्—ग्रहण करे ।

धारण करने योग्य और न धारण करने योग्य पात्र के
प्रायश्चित्त सूत्र—

२४४. जो भिक्षु काम के अयोग्य, अस्थिर, अध्रुव, धारण करने
के अयोग्य ऐसे पात्र को धारण करता है, धारण करवाता है,
धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु काम के योग्य, स्थिर, ध्रुव, धारण करने योग्य
पात्र को धारण नहीं करता है, नहीं करवाता है, नहीं करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

जो भिक्षु तुम्बे के पात्र को, काष्ठ के पात्र को, मिट्टी के
पात्र को पर्याप्त (काम में आने योग्य), दृढ़ (टिकाऊ), ध्रुव एवं
धारण करने योग्य होते हुए भी तोड़ फोड़ कर परठता है, परठ-
वाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अतिरिक्त पात्र देने का विधि निषेध—

२४५. निग्रन्थ-निग्रन्थियों को एक दूसरे के लिए अधिक पात्र
बहुत दूर ले जाना कल्पता है ।

(अधिक पात्र लेते समय तीन विकल्प होते हैं)

वह धारण कर लेगा,

मैं रख लूंगा,

(अथवा) अन्य को आवश्यकता होगी तो उसे दे दूंगा ।

नो से कप्पइ ते अणापुच्छिय, अणामंतिय अन्नमन्नेसि दाउं
वा अणुप्पदाउं वा ।

जिनके निमित्त पात्र लिया है उन्हें लेने के लिए पूछे बिना
निमन्त्रण किये बिना दूसरे को देना या निमन्त्रण करना नहीं
कल्पता है ।

कप्पइ से ते आपुच्छिय आमंतिय अन्नमन्नेसि दाउं वा
अणुप्पदाउं वा ।

उन्हें पूछने व निमन्त्रण करने के बाद अन्य किसी को देना
या निमन्त्रण करना कल्पता है ।
—वव. उ. ८, सु. १६



पात्र धारण विधि-निषेध—६

सवटय पात्रधारण विहाणं—

२४६. कप्पइ निग्गंवाणं सवेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए
वा ।

कप्पइ निग्गंवाणं सवेण्टयं पायकेसरियं^१ धारित्तए वा,
परिहरित्तए वा । —कप्प. उ. ५, सु. ४१, ४३

सवृन्त पात्र धारण विधान—

२४६. निग्रन्थ साधुओं को सवृन्त (डन्ठल सहित) अलावु (तुम्बी)
रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है ।

निग्रन्थ साधुओं को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना या उसका
उपयोग करना कल्पता है ।

सवेटय-पात्र-धारण-णिसेहो—

२४७. नो कप्पइ निग्गंयीणं सवेण्टयं^२ लाउयं धारेत्तए वा परि-
हरित्तए वा ।^३

नो कप्पइ निग्गंयीणं सवेण्टयं पायकेसरियं^१ धारित्तए वा
परिहरित्तए वा । —कप्प. उ. ५, सु. ४०-४२

२४७. निग्रन्थी-साध्वियों को सवृन्त (डन्ठल-सहित) अलावु
(तुम्बी) रखना या उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

निग्रन्थी साध्वियों को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना या उसका
उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

घडिमत्त धारण विहाणं—

२४८. कप्पइ निग्गंयीणं अन्तोत्तित्तं घडिमत्तयं धारित्तए वा परि-
हरित्तए वा ।

—कप्प. उ. १, सु. १७

सवृन्त पात्र धारण निषेध—

२४८. निग्रन्थियों को अन्दर की ओर लेप किया हुआ घटीमात्रक
(मूत्र-विसर्जन पात्र) रखना और उसका उपयोग करना
कल्पता है ।

घटिमात्रक धारण का विधान—

२४९. निग्रन्थों को अन्दर की ओर लेप किया हुआ घटीमात्रक
रखना और उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

घटिमात्रक धारण का निषेध—

२५०. निग्रन्थ को तीन पात्र और चौथा मात्रक रखना
कल्पता है ।

निग्रन्थियों को चार पात्र और पाँचवा मात्रक रखना
कल्पता है ।

घडिमत्त धारण णिसेहो—

२४९. नो कप्पइ निग्गंवाणं अन्तोत्तित्तं घडिमत्तयं धारित्तए वा
परिहरित्तए वा ।

—कप्प. उ. १, सु. १८

कप्पणीय पाय संखा—

२५०. कप्पइ निग्गंवाणं तिप्पि पायाइं चउत्तं उडुगं धारित्तए ।

कप्पइ निग्गंयीणं चत्तारि पायाइं पंचमं उडुगं धारित्तए ।

—कप्प. उ. ५, सु. ३०



१ तुम्बी प्रमाण लकड़ी के एक सिरे पर बस्य खण्ड को बाँधकर पात्र आदि के भीतरी भाग के पीछे वाले उपकरण को "पात्र केसरिका" कहते हैं ।

२ तुम्बी के ऊँचे उठे हुए डन्ठल को देखने से भी कदाचित् साध्वी के मन में विकार पैदा हो सकता है अतः डन्ठलयुक्त तुम्बी के रखने का निषेध किया गया है ।

३ यह सूत्र बृहत्कल्पसूत्र की एक प्रति में मिला है ।

पात्र-आतापन के विधि-निषेध—७

पडिगह आयावणविहित ठाणाइं—

२५१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं से तमादाए एगंतमवक्कमेज्जा एगंतमवक्कमित्ता अहे क्षाम-थंडिल्लंसि वा-जाव-गोमयरांसिसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिल्लंसि पडिलेहिय पडिलेहिय षमज्जिय पमज्जिय ततो संजयामेव पायं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६०० (घ)

पडिगह आतावण णिसिद्धठाणाइं—

२५२. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं णो अणंतरहियाए पुढवीए -जाव-मक्कडासंताणए आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं थूणंसि वा-जाव-काम-जलंसि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकख-जायंसि दुब्बद्धे-जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा ।

से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं कुलियंसि वा-जाव-लेलुंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुब्बद्धे -जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, तहप्पगारं पायं खंधंसि वा-जाव-हम्मिय-तलंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिकखजायंसि दुब्बद्धे-जाव-चलाचले णो आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६००(ग)

णिसिद्धठाणेसु पडिगह आयावणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२५३. जे भिक्खू अणंतरहियाए पुढवीए पडिगहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा, पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ससिणिद्धाए पुढवीए पडिगहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा, पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ससरक्खाए पुढवीए पडिगहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा, पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू मट्टियाकंडाए पुढवीए पडिगहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेत्तं वा, पयावेत्तं वा साइज्जइ ।

विहित स्थानों पर पात्र सुखाने का विधान—

२५१. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो पात्र को लेकर एकान्त में जाये, वहाँ जाकर देखे कि जो भूमि अग्नि से दग्ध हो—यावत्—(सूखे) गोबर के ढेर वाली हो या अन्य भी ऐसी स्थंडिल भूमि हो उसका भलीभाँति प्रतिलेखन एवं रजोहरणादि से प्रमार्जन करके तत्पश्चात् यतनापूर्वक उस पात्र को सुखाए ।

निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुखाने का निषेध—

२५२. भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो वह वैसे पात्र को सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त पृथ्वी पर—यावत्—मकड़ी के जाले हों ऐसे स्थान में न सुखाये ।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो वह उस प्रकार के पात्र को ठूँठ पर—यावत्—स्नान करने की चौकी पर, अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभाँति बंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है, वहाँ पात्र को न सुखाये ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो ईंट की दीवार पर—यावत्—शिलाखंडादि पर या अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि भलीभाँति बंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है, वहाँ पात्र को न सुखाए ।

भिक्षु या भिक्षुणी पात्र को धूप में सुखाना चाहे तो उस पात्र को स्तम्भ पर—यावत्—महल की छत पर, अन्य भी इस प्रकार के अन्तरिक्ष जात (आकाशीय) स्थानों पर जो कि दुर्बद्ध—यावत्—चलाचल हो वहाँ पात्र को न सुखाए ।

निषिद्ध स्थानों पर पात्र सुखाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२५३. जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी के निकट की अचित्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्निग्ध पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त रज युक्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त मिट्टी विखरी हुई पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू चित्तमंताए पुढवोए पडिगहं आयावेज्ज वा, पया-
वेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चित्तमंताए सिलाए पडिगहं आयावेज्ज वा, पया-
वेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू चित्तमंताए लेलुए पडिगहं आयावेज्ज वा, पया-
वेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कोलावासंसि वा दाहए जीवपइट्टिए, सअंटे-जाव-
मक्कडासंताणए पडिगहं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा,
आयावेतं वा, पयावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू थूणंसि वा-जाव-कामजलंसि वा, अण्णयरंसि वा
तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुव्वद्वे-जाव-चलाचले पडिगहं
आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू कुलियंसि वा-जाव-लेलुंसि वा, अण्णयरंसि वा
तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुव्वद्वे-जाव-चलाचले पडिगहं
आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू खंधंसि वा-जाव-हम्मियतलंसि वा अण्णयरंसि वा
तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि दुव्वद्वे-जाव-चलाचले पडिगहं
आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा, आयावेतं वा, पयावेतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. २४-३४

जो भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता
है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त शिला पर पात्र को सुखाता है, सुखवाता
है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु सचित्त शिलाखंड आदि पर पात्र को सुखाता है,
सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दीमक आदि जीव युक्त काष्ठ तथा अंडे युक्त स्थान
पर—यावत्—मकड़ी के जाले युक्त स्थान पर पात्र को सुखाता
है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ठूंठ पर—यावत्—स्नान करने की चौकी पर
अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो
कि भलीभांति बंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है वहाँ
पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु ईंट की दीवार पर—यावत्—शिलाखंड आदि
पर अथवा अन्य भी ऐसे अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर
जो कि भलीभांति बंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है वहाँ
पात्र को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु स्कंध पर—यावत्—महल की छत पर अथवा
अन्य भी ऐसे अंतरिक्ष जात (आकाशीय) स्थान पर जो कि
भलीभांति बंधा हुआ नहीं है—यावत्—चलाचल है वहाँ, पात्र
को सुखाता है, सुखवाता है या सुखाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



पात्र-प्रत्यर्पण का विधि-निषेध—८

पाडिहारिय पायगहणे माया णिसेहो—

२५४. से एगइओ मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं पायं जाइत्ता एगा-
हेण वा-जाव-पंचाहेण वा विप्पवसियं विप्पवसियं उवा-
गच्छेज्जा, तहप्पगारं स-संघियं पायं—नो अप्पणा नेह्हेज्जा
नो अन्नमन्नस्स देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो पाएण पाय-
परिणामं करेज्जा,

प्रातिहारिक पात्र ग्रहण करने में माया करने का निषेध—

२५४. कोई एक भिक्षु किसी अन्य भिक्षु से अल्पकाल के लिए
प्रातिहारिक पात्र की याचना करके एक दिन—यावत्—पाँच
दिन कहीं अन्यत्र रह रहकर पात्र देने आवे तो पात्रदाता भिक्षु
उस लाये हुए पात्र को क्षतविक्षत जानकर न स्वयं ग्रहण करे, न
दूसरे को दे, न किसी को उधार दे, न उस पात्र को किसी पात्र
के बदले में दे ।

नो परं उवसंकमित्ता एवं वदेज्जा—“आउसंतो समणा !
अभिकंखसि एयं पायं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?” थिरं
वा णं संतं नो पलिंछिदिय पलिंछिदिय परिट्टवेज्जा,

तहप्पगारं पायं ससंधियं तस्स चैव निसिरेज्जा । नो य णं
सातिज्जेज्जा ।

एवं बहु वयणेण वि भाणियन्वं ।

से एगइओ एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म—से हंतो
अहमवि मुहुत्तगं मुहुत्तगं पाडिहारियं पायं जाइत्ता—एगा-
हेण वा-जाव-पंचाहेण वा विप्पवसिय विप्पवसिय उवागच्छि-
त्तामि, अवियाइं एयं ममेव सिया ।

“माइट्ठाणं संफासे नो एवं करेज्जा ।”

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०५(ग)

पायस्स विवण्णाइकरण णिसेहो—

२५५. से भिक्षू वा, भिक्षुणी वा णो वण्णमंताइं पायाइं विवण्णाइं
करेज्जा, णो विवण्णाइं पायाइं वण्णमंताइं करेज्जा,

“अण्णं वा पायं लमिस्सामि” त्ति कट्टु नो अण्णमण्णस्स
देज्जा, नो पामिच्चं कुब्जा, नो पाएण पायपरिणामं करेज्जा,
नो परं उवसंकमित्तु एवं वदेज्जा—“आउसंतो समणा !
अभिकंखसि एयं पायं धारित्तए वा, परिहरित्तए वा ?”

थिरं वा णं संतं णो पलिंछिदिय पलिंछिदिय परिट्टवेज्जा,
जहा मेयं पायं पावगं परो मण्णइ ।

परं च णं अदत्तहारी पडिपहे पेहाए तस्स पायस्स णिदाणाय
णो तेसि भीओ उम्मणेणं गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव
गामाणुगामं इइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०५ (घ)

पडिग्गहस्स वण्णपरिवट्टण पायच्छित्त सुत्ताइं—

२५६. जे भिक्षू वण्णमंतं पडिग्गहं विवण्णं करेइ, करंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्षू विवण्णं पडिग्गहं वण्णमंतं करेइ, करंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाथे आबज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. १०-११

न किसी दूसरे भिक्षु को इस प्रकार कहें “हे आयुष्मन्
श्रमण ! इस पात्र को रखना या उपयोग में लेना चाहते हो ?”
(तथा) उस हठ पात्र के टुकड़े-टुकड़े करके परिष्ठापन भी नहीं
करे—फेंके भी नहीं ।

बीच में से साँधे हुए उस पात्र को उम्पी ले जाने वाले भिक्षु
को दे दे किन्तु पात्रदाता उसे अपने पास न रखे ।

इसी प्रकार अनेक भिक्षुओं के सम्बन्ध में भी आलापक
कहना चाहिए ।

कोई एक भिक्षु इस प्रकार का संवाद सुनकर समझकर सोचे
“मैं भी अल्पकाल के लिए किसी से प्रातिहारिक पात्र की याचना
करके एक दिन—यावत्—पाँच दिन कहीं अन्यत्र रहकर
आऊँगा ।” इस प्रकार से वह भेरा हो जायेगा ।

(सर्वज्ञ भगवान् ने कहा) यह मायावी आचरण है, अतः
इस प्रकार नहीं करना चाहिए ।

पात्र के विवर्ण आदि करने का निषेध—

२५५. भिक्षु या भिक्षुणी सुन्दर वर्ण वाले पात्रों को विवर्ण
(असुन्दर) न करे तथा विवर्ण (असुन्दर) पात्रों को सुन्दर वर्ण
वाले न करे ।

“मैं दूसरा नया (सुन्दर) पात्र प्राप्त कर लूँगा” इस अभि-
प्राय से अपना पुराना पात्र किसी दूसरे साधु को न दे, न किसी
से उधार पात्र ले, न ही पात्र की परस्पर अदलावदली करे और
न दूसरे साधु के पास जाकर ऐसा कहे कि—“हे आयुष्मन्
श्रमण ! क्या तुम मेरे पात्र को धारण करना चाहते हो ?”

इसके अतिरिक्त उस सुहृद् पात्र के टुकड़े-टुकड़े करके परठे
भी नहीं, इस भावना से कि मेरे इस पात्र को लोग अच्छा नहीं
समझते ।

तथा मार्ग में चोरों को सामने आता देखकर (उस पात्र
की रक्षा हेतु) उनसे भयभीत होकर उन्मार्ग से न जाये
—यावत्—समाधि भाव में स्थिर होकर संयमपूर्वक श्रामानु-
श्राम विचरण करे ।

पात्र का वर्ण परिवर्तन करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२५६. जो भिक्षु अच्छे वर्ण वाले पात्र को विवर्ण करता है,
करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विवर्ण पात्र को अच्छा करता है, करवाता है,
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

आमोसगभएण उम्मग-गमण णिसेहो—

२५७. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गामाणुगामं द्दइज्जमाणे अंतरा से विहं सिया, से ज्जं पुणं विहं जाणेज्जा—इमंसि खलु विहंसि बहवे आमोसगा पायपडियाए संपडिया गच्छेज्जा, णो तेसि भीओ उम्मगे गच्छेज्जा-जाव-ततो संजयामेव गामाणुगामं द्दइज्जेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०५ (ङ)

आमोसगावहारिय पायस्स जायणा णिसेहो—

२५८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा गामाणुगामं द्दइज्जमाणे अंतरा से आमोसगा संपडियागच्छेज्जा, ते णं आमोसगा एवं वदेज्जा ।

“आउसंतो समणा ! आहरेतं पायं देहि, णिक्खिवाहि”

तं णो देज्जा, णिक्खिवेज्जा,

णो वंदिय जाएज्जा, णो अंजलि कट्टु जाएज्जा, णो कलुण-पडियाए जाएज्जा, धम्मियाए जायणाए जाएज्जा, तुसिणीय-णावेण वा उवेहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. २, सु. ६०५ (च)

चोरों के भय से उन्मार्ग से जाने का निषेध—

२५७. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग में अटवीवाला लम्बा मार्ग हो और वह यह जाने कि— इस अटवीवहल मार्ग में बहुत से चोर पात्र छीनने के लिए आते हैं, तो साधु उनसे भयभीत होकर उन्मार्ग से न जाए—यावत्—समाधि भाव में स्थिर होकर संयमपूर्वक ग्रामानुग्राम विचरण करे ।

चोरों से अपहरित पात्र के याचना का विधि-निषेध—

२५८. ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी के मार्ग में चोर पात्र हरण करने के लिए आ जाएँ और कहे कि—

“आयुप्पन् श्रमण ! यह पात्र लाओ हमारे हाथ में दे दो या हमारे सामने रख दो ।”

इस प्रकार कहने पर साधु उन्हें वे पात्र न दें, अगर वे बलपूर्वक लेने लगे तो भूमि पर रख दें ।

पुनः लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशंसा) करके, हाथ जोड़कर या दीन-वचन कहकर याचना न करे अर्थात् उन्हें इस प्रकार से वापस देने को न कहे । यदि माँगना हो तो उन्हें धर्मवचन कहकर समझा कर माँगे, अथवा मौन भाव धरण करके उपेक्षा भाव से रहे ।



पात्र-परिकर्म का निषेध—९

पाय परिकम्म णिसेहो—

२५९. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा “णो णवए मे पाये त्ति कट्टु” णो बह्वेसिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, भक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा “णो णवए मे पाये त्ति कट्टु” णो बह्वेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा. आधंसेज्ज वा, पधंसेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा “णो णवए मे पाये त्ति कट्टु” णो बह्वेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा “दुब्भिमगंघे मे पाये त्ति कट्टु” णो बह्वेसिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, भक्खेज्ज वा, भिल्लिगेज्ज वा ।

पात्र के परिकर्म का निषेध—

२५९. भिक्षु या भिक्षुणी “मेरा पात्र नया नहीं है” ऐसा सोचकर उसके अल्प या बहुत तेल—यावत्—नवनीत न लगावे, न बार-बार लगावे ।

भिक्षु या भिक्षुणी “मेरा पात्र नया नहीं है” ऐसा सोचकर उसे अल्प या बहुत सुगंधित द्रव्य समुदाय से—यावत्—पद्मचूर्ण से न घिसे, न बार-बार घिसे ।

भिक्षु या भिक्षुणी “मेरा पात्र नया नहीं है” ऐसा सोचकर उसे अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल से न धोये, न बार-बार धोये ।

भिक्षु या भिक्षुणी “मेरा पात्र दुर्गन्धवाला है” ऐसा सोचकर उसके अल्प या बहुत तेल—यावत्—नवनीत न लगावे, न बार-बार लगावे ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा “दुग्धिगंधे मे पाये त्ति कट्टु”
णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा-जाव-पउमेण वा, आघंसेज्ज वा,
पघंसेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा “दुग्धिगंधे मे पाये त्ति कट्टु”
णो बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा,
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ६, उ. १, सु. ६०० (ख)

पाय परिकम्म पायच्छित्त सुत्ताइं—

२६०. जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसि-
एण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिंलि-
गेज्ज वा, मक्खेंतं वा, भिंलिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसि-
एण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज-
वा, उल्लोलेंतं वा, उव्वलेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसि-
एण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छो-
लेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू “नो नवए से पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेव-
सिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा मक्खेज्ज वा, भिंलि-
गेज्ज वा, मक्खेंतं वा, भिंलिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू—“नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेव-
सिएण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्व-
लेज्ज वा, उल्लोलेंतं वा, उव्वलेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू—“नो नवए मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेव-
सिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छो-
लेज्ज वा, पधोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पधोएंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू “दुग्धिगंधे मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसि-
एण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिंलिगेज्ज
वा, मक्खेंतं वा, भिंलिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू—“दुग्धिगंधे मे पडिग्गहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेसि-
एण लोद्धेण वा-जाव-वण्णेण वा, उच्छोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज
वा, उल्लोलेंतं वा, उव्वलेंतं वा साइज्जइ ।

भिक्खु या भिक्खुणी “भेरा पात्र दुर्गंधवाला है” ऐसा सोचकर
उसे अल्प या बहुत सुगन्धित द्रव्य समुदाय से—यावत्—पद्मचूर्ण
से न धिसे, न वार-वार धिसे ।

भिक्खु या भिक्खुणी “भेरा पात्र दुर्गन्धवाला है” ऐसा सोच-
कर उसे अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण
जल से न धोये, न वार-वार धोये ।

पात्र परिकर्म करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६०. जो भिक्खु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के अल्प या बहुत तेल—यावत्—मक्खन लगावे, वार-
वार लगावे, लगवावे, वार-वार लगवावे, लगाने वाले का वार-
वार लगाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “नया पात्र मुझे नहीं मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के अल्प या बहुत लोध से—यावत्—वर्ण से लेप करे. वार-
वार लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे, लेप करने
वाले का वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र को अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण
से धोये, वार-वार धोये, धुलावे, वार-वार धुलावे, धोने वाले
का वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के रात रखा हुआ तेल—यावत्—नवनीत लगावे, वार-
वार लगावे, लगवावे, वार-वार लगवावे, लगाने वाले का वार-
वार लगाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “मुझे नया पात्र नहीं मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के रात रखे हुए लोध—यावत्—वर्ण से लेप करे, वार-वार
लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे, लेप करने वाले का
वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “नया पात्र मुझे नहीं मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल
से धोये, वार-वार धोये, धुलावे वार-वार धुलावे, धोने वाले का
वार-वार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के अल्प या बहुत तेल—यावत्—नवनीत लगावे, वार-वार
लगावे, लगवावे, वार-वार लगवावे लगाने वाले का वार-वार
लगाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्खु “मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के अल्प या बहुत लोध से—यावत्—वर्ण से लेप करे,
वार-वार लेप करे, लेप करावे, वार-वार लेप करावे, लेप करने
वाले का वार-वार लेप करने वाले का अनुमोदन करे ।

जे भिक्षु "दुग्धिमगंधे मे पडिगहे लद्धे" त्ति कट्टु बहुदेव-
एण सीओदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज्ज
वा, पघोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पघोवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु—“दुग्धिमगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेव-
सिएण तेल्लेण वा-जाव-णवणीएण वा, मक्खेज्ज वा, भिल्लि-
गेज्ज वा, मक्खेंतं वा, भिल्लिगेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु “दुग्धिमगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेव-
सिएण लोद्धेण वा-जाव-णवणेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्व-
लेज्ज वा, उल्लोलेंतं वा, उव्वलेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु “दुग्धिमगंधे मे पडिगहे लद्धे” त्ति कट्टु बहुदेव-
सिएण सीओदगवियडेण वा, उस्सिणोदगवियडेण वा, उच्छो-
लेज्ज वा, पघोएज्ज वा, उच्छोलेंतं वा, पघोवेंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. १२-२३

सयं पायपरिकम्म करणस्स पायच्छित्तसुत्तं—

२६१. जे भिक्षु लाउय-पायं वा-दाहं-पायं वा, मट्टिया-पायं वा,
सयमेव परिघट्टेइ वा, संठावेइ वा, जमावेइ वा, परिघट्टन्तं
वा, संठवेंतं वा, जमावेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. २५

पाय परिकम्म कारावणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

२६२. जे भिक्षु लाउय-पायं वा, दाह-पायं वा, मट्टिया-पायं वा,
अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, परिघट्टावेइ वा, संठावेइ
वा, जमावेइ वा, अलमप्पणो करणयाए सुहममवि नो कप्पइ,
जाणमाणे सरमाणे अण्णमण्णस्स वियरइ, वियरंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. ३६

पाय कोरण पायच्छित्त सुत्तं—

२६३. जे भिक्षु पडिगहं कोरेइ, कोरावेइ, कोरियं आहट्टु देज्ज-
माणं पडिगगाहेइ, पडिगाहेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, स. ४१

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र को अल्प या बहुत अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण
जल से धोये, बार-बार धोये, धुलावे, बार-बार धुलावे, धोने
वाले का बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के रात रखा हुआ तेल—यावत्—नवनीत लगावे, बार-
बार लगावे, लगवावे बार-बार लगवावे, लगाने वाले का बार-
बार लगाने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र के रात रखे हुए लोध—यावत्—वर्ण से लेप करे, बार-
बार लेप करे, लेप करावे, बार-बार लेप करावे, लेप करने वाले
का बार-बार लेप करने वाले का अनुमोदन करे ।

जो भिक्षु “मुझे दुर्गन्ध वाला पात्र मिला है” ऐसा सोचकर
पात्र को रात रखे हुए अचित्त शीत जल से या अचित्त उष्ण जल
से धोये, बार-बार धोये, धुलावे, बार-बार धुलावे, धोने वाले
का बार-बार धोने वाले का अनुमोदन करे ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पात्र का स्वयं परिष्कार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२६१ जो भिक्षु “तुम्हें पात्र, काष्ठपात्र, या मृत्तिका पात्र का
स्वयं निर्माण करता है, आकार सुधारता है, विषम को सम
करता है, निर्माण करवाता है, आकार सुधरवाता है, विषम को
सम करवाता है या निर्माण करने वाले का आकार सुधारने वाले
का विषम को सम करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पात्र के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२६२. जो भिक्षु तुम्हें पात्र, काष्ठ पात्र या मुत्तिका पात्र का
परिघट्टण, संठवण, जमावण का कार्य अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से
से कराता है, तथा स्वयं करने में समर्थ होते हुए “गृहस्थ से
किंचित् भी कराना नहीं कल्पता है” यह जानते हुए या स्मृति
में होते हुए भी अन्य भिक्षु को गृहस्थ से कराने की आज्ञा देता
है, दिवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता
है ।

पात्र को कोरने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२६३. जो भिक्षु पात्र को कोरता है, कोरवाता है, कोरकर देते
हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पाय संघाण-बंधण प्रायश्चित्त सुत्ताई—

२६४. जे भिक्षु पायस्स एकं तुडियं तडुइ तडुतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पायस्स परं तिण्हं तुडियाणं तडुइ, तडुतं वा साइज्जइ ।

(जे भिक्षु पायं अविहीए तडुइ तडुतं वा साइज्जइ ।)

जे भिक्षु पायं अविहीए बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पायं एणेण बंधेण बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पायं परं तिण्हं वंधाणं बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु अइरेगबंधणं पायं दिवद्धाओ मासाओ परेण धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १. सु. ४१-४६ है ।

पात्र सन्धान-बन्धन के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६४. जो भिक्षु पात्र के एक 'थेगली' देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र के तीन थेगली से अधिक देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

(जो भिक्षु पात्र के अविधि से थेगली देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।)

जो भिक्षु पात्र को अविधि से बाँधता है, बँधवाता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र को एक बन्धन से बाँधता है, बँधवाता है, या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र के तीन से अधिक बन्धन बाँधता है, बँधकाता है या बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु डेढ़ मास के बाद अतिरिक्त (अधिक) बन्धन वाले पात्र को रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता



पात्रेषणा सम्बन्धी अन्य प्रायश्चित्त—१०

पडिग्गहाओ तसपाणाईणं णिहरणस्स पायश्चित्त सुत्ताई—

२६५. जे भिक्षु पडिग्गहातो पुढविकायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पडिग्गहातो आजक्कायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पडिग्गहातो तेजक्कायं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पडिग्गहाओ कंदाणि वा, मूलाणि वा, पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, फलाणि वा, नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ- पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

पात्र से त्रसप्राणी आदि निकालने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६५ जो भिक्षु पात्र से (सचित्त) पृथ्वीकाय को निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र से (सचित्त) अप्काय को निकालता है, निकलवाता है, निकाल कर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (मिट्टी के) पात्र से (सचित्त) अग्निकाय को निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र से (सचित्त) कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल, निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु पडिग्गहातो ओसहि-बोयाइं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु वेज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पडिग्गहातो तसपाणजाइं नीहरइ, नीहरावेइ, नीहरियं आहट्टु वेज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. ३५-४०

पडिग्गहणीसाए वसमाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२६६. जे भिक्षु पडिग्गहणीसाए उट्टुवट्ठं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पडिग्गहणीसाए वासावासं वसइ, वसंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. ४४-४५

ओमासिय-जायणाए पायच्छित्त सुत्ताइं—

२६७. जे भिक्षु णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा गामंतंरंसि वा, गामपहंतंरंसि वा पडिग्गहं ओमासिय ओमासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासगं वा परिसामज्जाओ उट्टुवेत्ता पडिग्गहं ओमासिय ओमासिय जायइ, जायंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १४, सु. ४२-४३

णियगादि-गवेसिय पडिग्गह धरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२६८. जे भिक्षु नियग-गवेसियं पडिग्गहं धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु पर-गवेसियं पडिग्गहं धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु वर-गवेसियं पडिग्गहं धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षु बल-गवेसियं पडिग्गहं धरेइ धरंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु पात्र से औपधि अर्थात् गेहूँ आदि धान्य और जीरा बीज आदि को निकालता है, निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र से त्रस प्राणियों को निकालता है निकलवाता है, निकालकर देते हुए को लेता है, लिवाता है, लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पात्र के लिए निवास करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६६. जो भिक्षु पात्र के लिए ऋतुवद्ध काल (सर्दी या गर्मी) में रहता है, रहवाता है, रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र के लिए वर्षावास में रहता है, रहवाता है, रहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

मांग-मांगकर याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६७. जो भिक्षु स्वजन से, परिजन से, उपासक से, अनुपासक से ग्राम में या ग्रामपथ में पात्र मांग-मांगकर याचना करता है, करवाता है, याचना करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्वजन को, परिजन को, उपासक को, अनुपासक को परिपद में से उठाकर (उससे) मांग-मांगकर पात्र की याचना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निजगादि गवेपित पात्र रखने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२६८. जो भिक्षु निजक-गवेपित (अपने सगे सम्बन्धी के द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पर-गवेपित (सामान्य गृहस्थ द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वर-गवेपित (ग्राम-प्रधान पुरुष द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु बल-गवेपित (बलवान्—शक्ति सम्पन्न पुरुष द्वारा दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू लव-गवेसियं पडिग्गहं धरेइ धरेंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षु लव-गवेपित (पात्र दान का फल वताकर दिलाये गये) पात्र को धारण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता

— नि. उ. २, सु. २७-३१ है ।



पायपुंछण एषणा :—

[पायपुंछण एषणा का स्वतन्त्र प्रकरण आचारांग सूत्र में नहीं है । आगमों में जहाँ-जहाँ पायपुंछण एषणा के स्वतन्त्र पाठ मिले हैं वे इस प्रकरण में संकलित किये गये हैं । जहाँ-जहाँ “वत्यं-जाव-पायपुंछण” ऐसा पाठ है वे सब स्थल-निर्देश नीचे अंकित किये गये हैं, उन्हें उन स्थानों से समझ लें ।

आ. सु. १, अ. २, उ. ५, सु. ८६

आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. १६६

आ. सु. १, अ. ८, उ. २, सु. २०४

आ. सु. १, अ. ८, उ. २, सु. २०५

कप्प. उ. १, सु. ४०-४१

कप्प उ. १, सु. ४२-४३

नि. उ. ५, सु. ६५

नि. उ. १५, सु. ८७-९८

नि. उ. १५, सु. १५३-१५४

नि. उ. १६, सु. १६-२०

नि. उ. १६, सु. २६]

दारुडंडग पायपुंछण विहि-णित्सेहो—

२६६. नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुडण्डयं पायपुंछणं^१ धारेत्तए वा, परिहरित्तए वा ।

काष्ठदण्ड वाले पादप्रोक्षण का विधि-निषेध—

२६६. निग्रंथी (साध्वियों) को दारुदण्ड (काष्ठ डण्डी वाला) पादप्रोक्षण रखना या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है ।

१ पादे पुंछति जेण तं पादपुंछणं— पाँव पोंछने का वस्त्र खंड ।

—नि. उ. ५, सु. १५-१८

पायपुंछण रजोहरण से भिन्न उपकरण है—यह आगमों के निम्नांकित कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है ।

दश. अ. ४ में पायपुंछण और रजोहरण को भिन्न-भिन्न उपकरण कहा गया है ।

प्रश्न. श्रु. २, अ. ५ में भी दोनों उपकरण भिन्न-भिन्न कहे हैं ।

अभयदेव सूत्र ने इसकी व्याख्या में चौदह उपकरणों के अन्तर्गत पायपुंछण और रजोहरण को भिन्न-भिन्न गिनाये हैं ।

आ. सु. २, अ. १० में ऐसा विधान है कि “स्वयं के समीप पायपुंछण न हो तो, दूसरे स्वधर्मों से पायपुंछण प्राप्त करके

अत्यावश्यक कार्य से निवृत्त होवे ।” इस विधान से पायपुंछण का रजोहरण से भिन्न होना स्वयं सिद्ध है । क्योंकि रजोहरण आवश्यक औधिक उपकरण है अतः वह सबके पास होता ही है ।

बृह. उ. ५ में साध्वी के लिए काष्ठ दण्डयुक्त “पायपुंछण” रखना निषिद्ध है और साधु के लिए विहित है । इससे भी इनकी भिन्नता सिद्ध होती है ।

निशीथ उ. २ में काष्ठ दण्डयुक्त “पायपुंछण” रखने पर प्रायश्चित्त विधान हैं ।

निशीथ उ. ५ में काष्ठ दण्डयुक्त “पायपुंछण” एक निर्धारित अवधि के लिए प्रातिहारिक पीछा लौटाने की शर्त पर लाने का विधान है और निर्धारित अवधि में न लौटाने पर प्रायश्चित्त का विधान है ।

रजोहरण कभी पीछा लौटाने की शर्त पर नहीं लाया जाता, न ही उसके लिए निर्धारित अवधि होती है, किन्तु रजोहरण तो काष्ठ दण्डयुक्त ही बनाया और सदा रखा जाता है और उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।

इस प्रकार “पायपुंछण” की रजोहरण से भिन्नता सिद्ध है । ऐसे अन्य भी अनेक आगम विधान हैं जिनसे दोनों की भिन्नता सिद्ध होती है ।

चूणियों और टीकाओं के रचना काल में कहीं-कहीं दोनों की एकता मान लेने पर भ्रान्ति हुई है अतः इन उद्धरणों से भ्रान्ति का निराकरण कर लेना चाहिए ।

कप्पइ निर्गंयाणं दारुदण्डयपायपुंछणं धारेत्तए वा परिहरि-
त्तए वा ।

—कप्प. उ. ५, सु. ४४-४५

दारुदण्डग पायपुंछणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२७०. (१) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं करेइ, करेत्तं वा
साइज्जइ ।

(२) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं गिण्हइ, गिण्हंत्तं वा
साइज्जइ ।

(३) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं घरेइ, घरेत्तं वा
साइज्जइ ।

(४) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं वियरइ वियरेत्तं वा
साइज्जइ ।

(५) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं परिभाएइ, परिभायंत्तं
वा साइज्जइ ।

(६) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं परिभुंजइ, परिभुंजंत्तं
वा साइज्जइ ।

(७) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं परं द्विवट्ठाओ मासाओ
घरेइ, घरेत्तं वा साइज्जइ ।

(८) जे भिक्खू दारुदण्डयं पायपुंछणं विसुयावेइ, विसुयावेत्तं
वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. १-८

पायपुंछणं न पच्चप्पिणत्तस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२७१. जे भिक्खू पाटिहारियं पायपुंछणं जाइत्ता—तामेव रयणीं
पच्चप्पिणस्सामि त्ति” सुए पच्चप्पिणइ पच्चप्पिणत्तं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाटिहारियं पायपुंछणं जाइत्ता “सुए पच्चप्पि-
णस्सामि त्ति” तामेव रयणिं पच्चप्पिणइ पच्चप्पिणत्तं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू सागारियसंतियं पायपुंछणं जाइत्ता “तामेव रयणिं
पच्चप्पिणस्सामि त्ति” सुए पच्चप्पिणत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सागारियसंतियं पायपुंछणं जाइत्ता “सुए पच्चप्पि-
णस्सामि त्ति” तामेव रयणिं पच्चप्पिणइ पच्चप्पिणत्तं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. १५-१८

किन्तु निर्ग्रन्थ (साधुओं) को दारुदण्ड वाला पादप्रोञ्चन
रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है ।

काष्ठ दण्ड वाले पादप्रोञ्चन के प्रायश्चित्त सूत्र—

२७०. १. जो भिक्षु काष्ठ दण्डवाला पादप्रोञ्चन करता है,
करवाता है करने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. जो भिक्षु काष्ठदण्ड वाला पादप्रोञ्चन ग्रहण करता है,
करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु काष्ठदण्ड वाला पादप्रोञ्चन धारण करता है,
करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु काष्ठदण्ड वाला पादप्रोञ्चन दूसरों को ग्रहण
करने को अनुज्ञा देता है, दिलवाता है, देने वाले का अनुमोदन
करता है ।

५. जो भिक्षु काष्ठ दंडवाले पादप्रोञ्चन को देता है, दिल-
वाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु काष्ठदंड वाले पादप्रोञ्चन का परिभोग करता
है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु काष्ठ दंड वाले पादप्रोञ्चन को डेढ़ मास से
अधिक धारण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

८. जो भिक्षु काष्ठ दंड वाले पादप्रोञ्चन को धूप में सुखाता
है, सुखवाता है, सुखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पादप्रोञ्चन के न लौटाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२७१. जो भिक्षु प्रातिहारिक पादप्रोञ्चन की याचना करके इसे
“आज ही लौटा दूंगा” ऐसा कहकर कल लौटाता है, लौटवाता
है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु प्रातिहारिक (लौटाने योग्य) पादप्रोञ्चन की
याचना करके कल लौटा दूंगा ऐसा कहकर उसी दिन लौटाता
है, लौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शय्यातर के पादप्रोञ्चन की याचना करके आज ही
लौटा दूंगा ऐसा कहकर कल लौटाता है, लौटवाता है, लौटाने
वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शय्यातर के पादप्रोञ्चन की याचना करके “कल
लौटा दूंगा” ऐसा कहकर उसी दिन लौटाता है, लौटवाता है,
लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

रजोहरण एषणा—

[रजोहरण एषणा का स्वतन्त्र प्रकरण आचारांग में नहीं है। आगम में जहाँ-जहाँ रजोहरण सम्बन्धी स्वतन्त्र सूत्र मिले हैं वे इस प्रकरण में संकलित किये गये हैं। अन्यत्र जहाँ-जहाँ रजोहरण का कथन है उन सबके स्थल निर्देश नीचे अंकित किये गये हैं—

कप्प. उ. ३, सु. १४-१५

दस. अ. ४, सु. ५४

पण्ह. सं. १, सु. ११

प्रश्न. सं. ५, सु. ८

नि. उ. ४, सु. २४

आव. अ. ४]

एसणिज्ज रयहरणाइं—

एषणीय रजोहरण—

२७२. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—इमाइं पंच रयहरणाइं^१ धारित्तए वा, परिहरित्तए वा, तं जहा—

(१) ओणिए,

(२) उट्टिए,

(३) साणए,

(४) वच्चाचिप्पए,

(५) मुंजचिप्पए नामं पंचमे^२ । —कप्प. उ. २, सु. ३०

रयहरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२७३. (१) जे भिक्खू अतिरेग-पमाणं रयहरणं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

(२) जे भिक्खू सुहुमाइं रयहरण—सीसाइं करेइ, करेंतं वा साइज्जइ ।

(३) जे भिक्खू रयहरणं कंडूसगबंधेणं बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

(४) जे भिक्खू रयहरणस्स अविहीए बंधइ, बंधंतं वा साइज्जइ ।

(५) जे भिक्खू रयहरणस्स एकं बंधं देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

(६) जे भिक्खू रयहरणस्स परं तिण्हं बंधाणं देइ, देंतं वा साइज्जइ ।

(७) जे भिक्खू रयहरणं अणिसट्ठं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

२७२. निग्रन्थीं और निग्रन्थियों को इन पाँच प्रकार के रजोहरणों को रखना और उनका उपयोग करना कल्पता है। यथा—

१. औणिक—(भेड़ों की ऊन से निष्पन्न) रजोहरण ।

२. औष्टिक—(ऊँट के केशों से निष्पन्न) रजोहरण ।

३. सानक—(सन के वल्कल से निष्पन्न) रजोहरण ।

४. वच्चाचिप्पक—(वच्चक नामक घास से निष्पन्न)

रजोहरण ।

५. मुंजचिप्पक—(मुंज से निष्पन्न) रजोहरण ।

रजोहरण सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र—

२७३. १. जो भिक्षु प्रमाण से अधिक रजोहरण रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

२. भिक्षु रजोहरण की फलियाँ सूक्ष्म करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

३. जो भिक्षु रजोहरण को वस्त्र लपेट कर बाँधता है, बाँधवाता है, बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

४. जो भिक्षु रजोहरण को अविधि से बाँधता है, बाँधवाता है, बाँधने वाले का अनुमोदन करता है ।

५. जो भिक्षु रजोहरण को एक बंध देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

६. जो भिक्षु रजोहरण के तीन से अधिक बंध देता है, दिलाता है, देने वाले का अनुमोदन करता है ।

७. जो भिक्षु आगम विरुद्ध रजोहरण को रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ हरइ रओ जीवाणं, वज्झं अब्भित्तरं च जं तेणं । रयहरणंति पवुच्चइ, कारणमिदं कज्जोवयाराओ ॥

संयम जोगा इत्थं, रओहरा तेसि कारणं जे णं । रयहरणं उवयारा, भण्णइ तेणं रओकम्मं ॥

वाह्य रज और आभ्यन्तर कर्मरज का जो हरण करता हो वह कारण में कार्य का उपचार करके उसे रजोहरण कहा है ।

योगों के संयम से जो कर्मरज का हरण करने में कारणभूत है वह रजोहरण उपचार से आभ्यन्तर रज का हरण करने वाला है ।

२ ठाण. अ. ५, उ. ३, सु. ४४६ ।

—पिण्डनियुक्ति टीका

(८) जे भिक्षू रयहरणं बोसट्टं धरेइ, धरेंतं वा साइज्जइ ।

(९) जे भिक्षू रयहरणं अहिट्टेइ, अहिट्टेत्तं वा साइज्जइ ।

(१०) जे भिक्षू रयहरणं उस्सीसमूले ठवेइ, ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(११) जे भिक्षू रयहरणं तुयट्टेइ, तुयट्टेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ६७-७७

गोच्छगाईणं वियरणं विवेगो—

२७४. निग्रयं च णं गाहावइ कुलं पिडवाय पडिपाए अणुपविट्टं केइ, दोहि गोच्छग रयहरणं चोलपट्टग-कंबल-लट्टी संथारगेहि उवनिमंतेज्जा—

“एणं आवसो ! अप्पणा परिभुंजाहि एणं येराणं दत्तयाहि” से य तं पडिग्गाहेज्जा तहेय-जाव-तं नो अप्पणा परिभुंजेज्जा, नो अन्नेसि दावए सेसं तं चेव-जाव-परिट्ठावेयच्चे सिया ।

एवं तिहि-जाव-दसहि गोच्छग—रयहरण-चोलपट्टग लट्टी कंबल-संथारगेहि^१ ।

—वि. सु. ८, उ. ६, सु. ५

८. जो भिक्षु रजोहरण को अपने शरीर के प्रमाण से अधिक दूर रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

९. जो भिक्षु रजोहरण पर बैठाता है, बिठवाता है, बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

१०. जो भिक्षु रजोहरण को शिर के नीचे रखता है, रखवाता है, रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

११. जो भिक्षु रजोहरण पर सोता है, सुलाता है, सोने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान^१(प्रायश्चित्त) आता है ।

गोच्छकादि के वितरण का विवेक—

२७४. निग्रय गृहपति-कुल में गोचरी के लिये प्रवेश करने पर कोई गृहस्थ उसे दो गुच्छक (पूजनी) रजोहरण, चोलपट्टक, कंबल, लाठी और संस्तारक (विछोना) ग्रहण करने के लिए उपनिमंत्रण करे—

“आयुप्पन् श्रमण ! (इन दोनों में से) एक का आप स्वयं उपयोग करें और दूसरा स्वयं को दे देना ।” इस पर वह निग्रय उन दोनों को ग्रहण कर ले । शेष सारा वर्णन पूर्ववत् कहना चाहिए,—यावत्—उसका न तो स्वयं उपयोग करे और न दूसरे साधुओं को दे, शेष सारा वर्णन पूर्ववत् समझना—यावत्—उसे परठ देना चाहिए ।

इसी प्रकार तीन—यावत्—दस गुच्छक रजोहरण चोलपट्टक, कंबल, लाठी और संस्तारक तक का कथन पूर्व के समान कहना चाहिए ।



१ एवं जहा पडिग्गाहवत्तव्वया भणिया एवं गोच्छग-रयहरण-चोलपट्टग-कंबल-लट्टी-संथारगेहि वत्तव्वया य भाणियच्चा-जाव-दसहि संथारगेहि उवनिमंतेज्जा-जाव-परिट्ठावेयच्चे सिया ।

इस सूचना सूत्र के अनुसार यह पाठ व्यवस्थित किया है । यह सूचना सूत्र देखें पात्र प्रकरण में ।

—वि. सु. ८, उ. ६, सु. ६

(४) आदान-निक्षेप समिति का स्वरूप—१

आयाण भंड-मत्तणिकखेवणसमिइ सरूवं—

२७५. जं पि य समणस्स सुविहियस्स सपडिग्गहृधारिस्स भवति
भायण-भंडोवहि-उवगरणं ।

- | | |
|---|----------------------------|
| (१) पडिग्गहो, | (२) पादबंधणं, |
| (३) पादकेसरिया | (४) पादठवणं च, |
| (५-७) पडलाइं तिन्नेव, | (८) रयताणं च, |
| (९) गोच्छओ, | (१०-१२) तिन्नेव य पच्छादं, |
| (१३) रयोहरणं, | (१४) चोलपट्टक, |
| (१५) मुहणंतकमादियं एयं पि संजमस्स उववूहणट्टयाए
वायायव-दंसमसग-सीय परिरक्खणट्टाए । | |

उवगरणं एग-दोस-रहियं परिहरियव्वं संजएण ।

निच्चं पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए, अहो य राओ य
अप्पमत्तेण होइ सततं निक्खिवियव्वं च गिण्हियव्वं च
भायण-भंडोवहि-उवगरणं^१ । —पण्ह. सु. २, अ. ५, सु. ८

उवगरण धारण कारणं—

२७६. जं पि वत्थं व पायं व, कंबलं पायपुंछणं ।

तं पि संजम लज्जट्टा, धारंति परिहरंति य ॥

—दस. अ. ६, गा. १९

सव्व भंडग संजुत्त गमण विही—

२७७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइ-कुलं पिडवाय-पडियाए
पविसितुकामे सव्वं भंडगमायाए गाहावइ-कुलं पिडवाय-पडि-
याए णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा वहिया विहार भूमि वा वियार-
भूमि वा णिक्खममाणे वा, पविसमाणे वा सव्वं भंडगमायाए
वहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा,
पविसेज्ज वा ।

आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति का स्वरूप—

२७५ पात्रधारी सुविहित साधु के पास जो भी काण्ट के पात्र,
मिट्टी के पात्र, उपधि और उपकरण होते हैं, जैसे—

- | | |
|---|-----------------------|
| १. पात्र, | २. पात्र-बन्धन, |
| ३. पात्र केसरिका, | ४. पात्रस्थापनिका, |
| ५-७. तीन पटल, | ८. रजस्त्राण, |
| ९. गोच्छक, | १०-१२. तीन प्रच्छादक, |
| १३. रजोहरण, | १४. चोलपट्टक, |
| १५. मुखवस्त्रिका आदि ये सब संयम की वृद्धि के लिए होते
हैं तथा प्रतिकूल वायु, धूप, डांस-मच्छर और शीत से रक्षण के
लिए हैं । | |

इन सब उपकरणों को राग और द्वेष से रहित होकर साधु
को धारण करने चाहिए ।

सदा इनका प्रतिलेखन, प्रस्फोटन और प्रमार्जंग करना
चाहिए । दिन में और रात्रि में निरन्तर अप्रमत्त रहकर भाजन,
भाण्ड, उपधि और उपकरणों को रखना और ग्रहण करना
चाहिए ।

उपकरण धारण के कारण—

२७६. साधु जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादप्रोँछन (आदि
उपकरण) रखते हैं उन्हें संयम की रक्षा के लिये और लज्जा
(निवारण) के लिए ही रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं ।

सर्व भण्डोपकरण सहित गमन विधी—

२७७. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में आहार के लिए जाना
चाहे तो सर्व भण्डोपकरण लेकर ही जावे और आवे ।

भिक्षु या भिक्षुणी उपाश्रय से वाहर की स्वाध्याय भूमि में
या मलोत्सर्ग भूमि में जाता हुआ भी सर्व भण्डोपकरण लेकर ही
जावे और आवे ।

१ अन्य स्थविर के निमित्त लाये गये गोच्छक, रजोहरण, कंबलादि के सन्दर्भ हेतु देखिए रजोहरणपणा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गामाणुगामं दूइज्जेज्जा सव्वं
भंडगमायाए गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अह पुण एवं जाणेज्जा—

तिव्वदेसियं वा वासं वासमाणं पेहाए,

तिव्वदेसियं वा महियं सण्णिवयमाणं पेहाए,

महावाएण वा रयं समुद्धयं पेहाए,

तिरिच्छ-संपाइमा वा तसा-पाणा संथडा सन्नियमाणा पेहाए,

से एवं णच्चा णो सव्वं भंडगमायाए गाहावइ-कुलं पिडवाय-
पडियाए णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा ।

बहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा
पविसेज्ज वा,

गामाणुगामं वा दूइज्जेज्जा^१ ।

—आचा. सु. २, अ. १, उ. ३, सु. ३४४

उवगरण अवग्रह-ग्रहण विधानं—

२७८. जेहि वि सद्धिं संपव्वइए तेसिपि याइं,

(१) छत्तयं वा^२,

(२) सत्तयं वा,

(३) डंडगं वा,

(४) लद्धिं वा,

(५) भिसियं वा,

(६) णालियं वा,

(७) चेलं वा,

(८) चिलिमिलिं वा,

(९) चम्मयं वा,

(१०) चम्म-कोसयं वा,

(११) चम्मच्छेणयं वा,

तेसि पुच्चामेव उग्गहं अणणुणवेत्ता अपडिलेहिय अपमज्जिय
णो गिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा,

भिक्षु या भिक्षुणी ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी सर्व
भण्डोपकरण लेकर ही जावे और आवे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जाने कि—

अल्प या अधिक वर्षा बरस रही है,

अल्प या अधिक धुंअर गिर रही है,

महावायु से रज गिर रही है,

तिरछे उड़ने वाले त्रस प्राणी अत्यधिक गिर रहे हैं तो सर्व
भण्डोपकरण लेकर भी गृहस्थ के घर में आहार के लिए न जावे
और न आवे ।

इसी प्रकार उपाश्रय से बाहर को स्वाध्याय भूमि में या
मलोत्सर्ग भूमि में भी न जावे और न आवे ।

इसी प्रकार ग्रामानुग्राम विहार भी न करे ।

उपकरण अवग्रह-ग्रहण विधानं—

२७८. जिन साधुओं के साथ या जिनके पास वह प्रव्रजित हुआ
है, विचरण कर रह है या रह रहा है, उनके भी—

१. छत्रक,

२. मात्रक (तीन प्रकार के भाजन)

३. दण्ड (बाहुप्रमाण) ४. लाठी (शरीर प्रमाण)

५. भुषिका-काण्ट का आसन,

६. नालिका (शरीर प्रमाण से चार अंगुल अधिक लाठी)

७. वस्त्र,

८. चिलिमिलिका (यवनिका, पर्दा या मच्छरदानी)

९. चर्म,

१०. चर्मकोश, (अंगुली आदि में पहनने का साधन) ।

११. चर्म-छेदनक (चर्म काटने का शस्त्र,

आदि उपकरणों की पहले उनसे अवग्रह-अनुज्ञा लिए बिना तथा
प्रतिलेखन प्रमार्जन किये बिना एक या अनेक बार ग्रहण न करे ।

१ (क) इसी प्रकार वस्त्रैषणा तथा पात्रैषणा में भी ऐसे सूत्र हैं—अन्तर केवल इतना ही है कि वस्त्रैषणा में (आ. सु. २, अ. ५,
उ. २, सु. ५८२) “सव्वभंडगमायाए” के स्थान में “सव्वचीवरमायाए” है और पात्रैषणा में (आ. सु. २, अ. ६, उ. २,
सु. ६०५) “सव्वपडिग्गहमायाए” है । शेष सब समान है ।

(ख) न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए व पडंतीए । महावाए व वायंते, तिरिच्छ संपाइमेसु वा ॥ —दस. अ. ५, उ. १, गा. ८
इस गाय्या में भी सूत्रोक्त चारों प्रसंगों में गोचरी जाने का निषेध है ।

सूत्रोक्त चारों प्रसंगों में यद्यपि बाहर की स्वाध्याय भूमि में तथा उच्चार प्रस्रवण भूमि में जाने का निषेध है, किन्तु
उपाश्रय में स्वाध्याय करने का और उपाश्रय के समीप की उच्चार प्रस्रवण भूमि में उच्चारदि के परिष्ठापन का निषेध नहीं
है तथा महिया व रजघात में स्वाध्याय करना सर्वथा वर्जित है ।

२ प्रस्तुत सूत्रपाठ में छाता (छत्रक) चर्मच्छेदनक आदि उपकरण का उल्लेख है । जबकि दशवैकालिक सूत्र में “छत्तस्स धारणट्ठाए”
कहकर इसे अनाचीर्ण में बताया गया है । इस विषय में आचारांग वृत्तिकार एवं चूर्णिकार समाधान इस प्रकार करते हैं कि
किसी देश विशेष में वर्षा के समय कारणवश साधु छत्र रख सकता है । कोंकण आदि देश में अत्यन्त वृष्टि होने के कारण ऐसा
सम्भव हो सकता है ।

तेसि पुव्वामेव उग्गहं अणुण्णविय, पडिलेहिय, पमज्जिय
तओ संजयामेव ओगिण्हेज्ज वा पगिण्हेज्ज वा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६०७ (ग)

एगागी थविरस्स भंडोवगरणाणं आयाण-णिक्खेवण विही—

२७९. थेराणं थेरभूमिपत्ताणं कप्पइ दण्डए वा, भण्डए वा, छत्तए
वा, मत्तए वा, लट्ठिया वा, भिसे वा, चेले वा, चेलचिलि-
मिलि वा, चम्ममे वा, चम्मकोसे वा, चम्मपलिच्छेयणए वा,
अविरहिए ओवासे ठवेत्ता गाहावइकुलं पिण्डवाय-पडियाए
पविसित्तए वा निक्खमित्तए वा ।

कप्पइ णं सन्नियट्टुचारीणं दोच्चंपि उग्गहं अणुण्णवेत्ता परि-
हरित्तए ।

—वव. उ. ८, सु. ५

दंडाईणं परिघट्टावणस्स पायच्छित्त-सुत्तं—

२८०. जे भिक्खू दण्डयं वा, लट्ठियं वा, अवलेहणियं वा, वेणुसुईं
वा, अणुण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा परिघट्टावेइ वा,
संठावेइ वा जमावेइ वा । अलमप्पमणो करणयाए सुहुममवि
नो कप्पइ जाणमाणे सरमाणे अणुण्णस्स वियरइ वियरंतं
वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासिय परिहारट्टाणं अणुण्णइयं ।

—नि. उ. १, सु. ४०

दंडगाईणं परिट्टुवणस्स पायच्छित्त-सुत्तं—

२८१. जे भिक्खू दंडगं वा-जाव-वेणुसुईं वा पलिभंजियं पलिभंजिय
परिट्टुवेइ, परिट्टुवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासिय परिहारट्टाणं उग्गइयं ।

—नि. उ. ५, सु. ६६

अतिरित्त उवहि-धरणस्स पायच्छित्त-सुत्तं—

२८२. जे भिक्खू पमाणाइरित्तं वा, गणणाइरित्तं वा उवहिं धरेइ,
धरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्टाणं उग्गइयं ।

—नि. उ. १६, सु. ४०

अपितु उनसे पहले ही ग्रहण करने की आज्ञा लेकर, उनका
प्रतिलेखन-प्रमार्जन करके फिर यतनापूर्वक एक या अनेक बार
ग्रहण करे ।

एकाकी स्थविर के भण्डोपकरण और उनके आदान-
निक्षेपण की विधि—

२७९. स्थविरत्व प्राप्त (एकाकी) स्थविर को दण्ड, भाण्ड, छत्र,
मात्रक, लाठी, काण्ट का आसन, वस्त्र, वस्त्र की चिलमिलिका,
चर्म, चर्मकोष और चर्मपरिच्छेदनक, अविरहित स्थान में रखकर
अर्थात् किसी को संभलाकर गृहस्थ के घर में आहार के लिए
जाना-आना कल्पता है ।

भिक्षाचर्या से निवृत्त होने पर जिसकी देख-रेख में दण्डादि
रखे गये हैं उससे दूसरी बार आज्ञा लेकर ग्रहण करना
कल्पता है ।

दण्डादि के परिष्कार करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२८०. जो भिक्षु दण्ड, लाठी, अवलेहनिका और वांस की सुई
को घिसना, सुधारना, उपयोगी बनाना आदि कार्य अन्यतीर्थिक
या गृहस्थ से कराता है तथा स्वयं कर सकता हो तो गृहस्थ से
किंचित् भी कराना नहीं कल्पता है यह जानते हुए, स्मृति में
होते हुए भी अन्य साधु को गृहस्थ से कराने की अनुमति देता
है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

दण्डादि के परठने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२८१. जो भिक्षु दण्ड—यावत्—वांस की सुई को तोड़-तोड़कर
परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अतिरित्त उपधि रखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२८२. जो भिक्षु प्रमाण से और गिनती से अधिक उपधि धारण
करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



उपकरण का प्रतिलेखन—२

सेज्जा-संथारगाई पडिलेहण विहाणं—

२८३. धुवं च पडिलेहेज्जा जोगसा पाय कंवजं ।
सेज्जमुच्चारभूमि च संथारं अदुवाऽऽसणं ॥

—दस. अ. ८, गा. १७

उवहि-उवओग विही—

२८४. ओहोवहोवग्गहियं, भण्डगं डुविहं मुणो ।
गिण्हन्तो निक्खिवन्तो य, पउंजेज्ज इमं विहि ॥

चखुसा पडिलेहिता, पमउजेज्ज जयं जई ।
आइए निक्खिवेज्जा वा, दुहो वि समिए सया ॥

—उत्त. अ. २४, गा. १३-१४

अप्पमाय-पमाय-पडिलेहणा—

२८५. छड्विहा अप्पमायपडिलेहणा पणत्ता, तं जहा—

(१) अणच्चावितं,

(२) अबलितं,

(३) अणाणुत्रंघि,

(४) अमोसत्ति,

(५) छप्पुरिमा णव खोडा^१

शय्या संस्तारक आदि प्रतिलेखन विधान—

२८३. मुनि पाद कम्बल (पैर पोंछने का गरम कपड़ा) शय्या, उच्चार-भूमि, संस्तारक अथवा आसन का यथासमय प्रतिलेखन करे ।

उपधि को उपयोग में लेने की विधि—

२८४. मुनि ओघ-उपधि (सामान्य उपकरण) और औपग्रहिक-उपधि (विशेष उपकरण) दोनों प्रकार के उपकरणों के लेने और रखने में इस विधि का उपयोग करे—

सदा सम्यक्-प्रवृत्त और यतनाशील यति दोनों प्रकार के उपकरणों को सदा चक्षु से प्रतिलेखन कर तथा रजोहरण आदि से प्रमार्जन कर उन्हें ले और रखे ।

अप्रमाद-प्रमाद-प्रतिलेखना के प्रकार—

२८५. प्रमाद रहित प्रतिलेखना छह प्रकार की कही गई है, जैसे—

१. अनतिता—शरीर या वस्त्र को न नचाते हुए प्रतिलेखना करना ।

२. अबलिता—शरीर या वस्त्र को मुड़ाये विना प्रतिलेखना करना ।

३. अनानुबन्धी—उतावल रहित या वस्त्र को क्षटकाये विना प्रतिलेखना करना ।

४. अमोसली—वस्त्र के ऊपरी, नीचले आदि भागों को मसले विना प्रतिलेखना करना ।

५. पटपूर्वा—नवखोड़ा—प्रतिलेखन किये जाने वाले वस्त्र को पसारकर और आँखों से भली-भाँति देखकर उसके दोनों भागों को तीन-तीन बार खंखेरना पटपूर्वा प्रतिलेखना है, वस्त्र को तीन-तीन बार पूँज कर तीन-तीन बार शोधना नवखोड़ा है ।

१ छ पुरिमा नव खोडा का विवरण—“पुरिमा”=विभाग । “खोडा”=विभाग के विभाग-खंड ।

इन्हें चदर की प्रतिलेखना विधि से इस प्रकार समझना—

श्रमण के ओढ़ने की चदर की लम्बाई का पूरा माप ५ हाथ होता है और चौड़ाई का पूरा माप ३ हाथ होता है ।

सर्वप्रथम चदर की चौड़ाई के मध्य भाग से मोड़कर दो समान पट कर लें, प्रथम एक पट की चौड़ाई डेढ़ हाथ और लम्बाई ५ हाथ रहेगी । इसके वाद पट की लम्बाई के तीन समान भाग करें, प्रत्येक भाग के ऊपर से नीचे तक तीन-तीन खंड करे । प्रत्येक खंड पर दृष्टि डालकर प्रतिलेखन करें ।

इसी प्रकार दूसरे पट के भी तीन समान भाग करें और प्रत्येक भाग के ऊपर से नीचे तक तीन-तीन खंड करें । प्रत्येक खंड पर दृष्टि डालकर प्रतिलेखन करें । यह चदर के एक पार्श्व भाग की प्रतिलेखना हुई ।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(६) पाणीपाणविसोहणी ।

छन्विहा पमायपडिलेहणा पणत्ता तं जहा—

(१) आरभडा,

(२) संमहा,

(३) वज्जेयव्वा य भोसली ततिया,

(४) पफोडणा चउरथी,

(५) विक्खित्ता,

(६) वैइया छट्ठी ।

—ठाणं. अ. ६, सु. ५०३

पडिलेहणा पमत्तो पावसमणो—

२८६. पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्जइ पायकम्बलं ।
पडिलेहणाअणाउत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

पडिलेहेइ पमत्ते, से किच्चि ह्ठु निसामिया ।
गुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. ६-१०

संधारं फलगं, पीढं निसेज्जं पायकम्बलं ।
अप्पमज्जियमारुहइ, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. ७

उवहि अपडिलेहणस्स पायच्छित्त सुत्तं—
२८७. जे भिक्खू इत्तरियं पि उवहिं न पडिलेहेइ, न पडिलेहेत्तं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ५६

६. पाणिप्राण विशोधनी—हाथ के ऊपर वस्त्र-गत जीव को लेकर प्रासुक स्थान पर परठना ।

प्रमाद—पूर्वक की गई प्रतिलेखना छह प्रकार की कही गई है । जैसे—

१. आरभटा—उतावल से दस्त्रादि को सम्यक् प्रकार से देखे बिना प्रतिलेखन करना ।

२. सम्मर्दा—मर्दन करके प्रतिलेखना करना ।

३. भोसली—वस्त्र के ऊपरी, नीचले या तिरछे भाग का प्रतिलेखन करते हुए परस्पर घट्टन करना ।

४. प्रस्फोटना—वस्त्र की धूलि को झटकाते हुए प्रतिलेखन करना ।

५. विक्खित्ता—प्रतिलेखित वस्त्रों को अप्रतिलेखित वस्त्रों के ऊपर रखना ।

६. वेदिका—प्रतिलेखना करते समय विधिवत् न बैठकर प्रतिलेखन करना ।

प्रतिलेखना में प्रमत्त पाप श्रमण—

२८६. जो असावधानी से प्रतिलेखन करता है, जो पाद-कम्बल (पैर पोछने का गरम कपड़ा) को जहाँ कहीं रख देता है, जो प्रतिलेखना में असावधान होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

जो कुछ भी वातचीत हो रही हो उसे सुनते हुए प्रतिलेखना में असावधानी करता है तथा जो शिक्षा देने पर गुरु के सामने बोलने लगता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

जो विछोने, पाट, पीठ, आसन और पैर पोछने का गरम कपड़ा का प्रमार्जन किये बिना (तथा देखे बिना) उन पर बैठा है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

उपधि अप्रतिलेखन का प्रायश्चित्त सूत्र

२८७. जो भिक्षु अल्प उपधि का भी प्रतिलेखन नहीं करता है, नहीं करवाता है और नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



इस प्रतिलेखना में पूर्ण चदर का एक पार्श्व भाग ६ भागों में और १८ खंडों में विभक्त किया गया है । इसी प्रकार पूर्ण चदर का दूसरा पार्श्व भाग भी ६ भागों में और १८ खंडों में विभक्त किया जाए और उसकी प्रतिलेखना की जाए, इस प्रकार एक चदर की प्रतिलेखना में चदर के वारह भाग (पुरिमा) और छत्तीस खंड (खोडा) किये जाते हैं ।

सूत्र में चादर के एक पार्श्व भाग की अपेक्षा से “छ पुरिमा” कहे गये हैं तथा एक पार्श्व भाग के एक पट की (लम्बाई पाँच हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की) अपेक्षा से “नव खोडा” कहे गये हैं ।

२ उत्त. अ. २६, गा. २५-२६ ।

उपकरण का प्रत्यर्पण एवं प्रत्याख्यान—३

पडिहारिअ सुई आईणं पच्चप्पण विही—

२८८. से आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा-जाव-से किं पुण तत्थोसगहंसि एवोसगहियंसि ?

जे तत्थ गहावतोण वा-जाव-कम्मकरोण वा सुई वा; पिप्पलए वा, कणसोहणए वा, गहच्छेदणए वा, तं अप्पणो एगस्स अट्ठाए पडिहारियं जाइत्ता णो अप्पणवणस्स देज्ज वा अणुप-देज्ज वा ।

सयं करणिज्जं ति कट्टु से तमायाए तत्थ गच्छेज्जा, गच्छित्ता पुव्वामेव उत्ताणए हत्थे कट्टु, सुमीए वा ठ्वेत्ता, 'इमं खलु-इमं खलु' ति आलोएज्जा, णो चेव णं सयं पाणिणा परपाणिसि पच्चप्पिणेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ. १, सु. ६

अविहीए सुई आईणं पच्चप्पिणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२८९. जे भिक्खू अविहीए सुईं पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अविहीए पिप्पलगं पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अविहीए नहच्छेणगं पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अविहीए कणसोहणगं पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ भासियं परिहारट्ठाणं अणुगघाइयं ।

—नि. उ. १, सु. ३५-३८

णिच्छियकडे काले दंडाइय न पच्चप्पिणंतस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२९०. जे भिक्खू पाडिहारियं दंडयं वा-जाव-वेणुसुईं वा जाइत्ता "तामेव रयणिं पच्चप्पिणिस्सामि ति" सुए पच्चप्पिणइ पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पाडिहारियं दंडयं वा-जाव-वेणुसुईं वा जाइत्ता "सुए पच्चप्पिणिस्सामि ति" तामेव रयणिं पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सागारिय-संतियं दंडयं वा-जाव-वेणुसुईं वा जाइत्ता "तामेव रयणिं पच्चप्पिणिस्सामि ति" सुए पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

प्रातिहारिक सूई आदि के प्रत्यर्पण की विधि—

२८८. धर्मशाला—यावत्—परिव्राजकों के आश्रम में—यावत्—आजा ग्रहण कर लेने के बाद साधु और क्या करे ?

गृहस्थ—यावत्—नौकरानियों से कार्यवशा सूई, कैंची, कर्ण-शोधनक या नख छेदनक आदि अपने स्वयं के लिए प्रातिहारिक रूप से याचना करके लाया हो तो वह उन चीजों को परस्पर एक-दूसरे साधु को न दे अथवा न सौंपे ।

किन्तु स्वयं का कर्तव्य समझकर उन प्रातिहारिक उपकरणों को लेकर गृहस्थ के यहाँ जाये और खुले हाथ में रखकर या भूमि पर रखकर गृहस्थ से कहे—“यद्द तुम्हारा अमुक पदार्थ है, यह तुम्हारा अमुक पदार्थ है ।” (इसे सँभाल लो, देख लो) परन्तु उन सूई आदि उपकरणों को साधु अपने हाथ से गृहस्थ के हाथ पर रखकर न सौंपे ।

अविधि से सूई आदि के प्रत्यर्पण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२८९. जो भिक्षु सूई को अविधि से प्रत्यर्पण (वापिस सौंपना) करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कैंची को अविधि से प्रत्यर्पित करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नख छेदनक को अविधि से प्रत्यर्पित करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कर्णशोधनक को अविधि से प्रत्यर्पित करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निश्चित काल में दण्डादि के न लौटाने के प्रायश्चित्त सूत्र—

२९०. जो भिक्षु लौटाने योग्य दण्ड—यावत्—चांस की सूई की याचना करके “आज ही लौटा दूंगा” ऐसा कहकर कल लौटाता है, लौटाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु लौटाने योग्य दण्ड—यावत्—चांस की सूई की याचना करके “कल लौटा दूंगा” ऐसा कहकर आज ही लौटाता है, लौटाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शय्यातर के दण्ड—यावत्—चांस की सूई की याचना करके “आज ही लौटा दूंगा” ऐसा कहकर कल लौटाता है, लौटाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु सागारिय-संतियं दंडयं वा-जाव-वेणुसुइं वा जाइत्ता "सुए पच्चप्पिणिस्सामि त्ति" तामेव रयणि पच्चप्पिणइ, पच्चप्पिणंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

— नि. उ. ५, सु. १६-२२

उवहि-पच्चक्खाण फलं—

२६१. प०—उवहि-पच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—उवहि पच्चक्खाणेणं अपलिमंथं जणयइ, निरुवहिए णं जीवे निक्कंखी उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सई ।

—उत्त. अ. २६, सु. ३६

पद्मट्ट उवगरणस्स एसणा—

२६२. निगंथस्स णं गाहावइकुलं पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिबभट्टे सिया, तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय जत्येव अन्नमन्नं पासेज्जा तत्येव एवं वएज्जा—

प०—इमे भे अज्जो ! किं परिस्साए ?

उ०—से य वएज्जा—“परिस्साए” तस्सेव पडिणिज्जाए-यन्वे सिया ।

से य वएज्जा—“नो परिस्साए” तं नो अप्पणा परि-भुजेज्जा, नो अन्नमन्नस्स दावए एगंते बहुफासुए थण्डिले परिट्ठवेयन्वे सिया ।

निगंथस्स णं बहिया विहारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खन्तस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिबभट्टे सिया,

तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय जत्येव अन्नमन्नं पासेज्जा तत्येव एवं वएज्जा—

प०—“इमे भे अज्जो ! किं परिस्साए ?

उ०—से य वएज्जा—“परिस्साए” तस्सेव पडिणिज्जाएयन्वे सिया ।

से य वएज्जा—“नो परिस्साए” तं नो अप्पणा परि-भुजेज्जा, नो अन्नमन्नस्स दावए एगंते बहुफासुए थण्डिले परिट्ठवेयन्वे सिया ।

निगंथस्स णं गामाणुगामं दूइज्जमाणस्स अन्नयरे उवगरणजाए परिबभट्टे सिया,

जो भिक्षु शय्यातर के दण्ड,—यावत्—वांस की सूई की याचना करके “कल लौटा दूंगा” ऐसा कहकर आज ही लौटाता है, लौटवाता है, लौटाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

उपधि प्रत्याख्यान का फल—

२६१. प्र०—भन्ते ! उपधि प्रत्याख्यान से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उ०—उपधि प्रत्याख्यान से स्वाध्याय आदि में निर्विघ्नता प्राप्त करता है । उपधि विहीन जीव निरीह (आकांक्षा रहित) बन जाता है और उपधि के अभाव में संक्लेश नहीं पाता है ।

पतित या विस्मृत उपकरण की एषणा—

२६२. निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे और कहीं पर उसका कोई लघु उपकरण गिर जाए—

उस उपकरण को यदि कोई साधर्मिक श्रमण देखे तो— “जिसका यह उपकरण है उसे दे दूंगा” इस भावना से लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे वहाँ इस प्रकार कहे—

प्र०—“हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?”

उ०—वह कहे—“हाँ पहचानता हूँ” तो उस उपकरण को उसे दे दे ।

यदि वह कहे—“मैं नहीं पहचानता हूँ ।” तो उस उपकरण का न स्वयं उपभोग करे और न अन्य किसी को दे किन्तु एकांत प्रासुक (निर्जीव) भूमि पर उसे परठ दे ।

स्वाध्याय भूमि से या उन्चार-प्रस्रवण भूमि से निकलते हुए निर्ग्रन्थ का कोई लघु उपकरण गिर जाए—

उस उपकरण को यदि कोई साधर्मिक श्रमण देखे तो— “जिसका यह उपकरण है उसे दे दूंगा ।” इस भावना से लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण को देखे वहाँ इस प्रकार कहे—

प्र०—“हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?”

उ०—वह कहे—“हाँ पहचानता हूँ”—तो उस उपकरण को उसे दे दे ।

यदि वह कहे “मैं नहीं पहचानता हूँ” तो उस उपकरण का न स्वयं उपयोग करे और न अन्य किसी को दे किन्तु एकान्त प्रासुक भूमि पर उसे छोड़ दे ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए निर्ग्रन्थ का यदि कोई उपकरण गिर जाए—

तं च केई साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से सागारकडं
गहाय दूरमवि अट्ठाणं परिवहित्तए, जत्येव अन्नमन्नं
पासेज्जा तत्येव एवं वएज्जा—

प०—“इमे भे अज्जो ! किं परिस्नाए ?

उ०—से य वएज्जा—“परिष्णाए” तस्सेव पडिणिज्जाए-
यव्वे सिया ।

से य वएज्जा—“नो परिस्नाए” तं नो अप्पणा परि-
भुंजेज्जा, नो अन्नमन्नस्स दावए, एगंते बह्फासुए
यण्डिले परिट्ठवेयव्वे सिया ।

—वव. उ. ८, सु. १३-१५

उस उपकरण को यदि कोई साधर्मिक श्रमण देखे—तो
“जिसका यह उपकरण है उसे दे दूंगा”—इस भावना से वह
उस उपकरण को दूर तक भी लेकर जाए और जहाँ किसी श्रमण
को देखे वहाँ इस प्रकार कहे—

प्र०—“हे आर्य ! इस उपकरण को पहचानते हो ?”

उ० - वह कहे—“हाँ पहचानता हूँ” तो उस उपकरण को
उसे दे दे ।

यदि वह कहे “मैं नहीं पहचानता हूँ” तो उस उपकरण को
न स्वयं उपभोग करे और न अन्य किसी को दे किन्तु एकान्त
प्रासुक भूमि पर उसे छोड़ दे ।



(५) उच्चार-प्रस्त्रवण निक्षेप समिति

परिष्ठापना की विधि—१

परिष्ठावणिया समिई सरूवं—

२६३. उच्चारं पासवणं, खलं सिघाण-जल्लियं ।
आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥

—उत्त. अ. २४, गा. १५

उच्चारं पासवणं, खलं सिघाण जल्लियं ।
फासुयं पडिलेहिता, परिष्ठावेज्ज संजए ॥

—दस. अ. ८, गा. १८

थंडिलस्स चउभंगो—

२६४. अणावायमसंलोए, अणावाए चेव होइ संलोए ।
आवायमसंलोए, आवाए चेव संलोए ॥

—उत्त. अ. २४, गा. १६

दस लक्खण जुत्त थंडिले परिष्ठावण विहाणो—

२६५. अणावायमसंलोए, परस्सणुवघाइए ।
समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयंमि य ॥

वित्थिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने बिलवज्जिए ।
तसपाण बीधरहिए, उच्चाराईणि वोसिरे ॥

—उत्त. अ. २४, गा. १७-१८

परिष्ठापना समिति का स्वरूप—

२६३. उच्चार=मल प्रस्त्रवण=मूत्र, श्लेष्म, मूंह के अन्दर का कफ, सिघाणक=नासिका का मल, जल्ल—शरीर पर का मैल, आहार, उपधि, शरीर या उसी प्रकार की दूमरी कोई उत्सर्ग करने योग्य वस्तु का श्रमण स्थण्डिल में उत्सर्ग करे ।

संयमी मुनि प्रासुक (जीव रहित) भूमि का पतिलेखन कर वहाँ उच्चार, प्रस्त्रवण, श्लेष्म, नाक के मैल और शरीर के मैल का उत्सर्ग करे ।

स्थण्डिल की चौभंगी—

२६४. चार प्रकार के स्थण्डिल—

१. अनापात-असंलोक—जहाँ लोगों का आवागमन न हो और वे दूर से भी न देखते हैं ।

२. अनापात-संलोक—जहाँ लोगों का आवागमन न हो, किन्तु वे दूर से देखते हैं ।

३. आपात-असंलोक—जहाँ लोगों का आवागमन हो, किन्तु वे देखते न हैं ।

४. आपात-संलोक—जहाँ लोगों का आवागमन भी हो, और वे देखते भी हैं ।

दस लक्षण युक्त स्थंडिल में परठने का विधान—

२६५. १. जहाँ कोई आता नहीं और देखता भी नहीं ।

२. जहाँ पर मल-मूत्रादि डालने से किसी व्यक्ति को आघात न पहुँचे ।

३. भूमि सम हो ।

४. पोलार रहित अर्थात् तृणादि से आच्छादित व दराखों से युक्त न हो ।

५. कुछ समय पहले ही अचित्त हुई हो ।

६. विस्तीर्ण हो (कम से कम एक हाथ लम्बी चौड़ी हो) ।

७. बहुत गहराई (कम से कम चार अंगुल नीचे) तक अचित्त हो ।

८. ग्रामादि से कुछ दूर हो ।

९. मूषक, चींटियाँ आदि के विलों से रहित हो ।

१०. त्रस प्रागियों एवं बीजों से रहित हो ।

तो वहाँ भिक्षु या भिक्षुणियाँ मल-मूत्रादि का परित्याग करें ।

उच्चार-पासवण भूमि पडिलेहण विहाणं—

२६६. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा समाणे वा वसमाणे वा, गामा-
णुगामं द्दइज्जमाणे वा, पुच्चामेव पण्णस्स उच्चार-पासवण-
भूमि पडिलेहेज्जा ।
केवली बूया-आयाणमेयं ।

अप्यडिलेहियाए णं उच्चार-पासवणभूमिए, भिक्खू वा भिक्खूणी
वा रातो वा, वियाले वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेमाणे
पयलेज्ज वा, पवटेज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे
वा हत्थं वा-जाव-इंदियजायं तूसेज्जा वा, पाणाणि वा-जाव-
सत्ताणि वा अभिहणंज्ज वा-जाव-चवरोवेज्जा वा ।

अह भिक्खूणं पुच्चोवदिट्ठा-जाव एस उवएसे, जं पुच्चामेव
पण्णस्स उच्चार-पासवणभूमि पडिलेहेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५६

उच्चारेण उच्चाहिज्जमाणे करणिज्ज विही—

२६७. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उच्चारपासवण-किरियाए उच्च-
हिज्जमाणे सयस्स पादपुंछणस्स। असतीए ततो पच्छा
साहम्मियं जाएज्जा । —आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४५

उच्चाराईणं परिट्टवण विही—

२६८. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा सयपत्तं वा परमात्तं वा गहाय
से तमायाएणुं एगंतमवकमेज्जा, अणावायंसि, असंलोयंसि,
अप्पपाणंसि-जाव-मक्कटासंताणयंसि आहारामंसि वा उव-
स्सयंसि वा ततो संजयामेव उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

उच्चार-पासवणं वोसिरित्ता से तमायाए एगंतमवकमेज्जा
अणावायंसि-जाव-मक्कटासंताणयंसि आहारामंसि^१ क्षामयंडि-
लंसि वा-जाव-अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि
अचित्तंसि ततो संजयामेव उच्चार-पासवणं परिट्टवेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६६७

समणसरीर परिट्टवण उवगरणग्रहण विही—

२६९. भिक्खू य राओ वा वियाले वा आहच्च वोसुंभेज्जा तं च

१ 'पायपुंछणं'—पादपुच्छनसमाध्यादावुच्चारदिकं कुर्यात्—पादपुच्छनसमाध्यादिकमिति—टीकाकार ने "पादपुच्छनक" शब्द का
अर्थ 'समाधि पात्र आदि' किया है। जो आज भी व्यवहार में "समाधिया" शब्द प्रचलित है।

२ वगीचे के पास की स्थंडिल योग्य भूमि में ।

उच्चार-प्रसवण भूमि के प्रतिलेखन का विधान—

२६६. भिक्षु या भिक्षुणी स्थिर वास हों, मासकल्प आदि रहे हों
या ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कहीं ठहरे हों तो प्रज्ञावान् साधु
को चाहिए कि वह उच्चार प्रसवण भूमि का प्रतिलेखन करे ।

केवली भगवान ने कहा है कि (प्रतिलेखन नहीं करना) कर्म-
बन्ध का कारण है ।

(क्योंकि) भिक्षु या भिक्षुणी रात्रि में या विकाल में अप्रति-
लेखित भूमि में मल-मूत्रादि का परिष्ठापन करता हुआ फिसल
सकता है या गिर सकता है । फिसलने या गिर पड़ने से उसके
हाथ—यावत्—किसी भी अंगोपांग में चोट लग सकती है । वहाँ
स्थित प्राणी—यावत्—सत्त्व का हनन हो सकता है—यावत्—
वे मर सकते हैं ।

इसलिए भिक्षु को पहले से ही यह प्रतिज्ञा—यावत्—उपदेश
दिया है कि प्रज्ञावान् साधु पहले से ही मल-मूत्र परिष्ठापन भूमि
की प्रतिलेखना करे ।

मल-मूत्र की प्रवल वाधा होने पर करने की विधि—

२६७. भिक्षु या भिक्षुणी मल-मूत्र की प्रवल वाधा होने पर अपने
पादप्रोच्छनक के अभाव में साधमिक साधु से उसकी याचना
करे ।

मल-मूत्रादि को परठने की विधि—

२६८. (उच्चार प्रसवण विसर्जन योग्य स्थण्डिल न मिले तब)
भिक्षु या भिक्षुणी स्वपात्रक (स्वभाजन) या परपात्रक (दूसरे का
भाजन) लेकर उपाश्रय या वगीचे के एकान्त स्थान में चला जाए,
जहाँ पर कोई आता-जाता न हो और कोई देखता न हो तथा
प्राणी—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित हो, वहाँ यतनापूर्वक
मल-मूत्र विसर्जन करे ।

विसर्जन करके उस पात्र को लेकर एकान्त स्थान में जाए,
जहाँ कोई आता-जाता न हो—यावत्—मकड़ी के जाले न हो,
ऐसी वगीचे के पास की भूमि में, दग्ध अचित्त भूमि में—यावत्—
इसी प्रकार की अन्य अचित्त भूमि में यतनापूर्वक मल-मूत्र का
परिष्ठापन करे ।

श्रमण के मृत शरीर को परठने की और उपकरणों को
ग्रहण करने की विधि—

२६९. यदि कोई भिक्षु रात्रि में या विकाल में मर जाय तो उस

—आ. टीका. सु. १६५ की वृत्ति पत्र ४०६ (पृ. २७३)

सरीरगं केइ वेयावच्चकरे भिक्खू इच्छेज्जा एगंते बहुफासुए पएसे परिट्टवेत्ताए ।

अत्थि य इत्थि केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचित्ते परिहरणारिहे कप्पइ से सागारकडं गहाय तं सरीरगं एगंते बहुफासुए पएसे परिट्टवेत्ता तत्थेव उवनिक्खिवियव्वे सिया ।

—कप्प. उ. ४, सु. २६

गामानुग्रामं दूइज्जमाणे भिक्खू य आहच्च वीसुभेज्जा, तं च सरीरगं केइ साहम्मिए पासेज्जा, कप्पइ से तं सरीरगं 'मा सागारियं' ति कट्ठु एगंते अचित्ते बहुफासुए थंडिल्ले पडिल्लेहिता यमज्जिता परिट्टवेत्ताए ।

अत्थि य इत्थि केइ साहम्मिय संतिए उवगरणजाए परिहरणारिहे कप्पइ से सागारकडं गहाय दोच्चंपि ओगहं अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्ताए ।

—वव. उ. ७, सु. २१

मृत भिक्षु के शरीर को कोई वैयावृत्य करने वाला साधु एकान्त में सर्वथा अचित्त प्रदेश में परठना चाहे उस समय—

यदि वहाँ उपयोग में आने योग्य गृहस्थ का कोई अचित्त उपकरण (वहन योग्य काष्ठ) हो तो उसे पुनः लौटाने का कहकर ग्रहण करे और उससे उस मृत भिक्षु के शरीर को एकान्त और सर्वथा अचित्त प्रदेश पर परठ कर उस वहन-काष्ठ को यथास्थान रख देना चाहिए ।

ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ भिक्षु यदि अकस्मात् मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसके शरीर को कोई श्रमण देखे और यह जान ले कि यहाँ कोई गृहस्थ नहीं है तो उस मृत श्रमण के शरीर को एकान्त निर्जीव भूमि में प्रतिलेखन व प्रमार्जन करके परठना कल्पता है ।

यदि उस मृत श्रमण के कोई उपकरण उपयोग में लेने योग्य हों तो उन्हें सागार कृत ग्रहण कर पुनः आचार्यादि की आज्ञा लेकर उपयोग में लेना कल्पता है ।



परिष्ठापना का निषेध-२

उद्देशियाई थंडिले उच्चाराईणं परिट्टवणणिसेहो—

३००. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा अस्सिपडियाए—

एगं साहम्मियं समुद्दिस्स—

वहवे साहम्मिया समुद्दिस्स—

एगं साहम्मिणिं समुद्दिस्स,

वहवे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स

वहवे समण, माहण, अतिहि, किवण, वणीमगे पगणिय पगणिय समुद्दिस्स पाणाइं-जाव-सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स -जाव-चेएइ,

तहप्पगारं थंडिलं पुरिसंतरकडं वा, अपुरिसंतरकडं वा जावणो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४८

परिकम्म कए थंडिले उच्चाराईणं परिट्टवणणिसेहो—

३०१. से भिक्खू वा, भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—

अस्सिपडियाए कीयं वा. कारियं वा. पामिच्चियं वा, छन्नं

उद्देशिक आदि स्थंडिल में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध—

३००. भिक्षु या भिक्षुणी यदि इस प्रकार का स्थण्डिल जाने कि किसी गृहस्थ ने अपने लिये न बनाकर—

एक साधर्मिक साधु के लिए,

बहुत से साधर्मिक साधुओं के लिए,

एक साधर्मिणी साधु की के लिए,

बहुत सी साधर्मिणी साधुओं के लिए तथा

बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्री या भिखारियों को गिन-गिनकर उनके उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके स्थंडिल बनाया है—यावत्—देता है,

वह पुरुषान्तरकृत हो या पुरुषान्तरकृत न हो—यावत्—उस स्थण्डिल भूमि में मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

परिकर्म किये हुए स्थंडिल में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध—

३०१. भिक्षु या भिक्षुणी इस प्रकार का स्थण्डिल जाने कि गृहस्थ ने साधु के लिये खरीदा है, बनवाया है, उधार लिया है, उस पर

वा, घट्टं वा, मट्टं वा; लिलं वा, समट्टं वा, संपधूवितं वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।
—आ. नु. २, अ. १०, मु. ६५०

विविध ठाणेषु उच्चाराईणं परिट्टवणणिसेहो—

३०२. से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा, अंतातो वा बाहो णीहरति बहियाओ वा अंतो साहरति, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—खंधंसि वा, पोढंसि वा मंचंसि वा, मालंसि वा, अट्टंसि वा, पासादंसि वा, अण्णतरंसि वा, तहप्पगारंसि वा थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—अण्णतरहियाए पुट्ठीए-जाव-मक्कटासंताणयंसि, अण्णतरंसि वा, तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा कंदाणि वा-जाव-हरियाणि वा परिसाडंमु वा परिसादंति वा परिसाडिस्संति वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—इह खलु गाहावती वा-जाव-कम्मकरीओ वा, सालीणि वा वीहीणि वा, मुग्गाणि वा, मासाणि वा तिलाणि वा, कुलत्याणि वा, जवाणि वा, जवजवाणि वा, पडरिसु वा, पडरंति वा, पडरिस्संति वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—आमो-याणि वा, घसाणि वा, भिलुयाणि वा, विज्जलाणि वा, खाणुयाणि वा, फट्ठाणि वा, पगत्ताणि वा, दरीणि वा, पटुग्गाणि वा, समाणि वा, विसमाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—माणुसरंधणाणि वा, महिसकरणाणि वा, वसभकरणाणि वा, अस्सकरणाणि वा, कुक्कुडकरणाणि वा, मक्कटकरणाणि वा

छप्पर छाया है वा छत डाली है, उसे सम किया है, कोमल वा चिकना बना दिया है, उसे लीपा पोता है, संवारा है, धूप आदि पदार्थों से सुगन्धित किया है अथवा अन्य भी इस प्रकार के आरम्भ समारम्भ करके तैयार किया है तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर भिक्षु मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

विभिन्न स्थानों में मल-मूत्रादि के परठने का निषेध—

३०२. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ कि—गृहपति—यावत्—नौकरानियाँ कन्द,—यावत्—हरी वनस्पतियों को अन्दर से बाहर ले जा रहे हैं या बाहर से अन्दर ले जा रहे हैं, अथवा अन्य भी उसी प्रकार की स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे स्थण्डिल को जाने जो कि स्तम्भगृह, चबूतरा, मचान, माला, अटारी, महल या अन्य भी इस प्रकार का कोई स्थान है वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे स्थण्डिल को जाने, जो कि सचित्त पृथ्वी के निकट है,—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है एवं अन्य भी इसी प्रकार का स्थण्डिल है वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जहाँ पर गृहस्थ या नौकरानियों ने कंद—यावत्—हरियाली आदि फैलाई है फैला रहे हैं, फैलायेँगे अथवा अन्य भी इस प्रकार का स्थण्डिल हो वहाँ पर मल-मूत्र का त्याग न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि—जहाँ पर गृहस्थ—यावत्—नौकरानियों ने शाली, ब्रीहि (धान), मूँग, उड़द, तिल, कुलत्थ, जौ और ज्वार आदि बोए हैं, बो रहे हैं या बोएँगे, अथवा अन्य भी इस प्रकार की स्थण्डिल हो वहाँ मल-मूत्र का विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि, जहाँ पर कचरे के ढेर हों, भूमि फटी हुई या पोली हों, भूमि पर दरारें पड़ी हों, छूँठ हों, ईख के ढंडे हों, बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हों, गुफायें हों, किले की दीवार हों, सम-विपम स्थान हो अथवा अन्य भी इसी प्रकार के ऊबड़-खावड़ स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ मनुष्यों के भोजन पकाने के चूल्हे आदि हों, अथवा भैंस, बैल, घोड़ा, मुर्गा या बन्दर, लावक पक्षी, चत्तक, तीतर, कबूतर,

लाव्यकरणाणि वा, वृह्यकरणाणि वा, तित्तिरकरणाणि वा, क्वोतकरणाणि वा, कर्पिलन्नकरणाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।
से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—वेहा-णसट्टाणेसु वा, गिद्धपिट्ठट्टाणेसु वा, तरुपडणट्टाणेसु वा मेरुपड-णट्टाणेसु वा, विसभक्खणट्टाणेसु वा, अगणिकंडणट्टाणेसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—आरामाणि वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, वणसंडाणि वा, देवकुलाणि वा, सभाणि वा, पवाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।
से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—अट्टालयाणि वा, चरियाणि वा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—तिगाणि वा, चउक्काणि वा, चच्चराणि वा, चउमुहाणि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—इंगालडाहेसु वा, खारडाहेसु वा, मडयडाहेसु वा, मडयथूमि-यामु वा, मडयचेतिएसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—णदिआयतणेसु वा, पंकायतणेसु वा, ओघायतणेसु वा, सेयण-पहंसि वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—णवियासु वा मट्टियखाणियासु, णवियासु वा, गोलेहणियासु, गवायणीसु वा, खाणीसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—डागवच्चंसि वा, सागवच्चंसि वा, मूलगवच्चंसि वा, हत्थं-कुरवच्चंसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—असणवणंसि वा, सणवणंसि वा, धायइवणंसि वा, केयइ-

कर्पिजल आदि के आश्रय स्थान हों, अथवा अन्य भी इसी प्रकार के स्थान हों तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ फाँसी पर लटकाने के स्थान हों, गिद्धों का कलेवर खाने का स्थान हो, वृक्ष पर से गिरकर मरने का स्थान हो, पर्वत से अंपापात करके मरने के स्थान हों, विपभक्षण करके मरने के स्थान हों, या आग में गिरने के स्थान हों, अथवा अन्य इस प्रकार के स्थान हों वहाँ पर मल-मूत्र त्याग न करें ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जैसे कि—वगीचा (उपवन), उद्यान, वन, वनखण्ड, देवकुल, सभा, प्याऊ हो अथवा अन्य भी इस प्रकार के (कोई पवित्र या रमणीय) स्थान हों तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जैसे कि—कोट की अटारी हो, किले और नगर के बीच के मार्ग हो, द्वार हों, नगर के मुख्य द्वार हों अथवा अन्य भी इस प्रकार के स्थल हों तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जहाँ तीन मार्ग मिलते हों, चार मार्ग मिलते हों, अनेक मार्ग मिलते हों, चतुर्मुख स्थान हों, अथवा अन्य भी इस प्रकार के स्थान हों वहाँ मल मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जहाँ लकड़ियाँ जलाकर कोयले बनाये जाते हैं, साजी खार आदि तैयार किये जाते हैं, मुद्दे जलाने के स्थान हैं, मृत्क के स्तूप हैं, मृत्क के चैत्य हैं, अथवा अन्य भी इस प्रकार के कोई स्थण्डिल हों तो वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि जो नदी के तट पर बने स्थान हैं, पंकवहुल आयतन हैं, जल प्रवाह के स्थान हैं, जल ले जाने के मार्ग हैं, अथवा अन्य भी इस प्रकार के जो स्थण्डिल हों, वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि मिट्टी की नई खानें हैं, नई हल चलाई भूमि है, गायों के चरने की भूमि है, अन्य खानें हैं, अथवा अन्य इस प्रकार की कोई स्थण्डिल हो तो वहाँ मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ डाल-प्रधान शाक के खेत हैं, पत्र-प्रधान शाक के खेत हैं, मूली गाजर के खेत हैं, हस्तंकुर वनस्पति विशेष के खेत हैं, अथवा अन्य भी उस प्रकार के स्थल हैं तो वहाँ पर मल-मूत्र विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ बीजक वृक्ष का वन है; पटसन का वन है, घातकी (आंवला) वृक्ष का

वर्णसि वा, अंबवर्णसि वा, असोगवर्णसि वा, पागवर्णसि वा, पुत्रागवर्णसि वा, अण्णघरेसु वा तहप्पगारेसु पत्तोवणसु वा, पुप्फोवणसु वा, फलोवणसु वा, बीओवणसु वा, हरितोवणसु वा णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६५०-६६६

वन है, केवडे का उपवन है, आम्रवन है, अणोक वन है, नागवन है, या पुत्रागवृक्षों का वन है, अथवा अन्य भी इस प्रकार के स्थण्डिल जो पत्रों, पुष्पों, फलों, बीजों या हरियाली से युक्त हों, उनमें मल-मूत्र विसर्जन न करे ।



परिष्ठापना के विधि-निषेध—३

फासुय-अफासुय थंडिले परिट्ठवण विहि-णिसेहो—

३०३. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—
सअंठं-जाव-मक्कटासंताणयं तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो
उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—
अप्पंठं-जाव-मक्कटासंताणयं तहप्पगारंसि थंडिलंसि उच्चार-
पासवणं वोसिरेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४६-६४७

समण माहणाई उद्देसिय थंडिले परिट्ठवण विहि-णिसेहो—

३०४. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से जं पुण थंडिलं जाणेज्जा—
वहवे समण-माहण अतिही-किवण-अणोमग-समुद्दिस्स पाणाइं
-जाव-सत्ताइं-समारम्म-जाव-चेतेति, तहप्पगारं थंडिलं
अपुरिसंतरकटं-जाव-अणासेवियं, णो उच्चार-पासवणं
वोसिरेज्जा ।

अह पुणेय जाणेज्जा पुरिसंतरकटं-जाव-आसेवियं, तथो
संजयामेव उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा ।

—आ. सु. २, अ. १०, सु. ६४६

प्रासुक-अप्रासुक स्थण्डिल में परठने का विधि-निषेध—

३०३. भिक्षु या भिक्षुणी ऐसी स्थण्डिल भूमि को जाने, जो कि अण्डों—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त है तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर मल-मूत्र का विसर्जन न करे ।

भिक्षु या भिक्षुणी ऐसी स्थण्डिल भूमि को जाने, जो अण्डे रहित—यावत्—मकड़ी के जालों से रहित है तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर मल-मूत्र विसर्जन कर सकता है ।

श्रमण-ब्राह्मण के उद्देश्य से बनी स्थण्डिल में परठने का विधि-निषेध—

३०४. भिक्षु या भिक्षुणी यदि ऐसे स्थण्डिल को जाने कि गृहस्थ ने बहुत से गाय्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण या भिक्षारियों के उद्देश्य से प्राणी—यावत्—सत्त्वों का समारम्भ करके—यावत्—बनाया है तो उस प्रकार की स्थण्डिल भूमि अपुरुष-पान्तरकृत—यावत्—अनासेवित है तो उस में मल-मूत्र का विसर्जन न करे ।

यदि यह जाने कि पुरुषान्तरकृत—यावत्—आसेवित हो गई है तो उस प्रकार की स्थण्डिल भूमि में मल-मूत्र विसर्जन करे ।



निषिद्ध परिष्ठापना सम्बन्धी प्रायश्चित्त—४

गिसिद्धठाणेषु उच्चाराई-परिट्ठवणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३०५. (१) जे भिक्खू गिहंसि वा गिह-मुहंसि वा, गिह-दुवारियंसि वा, गिह-पडिदुवारियंसि वा, गिहेलुयंसि वा, गिहंगणंसि वा, गिह-वच्चंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(२) जे भिक्खू मडग-गिहंसि वा, मडग-छारियंसि वा, मडगयूभियंसि वा, मडगभासयंसि वा, मडग-लेणंसि वा, मडग-वच्चंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(३) जे भिक्खू इंगाल-दाहंसि वा, खार-दाहंसि वा, गात-दाहंसि वा, तुसदाहंसि वा, भुसदाहंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(४) जे भिक्खू अभिणवियासु वा गोलेहणियासु, अभिण-वियासु वा मट्टिया-खाणिसु, परिभुज्जमाणियासु वा, अपरि-भुज्जमाणियासु वा उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(५) जे भिक्खू सेयायणंसि वा, पंकेंसि वा, पणगंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(६) जे भिक्खू उंवर-वच्चंसि वा, णगोह-वच्चंसि वा, असोत्थ-वच्चंसि वा, पिलक्खु-वच्चंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(७) जे भिक्खू डाग-वच्चंसि वा, साग-वच्चंसि वा, मूलय-वच्चंसि वा, कोत्थुंभरि-वच्चंसि वा, खार-वच्चंसि वा, जीरय-वच्चंसि वा, दमण-वच्चंसि वा, मरुग-वच्चंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(८) जे भिक्खू इक्खु-वणंसि वा, साल-वणंसि वा, कुसुंभ-वणंसि वा, कप्पास-वणंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

(९) जे भिक्खू असोग-वणंसि वा, सत्तिवण-वणंसि वा, चंपम-वणंसि वा, चूय-वणंसि वा, अण्णयरेसु वा, तहप्प-गारेसु वा पत्तोवएसु, पुप्फोवएसु, फलोवएसु, वीओवएसु उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

निषिद्ध स्थानों पर उच्चार-प्रसवण परिष्ठापन के प्राय-श्चित्त सूत्र—

३०५. जो भिक्षु घर में, घर के मुँह पर, घर के द्वार पर, घर के प्रतिद्वार पर, घर के द्वार के मध्य के स्थान में, घर के आंगन में, घर की शेष भूमि में मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु मुर्दा घर में, मुर्दे की राख पर, मुर्दे के स्तूप पर, मुर्दे के आश्रय स्थान पर, मुर्दे के लयन पर, मुर्दे के स्थण्डिल पर, श्मशान के चौरफ की भूमि पर मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कोयले बनाने की भूमि पर, सज्जी क्षार आदि बनाने की भूमि पर, पशुओं को डामने की भूमि पर, तुस जलाने की भूमि पर, भूसा (अनाज का छिलका) जलाने की भूमि पर मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नवीन हल चलाई भूमि में या नवीन मिट्टी की खान में, जहाँ कि लोग मल-मूत्र के लिये जाते हों या नहीं जाते हों, वहाँ मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नमी वाली भूमि पर, कीचड़ पर, पनक पर, मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु उंवर (गूलर), बड़, पीपल और पीपली के फूल संग्रह करने के स्थान पर मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु भाजी, साग, मूले, कोत्थुंवर, घाणा, जीरा, दमणक (सुगन्धित वनस्पति विशेष) मरुग (वनस्पति विशेष) के संग्रह के स्थान या उत्पन्न होने की वाडियों में मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ईक्षु, शालि, कुसुंभ या कपास के खेत में मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अशोक वन में, सप्तपर्ण वन में, चंपक वन में, आम्रवन में, या अन्य भी ऐसे स्थल जो कि पत्र, पुष्प, फल और बीज आदि से युक्त हों वहाँ मल-मूत्र परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३, सु. ७१-७९

जे भिक्खू खुट्ठागंसि थंदिर्सि उच्चार पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. १०४

जे भिक्खू आगंतागारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उज्जाणंसि वा, उज्जाणगिहंसि वा, उज्जाण-सालंसि वा निज्जाणंसि वा, निज्जाणगिहंसि वा, निज्जाण-सालंसि वा उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अट्टंसि वा, अट्टालयंसि वा, चरियंसि वा, पागा-रंसि वा, दारंसि वा, गोपुरंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्ट-वेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दगमगंसि वा, दगपहंसि वा, दगतीरंसि वा, दगट्टावणंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू सुन्नगिहंसि वा, सुन्नसालंसि वा, मिन्नगिहंसि वा, मिन्नसालंसि वा, कूटागारंसि वा, कोट्टागारंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू तणगिहंसि वा, तणसालंसि वा, तुसगिहंसि वा, तुससालंसि वा, भुसगिहंसि वा, भुससालंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू जाणसालंसि वा, जाणगिहंसि वा, जुगगिहंसि वा, जुगसालंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पणियसालंसि वा, पणियगिहंसि वा, परियासालंसि वा, परियागिहंसि वा, कुवियसालंसि वा, कुवियगिहंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू गोणसालंसि वा, गोणगिहंसि वा, महाकुलंसि वा, महागिहंसि वा, उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्भासियं परिहारद्वानं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ६६-७४

जे भिक्खू अणंतरहियाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्टवेइ, परिट्टवेत्तं वा साइज्जइ ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु छोटी-सी स्यण्डिल भूमि में उच्चार प्रसवण पर-ठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओं में, उद्यानों में, गाथापति कुलों में या आश्रमों में मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु उद्यान में, उद्यान गृह में, उद्यानशाला में, नगर के बाहर बने हुए स्थान में, नगर के बाहर बने हुए घर में, नगर के बाहर बनी हुई शाला में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु चतुतरे पर, अट्टालिका में, चरिका में, प्राकार पर, द्वार में, गोपुर में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु जल मार्ग में, जल पथ में, जलाशय के तीर पर, जल स्थान पर, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शून्य गृह में, शून्य शाला में, टूटे घर में, टूठी शाला में, कूटागार में, कोट्टागार में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु तृण गृह में, तृणशाला में, तुस गृह में, तुसशाला में, भुस (छिलके) गृह में, भुसशाला में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु यान शाला में, यान गृह में, वाहन शाला में, वाहन गृह में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु विक्रयशाला में, विक्रय गृह में, परिव्राजकशाला में, परिव्राजक गृह में, कर्मशाला में, कर्म गृह में, मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वैलशाला में, वैल गृह में, महाकुल में, महागृह में मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु सच्चित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर मल-मूत्र का परित्याग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन

जे भिक्खू ससिणिद्धाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ससरक्खाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू मट्ठियाकडाए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए पुढवीए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू चित्तमंताए लेलुए उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ,
परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कोलावासंसि वा दारूप जीवपइट्ठिए, सअंडे-जाव-
मक्कडा-संताणए, उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू थूणंसि वा, गिहेलुयंसि वा, उसुयालंसि वा, काम-
जलंसि वा, दुब्बद्धे, दुब्बिखित्ते, अनिकंपे चलाचले, उच्चार-
पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू कुलियंसि वा, भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलुंसि
वा, अंतलिकखजायंसि वा दुब्बद्धे, दुब्बिखित्ते अणिकंपे, चला-
चले उच्चार-पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू खंधंसि वा, फलहंसि वा, मंचंसि वा, मंडवंसि वा,
मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मियतलंसि वा, अंतलिकख-
जायंसि वा, दुब्बद्धे, दुब्बिखित्ते, अनिकंपे चलाचले उच्चार-
पासवणं परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु. ४१-५१

अण्णउत्थियाइ सद्धि थंडिल-गमण-पायच्छित्त सुत्तं—

३०६. जे भिक्खू अण्णउत्थिएणं वा गारत्थिएणं वा परिहारिओ
वा, अपरिहारिएणं सद्धि वहिया विहार-भूमिं वियार-भूमिं वा
णिकखमइ वा पविसइ वा णिकखमंतं वा पविसितं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. २, सु. ४१

आउडे ठाणे उच्चाराइ परिट्ठवणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

३०७. जे भिक्खू दिया वा राओ वा वियाले वा उच्चार-पासवणेणं

जे भिक्षु सस्निग्ध पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है,
परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु सचित्त रज युक्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता
है, परठवाता है, या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु सचित्त मिट्टी विखरी हुई पृथ्वी पर उच्चार-
प्रस्रवण परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जे भिक्षु सचित्त पृथ्वी पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है,
परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु सचित्त शिला पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है,
परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु सचित्त शिलाखण्ड आदि पर उच्चार-प्रस्रवण
परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु दीमक लगे जीव युक्त काष्ठ पर तथा अण्डे
—यावत्—मकड़ी के जालों से युक्त स्थान पर उच्चार-प्रस्रवण
परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु दुर्वद्ध, दुर्निक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल, ठूँठ
पर, देहली पर, ओखली पर या स्नान पीठ पर उच्चार-प्रस्रवण
परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु दुर्वद्ध, दुर्निक्षिप्त अनिष्कम्प या चलाचल मिट्टी
की दीवार पर, ईंट आदि की भित्ति पर, शिला पर या शिला
खण्ड-पत्थर आदि अन्तरिक्षजात स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण
परठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षु दुर्वद्ध, दुर्निक्षिप्त, अनिष्कम्प या चलाचल स्कन्ध,
टांड, मंच, मण्डप, माला, महल या हवेली के छत आदि अन्त-
रिक्षजात स्थानों पर उच्चार-प्रस्रवण परठता है, परठवाता है
या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अन्यतीर्थिकादि के साथ स्थंडिल जाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३०६. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ अथवा परि-
हारिक साधु अपरिहारिक के साथ उपाश्रय से बाहर की स्वा-
ध्याय भूमि में या स्थण्डिल में प्रवेश करता है या निष्क्रमण
करता है, प्रवेश कराता है या निष्क्रमण कराता है, प्रवेश करने
वाले का या निष्क्रमण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

आवृत स्थान में मल-सूत्र परठने जाने का प्रायश्चित्त सूत्र —

३०७. जो भिक्षु दिन में, रात में या विकाल (संध्या में) मल-

उब्बाहिज्जमाणे सपायं गहाय, परपायं वा, जाइत्ता उच्चार-
पासवणं परिट्ठवेत्ता, अणुग्गाए सूरिए एडेइ एडेंतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ३ सु. ८०

उच्चार-पासवण भूमि अडिलेहणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३०८. जे भिक्खू साणुप्पए उच्चार-पासवणभूमि न पहिलेहेइ न
पडिलेहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू तओ उच्चार-पासवणभूमिओ न पडिलेहेइ न पडि-
लेहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. १०२-१०३

उच्चारइ अविहिए परिट्ठवणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

३०९. जे भिक्खू उच्चार-पासवणं अविहीए परिट्ठवेइ, परिट्ठवेंतं
वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. १०५

थंडिल सामायारीणं अकरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३१०. जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता न पुंछइ, न पुंछंतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता कट्ठेण वा, किलि-
चेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, पुंछइ, पुंछंतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता णायमइ, णायमंतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता तत्थेव आयमइ,
आयमंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता अइडूरे आयमइ
आयमंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू उच्चार-पासवणं परिट्ठवेत्ता परं तिण्हं णावापुराणं
आयमइ, आयमंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. ४, सु. १०६-१११

मूत्र के वेग से बाधित होने पर अपना पात्र लेकर या दूसरे के
पात्र की याचना कर उसमें मल-मूत्र त्याग करके जहाँ सूर्य का
ताप नहीं आता है ऐसे स्थान पर परठता है, परठवाता है या
परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

उच्चार-प्रस्रवण भूमि के प्रतिलेखन न करने के प्राय-
श्चित्त सूत्र—

३०८. जो भिक्षु चतुर्यं प्रहर में उच्चार-प्रस्रवण (मल-मूत्र
त्यागने) की भूमि का प्रतिलेखन नहीं करता है, नहीं करवाता
है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु तीन उच्चार-प्रस्रवण भूमियों का प्रतिलेखन नहीं
करता है, नहीं करवाता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अविधि से मल-मूत्रादि परठने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३०९. जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण (मल-मूत्र) को अविधि से पर-
ठता है, परठवाता है या परठने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

स्थंडिल सामाचारी के पालन नहीं करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३१०. जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण का त्याग करके (मलद्वार को)
नहीं पूंछता है, नहीं पूंछवाता है या नहीं पूंछने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण का त्याग करके काण्ट से, वांस
की खपच्ची से, अंगुली से या शलाका से, पूंछता है, पूंछवाता है
या पूंछने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण का त्याग करके आचमन नहीं
करता है, नहीं करवाता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु उच्चार प्रस्रवण का त्याग कर वहीं आचमन
करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण का त्याग करके अधिक दूर
जाकर आचमन करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु उच्चार-प्रस्रवण का त्याग करके तीन से अधिक
नावापूर (पसली) से आचमन करता है, करवाता है या करने
वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गुप्ति

गुप्ति-अगुप्ति—१

गुप्तिओ सखुव—

३११. एयाओ पंचसमिईओ, समासेण वियाहिया ।
एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥

—उत्त. अ. २४, गा. १६

गुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुभत्थेसु सव्वसो ।

—उत्त. अ. २४, गा. २६ (२)

तिगुत्तो संजओ—

३१२. हत्थसंजए पायसंजए, वायसंजए संजइंदिए ।
अज्झप्परए सुसमाहियप्पा, सुत्तत्थं च वियाणइ जे स भिक्खू ॥

—दस. अ. १०, गा. १५

गुप्ति अगुत्तिप्पगारा—

३१३. तओ गुत्तिओ पणत्ताओ, तं जहा—

(१) मणगुत्ती, (२) वइगुत्ती, (३) कायगुत्ती^१ ।

संजयमणुस्साणं तओ गुत्तीओ पणत्ताओ, तं जहा—

(१) मणगुत्ती, (२) वइगुत्ती, (३) कायगुत्ती ।

तओ अगुत्तीओ पणत्ताओ, तं जहा—

(१) मणअगुत्ती, (२) वइअगुत्ती, (३) कायअगुत्ती^२ ।

—ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १३४

गुप्ति का स्वरूप—

३११. ये पाँच सन्नितियाँ संक्षेप में कही गई हैं। यहाँ से क्रमशः तीन गुप्तियाँ कहेंगे।

अशुभ व्यापारों से सर्वथा निवृत्ति को गुप्ति कहा है।

त्रिगुप्ति संयत्—

३१२. जो हाथों और पैरों को यतनापूर्वक प्रवृत्त करता है, वाणी में पूर्ण विवेक रखता है, इन्द्रियों को पूर्ण संयत रखता है, अध्यात्म भाव में लीन रहता है, भली-भाँति समाधिस्थ है और जो सूत्र व अर्थ का यथार्थ रूप से ज्ञाता है वह भिक्षु है।

गुप्ति तथा अगुप्ति के प्रकार—

३१३. गुप्ति तीन प्रकार की कही गई है—

१. मन गुप्ति, २. वचन गुप्ति और ३. कायगुप्ति ।
संयत मनुष्यों के तीनों गुप्तियाँ कहीं गई हैं—

१. मन गुप्ति, २. वचन गुप्ति और ३. कायगुप्ति ।
अगुप्ति तीन प्रकार की कही गई है—

१. मन अगुप्ति, २. वचन-अगुप्ति, ३. काय-अगुप्ति ।



मन-गुप्ति—२

गणगुत्ती सखुव—

३१४. संरम्भ समारम्भे आरम्भे य तहेष य ।

मणं पवत्तमाणं तु. नियत्तेज्ज जयं जई ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २१

मन गुप्ति का स्वरूप—

३१४. यतनाशील प्रति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवर्तमान मन का निवर्तन करे।

१ आव० अ० ४, सु० २२ ।

२ मन, वचन और काया के निग्रह को गुप्ति और अनिग्रह को अगुप्ति कहते हैं।

चउव्विहा मणगुत्ती—

३१५ सच्चा^१ तहेव मोसा^२ य, सच्चा मोसा^३ तहेव य ।
चउव्वी असच्चमोसा य^४ मणगुत्ती चउव्विहा ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २०

मणस्स दुट्टस्सोवमा—

३१६. प० -अयं साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिघावई ।
जंसि गोयम ! आरुढो, कंहं तेण न हीरसि ? ॥

उ०—पघावन्तं निगिण्हामि, सुयरस्सोसमाहियं ।
न मे गच्छइ उम्मगं, मगं च पडिवज्जइ ॥

प०—आसे य इइ के वुत्ते ? कंसी गोयममच्चवी ।
कंसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणमच्चवी ॥

उ०—मणो साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिघावई ।
तं सम्मं निगिण्हामि, धम्मसिक्खाए कन्यगं ॥
—उत्त. अ. २३, गा. ५५-५८

दस चित्तसमाहिट्टाणा—

३१७. इह खलु थेरेहि भगवंतेहि दस चित्तसमाहिट्टाणा पणत्ता ।

प०—कयरे खलु ते थेरिहि भगवंतेहि दस चित्तसमाहिट्टाणा
पणत्ता ?

उ०—इमे खलु ते थेरिहि भगवंतेहि दस चित्तसमाहिट्टाणा
पणत्ता । —दसा. द. ५, सु. १-२
“अज्जो !” इति समणे भगवं महावीरे समणा-
निगंथा य निगंथीओ य आमत्तिता एवं वयासी—

चार प्रकार की मन-गुप्ति—

३१५. सत्या, मृपा, सत्यामृपा और चौथी असत्यामृपा—इस प्रकार मनो-गुप्ति के चार प्रकार हैं ।

मन को दुष्ट अश्व की उपमा—

३१६. केशीकुमार श्रमण ने गौतम को पूछा—

प्र०—“यह साहसिक, भयंकर, दुष्ट अश्व जो चारों तरफ दौड़ रहा है। गौतम ! तुम उस पर चढ़े हुए हो। फिर भी वह तुम्हें उन्मार्ग पर कैसे नहीं ले जाता है ?”

गणधर गौतम ने इस प्रकार कहा—

उ०—दौड़ते हुए अश्व को मैं श्रुत रश्मि से (“श्रुतज्ञान की लगाम से) बग में करता हूँ। मेरे अधीन हुआ अश्व उन्मार्ग पर नहीं जाता है, अपितु सन्मार्ग पर ही चलता है।”

केशी ने गौतम को पूछा—

प्र०—“अश्व किसे कहा गया है ?”

केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

उ०—“मन ही साहसिक, भयंकर और दुष्ट अश्व है, जो चारों तरफ दौड़ता है। उसे मैं अच्छी तरह बग में करता हूँ। धर्म शिक्षा से वह कन्यक (उत्तम जाति का अश्व) हो गया है।” अथवा उस मन रूपी कन्यक (अश्व) को मैं धर्म शिक्षाओं से सम्यग् रूप से बग में करता हूँ।

दस चित्तसमाधि स्थान—

३१७. इस आर्हत् प्रवचन में स्थविर भगवन्तों ने दश चित्त-समाधिस्थान कहे हैं ।

प्र०—भगवन् ! वे कौन से दस चित्तसमाधिस्थान स्थविर भगवन्तों ने कहे हैं ?

उ०—ये दश चित्तसमाधिस्थान स्थविर भगवन्तों ने कहे हैं। जैसे—

“हे आर्यो !” इस प्रकार आमन्त्रण कर श्रमण भगवान् महावीर निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों से कहने लगे—

१ सत्या मनोगुप्ति—सत्य वस्तु का मन में चिन्तन, यथा—जगत् में जीव विद्यमान है ।

२ असत्या मनोगुप्ति—असत्य वस्तु का मन में चिन्तन, यथा—जीव नहीं है ।

३ सत्या-मृपा मनोगुप्ति—कुछ सत्य और कुछ असत्य वस्तु का मन में चिन्तन, यथा—आम्र आदि नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर “यह आम्र वन है” ऐसा चिन्तन करना। वन में आम्र वृक्ष हैं यह तो सत्य चिन्तन है किन्तु पलाश, खदिर, धव आदि नाना प्रकार के वृक्ष भी वन में हैं अतः उक्त चिन्तन असत्य भी है ।

४ असत्या अमृपा मनोगुप्ति जो चिन्तन सत्य और असत्य नहीं है, यथा—किसी आदेश या निर्देश का चिन्तन—“हे देवदत्त ! घड़ा ला” या “मुझे अमुक वस्तु लाकर दे” इत्यादि चिन्तन ।

“इह खलु अज्जो ! निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा इरिया-समियाणं, भासा-समियाणं, एसणा-समियाणं, आयाणं-भंड-मत्त-निकखेवणा-समियाणं, उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिट्टावणिया-समियाणं, मण-समियाणं, वय-समियाणं, काय समियाणं, मण-गुत्तीणं वयगुत्तीणं, काय-गुत्तीणं, गुत्तिदियाणं, गुत्त-वंभयारीणं, आयट्ठीणं, आयहियाणं, आय-जोईणं, आय-परक्कमाणं, पविखय-पोसहिएसु समाहिपत्ताणं क्षियाय-माणं इमाइं दस चित्त-समाहि ठाणाइं^१, असमुप्पण-पुच्चाइं समुप्पज्जेज्जा : तं जहा—

(१) धम्मचिंता वा से असमुप्पण-पुच्चा समुप्पज्जेज्जा, सव्वं धम्मं जाणित्तए ।

(२) सण्णि-जाइ-सरणेण सण्णि-णाणं वा से असमुप्प-णपुच्चे समुप्पज्जेज्जा, अप्पणो पोराणियं जाइं सुमरित्तए ।

(३) सुमिणदंसणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, अहातच्चं सुमिणं पासित्तए ।

(४) देवदंसणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, दिव्वं देविदिड, दिव्वं देवजुइं, दिव्वं देवाणुभावं पासित्तए ।

(५) ओहिणाणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, ओहिणा लोगं जाणित्तए ।

(६) ओहिदंसणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, ओहिणा लोयं पासित्तए ।

(७) मणपज्जवनाणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्प-ज्जेज्जा, अंतो मणुस्सखित्तसु अड्ढाइज्जेसु दीव-समुद्देसु सण्णीणं पंचिदियाणं पज्जत्तगाणं मणोगए भावे जाणित्तए ।

(८) केवलणाणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं जाणित्तए ।

(९) केवलदंसणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्पज्जेज्जा, केवलकप्पं लोयालोयं पासित्तए ।

(१०) केवल-मरणे वा से असमुप्पण-पुच्चे समुप्प-ज्जेज्जा, सव्वदुक्खपहाणाए । —दसा. द. ५, सु. ६

संकिलिट्टचित्तास्स अकिच्चाइं—

३१८. अणेगचित्ते खलु अयं पुरित्ते, से केयणं अरिहइ पूरइत्तए ।

“हे आर्यों ! निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को, जो ईर्यासमिति वाले, भाषा समिति वाले, एपणासमिति वाले, आदान-भाण्ड-मात्रनिक्षेपणासमिति वाले, उच्चार-प्रस्रवण खेल-सिघाणक-जल्ल (मैल) की परिष्ठापनासमिति वाले, मनःसमिति वाले, वाक् समिति वाले, कायसमितिवाले, मनोगुप्ति वाले, वचनगुप्ति वाले, कायगुप्ति वाले तथा गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी, आत्मार्थी, आत्मा का हित करने वाले, आत्मयोगी, आत्मपराक्रमी, पाक्षिक पौषधों में समाधि को प्राप्त और शुभ ध्यान करने वाले मुनियों को ये पूर्व अनुत्पन्न चित्तसमाधि के दश स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ।

१. पहिले कभी उत्पन्न नहीं हुई ऐसी धर्म-भावना उत्पन्न हो जाय जिससे वह सर्वश्रेष्ठ धर्म को जान ले ।

२. पहिले नहीं हुए संज्ञि-जातिस्मरण ज्ञान द्वारा अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करले ।

३. पूर्व अदृष्ट यथार्थ स्वप्न दिख जाय ।

४. पूर्व अदृष्ट देव-दर्शन हो जाय और दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-द्युति और दिव्य देवानुभाव दिख जाय ।

५. पहिले नहीं हुआ अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाय और उसके द्वारा वह लोक को जान लेवे ।

६. पहिले नहीं हुआ अवधिदर्शन उत्पन्न हो जाय और उसके द्वारा वह लोक को देख लेवे ।

७. पहिले नहीं हुआ मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न हो जाय और मनुष्य-क्षेत्र के भीतर अढाई द्वीप दो समुद्र में रहे हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के मनोगत भावों को जान लेवे ।

८. पहिले नहीं हुआ केवलज्ञान उत्पन्न हो जाय और सम्पूर्ण लोक-अलोक को जान लेवे ।

९. पहिले नहीं हुआ केवलदर्शन उत्पन्न हो जाय और सम्पूर्ण लोक-अलोक को देख लेवे ।

१०. पूर्व अप्राप्त केवल मरण प्राप्त हो जाय तो वह सर्व दुःखों के सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाता है ।

इन दस स्थानों से समाधि (आत्मानन्द) भाव की प्राप्ति होती है ।

व्याकुल चित्तवृत्ति वाले के दुष्कृत्यं—

३०८. वह (असंयमी) पुरुष अनेक चित्त वाला है । वह चलनी को जल से भरना चाहता है ।

से अणवहाए, अणपरियावाए, अणपरिगहाए, जणवय-
वहाए, जणवयपरियावाए, जणवयपरिगहाए ।

—आ. सु. १, अ. ३, उ. २, सु. ११८

दसविहा समाही—

३१९. दसविधा समाधी पणत्ता, तं जहा—

- (१) पाणातिवायवेरमणे ।
- (२) मुसावायवेरमणे ।
- (३) अदिण्णादाणवेरमणे ।
- (४) मेह्वणवेरमणे ।
- (५) परिगहवेरमणे ।
- (६) इरियासमिति ।
- (७) भासासमिति ।
- (८) एसणासमिति ।
- (९) आयाण-मंड-मत्त-णिकखेवणासमिति ।
- (१०) उच्चार - पासवण-खेल-सिघाणग-जल्ल-परिट्ठावणिया
समिति ।

—ठाणं अ. १०, सु. ७११

दसविहा असमाही—

३२०. दसविधा असमाधी पणत्ता, तं जहा—

- (१) पाणातिवाते ।
- (२) मुसावाए ।
- (३) अदिण्णादाणे ।
- (४) मेह्वणे ।
- (५) परिगहे ।
- (६) इरियासमिती ।
- (७) भासासमिती ।
- (८) एसणासमिती ।
- (९) आयाण-मंड-मत्त-णिकखेवणासमिती ।
- (१०) उच्चार-पासवण-खेल सिघाणग-जल्ल-परिट्ठावणिया-
समिती ।

—ठाणं. अ. १०, सु. ७११

मणगुत्तायाए फलं—

३२१. प०—मणगुत्तायाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—मणगुत्तायाए णं जीवे एगगं जणयइ । एगगचित्ते णं
जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ५५

मणसमाहारणयाए फलं—

३२२. प०—मणसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

वह (तृष्णा की पूर्ति के हेतु व्याकुल मनुष्य) दूसरों के वध के लिए, दूसरों के परिताप के लिए और दूसरों को परिग्रहण के लिए तथा जनपद के वध के लिए, जनपद के परिताप के लिए और जनपद को परिग्रहण के लिए प्रवृत्ति करता रहता है ।

दस प्रकार की समाधि—

३१९ समाधि दस प्रकार की कही गई है । जैसे—

१. प्राणातिपात-विरमण ।
२. मृपावाद-विरमण ।
३. अदत्तादान-विरमण ।
४. मैथुन-विरमण ।
५. परिग्रह-विरमण ।
६. ईयासमिति ।
७. भापासमिति ।
८. एपणासमिति ।
९. आदान भाण्ड अमत्र (पात्र) निक्षेपणा समिति ।
१०. उच्चार प्रस्रवण खेल सिघाण-जल्ल-परिष्ठापना
समिति ।

दस प्रकार की असमाधि—

३२०. असमाधि दस प्रकार की कही गई है । जैसे—

१. प्राणातिपात-अविरमण ।
२. मृपावाद-अविरमण ।
३. अदत्तादान-अविरमण ।
४. मैथुन-अविरमण ।
५. परिग्रह-अविरमण ।
६. ईया-असमिति ।
७. भापा-असमिति ।
८. एपणा-असमिति ।
९. आदान-भाण्ड-अमत्र (पात्र) निक्षेप की असमिति ।
१०. उच्चार-प्रस्रवण खेल सिघाण-जल्ल-परिष्ठापना की
असमिति ।

मन को वश में करने का फल—

३२१. प्र०—भन्ते ! मनोगुप्तता (कुशल मन के प्रयोग) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—मनो-गुप्तता से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है । एकाग्र-चित्त वाला जीव (अशुभ संकल्पों से) मन की रक्षा करने वाला और संयम की आराधना करने वाला होता है ।

मनसमाधारणा का फल—

३२२. प्र०—भन्ते ! मन-समाधारणा (मन को आगम-कथित भावों में भली-भाँति लगाने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—मणसमाहारणयाए णं एगगं जणयइ । एगगं जण-
इत्ता नाणपज्जवे जणयइ । नाणपज्जवे जणइत्ता
सम्मत्तं विसोहेइ, मिच्छत्तं च निज्जरेइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ५८

एगगमणसंनिवेशणयाए फलं—

३२३. प० एगगमणसंनिवेशणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—एगगमणसंनिवेशणयाए णं चित्तनिरोहं करेइ ॥

—उत्त. अ. २६, सु. २७

उ०—मन-समाधारणा से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है ।
एकाग्रता को प्राप्त होकर ज्ञान-पर्यवों (ज्ञान के विविध प्रकारों)
को प्राप्त होता है । ज्ञान-पर्यवों को प्राप्त कर सम्यक्दर्शन को
विशुद्ध करता है और मिथ्या-दर्शन को क्षीण करता है ।

मन की एकाग्रता का फल—

३२३. प्र०—भन्ते ! एक अग्र (बालम्बन) पर मन को स्थापित
करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—एकाग्र-मन की स्थापना से वह चित्त का निरोध
करता है ।



वचन-गुप्ति—३

वयगुत्ती सरूवं—

३२४. संरम्भ समारम्भे, आरम्भे य तहेव य ।

वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई^१ ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २३

चउव्विहा वइगुत्ती—

३२५. सच्चा तहेव भोसा य, सच्चा भोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चभोसा, वइगुत्ती चउव्विहा ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २२

वयगुत्तस्स किच्च्चाइं—

३२६. गुत्तो वईए य समाहिपत्ते, लेसं समाहट्ठु परिव्वएज्जा ॥

—सूय. सु. १, अ. १०, गा. १५

वइगुत्ति परूवणं—

३२७. से जहेतं भगवया पवेदितं आसुपण्णेण जाणया पासया ।

अदुवा गुत्ती वइगोयरस्स ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०१

वइगुत्तयाए फलं—

३२८. प०—वयगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—वयगुत्तयाए णं निव्वियारं जणयइ । “निव्वियारेणं
जीवे वइगुत्ते अज्झप्पजोगसाहणजुत्ते” यावि भवइ ।

—उत्त. अ. २६, गा. ५६

वचनगुप्ति का स्वरूप—

३२४. यतनाशील यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में
प्रवर्तमान वचन का निवर्तन करे ।

चार प्रकार की वचन-गुप्ति—

३२५. सत्या, मृषा, सत्या-मृषा और चौथी असत्या-मृषा-इस
प्रकार वचन गुप्ति के चार प्रकार हैं ।

वचन गुप्त के कृत्य—

३२६. वचन से गुप्त साधु भाव समाधि को प्राप्त कर विशुद्ध
लक्ष्या के साथ संयम में पराक्रम करे ।

वचनगुप्ति का प्ररूपण—

३२७. जिस प्रकार से आशुप्रज्ञ सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् महावीर
ने जो सिद्धान्त कहे हैं उनका उसी प्रकार से प्ररूपण करे अथवा
वाणी विषयक गुप्ति से मौन साध कर रहे ।

वचन गुप्ति का फल—

३२८. प्र०—भन्ते ! वाग्-गुप्तता (कुशल वचन प्रयोग) से जीव
क्या प्राप्त करता है ?

उ०—वाग्-गुप्तता से वह निर्विकार भाव को प्राप्त होता
है । निर्विकार भाव प्राप्त वाग्-गुप्त जीव अध्यात्म-योग के साधन
चित्त की एकाग्रता आदि से युक्त हो जाता है ।

१ संकप्पो संरंभ, परितापकरो भवे समारंभो । आरंभो उद्ववओ, सुद्धं वयाईणं सव्वेसि ॥

हिंसा का संकल्प संरम्भ, प्राणियों को परिताप (कष्ट) देना समारम्भ, और प्राणियों को उपद्रवित करना आरम्भ है ।

—उत्त. अ. २४, टीका

वयसमाहारणयाए फलं—

३२६. प०—वयसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—वयसमाहारणयाए णं वयसाहारणदंसणपज्जवे विसो-
हेइ । वयसाहारणदंसणपज्जवे विसोहेत्ता सुलहवोहि-
यत्तं निव्वत्तेइ, दुल्लहवोहियत्तं निज्जरेइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ५६

वचन-समाधारणा का फल—

३२६. प्र०—भन्ते ! वाक्-समाधारणा (वाणी को स्वाध्याय में भली-भाँति लगाने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—वाक्-समाधारणा से वह वाणी के विषयभूत दर्शन-पर्यवों (सम्यक्-दर्शन के प्रकारों) को विशुद्ध करता है । वाणी के विषयभूत दर्शन-पर्यवों[को विशुद्ध कर बोधि की सुलभता को प्राप्त होता है और बोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है ।



काय-गुप्ति—४

कायगुप्ती सरूवं—

३३०. संरम्भं समारम्भे, आरम्भे य त्थेव य ।
कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २५

कायगुप्ती अणेगविहा—

३३१. ठाणे निसीयणे चैव, त्थेव य तुयट्टणे ।
उल्लंघणं पल्लंघणे, इन्द्रियाणं य जंजणे ॥

—उत्त. अ. २४, गा. २४

कायगुप्ती महत्तां—

३३२. णेत्तेहिं पलिच्छिण्णेहिं आयाणसोत्तगदित्ते वाले अब्बोच्छिण्ण-
वंघणे अणभिवकंत-संजोए । तमंसि अविजाणओ आणाए
लंभो णत्थि तिदेमि ।

जस्स णत्थि पुरे पच्छा मज्जे तस्स कुओ सिया ?

से ह्व पन्नाणमंते बुद्धे आरंभोवरए ।

सम्भमेयं ति पासहा ।

जेण बंधं वहं घोरं परित्तावं च दारुणं ।

पलिच्छिदिय वाहिरणं च सोत्तं णिक्कम्मदंसी इह मच्चिएहिं ।

कायगुप्ति का स्वरूप—

३३०. यतनावान् यत्ति संरभ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होती हुई काया का निवर्तन करे ।

कायगुप्ति के अनेक प्रकार—

३३१. खड़े होने में, बैठने में, मोने में, विषम भूमि को उल्लंघन में तथा खड्डा, त्वाई वगैरह के प्रलंघन करने में और इन्द्रियों के प्रयोग में प्रवर्तमान मुनि कायगुप्ति करे ।

कायगुप्ति का महत्त्व—

३३२. नेत्र आदि इन्द्रिय विषयों से निवृत्त होकर भी कोई बाल प्राणी मोहादि के उदयवश आलस्यों में गृद्ध हो जाता है, वह जन्म-जन्मों के कर्मबन्धनों को तोड़ नहीं पाता, वह विषयों के संयोगों को छोड़ नहीं सकता, मोह-अन्धकार में निमग्न वह अज्ञानी अपने आत्महित को नहीं जान पाता । इस प्रकार उसे तीर्थकरों की आज्ञा का लाभ नहीं प्राप्त होता । अर्थात् वह आज्ञा का आराधक नहीं हो सकता ऐसा मैं कहता हूँ ।

जिसके विषयासक्ति का पूर्व संस्कार नहीं है और भविष्य का संकल्प नहीं है तो बीच (वर्तमान) में उसके विषयासक्ति का विकल्प कहाँ से होगा ? अर्थात् विषय विकल्प नहीं रहेगा ।

वही वास्तव में प्रज्ञावान् है, प्रबुद्ध है और आरम्भ से विरत है ।

उसका आचरण सम्यक् है, ऐसा तुम देखो—सोचो ।

विषयासक्ति से ही पुरुष बन्ध, घोर-बन्ध और दारुण-परि-ताप को प्राप्त करता है ।

अतः ब्राह्म परिग्रह आदि एवं अन्तरंग राग-द्वेष आदि आश्रयों का निरोध करके मनुष्यों के बीच रहते हुए निष्कर्मदर्शी बनना चाहिये ।

कम्मुणा सफलं ददुं ततो णिज्जाति वेदवी ।

—आ. सु. १, अ. ४, उ. ४, सु. १४४-१४५

कायगुत्तयाए फलं—

३३३. प०—कायगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—कायगुत्तयाए णं संवरं जणयइ । संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं करेइ ॥

—उत्त. अ. २६, सु. ५७

कायसमाहारणयाए फलं—

३३४. प०—कायसमाहारणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—कायसमाहारणयाए णं चरित्तपज्जवे विसोहेइ । चरित्तपज्जवे विसोहेत्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ । अहक्खायचरित्तं विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेइ । तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परि- निच्चाएइ सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ६०

इन्द्रियनिग्रह फलं—

३३५. प०—सोइन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सोइन्द्रिय निग्रहेणं मणुष्मामणुन्नेसु सहेसु राग दोस निग्रहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ।

प०—चक्खिन्द्रिय-निग्रहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—चक्खिन्द्रिय-निग्रहेणं मणुष्मामणुन्नेसु रूवेसु राग- दोस-निग्रहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ।

प०—घ्राणिन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—घ्राणिन्द्रिय निग्रहेणं मणुष्मामणुन्नेसु गन्धेसु राग-दोस निग्रहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ।

प०—जिह्विन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

कर्म अपना फल अवश्य देते हैं, यह जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे अवश्य ही निवृत्त होवे ।

कायगुप्ति का फल—

३३३. प्र०—भन्ते ! काय-गुप्ति (कुशल काय के प्रयोग) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—काय-गुप्ति से वह संवर (अशुभ प्रवृत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है । संवर प्राप्त कायगुप्त जीव फिर पाप-कर्म के आस्रवों का निरोध कर देता है ।

कायसमाधारणा का फल—

३३४. प्र०—भन्ते ! काय-समाधारणा (संयम-योगों में काया को भली-भाँति लगाने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—काय-समाधारणा से वह चरित्र-पर्यवों (चारित्र के प्रकारों) को विशुद्ध करता है ! चारित्र-पर्यवों को विशुद्ध कर यथाख्याचारित्र को प्राप्त करने योग्य विशुद्धि करता है । यथा-ख्यात चारित्र को विशुद्ध कर केवली के विद्यमान चार कर्मों (आयुष, वेदनीय, नाम और गोत्र) को क्षीण करता है । उसके पश्चात् सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सब दुःखों का अन्त करता है ।

इन्द्रियनिग्रह का फल—

३३५. प्र०—भन्ते ! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—श्रोत्रेन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । वह राग-द्वेष निमित्तक कर्म-बन्धन नहीं करता और पूर्व-बद्ध कर्म को क्षीण करता है ।

प्र०—भन्ते ! चक्षु-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह करने से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । वह राग-द्वेष निमित्तक कर्म-बन्धन नहीं करता और पूर्व-बद्ध कर्म को क्षीण करता है ।

प्र०—भन्ते ! घ्राण-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्धों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है । वह राग-द्वेष निमित्तक कर्म-बन्धन नहीं करता और पूर्व-बद्ध कर्म को क्षीण करता है ।

प्र०—भन्ते ! जिह्वा-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—जिह्वान्द्रिय निग्राहणं मणुधामणुन्नेसु रसेसु राग-दोस-
निग्राहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न वन्धइ, पुव्ववद्धं
च निज्जरेइ ।

प०—फासिन्द्रिय निग्राहणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—फासिन्द्रिय निग्राहणं मणुधामणुन्नेसु फासेसु राग-दोस-
निग्राहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न वन्धइ, पुव्ववद्धं
च निज्जरेइ । —उत्त. अ. २६, सु. ६४ से ६८

अप्पमत्ताअज्झवमाणं—

३३६. आवंती केआवंती लोगंनि अणारंभजीवी, एतेसु चेव अणा-
रंभजीवी ।

एत्थोवरते तं शोसमाणे अयं संघी ति अदक्खु,

जे इमस्स विग्गहस्स अयं खणे ति मन्नेसी ।

एस मग्गे आरिएहिं पवेदिते ।

उट्ठिते णो प्रमादए ।

जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सातं ।

पुढो छंदा इह माणवा ।

पुढो दुक्खं पवेदितं ।

से अविहिंसमाणे अणववमाणे पुढो फासे विप्पणोल्लए ।

एससमियां परियाए विद्याहिते ।

जे असत्ता पार्वेहिं कम्मोहिं उदाहु ते आतंका फुसंति । इति
उदाहु वीरे । ते फासे पुढोअधियासते ।

से पुव्वं पेतं पच्छा पेतं, भेउरधम्मं, विद्धंसणधम्मं, अधुवं,
अणितियं, असासतं, चयोवचइयं, विप्परिणाम धम्मं । पासइ
एयं हवसंधि ।

समुपेहमाणस्स एगायतणरतस्स इह विप्पमुक्कस्स णत्थि मायां
विरयस्स तिथेमि ।

—आ० सु० १, अ० ५, उ० १, सु० १५३-१५३

उ०—जिह्वा-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ
रसों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है वह राग-
द्वेष निमित्तक कर्म-बन्धन नहीं करता है और पूर्व-वद्ध कर्म को
क्षीण करता है :

प्र०—भन्ते ! स्पर्श-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव क्या
करता है ?

उ० - स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ
स्पर्शों में होने वाले राग-द्वेष का निग्रह करता है । वह राग-द्वेष
निमित्तक कर्म-बन्धन नहीं करता है और पूर्व-वद्ध कर्म को क्षीण
करता है ।

अप्रमत्तमुनि के अध्यवसाय—

३३६. इस मनुष्य लोक में जितने भी अनारम्भजीवी हैं, वे मनुष्यों
के बीच रहते हुए भी अनारम्भजीवी है ।

सावद्य आरम्भ से उपरत मुनि यह मनुष्यभव उत्तम अवसर
है ऐसा देखकर कर्मों को क्षीण करता हुआ प्रमाद न करे ।

“इस औदरिक शरीर का यह अमूल्य क्षण है” इस प्रकार
जो क्षणान्वेपी है वह सदा अप्रमत्त रहता है ।

यह (अप्रमाद का मार्ग) तीर्थकरों ने बताया है ।

साधक इसमें उत्थित होकर प्रमाद न करे ।

प्रत्येक का मुख और दुःख (अपना-अपना स्वतन्त्र होता है
यह) जानकर प्रमाद न करे ।

इस जगत् में मनुष्य पृथक्-पृथक् अध्यवसाय वाले होते हैं,
उनका दुःख भी पृथक्-पृथक् होता है—ऐसा तीर्थकरों ने कहा है ।

यह जानकर साधक किसी भी जीव की हिंसा न करता
हुआ, असत्य न बोलता हुआ, परीपहों और उपसर्गों के होने पर
उन्हें समभावपूर्वक सहन करे । ऐसा साधक सम्यक् प्रव्रज्या
वाला कहलाता है ।

जो साधक पापकर्मों में आसक्त नहीं है कदाचित् उसे
रोगातंक उत्पन्न हो जाय तो उन उत्पन्न दुःखों को भली-भाँति
सहन करे ऐसा तीर्थकर महावीर ने कहा है ।

यह शरीर पहले या पीछे अवश्य छूट जायेगा । छिन्न-भिन्न
होना और विध्वंस होना इसका स्वभाव है । यह अध्रुव है,
अनित्य है, अशाश्वत है, इसमें उपचय-अपचय (घट-वृद्ध) होता
रहता है, विविध परिवर्तन होते रहना इसका स्वभाव है । इस
प्रकार शरीर-स्वभाव का विचार करे ।

जो इस प्रकार शरीर स्वभाव का विचार करता है, इस
आत्म-रमणरूप एक आयतन में लीन रहता है तथा मोह ममता
से मुक्त है, उस विरत साधक के लिए संसार-भ्रमण का मार्ग
नहीं है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

कायदंडणसेहो—

३३७. उड्डं अहं तिरियं दिसामु सव्वतो सव्वावन्ति च णं पाडि-
यवकं जीवेहिं कम्मसमारंभेणं ।

तं परिणाय मेहावी णेव सयं एतेहिं काएहिं दंडं समारंभेज्जा
णेवण्णेहिं एतेहिं काएहिं दंडं समारंभावेज्जा, णेवण्णे
एतेहिं काएहिं दंडं समारंभंते वि समणुजाणेज्जा ।

जे यण्णे एतेहिं काएहिं दंडं समारंभंति तेसिं पि वयं
लज्जामो ।

तं परिणाय मेहावी तं वा दंडं अण्णं वा दंडं णो दंडभी दंडं
समारंभेज्जासि ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०३

अथिरासणो पावसमणो—

१३३८. अथिरासणे कुक्कुईए, जत्थ तत्थ निसीयई ।

आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. १३

कायदण्ड का निषेध—

३३७. ऊँची, नीची एवं तिरछी, सब दिशाओं में सब प्रकार से
एकेन्द्रियादि जीवों में से प्रत्येक को लेकर कर्म-समारम्भ किया
जाता है ।

यह जानकर मेघावी साधक स्वयं इन जीवों के प्रति दण्ड-
समारम्भ न करे, न दूसरों से दण्ड समारम्भ करवाये और दण्ड-
समारम्भ करने वालों का अनुमोदन भी न करे ।

अन्य जो भी इन जीवनिकायों के प्रति दण्ड-समारम्भ करते
हैं उनके कार्य से भी हम लज्जित होते हैं । (ऐसा अनुभव करे ।)

यह जानकर दण्डभीरु मेघावी मुनि हिंसा दण्ड का अथवा
मृपावाद आदि किसी अन्य दण्ड का दण्डसमारम्भ न करे ।

अस्थिरासन वाला पापश्रमण है—

१३३८. जो स्थिरासन नहीं होता, विना प्रयोजन इधर-उधर
चक्कर लगाता है, जो हाथ, पैर आदि अवयवों को हिलाता
रहता है, जो जहाँ कहीं बैठ जाता है—इस प्रकार आसन (या
वैठने) के विषय में जो असावधान होता है, वह पाप-श्रमण
कहलाता है ।



परिशिष्ट नं. १

अवशिष्ट पाठों का विषयानुक्रम से संकलन (अंकित पृष्ठांक और सूत्रों के अनुसार पाठक अवलोकन करें)

पृष्ठ १५

भगवतो धम्म-देसणा—

सूत्र २० (क) ततो णं समणे भगवं महावीरे उप्पन्नणाणदंसणधरे
अप्पाणं च लोगं च अभिसमिक्ख पुव्वं देवाणं
धमाइक्खंती, ततो पच्छा मणुसाणं ।

—आ. सु. २. अ. १५, सु. ७७५

पृष्ठ ३०

सूत्र ३३.

सोच्चा वई मेघावी पंडियाणं निसामिया । समि-
याए धम्मे आरिएहि पवेइए^१ ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ३, सु. १५७ (ख-ग)

पृष्ठ ३०

सूत्र ३३. (ख) इविहे सामाइए पणत्ते, तं जहा—

(१) अणारसामाइए च्चैव, (२) अणणारसामाइए
च्चैव । —ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ७८

पृष्ठ ३१

सूत्र ३३. (ग) तिविहा पणवणा पणत्ता, तं जहा—

(१) णाणपणवणा, (२) दंसणपणवणा,
(३) चरित्तपणवणा ।

तिविहे सम्मे पणत्ते, तं जहा—

(१) णाणसम्मे, (२) दंसणसम्मे, (३) चरित्त-
सम्मे । —ठाणं. अ. ३, सु. १६८/२-३

पृष्ठ ५१

णिग्गंथाणं आचार धम्मो—

सूत्र ७०. (क) नाण-दंसणसंपन्नं संजमे य तवे रयं ।

गणिमागमसंपन्नं उज्जाणम्मि समोसढं ॥१॥

पृष्ठ १५

भगवान की धर्म देशना—

सूत्र २० (क) अनुत्तर ज्ञान-दर्शन के धारक श्रमण भगवान्
महावीर ने केवलज्ञान द्वारा अपनी आत्मा और लोक को
सम्यक् प्रकार से जानकर पहले देवों को, तत्पश्चात् मनुष्यों को
धर्मोपदेश दिया ।

पृष्ठ ३०

सूत्र ३३. आचार्य की यह वाणी सुनकर मेघावी साधक हृदयंगम
करे कि— आर्यों ने समता में धर्म कहा है ।

पृष्ठ ३०

सूत्र ३३. (ख) सामायिक दो प्रकार की कही गई है, यथा—

(१) अणार सामायिक, (२) अणणार सामायिक ।

पृष्ठ ३१

सूत्र ३३. (ग) प्रज्ञापना तीन प्रकार की होती है, यथा—

(१) ज्ञान प्रज्ञापना, (२) दर्शन प्रज्ञापना,
(३) चरित्र प्रज्ञापना ।

सम्यक् तीन प्रकार का होता है, यथा—

(१) ज्ञान सम्यक्, (२) दर्शन सम्यक्, (३) चरित्र सम्यक् ।

पृष्ठ ५१

निर्ग्रन्थों का आचार धर्म—

सूत्र ७०. (क) ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न, संयम और तप में रत,
आगम-सम्पदा से युक्त आचार्य को उद्यान में विराजित देखकर—

१ आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २०६ (ख)

रायाणो रायमच्चा य माहणा अदुव खत्तिया ।
पुच्छंति निहुयऽप्याणो, कहं भे आयारगोयरो ? ॥२॥
तेसि सो निहुओ दंतो, सन्वभूयसुहावहो ।
सिक्खाए सुसमाउत्तो, आइक्खइ वियक्खणो ॥३॥

हंदि ! धम्मऽत्थकामाणं निग्गंथाणं सुणेह मे ।
आयारगोयरं भीमं, सयलं दुरहिद्धियं ॥४॥

नत्तथ एरिसं वुत्तं, जं लोए परमदुच्चरं ।
विउलहाणभाइस्स, न भूयं न भविस्सइ ॥५॥

सखूडुग-वियत्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा ।
अखंड-फुडिया कायच्चा, तं सुणेह जहा तथा ॥६॥
—दस. अ. ६ गा. १-६

पृष्ठ ५६

गाणस्स उत्पत्ति-अणुत्पत्ति-कारणा—

सूत्र ८४. (ख) दो ठाणाइं अपरियाणेतता आया णो केवलमाभि-
णिबोहियणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा—
(१) आरंभे चेव, (२) परिग्गहे चेव ।
दो ठाणाइं परियाणेतता आया केवलमाभिणिबोहि-
यणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा—
(१) आरंभे चेव, (२) परिग्गहे चेव ।
—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५४-५५

पृष्ठ ८०

सूत्र ११३. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—
(१) वंदति णाममेगे, णो वंदावेति,
(२) वंदावेति णाममेगे, णो वंदति,
(३) एगे वंदति वि, वंदावेति वि,
(४) एगे णो वंदति, णो वंदावेति ।
चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—
(१) सक्कारेइ णाममेगे, णो सक्कारावेइ,
(२) सक्कारावेइ णाममेगे, णो सक्कारेइ,
(३) एगे सक्कारेइ वि, सक्कारावेइ वि,
(४) एगे णो सक्कारेइ, णो सक्कारावेइ ।
चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—
(१) सम्माणेति णाममेगे, णो सम्माणावेति,
(२) सम्माणावेति णाममेगे, णो सम्माणेति,

राजा और राजमन्त्री, ब्राह्मण और क्षत्रिय निश्चलात्मा होकर
पूछते हैं—‘हे भगवन् ! आपका आचार-गोचर कैसा है ?’

ऐसा पूछे जाने पर वे शान्त, दान्त, सर्वप्राणियों के लिए
सुखावह, शिक्षाओं से समायुक्त और परम विचक्षण गणी उन्हें
कहते हैं ।

हे राजा आदि जनो ! धर्म के प्रयोजनभूत मोक्ष की कामना
वाले निर्ग्रन्थों के भीम (कायर पुरुषों के लिए) दुरधिष्ठित और
सम्पूर्ण आचार-गोचर को मुझ से सुनो ।

जो लोक में अत्यन्त दुश्चर है, वह श्रेष्ठ आचार जिन
शासन के अतिरिक्त कहीं नहीं कहा गया है । सर्वोच्च मोक्ष
स्थान को प्राप्त कराने वाला ऐसा आचार अन्य मत में न कभी
था और न ही भविष्य में होगा ।

वालक हो या वृद्ध, अस्वस्थ हो या स्वस्थ, सभी को जिन
गुणों का अर्थात् आचार-नियमों का पालन अखण्ड और अस्फुटित
रूप से करना चाहिए, वे गुण यथातथ्यरूप से मुझ से सुनो ।

पृष्ठ ५६

ज्ञान की उत्पत्ति अनुत्पत्ति के कारण—

सूत्र ८४ (ख) आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जाने और
छोड़े बिना आत्मा विशुद्ध आभिनिबोधिक ज्ञान को प्राप्त नहीं
करता ।

आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जानकर और
छोड़कर आत्मा विशुद्ध आभिनिबोधिक ज्ञान को प्राप्त करता है ।

पृष्ठ ८०

सूत्र ११३. पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा—
(१) कुछ पुरुष वन्दना करते हैं, किन्तु करवाते नहीं;
(२) कुछ पुरुष वन्दना करवाते हैं, किन्तु करते नहीं,
(३) कुछ पुरुष वन्दना करते भी हैं और करवाते भी है,
(४) कुछ पुरुष न वन्दना करते हैं और न करवाते हैं ।
पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा—
(१) कुछ पुरुष सत्कार करते हैं, किन्तु करवाते नहीं,
(२) कुछ पुरुष सत्कार करवाते हैं, किन्तु करते नहीं;
(३) कुछ पुरुष सत्कार करते भी हैं और करवाते भी हैं,
(४) कुछ पुरुष न सत्कार करते हैं और न करवाते हैं ।
पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा—
(१) कुछ पुरुष सम्मान करते हैं, किन्तु करवाते नहीं,
(२) कुछ पुरुष सम्मान करवाते हैं, किन्तु करते नहीं,

(३) एगे सम्माणेति वि, सम्माणावेति वि,
(४) एगे णो सम्माणेति, णो सम्माणावेति ।

— ठाणं. अ. ४, उ. १, सु. २५६/६-८

पृष्ठ १६५

अण्णत्थियाणं दंसणपण्णवणा—

सूत्र २६२. (ख) इहमेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति । ते इह आरंभट्ठी, अणुवयमाणा 'हणपाणे', घातमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा,

अदुवा अदिअमाइयंति ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०० (क)

सुकडे ति वा दुकडे ति वा
कल्लाणे ति वा पावए ति वा
साहू ति वा असाहू ति वा
सिद्धी ति वा क्षसिद्धी ति वा
निरए ति वा अनिरए ति वा ।
जमिणं विप्पडिविण्णा मामगं धम्मं पण्णवेमाणा ।
एत्य वि जाणह अकम्हा ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०० (ग)

एवं तेसि णो सुअक्खाते णो सुपण्णसे धम्मे भवति ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०१ (क)

पृष्ठ १७८

सूत्र २७४.

जे केइ लोगंमि उ अकिरियआया,
अन्नेण पुट्ठा धुयमादिसंति ।
आरंभसत्ता गदिया य लोए,
धम्मं ण जाणंति विमुक्खहेउं ॥६॥
पुट्ठो य छंदा इह माणवा उ,
किरियाकिरियं च पुट्ठो य वायं ।
जायस्स वालस्स पकुच्च देहं,
पवड्ढई वरमसंजयस्स ॥७॥

—सूय. सु. १, अ. १०, गा. १६-१७

पृष्ठ २०५

सूत्र ३०४. (ख) तयो वया पण्णत्ता, तं जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए
तिहिं वएहिं आया केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा तं
जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

—ठाणं. अ. ३. उ. २. स. १६३

(३) कुछ पुरुष सम्मान करते भी हैं और करवाते भी हैं,
(४) कुछ पुरुष न सम्मान करते हैं और न करवाते हैं ।

पृष्ठ १६५

अन्यतीर्थिकों की दर्शन प्रज्ञापना—

सूत्र २६२. (ख) इस मनुष्य लोक में कई साधकों को आचार-गोचर सुपरिचित नहीं होता । वे आरम्भ के अर्थी हो जाते हैं । वे इस प्रकार कथन करते हैं कि—“प्राणियों का वध करो” अथवा स्वयं वध करते हैं और प्राणियों का वध करने वालों का अनुमोदन करते हैं ।

अथवा इस प्रकार का आचरण करने वाले वे अदत्त का ग्रहण करते हैं ।

(वे इस प्रकार प्ररूपण करते हैं—)

सुकृत है, दुष्कृत है ।
कल्याण है, पाप है ।
साधु है, असाधु है ।
सिद्धि है, सिद्धि नहीं है ।
नरक है, नरक नहीं है ।

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वादों को मानते हुए अपने-अपने धर्म का प्ररूपण करते हैं, इनकी पूर्वोक्त प्ररूपणा में कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा जानो ।

इस प्रकार उनका धर्म न तो युक्ति-संगत होता है और न ही सुप्ररूपित होता है ।

पृष्ठ १७८

सूत्र २७४. इस लोक में जो आत्मा को क्रियारहित मानते हैं और दूसरे के पूछने पर मोक्ष का अस्तित्व बतलाते हैं, वे लोग आरम्भ में आसक्त और विषय-भोगों में गुद्ध हैं । वे मोक्ष के कारणरूप धर्म को नहीं जानते ।

जगत में मनुष्यों की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । इस कारण कोई क्रियावाद को मानता है तो कोई उससे विपरीत अक्रियावाद को । तथा कोई ताजे जन्मे हुए बच्चे के शरीर को काटकर अपना सुख मानते हैं, वस्तुतः ऐसे असंयमी लोग दूसरों के साथ वैर ही बढ़ाते हैं ।

पृष्ठ २०५

सूत्र ३०४. (ख) तीन प्रकार के वय कहे गये हैं, यथा—

प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय ।

तीनों ही वयों में आत्मा सम्पूर्ण संवर के द्वारा संवृत होता है । यथा—

प्रथम वय, मध्यम वय और अन्तिम वय ।

सूत्र ३०४. (ग) दो ठाणाइं अपरियाणेतता आया णो केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, तं जहा—
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव ।
दो ठाणाइं परियाणेतता आया केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, तं जहा—
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव ।

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५४-५५

पृष्ठ २२५

सूत्र ३२५. (ख) ततो णं समणे भगवं महावीरे उप्पन्नणणदंसणधरे गोतमादीणं समणाणं णिग्गंथाणं पंच महव्वयाइं सभावणाइं छज्जीवणिकायाइं आइक्खंति भासति परूवेति, तं जहा—पुढवीकाए-जाव-तसकाए । —आ. सु. २, अ. १५, सु. ७७६

पृष्ठ ३२२

बंभचेराणुकुलाजणा—

सूत्र ४५८. (ख) दो ठाणाइं अपरियाणेतता आया णो केवलं बंभचेरवासमावसेज्जा तं जहा—
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव ।
दो ठाणाइं परियाणेतता आया केवलं बंभचेरवासमावसेज्जा, तं जहा—
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव ।

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५४-५५

पृष्ठ ४१४

सच्चित्त पुढवीआइए निसिज्जाकरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

सूत्र ६१७. (ख) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए “अणंतरहियाए पुढवीए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा, तुयट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण वडियाए “ससिणिट्ठाए पुढवीए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा, तुयट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए “ससरक्खाए पुढवीए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा, तुयट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए “मट्टियाकडाए पुढवीए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा, तुयट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए “चित्तमंताए पुढवीए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेत्तं वा, तुयट्टावेत्तं वा साइज्जइ ।

सूत्र ३०४. (ग) आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जाने और छोड़े बिना आत्मा सम्पूर्ण संवर के द्वारा संवृत नहीं होता ।

आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा सम्पूर्ण संवर के द्वारा संवृत होता है ।

पृष्ठ २२५

सूत्र ३२५. (ख) तत्पश्चात् केवलज्ञान-केवलदर्शन के धारक भ्रमण भगवान महावीर ने गौतम आदि भ्रमण-निर्ग्रन्थों को (लक्ष्य करके) भावना सहित पंच-महाव्रतों और पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक षड्जीवनिकायों के स्वरूप का व्याख्यान किया । सामान्य-विशेष रूप से प्ररूपण किया ।

पृष्ठ ३२२

ब्रह्मचर्य के अनुकूल जन—

सूत्र ४५८. (ख) आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जाने और छोड़े बिना आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं करता ।

आरम्भ और परिग्रह इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त करता है ।

पृष्ठ ४१४ : सूत्र ६१७. (ख)

सच्चित्त पृथ्वी आदि पर निषद्या करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सच्चित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्निग्ध भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सच्चित्त रज युक्त भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सच्चित्त मिट्टी युक्त भूमि पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सच्चित्त पृथ्वी पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहण-वडियाए “चित्त-
मंताए सिलाए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा,
णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहण-वडियाए “चित्त-
मंताए लेलुए” णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा,
णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहण-वडियाए कोलावा-
संसि वा दाए जीवपइट्टीए; सअंढे, सपाणे,
सवीए, सहंरिए, सओसे, सउदए, सर्त्तग-पणग-
दग-मट्टिय-मक्कडा-संताणगंसि णिसीयावेज्ज वा,
तुयट्टावेज्ज वा णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं
अणुग्घाइयं । —नि. उ. ७, सु. ६७-७४

अंक-पलियंकंसि निसिज्जाकरण पायश्चित्त सुत्ताइं—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अंकंसि वा, पलियंकंसि
वा, णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा,
तुयट्टावेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अंकंसि वा, पलियं-
कंसि वा, णिसीयावेत्ता वा, तुयट्टावेत्ता वा, असणं वा-जाव-
साइमं वा अणुग्घासेज्ज वा अणुप्पाएज्ज वा, अणुग्घासंतं वा
अणुप्पाएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ७, सु. ७५-७६

आगंतारादिसु निसिज्जाइकरण पायश्चित्त सुत्ताइं—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए आगंतारेसु वा,
आरामागारेसु वा, गाहावइकुलेसु वा, परियावसहेसु वा,
णिसीयावेज्ज वा, तुयट्टावेज्ज वा, णिसीयावेतं वा, तुयट्टावेतं
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए आगंतारेसु वा,
आरामागारेसु वा, गाहावइ कुलेसु वा, परियावसहेसु वा,
णिसीयावेत्ता वा, तुयट्टावेत्ता वा, असणं वा-जाव-साइमं
वा अणुग्घासेज्ज वा, अणुप्पाएज्ज वा, अणुग्घासंतं वा,
अणुप्पाएतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घा-
इयं । —नि. उ. ७, सु. ७७-७८

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सचित्त
गिला पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले
का या सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सचित्त
मिट्टी के ढेले पर या पत्थर के टुकड़े पर स्त्री को विठाता है या
सुलाता है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन के संकल्प से घुन या दीमक
लग जाने से जो काष्ठ जीव युक्त हो उस पर तथा जिस स्थान
में अंडे, त्रस जीव, बीज, हरी, घास, ओस, पानी, कीड़ी आदि
के विल, लीलन-फूलन, गीली मिट्टी, मकड़ी के जाले हों, वहां
पर स्त्री को विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले या
सुलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अंक-पल्यंक में निपद्यादि करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को
अर्धपल्यंक आसन में या पूर्ण पल्यंकासन में विठाता है या सुलाता
है अथवा विठाने वाले का या सुलाने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को
एक जंघा पर अर्थात् गोद में या पल्यंकासन में विठाकर या
सुलाकर अशन—यावत्—स्वाद्य खिलाता है या पिलाता है
अथवा खिलाने पिलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

धर्मशाला आदि में निपद्यादि करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को
धर्मशाला में, वगीचे में, गृहस्थ के घर में या परिव्राजक के स्थान
में विठाता है या सुलाता है अथवा विठाने वाले या सुलाने वाले
का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री को
धर्मशाला में, वगीचे में, गृहस्थ के घर में या परिव्राजक के स्थान
में विठाकर या सुलाकर अशन—यावत्—स्वाद्य खिलाता है या
पिलाता है अथवा खिलाने-पिलाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पुद्गल पक्खेवणाईए पायच्छित्त सुत्ताई—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अमणुत्ताईं पोगलाइं
नीहरइ, नीहरंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए मणुण्णाईं पोगलाइं
उवकिरइ, उवकिरंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घा-
इयं । —नि. उ. ७, सु. ८०-८१

पसुपक्खीण अंग संचालणाई पायच्छित्त सुत्ताई—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अन्नयरं पसुजायं वा,
पक्खिजायं वा, पायंसि वा, पक्खंसि वा; पुच्छंसि वा, सीसंसि
वा गहाय संचालेइ संचालेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ययरं पसुजायं वा,
पक्खिजायं वा, सोर्यंसि कट्ठं वा, कलिचं वा, अंगुलियं वा,
सलागं वा अणुप्पवेसित्ता संचालेइ, संचालेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ययरं पसुजायं वा,
पक्खिजायं वा, अयसित्थित्ति कट्ठु आलिगेज्ज वा, परिस्स-
एज्ज वा, परिचुम्बेज्ज वा, छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा,
आलिगतं वा, परिस्सयंतं वा, परिचुम्बंतं वा, छिदंतं वा,
विच्छिदंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घा-
इयं । —नि. उ. ७, सु. ८२-८४

भत्तापाणाई आयाण-पयाण करणं-पायच्छित्त सुत्ताई—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणं वा-जाव-साइमं
वा देइ, दंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणं वा-जाव-साइमं
वा, पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए वत्थं वा-जाव-पाय-
पुंछणं वा देइ, दंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए वत्थं वा-जाव-पाय-
पुंछणं वा, पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

पुद्गल प्रक्षेपणादि के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से अमनोज्ञ
पुद्गलों को निकालता है या निकालने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से मनोज्ञ
पुद्गलों का प्रक्षेप करता है या प्रक्षेप करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पशुपक्षियों के अंग संचालनादि के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी
जाति के पशु या पक्षी के (१) पाँव को, (२) पार्श्वभाग को (पंख
को), (३) पूँछ को या (४) मस्तक को पकड़कर संचालित
करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी
जाति के पशु या पक्षी के श्रोत अर्थात् अपान द्वार या योनि द्वार
में काण्ठ, खपच्ची, अंगुली या वेंट आदि की शलाका प्रविष्ट
करके संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी
जाति के पशु या पक्षी को "यह स्त्री है" ऐसा जानकर उसका
आलिगन (शरीर के एक देश का स्पर्श) करता है, परिष्वजन
(पूरे शरीर का स्पर्श) करता है, मुख का चुम्बन करता है या
नख आदि से एक बार या अनेक बार छेदन करता है या आलि-
गन आदि करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त
आता है ।

भक्त-पान आदि के आदान-प्रदान करने के प्रायश्चित्त
सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से उसे अशन
—यावत्—स्वाद्य देता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से उससे
अशन—यावत्—स्वाद्य ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से उसे वस्त्र
—यावत्—पादप्रोँछन देता है या देने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से उससे
वस्त्र—यावत्—पादप्रोँछन ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ८५-८८

वायणा आयाण-पयाण पायच्छित्त सुत्ताइं—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए सज्जायं वाएइ, वाएंत्तं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए सज्जायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ८६-९०

आकारकरण पायच्छित्त सुत्तं—

जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णयरेणं इंदिण्णं आकारं करेइ, करेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ९१

पृष्ठ ४१६

सूत्र ६१८. (ख) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णयरेणं तेइच्छं आउट्टइ, आउट्टंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. ७६

पृष्ठ ४१८

अंग संचालनां पायच्छित्त सुत्तं—

सूत्र ६२३. (ख) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहणवडियाए अक्खंसि वा, उरंसि वा, उयरंसि वा, थणंसि वा गहाय संचालेइ, संचालेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. १३

पृष्ठ ४२०

मेहण वडियाए वत्थ-करणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

सूत्र ६२६. (ख) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहण वडियाए—

(१) आइणाणि वा,

(२) सहिणाणि वा,

(३) सहिणकल्लाणाणि वा,

(४) आयाणि वा,

(५) कायाणि वा,

(६) सोमियाणि वा,

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त आता है ।

वाचना देने लेने के प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सूत्रार्थ की वाचना देता है या वाचना देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से सूत्रार्थ की वाचना लेता है या वाचना लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

आकार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी भी इन्द्रिय से (अर्थात् आँख हाथ आदि किसी भी अंगोपांग से) किसी भी प्रकार के आकार को बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पृष्ठ ४१६

सूत्र ६१८. (ख) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से किसी प्रकार की चिकित्सा करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पृष्ठ ४१८

अंग संचालन का प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ६२३. (ख) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से स्त्री के अक्ष, ऊरु, उदर या स्तन को ग्रहण कर संचालित करता है या संचालित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पृष्ठ ४२०

मैथुन के संकल्प से वस्त्र निर्माण करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ६२६. (ख) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से—

(१) मूपक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र,

(२) सूक्ष्म वस्त्र,

(३) सूक्ष्म व सुशोभित वस्त्र,

(४) अजा के सूक्ष्म रोम से निष्पन्न वस्त्र,

(५) इन्द्रनीलवर्णी कपास से निष्पन्न वस्त्र,

(६) सामान्य कपास से निष्पन्न सूती वस्त्र,

- (७) द्रुगुल्लाणि वा,
 (८) तिरीड पट्टाणि वा,
 (९) मलयाणि वा,
 (१०) पत्तुणाणि वा,
 (११) अंसुयाणि वा,
 (१२) चिणंसुयाणि वा,
 (१३) देसरागाणि वा,
 (१४) अमिलाणि वा,
 (१५) गज्जलाणि वा,
 (१६) फालिहाणि वा,
 (१७) कोयवाणि वा,
 (१८) कंबलाणि वा,
 (१९) पावराणि वा,
 (२०) उट्टाणि वा,
 (२१) पेसाणि वा,
 (२२) पेसलेसाणि वा,
 (२३) किण्हमिगाईणगाणि वा,
 (२४) नीलमिगाईणगाणि वा,
 (२५) गोरमिगाईणगाणि वा,
 (२६) कणगाणि वा,
 (२७) कणगंताणि वा,
 (२८) कणगपट्टाणि वा,
 (२९) कणगखच्चियाणि वा,
 (३०) कणगफुसियाणि वा,
 (३१) वग्घाणि वा,
 (३२) विवग्घाणि वा,
 (३३) आभरण-चित्ताणि वा,
 (३४) आभरण-विचित्ताणि वा करेह. करेतं वा साइज्जइ ।

सूत्र ६२६. (ग) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए आइणाणि वा-जाव-आभरण-विचित्ताणि वा धरेह, धरेतं वा साइज्जइ ।

सूत्र ६२६. (घ) जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए आइणाणि वा-जाव-आभरण-विचित्ताणि वा पिणद्धेइ, पिणद्धेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ७, सु. १०-१२

- (७) गौड डेज में अमिद या दुगुन वृक्ष में निष्पन्न विविध वस्त्रों का वस्त्र,
 (८) निर्मल गुशावयव में निष्पन्न वस्त्र,
 (९) मलयागिरि वन्यम के चर्मों में निष्पन्न वस्त्र,
 (१०) चारीक चार्नी-मंगुशों में निष्पन्न वस्त्र,
 (११) दुगुन वृक्ष के अन्तर्गतवयव में निष्पन्न वस्त्र,
 (१२) भीम डेज में निष्पन्न अल्पमन मूषम वस्त्र,
 (१३) डेज निर्मल के रंगे वस्त्र,
 (१४) रोम डेज में बने वस्त्र,
 (१५) नामने पर आयाज करने वाले वस्त्र,
 (१६) म्फटिक के समान अल्पम वस्त्र,
 (१७) वस्त्र विशेष — "कोतवोवरणो",
 (१८) वस्त्रवत्,
 (१९) वस्त्रवत् विशेष — "गरहण पारिगादि पावारण" ।
 (२०) निग्गु डेज के मच्छ के चर्म में निष्पन्न वस्त्र,
 (२१) निग्गु डेज के मूषम चर्म होने पर वस्त्र में निष्पन्न वस्त्र,
 (२२) उगी पट्टु वी मूषम पट्टी में निष्पन्न वस्त्र,
 (२३) मूषम मृग चर्म,
 (२४) नील मृग चर्म,
 (२५) गौर मृग चर्म,
 (२६) स्वर्ण रत्न में लिप्त माशान् स्वर्णमय दिने ऐना वस्त्र,
 (२७) जिनके चित्तारे स्वर्ण रत्न रंजित दिने हों ऐना वस्त्र,
 (२८) स्वर्ण रत्नमय पट्टियों में युक्त वस्त्र,
 (२९) मोने के नार जड़े हुए वस्त्र,
 (३०) मोने के स्तवक या फूल जड़े हुए वस्त्र,
 (३१) व्याघ्र चर्म,
 (३२) चीते का चर्म,
 (३३) एक विशिष्ट प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र,
 (३४) अनेक प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र बनाता है या बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

सूत्र ६२६. (ग) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से मूषक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र - यावत्—अनेक प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र धारण करता है या धारण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

सूत्र ६२६ (घ) जो भिक्षु स्त्री के साथ मैथुन सेवन के संकल्प से मूषक आदि के चर्म से निष्पन्न वस्त्र—यावत्—अनेक प्रकार के आभरण युक्त वस्त्र पहनता है या पहनने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पृष्ठ ४२३

एगाणीए इत्थीए सद्धि संवासकरण पायच्छित्त सुत्ताइं—

सूत्र ६३६. (ख) जे भिक्खू (?) आगंतारेसि वा, (२) आरामागारंसि वा, (३) गाहावइकुलंसि वा, (४) परिव्यावसहंसि वा, एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ, सज्जायं वा करेइ, असणं वा-जाव-साइमं वा आहारेइ, उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठवेइ, अण्णयरं वा अणारियं णिट्ठुरं असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू (?) उज्जाणंसि वा, (२) उज्जाणगिहंसि वा, (३) उज्जाणसालंसि वा, (४) णिज्जाणंसि वा, (५) णिज्जाणगिहंसि वा, (६) णिज्जाणसालंसि वा एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू (?) अट्टंसि वा, (२) अट्टालयंसि वा, (३) चन्धियंसि वा, (४) पागारंसि वा, (५) दारंसि वा, (६) गोपुरंसि वा एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू (?) दग-मगंसि वा, (२) दग-पहंसि वा, (३) दग-तीरंसि वा, (४) दग-ठाणंसि वा एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू (?) सुण्ण-गिहंसि वा, (२) सुण्णसालंसि वा, (३) भिण्णगिहंसि वा, (४) भिण्णसालंसि वा, (५) फूटागारंसि वा, (६) कोट्टागारंसि वा एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू (?) तणगिहंसि वा, (२) तणसालंसि वा, (३) तुसगहंसि वा, (४) तुससालंसि वा, (५) भुसगिहंसि वा, (६) भुससालंसि वा एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू (?) जाणसालंसि वा, (२) जाणगिहंसि वा, (३) वाहणगिहंसि वा, (४) वाहणसालंसि वा एगो एगित्तियए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउगं कहं फहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

पृष्ठ ४२३

अकेली स्त्री के साथ रहने के प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ६३६. (ख) जो भिक्षु (?) धर्मशाला में, (२) उद्यान गृह में, (३) गृहस्थ के घर में या (४) परिव्राजक के आश्रम में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है, स्वाध्याय करता है, अशन—यावत्—स्वाद्य का आहार करता है, उच्चार प्रसन्नवण परठता है, या कोई साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (?) नगर के समीप ठहरने के स्थान में, (२) नगर के समीप ठहरने के गृह में, (३) नगर के समीप ठहरने की शाला में, (४) राजा आदि के नगर निर्गमन के समय ठहरने के स्थान में, (५) घर में, (६) जलाला में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (?) प्राकार के ऊपर के गृह में, (२) प्राकार के झरोखे में, (३) प्रकार व नगर के बीच के मार्ग में, (४) प्राकार में, (५) नगर द्वार में या (६) दो द्वार के बीच के स्थान में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (?) जलाशय में पानी आने के मार्ग में, (२) जलाशय से पानी ले जाने के मार्ग में, (३) जलाशय के तट पर, (४) जलाशय में, अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के न कहने योग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (?) शून्य गृह में, (२) शून्य शाला में, (३) खण्डहर गृह में, (४) खण्डहर शाला में, (५) झोंपड़ी में, (६) धान्यादि के कोठार में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (?) तृण गृह में, (२) तृण शाला में, (३) शालि आदि के तुप गृह में, (४) तुप शाला में, (५) मूंग, उड़द आदि के भुस गृह में, (६) भुसशाला में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (?) यान गृह में, (२) यान शाला में, (३) वाहन गृह में या (४) वाहन शाला में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू (१) पणियगिहंसि वा, (२) पणियसालंसि वा, (३) कुवियगिहंसि वा, (४) कुवियसालंसि वा एगो एगित्थिए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउग्गं क्हं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू (१) गोणसालंसि वा, (२) गोणगिहंसि वा, (३) महाकुलंसि वा, (४) महागिहंसि वा एगो एगित्थिए सद्धि विहारं वा करेइ-जाव-असमणपाउग्गं क्हं कहेइ कहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं । —नि. उ. ८, सु. १-९

पृष्ठ ४३२

सूत्र ६४७.

इच्चेतेहि पंचहि महव्वतेहि पणवीसाहि य भावणाहि संपन्ने अणगारे अहासुत्तं अहाकप्पं, अहामग्गं अहात्तच्चं सम्मं काएण फासित्ता पालित्ता सोहित्ता तीरित्ता किट्टित्ता आराहित्ता आणाए अणुपालित्ता भवति ।

—आ. सु. २, अ. १५, सु. ७९२

पृष्ठ ४३५

सूत्र ६५६. (ख)

ते अणवकंखमाणा, अणतिवालेमाणा, अपरिग्गहेमाणा, णो परिग्गहावति सव्वावति च णं लोगसि,

णिहाय दंडं पाणेहि पावं कम्मं अकुव्वमाणे, एस महं अगंथे विद्याहिते ।

ओए जुइमस्त छेतण्णे, उववायं चयणं च णच्चा ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २०९ (ख)

पृष्ठ ४६२

राईणं तह तेसि इत्थियाणं अवलोयणस्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

सूत्र ७१०. (ख) जे भिक्षू रण्णे खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्दाभिसित्ताणं आगच्छमाणाण वा णिगच्छमाणाण वा पयमवि चक्खुदंसण-वडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू रण्णे खत्तियाणं मुद्दियाणं मुद्दाभिसित्ताणं इत्थीओ सव्वालंकार-विभूतियाओ पयमवि चक्खुदंसण-वडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ९, सु. ८-९

जो भिक्षु (१) विक्रय शाला (दुकान) में, (२) विक्रय गृह (हाट) में, (३) चूना आदि बनाने की शाला में या (४) चूना बनाने के गृह में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु (१) गोशाला में, (२) गौगृह में, (३) महाशाला में या (४) महागृह में अकेला अकेली स्त्री के साथ रहता है—यावत्—साधु के अयोग्य कामकथा कहता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदघातिक (परिहार स्थान) प्रायश्चित्त आता है ।

पृष्ठ ४३२

सूत्र ६४७. इन (पूर्वोक्त) पाँच महाव्रतों और उनकी पच्चीस भावनाओं से सम्पन्न अनगार यथाश्रुत, यथाकल्प और यथामार्ग यथार्थ रूप में इनका काया से सम्यक स्पर्श कर, पालन कर, शोधन कर, इन्हें पार लगाकर, इनके महत्त्वं का कीर्तन करके, आराधना कर, भगवान् की आज्ञा के अनुसार इनका पालन करने वाला होता है ।

पृष्ठ ४३५

सूत्र ६५६. (ख) वे काम-भागों की आकांक्षा न रखने वाले, प्राणियों की हिंसा न करने वाले और परिग्रह नहीं रखने वाले ऐसे निर्ग्रन्थ मुनि समग्र लोक में अपरिग्रहवान् होते हैं ।

जो प्राणियों के लिए दण्ड का त्याग करके हिंसादि पाप कर्म नहीं करता, उसे ही महान् निर्ग्रन्थ कहा गया है ।

राग-द्वेष से रहित धृतिमान् अर्थात् संयम का जाता, जन्म और मरण के स्वरूप को जानकर शरीर की अनित्यता का अनुचिन्तन करें ।

पृष्ठ ४६२

राजा और उनकी रानियों को देखने के प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ७१०. (ख) जो भिक्षु शुद्ध वंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के आने जाने के समय-उन्हें देखने के संकल्प से एक कदम भी चलता है या चलने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु शुद्ध वंशज मूर्द्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा की सर्व अलंकारों से विभूषित रानियों को देखने के संकल्प से एक कदम भी चलता है या चलने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदघातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त आता है ।

पृष्ठ ४६६

ग्राम-रक्षक वसोकरणाईणं पायच्छित्त सुत्ताई—

सूत्र ७२२. (ख) जे भिक्षू गामारक्खियं अत्तीकरेइ, अत्तीकरेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू गामारक्खियं अच्चीकरेइ, अच्चीकरेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू गामारक्खियं अत्थीकरेइ, अत्थीकरेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठायणं उग्घाइयं । — नि. उ. ४, सु. ४०-४२

पृष्ठ ४६६

रक्षणा रक्षक वसोकरणाईणं पायच्छित्त सुत्ताई—

सूत्र ७२२. (ग) जे भिक्षू रणारक्खियं अत्तीकरेइ, अत्तीकरेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू रणारक्खियं अच्चीकरेइ, अच्चीकरेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू रणारक्खियं अत्थीकरेइ, अत्थीकरेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठायणं उग्घाइयं । — नि. उ. ४, सु. ४६-४८

पृष्ठ ४७४

भिक्षुरस पंच महव्वयपालणा —

सूत्र ७२५. (घ) मुसावायं बहिद्धं च, उग्गहं च अजाइयं ।
सत्थादाणाईं लोमंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥
—सूय. सु. १, अ. ६, गा. १०

पृष्ठ ४८८

सूत्र ७४६. जययं विहराहि जोगवं, अणुपाणा पंथा दुत्तरा ।
अणुसासनमेव पक्कमे, वीरेहिं सम्मं पवेइयं ॥
—सूय. सु. १, अ. २, उ. १, गा. ११

पृष्ठ ५६२

बहिया गिग्गयाण-राईणं आहार गहण पायच्छित्त सुत्तं—

सूत्र ६४७. (ख) जे भिक्षू रणो-खत्तियाणं-मुहियाणं मुद्धाभिसित्ताणं
मंसखायाण वा, मच्छ-खायाण वा, छविखायाण

पृष्ठ ४६६

ग्राम रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ७२२. (ख) जो भिक्षु ग्राम रक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ग्राम रक्षक की प्रशंसा=गुण कीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ग्राम रक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त आता है ।

पृष्ठ ४६६

राज्य रक्षक को वश में करने आदि के प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ७२२. (ग) जो भिक्षु राज्य रक्षक को अपने वश में करता है या वश में करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु राज्य-रक्षक की प्रशंसा=गुण कीर्तन करता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु राज्य रक्षक को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या आकृष्ट करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त आता है ।

पृष्ठ ४७४

भिक्षु के पांच महाव्रतों का पालन—

सूत्र ७२५. (घ) असत्य भाषण, स्त्री एवं परिग्रह का ग्रहण, विना दिये वस्तु लेना एवं प्राणी हिंसा, ये लोक में कर्मबन्ध के स्थान हैं । विद्वान् मुनि इन्हें जानकर इनका त्याग करे ।

पृष्ठ ४८८

सूत्र ७४६. हे पुरुष ! तू यत्न करता हुआ, पांच समिति और तीन गुप्ति से युक्त होकर विचरण कर, क्योंकि सूक्ष्मप्राणियों से परिपूर्ण मार्ग को उपयोग और यतना के बिना पार करना दुष्कर है । अतः शास्त्र में या जिनशासन में संयम पालन की जो रीति बताई है, उसके अनुसार संयम पथ पर चलना चाहिए । सभी तीर्थंकरों ने इसी का ही सम्यक् प्रकार से उपदेश दिया है ।

पृष्ठ ५६२

वाहर गये हुए राजा के आहार ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ६४७. (ख) जो भिक्षु मांस, मछली व फली आदि खाने के लिये वाहर गये हुए, शुद्ध वंशज मूर्द्धाभिपित्त क्षत्रिय राजा के

वा, बहिया णिग्गयाणं असणं वा, जाव-साइमं वा
पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
उग्घाइयं । —नि. उ. ६, सु. १०

पृष्ठ ५६०

ओसहस्स कीयाई दोसाणं पायच्छित्त सुत्ताइं—

सूत्र ६११. (ख) जे भिक्खू वियडं किणइ, किणावेइ, कीयं आहट्टु
देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वियडं पामिच्चइ, पामिन्वावेइ, पामिच्चं
आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू वियडं परियट्टइ, परियट्टावेइ, परियट्टियं
आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू वियडं अच्चेज्जं, अणिसिट्ठं, अभिहं
आहट्टु देज्जमाणं पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेतं वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू गिलाणस्स अट्टाए परं तिण्हं वियड-
दत्तीणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वियडं गहाय गामाणुगामं इइज्जइ
दुइज्जंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू वियडं गालेइ गालावेइ गालियं आहट्टु
देज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
उग्घाइयं । —नि. उ. १६, सु. ११

अशन—यावत्—स्वाद्य को ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त
आता है ।

पृष्ठ ५६०

औषध सम्बन्धी क्रीतादि दोषों के प्रायश्चित्त सूत्र—

सूत्र ६११. (ख) जो भिक्षु औषध (किसी रोग विशेष की दवा)
खरीदता है, खरीदवाता है या साधु के लिये खरीदकर देने वाले
से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु औषध उधार लाता है, उधार लिवाता है या
उधार लाने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु औषध को बदलता है बदलवाता है या बदलवा-
कर लाने वाले से ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु छीन कर लाई हुई, स्वामी की आज्ञा के बिना
लाई हुई अथवा सामने लाई हुई औषध को ग्रहण करता है या
ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु ग्लान के लिए तीन दत्ति (तीन मात्रा) से अधिक
औषध ग्रहण करता है या ग्रहण करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु औषध साथ में लेकर ग्रामानुग्राम विहार करता है
या विहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु औषध को स्वयं गालता है, गलवाता है या गाल-
कर देने वाले से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक (परिहारस्थान) प्रायश्चित्त
आता है ।

—नि. उ. १६, सु. ११

५११

